क़ानूने शरीअ़त



शमसुल उलमा अल्लामा
शमसुद्दीन अहमद
रज़वी, जौनपुरी

इल्म दीन का सीखना हर मुसलमान मर्द
औरत पर फ़र्ज़ है।

✯ क़ानूने शरीयत ✯



(भाग-१)

जिसमें

अक़ाएद, नमाज़, रोज़ा, ज़कात, क़ुर्बानी व
अक़ीक़ा के मसाएल बयान किये गये हैं।

लेखक:-

हज़रत मौलाना शमसु द्दीन अहमद जाफ़री
रिज़वी जौनपुरी

—: पेशे लफ़्ज़ :—

एक अरसये दराज से हिन्दी जानने वालों का यह तकाजा रहा कि अपने वालिदे माजिद मौलाना शमसुद्दीन अहमद साहब की मकबूले खास व आम किताब कानूने शरीयत जो कि इस्लामी लिटरेचर का मुख्तसर और मोकम्मल मजमूआ है उसको हिन्दी में करा दें ताकि कौम की नौजवान नस्ल जो कि उर्दू में पूरी तरह वाकिफ नहीं है वह नस्ल दीनी व मजहबी मालूमात हासिल कर सके और अपनी अमली जिन्दगी को खुदा और रसूल की मर्जीके मुताबिक गुजार सके। इस सिलसिले मे खास कर जनाब मौलाना नूरूद्दीन निजामी प्रधानाचार्य राजकीय इन्टर कालेज रामपुर ने बार-बार तवज्जा दिलाई।

चूंकि वालिदे मोहतरमका हुक्म था कि किताब कानूने शरीयत सिर्फ हिन्दी लिपि मे किया जाये। लेहाजा उनके हुक्म के मुताबिक किताब को ज्यों का त्यों हिन्दी लिपि में लिखा गया।

किताब में किसी किस्म की गल्ती होने पर लेखक का दामन पाक है बल्कि तमाम गल्तियों को मेरी तरफ से समझा जाये। और पढने वालों से गुज़ारिश है कि छपाई की गल्ती और अपने अच्छे मशवरों से हमें आगाह करें ताकि आइन्दा एडीशन में इसको ठीक किया जा सके।

आपका
मोहीउद्दीन अहमद 'हिशाम'
मकतबा शमसिया मीरमस्त जौनपुर
पिन--२२२००१

''तमहीद''

चूंकि इन्सान का कमाल और उसकी सआदत ईमान व अमल की सेहत पर मौकूफ है और यह बेगैर इल्म दीन नामुमकिन है। इस लिए हर शख्स जो अपनी जिन्दगी को सालेह और कामयाब बनाना चाहता है उसके लिए ज़रुरी है कि दीन का इल्म हासिल करे। इल्मे दीन की चार किस्में हैं।

पहली किस्म में वह मसाएल हैं जिनका तअल्लुक ईमान व अकीदा से है जैसे -तौहीद, रेसालत, नुबूवत, जन्नत, दोजख, हश्र, सवाब, अज़ाब वगैरह।

दूसरी किस्म में वह बातें हैं जिनका तअल्लुक एबादाते बदनी व माली से है जैसे-नमाज, रोजा, हज, जकात, वगैरह।

तीसरी क़िस्म में वह चीज़ें है जिनका तअल्लुक माआमलात व मआशरत से है जैसे-खरीद फरोख्त, निकाह, तलाक, एताक, जेहाद, हुकूमत, सेयासत वगैरह।

चौथी क़िस्म में वह उमूर हैं जिनका तअल्लुक अख़लाक, आदात जज़बात व मलकात जैसे-शजाअत, सखावत, सब्र, शुक्र वगैरह। आपके सामने पहला हिस्सा है जिनमें अकाएद नमाज रोज़ा, जकात, कुर्बानी, अकीका तक के मसाएल बयान किये गये हैं और दूसरे हिस्से में हज, निकाह, तलाक, अखलाकियात वगैरह के मसाएल हैं।

नोट:- इस किताब में सिर्फ बहुत ज़रूरी कसरत से पेश आने वाले मसाएल को बयान किया गया है और हर मसला का मआखज सुन्नी, हनफी दीनियात की नेहायत मोतबर व मुस्तनद किताबें हैं। रब तबारक व तआल इस कोशिश को लेवजहिल करीम कुबूल फरमाये। आमीन

कतबहु अलफकीर-अबुल मआली अहमद शमसुद्दीन जाफरी

विषय सूची

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

अक़ाएद का बयान

अल्लाह तआला की ज़ात और सिफात के अक़ीदे

अक़ीदा–अल्लाह एक है। पाक बे मिस्ल बे ऐब है हर कमाल व खूबी का जामे है। कोई किसी बात में न उसका शरीक न बराबर न उससे बढ़कर वह मय अपनी सिफाते कमालिया के हमेशा से है और हमेशा रहेगा। हमेशगी सिर्फ उसी की ज़ात व सिफात के लिए है उसके सिवा जो कुछ है पहले न था जब उसने पैदा किया तो हुआ। वह अपने आप है। उसको किसी ने पैदा नहीं किया वह न किसी का बाप न किसी का बेटा न उसकी कोई बीवी न रिश्तेदार सबसे बे नेयाज़। वह किसी बात में किसी का मोहताज नहीं। वह सब का मालिक जो चाहे करे उसके हुकम में कोई दम नहीं मार सकता। बे उसके चाहे ज़र्रह नहीं हिल सकता। वह हर खुली, छुपी, होनी अनहोनी को जानता है। कोई चीज़ उसके इल्म के बाहर नहीं, दुनिया जहां, सारे आलम की चीज़ उसी की पैदा की हुई है। सब उसके बन्दे हैं, वह अपने बन्दों पर मां-बाप से ज़्यादा मेहरबान व रहम करने वाला, गुनाह बख्शने वाला, तौबा कूबूल फरमाने वाला है।

उसकी पकड़ नेहायत सख़्त है जिससे बे उसके छुड़ाय कोई छूट नहीं सकता, इज़्ज़त ज़िल्लत उसी के अख़्तेयार में है, जिसे चाहे इज़्ज़त दे जिसे चाहे ज़लील करे, माल व दौलत उसी के कब्ज़े में है। जिसे चाहे अमीर करे, जिसे चाहे फ़क़ीर करे। हेदायत व गुमराही उसी की तरफ़ से है। जिसे चाहे ईमान नसीब हो जिसे चाहे कुफ़्र में मुब्तला हो। वह जो करता है हिकमत है, इन्साफ़ है, मुसलमानों को जन्नत अता फ़रमायेगा, काफ़िरों पर दोज़ख में अज़ाब करेगा, उसका हर काम हिकमत है, बन्दे की समझ में आये या न आये। उसकी नेमतें, उसके एहसान बे इन्तेहा हैं। वही इस

लायक है कि उसकी एबादत की जाये उसके सिवा दूसरा कोई एबादत के लाएक नहीं।

अक़ीदा :-अल्लाह तआला जिस्म व जिस्मानियत से पाक है यानी न वह जिस्म है, न उसमें वह बातें पायी जाती हैं जो जिस्म से तअल्लुक़ रखती हों बल्कि ये उसके हक़ मे मोहाल है। लेहाज़ा वह ज़मान व मकान तर्फ़ व जेहत शक्ल व सूरत, वजन व मेक़दार, ज्यादा व नुक़सान हुलूल व इत्तेहाद, तवालुद व तनासुल, हरकत व इन्तेक़ाल, तग़इयुर, तबद्दुल वग़ैरह जुमला औसाफ़ व अहवाले जिस्म से मुनज्जह व बरी है और क़ुरआन व हदीस में जो बाज़ ऐसे अलफ़ाज़ आये हैं मसलन यद, वजह, रिजल ज़ेहक वग़ैरह, जिनका ज़ाहिर जिसमियत पर दलालत करता है उनके ज़ाहिरी मानी लेना गुमराही व बदमज़हबी है इस क़िस्म के अलफ़ाज़ में तावील की जाती है क्योंकि इनका ज़ाहिर मुराद नहीं कि उसके हक में मोहाल है मसलन यद की तावील क़ुदरत से और वजह की ज़ात से इस्तेवा की ग़लबा व तवज्जह से की जाती है लेकिन बेहतर व असलम ये है कि विला ज़रूरत तावील भी न किया जाये बल्कि हक़ होने का यक़ीन रक्खे, और मुराद को अल्लाह के सुपुर्द करे कि वही जाने अपनी मुराद,हमारा तो अल्लाह और रसूल के क़ौल पर ईमान है कि इस्तेवा हक है, यद हक़ है, और उसका इस्तेवा मख़लूक़ का सा इस्तेवा नहीं उसका यद मख़लूक़ का सा यद नहीं, उसका कलाम, देखना, सुनना मख़लूक़ का सा नहीं।

अक़ीदा—अल्लाह तआला की ज़ात व सिफ़ात, न मख़लूक़ है न मक़दूर।

अक़ीदा—ज़ात व सिफ़ाते एलाही के एलावह जितनी चीज़ें हैं सब हादिस हैं, यानी पहले न थी फिर मौजूद हुई।

अक़ीदा—सिफ़ाते एलाही को मख़लूक़ कहना या हादिस बताना गुमराही व बददीनी है।

अक़ीदा—जो शख़्श अल्लाह तआला की ज़ात व सिफ़ात के अलवह किसी और चीज़ को कदीम माने या आलम के हादिस होने में शक करे वह काफ़िर है।

अक़ीदा—जिस तरह अल्लाह तआला आलम व आलम की हर चीज़ का ख़ालिक़ है उसी तरह हमारे आमाल व अफ़आल का भी वही ख़लिक है। अल्लाह तआला वाजिबुल वजूद है यानी उसका वजूद ज़रुरी है और अदम मोहाल !

अक़ीदा—कोई चीज अल्लाह तआला के इल्म से बाहर नहीं. मौजूद हो या मादूम, मुमकिन हो या मोहाल कुल्ली हो या जुज़ई सबको अज़ल में जानता था, और अब जानता है अबद तक जानेगा। चीजे बदलती हैं लेकिन उनका इल्म नहीं बदलता, दिलों के ख़तरों और वसवसों की उसको खबर है। उसके इल्म की कोई इन्तेहा नहीं।

अक़ीदा—अल्लाह तआला की मशीयत व इरादा के बग़ैर कुछ नहीं हो सकता मगर अच्छे पर खुश होता है और बुरे पर नाराज़।

अक़ीदा—अल्लाह तआला हर मुमकिन पर क़दिर है कोई मुमकिन उसकी क़ुदरत से बाहर नहीं और मोहाल तहते कुदरत नहीं, मोहाल पर क़ुदरत माननी ओलुहियत का इन्कार करना है।

अक़ीदा—ख़ैर व शर कुफ़्र व ईमान ताअत व इस्यान अल्लाह ही की तक़दीर व तख़लीक़ से है।

अक़ीदा—हक़ीक़तन रोज़ी पहुंचाने वाला वही है। फ़रिश्ता वग़ैरह वसीला और वास्ता हैं।

अक़ीदा—अल्लाह तआला के ज़िम्मे कुछ वाजिब नहीं, न सवाब देना न अजाब करना न वह करना जो बन्दह के हक़ में मुफ़ीद हो इस लिये कि वह मालिक अलल इतलाक़ है जो चाहे करे जो चाहे हुक्म दे। सवाब दे तो फ़ज़ल अज़ाब करे तो अद्ल, हां उसकी यह मेरहबानी कि वही हुक्म देता है जो बन्दा कर सके। ज़रुर मुसलमानों को अपने फ़जल से जन्नत देगा और काफ़िरों को अपने अद्ल से जहन्नम में डालेगा इस लिये कि उसने वादा फ़रमा लिया है कि कुफ़्र के सिवा जिस गुनाह को चाहे माफ़ कर देगा और उसके वादे वईद बदलते नहीं इसलिए अज़ाब व सवाब ज़रुर होगा।

अक़ीदा– अल्लाह तआला आलम से बे परवाह है उसको कोई नफ़ा नुक़सान नहीं पहुंचता, न कोई पहुंचा सकता। वह जो कुछ करता है उसमें उसका अपना कोई फ़ायदा व ग़र्ज़ नहीं। दुनिया को पैदा करने में न कोई उसका फ़ायदा औरना न पैदा करने में कोई नुक़सान। अपना फ़ज़्ल व अद्ल क़ुदरत व कमाल ज़ाहिर करने के लिये मख़लूक़ को पैदा किया।

अक़ीदा–अल्लाह तआला के हर काम में बहुत हिकमतें हैं हमारी समझ में आये या न आयें ये उसकी हिकमत है कि दुनिया में एक चीज़ को दूसरी चीज का सबब ठहराया। आग को गर्मी पहुचाने का सबब, पानी को सर्दी पहुंचाने का सबब बनाया, आँख को देखने के लिये, कान को सुनने के लिये बनाया अगर वह चाहे तो आग सर्दी, पानी गर्मी दे और आँख सुने कान देखे।

अक़ीदा–खुदा के लिये हर ऐब, नक़्स मोहाल है जैसें झूठ जहल, भूल, ज़ुल्म बे-हयाई वग़ैरह तमाम बुराइयां खुदा के लिये मोहाल हैं और जो ये माने कि खुदा झूठ बोल सकता है लेकिन बोलता नहीं तो गोया वो ये मानता है कि खुदा ऐबी तो है लेकिन अपना ऐब छुपाये रहता है फिर एक झूठ पर ही क्या ख़त्म सब बुराइयों का यही हाल हो जायेगा कि उसमें हैं तो लेकिन करता नहीं जैसे ज़ुल्म, चोरी, जेना, तवालुद व तनासुल वग़ैरहा ओयूबे कसीरा अदीदा, खुदा के लिए किसी नक़्स व ऐब को मुमकिन जानना खुदा को ऐबी मानना है बल्कि खुदा ही का इनकार करना है। अल्लाह तआला ऐसे गन्दे अक़ीदे से हर आदमी को बचाये रक्खे।

तक़दीर

तक़दीर–अल्लाह तआला के इल्म में जो कुछ आलम में होने वाल था और जो कुछ बन्दे करने वाले थे उसको अल्लाह तआला ने पहले ही से जान कर लिख लिया। किसी की क़िस्मत में भलाई लिखी और किसी

की क़िस्मत में बुराई लिखी इस लिख देने ने बन्दे को मजबूर नही कर दिया कि जो अल्लाह तआला ने लिख दिया वह बन्दे को मजबूरन करना पड़ता है बल्कि बन्दा जैसा करने वाला था वैसा ही उसने लिख दिया। किसी आदमी की क़िस्मत में बुराई लिखी तो इस लिए कि यह आदमी बुराई करने वाला था अगर यह भलाई करने वाला होता तो उसकी क़िस्मत में भलाई ही लिखता अल्लाह तआला के इल्म ने या अल्लाह तआला के लिख देने ने किसी को मजबूर नहीं कर दिया।

मसला—तकदीर के मसले में ग़ौर व बहस मना है। बस इतना समझ लेना चाहिये कि आदमी पत्थर की तरह मजबूर नही है कि उसका इरादा कुछ हो ही नही कि अल्लाह तआला ने आदमी को एक तरह का अख्तेयार दिया है बल्कि एक काम चाहे करे चाहे नकरे इसी अख्तेयार की बिना पर नेकी व बदी की निस्बत बन्दे की तरफ है अपने आप को बिल्कुल मजबूर या बिल्कुल मुखतार समझना दोनो गुमराही है.

मसला—बुरा काम करके यह न कहना चाहिये बे अदबी है कि ख़ुदा ने चाहा तो हुआ, तक़दीर में था किया। बल्कि हुक्म यह है कि अच्छे काम को कहे कि ख़ुदा की तरफ़ से और बुरे काम को अपने नफ़्स की शरारत शामत जाने।

नबी और रसूल

जिस तरह अल्लाह तआला की ज़ात और सिफ़तों का जानना ज़रूरी है उसी तरह यह भी जानना लाज़िम है कि नबी में क्या क्या बातें होनी चाहिये और क्या क्या न होनी चाहिये ताकि आदमी कुफ़्र से बचा रहे।

रसूल—के माना हैं ख़ुदा के यहाँ से बन्दों के पास ख़ुदा का पैग़ाम लाने वाला।

नबी—वह आदमी जिसके पास वही यानी ख़ुदा का पैग़ाम आया लोगों

को ख़ुदा का रास्ता बताने के लिये ख़्वाह यह पैग़ाम नबी के पास फ़रिश्ता लेकर आया हो, ख़ुद नबी को अल्लाह की तरफ़ से इसका इल्म हुआ हो। कई नबी और कई फ़रिश्ते रसूल हैं। नबी सब मर्द थे न कोई जिन नबी हुआ न कोई औरत नबी हुई-एबादत रेयाज़त के ज़रिया से आदमी नबी नहीं होता महज़ अल्लाह तआला की मेहरबानी से होता है इसमें आदमी की कोशिश नहीं चलती अलबत्ता नबी अल्लाह तआला उसी को बनाता है जिसको इस लाएक़ पैदा करता है जो नबी होने से पहले ही तमाम बुरी बातों से दूर रहता है और अच्छी बातों से संवर चुकता है नबी में कोई ऐसी बात नहीं होती जिससे लोग नफ़रत करते हों नबी का चाल चलन, शक्ल सूरत, हसब नसब, तौर तरीक़ा, बात चीत सब अच्छे और बे ऐब होते हैं नबी की अक़्ल कामिल होती है नबी सब आदमियों से ज़्यादा अक़्लमन्द होते हैं बड़े से बड़े हकीम फ़लसफ़ी की अक़्ल नबी की अक़्ल के लाखवीं हिस्सा तक भी नहीं पहुंचती। जो यह माने कि कोई शख़्स अपनी कोशिश से नबी हो सकता है वह काफ़िर है और जो यह समझे कि नबी की नुबूवत छीनी जा सकती है वह भी काफ़िर है नबी और फ़रिश्ता मासूम होता है यानी कोई गुनाह उससे नहीं हो सकता नबी और फ़रिश्ता के अलावह किसी एमाम और वली को मासूम मानना गुमराही व बदमज़हबी है-अगरचे एमामों और बड़े-बडे वलियों से भी गुनाह नहीं होता लेकिन कभी कोई गुनाह हो जाये तो शरअन मोहाल भी नहीं, अल्लाह का पैग़ाम पहुंचाने में नबी से भूल चूक नहीं हो सकती मोहाल है, जो यह कहे कि कुछ अहकाम तकय्यतन यानी लोगों के डर से या किसी और वजह से नहीं पहुंचाया वह काफ़िर है. अम्बिया तमाम मख़लूक़ से अफ़ज़ल हैं यहां तक कि उन फ़रिश्तों से भी अफ़ज़ल हैं जो रसूल हैं। वली कितने ही बड़े मर्तबा वाला हो किसी नबी के बराबर नहीं हो सकता जो किसी ग़ैर नबी को किसी नबी से अफ़ज़ल बताये वह काफ़िर है।

अक़ीदा ! नबी की ताजीम फ़र्ज़ ऐन बल्कि तमाम फ़राएज़ की अस्ल है किसी नबी की अदना तौहीन या तकज़ीब कुफ़्र है। सारे नबी अल्लाह

तआला के नज़दीक बड़ी वजाहत व इज़्ज़त वाले हैं उनको अल्लाह तआला के नज़दीक मआज़ अल्लाह चूड़े चमार की मिस्ल कहना खुली गुस्ताख़ी और कलमए कुफ़्र है अम्बिया अलैहिस्सलाम अपनी अपनी क़ब्रों में उसी तरह ज़िन्दा हैं जैसे दुनिया में थे अल्लाह का वादा पूरा होने के लिये एक आन को उन्हें मौत आई फिर ज़िन्दा हो गये उनकी ज़िन्दगी शहीदों की ज़िन्दगी से बहुत बढ़ कर है।

अक़ीदा ! अल्लाह तआला ने अम्बिया अलैहुमुस्सलाम को गैब की बातें बताईं ज़मीन व आसमान का हर हर ज़र्रह हर नबी की नजर के सामने है। यह इल्मे ग़ैब अल्लाह के दिये से है लेहाज़ा यह इल्म अताई हुआ और अल्लाह तआला का इल्म चूंकि किसी का दिया हुआ नहीं है बल्कि खुद उसे हासिल है लेहाज़ा ज़ाती हुआ अब जबकि अल्लाह तआला के इल्म और रसूल के इल्म का फ़र्क़ मालूम हो गया तो ज़ाहिर हो गया कि नबी व रसूल के लिये ख़ुदा का दिया हुआ इल्मे ग़ैब मानना शिर्क नहीं बल्कि ईमान है जैसा कि आयतों और हदीसों से साबित है।

अक़ीदा—कोई उम्मती शुहदो तक़्वा, ताअत व एबादत में नबी से नहीं बढ़ सकता। अम्बिया सोते जागते हर वक़्त यादे एलाही में लगे रहते हैं।

अक़ीदा—अम्बिया की तादाद मोक़र्रर करनी ना जाएज़ है। उनकी पूरी तादाद का सही इल्म अल्लाह ही को है।

अम्बिया के रुतबे

हज़रते आदम सबसे पहले इन्सान हैं उनसे पहले इन्सान का वजूद न था सब आदमी उन्हीं की औलाद हैं यही सबसे पहले नबी हैं अल्लाह तआला ने इनको बे मां बाप के मिट्टी से पैदा किया अपना ख़लीफ़ा बनाया। तमाम चीज़ों और उनके नाम का इल्म दिया। फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदह करो सबने सजदह किया सिवा शैतान के उसने इन्कार

किया और हमेशा के लिये मलऊन व मदूर्द हुआ। हज़रते आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम तक बहुत नबी आये। हज़रत नूह, हज़रत इब्राहीम, हज़रत मूसा, हज़रत ईसा और उनके अलावह हज़ारो। यह चारों नबी भी थे और रसूल भी। सबसे आखिरी नबी और रसूल सारी मख़लूक से अफजल सब के पेशवा हबीबे खुदा हमारे आका हजरत अहमदे मुज्तबा मोहम्मदे मुस्तफा सल्लल्लाहो अलैहे व आलेही वसल्लम हैं। आपके बाद कोई नबी न हुआ न होगा। जो शख़्स हमारे नबी के बाद या आप के ज़माना में किसी और को नबी माने या नुबूवत मिलनी जाएज़ जाने वह काफिर है।

हमारे नबी की ख़ास ख़ास फज़ीलतें और कमालात

अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे हुज़ूर को तमाम जहाँ से पहले अपने नूर की तजल्ली से पैदा किया।अंम्बिया फरिश्ते ज़मीन आसमान अर्श कुर्सी तमाम जहाँ को हुज़ूर के नूर की झलक से बनाया। अल्लाह या अल्लाह का बराबर वाला होने के सिवा जितने कमाल जितनी ख़ूबियां हैं सब अल्लाह तआला ने हमारे हुज़ूर को दे दिया। तमाम जहां में कोई किसी ख़ूबी में हुज़ूर के बराबर नहीं हो सकता। हुज़ूर अफज़लुल ख़ल्क और अल्लाह तआला के नायबे मुत्लक़ हैं। हुज़ूर तमाम अम्बिया के नबी है और हर शख़्स पर आपकी पैरवी लाज़िम है। अल्लाह तआला ने अपने तमाम खजानों की कुन्जियां हुज़ूर को बख़्श दीं। दुनिया और दीन की सब नेमतों का देने वाला खुदा है और बाँटने वाले हुज़ूर हैं। अल्लाह तआला ने आपको मेराज अता फरमाई यानी अर्श पर बुलाया। अपना दीदार आंखों से दिखाया अपना कलाम सुनाया जन्नत दोज़ख़, अर्श कुर्सी वग़ैरह तमाम चीज़ों की सैर कराई यह सब कुछ रात के थोड़े से वक्त में हुआ। क़यामत के दिन आप ही सबसे पहले शफ़ाअत

करेंगे यानी अल्लाह के यहाँ लोगों की सेफारिश करेंगे। गुनाह माफ करायेंगे, दर्जे बुलन्द करायेंगे, इसके अलावह और बहुत से ख़साएस हैं जिनके ज़िक्र की इस मुख्तसर में गुन्जाइश नहीं।

अक़ीदा ! हुज़ूर के किसी क़ौल व फ़ेल व अमल व हालत को जो हेक़ारत की नज़र से देखे काफ़िर है।

मोजज़ह

वह अजीब व ग़रीब काम जो आदतन ना मुमकिन हो जिसे नबी अपनी नुबूवत के सबूत में पेश करे और उससे मुन्केरीन आजिज़ हो जायें वह मोजज़ह है जैसे मुर्दह को जिन्दा करना, उंगली के एशारे से चाँद को दो टुकड़े कर देना, ऐसी अजीब व ग़रीब बात अगर वली से ज़ाहिर हो तो उसे करामात कहते हैं और निडर बदकार या काफिर से हो तो उसको इस्तिदराज कहते हैं। मोजज़ह को देख कर नबी की सच्चाई का यक़ीन होता है कि जिसके हाथ पर कुदरत की ऐसी निशानियां ज़ाहिर हों जिसके मुकाबिल सब लोग आजिज़ व हैरान हैं ज़रूर वह ख़ुदा का भेजा हुआ है। कोई झूठा नुबूवत का दावा करके मोजज़ह हरगिज़ नहीं दिखा सकता। अल्लाह तआला झूठे को मोजज़ह हरगिज़ नहीं अता फरमाता वरना सच्चे झूठे मे फ़र्क़ न रहे।

मसलए ज़रूरिया—अम्बिया अलैहिस्सलाम से जो लग़ज़िशें हुईं उनका जिक्र तलावते क़ुरआन व रवायते हदीस के सिवा हराम और सख़्त हराम है। औरों को उन सरकारों में लब कुशाई की क्या मजाल अल्लाह तआला उन का मालिक है जिस महल पर जिस तरह चाहे ताबीर फरमाये वह उस के प्यारे बन्दे हैं। अपने रब के लिये जिस क़दर चाहें तवाज़ो करें दूसरा उन कलेमात को सनद नहीं बना सकता यानी नबी की भूल चूक के मौक़ा पर अल्लाह तआला ने जो कलेमा नबी को कहा या नबी ने इन्केसारी आजिज़ो के तौर पर अपने को कहा किसी उम्मती को नबी के हक़ में ऐसे कलेमा

कहना ना जाएज़ व हराम है।

अल्लाह तआला की किताबें

अल्लाह तआला ने अपने पैग़म्बरों पर अपना कलामे पाक उतारा। हज़रत मूसा पर तौरात उतरी, हजरत दाऊद पर ज़बूर। हज़रत ईसा पर इन्जील, और नबियों पर दूसरी किताबें उतरीं उन नबियों की उम्मतों ने उन किताबों को घटा बढ़ा दिया और अल्लाह के अहकाम को बदल डाला तब अल्लाह तआला ने हमारे आक़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह पर क़ुरआन पाक उतारा।

क़ुरआन ऐसी बे मिस्ल किताब है कि वैसी कोई दूसरा नहीं बना सकता चाहे तमाम जहान मिलकर कोशिश करें ऐसी किताब नहीं बना सकते, क़ुरआन में सारे इल्म हैं और हर चीज़ का रौशन बयान है। चौदह सौ बरस से आज तक वैसा ही है जैसा उतरा और हमेशा वैसा ही रहेगा, सारा ज़माना चाहे तो भी उसमें एक हर्फ का फ़र्क़ नहीं आ सकता। जो शख्स कहे कि क़ुरआन पाक में किसी ने कुछ घटा या बढ़ा दिया या असली क़ुरआन इमामे ग़ायब के पास है वह काफ़िर है, यही असली क़ुरआन है इसी क़ुरआन पर इमान लाना हर शख़्स के लिये लाज़िम है अब न कोई नबी आयेगा न कोई अल्लाह की किताब, जो इसके ख़िलाफ़ माने वह मोमिन नहीं।

फरिश्तों का बयान

फरिश्ते नूरी जिस्म की मख़लूक़ हैं जिनको अल्लाह तआला ने यह ताक़त दी है कि जो शक्ल चाहें बन जायें। इन्सान की हों या कोई और, फरिश्ते अल्लाह तआला के हुक्म के ख़िलाफ़ कुछ नहीं करते न जान बूझ कर न भूल कर इसलिये कि मासूम हैं हर किस्म के गुनाह सग़ीरा व गुनाह कबीरा से पाक हैं अल्लाह तआला ने बहुत से काम फरिश्तों के सपुर्द किये हैं, कोई

फरिश्ता जान निकालने पर मोक़र्रर है कोई पानी बरसाने पर कोई मां के पेट में बच्चा की सूरत बनाने पर कोई नामए आमाल लिखने पर कोई किसी पर कोई किसी काम काम पर फरिश्ते न मर्द हैं न औरत, उनको क़दीम मानना या ख़ालिक़ जानना कुफ़ है, किसी फरिश्ता की ज़रा-सी बेअदवी भी कुफ़ है, बाज़ लोग अपने दुश्मन को या सख्ती करने वाले को मलकुल मौत कहते हैं ऐसा कहना नाजाएज है करीब कुफ़ के है, फरिश्तों के वजूद का इन्कार या यह कहना कि फरिश्ता नेकी की क़ूवत को कहते हैं और इसके सिवा कुछ नहीं यह दोनों बातें कुफ़ हैं।

जिन का बयान

जिन आग से पैदा किये गये हैं इनमें बाज़ को अल्लाह तआला ने यह ताकत दी है कि जो शक्ल चाहें बन जाये। शरीर बदकार जिन को शैतान कहते हैं यह आदमी की तरह अक़्ल और रुह और जिस्म वाले होते हैं। खाते पीते जीते मरते और अवलाद वाले होते हैं इनमें काफ़िर मोमिन सुन्नी बद मज़हब हर तरह के होते हैं। इनमें बदकारों की तअदाद बनिस्बत आदमी के ज़्यादह है। जिनके वजूद का इन्कार करना या यह कहना कि जिन और शैतान बदी की क़ूवत का नाम है कुफ़ है।

मौत और क़ब्र का बयान

हर शख़्स की उम्र मोक़र्रर है न उससे घट सकती है न बढ सकती है जब ज़िन्दगी का वक़्त पूरा हो जाता है तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम जान निकालने के लिये आते हैं उस वक़्त मरने वाले को दायें बायें जहां तक नज़र जाती है फरिश्ते ही फरिश्ते दिखाई देते हैं। मुसलमान के पास रहमत के फरिश्ते होते हैं और काफ़िर के पास अज़ाब के। उस वक़्त काफ़िर को भी इस्लाम के सच्चे होने का यक़ीन हो जाता है, लेकिन उस वक़्त का ईमान

मोतबर नहीं क्योंकि ईमान तो अल्लाह व रसूल की बताई बातों पर बे देखे यक़ीन करने का नाम है और अब तो फरिश्तों को देख कर ईमान लाता है इस लिये ऐसे ईमान लाने से मुसलमान न होगा। मुसलमान की रुह आसानी से निकाली जाती है और उसको रहमत के फरिश्ते इ़ज्जत के साथ ले जाते हैं और काफ़िर की रुह बड़ी सख़्ती से निकाली जाती है और उसको अज़ाब के फ़रिश्ते बड़ी ज़िल्लत से ले जाते हैं। मरने के बाद रुह किसी दूसरे बदन में जाकर फिर पैदा नहीं होती बल्कि क़यामत आने तक आलमे बरजख़ में रहती है। यह ख़्याल कि रूह किसी दूसरे बदन में चली जाती है चाहे आदमी का बदन हो या जानवर का या पेड़ पालू में यह ग़लत है इसका मानना कुफ़्र है इसी को आवागवन और तनासुख़ कहते हैं।

मौत—यह है कि रुह बदन से निकल जाये लेकिन निकल कर रुह मिट नहीं जाती बल्कि आलमे बरज़ख में रहती है और ईमान व अमल के एतेबार से हर रुह के लिये अलग जगह मोक़र्रर है क़यामत आने तक वहीं रहेगी, किसी की जगह अर्श के नीचे है और किसी की आ़ला इल्लीईन में और किसी की चाहे ज़मज़म शरीफ में किसी की जगह उसकी क़ब्र पर है और काफ़िरों की रुह क़ैद रहती है किसी की चाहे बरहूत में किसी की सिज्जीन में किसी की उसके मरघट या क़ब्र पर, बहरहाल रुह मरती या मिटती नहीं बल्कि बाक़ी रहती है और जिस हाल में भी हो और जहां कहीं भी हो अपने बदन से एक तरह का लगाव रखती है। बदन की तकलीफ़ से उसे भी तकलीफ़ होती है और बदन के आराम से आराम पाती है जो कोई क़ब्र पर आये उसे देखती पहचानती है और मुसलमान की निस्बत तो हदीस शरीफ में आया है, कि जब मुसलमान मर जाता है तो उसकी रुह खोल दी जाती है जहां चाहे जायें हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ साहब लिखते हैं 'रुह रा क़ुर्ब व बोदे मकानी यकसाँ अस्त' यानी रुह के लिये कोई जगह दूर या नजदीक नहीं बल्कि सब जगह बराबर है जो यह माने कि मरने के बाद रुह मिट जाती है वह बद मज़हब है, मुर्दा कलाम भी करता है, इसकी बोली अवाम जिन और इन्सानों

के सिवा हैवानात वग़ैरह सुनते भी है दफ़्न के बाद क़ब्र मुर्दे को दबाती है मोमिन को इस तरह जैसे मां बच्चे को और काफ़िर को इस तरह कि इधर की पसलियां उधर हो जाती है।जब लोग दफ़्न करके लौटते है मुर्दह उनके जूतों की आवाज सुनता है उस वक़्त मुन्किर नकीर दो फरिश्ते ज़मीन चीरते हुए आते है, उनकी शक्ल बहुत डरावनी होती है, उनका बदन काला, आंखें नीली और काली बहुत बडी बडी जिनसे आग की तरह लपट निकलती है, उनके डरावने बाल सर से पाँव तक उनके दांत बहुत बड़े बडे जिनसे ज़मीन चीरते हुए आते है।मुर्दे को झिंझोंडते और झिडक कर उठाते है और बहुत सख्ती के साथ बडी कडी आवाज से तीन सवाल करते है,

(१) मन रब्बोका यानी तेरा रब कौन है,

(२) मा दीनोका,तेरा दीन क्या है,

(३) मा कुन्ता तक़ूलो फी हाजर रजुल,इनके बारे में तू क्या कहता था। मुर्दह अगर मुसलमान है तो पहले सवाल का यह जवाब देगा कि रब्बी यल्लाह,मेरा रब अल्लाह है और दूसरे का दीनी–यल-इस्लाम,मेरा दीन इस्लाम है और तीसरे सवाल का जवाब यह देगा कि होवा रसूलुल्लाहे अलैहे वसल्लम यह अल्लाह के रसूल है,अल्लाह की तरफ़ से इनपर रहमत नाज़िल हो और सलाम,अब आसमान से यह आवाज़ आयेगी कि मेरे बन्दे ने सच कहा इसके लिये जन्नत का बिछोना बिछाओ और ज़न्नत का कपड़ा पहनाओ। और जन्नत का दरवाज़ा खोल दो,अब जन्नत की ठंडी हवा और खुश्बू आती रहेगी और जहाँ तक निगाह फैलेगी वहाँ तक चौडी चमकीली कर दी जायेगी और फरिश्ते कहेंगे सो, जैसे दूल्हा सोता है यह नेक परहेज़गार मुसलमानों के लिये होगा,गुनाहगारों को उनके गुनाह के लायक़ अजाब भी होगा एक ज़माना तक,फिर बुज़ुर्गो की शफ़ाअत से या ईसाले सवाब व दुआये मग़फ़रत से या महज़ अल्लाह की मेहरबानी से यह अजाब उठ जायेगा और फिर चैन ही चैन होगा, और अगर मुर्दह काफ़िर है तो सवाल का जवाब न दे सकेगा और कहेगा हाह,हाह ला अदरी, अफ़सोस मुझे तो [illegible] मालूम नहीं,

अब एक पुकारने वाला आसमान से पुकारेगा कि यह झूटा है इस के लिय आग का बिछौना बिछोओ और आग का कपड़ा पहनाओ और जहन्नम का एक दरवाज़ा खोल दो उसकी गर्मी और लपट पहुंचेगी और अजाब देने के लिये दो फ़रिश्ते मोक़र्रर होंगे जो बड़े हथौड़े से मारते रहेंगे और सांप बिच्छू भी काटते रहेंगे और क़यामत तक तरह तरह के अजाब होते रहेंगे.

तम्बीह ! हजरात अम्बिया अलैहुमुस्सलाम से न क़ब्र में सवाल हो न उन्हें क़ब्र दबाये और सवाल तो बाज़ उम्मतीयों से भी न होगा जैसे जुमा और रमजान में मरने वाले मुसलमान। क़ब्र में आराम व तकलीफ़ का होना हक़ है और यह अज़ाब व सवाब बदन और रूह दोनों पर है। बदन अगरचे गल जाये, जल जायें खाक़ में मिल जायें मगर उसके असली अज्जा क़यामत तक बाक़ी रहेंगे उन्ही पर अजाब व सवाब होगा और उन्ही पर क़यामत के दिन फिर बदन बनकर तैयार होगा, यह अज्जा रीढ की हडडी में कुछ ... बारीक, बहुत ही छोटे छोटे हैं जो किसी खुर्द बीन से भी नहीं देखे जा सकते न उन्हें आग जला सकती है न ज़मीन गला सकती है यही बदन के बीज हैं इन्हीं अज्ज़ा के साथ अल्लाह तआला बदन के और हिस्सों को जमा कर देगा जो राख या मिट्टी होकर इधर उधर फैल गये और फिर वही पहला जिस्म बन जायेगा और रुह उसी जिस्म में आकर कयामत के मैदान मे आयेंगी इसी का नाम हश्र है। अब इसी से यह भी मालूम हो गया कि क़यामत के दिन रुहें अपने पहले ही बदन में लौटाई जायगी, न दूसरे मे क्योंकि असली अज्ज़ा का बाकी रहना और जायद में तग़य्युर व तबद्दुल होना चीज़ को बदल नहीं देता बल्कि इस क़िस्म की तबदीलियों के बाद भी वह पहली चीज वही रहती है, देखो जब बच्चा पैदा होता है तो कितना बड़ा होता है और कैसा होता है और जवान होने तक इस में कितनी तबदीलियां होती हैं. मगर हर ज़माना और हर हाल मे रहता वही है दूसरा नही हो जाता वह खुद भी यकीन रखता है कि दस पांच बरस पहले भी मैं मै ही था और अब भी मैं मैं ही हूँ और यह हमेशा और हर उम्र में हर शख्स समझता है

अपने लिये भी और दूसरों के लिये भी, मुर्दह अगर क़ब्र में न दफ़न किया जाये तो जहां पड़ा रह गया या फेंक दिया गया, ग़रज़ कहीं हो उससे वहीं सवाल होगा और अज़ाब सवाब पहुचेगा, यहां तक कि जिसे शेर खा गया उससे शेर के पेट में सवाल होगा और अज़ाब सवाब भी वहीं होगा, क़ब्र के अजाब व सवाब का मुन्किर गुमराह है।

मसला–नबी, वली,आलिमे दीन,शहीद,हाफ़िज़े क़ुरआन जो क़ुरआन पर अमल भी करता हो और जो मन्सबे मोहब्बत पर फ़ाएज है और वह जिस्म जिसने कभी गुनाह न किया और वह जो हर वक़्त दरुद शरीफ़ पढ़ता है, उनके बदन को मिट्टी नहीं खा सकती जो शख़्स अम्बियाए केराम अलैहुमुस्सलाम को यह कहे कि मर के मिट्टी में मिल गये वह गुमराह बद दीन ख़बीस मुर्तकिबे तौहीन है।



क़यामत आने का हाल और उसकी निशानियाँ

एक दिन तमाम दुनिया,इन्सान,हैवान, जिन,फ़रिश्ते,आसमान और जो कुछ इनमें है सब फ़ना हो जायेगें, अल्लाह के सिवा कुछ बाक़ी न रहेगा इसी को क़यामत आना कहते हैं।क़यामत आने से पहले कुछ क़यामत की निशानियाँ जाहिर होंगी, जिनमें से थोड़ी सी हम यहां लिखते हैं–

(१)ख़सफ यानी तीन जगह आदमी ज़मीन में धस जायेंगे पूरब में,पश्चिम में और अरब में।

(२)इल्मे दीन उठ जायेगा यानी ओलमा उठा लियें जायेंगे।

(३)जेहालत की कसरत होगी।

(४)शराब और ज़ेना की ज़्यादती होगी और इस बे हयाई के साथ कि जैसे

गधे जोडा खाते हैं।
(५) मर्द कम होंगे औरतें ज़्यादा होंगी यहां तक कि एक मर्द की सरपरस्ती में पचास औरतें होंगी।
(६) माल की ज्यादती होगी।
(७)अरब में खेती और बाग़ और नहरें जारी होंगी नहरे फ़ारात अपने ख़ज़ाने खोल देगी और वह सोने के पहाड़ होंगे।
(८) मर्द अपनी औरत के कहने में होगा मां बाप की न सुनेगा दोस्तों से मेल जोल रक्खेगा और मां बाप से जुदाई।
(९)गाने बजाने की कसरत होगी।
(१०)अगलों पर लोग लानत करेंगे उनको बुरा कहेंगे।
(११)वदकार और नाअहल सरदार बनाये जायेंगे
(१२)ज़लील जिन को तन का कपड़ा न मिलता था वह बड़े बड़े महलों पर इतरायेंगे
(१३)मस्जिद में लोग चिल्लायेंगे
(१४)इस्लाम पर क़ायम रहना इतना कठिन होगा जैसे मुटठी में अंगारा लेना यहा तक कि आदमी क़ब्रस्तान में जाकर तमन्ना करेगा कि काश में इस क़ब्र में होता

(१५) वक्त में बर्कत न होगी यहां तक कि साल मिस्ल महीना के और महीना मिस्ल हफता के और हफता मिस्ल दिन के और दिन ऐसा हो जायेगा जैसे किसी चीज़ को आग लगी और जल्द भड़क कर खत्म हो गई यानी वक़्त बहुत जल्द जल्द गुज़रेगा.
(१६)दरिन्दे,जानवर आदमी से बात करेंगे, कोड़े की नोक जूते का तस्मा बोलेगा जो कुछ घर में हुआ बतायेगा बल्कि आदमी की रान उसे खबर देगी
(१७)सूरज पश्चिम से निकलेगा इस निशानी के ज़ाहिर होते ही तौबा का दरवाज़ा बन्द हो जायेगा।इस वक्त में इस्लाम लाना कुबूल न होगा।
(१८)अलावह बड़े दज्जाल के तीस दज्जाल और होंगे जो सब नबी होने का

दावा करेंगे हालाकि नुबूवत ख़त्म हो चुकी। हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम के बाद कोई नबी न होगा इन दज्जालों में बहुत से गुजर चुके जैसे मुसैलिमा कज्जाब-तलीहा बिन खोवयलिद-अस्वद अनसी कज्जाब,मिर्जा अली मोहम्मद बाब, मिर्जा अली हुसैन बहाउल्लाह, मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी वगैरह और जो बाकी हैं जरूर होंगे।

१९ दज्जाल का निकलना

दज्जाल। यह काना होगा इसके एक ऑख होगी और ख़ुदाई का दावा करेगा। इसके माथे पर काफ, फे,रे लिखा होगा यानी काफिर जिसको हर मुसलमान पढ़ेगा और काफिर को न देखाई देगा यह बहुत तेज़ी से सैर करेगा।चालिस दिन में हरमैन शरीफैन के सिवा तमाम रुये ज़मीन का गश्त करेगा।चालिस दिन में पहला दिन साल भर के बराबर होगा और दूसरा दिन महीना भर के बराबर और तीसरा दिन हफता के बराबर और बाकी दिन चौबीस-चौबीस घन्टे के होंगे-इसका फ़ितना बहुत सख्त होगा, एक बाग़ और एक आग इसके साथ होगी जिसका नाम जन्नत दोज़ख़ रक्खेगा- जहॉं जायेगा उनको साथ लिये होगा उसकी जन्नत दरअस्ल आग होगी और उसका जहन्नम आराम की जगह होगी ।लोगों से कहेगा कि हमको ख़ुदा मानो जो उसे खुदा कहेगा उसे अपनी जन्नत में डालेगा और जो इन्कार करेगा उसे अपने जहन्नम में फेंक देगा, मुर्दे जिलायेगा, पानी बरसाएगा ज़मीन को हुक्म देगा वह सब्ज़े उगाएगी, वीराने में जाएगा तो वहॉं के दफ़ीने शहद की मक्खियों की तरह दल के दल उसके साथ हो जायेंगे, इस किस्म के बहुत से शोब्दे दिखाएगा और हक़ीक़त में यह सब जादू के करिश्मे होंगे वाक़ेया में कुछ न होगा, इसी लिये उसके वहॉं से जाते ही लोगों के पास कुछ न रहेगा, जब हरमैन शरीफैन में जाना चाहेगा फरिश्ते उसका मुंह फेर देंगे-दज्जाल के साथ यहूदी की फ़ौज होगी।

२०-हज़रत ईसा का आसमान से उतरना

जब दज्जाल सारी दुसनिया मे फिर फिरा कर मुल्के शाम को जायेगा उस वक़्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क़ की जामे मस्जिद के पूरबी मनारह पर आसमान से उतरेंगें, यह सुबह का वक़्त होगा फ़ज्र की नमाज़ के लिये एक़ामत हो चुकी होगी। हजरत एमाम महदी नमाज़ पढायेंग- दज्जाल मल्ऊन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सॉस की खुशबू से पिघलना शुरु होगा जैसे पानी से नमक पिघलता है और आप की सांस की खुशबू वहाँ तक जायेगी जहाँ तक निगाह पहुंचती है। दज्जाल भागेगा आप उसका पीछा करेंगे और उसको पीठ में नेज़ह मारेंगे इससे वह वासिले जहन्नम होगा- फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सलीब तोड़ेंगे,ख़िन्ज़ीर को क़त्ल करेंगे जितने यहूदी इसाई बचे रहे होंगे वह आप पर ईमान लायेंगे। उस वक़्त तमाम जहां में दीन एक दीने इस्लाम होगा और मज़हब एक मज़हब अहले सुन्नत का,बच्चे सांप से खेलेंगे,शेर और बकरी एक साथ चरेंगे,आप निकाह करेंगे औलाद भी होगी चालीस बरस तक रहेंगे और बाद वफ़ात रौज़ये अनवर में दफ़्न होंगे।

२१-हज़रत एमाम महदी का ज़ाहिर होना

हज़रत एमाम महदी आप हुज़ूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम की औलाद में हसनी सयैद होंगे आप एमाम व मुजतहिद होंगे क़यामत के क़रीब जब तमाम दुनिया में कुफ्र फ़ैल जायगा और इस्लाम सिर्फ हरमैन शरीफैन ही में रह जायेगा, औलिया और अबदाल सब वहीं हिजरत कर जायेंगे, रमज़ान शरीफ का महीना होगा काबा शरीफ का तवाफ़ कर रहे होंगे हज़रत एमाम महदी भी वहां मौजूद होंगे औलिया उन्हें पहचानेगें उनसे बैत लेने को कहेंगे वह इनकार करेंगे, गैब से आवाज़ आयेगी यह अल्लाह का खलीफा महदी

है उसकी बात सुनो और उसका हुक्म मानो, तमाम लोग उनके हाथ पर बैत करेंगे फिर हज़रत एमाम महदी रदेअल्लाहो अन्हो सबको अपने साथ लेकर मुल्के शाम आ जायेंगे।

२२-याजूज माजूज का निकलना

यह एक कौम है याफिस बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद से इनकी तादाद बहुत ज़्यादह है यह ज़मीन में फसाद करते थे बहार के मौसम में निकलते थे हरी चीज़ें सब खा जाते सूखी चीजों को लाद ले जाते आदमियों को खा लेते जंगली जानवरों सांपों बिच्छुओं तक को चट कर जाते,हज़रत ज़ुल करनैन ने आहनी दीवार खींचकर उनका आना रोक दिया।जब दज्जाल को कत्ल करके अल्लाह के हुक्म से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों को कोहे तूर पर ले जायेंगे तब दीवार तोड़कर यह याजूज व माजूज निकलेंगे और ज़मीन में बड़ा फसाद मचायेंगे लूट मार कत्ल वग़ैरह करेंगे फिर अल्लाह तआला हज़रत ईसा की दुआ से उन्हें हलाक व बरबाद कर देगा।

२३-दाब्बतुल अर्द का निकलना

यह एक अजीब शक्ल का जानवर है जो कि कोहे सफ़ा से निकलेगा तमाम शहरों में बहुत जल्द फिरेगा फ़साहत से कलाम करेगा उसके हाथ में हज़रत मूसा का असा और हज़रत सुलेमान की अंगूठी होगी, असा से मुसलमान के माथे पर एक चमकदार निशान लगायेगा और अंगूठी से काफिर के माथे पर एक काला धब्बा।उस वक़्त तमाम मुस्लिम व काफिर अलानिया ज़ाहिर होंगे यानी खुल्लम खुल्ला पहचाने जायेंगे यह निशानी कभी न बदलेगी जो कभी यह हरगिज ईमान न लायेगा और जो मुसलमान है हमेशा ईमान पर क़ायम रहेगा।

(२४)हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद जब क़यामत आने को सिर्फ चालीस बरस रह जायेंगे तब एक ठन्डी ख़ुश्बूदार हवा चलेगी जो लोगों की बगलों के नीचे से गुज़रेगी जिसका असर यह होगा कि मुसलमान की रूह निकल जायेगा और काफ़िर ही काफिर रह जायेंगे उन्ही काफ़िरों पर क़यामत आयेगी। यह चन्द निशानियां बयान की गईं उनमें से बाज़ ज़ाहिर हो चुकी हैं और कुछ बाक़ी हैं जब निशानियॉं पूरी हो जायेंगी और मुसलमानों की बगलों से वह ख़ुश्बूदार हवा गुज़रेगी जिस से तमाम मुसलमानों की वफ़ात हो जायेगी तो उसके बाद फिर चालीस बरस का ज़माना ऐसा गुज़रेगा जिस में किसी को औलाद न होगी यानी चालीस बरस से कम उम्र का कोई न रहेगा और दुनिया में काफ़िर ही काफिर होंगे। अल्लाह कहने वाला कोई न होगा कोई अपनी दीवार लीपता होगा कोई खाना खाता होगा ग़रज़ सब अपने अपने काम में लगे होंगे कि एकाएक अल्लाह तआला के हुक्म से हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे पहले उसकी आवाज़ हल्की होगी बाद में धीरे धीरे बहुत कड़ी हो जायेगी लोग कान लगाकर उसकी आवाज़ सुनेंगे और बेहोश होकर गिर पड़ेंगे और मर जायेंगे फिर आसमान,ज़मीन,दरिया,पहाड़ यहां तक कि खुद सूर और इसराफ़ील और तमाम फ़रिश्ते फ़ना हो जायेंगे उस वक़्त सिवा अल्लाह वाहिद हकीकी के कोई न होगा फिर जब अल्लाह तआला चाहेगा इसराफ़ील अलैहिस्सलाम को ज़िन्दा करेगा और सूर को पैदा करके दोबारा फूंकने का हुक्म देगा सूर फूंकते ही तमाम अव्वलीन व आखरीन, फरिश्ते,इन्सान,जिन,हैवानात सब मौजूद हो जायेंगे लोग क़ब्रों से निकल पड़ेंगे उनका आमालनामा उनके हाथ में दिया जायेगा और हश्र के मैदान में लाये जायेंगे,यहां हिसाब व जज़ा के इन्तेज़ार में खड़े होंगे ज़मीन तांबे की होगी सूरज नेहायत तेज़ी पर सर से बहुत करीब होगा, गर्मी की सख्ती से भेजे खौलते होंगे ज़बानें सूख कर कॉंटा हो जायेंगी,बाज़ों की मुंह से बाहर निकल आयेंगी,पसीना बहूत आयेगा,किसी के टखने तक किसी के घुटने तक किसी के गले तक किसी के मुंह तक जिसका जैसा अमल होगा

सी ही तकलीफ़ होगी फिर पसीना भी नेहायत बदबूदार होगा इसी हालत में बहुत देर हो जायेगी। पचास हज़ार बरस का तो वह दिन होगा और इसी हालत में आधा गुज़र जायेगा। लोग सिफ़ारिशी तलाश करेंगे जो इस मुसीबत से छुटकारा दिलाये और जल्द फ़ैसला हो,सब लोग मशवरा करके हजरत आदम के पास जायेंगे वह फ़रमायेंगे हजरत नूह के पास जाओ वह हजरत इब्राहीम के पास भेजेंगे हज़रत इब्राहीम हजरत मूसा के पास जाने को कहेंगे हज़रत मूसा हजरत ईसा के पास भेजेंगे हजरत ईसा हमारे आक़ा व मौला रहम्ते आलम सरदारे अम्बिया मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहित्तहीयत वसना के पास भेजेंगे जब लोग हमारे हुज़ूर से फ़रियाद करेंगे और शफ़ाअत की दरख़्वास्त लायेंगे तो हुज़ूर फ़रमायेंगे कि मैं इसके लिये तैयार हूँ यह फरमा कर बारगाहे एलाही में सजदह करेंगें। अल्लाह तआला फ़रमायेगा ऐ मोहम्मद सर उठाओ कहो सुना जायेगा माँगो पाओगे शफ़ाअत करो क़ुबूल की जायेगी। अब हिसाब शुरु होगा मीज़ाने अमल में आमाल तौले जायेंगे अपने ही हाथ पाँव बदन के आज़ा अपने ख़ेलाफ़ गवाही देंगे ज़मीन के जिस हिस्से पर कोई अमल किया था वह भी गवाही देने को तैयार होगा न कोई यार होगा न मददगार न बाप बेटे के काम आवे न बेटा बाप के, आमाल पूछे जा रहे हैं ज़िन्दगी भर का सब किया हुआ सामने है न गुनाह से इन्कार कर सकता है न कहीं से नेकियाँ मिल सकती हैं इस बेकसी के वक्त में दस्तगीर बे कसां हुज़ूर पुर नूर महबूब ख़ुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लाहो अलैहे वसल्लम काम आयेंगे और अपने मानने वालों की शफ़ाअत फ़रमायेंगे,हुज़ूर की शफ़ाअत कई तरह की होगी बहुत से लोग आपकी शफ़ाअत से बे हिसाब जन्नत में दाख़िल होंगे और बहुत से लोग जो दोज़ख के लाएक़ होंगे हुज़ूर की सेफ़ारिश से दोज़ख से बच जायेंगे और जो गुनहगार मुसलमान दोजख में पहुंच चुके होंगे वह हुज़ूर की शफ़ाअत से दोज़ख़ से निकाले जायेंगे , जन्नततियों की शफ़ाअत करके उनके दर्जे बुलन्द करायेंगे हुज़ूर के अलावा बाक़ी अम्बिया,सहाबाओलमाऔलिया,शोहदा हुफ़्फ़ाज,हुज्जाज भी शफ़ाअत करेंगे।

लोग ओल्मा को अपने तअल्लुक़ात याद दिलायेंगे अगर किसी ने आलिम को दुनिया में वज़ू के लिये पानी लाकर दिया होगा तो वह भी याद दिला कर शफ़ाअत के लिये कहेगा और वह उसकी शफ़ाअत करेंगे। यह क़यामत का दिन जो हज़ार बरस का दिन होगा जिस की मुसीबतें बे शुमार व ना काबिले बर्दाश्त होंगी यह दिन अम्बिया औलिया सालेहीन के लिये इतना हल्का कर दिया जायेगा कि मालूम होगा कि इसमें इतना वक़्त लगा जितना एक वक्त की फ़र्ज़ नमाज़ में लगता है बल्कि इससे भी कम यहां तक कि बाजों के लिये तो पलक झपकने में सारा दिन तय हो जायेगा। सबसे बडी नेमत जो मुसलमानों को उस दिन मिलेगी वह अल्लाह तआला का दीदार होगा।यहाँ तक तो हश्र के मुख़्तसर हालात बयान किये गये।अब इसके बाद आदमी को हमेशगी के घर जाना है किसी को आराम का घर मिलेगा जिस के ऐश व आशाइश की कोई इन्तेहा नहीं इसको जन्नत कहते हैं। किसी को तकलीफ़ के घर में जाना पड़ेगा जिसकी तकलीफ़ की कोई हद नहीं उसे जहन्नम और दोज़ख कहते हैं। इनका इन्कार करने वाला काफ़िर है। जन्नत दोजख बन चुकी हैं और अब मौजूद हैं यह नहीं कि क़यामत के दिन बनाई जायेंगी। क़यामत, हश्र,हिसाब, सवाब,अज़ाब,जन्नत,दोज़ख सब के वही मानी हैं जो मुसलमानों में मशहूर हैं लेहाज़ा जो आदमी इन चीज़ों को तो हक़ कहे मगर इनके मानी कुछ और कहे मसलन यह कहे कि सवाब के मानी अपनी नेकियों को देखकर खुश होना और अज़ाब के मानी अपने बुरे अमल को देखकर रन्ज करना या हश्र फ़क़त रुहों का होगा बदन का नहीं तो ऐसा आदमी हक़ीक़त में इन चीज़ों का मुन्किर है और जो मुन्किर है वह काफ़िर है क़यामत बेशक ज़रुर क़ाएम होगी इसका इन्कार करने वाला काफ़िर है।

हश्र रुह और जिस्म दोनों का होगा जो कहे सिर्फ़ रुहें उठेंगी जिस्म ज़िन्दा न होंगे वह भी काफ़िर है दुनिया में जो रुह जिस बदन में थी उस रुह का हश्र उसी बदन में होगा ऐसा नहीं कि नया बदन पैदा करके उसमें रुह डाली जायेंगी।बदन के अज्ज़ा अगरचे मरने के बाद इधर उधर हो गये

और जानवरों की खूराक हो गये मगर अल्लाह तआला उन सब अज्ज़ा को जमा करके क़यामत के दिन उठायेगा। हिसाब हक़ है,आमाल का हिसाब होगा,हिसाब का मुन्किर काफ़िर है।

मीज़ान

मीजान हक़ है यह एक तराज़ू होगी इसके दो पल्लो होंगे इसपर लोगों के अच्छे बुरे अमल तौले जायेंगे नेकी के पल्ला के भारी होने के यह मानी है कि उपर उठे ब खेलाफ़ दुनिया की तराज़ू के।

सेरात

सेरात हक़ है।यह एक पुल है जो जहन्नम के उपर होगा यह बाल से ज़्यादा बारीक और तलवार से ज़्यादा तेज़ है। जन्नत का यही रास्ता है सबको इसपर चलना होगा काफ़िर न चल सकेगा और जहन्नम में गिर जायेगा। मुसलमान पार हो जायेंगे बाज़े तो इतनी जल्दी जैसे बिजली चमकी अभी इधर थे अभी उधर पहुंच गये। बाज़े तेज़ हवा की तरह बाज़े तेज़ घोड़े की तरह बाज़े धीरे धीरे बाज़े गिरते पड़ते काँपते लंगड़ाते। जितना अच्छा अमल होगा उतनी ही जल्दी पार होगा ।

हौज़े कौसर

हौज़े कौसर जो हमारे नबी सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम को दिया गया है हक़ है उसकी लम्बाई एक महीना का रास्ता है और उतनी ही चौड़ाई है उसके किनारे सोने के हैं उन पर मोती के कुब्बे बने हैं उसकी तह मुश्क की हैं उसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा मीठा है और

मुश्क से ज़्यादा खुश्बूदार है जो उसका पानी एक बार पीयेगा कभी प्यासा न होगा उस पर पानी पीने के बर्तन सितारों से भी गिनती में ज़्यादा है। उसमें जन्नत से दो नाले गिरते है एक सोने का दूसरा चॉदी का।

मक़ामे महमूद

अल्लाह तआला अपने हबीब मोहम्मद मूस्तफ़ा सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम को मक़ामे महमूद देगा जहां अगले पिछले सब आपकी तारीफ़ करेंगे (बड़ाई बयान करेंगे)

लेवा उल हम्द

यह एक झन्डा है जो हमारे आक़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहो अलै वसल्लम को क़यामत के दिन मिलेगा। जिसके नीचे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितने मुसलमान हुये हैं नबी, वली सब ही जमा होंगे।

जन्नत का बयान

जन्नत एक बहुत बड़ा अच्छा घर है जिसको अल्लाह तआला ने मुसलमानों के लिये बनाया है उसकी दीवार सोने चॉदी की ईटों और मुश्क के गारे से बनी है । ज़मीन ज़ाफ़रान व अम्बर की है कंकरियों की जगह मोती और जवाहरात हैं इसमें जन्नतियों के रहने के लिये नेहायत खुबसूरत हीरे जवाहरात और मोती के बडे बड़े महल और खेमे हैं । जन्नत में सौ दर्जे हैं हर दर्जा की चौड़ाई इतनी है जितनी ज़मीन से आसमान तक, दरवाज़े ईतने चौड़े हैं कि एक बाजू से दूसरे बाजू तक तेज़ घोड़ा सत्तर बरस में पहूँचे जन्नत में ऐसी नेमतें होंगी जो किसी के ख़्वाबो ख़्याल में भी नहीं आतीं तरह तरह के फ़ल मेवे दुध शहद शराब (जन्नत की शराब में न बू होगी

न नशा) और अच्छे अच्छे खाने, बढ़िया बढ़िया कपड़े जो दुनिया में कभी किसी को नसीब न हुये, वह जन्नतियों को दियें जायेंगे ख़िदमत के लिये हज़ारों साफ सुथरे ग़िल्मान और सोहबत के लियें सैकड़ो हूरें मिलेंगी जो इतनी खूबसूरत हैं कि अगर कोई इनमें से दुनिया की तरफ़ झांके तो उसकी चमक और खूबसूरती से सारी दुनिया के लोग बेहोश हो जायें, बहिश्त में न नींद आयेगी न बीमारी होगी न कोई डर होगा न कभी मौत आयेगी न किसी किस्म की कोई तकलीफ़ होगी बल्कि हर तरह का आराम होगा और हर ख्वाहिश पूरी होगी और सबसे बढ़कर नेमत अल्लाह तआला का दीदार होगा।

दोज़ख़

यह भी एक घर है इसमें घुप अन्धेरी और तेज़ काली आग है जिसमें रोशनी का नाम नहीं,यह बदकारों और काफ़िरों के रहने के लिये बनाया गया है। काफ़िर इस में हमेशा क़ैद रक्खे जायेंगे इसकी आग दम बदम बढ़ती रहेगी,जहन्नम की आग इतनी तेज़ है कि सूई के नाके के बराबर खोल दिया जाय तो तमाम ज़मीन वाले सब के सब उसकी गर्मी से मर जायें, अगर जहन्नम का कोई दरोग़ा दुनिया में आ जाये तो उसकी डरावनी सूरत देखकर तमाम लोगों की जान निकल जाये कोई जिन्दा न बचे, जहन्नमियों को तरह तरह का अज़ाब दिया जायेगा बड़े बड़े सांप बिच्छू काटेंगे, भारी भारी हथौड़ों से सर कुचला जायेगा भूख प्यास बहुत लगेगी तेल के तलछट के ऐसा खौलता पानी और पीप पीने को, कांटेदार ज़हरीला फ़ल खाने को मिलेगा जब उस फ़ल को खायेंगे तो यह गले में रुक जायेगा उस के उतारने को पानी मागेंगे वही खौलता पानी दिया जायेगा उसके पीने से आंतों के टुकड़े टुकड़े होकर बह जायेंगे, प्यास इस बला की होगी कि इसी पानी पर तोंस के मारे हुये ऊंट की तरह गिरेंगे, कुफ़्फ़ार जब अज़ाब से आजिज़ आकर मौत की तमन्ना करेंगे और मौत भी न आयेगी तो आपस में मशवरा करके जहन्नम के दारोग़ा

हज़रत [redacted] अलैहिस्सलाम को पुकार कर कहेंगे कि **अब अपने रब से हमारा क़िस्सा तमाम** करा दो हजरत मालिक हज़ार बरस तक जवाब न देंगे। **हज़ार बरस के बाद** कहेंगे मुझ से क्या कहते हो उस से कहो जिसकी ना फ़रमानी की है।

तब फिर हज़ार बरस तक अल्लाह तआला को उसके रहमत के **नामों से पुकारेंगें** वह हज़ार बरस तक जवाब न **देगा**। इसके बाद फ़रमायेगा "**तो** ये फरमायेगा""दूर हो जहन्नम में पडे रहो मुझसे **बात** न करो"उस **वक़्त** कुफ़्फ़ार हर क़िस्म की ख़ैर से नाउम्मीद हो जायेंगे और गधे की आवाज़ की तरह चिल्ला कर रोयेंगे पहले ऑसू निकलेगा जब आंसू ख़त्म हो जायगा तो ख़ून रोयेंगे, रोते राते गालों मे ख़न्दकों की तरह गडढे पड जायेंगे। रोने का ख़ून और पीप इतना होगा कि अगर उस में कश्तियॉ डाली जांए तो चलने लगें।जहन्नमियों की शक्ल ऐसी बुरी होगी कि अगर कोई जहन्नमी दुनिया में उसी सूरत पर लाया जाय तो तमाम लोग उसकी बदसूरत और बदबू की वजह से मर जायें।आखिर में काफ़िरों के लिए यह होगा कि हर काफ़िर को उसके क़द के बराबर सन्दूक़ में बन्द करेंगे, फिर आग भड़कायेंगे और आग का क़ुफ्ल लगायेंगे फिर यह सन्दूक़ आग के दूसरे सन्दूक़ में रक्खा जायेगा और उन दोनो के बीच में आग जलाई जायेगी और उसमें भी क़ुफ्ल लगा दिया जायेगा।फिर उसी तरह इस सन्दूक़ को एक और सन्दूक़ में रखकर आग का क़ुफ्ल लगा कर आग में डाल दिया जायेगा तो अब हर काफ़िर यह समझेगा कि इसके सिवा अब कोई आग में न रहा और यह अज़ाब बालाए-अज़ाब है और अब हमेशा इसके लिए अज़ाब ही रहेगा जो कभी ख़त्म न होगा जब सब जन्नती जन्नत में पहुंच जायेंगे और जहन्नम में सिर्फ़ वही लोग रह जायेंगे जिन्हें हमेशा वहॉ रहना है उस वक़्त जन्नत और दोज़ख़ के बीच में मौत मेढे की शक्ल में लाकर खड़ी की जायेगी फिर एक पुकारने वाला जन्नत वालों को पुकारेगा वह डरते हुए झाकेंगे कि ऐसा न हो कि यहां से निकलने का हुक्म हो फिर जहन्नमियों को पुकारेगा वह खुश होकर झाकेंगे

कि शायद इस मुसीबत से छुटकारे का हुक्म हो फिर उनसे पूछेगा कि इसे पहचानते हो सब कहेंगे हां यह मौत है फिर वह ज़िबह कर दी जाएगी और कहेगा ऐ जन्नत वालो हमेशगी है अब मरना नहीं और ऐ दोजखियों हमेशगी है अब मरना नहीं उस वक़्त जन्नतियों को खुशी पर खुशी होगी और जहन्नमियों को ग़म के ऊपर ग़म। नसअलुल्लाहल अफ्वावल आफ़ियत फिददीने वददूनिया वल आखेरह।

ईमान व कुफ़्र का बयान

ईमान यह है कि अल्लाह व रसूल की बताई हुई तमाम बातों का यक़ीन करे और दिल से सच जाने अगर किसी ऐसी एक बात का भी इन्कार है जिसके बारे में यक़ीनी तौर पर मालूम है कि यह इस्लाम की बात है तो यह कुफ्र है जैसे क़यामत, फरिश्ते, जन्नत, दोज़ख, हिसाब को न मानना या नमाज़, रोज़ा, हज, ज़कात को फ़र्ज़ न जानना या क़ुरआन को अल्लाहका कलाम न समझना, काबा,क़ुरआन या किसी नबी या फ़रिश्ता की तौहीन करना या किसी सुन्नत को हल्का बताना, शरीयत के हुक्म का मज़ाक़ उड़ाना और ऐसी ही इस्लाम की किसी मालूम व मशहूर बात का इन्कार करना या इसमें शक करना यक़ीनन कुफ्र है।

मुसलमान होने के लिए ईमान व एतेक़ाद के साथ एक़रार भी ज़रुरी है जब तक कोई मजबूरी न हो, मसलन मुंह से बोली नहीं निकलती या ज़बान से कहने में जान जाती है या कोई अज़ो काटा जाता है तो उस वक़्त ज़बान से एक़रार करना ज़रुरी नहीं बल्कि सिर्फ़ ज़बान से खेलाफे इस्लाम बात भी जान बचाने के लिए कह सकता है लेकिन न कहना ही अच्छा है और सवाब है इसके सिवा जब कभी ज़बान से कलमए कुफ्र निकालेगा काफ़िर समझा जायेगा अगरचे यह कहे कि खाली ज़बान से कहा दिल से नहीं। इसी तरह वह बातें जो कुफ्र की निशानी हैं जब उनको करेगा काफ़िर समझा जायगा

जैसे जनेऊ डालना जटा रखना, सलीब लटकाना। मुसलमान होने के लिए इतना काफ़ी है कि सिर्फ़ दीन इस्लाम ही को सच्चा मज़हब माने और किसी ज़रुरी दीनी का मुन्किर न हो और ज़रुरियाते दीन से किसी ज़रुरी दीनी के खेलाफ़ अक़ीदा न रखता हो। अगरचा तमाम ज़रुरियाते दीन का इसको इल्म न हो लेहाज़ा बिल्कुल लठ गंवार जाहिल जो इस्लाम और पैग़म्बरे इस्लाम को हक़ माने और इस्लामी अक़ीदों के ख़ेलाफ़ कोई अक़ीदा न रक्खे चाहे कलमा भी सही न पढ़ सकता हो वह मुसलमान है, काफ़िर नहीं। अलबत्ता नमाज़, रोजा, हज वगैरह आमाल के तर्क से गुनाहगार होगा लेकिन मोमिन रहेगा इस लिये कि आमाल ईमान में दाखिल नहीं।

अक़ीदा—जो चीज़ बे शुबहा हराम हो उसको हलाल जानना और जो यक़ीनन हलाल हो उसको हराम जानना कुफ्र है। जबकि यह हराम व हलाल होना मालूम व मशहूर हो या यह शख्स उसको जानता हो।

शिर्कः—शिर्क के मानी है अल्लाह के सिवा किसी और को खुदा जानना या एबादत के लायक़ समझना और यह कुफ्र की सबसे बदतर क़िस्म है इसके सिवा कैसा ही सख्त कुफ्र क्यों न हो हक़ीक़तन शिर्क नहीं। किसी कुफ्र की मगफ़रत न होगी कुफ्र के सिवा सब गुनाह अल्लाह तआला की मशीयत पर हैं जिसे चाहे बख्श दे।

अक़ीदा :—कबीरा गुनाह करने से मुसलमान काफ़िर नहीं हो जाता बल्कि मुसलमान ही रहता है अगर बिला तौबा किये मर जाये तो भी उसको जन्नत मिलेगी गुनाह की सज़ा भुगत कर या माफ़ी पाकर और यह माफ़ी अल्लाह तआला महज़ अपनी मेहरबानी से दे या हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शफ़ाअत से।

मसला :—जो किसी मरे हुए काफ़िर के लिये मग़फ़रत की दुआ करे या किसी काफ़िर मुरतद को मरहूम या मग़फ़ूर या बहिश्ती कहे या किसी हिन्दू मुर्दा को बैकुन्ठ वासीर कहे वह खुद काफ़िर है।

अक़ीदा :—मुसलमान को मुसलमान जानना और काफ़िर को काफ़िर

जानना ज़रुरी है अलबत्ता किसी खास आदमी के काफ़िर होने का या मुसलमान होने का यक़ीन उस वक़्त तक नहीं किया जा सकता जब तक कि शरई दलील से ख़ातमा का हाल मालूम न हो जाये कि कुफ्र पर मरा या इस्लाम पर मरा लेकिन इसके यह मानी नहीं कि जिसने यक़ीनन कुफ्र किया हो उसके काफ़िर होने में शक किया जाय इस लिये कि यक़ीनी काफ़िर के कुफ्र में शक करना खुद काफ़िर होना है इसलिये कि शरीयत का हुक्म जाहिर के लेहाज़ से होता है। अलबत्ता क़यामत में फैसला हक़ीक़त के एतबार से होगा उसको यूं समझो कि कोई काफ़िर, यहूदी, नसरानी, हिन्दू मर गया तो यह यक़ीन के साथ नहीं कहा जा सकता कि कुफ्र पर मरा मगर हमको अल्लाह व रसूल का हुक्म यही है कि उसको काफ़िर ही जाने और काफ़िर ही सा बरताव उसके साथ करें जिस तरह जो ज़ाहिरा मुसलमान है और उसका कोई क़ौल-फ़ेल इस्लाम के खेलाफ़ नहीं है तो फ़र्ज़ है कि हम उसे मुसलमान ही समझें अगरचे हमें उसके ख़ातमा का भी हाल नहीं मालूम।

अकीदा :—कुफ्र व इस्लाम के सिवा कोई तीसरा दर्जा नहीं आदमी या मुसलमान होगा या काफ़िर ऐसा नहीं कि न काफ़िर हो न मुसलमान बल्कि एक ज़रुर होगा।

अक़ीदा :—मुसलमान हमेशा जन्नत में रहेंगे कभी निकाले न जायेंगे और काफ़िर हमेशा दोज़ख में रेहेंगे कभी निकाले न जायेंगे।

मसाला :—अल्लाह के सिवा किसी और को सजदये तअब्बुदी कुफ्र है और सजदये ताज़ीमी हराम।

बिदअत :—जो बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम से साबित न हो वह बिदअत है और यह दो क़िस्म की है। एक बिदअते हसना दुसरी बिदअते सईएह।

बिदअते हसना वह है जो किसी सुन्नत के मुखालिफ़ व मुज़ाहिम न हो जैसे मस्जिदें पक्की बनवाना, क़ुरआन शरीफ़ सुनहरे हरफों से लिखना, ज़बान से नीयत करना , इल्मे कलाम, इल्मे नहो, इल्मे रेयाज़ी, खुसूसन इल्मे हैअत

"व हिन्दसा पढ़ना पढ़ाना, आजकल के मदरसे, वाज़ के जल्से, सनद व दस्तार वग़ैरह सैकड़ों ऐसी चीज़ें हैं जो हुज़ूर के ज़माने में न थीं वह सब **बिदअते हसनह** है ऐसी कि बाज़ वाजिब तक हैं जैसे तरावीह की निस्बत हज़रत उमर रदेअल्लाह का इरशाद "नेमतिल बिदअतो हाज़ेही " यह अच्छी बिदअत है।

बिदअते सईएह क़बीहा वह है जो किसी सुन्नत के मुखालिफ व मुज़ाहिम हो और यह मकरूह या हराम हैं।

एमामत व ख़ेलाफ़त का बयान

एमामत दो क़िस्म की है एक एमामते सुग़रा दूसरी एमामते कुबरा, एमामते सुग़रा नमाज़ की एमामत है जिसका हाल नमाज़ के बयान में आयेगा एमामते कुबरा रसूलुल्लाह सल्लाल्लाहो अलैहे वसल्लम की नेयाबते मुतलक़ा है। यानी हुज़ूर की नेयाबत से मुसलमानों के तमाम दीनी दुन्यवी कामों में शरीअत के मोवाफ़िक आम तसर्रुफ़ करने का अख्तेयार और ग़ैर मासियत में तमाम ज़हान के मुसलमानों से एताअत कराने का हक़, इस एमामत के लिये मुसलमान , आज़ाद, मर्द, आक़िल, बालिग़, करशी क़ादिर होना शर्त है। क़ादिर के यह माना हैं कि शरई फैसला और हुदूद को जारी कर सके, ज़ालिम से मज़लूम का हक़ दिलाने की और मुसलमानों के जान व माल, मिल्क व अमलाक की हिफ़ाजात की ताक़त हो। हाश्मी, अल्वी, मासूम होना शर्त नहीं, न यह शर्त कि अपने ज़माना में सबसे अफ़ज़ल हो।

मसला—एमाम की इताअत मुतलकन हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है जबकि एमाम का हुक्म शरीअत के खेलाफ़ न हो कि शरीअत के खेलाफ हुक्म में किसी की इताअत नहीं।

मसला:—एमाम ऐसा शख्स बनाया जाये जो बहादुर सेयासतदां और आलिम हो या ओलमा की मदद से काम करें।

मसला:—औरत और नाबालिग़ की एमामत जाएज़ नहीं।

मसला:—एमाम मुब्तेलाये फ़िस्क़ होने से माज़ूल नहीं हो जाता।

ख़ुलफ़ाए राशेदीन

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम के बाद आप के ख़लीफा बरहक़ व एमाम मुतलक़ सय्यदना अबूबकर सिद्दीक़ रज़ेअल्लाहो अन्हो हैं फिर हज़रत उमरफारुक़ रज़ेअल्लहो अन्हो फिर हजरत उसमान ग़नी रज़ेअल्लाहो अन्हो फिर हजरत मौला अली रज़ेअल्लाहो अन्हो फिर हज़रत एमाम हसन रज़ेअल्लाहो अन्हो इन हज़रात की ख़ेलाफ़त को ख़ेलाफ़तेराशेदा कहते हैं इस लिये कि इन साहबों ने हुज़ूर की सच्ची नेयाबत का पूरा हक़ अदा किया।

अक़ीदा! मिनहाजे नुबूवत पर खेलाफ़त हक़्क़ा राशेदा तीस साल रही यानी हजरत सय्यदना एमाम हसन रज़ेअल्लाहो अन्हो के छः महीने पर खत्म हो गई फिर अमीरुल मोमेनीन उमर इब्ने अब्दुल अजीज की ख़ेलाफत राशेदा हुई और आख़ीर ज़माना में हज़रत एमाम महदी रज़ेअल्लाहो अन्हो की होगी, हजरत अमीर मोआविया अव्वल मोलूके इस्लाम हैं।

अक़ीदा! अम्बिया व मुरसलीन के बाद तमाम मख़लूक़ाते इलाही जिन व इन्स व मलक से अफ़ज़ल सिद्दीक अकबर हैं फिर उमर फारुके आज़म फिर उसमाने ग़नी फिर मौला अली रज़ेअल्लाहो तआला अन्हुम, जो शख्स मौला अली को सिद्दीक़ या फारुक़ से अफ़ज़ल बताये वह गुमराह बद मजहब है।

सहाबा व अहले बैत

सहाबी उस मुसलमान को कहते हैं जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम के दरबार(खिदमत)में हाज़री दी और ईमान के साथ दुनिया से गया। सब सहाबी अहले ख़ैर व सलाह हैं आदिल व सेक़ा हैं किसी सहाबी का ज़िक्र हो तो ख़ैर ही के साथ होना फ़र्ज़ है।

अक़ीदा—किसी सहाबी के साथ बद अक़ीदगी गुमराही व बद मज़हबी है। हज़रत अमीर मोआविया, हज़रत अम्र इब्ने आस, हज़रत वहशी वग़ैरह

किसी सहाबी की शान में बे अदबी तबर्रा है और इसका क़ाएल राफ़ज़ी, हज़रात शैख़ीन की तौहीन बल्कि उनकी खेलाफ़त से इन्कार ही फ़ोक़हा के नज़दीक कुफ्र है।

अक़ीदा—कोई वली कितने ही बडे मर्तबे का हो किसी सहाबी के रुतबे को नहीं पहुंचता। हज़रत अली रज़ेअल्लाहो अन्हो से हज़रत अमीर मोआविया रज़ेअल्लाहो की जंग ख़ताये इजतेहादी है जो गुनाह नहीं इस लिये हज़रत मोआविया रज़ेअल्लाहो अन्हो को ज़ालिम, बाग़ी, सरकश या और कोई बुरा कलमा कहना हराम व ना जाएज़ बल्कि तबर्रा व रिफ़्ज़ है। अहले बैत यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम की बीवियों और औलाद सहाबा की तरह इनके भी बहुत फज़ाएल आयात व अहादीस में आये। सहाबा व अहले बैत की मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम की मोहब्बत है

अक़ीदा—उम्मुल मोमेनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ेअल्लाहो अन्हा को इफ़क की तोहमत लगाने वाला क़तअन यक़ीनन काफ़िर मुरतद है (शरह अक़ाएद व तकमील व हिन्दिया वग़ैरह)

अक़ीदा—हज़रात हसनैन आला दर्जा के शोहदा में से हैं। इनमें से किसी की शहादत का मुन्किर गुमराह बद दीन हैं।

अक़ीदा—जो हज़रत इमाम हुसैन को बाग़ी कहे या यज़ीद को हक़ पर बताये वह मरदूद ख़ारजी मुस्तहिके जहन्नम है यज़ीद के नाहक पर होने में और फ़ासिक व फ़ाजिर होने में क्या शुबहा है अलबत्ता यज़ीद को काफ़िर न कहे और न मुसलमान कहे बल्कि सकूत करें।

अक़ीदा—जो सहाबा व अहले बैत से मुहब्बत न रक्खे वह गुमराह व बद मज़हब हैं।

मसला—सहाबएकराम रज़ेअल्लाहो अन्हुम में आपस में जो वाक़ेआत हुये उसमें पड़ना हराम व सख़्त हराम है। उनकी लग़ज़िशात पर गिरफ्त करना या उनकी वजह से उनपर तअ़न या उनसे बद एतेक़ादी नाजाएज़ व अल्लाह व रसूल के ख़ेलाफ़ है।

वेलायत का बयान

वली वह मोमिन सालेह है जिसको मार्फ़त व क़ुर्बे एलाही का एक खास दर्जा मिला हो अक्सर शरीअत के मुताबिक़ रेयाजत व एबादत करने के बाद वेलायत का दर्जा मिलता है और कभी इब्तेदाअन बिला रेयाजत व मुजाहदह भी मिल जाता है । तमाम औलिया में सबसे बड़ा दर्जा हज़रत खुल्फाये राशिदा का है। औलिया हर ज़माना में होते हैं और क़यामत तक होते रहेंगे लेकिन इनका पहचानना आसान नहीं हज़राते औलिया को अल्लाह तआला ने बड़ी ताक़त दी है जो इनसे मदद माँगे हज़ारों कोस दूरी से उसकी मदद फरमाते हैं। इनका इल्म नेहायत वसी होता है हत्ता कि बाज़ों को मा काना व मा यकून व लौहे महफ़ूज़ पर इत्तेला देते हैं। मरने के बाद उनके कमालात और कूवतें और बढ़ जाती हैं। इनके मज़ार की हाज़िरी फ़ैज़े सआदत और बरकत का सबब है इनको ईसाले सवाब अम्रे मुस्तहब और बाइसे बरकत है। औलियाएकराम का उर्स यानी हर साल वेसाल के दिन क़ुरआन ख़्वानी, फातेहा पढ़ना, वाज़, ईसाले सवाब अच्छी चीज़ है और सवाब का काम है। रहे नाजाएज़ काम जैसे नाच, रंग, खेल, तमाशा तो वह हर हालत में मज़मूम है और मज़ाराते तय्यबा के पास और ज्यादह मज़मूम। चूँकि औलिया के सिलसिले में दाख़िल होना उनका मुरीद व मोतक़िद होना दोनों जहान की भलाई और बरकत का ज़रिया है इसलिये बैअत से पहले पीर में यह चार बातें ज़रुर देख लें।

(१)सुन्नी सहीहुल अक़ीदा हो वरना ईमान भी हाथ से जायेगा।

(२)इतना इल्म रखता हो कि अपनी ज़रुरत के मसाएल किताबों से निकाल ले नहीं तो हराम, हलाल, जाएज़, नाजाएज़का फ़र्क़ न कर सकेगा।

(३)फ़ासिक़ मोअलिन न हो कि फ़ासिक़ की तौहीन वाजिब है और पीर की ताज़ीम ज़रुरी।

(४)उसका सिलसिला नबी सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम तक मुत्तसिल हो वरना ऊपर से फ़ैज़ न पहुंचेगा।

तक़लीद

तक़लीद यानी दीन के चारो इमामों में से किसी एक के तरीक़ा पर अहकामे शरईया बजा लाना मसलन इमामे आज़म अबू हनीफ़ा या इमाम मालिक या या इमाम शाफ़ई या इमाम हम्बल के तौर पर नमाज़, रोज़ा, हज, ज़कात वग़ैरह अदा करना किसी एक इमाम की पैरवी वाजिब है इसी को तक़लीद शख़्सी कहते है।

तम्बीह—इन इमामों ने अपनी तरफ़ से कोई मसला गढ़ा नहीं है बल्कि क़ुरआन व हदीस का मतलब साफ़ साफ़ बयान किया है जो आम आदमियों बल्कि आम आलिमों की समझ में भी नहीं आ सकता लेहाज़ा इन इमामों की पैरवी दरअस्ल क़ुरआन व हदीस की पैरवी है।

मसला—जो शख़्स एक इमाम की पैरवी करता है वह दूसरे इमाम की पैरवी नहीं कर सकता मसलन यह नहीं हो सकता कि कुछ मसलों में एक इमाम की पैरवी करे और कुछ मसलों में दूसरे की बल्कि तमाम मसाएल में एक मुअय्यन इमाम की पैरवी वाजिब है और यह भी जाएज़ नहीं है कि हनफ़ी, शाफ़ई हो जाये या शाफ़ई हनफ़ी हो जाये बल्कि जो आज तक जिस इमाम का **मुकल्लिद** रहा है आइन्दा भी उसी की तक़लीद करे और अब तमाम उलमा का इत्तेफाक़ है कि इन चारों इमामों के अलावा किसी और इमाम व मुजतहिद की तक़लीद जाएज़ नहीं।

नमाज़

ईमान और अक़ीदह सही करने के बाद सब फ़र्ज़ों से बड़ा फर्ज़ नमाज़

कुरआन व हदीस में इसकी बहुत ताकीद आई। जो नमाज़ को फ़र्ज़ न माने या हल्का जाने वह काफ़िर है और जो न पढ़े बड़ा गुनाहगार। आख़ेरत में जहन्नम में डाला जायेगा बादशाहे इस्लाम उसको क़त्ल कर दे।

मसला—बच्चा जब सात बरस का हो जाये तो उसे नमाज़ पढ़ना बताया जाये और जब दस बरस का हो तो मार कर पढ़वाई जाये। कब्ल इसके कि हम नमाज पढ़ने का तरीक़ा बतायें उन छ: बातों को बताते हैं जिनके बगैर नमाज शुरु नहीं हो सकती इन छओं बातों को शराएते नमाज़ कहते हैं।

शराएते नमाज़

१-तहारत, २-सतरे औरत, ३-वक़्त, ४-इस्तेक़बाले क़िबला, ५-नीयत, ६-तकबीरे तहरीमा।

पहली शर्त यानी तहारत इसका मतलब यह है कि नमाज़ी के बदन, कपड़े और नमाज़ की जगह पर कोई नजासत जैसे पेशाब, पाखाना, खून, शराब, गोबर, लीद, मुर्गा की बीट वगैरह न लगी हो नमाज़ी बे गुस्ल, बे वज़ू भी न हो। दूसरी शर्त सतरे औरत यानी मर्द का बदन नाफ़ से लेकर घुटनों तक ढका हो घुटने खुले न रहें और औरत का तमाम बदन ढका हो सिवाए मुंह और हथेली के और टखनों तक पैर के और टख़ने भी ढके रहें। तीसरी शर्त वक्त यानी जिस नमाज़ के लिये जो वक्त मोक़र्रर है वह नमाज़ उसी वक़्त में पढ़ी जाये जैसे फ़ज्र की नमाज़ सुबह सादिक़ से लेकर सूरज निकलने से पहले तक पढ़ी जाये और ज़ोहर की सूरज ढलने के बाद से हर चीज के साया के दुगने होने तक अलावा इसके साया असली के। और अ़सर की साया के दुगना होने के बाद से सूरज डूबते तक और मग़रिब की सूरज डूबने के बाद से सफ़ेदी गायब होने तक और एशा की सफ़ेदी गायब होने के बाद से सुबह सादिक़ शुरु होने से पहले तक। चौथी शर्त इस्तेक़बाल क़िबला

यानी काबा शरीफ़ की तरफ़ मुंह करना। पॉचवीं शर्त नीयत यानी जिस वक़्त की जो नमाज़ फ़र्ज या बाजिब या सुन्नत या नफ़िल या कज़ा पढना हो दिल में उसका पक्का इरादा करना कि यह नमाज़ पढ रहा हुँ। छठी शर्त तकबीरे तहरीमा यानी अल्लाहो अकबर*कहना यह आखीर शर्त है कि इसके कहते ही नमाज शुरु हो गई अब अगर किसी से बोला या कुछ खाया पीया या कोई काम खेलाफ़ नमाज़ के किया तो नमाज़ टूट जायेगी पहली पॉच शर्तो का तकबीरे तहरीमा से पहले और ख़्म नमाज तक मौजूद रहना जरुरी वरना नमाज न होगी।

नमाज़ की पहली शर्त यानी तहारत का बयान, वज़ू का तरीक़ा

जब वज़ू करना हो तो दिल में वज़ू करने का इरादा करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहके दोनों हाथ गट्टों तक धोये फिर मिस्वाक करे दाहिने हाथ से फिर तीन बार कुल्ली करे खूब अच्छी तरह कि हलक़ तक दांतों की जड, ज़बान के नीचे पानी पहुंचे अगर दॉत या तालू में कोई चीज़ चिपकी अटकी हो तो छुड़ाये फिर दाहिने हाथ से तीन बार नाक में पानी चढ़ाये कि अन्दर नाक की हड्डी तक पानी पहुंचे और बायें हाथ से नाक साफ़ करे इसकी छोटी उंगली नाक के अन्दर डाल कर फिर दोनों हाथों में पानी लेकर तीन बार मुंह धोये इस तरह कि बाल जमने की जगह से लेकर ठूढ़ी तक और दाहिनी कनपटी से बायीं तक कोई जगह छुटने न पाये और दाढ़ी हो तो उसे भी धोये और इसमें खेलाल भी करे लेकिन एहराम बांधे हो तो खेलाल न करे फिर कुहनियों तक कुहनियों समेत कुछ ऊपर तक दोनों हाथ तीन-तीन बार धोयें फिर एक बार मसह करे इस तरह पर की दानों हाथ तर करके अंगूठे और कलमा की उंगली छोड़कर दोनों हाथों की तीन-तीन उंगलियों की नोक एक दूसरे से मिलाये और इन छवों उंगलियों

के पेट की जड़ माथे पर रखकर पीछे की तरफ़ गुद्दी तक ले जाये इस तरह कि कलमा की दोनों उंगलियाँ और दोनों अंगूठा और दोनों हथेली सर से न लगने पाये और अब गुद्दी से हाथ वापस माथे की तरफ़ लाये यूं कि दोनों हथेलियां सर के दायें बायें हिस्से पर होती हुई माथे तक वापस आ जायें अब कलमा की उंगली के पेट से कान के अन्दर के हिस्सो का और अंगूठे के पेट से कान के ऊपर का मसह करे और उंगलियों की पीठ से गर्दन का मसह करे लेकिन हाथ गले पर न जाने पाये कि गले का मसह मकरुह है। फिर दाहिना पैर उंगलियों की तरफ से टखने तक धोये टखने समेत कुछ ऊपर तक फिर उसी तरह बायाँ पैर धोयें हाथ पांव की उंगलियों में ख़ेलाल भी करे अब वज़ू ख़त्म हुआ इसके बाद यह दुआ पढ़ ले और बचा हुआ पानी खड़े हो कर थोड़ा सा पीले कि बीमारियों की शेफ़ा है और आसमान की तरफ मुंह करके कलमा शहादत और इन्ना अन्ज़लना पढ़े और बेहतर कि हर अज़ो धोते वक्त बिस्मिल्लाह और दरुद शरीफ पढ़े और कलमा शहादत भी पढ़े यह वज़ू का तरीक़ा जो ऊपर बयान हुआ इसमें कुछ बातें फ़र्ज हैं कि जिनके छूटने से वज़ू न होगा और कुछ बातें सुन्नत हैं कि जिनके कसदन छोड़ने की आदत क़ाबिले सज़ा और कुछ बातें मुस्तहब है कि उनके छूटने से सवाब कम हो जाता है.

फ़राएज़े वज़ू

वज़ू में चार बातें फ़र्ज़ हैं।

१-मुंह का धो जाना यानी माथे की जड़ जहाँ से बाल जमते है वहां से लेकर ठुड्डी तक और एक कान से दूसरे कान तक मुंह की खाल के हर हिस्से पर एक बार पानी बहना।

२-कुहनियों समेत दोनों हाथ का एक बार धुलना।

३-चौथाई सर का मसह यानी चौथाई सर पर भीगे हाथ का फेरना या किसी सूरत से कम से कम इतनी जगह का तर हो जाना ।

४-दोनों पांव का गट्टों समेत एक बार धुलना यह चार बातें वज़ू में फ़र्ज़

हैं और इनके सिवा जो कुछ तरीकए वज़ू में बयान की गई वह सब या सुन्नत या मुस्तहब हैं और वज़ू की सुन्नतें और मुस्तहबात बहुत हैं जो उन सब को जानना चाहें वह बहारे शरीयत और फ़तावा रिज़विया वग़ैरह मतबूआत देखे।

मसला–किसी अज़ो के धुल जाने का यह मतलब है कि उस अज़ो के हर हिस्से पर कम से कम दो बुंद पानी बह जाये भीग जाने या तेल की तरह पानी चुपड़ लेने से या एक आध बूंद पानी बह जाये या तेल की तरह पानी चुपड़ लेने से या एक आध बूंद बह जाने से धोना नहीं होता इस तरह धोने से वज़ू या गुस्ल नहीं होता।

मसला– होंठ, नाखून, आँख के ऊपर नीचे की खाल, बाल, पलक, बरौनी ज़ेवरों के नीचे की खाल हत्ता कि कील, नथ का सुराख़, दाढ़ी मूंछ के बालों के नीचे की ख़ाल की कोई जगह या इन चारों अज़ो की कोई जगह बाल की नोक बराबर भी अगर धुलने से रह गई तो वज़ू न होगा।

मसला–वज़ू न हो तो नमाज़ और सजदह तेलावत और क़ुरआन शरीफ छूने के लिए वज़ू फ़र्ज़ है और तवाफ़ के लिए वाजिब है।

वज़ू के मकरुहात

यानी वह बातें जो वज़ू में न होनी चाहिये।

१-औरत के गुस्ल या वज़ू के बचे पानी से वज़ू करना।

२-नजिस जगह वज़ू का पानी गिरना।

३-मस्जिद के अन्दर वज़ू करना।

४-वज़ू के पानी के क़तरे वज़ू के बर्तन में टपकाना।

५-क़िबला की तरफ़ कुल्ली का पानी या नाक या खखार या थूक डालना।

६-बे ज़रुरत दुनिया की बातें करना।

७-ज़्यादह पानी ख़र्च करना।

८-इतना कम पानी ख़र्च करना कि सुन्नतें अदा न हों।

९-एक हाथ से मुंह धोना।
१०-मुंह पर पानी मारना।
११-वज़ू के क़तरों को कपड़े या मस्जिद में टपकने देना।
१२-वज़ू की किसी सुन्नत को छोड़ देना।

नवाक़िज़े वज़ू यानी वज़ू तोड़ने वाली चीज़ें

पाख़ाना, पेशाब, पीछे से हवा का निकलना, कीड़ा और पथरी का आगे या पीछे के मुक़ाम से निकलना वदी और मज़ी और मनी का निकलना ख़ून और पीप और ज़र्द पानी का निकल कर बहना, खाने या पानी या पित या जमे ख़ून की मुंह भर क़ै, जुनून, ग़शी, बेहोशी, इतना नशा कि चलने में पॉव लड़खड़ायें, अलावह नमाज़े जनाज़ा के किसी नमाज़ में क़हक़हा, नीन्द मुबाशरते फाहशा(यानी मर्द अपने आला को तुन्दी की हालत में औरत की शर्मगाह या किसी मर्द की शर्मगाह से मिलाये या औरत औरत आपस में मिलायें और कपड़ा वगैरह बीच में न हो)इन सब चीज़ों से वज़ू टूट जाता है।

मसला—दुखती हुई ऑख से जो पानी या कीचड़ बहता है उससे वज़ू टूट जाता है और वह नजिस भी है जिस जगह लग जाये उसका पाक करना ज़रुरी है।

मसला—नमाज़ में इतनी आवाज़ से हंसा कि खुद उसने सुना पास वालों ने न सुना तो वज़ू न टूटा अलबत्ता नमाज़ टूट गई

मसला—अगर मुस्कुराया यानी दॉत निकले और आवाज़ बिल्कुल न निकली तो इससे न वज़ू जाये न नमाज़।

मसला—जो रुतूबत आदमी के बदन से निकले और वज़ू न तोड़े वह नजिस नहीं जैसे वह ख़ून जो बह कर न निकले या थोड़ी क़ै जो मुंह भर न हो वह पाक है।

मसला—राल, नाक, थूक, पसीना, मैल पाक हैं। यह चीज़ें अगर बदन

या कपड़े में लगी हों तो नमाज़ हो जायेगी लेकिन साफ़ कर लेना अच्छा है।

मसला—जो आंसू रोने में निकलते हैं न उनसे वज़ू टूटे न वह नजिस।

मसला—घुटना या सतर खुलने से, अपना या दूसरे का सतर देखने से या छूने से वज़ू नहीं जाता।

मसला—दूध पीते बच्चे ने कै की अगर वह मुंह भर है तो नजिस है। दिरहम से ज़्यादा जगह में जिस चीज़ को लग जाये नापाक कर देगा लेकिन अगर यह दूध मेदा से नहीं आया बल्कि सीना तक पहुंच कर पलट आया तो पाक है।

मसला—वज़ू के बीच में वज़ू टूट गया फिर से वज़ू करे हत्ता कि अगर चुल्लू में पानी लिया फिर हवा निकली यह पानी बेकार हो गया इस से कोई अज़ो न धोये।

ग़ुस्ल का तरीक़ा

ग़ुस्ल की नीयत करके पहले दोनों हाथ गट्टों तक तीन मर्तबा धोये फिर इस्तीन्जे की जगह धोयें ख्वाह नजासत लगी हो या न लगी हो फिर बदन पर जहां कहीं नजासत लगी हो उसको धोयें फिर नमाज़ के ऐसा वज़ू करें मगर पॉव न धोयें हां अगर चौकी या तख़्ते या पत्थर पर नहायें तो पॉव भी धो लें फिर बदन पर तेल की तरह पानी चुपड़ लें फिर तीन मर्तबा दाहिने मोढे पर पानी बहायें फिर बायें मोढे पर तीन बार फिर सर और तमाम बदन पर तीन बार फिर नहाने की जगह से अलग हो जायें अगर वज़ू करने में पांव नहीं धोये थे तो अब धो लें और नहाने में किबला रुख न हों और तमाम बदन पर हाथ फेरें और मलें और ऐसी जगह नहायें कि कोई न देखे और अगर यह न हो सके तो नाफ़ से घुटने तक के आज़ा का सतर तो ज़रूरी है। अगर इतना भी मुमकिन न हो तो तयम्मुम करें और नहाने में किसी क़िस्म का कलाम न करें न कोई दुआ पढ़ें बाद नहाने के रुमाल से बदन पोछ डालें तो हर्ज नहीं।

मसला–एहतेयात की जगह नंगा नहाने में हर्ज नहीं औरतों को बहुत ज़्यादा एहतेयात की ज़रुरत है हत्ता कि औरतों को बैठकर नहाना बेहतर है नहाने के बाद फ़ौरन कपड़ा पहन लें वज़ू में जो बातें सुन्नत और मुस्तहब हैं वही गुस्ल में भी हैं सिवा इसके कि नंगा नहाता हो तो क़िबला को मुंह न करे और तहबन्द बांधे हो तो हर्ज नहीं यह तरीक़ा जो गुस्ल का बयान हुआ इसमें तीन बातें, फ़र्ज़ हैं जिनके बग़ैर गुस्ल न होगा और नापाकी न उतरेगी और बाक़ी सुन्नत व मुस्तहब हैं इनमें से किसी बात को छोड़ना न चाहिए। अगर कोई बात छूट गई तो भी गुस्ल हो जायेगा ।

फ़राएज़े गुस्ल तीन हैं–

१-कुल्ली इस तरह पर कि मुंह के हर पुर्ज़े गोशे, होंट से हलक़ की जड़ तक हर जगह पानी बह जाये मसूड़े दॉत, दांत की खिड़कियां ज़बान की हर करवट में हलक़ के किनारे तक पानी बहे। रोज़ा न हो ग़रारा करे ताकि पानी अच्छी तरह हर जगह पहुंचे दांत में कोई चीज अटकी हो(जैसे गोश्त का रेशा, छालिया का चूर, पान की पत्ती वग़ैरह)तो जब तक ज़रर व हर्ज न हो छुड़ाना ज़रुरी है बे इसके गुस्ल न होगा और बे गुस्ल नमाज़ न होगी।

२-नाक में पानी डालना यानी दोनों नथनों में जहां तक नरम जगह है वहां तक धुलना कि पानी को सूंघ कर ऊपर चढ़ाये ताकि बाल बराबर जगह भी धुलने से रह न जाये नहीं तो गुस्ल न होगा अगर बुलाक, नथ, कील का सुराख हो तो उसमें भी पानी पहुंचना ज़रुरी है नाक के अन्दर रेंठ नकटी सूख गई तो उसका छुड़ाना भी फ़र्ज़ है और नाक के बाल का धोना भी फ़र्ज़ है।

३-पूरे बदन पर पानी बह जाना इस तरह कि पांव के तलवे तक जिस्म के हर पुर्ज़े हर रोंगटे पर पानी बहे इसलिये कि अगर एक बाल की नोक भी धुलने से रह गई तो गुस्ल न होगा।

तम्बीह

बहुत लोग ऐसा करते हैं कि नजिस तहबन्द बांध कर गुस्ल करते हैं और ख्याल करते हैं कि नहाने में सब पाक हो जायेगा हालाँकि ऐसा नहीं बल्कि पानी डालकर तहबन्द और बदन पर हाथ फेरने से नजासत और फैलती है और सारे बदन और नहाने के बर्तन तक को नजिस कर देती है इसलिये हमेशा नहाने में बहुत ख्याल से पहले बदन से और उस कपडे से जिसको पहन कर नहाते हैं नजासत दूर कर लें तब गुस्ल करें वरना गुस्ल तो क्या होगा उस तर हाथ से जिन चीजों को छूयेंगे सब नजिस हो जायेगी हाँ दरिया, तालाब में अलबत्ता ऐसा हो सकता है वह भी जबकि नजासत ऐसी हो कि बिला मले धोये पानी के धक्के से खुद बह कर निकल जाये वरना इसमें भी दुश्वार है जिन चीज़ों से गुस्ल फ़र्ज होता है वह पाँच बातें हैं ।

१-मनी का अपनी जगह से शहवत के साथ जुदा होकर अजो से निकलना।

२-एहतेलाम यानी सोते में मनी का निकल जाना।

३-शर्मगाह में इश्फा तक चला जाना ख्वाह शहवत से हो या बिला शहवत इन्ज़ाल हो या न हो दोनों पर गुस्ल फ़र्ज़ करता है।

४-हैज़ यानी माहवारी खून से फ़रागत पाना।

५-नेफ़ास यानी बच्चा जनने पर जो खून आता है उससे फारिग़ होना।

मसला—मनी शहवत के साथ अपनी जगह से जुदा न हुई बल्कि बोझ उठाने या बुलन्दी से गिरने की वजह से निकली तो गुस्ल वाजिब नहीं अलबत्ता वज़ू जाता रहेगा।

मसला—अगर मनी पतली पड़ गई कि पेशाब के वक़्त या वैसे ही कुछ क़तरे बिला शहवत निकल आयें तो गुस्ल वाजिब नहीं हां वज़ू टूट जायेगा

मसला—जुमा, ईद, बक़रईद के लिये और अरफ़ा के दिन और एहराम बांधने के वक़्त नहाना सुन्नत है।

मसला—जिसको नहाने की ज़रुरत हो उसको मस्जिद में जाना, तवाफ़ करना, क़ुरआन मजीद छूना अगरचे इसका सादा हाशिया या जिल्द ही क्यों

न हो बे छुए देखकर या जबानी पढ़ना या किसी आयत का लिखना या अंगूठी छूना या पहनना जिसपर हुरुफ मुक़त्तआत हों यह सब हराम है।

मसला–अगर क़ुरआन शरीफ़ जुज़दान में हो या रुमाल वग़ैरह किसी अलग कपडे में लिपटा हो तो उस पर हाथ लगाने में हर्ज नहीं।

मसला–अगर क़ुरआन शरीफ़ की आयत क़ुरआन की नीयत से न पढ़ी तो हर्ज नहीं जैसे तबर्रुक के लिये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढी या शुक्र के लिये 'अलहम्दोलिल्लाहे रब्बिल आलमीन' या मुसीबत व परेशानी में 'इन्ना लिल्लाहे व इन्ना एलैहे राजेऊन' पढी या सना की नीयत से सूरह फातेहा या आयतल कुर्सी या ऐसी ही कोई आयत पढ़ी तो कुछ हर्ज नहीं जबकि क़ुरआन पढने की नीयत न हो।

मसला–बे वज़ू कोई क़ुरआन मजीद या उसकी किसी आयत का छूना हराम है बे छुए देखकर या जबानी पढ़े तो कोई हर्ज नहीं।

मसला–क़ुरआन मजीद देखने मे उन सब पर कुछ हर्ज नहीं अगरचे हरफ पर नज़र पड़े और अल्फ़ाज़ समझ में आयें और ख्याल में पढ़ते जायें।

मसला–उन सबको फ़िक़ा व हदीस व तफ़सीर की किताबों का छूना मकरुह है।

किस पानी से वज़ू और ग़ुस्ल जाएज़ है और किससे नहीं

बारिश, समुन्द्र, दरिया, नदी, नाले, चश्मे, कूयें, बड़े हौज़ और बड़े तालाब और बहता हुआ पानी, ओला और बर्फ़ इन सब पानियों से वज़ू और ग़ुस्ल और हर क़िस्म की तहारत जाएज़ है।

मसला–बहता हुआ पानी वह है जो तिनके को बहा ले जाये। यह पाक और पाक करने वाला है। नजासत पड़ने से नापाक न होगा जब तक यह नजासत उसके रंग या बू या मज़ा को न बदल दे। अगर नजिस चीज़

से रंग या बू या मज़ा बदल गया तो नापाक हो गया। अब यह उस वक़्त पाक होगा कि नजासत नीचे तह में बैठ जाये और यह तीनों बातें ठीक हो जायें या इतना पाक पानी मिले कि नजासत को बहा ले जाये या पानी के रंग, बू, मज़े ठीक हो जायें और अगर पाक चीज़ ने रंग, बू मज़े को बदल दिया तो वज़ू व गुस्ल इस से जाएज़ है जब तक चीज दीगर न हो जाये।

मसला—दस हाथ लम्बा दस हाथ चौड़ा पानी जिस हौज या तालाब में हो वह ' दह दर दह ' या बड़ा हौज कहलाता है। यूंही अगर बीस हाथ लम्बा और पांच हाथ चौड़ा हो या पचीस हाथ लम्बा और चार हाथ चौड़ा हो ग़रज़ कुल लम्बाई चौड़ाई का हासिले ज़रब सौ हो और अगर गोल हो तो–गोलाई तक़रीबन साढे पैंतीस हाथ हो और गहराई इतनी काफी है कि इतनी सतह में कही से जमीन खुली न हो ऐसे हौज का पानी बहते पानी के हुक्म में है। नजासत पड़ने से नापाक न होगा जब तक नजासत की वजह से रंग या बू या मजा न बदल जाये।

मसला—बड़े हौज में ऐसी नजासत पड़ी जो दिखाई न दे जैसे शराब पेशाब तो इसमें हर तरफ़ से वज़ू कर सकते हैं और अगर देखने में आती हो जैसे पाख़ाना या मरा हुआ जानवर तो जिस तरफ वह नजासत है उस तरफ़ वज़ू न करना बेहतर है दूसरी तरफ से वज़ू करे।

मसला—बड़े हौज में एक साथ बहुत से लोग वज़ू कर सकते हैं अगरचे वज़ू का पानी इसमें गिरता हो लेकिन नाक, थूक, खेखार, कुल्ली इसमें न डालना चाहिये कि नज़ाफत के खेलाफ़ है।

मसला—जो पानी वज़ू या ग़ुस्ल करने में बदन से गिरा वह पाक है मगर इससे वज़ू और ग़ुस्ल जायज नहीं।

मसला—अगर बे वज़ू शख़्स का हाथ या उंगली या पूरा या नाखुन या बदन का कोई टुकड़ा जो वज़ू में धोया जाता है बक़सद या बिला क़सद ' दह दर दह' से कम पानी में बे धोये हुये पड़ जाये तो वह पानी वज़ू और ग़ुस्ल के लाएक़ न रहा इसी तरह जिस शख़्स पर नहाना फर्ज़ है उसके जिस्म

का कोई हिस्सा बिला धुला हुआ पानी से छू जाये तो वह पानी वज़ू और गुस्ल के काम का न रहा अगर धुला हुआ हाथ या बदन का कोई हिस्सा पड़ जाये तो हर्ज नहीं।

मसला—पानी में हाथ पड़ गया या और किसी तरह मुस्तामल हो गया अब यह चाहे कि यह काम का हो जाये तो अच्छा पानी इससे ज्यादा इसमें मिला दें और इसका यह तरीका भी है कि उसमें एक तरफ़ से पानी ढालें कि दूसरी तरफ से बह जाये तो सब पानी काम का हो जायेगा।

मसला—छोटे छोटे 'गढ़ों' में पानी है और उसमें नजासत पड़ना मालूम नहीं तो इससे वज़ू जाएज है।

मसला—काफ़िर की ख़बर कि यह पानी पाक या नापाक है दोनो सूरतों में पानी पाक रहेगा कि यह इसकी असली हालत है।

मसला—किसी दरख़्त या फ़ल के निचोड़े हुये पानी से वज़ू जाएज़ नहीं जैसे केले या तरबूज़ का पानी और गन्ने का रस।

मसला—जिस पानी में थोडी सी कोई पाक चीज मिल गई जैसे गुलाब, केवड़ा, ज़ाफरान, मिट्टी, बालू तो इससे वज़ू व गुस्ल जाएज़ है।

मसला—कोई रंग या ज़ाफ़रान पानी में इतना पड़ गया कि कपड़ा रंगने के काबिल हो गया तो उससे वज़ू व गुस्ल जाएज नहीं।

मसला—पानी में इतना दूध पड गया कि दूध के ऐसा रंग हो गया तो वज़ू व गुस्ल जाएज नहीं।

कुएँ का बयान

मसला—कुएँ में किसी आदमी या जानवर का पेशाब या बहता हुआ ख़ून या ताड़ी या सेंधी या किसी क़िस्म की शराब का क़तरा या नापाक लकड़ी या नजिस कपड़ा या और कोई नापाक चीज़ गिरी तो उसका कुल पानी निकाला जाये।

मसला—जिन चौपायों का गोश्त नहीं खाया जाता उनके पाखाना पेशाब गिरने से कुआँ नापाक हो जायेगा। यूंही मुर्गी और बत की बीट से नापाक हो जायेगा और इन सब सूरतों में कुल पानी निकाला जाये।

मसला—जिस कुएं का पानी नापाक हो गया उसका एक क़तरा भी अगर पाक कुएं में पड जाये तो यह भी नापाक हो जायेगा। जो हुक्म उसका था वही इसका हो गया। यूंही डोल, रस्सी, घडा जिनमें नापाक कुएं का पानी लगा था पाक कुएं में पड़े वह भी नापाक हो गया।

मसला—कुएं मे आदमी, बकरी य कुत्ता या और कोई दमवी जानवर उनके बराबर या उनसे बडा गिर कर मर जाये तो कुल पानी निकाला जाये।

मसला—मुर्ग़ा, मुर्ग़ी, बिल्ली, चूहा, छिपकली या और कोई दमवी जानवर उसमें मर कर फूल जाये या फट जाये तो कुल पानी निकाला जाये।

मसला—अगर यह सब बाहर मरे फिर कुएं में गिरे जब भी यही हुक्म है यानी कुल पानी निकाला जाये।

मसला—छिपकली या चूहे की दुम कट कर कुएं में गिरी अगरचे फूली, फटी न हो कुल पानी निकाला जाये लेकिन अगर इसकी जड़ में मोम लगा दिया हो बीस डोल निकाला जाये।

मसला—बिल्ली ने चूहे को पकड़ा और जख़्मी कर दिया फिर उससे छुट कर कुएं में गिरा कुल पानी निकाला जाये।

मसला—कच्चा बच्चा या जो बच्चा मुर्दा पैदा हुआ कुएं मे गिर जाये तो सब पानी निकाला जाये अगरचे गिरने से पहले नहला दिया गया हो।

मसला—सूअर कुए मे गिरा चाहे जिन्दा ही निकल आया कुल पानी निकाला जाये।

मसला—सूअर के सिवा कोई और जानवर जिसका जूटा नापाक है (जैसे शेर, भेडिया, गीदड, कुत्ता) कुएं में गिरा और उसके बदन पर किसी नजासत का लगा होना यकीनी तौर पर मालूम नहीं और उसका मुंह पानी में न पड़ा

तो पानी पाक है इसका इस्तेमाल जाएज़ है। मगर एहतेयातन बीस डोल निकालना बेहतर है।

मसला—कोई जानवर जिसका थूक नाजिस है (जैसे कुत्ता, शेर, चीता, गीदड़, भेड़िया) अगर कुएं में गिरा और उसका मुंह पानी से लगा तो कुआं नापाक हो गया, कुल पानी निकाला जाये।

मसला—गदहा या खच्चर कुएं में गिरा और ज़िन्दा निकल आया तो उसका मुंह अगर पानी में पड़ा तो कुऑं नापाक हो गया। कुल पानी निकाला जाये और अगर मुंह न पड़ा तो बीस डोल पानी निकालें।

मसला—छुटी हुई मुर्गी कुएं में गिरी और ज़िन्दा निकल आई तो चालीस डोल पानी निकाला जाये।

मसला—जिन जानवरों का जूठा पाक है जैसे भेड़, बकरी, गाय, भैंस, हिरन, नीलगाय इन में से कोई कुएं में गिरे और जिन्दा निकल आये तो कुऑं पाक है लेकिन बीस डोल पानी निकाला जाये।

मसला—जिन जानवरों का जूठा मकरुह है (जैसे छिपकली, बिल्ली, चूहा या सांप) कुएं में गिरे और ज़िन्दा निकल आये तो बीस डोल पानी निकाला जाये।

मसला—कोई जानवर छोटा हो या बड़ा अगर कुएं में गिरे और उसके बदन पर नजासत का लगा होना यक़ीनी तौर पर मालूम हो तो कुआं नापाक होजयेगा और कुल पानी निकाला जायेगा जैसे मुर्गी ने पाखाना कुरेदा और फ़ौरन पांव साफ होने से पहले कुएं में गिरी कुआं नजिस हो गया कुल पानी निकाला जाये या जैसे चूहे ने पाखाने के हौज़ में गोता खाया और फ़ौरन कुएं में गिरा कुल पानी निकाला जाये क्योंकि कुऑं नजासत पड़ने से नापाक हुआ न कि चूहे मुर्गी के गिरने से।

मसला—कुएं में वह जानवर गिरा जिसका जूठा पाक है (जैसे बकरी वग़ैरह) या जूठा मकरुह है (जैसे मुर्गी, चूहा वग़ैरह) और पानी कुछ न निकाला और वज़ू कर लिया तो वज़ू हो जायेगा।

मसला–जूता या गेंद कुएं में गिरा और नजिस होना यक़ीनी है तो कुल पानी निकाला जाये वरना बीस डोल.महज़ नजिस होने का ख्याल मोतबर नहीं।

मसला–मुर्गी का ताज़ा अन्डा जिस पर अभी तरी बाकी हो पानी में गिर जाये पानी नजिस न होगा जबकि पेट की तरी के अलावा कोई और नजासत न लगने पाये युंही बकरी का बच्चा पैदा होते ही पानी में गिरा और मरा नहीं तो भी पानी नापाक न होगा ।

मसला– उड़ने वाले हलाल जानवर जैसे कबूतर या चिड़िया की बीट या शिकारी परिन्द जैसे चील,शिकरा, बाज़ की बीट कुएं में गिर जाये तो कुआं नापाक न होगा युंही चूहे और चमगादड़ के पेशाब से भी नजिस न होगा।

मसला– पेशाब की बहुत बारीक बारीक बुन्दकियाॅ मिस्ल सूई की नोक के और नजिस गुबार पड़ने से नापाक न होगा।

मसला– पानी का जानवर जैसे मछली मेढक वगैरह जो पानी में पैदा होता है अगर कूएं में मर जाये या मरा हुआ गिर जाये तो पानी नापाक न होगा चाहे फूल फट भी जाये लेकिन अगर फट कर उसके रेज़े पानी में मिल जायें तो इस पानी का पीना हराम है।

मसला– खुश्की और पानी के मेंढक का एक हुक्म है यानी इसके मरने बल्कि सड़ने से भी पानी नजिस न होगा लेकिन जंगल का बड़ा मेढक जिसमें बहने के क़ाबिल खुन होता है इसका हुक्म चूहे की मिस्ल है। पानी के मेढक की उंगलीयों के बीच झिल्ली होती है और खुश्की के नही ।

मसला– जिसकी पैदाइश पानी की न हो मगर पानी में रहता हो जैसे बत उसके मर जाने से पानी नजिस हो जायेगा।

मसला– चूहा, छछुन्दर, चिड़िया, छिपकली गिरगिट या उनके बराबर या उनसे छोटा कोई जानवर दमवी कूएं में गिरकर मर जाये और अभी फूला या फटा न हो तो बीस डोल से तीस डोल तक निकाला जाये और अगर

फूल या फट जाये तो कुल पानी निकाला जाये।

मसला—कबूतर या बिल्ली या मुर्गी गिरकर मर जाये और फटे या फूले नहीं तो चालीस डोल से साठ डोल तक पानी निकाला जाये। उनके भी फूलने या फटने में कुल पानी निकाला जायेगा।

मसला—दो चूहे गिरकर मर जायें और अभी फूले या फटे न हों तो बीस से तीस डोल तक निकाला जाये और तीन या चार या पाँच हों तो चालिस डोल से साठ तक और छः हों तो सब पानी निकाला जाये।

मसला—दो बिल्लियां गिर कर मर जायें तो कुल पानी निकाला जाये।

मसला—बे वज़ू और जिस आदमी पर गुस्ल फर्ज़ है अगर बिला ज़रूरत कूएं में उतरे और उनके बदन पर नजासत न लगी हो तो बीस डोल निकाला जाये और अगर डोल निकालने के लिये उतरा तो कुछ नहीं।

मसला—कूएं में आदमी गिरा और ज़िन्दा निकल आया और उसके बदन या कपड़े पर कोई नजासत न थी तो कूआं पाक है। बीस डोल पानी निकाल दें।

मसला—जिन जानवरों में बहता हुआ खून नहीं होता जैसे मच्छर मक्खी वगैरह उनके मरने से पानी नजिस न होगा।

फ़ाएदा—मक्खी सालन वगैरह में गिर जाये तो उसे डुबा कर फेंक दें और सालन को काम में लायें।

मसला—मुरदार की हड्डी जिस में गोश्त या चिकनाई लगी हो पानी में गिर जाये तो वह पानी नापाक हो गया कुल निकाला जाये और अगर गोश्त या चिकनाई न लगी हो तो पाक है। मगर सूअर की हड्डी से मुतलक़न नापाक हो जायेगा। चाहे गोश्त या चिकनाई लगी हो या न लगी हो।

मसला—बच्चे ने या काफ़िर ने पानी में हाथ डाल दिया तो अगर हाथ का नजिस होना मालूम है जब तो ज़ाहिर है कि पानी नापाक हो गया वरना नजिस तो न हुआ मगर दूसरे पानी से वज़ू करना बेहतर है।

मसला—मेंगनी और गोबर और लीद अगरचा नापाक हैं मगर इनका

क़लील माफ़ है पानी की नापाकी का हुक्म न दिया जायेगा।

मसला—कुल पानी निकालने का यह मतलब है कि इतना पानी निकाल लिया जाये कि अब डोल डालें तो आधा भी न भरे। उसकी मिट्टी निकालने की ज़रूरत नहीं न दीवार धोने की ज़रूरत कि वह पाक हो गई।

मसला—यह जो हुक्म दिया गया कि इतना इतना पानी निकाला जाये इसका यह मतलब है कि वह चीज जो कुएं में गिरी पहले उसको निकाल लें फिर इतना पानी निकालें अगर वह चीज उसी में पड़ी रही तो कितना ही पानी निकालें बेकार हैं।

मसला—जिस कूएं का डोल मुक़र्रर है डोल की गिनती उसी डोल से की जाये चाहे छोटा हो या बड़ा और अगर इस कूएं का कोई ख़ास डोल मुक़र्रर नहीं है तो इतना बडा डोल हो कि जिसमें एक सा पानी आ जाये।

मसला—डोल भरा हुआ निकलना ज़रूरी नहीं अगर कुछ पानी छलक कर गिर गया या टपक गया मगर जितना बचा वह आधे से ज्यादा है तो वह पूरा ही डोल गिनां जायेगा।

मसला—छोटे बड़े मुख़्तलिफ़ डोलों से पानी निकाला तो हिसाब करके एक सा फी डोल या मुकर्रर डोल के बराबर कर लें।

मसला—जिस कूएं का पानी नापाक हो गया उसमें से जितना पानी निकालने का हुक्म है उतना निकाल लिया गया तो अब वह रस्सी डोल जिसमें पानी निकाला है वह पाक हो गया धोने की ज़रूरत नहीं।

मसला—जो कूआं ऐसा है कि उसका पानी टूटता ही नहीं चाहे कितना ही निकालें अगर उसमें नजासत पड़ गई या उसमें कोई ऐसा जानवर मर गया जिसमें कुल पानी निकालने का हुक्म है तो ऐसी हालत में हुक्म यह है कि पहले यह मालूम कर लें कि कितना पानी है। जितना हो सब निकाल दिया जाये निकालते वक़्त जितना ज़्यादा होता गया उसका कुछ ऐतबार नहीं। मसलन यह मालूम कर लिया कि हज़ार डोल है तो हज़ार डोल निकाल दें कुआँ पाक हो जायेगा और यह मालूम करना कि इस वक़्त कितना पानी है

उसका तरीक़ा यह कि दो मुसलमान परहेज़गार जिनको यह महारत हो कि बता सकें कि इस कूएं में इतना पानी है वह जितने डोल बतायें उतना ही निकाल दें कूऑं पाक हो जायेगा एक तरीक़ा यह भी है कि पानी की गहराई किसी लकड़ी या रस्सी से नाप लें और फिर चन्द आदमी बहुत फुर्ती से सौ डोल निकाल लें फिर नापें जितना कम हो जाये उसी हिसाब से पानी निकाल ले जैसे पहली मर्तबा नापने से मालूम हुआ कि दस हाथ पानी है। फिर सौ डोल निकालने के बाद नापा तो नौ हाथ रह गया तो मालूम हुआ कि दस सौ यानी हज़ार डोल निकाल दें तो दस हाथ पानी निकल जायेगा और कूऑं पाक हो जायेगा

मसला—कूएं से मरा हुआ जानवर निकाला तो अगर उसके गिरने का वक़्त मालूम है तो उसी वक़्त से पानी नजिस है। इसके बाद अगर किसी ने उससे वज़ू या गुस्ल किया तो न वज़ू हुआ न गुस्ल। उस वज़ू और गुस्ल से जितनी नमाज़ें पढ़ीं वह सब न हुईं उन्हें फिर पढ़े यूहीं उस पानी से कपडे धोये या किसी और तरह से बदन पर या कपडे पर लगा तो कपड़े और बदन का पाक करना ज़रूरी है और उनसे जो नमाज़ें पढ़ीं उनका फिर से पढ़ना फ़र्ज़ है और अगर गिरने का वक़्त मालूम नहीं तो जिस वक़्त से देखा गया उस वक़्त से नजिस ठहरेगा अगरचा फूला फटा हो उससे पहले पानी नजिस नहीं और पहले जो वज़ू या गुसल किया या कपड़े धोये कुछ हर्ज नहीं आसानी के लिये इसी पर अमल है।

नजासतों का बयान

नजासत की दो किस्म है; एक ग़लीज़ा दूसीर ख़फ़ीफ़ा नजासते ग़लीज़ा अगर कपडे या बदन पर एक दरहम से ज़्यादा लग जाये तो उसका पाक करना फ़र्ज़ है बे पाक किये नमाज न होगी और अगर दरहम के बराबर है तो पाक करना वाजिब है कि बे पाक किये नमाज़ पढ़ी तो मकरूह तहरीमी

वाजिबुल एआदह(यानी ऐसी नमाज फिर से दोहरना वाजिब है) और अगर दरहम से कम है तो पाक करना सुन्नत है कि बे पाक किये नमाज़ हो जायेगी मगर ख़ेलाफ़े सुन्नत होगी कि जिसका दोहराना बेहतर है।

मसला—अगर नजासत गाढ़ी है जैसे पाखाना, लीद, गोबर तो दरहम के बराबर या कम ज़्यादा का यह मतलब है वज़न में इतनी हो और अगर नजासत पतली हो जैसे पेशाब, शराब तो दरहम से मुराद उसकी लम्बाई चौडाई है। दरहम का वजन शरीयत में इस जगह साढ़े चार माशे है और ज़कात में तीन माशा १ १/५ रत्ती और दरहम की लम्बाई चौड़ाई से यहां मुराद तक़रीबन हथेली की गहराई बराबर जगह है जो एक रुपया के फैलाव के बराबर जगह होती है। नजासत खफ़ीफ़ा कपड़े के जिस हिस्सा (मसलन आस्तीन, दामन, कली, कालर) में या जिस अज़ो (मसलन हाथ, पैर, सर) में लगी हो और उसके चौड़ाई में हो तो बे धोये नमाज़ न होगी।

मसला—नजासत ग़लीज़ा व खफ़ीफ़ा का फ़र्क कपड़े और बदन पर लगने में है। लेकिन अगर किसी पतली चीज़ जैसे पानी, सिरका, दूध में एक क़तरा भी पड़ जाये चाहे ग़लीजा हो चाहे खफीफा तो सबको बिल्कुल नजिस कर देगी जब तक कि वह चीज़ दह दर दह न हो।

नजासते ग़लीज़ा

आदमी के बदन से जो ऐसी चीज़ निकले जिससे वज़ू या गुस्ल जाता रहे वह नजासत ग़लीज़ा है पाखाना, पेशाब, बहता ख़ून, पीप, मुंह भर क़ै, हैज़ व नेफ़ास व इस्तेहाज़ा का ख़ून, मनी, मजी, वदी, दुखती हुई आंख का पानी नाफ़ या पिस्तान का पानी जो दर्द से निकले और खुश्की के हर जानवर का बहता ख़ून ख्वाह हलाल हो या हराम हत्ता कि गिरगिट, छिपकली तक का ख़ून और मुरदार की चर्बी मुरदार का गोश्त और हराम चौपाये जैसे कुत्ता, बिल्ली, शेर, चीता, लोमड़ी, भेड़िया, गीदड़, गधा, खच्चर, हाथी, सूअर

इन सब का पाखाना पेशाब और घोड़े की लीद और हर हलाल चौपाये का पाखाना जैसे गाय, भैंस का गोबर बकरी, ऊंट, नीलगाय, बारहसिंघा, हिरन की मेंगनी और जो परिन्द ऊंचा न उड़े जैसे मुर्ग़ा और बत ख़्वाह छोटी या बड़ी इन सब की बीट और हर किस्म की शराब और नशा लाने वाली ताड़ी और सेन्धी, सांप का पाखाना पेशाब और उस जंगली सांप और जंगली मेंढक का गोश्त जिनमें बहता ख़ून होता है अगरचा ज़िबह किये गये हों यूंही उनकी खाल अगरचा पकाई गई हो और सूअर का गोश्त हड्डी, खाल, बाल अगरचा ज़िबह किया गया हो यह सब नजासत ग़लीज़ा हैं।

मसला—दूध पीते लड़के और लड़की का पेशाब नजासत ग़लीज़ा है यह जो अवाम में मशहूर है कि दूध पीते बच्चे का पेशाब पाक है यह बिल्कुल ग़लत है।

मसला—शीरख़्वार बच्चे ने दूध की कै की अगर मुंह भर है तो नजासत ग़लीज़ा है।

मसला—छिपकली और गिरगिट का ख़ून नजासत ग़लीज़ा है।

मसला—हाथी के सूंड की रुतबत और शेर कुत्ते चीते और दूसरे दरिन्दें चौपायों का लोआब नजासत ग़लीज़ा है।

मसला—नजासते ग़लीज़ा ख़फ़ीफ़ा में मिल जाये तो कुल ग़लीज़ा हो जाये।

मसला—किसी कपड़े या बदन पर चन्द जगह नजासत ग़लीज़ा है और किसी जगह दरहम के बराबर नहीं मगर मजमूआ दरहम के बराबर है तो दरहम के बराबर समझी जायेगी और ज़ाएद है तो ज़ाएद समझी जायेगी नजासत ख़फ़ीफ़ा में भी मजमूआ ही पर हुक्म दिया जायेगा।

नजासते ख़फ़ीफ़ा

जिन जानवरों का गोश्त हलाल है जैसे गाय, बैल, भैंस, भेड, बकरी,

ऊंट, नीलगाय वग़ैरह इनका पेशाब और घोड़े का पेशाब भी और जिस परिन्दे का गोश्त हराम है (ख्वाह वह शिकारी हो या न हो) जैसे कौआ, चील, शिकरा, बाज़, बहरी इसकी बीट नजासते ख़फ़ीफ़ा है।

मसला–हराम जानवरों का दूध नजिस है अलबत्ता घोडी का दूध पाक है मगर खाना जाएज़ नहीं।

मसला–जो हलाल परिन्द ऊंचे उड़ते हैं जैसे कबूतर, फाख़्ता, मैना, मुर्ग़ाबी, व ाज़ इनकी बीट पाक है।

मसला–चमगादड़ की बीट और पेशाब दोनो पाक है।

मसला–मछली और पानी के दीगर जानवर और खटमल और मच्छर का ख़ून पाक है।

मसला–पेशाब की नेहायत बारीक छीटें सूई की नोक बराबर की बदन या कपड़े पर पड़ जाये तो कपड़ा और बदन पाक रहेगा।

मसला–जिस कपड़े पर पेशाब की ऐसी ही बारीक छीटें पड गई अगर वह कपड़ा पानी में पड़ गया तो पानी भी नापाक न होगा।

मसला–जो ख़ून ज़ख्म से बहा न हो वह पाक है।

मसला–गोश्त, तिल्ली, कलेजी में जो ख़ून रह गया हो पाक है और अगर यह चीज़ें बहते ख़ून में सन जायें तो नापाक हैं बेग़ैर धोये पाक न होंगी।

मसला–अगर नमाज़ पढ़ी और जेब वग़ैरह में शीशी है जिसमें पेशाब या ख़ून या शराब है तो नमाज़ न होगी।

मसला–जेब में अन्डा है तो अगरचे उसकी ज़र्दी ख़ून हो गई हो नमाज़ हो जायेगी।

मसला–पेशाब, पाखाना के बाद ढेले से इस्तिन्जा कर लिया फिर उस जगह से पसीना निकल कर बदन या कपड़े पर लगा तो बदन और कपड़ा नापाक न होंगे।

मसला–नापाक चीज़ों का धुआं अगर कपड़े या बदन पर लगे तो कपड़ा और बदन नजिस न होगा।

मसला—रास्ते का कीचड़ पाक है जब तक उसका नजिस होना मालूम न हो तो अगर पॉव या कपड़े में लगी और बे धोये नमाज़ पढ ली नमाज़ हो गई मगर धो लेना बेहतर है।

मसला—सड़क पर पानी छिडका जा रहा था ज़मीन से छीटें उड़ कर कपड़े पर पड़ी कपड़ा नजिस न हुआ लेकिन धो लेना बेहतर है।

जूठे और पसीना का बयान

मसला—आदमी(चाहे जुनुब हो या हैज व नेफास वाली औरत)उसका जूठा पाक है।

मसला—काफ़िर का जूठा भी पाक है मगर इससे बचना चाहिये जैसे थूक, रेंठ, खखार कि पाक हैं मगर आदमी इनसे धिन करता है। इससे बहुत बदतर काफ़िर क़े जूठे को समझना चाहिये।

मसला—जिन जानवरों का गोश्त खाया जाता है चौपाये हों या परिन्द उनका जूठा पाक है जैसे गाय, बेल, भेंस, बकरी, कबूतर, तीतर, बटेर वगैरह।

मसला—जो मुर्गी छुटी फिरती है और ग़लीज़ पर मुंह डालती है उसका जूठा मकरुह है और अगर बन्द रहती हो तो पाक है।

मसला—धोड़े का जूठा पाक है।

मसला—सूअर, कुत्ता, शेर, चीता, भेड़िया, गीदड़ और दूसरे दरिन्दों का जूठा नापाक है।

मसला—धर में रहने वाले जानवरों जैसे बिल्ली, चूहा, सांप, छिपकली का जूठा मकरुह है।

मसला—पानी में रहने वाले जानवरों का जूठा पाक है ख़्वाह उनकी पैदाइश पानी में हो या न हो।

मसला—उड़ने वाले शिकारी जानवर (जैसे शिकरा, बाज़, बहरी, चील वगैरह) का जूठा मकरुह है।

मसला—कौए का जूठा मकरुह है।

मसला—बाज़, शिकरा, बहरी, चील को अगर पाल कर शिकार के लिये सिखा लिया हो और चोंच में नजासत न लगी हो तो उसका जूठा पाक है।

मसला—गधे, खच्चर का जूठा मशकूक है इससे वज़ू नहीं हो सकता

मसला—जो जूठा पानी पाक है उस से वज़ू व ग़ुस्ल जाएज़ है मगर जुनुब ने बेग़ैर कुल्ली किये पानी पिया तो इस जूठे पानी से वज़ू नाजाएज़ है इसलिये कि मुस्तअमल हो गया।

मसला—अच्छा पानी होते हुए मकरुह पानी से वज़ू ग़ुस्ल मकरुह है और अगर अच्छा पानी मौजूद नहीं है तो कोई हर्ज नहीं।

मसला—मकरुह जूठे का खाना पीना मालदार के लिये मकरुह है ग़रीब मोहताज को बिना कराहत जाएज़ है।

मसला—अच्छा पानी होते हुए मशकूक पानी से वज़ू ग़ुस्ल जाएज़ नहीं और अगर अच्छा पानी न हो तो मशकूक ही से वज़ू ग़ुस्ल करें और तयम्मुम भी करें इस सूरत में वज़ू व ग़ुस्ल में भी नीयत करनी ज़रुरी होगी और फ़कत तयम्मुम या फ़कत वज़ू व ग़ुस्ल काफ़ी न होगा बल्कि दोनों करना होगा।

मसला—मशकूक जूठा खाना पीना नहीं चाहिये।

मसला—मशकूक पानी अच्छे पानी में मिल गया तो अगर अच्छा पानी ज़्यादा है तो उससे वज़ू हो सकता है वरना नहीं।

मसला—जिसका जूठा नापाक है उसका पसीना और लोआब भी नापाक है और जिसका जूठा पाक है उसका लोआब और पसीना भी पाक है और जिसका जूठा मकरुह है उसका लोआब और पसीना भी मकरुह है।

मसला—गधे, खच्चर का पसीना अगर कपड़े में लग जाये तो कपड़ा पाक है चाहे कितना ही ज़्यादा लगा हो।

तयम्मुम का बयान

जिसका वज़ू न हो या नहाने की ज़रुरत हो और पानी पर क़ुदरत न हो तो वज़ू और गुस्ल की जगह तयम्मुम करे। पानी पर क़ुदरत न होने की चन्द सूरतें हैं पहली सूरत यह कि ऐसी बीमारी हो कि वज़ू या गुस्ल से उसके बढ़ने या देर में अच्छा होने का सही अन्देशा हो। चाहे उसने खुद आजमाया हो कि जब वज़ू या गुस्ल करता है तो बीमारी बढ़ती है या किसी मुसलमान परहेजगार क़ाबिल हकीम ने कह दिया हो कि पानी नुकसान करेगा तो तयम्मुम जाएज है।

मसला—महज़ ख्याल ही ख्याल बीमारी बढ़ने का हो तो तयम्मुम जाएज नहीं यूंही काफ़िर या फ़ासिक़ या मामूली तबीब के कहने का ऐतबार नहीं।

मसला—बीमारी में अगर ठन्डा पानी नुक़सान करता है और गर्म नुकसान न करे तो गर्म पानी से वज़ू और गुस्ल जरूरी है तयम्मुम जाएज नहीं हाँ अगर ऐसी जगह हो कि गर्म पानी न मिल सके तो तयम्मुम करे यूंही अगर ठन्डे वक़्त में वज़ू या गुस्ल नुक़सान करता है और गर्म वक़्त में नुकसान नहीं करता तो ठंडे वक़्त तयम्मुम करे फिर जब गर्म वक़्त आये तो आइन्दा के लिये वज़ू कर लेना चाहिये जो नमाज़ उस तयम्मुम से पढ़ी उसके एआदह की हाजत नहीं।

मसला—अगर सर पर पानी डालना नुक़सान करता है तो गले से नहाये और पूरे सर का मसह करे।

मसला—अगर किसी खास अजो में पानी नुक़सान करता है और बाकी में नहीं तो जिसमें नुक़सान करता है उस पर मसह करे और बाकी को धोये।

मसला—अगर किसी अजो पर मसह भी नुक़सान करता है तो उस अजो पर कपड़ा डाल कर उस पर मसह करे।

मसला—ज़ख्म के किनारे किनारे जहां तक पानी नुक़सान न करे पट्टी

वगैरह खोलकर धोना फ़र्ज़ है हॉं अगर पट्टी खोलने से नुक़सान हो तो पट्टी पर मसह करे । दूसरी सूरत यह है कि वहॉं चारों तरफ एक एक मील तक पानी का पता नहीं तो तयम्मुम जाएज़ है।

मसला—अगर यह गुमान हो कि एक मील के अन्दर पानी होगा तो तालाश कर लेना ज़रूरी है। बिला तालाश के तयम्मुम जाएज़ नहीं। बिला तालाश किये तयम्मुम करके नमाज पढ ली और तालाश करने पर पानी मिल गया तो वज़ू करके नमाज़ का एआदह लाज़िम है अगर न मिला तो हो गई।

मसला—नमाज़ पढते में किसी के पास पानी देखा और गुमान ग़ालिब है कि मॉंगने से दे देगा तो नमाज़ तोड़ के पानी मांगे। तीसरी सूरत यह कि इतनी सर्दी हो कि नहाने से मर जाने या बीमार होने का क़वी अन्देशा हो और नहाने के बाद सर्दी नुक़सान से बचने का कोई सामान भी न हो तो तयम्मुम जाएज़ है। चौथी सूरत यह कि दुश्मन का खौफ़ हो कि अगर देख लेगा तो मार डालेगा या माल छीन लेगा या इस ग़रीब नादार का क़र्ज़ ख्वाह है कि इसे क़ैद करा देगाया उस तरफ़ सांप है वह काट खायेगा या शेर है कि फाड़ खायेगा या कोई बदकार शख्स है जो बे आबरूई करेगा तो तयम्मुम जाएज़ है । पांचवीं सुरत यह कि प्यास का खौफ़ हो यानी पानी तो है लेकिन अगर इस पानी को वज़ू या गुस्ल में खर्च कर देगा तो यह खुद या दूसरा मुसलमान या इसका या दूसरे मुसलमान का जानवर (चाहे जानवर ऐसा कुत्ता ही क्यों न हो कि जिसका पालना जाएज़ है) प्यासा रह जायेगा और यह प्यास ख्वाह अभी मौजूद हो या आगे चलकर होगी कि राह ऐसी है कि दूर तक पानी का पता नहीं तो तयम्मुम जाएज़ है।

मसला—पानी मौजूद है मगर आटा गूधने की ज़रूरत है जब भी तयम्मुम जाएज़ है । शोरबे की ज़रूरत के लिये तयम्मुम जाएज़ नहीं।

मसला—बदन या कपड़े पर इतनी नजासत है कि जितनी नजासत के होते हुए नमाज़ जाएज़ नहीं और पानी सिर्फ़ इतना है कि चाहे वज़ू करे या नजासत दूर करे तो पानी से नजासत धोये और फिर धोने के बाद तयम्मुम

करे पाक करने से पहले तयम्मुम न होगा अगर पहले कर लिया है तो फिर करे। सातवीं सुरत यह कि पानी मंहगा हो यानी वहाँ जिस भाव विकता है उससे दूना दाम माँगता है तो तयम्मुम जाएज है और अगर दाम में इतना फर्क न हो यानी दूने से कम में मिले तो तयम्मुम जाएज़ नहीं।

मसला—पानी मोल मिलता है और इसके पास हाजते ज़रूरिया से ज़्यादा दाम नहीं तो भी तयम्मुम जायज़ है। आठवीं सूरत यह कि पानी तलाश करने में क़ाफ़िला नज़र से गायब हो जायेगा या रेल छूट जायेगी तयम्मुम जाएज है। नवीं सूरत यह गुमान कि वज़ू या गुस्ल करने में ईदैन की नमाज़ जाती रहेगी तो तयम्मुम जाएज़ ख्वाह यूं कि एमाम पढ़ के फ़ारिग हो जायेगा या ज़वाल का वक़्त आ जायेगा दोनों सूरतों में तयम्मुम जाएज़ है।

मसला—अगर यह समझे कि वज़ू करने में ज़ोहर या मग़रिब या एशा या जुमा की पिछली सुन्नतों का या चाश्त की नमाज़ का वक़्त जाता रहेगा तो तयम्मुम करके पढ़ ले। दसवीं सूरत यह कि आदमी मय्यत का वली न हुआ और डर हो कि वज़ू करने में नमाज़ जनाज़ा न मिलेगी तो तयम्मुम जाएज है।

मसला—मस्जिद में सो गया और नहाने की ज़रुरत हो गई तो आंख खुलते ही जहां था वहीं फ़ौरन तयम्मुम करके निकल आये देर करना हराम है।

मसला—क़ुरआन मजीद छूने के लिये या सजदह तेलावत या सजदये शुक्र के लिये तयम्मुम जाएज़ नहीं जबकि पानी पर कुदरत हो।

मसला—वक़्त इतना तंग हो गया कि वज़ू या गुस्ल करेगा तो नमाज़ क़ज़ा हो जायेगी तो चाहियें कि तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ ले और फिर वज़ू या गुस्ल करके एआदह करना लाज़िम है।

मसला—औरत हैज़ या नेफ़ास से पाक हुई और पानी पर क़ादिर नहीं तो तयम्मुम करे।

मसला—इतना पानी मिला जिससे वज़ू हो सकता है और नहाने की

ज़रुरत है तो इस पानी से वज़ू कर लेना चाहिये और गुस्ल के लिये तयम्मुम करे।

तयम्मुम का तरीक़ा

तयम्मुम की नीयत से बिस्मिल्लाह कह कर किसी ऐसी पाक चीज़ पर जो ज़मीन की किस्म से हो दोनों हाथ मारकर उलट लें अगर ज़्यादा गर्द लग गई हो तो हाथ झाड़ लें और उससे सारे मुंह का मसह करें फिर दूसरी मर्तबा यूंही हाथ मारें और नाखून से लेकर कोहनियों समेत दोनों हाथों का मसह करें तयम्मुम हो गया। तयम्मुम में सर और पैर पर मसह नहीं किया जाता। तयम्मुम में सिर्फ़ तीन बातें फ़र्ज़ हैं बाक़ी सुन्नत। पहला फ़र्ज नीयत यानी गुस्ल या वज़ू या दोनों की पाकी हासिल करने का इरादा। अगर तयम्मुम की नीयत हाथ मारने के बाद की तो तयम्मुम न होगा। दिल में तयम्मुम का इरादा फ़र्ज़ है और साथ ही जबान से भी कह लेना बेहतर हैं। मसलन यूं कहे कि तयम्मुम करता हूं बे गुस्ल या बे वज़ू की नापाकी दूर होने और नमाज़ जाएज़ होने के लिये और बिस्मिल्लाह कह कर मिट्टी पर हाथ मारे। दूसरा फ़र्ज सारे मुंह पर हाथ फेरना कि बाल बराबर कोई जगह बाक़ी न रह जाये नहीं तो तयम्मुम न होगा। तीसरा फ़र्ज़ दोनों हाथ का कुहनियों तक कुहनियों समेत मसह करना अगर जर्रह बराबर भी कोई जगह छूट गई तो तयम्मुम न होगा।

मसला—दाढ़ी मूंछ और भवों के बालों पर हाथ फेरना ज़रुरी है।

मसला—मुंह की यहां भी वही हद है जो वज़ू में है लेकिन मुंह के अन्दर तयम्मुम नहीं किया जाता अलबत्ता दोनों होंठ पर जितना मुंह बन्द करने के बाद खुला रहता है मसह ज़रुरी है।

मसला—हाथ झाड़ने में ताली न बजे बल्कि इसकी सूरत यह है कि अंगूठे से अंगूठा टकराये ज़ाएद गर्द झड़ जायेगी।

मसला—अगर उंगलियों में गर्द न पहुंची तो ख़ेलाल करना फ़र्ज़ है नहीं तो सुन्नत और इसी तरह दाढ़ी में भी।

मसला—अगर एक ही तयम्मुम में वज़ू और गुस्ल दोनों की नीयत कर ली जब भी काफ़ी है दोनों का हो जायेगा।

मसला—ग़ुस्ल और वज़ू दोनों का तयम्मुम एक ही तरह होता है।

किस चीज़ से तयम्मुम जाएज़ है और किस से नहीं

तयम्मुम उसी चीज़ से हो सकता है जो जिन्से ज़मीन से हो और जो चीज ज़मीन की जिन्स से नहीं उससे तयम्मुम नहीं हो सकता।

मसला—जो चीज़ आग से जल कर न राख होती है न पिघलती है न नर्म होती है वह ज़मीन की जिन्स से है उससे तयम्मुम जाएज़ है लेहाज़ा मिट्टी, गर्द, रेत, बालू, चूना, सुरमा, हरताल, गन्धक, मुरदा सन्ग, गेरु, पत्थर, ज़बरजद, फ़िरोज़ा, अक़ीक़, ज़मुर्रद वग़ैरह जवाहर से तयम्मुम जाएज़ है अगरचे उनपर गुबार न हो।

मसला—जिस मिट्टी से तयम्मुम किया जाये उसका पाक होना ज़रूरी है यानी न उसपर किसी नजासत का असर हो न यह हो कि महज़ खुश्क होने से असरे नजासत जाता रहा हो।

मसला—जिस चीज़ पर नजासत गिरी और सूख गई उससे तयम्मुम नहीं होगा अगरचे नजासत का असर बाकी न हो अलबत्ता नमाज़ उसपर पढ़ सकते हैं।

मसला—यह वहम कि कभी नजिस हुई होगी फ़ुज़ूल है। इसका एतबार नहीं।

मसला—राख से तयम्मुम जाएज़ नहीं।

मसला—अगर ख़ाक में राख मिल जाये और ख़ाक ज़्यादा हो तो तयम्मुम जाएज़ है नहीं तो नहीं।

मसला—भीगी मिट्टी से तयम्मुम जाएज़ है जबकि मिट्टी गालिब हो।

मसला—अगर किसी लकड़ी या कपड़े वग़ैरह पर इतनी गर्द है कि हाथ मारने से उंगलियों का निशान बन जाये तो इसपर तयम्मुम जाएज़ है।

मसला—गच की दीवार पर तयम्मुम जाएज़ है।

मसला—पक्की ईंट से तयम्मुम जाएज़ है।

मसला—जमीन या पत्थर जल कर सेयाह हो जाये इससे तयम्मुम जाएज़ है यूंही अगर पत्थर जल कर राख हो जाये इससे भी जाएज़ है।

तयम्मुम तोड़ने वाली चीज़ें

जिन चीज़ों से वज़ू टूटता है या गुस्ल वाजिब होता है उनसे तयम्मुम भी जाता रहेगा और अलावा उनके पानी पर कुदरत होने से भी तयम्मुम टूट जायेगा।

मसला—किसी ऐसे मोक़ाम पर गुज़रा कि पानी एक मील के अन्दर था तयम्मुम टूट गया पानी तक पहुंचना ज़रुरी नहीं अलबत्ता सोने की हालत में पानी पर गुज़रने से न टूटेगा।

मसला—मरीज़ ने गुस्ल का तयम्मुम किया था और अब इतना तन्दुरुस्त हो गया कि नहाना नुक़सान न करेगा तो तयम्मुम जाता रहा।

मसला—इतना पानी मिला कि आज़ा वज़ू सिर्फ एक बार धो सकता है तो तयम्मुम जाता रहा और इससे कम तो नही यूंही गुस्ल के तयम्मुम करने वाले को इतना पानी मिला कि गुस्ल के फ़राएज़ को भी काफ़ी नहीं तो तयम्मुम न गया वरना तयम्मुम जाता रहा।

मसला—किसी ने गुस्ल और वज़ू दोनों के लिये एक ही तयम्मुम किया था फिर वज़ू तोड़ने वाली कोई चीज़ पाई गई या इतना पानी पाया जिससे

सिर्फ वज़ू कर सकता है या बीमार था और अब तन्दुरुस्त हो गया कि वज़ू नुक़सान न करेगा और गुस्ल से ज़रर होगा तो सिर्फ़ वज़ू के हक़ में तयम्मुम जाता रहा गुस्ल के हक़ में बाक़ी है।

ख़ुफ़ यानी मोज़े पर मसह का बयान

जो शख्स मोज़ह पहने हुए हो वह अगर वज़ू में बजाय पांव धोने के मोज़ों पर मसह करे तो जाएज़ है।

मसला—जिस पर गुस्ल फ़र्ज़ है वह मोज़ों पर मसह नहीं कर सकता।

मसला—मसह करने के लिये चन्द शर्तें हैं।

(१)मोज़े ऐसे हों कि टखने छुप जायें इससे ज़्यादा होने की ज़रुरत नहीं और अगर दो एक अंगुल कम हो जब भी मसह दुरुस्त है एड़ी न खुली हो।

(२)पांव से चिपटा हो कि उसको पहन कर आसानी के साथ खुब चल फिर सकें।

(३)चमड़े का हो या सिर्फ़ तला चमड़े का हो और बाक़ी हिस्सा किसी और दबीज़ चीज़ का जैसे किरमिच वग़ैरह।

मसला—हिन्दुस्तान में जो उमूमन सूती या ऊनी मोजे पहने जाते हैं उनपर मसह जाएज़ नहीं उतार कर पॉव धोना फर्ज़ है।

(४) वज़ू करके पहना हो यानी अगर मोज़ा बे वज़ू पहना था तो मसह नहीं कर सकता।

मसला—तयम्मुम करके मोज़े पहने गये तो मसह जाएज़ नहीं।

(५)न हालते जनाबत में पहना हो न बाद पहनने के जुनुब हुआ हो।

(६)मुद्दत के अन्दर हो और उसकी मुद्दत मुक़ीम के लिये एक दिन रात है और मुसाफ़िर के वास्ते तीन दिन रात।

मसला—मोजा पहनने के बाद पहली मर्तबा जो हदस हुआ उस वक़्त से इस मुद्दत का शुमार होगा मसलन सुबह के वक़्त मोजा पहना और ज़ोहर के वक़्त पहली बार हदस हुआ तो मुक़ीम दूसरे दिन के ज़ोहर तक मसह करे और मुसाफ़िर चौथे दिन की ज़ोहर तक।

(७)कोई मोजा पांव की छोटी तीन उंगलियों के बराबर फटा न हो यानी चलने में तीन अंगुल बदन ज़ाहिर न होता हो।

मसला—मोजा फट गया या सीवन खुल गई और वैसे पहने रहने की हालत में तीन अंगुल पांव ज़ाहिर नहीं होता मगर चलने में तीन अंगुल दिखाई देता है तो मसह जाएज़ नहीं यानी फटे मोजे में तीन अंगुल से कम पॉव खुले तो मसह जाएज़ है और तीन अंगुल या उससे ज़्यादा खुले तो जाएज नहीं।

मसला—टखने के ऊपर मोजा चाहे कितना ही फटा हो कुछ हर्ज नहीं मसह हो सकता है फटने का एतबार टखने से नीचे के हिस्सों में है।

मसह का तरीक़ा

यह है कि हाथ तर करके दाहिने की तीन उंगलियां पांव के मोज़े की पीठ के सिरे पर रख कर पिन्डली की तरफ खींचें कम से कम तीन अंगुल खींचें और सुन्नत यह है कि पिन्डली तक पहुंचायें और बायें हाथ से बायें पैर पर इसी तरह करें।

मसला—मसह में फ़र्ज दो हैं।

(१)हर मोज़े का मसह हाथ की छोटी तीन उंगलियों के बराबर होना।

(२)मसह मोज़े की पीठ पर होना।

मसला—मसह में सुन्नत तीन बातें हैं।

(१)हाथ को पूरी तीन उंगलियों के पेट से मसह करना।

(२)उंगलियों को खींच कर पिन्डली तक ले जाना।
(३)मसह करते वक़्त उंगलियों को खुली रखना।

मसला—अंग्रेज़ी जुते बूट पर मसह जाएज़ है अगर टखने उससे छुपे हों।

मसला— अमामा, बुर्क़ा, नेक़ाब और दस्ताना पर मसह जायज़ नही

मसह जिन चीज़ों से टुटता है

वह यह हैं (१)जिन चीज़ों से वज़ू टूटता है उनसे मसह भी जाता रहता है।

(२) मसह की मुद्दत पूरी हो जाने से मसह जाता रहता है और उस सूरत में सिर्फ़ पॉव धो लेना काफ़ी है फिर से पूरा वज़ू करने की ज़रुरत नहीं बेहतर यह है कि पूरा वज़ू कर लें।

(३) मोज़ा उतार देने से मसह टूट जाता है चाहे एक ही उतारा हो।

मसला— वज़ू की जगहों में फटन हो या फुड़िया या और कोई बीमारी हो और पानी बहाना नुक़सान करता हो या सख़्त तकलीफ़ होती हो तो भीगा हाथ फेर लेना काफ़ी है और अगर यह भी नुक़सान करता हो तो इसपर कपड़ा डाल कर कपड़े पर मसह करे और जो यह भी मुज़िर हो तो मोआफ़ है और अगर इसमें कोई दवा भर ली तो इसका निकालना ज़रुरी नहीं इस पर से पानी बहा देना काफ़ी है।

हैज़ का बयान

मसला—बालिग़ा औरत के आगे के मोक़ाम से जो ख़ून आदी तौर पर निकलता है और बीमारी या बच्चा पैदा होने की वजह से न हो उसे हैज़ कहते हैं और बीमारी से हो तो इस्तेहाज़ा और बच्चा होने के बाद हो तो नेफ़ास कहते हैं।

मसला–हैज़ की मुद्दत कम से कम तीन दिन तीन रातें हैं यानी पूरे बहत्तर धन्टे, एक मिनट भी अगर कम है तो हैज़ नहीं और ज़्यादा से ज़्यादा दस दिन दस रातें हैं।

मसला–बहत्तर धन्टे से जरा भी पहले ख़त्म हो जाये तो हैज़ नहीं बल्कि इस्तेहाज़ा है, हां अगर सुबह को किरन चमकते ही शुरु हुआ और तीन दिन तीन रातें पूरी होकर किरन चमकने ही के वक़्त ख़त्म हुआ तो हैज़ है और इस सूरत में वहत्तर धन्टा पूरा होना जरुरी नहीं अलबत्ता किसी और वक़्त शुरु हो तो धन्टों ही से शुमार होगा और चौबीस धन्टा का एक दिन रात लिया जायेगा।

मसला–दस रात दिन से कुछ भी ज़्यादा ख़ून आया तो अगर यह हैज़ पहली मर्तबा उसे आया है तो दस दिन तक हैज़ है बाद का इस्तेहाज़ा और अगर पहले उसे हैज़ आ चुके हैं और आदत दस दिन से कम की थी तो आदत से जितना ज़्यादा हुआ इस्तेहाजा है। उसे यूं समझो कि पांच दिन की आदत थी अब आया दस दिन तो कुल हैज है और बारह दिन आया तो पांच दिन हैज़ के बाक़ी सात दिन इस्तेहाजा के और अगर एक हालत मोक़र्रर न थी बल्कि कभी चार दिन आया कभी पॉच दिन आया तो पिछली बार जितने दिन आया उतने ही दिन हैज़ के समझे जायें बाक़ी इस्तेहाज़ा हैं।

मसला–यह जरुरी नहीं कि मुद्दत में हर वक़्त ख़ून जारी रहे जभी हैज़ हो बल्कि अगर बाज़ बाज़ वक़्त आये जब भी हैज़ है।

मसला–कम से कम नौ बरस की उम्र से हैज़ शुरु होगा और इन्तेहाई उम्र हैज़ आने की पचपन साल की उम्र है। इस उम्र वाली को आयसा और इस उम्र को सिने अयास कहते हैं।

मसला–नौ बरस की उम्र से पहले जो ख़ून आया वह इस्तेहाज़ा है। यूंही पचपन साल की उम्र के बाद जो ख़ून आये वह इस्तेहाज़ा है। अलबत्ता अगर पचपन बरस की उम्र के बाद ख़ालिस ख़ून आये या जैसा पहले आता था असी रंग का आया तो हैज़ है।

मसला—हमल वाली को जो ख़ून आया इस्तेहाज़ा है यूं ही बच्चा होते वक़्त जो ख़ून आया और अभी बच्चा आधे से ज़्यादा बाहर नहीं निकला तो वह इस्तेहाज़ा है।

मसला—दो हैज़ो कें दरमेयान कम से कम पूरे पन्द्रह दिन का फ़ासला जरुरी है। यूंही नेफ़ास व हैज़ के दरमेयान भी पन्द्रह दिन का फ़ासला ज़रुरी है तो अगर नेफ़ास ख़त्म होने के बाद पन्द्रह दिन पूरे न हुए थे कि ख़ून आया तो यह इस्तेहाज़ा है।

मसला—हैज़ उस वक़्त शुमार किया जायेगा जबकि ख़ून फर्जे ख़ारिज में आ गया तो अगर कोई कपड़ा रख लिया है जिसकी वजह से ख़ून फर्जे ख़ारिज में नहीं आया दाख़िल ही में रुका रहा तो जब तक कपड़ा न निकालेगी हैज़ वाली न होगी नमाज़ें पढ़ेगी रोज़ा रक्खेगी।

मसला—हैज़ के छ: रंग हैं स्याह, सुर्ख़, सब्ज़, ज़र्द, गदला, मटीला। सफ़ेद रंग की रुतूबत हैज़ नहीं।

मसला—दस दिन के अन्दर रुतूबत में ज़रा भी मैलापन है तो वह हैज़ है और अगर दस दिन रात के बाद भी मैलापन बाक़ी है तो आदत वाली के लिये जो दिन आदत के हैं उतने दिन हैज़ के और आदत के बाद वाले इस्तेहाज़ा और अगर कुछ आदत नहीं तो दस दिन रात तक हैज़ बाक़ी इस्तेहाज़ा।

मसला—जिस औरत को उम्र भर ख़ून आया ही नहीं या आया मगर तीन दिन से कम आया तो उम्र भर वह पाक ही रही और अगर एक बार तीन दिन रात ख़ून आया फिर कभी न आया तो वह फ़क़त तीन दिन रात हैज़ के हैं बाक़ी हमेशा के लिये पाक।

नेफ़ास का बयान

नेफ़ास यानी वह ख़ून जो बच्चा जनने के बाद आता है इसकी कमी

की जानिब कोई मुद्दत मोक़र्रर नहीं आधे से ज़्यादा बच्चा निकलने के बाद एक आन भी खून आया तो वह नेफास है और ज्यादा से ज़्यादा नेफ़ास का ज़माना चालीस दिन रात है।

मसला—नेफ़ास का शुमार उस वक़्त से होगा जब कि आधे से ज़्यादा बच्चा निकल आया

तम्बीह—इस बयान में जहाँ बच्चा होने का लफ़्ज आयेगा इसका मतलब आधे से ज़्यादा बच्चा बाहर आ जाना है।

मसला—किसी को चालीस दिन से ज्यादा खून आया तो अगर उसके पहली बार बच्चा पैदा हुआ है या यह याद नहीं कि इससे पहले बच्चा पैदा होने में कितने दिन खून आया था तो दोनों सूरतों में चालीस दिन रात नेफ़ास है बाक़ी इस्तेहाजा और जो पहली आदत मालूम है तो आदत के दिनों तक नेफ़ास है और जितना ज़्यादा दिन आया वह इस्तेहाज़ा है जैसे आदत तीस दिन की थी इस बार पैंतालिस दिन आया तो तीस दिन नेफास के और पन्द्रह इस्तेहाज़ा के हैं।

मसला—बच्चा पैदा होने से पहले जो खून आया वह नेफ़ास नहीं बल्कि इस्तेहाज़ा है अगरचे बच्चा आधा बाहर आ गया हो।

मसला—हमल साकित होने से पहले कुछ खून आया कुछ बाद को तो पहले वाला इस्तेहाज़ा है बाद वाला नेफ़ास है लेकिन यह इस सूरत मे है जब कोई अज़ो बन चुका हो वरना पहले वाला अगर हैज़ हो सकता है तो हैज़ है। नहीं तो इस्तेहहज़ा।

मसला—चालीस दिन के अन्दर कभी खून आया कभी नहीं तो सब नेफ़ास ही है अगरचे पन्द्रह दिन का फासला हो जाये।

मसला—इसके रंग के बारे में वही एहकाम है। जो हैज़ में बयान हूए।

हैज़ व नेफ़ास के एहकाम।

मसला—हैज़ व नेफ़ास की हालत में नमाज़ पढ़ना रोजा रखना हराम है।

मसला—इन दिनों में नमाजें माफ है इनकी क़ज़ा भी नहीं। अलबत्ता रोजों की क़ज़ा और दिनों में रखना फ़र्ज़ है।

मसला—नमाज़ के वक़्त में वज़ू करके इतनी देर तक ज़िक्रे एलाही, दरूद शरीफ और दूसरे वजीफ़े पढ लिया करे जितनी देर नमाज पढा करती थी ताकि आदत रहे।

मसला—हैज व नेफ़ास वाली को क़ुरआन मजीद पढना देखकर हो या ज़बानी और उसका छूना अगरचे जिल्द या चोली या हाशिया को अगुंली की नोक या बदन का कोई हिस्सा लगे यह सब हराम है।

मसला—कागज के परचा पर कोई आयत लिखी हो उसका छूना भी हराम है।

मसला—क़ुरआन मजीद जुजदान में हो तो उस जुजदान के छूने में हर्ज नहीं।

मसला—इस हालत में क़ुरआन मजीद और दीनी किताबों के छूने के सब एहकाम वही हैं जो बे गुस्ल वाले के है जिसका बयान गुस्ल में गुज़रा।

मसला—मोअल्लिमा को हैज व नेफ़ास हो तो एक एक कलमा सॉस तोड़ तोड़ कर पढा दे और हिज्जे कराने में कोई हर्ज नहीं।

मसला— इस हालत में दुआये कुनूत पढ़ना मकरुह है.

मसला—क़ुरआन मजीद के अलावह और तमाम अज़कार कलमा शरीफ, दरूद शरीफ वगैरह पढना बिला कराहत जाएज़ है बल्कि मुस्तहब है वज़ू या कुली करके पढना बेहतर है और वैसे भी हर्ज नहीं और इनके छूने में भी हर्ज नहीं।

मसला—जेमाअ इस हालत में हराम है अलबत्ता लेटने बैठने साथ खाने पीने और बोसा लेने में हर्ज नहीं।

इस्तेहाज़ा का बयान

वह खून जो औरत के आगे के मोक़ाम से निकले और हैज़ व नेफ़ास

का न हो वह इस्तेहाज़ा है।

मसला—इस्तेहाज़ा में न नमाज़ माफ़ है न रोज़ा माफ़ है न ऐसी औरत से जेमाअ हराम है ।

मसला—इस्तेहाजा अगर इस हद तक पहुंच गया कि इसको इतनी मोहलत नहीं मिलती कि वज़ू करके फ़र्ज़ नमाज़ अदा कर सके तो नमाज़ का पूरा एक वक़्त शुरु से आख़ीर तक इसी हालत में गुज़र जाने पर उसको माज़ूर कहा जायेगा। एक वज़ू से उस वक़्त में जितनी नमाज़ें चाहे पढ़े । खून आने से इस एक पूरे वक़्त के अन्दर तक वज़ू न जायेगा।

मसला—अगर कपड़ा वगैरह रख कर इतनी देर खून रोक सकती है कि वज़ू करके नमाज़ पढ़ ले तो माज़ूर नहीं।

माज़ूर का बयान

मसला—हर वह शख़्स जिसको कोई ऐसी बीमारी हो कि एक वक़्त पूरा ऐसा गुज़र गया कि वज़ू के साथ नमाज़ फ़र्ज़ अदा न कर सका वह माज़ूर है यानी पूरे वक़्त में इतनी देर भी बीमारी नहीं रुकी कि वज़ू के साथ फ़र्ज़ अदा कर सके। माज़ूर का हुक्म यह हैकि वक़्त में वज़ू कर ले और आख़ीर वक़्त तक जितनी नमाज़े चाहे उस वज़ू से पढ़े उस बीमारी से उसका वज़ू नही जाता जैसे क़तरे की बीमारी या दस्त या हवा ख़ारिज होना या दुखती आंख से पानी गिरना या फोडे या नासूर से हर वक़्त रतूबत बहना या कान, नाफ़, पिस्तान से पानी निकलना कि यह सब बीमारियाँ वज़ू तोड़ने वाली है इनमें जब पूरा एक वक़्त ऐसा गुज़र गया कि हर चन्द कोशिश की मगर तहारत के साथ नमाज़ न पढ़ सका तो उज़्र साबित हो गया जब उज़्र साबित हो गया तो जब तक हर नमाज़ के वक़्त में एक एक बार भी वह चीज पाई जायेगी माज़ूर ही रहेगा। मसलन औरत को नमाज़ का एक पूरा वक़्त ऐसा गुज़र गया जिसमें इस्तेहाज़ा ने इतनी मोहलत नहीं दी कि तहारत करके

फ़र्ज पढ़ लेती और दूसरे वक़्त में इतनी मोहलत मिलती है कि वज़ू करके नमाज़ पढ़ ले मगर अब इस दूसरी नमाज़ के वक़्त में भी एक आध दफा खून आ जाता है तो अब भी माज़ूर है यानी उज़्र साबित होने के बाद यह ज़रूरी नहीं है कि आइन्दा हर वक़्त में कसरत से बार-बार वज़ू तोड़ने वाली चीज़ पाई जाये। उज़्र साबित होने के लिये कसरत व तकरार दरकार है। लेकिन इतनी कसरत कि एक फ़र्ज भी वज़ू के साथ अदा न हो सके बाद की हर नमाज़ के वक़्त में इतनी कसरत ज़रूरी नहीं बल्कि एक बार भी काफी है।

मसला—फ़र्ज़ नमाज़ों का वक़्त गुज़र जाने से माज़ूर का वज़ू जाता रहता है जैसे किसी माज़ूर ने असर के वक़्त वज़ू किया था तो सूरज डूबते ही वज़ू जाता रहा और किसी ने सूरज निकलने के बाद वज़ू किया तो जब तक ज़ोहर का वक्त ख़त्म न हो वज़ू न जायेगा कि अभी तक किसी फ़र्ज़ नमाज़ का वक़्त नहीं गया।

मसला—माज़ूर का वज़ू उस चीज़ से नहीं जाता जिसके सबब से माज़ूर है। हां अगर कोई दूसरी चीज़ वज़ू तोड़ने वाली पाई गई तो वज़ू जाता रहा मसलन जिसको क़तरे का मर्ज़ है हवा निकलने से उसका वज़ू जाता रहेगा। जिसको हवा निकलने का मर्ज़ है उसका क़तरा निकलने से वज़ू जाता रहेगा।

मसला—अगर किसी तरकीब से उज़्र जाता रहे या उसमें कमी हो जाये तो उस तरकीब का करना फ़र्ज़ है मसलन खड़े होकर पढ़ने से खून बहता है और बैठ कर पढ़े तो न बहेगा तो बैठ कर पढ़ना फ़र्ज़ है।

मसला—माज़ूर को ऐसा उज़्र है जिसके सबब से कपड़े नजिस हो जाते हैं तो अगर एक दरहम से ज्यादा नजिस हो गया और जानता है कि इतना मौक़ा है कि उसे धोकर पाक कपड़ो से नमाज़ पढ़ लूंगा तो धोकर नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है और अगर जानता है कि नमाज़ पढ़ते-पढ़ते फिर इतना ही नजिस हो जायेगा तो धोना ज़रूरी नहीं इसी से पढ़े अगरचे जानमाज भी

आलूदह हो जाये कुछ हर्ज नही और अगर दरहम के बराबर है और धोकर पढ़ने का मौका है कि नमाज़ पढ़ते पढ़ते फिर उतना ही नजिस न हो जायगा तो धोना वाजिब है और दरहम से कम है और मौक़ा है तो धोना सुन्नत और अगर मौका नही तो हर सूरत में माफ़ है.

मसला—किसी ज़ख्म स ऐसी रुतूबत निकले कि बहे नहीं तो न उसकी वजह से वज़ू टूटे न माज़ूर हो न वह रुतूबत नापाक है।

नजिस चीज़ों के पाक करने का तरीक़ा

नजिस की दो किस्में हैं—पहली किस्म ऐसी चीजें हैं कि वह खुद नजिस हैं जिनको नापाकी और नजासत कहते हैं जैसे शराब, पाखाना, गोबर ऐसी चीज़ें जब तक अपनी असल को छोड़कर कुछ और न हो जायें पाक नहीं हो सकतीं शराब जब तक शराब है नजिस ही रहेगी और अगर सिरका हो जाये तो अब पाक है या उपला जब तक राख न हो जाये नापाक है जब राख हो गया तो यह राख पाक है। दूसरी क़िस्म ऐसी चीजें हैं जो खुद तो नजिस नहीं लेकिन नजासत के लगने से नापाक हो गई जैसे कपड़े पर शराब लग गई तो अब कपड़ा नजिस हो गया ऐसी चीज़ों के पाक करने के कई तरीके हैं बाज़ धोने से पाक होंगी, बाज़ सूखने से रगड़ने पोंछने से, बाज़ जलजाने से पाक होंगी, बाज दबागत व ज़िबह से पाक होंगी।

मसला—पाक पानी और हर पाक पतली बहने वाली चीज जिससे नजासत दूर हो सके उससे नापाक चीज़ों को पाक कर सकते हैं। जैसे सिरका, गुलाब, चाय, केले का पानी वगैरह।

मसला—माए मुस्तअमल यानी वज़ू व गुस्ल के पाक धोअन से भी धोकर पाक कर सकते हैं।

मसला—थूक से अगर नजासत दूर हो जाये तो इससे भी चीज पाक हो जायेगी। जैसे बच्चे ने दूध पीकर पिस्तान पर क़ै की फिर कई बार दूध पिया यहां तक कि क़ै का असर जाता रहा तो पिस्तान पाक हो गया।

मसला—शोरबा, दूध, तेल से धोने से पाक न होगा इसलिये कि इन सबसे नजासत दूर न होगी।

मसला—नजासत अगर दलदार है जैसे पाखाना, गोबर, खून वग़ैरह तो धोने में कोई गिननती की शर्त नहीं बल्कि उसको दूर करना ज़रूरी है। अगर एक बार धेने से दूर हो जाये तो एक ही बार धोने से पाक हो जायेगा और अगर चार पॉच मर्तबा धोने से दूर हो तो चार पांच मर्तबा धोना पड़ेगा हां अगर तीन मर्तबा से कम में नजासत दूर हो जाये तो तीन बार पूरा कर लेना मुस्तहब हैं।

मसला—अगर नजासत दूर हो गई मगर उसका कुछ असर या रंग या बु बाकी है तो उसे भी दूर करना लाज़िम है हॉ अगर उसका असर मुश्किल से जाये तो असर दूर करने की ज़रूरत नहीं तीन मर्तबा धो लिया पाक हो गया साबुन या खटाई या गर्म पानी से धेने की ज़रूरत नहीं।

मसला—कपड़े या हाथ पर नजिस रंग लगाया या नापाक मेंहदी लगाई तो इतनी मर्तबा धोयें कि साफ़ पानी गिरने लगे पाक होजायेगा अगरचे कपड़े या हाथ पर रंग बाक़ी हो।

मसला—ज़ाफ़रान या कोई रंग कपड़ा रंगने के लिये घोला था उसमें किसी बच्चे ने पेशाब कर दिया या और कोई नजासत पड़ गई तो उससे अगर कपड़ा रंगलिया तो तीन बार धो डालें पाक हो जायेगा ;

मसला—कपड़े या बदन पर नापाक तेल लगा था तीन मर्तबा धो लेने से पाक हो जायेगा। अगरचे तेल की चिक़नाई मौजूद हो इस तकल्लुफ़ की जरूरत नहीं कि साबुन या गर्म पानी से धोयें लेकिन अगर मुरदार की चर्बी लगी थी तो जब तक उसकी चिकनाई न जाये पाक न होगा।

मसला—अगर छुरी में खून लग गया या सिरी में खून भर गया और उसे आग में डाल दिया यहां तक कि खून जल गया तो छुरी और सिरी पाक हो गई ।

मसला—नजासत अगर पतली है तो तीन मर्तबा धोने और तीनों मर्तबा

अच्छी तरह निचोड़ने से पाक होगा। अच्छी तरह निचोड़ने का यह मतलब है कि हर शख़्स अपनी ताक़त भर इस तरह निचोड़े कि अगर फिर निचोड़े तो उससे कोई क़तरा न टपके । अगर कपड़े का ख़्याल कर के अच्छी तरह नहीं निचोड़ा तो पाक न होगा।

मसला—अगर धोने वाले ने अच्छी तरह निचोड़लिया मगर अभी ऐसा है कि अगर कोई दूसरा शख़्स जो ताकत में उससे ज़्यादा है वह निचोड़े तो दो एक बूंद टपक सकती है तो उसके हक में पाक और उस दूसरे के हक में नापाक है उस दूसरे की ताकत का एतबार नहीं हां अगर यह धोता और इतना ही निचोड़ता तो पाक न होता ।

मसला—पहली और दूसरी मर्तबा निचोड़ने के बाद हाथ पाक कर लेना बेहतर है और तीसरी बार निचोड़ने से कपड़ा भी पाक हो गया और हाथ भी और जो कपड़े में इतनी तरी रह गई हो कि निचोड़ने से एक आध बुंद टपके तो कपड़ा और हाथ दोनों नापाक हैं।

मसला—पहली या दूसरी बार हाथ पाक नहीं किया और उसकी तरी से कपड़े का पाक हिस्सा भीग गया तो यह भी नापाक हो गया फिर अगर पहली बार निचोड़ने के बाद भीगा है तो उसे दो मर्तबा धोना चाहिये और दूसरी मर्तबा निचोड़ने के बाद हाथ की तरी से भीगा है तो एक मर्तबा धोया जाये यूंही अगर कपड़े से जो एक मर्तबा धो कर निचोड़ लिया गया है कोई पाक कपड़ा भीग जाये तो यह दो बार धोया जाये और अगर दूसरी मर्तबा निचोड़ने के बाद इससे वह पाक कपड़ा भीगा तो एक बार धोने से पाक हो जयेगा।

मसला—कपड़े को तीन मर्तबा धोकर हर मर्तबा खूब निचो लिया है कि अब निचोड़नेसेनटपकेगा फिर उसको लटका दिया और उससे पानी टपका तो यह पानी पाक है और अगर खूब नहीं निचोड़ा था तो यह पानी नापाक है।

मसला—दूध पीते लड़के और लड़की का एक ही हुक्म है यानी उनका

पेशाब कपड़ या बदन पर लगा तो तीन बार धोना और निचोड़ना पड़ेगा तब पाक होगा।

मसला—जो चीज़ निचोड़ने के काबिल नहीं जैसे चटाई, जूता, बरतन वग़ैरह उसको धोकर छोड़ दें कि पानी टपकना बन्द हो जाये यूंही दो बार और धोयें तीसरी मर्तबा जब पानी टपकना बन्द हो गया वह चीज़ पाक हो गई। इसी तरह जो कपड़ा अपनी नाज़ुकी के सबब से निचोड़ने के काबिल नहीं उसे भी यूंही पाक किया जाये।

मसला—अगर ऐसी चीज़ हो कि उसमें नजासत जज़्ब न हुई जैसे चीनी के बरतन या मिट्टी का पुराना इस्तेमाली चिकना बरतन या लोहे तांबे पीतल वग़ैरह धातों की चीज़ें तो उसे फ़क़त तीन बार धो लेना काफ़ी है इसकी भी ज़रूरत नहीं कि उसे इतनी देर तक छोड़ें कि पानी टपकना मौकूफ़ हो जाये।

मसला—नापाक बरतन को मिट्टी से मांज लेना बेहतर है।

मसला—पकाया हुआ चमड़ा नापाक हो गया तो अगर उसे निचोड़ सकते हैं तो निचोड़ें वरना तीन मर्तबा धोयें और हर मर्तबा इतनी देर तक छोड़ दें कि पानी टपकना बन्द हो जाये।

मसला—लोहे की चीज़ जैसे छुरी, चाकू, तलवार वग़ैरह जिसमें न ज़ंग हो न नक़्श व निगार हो अगर वह नजिस हो जाये तो अच्छी तरह पोंछ डालने से पाक हो जायेगी और इस सूरत में नजासत के दलदार या पतली होने में कुछ फ़र्क़ नहीं यूंही चॉदी, सोने , पीतल , गिलट और हर किस्म की धातु की चीज़ें पोछने से पाक हो जाती हैं बशर्ते कि नक़्शी न हों और अगर नक़्शी हों या लोहे में ज़ंग हो तो धोना ज़रूरी है पोछने से पाक न होगी।

मसला—आइना और शीशे की तमाम चीज़ें और चीनी के बर्तन या मिट्टी के रोग़नी बर्तन या पालिश की हुई लकड़ी गर्ज़ वह तमाम चीज़ें जिनमें मसाम न हो कपड़े या पत्ती से इस कदर पोंछ लिये जायें कि असर बिल्कुल

जाता रहे तो पाक हो जाती हैं।

मसला—नापाक ज़मीन अगर खुश्क हो जाये और नजासत का असर यानी रंग और बू जाता रहे तो पाक हो गई मगर उससे तयम्मुम करना जाएज़ नहीं नमाज़ उसपर पढ़ सकते हैं।

मसला—जो चीज़ सूखने या रगड़ने वग़ैरह से पाक हो गई उसके बाद भीग गई तो नापाक न होगी।

मसला—सूअर के सिवा हर मुरदार जानवर की खाल बनाने से पाक हो जाती है चाहे उसको खारी नमक वग़ैरह किसी दवा से पक्की कर ली हो या फ़कत धूप या हवा या धूल में सुखा लिया हो कि उसकी तमाम तरी मिट कर बदबू जाती रही हो तो दोनो सूरतों में पाक हो जायेगी उसपर नमाज़ दुरूस्त है।

मसला—सूअर के सिवा हर जानवर हलाल हो या हराम जबकि ज़िबह के क़ाबिल हो और बिस्मिल्लाह कह कर ज़िबह किया गया तो उसका गोश्त और खाल पाक है कि नमाज़ी के पास अगर वह गोश्त है या उसकी खाल पर नमाज़ पढ़ी तो नमाज हो जायेगी मगर हराम जानवर ज़िबह से हलाल न हो जायेगा बल्कि हराम ही रहेगा पाक होना और बात है हराम होना और बात है देखो मिट्टी पाक है बल्कि पाक करने वाली है लेकिन हद्दे ज़रर तक मिट्टी खाना हराम है।

मसला—राँगा, सीसा पिघलाने से पाक हो जाता है।

मसला—शहद नापाक हो जाये तो उसके पाक करने का तरीका यह है कि उससे ज़्यादा पानी उसमें डालकर इतना पकायें कि सब पानी जल जाये और जितना शहद था उतना रह जाये तीन मर्तबा इसी तरह पकायें तो शहद पाक हो जायेगा। इसी तरकीब से नजिस तेल भी पाक कर लें तेल पाक करने का एक और तरीका यह भी है कि जितना तेल हो उतना ही उसमे पानी डाल कर खूब हिलायें फिर ऊपर से तेल निकाल लें और पानी फेंक दें। इसी तरह तीन बार करें तेल पाक हो जायेगा। अगर घी

नजिस हो जाये तो पिघला कर इन्हीं तरीक़ों में से किसी तरीक़े से पाक कर लें।

मसला—जो कपड़ा दो तह का हो अगर एक तह उसकी नजिस हो जाये तो अगर दोनों मिला कर सी लिये गये हों तो दूसरी तह पर नमाज़ जाएज़ नहीं अगर सिले न हों तो जाएज़ है।

मसला—लकड़ी का तख़्ता एक रूख़ से नजिस हो गया तो अगर इतना मोटा है कि मोटाई मे चिर सके तो उलट कर उसपर नमाज पढ़ सकते हैं।

मसला—जो ज़मीन गोबर से लीपी गई अगरचे सूख गई हो उस पर नमाज जाएज नहीं हां अगर सूख गई और उसपर कोई मोटा कपड़ा बिछा लिया तो उस कपड़े पर नमाज पढ़ सकते हैं।

मसला—दरख़्त और घास और दीवार और ऐसी ईंट जो ज़मीन में जड़ी है यह सब खुश्क हो जाने से पाक हो गये और अगर ईंट जड़ी हुई न हो तो खुश्क होने से पाक न होगी बल्कि धोना ज़रूरी है यूंही दरख़्त या घास सूखने से पहले काट लें तो तहारत के लिये धोना ज़रूरी है।

इस्तिन्जे का बयान

मसला—पाखाना या पेशाब फिरते वक़्त या तहारत करने में न क़िबला की तरफ़ मुंह हो न पीठ हो। चाहे घर में हो या मैदान में और अगर भूल कर क़िबला की तरफ़ मुंह या पीठ करके बैठ गया तो याद आते ही फ़ौरन रूख़ बदल दे इसमें उम्मीद है कि फ़ौरन उसके लिये मग़फ़िरत फ़रमा दी जाये।

मसला—बच्चे को पाखाना पेशाब फिराने वाले को मकरूह है कि उस बच्चे का मुंह किबला को हो। यह फिराने वाला गुनाहगार होगा।

मसला—पाखाना पेशाब करते वक़्त सूरज और चाँद की तरफ़ न मुंह हो न पीठ यूंही हवा के रूख़ पेशाब करना मना है और हर ऐसी जगह पेशाब

करना मना है जिससे छीटें ऊपर आये।

मसला—नंगे सर पेशाब, पाखाना को जाना मना है और यूंही अपने साथ ऐसी चीज़ ले जाना जिस पर कोई दोआ या अल्लाह व रसूल या किसी बुज़ुर्ग का नाम लिखा हो मना है।

इस्तिन्जे का तरीक़ा

जब पेशाब पाख़ाना को जाये तो मुस्तहब है कि पाख़ाना से बाहर यह पढ़ ले बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी आऊ ज़ोबेका मेनल खुब्से वल ख़बाएस फिर बायाँ पॉव पहले अन्दर रक्खे जब बैठने के क़रीब हो तो कपड़ा बदन से हटाये और ज़रुरत से ज़्यादा बदन न खोले फिर पॉव कुशादा करके बायें पॉव पर ज़ोर देकर बैठे और ख़ामोशी से सर झुकाये फ़रागत हासिल करे जब फरिग़ हो जाये तो मर्द बायें हाथ से अपने आला को जड़ की तरफ से सिरे की तरफ सूते ताकि जो क़तरे रुके हों वह निकल जाये फिर ढेलों से साफ़ करके खड़ा हो जाये और सीधे खड़े होने से पहले बदन छुपा ले और बाहर आ जाये निकलते वक़्त पहले दाहिना पैर बाहर निकाले और निकल कर यह कहे ग़ुफ़रानका अलहमदोलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्नी मा यूज़ीनी व अम्सका अलइया मा यनफ़ओनी। फिर तहारतख़ाने में यह दोआ पढ़ कर जाये बिस्मिल्लाहिल अज़ीमे वबेहम्देही वलहम्दोलिल्लाहे अला दीनिलइस्लामे अल्लाहुम्मजअल्नी मेनत्तव्वाबीना वजअलनी मेनल मुतहहरीनल लज़ीना ला ख़ौफुन अलैहिम वलाहुम यह़ ज़नून। पहले तीन-२ बार हाथ धोयें फिर बैठकर दाहिने हाथ से पानी बहायें और बायें हाथ से धोयें और पानी का लोटा ऊंचा रक्खें ताकि छींटें न पड़े पहले पेशाब का मोकाम धोयें फिर पाख़ाने का मोक़ाम धोयें, धोते वक़्त पाखाना का मोक़ाम सॉस का ज़ोर नीचे को देकर ढीला रक्खे और खूब अच्छी तरह धोयें यहां तक कि धोने के बाद हाथ में बू बाक़ी न

रह जाये फिर किसी पाक कपड़े से पोंछ डाले और अगर कपड़ा न हो तो बार-बार हाथ से पोंछे कि बराये नाम तरी रह जाये और अगर वसवसा का गल्बा हो तो रुमाली पर पानी छिड़क लें फिर इस जगह से बाहर आकर यह दोआ पढ़े। अलहम्दोलिल्लाहिललजी जअलल माआ तहूरौं वल इस्लामा नूरौं व क़ाएदौं व दलीलन एलल्लाहे तआला व एला जन्नातिन्नईमें अल्लाहुम्मा हस्सिन फ़रजी वतहहिर क़लबी व महहिस जुनूबी।

मसला—आगे या पीछे से जब नजासत निकले तो ढेलों से इस्तिन्जा करना सुन्नत है और अगर सिर्फ़ पानी ही से तहारत कर ली तो भी जाएज़ है मगर मुस्तहब यह है कि ढेले लेने के बाद पानी से तहारत करे।

मसला—ढेलों से तहारत उस वक़्त काफी होगी जबकि नजासत से मख़रज के आस पास की जगह एक दरहम से ज़्यादा आलूदा न हो अगर दरहम से ज़्यादा जगह में लग जाये तो धोना फ़र्ज़ है मगर पहले ढेला लेना अब भी सुन्नत रहेगा।

मसला—पाख़ाना के बाद मर्द के लिये ढेलों के इस्तेमाल का मुस्तहब तरीक़ा यह है कि गर्मी के मौसम में पहला ढेला आगे से पीछे को ले जाये और दूसरा ढेला पीछे से आगे की तरफ़ लाये और तीसरा फिर आगे से पीछे को ले जाये और जाड़े के मौसम में पहला ढेला पीछे से आगे की तरफ़ लाये और दूसरा आगे से पीछे और तीसरा पीछे से आगे लाये।

मसला—औरत हर मौसम में पहला ढेला आगे से पीछे ले जाये और दूसरा ढेला पीछे से आगे लाये और तीसरा फिर आगे से पीछे ले जाये।

मसला—अगर तीन ढेलों से पूरी सफ़ाई न हो तो और ढेले यूंही पांच सात नौ वग़ैरह ताक़ अदद।

मसला—पेशाब के बाद जिसको यह ख़्याल हो कि कोई क़तरा बाक़ी रह गया या फिर आयेगा उसपर इस्तिबरा वाजिब है यानी पेशाब के बाद ऐसा काम करना कि क़तरा अगर रुका हो तो गिर जाये, इस्तिबरा टहलने से होता है या ज़मीन पर ज़ोर से पांव मारने से होता है या ऊंची जगह से

नीचे उतरने या नीची जगह से ऊपर चढ़ने से होता है या दाहिने पांव को बायें और बायें को दाहिने पर रख कर ज़ोर देने से होता है या खखारने या बाईं करवट पर लेटने से होता है। इस्तिबरा इतनी देर तक करना चाहिये कि इतमिनान हो जाये कि अब क़तरा न आयेगा। इस्तिबरा का हुक्म मर्दों के लिये है औरत बाद फ़ारिग होने के थोड़ी देर रुकी रहे फिर तहारत कर ले।

मसला—कंकर, पत्थर, फटा हुआ कपड़ा यह सब ढेले के हुक्म में है। इनसे भी साफ़ कर लेना बिला कराहत जाएज़ है।

मसला—कागज़ से इस्तिन्जा मना है चाहे उसपर कुछ लिखा हो या सादा हो।

मसला—मर्द का हाथ बेकार हो तो उसकी बीवी इस्तिन्जा कराये और अगर औरत का हाथ बेकार हो तो शौहर कराये कोई और रिश्तेदार बेटा, बेटी, भाई, बहन इस्तिन्जा नहीं करा सकते बल्कि ऐसी सूरत में माफ है।

मसला—वज़ू के बचे हुए पानी से तहारत न करना चाहिये।

मसला—तहारत के बचे हुये पानी को फेंकना न चाहिये कि यह इसराफ़ है बल्कि किसी और काम में लाये और वज़ू भी कर सकता है।

नमाज़ की दूसरी शर्त सतरे औरत का बयान

यानि नमाज़ी के लिये कम से कम कितना बदन ढका रहना ज़रुरी है।

मसला—मर्द के लिये नाफ़ के नीचे से लेकर घुटनों के नीचे तक औरत (छुपाने की चीज़) है। यानी इतने बदन का छुपाना फ़र्ज़ है नाफ़ का छुपाना फर्ज़ नहीं लेकिन घुटना ढकना फ़र्ज़ है।

मसला—आज़ाद औरतों और खुनसा मुशक्कल के लिये सारा बदन औरत है सिवा मुंह और हथेलियों और पांव के तलुओं के। सर के लटकते हुये बाल और गर्दन और कलाइयां भी औरत हैं इनका छुपाना भी फ़र्ज़ है।

मसला—अगर औरत ने इतना बारीक दुपट्टा जिससे बाल की स्याही चमके ओढ़कर नमाज़ पढ़ी तो नमाज़ न होगी।

मसला—बांदी के लिये सारा पेट और पीठ और दोनों पहलू और नाफ़ से घुटनों तक औरत है।

मसला—जिन आज़ा का छुपाना फ़र्ज़ है उनमें से कोई अज़ो अगर चौथाई से कम खुल गया तो नमाज़ हो जायेगी और अगर चौथाई अज़ो खुल गया और फौरन छुपा लिया जब भी नमाज़ हो गई और अगर ब-क़दर एक रुक्न यानी तीन मर्तबा सुभान अल्लाह कहने के बराबर खुला रहा या क़सदन खोला अगरचे फौरन छुपा लिया नमाज़ जाती रही।

मसला—मर्द में आज़ाये औरत नौ हैं-(१) ज़कर (२) उनसियन दोनों मिलकर एक (३) दुबुर (४-५) हर एक सुरीन एक-एक मुस्तक़िल औरत है (६-७) हर रान अलाहेदा-२ एक औरत है। (८) नाफ़ के नीचे से लेकर अजो तनासुल की जड़ तक और इसके सीधे में पीठ और दोनों करवटों की जानिब से मिलकर एक औरत है। (९) दुबुर व उनसियैन के दरमियान की जगह एक मुस्तक़िल औरत है यह जो नौ आज़ाए औरत गिनाये गये इनमें से हर एक एक अज़ो है यानी एक का चौथाई से कम खुल गया तो नमाज़ हो जायेगी।

मसला—अगर चन्द आज़ा में कुछ कुछ खुला रहा कि हर एक उस अजो की चौथाई से कम है मगर मजमूआ उनका खुले हुये आज़ा में जो सबसे छोटा है उसकी चौथाई के बराबर है तो नमाज़ न होगी मसलन औरत के कान का नवां हिस्सा और पिन्डली का नवां हिस्सा खुला रहा तो मजमूआ इन दोनों का कान की चौथाई के बराबर ज़रूर है लेहाज़ा नमाज़ इस सूरत में न होगी।

मसला—नमाज़ शरु करते वक़्त अगर किसी अज़ो की चौथाई खुली रही यानी उसी हालत पर अल्लाहो अकबर कहा तो नमाज़ शरु न हुई।

मसला—आजाद औरतों के लिये अलावा उन पांच अज़ों केजिनका बयान ऊपर गुज़रा सारा बदन औरत है जिसमें तीस आज़ा शामिल हैं इनमें से जिस अज़ो की चौथाई खुल जाये नमाज़ का वही हुक्म है जो ऊपर बयान हुआ। (१) सर यानी माथे के ऊपर से गर्दन के शुरु तक। (२) बाल जो लटकते हों। (३-४) दोनों कान (५) गर्दन (६-७) दोनों शाना (८-९) दोनों बाज़ू कुहनियों समेत (१०-११) दोनों कलाइयाँ यानी कुहनी के बाद से गट्टों के नीचे तक (१२) सीना यानी गले के जोड़ से दोनों पिस्तान के नीचे तक (१३-१४) दोनों हाथ की पीठ (१५-१६) दोनों पिस्तानें (१७) पेट यानी सीने की हद जो ऊपर ज़िक्र हुई उस हद से लेकर नाफ़ के निचले किनारे तक यानी नाफ़ का भी पेट ही में शुमार है। (१८) पीठ यानी पीछे की जानिब सीने के मोक़ाबिल से कमर तक (१९) दोनों शानों के बीच में जो जगह है बगल के नीचे सीने की निचली हद तक। (२०-२१) दोनों सुरीन (२२) फर्ज (२३) दुबुर (२४-२५) दोनों रानें यानी हर रान चढढे से घुटने तक यानी घुटनों समेत एक अज़ो है घुटना एक अज़ो नहीं। (२६) नाफ़ के नीचे पेडू और उससे मिली जो जगह है और इनके मोक़ाबिल पीठ की तरफ़ सब मिल कर एक औरत है। (२७-२८) दोनों पिन्डलियां टखनों समेत। (२९-३०) दोनों तलुवे बाज़ ओलमा ने हाथ की पीठ और तलवों को औरत में दाखिल नहीं किया।

मसला—औरत का चेहरा अगरचे औरत नहीं लेकिन गैर महरम के सामने मुंह खोलना मना है यूंही गैर महरम को इसका देखना जाएज़ नहीं।

मसला—अगर किसी मर्द के पास सतर के लिये जाएज़ कपड़ा नहीं और रेशमी है तो फ़र्ज़ है कि उसी से सतर करे और उसी में नमाज़ पढ़े अलबत्ता और कपड़े होते हुए मर्द को रेशमी कपड़ा पहनना हराम है और रेशमी कपड़े में नमाज़ मकरुह तहरीमी होती है।

मसला—अगर नंगे शख़्स को चटाई या बिछौना मिल जाये तो उसी से सतर करे नंगा न पढ़े यूंही अगर घास या पत्तियों से सतर कर सकता है तो यही करे।

मसला—किसी के पास बिल्कुल कपड़ा न हो तो बैठकर नमाज़ पढ़े और रुकू व सजदह इशारे से करे चाहे दिन हो या रात घर में हो या मैदान में।

मसला—अगर दूसरे के पास कपड़ा है और गालिब गुमान है कि मांगने से दे देगा तो मॉगना वाजिब है।

मसला—अगर नापाक कपड़े के सिवा कोई और कपड़ा नहीं और पाक करने की कोई सूरत भी नहीं तो नापाक ही कपड़े से सतर करे और नंगा न पढ़े।

मसला—अगर पूरे सतर के लिये कपड़ा नहीं और इतना है कि बाज़ आज़ा का सतर हो जायेगा तो उससे सतर वाजिब है और उस कपड़े से औरते गलीज़ा यानी आगा पीछा छुपाये और इतना हो कि एक ही छुपा सकता है तो एक ही को छुपाये।

मसला—अगर खड़े होकर नमाज़ पढ़ने से चौथाई सतर खुलता है तो बैठ कर पढ़े।

नमाज़ की तीसरी शर्त यानी वक़्त का बयान

फ़ज्र का वक़्त—सुबह सादिक़ से लेकर सूरज की किरन चमकने तक है सुबह सादिक़ एक रौशनी है जो सूरज निकलने से पहले सूरज के ऊपर आसमान के पूरबी किनारों में दिखाई देती है और बढ़ती जाती है यहां तक कि तमाम आसमान पर फैल जाती है और उजाला हो जाता है इस रौशनी

के ज़ाहिर होते ही सहरी का वक़्त ख़त्म और नमाज़े फ़ज्र का वक़्त शुरु हो जाता है इस रौशनी के पहले बीच आसमान में एक लम्बी सफ़ेदी पूरब से पश्चिम की तरफ़ उठती हुई दिखाई देती है जिसके नीचे सारा उफ़क़ स्याह होता है सुबह सादिक़ उसके नीचे से फूट कर उतर दक्खिन दोनों पहलुओ पर फैलकर ऊपर बढ़ती है यह लम्बी सफेदी सुबह सादिक़ की सफ़ेदी मे ग़ायब हो जाती है इस लम्बी सफ़ेदी को सुबह काज़िब कहते हैं इससे फज्र का वक़्त नहीं होता

फ़ाएदा—सुबह सादक़ की रौशनी उन शहरों मे जो २७-२८ दर्जा या उसके क़रीब अरज़ुलबलद पर वाक़ा है (जैसे बरेली, लखनऊ, कानपुर वग़ैरह) छोटे दिनों में तक़रीबन सवा धन्टा और गर्मी में तक़रीबन डेढ धन्टा (कुछ कम व बेश) सूरज निकलने से पहले जाहिर होती है।

मसला—फ़ज्र की नमाज़ के लिये तो सुबह सादिक़ की सफ़ेदी जब चमक कर ज़रा फैलनी शुरु हो उसका एतबार किया जाये और एशा पढ़ने और सहरी खाने में इब्तेदाए तुलूँ सुबह सादिक़ का एतबार करें यानी फ़ज्र उस वक़्त पढ़ें जब अच्छी तरह रौशनी हो जाये और एशा,और सहरी का वक़्त उसी दम ख़त्म समझें जबकि सुबह सादिक़ की सफ़ेदी ज़रा सी भी शुरु हो।

ज़ोहर का वक़्त—ज़वाल यानी सूरज ढलने से लेकर उस वक़्त तक है कि हर चीज़ का साया अलावा साया असली के दूना हो जाये। मसलन ठीक दोपहर को किसी चीज़ का साया चार अंगुल था और वह चीज़ आठ अंगुल की है तो जब उस चीज़ का साया कुल बीस अंगुल का होजाये तब ज़ोहर का वक्त ख़त्म होगा।

फ़ायदा—साया असली वह साया है जो ठीक दोपहर के वक़्त होता है जब आफ्ताब ख़ते निस्फ़ुन्नहार पर पहुंचता है यानी ठीक बीचों बीच असमान पर कि पूरब पश्चिम का फ़ासला बराबर होता है तो यह ठीक दोपहर होती है उस जगह से ज़रा पश्चिम को झुका और ज़ोहर का वक़्त शुरु हुआ।

फ़ायदा—सूरज ढलने की पहचान यह है कि बराबर जमीन पर एक

बराबर लकड़ी सीधी इस तरह गाडें कि पूरब पश्चिम बिल्कुल झुकी न हो जितना सूरज ऊंचा होता जायेगा उस लकड़ी का साया कम होता जायेगा। जब कम होना रूक जाये तो यह ठीक दोपहर है और यह साया सायए असली है इसके बाद साया बढ़ना शुरू होगा और यह इस बात की दलील है, कि सूरज ख़ते निस्फ़ुन्नहार से झुका और जोहर का वक़्त हुआ जुमा का वक़्त वही है जो जोहर का वक़्त है।

अस्र का वक्त–जोहर का वक़्त ख़त्म होते ही असर का वक़्त शुरू हो जाता है और सूरज डूबने तक रहता है।

फ़ायदा–इन शहरों में अस्र का वक़्त कम से कम तक़रीबन डेढ़ घन्टा होता हैऔर ज़्यादा से ज़्यादा दो घन्टा (कुछ मिनट कम व बेश) जाड़ों में यानी नवम्बर से फ़रवरी के तीसरे हफ़्ते तक तक़रीबन पौने चार महीना तक़रीबन डेढ़ घन्टा रहता है और यह क़रीब-क़रीब सबसे छोटा वक़्ते अस्र है और अप्रैल, मई में पौने दो घन्टा (कुछ कम व बेश मुख़्तलिफ़ तारीख़ों में) और आख़ीर मई व जून में तक़रीबन दो घन्टा (कुछ कम व बेश मुख़्तलिफ़ तारीख़ों में) फिर अगस्त सितम्बर में तक़रीबन पौने दो घन्टा और आख़ीर अक्टूबर तक डेढ़ घन्टा के क़रीब आ जाता है।

तम्बीह–यह जो वक़्त लिखा गया है वह मुख़्तलिफ़ शहरों और मुख़्तलिफ तारीख़ों के लेहाज़ से दो चार छः मिनट कम व बेश भी होगा यह एक मोटा अन्दाजह करने के लिये लिख दिया है । जिन साहबों को हर मोक़ाम और हर तारीख का सही सही वक़्त मालूम करना हो वह हमारी किताब, अल अवक़ात, मोलाहज़ा फरमायें ।

मग़रिब का वक़्त–सूरज डूबने के बाद से शफ़क़ जानेतक हैशफ़क़ से मुराद वह सफ़ेदी है जो सुर्ख़ी जाने के बाद पश्चिम में सूबह सादिक़ की सफ़ेदी की तरह उत्तर दक्खिन फैली रहती है। यह वक़्त इन शहरों में कम से कम सवा घन्टा और ज़्यादा से ज़्यादा डेढ़ घन्टा होता है तक़रीबन ।

फ़ायदा–हर रोज़ जितना वक़्त फ़ज्र का होता है उतना ही मग़रिब

का भी होता है।

एशा का वक़्त—शफ़क़ की सफ़ेदी ग़ायब होने के बाद से लेकर सुबह सादिक़ शुरू होने तक है शफ़क़ की सफ़ेदी ग़ायब होने के बाद एक लम्बी पूरब पश्चिम फैली हुई सफ़ेदी भी होती है इनका कुछ एतबार नहीं वह मिस्ल सुबह काज़िब के है इससे पहले मग़रिब का वक़्त खत्म हो जाता है और इसके होते हुए भी एशा का वक़्त हो जाता है।

वित्र का वक़्त—वही है जो एशा का वक्त है अलबत्ता एशा की नमाज़ से पहले नहीं पढ़ी जा सकती कि इनमें तरतीब फ़र्ज़ है अगर क़सदन एशा की नमाज़ पढ़ने से पहले वित्र पढ ली तो वित्र न होगी । एशा के बाद फिर पढ़ना होगा हां अगर भूलकर वित्र पढ़ ली या बाद को मालूम हुआ कि एशा की नमाज़ बे वज़ू पढ़ी थी और वित्र वज़ू के साथ तो वित्र हो गई ।

मसला—जिस ख़ित्तए ज़मीन में जिन दिनों में एशा का वक़्त आता ही नहीं तो वहां उन दिनों में एशा और वित्र की क़ज़ा पढ़ी जाये।

मुस्तहब अवक़ात

फ़ज्र में ताख़ीर मुस्तहब है यानी जब ख़ूब उजाला हो जाये तब शुरू करे मगर ऐसा वक्त होना मुस्तहब है कि चालीस से साठ आयत तरतील के साथ पढ़ सके और सलाम फेरने के बाद फिर इतना वक़्त बाक़ी रहे कि अगर नमाज़ में फ़साद ज़ाहिर हो तो तहारत करके तरतील से चालीस से साठ आयत दोबारा पढ़ सके और इतनी ताख़ीर मकरूह है कि आफ़ताब निकलने का शक हो जाये।

मसला—औरतों के लिये हमेशा फज्र की नमाज़ अव्वल वक़्त में मुस्तहब है और बाक़ी नमाज़ों में बेहतर यह है कि मर्दों की जमाअत का इन्तेज़ार करे जब जमाअत हो कुचे तब पढ़ें।

मसला—जाड़े की ज़ोहर में जल्दी मुसतहब है गर्मी के दिनों में देर

करके पढ़ना मुस्तहब है ख़्वाह तन्हा पढ़े या जमाअत के साथ अलबत्ता अगर गर्मियों में जोहर की नमाज़े जमाअत अव्वल वक़्त में होती हो तो मुस्तहब वक़्त के लिये जमाअत छोड़ना जाएज़ नहीं मौसम रबी जाड़ों के हुक्म में है और खरीफ गर्मियों के हुक्म में ।

मसला—जुमा का मुस्तहब वक़्त वही है जो जोहर के लिये मुस्तहब है। **मसला**—असर की नमाज़में हमेशा ताखीर मुस्तहब है मगर न इतनी ताख़ीर कि खुद आफ्ताब के गोले में ज़र्दी आ जाये कि उसपर वेतकल्लुफ़, बे गुबार व बोख़ार निगाह जमने लगे। धूप की ज़र्दी का एतबार नहीं।

मसला—बेहतर यह है कि जोहर मिस्ले अव्वल में पढे और अस्र मिस्ले सानी के बाद ।

मसला—तजरबा से साबित हुआ कि कुर्से आफ़ताब में यह ज़र्दी उस वक़्त आ जाती है जब गुरुब में बीस मिनट बाक़ी रह जाते हैं तो उसी क़दर कराहत है यूंही बाद तुलू बीस मिनट के बाद जवाज़े नमाज़ का वक़्त हो जाता है। **मसला**-ताख़ीर से मुराद यह है कि वक़्ते मुस्तहब के दो हिस्से किये जायें और पिछले हिस्से में नमाज़ अदा की जाये।

मसला—बदली के दिन के सिवा मग़रीब में हमेशा ताजील मुस्तहब है और दो रकात से ज़ाएद की ताख़ीर मकरुह तनज़ीही और अगर बेग़ैर उज़्र सफ़र व मरज़ वगैरह इतनी ताख़ीर की कि सितारे गुथ गये तो मकरुह तहरीमी.

मसला—एशा में तिहाई रात तक ताख़ीर मुस्तहब है और आधी रात तक ताख़ीर मुबाह यानी जबकि आधी रात होने से पहले फ़र्ज़ पढ़ चुके और इतनी ताख़ीर कि रात ढल गई मकरूह है कि बाईसे तक़लीले जमाअत है।

मसला—एशा की नमाज़ पढने से पहले सोना मकरूह है।

मसला—एशा की नमाज़ के बाद दुनिया की बातें करना क़िस्से कहानी कहना सुनना मकरूह है। ज़रूरी बातें तेलावते क़ुरआन शरीफ़ और ज़िक्र और दीनी मसाएल और बुज़ुर्गों के क़िस्से और मेहमान से बात चीत करने

में हर्ज नहीं युंही सुबह सादिक़ से आफ़ताब निकलने तक ज़िक्रे इलाही के सिवा हर बात मकरूह है।

मसला—जो शख़्स अपने जागने पर भरोसा रखता हो उसको आख़ीर रात में वित्र पढ़ना मुस्तहब है वरना सोने से पहले पढ़ ले फिर आख़ीर रात में आंख खुली तो तहज्जुद पढ़े वित्र दोबारा पढ़ना जाएज़ नहीं।

मसला—बदली के दिन अस्र और एशा में ताजील मुस्तहब है और बाकी नमाज़ों में ताख़ीर मुस्तहब।

मकरूह अवक़ात

तुलू व गुरूब व निस्फ़ुन्नहार इन तीनों में कोई नमाज़ जाएज़ नहीं। न फ़र्ज़ न वाजिब न नफिल न अदा न क़ज़ा न सजदए तेलावत न सजदए सहू अलबत्ता उस रोज़ की अस्र की नमाज़ अगर नही पढ़ी तो अगरचे आफ़ताब डूबता हो तो पढ़ ले मगर इतनी देर करना हराम है।

मसला—तुलू से मुराद सूरज का किनारा निकलने से लेकर पूरा निकल आने के बाद उस वक़्त तक है कि उसपर आंख चुंधयाने लगे और इतना कुल वक़्त बीस मिनट है।

मसला—निस्फ़ुन्नहार सेमुराद निस्फ़ुन्नहारशरई से लेकर निस्फ़ुन्नहारे हक़ीक़ी यानी सूरज ढलने तक है जिसको ज़हवए कुबरा कहते है.

मसला—निस्फ़ुन्नहार शरई मालूम करने का यह तरीक़ा है कि आज जिस वक़्त से सुबह सादिक़ शुरू हुई उस वक़्त से लेकर सूरज डूबने तक जितने घन्टे हों उनके दो हिस्से करो पहले हिस्से के ख़त्म पर निस्फ़ुन्नहार शरई शुरू हो जायेगी और सूरज ढलते ही ख़त्म हो जायेगी मसलन आज बीस मार्च को 6 बजे शाम को सूरज डूबा और तक़रीबन 6 बजे ही निकला बारह बजे दिन को ठीक दोपहर हुई और साढ़े चार बजे सुबह को सुबह सादिक़ हुई तो कुल सुबह सादिक़ से सूरज डूबने तक साढ़े तेरह घन्टे हुए जिसका आधा पौने सात घन्टा हुआ अब सुबह सादिक़ के शुरू यानी साढ़े

चार बजे से यह पौने सात घन्टा वक़्त गुजरने दो तो सवा ग्यारह बज जायेगें अब सवा ग्यारह बजे निस्फ़ुन्नहार शरई यानी ज़हवए कुबरा ख़त्म हुआ और ठीक बारह बजते ही जब सूरज पश्चिम को ढला ज़हवए कुबरा शुरू हुआ। इससे मालूम हुआ कि आज पौन घन्टा यानी सुवा ग्यारह बजे दिन से बारह बजे तक निस्फ़ुन्नहार शरई रहा यह इतना पौन घन्टा का वक़्त नाजाएज़ वक़्त है।

तम्बीह—इन शहरों के लेहाज़ से यह एक तक़रीबी मिसाल है मुख़तलिफ़ मौक़ामात व मुख़तलिफ़ ज़मानों में कम व बेश भी होगा। हर जगह और हर दिन का उसी क़ाएदे से ठीक-ठीक ज़हवए कुबरा निकालें।

मसला—जनाज़ा अगर अवक़ाते ममनूआ में लाया गया तो उसी वक़्त पढ़े कोई कराहत नहीं कराहत उस सूरत में है कि पेशतर से तैयार मौजूद है और देर की यहाँ तक कि वक़्ते कराहत आ गया।

मसला—इन तीनों वक़्तों में तेलावते क़ुरआन मजीद बेहतर नहीं बेहतर यह है कि ज़िक्र व दुरूद शरीफ में मशगूल रहे।

मसला—बारह वक़्तों में नवाफ़िल पढ़ना मना है।

१-सुबह सादिक़ से सूरज़ निकलने तक कोई नफ़िल जाएज़ नहीं सिवा फ़ज्र की दो रकात सुन्नत के।

२-अपने मज़हब की जमाअत के लिये एक़ामत हुई तो एक़ामत से ख़त्मे जमाअत तक नफ़िल व सुन्नत पढ़ना मकरूह तहरीमी है। अलबत्ता अगर नमाज़ फ़ज्र क़ाएम हो चुकी और जानता है कि सुन्नत पढ़ेगा जब भी जमाअत मिल जायेगी अगरचे क़ादा में शिरकत होगी तो हुक्म है कि जमाअत से दूर अलग फ़ज्र की सुन्नत पढ़ कर जमाअत में शरीक हो जाये और अगर यह जानता है कि सुन्नत पढ़ूंगा तो जमाअत न मिलेगी और सुन्नत के ख़्याल से जमाअत छोड़ी तो यह नाजाएज़ और गुनाह है और फ़ज्र के सिवा बाक़ी नमाज़ों में अगरचे यह जाने कि सुन्नत पढ़ के जमाअत मिल जायेगी सुन्नत पढ़ना जाएज़ नहीं जबकि जमाअत के लिये एक़ामत हुई।

३–नमाज़े अस्र पढ़ने के बाद से आफ़ताब ज़र्द होने तक नफिल पढ़ना मना है।

४–सूरज डूबने से लेकर मग़रिब की फ़र्ज़ पढ़ने तक नफिल जाएज़ नहीं।

५–जिस वक़्त एमाम अपनी जगह से जुमा के खुतबा के लिये खड़ा हो उस वक़्त से लेकर फ़र्ज़ जुमा ख़त्म होने तक नफ़िल मना है।

६–ऐन खुतबा के वक़्त अगरचे पहला हो या दूसरा और जुमा का हो या ईदैन का खुतबा हो या कसूफ व इस्तिस्क़ा व हज व निकाह का हो हर नमाज़ हत्ता की कज़ा भी नाजाएज़ है। मगर साहबे तरतीब के लिये जुमा के खुतबा के वक़्त कज़ा की एजाज़त है।

मसला–जुमा की सुन्नतें शुरु कर दी थी कि एमाम खुतबा के लिये अपनी जगह से उठा तो चारों रकातें पूरी कर ले।

७–ईदैन की नमाज़ से पहले नफिल मकरुह है चाहे घर में पढ़े चाहे ईदगाह में या मस्जिद में।

८–ईदैन की नमाज़ के बाद नफिल मकरुह है जबकि ईदगाह या मस्जिद में पढ़े घर में पढ़ना मकरुह नहीं।

९–अरफ़ात में जो ज़ोहर व अस्र मिला कर पढ़ते हैं उनके बीच में और बाद भी नफिल व सुन्नत मकरुह है।

१०–मुज़दलफ़ा में जो मग़रिब और एशा जमा किये जाते हैं फ़क़त उनके बीच में नफिल व सुन्नत पढ़ना मकरुह है बाद में मकरुह नहीं।

११–फ़र्ज़ का वक़्त तंग हो तो हर नमाज़ यहां तक कि सुन्नते फ़ज्र व ज़ोहर मकरुह है।

१२–जिस बात से दिल बटे और उसको दूर कर सकता हो तो उसे बिला दूर किये हर नमाज़ मकरुह है। जैसे पेशाब या पाखाना या रेयाह का गलबा हो तो ऐसी हालत में नमाज़ मकरुह है अलबत्ता अगर वक़्त जाता हो तो पढ़ ले और ऐसी नमाज़ फिर दोहराये। यूंही खाना सामने आ गया और इसकी ख्वाहिश हो या और कोई ऐसी बात हो जिससे दिल को इतमिनान

न हो और खुशु में फ़र्क आये तो ऐसी सूरत में नमाज़ पढ़ना मकरुह है।

मसला—फ़ज्र और जोहर के पूरे वक़्त अव्वल से आख़ीर तक बिला कराहत हैं यानी यह नमाजें अपने वक़्त के जिस हिस्से में पढी जायें बिल्कुल मकरुह नहीं।

अज़ान का बयान

अजान का सवाब हदीसों में बहुत आया है। एक हदीस में है कि हुज़ूर ने फरमाया अगर लोगों को मालूम होता कि अज़ान कहने में कितना सवाब है तो इसपर आपस में तलवार चलती।

मसला—अजान शेआएरे इस्लाम से है कि अगर किसी शहर या गॉव या मोहल्ला के लोग अजान देना छोड दें तो बादशाहे इस्लाम उनपर जब्र करे और न माने तो क़ेताल करे, अजान का तरीका और उसके अल्फ़ाज। खारिज मस्जिद ऊंची जगह किबला रुख खड़ा होकर कानों के सूराखों में उंगलियां डाल कर या कानों पर हाथ रखकर "अल्लाहो-अकबर अल्लाहो अकबर" कहे यह दोनों मिलकर एक कलमा हुआ फिर ज़रा ठहर कर फिर अल्लाहो-अकबर अल्लाहो-अकबर कहे यह दोनों मिलकर एक कलमा हुआ फिर दो दफ़ा अशहदो अन्लाइलाहा इल्लल्लाह कहे फिर दो दफ़ा अशहदो अन्ना मोहम्मदर्रसूलुल्लाह कहे फिर दाहिने तरफ़ मुंह फेर कर दो बार हइया अलस्सलाह कहे फिर बायें तरफ़ मुंह करके हइया अललफ़लाह दो बार कहे फिर किबला को मुंह कर ले और अल्लाहो अकबर अल्लाहो अकबर कहे यह भी एक कलमा हुआ फिर एक बार लाइलाहा इल्लल्लाह कहे। अज़ान खत्म हुई अब पहले दरुद शरीफ़ फिर यह दुआ पढ़े। अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़ेहिद दावतित ताम्मते वस्सलातिल काएमते आते सय्यदेना व मौलाना मोहम्मदनिल वसीलता वल फज़ीलता वद्दरजतिर रफीअता वबअसहो मक़ामम महमूदनिल्लज़ी वअत्तहु वरज़ुक़ना शफ़ाअतहू यौमल क़ेयामह इन्नका ला तुख़लेफ़ुल मीआद।

मसला—फ़ज्र की अज़ान में हइया अललफलाह के बाद दो बार अस्सलातो ख़ैरुम मेनननौम भी कहे कि मुस्तहब है अगर न कहा जब भी अज़ान हो जायेगी।

मसला—पाँचों वक़्त की फर्ज़ नमाज और उन्ही मे जुमा भी है। जब जमाअत मुस्तहबा के साथ मस्जिद में वक़्त पर अदा की जाये तो उनके लिये अज़ान सुन्नत मोअक्क़दा है और उसका हुक्म मिस्ल वाजिब के है कि अगर अज़ान न कही गई तो वहां के सब लोग गुनाहगार होंगे।

मसला—मस्जिद में बिला अजान व एक़ामत के जमाअत पढना मकरुह है।

मसला—अगर कोई शख्स घर में नमाज पढ़े और अज़ान न कहे तो कराहत नहीं इस लिये कि वहां की मस्जिद की अज़ान उसके लिये काफ़ी है लेकिन कह लेना मुस्तहब है।

मसला—वक़्त होने के बाद अजान कही जाये अगर वक़्त से पहले कही गई तो वक़्त होने पर फिर कही जाये।

मसला—अज़ान का वक़्त वही है जो नमाज़ का वक़्त है।

मसला—अजान का मुस्तहब वक़्त वही है जो नमाज़ का मुस्तहब वक़्त है।

मसला—अगर अव्वल वक़्त अजान हुई और आखीर वक़्त में नमाज़ तो भी सुन्नते अजान अदा हो गई।

मसला—फर्ज़ नमाज़ों के सिवा किसी नमाज के लिये अजान नहीं न वित्र में न जनाज़ा में न ईदैन मे न नज़्र में न सुनने रवातिब मे न तरावीह में न इस्तिस्का में न चाश्त में न कसूफ़ व ख़सूफ़ में न नफ़िल नमाज़ों में।

मसला—औरतों को अज़ान व एक़ामत कहना मकरुह तहरीमी है। अगर कहेंगी गुनाहगार होंगी और उनकी अज़ान फिर से कही जाये।

मसला—औरतें अपनी नमाज अदा पढ़ें या क़ज़ा उसके लिये अज़ान व एक़ामत मकरुह है। अगरचे जमाअत से पढ़ें हलाकि उनकी जमाअत खुद

मकरूह है।

मसला—समझदार बच्चा और अन्धे और बे वज़ू की अज़ान सही है मगर बे वज़ू अज़ान कहना मकरूह है।

मसला—जुमा के दिन शहर में जोहर की नमाज़ के लिये अज़ान नाजाएज़ है अगरचे ज़ोहर पढ़ने वाले माज़ूर हो जिन पर जुमा फ़र्ज़ न हो।

मसला—अज़ान वह कहे जो नमाज़ के वक़्तों को पहचानता हो और वक़्त न पहचानता हो तो उस सवाब के लायक़ नहीं जो मोअज़्ज़िन के लिये है।

मसला—अगर मुआज़्ज़िन ही एमाम भी हो तो बेहतर है।

मसला—अज़ान के बीच में बात चीत करना मना है अगर कुछ बात की तो फिर से अज़ान कहे।

मसला—अज़ान में लहन हराम है यानी गाने के तौर पर अज़ान देना या अल्लाह के अलिफ़ को मद के साथ आल्लाह कहना या अकबर के अलिफ़ को खींचकर आकबर कहना या अकबर की ब को खींच कर अकबार कर देना यह सब हराम है अलबत्ता अच्छी और ऊंची आवाज़ से अज़ान कहना बेहतर है।

मसला—अगर अज़ान आहिस्ता हुई तो फिर अज़ान कही जाये और पहली जमाअत जमाअते ऊला नहीं।

मसला—अज़ान मेअज़नह पर कही जाये या ख़ारिजे मस्जिद कही जाये मस्जिद में अज़ान न कहे।

अज़ान का जवाब—जब अज़ान सुने तो जवाब देने का हुक्म है यानी मुअज़्ज़िन जो कलमा कहे उसके बाद सुनने वाला भी वही कलमा कहे मगर हइया अलस्सलाह और हइया अललफलाह के जवाब में "लाहौलावला क़ूवता इल्ला बिल्लाह" कहे और बेहतर यह है कि दोनों कहे बल्कि इतना और बढ़ाये "माशा अल्लाहो काना व मालम यशा लम यकुन"

मसला—अस्सलातो ख़ैरुम मेनन नौम" के जवाब में "सदक्ता व बररत

व बिल्हक़्क़े नतक़ुता'' कहे।

मसला–जुनुब भी अजान का जवाब दे। हैज़ व नेफ़ास वाली औरत पर और खुतबा सुनने वाले और नमाजे जनाज़ा पढ़ने वाले और जो जेमा में मशगूल है या कजाये हाजत में हो उनपर जवाब नहीं।

मसला–जब अजान हो तो इतनी देर के लिये सलाम कलाम और सलाम का जवाब तमाम अशग़ाल मौकूफ कर दे यहां तक कि क़ुरआन मजीद की तेलावत में अज़ान की आवाज आये तो तेलावत रोक दे और अज़ान को ग़ौर से सुने और जवाब दे और यही एक़ामत में भी करे। जो अजान के वक़्त बातों में मशगूल रहे उस पर मआज अल्लाह खातमा बुरा होने का ख़ौफ़ है।

मसला–रास्ता चल रहा था कि अजान की आवाज़ आई तो उतनी देर खड़ा हो जाये सुने और जवाब दे।

मसला–एक़ामत मिस्ल–अजान के है यानी जो एहकाम अज़ान के बयान किये गये वही सब एक़ामत के भी हैं अलबत्ता इन चन्द बातों में फर्क़ है। एक़ामत में बाद हइया अललफलाह के क़दक़ामतिस्सलात भी दो बार कहे और इसमें कूछ आवाज ऊंची हो मगर इतनी नहीं जितनी की अजान में होती है बल्कि इतनी हो कि सब हाज़ेरीन तक आवाज़ पहुंच जाये एकामत के कलमात जल्द जल्द कहे दरमियान में सकता न करे न कानों पर हाथ रक्खे न कानों में उंगलियां डाले और सुबह की एक़ामत में ''अस्सलातो खैरुम मेनन नौम'' न कहे एक़ामत मस्जिद के अन्दर कही जाये।

मसला–अगर एमाम ने एक़ामत कही तो कदक़ामतिस्सलात के वक़्त आगे बढ़ कर मोसल्ले पर चला जाये।

मसला–एकामत में भी हइया अलस्सलात और हइया अललफलाह के वक़्त दाहिने बायें मुंह फेरे।

मसला–एकामत के वक्त कोई शख्स आया तो उसे खड़े होकर इन्तेजार करना मकरुह है बल्कि बैठ जाये जब हइया अललफलाह कही जाये तो उस

वक्त खड़ा हो यूंही जो लोग मस्जिद में मौजूद हैं वह भी बैठे रहें जब मोकब्बिर कहेगा अललफलाह पर पहुंचे उस वक्त उठें यही हुक्म एमाम के लिये भी है। आज कल अक्सर जगह रवाज पड़ गया है कि एकामत के वक्त सब लोग खड़े रहते हैं बल्कि अक्सर जगह तो यहाँ तक है कि जब तक एमाम मोसल्ले पर खड़ा न हो जाये उस वक्त तक तकबीर नहीं कही जाती यह खिलाफ़े सुन्नत है।

मसला—अज़ान के बीच में और इसी तरह एक़ामत के बीच में बोलना नाजाएज़ है अगर मुअज़्ज़िन व मुकब्बिर को कोई सलाम करे तो उसका जवाब न दे और ख़त्म के बाद भी जवाब देना वाजिब नहीं।

मसला—एकामत का जवाब मुस्तहब है। इसका जवाब भी अज़ान के जवाब की तरह है फ़र्क़ इतना है कि क़दकामतिस्सलात के जवाब में अक़ामहल्लाहो व अदामहा मा दामतिस्समावातो वल अर्दो कहे या यह कहे अक़ामहल्लाहो व अदामहा व जअलना मिन सालेही अहलेहा अहयाऔं व अमवाता।

मसला—अगर अजान के वक़्त जवाब न दिया तो अगर ज्यादा देर न हुई तो अब दे ले।

मसला—खुतबा की अज़ान का जवाब ज़बान से देना मुक़्तदियों को जाएज नहीं।

मसला—अज़ान व एक़ामत के दरमेयान वकफ़ा करना सुन्नत है। अजान कहते ही एक़ामत कह देना मकरुह है। मग़रिब में वकफ़ा तीन छोटी या एक बड़ी आयत पढ़ने के बराबर हो। बाक़ी नमाज़ों में अज़ान व एकामत के दरमेयान इतनी देर तक ठहरे कि जो लोग जमाअत के पाबनद हैं वह आ जायें मगर इतना इन्तेज़ार न किया जाये कि वक़्ते कराहत आ जाये।

नमाज़ की चौथी शर्त का बयान

नमाज़ की चौथी शर्त इस्तक़बाले क़िबला है यानी काबा शरीफ़ की तरफ़ मुंह करना।

मसला—नमाज़ अल्लाह ही के लिये पढ़ी जाये और उसी के लिये सजदह किया जाये न कि काबा को।अगर मआज़ अल्लाह किसी ने काबा के लिये सजदह किया तो हराम व गुनाहे कबीरा किया और अगर काबा की एबादत की नीयत की जब तो खुला काफ़िर है। इस लिये कि खुदा के सिवा किसी और की एबादत कुफ़ है।

मसला—जो शख़्स क़िबला की तरफ़ मुंह करने से मजबूर हो तो वह जिस रुख नमाज़ पढ़ सके पढ़ ले और बाद में नमाज़ दोहराने की ज़रुरत नहीं।

मसला—बीमार में इतनी ताक़त नहीं कि मुंह काबा शरीफ़ की तरफ़ कर सके और वहाँ कोई ऐसा नहीं जो उसका मुंह काबा की तरफ़ करा दे तो जिस रुख़ पढ़े नमाज़ हो जायेगी।

मसला—किसी के पास अपना या अमानत का माल है और जानता है कि क़िबला रु होने में चोरी हो जायेगी तो जिस तरफ़ चाहे पढ़े

मसला—शरीर जानवर पर सवार है कि उतरने नहीं देता या उतर तो जायेगा मगर बेमददगार के सवार न होने देगा या यह बूढ़ा है कि फिर खुद सवार न हो सकेगा और कोई ऐसा नहीं जो सवार करा दे तो जिस रुख भी नमाज़ पढ़े हो जायेगी।

मसला—अगर सवारी रोकने पर क़ादिर है तो रोक कर पढ़े और मुमकिन हो तो क़िबला को मुंह करे वरना जैसे भी हो सके पढ़े अगर सवारी रोकने में क़ाफ़िला नज़र से छुप जायेगा तो सवारी ठहरानी भी ज़रुरी नहीं चलते ही पढ़े।

मसला—चलती कश्ती में नमाज़ पढ़े तो तहरीमा के वक़्त क़िबला को मुंह करे और जैसे जैसे कश्ती घूमती जाये खुद भी क़िबला को मुंह फेरता रहे चाहे फ़र्ज़ नमाज़ हो या नफ़िल।

मसला—अगर किबला मालूम न हो और कोई बताने वाला भी न हो तो सोचे जिधर क़िबला होने पर दिल जमे उसी तरफ़ नमाज़ पढ़े उसके हक़ में वही क़िबला है।

मसला—तहर्री करके यानी सोच कर नमाज़ पढ़ी बाद में मालूम हुआ कि क़िबला की तरफ़ नमाज़ नहीं पढ़ी तो नमाज़ दोहराने की ज़रुरत नहीं यह नमाज़ हो गई।

मसला—तहर्री करके नमाज़ पढ़ रहा था और दरमयान में अगरचे सजदह सहू में हो राय बदल गई या ग़ल्ती मालूम हुई तो फ़र्ज़ है कि फ़ौरन घूम जाये और पहले जितनी पढ़ चुका है उसमें खराबी न आयेगी इसी तरह अगर चार रकातें चार तरफ़ में पढ़ी जाएज़ है और अगर फ़ौरन न घूमा और तीन बार सुबहान अल्लाह कहने बराबर देर की तो नमाज़ न हुई।

मसला—नमाज़ीने क़िबला से बिला उज़्र क़स्दन सीना फेर दिया अगरचे फ़ौरन ही क़िबला की तरफ़ हो गया नमाज़ जाती रही और अगर बिला क़सद

फिर गया और तीन तसबीह का वक़्फ़ा न हुआ तो नमाज हो गई।

मसला—अगर सिर्फ़ मुंह क़िबला से फेरा तो वाजिब है कि फौरन किबला की तरफ़ कर ले नमाज़ न जायेगी मगर बिला उज्र फेरना मकरुह है।

पाँचवीं शर्त नीयत का बयान

नीयत से मुराद दिल का पक्का एरादह है। महज़ तसव्वुर व ख़्याल काफ़ी नहीं जब तक एरादह न हो।

मसला—अगर ज़ुबान से भी कह ले तो अच्छा है मसलन "यूंकि नीयत की मैंने दो रकात फ़र्ज़ फ़ज्र की अल्लाह तआला के लिये मुंह मेरा काबा शरीफ़ की तरफ अल्लाहो अक्बर"

मसला—मुक़तदी को इक़्तेदा की नीयत भी ज़रुरी है

मसला—एमाम ने एमाम होने की नीयत न की जब भी मुकतदियों की नमाज़ उसके पीछे सही है लेकिन सवाबे जमाअत न पायेगा।

मसला—नमाज़ जनाज़ह की नीयत यह है। नीयत की मैंने नमाज की अल्लाह के लिये और दुआ की इस मय्यत के लिये अल्लाहो अकबर।

नमाज़ की छठी शर्त का बयान

नमाज की छठी शर्त तकबीरे तहरीमा है यानी नीयत के वक़्त जो अल्लाहो अकबर कही जाती है उसको तकबीरे तहरीमा कहते हैं इस तकबीर के कहते ही नमाज शुरु हो गई यह फ़र्ज़ है बेग़ैर इसके नमाज़ शुरु नहीं होती।

मसला—मुकतदी ने एमाम से पहले तकबीरे तहरीमा कह ली तो जमाअत में शामिल न हुआ।

अब जब कि नमाज़ के छवों शराएत यानी (१)तहारत (२)सतरे औरत (३)वक़्त (४)इस्तक़बाले क़िबला (५)नीयत (६)तकबीरे तहरीमा के मसाएल

बयान हो चुके तो नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा बयान कियाँ जाता है।

नमाज़ का तरीक़ा

नमाज़ पढने का तरीक़ा यह है कि बा वज़ू क़िबला की तरफ़ मुंह करके इस तरह खड़ा हो कि दोनों पंजों में चार अंगुल का फ़ासला रहे और दोनों हाथ कान तक ले जाये कि अंगूठा कान की लौ से छू जाये बाक़ी उंगलियॉ अपने हाल पर रहें न बिल्कुल मिली न बहुत फैली और हथेलियां क़िबला की तरफ हों और निगाह सजदह की जगह पर हो और जिस वक़्त की जो नमाज पढ़ता हो दिल में उसका पक्का एरादा करके अल्लाहो अकबर कहता हुआ हाथ नीचे ला कर नाफ़ के नीचे बांध ले इस तरह कि दाहिनी हथेली की गद्दी बाईं कलाई के सिरे पर हो और बीच की तीनों उंगलियॉ बाईं कलाई की पीठ पर और अंगूठा और छोटी उंगली कलाई के अगल बग़ल हो और सना पढ़े यानी "सुबहानका अल्लाहुम्मा व बेहमदेका व तबारकसमोका व तआला जद्दोका व लाएलाहा ग़ैरोका" फिर तऊज़ पढ़े यानी "आउज़ो बिल्लाहे मेनश्शैतानिर्रजीम" फिर तस्मिया पढे यानी " बिस्मिल्लाहिररहमानिर्रहीम" फिर 'अलहमदो' पूरी पढ़े और ख़त्म पर आहिस्ता से आमीन कहे इसके बाद कोई सूरत या तीन आयतें पढे या ऐसी एक आयत पढ़े जो तीन आयतों के बराबर हो अब अल्लाहो अकबर कहता हुआ रुकू में जाये और घूटनों को हाथ से पकडे इस तरह पर कि हथेलियां घुटने पर हों और उंगलियॉ खूब फैली हों और पीठ बिछी हो और सर पीठ के बराबर हो ऊंचा नीचा न हो और नज़र पैर की तरफ़ हो और कम से कम तीन बार सुब्हाना रब्बीयल अज़ीम कहे फिर समेअल्लाहो लेमन हमेदा कहता हुआ सीधा खड़ा हो जाये और जो मुन्फ़रिद यानी अकेला हो तो उसके बाद अल्लाहुम्मा रब्बाना व लकलहम्द कहे फिर, अल्लाहो अकबर कहता हुआ सजदह में जाये इस तरह कि पहले घुटना जमीन पर रक्खे फिर हाथ फिर दोनों हाथ के बीच में सर

रक्खे इस तौर पर कि पहले नाक तब माथा और नाक की हडडी ज़मीन पर जम जाये और नजर नाक की तरफ़ रहे और बाज़ुओं को दोनों करवटों से और पेट को रानों से और रानों को पिन्डलियों से जुदा रक्खे और पांव की सब उंगलियों को क़िबला की तरफ़ रक्खे इस तरह कि उंगलियों का सारा पेट जमीन पर जमा रहे और हथेलियां बिछी हों और उंगलियां क़िबला की तरफ़ हों और कम से कम तीन बार सुब्हाना रब्बीयल आला कहे फिर सर उठाये इस तरह कि पहले माथा फिर नाक फिर मुंह फिर हाथ और, दाहिना कदम खड़ा करके उसकी उंगलियां किबला रुख़ करे और बायां क़दम बिछाकर उसपर खूब सीघा बैठ जाये और हथेलियां बिछा कर रानों पर धुटनों के पास रक्खे कि दोनों हाथ की उंगलियां क़िबला को हों और उंगलियों का सिरा धुटना के पास हो फिर जरा ठ्हर कर अल्लाहो अकबर कहता हुआ दूसरा सजदह करे यह सजदह भी पहले की तरह करे फिर सर उठाये और हाथ को धुटने पर रख कर पंजों के बल खड़ा हो जाये उठते वक़्त बिला उज़्र हाथ ज़मीन पर न टेके यह एक रकात पूरी हो गई। अब फिर सिर्फ़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ कर अलहम्दो और सूरत पढ़े और पहले की तरह रुकू और सजदह करे फिर जब दूसरे सजदह से सर उठाये तो दाहिना क़दम खड़ा करके बायॉ कदम बिछा कर बैठ जाय और अत्तहीयातो लिल्लाहे वस्सलावातो वत तइयेबातो अस्सलामोअलैका अय्योहन नबीयो वरहमतुल्लाहा व बरकातुहू अस्सलामो अलैना व अला एबादिल्लाहिस्सालेहीन अशहदो अन्लाइलाहा इल्लल्लाहो व अशहदो अन्ना मोहम्मदन अबदुहू व रसूलुह, पढ़े ,इसको तशहहुद कहते हैं। जब कलमा.ला..के करीब पहुंचे तो दाहिने हाथ की बीच की उंगली और अंगुठे का हलका बनाये और छोटी उंगली उठाये मगर इधर उधर ना हिलाये और इल्ला पर गिरा दे और सब उंगलियां फ़ौरन सीधी कर ले अब अगर दो से ज़्यादा रकातें पढ़नी हैं तो उठ खड़ा हो और उसी तरह पढ़े मगर फ़र्ज़ की इन रकातों में अलहम्दो के साथ सूरे मिलाना जरुरी नहीं अब पिछला क़ादह जिसके बाद नमाज़ खत्म करेगा इसमें तशहहुद

के बाद दरूद शरीफ़ अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मदिंव व अला आले मोहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आले इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मदिंव व अला आले मोहम्मदिन कमाबा रकता इब्राहीमा वअंलाअले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद पढ़े फिर अल्लाहुम्मग़फ़िरली वले वालेदय्या वलेमन तवालदा वले जमीइल मोमेनीना वलमोमेनाते वलमुस्लेमीना वल मुस्लेमातिल अहयाए मिनहुम वलअमवाते इन्नाका मुजीबुद दअवाते बेरहमतेका या अरहमर राहेमीन पढे या और कोई दुआये मासूर पढ़े या यह पढे अल्लाहुम्मा रब्बाना आतेना फ़िद्दुनिया हसानतौंव फ़िल आख़ेरते हसानतौं वक़ेना अज़ाबन्नार और इसको बेग़ैर अल्लाहुम्मा के न पढे फिर दाहिनो शाना की तरफ़ मुंह करके अस्सलामो अलैकुम व रहमतुल्लाह कहे और इसी तरह बाईं तरफ।अब नमाज़ खत्म हो गई इसके बाद दोनों हाथ उठा कर कोई दुआ मसलन अल्लाहुम्मा रब्बना आतेना फ़िद्दुनिया हसनतौं वफ़िल आख़ेरते हसनतौं वक़ेना अज़ाबन्नार पढ़े और मुंह पर हाथ फेर ले। यह तरीक़ा एमाम या तन्हा मर्द के पढ़ने का है लेकिन अगर नमाज़ी मुकतदी हो यानी जमाअत के साथ एमाम के पीछे पढ़ता हो क़रात न करे यानी अलहम्दो और सूरे न पढ़े चाहे एमाम ज़ोर से क़रात करता हो या आहिस्ता। एमाम के पीछे किसी नमाज़ में क़रत जाएज़ नहीं और अगर नमाज़ी औरत हो तो तकबीरे तहरीमा के वक़्त मोन्ढे तक हाथ उठाये और बाईं हथेली सीना पर छाती के नीचे रखकर उसके ऊपर दाहिनी हथेली रक्खे और रुकू में थोड़ा झुके यानी सिर्फ़ इतना कि घुटनों पर हाथ रख दे ज़ोर न दे और हाथ की उंगलियां मिली रहें और पीठ और पॉव झुके रहें मर्दों की तरह सीधी न कर दे और सजदह में सिमट कर सजदह करे यानी बाज़ू करवटों से मिला दे और पीठ रान से और रान पिन्डलियों से और पिन्डलियां जमीन से मिला दे और दोनों पॉव पीछे निकाल दे और क़ादह में दोनों पांव दाहिनी'जानिब निकाल दे और बांई सुरीन पर बैठे और हाथ बीच रान पर रक्खे। इस तरीक़ा में बाज़ चीज़ें फर्ज है कि इसके बेग़ैर नमाज़

होगी ही नहीं बाज़ वाजिब हैं कि इसको कसदन छोड़ना गुनाह और नमाज़ का फिर से पढ़ना वाजिब और भूलकर छूटने से सजदह सहू वाजिब और बाज़ सुन्नत मोअक्कदह हैं कि जिसको छोड़ने की आदत गुनाह है और बाज़ मुस्तहब हैं कि जिसका करना सवाब और न करना गुनाह नहीं।

फ़राएज़े नमाज़—सात चीज़ें नमाज़ में फ़र्ज़ हैं।

१-तकबीरे तहरीमा यानी पहली अल्लाहो अकबर जिससे नमाज शुरु होती है।

२-कयाम यानी इतनी देर खड़ा रहना जितनी देर में फर्ज़ क़रात अदा हो।

३-करत यानी कम से कम एक आयत पढ़ना।

४-रुकू यानी इतना झुकना कि हाथ बढ़ाये तो धुटने तक पहुंच जाये।

५-सुजूद यानी माथे का जमीन पर जमना इस तरह कि कम से कम पॉव की एक उंगली का पेट जमीन से लगा हो।

६- क़ादह अख़ीरा यानी नमाज की रकातें पुरी करने के बाद इतनी देर बैठना कि पूरी अत्तहीयात रसूलुह तक पढी जा सके।

७- खुरुजबे सोना ने ही यानी क़ादए अख़ीरा के बाद अपने एरादे व अमल से नमाज़ ख़त्म कर देना ख़्वाह सलाम व कलाम से हो या किसी दूसरे अमल से।

वाजिबाते नमाज़- तकबीरे तहरीमा में लफ्ज़े अल्लाहो अकबर कहना, पूरी अलहम्दोलिल्लाह पढ़ना सूरे या आयत मिलाना फर्ज़ नमाज में दो पहली रकातों में करात वाजिब है। अलहम्दो और उसके साथ सूरे या आयत मिलाना फर्ज़ की दो पहली रकातों में और नफिल और वित्र और सुन्नत की हर रकात में वाजिब है। अलहम्दो का सूरत या आयत से पहले होना हर रकात में सूरे या आयत से पहले एक ही बार अलहम्दो पढ़ना अलहम्दो और सूरत के दरमेयान आमीन और बिस्मिल्लाह के सिवा कुछ और न पढ़ना करात ख़त्म करके फौरन रुकू करना एक सजदह के बाद दूसरा सजदह होना कि दोनों सजदों के बीच कोई रुक्न न आने पाये तादीले अरकान यानी रुकू सजूद

कौमा जलसा में कम से कम एक बार सुब्हान अल्लाह के बराबर ठहरना, कौमा यानी रुकू से सीधा खड़ा हो जाना, सजदह में हर पांव की तीन-तीन उंगलियों के पेट ज़मीन पर लगना, जलसा यानी दो सजदों के दरमेयान सीधा बैठना, क़ादए उला अगरचे नमाज़ नफ़िल हो। फ़र्ज़ और वित्र और सनन वातिब में कदाए ऊला में तशहहुद पर कुछ न बढ़ाना दोनों क़ादों में पूरा तशहहुद पढ़ना यूंही जितने क़ादे पडें सब में पूरा तशहहुद वाजिब है। एक लफ़्ज़ भी अगर छोड़ेगा तो तर्के वाजिब होगा दोनों सलाम में फ़कत लफ़्ज़ अस्सलाम वाजिब है। अलैकुम वरहमतुल्लाह वाजिब नहीं। वित्र में दुआये कुनूत पढ़ना तकबीर कुनूत ईदैन की छओं तकबीरें ईदैन मे दूसरी रकात की तकबीरे रुकू और उस तकबीर के लिए लफ़्ज़ अल्लाहो अकबर होना हर जेहरी नमाज़ में एमाम को जेहर से (यानी आवाज़) से क़रात करना और ग़ैर जहरी में आस्हिता। हर फ़र्ज़ व वाजिब का उसकी जगह पर अदा होना रुकू का हर रकात में एक ही बार होना और सजूद का दो ही बार होना दूसरी रकात से पहले क़ादह न करना और चार रकात वाली में तीसरी पर क़ादह न होना आयते सजदह पढ़ी हो तो सजदह तेलावत करना सहु हुआ तो सजदह सहु करना दो फ़र्ज़ या दो वाजिब या वाजिब व फ़र्ज़ के दरमेयान तीन बार सुबहान अल्लाह कहने के बराबर देर न होना एमाम जब क़रात करे बुलन्द आवाज़ से हो या आहिस्ता उस वक़्त मुक़तदी का चुप रहना सिवा क़रात के तमाम वाजिबात में एमाम की पैरवी करना फ़राएज़ व वाजिबात के अलावह जो बातें तरीक़ा नमाज़ में बयान हुईं वह या सुन्नत हैं या मुस्तहब हैं उनको क़सदन न छोड़ा जाये और अगर ग़ल्ती से छूट जाये तो न सजदह सहू करने की ज़रुरत है न नमाज़ दोहराने की अगर दोहरा ले तो अच्छा ही है।

सजदह सहू का बयान

जो चीज़ें नमाज में वाजिब हैं उनमें से अगर कोई वाजिब भूले से छूट जाये तो उसकी कमी को पूरा करने के लिये सजदह सहू वाजिब है।

इसका तरीक़ा यह है कि नमाज़ के आख़िर मे अत्तहीयात पढ़ने के बाद दाहिनी तरफ़ सलाम फ़ेर कर दो सजदे करे और फ़िर शुरु से अत्तहीयात वग़ैरह सब पढ़ कर सलाम फ़ेर दे .

मसला – अगर कोई वाजिब छूट गया और उसके लिये सजदह सहू न किया और नमाज़ ख़त्म कर दी तो नमाज़ दोहराना वाजिब है .

मसला – अगर क़सदन कोई वाजिब छोड़ दिया तो सजदए सहू काफ़ी नही बल्कि नमाज़ दोहराना वाजिब है .

मसला – जो बातें नमाज़ मे फ़र्ज़ है अगर उनमें से कोई बात छूट गई तो नमाज़ न हुई और सजदह सहू से भी यह कमी पूरी नही की जा सकती बल्कि फ़िर से पढ़ना फ़र्ज़ है .

मसला – वह बातें जो नमाज़ में सुन्नत या मुस्तहब है जैसे तऔऊज़, तसमीया, आमीन, तकबीराते इन्तेक़ाल तसबीहात, इनके तर्क से भी सजदये सहू नही बल्कि नमाज़ हो गई मगर नमाज़ दोहरा लेना बेहतर है .

मसला – एक नमाज़ में कई वाजिब छूट गये तो एक बार वही दो सजदे सहू के सब के लिये काफ़ी है चन्द बार सजदह सहू करने की ज़रुरत नही .

मसला – क़ादए ऊला में पूरी अत्तहीयात पढ़ने के बाद तीसरी रकात के लिये खड़े होने में इतनी देर की कि जितनी देर में अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद पढ़ सके तो सजदह सहू वाजिब है चाहे कुछ पढ़े या ख़ामोश रहे दोनों सूरतों में सजदह सहू वाजिब है .

मसला – क़रात वग़ैरह किसी मौक़ा पर सोचने लगा और इतनी देर हुई कि तीन बार सुब्हान अल्लाह कह सके तो सजदह सहू वाजिब है.

मसला – दुसरी रकात को चौथी समझ कर सलाम फ़ेर दिया फ़िर याद आया तो नमाज़ पूरी करके सजदह सहू करे .

मसला – तअदीले अरकान भूल गया सजदह सहू वाजिब है.

मसला – मुक़तदी अत्तहीयात न ख़त्म करने पाया था कि एमाम तीसरी रकात के लिये खड़ा हो गया तो मुक़तदी पर वाजिब है कि अपनी अत्तहीयात पूरी करके खड़ा हो अगरचे देर हो जाये

मसला – मुक़तदी ने रुकू या सजदे में तीन बार तसबीह न कही थी कि

इमाम ने सर उठा लिया तो मुक़तदी भी सर उठा ले और बाकी तसबीह छोड़ दे

मसला – जिस शख्स ने भूल कर क़ादह ऊला न किया और तीसरी रकात के लिये खडा होने लगा तो अगर अभी इतना खडा हुआ है कि क़ादह के क़रीब है तो बैठ जाये और क़ादह करे नमाज़ सही है सजदह सहू भी लाज़िम न आया और अगर इतना उठा कि खड़े होने के क़रीब हो गया तो फ़िर खडा ही हो जाये और आख़ीर में सजदह सहू करे

मसला – अगर क़ादह अख़ीरह करना भूल गया और खड़ा हो गया तो जब तक इस रकात का सजदह न किया हो उसे छोड दे और बैठ जाये और नमाज़ पूरी करे और सजदए सहू करे और अगर इस रकात कासजदह कर लिया हो तो फ़र्ज़ नमाज़ जाती रही अगर चाहे तोएक रकात ओर मिलाये सिवा मग़रिब के और यह कुल नफ़िल हो जायेगी फ़र्ज़ फ़िर पढ़े.

मसला – अगर क़ादए अख़ीरा बक़दरे तशहहुद करके भूले से खड़ा हो गया तो बैठ जाये जब तक इस रकात का सजदह न किया हो और बैठ कर सलाम फेरे और सजदह सहू करे और अगर इस रकात कासजदह कर लिया तो फ़र्ज़ जब भी पूरे हो गये लेकिन एक रकात और मिलाये और सजदह सहू करे यह दोनो रकातें नफ़िल हो जायेंगी लेकिन मग़रिब में न मिलायें

मसला – एक रकात में तीन सजदे किये या दो रुकू किये या क़ादए ऊला भूल गया तो सहू का सजदह करे

मसला – क़ायम व रुकू व सजूद व क़ादए अखीरह में तरतीब फ़र्ज़ है लेहाजा अगर क़ेयाम से पहले रुकू कर लिया फ़िर केयाम किया तो यह रुकू जाता रहा अगर क़ेयाम के बाद फ़िर रुकू करेगा तो नमाज़ हो जायेगी वरना नही इसी तरह रुकू से पहले सजदह करने के बाद अगर रुकू फ़िर सजदह कर लिया तो नमाज़ हो जायेगी.

मसला – क़याम व रुकू व सजूद व क़ादए अख़ीरह में तरतीब फ़र्ज़ है यानी जिसको पहले होना चाहिये वह पहले हो और जिसको पीछे होना चाहिये वह पीछे हो अगर पहले का पीछे और पीछे का पहले कर लिया तो नमाज़ न होगी जैसे किसी ने रुकू से पहले सजदह कर लिया तो नमाज़ न हुई हां अगर सजदह

केबाद दोबारा रुकू और फ़िर सजदह करे यानी तरतीबवार कर ले तो नमाज़ हो जायेगी वरना नही इसी तरह अगर केयाम से पहले रुकू कर लिया तो नमाज़ न हुई अलबत्ता केयाम के बाद फ़िर रुकू करे तो हो जायेगी.

मसला – नफ़िल का हर क़ादह क़ादए अख़ीरह है यानी फ़र्ज़ है अगर क़ादह न किया और भूल कर खड़ा हो गया तो जब तक इस रकात का सजदह न किया हो लौट आयें और सजदहसहू करे और वाजिब नमाज़ मसलन वित्र, फ़र्ज़ के हुक्म में है लेहाज़ा अगर वित्र का क़ादए ऊला भूल जायें तो वही हुक्म है जो फ़र्ज़ के क़ादए ऊला भूलने का है .

मसला – दूआये क़ुनूत या तकबीरे क़ुनूत भूल गया तो सजदए सहू करे . तकबीरे क़ुनूत से मुराद वह तकबीर है जो रकात के बाद दूआयें क़ुनूत पढ़ने के लिये कही जाती है.

मसला – ईदैन की सब तकबीरें या बाज़ भूल गया या ज़ाएद कही या ग़ैर महल में कही इन सब सूरतो में सजदए सहू वाजिब है.

सजदए तेलावत – यह वह सजदह है जो आयतें सजदह पढ़ने या सुनने से वाजिब हो जाता है इसका मसनून तरीक़ा यह है कि खड़ा होकर अल्लाहो अकबर कहता हुआ सजदह में जाये और कम से कम तीन बार सुब्हाना रब्बीयल आला कहे फ़िर अल्लाहो अकबर कहता हुआ खड़ा हो जाये.

मसला – सजदह तेलावत में पहले पीछे दोनो बार अल्लहो अकबर कहना सुन्नत है और पहलें खड़े होकर फ़िर सजदह में जाना और सजदह के बाद खड़ा हो जाना यह दोनो केयाम मुस्तहब है .

मसला – अगर सजदए तेलावत से पहले या बाद में खड़ा न हुआ या अल्लाहो अकबर न कहा या सुब्हानारब्बीयल आला न पढ़ा तो भी सजदह अदा हो जायेगा मगर तकबीर छोड़ना न चाहियें कि सलफ़ के ख़ेलाफ़ है.

मसला – सजदह तेलावत के लिये अल्लाहो अकबर कहते वक़्त न हाथ उठाना है न उसमें तशहहुद है न सलाम .

मसला – कुल क़ुरआन शरीफ़ में चौदह आयतें सजदए तेलावत की हैं. इनमें से जो आयत भी पढ़ी जायेगी पढ़ने वाले औरसुनने वाले दोनो पर सजदह वाजिब हो जायेगा चाहे सुनने वाले ने सुनने का एरादा किया हो या न किया हो

मसला – सजदए तेलावत के लिये तहरीमा के सिवा तमाम वह शराएत हैं जो नमाज़ के लिये हैं मसलन तहारत, इस्तेक़बाले क़िबला, नीयत, वक़्त, सत्रे औरत लेहाज़ा अगर पानी पर क़ादिर है तो तयम्मुम करके सजदह जाएज़ नहीं.

मसला – अगर आयते सजदह नमाज़ में पढ़े तो सजदए तेलावत फ़ौरन करना नमाज़ ही में वाजिब है अगर देर करेगा गुनाहगार होगा देर करने से मुराद तीन आयत से ज़्यादा पढ़ लेना है लेकिन अगर सूरत के आख़िर में सजदह वाक़ा है तो सूरत पूरी करके सजदह करेगा जब भी हर्ज नही मसलन सूरए इनशेक़ाक़ में सूरे ख़त्म करके सजदह करे जब भी कुछ हर्ज नही.

मसला – सजदह की आयत नमाज़ में पढ़ी और सजदह करना भूल गया तो जब तक हुरमते नमाज़ में है सजदह कर लें (अगरचे सलाम फ़ेर चुका हो) और सजदह सहू भी करे.

मसला – नमाज़ में आयते सजदह पढ़ी तो उसका सजदह नमाज़ ही में वाजिब है नमाज़ के बाहर नहीं हो सकता अगर क़सदन नही किया था तो गुनाहगार हुआ तौबा लाज़िम है जबकि आयते सजदह के बाद फ़ौरन रुकू वह सजूद न किया हो.

मसला – सजदए तेलावत की नीयत में यह शर्त नही कि फ़लां आयत का सजदह है बकि मुतलक़न सजदए तेलवत की नीयत काफ़ी है.

मसला – जो चीज़ें नमाज़ को फ़ासिद करती है उससे सजदए तेलावत भी फ़ासिद हो जायेगा जैसे हदसे अमद व कलाम व क़हक़हा.

मसला – आयते सजदह लिखने या उसकी तरफ़ देखने से सजदह वाजिब नही

मसला – सजदह वाजिब होने के लिए पूरी आयत पढ़ना ज़रुरी नही बल्कि वह लफ़्ज़ जिसमें सजदह का मादह पाया जाता हो वह और उसके साथ क़ब्ल या बाद का कोई लफ़्ज़ मिला कर पढ़ना काफ़ी है.

मसला – आयतें सजदह की हिज्जे करने या हिज्जे सुनने से सजदह वाजिब न होगा

मसला – आयते सजदह का तरजमा पढ़ा तो पढ़ने वाले और सुनने वा पर सजदह वाजिब हो गया चाहे सुनने वाले ने यह समझा हो या न समझा कि यह आयते सजदह का तरजमा है अलबत्ता यह ज़रुर है कि उसे न मालूम हो तो बता दिया गयाहो कि यह आयते सजदह का तरजमा था और अगर आयत पढी गई हो तो इसकी ज़रुरत नही कि सुनने वाले को आयते सजदह होना बताया गया हो .

मसला – हैज़ व नेफ़ास वाली औरत ने आयते सजदह पढी तो खुद उसपर सजदह वाजिब न होगा . अलबत्ता और सुनने वालो पर वाजिब हो जायेगा

मसला – हैज़ व नेफ़ास वाली पर आयते सजदह सुनने से भी सजदह वाजिब नही होता जैसे कि पढ़ने से नही होता .

मसला – जुनुब ने या बे वज़ू ने आयतें सजदह पढी या सुनी तो सजदह वाजिब है

मसला – नाबालिग़ ने आयते सजदह पढ़ी तो सुनने वाले पर सजदह वाजिब है नाबालिग़ पर नही .

मसला – एमाम ने आयते सजदह पढ़ी और सजदह न किया तो मुक़तदी भी उसकी पैरवी में सजदह न करेगा अगरचे आयत सुनी हो .

मसला – जिस वक़्त आयते सजदह पढ़ी गई अगर उस वक़्त किसी वजह से सजदह न कर सके तो पढ़ने वाले और सुनने वाले को यह कह लेना मुस्तहब है. " समेना व अताना गुफ़रानका रब्बाना व एलैकल मसीर"

मसला – पूरी सूरत पढ़ना और सजदे की आयत छोड़ देना मकरुह तहरीमी है .

मसला – एक मजलिस में सजदह की एक आयत को बार बार पढ़ा या सुना तो एक ही सजदह वाजिब होगा अगरचे चन्द आदिमयो से सुना हो यूंही अगर एक आयत पढी और वही आयत दूसरे से भी सुनी जब भी एक ही सजदह वाजिब होगा .

मजलिस बदलने की सूरतें–

मसला – दो एक लुक़मा खाने से, दो एक घूंट पीने से, खड़े हो जाने से, दो

एक क़दम चलने से सलाम का जवाब देने से, दो एक बात करने से, घर के एक कोने से दूसरे कोने की तरफ़ चलने से मजलिस न बदलेगी हां अगर मकान बड़ा है जैसे शाही महल तो ऐसे मकान के एक कोने से दूसरे कोने मे जाने से मजलिस बदल जायेगी कश्ती में है और कश्ती चल रही है तो मजलिस न बदलेगी रेल का भी यही हुक्म होना चाहिये. जानवर पर सवार है और जानवर चल रहा है तो मजलिस बदल रही है हां अगर सवारीपर नमाज़ पढ़ रहा है तो न बदलेगी, तीन लुक़मा खाने, तीन घूंट पीने, तीन लफ़्ज़ बोलने, तीन क़दम मैदान में चलने से निकाह करने, ख़रीद व फ़रोख़्त करने लेट कर सो जाने से मजलिस बदल जायेगी.

मसला – किसी मजलिस में देर तक बैठना क़रात, तसबीह, तहलील, दर्स, वाज़ में मशगूल होना मजलिस को नही बदलेगा अगर दोनो बार आयतें सजदह पढ़ने के दरम्यान कोई दुनिया का काम किया मसलन कपड़ा सीना वग़ैरह तो मजलिस बदल गई.

मसला – अगर सुनने वाले सजदे के लिये अमादह हों और सजदह उनपर बार न हो तो आयतें सजदह ज़ोर से पढ़ना बेहतर है वरना आहिस्ता पढ़े और अगर सुनने वालो का हाल मालूम नही कि आमादह है या नही जब भी आहिस्ता पढ़ना बेहतर होना चाहिये.

मसला – मर्ज़ की हालत में इशारे से भी सजदह अदा हो जायेगा यूंही सफ़र में सवारी पर इशारे से हो जायेगा.

सजदए शुक्र – इसका वही तरीक़ा है जो सजदए तेलावत का है.

मसला – औलाद पैदा हुई या माल पाया या खोई हुई चीज़ मिल गई या बीमार से तन्दुरुस्ती पाई या मुसाफ़िर वापस आया या और कोई नेमत मिली तो सजदए शुक्र करना मुस्तहब है.

क़राअत यानी क़ुरआन शरीफ़ पढ़ने का बयान

मसला – क़रात में इतनी आवाज़ होनी चाहिये कि अगर बहरा न हो और शोर व गुल न हो तो खुद सुन सके अगर इतनी आवाज़ भी न हुई तो नमाज़ न होगी, इसी तरह जिन मोआमलात में बोलने को दख़ल है सब में इतनी आवाज़

ज़रुरी है मसलन जानवर ज़िबह करते वक़्त बिस्मिल्लाहे अल्लाहो अकबर कहने मे, तलाक़ देने मे, आयते सजदह पढ़ने पर , सजदह तेलावत वाजिब होने में इतनी आवाज़ ज़रुरी है कि खुद सुन सके .

मसला – फ़ज्र व मग़रिब व एशा की दो पहली रकातो में और जुमा व ईदैन व तरावीह और रमज़ान के वित्र में एमाम पर जेहर (ज़ोर से पढ़ना) वाजिब है और मग़रिब की तीसरी रकात में और एशा की तीसरी आर चौथी रकात में और ज़ोहर व अस्त्र की सब रकातो में आहिस्ता पढ़ना वाजिब है

मसला – जेहर के यह मानी है कि इतनी ज़ोर से पढ़े कि कम से कम पहलीसफ़ के लोग सुन सके और आहिस्ता यह कि खुद सुन सके .

मसला – इस तरह पढ़ना कि क़रीब के दो एक आदमी सुन सकें जेहर नही बल्कि आहिस्ता है .

मसला – जेहरी नमाज़ो में अकेले को अख्तेयार है चाहे ज़ोर से पढ़े चाहे आहिस्ता और अफ़ज़ल जेहर है .

मसला – अगर मुन्फ़रिद कज़ा पढ़े तो हर नमाज़ में आहिस्ता पढ़ना वाजिब है .

मसला – आहिस्ता पढ़ रहा था कि दूसरा शख़्स शामिल हो गया जो बाकी है उसे जेहर से पढ़े औरजो पढ़ चुका है उसका एआदह नही .

मसला – सूरत मिलना भूल गया रुकू में याद आया तो खडा हो जाये और सूरे मिलाये फ़िर रुकू करे और आखिर में सजदह सहू करे अगर दोबारा रुकू न करेगा तो नमाज़ न होगी .

मसला -हज़र में जबकि वक्त तंग न हो तो सुन्नत यह है कि फ़ज्र व ज़ोहर में तेवाले मोफ़स्सल पढ़े और अस्र व ऐशा में औसाते मुफ़स्सल पढ़े और मग़रिब में केसारे मुफ़स्सल —— चाहे एमाम हो या मुन्फ़रिद .

फ़ाएदा – सूरए हुजरात से सूरे बुरुज तक की सूरतें तेवाले मोफ़स्सल कहलाती हैं और सूरए बुरुज से सूरए लमयकु निल्लज़ीना तक औसाते मोफ़स्सल और लम यकुन से आख़ीर तक केसारे मोफ़स्सल कही जाती हैं .

मसला – सफ़र में अगर अमन व क़रार हो तो सुन्नत यह है कि फ़ज्र व ज़ोहर में सूरह बुरुज या इसके मिस्ल सूरतें पढ़े और अस्र व एशा में इससे छोटी

और मगरीब मे केसारे मोफ़स्सल की छोटी सूरतें पढ़े और जल्दी हो तो हर नमाज़ मे जो चाहे पढ़े .

मसला – इज़्तेरारी हालत में मसलन वक़्त जाते रहने का डर हो या चोर या दुश्मन का खौफ़ हो तो जो चाहे पढ़े चाहे सफ़र हो या हज़र यहां तक कि अगर वाजिबात की मराआत नही कर सकता तो इसकी भी इजाज़त है मसलन फ़ज्र का वक़्त इतना तंग हो गया कि सिर्फ़ एक एक आयत पढ़ सकता है तो यही करे लेकिन आफ़ताब बुलन्द होने के बाद ऐसी नमाज़ का एआदह करे .

मसला – फ़ज्र की सुन्नत पढ़ने में जमात जाने का डर हो तो सिर्फ़ वाजिबात पर इक़्तेसार करे सना व तऔऊज़ को छोड़ दे और रुकू व सजूद मे एक एक बार तसबीह पर एकतेफ़ा करे .

मसला – वित्र में हुज़ुर अलैहिस्सला तो वस्सलाम ने पहली रकात में सब्बेहिस्मा रब्बेकल अला पढ़ी औरदूसरी में क़ुलया अइयोहल काफ़ेरुन और तीसरी में कुलहोवल्लाहा अहद पढ़ी लेहाज़ा कभी तबर्रुकन इन्हे पढ़े और कभीपहली रकात में सब्बेहिस्मा के बजाए इन्ना अन्ज़लनाहो पढ़े.

मसला – कुरआन शरीफ़ उल्टा पढ़ना मकरुह तहरीमी है मसलन यह कि पहली रकात मे क़ुलया अइयोहल काफ़ेरुन पढ़े और दूसरी में अलमतराकैफ़ा पढ़े यह नाजाएज़ है लेकिन अगर भूल कर पढ़ दी तो कुछ नही.

मसला – बच्चों को आसानी के लियें पारयें "अम (पारा नम्बर तीस)" खेलाफ़े तरतीब पढ़ाने मे हर्ज नही .

मसला – अगर भूल कर दूसरी रकात में पहली वाली सूरे शुरु कर दी तो चाहे अभी एक ही लफ़ज़ पढ़ा हो इसी को पूरा करे दूसरी पढ़ने की एजाज़त नही . मसलन पहलीरकात में कुलया अइयोहल काफ़ेरुन पढ़ी और दूसरी में भूले से अलमतराकैफ़ा शुरु कर दी तो इसी को पढ़े .

मसला – दरम्यान से एक सूरे छोड़ कर पढ़ना मकरुह है लेकिन अगर दरम्यान की सूरे पहली से बड़ी तो छोड़ सकता है . मसलन वत्तीने के बाद इन्ना अन्जलना पढ़ने मे हर्ज नही और एज़ाजाआ के बाद कुलहोवल्लाह पढना न चाहिये .

मसला -- बेहतर यह है कि फ़र्ज़ नमाज़ो में पहली रकात की क़रात दूसरी

रकात से कुछ ज़्यादा हो और फ़ज्र में तो पहली रकात में दो तिहाई और दूसरी में एक तिहाई हो .

मसला – जुमा व ईदैन की पहली रकात में सब्बेहिस्मा दूसरी में हल अताका पढ़ना सुन्नत है .

मसला – सुन्नतों और नफ़िलों की दोनो रकातों में बराबर की सूरतें पढ़े.

मसला – नवाफ़िल की दोनो रकातों में एक ही सूरत पढ़ना या एक रकात में उसी सूरह को बार बार पढ़ना बिला कराहत जाएज़ है .

क़राअत में ग़ल्ती हो जाने का बयान

इसमें क़ादए कुलिया यह है कि अगरऐसी ग़ल्ती हुई जिससे मानी बिगड़ जाये तो नमाज़ फ़ासिद हो गई वरना नही.

मसला – एक हर्फ़ कीजगह दूसरा हर्फ़ पढ़ना अगर इस वजह से है कि उ[illegible] ज़बान से वह हर्फ़ अदा नही होता तो मजबूर है . इसपर कोशिश करना ज़रूरी है और अगर लापरवाही से है जैसे आज कल के अक्सर हुफ़्फ़ाज़ व [illegible]ोलमा कि अदा करने पर क़ादिर हैंमगर बे ख्याली मे तब्दीले हर्फ़ कर देते है [illegible]ो अगर मानी फ़ासिद हो नमाज़ न हुई . इस किस्म की जितनी नमाज़ें पढी हों [illegible]नकी क़ज़ा लाज़िम है .

मसला – ता, ते, सीन, से स्वाद, ज़ाल, ज़े, ज़ो, अलिफ़, हमज़ा, ऐन, [illegible]–हा ज़ुवाद, जो ज़ाल इन इन हरफ़ों में सही तौरपर इस्तेयाज़ रक्खें वरना [illegible]नी फ़ासिद होने की सूरत में नमाज़ न होगी और बाज़ तो सीन, शीन, ज़े, [illegible]म, क़ाफ़ काफ़ में भी फ़र्क़ नही करते .

मसला – जिससे हुरूफ़ सही अदा नही होते उस प[illegible] वाजिब है कि हुरूफ़ [illegible]ी करने में रात दिन पुरी कोशिश करे और अगर सही पढ़ने वालो के पीछे [illegible] सकता हो तो जहां तक हो सके उनके पीछे पढ़े या वह आयतें पढ़े जिनके [illegible]फ़ सही अदा कर सकता हो औरयह दोनो बातें मुमकिन न हो तो कोशिश के [illegible]ाने में इसकी अपनी नमाज़ हो जायेगी और इसके पीछे इस जैसो की भी .

[illegible]सला – जिसने सुब्हाना रब्बीयल अज़ीम को अजीम ज़ो के बजाए जे पढ़ [illegible] जाती रही लेहाज़ा जिससे अज़ीम सही अदा न हो वह सुब्हाना रब्बीयल [illegible]तो नमाज़

करीम पढ़े

नमाज़ के बाहर कुरआन शरीफ़ पढ़ने का बयान

मसला – कुरआन शरीफ़ नेहायत अच्छी आवाज़ से पढ़ना चाहिये लेकिन गाने की तरह नही कि यह नाजाएज़ है बल्कि क़वाएदे तजवीद की रेआयत करे

मसला – कुरआन मजीद देखकर पढ़ना ज़बानी पढ़ने से अफ़ज़ल है

मसला – मुस्तहब यह है कि बा वज़ु क़िबला रु अच्छे कपड़े पहन कर तेलावत करे और तेलावत में शुरु में आऊज़ोबिल्लाह पढ़ना वाजिब है और सूरह के शुरु में बिस्मिल्लाह पढ़ना सुन्नत है वरना मुस्तहब अगर आयत पढ़ना चाहता है और इस आयत के शुरु मे ऐसी ज़मीर है जो अल्लाह तआला की तरफ़ राजे है जैसे होवल्लाहुल्लजी लाएलाहा इल्लाहू तोइस सूरत में आऊज़ोबिल्लाह के बाद बिस्मिल्लाह पढ़ने का इस्तेहबाब मोअक्कद है बीच में कोई दुनियावी काम करे तो आऊज़ोबिल्लाह बिस्मिल्लाह फ़िर पढ़ ले और दीनी काम किया जैसे सलाम का जवाब दिया या अज़ान का जवाब दिया या सुब्हान अल्लाह कहा या कलमा बगैरह अज़कार पढ़े आउज़ोबिल्लाह पढ़ना उसके ज़िम्मा नही.

मसला – सूरए बरात से अगर तेलावत शुरु की तौ आउज़ोबिल्लाह बिस्मिल्लाह कह लें हां अगर सूरए बरात तेलावत के बीच में आई तो बिस्मिल्लाह पढ़ने की ज़रुरत नही और जो यह मशहूर है कि अगर तेलावत की इब्तेदा सूरए बरात से करे तब भी बिस्मिल्लाह न पढ़े यह बिल्कुल ग़लत है इसी तरह यह भी बे अस्ल है कि इसके इब्तेदा में तऔऊज़ पढ़े दरम्याने तेलावत में.

मसला – तीन दिन से कम में एक ख़त्म बेहतर नही

मसला – जब ख़त्म हो तो तीन बार कुलहोवल्लाहो अहद पढ़ना बेहतर है

मसला – लेट कर कुरआन पढ़ने में हर्ज नही जबकि पांव सिमटे हों और मुंह खुला हो. यूंही चलने और काम करने की हालत में भी तेलावत जाएज़ है

जबकि दिल न बटे वरना मकरुह है

मसला – गुस्लख़ाना और नजासत की जगहो में कुरआन मजीद पढ़ना नाजायज़ है.

मसला – जब बुलन्द आवाज़ से क़ुरआन शरीफ़ पढ़ा जाये तो तमाम हाज़ेरीन पर सुनना फ़र्ज़ है. जबकि वह मजमा सुनने की गरज़ से हाज़िर हो वरना एक का सुनना काफ़ी है अगरचे और अपने काम में हो.

मसला – सब लोग मजमा में ज़ोर से पढ़ें यह हराम है. अक्सर उर्स व फ़ातेहा के मौके पर सब लोग ज़ोर से पढ़तें है यह हराम है. अगर चन्द आदमी पढ़ने वाले हो तो हुक्म है कि आहिस्ता पढ़ें.

मसला – बाज़ारो में और जहां लोग काम में लगे हो ज़ोर से पढ़ना नाजाएज़ है. लोग अगर न सुनेंगे तो गुनाह पढ़ने वाले पर है.

मसला – तेलावत करने में कोई मुअज़्ज़म दीनी बादशाहे इस्लाम या आलिमेदीन या पीर या उस्ताद या बाप आ जाये तो तेलावत करने वाला उसकी ताज़ीम को खड़ा हो सकता है.

मसला – मसला जो शख्स ग़लत पढ़ता हो तो सुनने वाले पर वाजिब है कि बता दे बशर्ते कि बताने की वजह से कीना व हसद पैदान हो.

मसला – क़ुरआन शरीफ़ ज़ोर से पढ़ना अफ़ज़ल है जबकि किसी नामाज़ी या बीमार या सोने वाले को तकलीफ़ न पहुंचे

मसला – दीवारो और मेहराबो पर, क़ुरआन मजीद लिखना अच्छा नहीं.

मसला – क़ुरआन शरीफ़ पढ़कर भुला देना गुनाह है क़यामत के दिन अन्धा कोढ़ी होकर उठेगा.

मसला – क़ुरआन शरीफ़ की तरफ़ पीठ न की जाये, न पौवं फ़ैलाया जाये, न पैांव उससे ऊंचा करें, न यह करे कि खुद ऊंची जगह पर हो और क़ुरआन शरीफ़ नीचे हो.

मसला – क़ुरआन शरीफ़ के ऊपर कोई किताब न रक्खी जाये अगरचे फ़ेक़ा व हदीस की हो.

मसला – क़ुरआन शरीफ़ पुराना बोसीदा हो गया कि पढ़ने के क़ाबिल न रहा तो किसी पाक कपडे में लपेट कर एहतेयात की जगह दफ़न कर दिया जाये.

और दफ़न करने में इसके लिये लहद बनाई जाये ताकि इस पर मिट्टी न पड़े.

मसला – पुराने क़ुरआन शरीफ़ को जो पढ़ने के काबिल न रहा जलाया न जाये बल्कि दफ़न किया जाये.

मसला – क़ुरआन मजीद जिस सन्दूक़ में हो उस पर कपड़ा वग़ैरह न रखा जाये.

मसला – किसी ने महज़ ख़ैर व बरकत के लिये क़ुरआन मजीद अपने घर में रख छोड़ा है और तेलावत नही करता तो गुनाह नही बकि इसकी यह नीयत बाइसे सवाब है

जमात का बयान

जमात की बहुत ताकीद है और इसका सवाब बहुत ज़्यादा है यहां तक कि बे जमात की नमाज़ से जमात वाली नमाज़ का सवाब सत्ताइस गुना है.

मसला – मर्दो को जमात के साथ नमाज़ पढ़ना वाजिब है बिला उज़्र एक बार भी छोड़ने वाला गुनाहगार और सज़ा के लाएक़ है और कई बार तर्क करने वाला तो फ़ासिक़ (मरदूदुश्शहादत) है और उसको सख़्त सज़ा दी जायेगी अगर पड़ोसियों ने सकूत किया तो वह भी गुनाहगार हुए.

मसला – जुमा व ईदैन में जमात शर्त है यानी बेग़ैर जमात यह नमाज़ होगी ही नही.

मसला – तरावीह में जमात सुन्नते केफ़ाया है यानी मोहल्ला के कुछ लोगो ने जमात से पढ़ी तो सबके ज़िम्मा से जमात छोड़ने की बुराई जाती रही और अगर सब ने जमात छोड़ी तो सब ने बुरा किया

मसला – रमज़ान शरीफ़ के वित्र में जमात मुस्तहब है.

मसला – सुन्नतो और नफ़िलो में जमात मकरुह है और रमज़ान के अलावा वित्र में भी मकरुह है.

मसला – अगर जानता है कि आज़ायें वज़ू तीन तीन बार धोने में रकात छूट जायेगी तो बेहतर यह है कि तीन तीन बार न धोये और रकात न जाने दे और अगर समझता है कि तीन तीन बार धोने में रकात तो मिल जायगी मगर तकबीरे ऊला न पायेंगा तो तीन बार धोयें

मसला – मुहल्ला की मस्जिद में जिसके लिये एमाम मोक़र्रर है मुहल्ला के एमाम ने अज़ान व एकामत के साथ सुन्नत के मुताबिक़ जमात पढ़ ली है तो अब फ़िर दोबारा अज़ान व एकामत के साथ पहले ही की तरह जमात क़ाएम करना मकरुह है और अगर बे अज़ान जमात दोबारा की तोहर्ज नही जबकि मेहराब से हट कर हो और अगर पहली जमात बे अज़ान हुई या आहिस्ता अज़ान हुई या ग़ैरो ने जमात क़ाएम की तो फ़िर जमात क़ाएम की जायें और यह जमात जमाते सानिया न होगी

मसला – जिसकी जमात जाती रही उस परयह वाजिब नही कि दुसरी मस्जिद में जमात तलाश करके पढ़े अलबत्ता अगर ऐसा करे तो मुस्तहब है.

इन उज़्रो से जमात छोड़ सकता है. ऐसी बीमारी कि मस्जिद तक जाने मे मशक़्क़त हो. सख़्त बारिश, बहुत कीचड़, सख़्त सर्दी, सख़्त अन्धेरी, आंधी, पाखाना, पेशाब, रेयाह का बहुत जोर होना ज़ालिम का खौफ़, काफ़िला छूट जाने का डर, अन्धा होना, अपाहिज होना, इतना बूढ़ा होना कि मस्जिद तक जाने से मजबूर हो, माल या खाने के हलाक हो जाने का डर, मुफ़लिस को कर्ज़ख़्वाह का डर, बीमार की देखभाल कि यह अगर छोड़ कर चला जायेगा तो उसको तकलीफ़ होगी या घबरायेगा यह सब जमात छोड़ने के उज़्र हैं.

मसला – औरतो को किसी नमाज़ में जमात की हाज़री जाएज़ नही दिन की नमाज़ हो या रात की जुमा की हो या ईदैन की चाहे जवान हो या बुढ़िया यूंही वाज़ की मजलिस में भी जाना नाजाएज़ है.

मसला – अकेला मुक़तदी मर्द अगरचे लड़का हो एमाम के बराबर दाहिनी तरफ़ खड़ा हो बाई तरफ़ या पीछे खड़ा होना मकरुह है. दो मुक़तदी हों तो पीछे खड़े हों बराबर खड़ा होना मकरुह तनज़ीही है दो से ज़्यादा का एमाम के बराबर खड़ा होना मकरुह तहरीमी है.

मसला – एक आदमी एमाम के बराबर खड़ा था फ़िर एक और आया तो एमाम आगे बढ़ जायें और यह आने वाला इस मुक़तदी के बराबर खड़ा हो जायें और अगर एमाम आगे न बढ़े तोयह मुक़तदी पीछे हट आये या खुद हट आयें या आने वाला उसको पीछे खीच ले. लेकिन जब मुक़तदी एक हो तो उसका पीछे आ जाना अफ़ज़ल है और अगर दो हों तो एमाम का आगे बढ़ जाना अफ़ज़ल

मसला – सफ़ सीधी हो और लोग मिल कर खड़े हो बीच में जगह न रहे और सब के मोढ़े बराबर हो और एमाम आगें बीच में हो

मसला – पहली सफ़ में और एमाम के करीब खडा होना अफ़ज़ल है लेकिन जनाजा में पिछली सफ़ में होना अफ़जल है.

मसला – मुक़तदी को तकबीर तहरीमा एमाम के साथ या बाद कहना चाहिये यहां तक कि अगर लफ्ज़ अल्लाह तो एमाम के साथ कहा और अकबर एमाम से पहलें तो नमाज़ न होगी

मसला – मुक़तदी को किसी नमाज़ में करात जाएज़ नही न अलहम्दो न सूरह ख़्वाह एमाम ज़ोर से पढ़े या आहिस्ता एमाम कापढ़ना मुक़तदी के लिये काफ़ी है

मसला – सफ़ो की तरतीब यूं होना चाहिये कि अगली सफ़ो में मर्द हों और उसके बाद लड़के और सबसे पीछे आरतें

मसला – एमाम को **(1)** मुसलामन **(2)** मर्द **(3)** आक़िल **(4)** बालिग़ **(5)** नमाज़ के मसाएल का जानने वाला **(6)** गैर माज़ूर होना चाहियें कि अगर एमाम मे इन छओं बातो में से कोई बात न पाई गई तो उसके पीछे नमाज़ न होगी

मसला – माज़ूर अपने मिस्ल माज़ूर का या अपनेसे ज़ाएद उज़्र वालें का एमाम हो सकता है और अगर एमाम व मुक़तदी दोनो को दो क़िस्म के उज़्र हो मसलन एक को रेयाह का मर्ज़ है और दुसरे को क़तरे का तो एक दूसरे की एमामत नही कर सकता

मसला – तयम्मुम करने वाला बज़ु करने वालो का एमाम हो सकता है.

मसला – मोज़ो पर मसह करनेवाला पैर धोने वालो की एमामत कर सकत है

मसला – खड़ा होकर नमाज़ पढ़नें वाला बैठ कर पढ़ने वालें की एक़तेदा कर सकता है

मसला – वह शख़्स जो रुकू सजूद करता है वह उसके पीछे नही पढ़ सकता जो इशारे से पढ़ता है लेकिन अगर एमाम व मुक़तदी दोनो इशारे से पढ़तें हो

तो एक़तेदा जाएज़ है.

मसला – नंगा सतर छुपाने वाले का एमाम नही हो सकता

मसला – बद मज़हब जिसकी बद मज़हबी हदे कुफ्र को न पहुंची हो जैसे तफ्ज़ीलीया इसको एमाम बनाना गुनाह और उसके पीछे नमाज़ मकरुह तहरीमी वाजिबुल एआदा है.

मसला – फ़ासिक़ मुअलिन जैसे शराबी, जुआरी, ज़ानी, सूद खोर, चुगुलखोर वग़ैरह जो कबीरा गुनाह अलानिया करते हैं उनको एमाम बनाना गुनाह और उनके पीछे नमाज़ मकरुह तहरीमी वाजिबुल एआदा है.

मसला – वह बद मज़हब जिसकी बद मज़हबी हदे कुफ्र को पहुंच गई हो जैसे राफ़ज़ी (अगरचे सिर्फ़ अबूबकर सिद्दीक़ रज़े अल्लाहो अन्हू की खेलाफ़त या सहाबियत से इन्कार करता हो या शेख़ैन रज़े अल्लाहो अन्हुमा की शाने अक़दस में तबर्रा कहता हो) जहमी, मुशब्बहक़दरी और वह जो क़ुरआन को मखलूक़ बताता है और वह जो शफ़ाअत या दीदारे एलाही या अज़ाबे क़ब्र या केरामन कातेबीन का इन्कार करता है उनके पीछे नमाज़ नही हो सकती इससे सख्त तर हुक्म उन लोगों का है जो अपने आप को मुसलमान कहते है बल्कि मुत्तबए सुन्नत बनते हैं और इसके बावजूद बाज़ ज़रुरियाते दीन को नही मानते अल्लाह व रसूल की तौहीन करते या कम से कम तौहीन करने वालो को मुसलमान जानते हैं. इनके पीछे भी बिल्कुल नमाज़ जाएज़ नही.

मसला – फ़ासिक़ की एक़तेदा न की जाये मगर सिर्फ़ जुमा में कि इसमें मजबूरी है बाक़ी नमाज़ों में दूसरी मस्ज़िद में चला जाये और जुमा अगर शहर में चन्द जगह होता हो तो इसमें भी एक़तेदा न की जायें दूसरी मस्ज़िद में जाकर पढ़े.

मसला – एमाम का तन्हा ऊंची जगह खड़ा होना मकरुह है अगर बुलन्दी थोड़ी हो तो मकरुह तन्ज़ीही और अगर बुलन्दी ज़्यादा हो तो मकरुह तहरीमी

मसला – एमाम नीचे हो और मुक़तदी ऊंची जगह पर यह भी मकरुह और ख़ेलाफ़े सुन्नत है.

मसला – मसबूक़ अपनी छूटी हुई रकातों के अदा करने में मुन्फ़रिद है

मसबूक़ वह है जो जमात में उस वक़्त शामिल हुआ जबकि कुछ रकातें एमाम पढ़ चुका था और आख़िर तक एमाम के साथ रहा . मुन्फ़रिद के मानी अकेला पढ़ने वाला जो जमात के साथ न पढ़ें.

मसला – मसबूक़ ने एमाम को क़ादे में पाया तो इस तरह शामिल हो कि पहले नीयत करके खड़ा हो और सीधे खड़े रहने की हालत में तकबीरे तहरीमा कहे तकबीरे तहरीमा कह कर फ़िर दूसरी तकबीर कहता हुआ क़ादे में जायें अगर रुकू या सजदा में पायें तब भी यूंही करे अगर पहली तकबीर कहने में रुकू की हद तक झुक गया तो नमाज़ न होगी .

मसला – मसबूक़ चार रकात वाली नमाज़ में चौथी रकात में जमात में शामिल हुआ तो एमाम के सलाम फेरने के बाद खड़ा हो जाये . और एक रकात अलहम्द और सूरत के साथ पढ़े क़ादा करे और फ़िर खड़ा हो जाये और उसमें भी अलहम्दो और सूरत पढ़े और इस रकात पर क़ादा न करे बल्कि एक रकात और पढ़े सिर्फ़ अलहम्दो के साथ और

इस आख़िरी रकात पर क़ादा वग़ैरह करके नमाज़ ख़त्म करे यानी अलावह एमाम के साथ वाले क़ादा के उसको दो क़ादे और करने होंगे एक क़ादा एक रकात के बाद और दुसरा क़ादा इस क़ादा के बाद दो रकात और पढ़ कर .

मसला – मसबूक़ मग़रिब की तीसरी रकात में शरीक हुआ तो एमाम के सलाम फ़ेरने के बाद खड़ा हो जाये. अलहम्दो व सूरे के साथ एक रकात पढ़कर क़ादा करके फ़िर खड़ा हो जायें और अलहम्दो औरसूरे पढ़ कर रकात पूरी करे और क़ादा अखीरह करके नमाज़ ख़त्म करे यानी अपनी दोनों रकातों में हर रकात पर क़ादा करे और दोनों रक़ातों में अलहम्दो और सूरे पढ़े इसमें भी दो क़ादे हुए अलावा एमाम के क़ादे के .

मसला – चार रकात वाली नमाज़ की तीसरी रकात में शामिल हुआ तो एमाम के बाद दो रकात और पढ़े और इन दोनों मेंअलहम्दो और सूरे ज़रुर पढ़े.

मसला – पहली रकात छूट गई तो एमाम के बाद एक रेकात पढ़े, अलहम्दो और, सूरत के साथ .

मसला-मसबूक़ ने भूल कर एमाम के साथ सलाम फेर दिया तो नमाज़ न गई पूरी करे अगर बिल्कुल साथ फेरा है तो सजदह सहू भी नहीं और अगर एमाम के ज़रा बाद फेरा तो सजदह सहू वाजिब है। और अगर कसदन सलाम फेरा यह समझ कर कि मुझे भी एमाम के साथ सलाम फेरना चाहिये तो नमाज़ जाती रही फिर से पढ़े।

मसला-किसी ने चार रकात वाली फ़र्ज़ नमाज़ अकेले शुरू की और अभी पहली रकात का सजदह न करने पाया था कि वहीं जमात शुरु हुई तो अपनी नमाज़ तोड़ कर जमात में शरीक हो जाये और फ़ज्र और मग़रीब में तो अगर पहली रकात का सजदह भी कर लिया हो तो भी तोड़ कर शरीके जमात हो जाये।

मसला-चार रकात वाली नमाज़ में अगर रकात का सजदह कर लिया तो न तोड़ बल्कि एक रकात और पढ़ कर दो पर क़ादा करके सलाम फेर के जमात में शामिल हो जाये।

मसला-अगर तीन रकातें पूरी पढ़ली और जमात क़ाएम हुई तो जमात में शामिल नहीं हो सकता अपनी ही चारों पूरी करे और बाद में नफ़िल की नीयत से जमात में शरीक हो जाये मगर अस्र में शामिल नहीं हो सकता इस लिये कि अस्र के बाद नफ़िल जाएज़ नहीं।

मसला-चार रकात वाली नमाज में तीसरी रकात का अभी सजदह न किया था कि जमात शुरु हुई तो नमाज़ तोड़ दे और जमात में शरीक हो जाये।

मसला-नमाज़ तोड़ने के लिये बैठने की ज़रुरत नही खड़े खड़े तोड़ने की नीयत से एक तरफ़ सलाम फेर दे।-

मसला-नफ़िल या सुन्नत या कज़ा शुरु की और जमात क़ाएम हुई तो नमाज़नतोड़े पूरी करके शामिल हो अलबत्ता अगर नफ़िल चार रकात की

नीयत से शुरु की तो दो रकात पर तोड़ दे। तीसरी और चौथी रकात में हो तो पूरी करे।

मसला-जमात में मिलने के लिये नमाज़ तोड़ने का हुक्म उस वक्त है जबकि जमात उस जगह क़ाएम हो जहाँ यह पढ़ रहा है। अगर यह घर में पढ़ रहा है और मस्जिद में जमात क़ाएम हुई तो तोड़ने का हुक्म नहीं या यह एक मस्जिद में पढ़ रहा है और जमात दूसरी मस्जिद में शुरु हुई तो नहीं तोड सकता अगरचे अभी पहली रकात का सजदह न किया हो तब भी नहीं तोड़ सकता

मसला-क़ेयाम व रुकू व सजूद व क़ादाअखीरहमें तरतीब फ़र्ज़ है अगर क़ेयाम से पहले रुकू कर लिया फिर क़ेयाम किया तो वह रुकू जाता रहा अगर बाद क़ेयाम फिर रुकू करेगा तो नमाज़ हो जायेगी वरना नहीं। यूंही रुकू से पहले सजदह करने के बाद अगर रुकू फिर सजदह कर लिया तो हो जायेगी वरना नहीं।

मसला-जो चीज़ें फ़र्ज़ हैं उनमें एमाम की पैरवी मुक़तदी पर फ़र्ज़ है यानी अगर फ़र्ज़ चीज़ों में से कोई चीज़ एमाम से पहले अदा किया और एमाम के साथ या एमाम के अदा करने के बाद अदा न किया तो नमाज़ न होगी जैसे एमाम से पहले सजदह कर लिया और एमाम अभी सजदह में न आया था कि उसने सर उठा लिया तो अगर एमाम से साथ या बाद को अदा कर लिया तो नमाज़ हो गई वरना नहीं।

मसला-मुक़तदी नेएमाम से पहले सजदह किया मगर उसके सर उठाने से पहले एमाम भी सजदह में पहूँच गया तो सजदह हो गया मगर मुक़तदी को ऐसा करना हराम है।

मसला-मुक़तदी को सफ़ के पीछे तन्हा खड़ा होना मकरुह तन्ज़ीही है जबकि सफ़ में जगह मौजूद हो और अगर सफ़ में जगह न हो तो हर्ज नहीं और अगर किसी को सफ़ मे से खीच ले और उसके साथ खड़ा हो तो यह अच्छा है मगर यह ख़्याल रहे कि जिसको खीचे वह इस मसले को जानता हो

कहीं उसके खींचने से अपनी नमाज़ न तोड़ दे और चाहिये यह कि यह किसी को इशारा करे और उसे यह चाहिये कि पीछे न हटे इसपर से कराहत दूर हो जायेगी।

जमात क़ाएम करने का तरीक़ा

जमात इस तरह क़ाएम की जाये कि नमाज़ का जब मुस्तहब वक़्त शुरु हो जाये तो अज़ान कही जाये इसके बाद सब लोग बा वज़ू मस्जिद मे या जहाँ जमात करनी हो जमा हों और सुन्नत घर से पढ़ कर न आये हों तो इससे फारिग होकर सफ़ ब सफ़ बैठ जायें और एमाम अपनीजगह पर बैठ जाये अब मोअज़्ज़िन तकबीर कहे जब हइया अलल फलाह पर पहूंचे तब एमाम और मुक़तदी सब लोग खड़े हो जायें। एमाम नमाज़ और एमामत की नीयत करके पढ़ना शुरु कर दे और मुक़तदी भी रुकू करे और एमाम के साथ साथ पूरी नमाज़ ख़त्म करें अलहम्दो और सूरत के सिवा सब कुछ जो नमाज़ों में पढ़ा जाता है पढ़ें अगर कोई शख़्स एमाम के शुरु कर देने या कुछ रकातों के पढ़ लेने के बाद आया तो वह भी इस नमाज़ और इस एमाम के पीछे पढ़ने की नीयत से शरीक हो जाये। आख़ीर में जब एमाम सलाम फेरे सब सलाम फेरें लेकिन जिसकी नमाज़ कुछ छूट गई है वह सलाम न फेरे बल्कि खड़ा हो जाये और अपनी छूटी हुई रकातों को पूरी करके सलाम फेरे सलाम के बाद एमाम अपने दाहिने या बायें या मुक़तदियों की तरफ़ घूम जाये और दोनों हाथ सीने के सामने फैलाकर दुआ मांगे और मुक़तदी भी दुआ मांगें दुआ के बाद अपनी अपनी जगह से हट कर सुन्नत नमाज़ें पढ़ें।

मसला–एमाम तकबीरे तहरीमा क़दक़ामतिस्सलात से ज़रा पहले कहे और मुक़तदी एमाम के तकबीर कहने के बाद तकबीरें कहें।

नमाज़ फ़ासिद करने वाली चीज़ों का बयान

मसला- कलाम मुफ़स्सिदे नमाज़ है। यानी नमाज में बोलने से नमाज टूट जाती है चाहे जान बूझ कर बोले या भूले से एक अध बात बोले या ज्यादा।

मसला- कलाम वही मुफ़स्सिद है जिसमें इतनी आवाज़ हो कि कम से कम खुद सुन सके अगर कोई माने न हो।

मसला- किसी को भूले से भी सलाम किया तो नमाज़ जाती रही चाहे खाली अस्सलाम ही कहा हो अलैकुम न कह पाये हो।

मसला- ज़बान से सलाम का जवाब दिया तो नमाज़ जाती रही और हाथ या सर के इशारे से दिया मकरूह हुई।

मसला- नमाज़ में छींक आये तो अलहम्दोलिल्लाह न कहे अगर कह दिया तो नमाज़ न गई।

मसला- खुशी की ख़बर के जवाब में अलहम्दोलिल्लाह कहा या बुरी ख़बर पर इन्नालिल्लाहे व इन्ना एलैहे राजेऊन पढ़ा या तअज्जुब की ख़बर पर सुब्हान अल्लाह या अल्लाहो अकबर कहा तो नमाज़ जाती रही हां अगर ख़बर के ज़वाब का एरादा न किया तो न गई।

मसला- खखारने में जब दो हरफ़ निकले जैसे अख तो यह मुफ़स्सिद नमाज है जबकि न उज्र हो न सही ग़रज़ हो अगर उज्र से हो जैसे तबियत ने मजबूर किया या सही ग़रज़ के लिये हो जैसे क़रात में आवाज़ साफ़ करने के लिये या एमाम को ग़ल्ती पर इत्तेला देने या दूसरे को अपनी नमाज में होने की इत्तेला देने के लिये हो तो इससे नमाज़ नहीं टूटती।

मसला- मुक़तदी ने अपने एमाम के सिवा किसी और को लुक़मा दिया नमाज़ जाती रही।

मसला- एमाम ने अपने मुक़तदी के सिवा किसी और का लूक़मा लिया नमाज फ़ासिद हो गई।

मसला- आह, ओह, उफ़, तुफ़, ये **अल्फ़ाज़ दर्द** या **मुसीबत** की **वजह** से निकले या आवाज़ से रोया और हरफ़ पैदा हुए इन सब सूरतों में **नमाज़** टूट गई और अगर रोने में सिर्फ़ आंसू निकले आवाज़ और हुरुफ़ नहीं निकले तो हर्ज नहीं।

मसला- मरीज़ की ज़बान से वे अख़्तेयार आह, ओह निकली तो नमाज़ फ़ासिद न हुई। यूंही छींक, खाँसी, जमहाई, डकार में जितने हर्फ़ मजबुरन (बे अख़्तेयार)निकलते हैं वह **माफ़ हैं**।

मसला- फूंकने में अगर **आवाज़ पैदा** न हो तो वह मिस्ल सांस के है कि मुफ़स्दि नहीं मगर क़सदन **करना मकरुह** है और अगर फूंकने में दो हरफ़ पैदा हों जैसे उफ़, तुफ़ **तो मुफ़स्दि** नमाज़ है।

मसला- नमाज़ में क़ुरआन क़ुरआन शरीफ़ से या मेहराब वग़ैरह से देख कर पढ़ने से नमाज़ टूट जाती है। हां अगर पढ़ता तो है याद से और नज़र पड़ती है लिखे हुये पर तो हर्ज नहीं।

मसला-अमले कसीर कि न आमाले नमाज़ से हो न नमाज़ की **इसलाह** के लिये किया गया हो मुफ़स्दि नमाज़ है। अमले क़लील मुफ़स्दि नहीं। जिस काम के करने वाले को दूर से देख कर उसके नमाज़ में न होने का शक न रहे बल्कि गुमान ग़ालिब हो कि नमाज़ में नहीं तो वह अमले कसीर है और अगर दूर से देखने वाले को शुबहा व शक हो कि नमाज़ में है या नहीं तो यह **अमले क़लील** है।

मसला-कुर्ता या पाजामा पहना या तहबन्द बांधा तो नमाज़ जाती रही।

मसला-नमाज़ के अन्दर खाना पीना मुतलक़न नमाज को फ़ासिद कर देता है। जान कर हो या भूल कर हो थोड़ा हो या ज्यादा यहां तक कि अगर तिल बिला चबाये निगल लिया या कोई बूंद मुंह में गिरी और निगल लिया नमाज़ जाती रही।

मसला-मौत, जुनून, बेहोशी से नमाज जाती रहती है। अगर वक़्त में आराम हो जाये तो अदा पढे और अगर वक़्त के बाद आराम हो तो क़ज़ा

पढ़े जबकि जुनून व बेहोशी एक दिन रात से ज़्यादा न हो यानी नमाज़ के छ: वक़्ते कामिल तक बराबर न रहा हो कि अगर छ: वक़्ते कामिल तक बराबर रहे क़ज़ा नहीं।

मसला-क़सदन वज़ू तोड़ा या कोई सबब ग़ुस्ल का पाया गया नमाज़ जाती रही।

मसला-किसी रुकन को तर्क किया जबकि उसको उसी नमाज़ में अदा न कर लिया हो नमाज़ जाती रही।

मसला-बिला उज़्र नमाज़ की किसी शर्त को तर्क किया तो नमाज़ टूट गई। **मसला**-क़ादए अख़ीरा के बाद सजदए नमाज़ या सजदह तेलावत याद आया और उसको अदा किया और अदा करने के बाद फिर क़ादा न किया तो नमाज़ न हुई। **मसला** – किसी रुकन को सोते में अदा किया था उसका एआदा न किया नमाज़ न हुई.

मसला-सांप, बिच्छू मारने से नमाज़ नहीं टूटती जबकि न तीन क़दम चलना पड़े न तीन ज़र्ब की ज़रुरत हो अगर मारने में तीन क़दम या ज़्यादा चलना पड़ा या तीन ज़र्ब या ज़्यादा लगानी पड़ी तो नमाज़ टूट गई।

मसला-नमाज़ में सांप, बिच्छू मारने की एजाज़त है अगरचे नमाज़ टूट जाये।

मसला-सांप बिच्छू को नमाज़ में मारना उस वक़्त मोबाह है जब सामने गुज़रे और तकलीफ़ देने का डर हो और अगर काटने का डर न हो तो मकरुह है।

मसला- एक रुकन में तीन बार खुजाने से नमाज़ टूट जाती है यानी यूं की खुजा कर हाथ हटा लिया फिर खुजाया फिर हाथ हटा लिया फिर खुजाया फिर हाथ हटा लिया. अगर एक बार हाथ रख कर कई मर्तबा खुजाया तो यह एक ही मर्तबा खुजाना कहा जायेगा और इससे नमाज़ न जायेगी.

मसला-तकबीराते इन्तेक़ाल में अल्लाह के अलिफ़ को या अकबर के अलिफ़ को खींचा और आल्लाह या आकबर कहा या अकबर की बे के बाद

अलिफ़ बढ़ा दिया कि अकबार हो गया तो इन सब सूरतों में नमाज़ टूट गई और अगर तकबीरे तहरीमा में ऐसा किया तो नमाज़ शुरु ही न हुई।

मसला-क़रात या अज़कार नमाज में ऐसी ग़ल्ती जिससे मानी फ़ासिद हो जायें नमाज़ तोड़ देती है।

मसला-नमाज़ी के आगे से चाहे आदमी गुज़रे या जानवर नमाज़ नहीं टूटती अलबत्ता गुजरने वाला बहुत गुनाहगार होता है, अगर नमाज़ी के सामने से जाने वाला जानता कि इसमें क्या गुनाह है तो सौ बरस खड़े रहने बल्कि ज़मीन में धंस जाने को अच्छा समझता और नमाज़ी के आगे से न गुज़रता।

मसला-अगर मैदान में नमाज़ी के सामने से तीन गज़ छोड़ कर आगे से गुज़रे तो हर्ज नहीं लेकिन घर और मस्जिद में ऐसा नहीं कर सकता।

मसला-नमाज़ी के आगे अगर सुतरह हो तो सुतरा के पीछे से गुज़रने में कोई हर्ज नहीं।

सुतरह के मानी-ऐसी कोई चीज जिससे आड़ हो जाये।

मसला-सुतरह एक हाथ ऊंचा और एक अंगुल मौटा हो काफ़ी है और ज़्यादा से ज़्यादा तीन हाथ ऊंचा हो।

मसला-सुतरह दाहिनी भौं के सामने गाड़ना अफ़जल है।

मसला-दरख़्त जानवर आदमी वग़ैरह का भी सुतरह हो सकता है।

मसला-एमाम का सुतरह मुक़तदी के लिये भी सुतरह है मुक़तदियों के लिये अलाहेदा सुतरे की ज़रुरत नहीं लेहाज़ा अगर मस्जिद में भी मुक़तदी के आगे से गुज़र जाये जबकि एमाम के आगे से न हो तो हर्ज नहीं।

मसला-नमाज़ी अपने आगे से गुजरने वाले को अगर रोकना चाहे तो सुब्हान अल्लाह कहे या ज़ोर से क़रात करने लगे या हाथ से इशारा कर दे लेकिन बार-बार ऐसा न करे कि अमले कसीर होने की सूरत में नमाज़ जाती रहेगी।

नमाज़ के मकरुहात का बयान

मसला–कपड़े या बदन या दाढ़ी के साथ खेलना मकरुह तहरीमी है। कपड़ा समेटना जैसे सजदे में जाते वक़्त आगे या पीछे से उठा लेना अगरचे गर्दसे बचाने के लिये हो मकरूह तारीमी है और बिला वजह हो तो और ज्यादा मकरुह है कपड़ा लटकाना जैसे सर या मोढ़े पर इस तरह डालना कि दोनो किनारे लटकते हों मकरूह तहरीमी है।

मसला–अगर कुर्ते वग़ैरह की आस्तीन में हाथ न डाले बल्कि पीठ की तरफ़ फेंक दे तो यह भी मकरूह तहरीमी है।

मसला– कांधे पर इस तरह रुमाल डालना कि एक किनारा पेट पर लटकता हो और दूसरा पीठ पर यह मकरुह तहरीमी है।

मसला–रज़ाई या चादर या शाल के किनारे दोनों मोढों से लटकते हों यह ममनू व मकरुह तहरीमी है हां अगर एक किनारा दूसरे मोढे पर हो और दूसरा लटक रहा है तो हर्ज नहीं।

मसला–कोई आस्तीन आधी कलाई से ज्यादा चढ़ी हुई या दामन समेटे नमाज़ पढ़ना मकरुह तहरीमी है चाहे पहले से चढ़ी हो या नमाज़ में चढ़ाई।

मसला–मर्द को जूड़ा बांधे हुए नमाज़ पढ़ना मकरुह तहरीमी है और अगर नमाज़ में जूड़ा बॉधे तो नमाज़ फ़ासिद हो जाये।

मसला–कंकरियां हटाना मकरुह तहरीमी है लेकिन अगर सुन्नत के तौर पर सजदह न अदा होताहोतोएक बार हटा सकता है और अगर बेग़ैर हटाये वाजिब न अदा होता हो तो हटाना वाजिब है चाहे कई बार हटाना पड़े।

मसला–उंगलियां चटख़ाना उंगलियों की कैंची बॉधना यानी एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ की उंगलियों में डालना मकरुह तहरीमी है।

मसला– नमाज़ के लिये जाते वक़्त और नमाज़ के इन्तेज़ार में भी यह दोनों चीज़ें मकरुह है।

मसला-कमर पर हाथ रखना मकरुह तहरीमी है नमाज़ के अलावा भी कमर पर हाथ न रखना चाहिये।

मसला-इधर उधर मुंह फेर कर देखना मकरुह तहरीमी है चाहे थोडा ही मुंह फिरा हो अगर मुंह न फेरे सिर्फ़ कन्खियों से इधर उधर बिला हाजत देखे तो कराहत तन्ज़ीही है और नादेरन किसी ग़रज़सही से हो तो अस्ला हर्ज नहीं। आसमान की तरफ निगाह उठाना भी मकरुह तारीमी है।

मसला-तशहहुद या सजदों के दरम्यान कुत्ते की तरह बैठना (यानी घुटनों को सीने से मिला कर दोनों हाथों को जमीन पर रख कर चूतड़ के बल बैठना) मर्द का सजदे में कलाईयों को बिछाना, किसी शख्स के मुंह के सामने नमाज़ पढ़ना मकरुह तहरीमी है।

मसला- कपड़े मे इस तरह लिपट जाना कि हाथ भी बाहर न हो मकरुह तहरीमी है। यूं भी बे जरुरत इस तरह लिपटना न चाहिये और ख़तरे की ज़गह तो सख़्त ममनु है यूंही नाक, मुंह छुपाना भी मकरुह तहरीमी है।

मसला-बे जरुरत खखार निकालना कसदन जमहाई लेना मकरुह तहरीमी है। अगर जमहाई खुद आये तो हर्ज नहीं मगर रोकना मुस्तहब है। अगर रोके से न रुके तो होंट दांतोंसे दबाये और इस पर भी न रुके तो हाथ मुंह पर रख ले केयाम में दाहिना हाथ रक्खे और बाकी हालतों में बायां।

मसला-सिर्फ़ पाजामा या तहबन्द पहन कर नमाज़ पढ़ी और कुर्ता या चादर मौजूद है तो नमाज मकरुह तहरीमी है और जो दूसरा कपड़ा नहीं तो माफ़ है।

मसला-किसी आने वाले की ख़ातिर नमाज को तूल देना मकरुह तहरीमी है और अगर जमात पा जाने के ख़्याल से एक दो तस्बीह के बराबर तूल दिया तो कराहत नहीं है।

मसला-कब्र का सामने होना जबकि कोई चीज़ बीच में हाएल न हो तो मकरुह तारीमी है।

मसला-जमीने मग़सूब या पराये खेत में जिसमें जराअत मौजूद है या

जुते खेत में नमाज़ पढ़ना मकरूह तारीमी है।

मसला–मक़बरा में जो जगह नमाज़ के लिये मुकर्रर हो और उस जगह में क़ब्र न हो तो वहां नमाज़ पढने में हर्ज नहीं। कराहत उस वक़्त है कि क़ब्र सामने हो और क़ब्र के दरम्यान कोई चीज़ बक़दरे सुतरह हाएल न हो वरना अगर क़ब्र दायें या बायें या पीछे हो या सुतरह के बराबर कोई चीज़ हाएल हो तो कुछ भी कराहत नहीं।

मसला–कुफ़्फ़ार के एबादत खानों में नमाज़ पढ़ना मकरूह तहरीमी है कि वह शयातीन की जगह है बल्कि उनमें जाना भी मना है।

मसला–उल्टा कपड़ा पहन कर या ओढ़ कर नमाज़ पढ़ना मकरूह तहरीमी है यूही अंगरखे के बन्द न बॉधना और अचकन शेरवानी वग़ैरह के बटन न लगाना अगर उसके नीचे कुर्त्ता वग़ैरह नहीं और सीना खुला रहा तो मकरूह तारीमी है। और अगर नीचे कुर्त्ता वग़ैरह है तो मकरूह तन्ज़ीही।

मसला–जिस कपड़े पर जानदार की तस्वीर हो उसे पहन कर नमाज़ पढ़ना मकरूह तहरीमी है। नमाज़ के अलावा भी ऐसा कपड़ा पहनना नाजाएज़ है।

मसला–अगर तस्वीर नमाज़ी के सर पर हो यानी छत में बनी हो या लटकी हो या सजदे की जगह में हो कि उस पर सजदह वाक़ा होता हो तो नमाज़ मकरूह तहरीमी होगी यूंही नमाज़ी के आगे या दाहिने या बायें तस्वीर का होना मकरूह तहरीमी है और पीछे होना भी मकरूह है अगरचे आगे और दायें बायें होने से कम।

मसला–अगर तस्वीर फ़र्श में है और उस पर सजदह नहीं तो कराहत नहीं।

मसला–अगर तस्वीर ग़ैर जानदार की है जैसे दरिया, पहाड़, दरख़्त,फूल,पत्ती वग़ैरह तो कुछ हर्ज नहीं।

मसला–थैली या जेब में तस्वीर छुपी हुई हो तो नमाज़ में कराहत नहीं।

मसला–तस्वीर वाला कपड़ा पहने हुऐ है और उस पर कोई दूसरा कपड़ा और पहन लिया कि तस्वीर छुप गई तो अब नमाज़ मकरुह न होगी।

मसला–अगर तस्वीर ज़िल्लत की जगह में हो जैसे जूता उतारने की जगह में हो या ऐसे फ़र्श में हो जिसको पांव से रौंदते हों तो नमाज़ में कराहत नहीं जबकि उस पर सजदह न हो और घर में होने में भी कराहत नहीं।

मसला–अगर तस्वीर इतनी छोटी हो कि खड़े होकर देखने में उसके बदन के हिस्से अलग अलग न दिखाई दें तो एसी तस्वीर के नमाज़ी के आगे पीछे या दायें बायें होने में नमाज़ मकरुह न होगी।

मसला–अगर तस्वीर का पूरा चेहरा मिटा दिया तो कराहत जाती रही।

मसला–तस्वीर के यह एहकाम तो नमाज़ के हैं। रहा तस्वीर का रखना तो इसके बारे में हदीस में है कि जिस घर में कुत्ता या तस्वीर हो उसमें रहमत के फ़रिश्ते नहीं आते यानी जबकि तौहिन के साथ न हों और न इतनी छोटी हों कि खड़े होकर देखने में बदन के हिस्से अलग अलग न दिखाई दें।

मसला–तस्वीर का बनाना बनवाना दोनों हराम हैं चाहे दस्ती हो या अक्सी दोनों का एक हुक्म है।

मकरुह तन्ज़ीही–मसला–सजदह या रुकू में बिला ज़रुरत तीन तसबीह से कम कहना मकरुह तन्ज़ीही है। हां अगर वक़्त कम हो या रेल चले जाने के ख़ौफ से हो तो हर्ज नहीं।

मसला–काम काज के कपड़ों से नमाज़ पढ़ना मकरुह तन्ज़ीही है जबकि और कपड़े हों वरना कराहत नहीं।

मसला–सुस्ती से नंगे सर नमाज़ पढ़ना यानी टोपी से बोझ मालूम होता है या गर्मी मालूम होती है इस वजह से नंगे सर पढ़ता है तो यह मकरुह तन्ज़ीही है और अगर नमाज़ को हक़ीर ख़्याल करके नंगे सर पढ़े, मसलन नमाज़ कोई मुहतमबिश्शान चीज़ नहीं जिसके लिये टोपी अमामा पहना जाये तो यह कुफ़्र है और अगर खुशू व खुज़ू के लिये नंगे सर पढ़ी तो मुसतहब

है।

मसला-नमाज़ में टोपी गिर पड़ी तो उठा लना अफ़ज़ल है। जबकि अमले कसीर से न हो वरना नमाज़ फ़ासिद हो जायेगी और बार बार उठानी पड़े तो छोड़ दे और न उठा लेने से खुज़ू मक़सूद हो तो न उठाना अफ़ज़ल है।

मसला-माथे से ख़ाक या घास छुड़ाना मकरुह है जबकि नमाज़ में तशवीश न हो और तकब्बुर की वजह से छुड़ा रहा हो तो मकरुह तहरीमी है और अगर तकलीफ़दह हो या ख़्याल बटता हो तो हर्ज नहीं और नमाज़ के बाद छुड़ाने में तो मुतलकन मुज़ायेक़ा नहीं बल्कि छुड़ा देना चाहिये ताकि रिया न आने पाये।

मसला-यूं ही हाजत के वक़्त पेशानी से पसीना पोछना बल्कि हर वह अमले क़लील कि नमाज़ी के लिये मुफ़ीद हो जाएज़ है और जो मुफ़ीद न हो वह मकरुह है।

मसला-नमाज़ में नाक से पानी बहा तो उसको पोछ लेना जमीन पर गिरने से अच्छा है और अगर मस्जिद में हो तो पोछना ज़रुरी है मस्जिद में नगिरने दे।

मसला-नमाज़ में बग़ैर उज़्र चार ज़ानू बैठना मकरुह है और उज़्र हो तो हर्ज नहीं और अलावा नमाज़ के इस तरह बैठने में कोई हर्ज नहीं।

मसला-सजदे को जाते वक़्त घुटने से पहले हाथ रखना और उठते वक़्त हाथ से पहले घुटने उठाना बिला उज़्र मकरुह है।

मसला-रुकू में सर को पीठ से ऊंचा या नीचा रखना मकरुह है।

मसला-उठते वक़्त आगे पीछे पांव उठाना मकरुह है।

मसला-जूं या मच्छर जब ईज़ा पहुंचाते हों तो पकड़ कर मार डालने में हर्ज नहीं जबकि अमल कसीर से न हो।

मसला-मस्जिद की छत पर नमाज़ पढ़ना मकरुह है।

मसला-कोई शख़्स खड़ा या बैठा बातें कर रहा है उसके पीछे नमाज़

पढ़ने मेंकराहत नहीं जबकि बातों से दिल बटने का खौफ़ नहो मसहफ़ शरीफ़ और तलवार के पीछे और सोने वाले के पीछे नमाज मकरुह नहीं।

मसला–जलती आग नमाज़ी के आगे होना बाइसे कराहत है। शमा या चेराग़ में कराहत नहीं।

मसला–बेग़ैर उज्र हाथ से मक्खी, मच्छर उड़ाना मकरुह है।

मसला–ऐसी चीज के सामने जो दिल को मशगूल रक्खे नमाज़ मकरुह है। मसलन ज़ीनत लहोलाब वग़ैरह।

मसला–नमाज़ के लिये दौड़ना मकरुह है।

मसला नमाज़ तोड़ने का उज्र–यानी किन किन सूरतों में नमाज़ तोड़ देना जाएज़ है।

मसला–कोई मुसीबतज़दह फ़रियाद कर रहा हो उसी नमाज़ी को पुकारता हो या मुतलक़न किसी शख्स को पुकारता हो या कोई डूब रहा हो या आग से जल जायेगा या अन्धा राहगीर कूएं में गिरा चाहता है इन सब सूरतों में नमाज़ तोड़ देना वाजिब है जबकि यह नमाज़ी उसके बचाने की कुदरत रखता हो।

मसला–पेशाब, पाखाना मालूम हुआ या कपड़े या बदन पर इतनी नजासत देखी कि जितनी नजासत के होते नमाज़ जाएज़ है या नमाज़ी को किसी अजनबी औरत ने छू दिया तो इन तीनों सूरतों में नमाज़ तोड़ देना मुस्तहब है जबकि जमात का वक़्त न जाता रहे और पेशाब पाख़ाना जब बहुत ज़ोर किये हो तो जमात छूट जाने का भी ख्याल न करे हां वक़्त जाने का ख्याल किया जाये।

मसला–सॉप वगैरह मारने के लिये जब कि काटने का सही डर हो तो नमाज़ तोड़ देना जाएज़ है।

मसला–कोई जानवर भग गया उसके पकड़ने के लिये या बकरियों पर भेड़िये के हमला करने के डर से नमाज़ तोड़ देना जाएज़ है।

मसला–अपने या पराये एक दिरहम के नुक़सान का डर हो मसलन

दूध उबल जायेगा या गोश्त, तरकारी, रोटी वग़ैरह जल जाने का डर हो या एक दरहम की कोई चीज़ चोर-उच्का ले भागा इन सूरतों में नमाज़ तोड़ देने की एजाज़त है।

मसला–अगर नफ़िल नमाज़ में हो और मां, बाप, दादा, दादी वग़ैरह अगर पूकारें और इनको उसका नमाज़ में होना मालूम न हो तो नमाज़ तोड़ दे और जवाब दे।

अहकामे मस्जिद का बयान

अल्लाह तआला के नज़दीक सबसे अच्छी जगह मस्जिद है और सबसे बुरी जगह बाज़ार है जब मस्जिद में जाये तो दरुद शरीफ़ पढ़े और यह कहे (रब्बिग़फिरली ज़ुनूबी वफ़ तह्ली अबवाबा रहमतेका) और जब निकले तो दरुद शरीफ़ पढ़ कर यह कहे रब्बिग़फ़िली ज़ुनूबी वफ़ तह्ली अबवाबा फ़ज़्लेका।

मसला–क़िबला की तरफ़ पॉव फैलाना मकरुह है। सोते में हो या जागते में। यूं ही छोटे बच्चों का पांव क़िबला की तरफ़ करके लेटा देना मकरुह है और उसकी बुराई लेटाने वाले पर है।

मसला–मस्जिद की छत पर भी गन्दगी करनी हराम है। मस्जिद की छत का भी मस्जिद की तरह अदब है।

मसला–मस्जिद की छत पर बिला ज़रुरत चढ़ना मकरुह है।

मसला–मस्जिद को रास्ता बनाना यानी उसमें से होकर गुज़रना नाजाएज़ है अगर इसकी आदत करे तो फ़ासिक़ है अगर कोई इस नीयत से मस्जिद में गया और बीच में पहुंचा था कि पछताया तो जिस दरवाजे से उस को निकलना है उसके सिवा दूसरे दरवाज़े से निकले या वहीं नमाज़ पढ़े फिर निकले और वुज़ू न हो तो जिस तरफ़ से आया हो वापस जाये।

मसला–मस्जिद के अन्दर किसी बर्तन में पेशाब करना या फ़स्द का

खून लेना भी जाएज़ नहीं।

मसला-बच्चे को और पागल को जिनसे गन्दगी का गुमान हो मस्जिद में ले जाना हराम है और अगर नजासत का डर न हो तो मकरुह है।

मसला-मस्जिद की दीवारों और महराबों पर कुरआन लिखना अच्छा नहीं इसलिये कि डर है कि वहां से गिरे और पांव के नीचे पड़े और इसी बेअदबी की वजह से तकिया, फ़र्श, बिस्तर व दस्तरख़ान, जा नमाज़ पर भी आयत या हदीस या शेर वग़ैरह कुछ लिखना मना है।

मसला-मस्जिद में वज़ू करना या मस्जिद की दीवारों पर या चटाई पर या चटाई के नीचे नाक, थूक, मैल वग़ैरह डालना मना है अगर नाक सिनकने या थूकने की जरुरत पड़ जाये तो कपड़े मे ले लें।

मसला-मस्जिद में नजासत लेकर जाना मना है। अगरचे वह नजासत मस्जिद में न लगे। इसी तरह जिसके बदन पर नजासत लगी हो उसको भी मस्जिद में जाना जाएज़ नहीं।

मसला-नापाक तेल मस्जिद में जलाना या नजिस गारा मस्जिद में लगाना मना है।

मसला-मस्जिद में कोई जगह वज़ू के लिये शुरु ही से मस्जिद बनवाने वाल ने क़ब्ल तमामे मस्जिदियत बनाई है जिसमे नमाज़ नहीं होती तो वहां वज़ू कर सकता है यूं ही तश्त वग़ैरह किसी बर्तन में वज़ू कर सकता है बशर्ते कि पूरी एहतेयात से हो कि कोई, छींट मस्जिद में न पड़े।

मसला- वज़ू के बाद मुंह और हाथ से पानी पोछ कर मस्जिद में झाड़ते हैं यह नाजाएज है।

मसला-मस्जिद का कूड़ा झाड़ कर किसी ऐसी जगह न डालें जहाँ बे अदबी हो।

मसला-मस्जिद में पेड़ लगाने की इजाजत नहीं हाँ मस्जिद को इसकी हाजत है कि जमीन में तरी है सुतून काएम नहीं रहते तो इस तरी के जज़्ब करने के लिये पेड़ लगा सकते हैं।

मसला-क़ब्ल तमामे मस्जिदियात मस्जिद के असबाब रखने के लिये मस्जिद में हुजरा बनवा सकते हैं।

मसला-मस्जिद में सवाल करना हराम है और उस साएल को देना भी मना है।

मसला- मस्जिद में गुमशुदा चीज़ तालाश करना मना है।

मसला-कच्चा लेहसुन प्याज़ खा कर मस्जिद में जाना जाएज़ नहीं जब तक कि बू बाक़ी हो। यही हुक्म हर उस चीज़ का है जिसमें बदबू है इससे मस्जिद को बचाया जाये और इसको बेग़ैर दूर किये हुए मस्जिद में न जाये हत्ता कि जो मरीज़ कोई बदबूदार दवा मिस्ल गन्धक वग़ैरह के लगाये हो तो वह मस्जिद में न जाये बल्कि कोढ़ी या किसी और गन्दे मर्ज़ वाले बल्कि उस बद ज़ूबान को भी जो लोगों को ज़बान से ईज़ा देता है मस्जिद से रोका जायेगा।

मसला- मुबाह बातें भी करने की मस्जिद में एजाज़त नहीं न आवाज़ बुलन्द करना जाएज।

मसला-मस्जिद की सफ़ाई के लिये चमगादड़ और कबूतर वग़ैरह के घोसले नोचने में हर्ज नहीं।

मसला-मुहल्ला की मस्जिद में नमाज़ पढ़ना अगरचे जमात थोड़ी हो जामा मस्जिद से अफ़ज़ल है बल्कि अगर मुहल्ला की मस्जिद में जमात न हुई हो तो तन्हा जाये और अज़ान व एक़ामत कह कर नमाज़ पढ़े। यह जामा मस्जिद की जमात से अफ़ज़ल है।

वित्र की नमाज़

वित्र की नमाज़ वाजिब है अगर किसी वजह से वक़्त में वित्र नहीं पढ़ा तो कज़ा वाजिब है। 'वित्र की नमाज़ तीन रकातें हैं। एक सलाम से मिस्ल मग़रिब के इसमें पहला क़ादा वाजिब है यानी दो रकात पर बैठे और सिर्फ़

अत्तहीयात पढ़ कर तीसरी रकात के लिये खड़ा हो जाये और तीसरी रकात में भी अलहम्दो ओर सूरत पढ़े और इस तीसरी रकात में सुरत पढ़ने के बाद दोनों हाथ उठा कर कानों की लौ तक ले जाये और अल्लाहो अकबर कह कर फिर हाथ बांध ले और दुआये क़ुनूत पढ़े जब दुआये क़ुनूत पढ़ चुके तो अल्लाहो अकबर कह कर रुकू करे और बाक़ी नमाज़ पूरी करे।

मसला–दूआये क़ुनूत पढ़ना वाजिब है और इसमें किसी खास दूआ का पढ़ना वाजिब नहीं अलबत्ता बेहतर वह दूआयें हैं जो हदीसों में आईं। सबसे ज़्यादा मशहूर दुआये क़ुनूत यह है। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनोका व नस्तग़फेरोका वनूमेनो बेका वना तवक्कलो अलैका वनुसनी अलैकल ख़ैरा कुल्लहू वनशकोरोका वला नकफ़ोरोका वनखलओ वनतरोको मैं य फ़जोरोका अल्लाहुम्मा ईयाकानअबोदो व लका नोसल्ली वनसजोदो व एलैका नसआ वनहफ़ेदो वनरजू रहमताका वनख़शा अज़ाबका इन्ना अज़ाबका बिल कुफ़्फ़ारे मुल्हिक़।

मसला–जो दुआये क़ुनूत न पढ़ सके वह यह पढ़े "रब्बना आतेना फ़िद्दुनिया हसनतौ व फ़िल आख़ेरते हसनतौ वक़ेना अज़ाबन्नार" और जिससे यह भी न बन पड़े वह तीन बार अल्लाहुम्म ग़फिरली कहे।

मसला–दुआये क़ुनूत हमेशा हर शख़्स आहिस्ता पढ़े ख़्वाह एमाम हो या मुक़तदी या मुन्फ़रिद अदा हो या कज़ा रमज़ान में हो या और दिन में।

मसला–वित्र के आलावा और किसी नमाज़ में क़ुनूत न पढ़े हाँ अगर हादसा अज़ीमा वाक़ा हो तो फ़ज्र में भी पढ़ सकता है और इसमें भी ज़ाहिर यह है कि रुकू से पहले पढ़े जैसा कि वित्र में।

मसला–अगर क़ादा ऊला भूल कर खड़ा हो गया तो फिर बैठने की एजाज़त नहीं बल्कि आख़ीर में सजदह सहू करे।

मसला–अगर क़ुनूत भूल जाये और रुकू में याद आये तो न रुकू में पढ़े न क़ेयाम की तरफ़ लौट कर खड़े होकर पढ़े बल्कि छोड़ दे और आख़ीर में सजदह सहू कर ले नमाज़ हो जायेगी।

मसला-वित्र की तीनों रकातों में मुतलक़न क़रात फ़र्ज है और हर रकात में बाद फ़ातेहा सूरत मिलाना वाजिब है।

मसला-बेहतर यह है कि पहली रकात में सब्बेहिस्म रब्बेकल आला या इन्ना अन्ज़लना पढ़े और दूसरी में क़ुलिया अइयोहल काफ़ेरून और तीसरी में क़ुलहोवल्लाहोअहद पढ़े और कभी कभी और सूरतें भी पढ़े।

मसला-साहबे तरतीब के लिये अगर यह याद है कि नमाज़ वित्र नहीं पढ़ी और वक़्त में गुन्जाइश भी है तो फ़ज्र की नमाज़ फ़ासिद है ख़्वाह शुरु से पहले याद आये या बीच में।

मसला-वित्र की नमाज़ जमात से सिर्फ़ रमजान शरीफ़ में पढ़ी जाये अलावा रमज़ान के मकरुह है बल्कि इस मुबारक महीने में जमात ही से पढ़ना मुस्तहब है।

मसला-जिसने एशा की फ़र्ज़ जमात के साथ नहीं पढ़ी वह वित्र तन्हा पढ़े अगरचे तरावीह जमात से पढ़ी हो।

मसला- वित्र की नमाज़ बैठ कर या सवारी पर बग़ैर उज़्र नही हो सकती।

सुन्नतों और नफ़िलों का बयान

सुन्नतें बाज़ मोअक्कदा हैं कि शरीयत में इस पर ताकीद आई बिला उज़्र एक बार भी तर्क करे तो मलामत के लाएक़ है और तर्क की आदत करे तो फ़ासिक़ मरदुदूश्शहादत जहन्नम के लाएक। इसका तर्क क़रीब हराम के है इसके छोड़ने वाले के लिये शफ़ाअत से महरुम हो जाने का डर है। सुन्नते मोअक्कदा को सुनन्-लहोदा भी कहा जाता है। बाज़ सुन्नतें गैर मोअक्कदा हैं जिनको सोनानुज़्ज़वाएद भी कहते हैं। इसपर शरीयत में ताकीद नहीं आई। कभी इसको मुस्तहब और मनदूब भी कहते है और नफ़िल वह कि जिसका करना सवाब है और न करने में भी कुछ हर्ज नहीं।

मसला-सुन्नत मोअक्कदा यह हैं दो रकात फ़ज्र की फर्ज नमाज़ से पहले चार रकात ज़ोहर की फ़र्ज़ से पहले और दो रकात बाद में। मग़रिब

के बाद दो रकात, एशा के बाद दो रकात और जुमा से पहले चार रकात और चार रकात जुमा के बाद और बेहतर यह है कि दो और पढ़ ले यानी जुमा के बाद छः रकात पढ़े।

मसला-सुन्नते फ़ज्र सबसे ज़्यादा मोअक्कदा है यहां तक कि बाज़ ओलमा इसको वाजिब कहते हैं। लेहाज़ा यह बिला उज़्र न बैठकर हो सकती है न सवारी पर न चलती गाड़ी पर।

मसला- फ़ज्र की नमाज़ क़ज़ा हो गई 'और ज़वाल से पहले कज़ा पढ़ी तो उसकी सुन्नत की भी कज़ा पढ़े वरना नहीं अलावा फ़ज्र के और सुन्नतें क़ज़ा हो गईं तो इनकी क़ज़ा नहीं।

मसला- ज़ोहर या जुमा के पहले की सुन्नत छूट गई और फ़र्ज़ पढ़ ली तो अगर वक़्त बाकी है तो बाद फ़र्ज़ के पढ़े और अफ़ज़ल यह है कि पिछली सुन्नतें पढ़ के इनको पढ़े।

मसला-फ़ज्र की सुन्नत क़ज़ा हो गई और फ़र्ज़ पढ़ ली तो अब सुन्नत की कज़ा नहीं अलबत्ता तुलू आफ़ताब के बाद पढ़ ले तो बेहतर है और तुलू से पहले तो ममनू है।

मसला-फ़ज्र की सुन्नत की पहली रकात में अलहम्दो के बाद क़ुलिया अइयोहल काफ़ेरुन पढ़ना और दूसरी में अलहम्दो के बाद क़ुलहो वललाहो पढ़ना सुन्नत है।

मसला-जमात क़ाएम होने के बाद किसी नफ़िल या सुन्नत का शुरु करना जाएज़ नहीं सिवा फ़ज्र की सुन्नत के जबकि जाने कि सुन्नत ख़त्म करके जमात मिल जायगी अगरचे क़ादा ही पा जायेगा तो सुन्नत पढ़ ले कहीं दूर किनारे आड़ में। सफ़ के करीब पढ़ना मना है।

मसला-अगर यह जाने कि नफ़िल पढ़ने में नमाज़ फ़र्ज़ या जमात जाती रहेगी तो नवाफ़िल पढ़ना ऐसे वक़्त में नाजाएज़ है।

मसला-एशा और अस्र के पहले और एशा के बाद भी चार चार रकातें एक सलाम से पढ़ना मुस्तहब है और यह भी अख़्तेयार है कि एशा के बाद

भी ही पढ़े मुस्तहब अदा हो जायेगा यूंही जोहर के बाद चार रकात पढ़ना मुस्तहब है हदीस में इसके पढ़ने वाले पर आग के हरामहोने की ख़बर दी गई है

मसला–बाद मगरीब छः रकातें मुस्तहब हैं इनको सलातुल अव्वाबीन कहते हैं। दो दो रकात करके पढ़ना अफ़जल है।

मसला–जोहर व मगरिब व एशा के बाद जो मुस्तहब है उसमें सुन्नते मुअक्कदा दाखिल है। मसलन जोहर के बाद चार रकातें पढ़े तो सुन्नते मुअक्कदा व मुस्तहब दोनों अदा हो गये और यूं भी हो सकता है कि मुअक्कदा व मुस्तहब दोनों को एक सलाम के साथ अदा करे यानी चार रकात पर सलाम फेरे और उसमें मुतलक़ सुन्नत की नीयत काफ़ी है। मुअक्कदा या मुस्तहब की तसरीह न करे दोनों अदा हो जायेगी।

मसला–नफ़िल व सुन्नत की सब रकातों में क़रात फ़र्ज है।

मसला–सुन्नत व नफ़िल क़सदन शुरु करने से वाजिब हो जाती है कि अगर तोड़ देगा तो क़ज़ा पढ़नी पढ़ेगी।

मसला–नफ़िल बिला उज़्र भी बैठ कर पढ़ सकते हैं मगर खड़े होकर पढ़ने में दूना सवाब है।

मसला–नफ़िल बैठ कर पढ़े तो इस तरह बैठे जैसे क़ादा में बैठते हैं मगर क़रात की हालत में हाथ बांधे रहे जैसे कि खड़े होने की हालत में बांधा जात है।

माला–वित्र के बाद जो दो रकात नफ़िल पढ़ी जाती है इसमें अलहम्दो के बाद पहली रकात में एजा ज़ुल ज़ेलातिल अर्दो और दूसरी में क़ुलिया अय्योहल काफ़ेरुन पढ़ना बेहतर है।

मसला–सुन्नत व नफ़िल घर में पढ़ना बेहतर है।

मसला–सुन्नत व फ़र्ज़ के दरम्यान बात न करे कि सवाब कम हो जाता है यही हुक्म हर उस काम का है जो मुनाफ़ी तहरीमा है।

तहज्जुद की नमाज़–एशा पढ़ कर सो रहने के बाद जिस वक़्त जागे

वह तहज्जुद का वक़्त है मगर रात के पिछले तिहाई हिस्सा में पढ़ना अफ़ज़ल है। तहज्जुद सुन्नत है और ब नियत सुन्नत पढ़ी जाती है। कम से कम दो रकातें और ज़्यादा से ज्यादा आठ रकातें।

मसला-दिन के नफ़िल में एक सलाम से चार रकात से ज़्यादा और रात की नफ़िल में एक सलाम से आठ रकात से ज्यादा पढना मकरूह है और अफ़जल यह हैकि दिन हो या रात हो चार रकात पर सलाम फेर दे।

मसला-एक साथ दो रकात से ज्यादा नफ़िल की नीयत हो तो हर दो रकात पर कादा करना होगा।

तम्बीह-एक साथ दो रकात से जाएद नफ़िल में शराएत दुश्वार हैं इसलिये आसानी दो दो रकात करके पढ़ने में है।

इशराक़ की नमाज़-यह भी सुन्नत है फ़ज्र पढ़कर दरूद शरीफ़ वग़ैरह पढ़ता रहे। जब सूरज ज़रा ऊंचा हो जाये यानी कम से कम निकलने के बाद बीस मिनट गुज़र जाये तो दो रकात पढ़े।

चाश्त की नमाज़-यह भी सुन्नत है कम से कम दो रकात और ज़्यादा से ज़्यादा बारह रकातें हैं और बारह ही अफ़ज़ल हैं। इसका वक़्त सूरज के अच्छी तरह ऊंचे होने के बाद से ज़हवए कुबरा के शुरु होने तक है लेकिन बेहतर वक़्त चौथाई दिन चढे है।

नमाज़ इस्तेख़ारा-हदीसों में आया है कि जब कोई शख़्स किसी काम का एरादा करे तो दो रकात नफ़िल पढ़े जिसकी पहली रकात में अलहम्दो के बाद क़ुलयाअइयोहल काफ़ेरुन और दूसरी रकात में अलहम्दो के बाद कुलहोवल्लाहो पढ़े फिर यह दुआ पढ़ कर बा वज़ू किबला रु सो रहे दुआ के अव्वल व आखिर सूरह फातेहा और दरूद शरीफ़ भी पढे फिर दुआये इस्तेख़ारा।

मसला-नेक कामों जैसे हज, जेहाद वग़ैरह के लिये इस्तेख़ारा नहीं, हां इनका वक़्त मुकर्रर करने के लिये हो सकता है।

मसला-बेहतर यह है कि कम से कम सात बार इस्तेख़ारा करे और

फिर देखे जिस बात पर दिल जमे इसी में ख़ैर है बाज बुज़ुर्गों से मनक़ूल है कि अगर ख़्वाब में सफ़ेदी या सब्ज़ी देखे तो अच्छा है और अगर स्याही सुर्ख़ी देखे तो बुरा है इससे बचे।

नमाज़े हाजत-जब किसी को कोई हाजत अल्लाह तआला से हो या कोई काम किसी बन्दे से हो या मुश्किल पेश आये तो खूब एहतेयात से अच्छी तरह वजू करके दो या चार रकात नफ़िल पढे। इसकी पहली रकात में अलहम्दो के बाद तीन बार आयतल कुर्सी पढे दूसरी में अलहम्दो के बाद एक बार कुलहोवल्लाह तीसरी में अलहम्दो के बाद एक बार कुलआउजोबेरब्बिल फ़लक और चौथी में अलहम्दो के बाद एक बार क़ुल आउजोबेरब्बिन्नास पढे। सलाम के बाद तीन बार होवल्लाहुल्लजी लाएलाहा इल्लाह आलेमुलगैबे वश्शहादते होवर्रहमानुर्रहीम फिर तीन बार सुब्हानल्लाहे वलहम्दो लिल्लाहे व लाएलाहा इल्लल्लाहो वल्लाहो अकबर वलाहौला वला क़ूवता इल्लाबिल्लाहे फिर तीन बार कोई दरुद शरीफ़ पढे फिर यह दोआ पढे लाएलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीमो सुब्हानल्लाहे रब्बिल अरशिल अज़ीम अलहम्दोलिल्लाहे रब्बिल आलमीन असअलोका मोजेबाते रहमतेका व अज़ाएमा मगफ़ेरातेका वलगनीमता मिन कुल्ले बिर्रिन अस्सलामता मिन कुल्ले इस्मिन लातदअली ज़मबन इल्ला ग़फ़रतहू वला हम्मन इल्ला फ़र्रजतहू वला हाजतन हेया लका रेज़ाअन इल्ला क़ज़ैतहा या अरहमर्रामीन।

तरावीह की नमाज़ का बयान

तरावीह वह बीस रकात सुन्नते मुअक्कदा नमाज़ें हैं जो रमज़ान शरीफ़ में पढी जाती है एशा की फ़र्ज़ के बाद हर रात में।

मसला-तरावीह का वक़्त एशा के फ़र्ज़ पढने के बाद से लेकर सुबह सादिक़ के निकलने तक है।

मसला-तरावीह में जमात सुन्नत केफ़ाया है कि अगर मस्जिद के सब

लोगों ने छोड़ दी तो सब गुनाहगार हुए और अगर किसी एक ने घर में तन्हा पढ़ लीह तो गुनाहगार नही।

मसला-मुस्तहब यह है कि तिहाई रात तक ताख़ीर करें और अगर आधी रात के बाद पढ़ें तो भी कराहत नहीं।

मसला-तरावीह जिस तरह मर्दों केलिये सुन्नत मुअक्कदा है उसी तरह औरतों के लिये भी सुन्नत मुअक्कदा है इसका छोड़ना जाएज़ नहीं।

मसला-तरावीह की बीस रकातें दो दो रकात करके दस सलाम से पढ़े। इसमें हर चार रकात पढ़ लेने के बाद इतनी देर तक आराम लेने के लिये बैठना मुस्तहब है जितनी देर में चार रकातें पढ़ी हैं इस आराम करने के लिये बैठने को तरवीहा कहते हैं।

मसला-तरावीह के ख़त्म पर पाचवां तरवीहा भी मुस्तहब है अगर लोगों पर पॉचवां तरवीहा गेरॉ हो तो न किया जाये।

मसला-तरवीहा में अख़्तेयार है कि चुप बैठा रहे या कुछ कलमा व तसबीह व क़ुरआन शरीफ़ दरूद शरीफ पढ़ता रहे और तन्हा तन्हा नफ़िल भी पढ़ सकता है जमात से मकरुह है।

मसला-जिसने एशा की फर्ज़ नमाज़ नही पढी वह न तरावीह पढ़ सकता है न वित्र जब तक फर्ज़ न अदा कर ले।

मसला-जिसने एशा की फर्ज़ नमाज़ तन्हा पढी और तरावीह जमात से तो वह वित्र तन्हा पढे।

मसला-अगर एशा की फ़र्ज़ नमाज़ जमात से पढ़ी और तरावीह तन्हा पढ़ी तो वित्र की जमात में शरीक हो सकता है।

मसला-जिसकी कुछ रकातें तरावीह की बाकी रह गई कि एमाम वित्र के लिये खड़ा हो गया तो एमाम के साथ वित्र पढ ले फिर बाक़ी अदा करे जबकि फ़र्ज़ जमात से पढ चुका हो तब और यह अफज़ल है और अगर तरावीह पूरी करके वित्र तन्हा पढ़े तो भी जाएज़ है।

मसला-लोगों ने तरावीह पढ़ ली अब दोबारा पढ़ना चाहते हैं तो तन्हा

तन्हा पढ़ सकते हैं। जमात की एजाज़त नहीं। एक एमाम दो मस्जदों में तरावीह पढ़ाता है अगर दोनों में पूरी पढ़ाये तो नाजाएज़ है और अगर मुक़्तदी ने दोनों मस्जिदों में पूरी पढ़ी हर्ज नहीं मगर दूसरी में वित्र पढ़ना जाएज़ नहीं जबकि पहली में पढ़ चुका हो।

मसला–तरावीह मस्जिद में जमात से पढ़ना अफ़ज़ल है अगर घर में जमात से पढ़ी तो जमात छोड़ने का गुनाह न हुआ मगर वह सवाब न मिलेगा जो मस्जिद में पढ़ने का था।

मसला–नाबालिग़ के पीछे बालिगों की तरावीह न होगी।

मसाला–महीने भर की कुल तरावीह में एक बार क़ुरआन मजीद ख़त्म करना सुन्नत मुअक्कदा है ओर दो मर्तबा फ़ज़ीलत और तीन ख़त्म अफ़ज़ल। लोगों की सुस्ती की वजह से ख़त्म को न छोड़े।

मसला–हाफ़िज़ को उजरत देकर तरावीह पढ़वाना नाजाएज़ है। देने वाला और लेने वाला दोनों गुनाहगार हैं। उजरत सिर्फ यही नहीं है कि पेशतर से मुक़र्रर कर लें कि यह लेंगे यह देंगे बल्कि अगर मालूम है कि यहां कुछ मिलता है अगरचे इससे तय न हुआ हो यह भी नाजाएज़ है कि अलमारुफ़ कलमशरुत। हां अगर कह दे कि कुछ नहीं दूँगा या नहीं लूंगा फिर पढ़े और लोग हाफ़िज को कुछ बतौर ख़िदमत के दें तो इसमें कुछ हर्ज नहीं कि अलसरीह यफ़्क़ुददलाला।

शबीना–यानी एक रात में पूरा क़ुरआन मजीद तरावीह में ख़त्म करना जैसा कि हमारे ज़माना में रवाज है कि हाफ़िज़ इस कदर जल्द पढ़ते हैं कि अल्फ़ाज़ तक समझ में नहीं आते हुरुफ़ को मख़ारिज से अदा करने का तो ज़िक्र ही क्या सुनने वालों की भी यह हालत कि कोई बैठा है तो कोई लेटा कोई सोता है तो कोई ऊंघता। जहां एमाम ने रुकू की तकबीर कही झट नीयत बांध रुकू में जा मिले ऐसा शबीना नाजाएज़ हे। अगर हाफ़िज़ अपनी तेज़ी व रवानी की नाम आवरी के लिये ऐसा करे तो रेया का गुनाह अलग।

बीमार की नमाज़

जो शख़्स बीमारी की वजह से खड़ा न हो सकता हो वह बैठ कर नमाज़ पढ़े। बैठे बैठे रुकू करे यानी आगे को खूब झूक कर सुब्हाना रब्बियल अज़ीम कहे और फिर सीधा हो जाये और फिर जैसे सजदह किया जाता है वैसे सजदह करे और अगर बैठ कर भी नमाज़ नहीं पढ़ सकता तो चित लेट कर पढ़े। इसतरह लेटे कि पावं क़िबला की तरफ़ हों और घुटने खड़े रहें और सर के नीचे तकिया वग़ैरह कुछ रख ले ताकि सर ऊंचा होकर मुंह क़िबला के सामने हो जाये और रुकू और सजदह इशारा से करे यानी सर को जितना झुका सकता है. उतना तो सजदे के लिये झुकाये और इससे कुछ कम रुकू के लिये झुकाये उसी तरह दाहिनी या बाईं करवट पर भी क़िबला को मुंह करके पढ़ सकता है।

मसला-बीमार जब सर से भी इशारा न कर सके तो नमाज़ साक़ित है। इसकी ज़रुरत नहीं कि आंख या भौं या दिल के इशारे से पढ़े फिर अगर छः वक़्त इसी हालत में गुज़र गये तो इनकी क़ज़ा भी साक़ित है। फ़िदिया की भी हाजत नहीं और अगर ऐसी हालत के छः वक़्त से कम गुज़रे तो सेहत के बाद क़ज़ा फ़र्ज़ है चाहे इतनी ही सेहत हुई कि सर के इशारे से पढ़ सके।

मसला-जिस बीमार का यह हाल हो गया कि रकातों और सजदों की गिनती याद नहीं रख सकता तो उसपर नमाज़ का अदा करना ज़रुरी नहीं।

मसला-सब फ़र्ज़ नमाज़ों में और वित्र और दोनों ईद की नमाज़ में और फज्र की सुन्नत में केयाम फ़र्ज़ है। अगर बिला सही उज्र के यह नमाज़ें बैठ कर पढ़ेगा तो न होंगी।

मसला-केयाम चूंकि फ़र्ज़ है इस लिये बिला सही शरई उज़्र के तर्क न किया जाये वरना नमाज़ न होगी यहां तक कि अगर असा या ख़ादिम या दीवार पर टेक लगा कर खड़ा हो सकता है तो फ़र्ज़ है कि इसी तरह खड़ा

हो कर पढ़े बल्कि अगर कुछ देर भी खड़ा हो सकता है कि अल्लाहो अकबर कह ले तो फ़र्ज़ है कि नमाज़ खड़े होकर शुरु करे फिर बैठ कर पूरी करे वरना नमाज़ न होगी ज़रा सा बुख़ार दर्दे सरज़ुकाम या इस तरह की मामूली ख़फ़ीफ़ तकलीफ़ें जिनमें लोग चलते फिरते रहते हैं हरगिज़ उज्र नहीं ऐसी मामूली तकलीफों में जो नमाजें बैठ कर पढी गई वह न हुई इनकी क़ज़ा लाजिम है।

मसला-जिस शख़्स को खड़े होने से कतरा आता है या ज़ख्म बहता है और बैठने से नहीं तो उसे फ़र्ज़ है कि बैठ कर पढे जबकि और तरीका से इसकी रोक न कर सके।

मसला-इतना कमज़ोर है कि मस्जिद में जमात के लिये जाने के बाद खड़े होकर न पढ़ सकेगा और घर में खड़ा होकर पढ सकता है तो घर ही में पढ़े जमात घर में कर सके तो जमात से वरना तन्हा।

मसला-बीमार अगर खड़ा होकर नमाज़ पढ़े तो क़रात बिल्कुल न कर सकेगा तो बैठ कर पढ़े लेकिन अगर खड़े होकर कुछ भी पढ़ सकता है तो फ़र्ज़ है कि जितनी देर खड़े-खड़े पढ़ सकता है उतनी खड़े-खड़े पढे बाकी बैठ कर।

मसला-मरीज़ के नीचे नजिस बिछौना बिछा है और हालत यह है कि बदल भी जाये तो पढ़ते-पढते ब क़दरे माने नापाक हो जायेगा तो उसी पर नमाज़ पढ़े यूंही अगर बदला जाये तो इस क़दर जल्दी नजिस तो न होगा मगर बदलने में मरीज़ को सख़्त तकलीफ़ होगी तो उसी नजिस ही पर पढ़ ले।

मसला-पानी में डूब रहा है अगर उस वक़्त भी बेग़ैर अमले कसीर इशारे से पढ सकता है मसलन तैराक है या लकड़ी वग़ैरह का सहारा पा जाये तो पढ़ना फ़र्ज़ है वरना माज़ूर है बच जाये तो क़ज़ा पढ़े।

क़ज़ा नमाज़ का बयान

बिला उज्र शरई क़ज़ा कर देना बहुत सख़्त गुनाह है उस पर फ़र्ज़ है कि उसकी क़ज़ा पढ़े और सच्चे दिल से तौबा करे। तौबा या हजे मक़बूल से ताख़ीर का गुनाह माफ हो जायेगा।

मसला–तौबा जब ही सही है कि क़ज़ा पढ ले, जो ज़िम्मा में बाकी है उसको तो अदा न करे तौबा किये जाये यह तौबा नहीं इस लिये कि जो जो उसके ज़िम्मे थी उसका पढ़ना तो अब भी है और जब गुनाह से बाज़ न आया तो तोबा कहां हुई। हदीस में फ़रमाया कि गुनाह पर क़ाएम रहकर इस्तेग़फ़ार करने वाला उसके मिस्ल है जो अपने रब से ठठ्ठा करता है।

मसला– जिस बात का बन्दे को हुक्म है उसे वक़्त में करने को अदा कहते हैं और वक़्त निकल जाने के बाद करने को क़ज़ा कहते हैं।

मसला–वक़्त में तहरीमा बॉध लिया तो नमाज़ क़ज़ा न हुई बल्कि अदा है मगर फज्र व जुमा व ईदैन की नमाज़ में सलाम से पहले अगर वक़्त निकल गया तो नमाज़ जाती रही।

मसला–सोते में या भूले से नमाज़ क़ज़ा हो गई तो इसकी क़ज़ा पढ़नी फ़र्ज़ है। अलबत्ता क़ज़ा का गुनाह उस पर नहीं। लेकिन जागते ही और याद आने पर अगर मकरूह वक़्त न हो तो उसी वक़्त पढ ले देर करना मकरूह है। **मसला**-फ़र्ज़ की क़ज़ा फ़र्ज़ है और वाजिब की क़ज़ा वाजिब है और सुन्नत की क़ज़ा सुन्नत, यानी वह सुन्नतें जिनकी क़ज़ा है जैसे फ़ज्र की सुन्नत जबकि फ़र्ज़ भी फ़ौत हो गया हो और जैसे जोहर की पहली सुन्नत जबकि जोहर का वक़्त बाक़ी हो।

मसला–क़ज़ा के लिये कोई वक़्त मुकर्रर नहीं उम्र में जब पढ़ेगा तो बरीउलज़िम्मा हो जायेगा लेकिन अगर तुलू व गुरूब व ज़वाल के वक़्त पढ़ी तो नही इसलिये कि इन वक़्तों में नमाज़ जाएज़ नही

माला–जो नमाज़ जैसी फ़ौत हुई उसकी क़ज़ा वैसी ही पढी जायेगी

मसलन सफ़र में नमाज़ क़ज़ा हुई तो चार रकात वाली दो ही पढ़ी जायेगी अगरचे एक़ामत की हालत में पढ़े और जो एक़ामत की हालत में फ़ौत हुई तो चार रकात वाली की क़ज़ा चार रकात है. अगरचे सफ़र में पढ़े अलबत्ता क़ज़ा पढ़ने के वक़्त कोई उज़्र है तो उसका एतबार किया जायेगा मसलन जिस वक़्त फ़ौत हुई थी उस वक़्त खड़ा होकर पढ़ सकता था और अब खड़ा नहीं हो सकता तो बैठ कर पढे या इस वक़्त इशारा से ही पढ़ सकता है तो इशारे से पढ़े और सेहत के बाद इसका एआदह नही.

मसला- ऐसा मरीज़ कि इशारे से भी नमाज़ नहीं पढ़ सकता अगर यह हालत पूरे छः वक़्त तक रही तो इस हालत में जो नमाज़ें फ़ौत हुईं उनकी क़ज़ा वाजिब नहीं।

मसला- मजनून की हालते जुनून में जो नमाज़ें फ़ौत हुई, अच्छे होने के बाद उनकी क़ज़ा वाजिब नहीं जबकि जुनून नमाज़ के छः वक़्ते कामिल तक बराबर रहा हो।

मसला-अगर वक़्त में इतनी गुन्जाइश है कि मुख़्तसर तौर पर पढ़े तो दोनों पढ़ सकता है और उम्दा तरीक़े से पढ़े तो दोनों नमाज़ों की गुन्जाइश नहीं तो इस सूरत में भी तरतीब फ़र्ज़ है और ब मेक़दारे जवाज़ जहाँ तक एख़्तेसार कर सकता है करे।

क़ज़ा नमाज़ों में तरतीब वाजिब होने का बयान

मसला-साहबे तरतीब यानी जिसके ज़िम्मे क़ज़ा नमाज़ें छः से कम हैं अगर वह क़ज़ा नमाज़ के याद होते हुए और वक़्त में गुन्जाइश होते हुए वक़्ती नमाज़ पढ़ेगा तो उसकी वक़्ती नमाज़ न होगी न होने का यह मतलब है कि नमाज़ मौक़ूफ़ रहेगी। अगर वक़्ती पढ़ता गया और क़ज़ा रहने दी तो जब दोनों मिल कर छः हो जायेंगी यानी छठी का वक़्त खत्म हो जायेगा

तो सब सही हो जायेगी और अगर इस दर्म्यान में क़ज़ा पढ़ ली तो सब गई सब को फिर से पढ़े।

मसला–फ़ौत नमाज़ों और वक़्ती नमाज में तरतीब ज़रुरी है जबकि फौत नमाजें छः से कम हों यानी पहले कजा नमाज़ें पढ़ ले फिर वक़्ती पढ़े जैसे आज किसी की फ़ज्र व ज़ोहर व अस्र व मागिरब कजा हो गई तो वह इशा नही पढ़ सकता जब तक कि तरतीबवार उन चारों की क़ज़ा न पढ़ ले.

मसला–अगर वक़्त में इतनी गुन्जाइश नहीं कि वक़्ती और सब कज़ायें पढ़ ले तो वक़्ती नमाज़ और क़ज़ा नमाज़ों में जिसकी गुन्जाइश हो पढ़े। बाक़ी में तरतीब साक़ित है जैसे नमाज़ एशा और वित्र दोनों क़ज़ा हो गई और फ़ज्र के वक़्त में पॉच रकात की गुन्जाइश है तो वित्र की क़ज़ा पढ़ के फ़ज्र की पढ़ ले और अगर छः रकात की गुन्जाइश है तो एशा की कजा पढ़ कर फ़ज्र पढ़ें।

मसला–छः नमाज़ें जिसकी क़ज़ा हो गई कि छठी का वक्त ख़त्म हो गया उस पर तरतीब फ़र्ज़ नहीं अब अगरचे बावजूद वक़्त की गुन्जाइश और क़ज़ा की याद के वक़्ती पढ़ेगा वक़्ती हो जायेगी चाहे कज़ा नमाज़ें जो उसके ज़िम्मा हैं सब एक साथ कज़ा हुई जैसे एकदम से छः वक़्तों की न पढ़ी या सब एक दम से न हों बल्कि मुतफ़र्रिक तौर पर कज़ा हुई जैसे छः दिन फ़ज्र न पढ़ी और बाक़ी नमाज़ें पढ़ता रहा लेकिन इनके पढ़ते वक़्त वह फ़ज्र की कज़ायें भूला रहा।

मसला–जब छः नमाज़ें क़ज़ा हो गई कि छठी का वक़्त भी जाता रहा तो तरतीब फ़र्ज़ न रही चाहे वह सब पुरानी हों या बाज़ नई बाज़ पुरानी जैसे एक महीने की नमाज़ न पढ़ी फिर पढ़नी शुरु की फिर एक वक़्त की क़ज़ा हो गई तो इसके बाद की नमाज़ हो जायेगी इस लिये कि उसके ज़िम्मे छः नमाज़ों से ज़्यादा हैं जिनकी वजह से तरतीब जाती रहती है।

मसला–जब छः नमाज़ों के क़ज़ा होने की वजह से तरतीब साक़ित हो गई तो अब अगर इन क़ज़ाओं में से बाज पढ़ ली कि कज़ा छः से कम

रह गई तो अभी तरतीब वाला न होगा जब तक छओं की क़ज़ा न पढ ले जब सबकी क़ज़ा पढ़ लेगा तब फिर साहबे तरतीब हो जायेगा।

मसला–छ: या इससे ज़्यादा क़ज़ा नमाज़ें जिस तरह इस क़ज़ा व अदा में तरतीब को साक़ित कर देती हैं उसी तरह क़ज़ाओं में भी तरतीब को साक़ित कर देती है यानी क़ज़ाओं में भी आपस में तरतीब नही रहती आगे पीछे पढ़ी जा सकती हैं जैसे किसी ने एक महीने तक नमाज़ न पढ़ी फिर इस महीने की नमाज़ों की क़ज़ा इस तरह पर पढ़ी कि पहले तीस फ़ज्र की क़ज़ा पढ़ी फिर ज़ोहर की क़ज़ा पढ़ी इसी तरह पांचो वक़्त की क़ज़ा पढ़ी तो इस तरह क़ज़ा पढ़ना भी सही है.

मसला- जिसके ज़िम्मे क़ज़ा नमाज़े हों अगरचे उनका पढ़ना जल्द से जल्द वाजिब है मगर बाल बच्चों के हुक़ूक़ और अपनी ज़रुरियात की वजह से ताखीर कर सकता है. लेहाज़ा कारोबार भी करे और जो वक़्त फ़ुर्सत का मिले उसमें क़ज़ा पढ़ता रहे यहाँ तक कि सब पूरी हो जायें.

मसला–क़ज़ा नमाज़ें नवाफ़िल से अहम हैं यानी जिस वक़्त नफ़िल पढ़ता है उन्हें छोड कर उनके बदले क़ज़ायें पढ़े ताकि बरीउलज़िम्मा हो जाये। अलबत्ता तरावीह और बारह रकातें सुन्नत मोअक्कदा की न छोड़े।

मसला–जिसके ज़िम्मे बरसों की नमाज़ें क़ज़ा हों और ठीक याद न हो कि कितने दिन से कौन-कौन क़ज़ा हुई तो वह यूं नीयत करके पढ़े कि सबसे पहली फ़ज्र जो मुझसे क़ज़ा हुई इसको अदा करता हूँ या सबमें पहली जोहर, बस जिसकी क़ज़ा पढ़ना चाहे उसकी नीयत करे और इसी तरह सब नमाज़ों की क़ज़ा पढ़ डाले यहां तक कि यक़ीन हो जाये कि सब अदा हो गई।

मसला–आदमी चाहे औरत हो या मर्द जब से बालिग़ होता है उसी वक़्त से उस पर नमाज़, रोज़ा वग़ैरह फ़र्ज़ हो जाता है औरत कम से कम नौ बरस में ज़्यादा से ज़्यादा पन्द्रह बरस में बालिग़ हो जाती है और मर्द कम से कम बारह बरस में और ज़्यादा से ज़्यादा पन्द्रह बरस में बालिग़ हो जाता है पन्द्रह बरस की उम्र वाले को चाहे मर्द हो या औरत शरा में बालिग़ माना

जाता है चाहे बालिग़ होने की निशानियां पाई जाती हों या ना पाई जाती हों

मसला–अनपढ़ या गंवार होना या औरत होना कोई उज़्र नहीं सब पर शरा की ज़रुरी बातें सीखना फ़र्ज़ हैं अगर अपने फ़राएज़ व वाजिबात को न जानेगा तो गुनाहगार और अज़ाब में गिरफ़्तार होगा।

नमाज़ का फ़िदिया

मसला– जिसकी नमाज़ें कज़ा हो गईं और वह मर गया तो अगर फ़िदिया देने की वसीयत कर गया और माल भी छोड़ा तो तिहाई माल से हर फ़र्ज़ और वित्र के बदले आधा साअ गेंहू या एक साअ जौ सदक़ा करें और अगर माल नहीं छोड़ा और वारिस फ़िदिया देना चाहें तो कुछ माल अपने पास से या क़र्ज़ लेकर मिस्कीन को सदका दे दे। जब मिस्कीन माल पर क़ब्ज़ा कर ले तो अपनी तरफ़ से वारिस को हेबा कर दे और वारिस भी उसपर क़ब्ज़ा कर ले फिर यह वारिस मिस्कीन को दे दे यूं ही लौट फेर करते रहें यहां तक कि सब नमाज़ों का फ़िदिया अदा हो जाये और अगर माल छोडा लेकिन वह काफ़ी नहीं है जब भी यही करें और अगर मरने वाले ने फ़िदिया देने की वासियत न की और वली अपनी तरफ़ से बतौर एहसान फ़िदिया देना चाहे तो दे।

मसला–जिसकी नमाज़ों में नुक़सान व कराहत हो वह तमाम उम्र की नमाज़ें फेरे तो अच्छी बात है और कोई खराबी न हो तो न चाहिये और करे तो फ़ज्र व अस्र के बाद न पढ़े और तमाम रकातें भरी पढ़े और वित्र में क़ुनूत पढ कर तीसरी रकात के बाद क़ादा करे और एक रकात और मिलाये कि चार हो जायें।

मसला–बाज़ लोग शबे क़दर या आख़ीर रमज़ान में जो नमाज़ कज़ाये उमरी के नाम से पढ़ते हैं और समझते हैं कि उम्र भर की कज़ाओं के लिये यह काफ़ी है यह बिल्कुल गलत और बातिले महज है।

मुसाफ़िर की नमाज़ का बयान

शरा में मुसाफ़िर वह है जो तीन दिन की राह तक जाने के एरादे से बस्ती से बाहर हुआ।

मसला-दिन से मुराद साल का सबसे छोटा दिन है और तीन दिन की राह से यह मतलब नही कि सुबह से शाम तक चलेबल्कि दिन का अकसर हिस्सा मुराद है मसलन शुरु सुबह सादिक़ से दोपहर ढलने तक चला फिर ठहर गया फिर दूसरे और तीसरे दिन यूंही किया तो इतनी दुर तक की राह को मसाफ़ते सफ़र कहेंगें. दोपहर के बाद तक चलने में भी बराबर चलना मुराद नही बकि आदतन जितना आराम लेना चाहिये उतना दरम्यान में ठहरता भी जाये और चलने से मुराद दरम्यानी चाल है न तेज़ न सुस्त, खुशकी में आदमी और ऊंट की दरम्यानी चाल का एतबार है और पहाड़ी रास्ते में उसी हिसाब से जो उसके लिये मुनासिब हो और दरिया में कश्ती की चाल उस वक़्त की जबकि हवा न बिल्कुल रुकी हो न तेज़ हो.

मसला-कोस का एतबार नहीं कि कोस कहीं छोटे होते हैं कहीं बड़े बल्कि एतबार तीन मन्ज़िलों का है और खुश्की में मील के हिसाब से उसकी मिकदार सत्तावन मील तीन फर्लांग (५७ ३/८ मील) है।

मसला- तीन दिन की राह को तेज़ सवारी पर दो दिन या कम में तय करे तो मुसाफ़िर है और तीन दिन से कम के रास्ते को ज्यादा दिनों में तय किया तो मुसाफ़िर नहीं।

मसला-खुश्की के साफ रासते में साढ़े सत्तावन मीन की राह रेल या मोटर वग़ैरह से एक घन्टा में तय हो जाती है तो इस रेल या मोटर वग़ैरह का सवार एक ही घन्टे के सफ़र में शरई मुसाफिर हो जायेगा और क़स्र वग़ैरह सफ़र के अहकाम उस पर जारी होंगे।

मसला-ख़ाली सफ़र की नीय्यत से मुसाफ़िर न होगा बल्कि मुसाफ़िर का हुक्म उस वक़्त से है कि बस्ती की आबादी से बाहर हो जाये। यानी शहर में हो तो शहर से बाहर हो जाये। गांव में हो तो गॉव से बाहर हो

जाये और शहर वाले के लिये यह भी ज़रुरी है कि शहर के आस पास जो आबदी शहर से मिली हैं उससे भी बाहर हो जाये।

मसला-स्टेशन जंह। आबादी से बाहर हो तो स्टेशन पर पहुंचने से मुसाफ़िर हो जायेगा जब कि मसाफते सफ़र तक जाने का एरादा हो।

मसला-सफ़र के लिये यह भी ज़रुरी है कि जहॉ से चला वहां से तीन दिन की राह का एरादा हो और अगर दो दिन की राह के एरादे से निकला औ वहॉ पहॅुच कर दूसरी जगह का एरादा कर लिया और यह भी तीन दिन से कम का रासता है तो इस तरह मुसाफ़िर न होगा चाहे ऐसे सारी दुनिया घूम आये मुसाफ़िर न होगा जब तक एक जगह से पूरे तीन दिन की राह का एरादा न करे।

मसला-सफ़र के लिये यह भी शर्त है कि तीन दिन का एरादा मुन्तसिल सफ़र का हो लेहाज़ा अगर यूं एरादा किया कि मसलन दो दिन की राह पर पहुंच कर कुछ काम करना है वह करके फिर एक दिन की राह जाऊंगा तो यह तीन दिन की राह का मुन्तसिल एरादा न हुआ तो मुसाफ़िर न हुआ।

मुसाफ़िर के अहकाम

मुसाफ़िर पर वाजिब है कि नमाज़ में क़स्र करे यानी चार रकात वाले फ़र्ज़ को दो पढे उसके हक में दो ही रकातें पूरी नमाज़ है।

मसला-मग़रिब और फ़ज्र में क़स्र नहीं बल्कि पूरी पढ़ी जायें। सिर्फ़ ज़ोहर, अस्र, एशा के फ़र्ज़ में क़स्र है।

मसला-अगर मुसाफ़िर क़स्र न करे तो गुनाहगार है।

मसला-सुन्नतों में क़स्र नहीं बल्कि पूरी पढी जायेगी अलबत्ता खौफ़ और रवारवी की हालत में सुन्नतें छोड़ सकता है माफ हैं लेकिन सुन्नत की क़स्र नहीं कर सकता।

मसला-मुसाफ़िर ने बजाये क़स्र चार रकात पढ़ी तो अगर दो रकात

पर कादा किया तो नमाज़ हो गई और अगर दो रकात पर क़ादा न किया तो नमाज़ बातिल है।

मसला-मुसाफ़िर उस वक़्त तक मुसाफ़िर है जब तक अपनी बस्ती में पहुंच न जाये या किसी आबादी में पूरे पन्द्रह दिन ठहरने की नीयत न कर ले यह उस वक्त है जब तीन दिन की राह चल चुका हो और अगर तीन मन्जिल पहुंचने से पेशतर वापसी का एरादा कर लिया तो मुसाफ़िर न रहा अगरचे जंगल में हो।

मसला-नीयते एक़ामत सही होने के लिये छः शर्ते हैं यानी जब छओ बातें होंगी तब मुक़ीम होगा वरना नहीं।

१-चलना तर्क करे अगर चलने की हालत में एक़ामत की नीयत की तो मुक़ीम नही।

२-जहाँ ठहरे वह जगह ठहरने के लाएक़ हो जंगल या दरिया,ग़ैर आबाद टापू में एक़ामत की नीयत की मुक़ीम न हुआ।

३-पन्द्रह दिन ठहरने की नीयत हो उससे कम ठहरने की नीयत से मुक़ीम न होगा।

४-यह नीयत एक ही जगह ठहरने की हो अगर दो मौज़ों में पन्द्रह दिन ठहरने का एरादा हो मसलन एक में दस दिन दूसरे में पांच दिन ठहरने का एरादा हो तो मुक़ीम न होगा अपना एरादा मुस्तक़िल रखता हो किसी का ताबे न हो। उसकी हालत उसके एरादे के मुनाफ़ी न हो।

मसला-मुसाफ़िर जा रहा है और अभी शहर या गांव में पहुंचा नहीं और नीयत एक़ामत की कर ली तो मुक़ीम न हुआ और पहुंचने के बाद नीयत की तो हो गया अगरचे अभी मकान वग़ैरह की तलाश में फिर रहा हो।

मसला-जो शख़्स किसी का ताबे है उसकी नीयत का एतबार नहीं बल्कि जिसके ताबे हैं उसकी नीयत का एतबार है जैसे शौहर की नीयत का एतबार है औरत की नीयत का एतबार नही. आक़ा की नीयत का एतबार है गुलाम की नीयत का नही, फ़ौज के अफ़सर की नीयत का एतबार है सिपाही

की नीयत का नही तो अगर मसलन शौहर ने एक़ामत की नीयत की तो उसकी औरत भो मुक़ीम है और अगर औरत ने एक़ामत की नीयत की और शौहर ने न की तो औरत मुकीम न हुई इसी तरह दूसरे ताबेओंकाहुक्म है।

मसला-मुकीम मुसाफिर की एक़्तदाकर सकता है ओर एमाम के सलाम फेरने के बाद अपनी बाकी दो रेकातें पढ़ ले और इन रकातों में क़रात बिल्कुल न करे बल्कि इतनी देर चुप खड़ा रहे जितनी देर में सूरह फातेहा पढ़ी जाती है.

मसला-अगर मुसाफ़िर एमाम हो तो उसको चाहिये कि नमाज़ शुरु करने से पहले कह दे कि मैं मुसाफ़िर हूँ और बाद में भी सलाम फेरते ही यह कह दे कि तुम लोग अपनी नमाज़ पूरी कर लो मैं मुसाफ़िर हूं।

मसला-मुसाफ़िर ने मुकीम की एक़्तेदा की तो इस मुसाफ़िर मुक़्तदी पर भी क़ादा ऊला वाजिब हो गया फ़र्ज़ न रहा, तो अगर एमाम ने क़ादा न किया तो नमाज फ़ासिद न हुई और मुकीम ने मुसाफ़िर की एक़्तेदा की तो इस मुकीम मुक़्तदी पर भी क़ादा ऊला फ़र्ज़ हो गया।

मसला-मुसाफ़िर जब अपने वतने असली में पहूंच गया तो सफ़र ख़त्म हो गया अगरचे एक़ामत की नीयत न की हो।

मसला-वतने असली वह जगह है जहॉ उसकी पैदाइश है या उसके घर के लोग वहॉ रहते हैं या वहॉ सकूनत कर ली है और यह एरादा है कि यहां से न जायेगा वतने एक़ामत वह जगह है जहां मुसाफ़िर ने पन्द्रह दिन या इससे ज़्यादा ठहरने का एरादा किया।

मसला-वतने एक़ामत दूसरे वतन एक़ामत को बातिल कर देता है यानी एक जगह पन्द्रह दिन के एरादे से ठहरा फिर दूसरी जगह इतने ही दिन के एरादे से ठहरा। तो पहली जगह अब वतन न रही दोनों के दरम्यान मुसाफ़ते सफ़र हो या न हो।

मसला-अगर वतने एक़ामत से वतन असली में पहूंच गया या वतन एक़ामत से सफ़र कर गया तो अब यह वतने एकामत, वतने एक़ामत न रहा। यानी अगर इसमेंफिरआया और पन्द्रह दिन से कम ठहरने की नीयत है तो

मुसाफ़िर ही है।

मसला–मुसाफ़िर ने कहीं शादी करली अगरचे वहां पन्द्रह दिन ठहरने का एरादा न हो मुकीम हो गया और दो शहरों मे उसकी दो औरतें रहती है तो दोनों जगह पहूंचते ही मुकीम हो जायेगा।

मसला–औरत ब्याह कर ससुराल गई और यहीं रहने लगी तो मैका उसके लिये वतन असली न रहा यानी अगर ससुराल तीन मन्ज़िल पर है और ससुराल से मैके आई पन्द्रह दिन ठहरने की नीयत न की तो क़स्र पढ़े और अगर नैके रहना नहीं छोड़ा बल्कि ससुराल आरज़ीतौरपरगई तो मैके आते ही सफ़र ख़त्म हो गया नमाज पूरी पढ़े।

मसला–औरत को बेगैर महरम के तीन दिन या ज़्यादा की राह जाना नाजाएज़ है बल्कि एक दिन की राह जाना भी, नाबालिग़ बच्चा या मातूवह के साथ भी सफ़र नहीं कर सकती साथ में बालिग़ महरम या शौहर का होना ज़रुरी है महरम के लिये ज़रुरी है कि सख़्त फ़ासिक़ बेबाक गैर मामून न हो।

सवारियों पर नमाज़ पढ़ने का बयान

चाहे शरई मुसाफिर हो या न हो जब सवारी पर कहीं जा रहा हो तो शहर की हदों से निकल कर सवारी पर भी नफ़िल पढ़ सकता है कि सवारी पर बैठे बैठे इशारे से पढ़े यानी सजदे के लिये रुकू से ज़्यादा झुके सर जीन पर न रक्खे अगर ज़ीन पर सजदह किया या कोई चीज़ आगे रखकर उस पर सजदह किया तो जाएज़ नहीं और जिस तरफ़ सवारी जाती हो उसी तरफ मुंह करके पढ़े दूसरी तरफ मुंह करके पढ़ना जाएज नहीं यहां तक कि तकबीर तहरीमा के वक़्त भी क़िबला को मुंह होना ज़रुरी नहीं।

मसला–सवारी पर नफ़िल पढ़ने की हालत में अगर अमले क़लील से सवारी को हांका मसलन एक पॉव से एड़ लगाई या हाथ में कोडा हैं इससे

डराया तो हर्ज नहीं और बिला ज़रुरत जाएज़ नहीं।

मसला-फ़र्ज़ और वाजिब नमाजें और फर्ज की सुन्नत और जनाजे की नमाज़ और मिन्नत की नमाज़ और वह सजदए तेलावत जिसकी आयत ज़मीन पर पढ़ी और वह नफिल जिसको ज़मीन पर शुरु करके तोड़ दिया यह सब नमाजें सवारी पर बिला उज्र जाएज़ नहीं और उज्र की सूरत में भी इन सब की अदा के लिये यह शर्त है कि अगर हो सके तो सवारी को क़िबला रुख़ खड़ा करके पढ़े वरना जैसे बन पड़े अदा करे सवारी पर जिन उज्रों से इन सब मज़कूराबाला नमाजों का पढ़ना जाएज़ हो जाता है वह उज्र यह है।

१-पानी बरस रहा है।

२-इतनी कीचड़ है कि उतर कर पढ़ेगा तो मुंह धस जायेगा या कीचड़ में भर जायेगा या जो कपड़ा बिछायेगा वह बिल्कुल लुथड़ जायेगा और इस सूरत में अगर सवारी न हो तो खड़े खड़े इशारे से पढ़े।

३-साथी चले जायेंगे।

४-या सवारी का जानवर शरीर है सवार होने में दुश्वारी होगी मददगार की जरुरत होगी और मददगार मौजूद नहीं।

५-मर्ज मे ज्यादती होगी।

६-जान।

७-माल या औरत को आबरु का डर हो।

मसला-चलती रेल पर भी फर्ज़ और वाजिब और फ़ज्र की सुन्नत नहीं हो सकती इसलिये जब स्टेशन पर गाड़ी ठहरे उस वक़्त यह नमाज़े पढ़े और अगर देखे कि वक़्त जाता है तो जिस तरह भी मुमकिन हो पढ़ ले फिर जब मौका मिले तो एआदह करे (कि जहां मिन जेहतिलएबाद कोई शर्त या रुक्न मफ़कूद हो उसका यही हुक्म है)

तहक़ीक़ व तम्बीह- चलती रेल को चलती कश्ती और जहाज़ के हुक्म में तसव्वुर करना ग़लती है इसलिये कि कश्ती अगर ठहराई भी जाये जब भी ज़मीन पर न ठहरेगी और रेलगाड़ी ऐसी नहीं और कश्ती पर भी उसी

वक्त नमाज़ जाएज़ है जब वह बीच दरिया में हो अगर किनारे पर हो और खुश्की पर आ सकता हो तो इस पर भी जाएज़ नहीं।

मसला- चलती हुई कश्ती या जहाज में बिला उज़्र बैठ कर नमाज़ सही नहीं जबकि उतर कर खुश्की में पढ़ सके।

मसला- अगर कश्ती ज़मीन पर बैठ गई हो तो उतरने की ज़रूरत नहीं इसी पर पढ़ सकता है।

मसला- कश्ती किनारे पर बंधी है और उतर सकता है तो उतर कर खुश्की में पढ़े और अगर न उतर सके तो कश्ती ही में खड़े होकर पढ़े।

मसला- अगर कश्ती बीच दरिया में लंगर डाले हुए है तो बैठकर उस वक़्त पढ़ सकते हैं जबकि हवा के तेज़ झोंके लगते हों कि खड़े होने में चक्कर आने का डर हो और अगर हवा से ज़्यादा हरकत न हो बैठ कर नहीं पढ़ सकते।

मसला- और कश्ती पर नमाज़ पढ़ने में क़िबला रु होना लाज़िम है और जब कश्ती घूम जाये तो नमाज़ी भी घूम जाये कि क़िबला को मुंह रहे और अगर इतनी तेज़ गर्दिश है कि क़िबला को मुंह करने से आजिज़ है तो उस वक़्त मुल्तवी रक्खे हां अगर वक़्त जाता देखे तो पढ़ ले।

जुमा का बयान

जुमा फ़र्ज़े ऐन है। इसकी फ़र्ज़ियत जोहर से ज़्यादा मोअक्कद है इसका मुनकिर काफ़िर है। हदीस में है जिसने तीन जुमे बराबर छोड़े उसने इस्लाम को पीठ के पीछे फेंक दिया वह मुनाफ़िक़ है वह अल्लाह से बे एलाक़ा है।

मसला- जुमा पढ़ने के लिए छः शर्तें हैं कि अगर इनमें से कोई शर्त न पाई गई तो जुमा होगा ही नहीं।

शराएत जुमा-१-मिस्र या फ़नायें मिस्र २-बादशाह ३-वक़्ते जोहर ४-खुतबा ५-जमात ६-इज़्ने आम

पहली शर्त मिस्र व फ़नाये मिस्र का बयान-

मिस्र से वह जगह मुराद है जिसमें मुतअद्दिद कूचे और बाज़ार हों और वह ज़िला या परगना हो कि उसके मुतआल्लिक देहात गिने जाते हों और वहां कोई हाकिम हो कि अपने दबदबा वसतवतके सबब से मज़लूम का इन्साफ़ ज़ालिम से ले सके यानी इन्साफ़ पर पूरी क़ूवत और क़ुदरत हो अगरचे नाइन्साफी करता और बदला न लेता हो। फनायें मिस्र से वह जगह मुराद है जो मिस्र के आस पास मिस्र की मसलहतों के लिये हो जैसे कब्रस्तान, घुड़दौड़ का मैदान, फौज के रहने की जगह, कचहरी, स्टेशन कि यह चीजे शहर से बाहर हों तो फ़नाय मिस्र में इनका शुमार है और वहां जुमा जाएज़ है लेहाजा जुमा या शहर में पढ़ा जाये या कस्बा में या इनकी फ़ना में और गॉव में जाएज़ नहीं।

मसला- मिस्र के लिये वहाँ हाकिम का रहना ज़रूरी है अगर बतौर दौरा वहां आ गया तो वह जगह मिस्र न होगी न वहाँ जुमा काएम किया जायेगा।

मसला- गांव का रहने वाला शहर में आया और जुमा के दिन यहीं रहने का एरादा है तो जुमा फ़र्ज़ है।

मसला- शहर में कई जगह जुमा हो सकता है चाहे शहर छोटा हो या बड़ा और जुमा दो मस्जिदों में हो या ज्यादा में मगर बिला ज़रूरत बहुत सी जगह जुमा क़ाएम न किया जाये कि जुमा शेआएरे इस्लाम से है और जामेए जमाआत है और बहुत सी मस्जिदों में होने से वह शौकते इस्लामी बाक़ी नहीं रहती जो इजतेमा में होती नीज़ दफ़ए हर्ज के लिये तअद्दुद जाएज़ रक्खा गया है तो ख्वाहमख़्वाह जमाअत परागन्दह करना और मुहल्ले मुहल्ले जुमा क़ाएम न करना चाहिये और एक बहुत ज़रूरी बात जिसकी तरफ़ लोगों को बिल्कुल तवज्जो नहीं यह है कि जुमा को और नमाज़ों की तरह समझ रक्खा है कि जिसने चाहा नया जुमा काएम कर लिया और जिसने चाहा पढ़ा दिया यह नाजाएज़ है। इसलिये कि जुमा काएम करना बादशाहे इस्लाम या

उसके नाएब का काम है और जहां सल्तनत इस्लामी न हो वहां जो सबसे बड़ा आलिम फ़कीह सुन्नी सहीहुल अकीदा हो वह एहकामे शरय्या जारी करने में सुल्ताने इस्लाम के काएम मुकाम है लेहाज़ा वहीं जुमा काएम करे बेग़ैर उसकी एजाज़त के नहीं हो सकता और अगर यह भी न हो तो आम लोग जिसको एमाम बनायें। लेकिन आलिम के होते हुए अवाम बतौर खुद किसी को एमाम नहीं बना सकते न यह हो सकता है कि दो चार शख्स किसी को एमाम मुक़र्रर कर लें ऐसा जुमा कहीं से साबित नहीं।

दूसरी शर्त बादशाह, का बयान- बादशाह इससे मुराद सुल्ताने इस्लाम या इसका नाएब है जिसको सुल्तान ने जुमा काएम करने का हुक्म दिया सुल्तान आदिल हो या ज़ालिम जुमा काएम कर सकता है। यूंही अगर जबरदस्ती बादशाह बन बैठा यानी शरअन उसको हक़े एमामत न हो मसलन कुरशी न हो या और कोई शर्त न हो तो यह भी जुमा कायम कर समता है.

तीसरी शर्त वक़्त का बयान- जुमा का वक़्त वक़्ते ज़ोहर है। यानी जो वक़्त ज़ोहर का है उस वक़्त के अन्दर जुमा होना चाहिये तो अगर जुमा की नमाज़ में अगरचे तशहहुद के बाद अस्र का वक़्त आ गया तो जुमा बातिल हो गया ज़ोहर की कज़ा पढ़ें।

चौथी शर्त खुतबा का बयान-

मसला-जुमा के खुतबे में शर्त यह है कि वक़्त में हो और नमाज़ से पहले हो और ऐसी जमाअत के सामने हो जो जुमा के लिये ज़रुरी है यानी कम से कम ख़तीब के सिवा तीन मर्द हों और इतनी आवाज से हो कि पास वाले सुन सकें अगर कोई अम्र माने न हो.तो अगर जवाल से पहले खुतबा पढ़ लिया या नमाज़ के बाद पढ़ा या तन्हा पढ़ा या औरतों बच्चों के सामने पढ़ा तो इन सब सूरतों में जुमा न हुआ।

मसला- ख़ुतबा और नमाज़ में अगर ज़्यादा फ़ासला हो जाये तो वह ख़ुतबा काफ़ी नहीं।

मसला-खुतबा ज़िक्रे एलाही का नाम है लेहाज़ा अगर सिर्फ़ एक बार

अलहम्दोलिल्लाह या सुब्हान अल्लाह या लाएलाहा इल्लल्लाह कहा तो फ़र्ज़ अदा हो गया लेकिन खुतबा को इतना मुख़्तसर करना मकरुह है।

मसला- सुन्नत यह है कि दो खुतबे पढ़े जायें और बड़े बड़ें न हों अगर दोनों मिलकर तेवाले मुफ़स्सल से बढ जायें तो मकरुह है। खुसूसन जाड़े में।

मसला- खुतबे में यह चीजें सुन्नत हैं खतीब का पाक होना, खड़ा होना, खुतबे से पहले खतीब का बैठना, खतीब का मिम्बर पर होना और सामेईन की तरफ़ मुंह और किबला की तरफ़ पीठ किये रहना हाज़ेरीन का एमाम की तरफ़ मोतबज्जा रहना खुतबे से पहले आउजो बिल्लाह आहिस्ता पढना इतनी बुलन्द आवाज़ से खुतबा पढ़ना कि लोग सुनें 'अलहम्दो' से शुरु करना अल्लाह अज़ावजल्लाकी सना करना अल्लाह तआला की वहदानियत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम की रेसालत की शहादत देना हुज़ूर पर दरुद भेजना कम से कम एक आयत की तेलावत करना पहले खुत्बे में वाअज़ व नसीहत होना दूसरे में हम्दोसना व शहादत व दरुद का एआदह करना और दूसरे मुसलमानों के लिये दुआ करना, दोनों खुतबे हल्के होना, दोनों खुतबों के दरम्यान ब क़दर तीन आयत पढ़ने के बैठना। मुस्तहब यंह है कि दूसरे खुतबे में आवाज़ ब निस्बत पहले के पस्त हो और खुल्फ़ाये राशेदीन व अम्मैन मुकर्रमैन हज़रत हमज़ा व अब्बास रज़े अल्लाहो तआला का ज़िक्र हो। बेहतर यह है कि दूसरा खुतबा इससे शुरु करें अलहम्दोलिल्लाहे नहमदोहू व नसतईनोहू व नसतग़फेरोहू व नूमेनो बेही वनातवक्कलो अलैहे व नाऊज़ोबिल्लाहे मिनशुरुरे अनफोसेना व मिनसय्येआते आमालिना मन यहदिल्लाहो फला मोदिल्ला लहू व मन युदलिलहो फला हादेया लहू व नशहदो अन्लाएलाहा इल्लल्लाहो वहदहु लाशरीकलहू वनश हदोअन्ना सय्यदना व मौलाना मोहम्मदन अगदुहू व रसूलुहू। मर्द अगर एमाम के सामने हो तो एमाम की तरफ़ मुंह करे और दाहिने बांय हो तो इमाम की तरफ़ मुड़ जाय और एमाम से क़रीब होना अफ़ज़ल है मगर यह जाएज़ नही कि

एमाम से क़रीब होने के लिये लोगों की गर्दनें फलांगे अलबत्ता अगर एमाम अभी खुतबा को नहीं गया है और आगे जगह बाक़ी है तो आगे जा सकता है और अगर खुतबा शुरु होने के बाद मस्जिद में आया तो मस्जिद के किनारे ही बैठ जाये खुतबा सुनने की हालत में दो ज़ानू बैठ जैसे नमाज़ में बैठते हैं। **मसला-** बादशाहे इस्लाम की ऐसी तारीफ़ जो उसमें न हो हराम है। मसलन मालिके रेक़ाबुलउमम कि यह महज़ झूट और हराम है।

मसला- खुतबा में आयत न पढ़ना या दोनों खुतबों के दरम्यान जलसा न करना या खुतबा पढ़ने में बात करना मकरुह है अलबत्ता अगर ख़तीब ने नेक बात का हुक्म दिया या बुरी बात से मना किया तो इसमें हर्ज नहीं।

मसला- अरबी के सिवा किसी दूसरी ज़बान में खुतबा पढ़ना या अरबी के साथ दूसरी ज़बान खुतबा में मिलाना खेलाफ़े सुन्नते मुतवारेसा है। यूंही खुतबे में अशआर पढ़ना भी न चाहिये अगरचे अरबी ही के हों हां दो एक शेर पन्द व नसाएह के अगर कभी पढ़ ले तो हर्ज नहीं।

पांचवीं शर्त जमात है- यानी एमाम के अलावा कम से कम तीन मर्द होने चाहियें वरना जुमा न होगा।

मसला- अगर तीन ग़ुलाम या मुसाफ़िर या बीमार, गूंगे या अनपढ़ मुक़तदी हों तो जुमा हो जायेगा और अगर सिर्फ़ औरतें या बच्चे हों तो नहीं।

छठीं शर्त इज़्ने आम- इसका यह मतलब है कि मस्जिद का दरवाज़ा खोल दिया जाये ताकि जिस मुसलमान का जी चाहे आये किसी की रोक टोक न हो अगर जामा मस्जिद में जब लोग जमा हो गये दरवाज़ा बन्द करके जुमा पढ़ा जुमा न हुआ।

मसला- औरतों को अगर मस्जिदे जुमा से रोका जाये तो इज़्ने आम के खेलाफ़ न होगा कि इनके आने में खौफ़े फ़ितना है। जुमा वाजिब होने के लिये ग्यारह शर्तें हैं इनमें से अगर एक भी न पाई गई तो फ़र्ज़ नहीं फिर भी अगर पढ़ेगा तो हो जायेगा बल्कि मर्द आक़िल बालिग़ के लिये जुमा पढ़ना अफ़ज़ल है और औरत के लिये ज़ोहर अफ़ज़ल।

पहली शर्त– शहर में मुकीम होना।

दूसरी शर्त– सेहत यानी मरीज़ पर जुमा फ़र्ज़ नहीं मरीज़ से मुराद वह है कि मस्जिदे जुमा तक न जा सकता हो या चला तो जायेगा मगर मर्ज़ बढ़ जायेगा या देर में अच्छा होगा शेख़फ़ानी मरीज़ के हुक्म में है।

मसला– जो शख़्स बीमार का तीमारदार हो और जानता है कि जुमा को जायेगा तो मरीज़ दिक्क़तों में पड़ जायेगा और उसका कोई पुरसान हाल न होगा तो उस तीमारदार पर जुमा फ़र्ज़ नहीं।

तीसरी शर्त– आज़ाद होना, गुलाम पर फ़र्ज़ नहीं और इसका आक़ा मना कर सकता है।

मसला– नौकर और मज़दूर को जुमा पढ़ने से नहीं रोक सकता अलबत्ता अगर जामा मस्जिद दूर है तो जितना हर्ज हुआ है इसकी मज़दूरी में कम कर सकता है और मज़दूर इसका मुतालबा भी नहीं कर सकता।

चौथी शर्त– मर्द होना, औरत पर जुमा फ़र्ज़ नहीं।

पांचवीं शर्त– बालिग़ होना।

छठी शर्त– आक़िल होना यह दोनों शर्तें ख़ास जुमा के लिये नहीं बल्कि हर एबादत के वाजिब होने के लिये अक़्ल व बुलूग़ शर्त हैं।

सातवीं शर्त– अंखियारा होना. अन्धे पर जुमा फ़र्ज़ नहीं मगर उस अन्धे पर फ़र्ज़ है जो शहर की तमाम गली कूचों में बिला तकल्लुफ़ फिरता है और बिला पूछे और बिला मददगार के जिस मस्जिद में चाहे पहुंच जाता है।

आठवीं शर्त– चलने पर क़ादिर होना. यानी अपाहिज पर जुमा फ़र्ज़ नहीं लेकिन ऐसा लंगड़ा जो मस्जिद तक जा सकता है उस पर जुमा फ़र्ज़ है।

नवीं शर्त– क़ैद में न होना. यानी क़ैदी पर जुमा फ़र्ज़ नहीं लेकिन अगर किसी दैन की वजह से क़ैद किया गया और मालदार है यानी अदा कर सकता है तो उस पर फ़र्ज़ है।

दसवीं शर्त- ख़ौफ़ न होना.अगर बादशाह या चोर वग़ैरह किसी ज़ालिम का डर है या मुफ़लिस कर्ज़दार को कैद होने का डर है तो उस पर फ़र्ज़ नहीं।

ग्यारहवीं शर्त- आंधी या पानी या ओले या सर्दी का न होना यानी यह चीजें अगर इतनी सख़्त हैं कि उनसे नुक्सान का ख़ौफ़ हो तो जुमा फ़र्ज़ नहीं।

मसला- जुमा का एमामत हर वह मर्द कर सकता है जो और नमाजों का एमाम हो सकता हो अगरचे उसपर जुमा फ़र्ज़ न हो जैसे मरीज़, मुसाफ़िर गुलाम यानी जबकि सुल्ताने इस्लाम या उसका नाएब या जिसको उसने एजाज़त दी, बीमार हो या मुसाफ़िर तो यह सब नमाज जुमा पढ़ा सकते हैं या इन्हीं तीनों ने किसी मरीज़ या मुसाफिर या गुलाम या किसी लाएके एमामत को एजाज़त दी हो या ब ज़रूरत आम लोगों ने किसी ऐसे को एमाम मुक़र्रर किया हो जो एमामत कर सकता हो तो वह पढ़ा सकता है चाहे मरीज़ व मुसाफ़िर व गुलाम ही क्यों न हो यह नहीं कि बतौर खुद जिसका जी चाहे जुमा पढ़ा दे कि यूं जुमा न होगा।

मसला- जिस पर जुमा फ़र्ज़ है उसे शहर में जुमा हो जाने से पहले ज़ोहर पढ़ना मकरूह तहरीमी है।

मसला- मरीज़ या मुसाफ़िर या क़ैदी या कोई और जिसपर जुमा फ़र्ज़ नहीं उन लोगों को भी जुमा के दिन शहर में जमाअत के साथ जोहर पढ़ना मकरूह तहरीमी है। ख़्वाह जुमा होने से पहले जमाअत करें या बाद में यूंही जिसे जुमा न मिला वह भी बग़ैर अजान व एक़ामत ज़ोहर की नमाज तन्हा तन्हा पढ़ें जमाअत उनके लियें भी मना है।

मसला- अेलमा फ़रमाते हैं जिन मस्जिदों में जुमा नहीं होता उन्हें जुमा के दिन जोहर के वक़्त बन्द रक्खें।

मसला- गांव में जुमा के दिन भी ज़ोहर की नमाज अज़ान व एक़ामत के साथ **बा** जमाअत पढ़ें।

मसला- नमाज़ जुमा के लिये पहले से जाना और मिस्वाक करना और अच्छे और सफ़ेद कपड़े पहनना और तेल और खुश्बू लगाना और पहली सफ में बैठना मुस्तहब है और ग़ुस्ल सुन्नत है।

ख़ुतबे के कुछ और मसाएल

जब एमाम ख़ुतबा के लिये खड़ा हो उस वक़्त से ख़त्मे नमाज़ तक नमाज़ व अज़कार और हर क़िस्म का कलाम मना है। अलबत्ता साहबे तरतीब अपनी क़ज़ा नमाज़ पढ़ ले यूंही जो शख़्स सुन्नत या नफिल पढ़ रहा है जल्दी जल्दी पूरी कर ले।

मसला- जो चीज़ें नमाज़ में हराम हैं जैसे खाना पीना सलाम व जवाब सलाम वग़ैरह यह सब ख़ुतबा की हालत में भी हराम हैं यहां तक कि अम्र बिलमारुफ़, हां ख़तीब अम्र बिलमारुफ कर सकता है जब ख़ुतबा पढ़े तो तमाम हाज़ेरीन पर सुनना और चुप रहना फ़र्ज़ है जो लोग एमाम से दूर हों कि ख़ुतबा की आवाज़ उन तक नहीं पहुंचती उन्हें भी चुप रहना वाजिब है अगर किसी को बुरी बात करते देखें तो हाथ या सर के इशारे से मना कर सकते हैं ज़बान से नाजाएज़ है।

मसला- ख़ुतबा सुनने की हालत में देखा कि अन्धा कूएं में गिरना चाहता है या किसी को बिच्छू वग़ैरह काटना चाहता है तो ज़बान से कह सकते हैं अगर इशारे या दबाने से बता सकें तो इस सूरत में भी ज़बान से कहने की एजाज़त नहीं।

मसला- ख़तीब ने मुसलमानों के लिये दुआ की तो सामेईन को हाथ उठाना या आमीन कहना मना है अगर ऐसा करेंगे तो गुनाहगार होंगे। ख़ुतबा में दरुद शरीफ़ पढ़ते वक़्त खतीब का दायें बायें मुंह करना बिदअत है।

मसला- हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम का नामे पाक खतीब ने लिया तो हाज़ेरीन दिल में दरुद शरीफ पढ़ें ज़बान से पढ़ने की उस

बल्कि एजाज़त नहीं यूंही सहाबए केराम के ज़िक्र पर उस वक़्त रज़े अल्लाहो अन्हुम जबान से कहने की एजाज़त नहीं।

मसला- खुतबए जुमा के अलावा और खुतबों का सुनना भी वाजिब है जैसे ईदैन व निकाह वगैरह का खुतबा।

मसला- पहली अज़ान के होते ही सई वाजिब है और बय वगैरह उन चीजों को जो सई के मुनाफ़ी हों छोड़ देना वाजिब है यहां तक कि रास्ता चलते हुए अगर खरीद फ़रोख्त की तो यह भी नाजाएज है और मस्जिद में खरीद व फ़रोख्त तो सख्त गुनाह है। खाना खा रहा था कि अज़ाने जुमा की आवाज़ आई अगर यह डर हो कि खायेगा तो जुमा जाता रहेगा तो खाना छोड़ दे और जुमा को जाये। जुमा के लिये इतमिनान व वक़ार के साथ जायें।

मसला- ख़तीब जब मिम्बर पर बैठे तो उसके सामने दोबारा अज़ान दी जाये सामने से यह मुराद नहीं कि मस्जिद के अन्दर मिम्बर के पास हो इसलिये कि मस्जिद के अन्दर अज़ान कहने को फ़ुक़हाये कराम मकरुह फ़रमाते हैं।

मसला- अज़ाने सानी भी बुलन्द आवाज से कहें कि इससे भी एलान मकसूद है और जिसने पहली न सुनी उसे सुनकर हाज़िर हो।

मसला- खुतबा ख़त्म हो जाये तो फ़ौरन एकामत कही जाये खुतबा व एकामत के दरम्यान दुनिया की बात करना मकरूह है।

मसला- जिसने खुतबा पढा वही नमाज पढ़ाये दूसरा न पढ़ाये और अगर दूसरे ने पढ़ा दी जब भी हो जायेगी जबकि वह माज़ून हो।

मसला- नमाज जुमा में बेहतर यह है कि पहली रकात में सूरत जुमा और दूसरी में सूरए मुनाफ़ेकून या पहली में 'सब्बेहिस्मा' और दूसरी में 'हलअताका' पढ़े मगर हमेशा इसी को न पढ़े कभी कभी और सूरतें भी पढ़े।

मसला- जुमा के दिन अगर सफ़र किया और जवाल से पहले आबादीए शहर से बाहर हो गया तो हर्ज नहीं वरना ममनू है।

फ़ाएदा- जुमा के दिन रुहें जमा होती हैं लेहाजा ज़ेयारत क़ुबूर करनी चाहिये।

ईदैन का बयान

ईदैन (यानी ईद, बक़रईद) की नमाज़ वाजिब है मगर सब पर नहीं बल्कि उन्ही पर जिन पर जुमा वाजिब है और इसकी अदा की वही शर्तें हैं जो जुमा के लिये हैं सिर्फ़ इतना फ़र्क़ है कि जुमा में खुतबा शर्त है और ईदैन में सुन्नत है अगर जुमा में खुतबा न पढ़ा तो जुमा न हुआ और ईदैन में न पढ़ा तो नमाज हो गई मगर बुरा किया दूसरा फ़र्क़ यह है कि जुमा का ख़ुतबा नमाज़ से पहले है और ईदैन का नमाज़ के बाद। अगर ईदैन का खुतबा नमाज़ से पहले पढ़ लिया तो बुरा किया मगर नमाज़ हो गई लौटाई न जायेगी और खुतबा का भी एआदह नहीं और ईदैन में न अजान है न एक़ामत सिर्फ़ दो बार इतना कहने की एजाजत है ' अस्सलातो जामेअतन '।

मसला- बिला वजह ईद की नमाज़ छोड़ना गुमराही व बिदअत है।

मसला- गांव में ईद की नमाज़ पढ़ना मकरुह तहरीमी है।

मसला- ईद के दिन यह बातें मुस्तहब हैं।

१. हजामत बनवाना. २. नाख़ून कटवाना ३. ग़ुस्ल करना ४. मिस्वाक करना ५. अच्छे कपड़े पहनना नया हो नया वरना धुला ६. अंगूठी पहनना ७. खुश्बू लगाना ८. सुबह की नमाज़ मुहल्ले की मस्जिद में पढ़ना ९. ईदगाह जल्द चला जाना १० नमाज़ से पहले सदक़ा फित्र अदा करना ११. ईदगाह को पैदल जाना, १२. दूसरे रास्ते से वापस आना, १३. नमाज़ को जाने से पहले चन्द खजूरें खा लेना, तीन, पांच, सात या कम व बेश मगर ताक़ हों। खजूरें न हों तो कोई मीठी चीज़ खा ले नमाज़ से पहले कुछ न खाया तो गुनाहगार न हुआ लेकिन अगर एशा तक न खाया तो एताब किया जायेगा। १४ खुशी ज़ाहिर करना १५. कसरत से सदाका देना १६. ईदगाह को इतमिनान व वकार से और नीची निगाह किये जाना! १७. आपस में मुबारकबाद देना यह सब बातें मुस्तहब हैं।

मसला- रास्ते में बुलन्द आवाज़ से तकबीर न कहे।

मसला- ईदगाह सवारी पर जाने में भी हर्ज नहीं मगर जिसको पैदल

जाने पर कुदरत हो उसके लिये पैदल जाना अफ़ज़ल है और वापसी में सवारी पर आने में हर्ज नहीं।

मसला- ईदैन की नमाज़ का वक़्त उस वक़्त से शुरु होता है जबकि सूरज एक नेज़े के बराबर ऊंचा हो जाये और ज़हवए कुबरा यानी निस्फ़ुन्नहार शरई तक रहता है लेकिन ईदुल फित्र में देर करना और ईदुज़्ज़ोहा में जल्द पढ़ लेना मुस्तहब है और सलाम फेरने के पहले ज़वाल हो गया तो नमाज़ जाती रही। ज़वाल से मुराद निस्फ़ुन्नहार शरई है जिसका बयान वक़्त के बयान में गुज़रा।

नमाज़ ईद का तरीक़ा- यह है कि दो रकात वाजिब ईदुलफित्र या ईदुज्ज़ोहा की नीयत करके कानों तक हाथ उठायें और अल्लाहो अकबर कह के हाथ बांध ले फिर सना पढ़े फिर कानों तक हाथ उठाये और अल्लाहो अकबर कहता हुआ हाथ छोड़ दे फिर कानों तक हाथ उठाये और अल्लहो अकबर कहकर छोड़ दे, फिर हाथ उठाये और अल्लाहो अकबर कह कर हाथ बांध ले यानी पहली तकबीर में हाथ बांधे इसके बाद दो तकबीरो में हाथ लटकायें फिर चौथी तकबीर में हाथ बांध ले इसको यूं याद रक्खें कि जहां तकबीर के बाद कुछ पढ़ना है वहां हाथ बांध लिये जायें और जहां पढ़ना नही वहां हाथ छोड़ दिये जायें. जब चौथी तकबीर पर हाथ बांध ले तो एमाम आऊज़ो बिल्लाह व बिस्मिल्लाह आहिस्ता पढ़ कर ज़ोर से अलहम्दो और सूरत पढ़े फिर रुकू करके एक रकात पूरी करे जब दूसरी रकात के लिये खड़ा हो तो पहले अलहम्दो और सूरत पढ़ें फिर तीन बार कान तक हाथ ले जा कर अल्लाहो अकबर कहे और हाथ न बांधे और चौथी बार बग़ैर हाथ उठाये अल्लाहो अकबर कहता हुआ रुकू में जायें इससे मालूम हो गया कि ईदैन में ज़ाएद तकबीरें छः हुई तीन तकबीरें पहली रकात में क़रात से पहले और तकबीर तहरीमा के बाद और तीन तकबीरें दूसरी रकात में क़रात के बाद और रुकू की तकबीर से पहले और इन छओ तकबीरो में हाथ उठाये जायेंगे और हर दो तकबीरो के दरम्यान तीन तसबीह पढ़ने के बराबर सकता करे और ईदैन में यह मुस्तहब है कि पहली रकात में अलहम्दो के बाद सूरए

जुमा पढ़े और दूसरी में सूरए मुनाफ़ेकून या पहली में सब्बेहिस्मा और दूसरी में हल अताका।

नमाज़ के बाद एमाम दो खुतबे पढ़े और जुमा के खुतबे में जो चीज़ें सुन्नत हैं वह ईदैन के खुतबे में भी सुन्नत हैं और जो बातें जुमा के खुतबे में मकरूह हैं वह ईदैन के खुतबे में भी मकरूह हैं सिर्फ़ दो बातों में फ़र्क़ है एक यह कि जुमा के पहले खुतबे से क़बल खतीब का बैठना सुन्नत था और इसमें न बैठना सुन्नत है दूसरे यह कि इसमें पहले खुतबे से क़ब्ल नौ बार और दूसरे खुतबे से कब्ल सात बार और मिम्बर से उतरने के पहले चौदह बार अल्लाहो अकबर कहना सुन्नत है और जुमा में नहीं।

मसला-पहली रकात में एमाम के तकबीर कहने के बाद कोई शामिल हुआ तो उसी वक़्त तीन तकबीरें कह ले अगरचे एमाम ने करात शुरु कर दी हो।

मसला-एमाम को रुकू में पाया तो खड़े होकर तकबीर तहरीमा कहे फिर देखे कि अगर ईद की तकबीरें कह कर एमाम को रुकू में पा लेगा तो ईद की तकबीरें भी कहे और तब रुकू में शामिल हो और अगर यह समझे कि ईद की तकबीरें कहते कहते एमाम रुकू से सर उठा लेगा तो अल्लाहो अकबर कह कर रुकू में शरीक हो जाये और रुकू में बिला हाथ उठाये ईद की तकबीरें कहे फिर अगर उसने रुकू में तकबीरें पूरी न की थीं कि एमाम ने सर उठा लिया तो एमाम के साथ सर उठाये और बाक़ी तकबीरें छोड़ दे कि यह साक़ित हो गईं अब इनको न कहेगा।

मसला-दूसरी रकात में शामिल हुआ तो पहली रकात की तकबीरें उस वक़्त कहे जब अपनी छूटी हुई रकात पूरी करने खड़ा हो।

मसला-एमाम के रुकू से उठने के बाद शामिल हुआ तो अब तकबीरें न कहे बल्कि जब अपनी छूटी हुई पढ़े उस वक़्त कहे।

मसला-आखीर रकात में सलाम फेरने से पहले शरीक हुआ तो अपनी दोनों रकातें तकबीरों के साथ पूरी करे।

मसला-किसी उज्र की वजह से ईद के दिन नमाज न हो सकी (मसलन [illegible] बारिश हुई या अब्र के सबब से चांद नहीं देखा गया और गवाही ऐसे [illegible] गुज़री कि नमाज़ न हो सकी या अब्र था और नमाज़ ऐसे वक़्त ख़त्म हुई कि ज़वाल हो चुका था, तो दुसरे दिन पढ़ी जाय और दुसरे दिन भी ना हुई तो ईदुलफ़ित्र की नमाज़ तीसरे दिन नही हो सकती और दूसरे दिन भी नमाज का वही वक़्त है जो पहले दिन था यानी एक नेज़ा आफ़ताब बुलन्द होने से निस्फ़ुन्नहार शरई तक और अगर बिला उज्रईदुलफ़ित्र की नमाज़ पहले दिन न पढ़ी तो दूसरे दिन नही पढ़ सकते

मसला-ईदुज़्ज़ोहा तमाम अहकाम में ईदुलफित्र की तरह है सिर्फ़ बाज़ बातों में फ़र्क़ है।

१-इसमें मुस्तहब यह है कि नमाज़ से पहले कुछ न खाये अगरचे क़ुरबानी न करे और खा लिया तो कराहत नहीं।

२-और रास्ते में बुलन्दआवाज़ से तकबीर कहता जाये।

३-और ईदुज़्ज़ोहा की नमाज़ उज्र की वजह से बारहवीं तक बिला कराहत मोअख़्ख़र कर सकते हैं। बारहवीं के बाद फिर नहीं हो सकती और बिला उज्र दसवीं के बाद मकरुह है।

मसला-क़ुर्बानी करनी हो तो मुस्तहब यह है कि पहली से दसवीं ज़िलहिज्जा तक न हजामत बनवाये न नाख़ून कटवाये।

मसला-बाद नमाज़ ईद मुसाफ़ा व मुआनक़ा करना जैसे कि उमूमन मुसलमानों में राएज है बेहतर है।

तकबीर तशरीक-नवीं ज़िलहिज्जा की फज्र से तेरहवीं की अस्र तक पांचों वक़्त की हर फ़र्ज़ नमाज़ के बाद जो जमाअते मुस्तहबा के साथ अदा की गई हो एक बार बुलन्द आवाज़ से तकबीर कहना वाजिब है और तीन बार कहना अफ़ज़लइसे तकबीर तशरीक़ कहते है और वह यह है अल्लाहो अकबर अल्लाहो अकबर लाएलाहा इल्लल्लाह वल्लाहो अकबर अल्लाहो अकबर वलिल्लाहिलहम्द

मसला–तकबीरे तशरीक़ सलाम फेरने के बाद फ़ौरन वाजिब है यानी जब तक कोई ऐसाफ़ेलनाकियाहो कि उस नमाज़ पर बेना न कर सके अगर मस्जिद से बाहर हो गया या क़सदन वज़ू तोड़ दिया या कलाम किया अगरचे सहवन तो तकबीर साक़ित हो गई और बिला कस्द वज़ू टूट गया तो कह लें। **मसला**–तकबीर तशरीक उस पर वाजिब है जो शहर में मुक़ीम हो या जिसने मुक़ीम की एक़्तेदा की अगरचे वह एक़्तेदा करने वाला औरत या मुसाफ़िर या गॉव का रहने वाला हो और यह लोग अगर मुक़ीमकीएक़्तेदा न करें तो उन पर वाजिब नहीं।

मसला–तकबीर तशरीक़ इन अय्याम मे जुमा के बाद भी वाजिब है और नफ़िल व सुन्नत व वित्र के बाद नहीं अलबत्ता नमाज़ ईद के बाद भी कह ले।

गहन की नमाज़

सूरज गहन की नमाज़ सुन्नत मोअक्कदा है और चांद गहन की नमाज़ मुस्तहब है। सूरज गहन की नमाज़ जमाअत सें पढ़नी मुस्तहब है और तन्हा भी हो सकती है। अगर जमाअत से पढ़ी जाये तो खुतबा के सिवा जुमा की तमाम शर्तें उसके लिये शर्त हैं वही शख्स इसकी जमाअत क़ाएम कर सकता है जो जुमा की कर सकता है वह न हो तो तन्हा पढ़ें घर में या मस्जिद में।

मसला–गहन की नमाज़ उस वक़्त पढ़ें जब सूरज में गहन लगा हो गहन छूटने के बाद नहीं और गहन छूटना शुरु हो गया मगर अभी बाक़ी है उस वक़्त भी शुरु कर सकते हैं और गहन की हालत में उस पर अब्र आ जाए जब भी नमाज़ पढ़ें।

मसला–ऐसे वक़्त गहन लगा कि उस वक़्त नमाज़ ममनू है तो नमाज़ न पढ़ें बल्कि दुआ में मशग़ूल रहें और इसी हालत में डूब जाये तो दुआ ख़त्म

कर दें और मग़रीब की नमाज़ पढ़ें।

मसला-गहन की नमाज़ नफ़िल की तरह दो रकात पढ़ें। यानी हर रकात में एक रुकू और दो सजदे करें जैसे और नमाजों में करते हैं।

मसला-गहन की नमाज़ में न अजान है न एकामत न बुलन्द आवाज़ से क़रात और नमाज़ के बाद दुआ करें यहां तक कि आफताब खुल जाये और दो रकात से ज्यादा भी पढ़ सकते हैं ख्वाह दो-दो रकात पर सलाम फेरें या चार रकात पर।

मसला-अगर लोग जमा न हुए तो इन लफ़्ज़ों से पुकारें अस्स्लातो जामेअतन।

मसला-अफ़ज़ल यह है कि ईदगाह या जामा मस्जिद में इसकी जमाअत क़ाएम की जाये और अगर दूसरी जगह क़ाएम करें जब भी हर्ज नहीं।

मसला-अगर याद हो तो सूरए बक़र और आलेइमरान की बराबर बड़ी सूरतें पढ़ें और रुकू व सजूद में भी तूल दें और बाद नमाज़ दुआ में मशग़ूल रहें यहाँ **तक** कि पूरा आफ़ताब खुल जाये और यह भी जाएज़ है कि नमाज़ में तख़फ़ीफ़ करें और दुआ में तूल दें ख्वाह एमाम क़िबला रु दुआ करे या मुक़्तदियों की तरफ़ मुंह करके खड़ा हो और यह बेहतर है और सब मुक़्तदी आमीन कहें अगर दुआ के वक़्त असा या कमान पर टेक लगा कर खड़ा हो तो यह भी अच्छा है। दुआ के लिये मिम्बर पर न जाये।

मसला-सूरज गहन और जनाज़ा दोनों का इजतेमा हो तो पहले जनाज़ा पढ़ें।

मसला-चाँद गहन की नमाज़ में जमाअत नहीं एमाम मौजूद हो या न हो बहरहाल तन्हा तन्हा पढ़ें। एमाम के अलावा दो तीन आदमी जमाअत कर सकते हैं।

मसला-तेज़ आँधी आए या दिन में सख़्त अंधेरी छा जाये या रात में ख़ौफ़नाक रौशनी हो या लगातार कसरत से मेह बरसे या ओले पड़ें या आसमान सुर्ख़ हो जाये या बिजलियाँ गिरें या ब कसरत तारे टूटें या ताऊन वग़ैरह

वबा फैले या ज़लज़ले आयेंया दुश्मन का ख़ौफ़ होया और कोई दहशतनाक बात पाई जाये इन सब के लिये दो रकात नमाज़ मुसतहब है।

किताबुल जनाएज़

बीमारी का बयान–बीमारी भी एक बहुत बड़ी नेमत है। इसके फ़ाएदे बे शुमार हें अगरचे आदमी को देखने में इससे तकलीफ़ पहुंचती है मगर दरअस्ल राहत व आराम का एक बहुत बड़ा ज़खीरा हाथ आता है यह ज़ाहिरी बदनी बीमारी जिसको आदमी बीमारी और मुसीबत समझता है हकीक़त में रुहानी बीमारीयों का ज़बरदस्त एलाज है हक़ीक़ी असली बीमारी तो रुहानी बीमारियां हैं कि यह अलबत्ता बहुत ख़ौफ़ की चीज़ है और इसी को मरज़े मोहलिक समझना चाहिये, चाहिये तो यह कि बीमारी और मुसीबत को भी आदमी नेमत की तरह खुशी–खुशी क़बूल करे नही तो कम से कम इतना ज़रुरी है कि सब्र व इस्तेक़लाल से काम ले और घबराहट और बेसब्री करके मिलते हुए सवाब को हाथ से न खोयें कि बे सब्री से आयी हुई मुसीबत जाती न रहेगी फिर उस बड़े सवाब से महरुमी दूसरी मुसीबत है बहुत से नादान बीमारी में नेहायत बेजा कलमा बोल उठते हैंबल्कि बाज़ कुफ़्र तक पहुंच जाते है मआज़ अल्लाह अल्लाह तआला की तरफ़ जुल्म की निस्बत कर देते है यह बिल्कुल दुनिया व आख़ेरत के नुक़सान वाले बन जाते है. जनाब रसूलल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम फ़रमाते है कि मुसलमान को जो तकलीफ़, हम व हुज़ुन, अज़ीयत व ग़म पहुंचे.

यहां तक कि कांटा उसके चुभे अल्लाह तआला उसके सबब से उसके गुनाह मिटा देता हे और फ़रमाते हैं हुज़ूर अलैहिस्सलाम कि मुसलमान को जो तकलीफ पहुंचती है बीमारी हो या इसके सिवा कुछ और तो अल्लाह तआला उसके गुनाहों को गिरा देता है जैसे दरख़्त के पत्ते झड़ते है और फरमाया रसूलल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम ने कि बन्दा के लिये अल्लाह तआला के इल्म में कोई मर्तबा मुक़र्ररहोता है और बन्दा आमाल के सबब से इस रुतबे को न पहुंचा तो बदन या माल या औलाद में उसको आज़माता है फिर

रुतबे को न पहुंचा तो बदन या माल या औलाद में उसको आज़माता है फिर उसे सब्र देता है यहां तक कि उसे उस रुतबे को पहुंचा देता है जो उसके लिए अल्लाहतआला के इल्म में है. और फ़रमाया कि जब क़यामत के दिन बला वालों को सवाब दिया जायेगा तो अफ़ियात (आराम) वाले तमंना करेंगे कि काश दुनिया में कैंचियों से इनकी खालें काटी जाती.

एयादत – यानी बीमार को देखने के लिये जाना, मरीज़ की एयादत को जाना सुन्नत है हदीसों में इसकी फजीलत आई है हजरत रसूलल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम फ़रमाते हैं कि मुसलमान जब अपने मुसलमान भाई की एयादत को गया तो वापस आने तक बराबर जन्नत के फूल चुनने में रहा. हुजूर अलैहिस्सलाम की आदते शरीफ़ा थी कि जब किसी मरीज़ की एयादत को जाते तो यह फ़रमाते ला बासा तहूरुन इन्शाअल्लाहो तआला यानी कोई हर्ज की बात नही इन्शाअल्लाह तआला यह मर्ज़ गुनाहों से पाक करने वाला है. हुजूर सल्लाहाहो अलैहे वसल्लम ने फ़रमाया है कि जब तू बीमार के पास जाये तो उससे कह कि तेरे लिये दुआ करे कि बीमार की दुआ फ़रिश्तो की दुआ के मिस्ल है. जब कोई मुसलमान की एयादत को जाये तो सात बार यह दुआ पढ़े. 'असालुल्लाहल अजीमा रब्बअर्शिल करीम अईं यशफ़ेयाका' अगर मौत नही आयी है तो उसे शेफ़ा हो जायेगी.

मसला – अगर मालूम है कि एयादत को जाऊंगा तो मरीज़ को पसन्द न होगा तो एसी हालत में एयादत न करें.

मसला – अगर एयादत को गया और मर्ज की सख़्ती देखी तो मरीज़ के सामने यह ज़ाहिर न करें कि तुम्हारी हालत ख़राब है और न सर हिलाये जिससे हालत का ख़राब होना समझा जाता है मरीज़ के सामने ऐसी बातें करनी चाहिये जो उसके दिल को भली मालूम हों उसकी मेजाज पुरसी करे उसके सर पर हाथ न रक्खे मगर जबकि वह खुद इसकी ख़्वाहिश करे.

मसला –-फ़ासिक़ की एयादत भी जाएज़ है क्योंकि एयादत हुक़ूक़े इस्लाम से है और फ़ासिक़ भी मुस्लिम है. यहूदी या नसरानी अगर ज़िम्मी हो तो उसकी एयादत भी जायज़ है. मजूसी की एयादत को जाय या ना जाय इसमें ओलमा को एख़्तेलाफ़ है यानी जबकि ज़िम्मी हो. हुनूद मजूसी के हुक्म मे

हैं इनके एहकाम वही हैं जो मजूसियों के लिये हैं अहले किताब जैसे इनके एहकाम नहीं हिन्दुस्तान के यहुदी नसरानी, मजूसी, बुत परस्त इनमें कोई भी जिम्मी नहीं।

मौत आने का बयान

आख़िर एक दिन दुनिया छूटनी है मौत आनी है जब यहां से जाना ही है तो वहां की तैयारी करनी चाहिये जहां हमेशा रहना है और उस वक़्त को हमेशा ध्यान में रखना चाहिये हुज़ूर फरमाते है दुनिया में ऐसे रहो जैसे मुसाफ़िर बल्कि राह चलता यानी मुसाफ़िर जिस तरह एक अजनबी शख़्स होता है और राहगीर रास्ते के खेल तमाशों में नहीं लगता कि राह खोटी होगी और मन्ज़िले मकसूद तक न पहुंच पायेगा। उसी तरह मुसलमान को चाहिये कि दुनिया में न फंसे और न ऐसे ताल्लुक़ात पैदा करे कि असली मकसद के हासिल करने में आड़े आयें और मौत को कसरत से याद करे कि मौत की याद दुनियावी ताल्लुकात की जड़ काटती है। हदीस शरीफ़ में है कि "अक्सेरु जिकरहा जेमिल्लज्जातिल मौत" यानी लज्जतों की काटने वाली मौत को कसरत से याद करो मगर किसी मुसीबत पर मौत की आरज़ू न करे कि इसकी मुमानेअत आई है और नाचार करनी ही है तो यूं कहे कि एलाही मुझे ज़िन्दा रख जब तक जिन्दगी मेरे लिये ख़ैर हो और मौत दे जब मौत मेरे लिये बेहतर हो। और मुसलमान को चाहिये कि अल्लाह तआला से नेक गुमान रक्खे उसकी रहमत का उम्मीदवार रहे हदीस में फरमाया कोई न मरे मगर इस हाल में कि अल्लाह तआला से नेक गुमान रखता हो कि इरशादे एलाही है "अना इन्दा जन्ने अबदी बी" मेरा बन्दा मुझसे जैसा गुमान रखता है मैं उसी तरह उसके साथ पेश आता हूं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम एक जवान के पास तशरीफ ले गये और वह जवान मरने के क़रीब थे हुज़ूर ने फरमाया तुम अपने को किस हाल में पाते हो अर्ज़ की या रसूलल्लाह, अल्लाह से उमीद है और अपने गुनाहो से डर। हुज़ूर ने

फ़रमाया यह दोनो यानी उम्मीद और डर इस मौक़े पर जिस बन्दे के दिल में होंगे अल्लाह उसे वह देगा जिसकी उम्मीद रखता है और उस से अमन में रखेगा जिससे डरता है।

रूह कब्ज़ होने का वक़्त बहुत सख़्त वक़्त है इसी पर सारे अमल का मदार है बल्कि ईमान के तमाम उखरवी नताएज इसी पर मोरत्तब कि एतबार ख़ातमा ही का है और शैताने लईन ईमान लेने की फ़िक्र में है जिसको अल्लाह तआला उसके मक्र से बचाये और ईमान पर ख़ात्मा नसीब फ़रमाये वह मुराद को पहुंचा हुज़ूर अलैहिस्सलाम फ़रमाते हैं जिसका आख़ीर कलाम "लाएलाहा इल्लल्लाह" हुआ यानी कलमा तय्यबा वह जन्नत में दाखिल हुआ।

मसला–जब मौत का वक़्त क़रीब आये और निशानियाँ पाई जाएं तो सुन्नत यह है कि दाहिनी क़रवट पर लेटा कर किबला की तरफ़ मुंह कर दें और यह भी जाएज़ है कि चित लिटाएं और क़िबला को पांव करें कि यूं भी क़िबला को मुंह हो जायेगा मगर इस सूरत में सर को क़दरे ऊंचा रक्खें और क़िबला को मुंह करना दुश्वार हो कि उसको तकलीफ़ होती हो तो जिस हालत पर है छोड़ दें।

मसला– जांकनी की हालत में जब तक रूह गले को न आई उसे तल्क़ीन करें यानी उसके पास बुलन्द आवाज़ से पढ़ें "अशहदोअन्लाएलाहा इल्लल्लाह व अशहदोअन्ना मोहम्मदर्रसूलुल्लाह" मगर उसे इसके कहने का हुक्म न दें।

मसला– जब उसने कलमा पढ लिया तो तल्क़ीन मौक़ूफ़ कर दें हां अगर कलमा पढने के बाद उसने कोई बात की तो फिर तल्क़ीन करें कि उसका आख़ीरी कलाम "लाएलाहा इल्लल्लाहो मोहम्मदुर्रसूलुल्लाह" हो।

मसला– तल्क़ीन करने वाला कोई नेक शख्स हो ऐसा न हो जिसको उसके मरने की खुशी हो और उसके पास उस वक़्त नेक और परहेज़गार लोगों का होना बहुत अच्छी बात है और उस वक़्त वहां सूरए यासीन शरीफ़ की तेलावत और खुश्बू होना मुस्तहब है जैसे लोबान या अगर की बत्तियां सुलगा दें।

मसला– मौत के वक़्त हैज़ व नेफ़ास वाली औरतें उसके पास हाज़िर हो सकती हैं मगर जिसका हैज़ व नेफ़ास मुन्क़ता हो गया और अभी ग़ुस्ल नहीं किया उसे और जुनुब को आना न चाहिये और कोशिश करे कि मकान में कोई तस्वीर या कुत्ता न हो अगर यह चीज़ें हों फ़ौरन निकाल दी जायें कि जहाँ यह होती हैं रहमत के फ़रिश्ते नहीं आते उसकी नेज़ाअ के वक़्त अपने और उसके लिये दुआये ख़ैर करते रहें कोई बुरा कलमा ज़बान से न निकालें कि उस वक़्त जो कुछ कहा जाता है फ़रिश्ते उस पर आमीन कहते हैं। नेज़ाअ में सख़्ती देखें तो सूरए यासीन व सूरएरअद पढ़ें।

मसला– मरते वक़्त मआज़ अल्लाह उसकी ज़बान से कलमए कुफ़ निकला तो कुफ़्र का हुक्म न देंगे कि हो सकता है कि मौत की तकलीफ़ की वजह से अक़्ल जाती रही हो और बेहोशी में यह कलमा निकल गया और बहुत मुमकिन है कि उसकी पूरी बात समझ में न आई कि ऐसी सख़्ती की हालत में आदमी पूरी बात साफ़ तौर पर अदा कर ले मुश्किल होता है।

मसला– जब रुह निकल जाये तो एक चौड़ी पट्टी जबड़े के नीचे से सर पर ले जाकर गिरह दे दें कि मुंह खुला न रहे और आंखें बन्द कर दी जायें और उंगलियां और हाथ पाँव सीधे कर दिये जायें यह काम उसके घर वालों में जो ज़्यादा नर्मी के साथ कर सकता हो बाप या बैटा वह करे।

मसला– आँखें बन्द करते वक़्त यह दुआ पढ़े "बिस्मिल्लाहे व अला मिल्लते रसूल्लिाहे अल्ला हुम्मा यस्सिर अलैहे अमरहू व सहहिल अलैहे माबअदह व असइदहो बेलेक़ायेका वजअल मा ख़रजा एलैहे ख़ैरम मिम्मा ख़रजा अन्हो"

मसला– मुर्दा के पेट पर लोहा या गीली मिट्टी या और कोई भारी चीज़ रख दें कि पेट फूल न जाये। मगर जरुरत से ज़्यादा भारी न हो कि तकलीफ़ का बाइस है।

मसला– मय्यत के सारे बदन को किसी कपड़े से छुपा दें और उसको चारपाई या तख़्त वग़ैरह किसी ऊंची चीज़ पर रक्खें कि ज़मीन की सील न पहुंचे।

मसला- ग़ुस्ल व कफ़न दफ़न में जल्दी चाहिये कि हदीस में इसकी बहुत ताकीद आई।

मसला- मय्यत के ज़िम्मे क़र्ज़ या जिस क़िस्म के दैन हों जल्द से जल्द अदा कर दें कि हदीस में है कि मय्यत अपने दैन में मुक़य्यद है। एक रवाएत में है कि उसकी रुह मुअल्लक़ रहती है जब तक दैन न अदा किया जाये।

मसला- औरत मर गई और उसके पेट में बच्चा हरकत कर रहा है तो बायें जानिब से पेट चाक करके बचा निकाला जाये।

मसला- औरत ज़िन्दा है और उसके पेट मे बच्चा मर गया और औरत की जान पर बनी है तो बच्चा काट कर निकाला जाये और बच्चा भी ज़िन्दा हो तो कैसी तकलीफ़ हो बच्चा काट कर निकालना जाएज़ नहीं।



मय्यत को नहलाने का बयान

मय्यत को नहलाना फ़र्ज़ केफ़ाया है. बाज़ लोगो ने ग़ुस्ल दे दिया तो सबसे साक़ित हो गया. नहलाने का तरीक़ा यह है कि जिस चारपाई या तख़्त या तख़्ता पर नहलाने का एरादा हो उसको तीन या पाँच या सात बार धूनी दें यानी जिस चीज में वह खुश्बू सुलगती हो उसे इतनी बार चारपाई वगैरह के गिर्द फ़िरायें और उस पर मय्यत को लेटाकर नाफ़ से धुटने तक किसी कपड़े से छुपा दे. फ़िर सर का मसह करें. फ़िर नहलाने वाला अपने हाथ पर कपडा लपेटकर पहले इस्तेन्जा कराये फ़िर नमाज़ के ऐसा बज़ू करायें यानी मुंह फ़िर कुहिनियो समेत हाथ धोयें फ़िर सर का मसह करें फ़िर पाँव धोयें मगर मय्यत के बज़ू में गट्टों तक पहले हाथ धोना और कुल्ली करना और नाक में पानी डालना नहीं है हां कोई कपडा या रुई की फ़ुरेरी भिगो कर दांतो और मसूडो और होंठो, नथुनो पर फ़ेर दें फ़िर सर और दाढी के बाल हों तो गुले ख़ैरु से धोयें यह न हो तो पाक साबुन इस्लामी कारखाने का बना हुआ या बेसन या किसी और चीज़ से धोयें नहीं तो खाली पानी भी काफ़ी है फ़िर बायीं करवट पर लेटाकर सर से पांव तक बेरी का पानी बहाये कि तख़्ता तक पहुंच जाए फ़िर दाहिनी करवट पर लेटाकर यूं ही करें और बेरी के पत्तेका जोश दिया हुआ पानी न हो तो खालिस पानी नीम गर्म काफ़ी है फ़िर टेक लगा कर बिठायें और नर्मी के साथ नीचे को

पेट पर हाथ फ़ेरें अगर कुछ निकले तो धो डाले वज़ू व गुस्ल दोबारा न करायें फ़िर आखीर में सर से पांव तक काफ़ूर का पानी बहायें फ़िर उसके बदन को किसी कपड़े से धीरे धीरे पोछ दे.

मसला – एक बार सारे बदन पर पानी बहाना फ़र्ज़ है और तीन मर्तबा सुन्नत. जहां गुस्ल दें मुस्तहब यह है कि पर्दा कर लें कि सिवा नहलाने वालों और मददगारों के दूसरा न देखें नहलाते वक़्त चाहे उस तरह लिटाये जैसे कब्र में रखते है या किबला की तरफ़ पाँव करके या जो आसान हो करें.

मसला – मर्द को मर्द नहलाये और औरत को औरत मुर्दा अगर छोटा लड़का है तो उसे औरत भी नहला सकती है और छोटी लड़की को मर्द भी नहला सकता है. छोटे से मुराद यह है कि हद्दे शहवत को न पहुचे हों.

मसला – औरत मर जाये तो शौहर न उसे नहला सकता है न छू सकता है और देखने की मुमानियत नही.

मसला – शौहर औरत के जनाज़े को कन्धा दे सकता है. कब्र में उतार सकता है मुंह भी देख सकता है. अलबत्ता नहलाना और बिला हाएल बदन को हाथ लगाना मना है.

मसला – मर्द का इन्तेक़ाल हुआ और वहां न कोई मर्द है न उसकी बीबी तो जो औरत वहां मौजूद है उसे तयम्मुम कराये फ़िर अगर औरत महरम है या उसकी बान्दी तो तयम्मुम में हाथ पर कपड़ा लपेटने की हाजत नही और अजनबी हो तो कपड़ा लपेट कर तयम्मुम कराये.

मसला – ऐसी जगह मरा कि पानी वहां नही मिलता तो तयम्मुम कराएं और नमाज़ जनाज़ा पढ़ें और नमाज़ के बाद अगर दफ़न से पहले पानी मिल जायें तो नहला कर नमाज़ फ़िर से पढ़ें.

मसला – काफ़िर मुर्दे के लिए गुस्ल व कफ़न व दफ़न नही बल्कि एक चीथड़े में लपेट कर तंग गडढे मे दाब दें. यह भी जब करें कि इसका कोई हम मज़हब न हो या उसे ले न जाये वरना मुसलमान हाथ न लगायें न उसके जनाज़ा में जाये.

मसला – मय्यत के दोनों हाथ करवटों में रक्खे सीने पर न रक्खें कि सीने पर रखना काफ़िरों का तरीका है. बाज़ जगह नाफ़ के नीचे इस तरह रखते है जैसे नमाज़ के क़ेयाम मे यह भी न करे.

मसला – मय्यत के गुस्ल के लिये कोरे घड़े बधने की ज़रुरत नही घर के इस्तेमाली बर्तन से भी गुस्ल दे सकते है और बाज़ लोग जो यह जहालत करते है कि गुस्ल के बाद इन घड़ो बधनों को तोड़ डालते है यह ना जाएज़ व हराम है कि माल बर्बाद करना है गरीबों को दे दें या अपने काम में लायें अगर नजिस

जाये हो तो पाक कर लें और अगर यह ख्याल करें कि घर में रखना नहूसत है तो यह निरी नादानी और जेहालत है. बाज़ लोग घड़े का पानी फ़ेंक देते हैं यह भी बुरा है.

कफ़न का बयान—मय्यत को कफ़न देना फ़र्ज़ केफ़ाया है कफ़न के तीन दर्जे है 1. ज़रुरत 2.केफ़ायत 3.सुन्नत . मर्द के लिए कफ़न सुन्नत तीन कपडे है. लिफ़ाफ़ा, एज़ार, क़मीज़ . और औरतों के लिये कफ़न सुन्नत पांच कपड़े है 1. लिफ़ाफ़ा 2.एजार 3.क़मीज 4. ओढ़नी 5. सीनाबन्द . कफ़न केफ़ायत मर्द के लिये दो कपड़े है लिफ़ाफ़ा व एजार. औरत के लिये कफ़न केफ़ायत तीन कपड़े है लिफ़ाफ़ा एज़ार ओढ़नी या लिफ़ाफ़ा क़मीज़ व ओढ़नी कफ़ने ज़रुरत मर्द व औरत दोनों के लिये जो मुयस्सर आये और कम से कम इतना तो हो कि सारा बदन ढक जाये.

मसला – लिफ़ाफ़ा यानी चादर ऐसी होनी चाहये कि मय्यत के क़द से इतनी ज्यादा हो किदोनो तरफ़ बांध सकें और एजार यानी तहबन्द चोटी से क़दम तक हो यानी लिफ़ाफ़ा से इतना छोटा जो बांधने के लिये लिफ़ाफ़ा में ज़्यादा था और क़मीज़ जिसको कफ़नी कहते हैं गर्दन से घुटनो के नीचे तक की है और कफ़नी आगे पीछे दोनो तरफ़ बराबर हो और जाहिलों में जो रवाज है कि पीछे कम रखते है यह गल्ती है. चाक और आस्तीन कफ़नी में न हो मर्द और औरत की कफ़नी में फ़र्क है मर्द की कफ़नी मोढ़े पर चीरें और औरत के लिए सीने की तरफ़.ओढ़नी तीन हाथ की होनी चाहिये यानी डेढ़ गज़ की. सीना बन्द पिस्तान से नाफ़ तक हो और बेहतर यह है कि रान तक हो .

मसला – बिला ज़रुरत कफ़न केफ़ायत से कम करना नाजाएज़ व मकरुह है

मसला – कफ़ने ज़रुरत के होते हुए कफ़न मसनून के लये सवाल करना जाएज़ नही कि बिला ज़रुरत सवाल नाजाएज़ है और यहां ज़रुरत नही अलबत्ता अगर कफ़ने ज़रुरत मयस्सर न हो तो ज़रुरत भर के लिये सवाल करें ज्यादा के लिये नही अगर बेगैर मागे मुसलमान खुद क़फ़न पूरा कर दें तो इन्शाअल्लाह पूरा सवाब पायेंगे .

मसला – कफ़न अच्छा होना चाहिये यानी मर्द इद व जुमा के लिये जैसा कपड़ा पहनता था और औरत जैसे कपड़े पहनकर मैके जाती थी उस कीमत का होना चाहिये हदीस शरीफ़ में है. मुर्दो को अच्छा कफ़न दो कि वह आपस में मुलाक़ात करते हैं और अच्छे कफ़न से तफ़ाखुर करते है यानी खुश होते है. सफ़ेद कफ़न बेहतर है कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम ने फ़रमाया अपने मुर्दे सफ़ेद कपड़ो में दफ़नाओ.

मसला – कुसुम या ज़ाफ़रान का रंगा हुआ या रेशम का कफ़न मर्द के लिये मना है और औरत के लिए जाएज़ है यानी जो कपडा ज़िन्दगी मे पहन सकता है उसका कफ़न दिया जा सकता है और जिसका पहनना जिन्दगी में ना जाएज़ उसका कफ़न भी ना जाएज़.

मसला – कफ़न पुराने कपड़े का भी दे सकते है.

मसला – नौ बरस या इससे ज़्यादा उम्र की लड़की को औरत के बराबर पूरा कफ़न दिया जाये और बारह बरस या इससे ज़्यादा उम्र के लड़के को मर्द के बराबर कफ़न दें और नौ बरस से छोटी लड़की को दो कपडा और बारह बरस से छोटे लड़के को एक कपडा भी दे सकते है और लड़के को भी दो कपड़े दिये जायें तो अच्छा है और बेहतर यह है कि दोनो को पूरा कफ़न दें चाहे एक ही दिन का बच्चा हो.

मसला – मय्यत ने अगर कुछ माल छोड़ा तो कफ़न उसी के माल से होना चाहिये.

मसला – दैन, वसीयत, मीरास इन सब पर कफ़न मुक़द्दम है यानी मय्यत के माल से पहले कफ़न दिया जायेगा फ़िर बाकी से क़र्ज़ अदा किया जायेगा फ़िर जो बाकी बचेगा उसके तिहाई से वसीयत पूरी की जायेगी फ़िर बाकी से वारिसो को मिलेगा.

मसला – मय्यत ने माल न छोडा तो कफ़न उसके ज़िम्मा है जिसके ज़िम्मा ज़िन्दगी में नफ़क़ा था और अगर कोई ऐसा नही जिस पर नफ़क़ा वाजिब होता है या है मगर नादार है तो बैतुल माल से दिया जाये और बैतुल माल भी वहां न हो जैसे यहां हिन्दुस्तान में तो वहां के मुसलमानो पर कफ़न देना फ़र्ज़ है. अगर मालूम था और न दिया तो सब गुनाहगार होंगे अगर इन लोगो के पास भी नही तो एक कपड़े के बराबर और लोगो से सवाल कर लें.

मसला – औरत ने अगरचे माल छोडा लेकिन इसका कफ़न शौहर के ज़िम्माहै बशर्ते कि मौत के वक़्त कोई ऐसी बात न पाई गई हो जिससे औरत का नफ़क़ा शौहर पर से साक़ित हो जाता है और अगर शौहर मरा और उसकी औरत मालदार है जब भी औरत पर कफ़न वाजिब नही.

मसला – यह जो कहा गया कि फ़लां पर कफ़न वाजिब है इससे मुराद कफ़न शरईहै यूं ही बाक़ी सब सामान तजहीज़ जैसे खुश्बू व गस्साल और ले जाने वालो की उजरत और दफ़न के मसारिफ़ सब मे शरई मेक़दार मुराद है. बाक़ी और बातें जो मय्यत के माल से की गई अगर वारिस बालिग हो और सब वारिसो ने एजाज़त भी दे दी हो तो जाएज़ है वरना ख़र्च करने वाले के ज़िम्मा है.

कफ़न पहनाने का तरीक़ा यह है कि मय्यत को गुस्ल देने के बाद बदन किसी पाक कपड़े से आहिस्ता पोछ लें ताकि कफ़न तर न हो और कफ़न को एक या तीन या पांच या सात बार धूनी दे ले. इससे ज़्यादा नही फ़िर कफ़न यूं बिछायें कि पहले बडी चादर फ़िर तहबन्द फ़िर कफ़नी फ़िर मय्यत को उस पर लेटायें और कफ़नी पहनायें और दाढ़ी और तमाम बदन पर खुश्बू मलें और मवाज़ए सजूद यानी माथे, नाक, हाथ, घुटने, क़दम पर काफ़ूर लगायें फ़िर एजार यानी तहबन्द लपेटें. पहले बाईं तरफ़ से फ़िर दाहिनी तरफ़ से फ़िर लिफ़ाफ़ा लपेटें. पहले बाईं तरफ़ से फ़िर दाहिनी तरफ़ से ताकि दाहिना ऊपर रहे और सर और पांव की तरफ़ बांध दें कि उड़ने का डर न रहे औरत को कफ़नी पहना कर इसके बाल के दो हिस्से करके कफ़नी के ऊपर सीने पर डाल दें और ओढ़नी आधी पीठ के नीचे से बिछाकर सर पर ला कर मुंह पर मिस्ल नकाब के डाल दें कि सीने पर रहे कि उसकी लम्बाई आधी पीठ से सीन तक है और चौड़ाई एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक है और यह जो लोग किया करते हैं कि ज़िन्दगी की तरह उढ़ाते हैं यह महज़ बेजा वा ख़ेलाफ़े सुन्नत है फ़िर बदस्तूर एज़ार व लिफ़ाफ़ा लपेटें फ़िर सबके उपर सीना बन्द पिस्तान के ऊपर से रान तक लाकर बांधे.

जनाज़ा ले चलने का बयान

मसला-जनाज़ा को कन्धा देना एबादत है। हर शख़्स को चाहिये कि एबादत में कोताही न करे हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने सअदबिन मआज़ रज़ी अल्लाहो तआला अन्हू का जनाज़ा उठाया।

मसला-सुन्नत यह है कि यके बाद दीगरे चारों पायों को कन्धा दें और हर बार दस दस क़दम चलें और पूरी सुन्नत यह है कि पहले दाहिने सरहाने को कन्धा दे फ़िर दाहिनी पायती फिर बायें सरहाने फिर बांय पौयती और दस दस क़दम चले तो कुल चालीस क़दम हुए, हदीस में है जो चालीस क़दम जनाज़ा ले चले उसके कबीरा गुनाह मिटा दिये जायेंगे और जो जनाज़ा के चारों पायों को कन्धा दे अल्लाह तआला उसकी हतमी मग़फरत फ़रमा देगा.

मसला-जनाज़ा ले चलने मे चारपाई को हाथ से पकड कर मोढे पर रखे असबाब की तरह गर्दन या पीठ पर लादना मकरुह है चौपाया पर भी जनाज़ा लादना मकरुह है।

मसला–छोटे बच्चे को अगर एक आदमी हाथ पर उठा कर ले चले तो हर्ज नहीं लोग हांथो'हाथ एक के बाद दूसरा लेता रहे।

मसला–जनाज़ा मोतदिल तेज़ी से ले जायें मगर न इस तरह कि मय्यत को झटका लगे।

मसला–साथ जाने वालों के लिये अफ़ज़ल यह है कि जनाज़ा के पीछे चलें दाहिने बायें न चलें अगर कोई आगे चले तो चाहिये कि इतनी दूर रहे कि साथियों में न गिना जाये और सबके सब आगे हों तो मकरुह है।

मसला–जनाज़े के साथ पैदल चलना अफ़ज़ल है और सवारी पर हो तो आगे चलना मकरुह और आगे हो तो जनाज़े से दूर हो।

मसला–जनाज़ा ले चलने मे सरहाना आगे होना चाहिये।

मसला–जनाज़े के साथ आग ले जाना मना है।

मसला–मय्यत अगर पड़ोसी या रिश्तेदार हो या कोई नेक शख्स हो तो उसके जनाज़े के साथ जाना नफ़िल नमाज़ पढ़ने से अफ़ज़ल है।

मसला–जो शख्स जनाज़ा के साथ हो उसे बेगैर नमाज़ पढ़े वापस न होना चाहिये और नमाज़ के बाद औलियाए मय्यत से एजाज़त लेकर वापस हो सकता है और दफ़न के बाद एजाज़त की ज़रुरत नहीं।

मसला–जनाज़े के साथ चलने वालों को दुनिया की बातें करना, हंसना मना है।

जनाज़ा की नमाज़ का बयान

जनाज़ा की नमाज फ़र्ज़ केफ़ाया है कि एक ने भी पढ़ ली तो सब बरीउल ज़िम्मा हो गये वरना जिस-जिस को ख़बर पहुंची थी और न पढ़ी गुनहगार हुआ इसकी फ़र्ज़ियत का जो इन्कार करे वह काफ़िर है।

मसला–इसके लिये जमाअत शर्त नहीं एक शख्स भी पढ़ ले फ़र्ज़ अदा हो गया। नमाज़ जनाज़ा का तरीक़ा यह है कि नमाज़ जनाज़ा की नीयत

करके कान तक हाथ उठा कर अल्लाहो अकबर कहता हुआ हाथ नीचे लाये और नाफ़ के नीचे हस्बे दस्तूर बांध ले और सना पढ़े "सुबहानका अल्लाहुम्मा वबेहम्देका व तबारकसमोका व तआला जद्दोका व जल्ला सनावोका वलाएलाहा गैरोका" फिर बेग़ैर हाथ उठाये अल्लाहो अकबर कहे और दरुद शरीफ़ पढ़े। बेहतर वही दरुद है जो नमाज़ में पढ़ा जाता है अगर कोई दूसरा दरुद पढ़ा जब भी हर्ज नही फिर अल्लहो अकबर कह कर अपने और मय्यत के लिये और तमाम मोमिनीन व मोमिनात के लियेयह दोआ पढ़े "अल्लाहुम्मग़फ़िर लेहय्येना व मय्यतेना व शाहेदेना व ग़ाएबेना व सग़ीरेना व कबीरेना व ज़करेना व उन्साना अल्लाहुम्मा मन अहयैतहू मिन्ना फअहएही अलल इस्लामे व मन तवफ्फैतहू मिन्ना फतवफ्फहू अलल ईमान" फिर अल्लाहो अकबर कहके सलाम फेर दे.

मसला–जिसको यह दोआ याद न हो वह और कोई दोआए मासूर पढ़ ले जैसे "अल्लाहुम्मग़फिरली वले वालेदय्या वलेमन तवालदा वले जमीइल मोमिनीना वल मोमिनाते वल मुस्लेमीना वल मुस्लमातिल अहयाये मिनहुम वल अम्वात इन्नका मुजीबुद दअवाते बेरहमतेका या अरहमरहिमीन"

मसला–नमाज़ जनाज़ा की चारों तकबीरों में से सिर्फ पहली तकबीर पर हाथ उठायें और बाक़ी में नहीं और चौथी तकबीर कहते ही बिला कुछ पढ़े हाथ खोल कर सलाम फेरें।

मसला–मय्यत अगर पागल या ना बालिग हो तो तीसरी तकबीर के बाद यह दोआ पढ़ें "अल्लाहुम्मजअलहो लना फ़रातौं वज़अलहो लना अजरौं व ज़ुख़रौं वज़अलहो लना शाफेऔं" मोशफ्फाअ और लड़की हो तो "इज़अलहा और शाफेअतौ मुशफ्फा" कहें. मजनून से ऐसा पागल मुराद है कि बालिग़ होने से पहने ही पागल हो गया

मसला-सलाम में मय्यत और फ़रिश्तों और हाज़रीने नमाज़ की नीयत रहे। **मसला**–तकबीर व सलाम को एमाम जेहर के साथ कहे बाक़ी तमाम चीज़ें आहिस्ता पढ़े।

मसला-नमाज जनाज़ा में रुक्न यानी फ़र्ज़ दो हैं (१) चारें तकबीरें (२)केयाम। और सुन्नत मुअक्कदा तीन चीज़ें हैं। अल्लाह तआला की सना दरुद शरीफ़ और मय्यत के लिये दोआ।

मसला-चूंकि केयाम फर्ज़ है लेहाज़ा बेगैर उज्र बैठ कर या सवारी पर नमाज़ जनाज़ा पढ़ी तो न हुई और अगरमुक्तदियों ने खड़े होकर पढ़ी तो नमाज़ हो गई।

मसला-जिसकी बाज़ तकबीरें छूट गयीं वह अपनी छूटी हुई तकबीरें एमाम के सलाम फ़ेरने के बाद कहे अगर यह डर हो कि दोआयें पढ़ेगा तो पूरी करने से पहले लोग मय्यत को कन्धे तक उठा लेंगे तो सिर्फ तकबीरें कह ले दोआएं छोड़ दे।

मसला- जो शख़्स चौथी तकबीर के बाद आया तो जब तक एमाम ने सलाम न फेरा शामिल हो जाये और एमाम के सलाम के बाद तीन बार अल्लाहो अकबर कह ले।

मसला- जिन चीज़ों से तमाम नमाज़ें फ़ासिद होती हैं नमाज जनाज़ा भी उनसे फ़ासिद हो जाती है। सिवा एक बात के कि औरत मर्द के महाज़ी हो जाये तो नमाज़ जनाज़ा फ़ासिद न होगी।

मसला-जनाज़ा की नमाज़ की भी वही शर्तें हैं जो और नमाज़ों की हैं यानी-

(१) तहारत (नमाज़ी के बदन, कपड़े और नमाज़ की जगह पाक होना नमाज़ी का बा गुस्ल व बा वज़ू होना)।

(२) सतरे औरत।

(३) क़िबला को मुंह होना।

(४) नीयत। अलबत्ता कोई वक़्त ख़ास इसके लिये मोअय्यन नहीं और तकबीर तहरीमा इसका रुक्न है शर्त नहीं और मय्यत के लिये यह शर्त है कि इसको गुस्ल दिया गया हो और गुस्ल ना मुम्किन होने की सूरत में तयम्मुम कराया गया हो और पाक कफ़न पहनाया गया हो अगरचे बाद में

आलूदा हो गया हो और जनाज़ा सामने हो और जनाज़ा ज़मीन पर रक्खा हो अगर जानवर वगैरह पर लदा हो नमाज़ न होगी।

मसला-हर मुसलमान की नमाज़ पढ़ी जाये अगरचे वह कैसा ही गुनहगार व मुरतकिब कबाएर हो सिवाए चन्द किस्म के गुनाहगारों के कि उनकी नमाज़ नहीं। १-बाग़ी जो एमाम बरहक़ के खेलाफ़ लड़ने को निकले और इसी बग़ावत की हालत में मारा जाये।

२-डाकू कि डाका में मारा गया न इनको गुस्ल दिया जाये न इनकी नमाज पढ़ी जाये।

३-जिसने कई आदमियों का गला घोंट कर मार डाला जिसने अपने माँ या बाप को मार डाला उसकी भी नमाज़ नहीं।

मसला-नमाज़े जनाज़ा में एमामत का हक़ बादशाहे इस्लाम को है फिर काजी को फिर एमाम जुमा को फिर एमाम मोहल्ला फिर वली को. एमाम मुहल्ला का वली पर मोक़द्दम होना मुस्तहब है और यह भी जब है कि एमाम मुहल्ला वली मय्यत से अफ़ज़ल हो नहीं तो वली अफ़ज़ल है.

मसला-वली से मुराद मय्यत के असबा हैं और नमाज़ पढ़ाने में वलियों की वही तरतीब है तो निकाह में है सिर्फ़ इतना है कि नमाज़ जनाज़ा में मय्यत के बाप को बेटे पर तक़द्दुम है और निकाह में बेटे को बाप पर.अलबत्ता अगर बाप आलिम नही और बेटा आलिम है तो नमाज़ जनाज़ा में भी बेटा मुक़द्दम है अगर असबा न हो तो ज़विलअरहाम ग़ैरों पर मुक़द्दम है.

मसला-मय्यत का वली अक़रब (यानी सबसे नज़दीक का रिश्तेदार) गायब है और वली अबअद (दूर का रिश्तेदार) हाज़िर है तो यही अबअद नमाज़ पढ़ाये ग़ायब होने से मुराद यह है कि इतनी दूर हो कि इसके आने में हर्ज हो।

मसला-औरत का कोई वली न हो तो शौहर नमाज़ पढ़ाये वह भी न हो तो पड़ोसी। यूंही मर्द का वली न हो तो पड़ोसी औरों पर मुक़द्दम है। मसला-औरतों और बच्चों को नमाज़ जनाज़ा की वेलायत नहीं।

मसला–बेहतर यह है कि नमाज़ जनाज़ा में तीन सफ़ करें कि हदीस में है कि जिसकी नमाज़ तीन सफ़ों ने पढ़ी उसकी मग़फ़रत हो जायेगी और अगर कुल सात ही आदमी हों तो एक एमाम हो और तीन पहली सफ़ में और दो दूसरी सफ़ में और एक तीसरी में।

मसला–मुस्तहब यह है कि मय्यत के सीने के सामने एमाम खड़ा हो और मय्यत से दूर न हो।

मसला–मस्जिद में नमाजे जनाजा मुतलक़न मकरुह तहरीमी है। चाहे मय्यत मस्जिद के अन्दर हो या बाहर या सब नमाजी मसिजद में हों या बाज़।

मसला– जुमे के दिन कोई मरा तो अगर जुमे से पहले तजहीज़ व तकफ़ीन हो सके तो पहले ही कर लें, इस ख़्याल से रोक रखना कि मजमा ज़्यादह होगा मकरुह है.

मसला– मय्यत को बग़ैर नमाज़ पढ़े दफ़न कर दिया और मिटटी भी दे दी गई तो अब उसकी क़ब्र पर नमाज़ पढ़ें जब तक फटने का गुमान न हो और अगर मिट्टी न दी गई हो तो निकालें और नमाज़ पढ़ कर दफ़न करें.

मसला–मुसलमान मर्द का बच्चा या मुसलमान औरत का बच्चा ज़िन्दा पैदा हुआ फिर मर गया तो उसको गुस्ल व कफ़न देंगे और उसकी नमाज़ पढ़ेंगे अगर मरा हुआ पैदा हुआ तो वैसे ही नहला कर एक पाक कपड़े में लपेट कर दफ़न कद देंगे। इसके लिये न नमाज़ है न सुन्नत तरीक़ा पर गुसल व कफ़न।

मसला–जो बच्चा सर की जानिब से पैदा हुआ सीना निकलने तक ज़िन्दा रहा फिर मर गया तो जिन्दा माना जायेगा और जो पाँव की तरफ़ से पैदा हुआ और कमर निकलने तक ज़िन्दा रहा फिर मरा तो ज़िन्दा माना जाये और अगर इतना निकलने से पहले मर जाये अगरचे आवाज़ दी हो मरा समझा जाये।

मसला– बच्चा चाहे जिन्दा पैदा हो या मरा पूरा बना हुआ या अधूरा हर सूरत में इसका नाम रक्खा जाये और कयामत के दिन उसका हश्र होगा।

मसला–मुसलमान का बच्चा काफिरा से पैदा हुआ और वह उसकी मनकूहा न थी यानी वह बच्चा ज़ेना का है तो उसकी नमाज़ पढ़ी जाये।

क़ब्र व दफ़न का बयान–मय्यत को दफ़न करना फ़र्ज़ केफ़ाया है।

मसला– कब्र की लम्बाई मय्यत के क़द के बराबर हो और चौड़ाई आधे क़द की और गहराई कम से कम आधे क़द की और बेहतर यह है कि गहराई भी क़द के बराबर हो और मुतवस्सित दर्जा यह है कि सीने तक हो। इस गहराई से मुराद यह है कि लहद या सन्दूक इतना गहरा हो कि जहां से खोदनी शुरु की वहां से आखीर तक यह मेकदार हो।

मसला–कब्र दो तरह की होती है एक लहद यानी बगली जो क़िबला की तरफ़ अन्दर कब्र मे जगह खोदते हैं मय्यत को रखने के लिये दूसरी सन्दूक़ जो हौज़ की तरह बना कर उसमें मय्यत को रख कर तख्ते लगाते हैं। लहद सुन्नत है और यह न बन सके तो सन्दूक़ में भी हर्ज नहीं।

मसला–कब्र के उस हिस्से में जो मय्यत के जिस्म के क़रीब है पक्की ईंट लगाना मकरुह है।

मसला–क़ब्र में चटाई वगैरह बिछाना ना जाएज़ है कि वे सबब माल ज़ाया करना है।

मसला–कब्र में उतरने वाले दो तीन या जितने आदमियों की जरुरत हो उतरें यह लोग नेक और अमीन हों कि कोई बात नामुनासिब देखें तो लोगों पर ज़ाहिर न करें और अच्छी देखें तो चर्चा करें।

मसला–जनाज़ा क़ब्र से किबला की जानिब रखना मुस्तहब है कि मुर्दा किबला की तरफ़ से क़ब्र में उतारा जाये यूं नहीं कि कब्र की पांयती रक्खें और सर की तरफ़ से क़ब्र में लायें।

मसला–औरत का जनाज़ा उतारने वाले महरिम हों (शरअन जिससे पर्दा नहीं) यह न हों तो दूसरे रिश्ते वाले यह भी न हों तो परहेज़गार ग़ैर के उतारने में हर्ज नहीं।

मसला–मय्यत को क़ब्र में रखते वक़्त यह दुआ पढ़े "बिस्मिल्लाहे व

बिल्लाहे व अलामिल्लते रसूलिल्लाह"।

मसला—मय्यत को दाहिनी करवट पर लेटायें और उसका मुंह किबला को करें अगर किबला की तरफ़ मुंह करना भूल गए और तख्ता लगाने के बाद याद आया तो तख्ता हटा कर किबला रू करे दें और अगर मिट्टी देने के बाद याद आया तो नहीं। यूं ही अगर बाईं करवट पर रक्खा या जिध र सरहाना होना चाहिये उधर पॉव किये तो अगर मि ट्टी देने के पहले याद आया तो ठीक कर दें वरना नहीं।

मसला—कब्र में रखने के बाद कफ़न की बन्दिश खोल दें कि अब ज़रुरत नहीं और न खोली तो हर्ज नहीं।

मसला—मय्यत को लहद में रखने के बाद लहद को कच्ची ईंटों से बन्द कर दें और ज़मीन नर्म हो तो तख्ते लगाना भी जाएज़ है तख्तों के दरम्यान झरी रह गई तो उसे ढेले वगैरह से बन्द कर दें सन्दूक़ का भी यही हुक्म है।

मसाला—औरत का जनाज़ा हो तो क़ब्र में उतारने से तख्ता लगाने तक कब्र को कपड़े वगैरह से छुपाये रक्खें मर्द की कब्र को दफ़न करते वक्त न छुपायें अलबत्ता अगर मुंह वगैरह कोई उज्र हो तो छुपाना जाएज़ है औरत का जनाज़ा भी ढका रहे।

मसला—तख्ता लगाने के बाद मिट्टी दी जाये। मुस्तहब यह है कि सरहाने की तरफ़ दोनों हाथों से तीन बार मिट्टीडालेंपहली बार कहें "मिन्हा ख़लक़नाकुम" दूसरी बार "वफ़ीहा नुईदोकुम" तीसरी बार "वमिन्हा नुख्रेजोकुम तारतन उख़्रा" फिर बाक़ी मिट्टी खुरपी फावड़े वगैरह जिस चीज़ से हो सके क़ब्र में डालें और जितनी मिट्टी कब्र से निकली उससे ज्यादाडालना मकरूह है।

मसला—हाथ में जो मिट्टी लगी है उसे झाड़ दें या धो ढालें अख़्तेयार है।

मसला—क़ब्र चौखुन्टी न बनायें बल्कि इसमें ढ़ाल रक्खें जैसे ऊंट का

कोहान। क़ब्र पर पानी छिड़कने में हर्ज नहीं बल्कि बेहतर है। क़ब्र एक बालिश्त ऊंची हो या कुछ थोड़ी-सी ज़्यादा।

मसला—जहाज़ पर इन्तेक़ाल हुआ और किनारा क़रीब न हो तो गुस्ल व कफ़न देकर नमाज़ पढ़ कर समुन्द्र में डुबो दें।

मसला—ओलमा व सदात की कुबूर पर कुब्बा वगैरह बनाने में हर्ज नहीं और क़ब्र को पोख़्ता न किया जाये। यानी अन्दर से पोख़्ता न किया जाये और अगर अन्दर से कच्ची हो और ऊपर से पोख़्ता तो हर्ज नहीं।

मसला—अगर ज़रूरत हो तो क़ब्र पर निशान के लिये कुछ लिख सकते हैं मगर एसी जगह न लिखें कि वे अदबी हो।

मसला—ऐसे क़ब्रस्तान में दफ़न करना बेहतर है जहाँ सालेहीन की क़ब्रें हों।

मसला—मुस्तहब यह है कि दफ़न के बाद क़ब्र पर सूरए बक़र का अव्वल और आखीर पढ़ें सरहाने अलिफ़लाममीम से मुफ़लेहून तक और पांयती आमनर्रसूलो से ख़त्मे सूरत तक पढ़ें।

मसला— क़ब्र पर बैठना, सोना, चलना पाखाना, पेशाब करना हराम है। क़ब्रस्तान में जो नया रास्ता निकाला गया उसपर चलना ना जाएज़ है चाहे नया होना मालूम हो या इसका गुमान हो।

मसला—अपने किसी रिश्तेदार की क़ब्र तक जाना चाहता है मगर क़ब्रों पर चलना पडेगा तो वहाँ तक जाना मना है। दूर ही से फ़ातेहा पढ़ दे। क़ब्रस्तान में जूतियाँ पहन कर न जाये एक आदमी को रसूलल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम ने जूते पहने देखा तो फरमाया जूते उतार दे न क़ब्र वाले को तू तकलीफ़ दे न वह तुझे।

ज़ेयारते कुबूर क़ब्रों की ज़ेयारत को जाना सुन्नत है हर हफ़्ता में एक दिन ज़ेयारत करे जुमा या जुमेरात या सनीचर या दोशम्बा के दिन मुनासिब है। सबमें अफ़जल जुमा का दिन सुबह का वक़्त है। औलियाए केराम के मज़ारात पर सफ़र करके जाना आएज़ है। औलिया अपनी ज़ेयारत करने

वालों को नफ़ा पहुंचाते हैं और अगर वहां कोई खेलाफ़े शरा बात हो जैसे औरतों का सामना बाजा वगैरह तो इसकी वजह से ज़ेयारत न छोड़ी जाये कि ऐसी बातों से नेक काम छोड़ा नहीं जाता बल्कि उसे बुरा जाने और हो सके तो बुरी बात को दूर करे।

मसला—सलामती इसी में है कि औरतों को ज़ेयारत कुबूर से रोका जाये।

ज़ेयारते क़ब्र का तरीक़ा— यह है कि पाएंती की तरफ़ से जाकर मय्यत के मुंह के सामने खड़ा हो और यह कहे अस्सलामो अलैकुम अहला दारे क़ौमिन मोमेनीना अनतुम लना सलाफं व इन्ना इन्शाअल्लाहो बेकुम ला हेक़ूना नस्अलुल्लाहा लना व लकोमुलअफ़वा वल आफेयता यरहमुल्लाहुलमुस्तक़देमीना मिन्ना वल मुस्ताख़ेरीना अल्लाहुम्मा रब्बल अरवाहिलफ़ानेयते वल अजसादिल ..लयते वलएज़ामिल नख़ेरते अदखिल हाजेहिलकुबूरा मिनका रौहौं व रैहानौं व मिन्ना तहियतौं व सलामा। फिर फ़ातेहा पढ़े और बैठना चाहे तो इतने फ़ासले पर बैठे कि जितनी दूर पर ज़िन्दगी में उसके पास बैठता था।

मसला—मय्यत के सरहाने से न आये कि मय्यत के लिये तकलीफ़ का सबब है यानी मय्यत को गर्दन फेर कर देखना पड़ेगा।

मसला—क़ब्रस्तान में जाये तो अलहम्दो शरीफ़ और अलिफ़ लाममीम से मुफ़लहून तक और अयतल कुर्सी और आमनर्रसूल आखीर सूरह तक और सूरह यासीन और तबारकललजी और अलहाकोमुत्तकासुर एक एक बार और कुलहोवल्लाह बारह या ग्यारह या सात या तीन बार पढ़े और इन सब का सवाब मुर्दों को पहुंचाये हदीस में है जो ग्यारह बार "कुलहोवल्लाह" शरीफ़ पढ़ कर इसका सवाब मुर्दों को पहुंचाये तो मुर्दों कि गिनती बराबर उसे सवाब मिलेगा।

ईसाले सवाब—नमाज़, रोज़ा, हज, ज़कात, सदका व ख़ैरात और हर क़िस्म की एबादत और हर अमले नेक, फ़र्ज़ वह नफिल का सवाब मुर्दों को पहुंचा सकता है उन सब को पहुंचेगा और इस पहुंचाने वाले के सवाब में

कमी न होगी बल्कि अल्लाह तआला की रहमत से उम्मीद है कि सबको पूरा मिले यह नहीं कि उसी सवाब की तक़सीम होकर टुकड़ा-टुकड़ा मिले बल्कि यह उम्मीद है कि इस सवाब पहुंचाने वाले के लिये उन सबके मजमूआ के बराबर मिले मसलन कोई नेक काम किया जिसका सवाब कम से कम दस मिलेगा उसने दस मुर्दों को पहुंचाया तो हर एक को दस-दस मिलेंगे और सबको एक सौ दस हज़ार को पहुंचाया तो उसे दस हज़ार अलाहा ज़लक़यास।

मसला—क़ब्र को बोसा देना और उसका तवाफ़ मना है।

मसला—कब्र पर फुल डालना बेहत्तर है कि जब तक तर रहेंगे तसबीह करेंगे और मय्यत का दिल बहलेगा यूं ही जनाज़ा पर फूलों की चादर डालने में हर्ज नहीं।

मसला—क़ब्र पर से तर घास नोचना न चाहिये इसलिए कि घास की तसबीह से रहमत उतरती है और मय्यत को उन्स होता है और घास नोचने में मय्यत का हक़ ज़ाए करना है।

मसला—औलिया और ओलमा के मज़ारों पर ग़लाफ ढालना जाएज़ है जबकि यह मक़सूद हो कि मज़ार वाले की वक़अत आम लोगों की नज़र में हो लोग अदब करें और बरकत हासिल करें।

ताज़ियत—यानी मातम पुरसी करना सुन्नत है हदीस में है जो अपने भाई मुसलमान की मुसीबत में ताज़िय त करे क़यामत के दिन अल्लाह तआला उसे करामत का जोड़ा पहनायेगा। एक और हदीस में है जो किसी मुसीबत वाले की ताज़िय त करेगा उसे उसी के बराबर सवाब मिलेगा।

मसला—ताज़िय त में यह कहे अल्लाह तआला मरने वाले की मग़फ़िरत फ़रमाये और उसको अपनी रहमत में ढांके और तुमको सब्र रोज़ी करे और इस मुसीबत पर सवाब दे हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इन लफ़्ज़ों से ताज़िय त फ़रमाई "लिल्लाहे मा अख़ज़ा व अअता व कुल्ला शैए इनदहू बेअजलिम्मुसम्मा" खुदा ही का है जो उसने लिया और दिया हर चीज़ उसके यहाँ एक मुक़र्रर मियाद के साथ है

मसला—मुस्तहब यह है कि मय्यत के तमाम अक़ारिब को ताज़ियत करें छोटे बड़े मर्द औरत सबको मगर औरत को इसके महारिम ही ताज़ियत करें।

मसला—ताज़ियत का वक़्त मौत से लेकर तीन दिन तक है इसके बाद मकरूह है कि ग़म ताज़ा होगा लेकिन अगर ताज़ियत करने वाला या जिसकी ताज़ियत की जाये वहां मौजूद नहीं या उसे इल्म नहीं तो बाद में हर्ज नहीं।

मसला—क़ब्रस्तान में ताजियत करना बिदअत है।

मसला—दफ़न से पहले भी ताज़ियत जाएज़ है मगर अफ़ज़ल यह है कि दफ़न के बाद हो लेकिन अगर मय्यत के घर वाले बे सब्री के साथ रोना पीटना करते हों तो इनकी तसल्ली दफ़न से पहले ही करे।

मसला—जो एक बार ताज़ियत कर आया उसे दोबारा ताज़ियत के लिये जाना मकरूह है।

मसला—मय्यत के घर वाले तीजा चालीसवां वगैरह के दिन दावत करें तो ना जाएज़ और बुरी बिदअत है शरा में दावत ख़ुशी के वक़्त है न कि ग़म के वक़्त लेकिन अगर फ़क़ीरों मुहताजों को खिलायें तो बेहत्तर है।

मसला—तीजे वगैरह का खाना करना मय्यत के छोड़े हुए माल से जाएज़ नहीं अलबत्ता जब वह माल बट जाये तो जो चाहे अपने हिस्से से करे।

मसला—मय्यत के पड़ोसी या दूर के रिश्तेदार अगर मय्यत के घर वालों के लिये उस दिन और रात के लिये खाना लायें तो बेहत्तर है और इन्हें इसरार करके खिलायें।

मसला—मय्यत के घर वालों को जो खाना भेजा जाता है यह खाना सिर्फ घर वाले खायें और उन्हीं के लाएक़ भिजवायें ज़्यादा नहीं औरों को वह खाना खाना मना है और सिर्फ़ पहले दिन खाना भेजना सुन्नत है उसके बाद मकरूह।

नौहा और बैन—नौहा यानी मय्यत की खूबियाँ मुबालग़ा के साथ बयान करके आवाज़ से रोना जिसको बैन कहते हैं यह बिलइजमा हराम है यूं

ही तावैला वा मुसीबता कह के चिल्लाना।

मसला—कपड़े फाड़ना, मुंह नोचना, बाल खोलना, सर पर धूल ढालना, छाती पीटना, रान पर हाथ मारना यह सब जाहिलियत के काम हैं और हराम हैं। हदीस में है जो मुंह पीटे गरेबान फाड़े और जाहिलियत का पुकारना पुकारे (यानी नौहा करे) वह हमसे नहीं। दूसरी हदीस में है जो सर मुडाये और नौहा करे और कपड़े फाड़े मैं उससे बरी हूँ।

मसला—आवाज़ से रोना मना है और आवाज़ न निकले तो इसमें हर्ज नहीं ऐसा रोना रसूलल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे वस्ल्लम से साबित है कि साहबज़ादे रज़े अल्लाहो अन्हू की वफ़ात पर हुज़ूर के आंसू निकले और फ़रमाया कि आंख के आँसू और दिल के ग़म पर अल्लाह तआला अज़ाब नहीं देगा अलबत्ता ज़बान की वजह से मुर्दे को तकलीफ़ होती है मुर्दा भी रोता है।

सोग—तीन दिन से ज़्यादा सोग जाएज नहीं मगर औरत शौहर के मरने पर चार महीने दस दिन सोग करे।

मसला—मुसीबत पर सब्र करे तो उसे दो सवाब मिलते हैं एक मुसीबत का और दूसरा सब्र का और जंज़ा फ़ज़ा से दोनों जाते रहते हैं। हदीस में है जिस मुसलमान मर्द या औरत पर कोई मुसीबत आई उसे याद करके "इन्ना लिल्लहे व इन्ना एलैह राजेऊन" कहे अगरचे मुसीबत को ज़माना गुज़र गया हो,तो अल्लाह तआला इस पर नया सवाब अता फरमाता है आर वैसा ही सवाब देता है जैसा उस दिन कि जिस दिन मुसीबत आई थी.

शहीद का बयान

अल्लाह तआला फ़रमाता है वलातक़ूलू लेमन, अलआयत,यानी जो लोग अल्लाह की राह में क़त्ल किये गये उन्हें मुर्दा न कहो बल्कि वह ज़िन्दा हैं मगर तुम्हें ख़बर नहीं और फ़रमाता है "वला तहसबन्नल लज़ीना क़ोतेलू

एला अजरलमोमेनीन'' यानी जो लोग राहे खुदा में क़त्ल किये गये उन्हें मुर्दा न समझो बल्कि वह अपने रब के यहाँ ज़िन्दा हैं। उन्हें रोज़ी मिलती है अल्लाह ने अपने फ़ज़ल से जो उन्हें दिया है उस पर खुश हैं और जो लोग बाद वाले अभी उनसे न मिले उनके लिये खुशख़बरी के तालिब कि उन पर न कुछ खौफ है और न वह ग़मगीन होंगे अल्लाह की नेमत और फ़ज़ल की खुशख़बरी चाहते हैं और यह कि ईमान वालों का अज्र अल्लाह ज़ाए नहीं फ़रमाता। हदीसें तो शोहदा की फज़ीलत में बहुत आई हैं।

मसला—शहीद को न ग़ुस्ल दिया जाये न उसका खून धोया जाये न कफ़न दिया जाये बल्कि इसी तरह उस पर नमाज जनाज़ा पढ़ कर दफ़न कर दिया जाये। अलबत्ता कफ़न मसनून में कुछ कमी हो तो उतना बढ़ा दिया जाये और पाजामा न उतारा जाये और ज़ाएद कपड़े जो कफ़न की क़िस्म के न हों जैसे रुईदार कपड़ा पोस्तीन खुफ और हथियार ढाल वग़ैरह भी उतार लिये जायें।

मसला—शहीद को ग़ुस्ल न दिए जाने की सात शर्तें हैं अगर इनमें से कोई शर्त न पाई गई तो ग़ुस्ल दिया जायेगा। (1) शहीद मुसलमान (2) आक़िल (3) बालिग़ (4) ताहिर हो और (5) बतौर ज़ुल्म आला जारेहा से क़त्ल किया गया हो और (6) नफ़्से क़त्ल से माल न वाजिब हुआ हो और (7) ज़ख्मी होने के बाद दुनिया से नफ़ा न उठाया हो।

नुकता—यह दुनिया में शहीद का एजाज व एकराम है कि इसका खून पाक है और इसका बदन पाक है और उसके तन का कपड़ा कफ़न है और आख़रत में तो इसके एकराम व इनाम का पूछना ही क्या।

मसला—चोर या डाकू या हरबी या बाग़ी ने किसी को क़त्ल कर दिया चाहे हथियार से क़त्ल करें या किसी और चीज़ से तो वह शहीद है ग़ुस्ल न दिया जाये। दुनिया से नफ़ा उठाना यह कि घाएल होने के बाद कुछ खाया या पीया या सोया या एलाज किया या ख़ेमे में ठहरा या नमाज़ का एक वक़्त पूरा होश में गुज़रा (बशर्ते कि नमाज़ अदा करने पर क़ादिर हो) या वहाँ

वो उठ कर दूसरी जगह को चला या लोग उसे मारका से उठा कर दूसरी जगह ले गये (ख़्वाह ज़िन्दा पहुंचा हो या रास्ते ही में इन्तेक़ाल हुआ) या किसी दुनयवी बात की वसीयत की या कुछ ख़रीदा या कुछ बेचा या बहुत सी बातें कीं तो इन सब सूरतों में गुस्ल देंगे बशर्ते कि यह चीज़ें जेहाद ख़त्म होने के बाद वाक़ा हुई और अगर दरम्याने जंग में हुईं तो यह चीज़ें शहादत को रोकने वाली नहीं यानी गुस्ल न दिया जायेगा।

मसला—अगर किसी मुसलमान को किसी मुसलमान ने कसदन नाहक़ मार डाला तो वह शहीद है उसे गुस्ल न दें।

मसला—अपनी जान या माल या किसी मुसलमान के बचाने में लड़ा और मारा गया तो वह शहीद है(यानी गुस्ल न दिया जायेगा) लोहे या पत्थर या लकड़ी जिस किसी चीज़ से क़त्ल किया गया हो।

मसला—शहीद के सब कपड़े उतार कर नये कपड़े देना मकरूह है।

रोज़ह

रोज़ह भी मिस्ल नमांज़ के फ़र्ज़े ऐन है इसकी फ़र्ज़ियत का मुनकिर काफ़िर और बिला उज़्र छोड़ने वाला सख़्त गुनहगार और दोज़ख़ का सज़ावार जो बच्चे रोज़ह रख सकते हों उनको रखाया जाये ओर क़वी मज़बूत लड़के लड़कियों को मार कर रखाया जाये। पूरे एक महीना रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज़ हैं। शरीयत में रोज़ा के मानी हैं अल्लाह की एबादत की नीयत से सुबह सादिक़ से लेकर सूरज डूबने तक खाने पीने और जेमा से अपने को रोके रखना रोज़ा के लिये औरत का हैज़ व नेफ़ास से खाली होना शर्त है यानी हैज़ व नेफ़ास की हालत में रोज़ह सही नहीं। हैज़ व नेफ़ास वाली पर फ़र्ज़ है कि पाक होने के बाद इन दिनों के रोज़ा की क़ज़ा रक्खे नाबालिग़ पर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं और मजनून पर भी फ़र्ज़ न होगा जबकि पूरा महीना रमज़ान का जुनून की हालत में गुज़र जाये और अगर किसी एक दिन में

भी ऐसे वक़्त में होश आया कि वह वक़्त रोज़ा की नीयत का वक़्त है तो पूरे महीने की कज़ा लाज़िम है। मसलन शुरु रमज़ान से पागल हुआ और उन्तीसवीं तारीख़ को सुबह सादिक़ से ज़हवए कुबरा तक किसी वक़्त में होश आया तो पूरे रमजान की क़ज़ा लाज़िम हुई।

मसला—रमज़ान के अदा रोज़े और नज़्रे मुअय्यन और नफ़िल व सुन्नत व मुस्तहब व मकरूह रोज़ों की नीयत का वक़्त सूरज डूबने से लेकर ज़हवए कुबरा तक है। उस वक़्त जब नीयत कर ले यह रोज़े हो जायेंगे लेकिन रात ही में कर लेना बेहतर है इन 6 रोज़ों के अलावा जितने रोजे हैं (जैसे रमज़ान की क़ज़ा का रोज़ा गैर मुअय्यन नज़्र का रोज़ा नफ़िल की क़ज़ा का रोज़ा, मुअय्यन नज़्र की कज़ा का रोज़ा, कफ़्फ़ारे का रोज़ा और जेनायत का रोज़ा और तमत्तोका रोज़ा) इन सब रोज़ों की नीयत के लिये वक़्त सूरज डूबने के बाद से सुबह सादिक़ शुरु होने तक है इसके बाद नहीं और इनमें से जो रोज़ा रक्खा जाये खास उसकी नीयत भी ज़रुरी है। जैसे यूं नीयत करे कि कल मैं अपने 28 तारीख़ रमज़ान की क़ज़ा का रोजा रक्खूंगा या जो मैंने एक दिन के रोज़े की मिन्नत मानी थी कल उसका रोज़ा है और इसी तरह जो रोज़ा रखना हो उसको नीयत में मुक़र्रर करे।

मसला—रोज़ा की नीयत ज़हवए कुबरा शुरु होने से पहले हो जानी चाहिये और अगर ख़ास उस वक़्त यानी जिस वक़्त आफ़ताब ख़ते निस्फ़ुन्नहारे शरई पर पहुंच गया तब नीयत की तो रोज़ा न हुआ।

मसला—जिस तरह और एबादतों में बताया गया कि नीयत दिल के एरादे का नाम है ज़बान से कहना कुछ ज़रुरी नहीं। उसी तरह यहां रोज़ह में भी वही मुराद है अलबत्ता ज़बान से कह लेना अच्छा है। अगर रात में नीयत करे तो यूं कहे नीयत की मैंने अल्लाह तआला के लिये इस रमज़ान का फ़र्ज़ रोज़ा कल रक्खूंगा और अगर दिन में नीयत करे तो यह कहे नीयत की मैंने कि अल्लाह तआला के लिये आज रमज़ान का फ़र्ज़ रोजा रखूंगा।

मसला—दिन में नीयत करे तो ज़रुरी है कि यह नीयत करे कि मैं

सुबह सादिक़ से रोज़ादार हूँ और अगर यह नीयत है कि अब से रोज़ादार हूँ सुबह से नहीं तो रोज़ा न होगा।

मसला–तीसवीं शाबान के बारे में अगर यह शक हो कि यह पहली रमज़ान है या तीसवीं शाबान उस दिन खालिस नफ़िल की नीयत से रोज़ा रख सकते हैं लेकिन इस नीयत से नहीं कि अगर यह दिन रमज़ान साबित हुआ तो रमज़ान का रोज़ा वरना नफ़िल का कि ऐसी नीयत से रोजा मकरूह तहरीमी है हाँ अगर ऐसी तीसवीं तारीख उसकी आदत के दिन में पड़े तो फिर रोज़ा रखना ही अफ़ज़ल है। जैसे कोई शख्स हमेशा जुमेरात का रोज़ा रखा करता है और उसी तीसवीं शाबान को जुमेरात पड़ी तो वह अपना नफ़िल रोज़ा रक्खे।

मसला–शक के दिन ज़हवए कुबरा के शुरु होने तक इन्तेज़ार करें अगर उस वक़्त तक चाँद देखना साबित हो जाये तो रमज़ान के रोज़े की नीयत कर लें वरना खायें पीयें।

मसला–आख़ीर शाबान में एक या दो दिन का रोज़ह मकरूह है और तीन या तीन दिन से ज़्यादा का मकरूह नहीं।

मसला ईद के दिन का रोज़ह मकरूह तहरीमी है और इसी तरह बकरईद के दिन का और उसके बाद ग्यारह, बारह, तेरह तारीख तक का।

मसला–सुन्नत व नफ़िल रोज़े का तन्हा रखना मकरूह तन्ज़ीही है जैसे दसवीं मोहर्रम का रोज़ह सुन्नत है लेकिन अकेला रोज़ह मकरूह है उसके साथ एक और मिलाया जाये यानी नवीं दसवीं रक्खें और दसवीं ग्यारहवीं का रखने में भी हर्ज नहीं।

मसला–औरत को नफ़िल रोज़ा बिला एजाज़त शौहर के मकरूह तन्ज़ीही है।

मसला–रोज़ह रखने की मिन्नत मानी तो काम पूरा होने पर इसका रखना वाजिब है।

मसला–नफ़िल रोज़ा रख कर तोड़ दिया तो अब इसकी कज़ा वाजिब है।

चाँद देखने का बयान

रसूलल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम ने फ़रमाया चांद देख कर रोज़ह रखना शुरु करो और चांद देख कर अफ़तार (ईद) करो और अगर अब्र हो तो शाबान की गिनती तीस पूरी कर लो और फ़रमाया रोज़ह न रक्खो जब तक चांद न देख लो और अफ़तार (ईद) न करो जब तक चांद न देख लो और अगर अब्र हो तो मेक़दार पूरी कर लो (यानी तीस दिन)

मसला–पांच महीनों का चांद देखना वाजिबे केफ़ाया है।

(1) शाबान (2) रमज़ान (3) शव्वाल (4 ज़िक़ादह (5) ज़िलहिज्जा

मसला–शाबान की उन्तीस को शाम के वक़्त चांद देखें। दिखाई दे तो कल रोज़ा रक्खें वरना शाबान के तीस दिन पूरे करके रमज़ान का महीना शुरु करें।

मसला–मतला साफ़ न होने की सूरत में यानी अब्र व गुबार में सिर्फ़ रमज़ान का सुबूत एक मुसलामान आक़िल, बालिग़, मस्तूर या आदिल की गवाही से हो जाता है। चाहे मर्द हो या औरत और रमज़ान के सिवा बाक़ी तमाम महीनों के चांद के लिये दो मर्द या एक मर्द और दो औरतें गवाही दें और सब आदिल हों और यह लफ़्ज़ कहें कि गवाही देता हूँ कि मैंने खुद चाँद देखा तब चाँद का सुबूत होगा।

आदिल होने के यह मानी हैं कि कबीरा गुनाहों से बचता हो और सग़ीरा पर इसरार न करता हो और ऐसा काम न करता हो जो मुरूव्वत के खेलाफ़ हो। मसलन बाज़ार में खाना और **मस्तूर** से यह मुराद है कि ज़िसका ज़ाहिर हाल शरा के मुताबिक़ है मगर बातिन का हाल मालूम नहीं।

मसला– जिस आदिल शख्स ने रमज़ान का चांद देखा उस पर वाजिब है कि उसी रात में श्हादत अदा करे।

मसला–गांव में चाँद देखा और वहां कोइ शरई क़ाज़ी व हाकिम नहीं जिसके पास गवाही दे तो गाँव वालों को जमा करके शहादत अदा करे और अगर यह आदिल है तो लोगों पर रोज़ह रखना लाज़िम है।

मसला—जब मतला साफ़ न हो तो **ईद** के चांद का सुबूत आक़िल बालिग़, आदिल दो मर्दों या एक मर्द दो औरतों की शहादत से होगा।

मसला—अगर मतला साफ़ हो तो जब तक बहुत से लोग शहादत न दें चांद का सुबूत नहीं हो सकता (चाहे रमज़ान का हो या ईद का या और किसी महीने का) रहा यह कि इसके लिये कितने लोग होने चाहियें तो यह क़ाज़ी की राए पर है जितने गवाहों से उसे ग़ालिब गुमान हो जाये उतनों की शहादत से चांद होने का हुक्म दे देगा लेकिन अगर शहर बाहर से या किसी ऊँची जगह से चाँद देखना बयान करे तो एक मस्तूर का भी क़ौल सिर्फ़ रमज़ान के चाँद में मान लिया जायेगा। मैं यह कहता हूँ कि चाँद देखने मे लोगों की जो सुस्ती व लापरवाही का हाल है इसके एतबार से तो मतला साफ़ होने की हालत में ईद के सिवा और चांदों में भी बजाये बहुत आदमियों के दो गवाहों की गवाही काफ़ी होनी चाहिये।

मसला—शहादत देने में यह कहना ज़रुरी है कि मैं गवाही देता हूँ बेग़ैर इस लफ़्ज़ के शहादत नहीं मगर अब्र में रमज़ान के चांद की गवाही में इतना भी काफी है कि मैंने अपनी आंख से इस रमज़ान का चांद आज या कल या फ़लां दिन देखा है।

मसला—अगर कुछ लोग आ कर यह कहें कि फ़लां जगह चांद हुआ बल्कि अगर शहादत भी दें कि फ़लां जगह चाँद हुआ बल्कि अगर यह शहादत दें कि फ़लां फ़लां ने देखा बल्कि अगर यह शहादत दें कि फ़लां जगह के क़ाज़ी ने रोज़ह या अफ़तार के लिये लोगों से कहा यह सब तरीक़े ना काफ़ी हैं।

मसला—तन्हा एमाम या क़ाज़ी ने ईद का चांद देखा तो उन्हें ईद करना या ईद का हुक्म देना जाएज़ नहीं।

मसला-किसी शहर में चांद हुआ और वहाँ से मुतअद्दिद जमाअतें दूसरे शहर में आई और सबने ख़बर दी कि वहाँ फ़लां दिन चांद हुआ है और तमाम शहर में यह बात मशहूर है और वहां के लोगों ने रुयत की बिना पर फ़लां दिन से रोज़े शुरु किये तो यहाँ वालों के लिये भी सुबूत हो गया।

मसला—किसी ने तन्हा रमज़ान का या ईद का चाँद देखा और गवाही दी मगर काज़ी ने उसको गवाही कुबूल न की तो उस पर रोज़ा रखना वाजिब है अगर न रक्खा या तोड़ डाला तो कज़ा लज़िम है।

मसला—अगर दिन में चांद दिखाई दिया दोपहर से पहले या दोपहर के बाद बहरहाल वह आने वाली रात का माना जायेगा यानी अब जो रात आयेगी उससे महीना शुरु होगा अगर तीसवी रमज़ान के दिन में देखा तो यह दिन रमज़ान ही है। शव्वाल का नहीं और रोज़ा पूरा करना फ़र्ज़ है और अगर शाबान की तीसवीं तारीख़ के दिन में देखा तो यह दिन शाबानक दिन है रमज़ान का नहीं लेहाज़ा आज का रोज़ा फ़र्ज़ नहीं।

मसला—एक जगह चांद हुआ तो वह सिर्फ़ वहीं के लिये नहीं बल्कि तमाम दुनिया के लिये है मगर दूसरी जगह के लिये इसका हुक्म उस वक़्त है कि दूसरी जगह वालों पर उस दिन तारीख़ में चाँद होना शरई सुबूत से साबित हो जाये यानी चांद देखने की गवाही गुज़रे या काज़ी के हुक्म की गवाही गुज़रे या मुतअद्दिद जमाअतें वहां से आकर ख़बर दें कि फ़लाँ जगह चांद हुआ है और वहां लोगों ने रोज़ा रक्खा या ईद की।

मसला— तार, टेलीफ़ोन, रेडियो से चांद देखना साबित नहीं हो सकता इसलिये कि अगर इन्हें हर तरह सही मान भी लिया जाये जब भी यह महज़ एक ख़बर है शहादत नहीं और महज़ एक ख़बर से चांद का सुबूत नहीं होता और इसी तरह बाज़ारी अफ़वाह से और जन्तरियों और अख़बारों में छपने से भी चाँद होना साबित नहीं हो सकता।

मसला—हेलाल देख कर उसकी तरफ़ उंगली से इशारा करना मकरूह है अगरचे दूसरे को बताने के लिये हो।

रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ों का बयान

मसला- खाने या पीने या जेमा करने से रोजा़ टूट जाता है जबकि रोजादार होना याद हो और अगर रोज़दार होना याद न रहा और भूल कर खा लिया या पी लिया या जेमा कर लिया तो रोज़ा न गया

मसला—हुक्का, सिगरेट, बीड़ी, चुरुट, सिगार पीने से रोज़ा टूट जाता है।

मसला—पान या तम्बाकू, सुर्ती खाने से भी रोज़ा टूट जाता है अगरचा पीक थूक दी हो।

मसला—शकर, चीनी, गुड़ वगैरह ऐसी चीज़ें जो मुंह में रखने से घुल जाती हैं मुंह में रक्खी और थूक निगल गया तो रोज़ा टूट गया।

मसला—दांतों में कोई चीज़ चने बराबर या इससे ज़्यादा थी उसे खा गया या कम ही थी मगर मुंह से निकाल कर फिर खा ली तो रोज़ा टूट गया।

मसला—दाँतों से खून निकल कर हलक से नीचे उतरा और खून थूक से ज्यादा या बराबर था या कम था मगर उसका मज़ा हलक में मालूम हुआ तो इन सब सूरतों में रोज़ा जाता रहा और अगर खून कम था और मज़ा भी मालूम न हुआ तो रोज़ा न गया।

मसला—हिक़ना लिया या नथुनों में दवा चढ़ाई या कान में तेल डाला या तेल चला गया तो रोज़ा टूट गया और अगर पानी कान में चला गया या डाला तो रोज़ा नहीं टूटा।

मसला—कुल्ली कर रहा था बिला क़स्द पानी हलक से उतर गया या नाक में पानी चढ़ा रहा था पानी देमाग़ में चढ़ गया तो रोज़ा टूट गया लेकिन अगर रोज़ा होना भूल गया हो तो न टूटेगा।

मसला—सोते में पानी पी लिया या कुछ खा लिया या मुंह खोला था और पानी का कतरा या ओला हलक़ में चला गया तो रोज़ा टूट गया।

मसला—दूसरे का थूक निगल गया या अपना ही थूक हाथ पर लेकर निगल गया तो रोज़ा जाता रहा।

मसला—मुंह में रंगीन डोरा रक्खा जिससे थूक रंगीन हो गया फिर थूक निगल लिया तो रोज़ा टूट गया।

मसला—आंसू मुंह में चला गया और निगल लिया अगर बूंद दो बूंद है तो रोज़ा न गया और अगर ज़्यादा था कि उसकी नमकीनी पूरे मुंह में मालूम हुई तो रोज़ा टूट गया। पसीना का भी यही हुक्म है।

मसला—मर्द ने औरत का बोसा लिया या छुआ या मुबाशरत की या गले लगाया और इनज़ाल हो गया तो रोज़ा जाता रहा और अगर औरत ने मर्द को छुआ और मर्द को इनज़ाल हो गया तो रोज़ा न टूटा। औरत को कपड़े के ऊपर से छुआ और कपड़ा इतना मोटा है कि बदन की गर्मी मालूम न हुई तो रोज़ा न टूटा अगरचा इनज़ाल हो गया हो।

मसला—मुबालग़ा के साथ इस्तिन्जा किया यहां तक कि हिक़ना रखने की जगह तक पानी पहुंच गया तो रोज़ा टूट गया और इतना मुबालग़ा चाहिये भी नहीं कि उससे सख़्त बीमारी का अन्देशा है।

मसला—मर्द ने पेशाब के सूराख में पानी या तेल डाला तो रोज़ा न टूटा चाहे मसाना तक पहुंच गया हो और अगर औरत ने शर्मगाह में तेल या पानी टपकाया तो रोज़ा टूट गया।

मसला—औरत ने पेशाब के मुक़ाम में रुई या कपड़ा रक्खा और बिल्कुल बाहर न रहा तो रोज़ टूट गया और सूखी उंगली किसी ने पाख़ाना के मुकाम में रक्खी या औरत ने शर्मगाह में रक्खी तो रोज़ा न गया और अगर उंगली भीगी थी या उस पर कुछ लगा था तो रोज़ा टूट गया जबकि पाखाना के मुकाम में उस जगह रक्खी हो जहां अमल देते वक्त हिक़्ना का सिरा रखते हैं।

मसला—क़सदन भर मुंह क़ै की और रोज़ादार होना याद है तो रोज़ा टूट गया और अगर मुंह भर से कम की तो रोज़ा न टूटा।

मसला–बे अख़्तेयार कै हुई और खुद ब खुद अन्दर लौट गई तो रोज़ा न टूटा चाहे थोड़ी हो या ज़्यादा रोज़ा याद हो या न हो।

कै के यह अहकाम उस वक्त हैं कि कै में खाना आये या सफ़रा या खून और अगर बलगम आया तो मुतलकन रोज़ा न टूटेगा।

मसला–रमज़ान में बिला उज्र जो शख्स आलनिया खाये पीये तो हुक्म है कि उसे क़त्ल किया जाये।

मसला– बे अख्तेयार कै हो गइ तो थाड़ी हो या ज़्यादा रोज़ा न टूटा

रोज़ा टूटने की उन सूरतों का बयान जिनमें सिर्फ़ क़ज़ा लाज़िम है

मसला– यह गुमान था कि अभी सुबह सादिक़ शुरु नही हुई इसलिये खाया या पीया या जेमा किया बाद को मालूम हुआ कि सुबह हो चुकी थी तो रोज़ा न हुआ और सिर्फ़ क़ज़ा लाज़िम है

मसला–खाने पीने पर मजबूर किया गया यानी इकराहे शरई पाया गया अरचा अपने हाथ से खाया हो तो सिर्फ़ क़ज़ा लाज़िम है यानी उस रोज़ा के बदले एक रोज़ा रखना पड़ेगा।

मसला–भूल कर खाया या पीया या जेमा किया या नज़र करने से इनज़ाल हुआ था या एहतेलाम हुआ या कै हुई और इन सब सूरतों में यह गुमान किया कि रोज़ा जाता रहा अब इस गुमान पर फिर क़सदन खाया पीया तो सिर्फ क़ज़ा फ़र्ज़ है।

मसला–कान में तेल टपकाया या पेट या देमाग़ की झिल्ली तक ज़ख्म था उसमें दवा डाली कि पेट या देमाग़ तक पहुंच गई या हिकना लिया या नाक से दवा चढ़ाई या पत्थर कंकरी, मिट्टी, रुई, कागज़ घास वग़ैरह ऐसी चीज़ खाई जिससे लोग घिन करते हैं या रमज़ान में बिला नीयते रोज़ा रोज़ा की तरह रहा या सुबह को नीयत नहीं की थी दिन में ज़वाल से पहले नीयत

की और बाद नीयत खा लिया या रोज़ा की नीयत थी मगर रोज़ा रमज़ान की नीयत न थी या हलक़ में मेंह की बूंद या ओला जा रहा या बहुत सा आँसू या पसीना निगल लिया या बहुत छोटी लड़की से जेमा किया जो क़ाबिले जेमा न थी या मुर्दा से या जानवर से वती की या रान या पेट पर जेमा किया या बोसा लिया या औरत के होंठ चूसे या औरत का बदन छुआ अगरचा कपड़ा हाएल हो मगर फिर भी बदन की गर्मी मालूम होती हो. और इन सब सूरतो में इनज़ाल भी हो गया या हाथ से मनी निकाली या मुबाशरते फाहेशा से इनज़ाल हो गया या अदाए रमज़ान के अलावा और कोई रोज़ा तोड़ दिया चाहे वह रमज़ान ही की क़ज़ा हो या औरत रोज़ादार सो रही थी सोते में उससे वती की गई या सुबह को होश में थी और रोज़ा की नीयत कर ली थी फिर पागल हो गई और इसी हालत में उससे वती की गई या यह गुमान करके कि रात है सहरी खा ली या रात होने में शक था और सहरी खा ली हालांकि सुबह हो चुकी थी या यह गुमान करके कि सूरज डूब गया है अफ़्तार कर लिया हालांकि डूबा न था या दो शख़्सों ने शहादत दी कि सूरज डूब गया और दो ने शहादत दी कि दिन है और उस पर रोज़ा अफ़्तार कर लिया बाद में मालूम हुआ कि डूबा न था इन सब सूरतों में सिर्फ़ क़ज़ा लाज़िम है कफ़्फ़ारा नहीं।

मसला—मुसाफ़िर ने अक़ामत की। हैज़ व नेफ़ास वाली पाक हो गई पागल को होश हो गया। बीमार था अच्छा हो गया जिसका रोज़ा टूट गया चाहे जब्रन किसी ने तुड़वा दिया या गल्ती से पानी वग़ैरह कुछ हलक़ में चला गया और इससे टूट गया रात समझ कर सहरी खाई थी हालांकि सुबह हो चुकी थी, ग़ुरुब समझ कर अफ़्तार कर दिया हालांकि दिन बाक़ी था इन सब बातो में जो कुछ दिन बाक़ी रह गया है उसे रोज़े की तरह गुज़ारना वाजिब है और उस दिन की क़ज़ा भी लाज़िम है और नाबालिग़ जो बालिग़ हुआ उस पर या काफ़िर था मुसलमान हुआ उस पर उस दिन की क़ज़ा तो वाजिब नहीं अलबत्ता बाक़ी दिन रोज़ादार की तरह गुज़ारना इन्हें भी

वाजिब है।

मसला—बच्चे की उम्र दस साल की हो जाये और उसमें रोज़ा रखने की ताक़त हो तो उसे रोज़ा रखवाया जाये न रक्खे तो मार कर रखवायें। अगर पूरी ताक़त देखी जाये और रख कर तोड दिया तो कज़ा का हुक्म न देंगे और नमाज़ तोडे तो फिर पढ़वायें।

मसला—सुबह सादिक़ से पहले जेमा में मशगूल था सुबह सादिक शुरु होते ही फ़ौरन जुदा हो गया तो कुछ नहीं और उसी हालत पर रहा तो क़ज़ा वाजिब है। कफ्फ़ारा नहीं।

मसला—भूल कर जेमा में मशगूल हुआ याद आने पर फ़ौरन अलग हो गया तो कुछ नहीं और इसी हालत पर रहा तो क़ज़ा वाजिब है। कफ्फ़ारा नहीं।

मसला—मय्यत के रोज़े क़ज़ा होगये थे तो उसका वली उसकी तरफ़ से फ़िदिया अदा कर दे यानी जबकि मय्यत ने वसीयत की हो और माल छोडा हो वरना वली पर ज़रुरी नहीं। कर दे तो बेहतर है।

रोज़ा तोड़ने की उन सूरतों का बयान जिनमें कफ्फ़ारा भी लाज़िम है

रमज़ान का रोज़ा क़सदन तोड़ डालने से कफ्फ़ारा लाज़िम आता है। रोज़ा तोड़ने का कफ्फ़ारा यह है कि एक रक़बा (लौंडी या गुलाम) आज़ाद करे और यह न हो सके तो लगातार बराबर साठ रोज़े रक्खे अगर यह भी न कर सके तो साठ मिस्कीनों को भर भर पेट दोनों वक़्त खाना खिलाये और रोज़ा रखने की सूरत में अगर बीच में एक दिन का भी रोज़ा छूट गया तो अब से साठ रोज़े रक्खे पहले की गिनती नहीं। उनसठ रख चुका था और साठवां न रख सका बीमारी वगैरह किसी उज्र से तो फिर से साठ पूरे लगातार रक्खे पहले के उनसठ बेकार गये अलबत्ता औरत को अगर हैज़ आ जाये तो हैज़ कि वजह से जितने नागे हुए यह नागे नहीं गिने जायेंगे यानी पहले के रोज़े और हैज़ के बाद वाले रोजे दोनों मिल कर साठ हो जाने से कफ्फ़ारा

अदा हो जायेगा रोज़ा तोड़ने से कफ्फारा लाज़िम आने की चन्द शर्तें हैं जब यह सब पाई जायें तब कफ्फारा लाज़िम आयेगा वरना नहीं।

कफ़्फ़ारा लाज़िम होने की शर्तें–

1-रमजान के महीने में रमजान का रोज़ा अदा करने की नीयत से रोज़ा रक्खा हो।

2-रोज़ादार मुकीम हो मुसाफ़िर न हो।

3-मुकल्लफ़ हो. (यानी आकिल बालिग़ हो) तो अगर बच्चे या पागल ने तोड़ा तो कफ़्फ़ारा नहीं।

4-रात ही से रोज़ा रमज़ान की नीयत की हो (तो अगर उसी रोज़ा को जिसे तोड़ा दिन में नीयत की थी तो उसका कफ्फ़ारा नहीं।)

5-रोज़ा तोड़ने के बाद कोई ऐसी बात अपने अख़्तेयार से न पाई गई हो जिस बात की वजह से रोज़ह छोड़ने की एजाज़त होती है। (मसलन हैज़, नेफ़ास आ गया या ऐसी बीमारी हो गई जिसमें रोज़ा न रखने की एजाज़त है तो कफ्फ़ारा लाज़िम न आयेगा और अगर रोज़ा तोड़ने के बाद ऐसी चीज़ पाई गई जिससे माज़ूर हुआ लेकिन यह चीज़ अपने अख़्तेयार से पाई गई जैसे अपने आप को ज़ख़्मी कर लिया कि माज़ूर हो गया रोज़ा रखने के काबिल न रहा या मुसाफ़िर हो गया तो कफ्फ़ारा साकित न हुआ इस लिये कि यह चीज़ें अख़्तेयारी हैं तो कफ़्फ़ारा लाज़िम रहा।)

मसला– रोज़ादार ने कसदन कोई दवा या ग़ेज़ा खाई पी या पानी पिया या कोई चीज़ लज़्ज़त के लिये खाई या पी या किसी आदमी (मर्द हो या औरत) के साथ जो काबिले शहवत है उसके आगे या पीछे के मुक़ाम में जेमा किया इनज़ाल हुआ हो या न हुआ हो या उस रोज़ादार के साथ ज़ेमा किया गया तो इन सब सूरतों में रोज़ा की कज़ा और कफ़्फ़ारा दोनों

लाजिम हैं।

मसला—कोई ऐसा काम किया जिससे अफ़्तार का गुमान न होता हो और उसने गुमान कर लिया कि रोज़ा जाता रहा फिर क़सदन खा पी लिया मसलन फ़स्द या पछना लिया या सुर्मा लगाया या जानवर से वती की या औरत को छुआ या बोसा लिया या साथ लेटाया या मुबाशरत फ़ाहेशा की मगर इन सब सूरतों में इनज़ाल न होने पाया या पाखाना के मुकाम में खुश्क उंगली रक्खी अब इन कामों के बाद क़सदन खा लिया तो इन सब सूरतासें में रोज़ा की क़ज़ा और कफ़्फ़ारा दोनों लाज़िम हैं और अगर इन्हीं सूरतों में कि जिनमें अफ़तार का गुमान न था और उसने गुमान कर लिया अगर किसी मुफ़्ती ने फ़तवा दे दिया था कि रोज़ा जाता रहा और वह मुफ़्ती ऐसा हो कि शहर वालों का उस पर एतेमाद है उसके फ़तवा देने पर उसने क़सदन खा लिया या उसने कोई हदीस सुनी थी जिसके सही मानी समझ न सका और उस ग़लत मानी के लेहाज़ से जान लिया कि रोज़ा जाता रहा और क़सदन खा लिया तो अब कफ़्फ़ारा लाज़िम नहीं। अगरचे मुफ़्ती ने ग़लत फ़तवा दिया या जो हदीस उसने सुनी वह साबित न हो।

उन चीज़ों का बयान जिनसे रोज़ा नहीं टूटता

मसला—भूल कर खाया या पीया या जेमा किया तो रोज़ा न टूटा।

मसला—मक्खी या धुआं या गर्द हलक में जाने से रोज़ा नहीं टूटता लेकिन अगर क़सदन खुद धुआं पहुंचाया तो रोज़ा टूट जायेगा जबकि रोज़दार होना याद हो (मसलन धुवनी, अगरब त्ती, लोबान वगैरह सुलगाई और उसे मुंह के क़रीब करके धुवें को नाक से खींचा तो रोज़ा जाता रहा।)

मसला—भरी. सेन्गी लगवाई या तेल या सुरमा लगाया तो रोज़ा न टूटा अगरचे तेल या सुरमे का मज़ा हलक़ में मालूम होता हो बल्कि थूक

में सुरमे का रंग भी दिखाई देता हो जब भी नहीं टूटा।

मसला—मक्खी हलक़ में चली गई तो रोजा न टूटा और अगर **क़सदन** निगली तो रोज़ा टूट गया।

मसला—बात करने में थूक से होंठ तर हो गये और उसे पी गया **या** खखार मुंह में आया और खा गया रोजा न टूटा मगर इन बातों से **एहतेयात** चाहिये।

मसला—दाँत से खून निकल कर हलक़ तक पहुंचा मगर हलक़ से **नीचे** न उतरा तो रोज़ा न टूटा।

मसला—भूले से खाना खा रहा था याद आते ही फ़ौरन नेवाला **थूक** दिया तो रोज़ा न गया और निगल यिा तो रोज़ा जाता रहा।

मसला—सुबह सादिक़ शुरु होने से पहले सहरी खाना शुरु **किया** खाते-खाते सुबह सादिक़ शुरु होने लगी सुबह शुरु होते ही अगर नेवाला **उगल** दिया तो रोज़ा न टूटा और निगल गया तो रोज़ा टूट गया।

मसला—तिल या तिल के बराबर कोई चीज़ चबाई और वह थूक **के** साथ हलक से उतर गई तो रोज़ा न गया लेकिन अगर इसका मज़ा **हलक़** में मालूम हुआ तो रोज़ा जाता रहा।

मसला—दवा कूटी या आटा छाना इसका मज़ा हलक में मालूम हुआ तो रोज़ा न टूटा।

मसला—कान में पानी चला गया तो रोज़ा न टूटा।

मसला—ग़ीबत की तो रोज़ा न टूटा अगरचे गीबत बहुत सख्त कबीरा गुनाह है कुरआन शरीफ़ में गीबत करने के बारे में फ़रमाया गया जैसे अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना और हदीस में आया कि ग़ीबत ज़ेना से बढ़ कर है ग़ीबत की वजह से रोजे की नूरानियत जाती रहती है।

मसला—बोसा लिया मगर इनज़ाल न हुआ तो रोज़ा नहीं टूटा यूं ही औरत की तरफ़ बल्कि उसकी शर्मगाह की तरफ़ नज़र की मगर हाथ न लगाया और इनज़ाल हो गया अगरचे बार-बार नज़र डालने या जेमा वगैरह

के ख्याल करने से इनज़ाल हुआ अगरचे देर तक ख्याल जमाने से ऐसा हुआ हो इन सब सूरतों में रोज़ा नहीं टूटा।

मसला—एहतेलाम हो गया तो रोज़ा न टूटा।

मसला—जनाबत की हालत में सुबह की बल्कि अगर सारे दिन जुनुब बे गुस्ल रहा तो रोज़ा तो सही हो जायेगा मगर इतनी देर तक क़सदन गुस्ल न करना कि नमाज़ क़ज़ा हो जाये गुनाह व हराम है। हदीस में आया है कि जुनुब जिस घर में होता है उसमें रहमत के फ़रिश्ते नहीं आते।

मसला-गैर सबीलैन में जैमा किया तो जब तक इनज़ाल न हो रोज़ा न टूटेगा यूं ही हाथ से मनी निकालने में भी न टूटेगा जब तक मनी न निकले अगरचे यह काम सख़्त हराम है कि हदीस में ऐसा करने वाले को मलऊन फरमाया।



रोज़ह के मकरूहात का बयान

मसला—झूट, ग़ीबत, चुग़ली, गाली देना, बेहूदी बात कहना किसी को तकलीफ़ देना यह चीज़ें वैसे भी ना जाएज़ व हराम हैं रोज़ा में और ज़्यादा हराम और इनकी वजह से रोज़ा भी मकरूह होता है।

मसला—रोज़ादार को बिला उज़्र किसी चीज़ का चखना या चबाना मकरूह है। चखने के लिये उज़्र यह है कि मसलन शौहर या आक़ा बदमेज़ाज है नमक कम व बेश होगा तो उसकी नाराज़ी का बाइस होगा तो इस वजह से चखने में हर्ज नहीं चबाने के लिये यह उज़्र है कि इतना छोटा बच्चा है कि रोटी नहीं खा सकता और कोई नर्म ग़ेज़ा नहीं जो उसे खिलाई जाये न और कोई बे रोज़ा ऐसा है जो उसे चबा कर दे दे तो बच्चा को खिलाने के लिये रोटी वग़ैरह चबाना मकरूह नहीं।

चखने के मानी वह नहीं जो आज कल बोला जाता है कि किसी चीज़

का मैंज़ा मालूम करने के लिये उसमे

से थोड़ी खा लिया कि ऐसा चखने से मकरूह होना कैसा, रोजा ही जाता रहेगा बल्कि अगर कफ्फ़ारा के शराएत पाये जायें तो कफ्फ़ारा भी लाज़िम होगा बल्कि चखने से मुराद यह है कि जबान पर रख कर मज़ा पहचान लें और उसे थूक दें इसमें से हलक़ में कुछ न जाने पाये नहीं तो रोज़ा जाता रहेगा।

मसला—कोई चीज ख़रीदी और उसका चखना ज़रुरी है कि न चक्खेगा तो नुक्सान होगा चखने में हर्ज नहीं।

मसला—औरत का बोसा लेना और गले लगाना और बदन छूना मकरूह है जबकि यह डर हो कि नइज़ाल हो जायेगा या जेमा में मुब्तेला हो जायेगा और होंठ और ज़बान चूसना तो रोज़ा में मुतलक़न मकरूह है यूं ही मुबाशरत फ़ाहेशा भी मकरूह है।

मसला—गुलाब या मुश्क वग़ैरह सूंघना, दाढ़ी मूंछ में तेल लगाना, और सुर्मा लगाना मकरूह नहीं मगर जबकि ज़ीनत के लिये सुर्मा लगाया या इसलिये तेल लगाया कि दाढ़ी बढ़ जाय। हालांकि एक मुश्त दाढ़ी है तो यह दोनों बातें बेग़ैर रोज़े के भी मकरूह हैं और रोज़े में बदर्जा ऊला।

मसला—रोज़ादार के लिये कुल्ली करने और नाक में पानी चढ़ाने में मुबालग़ा करना मकरूह है। कुल्ली में मुबालगा करना मकरूह है। कुल्ली में मुबालग़ा करने के यह मानी हैं कि भर मुंह पानी ले।

मसला—वज़ू व गुस्ल के अलावा ठन्ड पहुंचाने की ग़रज़ से कुल्ली करना या नाक में पानी चढ़ाना या ठन्ड के लिये नहाना बल्कि बदन पर भीगा कपड़ा लपेटना मकरूह नहीं हां अगर परेशनी ज़हिर करने के लिये भीगा कपड़ा लपेटा तो मकरूह है इस लिये कि एबादत में दिल तंग होना अच्छी बात नहीं।

मसला—मुंह में थूक इकट्ठा करके निगल जाना बेग़ैर रोज़े के भी अच्छा नहीं और रोजे में तो यह मकरूह है।

मसला—रोज़ह में मिस्वाक करना मकरूह नहीं बल्कि जैसे और दिनों में सुन्नत हैं वैसे ही रोज़ह में भी सुन्नत है।

सहरी व अफ़तार का बयान

रसूलल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम ने फ़रमाया सहरी खाओ कि सहरी खाने में बरकत है हमारे और अहले किताब के रोज़ों में फ़र्क़ सहरी का लुक़मा है। अल्लाह और उसके फ़रिश्ते सहरी खाने वालों पर दरुद भेजते हैं। सहरी कुल की कुल बरकत है उसे न छोडना चाहिये एक घूंट पानी ही पी ले क्योंकि सहरी खाने वालों पर अल्लाह और उसके फ़रिश्ते दरुद भेजते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलवातो वस्सलाम फ़रमाते हैं कि अल्लाह तआला ने फ़रमाया कि मेरे बन्दों में मुझे ज़्यादा प्यारा वह है जो अफ़तार में जल्दी करता है और फरमाया अफ़तार में जल्दी करने और सहरी में देर करने को अल्लाह तआला पसन्द करता है।

मसला- सहरी खाना और इसमें देर करना सुन्नत है मगर इतनी देर करना मकरुह है कि अभी सुबह सादिक़ शुरु हो जाने का शक हो जाये।

मसला- अफ़तार में जल्दी करना सुन्नत है मगर अफ़तार उस वक़्त करे जब सूरज डूब जाने का इतमिनान हो जाये। जब तक इतमिनान न हो अफ़तार न करे चाहे मोअज़्ज़िन ने अज़ान कह दी हो और बादल के दिन अफ़तार में जल्दी न चाहिये।

मसला- तोप और नक़्क़ारा का सहरी व अफ़तार में उस वक़्त एतेबार है जबकि किसी परहेज़गार मुहक़्क़िक़ आलिम तौक़ीतदां के हुक्म पर चले बजे। आज कल के आम ओलमा भी इस फ़न से नावाक़िफ़ हैं और जन्तरियां भी अक्सर ग़लत होती हैं उन पर अमल जाएज़ नहीं, हां अगर किसी दीनदार इल्मे तौक़ीत के माहिर आलिम का बनाया हुआ नक़्शाए सहर व अफ़तार

हो तो इस पर अमल हो सकता है।

मसला- रसूलल्लाह सल्लल्लाहो अलैहो वसल्लम ने फ़रमाया जब कोई रोज़ा अफ़तार करे तो खजूर या छोहारे से अफ़तार करे कि वह बरकत है और अगर न मिले तो पानी से कि वह पाक करने वाला है और हुजूर अफ़तार के वक़्त यह दोआ पढ़ते "अल्लाहुम्मा लका सुमतो व अला रिज़्क़ेका अफ़तरतो" (यानी ऐ अल्लाह तेरे ही लिये रोज़ा रक्खा मैंने और तेरी ही दी हुई रोज़ी से अफ़तार किया मैंने)

किन किन हालतों में रोज़ा न रखने की एजाज़त है

मसला- सफ़र, हमल और बच्चा को दूध पिलाना और बीमारी और बुढ़ापा और हलाक होने का डर और एकराहे शरई और नुक़्साने अक़्ल और जेहाद यह सब रोज़ा न रखने के लिये उज़्र हैं। इन बातों की वजह से अगर कोई रोज़ा न रक्खेगा तो गुनाहगार नहीं लेकिन बाद में जब उज़्र जाता रहे तो इन छोड़े हुए रोज़ों का रखना फ़र्ज़ है।

मसला- सफ़र से मुराद शरई सफ़र है यानी इतनी दूर जाने के एरादे से निकले कि यहाँ से वहां तक तीन दिन की राह हो अगरचे वह सफ़र किसी नाजाएज़ काम के लिए हो।

मसला- दिन में सफ़र किया तो उस दिन का रोज़ा अफ़तार करने के लिये आज का सफ़र उज़्र नहीं अलबत्ता अगर तोड़ेगा तो कफ़्फ़ारा लाज़िम न आयेगा मगर गुनाहगार होगा और अगर सफ़र करने से पहले तोड़ दिया फिर सफ़र किया तो कफ़्फ़ारा भी लाज़िम हुआ और अगर दिन में सफ़र किया और मकान पर कोई चीज़ भूल गया था उसे लेने वापस आया और

मकान पर आ कर रोज़ा तोड़ डाला तो कफ़्फ़ारा वाजिब है।

मसला- मुसाफ़िर ने ज़हवए कुबरा से पहले एकामत की और अभी कुछ खाया नहीं तो रोज़ा की नियत कर लेना वाजिब है।

मसला- खुद उस मुसाफ़िर को और उसके साथ वाले को रोज़ा रखने से ज़रर न पहुंचे तो रोज़ा रखना सफ़र में बेहतर है वरना न रखना बेहतर।

मसला- हमल वाली और दूध पिलाने वाली को अगर अपनी जान या बच्चे का सही डर हो तो एजाज़त है कि उस वक़्त रोज़ा न रक्खे ख्वाह दूध पिलाने वाली बच्चे की मां हो या दाई अगरचे रमज़ान में दूध पिलाने की नौकरी की हो।

मसला- मरीज़ को बीमारी बढ़ जाने या देर में अच्छा होने का या तन्दुरुस्त को बीमार हो जाने का गुमान ग़ालिब हो या ख़ादिम, ख़ादिमा को बहुत कमज़ोर हो जाने का गुमान ग़ालिब हो तो इन सब को एजाज़त है कि उस दिन रोज़ा न रक्खें।

मसला- इन सूरतों में गुमान ग़ालिब ज़रुरी है महज़ वहम व ख़्याल काफ़ी नहीं गुमान ग़ालिब की तीन सूरतें हैं इसकी ज़ाहिर निशानी पाई जाती है या उस शख्स का अपना तजुर्बा है या किसी मुसलमान माहिर तबीब ने जो फ़ासिक़ न हो उसने इसकी खबर दी हो और अगर न कोई निशानी हो न तजुरबा न ऐसे तबीब ने बताया तो रोज़ा छोड़ना जाएज़ नहीं बल्कि महज़ वहम व ख़्याल से या काफ़िर या फ़ासिक़ तबीब के कहने से रोज़ा तोड़ दिया तो कफ़्फ़ारा भी लाज़िम आयेगा। आज कल के अक्सर अतिब्बा अगर काफ़िर नहीं तो फ़ासिक़ ज़रुर हैं और न सही तो हाज़िक़ व माहिर तबीब नायाब से हो रहे हैं ऐसों का कहना कुछ क़ाबिले एतबार नहीं इनके कहने पर रोज़ा न रखना या तोड़ देना जाएज़ नहीं। इन तबीबों को देखा जाता है कि ज़रा-ज़रा सी बीमारी में रोज़ा को मना कर देते हैं इतनी भी तमीज़ नहीं रखते कि किस मर्ज में रोजा मुज़िर है किसमें नहीं।

मसला- भूक और प्यास ऐसी हो कि हलाक हो जाने का सही डर

हो या अक्ल खराब हो जाने का डर हो तो रोज़ा न रक्खे।

मसला- सांप ने काटा और जान का डर हो तो रोज़ा तोड़ दें।

मसला- शेखफ़ानी (यानी वह बूढ़ा जिसकी उम्र ऐसी हो गई कि अब रोज़ बरोज़ कमज़ोर ही होता जायेगा) जब रोज़ा रखने से आजिज़ हो यानी न अब रख सकता है न आइन्दा इसमें ताकत आने की उम्मीद है कि रोज़ा रख सकेगा तो उसे रोज़ा न रखने की एजाज़त है और हर रोज़े के बदले में फ़िदिया यानी दोनों वक़्त एक मिस्कीन को भर पेट खाना खिलाना उस पर वाजिब है या हर रोज़ा के बदले में सदक़ए फ़ित्र के बराबर मिस्कीन को दे दे।

मसला- अगर ऐसा बुढ़ा गर्मियों में गर्मी की वजह से रोज़ा नहीं रख सकता मगर जाड़ों में रख सकता है तो अब अफ़तार कर ले और उनके बदले के जाड़ों में रखना फ़र्ज़ है।

मसला- अगर फ़िदिया देने के बाद इतनी ताक़त आ गई कि रोज़ा रख सके तो इन रोज़ों की कज़ा रखना वाजिब है फ़िदिया सदका नफ़िल हो गया।

मसला- किसी के बदले कोई दूसरा न रोज़ा रख सकता है न नमाज़ पढ़ सकता है। अलबत्ता अपने रोज़े नमाज़ वगैरह का सवाब दूसरे को पहुंचा सकता है।

मसला- नफ़िली रोज़ा क़सदन शुरु करने से लाज़िम हो जाता है अगर तोड़ेगा तो क़ज़ा वाजिब होगी या किसी वजह से टूट जायेगा जैसे हैज़ आ गया तो भी क़ज़ा वाजिब है।

मसला- ईदैन या अय्याम तशरीक़ में नफ़िल रोज़ा रक्खा तो उस रोज़ा का पूरा करना वाजिब नहीं बल्कि उस रोजा का तोड़ देना वाजिब है और इसके तोड़ने से क़ज़ा वाजिब नहीं और अगर इन दिनों में रोज़ा की मिन्नत मानी तो मिन्नत पूरी करनी वाजिब है लेकिन इन दिनों में नहीं बल्कि और दिनों में।

मसला- मेहमान की ख़ातिर से रोज़ा तोड़ने की एजाज़त है जबकि यह भरोसा हो कि उसकी क़ज़ा रख लेगा और यह तोड़ने की एजाज़त ज़हवए कुबरा से पहले तक है बाद को नहीं हां माँ बाप की नाराज़ी के सबब से अस्र से पहले तक तोड़ सकता है अस्र के बाद नहीं।

मसला- किसी भाई ने दावत की तो ज़हवए कुबरा से पहले नफ़िल रोज़ा तोड़ने की एजाजत है लेकिन बाद में क़ज़ा रखना होगा।

मसला- औरत बेग़ैर शौहर की एजाजत के नफ़िल और मिन्नत और क़सम के रोज़े न रक्खे अगर रख लिये तो शौहर तोड़वा सकता है मगर तोड़ेगी तो क़ज़ा वाजिब होगी और इसकी क़ज़ा में शौहर से एजाज़त लेनी होगी और अगर शौहर का हर्ज न हो तो क़ज़ा में इसकी एजाज़त की ज़रुरत नहीं बल्कि वह मना भी करे जब भी क़ज़ा रख सकती है। रमज़ान के लिये और रमजान की क़ज़ा के लिये शौहर की एजाज़त की कुछ ज़रुरत नहीं बल्कि वह रोके जब भी रक्खे।

मसला- किसी वजह से भी जो रोजा न रक्खा बाद में जब बन पड़े इसका रखना फ़र्ज़ है।

चन्द नफ़िल रोज़ों की फ़ज़ीलत

आशूरा- यानी दसवीं मोहर्रम का रोज़ा और बेहतर यह है कि नवीं को भी रक्खें। रसूलल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम ने आशूरा का रोज़ा ख़ुद रक्खा और इसके रखने का लोगों को हुक्म दिया और फ़रमाया रमज़ान के बाद अफ़ज़ल रोज़ा मोहर्रम का रोज़ा है और फ़रमाया आशुरे का रोज़ा एक साल पहले का गुनाह मिटा देता है।

अरफा- यानी नवीं ज़िलज्जिा का रोज़ा। रसूलल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम ने फ़रमाया अरफ़ा का रोज़ा एक साल पहले और एक साल

बाद के गुनाह मिटा देता है। हज़रत सिद्दीक़ा फ़रमाती हैं कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम अरफ़ा के रोज़े को हज़ार दिन के बरा..र बताते मगर हज वाले को जो अ"फ़ात में हैं उसे इस रोज़ा से मना फ़रमाया।

शव्वाल के ६ रो.:- रसूलल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम ने फ़रमाया जिस ने रमज़ान के रोज़े रक्खे फिर इनके बाद ६ दिन शव्वाल के रक्खे तो ऐसा है जैसे हमेशा रोज़ा रक्खा और फ़रमाया जिसने ईद के बाद ६ रोज़े रक्खे तो उसने पूरे साल का रोज़ा रक्खा।

मसला- बेहतर यह है कि मुतफ़र्रिक़ रक्खे जायें और अगर ईद के बाद लगातार ६ दिन में एक साथ रख लिये जब भी हर्ज नहीं।

शाबान का रोज़ा और पन्द्रहवीं शाबान की फ़ज़ीलत

रसूलल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम ने फ़रमाया जब शाबान की पन्द्रहवीं रात आये तो इस रात को क़ेयाम करो और दिन में रोज़ा रक्खो कि अल्लाह तआला सूरज डूबने के बाद से आसमाने दुनिया पर ख़ास तजल्ली फ़रमाता है और फ़रमाताहै कि हैकोई बख़्शिश चाहने वाला की उसे बख़्श दूँ है कोई रोज़ी तलब करने वाला कि उसे रोज़ी दूँ है कोई गिरफ़तारे मुसीबत कि उसको छुट्टी दूँ है कोई ऐसा और यह उस वक़्त तक फ़रमाता है कि तुलू फ़ज्र हो जाये और फ़रमाया शाबाना की पन्द्रहवीं रात में अल्लाह तआला तमाम मख़लूक़ की तरफ़ तजल्ली फ़रमाता है और सबको बख़्श देता है मगर काफ़िर और अदावत वाले को।

अय्यामे बीज़ के रोज़े- यानी तेरह, चौदह, पन्द्रह तारीखों के रोज़े। रसूलल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम ने फ़रमाया हर महीने में तीन दिन के रोज़े ऐसे हैं जैसे हमेशा का रोज़ा और फ़रमाया जिससे हो सके हर महीने में तीन रोज़े रक्खे हर रोज़ा दस गुनाह मिटाता है और गुनाह से ऐसा पाक कर देता है जैसे पानी कपड़े को। हज़रत इब्ने अब्बास ने फ़रमाया कि हुज़ूर सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम सफ़र व हज़र में हमेशा अय्यामें बीज़ के रोज़े

रखते।

दोशम्बा और जुमेरात का रोज़ा। रसूलल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम ने फ़रमाया दोशम्बा और जुमेरात को आमाल पेश होते हैं तो मैं पसन्द करता हुँ कि मेरा अमल उस वक़्त पेश हो कि मैं रोजदार हूँ और फ़रमाया इन दोनों दिनों में अल्लाह तआला हर मुसलमान की मगफ़रत फ़रमाता है मगर उन दो आदमियों की जिन्होंने आपस में जुदाई कर ली है उनके बारे में फ़रिश्तों से कहता है इन्हें छोड दो जब तक यह सुलह न करलें।

बुद्ध और जुमेरात का रोज़ा। रसूलल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम ने फ़रमाया जो बुद्ध और जुमेरात को रोजे रक्खे उसके लिए दोजख़ से छुटकारा लिख दिया जायेगा और फ़रमाया जो बुद्ध, जुमेरात, जुमा को रोजे रक्खे अल्लाह तआला उसके लिए जन्नत में एक ऐसा मकान बनायेगा जिसका बाहर का हिस्सा अन्दर से देखाई देगा और अन्दर का बाहर से।

मसला- खुसूसियत के साथ जुमा के दिन रोजा रखना मकरुह है अलबत्ता आगे या पीछे और रोजा मिला कर रक्खे कि नफिल व सुन्नत रोज़ा तन्हा मकरुह है।

एतेकाफ़

एतेकाफ़ की नीयत से अल्लाह के वास्ते मस्जिद में ठहरने का नाम एतेकाफ़ है। एतेकाफ़ तीन क़िस्म का है। वाजिब, सुन्नते मोअक्कदा, मुस्तहब।

एतेकाफ़ वाजब यह नज़र का एतकाफ़ है जैसे किसी ने यह मिन्नत मानी कि फलां काम हो जायेगा तो एक दिन या दो दिन का एतेकाफ़ करुंगा तो यह एतेकाफ वाजिब है इसका पूरा करना ज़रुरी है। एतेकाफ़ वाजिब

लिये रोज़ा शर्त बेगैर रोज़े के सही नहीं।

एतेकाफ़ सुन्नत मोक्कदा यह रमज़ान के पूरे अशरए आख़ीरा यानी आख़ीर के दस दिन में किया जाये यानी बीसवीं रमज़ान को सूरज डूबते वक़्त एतेकाफ़ की नीयत से मस्जिद में मौजूद हो और तीसवीं को सूरज डूबने के बाद या उन्तीस को चांद होने के बाद निकले अगर बीसवीं तारीख़ को बाद नमाज़ मग़रिब एतेकाफ की नीयत की तो सुन्नत मोअक्कदा अदा न होगी यह एतेकाफ सुन्नत मोअक्कदा केफ़ाया है कि अगर सब छोड़ दें तो सब पकड़े जायें और एक ने भी कर लिया तो सब छूट जायें इस एतेकाफ़ में भी रोज़ा शर्त है मगर वही रमजान के रोज़े काफ़ी हैं।

एतेकाफ़ मुस्तहब.एतेकाफे वाजिब और एतेकाफ़े सुन्नत मोअक्कदा के अलावा जो एतेकाफ़ किया जाये वह मुस्तहब है। एतेकाफ़े मुस्तहब के वास्ते रोज़ा शर्त नहीं यह थोड़ी देर का भी होसकता है। मस्जिद में जब जब जाये इस एतेकाफ की नीयत करले चाहे थोडी ही देर मस्जिद में रह कर चला आये। जब चला जायेगा एतेकाफ़ ख़त्म हो जायेगा नीयत में सिर्फ इतना काफ़ी है कि मैंने ख़ुदा के वास्ते एतेकाफ मुस्तहब की नीयत की।

मसला– मर्द के एतेकाफ़ कि लिये मस्जिद ज़रुरी है और औरत अपने घर की उस जगह में एतेकाफ़ करे जो जगह उसने नमाज़ के लिये मोक़र्रर की हो।

मसला– मोतकिफ (यानी एतेकाफ़ करने वाला) को मस्जिद से बेगैर उज़्र निकलना हराम है अगर निकला तो एतेकाफ टूट जायेगा भूल कर ही निकला हो जब भी। यूंही औरत अपने एतेकाफ की जगह से निकली तो एतेकाफ़ जाता रहा चाहे घर ही मे रहे और मस्जिद से निकलने के दो उज़्र हैं एक तबई दूसरा शरई। तबई उज़्र वह है जैसे पाख़ाना, पेशाब, इस्तिन्जा, फ़र्ज़ गुस्ल, वज़ू (जबकि गुस्ल वज़ू की जगह मस्जिद में न बनी हो मस्जिद में बड़ा हौज़ न हो) शरई उज़्रयहहै जैसे ईद या जुमा की नमाज़ के लिये जाना अगर एतेकाफ वाली मस्जिद में जमाअत न होती हो तो जमाअत के

लिए भी जा सकता है इन उज़्रों के सिवा किसी और वजह से अगर थोड़ी देर के लिये भी एतेकाफ की जगह से बाहर जायेगा तो एतेकाफ़ जाता रहेगा अगरचे भूल कर ही जाये।

मसला–मोतकिफ़ रातों दिन मस्जिद में ही रहे वहीं खाये, पीये, सोये इन कामों के लिये मस्जिद से बाहर होगा तो एतेकाफ़ टूट जायेगा।

मसला–मोतकिफ़ के सिवा और किसी को मस्जिद में खाने पीने सोने की एजाज़त नहीं और अगर यह काम करना चाहे तो एतेकाफ़ की नीयत करके मस्जिद में जाये और नमाज़ पढ़े या जिक्रे एलाही करे फिर यह काम कर सकता है मगर खाने पीने में यह एहतेयात लाज़िम है कि मस्जिद आलूदा न हो।

मसला–मोतकिफ़ को अपनी ज़रुरत या बाल बच्चों की ज़रुरत से मस्जिद में खरीदना या बेचना जाएज़ है जब कि वह चीज़ मस्जिद में न हो या हो तो थोड़ी हो कि जगह न घेर ले और अगर खरीद व फ़रोख्त तेजारत की नीयत से हो तो नाजाएज़ है चाहे वह चीज़ मस्जिद में न हो जब भी।

मसला-मोतकिफ़ न चुप रहे न बात करे बकि कुरआन शरीफ़ की तेलावत हदीस की क़रात और दरुद शरीफ़ की कस्रत करें और इल्मेदीन का दर्स व तदरीस करे अम्बिया व औलिया व सालेहीन के हालात पढ़े या दीनी बातें लिखें

मसला–अगर नफ़िल एतेकाफ़ तोड़ दे तो इसकी कज़ा नहीं और सुन्नत मोअक्कदा एतेकाफ़ अगर तोड़ा तो जिस दिन तोड़ा फ़क़त उस एक दिन की कज़ा करे पूरे दस दिनों की क़ज़ा वाजिब नहीं और मिन्नत का एतेकाफ़ तोड़ा तो अगर किसी मुक़र्रर महीना की मिन्नत थी तो बाक़ी दिनों की कज़ा करे वरना अगर अलल इत्तेसाल वाजिब हुआ था तो सिरे से फिर से एतकाफ़ करे और अगर अलल इत्तेसाल वाजिब न था तो बाक़ी का एतकाफ़ करें.

मसला–एतेकाफ़ जिस वजह से भी टूटे चाहे कसदन या बिला कस्द बहरहाल कज़ा वाजिब है।

ज़कात का बयान

अल्लाह तआला फ़रमाता है फ़लाह पाते वह हैं जो ज़कात अदा करते हैं और फरमाता है जो कुछ तुम खर्च करोगे अल्लाह तआला उसकी जगह और देगा और अल्लाह बेहतर रोजी देने वाला है और फरमाता है जो लोग बुख्ल करते हैं उसके साथ जो अल्लाह ने अपने फ़ज़ल से उन्हें दिया वह यह गुमान न करे कि यह उनके लिये अच्छा है बल्कि यह उनके लिये बुरा है उसी चीज़ का कयामत के दिन उनके गले में तौक़ डाला जायेगा जिसके साथ बुख्ल किया और फरमाता है जो लोग सोना, चांदी जमा करते हैं और उसे अल्लाह की राह में ख़र्च नहीं करते उन्हें दर्दनाक अजाब की खुशख़बरी सुना दो जिस दिन जहन्नम की आग में तपाये जायेंगे और इनसे उनकी पेशानियां और करवटें और पीठें दागी जायेंगी और उनसे कहा जायेगा यह वह है जो तुमने अपने नफ्स के लिये जमा किया था तो अब चक्खो जो जमा करते थे। रसूलल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम ने फरमाया जो माल बर्बाद होता है वह जकात न देने से बर्बाद होता है और फरमाया जकात देकर अपने मालों को मज़बूत क़िलों में कर लो और अपने बीमारों का एलाज सदक़ा से करो और बलानाज़िल होने पर दोआ और तज़ुर्रो से इस्तेआनत करो और फरमाया कि अल्लाह तआला ने चार चीजें फ़र्ज की हैं जो इनमें से तीन अदा करे वह उसे कुछ काम न देंगी जब तक पूरी चारों को न बजा लाये वह चारों यह हैं नमाज ज़कात रोज़ह हज और फरमाया जो ज़कात न दे उसकी नमाज़ कुबूल नहीं। **मसला**-ज़कात फ़र्ज़ है इसका मुनकिर काफिर न देने वाला फ़ासिक़ और क़त्ल का मुस्तहिक़ और अदा करने में देर करने वाला गुनाहगार व मरदूदुश्शहादत।

ज़कात शरीयत में इसको कहते हैं कि अल्लाह के लिए माल के एक हिस्से का जो शरा ने मुकर्रर किया है मुसलमान फक़ीर को मालिक बना दे। मसला-मुबाह कर देने से ज़कात अदा न होगी मसलन फ़क़ीर को ज़कात की नीयत से खाना खिला दिया तो ज़कात अदा न होगी इसलिए कि यह मालिक

कर देना न हुआ हां अगर खाना दे दे कि चाहे खाये या ले जाये तो अदा हो गई यूंही ज़कात की नीयत से कपड़ा दे दिया तो अदा हो गई।

मसला-मालिक करने में यह भी ज़रुरी है कि ऐसे को जकात दे जो कब्जा करना जानता हो यानी ऐसा न हो जो फेंक दे या धोखा खाए नही तो अदा न होगी जैसे छोटे बच्चे या पागल को ज़कात देने से अदा न होगी जिस बच्चे को इतनी अक़्ल न हो तो उसकी तरफ़ से उसका बाप जो फक़ीर हो वह कब्जा करे या उस बच्चे का वसी या वह कि यह बच्चा जिसकी निगरानी में है वह क़ब्ज़ा करे **मसला**-जकात वाजिब होने के लिये चन्द शर्तें-

१-मुसलमान होना २-बालिग़ होना ३-आकिल होना ४-आज़ाद होना ५-मालिके नेसाब होना ६-पूरे तौर पर मालिक होना ७-नेसाब का दैन से फ़ारिग़ होना ८-नेसाब का हाजते असलिया से फ़ारिग़ होना ९-माल का नामी होना १०-साल गुज़रना।

काफ़िर पर ज़कात वाजिब नही अगर कोइ काफ़िर मुसलमान हुआ तो उसे यह हुक्म न दिया जायेगा कि कुफ्र के ज़माने की ज़कात अदा करे.

मसला-मजनून पर ज़कात वाजिब नहीं जबकि जुनून पूरे साल को घेर ले और अगर साल के अव्वल व आख़ीर में अच्छा हो जाता है चाहे बीच साल में न अच्छा हो तो ज़कात वाजिब है और जुनून अगर असली हो यानी जुनून ही की हालम में बलूग़ हुआ तो उसका साल होश आने से शुरु होगा। यूंही अगर जुनून आरज़ी है मगर पूरे साल घेर लिया तो जब इफ़ाका होगा उस वक़्त से साल की इब्तेदा होगी।

मसला-नेसाब से कम में ज़कात वाजिब नहीं यानी जितने माल में शरीयत ने ज़कात मुक़र्रर की है इससे कम माल का मालिक है तो ज़कात वाजिब नहीं। **मसला**- नाबालिग़ पर ज़कात वाजिब नही.

मसला-पूरे तौर पर माल का मालिक हो यानी उस पर क़ब्ज़ा भी हो तब ज़कात वाजिब है वरना नहीं।

मसला-जो माल गुम गया या दरिया में गिर गया या किसी ने ग़सब

कर लिया और उसके पास ग़सब के गवाह नहीं या जंगल में दफ़्न कर दिया था और यह याद न रहा कि कहां दफ़्न किया था या अनजान के पास अमानत रक्खी थी और यह याद न रहा कि वह कौन है या मदयून ने दैन से इनकार कर दिया और उसके पास गवाह नहीं फिर यह माल मिल गया तो जब तक न मिला था उस ज़माना की ज़कात वाजिब नहीं।

मसला-अगर दैन ऐसे पर है जो दैन का एक़रार करता है मगर अदा में देर करता है या नादार है या क़ाज़ी के यहां इसके मुफ़लिस होने का हुक्म हो चुका है या वह मुनकिर है मगर उसके पास गवाह मौजूद हैं तो जब माल मिलेगा गुज़रे हुए सालों की भी ज़कात वाजिब है।

मसला-शै मरहून की ज़कात न मुरतहिन पर न राहिनपर और रेहन छुड़ाने के बाद भी उन बरसों की ज़कात वाजिब नहीं।

मसला-नेसाब का मालिक है मगर उस पर इतना दैन है कि दैन अदा करने के बाद नेसाब नहीं रहती तो ज़कात वाजिब नहीं चाहे दैन बन्दा का हो (जैसे क़र्ज़, ज़रे समन किसी चीज़ का तावाना) चाहे ख़ुदा का (जैसे ज़कात ख़ेराज) मसलन कोई शख़्स सिर्फ़ एक नेसाब का मालिक है और दो साल गुज़र गये कि ज़कात नहीं दी तो सिर्फ़ पहले साल की ज़कात वाजिब है दुसरे साल की नहीं इस लिसे कि पहले साल की ज़कात तो उस पर दैन है इसके निकालने के बाद नेसाब बाकी नहीं रहती लेहाज़ा दूसरे साल ज़कात वाजिब न हुई।

मसला-जो दैन मियादी हो वह ज़कात से नहीं रोकता चुंकि आदतन दैन महर का मोतालबा नहीं होता लेहाज़ा अगरचे शौहर के ज़िम्मे कितना ही दैन महर हो जब वह मालिके नेसाब है तो ज़कात वाजिब है।

मसला-दैन उस वक़्त ज़कात से रोकता है जब ज़कात वाजिब होने से पहले का हो और अगर नेसाब पर साल गुज़रने के बाद दैन हुआ तो ज़कात पर दैन का कुछ असर नही यानी ज़कात दनी होगी।

मसला-जो माल हाजते असलिया के अलावा हो उसमे जकात वाजिब

है जबकि वह नेसाब के बराबर हो।

हाजते असलिया–यानी ज़िन्दगी बसर करने में जिस चीज़ की ज़रुरत हो उसमें ज़कात वाजिब नहीं जैसे रहने का मकान जाडे गर्मियों में पहनने के कपडे, ख़ानादारी के सामान, सवारी के जानवर, ख़िदमत के लौंडी, गुलाम, आलाते हरब, पेशावरों के औज़ार अहले इल्म के लिये हाजत की किताबें खाने के लिये ग़ल्ला। खुलासा यह है कि जकात तीन क़िस्म के माल पर है १-समन यानीसोनाचाँदी २-माले तेजारत 3 साइमा यानी चराई पर छूटे जानवर

मसला–मोती और जवाहर पर जकात वाजिब नहीं अगरचे हजारों के हो हां अगर तेजारत की नीयत से लिये तो ज़कात वाजिब हो गई।

मसला–जो शख़्स नेसाब का मालिक है अगर दरम्यान साल में कुछ और माल बढ़ा तो इस नये माल का साल अलग नही बकि पहले माल का ख़त्म साल इसके लिये भी खत्में साल है अगरचे साल पूरा होने से एक ही मिनट पहले हासिल हुआ हो.

मसला–ज़कात देने वक़्त या जकात के लिये माल अलग करते वक़्त जकात की नीयत का होना जरुरी है नीयत के यह मानी हैं कि अगर पूछा जाये तो बिला तअम्मुल बता सके कि ज़कात है।

मसला–साल भर तक ख़ैरात करता रहा इसके बाद नीयत की कि जो कुछ दिया है वह ज़कात है तो इस तरह ज़कात अदा न हुई।

मसला–ज़कात का माल हाथ पर रक्खा था कि फ़क़ीरों ने लूट लिया तो ज़कात अदा हो गई और अगर हाथ से गिर गया और फ़क़ीर ने उठा लिया अगर यह उसे पहचानता है आर राज़ी हो गया और माल बर्बाद न हुआ तो अदा हो गई.

मसला– ज़कात का रूपया मुर्दा की तजहीज़ व तकफ़ीन या मस्जिद की तामीर मे नही लगा सकता इसलिए कि इसमें फ़क़ीर को मालिक कर देना नही पाया गया. अगर इन चीजों में ख़र्च करना चाहें तो इसका तरीक़ा यह है कि फ़क़ीर को मालिक कर दे. यह फ़क़ीर खर्च करे सवाब दानो को होगा

हदीस में आया अगर सौ हाथों में सदका गुज़रा तो सबको वैसा ही सवाब मिलेगा जैसे देने वाले को और इसके अज्र में कुछ कमी न होगी।

मसला–जकात देने में इसकी जरुरत नहीं कि फक़ीर को जकात कह कर दे बल्कि सिर्फ जकात की नीयत काफी है यहां तक कि अगर कोई और लफ़्ज़ जैसे हदिया नज्र या बच्चों के मिठाई खाने को, तुम्हें ईद करने को कह कर दिया और ख़ुद नीयत जकात की रक्खी तो भी अदा हो जायेगी बाज मोहताज जरुरतमन्द ज़कात का रुपया नहीं लेते इन्हें जकात देने में ज़कात का लफ्ज़ न कहे।

मसला–मालिके नेसाब अगर पेशतर से चन्द नेसाबों की ज़कात देना चाहे तो दे सकता है यानी शुरु साल में एक नेसाब का मालिक है और दो तीन नेसाबों की ज़कात दे दी और ख़त्म साल पर जितनी नेसाबों की ज़कात दी है उतनी नेसाबों का मालिक हो गया तो सब अदा हो गई और अगर ... तमाम तक एक ही नेसाब का मालिक रहा साल के बाद और हासिल किया तो जकात बाद वाले में महसूब न होगी।

मसला– एक हज़ार का मालिक है और दो हज़ार की ज़कात दी और नीयत यह है कि साल तमाम तक अगर एक हज़ार और हो गये तो यह उसकी है वरना आइन्दा साल में महसूब होगी तो यह जाएज है।

मसला– अगर शक है कि जकात दी या नहीं तो अब दे।

सोने चाँदी और माले तेजारत की ज़कात का बयान

सोने की नेसाब बीस मिसक़ाल है यानी साढे सात तोला सोना है और चाँदी की नेसाब दो सौ दरहम है यानी साढ़े बावन तोला चांदी है यानी वह तोला जिससे यह अंग्रेज़ी रुपया सवा ग्यारह माशा है सोने चांदी की ज़कात में वज़न का एतबार है क़ीमत का नहीं मसलन सात तोले सोने या कम का

ज़ेवर या बर्तन बना हो कि इसकी कारीगरी की वजह से दो सौ दरहम से ज़ायद क़ीमत हो जाये या सोना महंगा हो कि साढे सात तोले से कम की क़ीमत दो सौ दरहम से बढ जाये जैसे आज कल कि साढ़े सात तोले सोने की क़ीमत चांदी की कई नेसाबें होंगी गरज़ यह कि वज़न में अगर नेसाब के बराबर न हो तो ज़कात वाजिब नहीं चाहे क़ीमत कुछ भी हो। यूंही सोने की ज़कात में सोने और चांदी की ज़कात में चांदी की कोई चीज दी तो उसकी क़ीमत का एतबार न होगा बल्कि वजन का होगा अगरचे काम और कारीगरी की वजह से क़ीमत बढ़ गई हो फ़र्ज़ करों कि दस आना भरी चांदी बिक रही है और ज़कात में एक रुपया दिया जो सोलह आने का माना जाता है तो ज़कात अदा करने में वह यही समझा जायेगा कि सबा ग्यारह माशा चांदी दी यह ६ आने बल्कि कुछ ऊपर जो रुपये की क़ीमत में ज़ायद है लग़ो हैं।

मसला- यह जो कहा गया कि ज़कात के अदा करने में क़ीमत का एतबार नहीं यह उसी सूरत में है कि उस जिन्स की ज़कात उसी जिन्स से अदा की जाये और अगर सोने की ज़कात चाँदी से या चांदी की सोने से अदा की तो क़ीमत का एतबार होगा। मसलन सोने की ज़कात में चांदी की कोई चीज दी जिसकी क़ीमत एक अशर्फ़ी है तो एक अशर्फ़ी देना क़रार पायेगा अगरचे वज़न में उस चीज़ की चांदी पन्द्रह रुपये भर भी न हो।

मसला- सोना चांदी जबकि नेसाब भर हों तो उनकी ज़कात उनका चालीसवां हिस्सा है चाहे वह वैसेही हों या उनके सिक्के (जैसे रुपये अशर्फ़ियां) या उनकी कोई चीज़ बनी हो (जैसे ज़ेवर, बर्तन, घड़ी, सुर्मादानी) ग़रज़ जो कुछ हो ज़कात सबकी वाजिब है मसलन साढ़े सात तोला सोना है तो सवा दो माशा वाजिब है या साढ़े बावन तोला चांदी है तो एक तोला तीन माशा ६ रत्ती वाजिब है।

मसला- सोने चाँदी के अलावा तेजारत की कोई चीज़ हो जिसकी क़ीमत सोने चांदी के नेसाब को पहुंचे तो उस चीज़ पर भी जकात वाजिब है यानी

उस चीज़ की क़ीमत का चालीसवां हिस्सा और अगर सामान तेजारत की क़ीमत तो नेसाब को नहीं पहुंचती मगर उसके पास माल तेजारत के अलावा सोना चांदी भी है तो सामान की क़ीमत सोने चाँदी के साथ मिला कर मजमूआ करें अगर मजमूआ नेसाब को पहुंचे तो ज़कात वाजिब है। मालेतेजारत की क़ीमत उस सिक्के से लगायें जिसका चलन वहां ज़्यादा हो जैसे हिन्दुस्तान में रुपये का चलन ज़्यादा है यहां इसी से क़ीमत लगाई जाये और अगर कहीं सोने चाँदी के सिक्कों का यकसाँ चलन हो तो अख़्तेयार है जिससे चाहें क़ीमत लगायें लेकिन जबकि रुपये से क़ीमत लगायें तो नेसाब नहीं होती और अशर्फ़ी से हो जाती है या अशर्फ़ी से नहीं होती और रुपये से हो जाती है तो जिससे नेसाब पूरी हो उसी से क़ीमत लगाई जाये और अगर दोनों से नेसाब पूरी होती है मगर एक से नेसाब के अलावा नेसाब का पाँचवां हिस्सा ज़्यादा होता है दूसरे से नहीं तो उसी से क़ीमत लगायें जिससे एक नेसाब और नेसाब का पाँचवां हिस्सा हो।

मसला- नेसाब से ज़्यादा माल है तो अगर यह ज़्यादती नेसाब का पांचवाँ हिस्सा है तो उसकी भी ज़कात वाजिब है। मसलन दो सौ चालीस दिरम यानी तिरसठ तोला चाँदी हो तो ज़कात में ६ दिरम वाजिब यानी एक तोला ६ माशा ७ १/५ रत्ती यानी साढ़े बावन तोला के बाद हर साढ़े दस तोला पर तीन माशा १ १/५ रत्ती बढ़ायें और मसलन सोना नौ तोला हो तो दो माशा ५ ३/५ रत्ती ज़कात हुई यानी सात तोला के बाद हर डेढ़ तोला पर ३ ३/५ रत्ती बढायें और अगर पांचवां हिस्सा न हो तो माफ़ है यानी मसलन नौ तोला से एक रत्ती कम सोना है तो ज़कात वही साढ़े सात तोला की वाजिब है यानी सवा दो माशा और बाक़ी रत्ती कम डेढ़ तोला की माफ़ है। यूंही अगर चाँदी तिरसठ तोला से एक रत्ती भी कम है तो ज़कात वही साढ़े बावन तोला की एक तोला तीन माशा ६ रत्ती वाजिब है और बाक़ी रत्ती कम साढ़े दस तोला की माफ़। यूंही जो ज़्यादती है अगर वह भी पाँचवां हिस्सा है तो उसका चालीसवाँ वाजिब वरना माफ़ और इसी

तरीक़ा से माल तेजारत का भी यही हुक्म है।

मसला- किसी के पास सोना भी है और चांदी भी और दोनों की नेसाबें पूरी पूरी हैं तो यह ज़रुर नहीं कि सोने को चांदी या चांदी को सोना क़रार देकर ज़कात अदा करे बल्कि हर एक की ज़कात अलाहेदा अलाहेदा वाजिब है। हाँ ज़कात देने वाला अगर सिर्फ़ एक चीज़ से दोनो नेसाबों की ज़कात अदा करे तो उसे अख़्तेयार है मगर इस सूरत में यह वाजिब होगा कि क़ीमत वह लगाये जिसमें फ़क़ीरों का ज़्यादा नफ़ा हो मसलन हिन्दुस्तान में रुपये का चलन अशर्फ़ी से ज़्यादा है तो सोने की क़ीमत चांदी से लगा कर चांदी जकात में दे।

मसला- सोना भी है और चांदी भी और दोनों में से कोई भी नेसाब बराबर नहीं तो सोने की क़ीमत की चाँदी या चांदी की क़ीमत का सोना फ़र्ज़ करके मिलायें फिर अगर मिलाने पर भी नेसाब नहीं होती तो कुछ नहीं और अगर सोने की क़ीमत की चांदी, चाँदी में मिलायें तो नेसाब हो जाती है और चांदी की क़ीमत का सोना सोने में मिलायें तो नेसाब नहीं होती या बिलअक्स तो वाजिब है कि जिसमें नेसाब पूरी हो वह करें और अगर दोनों सूरत में नेसाब हो जाती है तो अखतियार है जो चाहें करें मगर जबकि एक सूरत में नेसाब पर पांचवां हिस्सा बढ़ जाता है तो जिस सूरत में पांचवा हिस्स बढ़ जाय वही करना वाजिब है मसलन सवा छब्बीस तोला चांदी है और पौने चार तोला सोना है. अगर पौने चार तोला सोने की चांदी सवा छब्बीस तोला मिलती है और सवा छब्बीस तोला चांदी का पौने चार तोला सोना मिलता है तो सोने को चौदी या चौदी को सोना जो चाहें मान लें और अगर पौने चार तोला सोने के बदले सैंतीस तोला चौदी मिलती है और सवा छब्बीस तोला चांदी का पौने चार तोला सोना नही मिलता तो वाजिब है कि सोने को चांदी क़रार दें इसलिये कि इस सूरत में नेसाब हो जाती है बल्कि पांचवा हिस्सा ज्यादा होता है और इस सूरत में नेसाब भी पूरी नही होती यूंही अगर हर एक नेसाब से कुछ ज़्यादा है तो अगर ज़्यादती नेसाब का पांचवा हिस्सा है तो इसकी भी जकात दें और अगर हर एक नेसाब में ज़्यादती उसके पांचवे हिस्सा से कम

है तो दोनो ज़्यादतियो को मिलायें अगर मिल कर भी किसी नेसाब का पांचवां हिस्सा नही है तो इस ज़्यादती पर कुछ नही और अगर दोनो में नेसाब या नेसाब का पांचवां हो तो अख़्तियार है मगर जब कि एक में नेसाब हो और दूसरे में पांचवां हिस्सा हो तो वह करें जिसमें नेसाब हो और एक में नेसाब या पांचवां हिस्सा होता है और दूसरे में नही तो वही करना वाजिब है जिससे नेसाब हो या नेसाब का पौचवां हिस्सा.

मसला- पैसे जब राएज हों और दो सौ दरहम चाँदी या बीस मिस्क़ाल सोने की क़ीमत के हों तो उनकी ज़कात वाजिब है और अगर चलन उठ गया हो तो जब तक तेजारत के लिये न हों ज़कात वाजिब नहीं।

मसला - नोट की भी ज़कात वाजिब है जब तक इनका रिवाज और चलन हो कि यह भी समन इस्तेलाही है और पैसो के हुक्म में है यानी साढ़े बावन तोला चांदी या साढ़े सात तोला सोना की क़ीमत के नोट पर ज़कात वाजिब है और इसके आगे सोने चांदी के हिसाब के क़ायदे से.

मसला- माले तेजारत में साल गुज़रने पर जो क़ीमत होगी उसका एतबार है मगर शर्त यह है कि शुरु साल में इसकी क़ीमत दो सौ दिरम से कम न हो।

मसला- केराया पर देने के लिये देग़ें हैं तो उनकी ज़कात नहीं यूंही जो मकान केराये पर देने कि लिये है उसकी भी ज़कात नहीं।

साइमा की ज़कात का बयान

तीन क़िस्म के जानवरों में ज़कात वाजिब है जबकि साइमा हों। ऊंट गाय, बकरी, साइमा वह जानवर है जो साल के ज़्यादा हिस्सा चर कर गुज़र करता हो और उससे मक़सूद सिर्फ़ दूध और बच्चे लेना या फ़र्बा करना है अगर घर घास ला कर खिलाते हों या मक़सूद बोझ लादना या हल वग़ैरह किसी काम में लाना या सवारी लेना है तो अगरचा चर कर गुज़र करता

हो वह साइमा नहीं और इसकी ज़कात वाजिब नहीं यूंही अगर गोश्त खाने के लिये है तो साइमा नहीं अगरचा जंगल में चरता हो और अगर तेजारत का जानवर चराई पर है तो यह भी साइमा नहीं बल्कि उसकी ज़कात क़ीमत लगा कर अदा की जायेगी।

ऊंट की ज़कात- पांच ऊंट से कम में ज़कात वाजिब नहीं और जब पांच या पांच से ज़्यादा हों मगर पच्चीस से कम तो हर पांच में एक बकरी वाजिब है यानी पाँच हों तो एक बकरी दस हों तो दो बकरी व अला हाज़ा अल कयास।

मसला- ज़कात में जो बकरी दी जाये वह साल भर से कम की न हो। बकरी दें या बकरा जो चाहें।

मसला- दो नेसाबों के दरम्यान में जो हों वह अफो है यानी उनकी कुछ ज़कात नहीं मसलन सात आठ हों जब भी वही एक बकरी।

मसला – पच्चीस ऊंट हो तो एक बिन्ते मख़ाज (यानी एक साल से कुछ ज़ायद उम्र की ऊंटनी) पैंतीस तक यही हुक्म है यानी वही एक बिन्ते मख़ाज है छत्तीस से पैंतालीस तक में एक बिन्ते लबून (यानी दो साल से कुछ ऊपर की ऊटंनी) छियालिस से साठ तक में एक हिक़्क़ा (तीन साल से कुछ ऊपर की ऊटंनी) एकसठ से पचहत्तर तक एकजिज़आ (यानी चार साल से कुछ ऊपर की ऊटंनी) छिहत्तर से नब्बे तक दो बिन्त लबून एक्यानबे से एक सौ बीस तक में दो हिक़्क़ा इसके बाद एक सौ पैंतालीस तक दो हिक़्क़ा और हर पांच में एक बकरी, मसलन एक सौ पच्चीस में दो हिक्क़ा एक बकरी और एक सौ तीस में दो हिक्क़ा दो बकरियां व अलाहज़लक़यास फिर एक सौ पचास में तीन हिक़्क़ा अगर इससे ज़्यादा हो तो इनमें वैसा ही करें जैसा शुरु में किया था यानी हर पांच में एक बकरी और पच्चीस में बिन्त मख़ाज छत्तीस में बिन्त लबून यह एक सौ छियासी बल्कि एक सौ पिचानबे तक का हुक्म हो गया यानी इतने में तीन हिक़्क़ा और एक बिन्त लबून फिर एक़ सौ छियानबे से दो सौ चार तक हिक्क़ा और यह भी अख़्तियार है कि पांच बिन्त

लबून दें फिर दो सौ के बाद वही तरीक़ा बरतेंजोएकसौ पचासके ए ं यानी हर पांच में एक बकरी पच्चीमा में बिन्त मख़ाज़ छत्तीस में बिन्त लबून फिर दो सौ छियालीस से दो औ ए ास जक पांच हिक्क़ा व अला हज़ा अल क़यास.

मसला–ऊंट की ज़कात में जो ऊंट का बच्चा दिया जाता है तो ज़रूर है कि वह मादह हो। नर दे तो मादह की क़ीमत का हो वरना नहीं लिया जायेगा।

गाय भैंस की ज़कात

मसला–तीस से कम गायें हों तो ज़कात वाजिब नहीं जब तीस पूरी हों तो उनकी ज़कात में एक तबी (यानी साल भर का बछड़ा) या तबीआ (यानी साल भर की बछिया) है और चालीस हो तो एक मुसिन (यानी दो साल का बछड़ा) या मुसिन्ना (यानी दो साल की बछिया) उन्सठ तक यही हुक्म है फिर साठ में दो तबी या तबीआ फिर हर तीस में एक तबी या तबीआ और हर चालीस में एक मुसिन या मुसिना मसलन सत्तर में एक तबी और एक मुसिन और अस्सी में दो मुसिन व अला हाज़ा क़यास।

मसला–गाय भैंस का एक हुक्म है और अगर दोनों हों तो मिला लें जैसे बीस गायें हैं और दस भैसें तो ज़कात वाजिब हो गई और ज़कात में उसका बच्चा लिया जाये जो ज़्यादा हो यानी गाय ज़्यादा हो तो गाय का बच्चा और भैंस ज़्यादा हो तो भैंस का बच्चा और कोई ज़्यादा न हो तो ज़कात में वह बच्चा लें जो मुतवस्सत दर्जा का हो।

भेड़ बकरी की ज़कात–चालीस से कम भेड़ बकरियां हों ज़कात वाजिब नहीं और चालीस हों तो एक बकरी और यही हुक्म १२० तक है यानी इनमें भी वही एक बकरी है और एक सौ इक्कीस में दो बकरी और दो सौ एक में तीन बकरी और चार सौ में चार बकरी फिर हर सौ पर एक बकरी

जो दो नेसाबों के बीच में है उनकी ज़कात माफ़ है।

मसला-ज़कात में अख़्तेयार है कि बकरी दे या बकरा जो कुछ भी हो मगर ज़रूर है कि साल भर से कम का न हो अगर कम का हो तो क़ीमत के हिसाब से दिया जा सकता है।

मसला-भेड़, दुम्बा, बकरी में दाख़िल हैं कि एक क़िस्म से नेसाब पूरी न हो तो दूसरी क़िस्म को मिला लें और ज़कात में भेड़ दुम्बा भी दे सकते हैं मगर साल भर से कम के न हों।

मसला-अगर किसी के पास ऊंट, गाय, बकरियां सब हैं मगर नेसाब किसी का पूरा नहीं तो नेसाब पूरी करने के लिये मिलाये न जायेंगे और ज़कात वाजिब न होगी।

मसला-घोड़े, गधे, ख़च्चर, अगरचा चराई पर हों उनकी ज़कात नहीं हां अगर तेजारत के लिये हों तो उनकी क़ीमत लगा कर उसका चालीसवां हिस्सा ज़कात में दें।

खेती और फलों की ज़कात का बयान

रसूलल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम ने फ़रमाया जिस ज़मीन को आसमान या चश्मों ने सैराब किया या ज़मीन उश्री हो यानी नहर के पानी से उसे सींचते हों उसमें उश्र है (पैदावार का दसवां हिस्सा) और जिस ज़मीन को सैराब करने के लिये जानवर पर पानी लाद कर लाते हैं उसमें निस्फ़ उश्र (यानी पैदावार का बीसवाँ हिस्सा है)

मसला-जो खेत बारिश या नहर नाले के पानी से सैराब किया जाये उसमें उश्र यानी पैदावार का दसवां हिस्सा वाजिब है और जिस खेत की आब पाशी चरसे या डोल से हो उसमें निस्फ़ उश्र यानी पैदावार का बीसवां हिस्सा वाजिब है और खेत कुछ दिनों मेंह के पानी से सैराब किया जाता

है और कुछ दिनों डोल या चरसे से तो अगर ज़्यादा मेंह के पानी से काम लिया जाता है और कभी कभी डोल चरसे से तो उश्र वाजिब है वरना निस्फ़ उश्र। **मसला**- ज़मीन जो खेती के लिये नक़दी पर दी जाती है उसका उश्र काश्तकार पर हैं।

मसला-उश्री ज़मीन बटाई पर दी तो उश्र दोनों पर हे और अगर ख़राजी ज़मीन बटाई पर दी तो ख़राज मालिक पर है।

मसला-ज़मीन की तीन क़िस्म है। (१) उश्री (२) ख़राजी (३) न उश्री न ख़राजी। ख़राजी ज़मीन में ख़राज देना वाजिब है और उश्री ज़मीन और उस ज़मीन में जो न उश्री हो न ख़राजी उन दोनों क़िसमों में उश्र देना वाजिब है। उश्री ज़मीन वह है जिसमें उश्र देना वाजिब होता है यानी पैदावार का दसवां हिस्सा और ख़राजी ज़मीन वह है जिसमें ख़राज देना वाजिब होता है। यानी इतना देना वाजिब होता है जो बादशाहे इस्लाम ने मुक़र्रर किया चाहे पैदावार से मुकर्रर किया मसलन चौथाई या तिहाई या नक़द मुक़र्रर किया जैसे दस या बीस रुपया बीघा या कुछ और जैसा कि हज़रत उमर रज़े अल्लाहो अन्हु ने मुकर्रर किया था।

मसला – अगर मालूम हो कि सलतनते इस्लामीया में इतना खराज मुक़रुर था वही दे जबकि यह उस मिक़दार से ज्यादह न हो और यह भी शर्त है कि ज़मीन उतना देने की ताकत भी रखती हो

मसला-अगर मालूम न हो कि सल्तनते इस्लाम में क्या मुक़र्रर था तो जो हज़रत उमर का मुक़र्रर किया हुआ है वह दें और अगर हज़रत उमर का मुक़र्रर किया हुआ भी मालूम न हो तो निस्फ़ दें।

मसला-जहां इस्लामी सल्तनत न हो वहाँ के लोग बतौर ख़ुद फ़ोक़रा वगैरह जो मसारिफ़ ख़राज हैं उन पर ख़र्च करें।

मसला-हिन्दुस्तान में मुसलमानों की ज़मीनें ख़राजी न समझी जायेंगी जब तक किसी ख़ास ज़मीन के लिये ख़राजी होना दलीले शरई से न साबित हो जाये।

मसला-उश्र वाजिब होने के लिये आक़िल बालिग़ होना शर्त नहीं। मजनून और नाबालिग की ज़मीन में जो कुछ पैदा हुआ उसमें भी उश्र वाजिब है। **मसला**-जिस पर उश्र वाजिब हुआ वह मर गया और पैदावार मौजूद है तो इसमे से उश्र लिया जायेगा।

मसला-उश्र में साल गुज़ारना भी शर्त नहीं बल्कि अगर साल में चन्द बार एक खेत में ज़राअत हुई तो हर बार उश्र वाजिब है।

मसला-उश्र में नेसाब भी शर्त नहीं एक साअ भी पैदावार हो तो उश्र वाजिब है।

मसला-उश्री ज़मीन या पहाड़ या जंगल में शहद हुआ तो उसमें उश्र वाजिबहै यूंही पहाड़ और जंगल के फलों में भी उश्र वाजिब है बशर्ते कि बादशाहे इस्लाम ने हर्बियों और डाकूओं और बाग़ियों से इन सबकी हेफ़ाज़त की हो वरना कुछ नहीं।

मसला-गेहुँ, जौ,ज्वार, धान और हर क़िस्म के गल्ले और अलसी, कुसुम, अखरोट, बादाम और हर क़िस्म के मेवे रुई, गन्ना, खरबूज़ा, तरबूज़, खीरा, ककड़ी, बैगन और हर क़िस्म की तरकारी सब में उश्र वाजिब है थोड़ा पैदा हो या ज़्यादा।

मसला-मकान या मक़बरा में जो पैदावार हो उसमें न उश्र है न ख़राज.**मसला**-मुसलमान ने अपने घर को बाग़ बना लिया अगर इसमें उश्री पानी देता है तो उश्री है और ख़राजी पानी देता है तो ख़राजी है और दोनों क़िस्म के पानी देता है जब भी उश्री है और ज़िम्मी ने अपने घर को बाग बना लिया तो मुतलक़न ख़राज लेंगे आसमान और कूयें और चश्मा और दरिया का पानी उश्री पानी है और जो नहर अजमियों ने खोदी उसका पानी ख़राजी पानी है काफिरों ने कुआँ खोदा था और अब मुसलमानों के कब्ज़ा में आ गया या ख़राजी ज़मीन में खोदा गया वह भी ख़राजी है।

मसला-ज़मीन के उश्री होने की बहुत सी सूरतें हैं मसलन मुसलमानों ने फ़तह किया और ज़मीन मुजाहिदीन पर तक़सीम हो गई या वहां के लोग

खुद ब खुद मुसलमान हो गये जंग की नौबत न आई या उश्री ज़मीन के क़रीब परती ज़मीन थी उसे काश्त में लाया या उस खेत को उश्री पानी से सैराब किया यह सब सूरतें ज़मीन के उश्री होने की हैं और भी सूरतें हैं जो बड़ी किताबों में मजकूर हैं।

मसला- ज़मीन के ख़राजी होने की भी बहुत सी सूरतें हैं मसलन मुसलमानों ने फ़तह करके वहीं वालों को एहसान के तौर पर दे दी या दूसरे काफ़िरों को दे दी या वह मुल्क सुलह के तौर पर फ़तह हुआयाजिम्मी ने मुसलमानों से उश्री ज़मीन खरीद ली या ज़मीन को ख़राजी पानी से सैराब किया तो इन सब सूरतों में ज़मीन ख़ुराजी है और इसके अलावा भी बहुत सूरतें हैं।

मसला- ख़राजी ज़मीन अगरचे उश्री पानी से सैराब की जाये ख़राजी ही रहेगी।

मसला- और वह ज़मीन जो न ख़राजी हो न उश्री उसकी मिसाल यह है कि मुसलमानों ने फ़तह करके अपने लिये क़यामत तक के लिये बाक़ी रक्खी या ज़मीन के मालिक मर गये और ज़मीन बैतुल माल की मिल्क हो गई तो इन सूरतों में ज़मीन न उश्री है न ख़राजी।

मसला- गवनमिन्ट को जो मालगुज़ारी दी जाती है उससे ख़राजे शरई नहीं अदा होता बल्कि वह मालिक के ज़िम्मे है। उसका अदा करना ज़रुरी है और ख़राज का मसरफ सिर्फ लशकरे इस्लाम ही नहीं बल्कि तमाम मसालेह आम्मा मुस्लेमीन हैं। जिनमें तामीर मस्जिद व ख़र्च मस्जिद वज़ीफ़ा एमाम व मोअज़्ज़िन व तनख़्वाह मुदर्रेसीने इल्मे दीन व ख़बरगीरी तल्बा इल्मे दीन व ख़िदमत ओलमाए अहले सुन्नत.हामियाने दीन जो वाज़ कहते हैं और इल्मे दीन की तालीम करते और फतवे के काम में मशगूल रहते हैं दाखिल हैं और पुल और सराये बनाने में भी सर्फ़ किया जा सकता है।

ज़कात किन लोगो को दी जाए

मसला- ज़कात के मसारिफ़ सात हैं-(१) फ़क़ीर (२) मिस्कीन (३) आमिल (४) रक़ाब (५) ग़ारिम (६) फ़ी सबीलिल्लाह (७) इब्नुस्सबील

मसला- फ़क़ीर वह आदमी है जिसके पास कुछ हो, मगर न इतना कि नेसाब को पहुंच जाये या नेसाब के बराबर हो तो इसकी हाजत असलिया में मुस्तग़रक़ हो (जैसे रहने का मकान, पहनने के कपड़े, खिदमत के लौंडी, ग़ुलाम, पेशे के औज़ार वगैरह जो ज़रुरत की चीज़ें है चाहे कितनी ही क़ीमती हो या इतने का क़र्ज़दार हो कि क़र्ज़ निकालने के बाद जो बचे वह नेसाब के बराबर न हो। यह चीज़ें अगर हों और नेसाब से ज़्यादा की मालियत में हों जब भी फ़क़ीर है)

मसला- मिस्कीन वह है जिसके पास कुछ न हो यहां तक कि खाने और बदन छुपाने के लिये इसका मुहताज है कि लोगों से सवाल करे।

मसला- मिस्कीन को सवाल हलाल है और फ़क़ीर को सवाल ना जाएज़ है इसलिये कि जिसके पास खाने और बदन छुपाने को हो उसे बेग़ैर ज़रुरत व मजबूरी के सवाल हराम है।

मसला- आमिल वह है जिसे बादशाहे इस्लाम ने ज़कात व उश्र वसूल करने के लिये मोक़र्रर किया हो उसे काम के लेहाज़ से इतना दिया जाये कि उसको और उसके मददगारों को मुतवस्सित तौर पर काफ़ी हो मगर इतना न दिया जाये कि जो वसूल कर लाया है उसके आधे से ज़्यादा हो जाये।

मसला- रक़ाब से मुराद मुकातब ग़ुलाम को देना कि इस माले ज़कात से बदले किताबत देकर अपनी गर्दन छुड़ाये।

मसला- ग़ारिम से मुराद मदयून है यानी उस पर इतना दैन हो कि उसे निकालने के बाद नेसाब बाक़ी न रहे।

मसला- फ़ी सबीलिल्लाह यानी राहे खोदा में खर्च करना इसकी कई

सूरतें हैं।

(१) जैसे कोई जेहाद में जाना चाहता है और सामान उसके पास नहीं तो ज़कात का माल दे सकता हैं अगरचे वह कमा सकता हो।

(२) या कोई हज को जाना चाहता है और उसके पास माल नहीं उसको ज़कात दे सकते हैं मगर उसे हज के लिए सवाल करना जाएज़ नहीं।

(३) या तालिबे इल्म जो इल्मदीन पढ़ता है उसे भी ज़कात दे सकते हैं बल्कि यह तालिबे इल्म सवाल करके भी माले ज़कात से लेसकता है जब कि उसने अपने आपको इसी काम के लिये फ़ारिग़ कर रक्खा हो अगरचे कमा सकता हो। यूंही हर नेक काम में ज़कात खर्च करना फ़ी सबीलिल्लाह है जबकि बतौर तमलीक हो बेग़ैर तमलीक ज़कात अदा नहीं हो सकती।

मसला- बहुत लोग ज़कात का माल इस्लामी मदरसों में भेज देते हैं उनको चाहिये कि मुतवल्ली मदरसा को बता दें कि यह ज़कात है ताकि मुतवल्ली उसको अलग रक्खे और दूसरे माल में न मिलाये और ग़रीब तल्बा पर खर्च करे किसी काम की उजरत में न दे वरना ज़कात अदा न होगी।

मसला- इब्नुस्सबील यानी मुसाफ़िर जिसके पास माल न रहा वह ज़कात ले सकता है अगरचे घर पर माल मौजूद हो मगर इतना ही ले जिससे ज़रुरत पूरी हो जाये ज़्यादा की एजाज़त नहीं।

मसला- ज़कात अदा करने में यह ज़रुरी है कि जिसे दें उसे मालिक बना दें। एबाहत काफ़ी नहीं लेहाजा ज़कात का माल मस्जिद में लगाना या उससे मय्यत को कफ़न देना या मय्यत का दैन अदा करना या गुलाम आज़ाद करना पुल, सरा, सक्का या सड़क बनावा देना नहर या कुआँ खुदवा देना इन चीज़ों में खर्च करना या किताब वग़ैरह कोई चीज़ खरीद कर वक़्फ़ कर देना काफ़ी नहीं इससे ज़कात अदा न होगी। जब तक किसी फ़क़ीर को मालिक न बना दें अलबत्ता फ़क़ीर ज़कात के माल का मालिक हो जाने के बाद खुद अपनी तरफ़ से इन कामों में ख़र्च करे तो कर सकता है।

मसला- अपनी अस्ल (यानी मां-बाप, दादा-दादी, नाना-नानी वग़ैरह

जिनकी औलाद में यह है) और अपनी औलाद (यानी बेटा-बेटी, पोता-पोती, नवासा- नवासी वगैरह हम) को ज़कात नहीं दे सकता। यूंही सदक़ा फित्र व नज़्रे शरई व कफ़्फ़ारा भी इन्हें नहीं दे सकता रहा सदक़ा नफ़िल तो वह दे सकता है बल्कि बेहतर है।

मसला- बहु, दामाद और सौतेली मां या सौतेले बाप या ज़ौजा की औलाद या शौहर की औलाद को ज़कात दे सकता है और रिश्तेदारों में जिसका नफ़क़ा उसके ज़िम्मे वाजिब है उसे ज़कात दे सकता है जबकि नफ़क़ा में महसूब न करे।

मसला- औरत शौहर को और शौहर औरत को ज़कात नहीं दे सकता अलबत्ता तलाक़ देने के बाद जबकि इद्दत पूरी होचुकी हो तो बाद इद्दत ख़त्म होने के दे सकता है।

मसला- ग़नी की बीबी को ज़कात दे सकते हैं जबकि नेसाब की मालिक न हो यूंही ग़नी के बाप को दे सकते हैं जबकि यह फ़क़ीर है।

मसला- ग़नी मर्द के नाबालिग़ बच्चे को ज़कात नहीं दे सकते और ग़नी की बालिग़ औलाद को दे सकते हैं। जबकि यह फ़क़ीर हों।

मसला- जो शख़्स हाजते असलिया के अलावा नेसाब का मालिक हो उसको ज़कात देना जाएज़ नहीं यानी हाजत असलिया के सामान के अलावा इतना माल हो कि इसकी क़ीमत दो सौ दिरम हो चाहे खुद उस माल पर ज़कात वाजिब न हो मसलन ६ तोला सोना जब दो सौ दिरम की कीमत का हो तो जिसके पास यह है अगरचे उस पर ज़कात वाजिब नहीं की सोने की नेसाब साढ़े सात तोला है मगर उस शख़्स को ज़कात नहीं दे सकते या मसलन जिसके बीस गायें हैं जिनकी क़ीमत दो सौ दिरम है तो उसको ज़कात नहीं दे सकते अगरचे बीस गाय पर ज़कात वाजिब नहीं।

मसला- मकान, सामाने खानादारी, पहनने के कपड़े, ख़ादिम, सवारी का जानवर, हथियार, अहले इल्म के लिये किताबें जो उसके काम में हों यह सब हाजत असलिया से हैं।

मसला- सही तन्दूरुस्त को ज़कात दे सकते हैं। अगरचे कमाने पर क़ुदरत रखता हो मगर सवाल करना उसे जाएज़ नहीं।

मसला- मोती हीरा वगैरह जवाहर जिसके पास हों और तेजारत के लिये न हों तो उनकी ज़कात वाजिब नहीं मगर जब नेसाब की कीमत के हों तो ज़कात ले नहीं सकता।

मसला- बनी हाशिम को ज़कात नहीं दे सकते बनी हाशिम से यहां मुराद हज़रत अली व हज़रत जाफ़र व अक़ील व हज़रत अब्बास व हारिस इब्ने मुत्तलिब की औलादें हैं।

मसला- मां हाशमी बल्कि सैदानी हो और बाप हाशमी न हो तो हाशमी नहीं इसलिये कि शरा में नसब बाप से है लेहाज़ा ऐसो शख्स को ज़कात दे सकते हैं जबकि न देने की कोई और वजह न हो।

मसला- सदक़ा नफ़िल और वक़्फ़ की आमदनी बनी हाशमी को दे सकते हैं।

मसला- ज़िम्मी काफ़िर को न ज़कात दे सकते हैं न कोई सदक़ा वाजिबा (जैसे नज़्र, कफ़्फ़ारा, सदक़ा फित्र) और हरबी को किसी किस्म का सद्का देना जाएज़ नहीं वाजिबा न नफिल अगरचे वह हरबी दारुल इस्लाम में बादशाहे इस्लाम से अमान लेकर आया हो।

हिन्दुस्तान अगरचे दारुल इस्लाम है मगर यहां के कुफ़्फ़ार ज़िम्मी नहीं इन्हें सदक़ात नफ़िल मसलन हदिया वगैरह देना भी नाजएज़ है।

मसला- जिन लोगों की निस्बत बयान किया गया है कि इन्हें ज़कात दे सकते हैं इन सबका फ़क़ीर होना शर्त है सिवा आमिल के कि इसके लिये फ़क़ीर होना शर्त नहीं और इब्नुस्सबील अगरचे ग़नी हो हालते सफ़र में जबकि माल न हो तो वह भी फ़क़ीर के हुक्म में है बाक़ी किसी को जो फ़क़ीर न हो ज़कात नहीं दे सकते।

मसला- ज़कात वगैरह सदक़ात में अफ़ज़ल यह है कि पहले अपने भाइयों बहिनों को दे फ़िर उनकी औलाद को फ़िर चचा और फूफियों को

फिर उनकी औलाद को फिर मामू और ख़ाला को फिर उनकी औलाद को फिर अपने गांव या शहर के रहने वालों को। हदीस में है कि अल्लाह तआला उस शख्स के सदक़े को क़ुबूल नहीं फ़रमाता जिसके रिश्तेदार उसके सुलूक करने के मोहताज हों और यह ग़ैरों को दे।

मसला- बद मज़हब को ज़कात देना जाएज़ नहीं आर इसी तरह उन मुर्तदीन को भी देने से अदा न होगी जो ज़बान से तो इस्लाम का दावा करते हैं लेकिन खुदा व रसूल की शान घटाते या किसी और ज़रूरी दीनी का इन्कार करते हैं।

मसला- जिसके पास आज के खाने को है या तन्दुरुस्त है कि कमा सकता है उसे खाने के लिये सवाल हलाल नहीं और बे मांगे कोई खुद दे दे तो लेना जाएज़ है और खाने को उसके पास है मगर कपड़ा नहीं तो कपड़े के लिये सवाल कर सकता है। यूंही अगर जेहाद या तलबे इल्मेदीन में लगा है तो अगरचे सही तन्दूरुस्त कमाने लाएक़ हो उसे सवाल की एजाज़त है जिसे सवाल जाएज़ नहीं उसके सवाल पर देना भी नाजाएज़। देने वाला भी गुनाहगार।

मसला- भीख मांगना बहुत ज़िल्लत की बात है बेग़ैर ज़रुरत सवाल न करे। हदीसों से साबित है कि बे ज़रुरत सवाल करना हराम है कि सवाल करने वाला हराम खाता है। रसूलल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम ने फ़रमाया जो सवाल से बचना चाहेगा अल्लाह तआला उसे बचायेगा और जो ग़नी बनना चाहेगा अल्लाह तआला उसे ग़नी कर देगा और जो सब्र करना चाहेगा अल्लाह तआला उसे सब्र देगा। और फ़रमाया जो बन्दा सवाल का दरवाज़ा खोलेगा अल्लाह तआला उस पर मुहताजी का दरवाजा खोलेगा। और फ़रमाया जो सवाल करे और उसके पास इतना है जो उसे बे परवाह करे तो वह आग की ज़्यादती चाहता है लोगों ने अर्ज़ किया वह कितना है जिसके होते सवाल जाएज़ नहीं। फरमाया सुबह व शाम का खाना।

सदक़ाय फ़ित्र का बयान

रसूलल्लाह सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम ने फ़रमाया बन्दा का रोज़ा आसमान व ज़मीन के बीच में रुका रहता है जब तक सदक़ा फ़ित्र अदा न करे।

मसला- सदक़ा फ़ित्र वाजिब है उम्र भर इसका वक़्त है यानी अगर अदा न किया हो तो अब अदा कर दे अदा न करने से साक़ित न होगा। न अब अदा करना क़ज़ा है बल्कि अब भी अदा ही है अगरचे सुन्नत ईद की नमाज से पहले अदा कर देना है।

मसला- ईद के दिन सुबह सादिक़ शुरु होते ही सदक़ा फ़ित्र वाजिब हो जाता है लेहाज़ा जो शख़्स सुबह सादिक़ से पहले मर गया या फ़क़ीर हो गया तो उस पर सदक़ा फ़ित्र वाजिब न हुआ।

मसला- सुबह सादिक़ शुरु होने के बाद जो बच्चा पैदा हुआ या जो काफ़िर मुसलमान हुआ या जो फ़क़ीर ग़नी हुआ उस पर सदक़ा फ़ित्र वाजिब न हुआ।

मसला- सुबह सादिक़ शुरु होने से पहले काफ़िर मुसलमान हो गया या बच्चा पैदा हुआ या जो फ़क़ीर था वह ग़नी हो गया तो सदक़ा फ़ित्र वाजिब है।

मसला- जो सुबह सादिक़ शुरु होने के बाद मरा उसका सदक़ा फ़ित्र वाजिब है।

मसला- सदक़ा फ़ित्र हर मुसलामान आज़ाद मालिके नेसाब पर (जिसकी नेसाब हाजत असलिया के अलावा हो) वाजिब है। इसमें आक़िल, बालिग़ और माल नामी होने की शर्त नहीं यानी माल पर साल गुज़रना शर्त नहीं।

मसला- मर्द मालिके नेसाब पर अपनी तरफ़ से और अपने छोटे बच्चे की तरफ़ से सदक़ा फ़ित्र वाजिब है जबकि बच्चा खुद नेसाब का मालिक

न हो और अगर बच्चा नेसाब का मालिक है तो उसका सदक़ा फ़ित्र उसी के माल से दिया जाये और मजनून औलाद अगरचे बालिग़ हो जब कि ग़नी न हो तो उसका सदक़ा फ़ित्र उसके बाप पर वाजिब है और ग़नी हो तो ख़ुद उसके माल से दिया जाये।

मसला- सदक़ा फ़ित्र वाजिब होने के लिये रोज़ा रखना शर्त नहीं अगर किसी उज़्र, सफ़र, मर्ज़, बुढ़ापे की वजह से या माज़ अल्लाह बिला उज़्र रोज़ा न रखा जब भी वाजिब है।

मसला- बाप न हो तो दादा बाप की जगह है यानी अपने फ़क़ीर व यतीम पोते पोती की तरफ़ से उस पर सदक़ा फ़ित्र देना वाजिब है।

मसला- अपनी औरत और आक़िल बालिग़ औलाद का सदक़ा फित्र उसके ज़िम्मे नहीं अगरचे यह अपाहज हों, अगरचे उनका नफ़्क़ा उसके ज़िम्मे हो।

सदक़ा फ़ित्र की मेक़दार यह है गेहूँ या उसका आटा या सत्तू आधा साअ खजूर या मुनक़्क़ा या जौ या उसका आटा या सत्तु एक साअ।

मसला- गेहूँ और जौ देने से उनका आटा देना अफ़ज़ल है और इससे अफ़ज़ल यह कि क़ीमत दे चाहे गेहूँ की क़ीमत दे या जौ की या खजूर की मगर गेरानी में खुद इन चीज़ों का देना कीमत देना से अफ़ज़ल है और अगर ख़राब गेहूँ या जौ की क़ीमत दी तो अच्छे की क़ीमत से जो कमी पड़े वह पूरी करे।

साअ का वज़न- आला दर्जे की तहक़ीक़ और एहतेयात यह है कि साअ का वज़न तीन सौ इक्यावन रुपया भर है और निसफ़ साअ का वज़न एक सौ पचहत्तर रुपया अठन्नी भर ऊपर है यानी अस्सी भर के नम्बरी सेर से (जो आजकल हिन्दूस्तान के अक्सर बड़े शहरों में राएज है) एक साअ चार सेर सवा छै छटांक का होता है और आधा साअ दो सेर सवा तीन छटांक का होता है। आसानी और ज़्यादा एहतेयात इसमें है कि गेहूँ सवा दो सेर नम्बरी या जौ साढ़े चार सेर नम्बरी एक एक शख़्स की तरफ़ से दें।

मसला- सदक़ा फ़ित्र के मसारिफ़ वही हैं जो ज़कात के हैं यानी जिनको ज़कात दे सकते हैं उन्हें फ़ितरह भी दे सकते है सिवा आमिल के कि उसके लिये ज़कात है फ़ितरह नहीं।

क़ुर्बानी का बयान

क़ुर्बानी यह एक माली एबादत है जो ग़नी पर वाजिब है। ख़ास जानवर को खास दिन में अल्लाह के लिये सवाब की नीयत से ज़िबह करना क़ुर्बानी है। मुसलमान, मुक़ीम, मालिके नेसाब, आज़ाद पर वाजिब है।

मसला- जिस तरह क़ुर्बानी मर्द पर वाजिब है उसी तरह औरत पर भी वाजिब है।

मसला- मुसाफ़िर पर क़ुर्बानी वाजिब नहीं लेकिन अगर नफ़िल के तौर पर करे तो कर सकता है सवाब पायेगा।

मसला- मालिके नेसाब होने से मुराद इतना माल होना है जितना माल होने से सदक़ा फ़ित्र वाजिब होता। यानी हाजते असलिया के अलावा दो सौ दरहम (साढ़े बावन तोला चाँदी) या बीस दीनार (साढे सात तोला सोना) का मालिक हो।

मसला- जो शख़्स दो सौ दिरम या बीस दीनार का मालिक हो या हाजत के सिवा किसी ऐसी चीज़ का मालिक हो जिसकी क़ीमत दो सौ दरहम हो तो वह ग़नी है उस पर क़ुर्बानी वाजिब है।

क़ुर्बानी का वक्त- दसवीं ज़िलहिज्जा की सुबह सादिक़ से बारहवीं के गुरुब आफ़ताब तक है यानी तीन दिन और दो रातें लेकिन दसवीं शबमें अफ़ज़ल है फिर ग्यारहवीं फिर बारहवीं।

मसला- शहर में क़ुर्बानी की जाये तो शर्त यह है कि नमाज़ ईद के बाद हो और देहात में चूंकि नमाज़ ईद नहीं इस लिये सुबह सादिक़ से हो

सकती है।

मसला– क़ुर्बानी के वक्त में क़ुर्बानी ही करनी लाज़िम है इतनी क़ीमत या इतनी क़ीमत का जानवर सदक़ा करने से वाजिब अदा न होगा।

मसला– क़ुर्बानी के दिन गुज़र जाने के बाद क़ुर्बानी फ़ौत हो गई, अब नहीं हो सकती लेहाज़ा अगर कोई जानवर क़ुर्बानी के लिये ख़रीद रक्खा है तो उसको सदक़ा करे वरना एक बकरी की क़ीमत सदक़ा करे।

मसला– जब क़ुर्बानी की शर्तें पाई जायें (जिनका ऊपर बयान हुआ) तो एक बकरी या भेड़ का ज़िबह करना या ऊंट, गाय, भैंस का सातवां हिस्सा वाजिब है। इससे कम नहीं हो सकता। यहाँ तक कि अगर किसी शरीक का हिस्सा सातवें से कम है तो किसी की कुर्बानी सही न होगी, हां सात से कम शरीक हों और हिस्से भी कम व बेश हों लेकिन किसी का हिस्सा सातवें से कम न हो तो जाएज़ है।

मसला– क़ुर्बानी के सब शरीकों की नीयत तक़र्रुब (यानी सवाब पाना) होना चाहिये खाली गोश्त हासिल करना न हो लेहाज़ा अक़ीक़ा करने वाला शरीक हो सकता है (कि अक़ीक़ा भी तक़र्रुब की एक सूरत है)

क़ुर्बानी का तरीक़ा– क़ुर्बानी के जानवर को ज़िबह से पहले चारा पानी दे दें। पहले से छुरी तेज़ कर लें लेकिन जानवर के सामने नहीं। जानवर को बायें पहलू पर इस तरह लिटायें कि क़िबला की तरफ़ उसका मुंह हो और ज़िबह करने वाला अपना दाहिना पाँव उसके पहलू पर रख कर तेज़ छुरी से जल्दज़िबाह कर दें और ज़िबह से पहले यह दुआ पढ़ लें। "इन्नी वज्जहतो वजहेआ लिल्लज़ी फत रस्समावाते वलअरदा हनीफौं वमा अना मिनल मुशरेकीन, इन्ना सलाती व नुसोकी व महयाया व मामती लिल्लाहे रब्बिल आलमीन ला शरीकलहू व बेज़ालेका ओमिरतो व अना मिनल मुस्लेमीन अल्लाहुम्मा लका व मिनका बिस्मिल्लहे अल्लाहो अकबर" दुआ ख़त्म करते ही छुरी चला दें क़ुर्बानी अपनी तरफ़ से हो तो ज़िबह के बाद यह दुआ पढें " अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी कमा तक़ब्बलता मिन ख़लीलेका इब्राहीमा

अलैहिस्सलाम व हबीबेका मुहम्मदिन सल्लाल्लाहो अलैहे वसल्लम " ज़िबह में चारों रगें कटें या कम से कम तीन इससे ज़्यादा न काटें कि छुरी मुहरे तक पहुंच जाये कि यह बे वजह की तकलीफ़ है। ठंडा होने पर पाँव काटें खाल उतारें अगर दूसरे की तरफ़ से ज़िबह किया है तो मिन्नी की जगह मिनफ़लाँ कहे (यानी उसका नाम) और अगर मुश्तरक जानवर हो जैसे गाय, ऊंट, भैंस तो फ़लां की जगह सब शरीकों के नाम लें।

मसला- अगर दूसरे से ज़िबह कराये तो बेहतर है कि ख़ुद भी हाज़िर रहे।

गोश्त और खाल- अगर जानवर मुश्तरक है तो गोश्त तौल कर तक़सीम किया जाये अटकल से न बांटें कि अगर किसी को ज़्यादा पहुंच गया तो दुसरे के माफ़ करने से भी जाएज़ न होगा कि हक़्के शरा है। फिर अपने हिस्से के तीन हिस्से करके एक हिस्सा फ़क़ीरों को दे दें और एक हिस्सा दोस्तों और अज़ीज़ों को दें और एक हिस्सा अपने घर वालों के लिये रक्खें ख़ुद भी खायें बाल बच्चों को भी खिलायें अगर घर वाले ज़्यादा हों तो कुल घर के सर्फ़ मे ला सकता है और कुल सदक़ा भी कर सकता है अगरचे एक हिस्सा अपने लिये बेहतर है। **मसला** – अगर मय्यत की तरफ़ से क़ुर्बानी की तो उसके गोश्त का भी यही हुक्म है अलबत्ता अगर मय्यत ने कहा था कि मेरी तरफ़ से क़ुर्बानी कर देना तो इस सूरत में कुल गोश्त सदक़ा कर दें

मसला- क़ुर्बानी अगर मय्यत की है तों उसका गोश्त न खुद खा सकता है न ग़नी को खिला सकता है बल्कि उसको सदक़ा कर देना वाजिब है।

मसला- क़ुर्बानी करने वाला बक़रीद के दिन सबसे पहले क़ुर्बानी का गोश्त खाये यह मुस्तहब है।

मसला- क़ुर्बानी का गोश्त काफ़िर को न दें (कि यहां के कुफ़्फ़ार हरबी हैं)

मसला- चमड़ा, झोल, रस्सी, हार सब सदक़ा कर दे चमड़े को खुद अपने काम में भी ला सकता है। मसलन डोल, जानमाज़, बिछौना वग़ैरह

जा सकता है लेकिन बेच कर क़ीमत अपने काम में लाना जाएज़ नहीं अगर बेच दिया तो उस क़ीमत को सदक़ा कर देना वाजिब है।

मसला– आजकल अक्सर लोग खाल दीनी मदरसा में दिया करते हैं यह जाएज़ है अगर मदरसा में देने की नीयत से खाल बेच कर क़ीमत मदरसा में दे दें तो यह भी जाएज़ है।

मसला– क़ुर्बानी का गोश्त या चमड़ा क़स्साब या ज़िबह करने वाले को मज़दूरी में नहीं दे सकता हां अगर दोस्तों की तरह हदिया के तौर पर हिस्सा दिया तो दे सकता है जबकि उसे उजरत में शुमार न करे।

मसला– बाज़ जगह क़ुर्बानी का चमड़ा मस्जिद के एमाम को देते हैं अगर तनख़्वाह में न दिया जाये बल्कि बतौर मदद के दें तो हर्ज नहीं।

क़ुर्बानी का जानवर– ऊंट, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, नर, मादा, ख़सी, गैर ख़सी सबकी क़ुर्बानी हो सकती है।

मसला– वहशी जानवर जैसे हिरन, नीलगाय, बारहसिंगा वग़ैरह की क़ुर्बानी नहीं हो सकती।

मसला–दुम्बा भेड़ ही में दाख़िल है।

मसला–ऊंट पांच साल, गाय, भैंस दो साल भेड़ बकरी एक साल की हो या ज़्यादा की इससे कम की ना जाएज़ है हां अगर दुम्बा या भेड़ का छः माहा बच्चा इतना बड़ा हो कि दूर से देखने में साल भर का लगता हो तो उसकी क़ुर्बानी जाएज़ है।

मसला–क़ुर्बानी का जानवर मोटा ताज़ा और अच्छा होना चाहिये ऐबो से न होना चाहिये अगर थोड़ा सा ऐब हो तो क़ुर्बानी हो जायेगी मगर मकरूह होगी और अगर ज़्यादा ऐब है तो होगी ही नहीं।

मसला–मुन्डा जिसके पैदाइशी सींग न हों जाएज़ है अलबत्ता अगर सींग थे और टूट गये और मेंग (गूदा) तक टूट गए तो जाएज़ नहीं इससे कम टूटा तो है जाएज़ है।

मसला–अन्धा, लंगड़ा, काना, बेहद दुबला, कान कटा दुम कटा, बे

दांत का थन कटा, थन सूखा, नाक कटा, पैदाइशी बे कान का, बीमार, ख़ुनसा (जिसके दोनों निशानियां हों) जल्लाला (जो सिर्फ़ गलीज खाता हो) इन सब की क़ुर्बानी जाएज़ नहीं।

मसला-बीमारी अगर ख़फ़ीफ़ है और लंगड़ापन हल्का है कि चल फिर लेता है क़ुर्बानगाह तक जा सकता है या कान, नाक, दुम तिहाई से ज़्यादा नहीं कटे तो जाएज़ है।

मसला-क़ुर्बानी करते वक़्त जानवर उछला कूदा और उससे ऐबी हो गया तो हर्ज नहीं।

मसला-खरीदने के बाद क़ुर्बानी से पहले जानवर ने बचचा दे दिया तो उसे भी ज़िबह कर डाले और अगर बेच दिया तो उसकी क़ीमत को सदक़ा करे ओर अगर अय्यामे क़ुर्बानी में ज़िबह न किया तो ज़िन्दा सदक़ा कर दे।

फ़ाएदा-हमारे आक़ा व मौला हज़रत अहमदे मुजतबा मुहम्मदे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम के करमे अमीम को देखो कि ख़ुद इस उम्मते मरहूमा की तरफ़ से क़ुर्बानी की और इस मौके पर भी उम्मत का ख़्याल फ़रमाया लेहाज़ा जिस मुसलमान से हो सके वह हज़रत के नाम की क़ुर्बानी करे तो कैसी ख़ुशनसीबी है।

अक़ीक़ा

बच्चा पैदा होने के शुक्रिया में जो जानवर ज़िबह किया जाता है उसको अक़ीक़ा कहते हैं।

मसला-अक़ीक़ा मुस्तहब है इसके लिये सातवां दिन बेहतर है अगर सातवें दिन न कर सकें तो जब मुयस्सर हो करे सुन्नत अदा हो जायेगी।

मसला-लड़के के लिये दो बकरे और लड़की के लिये एक बकरी ज़िबह की जाये यानी लड़के में नर जानवर और लड़की मे मादा मुनासिब है। इसके

अकसा में भी हर्ज नहीं बल्कि अगर दो न हो सके तो लड़के में सिर्फ़ एक बकरी में भी हर्ज नहीं।

मसला–अगर गाय, भैंस ज़िबह करे तो लड़के के लिये दो हिस्सा और लड़की के लिये एक हिस्सा काफ़ी है।

मसला–क़ुर्बानी में अक़ीक़ा की शिरकत हो सकती है अक़ीक़ा के जानवर के लिये भी वही शर्ते हैं जो क़ुर्बानी के जानवर के लिये हैं।

मसला– अक़ीक़ा का गोश्त फ़क़ीरों और अज़ीज़ों और दोस्तों को कच्चा तक़सीम कर दिया जाये या पका कर दिया जाये या बतौर ज़्याफ़त व दावत खिला दिया जाये सब सूरतें जाएज़ हैं।

मसला– नेक फाली कि लिये हड्डियां न तोड़ें तो बेहतर है और तोड़ना भी ना जाएज़ नहीं। गोश्त को जिस तरह चाहें पका सकते हैं मगर मीठा पकाना बच्चे के एख़लाक़ अच्छे होने की फ़ाल है।

मसला – अकीक़ा का गोश्त मां, बाप, दादा, दादी वग़ैरह सब खा सकते हैं.

मसला– अक़ीक़ा की खाल का वही हुक्म है जो क़ुर्बानी की खाल का है कि अपने काम में लाये या ग़रीबों को दे दे या किसी और नेक काम मस्जिद मदरसा में सर्फ करे।

मसला– अक़ीक़ा के जानवर को ज़िबाह करते वक़्त यह दुआ पढ़ी जाती है। अल्लाहुम्मा हाज़ेही अक़ीक़तो इब्नी फलां (इब्नी फ़लां की जगह अपने लड़के का नाम ले अगर खुद ज़िबह करे और अगर दूसरा करे तो लड़के और लड़के के बाप का नाम ले)

" दमाहा बेदमेही व लहमोहा बेलहमेही व अज़मोहा बेअज़मेही व जिल्दोहा बेजिल्देही व शअरोहा बेशअरेही अल्लाहुम्मजअलहा फेदाअंल लेइब्नी मेनन्नारे बिसिमल्लाहे अल्लाहो अकबर" अगर लड़की हो तो यही दुआ यूं पढ़े - अल्लाहुम्मा हाज़ेही अक़ीक़तो बिन्ती फ़ोला नतन (फ़लां की जगह नाम ले) दमोहा बेदमेहा व लहमोहा बेलहमेहा व अज़मोहा बेअज़मेहा व जिल्दोहा बेजिल्देहा व शअरोहा बेशअरेहा अल्लाहुम्मजअलहा फेदाअल लेबिन्ती" (अगर

अपनी हो और दूसरे की हो तो बिन्ते फलां कहे) मेनन्नारे (यह दुआ याद न हो तो बेग़ैर दुआ पढ़े भी फ़क़त बिस्मिल्लाहे अल्लाहो अकबर) कह कर ज़िबह कर दे अक़ीक़ा हो जायेगा, फ़क़त वल्लाहो तआला आलमो व इल्मोहू अहकमो व अतम्मो व सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम।

क़ानूने शरीयत

यानी

"दीनी ज़रूरतों को पूरा करने वाली किताब"

हर सहीहुल अक़्ल सलीमुल हवास जब आलम के नज़्म व तरतीब पर नजर करता है तो हर-हर मख़लूक़के वजूद में वह सनअतें व हिकमतें ज़ाहिर होती हैं कि दुनिया व माफ़ीहा की बनाने वाली हस्ती और उस हस्ती की यकताई कमाले इल्म व क़ुदरत का एक़रार व एतेराफ़ करना ही पड़ता है। और बे अख़्तेयार मानना पड़ता है कि बेशक ख़ालिके आलम ही है जो नेज़ामे काएनात को चला रहा है और सिर्फ़ वही वाहिद, पाक, बे मिस्ल ज़ाते ख़ुदावन्दी व परस्तिश के लाएक़ है और अब उसकी फ़ितरत इस अम्र का तक़ाज़ा करती है कि वह जहान के मोजिद व मुरब्बी के मन्शा व मर्ज़ी को जाने ताकि दुनिया व ओक़बा के ख़सारे बवार से महफ़ुज़ रहे। इन्सान का यह फ़ितरी तक़ाज़ा दर हक़ीक़त सिर्फ़ अम्बिया ही की तालीम से पूरा हो सकता है, अम्बिया अलैहिम अत्तहियत वस्सना की तालीमात का ख़ुलासा जानना चाहते हो तो।

"क़ानूने शरीयत" मुताला करो यह किताब तुम्हारी इस ज़रूरत को पूरा कर देगी इस किताब के दो हिस्से हैं पहला हिस्सा अक़ाएद व एबादात की बहस में है और दूसरा हिस्सा मोआमलात व अख़लाक़ियात के बयान में है।

इल्मे दीन सीखना हर मुसलमान मर्द, औरत पर फ़र्ज़ है।

क़ानूने शरीअ़त

(भाग—२)

जिसमें हज, निकाह, तलाक, ख़रीद फरोख्त, अखलाकियात के मसायल बयान किये गये हैं।

लेखक

हज़रत मौलाना शमसुद्दीन अहमद जाफ़री रिज़वी, जौनपुरी

हिन्दी अनुवाद

जनाब मोहम्मद अनीस चौधरी, जौनपुरी

प्रकाशक

मोहीउद्दीन अहमद "हेशाम" जाफ़री



वर्ष प्रकाश:-

मूल्य:-

फेहरिस्त-मज़ामीन

हज का बयान

इस्लाम में इमान लाने के बाद जो चार इबादतें फर्ज हैं उनमें से पहली इबादत तो नमाज़ है दूसरी रोज़ा तीसरी जकात और चौथी इबादत हज़ है । हज इस तरह होता है कि एहराम बाँधकर शहर मक्का शरीफ में जाकर मस्जिदे हराम में काबा शरीफ के गिर्द फेरा लगाया जाता है और उसी के करीब एक जगह है वहाँ दौड़ लगायी जाती है और एक और जगह में ठहरा जाता है और कुर्बानी की जाती है और बाल बनवाया जाता है और कुछ और बातें भी की जाती है जिनको हम आगे तफ़सील के वक्त बयान करेंगें ये है हज. हज फर्ज है जो इसको फर्ज न माने वह काफ़िर है सारी उम्र में एक बार फर्ज है । हज न करने में बहुत सख्त गुनाह है यहाँ तक कि बेइमान होकर मरने का डर है और हज करने के अलावा फर्ज अदा होने के बहुत-बहुत सवाब और बहुत बरकतें हैं रसूलुल्ला सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम ने फरमाया हज करने से पहले जितने गुनाह हो चुके हैं हज सबको मिटा देता है और फरमाया हज कमजोरों और औरतों के लिए जेहाद है और फरमाया हाज़ी की मगफरत हो जाती है और हाजी जिसकी मग़फरत की दुआ करे उसकी भी और फरमाया कि हर कदम पर सात करोड़ नेकियाँ उसके नामे आमाल में लिखी जाती हैं और फरमाया जो हज कबूल हुआ उसका सवाब जन्नत ही है और फरमाया जो हज के लिए चला और रास्ते में मर गया तो वो बेहिसाब जन्नत में जायेगा और कयामत तक उसके लिए हज करने का सवाब लिखा जायेगा । और बहुत फजीलतें हैं हमने एख्तेसार की वजह से सिर्फ चन्द हदीसों का मजमून लिखा । जब हज करने के लायक हो जाये तो हज फौरन फर्ज हो जाता है यानी उसी साल में अब देर करने में गुनाह है और कई बरस तक न किया तो गुनहगार है और उसकी गवाही मकबूल नही लेकिन जब भी करेगा अदा ही होगा कज़ा नहीं होगा । (दुर्रे मुक्तार)

हज का वक्त

शव्वाल से दसवीं जिलहिज्जा तक है इससे पहे हज के अफआल नहीं हो सकते सिवा एहराम के कि एहराम इससे पहले भी हो सकता है लेकिन मकरूह है ।

हज के लिए आठ शर्ते हैं जब ये सब पायी जायें तब हज फ़र्ज होगा वह आठो शर्ते ये हैं :-

१. मुसलमान होना, २. अगर दारूल हरब में हो तो फर्ज़ीयत का इल्म होना, ३. बालिग होना, ४. आकिल होना (लेहाज़ा पागल पर फर्ज नहीं), ५. आज़ाद होना, ६. तन्दुरूस्त होना कि हज को जा सके । (लेहाजा आपाहिज,

अन्धा और जिसके पाँव कटे हों और इतना बूढ़ा हो कि सवारी पर खुद न बैठ सकता हो उस पर फर्ज नहीं)

मसूअला : पहले तन्दुरुस्त था और दूसरी शर्तें भी पायी जाती थी लेकिन हज न किया फिर अपाहिज वगैरह हो गया कि हज नहीं कर सकता तो उस पर वो हज फर्ज बाकी है अब खुद नहीं कर सकता तो हज्जे बदल कराये । ७. सफ़रे खर्च का मालिक होना और सवारी पर कादिर होना, सफरे खर्च और सवारी पर कादिर होने का यह मतलब है कि हाजते असलीया छोड़कर इतना माल हो कि सवारी पर मक्का मोअज़्ज़मा जा सके और वहाँ से सवारी पर वापस आ सके और जाने से लेकर वापस आने तक अपने खर्च और अयाल के खर्च और मकान की मरम्मत के लिए काफ़ी हो मुतावस्सित दर्जा पर । अयाल से मुराद वह लोग है जिन्का नफ्का उस पर शरअन वाजिब है ! हाजते असलिया से मुराद रहने का मकान पहनने के कपड़े खिदमत के गुलाम सवारी के जानवर पेशा के औज़ार खानादारी के सामान । दैन जो किसी का किसी पर कुछ देना आता हो उसे दैन कहते हैं जैसे उधार का रुपया महर का रुपया बाकी दाम जिसका देना अदा करना अपने जिम्में हैं ये दैन कहलाता है ।

मसूअला :– जिसकी गुजर तेजारत पर है और इतनी हैसियत हो गयी कि इसमें से अपने जाने आने का खर्च और वापसी तक घर वालों की खोराक निकाल ले तो इतना बचा रहेगा कि जिससे गुजर के लायक तेजारत कर सकेगा तो इस पर हज फर्ज है और अगर काश्तकार है तो इन सब अखराजात के बाद इतना बचे कि खेती के सामान हल बैल वगैरह के लिये काफी हो तो हज फर्ज है और इसी तरह दूसरे पेशा वालों के लिए इनके पेशे के लायक बचना ज़रूरी है । ८. वक्त यानी उतने दिन पहले ये सब शर्तें पायी जायें कि आदतन उतने दिनों में हज कि तारीखों में मक्का मोअज़्ज़मा पहुँच जायेगा तब फर्ज हुआ ।

मसूअला :– औरत को मक्का तक जाने में तीन दिन या ज्यादा का रास्ता हो तो इसके साथ शौहर या महरम* का होना शर्त है चाहे औरत जवान हो या बूढ़ी और शौहर या महरम जिसके साथ सफ़र कर सकती है इसका आकिल बालिग ग़ैर फ़ासिक़ होना शर्त है ।

मसूअला :– औरत बगैर महरम या शौहर के गयी तो गुनाहगार हुई मगर हज करेगी तो हज हो जायेगा यानी फर्ज अदा हो जायेगा ।

★ महरम से मुराद वह मर्द है जिससे हमेशा के लिए उस औरत का निकाह हराम है खाह नसब की वजह से हराम हो । (जैसे बाप, बेटा, चचा, भाई, वगैरह) या दूध की वजह से हराम हो (जैसे रेजाई भाई, रेजाई बेटा वगैरह) या ससुराली रिश्ता से हुरमत आई हो (जैसे खुर्स, शौहर का बेटा वगैरह)

हज का तरीक़ा

जब मीक़ात* करीब आये तो वजू व गुस्ल करे खुशबू लगाये और एहराम बाँधे और दो रेकत नमाज़ व नियते एहराम पढ़े और उस नमाज़ के बाद य कहे अल्लाहुम्मा इन्नी ओरीदुलहज्जा फयस्सिर होली व तक़ब्बल हो मिन्नी नवैतुलहज्जा व अहरमतो बेही मुख़लेसन लिल्लाहे ताआला । और इस नियत के बाद जोर से लब्बैक कहे, लब्बैक ये है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लाशरीका लका लब्बैक इन्नल हम्दा वन्नेमता लका वलमुल्का लाशरीका लका । फिर दरूद शरीफ पढ़े फिर यह दुआ माँगे अल्लाहुम्मा इन्नी असअलोका रेज़ाका वलजन्नता व अऊज़ोबेका मिन ग़ज़बेका वन्नार, फिर आगे लब्बैक बार बार कहा करे जब कहे तो तीन बार कहे ये एहराम हुआ, अब एहराम की हालत में जो चीज़ मना है उनसे बचे, जब हरमे मक्का के पास पहुँचे तो शर्म से आँखें बहुत अदब से सर झुकाए निगाह नीची किये खोज़ू व खोशू से आगे और हो सके तो पैदल नंगे पाँव चले और लब्बैक और दुआ की कसरत रक्खें जब मक्का मोअज़्ज़मा नज़र पड़े ठहर कर ये दोआ पढ़े अल्ला हुम्मा इज अलली बेहा करारन वर ज़ुक्नी फीहा रिज़कन हलालन और दरूद शरीफ की कसरत करें और बेहतर ये है कि नहाकर दाखिल हो और जन्नतुल मोअल्ला में जो हज़रात दफ़न हैं उनके लिए फातेहा पढ़ लें उसके बाद जब मक्काशरीफ़ में दाखिल होने लगें तो ये दोआ पढ़े ।

अल्लाहुम्मा अन्ता रब्बी व अना अब्दोका जेअतो लेओअद्दीया फरायेज़का व अतलोबो रहमताका व अलतमेसो रेज़ाका असअलोका मसअलतल मुज़तर्रीना एलैका ख़ाएफीना ओक़ूबताका असअलोका अन तक़ब्बलनीयल यौमा बे अफ़वेका व तुदखेलनी फी रहमतेका व तजावज़ा अन्नी बेमग़फेरतेका व ताईननी अला अदाये फराएज़का अल्लाहुम्मा नज्जेनी मिन अज़ाबेका वफ्तहली अबवाबा रहमतेका व अदखिलनी फीहा व अइज़नी मिनश शैतानिर्रजीम और आगे चले जब मदआ में पहुँचें तो यहीं ठहर कर सच्चे दिल से अपने लिए और तमाम अज़ीज़ों और दोस्तों और सब मुसलमानों के लिए मग़फेरत और बिलाहिसाब जन्नत मिलने की दुआ करें येह दोआ कोबूल होने का वक्त है और दरूद शरीफ की कसरत इस मौक़ा पर नेहायत अहम है इस मकाम पर तीन बार अल्ला हो अकबर और तीन बार लाइ लाहा इल्लल्लाहो कहे और ये पढ़े रब्बना आतेना फिद्दुनिया हसनतन व फिल आख़ेरते हसनतन वक़ेना अज़ाबन्नार

★ मीक़ात उस जगह को कहते हैं कि मक्का जाने वालों को बग़ैर एहराम वहाँ से आगे जाना जायेज़ नहीं वो पाँच जगहें हैं मुख़्तलिफ़ मुल्कवालों के लिए अलग-अलग मीक़ात है हिन्दुस्तानियों की मीक़ात समुद्र के रास्ता से यलमलम पहाड़ के बगल में है ये जगह कमरान से निकलकर समुद्र में आती है जब वहाँ दो तीन मंज़िल रह जाता है जहाज़ वाले आगाह देते हैं ।

एहराम-बाँधना एक तहबन्द और एक चादर तहबन्द तो जैसे बाँधा जाता है वैसे ही बाँधे लेकिन चादर इस तरह ओढ़े की दोनों मोंढे और पीठ और सीना सब छुपा रहे । मर्द को एहराम की हालत में कोई सिला हुआ कपड़ा पहनना जायेज़ नहीं ।

अल्लाहुम्मा इन्नी असअलोका मिन खैरे मासालाका मिन हो नबियोका मोहम्मदुन सल्लल्लाहो तअला अलैहे वसल्लम व अऊजोबेका मिन शर्रे माइस्तआज़का मिन हो नबियो का मोहम्मदुन सल्लल्लाहोतअला अलैहेवसल्लम और ये दोआ भी पढ़े अल्लाहुम्मा ईमानन बेका व तसदीकन बे किताबेका ववफाअनबे अहदेका व इत्तेबाअन लेसुन्नते नबीयेका सय्यदेना व मौलाना मोहम्मदिन सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लिम अल्लाहुम्माजिद बैतका हाज़ा ताज़ीमन व तशरीफन व महाबतन व ज़िद मिन ताज़ीमेही व तशरीफेही मन हज्जहू व अतमरहू ताज़ीमन व तशरीफन व महाबतन और ये दोआ आगे कमअज़कम तीन बार इस जगह पढ़े अल्ला हुम्मां हाज़ा बैतोका व अना अब्दोका अस अलोकल अफ्वावल आफ़ीयता फ़िद्दीन वददुनियां वल आख़िरा लीव-लेवालेवालेदय्या व लिलमोमेनीना वल मुमेनात व ले औबयदेका समशुद्दीन । अल्लाहुम्मा उनसुरहोनसरन अज़ीज़न । आमीन । फिर आगे बढ़े जब मक्का मोअज़्ज़मा में पहुँच जायें तो सबसे पहले मस्जिदुल हराम में जायें ज़िक्र खुदा व रसूल करता अपने और सब मुसलमानों के लिए दोनों जहान की कामयाबी की दोआ करता लब्बैक कहता हुआ बाबुस्सलाम तक पहुंचे और उस चौखट को चूम कर पहले दाहिना पाँव अन्दर रखें और ये पढ़े अऊज़ोबिल्लाहिल अज़ीम व बेवजहिल करीम वसुल्तानेहिल कदीम मिनशशैतानिर्रजीम बिसमिल्लाहे अल्हमदो लिल्लाहे वस्सालामो अला रसूलिल्लाहे अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदेना मोहम्मदिन व आला आला सय्यदेना मोहम्मदिन व अज़वाजे सय्यदेना मोहम्मदिन अल्ला हुम्मग फिरली ज़नूबी वफ़ता ली अबवाबा रहमतेका । ये दोआ खूब याद रखो जब कभी मस्जिदुल हराम शरीफ या किसी मस्जिद में जाओ तो इसी तरह दाखिल हो और ये दोआ पढ़ लिया करो और इस वक्त खासकर इस दोआ के साथ इतना और मिलाओ अल्ला हुम्मां अन्तस्सलामो वमिनकस सलामो व एलैका यरजे उस

तवाफे कुदूम के सिवा एहराम के वक्त से रमी जमरा तक अक्सर अवकात लब्बैक की बेशुमार कसरत रखें वजू बे वजू हर हाल में खासकर चढ़ाई पर चढ़ते उतरते दो काफ़िलों के मिलते सुबह शाम पिछली रात पाँचों नमाजों के बाद गर्ज ये कि हर हालत के बदलने पर मर्द आवाज से कहे मगर न इतना जोर से कि अपने आपको या दूसरे को तकलीफ हो और औरत धीमी आवाज से कहे लेकिन इतनी धीमी नही कि खुद भी न सुने ।

मक्का के गिरदा गिर्द कई कोस तक हरम का जंगल है हर तरफ उसकी हदें बनी हुई हैं उन हदों के अन्दर घास उखड़ना खुदरौ पेड़ काटना वहाँ के वहशी जानवरों को तकलीफ देना हराम है यहाँ तक की अगर सख्त धूप हो और एक ही पेड़ है उसके साये में हिरन बैठा है तो जाएज़ नही कि अपने बैठने के लिए उसे उठाये, अगर वहशी जानवर हरम के बाहर का हाथ में था उसे लिए हुए हरम में दाखिल हुआ अब वह जानवर हरम का हो गया फर्ज़ है कि फौरन छोड़ दें, मक्का मोअज़्ज़मा में जंगली कबूतर बहुत हैं हर घर में रहते हैं खबरदार खबरदार हरगिज़ हरगिज़ न उन्हें उड़ाओ न डराओ न कोई तकलीफ़ पहुँचाओ, बाज इधर उधर के लोग जो मक्का में बसे हैं कबूतरों का अदब नहीं करते उनकी बराबरी न करें मगर बुरा उन्हें भी न कहें जब वहाँ के जानवरो का अदब है तो मुसलमान आदमी का क्या कहना ये बातें जो हरम के बारे में बयान की गयी एहराम के साथ खास नहीं एहराम हो या न हो हर हाल में ये बातें हराम हैं ।

...न हदवेनारब्बना बिससलामे व अदखिलना दारससलामे तबारक्ताख़्बना व तआ... या ज़लजलाल वल इकराम अल्ला हुम्मां इन्ना हाज़ा हरमोका व मौज़ेओ ...का फ़हररिम लहमी व बशरी बदमी व मुख़्ख़ी व ऐ ज़ामी अलननारे। जब काबा शरीफ पर नजर पड़े तीन बार लाएलाहा इल्लं ल्लाहो वल्लाहो अकबर ... और दरुदशरीफ और ये दोआ पढ़े रब्बना आतेना फिद दुनियाँ हसानतन व ... आख़ेरते हसनतन वकेना अज़ाबन नार। और दरूद शरीफ भी पढ़े अब ... ताला का पाक नाम लेकर तवाफ़ करे तवाफ़ मताफ़ में हजरे असवद के ... से शुरू होगा इस तरह कि हजरे असवद के करीब पहुंच कर ये दोआ ... लाइलाहा इल्लल्लाहो वहदहू सदक़ा वादा हू वनसरा अबदहू व हज़मल अहज़ाबा ... लाशरीका लहू लहुल मुल्को वलहुल हमदो वहो व अलाकुल्ले शैइन ... । और तवाफ़ शुरू करने से पहले मर्द इस्तेबाअ कर ले अब काबा की ... मुंह करके हजरे असवद की दाहिनी तरफ रुकने यमानी की जानिब हजरे ... के करीब यूं खड़ा हो कि पूरा हजर अपने दाहिने हाथ को रहे फिर ... की नियत करे, अल्ला हुम्मां इन्नी ओरीदो तवाफ़ा बैतेकल मोहर्रम फयसिर ... न तक़ब्बल हो मिन्नी, इस नियत के बाद काबा को मुँह किये अपनी ... तरफ चलें जब हजरे असवद के सामने हो जायें तो कानों तक इस ... हाथ उठायें कि हथेलीयाँ हजरे असवद की तरफ रहें और कहे बिसमिल्लाहे ... वल्लाहो अकबर वलहमदो लिल्लाहे वससलातो वस्सलामो अला ... और अब हो सके तो हजरे असवद पर दोनों हथेलियाँ और उनके ... मुँह रखकर यूं चूमें कि आवाज़ न पैदा हो तीन बार ऐसा करो ये ... तो बड़ी खुशकिसमती है कि हमारा मुंह वहाँ पहुँचा जहाँ दोआलम के ... अल्लाह के हबीब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम ने अपना ... मुँह रखा और बोसा दिया।

भीड़ की वजह से बोसा न दे सके तो उसके लिए धक्कम धक्का न करें ... हाथ से छूकर हाथ को चूम ले ये भी न हो सके तो हाथों को उसकी तरफ करके हाथों को चूँम लें। इन तरीकों से चूमने का नाम इस्तेलाम है. इस्तेलाम के वक्त ये दोआ पढ़े अल्लाहुम्माग़ फ़िरली ज़ूनूबी व तहहिर ली क़ल्बी व शरहली सदरी वयससिर ली अमरी वअफ़िनी फ़ीमन आफ़ैता, फिर अल्लाहुम्मा ईमानन बेका व तसदीक़न बेकिताबेका व वफ़ाअन बेअहदेका वइत्तेबाअन ले सुन्नते नबीयेका मोहम्मदिन सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम व अशहदो अल्लाइलाहा इल्लल्लाहो वहदहू लाशरीका लहू व अशहदो अन्ना मोहम्मदन अबदोहू वरसूलोहू आमनतो बिल्लाहे वकफ़रतो बलजिबते वत्तागूते। कहते हुए काबा के दरवाजा की तरफ बढ़े जब हजरे असवद के सामने से बढ़ जाये तो सीधा हो जाये और ऐसे चले कि काबा बायें हाथ की तरफ पड़े चलने में किसी को तकलीफ़ न दें और काबा से जितना नजदीक रहे बेहतर है मगर इतना नहीं कि बदन या कपड़ा दीवार के पुश्ते से लगे जब मुल्तजम के सामने आये ये दोआ पढ़े अल्लाहुम्माहाज़ल बैतो बैतोका वल हरमो हरमोंका वल अमनों अमनोका वहाज़ा मक़ामुल आइज़ बेका मिनन्नारे फअजिरनी मेनन्नारे अल्लाहुम्मा कननेई बेमा रज़क़तनी

वबारिक लीफ़ीहे वख़लुफ़ अलाकुल्ले ग़ाएबतिन बेख़ैरे लाएलाहा इलल्लाहो वह [illegible] लाशरीका लहू लहुल मुल्को व लहुलहम दो व होवा अल्लाकुल्ले शैइन क़दीर और जब रुकने एराक़ी के सामने पहुँचे तो ये दोआ पढ़े अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ोबेका मिनश शके दश शिरके वशशेकाके वननेफ़ाके वसूइल अख़लाक़े वसूइल मुनक़लबे फ़िलमाले वलअहले वल वलदे और जब मीज़ानेरहमत के सामने आये ये दोआ पढ़े अल्लाहुम्मा अज़िल्लनी तहता ज़िल्ले अरशेका यौमा लाज़िल्ला इल्ला ज़िल्लोका वलाबक़िया इल्ला वजहो का वसक़ेनी मिन हौज़े नबीयेका मोहम्मदिन सल्लल्लाहो ताला अलैह वसल्लम और जब रुक्ने शामी के सामने पहुँचे ये दोआ पढ़े अल्लाहुम्मज अलहो हज्जन मबरूरन वसअयन मशकूरन वज़म्बन मग़फ़ूरन वतेजारतन लन तबूरा या अज़ीज़ो या ग़फ़ूरो [illegible] मेनज़ ज़ोलोमात एलन नूर और जब रुक्ने यमानी के पास आयें तो इसे दोनों हाथों या दाहिने हाथ से छुएं और चाहे चूम भी लें और ये दोआ पढ़े अल्लाहुम्मा इन्नी असअलोका अलअफ़्वावल आफ़ीयता फ़िद्दीने वददुनिया वल आख़ेरते । रुक्ने यमानी से आगे बढ़ते ही मुस्तजाब है यहाँ भी यही ऊपर वाली दोआ पढ़ें या, रब्बना आतेना फ़िद्दुनियां हसनतव व फ़िल आख़ेरते हसन तन वक़ेना अज़ाबननार पढ़े या सिर्फ़ दरूदशरीफ़ पढ़ ले दोआ, दरूद चिल्लाकर न पढ़ें । अब चारों तरफ़ घूमता हुआ हजरे असवद पर लौट आया तो ये एक फेरा हुआ इस वक्त भी हजरे असवद का इस्तेलाम करें ।

अब यूँ ही छ फेरे और करें यानी कुल सात फेरे करें पहले तीन फेरों में रमल भी करें अब जब ये सात फेरे पूरे हो चुके तो एक तवाफ़ हुआ इसे तवाफ़ कोदूम कहते हैं । तवाफ़ के बाद मक़ाम इब्राहीम पर आये और यहाँ ये आयत पढ़कर वत्तख़ेज़ू मिन मक़ामे इब्राहिमा मोसल्ला, दो रकत नमाज़े तवाफ़ पढ़ें ये नमाज वाजिब है इसकी पहली रकत में सूरेह कुल या अईयोहल काफ़ेरून दूसरी में कुलहो अल्लाहो पढ़े ये नमाज़ पढ़कर दोआ माँगे हदीस में ये दोआ आयी है । अल्लाहुम्मा इन्नका तालमोसिररी व अला नीयती फ़क़्बल मांज़ेरती वतालमो हाजती फ़ातेनी सूली वतालमो माफ़ी नफ़सी फ़ग़फ़िरली जुनूबी अल्लाहुम्मा इननी असअलोका ईमानन यूबाशेरो क़ल्बी वयक़ीनन सादेक़न आलमों अननहूलायूसीबोनी इल्ला माकतब्ता ली वरेदन मेनलमईशती बैमा क़सम्ता ली या अर हमर राहेमीन, अब इस नमाज़ व दोआ के बाद मुल्तज़म के पास जायें और हजरे असवद के क़रीब मुल्तज़म से लिपटे सीना दाहिना बायां रूख़सारह उस पर रखें और दोनों हाथ सर से ऊँचे करके दीवार पर फैलायें या दाहिना हाथ कअबा के दरवाजा की तरफ़ और बायां हजरे असवद की तरफ़ फैलाएं और ये दोआ पढ़ें या वाजेदो या माजेदो लातोज़िल अन्नी नेय मतन अनअमतहा अलइया..............

मुलतज़म से लिपटने के बाद चाहे ज़मज़म पर आयें हो सके ख़ुद एक डोल खींचे नहीं तो भरने वालों से लें और काबा को मुंह करके तीन साँस में पेट भरकर जितना पीया जाये खड़े खड़े पीयें हर बार बिसमिल्ला से शुरु करें और अलहम्दो लिल्लाह पर ख़तम करें और हर बार काबा शरीफ़ की तरफ़ निगाह उठाकर देख लें बाक़ी पानी बदन पर डाल लें या हाथ, मुँह, सर, बदन पर

मल लें और पीते वक्त दोआ करें कि क़ुबुल है हुज़ूर ने फरमाया ज़मज़म जिस मुराद से पिया जाये उसी के लिए है उस वक्त की दोआ यह है।

अल्लाहुम्मां इन्नी असअलोका इल्मन नाफ़ेअन व रिज़क़न वासेअन व अमलन मुतक़ब्बलन व शिफ़ाअन मिनकुल्ले दाइन या, वही दोवाए जामे पढ़े चाह ज़मज़म के अन्दर नज़र भी करो कि बहुक्मे हदीस दाफेय नेफ़ाक़ है अब अगर कोई उज्र तकान वगैरह का न हो तो अभी सफ़ा व मरवह में सई के लिए फिर हजरे असवद के पास आयें और इसी तरह तकबीर वगैरह कहकर चूमें और न हो सके तो इसकी तरफ मुंह करके अल्लाहो अकबर वलाएलाहा इल्ललाहो वलहम्दोलिल्लाहे और दरूद पढ़ते हुए फौरन बाब सफ़ा से सफा की तरफ चले (मस्जिद के दरवाजे से बाया पांव पहले निकालें और जूते में पहले दाहिना डाले और ये तरीका हर मस्जिद से आते हुए हमेशा करें और वही दोआ पढ़ेंजो मस्जिद से निकलते वक्त पढ़ने के लिए पहले लिखी गयी) जिक्र व दरूद पढ़ते हुए सफ़ा की पहली सीढ़ी पर चढ़ें आगे न बढ़ें की नाजाएज़ है और सीढ़ी पर चढ़ने से पहले ये पढ़ें अबदओबेमा बदअललाहो बेही इन्नस्सफ़ा वल मरवता मिन शआ इरिल्लाहे फ़मन हज्जल बैता औ एतमरा फ़लाजोनाहा अलैहे अई यत्तावफ़ा बेहमा व मन ततव्वाअ खैरन फ़इन्नल्लाहा शाकेरून अलीम फिर कअबा मोअज़मा की तरफ मुंह करके दोनों मोढ़ें तक दोआ की तरह फैले हुए हाथ उठाओ और इतनी देर ठहरो जितनी देर में २५ आयतें बक़र की पढ़ी जाती हैं और तस्बीह व तहलील व तकबीर व दरूद पढ़ो और अपने लिए और अपने दोस्तों अज़ीजों और सब मुसलमानों के लिए दोआ करो कि यहाँ दोआ कबूल होती है यहाँ भी दोवाए जामा पढ़ो जब दोआ कर चुके तो सई की नियत करें इसकी नियत यूँ है अल्लाहुम्मां इन्नी ओरीदु ससईआ बैनस्सफ़ा वल मरवा फ़यस्सिरहोली व तक़ब्बल हो मिन्नी............... फिर सफा से उतर कर मरवा को चले जिक्र व दरूद पढ़ता रहे जब पहला मील आये यहाँ से दौड़ना शुरू करें और दूसरे मील से थोड़ा आगे तक दौड़ा चला जाये फिर आहिस्ता चलें और ये पढ़ता हुआ मरवा तक पहुंचें यहां पहली सीढ़ी पर चढ़ने बल्कि इसके करीब ज़मीन पर खड़े होने से मरवा पर चढ़ना हो गया इसलिए दीवार से मिल न जाये कि यह जाहिलों का तरीका है यहाँ भी इमारतों के बन जाने से काबा दिखाई नहीं देता मगर काबा की तरफ मुंह करके जैसे सफ़ा पर किया था तसबीह, तकबीर हम्द व सना, दरूद और दोआ यहाँ भी करें ये एक फेरा हुआ फिर यहाँ से सफ़ा की तरफ चले जिक्र व दरूद व दो¯आयें पढ़ते हुए जब मरवा के मील के पास पहुँचे तो दौड़ना शुरू करें यहाँ तक कि सफा के मील से निकल जायें फिर आहिस्ता हो जायें और सफ़ा पर चढ़े ये दूसरा फेरा हुआ इसी तरह फिर सफा से मरवा यह तीसरा फेरा हुआ फिर मरवा से सफा यह चौथा फेरा इसी तरह पांचवा, छटा, सातवां फेरा करें सातवा फेरा मर्वा पर खतम होगा इसी तरह सात फेरा दौड़ने का नाम सई है ।

सफ़ा से शुरू होगी और मर्वा पर खत्म होगी दो मिलों के दरमेयान कुल सात दौड होगी अब सई के बाद मक्का में आठवीं तारीख तक ठहरें और लब्बैक

कहा करें और खाली तवाफ़ वगैर इस्तेबाअ वरमल वसई के किया करें और हर सात फेरे पूरे होने पर मकामें इब्राहिम में दो रिकत नफल पढ़ा करें सातवीं तारीख मस्जिद हराम में बाद ज़ोहार जो खुतबा इमाम पढ़ेगा इसको सुने फिर जब आठवीं तारीख की सुबह हो तो सूरज निकलने के बाद मक्का से मेना की तरफ चलें रास्ता भर लब्बैक व दोआ व दरूद व सना पढ़ता रहे जब मेना दिखाई पड़े ये पढ़ेंअल्लाहुम्मा हाज़ी मेनन फमनुन अलैइया बेमामननता बेही अला अवलियाइका, मेना पहुँच कर यहीं रात को ठहरे आज जोहर से नवीं की सुबह तक पांचो नमाज़े यहीं मस्जिद खैफ में पढ़े शबे अरफा यानी नवीं रात मेना में ज़िक्र व इबादत में गुजारें जब नवीं की सुबह हो तो फजर पढ़कर जिक्र व दरूद में लगा रहे कि सूरज शबीर की पहाड़ी के सामने चमके तो अरफ़ात की तरफ चलें रास्ता भर लब्बैक दरूद व दोआ पढ़ता रहे जब जबले रहमत दिखाई दे जिक्र व दोआ ज़्यादा करे कि कुबूल का वक्त है अरफात मे जबले रहमत के पास या जहाँ जगह मिले रास्ते से हटकर ठहरे जब दोपहर करीब हो नहाएं कि सुन्नते मोअक्कदह है और न हो सके तो सिर्फ वजू करें दोपहर ढलते ही मस्जिद नमरह पहुँचे सुन्नत पढ़कर खुतबा सुने और इमाम के साथ जोहर पढ़े इसके बाद हीफौरन असर की तकबीर होगी साथ ही जमात से असर पढ़े आज यहाँ जोहर और असर के बीच में सलाम व कलाम कैसा सुन्नतें भी न पढ़े और असर के बाद भी नफिल नहीं अब असर पढ़ते ही मौकिफ़ में जायें और सूरज डूबने तक जिक्र बदरूद वदोआ में लगा रहे जब सूरज डूब जाये फौरन मुजदलफा जायें इमाम के साथ अगर इमाम देर करे तो उसका इन्तेजार न करें रास्ता भर लब्बैक दोआ, दरूद में लगे रहो रास्ता में अगर हो सके तेज चलें चाहे पैदल हो या सवारी पर जब मुजदलफ़ा दिखाई पड़े तो पैदल हो जाना बेहतर है और नहाकर दाखिल होना अच्छा है दाखिल होते वक्त ये दोआ पढ़े अल्लाहुम्मा हाज़ा जमऊन नस अलोकल अफवा वअफियता फिददुनिया वल आखेरा यहाँ पहुंच कर जबलेकज़ह के पास रास्ता से बचकर उतरे ये न हो सके तो जहाँ जगह मिले, अब यहाँ मगरिब व इशा साथ पढ़े चाहे मग़रिब का वक्त बाकी ही क्यों न हो यहाँ इशा के वक्त में मगरिब व इशा दोनों अदा की नियत से पढ़ी जायेगी मग़रिब की फर्ज पढ़े इसके बाद फौरन इशा की फर्ज फिर मगरिब व इशा की सुन्नते फिर वित्र इन नामाजों के बाद बाकी रात लब्बैक ज़िक्र व दोआ व दरूद में गुजारना बेहतर है सुबह बहुत अंधेरे फजर पढ़ी जाये और बाद फजर मशअरूल हराम में यानी खास पहाड़ी पर और न हो सके तो उसके दामन में और ये भी न हो सके तो वादिये मोहरसर के सिवा जहाँ जगह मिले वकूफ करो यानी ठहर कर जैसे अराफ़ात में किया या लब्बैक दोआ दरूद में लगे रहो इस वकूफ का वक्त तूलूए फजर से उजाला होने तक है।

उस वक्त में यहां न आया तो वकूफ न पाया अब जवतुलू आफ़ताब में दो रिकत पढ़ने का वक्त बाकी रह जाये इमाम के साथ मेना को जायें और वहीं से सात छोटी छोटी कनकड़ीयां खजूर की गुठली बराबर की पाक जगह से उठाकर तीन बार धोकर साथ रख लें रास्ता भर लब्बैक व दरूद व दोआ में लगा रहे जब वादिए मोहस्सर पहुंचे बहुत जल्द तेजी के साथ उछलकर निकल जाये और ये दोआ पढ़ता जाये अल्लाहुम्मा लातक़ तुलना बेगज़बेका वलातोह लिकना बे अज़ाबेका व आफ़ेना कब्ला ज़ालेका जब मेना दिखाई दे ये पढ़े अल्लाहुम्मां हाज़ि मेनन फ़मनुन अलैया बेमा मननता बेही अला औलियाएका और मेना पहुंचकर सब कामों से पहले जमरतुल अकबा जाये जमरा से कम से कम पांच हाथ दूर यूं खड़ा हो कि मक्का मोअजजमां से पहले नाले के बीच में सवारी पर रहें मेना दाहिने हाथ पर और कावा बायें हाथ को हो और मुंह जमरा की तरफ रहे एक कनकड़ी चुटकी में ले और अच्छी तरह खूब हाथ उठाकर कि बगल की रंगत ज़ाहिर हो ये पढ़कर मारे बिसमिल्ला हे अल्लाहो अकबर रग़मन लिश्शैताने रेज़न लिरहमाने अल्ला हुम्मज अलहो हज्जम मबरूरन वस यन मशकूरा ज़म्बम मगफूरा, बेहतर ये है कि कन कड़ीयां जमरा तक पहुचें नहीं तो तीन हाथ की दूरी तक रहें इससे ज्यादा दूर जो गिरेगी उसकी गिनती न होगी इसी तरह सात कनकड़ी एक एक करके मारे पहले ही कनकड़ी से लब्बैक बन्द कर दे जब सातो मार चुके तो वहां न ठहरे उसी दम ज़िक्र व दोआ करते लौट आये अब रमीं कर चुकने के बाद कुर्बानी करें कुरबानी करके अपने और सब मुसलमानों के हज और कुरबानी कुबूल होने की दोआ मांगे फिर कुरबानी के बाद किबला मुंह बैठकर हल्क करें यानी पूरा सर मुड़ाएं या बाल कतरवाएं लेकिन मुड़ाना बेहतर है मगर औरत को बाल मुड़ाना हराम है ।

वह एक पोरा बराबर कतरवा दे बाल को दफन कर दें और हमेशा बदन से जो चीज बाल, नाखून, खाल अलग हो दफन कर दिया जाये यहाँ बाल बनवाने से पहले न नाखून कटायें न दाढ़ी मोछ बनवायें नहीं तो दम लाज़िम आयेगा हाँ अगर सर मुड़ाने के बाद मोछ कटायें नाफ़ के बाल बनायें तो जायेज बल्कि मुसतहब है लेकिन दाढ़ी फिर भी न कटायें पहले दाहिनी तरफ का बाल मुड़ायें फिर बायें का और मुड़ाते वक्त अल्लाहो अकबर अल्लाहो अकबर लाइलाहाइल्ललाहो वल्लाहो अकबर अल्ला हो अकबर वल्लिलाहिल हम्दो शुरू से आखिर तक बार बार कहते जाओ और बाद में भी कहो और मुड़ाते वक्त ये दोआ भी पढ़े अल्हम दो लिल्लाहे अलामाहादाना व अन अमां अलैना वक़ज़ा अनना नोसोकना अल्लाहुम्मा हाज़ेही नासियती बेयदेका फ़ज्अल ली बेकुल्ले शअरतिन नूरन यौमल क़ेयमते वम हो अननी बेहा सैइएअतन वरफ़अ ली बेहा दरजतन फिल जन्नतिल आलिया अल्लाहुम्मा बारिक ली फीनफ्सी व तक़ब्बल मिन्नी अल्लाहुम्मा इग़फिर ली व लिल मोहल्लेक़ीना वल मोकस्सेरीन या वासेअल मगफ़ेरते, आमीन, और सब मुसलमानों की बखशिश की दोआ करें अब बाल बनवाने के बाद एहराम की वजह से जो बातें हराम थी वो सब हलाल हो गयीं सेवा औरत की सोहबत और इसे बशहवत हाथ लगाने बोसा लेने शर्मगाह देखने के कि यह बातें अब

भी हराम रहेंगी अब बाल बनवाने के बाद बेहतर ये है कि आज दसवीं की मक्का पहुँचे फ़र्ज़ेतवाफ़ के लिए ये तवाफ़ हज का दूसरा रुक्न है ये तवाफ़ भी वैसे ही होगा जैसे पहला हुआ था मगर इसमें इस्तबाअ नहीं । इस के बाद भी दोरेकत बदसतूर पढ़ें इस तवाफ के बाद अपनी औरतें हलाल हो जायेंगी और अस्ल हज पूरा हो गया लेकिन अभी फिर मेना वापिस आये और ग्यारहवीं बारहवीं रातें मेना में गुजारे के सुन्नत है जैसा कि दसवीं रात मेना में रहना सुन्नत है ।

ग्यारहवीं तारीख बाद नमाज़े ज़ोहर इमाम का खुतबा सुनकर फिर रमीं को जायें इन अय्याम में रमी जमरयेऊला से शुरू करें जो मस्जिद खैफ के करीब है इस रमी के लिए मक्का के रास्ते की तरफ से आकर चढ़ाई पर चढ़ें यहाँ किबलारू होकर सात कनकड़ीयाँ मारे जैसे दसवीं को रमी की थी सातवीं कंकड़ी मारकर जमरह से कुछ आगे बढ़ जायें और काबा की तरफ मुंह करके दोआ के लिए यूँ हाथ उठायें कि हथेलियाँ क़िबला को रहें और कम से कम बीस आयतें पढ़ने के बराबर देर तक हम्द, दरूद इसतेग़फ़ार व दोआ करता रहे या ज़्यादा देर तक इतना कि सूरए बकर पढ़ी जा सके फिर जमरे वुस्ता पर जाकर यूं ही रमी और दोआ करें फिर जमरतुल अक़बा पर मगर यहाँ रमीं करके न ठहरे उसी दम पलट आयें पलटने में दोआ करें फिर बारहवीं तारीख बिलकुल इसी तरह ज़वाल के बाद तीनो जमरों की रमी करे ! बारहवीं की रमीं करके सूरज डूबने से पहले मक्का को रवाना हो जायें और चाहें तो रहें । तेरहवीं को वापिस हों लेकिन फिर तेरहवीं को दोपहर ढले रमीं करके जाना होगा यही अफ़ज़ल है आखरी दिन यानी बारहवीं को या तेरहवीं को जब मेना से रूखसत होकर मक्का को चलें तो वादी मुहस्सब में जो जन्नतुल मोअल्ला के करीब है सवारी से उतरकर या बेउतरे कुछ देर दोआ करें और अफ़ज़ल ये है कि इशातक नमाजें यहीं पढ़ें एक नींद लेकर मक्का दाखिल हो अब तेरहवीं के बाद जब तक जी चाहे मक्का में ठहरो लेकिन जब तक ठहरे रहो ऊमरे और मक़ामात मोक़द्दसा की ज़्यारत करते रहो जब इरादा मक्का से रूखसत का हो तो तवाफ़ वेदाअ (यानी रूखसती तवाफ़) बेरमल व सई के बजालाये ये तवाफ़ बाहर वालों पर वाजिब है तवाफ़ के बाद बदस्तूर दो रकत मकामे इब्राहीम में पढ़ें फिर चाह ज़मज़म पर आकर इसी तरह पानी पीयें और बदन पर डालें फिर काबा के दरवाजा के सामने खड़ा होकर इसकी पाक चौखट को चूमें और हज व ज़्यारत के कोबूल होने और बार बार हाज़िर होने की दोआ मांगें और दोवायें जामे पढ़े या ये पढ़े अस्साएलो बेबा बेका यस अलोका मिन फ़ज़लेका व मारूफ़ेका व यरजू रहमतका फिर मुलतज़िम पर आकर गलाफ़ काबा थामकर इसी तरह लपटे ज़िक्र दरूद व दोआ की कसरत करो ये दोआ पढ़ो अल्लाहुम्मा दो लिल्लाहिल्लज़ी हदाना लेहाज़ा वमा कुन्ना लेनहतदेया लवला अनहदाना अल्लाहो अल्लाहुम्मा फलम्मा हुदैतना लेज़ालेका फ़तक़ब्बल हो मिन्ना व लातज 'अल' हाज़ा आखेरल अहदे मिन बैतेकल हरामे वरजुकनी लऊदा इलैहे, हत्ता तरदा बैरहमतिका या अरहमर्राहेमीन वलहम्दो लिल्लाहे रब्बिल आलमीन व सल्लाहो अला सैयदेना मोहम्मदिन व आलेही

व सहबेही अजमईन फिर हजरे असवद को बोसा दो और रो रो कर यह पढ़ो। या यमीनल्लाहे फ़ी अरदेही इन्नी उश हेदोका व कफ़ा बिल्लोह शहीदा अन्नी अशहदो अल्लाइलाहा इल्ललाहो व अशहदो अन्ना मोहम्मदन रसूलुल्लाहे व अना ओवददेओका हाजेहिश शहादता लेतशहदाली बेहा इन्दल्लाहे तआला फ़ी यवमिल क़यामते यवमल फ़जइल अकबरे, अल्लाहुम्मा इन्नी उशहेदोका अला ज़ालिका वउशहेदो मलाइकतेकल केरामे व सल्ललललाहो अला सैयदना मोहम्मदिन व आलेही व सहबेही अजमईन फिर उल्टे पाँव काबा की तरफ मुँह करके या सीधे चलने में फिर, फिरकर हसरत से देखते उसकी जुदाई पर रोते मस्जिद हराम के दरवाजा से बाया पैर पहले निकालो और दोआ मस्जिद से निकलने वाली पढ़ो, बाबुल हज़वरा से निकलना बेहतर है फिर मक्का के फ़कीरों को जो कुछ हो दें और मदीना शरीफ़ की तरफ चले वहाँ पहुँचकर दरबारे रसूलअल्ला सल्ललला अलैहे वसल्लम की ज्यारत करें ये तरीका हज का जो ऊपर बयान किया गाय इसमें कुछ बातें फ़र्ज़ हैं और कुछ वाजिब और कुछ सुन्नत फर्जों में से अगर कोई फ़र्ज़ छूट गया तो हज ही न होगा और वाजिब के छूट जाने से हज तो हो जायेगा मगर अधूरा और दम देना लाजिम आयेगा और सुन्नत के छूटने से सवाब कम हो जायेगा ।

हज में ये बातें फर्ज हैं एहराम, वकूफ़े अरफा (यानी नौवी ज़िलहिज्ञा दोपहर को सूरज ढलने से लेकर दसवीं की सुबह सादिक़ होने से पहले तक इतने वक्त में किसी वक्त कुछ देर अरफ़ात में ठहरना) तवाफ़े ज्यारत का अक्सर हिस्सा यानी चार फेरा, नीयत, तरतीब, यानी पहले एहराम बाँधना फिर वकूफ़े अरफ़ा फिर तवाफ़े ज्यारत, हर फर्ज का अपने वक्त पर होना यानी वकूफ़ उस वक्त हो जो वक्त इसके लिए मोकर्रर है (यानी नवीं ज़िलहिज्ञा दोपहर बाद से दसवीं की सुबह सादिक से पहले तक) वकूफ़ अरफ़ा के बाद तवाफ़ ज्यारत हो जगह यानी वकूफ़ ज़मीने अरफात मे हो सेवा बतने उरना के. और तवाफ़ की जगह मस्जिद हराम शरीफ़ में हो हज में ये चीज़े वाजिब हैं मीकात से एहराम बाँधना यानी मीकात से बेगैर एहराम के आगे न बढ़ना और अगर मीकात से पहले ही एहराम बाँध लिया तो जाएज़ है सफ़ा व मरवा के दरमीयान दौड़ना इसको सई कहते हैं सई को सफा से शुरू करना पैदल सई करना सई का तवाफ़ के बाद होना दिन में वकूफ़े अरफ़ा किया तो इतनी देर तक वकूफ़ करें कि आफ़ताब डूब जाये और रात का कुछ हिस्सा आ जाये और ज़वाल के बाद दिन के किसी हिस्सा से वकूफ़ शुरू करना वाजिब है । अरफ़ात से वापसी में इमाम की पैरवी करना यानी जब तक इमाम वहाँ से न चले हाँ अगर इमाम ने वक्त से देर की तो ये इमाम के पहले जा सकता है और अगर भीड़ वगैरह की ज़रूरत से इमाम के चले जाने के बाद ठहर गया साथ न गया जब भी जायेज़ है ।

मुज़दलफ़ा में ठहरना मगरिब और इशा की नमाज को वक्ते इशा में मुज़दलफ़ा आकर पढ़ना दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं तीनों दिन कंकड़ियाँ मारना यानी दसवीं को सिर्फ़ जमरतुल अक्बा पर और ग्यारहवीं को तीनों पर रमी करना जमरे अक्बा की

रमी पहले दिन बाल बनवाने से पहले करना, हर रोज़ की रमी का उसी दिन होना सर मुड़ाना या बाल करतवाना बाल बनवाना अय्यामे नहर में और हरम शरीफ में, क़ेरान और तमतो (अगर चे मेंना में न हो) वाले को कुर्बानी करना और इस कुर्बानी का हरम और अय्यामें नहर में होना तवाफ़ अफादा का अक्सर हिस्सा अय्यामें नहर में होना, तवाफ़हतीम के बाद से होना दाहिनी तरफ से तवाफ़ करना यानी काबा मोअज़्ज़मां तवाफ़ करने वाले के बायें तरफ हो पाँव से चलकर तवाफ़ करना तवाफ़ करने में बावज़ू और बा गुस्ल होना अगर वे वज़ू या बे गुस्ल तवाफ़ किया तो दुहराये, तवाफ करते वक्त सत्र का छुपा रहना, तवाफ के बाद दो रिकात नमाज़ पढ़ना (ये वाजिब तो है लेकिन ऐसा वाजिह है कि इसके तर्क से दम वाजिब नहीं) कंकड़ियाँ फेकने और ज़बाह करने और सर मुड़ाने और तवाफ में तरतीब यानी कंकड़ियाँ फेंके फिर ग़ैर मोफ़रिद कुरबानी करें फिर सर मुड़ाये फिर तवाफ करें। तवाफ़े सदर यानी मीकात से बाहर रहने वाले के लिए रुखसती तवाफ़ (अगर हज करने वाली हैज़ या नेफास से है और पाक होने से पहले काफ़िला रवाना हो जायेगा तो उसपर रुखसती तवाफ़ नहीं) वकूफ़ अर्फा के बाद सर मुड़ाने तक जेमा न होना एहराम की हालत में जो चीज़ें मना हैं (जैसे सिला कपड़ा पहनना या सर छुपाना) उनसे बचना यह सब चीज़ें हज में वाजिब हैं ।

हज की सुन्नतें

तवाफ़े कुदूम यानी मीक़ात के बाहर से आने वाला शख्स मक्का मोअज़्ज़मां में हाज़िर होकर सबसे पहला जो तवाफ़ करे उसे तवाफ़े कुदूम कहते हैं तवाफ़े कुदूम मुफ़रिद और क़ारिन के लिए सुन्नत है मोतमत्ते के लिए नहीं तवाफ़ का हजरे असवद से शुरू करना तवाफे कुदूम या तवाफे फर्ज में रमल करना सफा व मरवा के दरमीयान जो दो मील अखज़र हैं इनके दरमियान दौड़ना एमाम का मक्का में सातवीं को और अरफात में नवीं को और मेना में ग्यारहवीं को खुतबा पढ़ना आठवीं की फजर के बाद मक्का से रवाना होना ताकी मेना में पांच नमाज़ें पढ़ी जायें, नवीं रात मेंना में गुज़ारना सूरज निकलने के बाद मेना से अरफात को रवाना होना वकूफ़े अरफा के लिए गुस्ल करना अरफात से वापसी में मुज़दलफा में रात को रहना और सूरज निकलने से पहले यहाँ से मेना को चले जाना दस और ग्यारह के बाद जो दोनों रातें हैं उनको मेना में गुज़ारना और अगर तेरहवीं को भी मेना में रहा तो बारहवीं के बाद की रात को भी मेना में रहे अबतह में वादी मुहस्सब में उतरना अगरचे थोड़ी ही देर के लिए हो उनके अलावा और भी सुन्नतें हैं जिनमें से अक्सर का ज़िक्र तरीक़े में आ चुका है व अला हाज़ल मुस्तहब्बात ।

उमरह का बयान

उमरह ये है कि एहराम बाँधकर तवाफ़ व सई करें और इसके बाद सर मुंड़ाकर (या बाल कतरवाकर) एहराम खोल दें । एहराम शर्तें अदा हैं और बाल बनवाना शर्त खुरूज (जौहरह) उमरह सुन्नत है वाजिबनहीं और साल में कई-कई बार हो सकता है इसका वक्त तमाम साल है सेवा पांच दिनों के

उमरह में फर्ज सिर्फ तवाफ़ है और वाजिब सई और हल्क़ या तक़सीर है इसके सुन्नत वही हैं जो सुन्नत हज के हैं सेवा वक़्त के इसके सोनन व आदाब भी वही है जो हज के हैं उमरह को फ़ासिद करने वाली चीज़ तवाफ़ का चार फेरा पूरा करने से पहले जेमाअ कर लेना है ।

उमरह का तरीक़ा

जो निरा उमरह करना चाहता है वो उमरह का एहराम मीक़ात से या मीक़ात के पहले से किसी जगह से बाँधे और उमरह की नीयत यूँ करे कि पहले दो रकात नमाज़ बनियत एहराम पढ़े और सलाम के बाद ये कहें । अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उमरता फयस्सिरहा ली वतक़ब्बलहा मिन्नी नवैतुल उमरता व अहरमतो बेहा मुख़लेसन लिल्लाहे ताआला और इसके बाद ज़ोर ज़ोर से तीन बार लब्बैक कहे दरूदशरीफ़ फिर दोआ मांगे एक दोआ ये है- अल्लाहुम्मा इन्नी असअलोका रेदाका व आऊज़ोबेका मिन ग़ज़बेका वन्नार, और अब उन तमाम चीज़ों से बचे जिन से हज का एहराम बाँधने वाला बचता है फिर तवाफ करें तवाफ के बाद सई करें और ये तवाफ व सई भी वैसे ही करें जैसे हज करने वाला करता है और दख़ूले मक्का वग़ैरह में भी वही आदाब बजा लाये जो हज करने वाला करता है जब तवाफ़ और सई कर चुके तो सई के बाद बाल बनवाये उमरह ख़त्म हुआ उमरह का एहराम खोल दें उमरह में तवाफ़ शुरू करते वक़्त हजरे अस्वद का बोसा लेते ही लब्बैक कहना छोड़ दे ।

क़ेरान और तमत्तो का ब्यान

हज तीन तरह का होता है ये कि निरा हज करे उसे इफ़राद कहते हैं और हाजी को मुफ़रिद उसमें बाद सलाम नियत यूँ करे- अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल हज्जा फयस्सिरहोली वतक़ब्बलहो मिन्नी नवैतुल हज्जा व अहरमतो बेही मुख़लेसन लिल्लाहे ताला दूसरा ये कि निरे उमरा की नियत करके एहराम बाँधे और मक्का मोअज़्ज़मा में हज का एहराम बाँधे इसे तमत्तो और हाजी को मोतमत्ते कहते हैं इसमें बाद सलाम नियत यूं करे ।

अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उमरता फयस्सिरहाली व तक़ब्बलहा मिन्नी नवैतुल उमरता वाअहरमतो बेहा मुख़लेसन लिल्लाहे ताला............ तीसरा ये है कि हज व उमरह दोनों की यहीं से नियत करें इसको क़ेरान कहते हैं और ये सबसे अफ़ज़ल है और ऐसे हाजी को क़ारिन कहते हैं इसमें बाद सलाम यूं नियत करें अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उमरता वलहज्जा फयस्सिर हुमा ली व तक़ब्बलहुमा मिन्नी नवैतुल उमरता वलहज्जा व अहरमतो बेहेमा मुख़लेसन लिल्लाहेताला और हर सूरत में नियत के बाद लब्बैक आवाज़ से कहे ।

क़ेरान का तरीक़ा

जब क़ेरान का इरादा हो तो एहराम की वैसी ही तैयारी करें जैसे कि मुफ़रिद करता है वज़ू या गुस्ल करके दो रेकतें बनियत एहराम पढ़ें और बाद सलाम क़ेरान की यूँ नियत करें । अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदलु उमरता वलहज्जा फयस्सिरहोमालि वत क़ब्बलहोमा मिन्नी नवैतुल उमरता वलहज्जा वअहरमतो बेहेमा मुखलेसन लिल्लाहेताला, फिर लब्बैक कहें हज और उमरा दोनों को साथ अदा करने की नियत से और दरूद पढ़े दुआ मांगे । फिर उमरा के अफ़आल शुरू कर दे कि जब मक्का पहुंचे उमरा के लिए रवाना काबा का सात फेरा तवाफ़ करें जैसे मुफ़रिद करता है इसके बाद सफ़ा व मरवा में सई करें ये उमरह के अफ़आल हो गये लेकिन अभी न सर मुंड़ाये न एहराम खोले बल्कि अब हज के लिए तवाफ़ कुदूम करें और सई करें और बाकी अफ़आल हज के बजा लाये जैसा कि हाजी मुफ़रिद करता है ।

मसअला :- क़ारिन को अगर कुरबानी मोयस्सर न आये कि इसके पास ज़रूरत से ज्यादा माल नहीं न इतना असबाब कि इसे बेचकर जानवर खरीदे तो दस रोज़े रखे इनमें तीन तो वहीं यानी यकुम शव्वाल से ज़िलहिज्जा की नवीं तक एहराम बाँधने के बाद रखे, ख़ास सात, आठ, नौ को रखे या इससे पहले और बेहतर ये है कि नवीं से पहले ख़त्म कर दे और ये भी अख़्तेयार है कि मोतफर्रिक तौर पर रखे तीनों को लगातार रखना ज़रूरी नहीं और सात रोज़े हज का ज़माना गुज़रने के बाद यानी तेरहवीं के बाद रखें तेरह को या इससे पहले नहीं हो सकता इन सात रोज़ों में एख़्तेयार है कि वहीं रखे या घर वापिस आकर और बेहतर घर पर वापिस होकर रखना है और इन दसों रोज़ों में रात ही से नियत ज़रूरी है ।

मसअला :- अगर पहले तीन रोज़े नवीं तक नहीं रखे तो अब रोज़े काफ़ी नहीं बल्कि दम वाजिब होगा दम देकर एहराम से बाहर हो जायें और अगर दम देने पर क़ादिर नहीं तो सर मुँड़ाकर या बाल कतरवाकर एहराम से जुदा हो जायें और अब दो दम वाजिब है ।

तमत्तो का तरीक़ा

मीक़ात से या उससे पहले कहीं से उमरा का एहराम बांधे और मक्का पहुँचकर उमरा के लिए सात फेरे का तवाफ़ करें और इसके बाद सई करें और सई के बाद हल्क या तक़सीर करें अब उमरा से हलाल हो गया यानी उमरा पूरा हो गया एहराम खोल दें और मक्का में ठहरा रहे फिर आठवीं को मस्जिदे हराम से या हरम में हज का एहराम बाँधे और हज पूरा करें जैसे हाजी मुफ़रिद करता है सेवा तवाफ़े कुदूम के ।

मसअला :- इस पर दमे तमत्तो वाजिब है तो जब योमेनहर में रमी के बाद कुरबानी कर चुके तब हल्क या तक़सीर कराये ।

मस्अला :- अगर कुरबानी की इसतेताअत न हो तो रोज़ा रखें जैसे केरान वाले के लिए हैं ।

मस्अला :- मुतमत्ते अगर अपने साथ कुरबानी का जानवर न लाया तो उमरा से फारिग़ होकर हलाल हो जायेगा और अगर हदीमुतअता लाया है तो मुहरिम रहेगा जब तक कि अफआल हज से फारिग़ न हो जाये जो जानवर लाया और जो न लाया दोनों में फ़र्क़ ये है कि अगर जानवर न लाया और उमरा के बाद एहराम खोल दिया और अब हज का एहराम बाँधा और कोई जेनायत हुई तो जुर्माना मिसले मुफरिद के है और अगर उमरा का एहराम बाकी था तो जुर्माना मिसले क़ारिन के है और अगर जानवर लाया है तो हर हाल में क़ारिन के मिस्ल है ।

मस्अला :- तमत्तो करने वाले ने हज व उमरा फासिद कर दिया तो इसकी कज़ा है और जुर्माना में दम दे और तमत्तो की कुरबानी उसके जिम्मे में नहीं। वो बातें जो एहराम में हराम है- १. औरत से सोहबत, २. बोसा, ३. मसास्त, ४. गले लगाना उसके अन्दाम में नेहनी पर निगाह जबकि ये चारों बातें शहवत से हों औरतों के सामने उस काम का नाम लेना, फहश, गुनाह, किसी से दुनयावी लड़ाई झगड़ा जंगल का शिकार उसकी तरफ शिकार करने को इशारा करना, या किसी तरह बताना बन्दूक या बारूद या उसके जिबह वाले को छुरी देना, उसके अंडे तोड़ना पर उखेड़ना, पांव या बाजू तोड़ना, उसका दूध दूहना, उसका गोश्त या अंडे पकाना भूनना बेचना खरीदना, खाना, अपना या दूसरे का नाखून कतरना या दूसरे से अपना कतरवाना, सर से पाँव तक कहीं से कोई बाल कतरना, मुंह यासर किसी कपड़े वगैरह से छुपाना, बिस्तर या कपड़े की बुकची या गठरी सर पर रखना, अमामा बाँधना, बोरका व दस्ताने पहिनना, मोज़े या जुर्राबें वगैरह जो वस्ते कदम को छुपायें (जहाँ अरबी जूता का तसमा होता है) पहनना, अगर जूतीयां न हो तो मोज़े काटकर पहने कि वो तसमां की जगह न छूपे सिला कपड़ा पहनना खुशबू बालों या बदन या कपड़ों में लगाना मिलागीरी या कुसुम केसर गरज़ किसी खुशबू के रंगे कपड़े पहनना जबकि अभी खुशबू दे रहे हों खालिस खुशबू, मुश्क, अम्बर, जाफ़रान, जावित्री, लौंग, इलाची, दालचीनी, जन जबील वगैरह खाना ऐसे खुशबू का आँचल में बाँधना जिसमें फ़िलहाल महक हो जैसे मुश्क अम्बर जाफरान सर या दाढ़ी को खतमी या किसी खुशबूदार ऐसी चीज़ से धोना जिससे जूँयें मर जायें वसमा या मेहदी का खेज़ाब लगाना गोंद वगैरह से बाल जमाना जैतून या तेल का तिल अगरचे बे खुशबू हो बालों या बदन में लगाना किसी का सर मुड़ना अगरचे उसका एहराम न हो जूँयें मारना फेकना किसी को इसके मारने का इशारा करना कपड़ा उसके मारने को धोना, धूप में डालना बालों में पारा वगैरह उसके मारने को डालना गरज जूँ के हलाक पर किसी तरह बाईस होना एहराम में यह बातें मकरूह हैं : बदन का मैल छुड़ाना बाल या बदन साबुन वगैरह से बे खुशबू की चीज़ से धोना कंघी करना इस तरह खूजलाना कि बाल टूटने या जूँयें के गिरने का अन्देशा हो अंगरखा कुरता चोंगा पहनने की तरह कंधों पर

डालना खुशबू की धूनी दिया हुआ कपड़ा कि अभी खुशबू दे रहा हो पहनना ओढ़ना कसदन खुशबू सूँघना अगरचे खुशबूदार फल या पत्ता हो जैसे नींबू, नारंगी, पूदीना, इत्रदाना, इत्र फरोश की दुकान पर इस गरज़ से बैठना कि खुशबू से दिमाग ओअत्तर होगा सर या मुँह पर पट्टी बाँधना गेलाफ़े क़ाबा मोअज़्ज़मा के अंदर इस तरह दाखिल होना कि गेलाफे शरीफ सर या मुँह से लगे नाक वगैरह मुँह का कोई हिस्सा कपड़े से छूपाना कोई ऐसी चीज़ खाना पीना जिसमें खुशबू पड़ी हो और न वो पकाई गयी हो न बू दूर हो गयी हो बे सिला कपड़ा रफ़ू किया हुआ या पेवन्द लगा हुआ पहनना तकिया पर मुँह रखकर औंधा लेटना, महकती खुशबू हाथ से छूना जबकि हाथ में लग न जाये वरना हराम है बाज़ू या गले पर तावीज़ बाँधना अगर ये बे सिले कपड़े में लपेट कर हो बेला उज़्र बदन पर पट्टी बाँधना श्रृंगार करना चादर ओढ़कर इसके आँचलों में ग्रह दे लेना जैसे गांती बाँधते हैं इस तरह पर या किसी और तरह पर जबकि सर खुला हो वरना हराम है तहबन्द के दोनों किनारों में ग्रह देना तहबन्द बाँधकर कमरबन्द या रस्सी से कसना ।

मसअला :- जो बातें एहराम में नाजायज़ है वह अगर किसी उज़्र से या भूलकर हों तो गुनाह तो नही मगर इन पर जो जुर्माना मोकर्रर है वो हर तरह देना आयेगा चाहे जान बूझकर हो या भूलकर या किसी की ज़बरदस्ती सेहो या सोते में हो ।

जुर्म और इसके कफ्फ़ारे का बयान

मसअला :- मोहरिम अगर कसदन बिला उज़्र जुर्म करे तो कफ्फ़ारह भी वाजिब है और गुनहगार भी हुआ लेहाज़ा इस सूरत में तौबा भी वाजिब है कि खाली कफ्फ़ारह से पाक न होगा जब तक कि तौबा न करें और अगर भूल कर या किसी उज़्र से है तो कफ्फ़ारह काफ़ी है जुर्म का कफ्फ़ारह बहरहाल लाज़िम है याद से हो या भूल चूक से इसका जुर्म होना जानता हो या न जानता हो खुशी से हो या मजबूरन सोते में हो या जागते में नशा या बेहोशी में हो या होश में इसने अपने आप किया हो या दूसरे ने इसके हुक्म से किया हो ।

तम्बीह :- इस बयान में जहाँ दम कहा जायेगा इससे मुराद एक बकरी या भेड़ होगी और बुदना से मुराद ऊँट या गाय होगी ये सब जानवर उन्हीं शरायत के होंगे जो शर्तें क़ुरबानी में हैं और सदक़ा से मुराद निसफ सा गेहूँ या एक सा जौ या खजूर या इनकी क़ीमत है । (सा का वज़न ४ किलो ६० ग्राम है)

मसअला :- जहाँ दम का हुक्म है और वह जुर्म मजबूरन करना पड़ा है तो इसमें ये भी हो सकता है कि दम के बदले छः मिसकीनों को हर एक को एक एक सदका दे या छः मिसकीनों को दो वक्त पेट भर खिलाये या तीन

रख ले और जिस जुर्म में सदका का हुक्म है और मजबूरन करना पड़ा तो इसमें सदक़ा के बदले एक रोज़ा रख लें ।

मस्अला :- जहाँ एक दम या एक सदका है क़ारिन पर दो हैं ।

मस्अला :- शुकराने की कुरबानी से आप खाये ग़नी को खिलायें मिसकीन को दे और कफ़्फ़ारह की सिर्फ मोहताजों का हक़ है ।

खुशबू और तैल लगाना

मस्अला :- खुशबू अगर बहुत सी लगायी जिसे देखकर लोग बहुत बतायें चाहे उज्व के थोड़े ही हिस्सा पर या किसी बड़े उज्व पर जैसे सर, मुँह, रान, पिन्डली पर चाहे खुशबू थोड़ी ही हो तो इन दोनों सूरतों में दम है और अगर थोड़ी सी खुशबू उज्व के थोड़े से हिस्से में लगायी तो सदक़ा है ।

मस्अला :- कपड़े या बिछौने पर खुशबू मली तो खुशबू की मेकदार देखी जायेगी ज़्यादा है तो दम और कम है तो सदक़ा ।

मस्अला :- खुशबू सुँघी फल हो या फूल जैसे लेमू, नारंगी, गुलाब, चमेली, बेला, जूही वगैरह के फूल तो कुछ कफ़्फ़ारा नहीं लेकिन मोहरिम को खुशबू सूँघना मकरूह है ।

मस्अला :- एहराम से पहले बदन पर खुशबू लगायी थी अब एहराम के बाद फैलकर और आज़ा को लगी तो कफ़्फ़ारह नहीं है ।

मस्अला :- अगर खालिस खुशबू जैसे मुश्क जाफ़रान, लौंग, इलाची, दालचीनी इतनी खाई कि मुँह के अक्सर हिस्सा में लग गयी तो दम है वरना सदका ।

मस्अला :- पीने की चीज़ में खुशबू मिलायी अगर खुशबू ग़ालिब है या तीन बार या ज़्यादा पिया तो दम है वरना सदका ।

मस्अला :- तम्बाकू खाने वाले इसका ख्याल रखें कि एहराम में खुशबूदार तम्बाकू न खायें कि पत्तियों में तो वैसे ही कुछ खुशबू मिलायी जाती है और किवाम में भी अक्सर पकाने के बाद मुश्क वगैरह मिलाते हैं ।

मस्अला :- खमीरह तम्बाकू न पीना बेहतर है कि इसमें खुशबू होती है मगर पिया तो कफ़्फ़ारह नहीं ।

मस्अला :- रोग़न, चमेली वगैरह खुशबूदार तेल लगाने का वही हुक्म है जो खुशबू इस्तेमाल करने में था ।

मस्अला :- खुशबूदार सुरमा एक या दो बार लगाया तो सदका दे इससे ज़्यादा में दम दे और जिस सुरमा में खुसबू न हो इसके इस्तेमाल में हर्ज नहीं जबकि ज़रुरत से हो और बिला ज़रुरत मकरूह है ।

मस्अला :- तिल और जैतून का तेल खुशबू के हुक्म में है अगर इनमें खुशबू न हो तो अलबत्ता इनके खाने और नाक में चढ़ाने और ज़ख्म पर लगाने और कान में टपकाने से सदका वाजिब नहीं ।

मस्अला :- मुश्क, अम्बर, जाफ़रान वग़ैरह जो खुद ही खुशबू है खालिस इनके इस्तेमाल से मुतलक़न कफ्फ़ारह लाज़िम है चाहे दवा के तौर पर ही क्यों न इस्तेमाल किया हो ।

मस्अला :- खालिस, खुशबू, मुश्क, अम्बर वग़ैरह दूसरी बे खुशबू चीज़ में मिलाकर इस्तेमाल किया तो देखेगें कि अगर खुशबूदार चीज़ ज़्यादा है तो कुल खुशबूदार के हुक्म में होगी ।

मस्अला :- खुशबू लगाना जब जुर्म करार पाया तो बदन कपड़े से दूर करना वाजिब है और कफ्फ़ारह देने के बाद दूर न किया तो फिर दम वग़ैरह वाजिब होगा ।

सिले कपड़े पहन्ना

मोहरिम ने सिला कपड़ा चार पहर कामिल पहना तो दम वाजिब है और अगर इससे कम तो सदका चाहे थोड़ी ही देर पहना और अगर लगातार कई दिन तक पहने रहा जब भी एक ही दम वाजिब है जबकि यह लगातार पहनना एक तरह का हो यानी उज़्र से या बिला उज़्र और अगर मसलन एक दिन बिला उज़्र था और दूसरे दिन उज़्र से या बिल अकस तो दो कफ्फ़ारा वाजिब होंगे ।

मस्अला :- बारी के साथ बोखार आता है जिस दिन बोखार आया कपड़े पहन लिये दूसरे दिन उतार डाले तीसरे दिन फिर पहने तो जब तक ये बोखार आये एक ही जुर्म है ।

मस्अला :- अगर सिला कपड़ा पहना इसका कफ्फ़ारह अदा कर दिया मगर उतारा नहीं दूसरे दिन भी पहने रहा तो दूसरा कफ्फ़ारह वाजिब है यूं ही अगर एहराम बाँधते वक्त सिला कपड़ा न उतारा तो ये जुर्म है ।

मस्अला :- मोहरिम ने दूसरे मोहरिम को सिला हुआ या खुशबूदार कपड़ा पहनाया तो इस पहनाने वाले को कुछ नहीं ।

मस्अला :- मर्द या औरत ने मुँह की टकली पूरी या चौथाई छिपाई या मर्द ने पूरा या चौथाई सर छिपाया तो चार पहर या ज़्यादा लगातार छिपाने में दम है और कम में सदक़ा और चौथायी से कम को चार पहर तक छिपाया तो सदका है और चार पहर से कम में कफ्फ़ारह नहीं मगर गुनाह है ।

मस्अला :- मोहरिम ने सर पर कपड़े की गठरी रखी तो कफ्फ़ारह है और गल्ला की गठरी या तखता या लगन सेनी वग़ैरह कोई बर्तन रख लिया तो नहीं और अगर सर पर मिट्टी थोप ली तो कफ्फ़ारह है ।

मसअला :- कान और गुद्दी के छिपाने में हर्ज नहीं यूँ ही नाक पर खाली हाथ रखने में कुछ नहीं और अगर हाथ में कपड़ा और कपड़े समेत नाक पर हाथ रखा तो कफ़्फ़ारह नहीं मगर मकरूह व गुनाह है ।

मसअला :- पहनने का मतलब ये है कि वो कपड़ा इस तरह पहनें जैसे आदतन पहना जाता है वरना अगर कुर्ते का तहबन्द बाँध लिया या पायजामा को तहबन्द की तरह लपेटा पाँव पाँचों में न डाले तो कुछ नहीं ।

बाल दूर करना

मसअला :- सर या दाढ़ी के चौथाई बाल या ज़्यादा किसी तरह दूर किये तो दम है और कम में सदका ।

मसअला :- पूरी गर्दन या पूरी एक बगल में दम है और कम में सदका चाहे आधा या ज्यादा ही क्यों न हो यही हुक्म ज़ेरे नाफ़ का है दोनों बगलें पूरी मुड़ाये तब भी एक ही दम है ।

मसअला :- मोंछ अगरचे पूरी मुड़ाये या कतरवाये सदका है ।

मसअला :- रोटी पकाने में कुछ बाल जल गये तो सदका है । वज़ू करने या खुजाने या कंघा करने में बाल गिरे तो इसपर भी पूरा सदका है । और बाज़ ने कहा कि दो तीन बाल तक हर बाल के लिए एक मुट्ठी अनाज या एक टुकड़ा रोटी या एक छोहारा है ।

मसअला :- अपने आप बे हाथ लगाये बाल गिर जाये या बीमारी से तमाम बाल गिर पड़े तो कुछ नहीं ।

मसअला :- औरत पूरे या चौथाई सर के बाल एक पोरे बराबर कतरे तो दम है और कम में सदका ।

नाखून कतरना

मसअला :- एक हाथ एक पाँव के पाँचों नाखून कतरें या बीसों एक साथ तो एक दम है और अगर किसी हाथ या पाँव के पूरे पाँच न कतरे तो हर नाखून पर एक सदका यहाँ तक कि अगर चारों हाथ पाँव के चार-चार कतरे तो सोलह सदके हैं मगर ये कि सदकों की कीमत एकदम के बराबर हो जाये तो कुछ कम करे या दम दे और अगर एक हाथ या पाँव के पाँचों एक जलसा में और दूसरे के पाँचों दूसरे जलसा में कतरे तो दो दम लाज़िम है और चारों हाथ पाँव के चार जलसों में तो चार दम ।

मसूअला :- कोई नाखून टूट गया कि बढ़ने के काबिल न रहा इसका बकिया इसने काट लिया तो कुछ नहीं ।

बोसा व केनार वगैरह

मसूअला :- मोबाशरते फाहेशा और शहवत के साथ बोसा व कनार और बदन छूने में दम है । अगरचे इन्ज़ाल न हुआ और बिला शहवत में कुछ नहीं ये बातें औरत के साथ हों या मर्द के साथ दोनों का एक हुक्म है ।

मसूअला :- मर्द की इन बातों से औरत को लज़्ज़त आये तो वो भी दम दे ।

मसूअला :- अन्दामे नेहानी पर निगाह करने से कुछ नहीं चाहे इन्ज़ाल ही हो जाये चाहे बार-बार निगाह की हो यूँ ही ख्याल जमाने से अगर इन्ज़ाल हो जाये तब भी कुछ नहीं ।

मसूअला :- जल्क से अगर इंज़ाल हो जाये तो दम है वरना मकरूह और एहतेलाम से कुछ नहीं ।



जेमआ

मसूअला :- वकूफ़े अरफ़ा से पहले जेमआ किया तो हज फ़ासिद हो गया इसे हज की तरह पूरा करके दम दे और साल आएन्दह ही में इसकी कज़ा करें औरत भी एहरामे हज में थी तो इस पर भी यही लाज़िम ।

मसूअला :- वकूफ़ के बाद जेमाअ से हज तो न जायेगा मगर हल्क व तावफ़ से पहले किया तो बदना दे और हल्क के बाद किया तो दम दे और बेहतर अब भी बदना ही है और हल्क व तवाफ़ के बाद जेमाअ किया तो कुछ नहीं ।

मसूअला :- उमरह में चार फेरे से पहले जेमाअ किया तो उमरह जाता रहा दम दे और उमरह की कज़ा और चार फेरों के बाद किया तो दम दे उमरह सही है ।

मसूअला :- जेमाअ से एहराम नहीं जाता और जो चीजें मोहरिम के लिए नाजाएज़ हैं वो अब भी नाजाएज़ हैं और वही सब अहकाम हैं ।

तवाफ़ में गलतियाँ

फ़र्ज़ तवाफ़ के चार फेरे या इससे ज़्यादा जनाबत या हैज़ व नेफ़ास की हालत में किया तो बदना देना वाजिब है और तहारत के साथ एयादह वाजिब

बारहवीं तारीख तक कामिल तौर पर एयादह कर लिया तो जुर्माना साकित यानी बदना साकित और बारहवीं के बाद किया तो बदना साकित हो जायेगा लेकिन दम लाज़िम रहेगा ।

मस्अला :- अगर फर्ज तवाफ़ बे वजू किया था तो दम लाज़िम है और मुस्तहब और एआदह कर लेने से दम साकित हो जाता है चाहे बारहवीं के बाद ही किया हो ।

मस्अला :- तीन फेरे या इससे कम बेतहारत किया तो हर फेरे के बदले एक सदका ।

मस्अला :- तवाफ़े फर्ज़ कुल या अक्सर बिला उज्र सवारी पर या गोद में या घसीटकर या बेसतर किया (मसलन औरत की चौथाई कलाई या चौथाई सर के बाल खुले थे या उल्टा तवाफ़ किया या हतीम के अन्दर से तवाफ़ में गुजरा या बारहवीं के बाद किया तो इन सब सूरतों में दम दें और सही तौर पर एयादा कर लिया तो दम साकित और बगैर इयादा किये चला आया तो बकरी या उसकी कीमत भेज दे कि हरम में जब्ह कर दी जाये वापिस आने की ज़रूरत नहीं ।

मस्अला :- फर्ज तवाफ़ चार फेरे करके चला गया यानी तीन या दो या एक फेरा बाकी रह गया तो दम वाजिब है अगर खुद न आया भेज दिया तो काफी है ।

मस्अला :- फर्ज के सिवा कोई और तवाफ़ कुल या अक्सर जनाबत में किया तो दम दे और बेवजू किया तो सदका और तीन फेरे या उससे कम जनाबत में किये तो हर फेरे के बदले एक सदका फिर अगर मक्का मोअज़्ज़मा में है तो सब सूरतों में एयादा कर लें कफ्फ़ारा साकित हो जायेगा ।

मस्अला :- तवाफ़ रूखसत कुल या अक्सर तर्क किया तो दमलाज़िम और चार फेरों से कम छोड़ा तो हर फेरे के बदले में एक सदका और तवाफ़े कुदूम तर्क किया तो कफ्फ़ारा नहीं मगर बुरा किया और तवाफ़ उमरा का एक फेरा भी तर्क करेगा तो दम लाज़िम आयेगा और बिल्कुल न किया या अक्सर तर्क किया तो कफ्फ़ारह नहीं बल्कि इसका एयादा करना लाज़िम है ।

मस्अला :- कारिन ने तवाफ़े कुदूम व तवाफ़े उमरा बेवजू किये तो दसवीं से पहले तवाफ़े उमरा का एयादा करें और अगर एयादा न किया यहाँ तक कि दसवीं तारीख की फज्र तुलू हो गई तो दम वाजिब और तवाफ़े फर्ज में रमल और सई कर ले ।

मस्अला :- नजिस कपड़ों में तवाफ़ मकरूह है कफ्फ़ारा नहीं ।

सई मे गल्तियाँ

सई के चार फेरे या ज्यादा बिला उज़र छोड़ दे या सवारी पर किये तो दम दे हज हो गया और चार से कम में हर फेरे के बदले सदका दे । और अगर एआदा कर लिया तो दम और सदका साकित और अगर उज्र की वजह से ऐसे हुआ तो माफ है । यही हर वाजिब का हुक्म है कि सही उज्र से छोड़ा जा सकता है ।

मस्अला :- तवाफ़ से पहले सई कर ली और फिर एयादा भी न किया तो दम है ।

मस्अला :- जनाबत में या बे वजू तवाफ़ करके सई की तो एयादा की जरूरत नहीं ।

मस्अला :- सई के लिए एहराम या हज़ का जमाना शर्त नहीं, नकी हो तो जब करें अदा हो जायेगी ।

वोकूफ़ में ग़ल्ती

जो शख्स सूरज डूबने से पहले अरफ़ात से चला गया वो दम दे फिर अगर डूबने से पहले वापस आया तो दम साकित हो गया और अगर डूबने के बाद वापिस हुआ तो दम देना होगा और अरफ़ात से चला आना चाहे अपने अखतेयार से हो या बेअखतेयार (जैसे ऊँट पर सवार था वो इसे ले भागा) दोनों सूरत में दम है ।

वकूफ़ मुज़दलफ़ा

दसवीं की सुबह को मुज़दलफ़ा में बिला उज्र वकूफ़ न किया तो दम है हाँ कमज़ोर औरत भीड़ के डर से वकूफ़ छोड़ सकती है जुर्माना नहीं ।

रमी की गल्तीयाँ

किसी दिन भी रमी नहीं की या एक दिन रमी बिल्कुल या अक्सर छोड़ दी (जैसे दसवीं को तीन कंकड़ियाँ तक मारीं या ग्यारहवीं वगैरह को दस कंकड़िया तक मारी) या किसी दिन की कुल या अक्सर रमी दूसरे दिन की तो इन पाँचो सूरतों में दम है । और अगर किसी दिन निसफ़ से कम छोड़ी जैसे दसवीं को चार कंकड़ियाँ मारी तीन छोड़ दी या और दिनो की ग्यारह मारी दस छोड़ दी या निसफ़ से कम छोड़ी हुई रमी दूसरे दिन की तो इन सब सूरतों में हर कंकड़ी पर एक सदका दे अगर सदका की कीमत दम के बराबर हो जाये तो कुछ कम दें ।

कुरबानी और हल्क़ मे गलती

क़ारिन व मोतमत्ते ने रमी से पहले कुरबानी की तो दम दे ।

मसअला :- हरम में हल्क न किया बल्कि हरम की हद से बाहर किया या बारहवीं के बाद किया या रमी से पहले किया क़ारिन और मोतमत्ते ने कुरबानी से पहले किया तो इन सब सूरतों में दम दे ।

मसअला :- उमरा का हल्क भी हरम ही में होना ज़रूरी है इसका हल्क भी हरम से बाहर हुआ तो दम है मगर इसमें वक्त की शर्त नहीं ।

मसअला :- हज्ज करने वाले ने बारहवीं के बाद हरम से बाहर सर मुड़ाया तो दो दम है एक हरम से बाहर हल्क करने का दूसरा बारहवीं के बाद होने का ।

शिकार करना

खुशकी का जानवर शिकार करना या उसकी तरफ शिकार करने को इशारा करना या और किसी तरह बताना ये सब काम हराम हैं और सबमें कफ्फ़ारह वाजिब अगरचे उसके खाने में मुज़तर हो यानी भूख से मरा जाता हो और कफ्फ़ारह उस जानवर की कीमत है यानी दो आदिल वहाँ के हिसाब से जो कीमत बतायें वह देनी होगी, और अगर वहाँ उसकी कोई कीमत न हो तो वहाँ से करीब जगह में जो कीमत हो वह है और अगर एक ही आदिल ने बता दिया तब भी काफी है ।

मसअला :- जंगल के जानवरों से मुराद वो हैं जो खुश्की में पैदा होता है अगरचे पानी में रहता हो लेहाज़ा मुर्गाबी और वहशीबत के शिकार करने से कफ्फ़ारह लाज़िम आयेगा पानी का जानवर वो है जिसकी पैदाईश पानी में होती है अगरचे कभी-कभी खुशकी में रहता हो घरेलू जानवर जैसे गाय, भैंस, बकरी अगर जंगल में रहने के सबब इन्सान से वहशत करें तो वहशी नहीं और अगर वहशी जानवर किसी ने पाल लिया तो अब भी जंगल ही का जानवर गिना जायेगा लेहाज़ा अगर प्लाऊ हिरन शिकार किया तो कफ्फ़ारह देना होगा ।

मसअला :- जंगल का जानवर अगर किसी की मिल्क हो जाये मसलन पकड़ लाया या पकड़ने वाले से मोल लिया तो उसके शिकार करने पर भी कफ्फ़ारह है ।

मसअला :- पानी के जानवर को शिकार करना जायेज़ है यानी जो पानी में पैदा हुआ अगरचे खुशकी में भी कभी-कभी रहता हो ।

मसअला :- शिकार का कफ्फ़ारा अदा करने के लिए चाहे तो शिकार की कीमत की भेड़, बकरी वगैरह मोल लेकर हरम में ज़बह करके फ़क़ीरों को बाँट दे और चाहे तो उस कीमत का गल्ला लेकर मिसकीनों को दे दें, मगर हर

मीसकीन को सदक़ये फित्र के बराबर दें और ये भी हो सकता है कि उस कीमत के गल्ले में जितने सदके हो सकते हो हर सदका के बदले एक रोज़ा रखे और अगर कुछ गल्ला बच जाये जो पूरा सदका नहीं तो चाहे उसे किसी मिसकीन को दे दें या उसके बदले एक रोज़ा रखे और अगर पूरी कीमत सदके के बराबर भी नहीं तो भी चाहे तो उतने का गल्ला लेकर एक मिसकीन को दे दें या उसके बदले एक रोज़ा रखें ।

मसूअला :- कफ्फ़ारह के जानवर को हरम के अन्दर ज़बह करना चाहिए हरम के बाहर ज़बह किया तो कफ्फ़ारा अदा न हुआ ।

मसूअला :- अगर कफ्फ़ारा के जानवर में से खुद भी खा लिया तो इतने का तावान दे ।

मसूअला :- कफ्फ़ारा का जानवर चोरी गया या जिन्दा जानवर ही सदका कर दिया तो ये काफ़ी नहीं यानी कफ्फ़ारा अदा न हुआ और अगर ज़बह कर दिया गोश्त चोरी गया तो अदा हो गया ।

मसूअला :- जानवर को ज़ख्मी कर दिया वो मरा नहीं या उसके बाल या पर नोचे या कोई अज़ो काट डाला तो उसकी वजह से जो कुछ उस जानवर में कमी हुई उतने का कफ्फ़ारा वाजिब है और अगर ज़ख्म की वजह से मर गया तो पूरी कीमत वाजिब है । मोहरिम ने जंगल का जानवर पकड़ा तो लाज़िम है कि जंगल में या किसी ऐसी जगह छोड़ दे जहाँ वो पनाह ले सके अगर शहर में लाकर छोड़ा जहाँ इसके पकड़े जाने का डर है तो जुर्माना देना होगा ।

मसूअला :- चन्द मोहरिमों ने मिलकर शिकार किया तो सबपर पूरा-पूरा कफ्फ़ारा है ।

मसूअला :- टिड्डी भी खुश्की का जानवर है इसे मारे तो कफ्फ़ारह दे एक खजूर काफी है ।

मसूअला :- गैर मोहरिम ने शिकार किया तो मोहरिम इसे खा सकता है जबकि इस मोहरिम ने न इसे बताया न हुक्म किया न किसी तरह इस काम में मदद की और ये भी शर्त है कि हरम से बाहर इसे ज़बह किया गया हो ।

मसूअला :- जो हरम में दाखिल हुआ और इसके पास वहशी जानवर हैं चाहे पिंजरे ही में हो तो हुक्म है कि इसे छोड़ दें ।

मसूअला :- घोड़े वगैरह किसी जानवर पर सवार जा रहा था या इसे हांकता या खींचता ले जा रहा था इसके हाथ पाँव से कोई जानवर दब कर मर गया या इसने किसी जानवर को दांत काटा और मर गया तो तावान दे।

मसअला :- जानवर को भगाया वह कुँए में गिर पड़ा या फिसल कर गिरा और मर गया या किसी चीज़ की ठोकर लगी वह मर गया तो तावान दे ।

मसअला :- कौआ, चील, भेड़, या बिच्छु, सांप, चूहा, घोंस, छछून्दर, काटने वाला कुत्ता, पिस्सू, मच्छर, किल्ली, कछवा, केकड़ा, पतंगा, काटने वाली चूंटी, मक्खी, छिपकली, विर और तमाम हशरातुल अर्ज़ बिज्जू, लोमड़ी जबकि ये दरिन्दे हमला करें या जो दरिन्दे ऐसे हों जिनकी आदत ईबतेदाअन हमला करने की होती है इन सब के मारने में कुछ नहीं यूँ ही पानी के तमाम जानवरों के कत्ल में कफ़्फ़ारह नहीं ।

हरम के पेड़ वगैरह काटना

हरम की जंगली खुदरो हरी तर जड़ी-बूटी, घास, पेड़-पालों के काटने या तोड़ने में जुर्माना देना पड़ेगा जबकि ये इस किस्म का दरखत हो कि न इसे किसी ने बोया हो न बोया जाता हो और तर हो और टूटा या उखेड़ा हुआ न हो जुर्माना ये है कि इसकी कीमत का गल्ला लेकर मिस्कीनों को दें हर मिस्कीन को एक सदका अगर कीमत का गल्ला पूरे सदके से कम है तो एक ही मिसकीन को दें और ये भी हो सकता है कि कीमत ही दे दें और ये भी हो सकता है कि इस कीमत का जानवर खरीदकर हरम में ज़बह कर दें इसके बदले रोज़ा नहीं रख सकता ।

मसअला :- दरखत उखेड़ा और उसकी कीमत भी दे दी जब भी इसे काम में लाना जाएज नहीं और अगर बेच डाला है तो कीमत सदका कर दें ।

मसअला :- जो दरख्त सूख गया उसे उखाड़ सकता है और काम में भी ला सकता है ।

मसअला :- दरख्त के पत्ते तोड़े अगर इससे दरख्त को नुकसान न पहुँचा तो कुछ नहीं यूँ ही जो दरख्त फलता है इसे भी काटने में तावान नहीं जबकि मालिक से इजाजत ले ली या उसे कीमत दे दी ।

मसअला :- चन्द आदमीयों ने मिलकर दरख्त काटा तो एक हीतावान है जो सब पर तकसीम हो जायेगा चाहे सब मोहरिम हो या बआज़ मोहरिम बआज़ गैर मोहरिम ।

मसअला :- हरम के किसी दरख्त की मिसवाक बनाना जाएज़ नहीं ।

मसअला :- अपने चलने या जानवर के चलने में या खेमा गाड़ने में कुछ दरख्त जाते रहे तो कुछ नहीं ।

मसअला :- जरूरत की वजह से फ़तवा इस पर है कि वहाँ घास जानवरों को चराना जाएज़ है बाकी काटने उखाड़ने का वही हुक्म है जो पेड़ का है

सिवाय इदखर और सूखी घास के की इनको हर तरह से काम में लाना जाएज़ है खेती तोड़ने उखाड़ने में कुछ हर्ज नहीं ।

जूँ मारना

अपनी जूँ अपने बदन या कपड़ों में मारी या फेंक दी तो एक जूँ में रोटी का एक टुकड़ा कफ्फ़ारह दे और दो या तीन जूँ हो तो एक मुठ्ठी अनाज दे और इससे ज्यादा में सदका है ।

मस्अला :- जूँ मारने को सर या कपड़ा धोया या धूप में डाला जब भी यही कफ़्फ़ारे हैं जो मारने में थे ।

मस्अला :- कपड़ा भीग गया था सूखने के लिए धूप में रखा इससे खुद जूँ मर गई मारना मक़सूद न था तो कुछ हर्ज नहीं ।

बेग़ैर एहराम मीक़ात से गुज़रना

मीक़ात के बाहर से जो शख़्स आया और बेग़ैर एहराम मक्का मअज़्ज़मा को गया तो चाहे न हज का इरादा हो न उमरा का मगर हज या उमरा वाजिब हो गया अब चाहिए कि मीक़ात को वापिस जाये और एहराम बाँधकर आये। अगर मीक़ात को न गया और मक्का ही में एहराम बाँध लिया तो दम वाजिब हो गया ।

मस्अला :- मीक़ात से बेग़ैर एहराम गुज़रा फिर उमरह का एहराम बाँधा इसके बाद हज का या केरान किया तो दम लाज़िम है और अगर पहले हज का एहराम बाँधा फिर हरम में उमरह का तो दो दम ।

एहराम होते हुए दूसरा एहराम बाँधना

हज का एहराम बाँधा फिर अरफ़ा के दिन या रात में दूसरे हज का एहराम बाँधा बाद हल्क़ के तो बादस्तूर एहराम में रहे और दूसरे को आइन्दा साल में पूरा करे और दम वाजिब नहीं और हल्क़ नहीं किया है तो दम वाजिब ।

मस्अला :- उमरह के तमाम अफ़आल कर चुका था सिर्फ़ हल्क़ बाक़ी था कि दूसरे उमरा का एहराम बाँधा तो दम वाजिब है और गुनाहगार भी हुआ ।

मस्अला :- दसवीं से तेरहवीं तक हज करने वाले को उमरह का एहराम बाँधना मना है और अगर बाँधा तो तोड़ दे और इसकी क़ज़ा करे और दम दे और कर लिया तो हो गया मगर दम वाजिब है ।

मोहसर का बयान

जिसने हज या उमरा का एहराम बाँधा मगर किसी वजह से पूरा न कर सका उसे मोहसर कहते हैं जिन सबबों से हज या उमरह न कर सके वह ये है दुश्मन, दरिन्दह, मर्ज़, ऐसा कि सफ़र करने या सवार होने में इसके ज़्यादा होने का गुमान ग़ालिब है । हाथ पाँव टूट जाना, कैद, औरत के महरम या शौहर जिसके साथ जा रही थी इसका इन्तेकाल हो जाना, इद्दत खर्च या सवारी का हलाक हो जाना शौहर हजे नफिल में औरत को मना कर दे मोहसर का हुक्म ये है : कि इसका एहराम नहीं खुल सकता जब तक मक्का मोअज़्ज़मा पहुँचकर तवाफ व सई व हल्क न कर ले अगर इससे पहले एहराम खोलना चाहे तो हरम को कुरबानी भेजे जब कुरबानी हो जायेगी इसका एहराम खुल जायेगा या कुरबानी की कीमत भेज दे कि वहाँ जानवर खरीदकर ज़बह कर दिया जाये इसमें ये भी ज़रूरी है कि जिसके हाथ कुरबानी भेजे इससे ये ठहरालें कि फ़लान दिन फ़लान वक्त कुरबानी ज़ब्ह हो और वह वक्त गुजरने के बाद एहराम से बाहर होगा, फिर अगर उसी वक्त कुरबानी हुई जो ठहराया था या इससे पहले हुई तो ठीक है और अगर बाद में हुई और इसे अब मालूम हुआ तो दम दे इसलिए की ज़बह से पहले एहराम से बाहर हुआ है मोहसर को एहराम से बाहर आने के लिए हल्क शर्त नहीं लेकिन बेहतर है ।

मसअला :- मोहसर अगर मुफ़रिद हो (यानी सिर्फ हज या सिर्फ उमरह का एहराम बाँधा है) तो एक कुरबानी भेजे और अगर क़ारिन हो तो दो भेजे और इस कुरबानी के लिए हरम शर्त है हरम से बाहर नहीं हो सकती तारीख की कोई शर्त नहीं ।

मसअला :- क़ारिन ने अपने ख्याल से दो कुरबानियों के दाम भेजे और वहाँ इन दोनों की एक ही मिली और ज़ब्ह कर दी तो ये काफी नहीं ।

मसअला :- क़ारिन ने उमरह का तवाफ़ किया और वकूफ़ अर्फ़ा से पहले मोहसर हो गया तो एक कुरबानी भेजे और हज के बदले एक हज और एक उमरह करे दूसरा उमरह इस पर नहीं ।

मसअला :- वोह रोकने वाली बात जिसकी वजह से रुकना हुआ था वोह जाती रही और अभी वक्त इतना है कि हज और कुरबानी दोनों कर लेगा तो जाना फर्ज़ है और अगर गया और हज मिल गया तो ठीक है नहीं तो उमरह करके एहराम से बाहर हो जाये और कुरबानी का जो जानवर भेजा था मिल गया तो जो चाहे करे ।

मसअला :- वकूफ़ अरफ़ा के बाद एहसार नहीं हो सकता और अगर मक्का ही में है मगर तवाफ़ और वकूफ़ अरफ़ा दोनों पर क़ादिर न हो तो मोहसर है और दोनों में से एक पर क़ादिर हो तो नहीं ।

मसूअला :- मुहसर कुरबानी भेजकर जब एहराम से बाहर हो गया अब उसकी कज़ा करना चाहता है तो अगर सिर्फ हज का एहराम था तो एक हज और एक उमरह करे और अगर केरान का एहराम था तो एक हज और दो उमरह करे और ये अख्तेयार है कि कज़ा में केरान करे फिर एक उमरह या तीनों अलग-अलग करे और अगर एहराम उमरा का था तो सिर्फ एक उमरह करना होगा ।

हज फ़ौत होने का बयान

जिसका हज फौत हो गया यानी वक़ूफ़े अरफ़ा उसे न मिला तो तवाफ़ व सई करें सर मुड़ाकर या बाल कतरवाकर एहराम से बाहर हो जायें और साल आइन्दह, हज करें और उस पर दम वाजिब नहीं ।

मसूअला :- कारिन का हज फौत हो गया तो उमरह के लिए सई व तवाफ़ करे फिर एक और तवाफ़ व सई करके हल्क करें और दम केरान जाता रहा और पहला तवाफ़ जैसे करके एहराम से बाहर होगा उसे शुरू करते ही लब्बैक छोड़ दे और आइन्दह साल हज की कज़ा करे उमरह की कज़ा नहीं क्योंकि उमरह तो हो चुका ।

मसूअला :- तमत्तो वाला कुरबानी का जानवर लाया था और तमत्तो बातिल हो गया तो जानवर को जो चाहे सो करे ।

मसूअला :- उमरह फौत नहीं हो सकता इसलिए की उसका वक्त उम्रभर है पाँच दिनों में मकरूह है यानी नव से तेरह ज़िल हिज्रा तक ।

मसूअला :- जिसका हज फौत हो गया उस पर तवाफ़ सदर नहीं ।

मसूअला :- जिसका हज फौत हुआ उसने सई करके एहराम न खोला और उसी एहराम से आइन्दह साल हज किया तो ये हज सही न हुआ।

हज बदल का बयान

बदल के लिए चन्द शर्तें है जो हज बदल कराता हो उस पर हज फ़र्ज़ हो ।

१. याना अगर फर्ज़ नहीं था और हज बदल कराया तो हज फर्ज़ अदा न हुआ लेहाज़ा अगर बाद में हज उस पर फ़र्ज़ हुआ तो ये हज उसके लिए काफी न होगा बल्कि अगर आजिज़ हो तो फिर हज कराये और कादिर हो तो खुद करे ।

२. जिसकी तरफ़ से हज किया जाये वो आजिज़ हो यानी वो खुद हज न कर सकता हो अगर इस काबिल हो कि खुद कर सकता है तो उसकी तरफ से नहीं हो सकता अगर ये बाद में आजिज़ हो गया तो दोबारा हज कराये ।

३. हज के वक्त से मरने तक उज़र था जिसके जाने की उम्मीद ही न थी और इत्तेफ़ाक़न जाता रहा तो वो पहला हज जो उसकी तरफ से किया गया काफ़ी है जैसे वो अंधा था और हज कराने के बाद अखियारा हो गया तो अब दोबारा हज कराने की जरूरत न रही ।

४. जिसकी तरफ से हज किया जाये उसने हुक्म दिया हो बेगैर उसके हुक्म के नहीं हो सकता हाँ वारिस ने मुरिस की तरफ से किया तो उसमे हुक्म की जरूरत नहीं ।

५. खर्च उसके माल से हो जिसकी तरफ से हज किया जाये ।

६. जिसको हुक्म दिया है वही हज करे दूसरे से उसने हज कराया तो न हुआ अलबत्ता अगर मईयत ने वसीयत की थी की मेरी तरफ से फ़लां आदमी हज करे और वो आदमी मर गया या इन्कार कर गया अब दूसरे से हज करा लिया गया तो जायेज़ है ।

७. सवारी पर हज को जाये पैदल हज किया तो न हुआ लेहाजा सवारी में तो कुछ खर्च हुआ देना पड़ेगा हाँ अगर खर्च में कमी पड़ी तो पैदल भी हो जायेगा सवारी से मुराद ये है कि अक्सर रास्ता सवारी पर तय किया हो।

८. उसके वतन से हज को जाये ।

९. मीकात से हज का एहराम बाँधे अगर उसने इस का हुक्म किया हो ।

१०. उसकी नियत से हज करे (और बेहतर ये है कि ज़बान से भी लब्बैक अन फ़ुलां' कह ले अगर इसका नाम भूल गया है तो ये नियत करे कि जिसने मुझे भेजा है उसकी तरफ से करता हूँ ।

इन शर्तों के अलावा कुछ और शर्तें भी हैं जो आगे जिमनन ब्यान की जायेंगी ये सब शर्तें जो ऊपर लिखी गयीं फर्ज हज के बदल की है हज नफ़ल में तो इन में से कोई शर्त नहीं ।

मस्अला :- दो आदमियों ने एक ही आदमी को हज बदल के लिए भेजा उसने एक हज में दोनों की तरफ से लब्बैक कहा तो दोनों में से किसी की तरफ से न हुआ ।

मस्अला :- जिस पर हज फर्ज हो याकज़ा या मन्नत का हज उसके जिम्मां हो और मौत का वक्त आ गया तो वाजिब है कि वसीयत कर जाये ।

मस्अला :- जिस पर हज फर्ज़ है और न अदा किया न वसीयत की बिल इजमां गुनाहगार है । अगर वारिस इसकी तरफ से हज बदल कराना चाहे तो करा सकता है । इनशा अल्लाहताला उम्मीद है कि अदा हो जाये और अगर वसीयत कर गया तो तिहाई माल से कराया जाये अगर ये उसने वसीयत में

तिहाई की कैद न लगायी मसलन ये कहे की मेरी तरफ़ से हज बदल कराया जाये ।

मस्अला :- तिहाई माल की मेकदार इतनी है कि वतन से हज के मसारिफ़ के लिए काफी है तो वतन ही से आदमी भेजा जाये वरना बेरून मीकात जहाँ से भी उस तिहाई से भेजा जा सके यूँ ही अगर वसीयत में कोई रकम मोअय्यन कर दी हो तो उस रकम में अगर वहाँ से भेजा जा सकता है तो भेजा जाये वरना जहाँ से हो सके और अगर वो तिहाई या वो रकम मोअय्यन बेरून मीकात कहीं से भी काफी नहीं तो वसीयत बातिल ।

मस्अला :- कोई शख्स हज कोचला और रास्ते में या मक्का मोआज़मा वकूफ़ अरफ़ा से पहले उसका इन्तेक़ाल हो गया तो अगर इसी साल उसपर हज फ़र्ज़ हुआ था तो वसीयत वाजिब नहीं और अगर वकूफ़ के बाद इन्तेकाल हुआ तो हज हो गया फिर अगर तवाफ फ़र्ज़ बाकी है और वसीयत कर गया कि उसका हज पूरा कर दिया जाये तो उसकी तरफ से बदना की कुरबानी कर दी जाये ।

मस्अला :- बेहतर ये है कि हज बदल के लिए ऐसा शख्स भेजा जाये जो खुद हज फर्ज अदा कर चुका हो और अगर ऐसे को भेजा जिसने खुद नहीं किया है तब भी हज बदल हो जायेगा और अगर खुद इस पर हज फर्ज है और अदा न किया तो ऐसे को भेजना मकरूह तहरीमी है ।

हदी का ब्यान

हदी उस जानवर को कहते है जो कुरबानी के लिए हरम ले जाया जाये ये तीन किस्म के जानवर है ।

(१) शातयानी बकरी, भेड़ और दुम्बा (२) बक़र यानी गाय-भैंस (३) ऊँट हदी का अदना दरजा बकरी है । तो अगर किसी ने हरम को कुरबानी भेजने की मन्नत मानी और किसी खास किस्म की नीयत न की तो बकरी काफी है ।

मस्अला :- कुरबानी के जानवर में नर और मादा का एक हुक्म है जिस तरह से नर की इजाजत है इसी तरह से मादा की भी ।

मस्अला :- कुरबानी के जानवर में जो शर्तें है वही हदी के जानवर में भी है जैसे ऊँट कम से कम पाँच साल का हो, गाय-भैंस कम से कम दो साल की हो, बकरी कम से कम एक साल की हो, लेकिन भेड़, दुम्बा छः महीने का अगर साल भर वाली के मिस्ल हो तो हो सकता है और ऊँट, गाय में यहाँ भी सात आदमी शरीक हो सकते है ।

मस्अला :- हदी अगर केरान या तमत्तो का हो तो इसमें से कुछ खा लेना बेहतर है यूँ ही अगर हदी नफ्ल हो और हरम मे पहुँच गया हो और अगर हरम को न पहुँचा तो खुद नहीं खा सकता । फकीरों का हक है और

तीन के अलावा नहीं खा सकता और जिस हदी का गोश्त खुद खा सकता है इसमें से मालदारों को भी खिला सकता है और जिसको खा नहीं सकता इसकी खाल वगैरह से भी नफ़ा नहीं ले सकता ।

मसअला :- तमत्तो और केरान की कुरबानी दसवीं जिलहिज्जा से पहले नहीं हो सकती और दसवीं के बाद की तो हो जायेगी मगर दम लाजिम आयेगा । इस वजह से कि देर करना जायेज़ नहीं और इन दो के अलावा के लिए कोई दिन मोकर्रर नहीं लेकिन बेहतर दसवीं है हरम में होना सब में जरूरी है मेना की खुसूसीयत नहीं हाँ दसवीं को हो तो मेना में होना सुन्नत है और दसवीं के बाद मक्का में मन्नत के बदना का हरम में जबह होना शर्त नहीं जबकि मन्नत में हरम की शर्त न लगायी हो ।

मसअला :- हदी का गोश्त हरम के मसाकीन को देना बेहतर है इसकी नकेल और झोल को खैरात कर दे और कसाब को इसके गोश्त में से कुछ न दें हाँ अगर इसे बतौर सदका दे तो कोई हर्ज नहीं ।

मसअला :- हदी के जानवर पर बिला जरूरत सवार होना सामान लादना जायेज नहीं और अगर जरूरत से ऐसा किया तो जानवर में जो कुछ कमी आये इतना मोहताजों पर तसदुक करें ।

मसअला :- हदी के जानवर का दूध न दूहें और अगर किसी मजबूरी से दूहा तो वह दूध मिसकीनों को दे दें अगर न दिया तो इतना ही दूध या इसकी कीमत मिसकीनों पर तसद्दुक करें ।

मसअला :- अगर वो बच्चा जनी तो बच्चे को तसद्दुक कर दे या उसे भी उसके साथ जिबह कर दें और अगर बच्चे को बेच डाला या हलाक कर दिया तो कीमत को तसद्दुक करें और अगर इस कीमत से कुरबानी का जानवर खरीद लिया तो बेहतर है ।

मसअला :- गलती से इसने दूसरे के जानवर को जबह कर दिया और दूसरे ने इसके जानवर को तो दोनो की कुरबानीया हो गयीं ।

मसअला :- अगर जानवर हरम को ले जा रहा था रास्ते में मरने लगा तो उसे वहीं जबा कर डाले और खून से इसका हार रंग दें और कोहान पर छापा लगा दें ताकि इसे मालदार लोग न खायें फोकरा ही खायें फिर अगर वो नफ्लि था तो इसके बदले का दूसरा जानवर ले जाना जरूरी नहीं और अगर वाजिब था तो इसके बदले का दूसरा जानवर ले जाना वाजिब है और अगर इसमें कोई ऐसा ऐब आ गया कि कुरबानी के काबिल न रहा तो उसे जो चाहे करें और इसके बदले दूसरा ले जायें जबकि वाजिब हो ।

मस्अला :- जानवर हरम को पहुँच गया और वहाँ मरने लगा तो इसे ज़बह करके मिस्कीनों पर तसद्दुक करें खुद न खायें अगरचा नफ्ल हो और अगर इसमें थोड़ा सा नुकसान पैदा हुआ है कि अभी कुरबानी के काबिल है तो कुरबानी करें और खुद भी खा सकता है ।

मदीना शरीफ़ की हाज़री

मदीना शरीफ़ की बड़ाई

रसूल अल्ला सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम ने फरमाया कि जिससे हो सके कि मदीना में मरे तो वो मदीना ही में मरे कि जो शख्स मदीना में मरेगा मैं इसकी शफाअत करूँगा और फरमाया जो आदमी मदीना वालों को तकलीफ देगा अल्लाहतआला उसे तकलीफ में डालेगा और उस पर अल्लाह और फरिश्तों और तमाम आदमीयों की लानत और उसका न फर्ज कोबूल किया जाये न नफ्ल और फरमाया जो शख्स अहले मदीना के साथ फरेब करेगा ऐसा घुल जायेगा जैसे नमक पानी में घुलता है और फरमाया मदीने के रास्तों पर फरिश्ते पहरा देते हैं इसमें न दज्जाल आये न ताऊन और हुज़ूर अलैहिस्सलवात वस्सलाम ने मदीना तय्यबा के वास्ते दुआ की कि मक्का से दूनी बरकतें हों । दरबार अकदस की हाजरी :- के फायदे और बरकतें और ज़्यारत न करने का नुकसान अल्लाहतआला ने फरमाया है वलव अन्नाहुम इज़ ज़लमू अनफोसहुम जाऊका फस्तग़फरुल्लाहा वसतग़फरालहोमुर्रसूलो लवाजदो ल्लाहा तव्वाबन रहीमा अगर लोग अपनी जानों पर जुल्म करें और (जिना) तुम्हारे हुज़ूर हाज़िर होकर अल्लाह से मग़फरत चाहें और रसूल (अम) भी इनके लिए इस्तग़फार करें तो अल्लाह को तौबा कुबूल करने वाला रहम करने वाला पायेंगे हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो मेरी कब्र की ज़्यारत करे उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब और फरमाया जिसने हज किया बाद मेरी वफात के मेरी कब्र की ज़्यारत की तो ऐसा है जैसे मेरी हयात में ज़्यारत की और फरमाया जिसने हज किया और मेरी ज़्यारत न की उसने मुझपर जफ़ा की हुज़ूर अलैहिस्सलाम के मज़ार मोबारक की हाज़री और ज़्यारत करीब वाजिब के हैं ।

तम्बीह :- बहुत लोग दोस्त बनकर तरह-तरह से डराते हैं कि राह में खतरा है वहाँ बीमारी है ये है वो है खबरदार किसी की न सुनों और हरगिज़ महरूमी का दाग लेकर न पलटे जान एक दिन ज़रूर जानी है इससे क्या बेहतर कि उनकी राह में जाये और तजरबा है कि जो उनका दामन थाम लेता है उसे अपने साया में आराम से ले जाते हैं कील का खटका नहीं होता हमको तो अपने साया में आराम ही से लाये हीले बहाने वालों को ये राह डर की है वलहमदोलिल्लाह ।

हाज़िरी के आदाब

१. हाज़िरी में खालिस ज़्यारत अक़दस की नियत करें यहाँ तक की इमाम इब्ने हुमाम फरमाते हैं कि इस बार मस्जिद शरीफ की नियत भी शरीक न करें ।

२. हज अगर फर्ज़ है तो हज कर के मदीना तय्यबा हाज़िर हों हाँ अगर मदीना तय्यबा रास्ता में हो तो बग़ैर ज़्यारत हज को जाना सख्त महरूमी (बदनसीबी) व कसावते क़ल्बी है (संगदिली) और इस हाज़िरी को क़ुबूल हज और नेकी व दुनयावआख़िरत के लिए ज़रिया और वसीला करार दे और अगर हज नफ़्ल हो तो अख़्तेयार है कि पहले हज से पाक साफ होकर महबूब के दरबार में हाज़िर हों या सरकार में पहले हाज़िरी देकर हज की मक़बूलीयत व नूरानियत के लिए वसीला करे ग़रज़ जो पहले अख़्तेयार करे उसे अख़्तेयार है मगर नियत खैर दरकार है कि इन्नमल अमालो बिन्नियाते बलेकुल्लिम्रिइन मा नवा आमाल का मदार नियत पर है और हर एक के लिए वो है जो उसने नियत की ।

३. रास्ता भर दरूद और ज़िक्र शरीफ में डूब जावें और जिस क़दर मदीना तय्यबा क़रीब आता जावे शौक़ व ज़ौक़ और ज़्यादा होता जावे ।

४. जब हरमे मदीना आवे बेहतर ये है कि पयादह हो जायें रोते सर झुकाये आँखे नीची किये दरूद शरीफ की और कसरत करें और हो सके तो नंगे पाँव चले बल्कि हरम की ज़मीन और क़दम रखकर चलना जो सरका मौक़ा है जो जाने वाले, जब क़ुब्बये अनवर पर नज़र पड़े, दरूद व सलाम की खूब कसरत करो ।

५. शहर अक़दस तक पहुँचो जलाल व जमाल महबूब सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम के तसव्वुर में ग़र्क़ हो जावो और दरवाज़ा शहर में दाखिल होते वक़्त पहले दाहिना क़दम रखो और ये पढ़ो बिस्मिल्लाह माशा अल्लाहो लाक़ुव्वता इल्लाबिल्लाह रब्बे अदखिलनी मुदख़लासिदक़िंव व अख़रिजनी मुख़रजा सिदक़िन अल्लाहुम्मा फ़्तहली अबवाबा रहमतेका वरज़ुक़नी मिन ज़ेयारते रसूलेका सल्लल्लाहोताला अलैहे वसल्लमा मारज़क़ता औलेयाअका व अहला ताअतेका वनजिनी मिनन्नार वग़फ़िरली वरहमनी या खैरा मसऊलिन ।

६. मस्जिद शरीफ में हाज़िर होने से पहले जल्द ऐसी तमाम ज़रूरियात से फ़ारिग़ हों कि जिनसे दिल बटने का डर हो इनके सिवा किसी और काम में न लगें और जल्दी ही वज़ू और मिसवाक करके और बेहतर ये है कि ग़ुस्ल करके सफेद साफ कपड़े पहने नये हो तो और अच्छा सुर्मा और खुश्बू लगाये मुश्क हो तो और अच्छा ।

७. जब फ़ौरन आस्ताना अक़दस की तरफ़ नेहायत खुशू व खुज़ू से मुतावज्जह हों, रोना न आये तो रोने का मुँह बनायें और दिल को बज़ोर रोने पर लायें और अपनी संगदिली से हुज़ूर अलैहिस्सलाम की तरफ़ एलतेजा करें ।

८. मस्जिद के सब दरों पर हाज़िर हो सलात व सलाम अर्ज़ करके थोड़ा ठहरो जैसे सरकार से हाज़री की इजाज़त मांगते हो, बिसमिल्ला कहकर दाहिना पाँव पहले रखकर हमातन अदब होकर दाखिल हो ।

९. इस वक्त जो अदब व ताज़ीम फर्ज़ है हर मुसलमान का दिल जानता है । आँख, कान, ज़बान, हाथ, पाँव, दिल सब ख्याले गैर से पाक करो मस्जिद अकदस के नक्श व नेगार न देखो ।

१०. अगर कोई ऐसा सामने आ जाये जिससे सलाम व कलाम ज़रूर हो, तो जहाँ तक बने कतरा जायें वरना ज़रूरत से ज्यादा न बढ़ो फिर भी दिल सरकार ही की तरफ हो ।

११. हरगिज़ हरगिज़ मस्जिद अकदस में कोई हर्फ़ चिल्लाकर न निकले ।

१२. यकीन जानो कि हुज़ूर अकदस स० अलैहे वसल्लम सच्ची हकीकी दुनियावी जिसमानी हयात से वैसे ही ज़िन्दा हैं जैसे वफात शरीफ के पहले थे इनकी बल्कि तमाम अम्बेया अलैहिस्सलाम की मौत सिर्फ वादये खोदा की तसदीक की एक आन के लिए थी, इनका इन्तेकाल सिर्फ नज़रे अवाम से छुप जाना है । इमाम मोहम्मद इब्न हाज मक्की अपनी किताब मदखल में और इमाम अहमद कस्तलानी मवाहिबुल लदुनीया में और दीगर ओलमायदीन रहेमहुमुल्ला अपनी-अपनी तसानीफ में फरमाते हैं— लाफ़रका बैना मौतेही व हयाते ही सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लमा फीमशा हदतेही लेउम्मतेही वमारिफतेही बेअहवालेहिम व नीयातेहिम वअज़ाएमेहिम वखावातेरहिम वज़ालेका इन्दहू जलीउँलाखेफाबेही । यानी हुज़ूर अकदस सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम की हयात व वफात में इस बात में कुछ फर्क नहीं कि हुज़ूर, अपनी उम्मत को देख रहे हैं और इनकी हालतों और इनकी नीयतों, इनके इरादों, इनके दिलों, के ख्यालों को पहचानते हैं और ये सब हुज़ूर पर ऐसा रौशन है जिसमें असला पोशीदगी नहीं इमाम रहमतुल्ला अलैहे शागिर्द इमाम मोहक्किक इब्नेहोमाम मनसके मोतवस्सित में और अली क़ारी मक्की इसकी शरह मसलक में फरमाते है । यानी बेशक रूसल अल्लाअलैवसल्लम तेरी हाज़री और तेरे खड़े होने और तेरे सलाम बल्कि तेरे तमाम अफआल व अहवाल कूच व मकाम से आगाह हैं ।

१३. अब अगर जमाअत क़ायम हो शरीक हो जावे तो इसमें तहीयतो अलमस्जिद भी अदा हो जायेगी वरना अगर गल्बा शौक मोहलत दे और वक्त कराहत न हो तो दो रकत तहीयतो अल मस्जिद व शुकराने हाज़री दरबार अकदस सिर्फ कुलया और कुलहो अल्लाह से बहुत हल्की मगर रेआयत सुन्नत के साथ रसूल अल्लासल्लल्लाह अलैहे वसल्लम के नमाज़ पढ़ने की जगह जहाँ अब बीच मस्जिद में मेहराब नहीं है और वहाँ न मिले तो जहाँ तक हो सके उसके नज़दीक अदा करो फिर सजदाये शुक्र में गिरो और दोआ करो की इलाही

[illegible] हबीब सल्लललाहो अलैहे वसल्लम का अदब और उनका और अपना कुबूल [illegible] कर अमीन ।

१४. अब कमाल अदब में डूबे हुए गरदन झुकाये आँखे नीची किये लरजते [illegible] गुनाहों की निदामत से पसीना पसीना होते हुजूर सल्लललाहो अलैहे वसल्लम [illegible] अफ़्व व करम की उम्मीद रखते हुजूर वाला की पायें यअनी मशरिक की [illegible] से मवाजह आलिया में हाज़िर हों (कि हुजूर अकदस सल्लललाहो अलैहे वसल्लम मज़ार अन्वर में रूबकिबला जलवा फ़रमा हैं ।) इस सिम्त (तरफ) से [illegible] होंगे तो हुजूर की निगाह बेकस पनाह तुम्हारी तरफ होगी और ये बात तुम्हारे लिए दोनों जहाँ में काफ़ी है । वलहम दोल्लिलाह ।

१५. अब कमाल अदब वहैबत व खौफ़ व उम्मीद के साथ क़िन्दील के नीचे उस चाँदी की कील के सामने जो हुज्रा मुतहरह की जनूबी दीवार में चेहरा अनवर के सामने लगी है कम अजकम चार हाथ के फासला से किबला को पीठ और मज़ार अनवर को मुँह करके नमाज की तरह हाथ बाँधे खड़े हों ।

१६. खबरदार जाली शरीफ़ को बोसा देना या हाथ लगाने से बचो की खेलाफ़ अदब है बल्कि चार हाथ फासला से ज्यादह करीब न जावें ये इनकी रहमत क्या कम है कि तुमको अपने हुजूर बुलाया अपने मवाजे अकदस में जगह बख्शी इनकी निगाह करीम अगरचे हर जगह तुम्हारी तरफ थी मगर अब खुसुशियत और इस दरजा कुर्ब के साथ है वल्लिलाहिल हम्द ।

१७. अलहमदो लिल्लाह अब कि दिल की तरह तुम्हारा मुँह भी उस पाक जाली की तरफ हो गया जो अल्लाह अज्ज व जल्ला के महबूब अज़ीमुश्शान की आराम गाह है तो नेहायत अदब व वक़ार के साथ बआवाज़े हज़ीं वसूरते दर्द आगीं दिले शरमनाक व जिगर चाक चाक दरमियानी आवाज से न बुलन्द व सख्त (कि इनके हुजूर आवाज बुलन्द करने से अमल अकारत हो जाते हैं।) व नेहायत नर्म व पस्त (कि सुन्नत के खेलाफ़ है अगरचे वो तुम्हारे दिलों के खतरों तक से आगाह हैं जैसा कि अभी तश्रीहात आयमां से गुजरा) मुजरा व तसलीम बजा लाओ कि अर्ज करो अस्सलामों अलैका अईयोहन नबीयो व रहमातुल्लाह व बराकातहू अस्सलामों अलैका यारसूल्ललाहे अस्सलामों अलैका या ख़ैरा खुलाक़ल्लाहे अस्सलामों अलैका या शफीअलमुजनेबीन अस्सलामों अलैका वआला आलेका व असहाबेका व उम्मते का अजमईन ।

१८. जहाँ तक मुम्किन हो जबान यारी दे और मलाल व कल्ल न हो सलात व सलाम की कसरत करो । हुजूर से अपने और अपने माँ-बाप पीर व उस्ताद अवलाद अजीजों दोस्तों और सब मुसलमानों के लिए शफ़ाअत माँगो बार-बार अर्ज करो असअलो कश्शफ़ाअता या रूसलल्लाह ।

१९. फिर जिन लोगों ने सलाम कहलाया है उसे अर्ज कर दो कि शरअन इसका हुक्म है और इस फ़क़ीर की उन मुसलमानों से जो इस किताब को देखें

ये अर्ज है कि इस मिसकीन की तरफ से भी सलाम पहुँचा दें बड़ा एहसान होगा ।

२० फिर अपने दाहिने हाथ यानी पूरब की तरफ हाथ भर हट कर हज़रत अबूबकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहो ताआला अन्हो के चेहरा नूरानी के सामने खड़े होकर अर्ज़ करो अस्सलामों अलैका या खलीफता रसूल्ललाहे अस्सलामों अलैका या वज़ीरा रसूल्ललाहे अस्सालमों अलैका या साहेबा रसूल्ललाहे फिलग़ार व रहमतुल्लाहे व बराकातु हू ।

२१. फिर उतना ही और हटकर हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाहो अन्हो के सामने खड़े होकर अर्ज करो अस्सलामों अलैका या अमीरलमोमेनीना अस्सालामों अलैका या मोतम्मे मल अरबईना अस्सलामो अलैका या इज़्ज़ल इस्लाम वल मुसलेमीना व रहमातुल्लाहे व बराकातु हू ।

२२. फिर बालिश्तभर पश्चिम की तरफ़ पलटो और हज़रत अबूबकर व उमर के दरम्यान खड़े होकर करो अस्सलामों अलैकोमा या खलीफता रसूलिल्लाहि अस्सलामों अलैकोमा या वज़ीरा रसूलिल्लाहे अस्सलामों अलैकोमा या ज़जीऐ रसूलिल्लाहि व रहमतुल्लाहे व बराकातहू असअलोकोमा शफाअता इन्दा रसूल्लिलाहे सल्ललाहो तआला अलैहे व अलैकोमा व बारका वसल्लम ।

२३. ये सब हाजरियाँ महले एजाबत हैं लेहाज़ा दोआ में कोशिश करो दोआये जामेआ करो और दरूद पर क़नाअत बेहतर और चाहे तो ये दोआ पढ़ें — अल्लाहुम्मां इन्नी उश हेदोका व उसहेदो रसूलका व आबाबकरिन व ओमाराव उशहेदुलमलायेकतन नाज़ेलिना अला हाज़ेहिररौज़तिल करीमतिलआकेफ़ीना अलैहा अन्नी अशहदो अल्लाएलाहा इल्लाअन्ता वहदका लाशरीका लका व अन्ना मोहम्मदन अबदोका व रसूलोका अल्लाहुम्मां इन्नी मोक़िर्रून बेजेनायेती व मासीयती फ़ग़फ़िरली व उमनुन अलैया बिल्लाज़ि मननता अला अवलेयाएका फइन्नकागन्ना नुलगफ़ूरूरहीमो रब्बना आतेना फ़िद्दुनिया हसान तवँ वफ़िल आखेरते हसानतवँ वकेना अज़ाबन्नार ।

२४. फिर मिम्बर शरीफ़ के क़रीब दोआ माँगें ।

२५. फिर जन्नत की किंयारी में आकर दोरकात नफ़्ल अगर वक्त मकरूह न हो पढ़कर दोआ माँगें ।

२६. यूँ ही मस्जिद शरीफ़ के हरसोतून के पास नमाज़ पढ़ें, दोआ माँगें कि ये सब बरकत की जगहें हैं खासकर बाज़ में खास खुसूसियत है ।

२७. जब तक मदीना शरीफ़ में रहो एक साँस भी बेकार न जाने दो ज़रूरतों के सिवा अक्सर वक्त मस्जिद शरीफ़ में तहारत के साथ हाज़िर रहो नमाज़, तेलावत, दरूद में वक्त गुज़ारो, दुनियाँ की बात किसी मस्जिद में न चाहिए न कि यहाँ ।

२८. मस्जिद शरीफ़ में जाते वक्त एतेकाफ़ की नियत करो बल्कि हर मस्जिद में जाते वक्त एतेकाफ़ की नियत कर लेनी चाहिए ।

२६. मदीना तईयबा में रोज़ा नसीब हो खोसूसन गर्मी में तो क्या कहना कि इस पर वादयेशफाअत है ।

३०. यहाँ हर नेकी एक की पचास हज़ार लिखी जाती है । लेहाज़ा एबादत में ज़्यादा कोशिश करो खाने पीने की कमी ज़रूर करो और जहाँ तक हो सके सदक़ा करो खुसूसन यहाँ वालों पर खास कर इस ज़माना में कि अक्सर लोग ज़रूरत मंद हैं ।

३१. क़ोरान मजीद का कम से कम एक खत्म यहाँ और हतीम काबा में कर लो ।

३२. रौज़ा अन्वर को देखना भी इबादत है जैसे काबा मोअज़्ज़मा या क़ोरानमजीद का देखना तो अदब के साथ इसकी कसरत करो और दरूद व सलाम अर्ज़ करो ।

३३. पाँचों नमाज़ों के बाद या कम से कम सुबह शाम मवाजह शरीफ में सलाम अर्ज़ करने के लिए हाज़िर हो ।

३४. शहर में ख्वाह शहर के बाहर जहाँ कहीं गुम्बद मोबारक पर नज़र पड़े फौरन दस्तवस्ता उधर मुँह करके सलातो सलाम अर्ज़ करो वे इसके हरगिज़ न गुज़रो कि खेलाफ़ अदब है ।

३५. बिला उज़्र जमाअत छोड़ना हर जगह गुनाह है और कई बार हो तो सख़्त हराम व गुनाह कबीरा और यहाँ तो गुनाह के अलावा कैसी सख्त महरूमी है खुदा पनाह में रखे हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिससे मेरी मस्जिद में चालीस नमाज़ें फौत न हों उसके लिए दोज़क और नेफ़ाक से आज़ादी लिखी जाये ।

३६. जहाँ तक हो सके कोशिश करो कि मस्जिद अव्वल में यानी हुज़ूर के ज़माना में जितनी थी उसमें नमाज़ पढ़ो और उसकी मेकदार सौ हाथ लम्बी, सौ हाथ चौड़ी है अगरचे बाद में कुछ एज़ाफ़ा हुआ है उसमें नमाज़ पढ़ना भी मस्जिद नबूवी ही में पढ़ना है ।

३७. हुज़ूर की कब्र शरीफ़ की तरफ हरगिज़ पीठ न करो और जहाँ तक हो सके नमाज़ में भी ऐसी जगह न खड़े हो कि पीठ करनी पड़े ।

३८. रौज़े अन्वर का न तवाफ करो व सिजदा न इतना झूको कि रूकू के बराबर हो रसूल अल्लासल्ललालाहो ताला अलैहे वसल्लम की ताज़ीम इनकी अताअत में है ।

३९. बक़ी की ज़ेयारत सुन्नत है रौज़े शरीफ की ज़ेयारत करके बक़ी जायें खासकर जुमां के दिन इस कब्रस्तान में करीब १० हज़ार सहाबा दफन हैं और ताबईन व तबा ताबईन और औलिया ओलमां और सोलहा वगैरहुम की गिनती नहीं यहाँ जब हाज़िर हो पहले तमाम मदफून मुसलमानों की ज़ेयारत का इरादा

करें और ये पढ़े अस्सलामों अलैकुम दारा क़ौमिन मोमेनीन अन्तुम लना सलाफुन इन्नाइन्शा अल्लाहो तआला बेकुम लाहेकूँना अल्ला हुम्मग़ फिरले अहलिल बकिया बकिअल ग़रकदे अल्लाहुम्माग़ फिल लना वलहुम और अगर कुछ पढ़ना चाहें तो ये पढ़ें रब्बनग़ फिरलना वलेवाले दईयना वले उसता जीना वले इख्वानेना वले इख्वातेना वले अवलादेना वले अन्हफादेना वले असहाबेना वले अहबाबेना वलेमन लहू हक्कन अलैना वलेमन अवसाना, वलिल मोमेनीना वल मूमेनाते वलमुस्लेमीना वल मुस्लेमाते और दरूद शरीफ व सूरे फातेहा व आयतल कुर्सी व कुल हो अल्लाह वगैरह जो कुछ हो सके पढ़कर सवाब इसका नजर करें उसके बाद बकी शरीफ में जो मज़ारात मारूफ व महशूर है उसकी जेयारत करें तमाम अहले बकिया में अफज़ल अमीरूल मोमेनीन सैयदना उसमान ग़नी रज़े अल्लाताला अनहो हैं उनके मजार पर हाज़िर होकर सलाम अर्ज़ करें अस्सलामों अलैका या अमीरल मोमेनीना अस्सलामों अलैका या मोजाहेज़ा जैशिल उसरते बिन नक़दे वलऐैस जज़ाकलला अन रसूलेही व अन सायेरिल मुस्लेमीना वरज़ेयल्लाहो अनका व आनिश सहाबते अजमाईन यहीं जनाब रसूल अल्ला सल्लललला अलैहे वसल्लम के साहबजादे हजरत सैय्यदना इब्राहीम और उम्मुल मोमीन हजरत आयशा रज़ेअल्ला अन्हा और दीगर अज़वाज मोतहरात और हजरत हमज़ा व अब्बास व हजरत अब्दुल्ला इब्न मशऊद व हजरत इमाम हसन व इमाम हुसैन व हजरत इमाम मलिक वगैरह सहाबा व ताबेईन दीगर आयमेदीन आराम फरमां हैं इन सबको खिदमत में हाजरी दें सलाम अर्ज़ करें और फातेहा पढ़ें ।

४०. काबा शरीफ की ज़ेयारत करें हदीस में है कि हुजूर सल्लललाहो अलैहे वसल्लम हर साल के शुरू में ऊहुद के शहीदों की कब्रों पर आते और ये फ़रमाते अस्सलामों अलैकुम वेमासबरतुम फनेयमां उकबा ददारे और ऊहद के पहाड़ की भी ज़ेयारत करें कि हुजूर ने फ़रमाया ऊहद हमें दोस्त रखता है और हम उसे दोस्त रखते हैं और फ़रमाया जब तुम ऊहद पर जाव तो इसके द्रख्त से कुछ खाओ चाहे बबूल ही हो बेहतर ये है कि जुमरात के दिन सुबह के वक्त जायें और सबसे पहले सय्युदुश्शुहदा हजरत हमजा के मजार पर हाज़िर होकर सलाम अर्ज़ करें और एक रवायत के मोतबिक हजरत अब्दुल्ला इब्न जहश रज़ी अल्लाहो अन्हो व मुसआब इब्न ओमैर भी यहीं है लेहाज़ा उन्हें भी सलाम अर्ज़ करें और फिर आगे बढ़ें यहाँ तक की कुब्बये सफीआ पर ज़ेयारत खत्म हो ।

४२. अगर कोई बताने वाला मिले तो उन कुँआं की भी ज़ेयारत करें उनसे वजू करें उनका पानी पियें जिनके मोतल्लिक ये निस्बत है कि हुजूर ने उनमें से किसी का पानी पिया है किसी में लोआब डाला है ।

४३. मदीना शरीफ से रूख्सत होते वक्त हुजूर के सामने हाज़िर हों और बार-बार हाजरी की नेमत का सवाल करो और तमाम आदाब कि काबा शरीफ़ से रूख्सत होने के बारे में ब्यान कियेगये उन सबका यहाँ भी ख्याल रखो और सच्चे दिल से दोआ करो कि ऐ अल्ला ईमान और सुन्नत पर मदीना पाक में

बुना और बकी शरीफ़ मे दफ़न होना नसीब हो, अल्ला हुम्मां अर्जुक्ना आमीन आमीन आमीन या अरहमरराहे मीना व सल्ललाहो ताला अला सैय्यदेना मुहम्मदीवं आलीही अजमईना आमीन वल हमदोल्लिहे रब्बिल आलेमीन वेहमदोल्लिलाहज का बयान तमाम हुआ अब इसके बाद निकाह व तलाक का ब्यान शुरू हुआ ।

निकाह का ब्यान

चूंकि आदमी की नस्ल का बाकी रहना निकाह पर मौकूफ है और आदमी की तबई ख्वाहिश भी है इसलिए अल्लाताला ने निकाह करने का हुक्म दिया और उसके एहकाम कुरान में ब्यान फ़रमाये और रसूलअल्ला सल्लला अलैहे वसल्लम ने निकाह की तरगीब दी और उसके फायदे व कायदे इरशाद फरमाये, बुखारी व मुस्लिम वगैरह हदीस की किताबों में लिखा है कि आँ हजरत सल्ललाहो अलैहे वसल्लम ने फरमाया कि ऐ जवानों तुममें जो निकाह कर सकता है वह निकाह करे कि निकाह बुरी नज़र और बुरे काम से रोकने वाला है और जिससे न हो सके वो रोजा रखे कि रोजा शहवत को तोड़ने वाला है और फरमाया जो खुदा से पाक व साफ होकर मिलना चाहता है वो हुर्रा औरतों से निकाह करे और फरमाया जो मेरे तरीका को दोस्त रखे वो मेरी सुन्नत पर चले और मेरी सुन्नत से निकाह है और फरमाया दुनियाँ की सबसे अच्छी पूँजी नेक औरत है और फ़रमाया जो इतना माल रखता है कि निकाह कर ले फिर निकाह न करे तो हममें से नहीं ।

मसअला :- निकाह उस अक्द को कहते है कि मर्द को औरत से जैमा वगैरह हलाल हो जाये ।

मसअला :- ऐतेदाल की हालत में यानी न शहवत का बहुत ज्यादा गलबा हो न इन्नीन (नामर्द) हो और महरो नफ़क़ा पर कुदरत भी हो तो निकाह सुन्नत मोअक्कदा है कि निकाह न करने पर अड़ा रहना गुनाह है और अगर हराम से बचना इत्तेबा सुन्नत व तामील हुक्म या औलाद होना मक्सूद है तो सवाब भी पायेगा और महज लज़्ज़त या क़ज़ाये हाजत मंज़ूर हो तो सवाब नहीं ।

मसअला :- शहवत का गल्बा है कि निकाह न करे तो डर है कि ज़ेना हो जाये और महरो नफ़क़ा की कुदरत भी है तो निकाह वाजिब है यूँ ही जबकि पराई औरत की तरफ देखने से रूक नहीं सकता या हाथ से काम लेना पड़ेगा तो निकाह वाजिब है ।

मसअला :- ये यकीन हो कि निकाह न करने से ज़ेना हो जायेगा तो फर्ज है कि निकाह करे ।

मस्अला :- अगर ये डर है कि निकाह करेगा तो नान नफ़्क़ा न दे सकेगा जो ज़रूरी बातें हैं उनको पूरा न कर सकेगा तो ऐसी हालत में निकाह करना मकरूह है और अगर इन बातों का यक़ीन हो तो निकाह करना हराम है मगर निकाह बहरहाल हो जायेगा ।

मस्अला :- निकाह और उसके हुकूक के अदा करने में और औलाद कीतरबीयत में मशगूल रहना नवाफ़िल में मशगूली से बेहतर है ।

मस्अला :- निकाह में ये बातें मुस्तहब हैं— (१) आलानिया होना (२) निकाह से पहले ख़ुतबा पढ़ना (कोई सा ख़ुतबा हो और बेहतर वो है जो हदीस में आया) (३) मस्जिद में होना (४) जुमा के दिन होना (५) गवाहानआदिल के सामने होना (६) औरत उम्र हसबमाल इज़्ज़त में मर्द से कम हो (७) चाल चलन और अख़लाक व तक़वा परहेजगारी व जमाल (ख़ूबसूरती) में ज़्यादा हो ।

मस्अला :- एजाब व कबूल यानी मसलन एक कहे की मैंने अपने को तेरी ज़ौजियत में दिया दूसरा कहे मैंने कोबूल किया ये निकाह के रुकन हैं पहले जो कहे वो एजाब है और उसके जवाब में दूसरे के अलफाज़ को क़ुबूल कहते हैं ।

मस्अला :- एजाब व कोबूल में माज़ी का लफ़्ज़ होना ज़रूरी है मसलन यूँ कहें कि मैंने अपना या अपनी लड़की या अपनी मोवकेला का तुझसे निकाह किया या उनको तेरे निकाह में दिया वो कहे मैंने अपने लिये या अपने बेटे या मोवकिल के लिए कोबूल किया या एक तरफ से अभरकालेग़ा हो दूसरी तरफ से माज़ी का मसलन यूँ कहे कि तू मुझसे अपना निकाह कर दे या तू मेरी औरत हो जा उसने कहा मैंने कोबूल किया या जैजियत में दिया तो निकाह हो जायेगा या एक तरफ से हाल का सेग़ा हो दूसरी तरफ से माज़ीका मसलन कहे तू मुझसे अपना निकाह करती है उसने कहा किया तो हो गया या यूँ कहे मैं तुझसे निकाह करता हूँ उसने कहा मैंने कोबूल किया तो हो जायेगा इन दोनों सुरतों में पहले शख़्स को इसकी ज़रुरत नहीं कि कहे मैंने कुबूल किया और अगर कहा तूने अपनी लड़की का मुझसे निकाह कर दिया उसने कहा कर दिया या कहा हाँ तो जब तक पहला शख़्स ये न कहे कि मैनें कोबूल किया निकाह न होगा और इन लफ़्ज़ों से कि निकाह करूँगा या कोबूल करूँगा निकाह नहीं हो सकता ।

मस्अला :- अल्फ़ाज़े निकाह दो किस्म हैं एक सरीह ये सिर्फ़ दो लफ़्ज़ है (१) निकाह (२) तज़वबुज़ बाकी केनाये हैं फिर अल्फाज़ केनाये में इन लफ़्ज़ों से निकाह हो सकता है जिनसे खुद शै मिल्क में आ जाती है (मसलन हेबा, तमलीक, सद्क़ा, अतीया, बेयशेरा) मगर इनमें क़रीना की ज़रूरत है कि ग्वाह उसे निकाह समझें ।

मस्अला :- निकाह में खयार रोयत ख्यारे ऐब मुतलक़ न नहीं ।

मस्अला :- निकाह के लिए चन्द शर्तें हैं (१) आक़िल होना लेहाज़ा मजनूं पागल या ना समझ बच्चे ने निकाह किया तो न हुआ बालिग होना (लेकिन अगर नाबालिग समझदार है तो हो जायेगा मगर वली की इजाज़त पर मौक़ूफ़ रहेगा) गवाह होना (यानी एजाब व कोबूल दो मर्द या एक मर्द और दो औरतों के सामने हो गवाह आज़ाद आकिल बालिग हों और सब निकाह के अलफ़ाज़ साथ सुनें बच्चों और पागलों की गवाही से निकाह नहीं हो सकता न गुलाम की गवाही से अगरचे मोदब्बर या मुकातब हो मुसलमान मर्द का निकाह मुसलमान औरत के साथ हो तो गवाहों का मुसलमान होना भी शर्त है लेहाज़ा अगर किताबिया से मुसलमान मर्द का निकाह हो तो इस निकाह के गवाह ज़िम्मी काफ़िर भी हो सकते हैं ।

मस्अला :- सिर्फ़ औरतों या खुन्सा की गवाही से निकाह नहीं हो सकता जब तक इनमें के दो के साथ एक मर्द न हो ।

मस्अला :- निकाह के गवाह फ़ासिद हों या अंधे या महदूद फ़ील्क़ज़फ़ तो इनकी गवाही से निकाह मुनअक़िद तो हो जायेगा मगर आकेदैन में से अगर कोई इंकार कर बैठेतो इनकी शहादत से निकाह साबित न होगा ।

मस्अला :- गवाहों का एजाब व कोबूल के वक्त होना शर्त है लेहाज़ा अगर निकाह इजाज़त पर मौक़ूफ़ है और एजाब व कोबूल गवाहों के सामने हुए और इजाज़त के वक्त न थे तो हो गया और इसका अक्स हुआ तो नहीं ।

मस्अला :- गवाह इसी को नहीं कहते जो दो शख़्स मजलिस अक़्द में मोक़र्रर कर लिये जाते हैं बल्कि वो तमाम हाज़रीन गवाह हैं जिन्होंने एजाब व कोबूल सुना अगर क़ाबिल शहादत हों ।

मस्अला :- औरत से इज़न लेते वक्त गवाहों की ज़रूरत नहीं यानी निकाह हो गया अलबत्ता इसबात के लिए गवाहों की यूँ ज़रूरत है कि अगर इसने इंकार कर दिया और ये कहा कि मैंने इज़न नहीं दिया था तो अब गवाहों से इसका इज़न देना साबित किया जायेगा ।

मस्अला :- ये जो तमाम हिन्दुस्तान में आमतौर पर रवाज पड़ा हुआ है कि औरत से एक शख़्स इज़न लेकर आता है जिसे वकील कहते है वो निकाह पढ़ने वाले से कहता है कि मैं फ़ंला का वकील हूँ आपको इजाज़त देता हूँ कि निकाह पढ़ा दीजिए ये तरीक़ा महज़ ग़लत है वकील को ये अख़्तेयार नहीं है कि इस काम के लिए दूसरे को वकील बना दे अगर ऐसा किया तो निकाह फ़ज़ूली हुआ और इजाज़त पर मौक़ूफ़ है इजाज़त से पहले मर्द व औरत हर एक को तोड़ देने का अख़्तेयार हासिल है बल्कि यूँ चाहिए कि जो पढ़ाये वो औरत का या इसके वली का वकील बने चाहे ख़ुद इसके पास जाकर वकालत

हासिल करे या दूसरा इसकी वकालत के लिए इज़न लाये कि फलाँ बिन फलाँ को तूने वकील किया कि वो तेरा निकाह फलाँ बिन फलाँ से कर दे औरत कहे हाँ ।

मस्अला :- ये अमर भी ज़रूरी है मनकूहा गवाहों को मालूम हो जाये यानी ये की फलाँ औरत से निकाह होता है इसके दो तरीके है एक ये की अगर मजलिस अक्द में मौजूद है तो इस की तरफ निकाह पढ़ने वाला इशारा करके कहे कि मैंने इसको तेरे निकाह में दिया अगरचे औरत के मुँह परनकाब पड़ा हो बस इशारा काफी है दूसरी सूरत मालूम करने की ये है कि औरत और बाप और दादा के नाम लिये जायें कि फलाँ बल्द फलाँ और अगर सिर्फ़ औरत ही के नाम लेने से गवाहों को मालूम हो जाये कि फलानी औरत से निकाह हुआ तो बाप-दादा के नाम लेने की ज़रूरत नहीं लेकिन एहतेयातन लेना चाहिए ।

मस्अला :- औरत से इजाज़त लें तो इसे मर्द का नाम और इसके बाप-दादा का नाम बतावें ताकि औरत जान ले कि फलाँ के साथ उसका निकाह हो रहा है । एजाब व कोबूल दोनों का एक मजलिस में होना (तो अगर दोनों एक मजलिस में मौजूद थे एक ने एजाब किया दूसरा कोबूल से पहले उठ खड़ा हुआ या कोई ऐसा काम शुरूकर दिया जिससे मजलिस बदल जाती है तो एजाब बातिल हो गया अब कोबूल करना बेकार है फिर से एजाब व कोबूल होना चाहिए) कोबूल एजाब के मोखालिफ़ न हो (मसलन कहा हज़ार रुपये महर पर तेरे निकाह में दी उसने कहा निकाह तो कोबूल किया और महर कोबूल नहीं, तो निकाह न हुआ और अगर निकाह कोबूल किया और महर की निसबत कुछ न बोला तो हज़ार रूपये पर निकाह हो गया) लड़की बालिग है तो इसका राज़ी होना शर्त है (वलि को ये अख्तेयार नहीं की बेगैर इसकी रज़ा के निकाह कर दे) किसी आइंदह ज़माना की तरफ निस्बत न की हो न किसी शर्ते ना मालूम पर मोअल्लक किया हो (मसलन मैंने तुझसे आइंदह रोज़ में निकाह किया या मैंने निकाह किया अगर ज़ैद आये तो इन सूरतों में निकाह न हुआ निकाह की इज़ाफ़त कुल की तरफ हो या उन आज़ा की तरफ जिनको बोलकर कुल मुराद लेते हैं तो अगर ये कहा फलाँ के हाथ से या पाँव से निसफ़ से निकाह किया तो इन सूरतों में सही न हुआ ।

महरमात का ब्यान

महरमात वो औरतें हैं जिनसे निकाह हराम है । और हराम होने के सबब हैं उन ही सबबों की वजह से हराम होने वाली औरतों की नौ किस्में हैं पहली किस्म में वो औरतें है जो नसब की वजह से हराम हैं और इस किस्म में सात औरतें हैं माँ-बेटी, बहन-फुफी, खाला-भतीजी, भांजी-मां से मुराद वो औरत है जिसकी औलाद में ये है वास्ता से या बिला वास्ता लेहाज़ा दादी-नानी-परनानी चाहे कितने ही ऊपर की हों सब हराम हैं और ये सब माँ में दाखिल है इसलिए कि ये बाप या माँ या दादा-दादी नाना-नानी की माँयें है । बेटी से

मुराद दो औरतें हैं जो इसकी औलाद हैं लेहाज़ा पोती-परपोती नवासी परनवासी चाहे बीच में कितने ही पुश्तों का फ़ासला हो सब हराम हैं ।

मसअला :- बहन चाहे हक़ीक़ी हो यानी एक माँ बाप से हो या सौतेली हो की बाप दोनों का एक है और मायें दो या माँ एक है बाप दो सब हराम है ।

मसअला :- बाप-माँ, दादा-दादी, नाना-नानी वग़ैरह ओसूल की फुफीयाँ या खालायें अपनी फूफी और खाला के हुक्म में है चाहे ये सगी हो या सौतेली यूँ ही फूफी की फूफी और खाला की खाला यानी ये सब हराम है ।

मसअला :- भतीजी, भांजी से भाई बहन की औलाद मुराद है इनकी पोतीयाँ नवासीयाँ भी इसी गिनती में हैं यानी ये सब भी हराम हैं ।

मसअला :- ज़ेना से बेटी पोती बहन भतीजी भांजी भी महरमात में हैं ।

मसअला :- जिस औरत से इसके शौहर ने लेआन किया अगरचे इसकी लड़की अपनी माँ की तरफ मंसूब होगी मगर फिर भी इस शख़्स पर वो लड़की हराम है । दूसरी किस्म में वो औरतें हैं जो रिश्ता मोसाहरत की वजह से हराम हैं और वो ये हैं ज़ौजा मौतूआ की लड़कियाँ ज़ौजा की माँ, दादीयाँ, नानियाँ, बाप दादा वगैरह ओसूल की बीबीयाँ बेटे पोते वगैरह फोरुअ की बीबीयाँ ।

मसअला :- खलवत सहीहा भी वती ही के हुक्म में है यानी अगर खलवत सहीहा औरत के साथ हो गयी तो इसकी लड़की हराम हो गयी चाहे वती न की हो ।

मसअला :- जिस औरत से निकाह किया और वती न की थी कि जुदाई हो गयी इसकी लड़की इस पर हराम नहीं ।

मसअला :- निकाह फ़ासिद से हुरमत मोसाहरत शाबित नहीं होती जब तक वती न हो ।

मसअला :- वती चाहे हलाल तौर पर हो या हराम बहरहाल हुरमत मोसाहरत साबित हो जायेगी ।

मसअला :- हुरमत मोसाहरत जिस तरह वती से होती है यूँ ही शहवत से छूने और बोसा लेने और फ़र्ज़ दाखिल की तरफ नज़र करने से भी होती है चाहे कसदन हो या भूलकर या गल्ति से या मजबूरन बहरहाल मोसाहरत साबित हो जायेगा ।

मसअला :- हुरमत मोसाहरत के लिए शर्त ये है कि औरत मुश्तहात हो यानी नौ बरस से कम उम्र की न हो और ये कि ज़िनदह हो तो अगर नौ बरस से कम उम्र की लड़की या मुर्दा औरत को शहवत से छूवा तो हरमत साबित न होगी ।

मस्अला :- किसी मर्द ने एक औरत से निकाह किया और इस मर्द के लड़के ने इस औरत की लड़की से निकाह किया जो लड़की दूसरे शौहर से है तो हर्ज नहीं यूँ ही अगर उस मर्द के लड़के ने औरत की माँ से निकाह किया जब भी यही हुक्म है।

तीसरी किस्म में वो औरतें हैं कि जिनमें से एक तो मर्द के निकाह में रह सकती है और इनमें कि दो एक साथ मर्द के निकाह में नहीं रह सकती और ये वो औरतें हैं कि जिन औरतों में आपस में ऐसा रिश्ता हो कि अगर एक को मर्द फर्ज करें तो दूसरी के साथ उसका निकाह हराम हो (जैसे दो बहने हों एक को अगर मर्द फर्ज करें तो दूसरी से इसका भाई बहन का रिश्ता हो या जैसे फूफी, भतीजी कि फूफी को मर्द फर्ज करें तो चचा भतीजे का रिश्ता हो और भतीजी को मर्द फर्ज करें तो फूफी भतीजे का रिश्ता हो या जैसे खाला भांजी कि अगर खाला को मर्द फर्ज करें तो मामूं भाजे का रिश्ता हो, और भांजी को मर्द फर्ज करें तो भांजे खाला का रिश्ता हो ऐसी दो औरतों का निकाह में जमआ नहीं कर सकते बल्कि अगर तलाक दे दी हो तो जब तक इद्दत न गुज़र ले दूसरी से निकाह नहीं कर सकता ।

मस्अला :- ऐसी दो औरतें जिनमें इस किस्म का रिश्ता हो (जो अभी ऊपर बयान किया गया) वह नसब के साथ खास नहीं है बल्कि अगर दूध के भी इस तरह के रिश्ते हों तब भी दोनों का जमआ करना हराम है जैसे औरत और इसकी रज़ाई बहन या रज़ाई खाला या रज़ाई फूफी ।

मस्अला :- दो औरतों में अगर ऐसा रिश्ता पाया जाये कि एक को मर्द फर्ज करें तो दूसरी इसके लिए हराम हो और दूसरी को मर्द फर्ज करें तो पहली हराम न हो तो ऐसी दो औरतों के जमआ करने में हर्ज नहीं जैसे–– औरत और इसके शौहर की लड़की कि इस लड़की को मर्द फर्ज करे तो दो औरत इस पर हराम होगी कि इसकी सौतेली माँ हुई और अगर औरत को मर्द फर्ज करे तो लड़की से कोई रिश्ता पैदा न होगा यूँ ही औरत और उसकी बहू चौथी किस्म में वो औरतें है जो अपनी मिल्क में होने की वजह से हराम हैं जैसे— अपनी बांदी चाहे उम्मेवलद या मोकातबा या मोदब्बरा ही हों चाहे साझे की हो मगर मोतअख्खेरीन के नज़दीक एहतेयातन निकाह कर लेना अच्छा है लेकिन इस पर समरात निकाह अज़क़सम महर व तलाक़ वगैरह मोरतब नहीं ।

मस्अला :- औरत अपने गुलाम से निकाह नहीं कर सकती चाहे तनहा इसी की मिल्क में हो या कोई और भी इसमें शरीक हो । पाँचवीं किस्म में वो औरतें हैं जिनके साथ निकाह शिर्क की वजह से हराम है ।

मस्अला :- मुसलमान का निकाह मजूसीया (आग पूजने वाला) बुत परस्त (मूर्ति पूजने वाला) आफ़ताब परस्त सितारा परस्त औरत से नहीं हो सकता बल्कि कताबिया के सिवा किसी काफ़िरा औरत से मुसलमान का निकाह नहीं हो सकता है ।

मस्अला:- यहूदिया और नसरानीया से मुसलमान का निकाह हो सकता है । मगर चाहिये नहीं कि इसमें बहुत से मफासिद (खराबियाँ) का दरवाज़ा खुलता है मगर ये

जाइज़ होना उसी वक्त तक है जबकि अपने उसी मज़हब यहूदियत या नसरानियत पर हो और अगर सिर्फ़ नाम के यहूदि नसरानी हों और हकीकतन नैचरी और दहरीया मज़हब रखती हो जैसे आजकल के अमूमन नसारा का कोई मज़बह ही नहीं तो इनसे निकाह नहीं हो सकता न उनका ज़बीहा जायेज़ और अब तो इनके यहाँ ज़बीहा होता भी नहीं ।

मस्अला :- मुसलमान औरत का निकाह मुसलमान मर्द के सिवा किसी मज़हब वाले से नहीं हो सकता ।

मस्अला :- मुरतद व मुरतदा का निकाह किसी से नहीं हो सकता ।

मस्अला :- मर्द व औरत काफिर थे दोनों मुसलमान हुए तो वही पहला निकाह (यानी कुफ़र की हालत का विवाह) बाकी है नये निकाह की ज़रूरत नहीं और अगर सिर्फ़ मर्द मुसलमान हुआ तो औरत से इस्लाम लाने को कहा जायेगा अगर मुसलमान हो गयी तो इसकी बीवी है और अगर इस्लाम न लायी तो अब तफ़रीक़ कर देगें यूँ ही अगर औरत पहले मुसलमान हुई तो मर्द से इस्लाम लाने को कहा जायेगा अगर तीन हैज़ आने से पहले मर्द मुसलमान हो गया तो पहला निकाह बाकी है और अगर इस्लाम कोबूल न किया तो फिर इसके बाद औरत जिससे चाहे निकाह कर ले कोई इसे रोक नहीं सकता । छटी किस्म में वो बाँदी है जिससे निकाह हुर्रा पर किया जाये ।

मस्अला :- हुर्रा निकाह में है और बाँदी से निकाह किया तो ये निकाह सही न हुआ ।

मस्अला :- पहले बाँदी से निकाह किया फिर आज़ाद से तो दोनों निकाह सही हो गये । सातवीं किस्म में वो औरतें हैं जो इस वजह से हराम है कि इनसे गैर का हक मोतल्लिक है ।

मस्अला :- दूसरे की मंकूहा से निकाह नहीं हो सकता बल्कि अगर दूसरे की इद्दत में हो जब भी नहीं हो सकता चाहे इद्दत तलाक़ की हो या इद्दत मौत की या शुबहये निकाह या निकाह फ़ासिद में दुखूल की वजह से ।

मस्अला :- जिस औरत को ज़ेना का हमल है उससे निकाह हो सकता है फिर अगर इसी का वो हमल है तो वति भी कर सकता है और अगर दूसरे का है तो जब तक बच्चा पैदा न हो ले वति जायेज़ नहीं ।

मस्अला :- जिस औरत का हमल साबेतुन्नसब है उससे निकाह नहीं हो सकता । आठवीं किस्म में वो औरतें है जो मोकर्रर गिनती से ज़ायेद होने की वजह से हराम है ।

मस्अला :- आज़ाद मर्द को एक वक्त में चार औरतों से और गुलाम को दो से ज़्यादा से निकाह करने की इजाज़त नहीं और आज़ाद मर्द को कनीज़ (बाँदी) का अखतेयार है इसके लिए कोई हद नहीं ।

मस्अला :- मुतआ हराम है यूँ ही अगर किसी खास वक्त तक के लिए निकाह किया तो ये निकाह भी न हुआ अगरचे दो सौ वर्ष के लिए हो नवीं किस्म वो औरतें है जो दूध के रिश्ते की वजह से हराम हैं ।

मस्अला :- जो औरतें नसब के रिश्ता की वजह से हराम होती हैं वो दूध के रिश्ते की वजह से भी हराम होती हैं । सिवा चन्द के जिनका बयान आगे आता है ।

दूध के रिश्ता का बयान

मस्अला :- बच्चा को दो बरस तक दूध पिलाया जाये इससे ज़्यादा की इजाज़त नहीं दूध पीने वाला लड़का हो या लड़की दोनों बराबर हैं ये हुक्म दूध पिलाने का है मगर निकाह हराम होने के लिए ढाई बरस का ज़माना है यानी दो बरस के बाद अगरचे दूध पिलाना हराम है मगर ढाई बरस के अन्दर अगर दूध पिलायेगी निकाह हराम होना साबित हो जायेगा और अगर ढाई बरस की उम्र के बाद पिया तो निकाह हराम नहीं होगा अगरचे पिलाना जायेज़ नहीं ।

मस्अला :- दो वर्ष की मुद्दत पुरी होने के बाद इलाज के लिए भी दूध पीना या पीलाना जायेज़ नहीं ।

मस्अला :- रेदाअ (यानी दूध का रिश्ता) औरत का दूध पीने से साबित होता है मर्द या जानवर का दूध पीने से साबित नहीं और दूध पीने से मुराद यही तरीका नहीं बल्कि अगर हलक या नाक में दूध टपकाया गया जब भी यही हुक्म है और थोड़ा पिया या ज्यादा हर हाल में हुर्मत साबित हो जायेगी जबकि अन्दर पहुँच जाना मालूम हो और अगर छाती मुँह में ली मगर ये नहीं मालूम की दूध पिया तो हुर्मत साबित नहीं ।

मस्अला :- औरत का दूध अगर हिकना से अन्दर पहुँच गया या कान में टपकाया गया या पेशाब के मकाम से पहुँचाया गया या पीठ या दीमाग़ में ज़ख्म था इसमें डाला गया कि अन्दर पहुँच गया तो इन सूरतों में रेदाअ साबित नहीं ।

मस्अला :- औरतों को चाहिए कि बिला ज़रूरत हर बच्चा को दूध न पिला दिया करें और पिलायें तो खुद भी याद रखें और लोगों से यह बात कह भी दें । औरत को बिना अपने मर्द से पूछे किसी बच्चा को दूध न पीलाना चाहिए मकरूह है अलबत्ता अगर उस बच्चा के हलाक होने का डर हो तो मकरूह नहीं मगर मियाद के अन्दर रज़ाअत का हुक्म में साबित होगा ।

मस्अला :- बच्चा ने जिस औरत का दूध पिया वो औरत उस बच्चा की माँ हो जायेगी और उसका शौहर (जिसका ये दूध है यानी इसकी वति से बच्चा पैदा हुआ जिससे औरत को दूध उतरा) इस दूध पिने वाले बच्चा का बाप हो जायेगा और इस औरत की तमाम औलादें इस बच्चा के भाई बहन हो जायेगें चाहे ये सब इसी शौहर से हो या दूसरे शौहर से इस बच्चा के दूध पिने से पहले की औलादें है या बाद की या साथ की हर हाल में भाई बहन हो जायेगें और औरत के भाई इस बच्चा के मामू हो

जायेगी और बहन खाला हो जायेगी यूँ ही इस शौहर की अवलादें चाहें इसी औरत से हों या दूसरी से सब इस बच्चा के भाई बहन हो जायेगें और इस शौहर के भाई इस बच्चा के चचा हो जायेगें और इस शौहर की बहन इस बच्चा की फूफीयाँ हो जायेगी यूँ ही इस मर्द के बाप माँ इस बच्चा के दादा दादी और औरत के बाप-माँ, नाना-नानी हो जायेगी ।

मसअला :- जो नसब में हराम है रेदाअ में भी हराम है मगर भाई या बहन की माँ कि ये नसब में हराम है कि वो या इसकी माँ होगी या बाप की मौतूआ और दोनों बातें रेदाअ में कोई हुरमत की वजह नहीं लेहाजा हराम नहीं और इसकी तीन सूरतें है - (1) रेदाअई भाई की रेदाअई माँ यूँ ही बेटे या बेटी की बहन या दादी कि नसब में पहली सूरत में बेटी होगी या रबीबा होगी और दूसरी सूरत में माँ होगी या बाप की मौतूह होगी यूँ ही चचा या फूफी की माँ या मामू या खाला की माँ की नसब में दादी नानी होगीं और रेदाअ में हराम नहीं और इनमें भी वही तीन सूरतें है ।

मसअला :- हकीकी भाई की रेदाअई बहन या रेदाअई भाई की हकीकी बहन या रेदाअई भाई की रेदाअई बहन से निकाह जायेज़ है और भाई की बहन से नसब में भी एक सूरत जवाज़ की है यानी सौतेले भाई की बहन जो दूसरे बाप से हो ।

मसअला :- एक औरत का दो बच्चों ने दूध पिया और इनमें एक लड़का है और एक लड़की है तो ये भाई बहन हैं और इनमें निकाह हराम है चाहे दोनों ने एक वक्त में न पिया हो बल्कि दोनों के पीने में बरसों का फासला हो चाहे एक वक्त में एक औरत का दूध था और दूसरे वक्त में दूसरे का

मसअला :- दूध पीने वाली लड़की का निकाह पिलाने वाली के बेटों पोतों से नहीं हो सकता कि ये (पीने वाली) इनकी बहन या फूफी है । यानी बेटों की बहन और पोतों की फूफी होगी।

मसअला :- जिस औरत से ज़िना किया और बच्चा पैदा हुआ इस औरत का दूध जिस लड़की ने पिया तो लड़की ज़ानी पर हराम है ।

मसअला :- पानी या दवा में औरत का दूध मिलाकर पिलाया तो अगर दूध गालिब है या दोनों बराबर तो रेदाअत साबित है अगर मगलूब है तो नहीं यूँ ही अगर बकरी और किसी जानवर के दूध में औरत का दूध मिलाकर दिया तो अगर जानवर का दूध गालिब है तो रेदाअत साबित नहीं और कम और बराबर में रेदाअत साबित है और इसी तरह अगर दो औरतों का दूध मिलाकर पिलाया तो जिसका दूध ज़्यादा है उससे रेदाअत साबित है और दोनों बराबर हों तो दोनों से साबित है और एक रेवायत में है कि बहरहाल दोनों से रेदाअत साबित है ।

मसअला :- खाने में औरत का दूध मिलाकर दिया अगर वो पतली चीज़ पीने के काबिल है और दूध गालिब या बराबर है तो रेदाअत साबित हो जायेगी नहीं तो नहीं और अगर पतली चीज़ नहीं, है तो मुतलकन साबित नहीं ।

मस्अला :- रेदाअ के सुबुत के लिए दो मर्द या एक मर्द और दो औरतें आदिल गवाह हों चाहें वो औरत खुद दूध पिलाने वाली ही हो फक्त औरतें की शहादत से सुबूत न होगा मगर बेहतर ये है कि औरतों के कहने से भी जुदाई कर लें ।

मस्अला :- मर्द ने अपनी औरत की छाती चूसी तो निकाह में कोई खराबी न आयी चाहे दूध मुँह में आ गया हो बल्कि हल्क से उतर गया हो तब भी निकाह न टूटेगा ।

वली का ब्यान

वली वह है जिसका कौल (बात) दूसरे पर नाफ़िज हो (चले) दूसरा चाहे (माने) या न चाहे वली का आकिल बालिग होना शर्त है और मजनूं (पागल) वली नहीं हो सकता मुसलमान के वली का मुसलमान होना भी शर्त है इसलिए कि काफ़िर को मुसलमान पर कोई अख़्तियार नहीं मुत्तक़ी होना शर्त नहीं फासिक भी वली हो सकता है वलायत के असबाब चार हैं कराबत, मिल्क, वेला, ईमामत ।

मस्अला :- करावत की वजह से वलायत असबा बेनफ़्सेही के लिए है यानी वो मर्द जिनको इससे करावत किसी औरत के रिश्ता से न हो या यूँ समझो की असबा वो वारिस है कि जवी अल्फ़रोद के बाद जो कुछ बचे सब ले ले और जब जवी अल्फ़रोद न हों तो सारा माल यही ले ऐसी करावत वाला वली है और निकाह में भी वही तरतीब है जो वरासत में है यानी उनमें मुक़द्दम बेटा फिर पोता फिर परपोता चाहे कई पुश्त निचे का हो ये न हो तो बाप फिर दादा फिर परदादा वगैरह औसूल अगरचे कई पुश्त ऊपर का हो फिर हकीकी भाई फिर सौतेला भाई फिर हकीकी भाई का बेटा फिर सौतेले भाई का बेटा फिर हकीकी चचा फिर सौतेला चचा फिर हकीकी चचा का बेटा फिर दादा का हकीकी चचा फिर दादा का सौतेला चचा फिर दादा के हकीकी चचा का बेटा खोलासा ये कि इस खानदान में सबसे ज्यादा करीब का रिश्तेदार जो मर्द हो वो वली है जब बेटा न हो तो जो हुक्म बेटे का है वही पोते का है पोता न हो तो परपोते का है असबा के वली होने में इसका आजाद होना शर्त है अगर गुलाम है तो इसकी वलायत नहीं बल्कि इस सूरत में वली वो होगा जो इसके बाद वली हो सकता ।

मस्अला :- जब असबा न हो तब माँ वली है फिर नवासी की बेटी फिर नाना फिर हकीकी बहन फिर सौतेली बहन फिर अख़्याफ़ी भाई बहन ये दोनों एक दर्जा के हैं । इनके बाद बहन वगैरह की अवलाद इसी तरतीब से इनकी अवलाद ।

मस्अला :- जब रिश्तेदार मौजूद न हों तो मौला मवालात है यानी वो जिसके हाथ पर इसका बाप मशर्रफ़ बा इसलाम हुआ और ये अहद किया कि इसके बाद ये इसका वारिस होगा या दोनों ने एक दूसरे का वारिस होना ठहरा लिया हो ।

मसअला :- इन सब के बाद बादशाहे इस्लाम वली* है । फिर काज़ी ये मुआज़ बवलायत मज़कूरह फ़िलमोतव्वलात ।

मसअला :- वसी ** को यह अख़्तियार नहीं है कि यतीम का निकाह कर दे चाहे उन यतीम के बाप दादा ने उस की वसियत भी की हो कि मेरे बाद तुम इन का निकाह कर देना । अलबत्ता अगर वह करीब का रिश्तेदार या हाकिम है तो फिर कर सकता है कि वह वली भी है । (दुर्रे मुख़्तार व बिहार)

मसअला :- नाबालिग बच्चा की किसी ने परवरिश की मस्लन मुतबन्ना किया, या नाबालिग बच्चा कहीं पड़ा मिला उसे पाल लिया तो यह परवरिश करने वाला उस बच्चे का वली नहीं । (हिन्दीया व बिहार)

मसअला :- लौंडी गुलाम के निकाह का वली उनका मौला (मालिक) है उसके सिवा किसी को वेलायत नहीं चाहे बालिग हों या नाबालिग, अगर किसी और ने या लौंडी गुलाम ने ख़ुद निकाह कर लिया तो निकाह मौला की इजाज़त पर मौक़ूफ़ होगा, जायज़ कर देगा जायज़ हो जायेगा, रद कर देगा बातिल हो जायेगा और गुलामे मुशतरक में अब मोरका की इजाज़त पर मौक़ूफ़ होगा । (आलमगीरी)

मसअला :- काफ़िर अस्ली काफ़िर अस्ली का वली है और मुरतद किसी का भी वली नहीं, ना मुस्लिम का ना काफ़िर का, यहां तक कि मुरतद, मुरतद का भी वली नहीं । (हिन्दीया व बिहार)

मसअला :- वली अगर पागल हो गया तो उसकी वेलायत जाती रही, लेकिन अगर इस किस्म का पागल है कि कभी पागल रहता है कभी होश में तो वेलायत बाक़ी है एफ़ाक़ा की हालत में जो कुछ तसर्रुफ़ात करेगा नाफ़िज़ होंगे । (हिन्दया व बिहार)

मसअला :- वली अक़रब वेलायत के लायक़ नहीं (जैसे बच्चा है या पागल) तो वली अबअद ही निकाह का वली है (हिन्दया व बिहार)

मसअला :- दो बराबर के वली ने निकाह कर दिया जैसे उस के दो सगे भाई हैं दोनों ने निकाह कर दिया तो जिसने पहले किया वह सही है (दुर्रे मुख़्तार)

---

* लेकिन इस वेलायत से बादशाह ख़ुद अपने साथ नहीं कर सकता ।

** वसी वह है जिसको वसियत की जाये कि तुम ऐसा करना ।

मस्अला :- वली अकरब गायब है उस वक्त दूर वाले वली ने निकाह कर दिया तो सही है और उसकी मौजूदगी में किया तो, बिला उसकी इजाज़त न होगा (दुर्रे मुख्तार व रद्दुलमुहतार)

मस्अला :- वली के गायब होने से मुराद यह है कि अगर उसका इन्तिज़ार किया जाये तो जिस ने पैग़ाम दिया है और कुफ़ू भी है हाथ से जाता रहेगा। वली करीब मफ़कूदुलखबर हो या कहा दौरा करता हो कि उसका पता मालूम न हो या उसी शहर में छुपा हुआ है मगर लोगों को उसका हाल मालूम नहीं और वली अबअद ने उसका निकाह कर दिया और अब वह ज़ाहिर हुआ तो निकाह सही हो गया। (खानिया वगैरह)

मस्अला :- कुफ़ू ने पैग़ाम दिया और वह महरे मिस्ल भी देने पर तैयार है मगर वली अकरब लड़की का निकाह उससे नहीं करता बल्कि बिला वजह इन्कार करता है तो वली अबअद निकाह कर सकता है। (दुर्रे मुख्तार व बहार)

मस्अला :- नाबालिग़ और मजनून और लौंडी गुलाम के निकाह के लिये वली शर्त है बग़ैर वली उनका निकाह नहीं हो सकता और आज़ाद बालेग़ा आक़िला ने बग़ैर वली कुफ़ू से निकाह किया तो निकाह हो गया और ग़ैर कुफ़ू से किया तो न हुआ अगरचे निकाह के बाद राज़ी हो गया अलबत्ता अगर वली ने सुकूत किया और कुछ जवाब न दिया और औरत के बच्चा भी पैदा हो गया तो अब निकाह सही माना जायेगा (दुर्रे मुख्तार व रद्दुलमुहतार)

मस्अला :- जिस औरत का कोई असबा न हो वह अगर अपना निकाह जान बूझ कर ग़ैर कुफ़ू से करे तो निकाह हो जायेगा। (रद्दुलमुहतार व बहार)

मस्अला :- औरत बालेग़ा आक़िला का निकाह बग़ैर उसकी इजाज़त के कोई नहीं कर सकता न उसका बाप न बादशाहे इस्लाम, क्वारी हो या सइय्बा।

★ क्वारी औरत उसको कहते हैं जिससे निकाह के साथ वती न की गयी हो लेहाज़ा अगर बीमारी या ज़्यादती उम्र की वजह से या जेना की वजह से बकारत जाइल हो गयी जब भी क्वारी कहलायेगी। यूं ही अगर निकाह हुआ और शौहर के नामर्द होने की वजह से तफ़रीक़ हो गई या शौहर ने वती से पहले तलाक़ दे दी या मर गया तब भी क्वारी है अगरचे इन सूरतों में खिलवत भी हो चुकी हो जब भी क्वारी है लेकिन अगर चन्द बार ज़ेना किया कि लोगों को हाल मालूम हो गया या ज़ेना की हद लगी तो चाहे एक ही बार ज़ेना हो तो अब क्वारी न ठहराई जायेगी।

★★ सइय्बा जो औरत क्वारी न हो उसको सइय्बा कहते हैं (दुर्रे मुख्तार)

★★★ मोकातब उस गुलाम को कहते हैं जिसको आक़ा ने इस शर्त पर आज़ाद किया हो कि तू इतनी रक़म दे दे तो आज़ाद है।

★★★★ मगर यह इज़्न इस्तेज़ान न हो, क्योंकि इस्तेज़ान इसी इन्कार पर दलालत करती है इसी तरह आवाज़ से रोना।

ही मर्द बालिग़ आज़ाद और मुकातब व मुकातबा का अक़्दे निकाह बिला उनकी मर्जी के कोई नहीं कर सकता । (हिन्दया, दुर्रेमुख़्तार व बिहार)

मस्अला :- क्वांरी औरत से उसके वली अक़रब ने या वली के वकील या क़ासिद ने इज़्न मांगा और औरत चुप रही या मुस्कराई या हंसी या बिला आवाज़ रोई तो यह सब इज़्न देना समझा जायेगा । (हिन्दया, दुर्रेमुख़्तार)

मस्अला :- वली अक़रब ने बिला इजाज़त लिये निकाह कर दिया अब उसके क़ासिद ने या किसी फ़ोजूली आदिल ने ख़बर दी और औरत चुप रही या हंसी या मुस्कुराई या बिला आवाज़ रोई तो इन सब सूरतों में इज़्न समझा जायेगा कि किया हुआ निकाह मंजूर है । (हिन्दया दुर्रे मुख़्तार)

मस्अला :- वली बईद या अजनबी ने निकाह का इज़्न-तलब किया तो सुकूत इज़्न नहीं बल्कि अगर औरत क्वांरी है तो सराहतन इज़्न के अलफ़ाज़ कहे या कोई फ़ेल ऐसा करे जो क़ौल के हुक्म में हो । जैसे महर या नफ़क़ा तलब या कुबूल करना, ख़िलवत पर राज़ी होना वग़ैरह (दुर्रे मुख़्तार)

मस्अला :- इज़्न लेने में यह भी ज़रूरी है कि जिसके साथ निकाह करने का इरादा हो उसका नाम इस तरह से लिया जाये कि औरत जान सके । अगर यूँ कहा कि एक मर्द से तेरा निकाह कर दूँ या यूँ कि फ़लाँ क़ौम के एक शख़्स से निकाह कर दूँ तो यह इज़्न नहीं हो सकता ।

मस्अला :- इज़्न लेने में महर का ज़िक्र हो जाना चाहिए और अगर ज़िक्र न किया तो ज़रूर है कि जो महर बाँधा जाये वह महरे मिस्ल से कम न हो और अगर कम हो तो बग़ैर औरत के राज़ी हुए अक़्द सही न होगा । (दुर्रे मुख़्तार)

मस्अला :- नाबालिग़ लड़का और लड़की और मजनून और मातूवह के निकाह पर वली को वेलायते इजबार हासिल है यानी अगरचे यह लोग न चाहें वली ने जब निकाह कर दिया हो गया फिर अगर बाप दादा या बेटे ने निकाह कर दिया है तो यह निकाह लाज़िम हो जायेगा कि इनको बालिग़ होने के बाद या मजनून को होश आने के बाद इस निकाह के तोड़ने का अख़्तियार नहीं हाँ अगर बाप, दादा या लड़के का सूऐ अख़्तियार मालूम हो चुका हो (मसलन इससे पेशतर उसने अपनी लड़की का किसी ग़ैर कुफ़ू फ़ासिक़ वग़ैरह से कर दिया और अब यह दूसरा निकाह ग़ैर कुफ़ू से करेगा) तो सही न होगा, यूँ ही अगर नशे की हालत में ग़ैर कुफ़ू से या महरे मिस्ल में ज़्यादा कमी के साथ निकाह किया तो सही न होगा, और अगर बाप, दादा या बेटे के सिवा किसी और ने किया तो ग़ैर कुफ़ू या महरे मिस्ल में ज़्यादा कमी बेशी के साथ हुआ तो मुतलक़न सही नहीं और अगर कुफ़ू से महरे मिस्ल के साथ किया है तो सही है मगर बालिग़ होने के बाद और मजनून को इफ़ाक़ा के बाद और मातूवाह को आक़िल होने के बाद फ़सख़ का अख़तियार होगा अगरचा ख़लवत बल्कि

वती हो चुकी हो यानी अगर निकाह होना पहले से मालूम है तो बिकर बालिग होते ही फौरन और अगर मालूम न था तो जिस वक्त मालूम हुआ उसी वक्त फौरन फ़स्ख कर सकती है । अगर कुछ भी वक़्फ़ा हुआ तो अख़्तियारे फ़स्ख जाता रहा यह न होगा कि आख़िर मजलिस तक अख़्तियार बाक़ी रहे । मगर निकाह फ़सख उस वक्त होगा जब काज़ी फ़सख का हुक्म भी दे दे । लेहाज़ा उसी असना में कबल हुक्मे काज़ी अगर एक मर गया तो दूसरा वारिस होगा और पूरा महर लाज़िम होगा (दुर्रे मुख़्तार, खानिया, जौहरा बिहार वगैरह)

मस्अला :- औरत जिस वक़्त बालिग़ हुई उसी वक़्त किसी को गवाह बनाये कि मैं अभी बालिग हुई और अपने नफ़स को इख़्तेयार करे और सुबह को गवाहों के सामने अपना बालिग होना और एख़्तेयार करना ब्यान करें । मगर यह न कहें कि रात में बालिग हुई बलकी यह कि मैं इस वक़्त बालिग हुई और अपने नफ़स को एख़्तेयार किया और इस लफ़्ज़ से यह मुराद ले कि मैं इस वक़्त बालिग हूँ ताकि झूट न हो ।

मस्अला :- औरत को यह ना मालूम था कि उसे खेयारे बोलूग हासिल है इस बिना पर उसने अमल भी न किया अब उसे यह मस्अला मालूम हुआ तो अब कुछ नहीं कर सकती इसलिये कि जहल उज़्र नहीं इसलिये कि न सीखना खुद उसी का कोसूर है लेहाज़ा काबिले माज़ूरी नहीं ।

मस्अला :- लड़का या सईयब बालिग हुए तो सोकूत से खेयारे बुलूग बातिल न होगा जब तक साफ तौर पर अपनी रेज़ा या कोई ऐसा फेल (काम) जो रेज़ा पर दलालत करे ना पाया जाये यहाँ मज्लिस से उठ जाना भी खेयार को बातिल नहीं करता इसलिये कि इस खेयार का वक़्त उम्र भर है, रही यह बात कि इस फस्खे निकाह से महर लाज़िम आयेगा या नहीं तो अगर वती हो चुकी है तो महर लाज़िम आयेगा नहीं तो नहीं और अगर वती हो चुकी है तो फस्ख के बाद औरत के लिये ईददत भी है । और उस ज़माना ईददत में अगर शौहर उसे तलाक़ दे दे तो वाक़ा ना होगी और यह फस्ख तलाक नहीं लेहाज़ा फिर अगर इन्हीं दोनों का बाहम निकाह हो तो शौहर तीन तलाक का मालिक होगा ।

कुफ़ू का बयान

कुफ़ू से यहाँ मुराद यह है कि मर्द औरत से नसब वगैरह में इतना कम न हो कि उससे निकाह औरत के वलियों के लिए नंग व आर का सबब हो । कफ़ाअत सिर्फ मर्द की तरफ़ ली जाती है औरत चाहे कम दर्जा की हो उसका कुछ एतबार नहीं । (हदाया, बिहार वगैरह)

मस्अला :- बाप दादा के सिवा किसी और वली ने नाबालिग लड़के का निकाह गैर कुफ़ू से कर दिया तो सही नहीं और अगर बालिग अपना खुद निकाह करना चाहे तो गैर कुफ़ू से कर सकता है कि औरत की तरफ़ से उस सूरत में कफ़ाअत मुअतबर नहीं और नाबालिग में दोनों तरफ़ से कफ़ाअत का एतबार है । (रद्दुलमुहतार, बिहार वगैरह)

मस्अला :- कफ़ाअत में छ: चीजों का एतबार है, १. नसब, २. इस्लाम, ३. हिरफ़त है, ४. हुर्रियत, ५. दयानत, ६.माल कुरैश में जितने खानदान हैं वह सब आपस में कुफ़ू है, यहाँ तक कि क़रशी गैर हाशमी का कुफ़ू है, और कोई गैर क़रशी, कुरैश का कुफ़ू नहीं, कुरैश के अलावा अरब में तमाम कौमें एक दूसरे की कुफ़ू है । अंसार व मुहाजेरीन सब उसमें बराबर है, अजमीउलनस्ल अर्बी का कुफ़ू नहीं मगर आलिमें दीन कि उसकी शराफ़त नसब की शराफ़त पर फ़ौक़ियत रखती है । (खानिया, हिन्दीया, बिहार)

मस्अला :- जो खुद मुसलमान हुआ यानी उसके बाप दादा मुसलमान न थे वह उसका कुफ़ू नहीं जिसका दादा भी मुसलमान हो और बाप दादा दो पुश्त से इस्लाम हो तो अब दूसरी तरफ़ अगरचा ज्यादा पुश्तों से इस्लाम हो कुफ़ू है मगर बाप दादा के इस्लाम का एतबार गैर अरब में है अरबी के लिये खुद मुसलमान हुआ या बाप दादा से इस्लाम चला आता हो सब बराबर है ।

मस्अला :- फ़ासिक़ शख्स मुत्तक़ी की लड़की का कुफ़ू नहीं अगरचा वह लड़की खुद मुत्तक़ीया न हो और यह जाहिर है कि फ़सके एतक़ादी फ़सके अमली से बदरजहा बदतर है लेहाजा सुन्नी औरत का कुफ़ू वह बदमजहब नहीं हो सकता जिसकी बदमज़हबी कुफ़्र को पहुंची हो उनसे तो निकाह ही नहीं हो सकताकि वह मुसलमान ही नहीं कुफ़ू होना तो बड़ी बात है जैसे कि खारिज व वहाबी आये जमाना कि उनके अक़ाएद व अक़वाल कुफ़्रया है जैसा कि उनकी किताबों से जाहिर है ।

मस्अला :- माल में कफ़ाअत के यह मानी है कि मर्द के पास इतना माल हो कि महर मुअज्जल (जल्दी) व नफ़का देने पर कादिर हो । अगर पेशा न

★ रज़ा पर वेलायत करने वाले फ़ेल की मिसाल यह है, बोसा लेना, बदन छूना, महर लेना महर देना, वती पर राजी होना ।

★ कुफ़ू जोड़ का - बराबर का - मेल का - नंग व आर - शर्म व ग़ैरत

करता हो तो एक महीना का नफ़का देने पर क़ादिर हो, वर्ना रोज़ की मजदूरी इतनी हो कि औरत के रोज़ के जरूरी खर्च रोज़ दे सके इसकी जरूरत नहीं कि माल में यह उसके बराबर हो ।

मस्अला :- औरत मुहताज है और उसके बाप दादा भी ऐसे ही हैं तो उसका कुफ़ू भी माल के एतबार से वही होगा जो महर मुअज्जल (जल्दी) और नफ़का देने पर कादिर हो ।

मस्अला :- मालदार का नाबालिग लड़का चाहे खुद माल का मालिक न हो मगर क़फ़ाअत में मालदार समझा जायेगा ।

मस्अला :- जिन लोगों के पेशे ज़लील समझे जाते हैं वह अच्छे पेशे वालों के कुफ़ू नहीं जैसे जूता बनाने वाले, चमड़ा पकाने वाले, साइस, चरवाहे यह उनके कुफ़ू नहीं जो कपड़े बेचते, इत्र फ़रोशी करते, तेजारत करते हैं या वह दुकानदार है कि बने हुए जूते लेता और बेचता है तो ताजिर वगैरह का कुफ़ू है । यूँ ही और कामों में ।

मस्अला :- निकाह के वक्त कुफ़ू था बाद में कफ़ाअत जाती रही तो निकाह फ़सख़ न किया जायेगा ।

मस्अला :- पहले किसी का पेशा कम दर्जे का था जिसकी वजह से कुफ़ू न था और उसने उस काम को छोड़ दिया, अगर आर बाकी है तो अब भी कुफ़ू नहीं और अगर आर बाकी नहीं रहा तो कुफ़ू हो जायेगा ।

मस्अला :- हुस्न व जमाल अमराज़ व अयूब का एतबार नहीं लेकिन वली को चाहिए कि इन बातों का भी ख्याल रखे ताकि बाद में फ़साद का सबब न हो ।

महर का बयान

महर कम से कम दस दिरहम है इससे कम नहीं हो सकता । जिसकी मिक़दार आज कल के हिसाब से दो रुपये बारह आने ६ ३/५ पाई है । चाहे सिक्का हो या वैसी ही चांदी या उस कीमत का कोई सामान हो । (हिन्दीया वगैरा)

मस्अला :- निकाह में दस दिरहम या उससे कम महर बाँधा गया तो दस दिरहम वाजिब और अगर ज्यादा बाँधा हो तो जो मुकर्रर हुआ वह वाजिब । (हेदाया वगैरह)

मस्अला :- वती या खिलवते सहीहा हो जाये या दोनों में से कोई मर जाये तो इन सूरतों से महर मोवक्कद हो जायेगा कि जो महर अब है उसमें कमी नहीं हो सकती यूँही अगर औरत को तलाक़ बाइन दी थी और इद्दत के अन्दर उससे फिर निकाह कर लिया तो यह महर वगैर दख़ूल वगैरह के मोवक्कद है

जायेगा हाँ अगर साहबे हक़ ने कुल या जुज़ माफ़ कर दिया तो माफ़ हो जायेगा और अगर महर मोवक़्क़द न हुआ था और शौहर ने तलाक़ दे दिया तो निस्फ़ वाजिब होगा और उस सूरत में अगर तलाक़ से पहले पूरा महर अदा कर चुका था तो आधा शौहर को वापस मिलेगा ।

मसअला :- जो चीज़ मालेमोतकव्विम नहीं वह महर नहीं हो सकती लेहाज़ा अगर ऐसी चीज़ को महर ठहराया गया तो वह चीज़ नहीं बल्कि मिस्ल वाजिब होगा जैसे महर यह ठहरा कि आज़ाद शौहर औरत की साल भर खिदमत करेगा या क़ुरआन शरीफ़ पढ़ा देगा या हज व उमरा करा देगा या मुसलमान मर्द का निकाह मुसलमान औरत से हुआ और महर में खून या शराब या सुवर खिन्ज़ीर का ज़िक्र आया या यह महर ठहराया कि शौहर अपनी पहली बीवी को तलाक़ दे दे तो इन सूरतों में महर मिस्ल वाजिब होगा ।

मसअला :- निकाह शिग़ार में महर मिस्ल वाजिब होता है । शिग़ार यह है कि एक आदमी ने अपनी लड़की या बहन का निकाह दूसरे से कर दिया और दूसरे ने अपनी लड़की या बहन का निकाह उससे कर दिया और हर एक ने महर दूसरे का निकाह ठहराया, ऐसा करना अगरचे गुनाह है लेकिन निकाह हो जायेगा और महरे मिस्ल★ वाजिब होगा ।

मसअला :- निकाह में महर का ज़िक्र ही न हुआ या महर की नफ़ी कर दी कि बिला महर निकाह किया तो निकाह हो जायेगा और खिलवत सहीहा हो गयी या दोनों में से कोई मर गया तो महरे मिस्ल वाजिब है और अगर बाद अक़्द आपस में कोई महर तय पा गया तो वही तयशुदा मिलेगा यूँ ही अगर क़ाज़ी ने तय कर दिया तो जो मुक़र्रर कर दिया वही मिलेगा और इन दोनों सूरतों में महर जिस चीज़ से मुवक़्क़द होता है मुवक़्क़द हो जायेगा, और अगर मुवक़्क़द न हुआ बल्कि खिलवत सहीहा से पहले तलाक़ हो गयी तो इन दोनों सूरतों में भी एक जोड़ा कपड़ा वाजिब है यानी कुर्ता, पायजामा, दुपट्टा जिनकी क़ीमत निस्फ़ महरे मिस्ल से ज़्यादा नहीं और अगर ज़्यादा हो तो महरे मिस्ल का निस्फ़ दिया जायेगा अगर शौहर मालदार हो और ऐसा जोड़ा भी न हो जो पाँच दिरहम से कम क़ीमत का हो अगर शौहर मोहताज हो,अगर मर्द औरत दोनों मालदार हों तो जोड़ा आला दर्जे का हो, और दोनों मोहताज हों तो मामूली और एक मालदार और एक मोहताज तो दरमियानी ।

मसअला :- जोड़ा देना उस वक़्त वाजिब होता है जब फ़ुरक़त जौज की जानिब से हो जैसे तलाक़ दे दिया या ईला करे या मुरतद हो जाये वग़ैरह और अगर फ़ुरक़त जानिबे ज़ौजा से हो तो वाजिब नहीं जैसे औरत मुरतद हो जाये शौहर के लड़के को बशहवत बोसा दे दे वग़ैरह ।

★ उस औरत के खानदान की ऐसी औरतों का जो महर है वह इसके लिए महर मिस्ल है ।

मसअला :- जिस औरत का महर मुअइयन है और खिलवत से पहले उसे तलाक दी गयी उसे जोड़ा देना मुस्तहब भी नहीं और दखूल के बाद तलाक होइ तो महर मुकर्रर हो या न हो जोड़ा देना मुस्तहब है । औरत कुल महर या जुज़ माफ़ कर दे तो माफ़ हो जायेगा बशर्ते कि शौहर ने इन्कार न कर दिया हो और अगर औरत नाबालिग़ा है और उसका बाप माफ़ करना चाहता है तो नहीं कर सकता और बालिग़ा है तो उसकी इजाज़त पर माफ़ी मौकूफ़ है ।

खलवते सहीहा

यह है कि ज़ौज व ज़ौजा एक मकान में जमा हों और कोई चीज़ मानेए जेमाअ न हो यह खलवत जेमाअ के ही हुक्म में है और मवानेए तीन किस्म हैं : १. हिस्सी, २. तबई, ३. शरई । माने हिस्सी जैसे मरज़ कि (रोकने वाली) शौहर बीमार है तो मुतलक़न खलवते सहीहा न होगी, और ज़ौजा बीमार हो तो इस हद की बीमार हो कि वती से नुक़सान का अन्देशा सही हो और ऐसी बीमारी न हो तो खलवते सहीहा हो जायेगी । माने तबई जैसे वहाँ किसी तीसरे का होना चाहे वह सोता* हो या अंधा या उसकी दूसरी बीवी ही हो, हाँ अगर इतना छोटा बच्चा हो कि किसी से बयान न कर सकेगा तो यह माने न होगा और खलवत सहीहा हो जायेगी और बाक़ियों में न होगी । माने शरई जैसे औरत हैज़ या निफ़ास में है या दोनों में से कोई एहराम बाँधे हो या किसी का रमज़ान का अदा रोज़ा हो या फ़र्ज़ नमाज़ में हो तो खलवत सहीहा न होगी ।

खलवते फ़ासेदा

अगर दोनों एक जगह तनहाई में जमा हो गये मगर कोई माने शरई, हिस्सी या तबई पाया जाता है तो यह खलवत फ़ासेदा है ।

मसअला :- लड़का जो इस क़ाबिल नहीं कि सोहबत कर सके अपनी औरत के साथ तनहाई में रहा या ज़ौजा इतनी छोटी लड़की है कि इस क़ाबिल नहीं उसके साथ उसका शौहर रहा तो इन दोनों सूरतों में खलवत सहीहा न हुई ।

मसअला :- औरत की इन्दाम नहानी में कोई ऐसी चीज़ पैदा हो गयी जिसकी वजह से वती नहीं हो सकती मस्लन वहाँ गोश्त आ गया या मुक़ाम जुड़ गया या हड्डी पैदा हो गई या ग़दूद आ गया तो इन सूरतों में खलवत सहीहा नहीं हो सकती ।

मसअला :- ऐसी जगह जमा हुए जो इस लायक नहीं कि वहाँ वती की जाये तो खलवत सहीहा न होगी जैसे मस्जिद, रास्ता और मैदान वग़ैरह ।

★ अलबत्ता अगर बेहोश हो और बिलकुल पागल बे अक़्ल हो तो खलवत सहीहा हो जायेगी, यूँ ही अगर मर्द का कुत्ता है लेकिन कटखन्ना नहीं है तो खलवत हो जायेगी, और अगर कटखन्ना है या औरत का कुत्ता है चाहे कटखन्ना हो या न हो तो खलवत सहीहा न होगी ।

मस्अला :- खलवत सहीहा के बाद औरत को तलाक़ दी तो महर पूरा वाजिब होगा जब कि निकाह भी सही हो और अगर निकाह फ़ासिद है तो फ़क़त खलवत से महर वाजिब नहीं हाँ अगर वती हो गयी तो महरे मिस्ल वाजिब होगा ।

मस्अला :- महर मुकर्रर न था तो खलवते सहीहा से निकाहे सही में महरे मिस्ल मुअक्कद हो जायेगा ।

खलवत सहीहा के कुछ और अहकाम

खलवत सहीहा के बाद तलाक़ दी तो औरत पर इद्दत वाजिब है बल्कि उस इद्दत में भी नान, नफ़्क़ा और रहने को मकान देना वाजिब है । बल्कि निकाहे सहीह में इद्दत तो मुतलक़न खलवत से वाजिब होती है सहीहा हो या फ़ासिदा अलबत्ता निकाह फ़ासिद हो तो बग़ैर वती के इद्दत वाजिब नहीं खलवत सहीहा के बाद तलाक़ दी तो जब तक वह इद्दत में है उसकी बहन से निकाह नहीं कर सकता और इसके अलावा चार औरतें निकाह में नहीं हो सकतीं अगर वह आज़ाद है तो उसकी इद्दत में बांदी से निकाह नहीं कर सकता और उस औरत को जिससे खलवत सहीहा हुई उस ज़माना में तलाक़ दे जो मौतूआ के तलाक़ का ज़माना है, और इद्दत में उसे तलाक़ बाइन दे सकता है मगर उससे रजअत नहीं कर सकता, न तलाक़ रजई देने के बाद फ़क़त खलवत सहीहा से रजअत हो सकती है और उसकी इद्दत के ज़माना में शौहर मर गया तो वारिस न होगी, खलवत से जब महर मुअक्कद हो चुका तो अब साक़ित न होगा अगरचे जुदाई औरत की जानिब से हो ।

मस्अला :- अगर मियां बीबी में तफ़रीक़ हो गयी मर्द कहता है खलवते सहीहा नहीं हुई औरत कहती है हो गयी तो औरत का क़ौल मोतबर है और अगर खलवत हुई मगर औरत मर्द के क़ाबू में न आई तो अगर कुंवारी है तो महर पूरा वाजिब हो जायेगा और सइयब है तो महर मुअक्कद न हुआ ।

निकाहे फ़ासिद

अगर निकाह की कोई शर्त छूट जाये तो वह निकाह फ़ासिद है जैसे बग़ैर गवाहों के निकाह हुआ या दो बहनों से एक साथ निकाह किया या औरत की इद्दत में उसकी बहन से निकाह किया या जो औरत किसी की इद्दत में हो उससे निकाह किया या चौथी की इद्दत में पाँचवीं से निकाह किया या हुर्रा निकाह में होते हुए बान्दी से निकाह किया, इन सब सूरतों में निकाह फ़ासिद है ।

मस्अला :- निकाहे फ़ासिद में जब तक वती न हो महर लाज़िम नहीं यानी खलवते सहीहा काफ़ी नहीं और वती हो गयी तो महरे मिस्ल वाजिब है जो महर मुकर्रर से ज़ायद न हो और अगर है तो जो मुकर्रर हुआ वही देंगें ।

निकाहे फ़ासिद का हुक्म

यह है कि उनमें से हर एक पर फ़सख कर देना वाजिब है इसकी भी ज़रूरत नहीं कि दूसरे के सामने फ़सख करें अगर खुद फ़सख न करें तो काज़ी पर वाजिब है कि फ़सख कर दे और तफ़रीक़ हो गयी या शौहर मर गया तो औरत पर इद्दत वाजिब है जबकि वती हो चुकी हो लेकिन यहाँ निकाह फ़ासिद में मौत की इद्दत भी तीन हैज़ है, चार महीने दस दिन नहीं ।

मसअला :- निकाह फ़ासिद में तफ़रीक़ या मुतारका के वक्त से इद्दत है अगरचा औरत को इसकी खबर न हो । मुतारका यह है कि उसे छोड़ दे मसलन यह कहे कि मैंने उसे छोड़ा या चली जा, या निकाह कर ले या कोई और लफ़्ज़ इसी तरह का कहे और फ़क़त जाना, आना छोड़ देने से मुतारका न होगा जब तक ज़ुबान से न कहे ।

मसअला :- अगरचा तफ़रीक़ व मुतारका में औरत का वहाँ मौजूद होना ज़रूरी नहीं मगर किसी न किसी का जानना ज़रूरी है अगर किसी ने न जाना तो इद्दत पूरी न होगी ।

मसअला :- निकाहे फ़ासिद में नफ़क़ा वाजिब नहीं अगर नफ़क़ा पर मसालेहत हुई जब भी नहीं ।

महरेमिस्ल :-औरत के खानदान की उस जैसी औरत का जो महर हो वह उसके लिए महरे मिस्ल है जैसे उसकी बहन फुफी चचा की बेटी वगैरह का महर, उसकी माँ का महर उसके लिए महरे मिस्ल नहीं जबकि वह दूसरे घराने की हो और अगर उसकी माँ उसी खानदान की हो मसलन उसके बाप की चचाज़ाद बहन है तो उसका महर उसके लिए महरे मिस्ल है और वह औरत जिसका महर उसके लिए महरे मिस्लहै वह किन बातों में उस जैसी हो उनका बयान यह है उम्र, जमाल, माल में मुशाबे हो दोनों एक शहर में हो, एक ज़माना हो, अक्ल, तमीज व दयानत व पारसाई व इल्मो अदब में यकसां हों दोनों क्वांरी हों या दोनों सइएबा औलाद होने न होने में एक सी हो कि इन चीज़ों के एख्तेलाफ़ से महर में एख्तेलाफ़ होता है । शौहर का हाल भी मलहूज होता है मसलन जवान व बूढ़े के महर में एख्तेलाफ़ होता है, अक़्द के वक्त इन उमूर में यकसां होने का एतबार है बाद में किसी बात की कमी बेशी हुई तो उसका एतबार नहीं मसलन एक का जब निकाह हुआ था उस वक्त जिस हैसियत की थी दूसरी भी अपने निकाह के वक्त उसी हैसियत की

★ तफ़रीक़ अलग करना छोड़ना

★★ मुतारका एक दूसरे को छोड़ना तर्क करना.

है मगर पहली में बाद को कमी हो गयी और दूसरी में ज्यादती या बरअक्स हुआ तो उसका एतबार नहीं ।

मसअला :- अगर उस खानदान में कोई ऐसी औरत न हो जिसका महर उसके लिए महरे मिस्ल हो सके तो कोई दूसरा खानदान जो उस खानदान के मिस्ल है उसमें कोई औरत उस जैसी हो उसका महर उसके लिए महरे मिस्ल होगा ।

मसअला :- महरे मिस्ल के सुबूत के लिए दो मर्द या एक मर्द और दो औरतें गवाहान आदिल चाहिए जो बलफ्ज़े शहादत बयान करें और अगर गवाह न हों तो ज़ौज का कौल क़सम केसाथ मोतबर है ।

महरे मुसम्मा

तीन किस्म का है पहली किस्म मजहूलुल जिन्से वल वस्फ़े जैसे कपड़ा या चौपाया या मकान या बकरी के पेट में जो बच्चा है या इस साल बाग में जितने फल आयेंगे, अगर इस तरह कोई चीज़ महर ठहराई तो उसमें ठहरी हुई चीज़ नहीं बल्कि महरे मिस्ल वाजिब होगा, दूसरी किस्म, मालूमुल जिन्स मजहूलुलवस्फ़ जैसे गुलाम या घोड़ा या गाय या बकरी इन सब में जिसे कहा है उसके मुतवस्सित दर्जा का वाजिब है या मुतवस्सित की क़ीमत तीसरी किस्म, मालूमुलजिन्स वलवस्फ़ इसमें जो कहा है वही वाजिब है ।

मसअला :- जल्दी या देर से अदा करने के एतबार से महर तीन किस्म का होता है १. मुअज्जल, २. मुवजल, ३. मुतलक़ ।

मुअज्जल यह है कि खलवत से पहले महर देना करार पाया है और मुवजल वह है कि जिसके लिए कोई मियाद मुकर्रर हो । मुतलक वह है कि जिसमें न वह (मुअज्जल) हो न यह (मुवजल) हो और यह भी हो सकता है कि कुछ हिस्सा मुअज्जल हो कुछ मुवजल और यह भी हो सकता है कि कुछ मुवजल और कुछ मुतलक महर मुअज्जल वसूल करने के लिए औरत अपने को शौहर से रोक सकती है यानी यह इख्तियार है कि वती और मोक़दमाते वती से बाज़ रखे ख्वाह कुल मुअज्जल हो या बाज़ और शौहर को हलाल नहीं कि औरत को मजबूर करे अगरचे इसके पेशतर औरत की रज़ामन्दी से वती व खलवत हो चुकी हो, यानी यह हक़ औरत को हमेशा हासिल है जब तक वसूल न कर ले, यूं ही अगर शौहर सफ़र में ले जाना चाहता है तो महरे मुअज्जल वसूल करने के लिए जाने से इन्कार कर सकती है, यूं ही अगर महर मुतलक हो और वहां का उर्फ़ है कि ऐसे महर में कुछ कबले खिलवत अदा किया जाता है तो उसके खानदान में जितना पेशतर अदा करने का रवाज है उसका हुक्म महरे मुअज्जल कहा है, यानी उसके वसूल करने के लिए वती व सफर से मना कर सकती है, और अगर महर मुवजल यानी मियादी है और मियाद मजहूल है जब भी फ़ौरन देना वाजिब है । हां अगर मुवजल है और

मियाद यह ठहरी कि मौत या तलाक़ पर वसूल करने का हक है तो जब तक तलाक़ या मौत वाक़ा न हो वसूल नहीं कर सकती जैसे उमूमन हिन्दोस्तान में यही रायज है कि महर मुवजल से यही समझते हैं ।

मस्अला :- नाबालेगा की रुखसती हो चुकी मगर महर मुअज्जल वसूल नहीं हुआ है तो उसका वली रोक सकता है और शौहर कुछ नहीं कर सकता जब तक महर मुअज्जल अदा न करें ।

मस्अला :- महर मुवजल यानी मियादी था और मियाद पूरी हो गयी तो औरत अपने को रोक सकती है या बअज़ा मुअज्जल था बअज़ मियादी और मियाद पूरी हो गई तो औरत अपने को रोक सकती है ।

मस्अला :- महर मुअज्जल लेने के लिए औरत अगर वती से इन्कार कर दे तो उसको वजह से नफ़क़ा साक़ित न होगा और इस सूरत में बिला इजाजत शौहर के घर से बाहर बल्कि सफ़र पर भी जा सकती है जब कि ज़रूरत भी हो, और अपने मायके वालों से मिलने के लिए भी विला इजाजत जा सकती है और जब महर वसूल कर लिया तो अब बिला इजाज़त नहीं जा सकती मगर सिर्फ मां बाप की मुलाक़ात को हर हफ्ता में एक बार दिन भर के लिए जा सकती है और महारम के यहां साल भर में एक बार और महारम के सिवा दूसरे रिश्तेदारों या गैरों के यहाँ ग़मी या शादी किसी तक़रीब में नहीं जा सकती, न शौहर इन मौकों पर जाने की इजाज़त दे । अगर इजाज़त दी तो दोनों गुनहगार हुए ।

मस्अला :- शौहर ने कोई चीज़ औरत के यहाँ भेजी अगर यह कह दिया कि यह हदिया है तो अब नहीं कह सकता कि वह महर में थी, और अगर कुछ न कहा था और अब कहता है कि महर में भेजी और औरत कहती है कि हदिया है और वह चीज़ खाने की किस्म से है मस्लन रोटी, गोश्त, हल्वा, मिठाई वगैरह तो औरत से क़सम लेकर उसका क़ौल माना जाए और अगर खाने की किस्म से नहीं यानी बाकी रहने वाली चीज़ हो जैसे (कपड़ा, बकरी, घी, शहद वगैरह) तो शौहर को हलफ़ दिया जाये क़सम खा ले तो उसकी बात माने, और औरत को अख्तियार होगा कि अगर वह चीज़ अज़ किस्म महर नहीं और बाक़ी है तो वापस दे और अपना महर वसूल करे ।

मस्अला :- लड़की को जो कुछ जहेज़ में दिया है वापस नहीं ले सकता और वारिसों को भी अख्तियार नहीं जबकि मरजुल मौत में न दिया हो यूं ही जो कुछ सामान नाबालेगा लड़की के लिए ख़रीदा अगरचा अभी दिया न हो या मरजुलमौत में दिया, उसकी मालिक भी तनहा लड़की है ।

मस्अला :- लड़की वालों ने निकाह या रुखसत के वक्त शौहर से कुछ लिया हो यानी बगैर लिए निकाह या रुखसत से इन्कार करते हों और शौहर ने देकर निकाह या रुखसत कराया तो शौहर उस चीज़ को वापस ले सकता है और

यह न रही तो उसकी कीमत ले सकता है कि यह रिश्वत है । रुख़सत के वक्त जो कपड़े भेजे अगर बतौर तमलीक है जैसा हिन्दोस्तान में ओमूमन रिवाज है कि डालबरी में जोड़े भेजे जाते हैं और उर्फ़ यही है कि लड़की को मालिक कर देते हैं तो उसे वापस नहीं ले सकता और तमलीक न हो तो ले सकता है ।

मस्‌अला :- लड़की को जहेज दिया फिर यह कहता है कि मैंने बतौर आरियत दिया है और लड़की या उसके मरने के बाद शौहर कहता है कि बतौर तमलीक दिया है तो अगर वह चीज़ ऐसी है कि ओमूमन लोग उसे जहेज में दिया करते हैं तो लड़की या उसके शौहर का क़ौल माना जायेगा, और अगर ओमूमन यह बात न हो बल्कि आरियत व तमलीक दोनों तरह दी जाती है तो उसके बाप या वरसा का क़ौल मोतबर है ।

मस्‌अला :- जिस सूरत में लड़की का क़ौल मोतबर है अगर उसके बाप ने गवाह पेश किये जो इस बात की गवाही देते हैं कि देते वक्त उसने कह दिया था कि आरियत है तो गवाह मान लिए जायेंगे ।

मस्‌अला :- जिस घर में दोनों मियां बीवी रहते हैं उसमें कुछ असबाब है जिसका हर एक मुद्दई है तो अगर वह ऐसी चीज़ है जो औरतें बरती हैं जैसे दुपट्टा, सिंगारदान, ख़ास औरतों के पहनने के कपड़े तो ऐसी चीज़ औरत को दी जायेगी, हां अगर शौहर सुबूत दे कि वह चीज़ उसकी है तो वह उसे दे दी और अगर वह ख़ास मर्दों के बरतने की है जैसे टोपी, अमामा, अंगरखा, हथियार वग़ैरह ऐसी चीज़ मर्द को दे दी मगर जब औरत गवाह से अपनी मिल्क साबित करे तो उसे दे दी और अगर दोनों के काम की वह चीज़ है जैसे बिछौना तो यह भी मर्द ही को दे दी मगर जब औरत गवाह पेश करे तो उसे दे दें और अगर इन दोनों में से एक मर चुका है उसके वरसा और ज़िन्दा में एख़तेलाफ़ हुआ जब भी यही सूरतें हैं । मगर जो चीज़ दोनों के बरतने की हो वह उसे दें जो ज़िन्दा है वारिस को नहीं और अगर मकान में माले तिजारत है और मशहूर है कि वह शख़्स उस चीज़ की तेजारत करता था तो मर्द को दें ।

मस्‌अला :- नाबालेग़ा के बाप को हक़ है कि अपनी बेटी का महर मुअज्जल शौहर से तलब करे और अगर लड़की क़ाबिले वती है तो शौहर रुख़सत करा सकता है और इसके लिए किसी सिन की तख़सीस नहीं और अगर इस क़ाबिल नहीं अगरचे बालेग़ा हो तो रुख़सत पर जब्र नहीं किया जा सकता ।

काफ़िर का निकाह

जिस तरह का निकाह मुस्लमानों में जायज़ है अगर उसी तरह का काफ़िर निकाह करें तो उनका निकाह भी सही है । मगर इस किस्म के भी निकाह हैं कि मुस्लमानों के लिए नाजायज़ हैं और काफ़िर करे तो हो जायेगा उसकी सूरत यह है कि निकाह की कोई शर्त मफ़क़ूद हो (जैसे बग़ैर गवाह निकाह हुआ या औरत काफ़िर की इद्दत में थी उससे निकाह किया) मगर शर्त यह है कि कुफ़्फ़ार ऐसे निकाह के जायज़ होने के मोतक़िद हों फिर ऐसे निकाह के बाद अगर दोनों मुस्लमान हो गये तो उसी निकाहे साबिक़ पर बाक़ी रखे जायें जदीद निकाह की हाजत नहीं, यूं ही अगर क़ाज़ी के पास मुकदमा दायर किया तो क़ाज़ी तफ़रीक़ न करेगा ।

मस्अला :- काफ़िर ने महारिम से निकाह किया अगर ऐसा निकाह उन लोगों में जायज़ हो तो निकाह के लवाज़िम नफ़क़ा वग़ैरह साबित हो जायेंगे, मगर एक दूसरे का वारिस न होगा और अगर दोनों इस्लाम लाये या एक तो तफ़रीक़ कर दी जायेगी यूं ही अगर क़ाज़ी या किसी मुस्लमान के पास दोनों ने इसका मुकदमा पेश किया तो तफ़रीक़ कर देगा एक ने पेश किया तो नहीं ।

मस्अला :- यहूदी और नसरानी के अलावा किसी और किस्म के काफ़िर मियां बीवी थे उनमें से एक मुस्लमान हुआ तो क़ाज़ी दूसरे पर इस्लाम पेश करें, अगर यह भी मुस्लमान हो गया (फ़बेहा)* और अगर इन्कार किया या सुकूत किया तो क़ाज़ी तफ़रीक़** कर दे सुकूत की सूरत में एहतियात यह है कि क़ाज़ी तीन बार इस्लाम पेश करे यूं ही अगर किताबी*** की औरत मुस्लमान हो गई तो मर्द पर इस्लाम पेश किया जाये, इस्लाम न कुबूल करे तो तफ़रीक़ कर दी जाये और अगर दोनों किताबी हैं, और मर्द मुस्लमान हुआ तो औरत बदस्तूर उसकी ज़ौजा है ।

मस्अला :- कोई औरत हिजरत करके दारूल इस्लाम में आई मुस्लमान होकर या ज़िम्मी बन कर या यहाँ आकर मुसल्मान या ज़िम्मिया हुई तो अगर हामला न हो फ़ौरन निकाह कर सकती है और हामला हो तो बाद वज़ा हमल के मगर यह वज़ा हमल उसके लिए इद्दत नहीं ।

मस्अला :- मियाँ बीवी में से कोई मुरतद हो गया तो निकाह फ़ौरन टूट गया और यह फ़सख़ है तलाक़ नहीं औरत मौतूआ हो तो महर बहरहाल पूरा

---

* फ़बेहा यानी निकाह साबिक़ पर बाकी रखे जाये नये निकाह की जरूरत नहीं ।

** यह तफ़रीक़ तलाक़ बाइन क़रार दी जाये ।

*** किताबी यहूदी और ईसाई को कहते हैं ।

सकती है और ग़ैर मौतूआ है तो अगर औरत मुरतद्दा हुई कुछ न पायेगी और मर्द मुरतद हुआ तो आधा ले सकती है और मुरतद्दा हुई और ज़माना इद्दत में मर गयी और शौहर मुस्लमान हुआ तो तरका पायेगा ।

मसअला :- दोनों एक साथ मुरतद हो गये फिर मुस्लमान हुए तो पहला निकाह बाक़ी रहा और अगर दोनों में एक पहले मुस्लमान हुआ फिर दूसरा तो निकाह जाता रहा और अगर यह मालूम न हो कि पहले कौन मुरतद हुआ तो दोनों का मुरतद होना एक साथ क़रार दिया जाये ।

मसअला :- औरत मुरतद हो गयी तो इस्लाम लाने पर मजबूर की जाये, यानी उसे क़ैद में रखें यहाँ तक कि मर जाये, या इस्लाम लाये और बाद इस्लाम लाने के जब जदीद निकाह हो तो महर बहुत थोड़ा रखा जाये ।

मसअला :- औरत ने ज़ुबान से कलमए कुफ्र निकाला ताकि शौहर से पीछा छूटे या इसलिए कि दूसरा निकाह होगा तो उसका महर भी वसूल करेगी तो ऐसी सूरत में हर क़ाज़ी को अख़तियार है कि कम से कम महर पर उसी शौहर के साथ निकाह कर दे औरत राज़ी हो या नाराज़, और औरत को अख़तियार न होगा कि दूसरे से निकाह कर ले ।

मसअला :- बच्चा अपने बाप मां में उसका ताबे होगा जिसका दीन बेहतर हो जैसे अगर कोई मुस्लमान हुआ तो औलाद मुस्लमान है हां अगर बच्चा दारूलहरब में है और उसका बाप दारूल इस्लाम में मुस्लमान हुआ तो उस सूरत में उसका ताबे न होगा और अगर एक किताबी है दूसरा मजूसी या बुत परस्त तो बच्चा किताबी क़रार दिया जायेगा ।

मसअला :- नशा वग़ैरा जिसकी अक़्ल जाती रही उसकी ज़ुबान से कलमए कुफ्र निकला तो औरत निकाह से बाहर न हुई लेकिन फिर भी निकाह फिर से पढ़ाया जाये ।

बीवियों के बारी मुकर्रर करने का बयान

जनाब रसूलूल्लाह सलल्लाहो अलहे वसल्लम ने फरमाया जिसके दो बीवियां हों और दोनों में अदल न करे तो वह क़यामत के दिन हाज़िर होगा इस तरह पर कि आधा धड़ उसका बेकार होगा ।

मसअला :- जिसकी दो या तीन या चार बीवियां हों उस पर अदल फ़र्ज़ है यानी जो चीज़ें अख़तियारी हों उनमें सब औरतों का यकसा ख़्याल रखे यानी हर एक का पूरा हक़ अदा करे कपड़ा, रोटी, खर्चा रहने सहने में कुछ कमी न करे और जो बात उसके अख़तियार की नहीं उसमें मजबूर व माज़ूर है जैसे एक की ज़्यादा मुहब्बत है दूसरे की कम यूं ही जिमां सबके साथ बराबर होना भी ज़रूरी नहीं ।

मसूअला :- एक मरतबा जिमा कज़ाअन वाजिब है और दियानतन यह हुक्म है कि कभी कभी करता रहे और उसके लिए कोई हद मुकर्रर नहीं मगर इतना तो हो कि औरत की नज़र औरों की तरफ़ न उठे और इतनी कसरत भी जायज़ नहीं कि औरत को नुक़सान पहुंचे ।

मसूअला :- एक ही बीवी है मगर मर्द उसके पास नहीं रहता बल्कि नमाज़ रोज़ा में लगा रहता है तो औरत शौहर से मुतालबा कर सकती है और मर्द को हुक्म दिया जायेगा कि औरत के पास भी रहा करे कि हदीस में आया......... तेरी बीवी का तुझ पर हक है रोज़मर्रा शबबेदारी और रोज़े रखने में उसका हक तलफ़ होता है । रहा यह कि औरत के पास रहने की क्या मियाद है इसके बारे में एक रिवायत यह है कि चार दिन में एक दिन औरत के लिए और तीन दिन इबादत के लिए और सही यह कि मर्द को हुक्म दिया जाये कि औरत का भी ख्याल रखे उसके लिए भी कुछ वक़्त दे और उसकी मिक़दार शौहर के ताल्लुक़ है ।

मसूअला :- नई, पुरानी, कुंवारी और सइबा, तन्दरुस्त और बीमार, हामला और गैर हामला और वह नाबालिग़ा जो क़ाबिले वती हो हैज़ व निफ़ास वाली और जिससे ईला या ज़िहार किया हो, और जिसे तलाक़ रजई दी और रजअत का इरादा है, और एहराम वाली और वह मजनूना जिससे ईज़ा का डर न हो और मुस्लेमा व किताबिया सब बराबर है सब की बारियां होंगी यूं ही मर्द इनीन हो या खस्सी, मरीज़ हो या तन्दरुस्त, बालिग़ हो या नाबालिग़ क़ाबिले वती इन सब का एक ही हुक्म है ।

मसूअला :- एक औरत कनीज़ है दूसरी हुर्रा तो आज़ाद के लिए दो दिन दो रातें हैं और कनीज़ के लिए एक दिन एक रात है जो कनीज़ अपनी मिल्क है उसके लिए बारी नहीं ।

मसूअला :- बारी में रात का एतबार है लिहाज़ा एक की रात में दूसरी के पास बिला ज़रूरत नहीं जा सकता, दिन में किसी हाजत के लिये जा सकता है और दूसरी बीमार हो तो उसके पूछने को रात में भी जा सकता है और बीमारी सख़्त हो तो उसके यहाँ रह भी सकता है यानी जब उसके यहाँ कोई ऐसा न हो जिससे उसका दिल बहले और तीमारदारी करे, एक की बारी में दूसरी से सोहबत भी नहीं कर सकता ।

मसूअला :- यह अख्तियार शौहर को है कि एक एक दिन की बारी मुकर्रर करे या तीन तीन दिन की बल्कि एक एक हफ्ता की भी मुकर्रर कर सकता है ।

मसूअला :- सफ़र में जाने की बारी नहीं बल्कि शौहर को अखतियार है जिसे चाहे अपने साथ ले जाये, लेकिन बेहतर है कि कुराअ डाले जिसके नाम का कुराअ निकले उसे ले जाये, और सफ़र से वापसी के बाद और औरतों

को यह हक़ नहीं कि उसका मुतालबा करें कि जितने दिन सफ़र में रहा उतने ही दिनों इन बाक़ियों के पास रहे बल्कि अब से बारी मुक़र्रर होगी, सफ़र से मुराद शरई सफ़र है जिसका बयान नमाज़ में गुज़रा है । उर्फ़ में परदेश में रहने को भी सफ़र कहते हैं वह मुराद नहीं ।

मसुअला :- औरत को अख़्तियार है कि अपनी बारी सौकन को हिबा कर दे और हिबा करने के बाद लेना चाहे तो ले सकती है ।

मसुअला :- वती और बोसा हर किस्म के तमत्तो सब औरतों के साथ यकसां करना मुस्तहब है वाजिब नहीं ।

हुकूके ज़ौजैन

मियां बीवी में बदमिज़ाजी और झगड़े की असल वजह एक दूसरे के हक़ को अदा न करना है, [illegible] में जिस तरह यह हुक्म आया है कि मर्द औरतों पर हाकिम है जिससे मर्द की बड़ाई ज़ाहिर होती है उसी तरह यह भी फ़रमाया कि औरतों [illegible] भलाई करो जिसका साफ़ मतलब है कि औरतों के साथ अच्छी मुआशरत करो, [illegible] अगर हर एक दूसरे के सब हक़ पूरी तौर से अदा करें तो दीन दुनिया [illegible] और आपस के झगड़े फ़साद [illegible] जायें और [illegible] यहां हम चन्द हदीसें लिखते हैं ताकि हर एक के हुकूक़ मालूम हो जायें ।

मर्द का औरत पर हक़

[illegible] रसूलल्लाह सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम ने फ़रमाया औरत पर [illegible] से ज़्यादा हक़ उसके शौहर का है और मर्द पर उसकी मां का [illegible] और फ़रमाया कि अगर मैं ख़ुदा के सिवा किसी और को सिजदा करने का हुक्म देता तो औरत को हुक्म देता कि शौहर को सिजदा करे ख़ुदा की [illegible] औरत अपने रब का हक़ अदा न करेगी जब तक शौहर के कुल हक़ अदा न करे और फ़रमाया शौहर ने औरत को बुलाया औरत ने इन्कार कर दिया और शौहर ने गुस्सा में रात गुज़ारी तो सुबह तक उस औरत पर फ़रिश्ते लानत भेजते रहते हैं और दूसरी रिवायत में है कि जब तक शौहर उससे राज़ी न हो अल्लाह तआला उस औरत से नाराज़ रहता है और फ़रमाया कि शौहर का हक़ औरत पर यह है कि अपने नफ़्स को उससे न रोके और सिवा फ़र्ज़ के किसी दिन बिला उसकी इजाज़त के रोज़ा न रखे, अगर रख लिया तो गुनहगार हुई । बिला शौहर की इजाज़त के औरत का कोई अमल क़ुबूल नहीं अगर औरत ने बिला इजाज़त कर लिया तो शौहर को सवाब है औरत पर गुनाह और बग़ैर इजाज़त उसके घर से न जाये अगर ऐसा किया तो जब तक तौबा न करे अल्लाह व फ़रिश्ते उस पर लानत करते हैं अर्ज़ की गई कि चाहे

शौहर ज़ालिम ही हो फ़रमाया चाहे ज़ालिम ही हो और फ़रमाया कि जो औरत इस हाल में मरी कि शौहर राज़ी था वह जन्नत में दाखिल होगी ।

मसअला :- हर गोनाह चीज़ जिससे शौहर मना करे औरत पर उसका मानना वाजिब है ।

मसअला :- शौहर बनाव सिंगार को कहता है यह नहीं करती या वह अपने पास बुलाता है यह नहीं आती इस सूरत में औरत को मारने का भी हक़ है और अगर नमाज़ नहीं पढ़ती तो तलाक़ देना जायज़ है चाहे महर देने पर क़ादिर न हो ।

मसअला :- औरत को मसअला पूछने की ज़रूरत हो तो शौहर अगर आलिम हो तो उससे पूछ ले और आलिम नहीं तो उससे कहे वह पूछ आए और इन सूरतों में औरत को खुद आलिम के यहाँ जाने की इजाज़त नहीं और यह सूरतें न हों तो जा सकती है ।

मसअला :- औरत का बाप अपाहिज है और उसका कोई निगरां नहीं तो औरत उसकी खिदमत के लिए जा सकती है चाहे शौहर मना करता हो तब भी जा सकती है ।

औरत का हक़ मर्द पर

महर रोटी, कपड़ा और दूसरी ज़रूरी बातों के अलावा औरतों से अच्छी तरह पेश आना भी मर्दों के ज़िम्मे है । ज़रा ज़रा सी बात पर मारना*, गाली देना, गुस्सा करना, बेजा सख़्ती करना मना है । रसूलुल्लाह सल्लाहो अलैहे व सल्लम ने फ़रमाया तुम में अच्छे वो लोग हैं जो औरतों से अच्छी तरह पेश आएँ और फ़रमाया मुसलमान मर्द, मोमिना औरत को मबगूज़ न रखे अगर उसकी एक आदत बुरी मालूम होती है दूसरी पसन्द होगी यानी सब आदतें खराब न होंगी, जबकि अच्छी बुरी हर किस्म की बातें होंगी तो मर्द को न चाहिए कि खराब ही आदत को देखता रहे बल्कि बुरी आदत से चश्म पोशी करे और अच्छी आदत की तरफ़ नज़र करे, और फ़रमाया कोई शख़्स अपनी औरत को न मारे जैसे गुलाम को मारता है फिर दूसरे वक़्त उससे मजामअत करेगा ।

शादी के रसूम

शादी में तरह तरह की रस्में बरती जाती हैं हर मुल्क में नई रस्म हर क़ौम और खानदान का अलग रिवाज, जो रस्में हमारे मुल्क में होती हैं उनमें

★ आयत और हदीस से यह ज़ाहिर है कि औरत को मारना न चाहिए मगर इस सूरत में कि बावजूद समझाने बुझाने नसीहत के कहा न माने और नाफ़रमानी करे तो बतौर तम्बीह के कुछ मार सकता है लेकिन इतने भी ज़्यादा मार न मारे और मुंह पर हर्गिज़ न मारे ।

से कुछ कम बयान किया जाता है । रस्म की बुनियाद चलन और रिवाज पर है, यह कोई नहीं समझता कि शरअन, वाजिब, सुन्नत या मुस्तहब है इसलिए जब तक किसी रस्म की मुमानियत शरीअत से साबित न हो उस वक्त तक उसे हराम या नाजायज़ नहीं कह सकते खींच तान कर ममनू क़रार देना ज़्यादती है मगर यह ज़रूर है कि रसूम की पाबन्दी उसी हद तक कर सकता है कि किसी हराम फ़ेल में मुबतला न हो कुछ लोग रस्मों की इतनी पाबन्दी करते हैं कि नाजायज़ फ़ेल करना पड़े तो पड़े मगर रस्म न छूटे, जैसे लड़की जवान है और रस्मों को अदा करने को रूपया नहीं तो यह न करेंगे कि रस्में छोड़ दें और निकाह कर दें कि बोझ उतरे और बेआबरूई का डर जाता रहे अब रस्मों को पूरा करने के लिए भीक मांगते तरह तरह की फिक्र करते हैं इस ख़्याल से कि कहीं से मिल जाये तो शादी करें बरसें गुज़ार देते हैं और बहुत सी ख़राबियां पैदा हो जाती है बाज़ आदमी कर्ज लेकर रसूम अदा करते है यह नहीं ख़्याल करते कि जिस तरह सूद लेना हराम है उसी तरह सूद देना भी हराम है हदीस में दोनों पर लानत आई । अल्लाह रसूल के लानत के सज़ावार होते है मगर रसम छोड़ना गवारा नहीं करते फिर अगर कुछ जगह, ज़मीन है तो वह भी सूदी कर्जा में गायब हो गयी और खाने बैठाने का भी ठिकाना न रहा ऐसे ही फुज़ूल खर्चो की वजह से मुसलमानों की जायदादें तबाह हो गयीं इसलिए दीन दुनियां का आराम इसी में है कि आदमी फुज़ूल खर्ची से बचे, अक्सर जाहिलों में रिवाज है कि मुहल्ला या रिश्ता की औरतें जमा होती है गाती बजाती है यह हराम है कि अव्वलन ढोल बजाना ही हराम है फिर औरतों का गाना इससे बढ़कर औरतों की आवाज़ ना महरमों तक पहुँचना और वह भी गाने की वह भी इश्क व मोहब्बत के गीत जो औरतें अपने घरों में चिल्ला कर बात करना अच्छा नहीं समझती, घर से बाहर आवाज जाने को बुरा जानती है ऐसे मौकों पर वह भी शरीक हो जाती है गोया उनके नज़दीक गाना कोई ऐब ही नहीं कितनी ही दूर आवाज जाये कोई हरज नहीं फिर ऐसे गाने में जवान क्वांरी लड़कियां भी होती है

उनका ऐसे गीत गाना या सुनना ज़रूर उनके दिल में बुरे ख्यालात पैदा करेगा दबे जोश को उभारेगा अख़लाक व शराफ़त पर इसकाबुरा असर पड़ेगा यह बातें ऐसी नहीं जिनके समझाने की ज़रूरत हो आज मर्दों और औरतो के बदचलन होने की सबसे बड़ी वजह इश्किया मज़ामीन का पढ़ना है (जैसे नाविल और अफ़साना) या इश्क़ मुहब्बत के तमाशे खेल देखना (जैसे थियेटर, सिनेमा) इसी सिलसिला में रतजगा भी है कि रात भार गाती हैं और गुलगुले पकते हैं सुबह को मस्जिद में ताक़ भरने जाती हैं यह बहुत सी ख़ुराफ़ात पर मुश्तमिल है नियाज़ घर में भी हो सकती है गुलगुले के सिवा हर खाने पर हो सकती है और अगर मस्जिद ही में हो तो मर्द ले जा सकते हैं औरतों की क्या ज़रूरत फिर अगर इस रस्म के अदा के लिए औरत ही होना ज़रूर है तो इस जमघट की क्या ज़रूरत, फिर जवानों और क्वांरीयों की इसमें शिरकत और ना माहरम के सामने जाने की जुरअत किस कदर हिमाक़त है फिर बाज़ जगह यह

भी देखा गया कि इस रस्म के अदा करने के लिए चलती है तो वही गाना बजाना साथ होता है इसी शान से मस्जिद तक पहुंचती है हाथ में एक चौमुखा होता है यह सब नाजायज है । जब सुबह हो गई चेराग की क्या जरूरत चराग़ की जरूरत है तो मिट्टी का काफ़ी है आटे का चराग बनाना और तेल की जगह घी जलाना फ़ुज़ूल खर्ची है, दुल्हा, दुल्हन को बटना लगाना मांझे बिठाना जायज है कोई हर्ज नहीं दुल्हे को मेहन्दी लगाना नाजायज है कंगना बांधना भी मना है डाल बरी की रस्म कि कपड़े वगैरह भेजे जाते हैं जायज, दुल्हा को रेशमी कपड़े पहनना हराम है यूं ही मुग़रक जूते पहनना भी नाजायज और खालिस फूलों का सेहरा जायज, मिला वजह ममनूअ नहीं कहा जा सकता, नाच, बाजे आतशबाज़ी हराम है । कौन इनकी हुरमत से वाकिफ नहीं मगर बाज लोग इतने मुनहमिक होते हैं कि यह न हो तो गोया शादी न हुई बाज तो इतने बेबाक होते हैं कि यह महरमात न हों तो उसे गमी और जनाजे से ताबीर करते हैं ।

यह ख्याल नहीं करते कि एक तो गुनाह और शरीअत की मुख़ालफ़त है दूसरे माल बरबाद करना है तीसरे तमाम तमाशाइयों के गुनाह का यही सबब है और सब के मजमुआ के बराबर उस पर गुनाह का बोझ और बाज जगह नाच का रिवाज है जाहिर है कि यह खुली हुई बेहयाई है छोटे बड़े यहां तक की बाप बेटे तक एक मजलिस में यह बेहयाई का काम देखते हैं और अपनी बेहयाई का सुबूत देते हैं अलावा हराम व गुनाह के फ़ुज़ूल खर्ची भी है यही पैसा बचे तो दूसरे जायज तरीक़ा से खुशी का इजहार हो सकता है जैसे खाने, कपड़े में फ़राग़त व वुसअत इसकी क्या जरूरत है कि हद्दे शरा से गुजर कर ही खुशी मनाई जाये और भी जायज तरीके हैं ! वलीमा सुन्नत है सुन्नत अदा करने की निअत से वलीमा करो, खेश व अक़ारिब और दूसरे मुस्लमानों को खाना खिलाओ गरज़ मुस्लमान को लाज़िम है कि अपने हर काम को शरीअत के मुवाफिक करें अल्लाह रसूल की मुखालफ़त से बचें ।

तलाक का बयान

निकाह से औरत शौहर की पाबन्द हो जाती है उस पाबन्दी को उठा देने को तलाक़ कहते हैं तलाक़ के लिए कुछ अलफ़ाज मुक़र्रर हैं जिनका बयान आगे आयेगा, तलाक की दो सूरतें हैं एक यह कि उसी वक्त निकाह से बाहर हो जाये उसको 'बाइन' कहते हैं । दूसरी यह कि इद्दत गुज़रने पर बाहर होगी उसे रजई कहते हैं ।

मसअला :- तलाक़ देना जायज़ है मगर बेवजह शरई मना है और वजह शरई हो तो मुबाह है बल्कि बाज़ सूरतों में मुस्तहब है (जैसे औरत उसको या दूसरों को ईज़ा देती है या नमाज़ नहीं पढ़ती) और बाज़ सूरतों में तलाक़ देना वाजिब है (जैसे शौहर नामर्द या हिजड़ा है या उस पर किसी ने जादू या अमल कर दिया है कि जिमा पर क़ादिर नहीं और इसके एज़ाला की भी कोई सूरत नज़र नहीं आती कि इन सूरतों में तलाक़ न देना सख़्त तकलीफ़ पहुचाना है ।

मसअला :- तलाक़ की तीन क़िस्में हैं :- १. हसन, २. अहसन, ३. बिदई । तलाक़ अहसन देने की सूरत यह है कि जिस तोहर में वती न की हो उसमें एक तलाक़ रजई दे और छोड़े रहे यहाँ तक कि इद्दत गुज़र जाये यह अहसन है और तलाक़ हसन यह है कि गैर मौतूआ को तलाक़ दी या मौतूआ को तीन तोहर में तीन तलाकें दीं बशर्ते कि न इन तोहरों में वती की हो न हैज़ में, या तीन महीने में तीन तलाकें उस औरत को दे जिसे हैज़ नहीं आता जैसे नाबालिग़ा या हमल वाली या सिने अयास वाली यह सब सूरतें तलाक़ हसन की है । बिदई यह है कि एक तोहर में दो या तीन तलाक दे दे (चाहे तीन दफ़ा में चाहे दो दफ़ा में या एक ही दफ़ा में चाहे तीन बार लफ्ज़ कहे या यूं कह दिया कि तुझे तीन तलाकें) या एक तोहर मे एक ही तलाक़ दी मगर उस तोहर में वती कर चुका है या मौतूआ को हैज़ में तलाक़ दी या तोहर ही में तलाक़ दी मगर उससे पहले जो हैज़ आया था उसमें वती की थी,या उस हैज में तलाक दी थी, या यह सब बातें नहीं मगर तोहर में तलाके बाइन दी तो यह तमाम सूरतें तलाक़ बिदई की हैं ।

मसअला :- ऐसी मौतूआ जिसे हैज आता है उससे कहा तुझे सुन्नत के मोवाफ़िक़ दो या तीन तलाकें तो उससे हर तोहर में एक तलाक़ वाक़ा होगी पहली उस तोहर में पड़ेगी जिसमें वती न की हो ।

मसअला :- ऐसी मौतूआ जिसे हैज आता है उससे ऐसे तोहर की हालत में जिसमें वती नहीं की है यह कहा कि तुझे सुन्नत के म्वाफिक़ दो या तीन तलाके तो एक तलाक फौरन वाका होगी ।

मस्‌अला :- ऐसी मौतूआ जिसे हैज आता है उससे हालते हैज में कहा तुझे सुन्नत के म्वाफिक़ दो तीन तलाकें तो अब हैज के बाद पाक होने पर पहली तलाक वाका होगी ।

मस्‌अला :- ऐसी मौतूआ जिसे हैज आता है उसे ऐसी तोहर में जिसमें वती कर चुका है कहा तुझे सुन्नत के म्वाफिक दो यातीन तलाकें तो अब हैज के बाद पाक होने पर पहली तलाक होगी ।

मस्‌अला :- गैर मौतूआ से कहा तुझे सुन्नत के म्वाफिक़ दो या तीन तलाकें तो एक तलाक़ फ़ौरन वाका हो जायेगी (चाहे उस वक्त हैज ही हो) बाकी उस वक्त वाक़ा होगी कि उससे निकाह करे । (क्योंकि पहले ही तलाक से बाईन हो गई निकाह से निकल गई दूसरी तलाक के लिए महल न रही)

मस्‌अला :- मौतूआ जिसे हैज नहीं आता उससे कहा तुझे सुन्नत के म्वाफिक़ दो या तीन तलाकें तो एक फौरन वाका होगी दूसरे महीने में दूसरी और तीसरी महीने में तीसरी वाका होगी ।

मस्‌अला :- अगर औरत से कहा तुझे सुन्नत के म्वाफिक़ दो या तीन तलाकें और इस कलाम से यह नियत की कि तीनों अभी पड़ जायें या हर महीने के शुरू में एक वाका हो तो यह नियत भी सही है मगर गैर मौतूआ में या नियत कि हर महीनें के शुरू में एक वाका हो बेकार है कि वह पहली ही से बाईन हो जायेगी और महल न रहेगी ।

मस्‌अला :- तलाक़ के लिए शर्त यह है कि शौहर आक़िल बालिग़ हो, नाबालिग़ या मजनून न खुद तलाक़ दे सकता है न उसकी तरफ़ से उसका वली ।

मस्‌अला :- नशे वाले ने तलाक दी तो वाक़ा हो जायेगी कि यह आक़िल के हुक्म में है और नशा चाहे शराब पीने से हो या भंग वगैरह किसी और चीज से । अफ़यून के पिनिक में तलाक़ दे दी जब भी वाक़ा हो जायेगी, तलाक़ में औरत की तरफ़ से कोई शर्त नहीं नाबालग़ा हो या मजनूना बहरहाल तलाक़ वाक़ा होगी ।

मस्‌अला :- किसी ने मजबूर* करके नशा पिला दिया या हालते इजतेरार में पिया (जैसे प्यास से मर रहा था और पानी न था तब पिया) और नशा में तलाक़ दे दी तो सही यह है कि वाक़ा न होगी ।

---

*इकराह- जबरदस्ती करना, मजबूर करना, मजबूरी से मुराद शरई मजबूरी है दोस्त, अहबाब के इसरार और मामूली मार, धमकी शरई मजबूरी नहीं बल्कि क़त्ल या कतए अज़्व या जर्बे शदीद के सही अन्देशा से शरई मजबूरी होती है ।

मसूअला :- तलाक के लिए यह शर्त नहीं कि खुशी से तलाक़ दे जाये बल्कि इकराह शरई की सूरत में भी तलाक़ वाक़ा हो जायेगी ।

मसूअला :- अल्फाज़े तलाक़ बतौर हज्ल कहे यानी उनसे दूसरे मानी का इरादा किया जो नहीं बन सकते जब भी तलाक़ हो गयी ।

मसूअला :- खफ़ीफ़ुल अक्ल की भी तलाक़ वाका है और बोहरा मजनून के हुक्म में है ।

मसूअला :- गुंगे ने इशारे से तलाक़ दी तो हो गई जबकि लिखना न जानता हो और लिखना जानता हो तो इशारे से न होगी बल्कि लिखने से होगी ।

मसूअला :- कोई और लफ्ज़ कहना चाहता है ज़ुबान से लफ्ज़ तलाक निकल गया या लफ्ज़ तलाक बोला मगर उसके माने नहीं जानता या सहवन या गफ़लत में कहा या हंसी दिल लगी के तौर पर कहा या डराने धमकाने के लिए कहा इन सब सूरतों में तलाक़ वाका हो गयी ।

मसूअला :- मरीज़ जिसका मर्ज इस हद को न पहुँचा हो की अक्ल जाती रहे उसकी तलाक वाका है ।

मसूअला :- सरसाम व बरसाम या किसी और बीमारी में जिससे अक्ल जाती रहे या गशी की हालत में या सोने में तलाक दे दी तो वाका न होगी ।

मसूअला :- अगर गुस्सा इस हद का हो कि अक्ल जाती रहे तो तलाक वाका न होगी । आजकल लोग अकसर तलाक दे बैठते हैं बाद को अफ़सोस करते हैं और तरह-तरह के हीला से फ़तवा लिया चाहते हैं कि तलाक वाका न हो एक उज्र अकसर यह भी होता है कि गुस्सा में तलाक़ दी थी, मुफ्ती को चाहिए कि यह अम्र मलहूज रखे कि मुतलक़न गुस्सा का एतबार नहीं, मामूली गुस्सा में तलाक हो जाती है और वह सूरत की अक्ल गुस्सा से जाती रही बहुत नादिर है, लेहाजा जब तक इसका सबूत न हो महज सायल के कह देने पर एतमाद न करें ।

मसूअला :- नाबालिग की औरत मुस्लमान हो गयी और शौहर पर काज़ी ने इस्लाम पेश किया अगर वह समझवाल है और इस्लाम से इन्कार किया तो तलाक हो गयी ।

मसूअला :- ज़बान से अल्फाज़े तलाक़ न कहा मगर किसी ऐसी चीज़ पर लिखा कि हुरूफ़ मुमताज न होते हो (जैसे पानी या हवा पर) तो तलाक़ न होगी और अगर ऐसी चीज पर लिखा कि हरूफ़ मुमताज होते हों (जैसे कागज़ या तख्ता वगैरह पर) और तलाक की नीयत से लिखा तो हो जायेगी और अगर लिख कर भेजा यानी इस तरह लिखा जिस तरह खत लिखा जाता है कि मामूली अल्फाज़ व आदाब के बाद अपना मतलब लिखा जाता है) जब भी

हो गयी बल्कि न भी भेजें जब भी इस सूरत में हो जायेगी, और यह तलाक लिखते वक्त पड़ेगी, और उसी वक्त से इद्दत शुमार होगी, और अगर यूँ लिखे कि मेरा यह खत जब तुझे पहुँचे तुझे तलाक़ है, तो औरत को जब तहरीर पहुँचेगी उस वक्त तलाक़ होगी, औरत चाहे पढ़े या न पढ़े और फर्ज़ कीजिए औरत को तहरीर पहुँची ही नहीं मसलन उसे न भेजी या रास्ता में गुम हो गयी तो तलाक न होगी और अगर यह तहरीर औरत के बाप को मिली उसने चाक कर दी लड़की को न दी, तो अगर लड़की के तमाम कामों में वह तसर्रुफ करता है और वह तहरीर उस शहर में उसको मिली जहाँ लड़की रहती है तो तलाक हो गयी वरना नहीं मगर जबकि तहरीर आने की लड़की को खबर दी और वह फटी हुई तहरीर भी उसे दी और वह पढ़ने में आती है तो वाक़ा हो जायेगी ।

मसअला :- किसी पर्चा पर तलाक लिखी और कहता है कि मैंने मश्क के तौर पर लिखी है तो क़ज़ाअन उसका क़ौल मोतबर नहीं ।

मस्अला :- दो पर्चों पर यह लिखा कि जब मेरी यह तहरीर पहुँचे तुझे तलाक है और औरत को दोनों पर्चे पहुचे तो काज़ी दो तलाक का हुक्म देगा ।

मस्अला :- दूसरे से तलाक़ लिखवाकर भेजी तो तलाक़ हो जायेगी, लिखने वाले से कहा मेरी औरत को तलाक लिख दे तो यह इक़रारी तलाक़ है यानी तलाक हो जायेगी, चाहे वह न लिखे ।

मस्अला :- तहरीर से तलाक के सुबूत में यह जरूर है कि शौहर इक़रार करे कि मैंने लिखी या लिखवाई या औरत इस पर गवाह पेश करे, महज़ उसके खत से मुशाबेह होना या उसके से दस्तखत होना या उसकी सी मोहर होना काफी नहीं हाँ अगर औरत को इत्मिनान और ग़ालिब गुमान है कि यह तहरीर उसी की है तो उस पर अमल करने की औरत को इजाज़त है मगर जब शौहर इन्कार करे तो बग़ैर शहादत चारा नहीं ।

मस्अला :- किसी ने शौहर को तलाक़ नामा लिखने पर मजबूर किया उसने लिख दिया मगर न दिल में इरादा है न ज़बान से तलाक़ का लफ्ज़ कहा तो तलाक़ न होगी, मजबूरी से मुराद शरई मजबूरी है, महज़ किसी के इसरार करने पर लिख देना या बड़ा है इसकी बात कैसे टाली जाये, यह मजबूरी नहीं ।

मस्अला :- तलाक़ दो क़िस्म है । सरीह व केनाया । सरीह वह है जिससे तलाक मुराद होना ज़ाहिर हो अकसर तलाक़ में उसका इस्तेमाल हो अगरचा वह किसी ज़बान का लफ्ज़ हो ।

मस्अला :- लफ्ज़ सरीह जैसे मैंने तुझे तलाक दी, तुझे तलाक है, तू मुतल्लक़ा है तू तालिक़ है मैं तुझे तलाक देता हूँ, ऐ मुतल्लक़ा इन सब लफ्ज़ों का हुक्म यह है कि एक तलाक़ रजई वाक़ा होगी चाहे कुछ नियत न की हो या बाईन

की नियत की हो या एक से ज्यादा की नीअत की हो या यह कहे मैं नहीं जानता था कि तलाक़ क्या चीज है । इन सब सूरतों में एक रजई वाक़ा होगी मगर उस सूरत में कि वह तलाक़ को न जानता था तो दियानतन वाक़ा न होगी ।

मस्अला :- तलाग, तलाग़, तलाक़, तिलाक़, तलाख, तिलाख बल्कि तोतले की ज़बान से तलात यह सब सरीह के अल्फ़ाज़ हैं, इस सब से एक तलाक़ रजई होगी चाहे तलाक़ की नियत हो या न हो, ताला में अक़, तलाम, अलिफ़ क़ाफ़ कहा और नियत तलाक़ की है तो एक रजई होगी ।

मस्अला :- उर्दू में यह लफ्ज़ कहे कि मैंने तुझे छोड़ा यह सरीह है इससे एक रजई होगी, कुछ नीयत हो या न हो यूँ ही यह लफ्ज़ कि मैंने फ़ारिग़ख़ती, फ़ारिग़, ख़ती, फ़ारख़ती दी, सरीह है ।

मस्अला :- लफ्ज़ तलाक़ ग़लत तौर पर अदा करने में आलिम व जाहिल बराबर हैं बहरहाल तलाक़ हो जायेगी, चाहे कहे कि मैंने धमकाने के लिए ग़लत तौर पर अदा किया या तलाक़ मक़सूद न थी नहीं तो सही तौर पर बोलता हां अगर लोगों से पहले कह दिया था कि मैं धमकाने के लिए ग़लत तौर पर बोलूंगा तलाक़ मक़सूद न होगी तो अब उसका कहा मान लिया जायेगा ।

मस्अला :- किसी ने पूछा तू ने अपनी औरत को तलाक़ दे दी उसने कहा हां या क्यों नहीं तो तलाक़ हो गई अगर्चे तलाक़ देने की नीयत से न कहा हो मगर जब कि ऐसी सख़्त आवाज़ और ऐसे लहजा में कहा जिससे इन्कार मफ़हूम होता हो तो नहीं ।

मस्अला :- किसी ने ज़ैद से कहा तेरी औरत पर तलाक़ नहीं इस पर ज़ैद ने कहा 'क्यों नहीं' या कहा 'क्यों' तो तलाक़ हो गई और अगर कहा नहीं या हाँ तो न हुई ।

मस्अला :- औरत को तलाक़ नहीं दी है मगर लोगों से कहता है मैं तलाक़ दे आया तो क़ज़ाअन तलाक़ हो जायेगी लेकिन दियानतन न होगी ।

मस्अला :- तलाक़ एक दी है लोगों से कहता है तीन दी हैं तो दियानतन एक होगी क़ज़ाअन तीन, चाहे कहे कि मैंने झूठ कहा था ।

मस्अला :- औरत से कहा ऐ मुतल्लक़ा, ऐ तलाक़ दी गई ऐ तलाक़न, ऐ तलाक़शुदा, ऐ तलाक़ याफ़्ता, ऐ तलाक़ कर्दह, इन सब सूरतों में तलाक़ हो गई, चाहे कहे मेरा मक़सूद गाली देना था तलाक़ देना न था और अगर यह कहे कि मेरा मक़सूद यह था कि वह पहले शौहर की मुतल्लक़ा है और हक़ीक़त में वह ऐसी ही है यानी शौहरे अव्वल की मुतल्लक़ा है तो दियानतन उसका क़ौल मान लिया जायेगा और अगर वह औरत पहले किसी की मनकूहा थी ही नहीं या थी मगर उसने तलाक़ न दी थी बल्कि मर गया हो तो यह तावील

नहीं मानी जायेगी । यूँ ही 'अगर तेरे शौहर ने तुझे तलाक़ दी' तो भी यही हुक्म है ।

मस्अला :- औरत से कहा तुझे तलाक़ देता हूँ या कहा तू मुतल्लक़ा हो जा, तो तलाक़ हो गई, मगर यह लफ्ज़ कि तलाक़ देता हूँ या छोड़ता हूँ इसके यह मानी लिए कि तलाक़ देना चाहता हूँ या छोड़ना चाहता हूँ तो देयानतन न होगी, क़ज़ाअन हो जायेगी और अगर यह लफ्ज़ कहा कि छोड़े देता हूँ तो तलाक़ न हुई कि यह लफ्ज़ क़स्द व इरादे के लिए है ।

मस्अला :- तुझ पर तलाक़, तुझे तलाक़, तलाक़ हो जा, तू तलाक़ है, तू तलाक़ हो गई, तलाक़ ले, बाहर जाती थी कहा तलाक़ ले जा, अपनी तलाक़ ओढ़ और रवाना हो जा, मैंने तेरी तलाक़ तेरे आचंल में बाँध दी, जा तुझ पर तलाक़, इन सब लफ्ज़ों से एक तलाक़ रजई होगी, और अगर फ़क़त तलाक़ की नीयत से कहता तो बाइन होती ।

मस्अला :- किसी ने अपनी औरत की निसबत कहा, उसे उसकी तलाक की खबर दे या तलाक़ की खुश खबरी सुना दे, या उसकी तलाक की खबर उसके पास ले जा या उसे लिख भेज या उससे कह दे कि मुताल्लका है या उसके लिए उसकी तलाक की सनद या याददाश्त लिख दे, इन सब सूरतों में तलाक़ अभी पड़ गई चाहे न उसने उससे कहा न लिखा, और अगर यूँ कहा कि उससे कह कि तु मुताल्लका है या यूँ कहा कि उसे तलाक़ दे आ, तो जब यह जाकर कहेगा तब तलाक़ होगी वरना नहीं ।

मस्अला :- औरत से कहा तू फ़लानी से ज्यादा मुत्ताल्लका है तलाक़ पड़ गई चाहे वह फ़लानी मुताल्लका न भी हो ।

मस्अला :- औरत से कहा मैंने तेरी तलाक़ चाही या कहा तेरे लिए तलाक़ है या कहा अल्लाह ने तेरी तलाक़ चाही या कहा अल्लाह ने तेरी तलाक़ मुक़द्दर कर दी, इन सब सूरतों में अगर नीयत तलाक़ की हो तो रजई वाक़ा होगी ।

मस्अला :- औरत से कहा मैंने तुझे छोड़ा और कहता है मेरा मतलब यह था कि बंधी हुई थी उसकी बन्दिश खोल दी, या मोकइयद थी अब छोड़ दी तो यह तावील सुनी न जायेगी हाँ अगर तसरीह कर दी कि तुझे क़ैद या बन्दिश से छोड़ा तो क़ौल मान लिया जायेगा ।

मस्अला :- अपनी औरत से कहा तू मुझ पर हराम है तो इससे एक तलाक़ बाइन वाक़ा होगी । चाहे नीयत न की हो ।

मस्अला :- औरत से कहा मैं तुझ पर हराम हूँ और तलाक़ की नीयत की तो तलाक़ वाक़ा होगई और अगर सिर्फ यह कहा कि मैं हराम हूँ तो न होगी ।

मस्अला :- औरत से कहा तेरी तलाक़ मुझ पर वाजिब है तो इससे तलाक़ हो जायेगी ।

मस्अला :- अगर कहा तुझे खुदा तलाक़ दे तो इससे तलाक़ न होगी, और अगर यूँ कहा कि तुझे खुदा ने तलाक़ दी इससे तलाक़ हो गयी ।

मस्अला :- तलाक़ में इज़ाफ़त ज़रूर होनी चाहिए बगैर इज़ाफ़त तलाक़ वाक़ा न होगी । चाहे हाज़िर के सेग़ा से बयान करे जैसे कहे तुझे तलाक़ है या इशारा के साथ बयान करे जैसे कहे कि उसे या इसे या नाम लेकर कहे कि फ़लानी को तलाक़ है गरज़ जिसको तलाक़ देना है उसकी तरफ़ तलाक़ की निसबत ज़रूरी है ।

मस्अला :- अगर कहा तुझे मक्का में तलाक़ है या घर में या साया में या धूप में तो ऐसा कहने से फ़ौरन तलाक पड़ जायेगी यह नहीं कि मक्का को जाये तब पड़े, हाँ अगर यह कहे कि मेरा मतलब यह था कि जब मक्का को जाये तब तलाक़ है तो दियानतन यह बात मोतबर है लेकिन कज़ाअन नहीं ।

मस्अला :- अगर कहा तुझे क़यामत के दिन तलाक़ है तो कुछ नहीं कि यह कलाम लग़व (बेकार) है, और अगर यूं कहा कि तुझे क़यामत से पहले तलाक़ है तो फ़ौरन तलाक़ पड़ जायेगी ।

मस्अला :- अगर कहा कि तुझे कल तलाक़ है तो दूसरे दिन सुबह चमकते ही तलाक़ पड़ जायेगी, यूं ही अगर कहा शाबान में तलाक है तो जिस दिन रजब का महीना खत्म होगा उस दिन आफ़ताब डूबते ही तलाक़ होगी ।

मस्अला :- उंगलियों से इशारा करके कहा तुझे इतनी तलाकें, तो एक, दो, तीन जितनी उंगलियों से इशारा किया उतनी तलाकें हुई यानी जितनी उंगलियाँ इशारा करते वक्त खुली हो उनका एतबार है, बन्द का एतबार नहीं और अगर कहता है मेरी मुराद बन्द उंगलियाँ या हथेली थी तो यह कौल दियानतन मोतबर होगा क़ज़ाअन नहीं और अगर तीन उंगलियों से इशारा करके कहा तुझे इसके मिस्ल तलाक़ और नीयत तीन की हो तो तीन तलाक पड़ेगी नहीं तो एक बाईन पड़ेगी, और अगर इशारा करके कहा तुझे इतनी और नीयत तलाक़ की है और लफ़्ज़ तलाक़ बोला नहीं जब भी तलाक़ हो जाएगी ।

मस्अला :- तलाक़ के साथ कोई सिफ़त ज़िक्र की जिससे शिद्दत समझी जाये तो बाइन होगी जैसे बाईन या अलबत्ता, फ़हश तलाक़, तलाक़े शैतान, तलाक़े बिदअत, बदतर तलाक़ पहाड़ बराबर हज़ार के मिस्ल, सबसे बड़ी, सबसे कड़वी, सब से करी, सबसे चौड़ी, सबसे लम्बी, सबसे मोटी, फिर अगर तीन की नीयत की तो तीन होगी[1] नहीं तो एक और अगर औरत बांदी है तो दो की नीयत सही है ।

---

1. यानी दो की नीयत करे जब भी एक ही होगी ।

मसूअला :- कहा तुझे हजारों तलाक़ या चन्दबार तलाक़ तो तीन वाक़ा होंगी और अगर कहा तुझे तलाक़ न कम न ज़्यादा तो जाहिरुलरवाया मे तीन होंगी और इमाम अबू जाफ़र हिन्दवानी, व इमाम क़ाज़ी खां इसको तरजीह देते हैं कि दो वाक़ा हों और अगर कहा कि कमतर तलाक़ तो एक रजई होगी ।

मसूअला :- और कहा तुझे तलाक़ है पूरी तलाक़, तो एक होगी, और अगर कहा कि कुल तलाकें तो तीन ।

मसूअला :- जिस औरत से निकाह फ़ासिद किया फिर उसको तीन तलाकें दीं तो बगैर हलाला निकाह कर सकता है । इसलिए कि यह हक़ीकतन तलाक़ नहीं बल्कि मुतारका है ।

ग़ैर मदखूला की तलाक़

मसूअला :- गैर मदखूला को कहा तुझे तीन तलाकें तो तीन होंगीं और अगर कहा तुझे तलाक़, तुझे तलाक़, तुझे तलाक़ या कहा तुझे तलाक़, तलाक़, तलाक़ या कहा तुझे तलाक़ है एक और एक और एक तो इन सूरतों में एक बाइन वाक़ा होगी, बाक़ी, लग़व व बेकार है यानी चन्द लफ़्ज़ों से वाक़ा करने में सिर्फ पहले लफ़्ज़ से वाक़ा होगी और बाक़ी के लिए महल न रहेगी और मौतूआ में बहरहाल तीन वाक़ा होंगी

मसूअला :- अगर कहा कि डेढ़ तलाक़, तो दो होंगी, और कहा आधी और एक या एक होगी, यूं ही ढाई कहा तो तीन होंगी और दो और आधी कहा तो दो होंगी ।

मसूअला :- किसी के दो या तीन औरतें हैं उसने कहा कि मेरी औरत को तलाक़ तो उनमें से एक पर पड़ेगी और यह उसके अख़्तियार में है कि उनमें से जिसे चाहे तलाक़ के लिए मोअइयन करे और अगर एक को मुख़ातब करके कहा तुझ को तलाक़ है या कहा तू मुझ पर हराम है तो सिर्फ उसी को होगी, जिससे कहा ।

मसूअला :- औरत ने शौहर से कहा मुझे तीन तलाकें दे दे, शौहर ने जवाब में कहा दी, तो तीन वाक़ा हुई और अगर जवाब में यह कहा कि तुझे तलाक़ है तो एक वाक़ा होगी चाहे नीयत तीन की हो ।

मसूअला :- औरत ने कहा मैंने अपने को तलाक दे दी शौहर ने जायज़ कर दी तो तलाक़ हो गई ।

केनाया तलाक़

वह अलफ़ाज हैं जिनसे तलाक़ मुराद होना ज़ाहिर न हो, तलाक़ के अलावा और मानों में भी उनका इस्तेमाल होता हो, केनाया से तलाक़ वाक़ा होने में यह शर्त है कि तलाक़ की नीयत हो या हालत बताती हो कि तलाक़ मुराद है यानी पहले से तलाक़ का जिक़र था या गुस्सा में कहा, केनाया के अलफाज़ तीन तरह के हैं बाज़ में सवाल रदकरने का एहतेमाल है । बाज़ में गाली का एहतेमाल है और बाज़ में न यह है न वह है बल्कि जवाब के लिए मुताइयन है । अगर रद का एहतेमाल है तो मुतलकन हर हाल में नियत की हाजत है बगैर नियत तलाक़ न होगी और जिनमें गाली का एहतेमाल है उनसे तलाक़ होना खुशी और ग़ज़ब में नीयत पर मौकूफ़ है और तलाक़ का जिकर या तो नीयत की जरूरत नहीं और तीसरी सूरत यानी जो फ़क़त जवाब हो तो उसके लिए खुशी में नीयत ज़रूरी है और ग़ज़ब व मुज़ाकरा के वक्त बग़ैर नीयत भी तलाक़ वाक़ा है ।

बाइन के बाज़ अलफ़ाज यह हैं !

जा, निकल चल, रवाना हो, उठ खड़ी हो, पर्दा कर, हट सरक, जगह छोड़, घर खाली कर, दूर हो, रस्ता नाप, अपनी राह ले, काला मुंह कर, चल दूर हो, तू जुदा है, तू मुझसे जुदा है, चलती बन, रफू चक्कर हो पिंजरा खाली कर, चलती नजर आ, दफा हो, दाल,फ,ऐन हो, बिस्तर उठा, तशरीफ ले जाइये, तशरीफ का टोकरा ले जाइये, जहाँ सींग समायजा, बहुत हो चुकी अब मेहरबानी फ़रमाइये, जहन्नम में जा, चूल्हे में जा, भाड़ में पड़, मेरे पास से चल तू मुझ पर मिस्ल मुरदार के है, तू मुझ पर मिस्ल सूअर के हैं तू मुझ पर मिस्ल शराब के हैं । (लेकिन अगर कहा मिस्ल भांग के या मिस्ल अफीम के या मिस्ल फलाँ के माल के, या मिस्ल फ़लां की औरत के तो नहीं) तू मिस्ल मेरी मां के है तू मिस्ल मेरी बेटी के हैं तू मिस्ल मेरी बहन के हैं (और अगर यूंकहा कि तू मां है या कहा बहन है या कहा बेटी है तो गुनाह के सिवा कुछ नहीं) मैं तुझ से बाज आया मैं तुझ से दर गुज़रा तू मेरे काम की नहीं मैंने तेरी राह खाली कर दी अपने मायके बैठ मैं तुझसे लादावा होता हूं मेरा तुझ पर कुछ दावा नहीं तू आज़ाद है मुझे सूरत न दिखा अलग हो किनारे हो आज़ाद हो जा मैं तुझसे बरी हूं मैं तुझसे बेज़ार हूं मै तुझसे दस्तबरदार हुआ तू क़यामत तक मेरे लायक़ नहीं तू उम्र भर मेरे लायक़ नहीं मैंने तुझे तेरी माँ को दिया मैंने तुझे तेरे खाविन्दों को दिया मैंने तुझे जुदा कर दिया मैंने तुझसे जुदाई की मुझ में तुझ में निकाह बाक़ी न रहा मैंने तुझ से खुला किया । यह चन्द करीरुलवकूअ अलफ़ाज केनाया के जिनसे बाईन तलाक़ वाक़ा होती है यहाँ लिखे गये । और बहुत अलफ़ाज हैं जिनको बहारे शरीअत, फ़तावां रिज़विया में जिक़र किया गया है अगर जरूरत हो तो इन किताबों में देखें ।

मस्अला :- केनाया के इन लफ़्ज़ों से एक तलाक़े बाइन होगी अगर तलाक़ की नीयत से बोले गये चाहे बाइन की नीयत न हो और दो की नीयत की जब भी वही एक वाक़ा होगी हाँ अगर तीन की नीयत की तो तीन वाक़ा होगी । लेकिन अगर बांदी में दो की नीयत की तो दो वाक़ा होगी ।

मस्अला :- इन लफ़्ज़ों से तलाक़ न होगी चाहे नीयत करे मुझे तेरी हाजत नहीं मुझे तुझसे सरोकार नहीं तुझ से मुझे काम नहीं, तुझे मुझ से गरज नहीं, तुझ से मतलब नहीं, तू मुझे दरकार नहीं तुझ से मुझे रगबत नहीं, मैं तुझे नहीं चाहता ।

मस्अला :- मदख़ूला को एक तलाक़ दी थी फिर इद्दत में कहा कि मैंने इसे बाईन कर दिया तो बाईन वाक़ा हो जायेगी और अगर कहा तीन तो तीन वाक़ा हो जायेंगी और अगर इद्दत या रजअत के बाद ऐसा कहा तो कुछ नहीं ।

तलाक़ सुपुर्द करने का बयान

मस्अला :- औरत से कहा तुझे अख़्तियार है या कहा तेरा मामला तेरे हाथ है और उससे मकसूद तलाक़ का अख़्तियार देना है, तो औरत उस मजलिस में अपने को तलाक़ दे सकती है । चाहे वह मजलिस कितनी ही तवील हो और मजलिस बदलने के बाद कुछ नहीं कर सकती और अगर औरत वहाँ मौजूद न थी या मौजूद थी मगर सुना नहीं और उसे अख़्तियार इन्हीं लफ़्ज़ों से दिया तो जिस मजलिस में औरत को इसका इल्म हुआ उस मजलिस का एतबार है । हाँ अगर शौहर ने कोई वक्त मुकर्रर कर दिया था मसलन आज उसे अख़्तियार है और वक्त गुजरने के बाद इल्म हुआ तो अब कुछ नहीं कर सकती, और अगर उन लफ़्ज़ों से शौहर ने तलाक़ की नीयतहीन की थी तो कुछ नहीं इसलिए कि यह अलफ़ाज केनाया के हैं और केनाया में बे नीयत तलाक नहीं होती, हाँ अगर ग़जब की हालत में कहा या उस वक्त तलाक़ की बात चीत थी उस हालत में कहा तो अब नीयत नहीं देखी जायेगी, और अगर औरत ने अभी कुछ न कहा था कि शौहर ने अपने कलाम (बात) को वापस ले लिया तो मजलिस के अन्दर वापस न होगा । यानी बाद वापसी शौहर भी औरत अपने को तलाक दे सकती है और शौहर उसे मना भी नहीं कर सकता और अगर शौहर ने यह लफ़्ज़ कहे कि तू अपने को तलाक दे दे या तुझे अपनी तलाक़ का अख़्तियार है जब भी यही सब अहकाम हैं मगर उस सूरत में अगर औरत ने तलाक दे दी तो रजई पड़ेगी हाँ अगर इस सूरत में औरत ने तीन

★ अलफ़ाजे केनाया से कम से कम तलाक वाक़ा होगी या कम कोई अदद मतअय्यन नहीं - हुर्रा बान्दी दोनों में कम से कम एक है और कुल तलाक हुर्रा में तीन । और बान्दी में दो लेहाज़ा हुर्रा में एक या तीन वाक़ा हो सकेंगी दो नहीं और बान्दी में एक या दो ।

तलाकें दीं और मर्द ने तीन की नीयत भी कर ली है तो तीन होंगी और अगर मर्द कहता है मैंने एक की नियत की थी तो एक भी वाक्अ न होगी और अगर शौहर ने तीन की नीयत की, या यह कहा कि तू अपने को तीन तलाक़ दे ले और औरत ने एक दी तो एक पड़ेगी और अगर कहा तू अगर चाहे तो अपने को तीन तलाकें दें औरत ने एक दी या कहा तू अगर चाहे तो अपने को एक तलाक दे औरत ने तीन दीं तो दोनों सूरतों में कुछ नहीं मगर पहली सूरत में अगर औरत ने कहा मैंने अपने को तलाक़ दी, एक और एक और एक तो तीन पड़ेगी ।

मस्अला :- इन अल्फाजे मज़कूरा के साथ यह भी कहा कि तू जब चाहे या जिस वक्त चाहे तो अब मज्लिस बदलने से एख़्तेयार बातिल न होगा । और शौहर को कलाम वापस लेने का अब भी एख़्तेयार न होगा ।

मस्अला :- किसी शख़्स से कहा कि तू मेरी औरत को तलाक दे दे उस शख़्स ने उसी मज्लिस में या बाद उस मज्लिस के तलाक दे दी तो तलाक़ हो गई और उसमें रोजूअ कर सकता है । यानी जिसको यह एख़्तेयार दिया था उससे यह एख़्तेयार ले सकता है लेकिन अगर यूँ कहा था कि अगर तू चाहे तो तलाक़ दे दे तो यह एख़्तेयार उसी मजलिस तक रहेगा और रोजूअ न कर सकेगा ।

मस्अला :- औरत से कहा तू अपने को तलाक़ दे दे तो औरत उसी मजलिस में अपने को तलाक़ दे सकती है । उस मजलिस के बाद नहीं दे सकती और रुजू भी नहीं कर सकता है ।

मस्अला :- औरत से कहा तू अपनी सवत को तलाक़ दे दे तो यह मजलिस के साथ खास नहीं इस मजलिस केबाद भी दे सकती है और रुजू भी कर सकता है । यहाँ मजिस बदलने की सूरतें, बैठी थी, खड़ी हो गई, या एक काम कर रही थी उसे छोड़कर दूसरे में लग गई जैसे खाना मंगवाया या सो गई या गुस्ल करने लगी, या मेंहदी लगाने लगी या किसी से खरीद व फरोख़्त की बात की या खड़ी थी जांवर पर सवार हो गई या सवार थी उतर गई या एक सवारी से उतर कर दूसरी पर सवार हुई या सवार थी मगर जानवर खड़ा था चलने लगा, तो इन सब सूरतों में मजलिस बदल गई, और अब तलाक़ का अख़्तियार न रहा और अगर खड़ी थी बैठ गयी या खड़ी थी और मकान में टहलने लगी या बैठी हुई थी तकिया लगा लिया या तकिया लगाये हुए थी सीधी होकर बैठ गई या अपने बाप वग़ैरह किसी को मशवरह के लिए बुलाया था गवाहों को बुलाने गई ताकि उनके सामने तलाक़ दे जबकि वहाँ कोई ऐसा नहीं जो बुला दे या सवारी पर जा रही थी उसे रोक दिया, या पानी दिया या खाना वहां मौजूद था कुछ थोड़ा सा खा लिया, इन सब सूरतों में मजलिस नहीं बदली ।

मस्अला :- कश्ती घर के हुक्म में है कि कश्ती के चलने से मजलिस न बदलेगी और जानवर पर सवार है और जानवर चल रहा है तो मजलिस बदल रही है हाँ अगर शौहरके सुकूत करते ही फ़ौरन उसी क़दम में जवाब दिया तलाक़ हो गई और अगर महमिल में दोनों सवार हैं जिसे कोई खींचे लिए

जाता है तो मजलिस नहीं बदली कि यह कश्ती के हुक्म में है गाड़ी पालकी का भी यही हुक्म है ।

मस्अला :- मर्द ने अपनी औरत से कहा कि तू अपने नफ़्स को अख्तियार कर औरत ने कहा मैंने अपने नफ्स को अख्तियार किया या कहा मैंने अख्तियार किया या कहा अख्तियार करती हूँ तो एक तलाक़ बाईन वाक़ा होगी, और तीन की नियत सही नहीं ।

मस्अला :- शौहर ने अख्तियार दिया औरत ने जवाब में कहा मैंने अपने को बाईन किया या कहा हराम कर दिया या कहा तलाक़ दी तो जवाब हो गया और एक बाईन तलाक़ पड़ गई ।

मस्अला :- औरत के औलिया ने तलाक़ लेनी चाही, शौहर औरत के बाप से यह कह कर चला गया कि तुम जो चाहो सो करो और बाप ने तलाक़ दे दी तो अगर शौहर ने तफ़वीज़ (सुपुर्द करना) के इरादे से न कहा हो तो तलाक़ न होगी ।

मस्अला :- औरत से कहा तू अपने को तलाक़ दे दे और नीयत कुछ न हो या एक या दो की नियत की हो और औरत हुर्रा हो, तो औरत के तलाक़ देने से एक रजई वाका होगी, और तीन की नीयत की हो तो तीन पड़ जायेंगी, और बान्दी में दो की नीयत भी सही है । और अगर औरत ने जवाब में कहा कि मैंने अपने को बाईन किया या कहा मैंने अपने को जुदा किया या कहा मैं हराम हूँ, या कहा मैं बरी हूँ जब भी एक रजई वाका होगी, और अगर कहा मैंने अपने नफ्स को अख्तियार किया तो कुछ नहीं अगरचा शौहर ने जायज़ कर दिया हो । किसी और से कहा तू मेरी औरत कोरजई तलाक़ दे दे उसने बाईन दी जब भी रजई होगी, और अगर वकील ने तलाक़ का लफ्ज न कहा बल्कि कहा मैंने जुदा कर दिया तो यह कुछ नहीं ।

मस्अला :- औरत से कहा अपने को तू तलाक़ दे दे जैसी तू चाहे तो औरत को अख्तियार है बाईन दे या रजई, एक दे या दो दे या तीन, मगर मजिलस बदलने के बाद अख्तियार न रहेगा ।

मस्अला :- मर्द ने औरत से कहा तुझको तलाक़है अगर तू एरादा करे या पसन्द करे या ख्वाहिश करे या महबूब रखे, औरत ने जवाब दिया, मैंने चाहा, या इरादा किया तो तलाक़ हो गई, यूं ही अगर कहा तुझे मुवाफिक आये जवाब में कहा मैंने चाहा, तो तलाक़ हो गई और जवाब में कहां मैंने महबूब रखा तो तलाक़ न हुई ।

तालीक़ का बयान

तालीक़ के माना यह है कि किसी चीज का होना, दूसरी चीज के होने पर मौकूफ़ किया जाये यह दूसरी चीज़ जिस पर पहली मौकूफ़ है उसको शर्त

कहते हैं । तालीक़ सही होने के लिए जरूरी है कि शर्त फ़िलहाल मादूम हो मगर आदतन हो सकती हो, लेहाजा अगर शर्त मादूम न हो (मसलन यह कहे कि अगर आसमान हमारे ऊपर हो तो तुझको तलाक़ है) तो तालीक़ नहीं (बल्कि फ़ौरन तलाक़ वाक़ा हो जायेगी) और अगर शर्त आदतन मोहाल हो (मसलन यह कि अगर सुई के नाके में ऊंट चला जाये तो तुझको तलाक़ है) तो कलाम लगव है इससे कुछ न होगा औरतालीक़ में यह भी शर्त है कि शर्त मुत्तसलन बोली जाये और यह कि सजा देना मक़सूद न हो (मसलन औरत ने शौहर को कमीना कहा उस पर शाहर ने कहा अगर मैं कमीना हूं तो तुझ पर तलाक़ है तो तलाक़ हो गई चाहे कमीना न हो) कि ऐसे कलाम से तालीक़ मकसूद नहीं होती बल्कि औरत को ईज़ा देना है और यह भी जरूरी है कि वह फ़ेल ज़िक्र किया जाये जिसे शर्त ठहराया लेहाजा अगर यूं कहा तुझे तलाक़ है अगर और उसके बाद कुछ न कहा तो यह कलाम लगव है तलाक़ न वाक़ा होगी, तालीक़ के लिए शर्त यह है कि औरत तालीक़ के वक्त उसके निकाह में हो (मसलन अपनी मनकूहा से या जो औरत उसकी इद्दत में है कहा, अगर तूं फ़लां काम करे या फ़लां के घर जाय तो तुझ पर तलाक़ है) या निकाह की तरफ़ इज़ाफ़त हो (मसलन कहा अगर मैं किसी औरत से निकाह करूं तो उस पर तलाक़ है या अगर मैं तुझसे निकाह करूं तो तुझ पर तलाक़ है या जिस औरत से निकाह करूं उसे तलाक़ है और किसी अजनबिया से कहा अगर तू फ़लां के घर गयी तो तुझ पर तलाक़ है फ़िर उससे निकाह किया और वह औरत उसके यहाँ गयी तलाक़ न हुई, याकहा जो औरत मेरे साथ सोये उसे तलाक़ है फिर निकाह किया और साथ सोई तलाक़ न हुई यूं ही अगर वालदैन से कहा अगर तुम मेरा निकाह करोगे तो उसे तलाक़ फिर वालदैन ने उसके बेकहे निकाह कर दिया तलाक़ वाक़ा न होगी, यूं ही अगर तलाक़ सुबूते मिल्क या ज़वाले मिल्क के मक़ारिन हो तो कलाम लगव है तलाक़ न होगी (मसलन तुझ पर तलाक़ है तेरे निकाह के साथ या मेरी या तेरी मौत के साथ) ।

मस्‌अला :- शर्त का महल जाते रहने से तालीक़ बातिल हो जाती है, मसलन कहा अगर फ़लां से बात करे तो तुझ पर तलाक़ है अब फ़लां मर गया तो तालीक़ बातिल हो गयी, लेहाज़ा अगर किसी वलि की करामत से वह फ़लां जी गया, अब कलाम किया तो तलाक़ वाक़ा न होगी, या कहा अगर तू उस घर में गई तो तुम पर तलाक़ और यह घर गिर पड़ कर खेत या बाग़ बन गया तो तालीक़ जाती रही, चाहे फिर दोबारा उस जगह घर बनाया गया हो ।

हरुफ़े शर्त

उर्दू जबान में यह है । अगर, अब, जिस वक्त, हर वक्त, जो, हर, जिस, जब, कभी, हर बार ।

मस्अला :- एक बार शर्त पाये जाने से तालीक़ खत्म हो जाती है यानी दोबारा शर्त के पाये जाने से तलाक़ वाक़ा न होगी मसलन औरत से कहा अगर तू फ़लां के घर में गई या तूने फंला से बात की तो तुझको तलाक है अब औरत उसके घर गई तो तलाक़ वाक़ा हो गई दोबारा फिर गई तो अब वाक़ा न होगी, इसलिए कि अब तालीक़ का हुक्म बाक़ी नहीं मगर जब कभी या जब जब या हर बार के लफ्ज़ से तालीक़ की तो एक दो बार पर तालीक़ खत्म न होगी बल्कि तीन बार में तीन तलाकें पड़ेंगी, इसलिए कि यह कुल्लमा का दरजमा है और कुल्लमा ओमूमे अफ़आल के वास्ते है मसलन औरत से कहा जब कभी तू फ़लां के घर जाये या फ़लां से बात करे तो तुझको तलाक़ है तो अगर फ़लां के घर तीन बार गई तीन तलाकें हो गई अब तालीक़ का हुक्म खत्म हो गया यानी अगर वह औरत बाद हलाला फिर उसके निकाह में आई अब फिर फ़लां के घर गई तो तलाक़ वाक़ा न होगी हाँ अगर यूं कहा कि जब कभी मैं उससे निकाह करूं तो उसे तलाक़ है तो तीन पर बस नहीं बल्कि सौ बार भी निकाह करे तो हर बार तलाक़ वाका होगी यूं ही अगर यह कहा कि जिस आदमी से तू बात करे तुझ को तलाक है या हर उस औरत से कि जिससे मैं निकाह करूं उसे तलाक़ है या जिस जिस वक्त तू यह काम करे तुझपर तलाक़ है कि यह अल्फ़ाज़ भी ओमूम के वास्ते हैं लेहाज़ा एक बार में तालीक़ खत्म न होगी ।

मस्अला :- यह कहा कि जब कभी मैं उस मकान में जाऊं और फ़लां से बात करूं तो मेरी औरत को तलाक़, उसके बाद उस घर में कई बार गया मगर फ़लां से बात न की तो औरत को तलाक़ न हुई और अगर जाना कई बार हुआ और बात करना एक बार तो एक तलाक़ हुई ।

मस्अला :- वती पर तीन तलाकें मुअल्लक़ की थीं तो हशफ़ा दाखिल होने से तलाक़ हो जायेगी और वाजिब है कि फौरन जुदा हो जाये ।

मस्अला :- यह कहा कि अगर इस रात में तू मेरे पास न आई तो तुझ पर तलाक़, औरत दरवाज़ा तक आई अन्दर न गई, तलाक़ हो गई, और अगर अन्दर गई मगर शौहर सो रहा था तो न हुई । और पास आने में यह शर्त है कि इतने करीब आ जाये कि शौहर हाथ बढ़ाये तो औरत तक पहुंच जाये, मर्द ने औरत को बुलाया, औरत ने इन्कार किया इस पर मर्द ने कहा अगर तू न आई तो तुझको तलाक़ है फिर शौहर खुद जबरदस्ती उसे ले आया तो तलाक़ न हुई ।

मस्अला :- अगर तू फ़लां के घर जायेतो तुझको तलाक़ है, उसके बाद फ़लां मर गया और घर तरका में छोड़ा अब उस घर में जाने से तलाक़ न होगी ।

इसतिस्ना का बयान

इसितिस्ना के लिए शर्त यह है कि कलाम के साथ मुत्तसिल हो यानी बिला वजह न सुकूत किया हो न कोई बेकार बात दरमियान में कही हो, और यह भी शर्त है कि इतनी आवाज़ से कहे कि अगर शोर व गुल वग़ैरह कोई माने न हो तो खुद सुन सके. बहरे का इसतसना सही है ।

मसअला :- औरत से कहा, तुझे तलाक है इंशाअल्लाह ताला, तो तलाक़ वाक़ा न होगी, चाहे इंशाअल्ला कहने से पहले ही औरत मर गई और अगर शौहर इतना लफ़्ज कह कर कि तुझको तलाक़ है, मर गया, इंशाअल्लाह न कह सका, मगर उसका इरादा इंशाअल्लाह भी कहने का था तो तलाक़ हो गई रहा यह कि कैसे मालूम हुआ कि उसका इरादा यह भी था, यह यूं मालूम हुआ कि पहले उसने कह दिया कि मैं अपनी औरत को तलाक़ दे कर इसितसना करूंगा ।

मसअला :- यह कहा कि तुझको तलाक़ है, मगर यह कि खुदा चाहे, या कहा अगर खुदा न चाहे या कहा जो अल्लाह चाहे या कहा जब खुदा चाहे, या कहा मगर जो खुदा चाहे या यह कहा जब तक खुदा न चाहे या कहा अल्लाह की मशीअत के साथ या कहा अल्लाह के हुक्म में या कहा अल्लाह के इज़न में या कहा अल्लाह के अम्र में, तो तलाक़ वाक़ा न होगी, और अगर यूं कहा कि अल्लाह के अम्र से या कहा अल्लाह के हुक्म से या कहा अल्लाह के इज़न से या कहा अल्लाह के इल्म से या कहा अल्लाह की कज़ा से या कहा अल्लाह की कुदरत से या कहा अल्लाह के इल्म में या कहा अल्लाह की मशीअत के सबब या कहा अल्लाह के इरादे के सबब, तो तलाक़ हो जायेगी ।

मसअला :- अगर इंशाअल्लाह को मुक़द्दम कहा यानी यूं कहा इंशाअल्लाह तुझको तलाक है जब भी तलाक़ न होगी, और अगर यूं कहा तुझको तलाक़ है इंशाअल्लाह अगर तू घर गई तो घर में जाने से तलाक़ न होगी, और अगर इंशाअल्लाह तलाक़ के दो जुमलों के बीच में कहा जैसे यूं कहा, तुझको तलाक़ है इंशाअल्लाह तुझको तलाक़ है तो इस्तिसना पहले जुमले से लगेगा, लेहाजा दूसरे जुमले से तलाक़ वाक़ा हो जायेगी, यूं ही अगर कहा तुझको, तीन तलाकें है इंशाअल्लाह तुझ पर तलाक़ है तो एक वाक़ा होगी* ।

मसअला :- अगर तीन तलाके कह कर उनमें से एक या दो का इस्तिनसना करे तो यह सही है यानी इस्तिसना के बादजो बाकी है वह वाका होगी, जैसे कहा तुझको तीन तलाकें हैं मगर एक तो इस सूरत में दोतलाकें वाक़ा होंगी और अगर कहा तुझको तीन तलाकें है मगर दो तो इस वक्त एक तलाक पड़ेगी, और कुल का इस्तिसना सही नहीं चाहे इसी लफ्ज से हो (जैसे कहा

---

* कि इस सूरत में इंशाअल्लाह पहले जुमले से मुत्तालिक होगा, लेहाजा दूसरे जुमला से तलाक़ न होगी, बल्कि तन्जीज होगी ।

तुझ पर तीन तलाकें हैं मगर एक और एक और एक या कहा तुझ पर तीन तलाकें, मगर दो और एक तो इन सूरतों में तीनों तलाकें वाका होगी ।

तलाक़े मरीज़ का बयान :

मरीज़ से मुराद वह शख्स है जिसकी निसबत ग़ालिब गुमान हो कि इस मरज़ से हलाक हो जायेगा कि मरज़ ने उसे इतना लाग़र कर दिया है कि घर से बाहर काम के लिए नहीं जा सकता है मसलन नमाज़ के लिए मस्जिद को न जा सकता हो या ताजिर अपनी दुकान तक न जा सकता हो, और यह अकसर के लेहाज़ से है वरना असल हुक्म यह है कि इस मरज़ में ग़ालिब गुमान मौत हो अगरचे इबतेदाअन जबकि शिददत न हुई हो बाहर जा सकता हो (मसलन हैजा वग़ैरह अमराज़े मुहलिका में बाज लोग घर से बाहर के काम भी कर लेते हैं, मगर ऐसे अमराज़ में गालिब गुमान हलाकत है) यूं ही यहां मरीज़ के लिए साहबे फ़राश होना भी जरूरी नहीं और अमराज़े मज़मना मसलन सिल, फालिज अगर रोज बरोज ज्यादती पर हो तो यह भी मरज़ुल मौत है, और अगर एक हालत पर कायम हो गये और पुराने हो गये यानी एक साल का ज़माना गुज़र गया तो अब इस मरीज़ के तसरुफ़ात तन्दुरूस्त की मिस्ल नाफिज़ होगें ।

मस्अला :- मरीज ने औरत को तलाक दिया तो इसे फ़ारवित्तलाक़ कहते हैं कि वह ज़ौजा को तरका से महरूम करना चाहता है, फारवित्तलाक के अहकाम आगे आ रहे हैं ।

मस्अला :- जो शख्स लड़ाई में दुश्मन से लड़ रहा हो वह भी मरीज़ के हुक्म में है अगरचा मरीज़ नहीं है कि ग़ालिब ख़ौफ़ हलाक है यूँ ही जो शख्स केसास में कत्ल के लिए या फांसी देने या संगसार करने के लिए लाया गया या शेर वग़ैरह किसी दरिन्दे ने उसे पछाड़ा या कश्ती में सवार है और कश्ती मौज के तलातुम में पड़ गयी या कश्ती टूट गई और उसके तख्ते पर बहता हुआ जा रहा था, तो यह सब मरीज़ के हुक्म में है जबकि उसी सबब से मर भी जायें और अगर यह सबब जाता रहा फिर किसी और वजह से मर गये तो मरीज़ नहीं और अगर शेर के मुंह से छूट गया और ज़ख्म ऐसा कारी लगा है कि गालिब गुमान यही है कि उससे मर जायेगा तो अब भी मरीज़ है ।

मस्अला :- मरीज ने तबररोअ किया (मसलन अपनी जायदाद वक्फ़ कर दी या किसी अजनबी को हिबा कर दी, या किसी औरत से महरे मिस्ल से ज्यादा पर निकाह किया) तो सिर्फ तिहाई माल में उसका तसर्रूफ़ नाफ़िज़ होगा कि यह अफ़आल वसीयत के हुक्म में है ।

मस्अला :- औरत को तलाक़ रजई दी और इद्दत के अन्दर मर गया तो मुतलक़ा औरत वारिस है । सेहत में तलाक़ दी हो या मरज़ में औरत की रजामन्दी से तलाक़ दी हो या बग़ैर रज़ा ।

मस्अला :- मरज़ुलमौत में औरत को तलाक़ बाईन दी औरत की बगैर रज़ामन्दी के और उसी मरज़ में इद्दत के अन्दर मर गया तो औरत वारिस है जबकि उस तलाक़ के वक्त औरत वारिस होने की सलाहियत भी रखती हो यानी मेमिना हुर्रा हो ।

मस्अला :- और यह हुक्म (कि मरज़ुलमौत में औरत को बाइन करने के बाद शौहर इद्दत में मर जाय तो शरायते मज़कूरा के साथ औरत वारिस होगी) तलाक़ के साथ ख़ास नहीं है बल्कि जो फ़ुर्क़त भी ज़ौज की तरफ़ से हो उसका यही हुक्म है (जैसे शौहर ने ख़यारे बलूग़ की वजह से औरत को बाइन किया या औरत की मां या लड़की का शहवत से बोसा लिया या मुर्तद हो गया अब इन बातों से जो बैनूनत होगी उसमें औरत वारिस होगी) और जो फ़ुर्क़त ज़ौजा की तरफ से हो उसमें वारिस न होगी, (जैसे औरत ने शौहर के लड़के का शहवत के साथ बोसा लिया या मुर्तद हो गई या खुलाअ कराया तो इन सूरतों में वारिस न होगी यूं ही अगर फ़ुर्क़त गैर की तरफ़ से हुई (जैसे शौहर के लड़के ने औरत का बोसा लिया चाहे औरत को मजबूर ही किया हो, तो वारिस न होगी) हां अगर यह बोसा अपने बाप के हुक्म से लिया तो अब वारिस होगी ।

मस्अला :- मरीज़ ने औरत को तीन तलाकें दी थीं उसके बाद औरत मुर्तद्दा हो गई फिर मुसलमान हुई अब शौहर मरा तो वारिस न होगी अगरचा अभी इद्दत पूरी न हुई हो ।

मस्अला :- औरत ने तलाक़ रजई या तलाक़ का सवाल किया था मर्द मरीज़ ने तलाक़ बाईन या तीन तलाकें दे दीं और इद्दत में मर गया तो औरत वारिस है । यूं ही औरत ने बतौर ख़ुद अपने को तीन तलाकें दे ली थी और शौहर मरीज़ ने जायज़ कर दीं तो वारिस होगी और अगर शौहर ने औरत को अख़्तियार दिया था औरत ने अपने नफ़्स को अख़्तियार किया या शौहर ने कहा था अपने को तीन तलाकें दे दे औरत ने दे दीं तो वारिस न होगी ।

मस्अला :- मरीज़ ने औरत को तलाक बाईन दी थी और इद्दत मे औरत ही मर गई तो यह शौहर उसका वारिस न होगा और अगर रजई तलाक़ थी तो वारिस होगा ।

मस्अला :- औरत मरीज़ा थी उसने कोई ऐसा काम किया जिसकी वजह से शौहर से फ़ुर्क़त हो गई (मस्लन ख़यारे बलूग़ व इतक़ या शौहर के लड़के का बोसा लेना वगैरह) और फिर मर गई तो शौहर उसका वारिस होगा ।

मस्अला :- औरत से कहा जब मैं बीमार हो जाऊं तो तुझ पर तलाक़ उसके बाद शौहर बीमार हुआ तो तलाक़ हो गई और इद्दत में मर गया तो वारिस होगी ।

मस्अला :- शौहर के मरने के बाद औरत कहती है कि उसने मुझे मरज़ुलमौत में बाइन तलाक़ दी थी और मैं इद्दत में थी कि मर गया लेहाजा मुझे मीरास मिलनी चाहिए और वरसा कहते हैं सेहत में तलाक़ दी थी लेहाजा मीरास न मिलनी चाहिए तो क़ौल औरत का मोतबर है ।

रजअत का बयान

रजअत के यह मानी है कि जिस औरत को रजई तलाक़ दी हो इद्दत के अन्दर उसे उसी पहले निकाह पर बाक़ी रखना ।

मस्अला :- रजअत उसी औरत से हो सकती है जिससे वती की हो, अगर खिलवत सहीहा हुई मगर जेमा न हुआ तो रजअत नहीं हो सकती चाहे उसे शहवत के साथ छुआ या शहवत के साथ फर्जे दाखिल पर नजर की हो ।

मस्अला :- रजअत को किसी शर्त पर मुअल्लक किया या आइन्दा ज़माना की तरफ़ मुज़ाफ़ किया (जैसे कहा अगर तू घर में गई तो मेरे निकाह में वापस हो जायेगी या कहा कल तू मेरे निकाह में वापस आ जायेगी) तो यह रजअत न हुई और अगर मजाक़ खेल या गल्ती से रजअत के अल्फाज कहे तो रजअत हो गई ।

मस्अला :- .किसी और ने रजअत के अल्फाज कहे और शौहर ने जायज़ कर दिया तो रजअत हो गई ।

मस्अला :- रजअत का मस्नून तरीक़ा यह है कि किसी लफ्ज़ से रजअत करे और रजअत पर दो आदिल शख्सों को गवाह करे औरत को भी उसकी खबर कर दे ताकि इद्दत के बाद किसी और से निकाह न कर ले और अगर कर लिया तो तफरीक कर दी जाये चाहे दखूल भी कर चुका हो इसलिए कि यह निकाह न हुआ और अगर क़ौल (लफ़्ज़) से रजअत की मगर गवाह न किया या गवाह भी किया मगर औरत को खबर न दी तो मकरूह खिलाफ़े सुन्नत है मगर रजअत हो जायेगी और अगर फ़ेल से रजअत की (जैसे उससे वती की, शहवत के साथ बोसा लिया या उसकी शर्मगाह की तरफ़ नजर की) तो रजअत हो गई मगर मकरूह है । चाहिए कि फिर गवाहों के सामने रजअत के अल्फ़ाज़ कहे ।

मस्अला :- शौहर ने रजअत कर ली मगर औरत को खबर न की औरत ने इद्दत पूरी करके किसी से निकाह कर लिया और रजअत साबित हो जाये तो तफ़रीक़ कर दी जायेगी अगरचा दूसरा दखूल भी कर चूका हो ।

मस्अला :- रजअत के अल्फ़ाज यह हैं ! मैने तुझसे रजअत की, या मैंने अपनी ज़ौजा से रजअत की या तुझको वापस लियाया मैंने तुझ को रोक लिया, यह सब रजअत के सरीह अल्फ़ाज हैं कि इन लफ्ज़ो से बिला नियत के भी

रजअत हो जायेगी और अगर कहा तू मेरे नजदीक वैसी है जैसी थी या तू मेरी औरत है तो अगर इन लफ़्ज़ों को रजअत की निअत से कहा तो रजअत हो गई नहीं तो न होगी और निकाह के अल्फ़ाज़ से भी रजअत हो जाती है।

मसअला :- रजअत में औरत की रज़ा की ज़रूरत नहीं बल्कि अगर औरत इन्कार भी करे जब भी हो जायेगी बल्कि शौहर ने तलाक़ देने के बाद कह दिया हो कि मैंने रजअत बातिल कर दी या मुझे रजअत का अख़्तियार नहीं जब भी रजअत कर सकता है ।

मसअला :- ज़ौज, ज़ौजा दोनों कहते हैं कि इद्दत पूरी हो गई मगर रजअत में एख़तेलाफ़ करते है एक कहता है रजअत हुई दूसरा मुनकिर है तो ज़ौजा का क़ौल मोतबर है और कसम की ज़रूरत नहीं और अगर इद्दत के अन्दर यह एख़तेलाफ़ हुआ तो ज़ौज का क़ौल मोतबर है और अगर इद्दत के बाद शौहर ने गवाहों से साबित किया कि मैंने इद्दत में कहा था कि मैंने उसे वापस लिया या कहा था कि मैंने उससे जेमा किया तो रजअत हो गई ।

मसअला :- इद्दत पूरी होने के बाद शौहर कहता है कि मैंने इद्दत में रजअत कर ली है और औरत तसदीक करती है तो रजअत हो गई और तकज़ीब करती है तो न हुई ।

मसअला :- जिस औरत को तीन से कम तलाक़ बाइन दी है उससे इद्दत में भी निकाह कर सकता है और बाद इद्दत भी और अगर तीन तलाकें दी हों तो बग़ैर हलाला निकाह नहीं कर सकता चाहे दख़ूल न किया हो, अल्बत्ता अगर औरत ग़ैर मदख़ूला है तो तीन तलाक़ एक लफ़्ज़ से होगी तीन लफ़्ज़ से एक ही होगी जैसा कि पहले मालूम हो चुका है और दूसरे से इद्दत के अन्दर मुतलकन निकाह नहीं कर सकती तीन तलाकें दी हों या तीन से कम ।

मसअला :- हलाला की सूरत यह है कि अगर औरत मदख़ूला है तो तलाक़ की इद्दत पूरी होने के बाद यह औरत किसी और से निकाहे सही करे और यह दूसरा शौहर उस औरत से वती भी कर ले अब उस दूसरे शौहर के तलाक़ देने या मर जाने के बाद इद्दत पूरी होने पर पहले शौहर से फिर निकाह कर सकती है और अगर औरत मदख़ूला नहीं है तो पहले शौहर के तलाक़ देने के बाद फ़ौरन दूसरे से निकाह कर सकती है इसलिए कि ग़ैर मदख़ूला के लिए इद्दत नहीं है ।

मसअला :- हलाला में जो वती शर्त है इससे मुराद वह वती है जिससे गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है यानी दख़ूल हशफ़ह, और इन्ज़ाल शर्त नहीं ।

मसअला :- किसी औरत से निकाहे फ़ासिद करके तीन तलाकें दे दीं तो हलाला की हाजत नहीं, बग़ैर हलाला उससे निकाह कर सकता है ।

★ लेहाज़ा अगर निकाह फ़ासिद हुआ या मौक़ूफ़ और वती भी हो गई तो हलाला न हुआ ।

ईला का बयान

ईला के माने यह है कि शौहर ने यह कसम खाई कि औरत से कुरबत न करेगा या यूँ कसम खाई कि चार महीना कुरबत न करेगा तो यह ईला हो गया । अगर औरत बांदी हो तो उसके ईला की इद्दत दो महीना है । ईला में कसम की दो सूरत है एक यह है कि अल्लाहतआला या उसके उन सिफात की कसम खाये जिनकी कसम खाई जाती है (जैसे कहे उसकी अज़मत व जलाल की कसम, उसके किबरियाई की क़सम, कुरआन की क़सम, कलाम अल्लाह की क़सम) दूसरी सूरत तालीक़ है (जैसे कहे कि अगर उससे वती करूं तो मेरा गुलाम आज़ाद है या मेरी औरत को तलाक़ है या मुझ पर इतना रोज़ा या हज है)

मसअला :- ईला दो तरह का है, एक ईलाए मोवक्क़त यानी चार महीना का दूसरा ईलाएं मोअब्बद, यानी चार महीने की कैद न हो, हर हाल ईला के बाद अगर चार महीने के अन्दर अगर औरत से जेमा कियातो क़सम टूट गई (चाहे पागल ही हो) और कफ्फ़ारा लाजिम जबकि अल्लाह ताला या उसके सिफ़ात की कसम खाई हो और अगर कसम बसूरत तालीक़ थी तो जिस बात पर मुअल्लक़ किया था वह बात हो जायेगी, (जैसे कहा था अगर उससे सोहबत करूं तो गुलाम आजाद है और चार महीना के अन्दर जेमा कर लिया तो गुलाम आजाद हो गया) और अगर ईला करने के बाद चार महीना के अन्दर सोहबत न किया तो तलाक़ बाईन पड़ जायेगी, फिर अगर यह ईला मोवकत था यानी चार महीने का था तो यमीन साक़ित हो गई यानी अगर उस औरत से फिर निकाह किया तो अब ईला का कुछ असर नहीं, और अगर ईला मोहब्बद था यानी हमेशा की कैद थी (जैसे यूं कहा था खुदा की क़सम तुझ से कभी कुरबतन करूंगा) या कुछ कैद न थी (जैसे कहा था खुदा की कसम तुझ से कुरबत न करूंगा) तो इन सूरतों में एक तलाक़ बाईन पड़ गई और कसम बाक़ी है । (यानी अगर" निकाह के वक्त से चार महीना के अन्दर जेमा कर लिया तो क़सम का कफ्फ़ारा देना होगा । और तालीक में जुज़ अव्वल तो हो जायेगी और चार महीने गुज़ार लिये और कुरबत न की तो एक तलाक़ बाईन पड़ेगी मगर यमीन अब भी वाक़ी है । इसी तरह अगर तीसरी बार उसी औरत से निकाह किया तो फिर ईला आ गया अब भी जेमा न करे तो चार महीना, गुजरने पर तीसरी तलाक़ पड़ जायेगी और वे हलाला निकाह नहीं कर सकता । अगर हलाला के बाद फिर निकाह किया तो अब ईला नहीं यानी चार महीना बगैर कुरबत गुजरने पर तलाक न होगी, मगर कसम वाकी है अगर जेमा करेगा, कफ़्फ़ारा वाजिब, और अगर पहली या दूसरी तलाक़ के बाद औरत ने किसी और से निकाह किया उसके बाद फिर इससे निकाह किया तो मुस्तकिल

★ ईला में कसम तोड़ने के बाद कफ्फ़ारा लाज़िम आता है, लेहाज़ा अगर किसी ने कफ्फ़ारा पहले दिया तो इसका कुछ एतबार नहीं फिर कफ्फ़ारा देना होगा ।

तौर पर अब से तीन तलाक का मालिक होगा मगर ईला फ़िर भी रहेगा यानी कुरबत न करने पर तलाक हो जायेगी, फिर निकाह फिर वही हुक्म, फिर एक या दो तलाक के बाद किसी से निकाह किया फिर उससे निकाह किया फिर वही हुक्म, यानी जब तक तीन तलक़ा के बाद दूसरे शौहर से निक़ाह न कर ले ईला बदस्तूर बाकी रहेगा ।

मस्अला :- ईला सिर्फ अपनी मनकूहा से होता है या मुतल्लक़ा★ रजई से (कि यहाँ मुतल्लक़ा रजई भी मनकूहा के हुक्म मे है) अजनबिया से या जिसे बाईन तलाक़ दी उससे इबतेदाअन नहीं हो सकता, यूं ही अपनी बान्दी से भी नहीं, हां दूसरे की कनीज उसके निकाह में है तो उस कनीज से ईला कर सकता है यूं ही अजनबिया का ईला अगर निकाह पर मुअल्लक किया तो हो जायेगा (जैसे कहा अगर मैं तुझसे निकाह करूं तो खुदा की कसम तुझसे कुरबत न करूगां)

मस्अला :- ईला के लिए यह भी शर्त है कि शौहर अहले तलाक़ हो, यानी वह तलाक़ दे सकता हो, लेहाजा मजनून व नाबालिग का ईला सही नहीं कि यह अहले तलाक़ नहीं और यह भी शर्त है कि चार महीना से कम की मुद्दत न हो और यह भी शर्त है कि जगह मुअइयन न करे अगर जगह मुअइयन की (जैसे यूं कहा खुदा की क़म तुझ से फ़लां जगह कुर्बत न करूगां) तो ईला नहीं और यह भी शर्त है कि जौजा के साथ किसी बान्दी या अजनबिया को न मिलाये (जैसे कहा तुझ से और फ़लां औरत से कुर्बत न करूंगा और यह फलां उस की बांदी या अजनबीया है तो ईला न होगा) और यह भी शर्त है कि महज मुद्दत का इसतिस्ना न हो (जैसे यूं कहा चार महीने तुझसे कुरबत करूंगा मगर एक दिन तो यह ईला नहीं) और यह भी शर्त है कि कुर्बत के साथ किसी और चीज को न मिलाऐ (जैसे अगर यूं कहा अगर मैं तुझ से कुर्बत करूं या तुझे अपने बिछौने पर बुलाऊ तो तुझ को तलाक़ है तो इस तरह कहने से ईला नहीं होगा) ।

मस्अला :- ईला के अलफ़ाज बाज सरीह हैं बाज केनाया, सरीह वह अलफ़ाज है जिनसे जेहन जेमा के मानी की तरफ़ सबकत करता हो उस माना में कसरत से इस्तेमाल किया जाता हो । सरीह में नियत दरकार नहीं बगैर नियत भी ईला हो जायेगा और अगर सरीह लफ़्ज में यह कहे कि मैने जेमा के माना का इरादा न किया था तो क़ज़ाअन उसका कौल मोतबर नहीं है दयानतन मोतबर है केनाया ऐसा लफ़्ज है जिससे माना जेमा मुतबादिर न हों दूसरे माना का भी एहतेमाल हो, केनाया में बगैर नियत ईला न होगा और अगर दूसरे माना मुराद होना बताता है तो क़ज़ाअन भी उसका क़ौल मान लिया जायेगा ।

★ कि यहाँ मुतल्लक़ा रजई भी मनकूहा के हुक्म में है ।

मस्अला :- अपनी औरत से कहा अगर मैं तुझसे कुर्बत करूं तो तू मुझ पर हराम है और नियत ईला की है तो ईला हो गया ।

मस्अला :- जेमा ... न को किसी चीज़ पर मौकूफ़ किया जिसकी निस्बत यह उम्मीद नहीं है कि वह चार महीना के अन्दर हो जावे तो ईला हो गया (जैसे रजब के महीना में कहा वल्लाह मैं तुझ से कुर्बत न करूंगा जब तक मोहर्रम का रोज़ा न रख लूँ याकहा वल्लाह मैं तुझ से जेमा न करूँगा जब तक फ़ंला जगह और उस जगह तक चार महीना से कम में नहीं पहुँच सकता या कहा खुदा की क़सम तुझ से कुर्बत न करूँगा जब तक बच्चा के दूध छुड़ाने का वक्त न आये और अभी दो बरस पूरे होने में चार महीने या ज्यादा बाकी है तो इन सब सूरतों में ईला है) यूँ ही अगर वह काम मुद्दत के अन्दर तो हो सकता है मगर यूँ कि निकाह न रहेगा जब भी ईला है जैसे यह कहा तुझ से कुर्बत न करूँगा यहाँ तक कि तू मर जाये या कहा मैं मर जाऊँ या तू क़त्ल की जाय या मैं मार डाला जाऊँ या तू मुझे मार डाले या मैं तुझे मार डालूँ या मैं तुझे तीन तलाक़ें दे दूँ ।

मस्अला :- ईला किया और मुद्दत के अन्दर क़सम तोड़ना चाहता है मगर वती करने से आजिज़ है (कि वह खुद बीमार है या औरत बीमार है या औरत कम उम्र है या औरत का मुक़ाम बन्द है कि वती नहीं हो सकती या यही नामर्द है या इसका अजुव काट डाला गया या औरत इतनी दूर है कि चार महीना में वहाँ पहुँच नहीं सकता या खुद क़ैद है और क़ैद खाना में वती नहीं कर सकता और कैद भी जुलमन है या औरत जेमा नहीं करने देती या कहीं ऐसी जगह है कि इसको उसका पता नहीं) तो इन मजबूरियों में जुबान से रूजुअ के अल्फ़ाज कह ले, जैसे कहे मैंने तुझसे रूजुअ किया या कहे ईला को बातिल कर दिया या कहे मैंने अपने कौल से रूजुअ किया या कहे मैंने अपना कौल वापस लिया तो इस तरह कहने से ईला जाता रहेगा, यानी मुद्दत पुरी होने पर तलाक़ वाक़ा न होगी । और एहतियात यह है कि गवाहों के सामने रूजुअ के अल्फ़ाज कहे । और अगर कसम मुतलक़ है या मेअब्बद तो बहालेही बाकी है जब वती करेगा कफ्फारा लाजिम आयेगा, और अगर कसम चार महीना की थी और चार महीना के बाद वती की तो कफ्फ़ारा नहीं मगर जुबान से रूजुअ करने के लिये शर्त यह है कि मुद्दत के अन्दर यह मजबूरी कायम रहे और अगर मुद्दत के अन्दर जुबानी रूजुअ के बाद वती पर कादिर हो गया तो जुबानी रूजुअ काफ़ी नहीं है वती करना ज़रूरी है ।

मस्अला :- वती से आजिज़ ने दिल से रूजुअ कर लिया मगर जुबान से कुछ न कहा तो रूजुअ नहीं ।

मस्अला :- जिस वक्त ईला किया उस वक्त आजिज़ न था फिर आजिज़ हो गया तो जुबानी रूजुअ काफ़ी नहीं जैसे तन्दुरुस्त ने ईला किया फ़िर बीमार हो गया तो अब रूजुअ के लिए वती ज़रूरी है मगर जब कि ईला करते ही

बीमार हो गया इतना वक्त न मिला कि वती करता तो जुबान से कह लेना काफ़ी है और अगर मरीज़ ने ईला किया था और अभी अच्छा न हुआ था कि औरत बीमार हो गई अब यह अच्छा हो गया तो जुबानी रूजुअ ना काफ़ी है ।

मस्अला :- शहवत के साथ बोसा लेना या छूना या उसकी शर्मगाह की तरफ़ देखना या आगे के मुक़ाम के अलावा किसी और जगह वती करना रूजुअ नहीं ।

मस्अला :- अगर हैज़ में वती कर लिया तो अगरचा यह बहुत सख़्त हराम है मगर ईला जाता रहा ।

मस्अला :- ईला की मुद्दत में अगर ज़ौज व ज़ौजा में एख़तेलाफ़ हो तो शौहर का क़ौल मोतबर है मगर औरत को जब शौहर का झूठा होना मालूम हो तो औरत को इजाज़त नहीं कि उसके साथ रहे जिस तरह हो सके माल वगैरह देकर उससे अलग हो जाये और अगर मुद्दत के अन्दर जेमा करना बताता है तो शौहर का क़ौल मोतबर है और अगर मुद्दत पूरी होने के बाद कहता है कि मुद्दत के अन्दर जेमा किया है तो जब तक औरत उसकी तसदीक न करे शौहर का क़ौल न माना जाये ।

मस्अला :- औरत से कहा तू मुझ पर हराम है इस लफ्ज़ से ईला की नीयत की तो ईला है और ज़ेहार की नीयत की तो ज़ेहार है नहीं तो तलाक़ बाइन और तीन की नीयत की तो तीन, और अगर औरत ने कहा कि मैं तुझ पर हराम हूँतो यह यमीन है, शौहर ने ज़बरदस्ती या औरत की ख़ुशी से जेमा किया तो औरत पर कफ़्फ़ारा लाज़िम है ।

मस्अला :- अगर शौहर ने कहा तू मुझ पर मिस्ल मुरदार या सुअर के गोश्त या ख़ून या शराब के है तो अगर इससे झूठ मक़सूद है तो झूठ है और हराम करना मकसूद है तो ईला है और तलाक की नीयत है तो तलाक है ।

मस्अला :- औरत को कहा तू मेरी माँ है और नीयत तहरीम (हराम की) की है तो हराम न होगी बल्कि यह झूठ है ।

ख़ुलाअ का बयान

माल के बदले निकाह को ज़ायल करने को ख़ुलाअ कहते हैं । औरत का कुबूल करना शर्त है, बगैर औरत के कुबूल किये ख़ुलाअ नहीं हो सकता । ख़ुलाअ के अल्फ़ाज मोअइयन हैं इसके अलावा और लफ्ज़ो से न होगा ।

मस्अला :- अगर ज़ौज, ज़ौजा में ना इत्तेफ़ाकी रहती हो और यह डर हो कि शरीअत के हुक्मों की पाबन्दी न कर सकेगें तो ख़ुलाअ कराने में हर्ज नहीं

और जब खुलाअ कर लें तो तलाक़ बाईन वाक़ा हो जायेगी औरजो माल ठहरा है औरत पर उसका देना लाज़िम है ।

मस्अला :- जो चीज़ महर हो सकती है वह खुलाअ में बदल हो सकती है और जो चीज़ महर नहीं हो सकती वह भी खुलाअ का बदल हो सकती है, जैसे दस दिरहम से कम महर तो नहीं हो सकता मगर खुलाअ का बदल हो सकता है ।

मस्अला :- खुलाअ शौहर के हक़ में तलाक़ को औरत के कुबूल पर मुअल्लक़ करता है कि औरत ने माल देना कुबूल कर लिया तो तलाक़ बाईन हो जायेगी, लेहाज़ा अगर शौहर ने खुलाअ के अल्फ़ाज़ कहे और औरत ने अभी कुबूल नहीं किया तो शौहर को रूजुअ का एख़तियार नहीं न शौहर को शर्त खेयार हासिल, और न शौहर की मजलिस बदलने से खुलाअ बातिल ।

मस्अला :- खुलाअ औरत की जानिब में अपने को माल के बदले में छुड़ाना है तो अगर औरत की जानिब से इबतिदा हुई मगर अभी शौहर ने कुबूल नहीं किया तो औरत रूजुअ कर सकती है । और अपने लिए अख़तियार भी ले सकती है और यहाँ तीन दिन से ज़्यादा का भी अख़तियार ले सकती है, बर ख़िलाफ़ बैए के कि बैए में तीन दिन से ज़्यादा का अख़तियार नहीं और दोनों में से एक की मजलिस बदलने के बाद औरत का कलाम बातिल हो जायेगा ।

मस्अला :- खुलाअ चूँकि मुआवज़ा है लेहाज़ा यह शर्त है कि औरत का कुबूल इस लफ़्ज़ के माने समझ कर हो बगैर माने समझे अगर महज़ लफ़्ज़ बोल देगी तो खुलाअ न होगा ।

मस्अला :- चूँकि शौहर की जानिब से खुलाअ तालक है लेहाज़ा शौहर का आक़िल, बालिग़ होना शर्त है नाबालिग या मजनून खुलाअ नहीं कर सकता कि अहले तलाक़ नहीं, और यह भी शर्त है कि औरत महल्ले तलाक़ हो लेहाज़ा अगर औरत को तलाक़ बाईन दे दी है तो अगरचा इद्दत में हो उससे खुलाअ नहीं हो सकता, यूँ ही अगर निकाह फ़ासिद हुआ है या औरत मुरतद्दा हो गई तब भी खुलाअ नहीं हो सकता, कि निकाह ही नहीं है खुलाअ किस चीज़ का होगा । और रजई की इद्दत में है तो खुलाअ हो सकता है ।

मस्अला :- शौहर ने कहा मैंने तुझसे खुलाअ किया और माल का ज़िक्र न किया तो खुलाअ नहीं बल्कि तलाक़ है और औरत के कुबूल करने पर मौक़ूफ़ नहीं ।

मस्अला :- शौहर ने कहा मैंने तुझसे इतने पर खुलाअ किया औरत ने जवाब में कहा हाँ तो इससे कुछ न होगा जब तक यह न कहे कि मैं राज़ी हुई या जायज़ किया यह कहा तो सही हो गया, यूँ ही अगर औरत ने कहा मुझे हज़ार रूपये के बदले तलाक़ दे दे इस पर शौहर ने कहा हाँ तो यह भी कुछ

नहीं और अगर औरत ने कहा मुझे हज़ार रूपये के बदले में तलाक़ है उस पर शौहर ने कहा हाँ तोतलाक़ हो गई ।

मस्अला :- निकाह की वजह से जितने हुकूक़ एक के दूसरे पर थे वह खुलाअ से साक़ित हो जाते हैं । और जो हुकूक़ की निकाह के अलावा है वह साक़ित न होगें । इद्दत का नफ़क़ा अगरचा निकाह के हुकूक़ से है मगर यह साकित न होगा हाँ अगर उसके साक़ित होने की शर्त कर दी गयी तो यह भी साक़ित हो जायेगा, यूँ ही औरत के बच्चा हो तो बच्चा का नफ़क़ा और दूध पिलाने का खर्च साक़ित न होंगे और अगर उनके साक़ित होने की भी शर्त है और उसके लिये वक्त मोअइअन कर दिया गया है तो साकित हो जायेगें वरना नहीं, और वक्त मोअइअन करने की सूरत में अगर उस वक्त से पहले बच्चा मर गया तो बाकी मुद्दत में जो खर्च होता वह औरत से शौहर ले सकता है । और अगर यह ठहरा कि औरत अपने माल से दस बरस तक बच्चे की परवरिश करेगी तो बच्चे के कपड़े का औरत मुतालबा कर सकती है । और अगर बच्चे का कपड़ा व खाना दोनों ठहरा तो कपड़े का मुतालबा भी नहीं कर सकती और अगर बच्चा को छोड़कर औरत भाग गई तो बाकी नफ़का की क़ीमत शौहर वसूल कर सकता है । और अगर यह ठहरा कि बच्चा के बालिग़ होने तक बच्चा को अपने पास रखेगी तो लड़की में ऐसी शर्त हो सकती है लड़के में नहीं ।

मस्अला :- औरत को तलाक बाईन देकर फ़िर उससे निकाह किया फिर महर पर खुलाअ हुआ तो दूसरा महर साक़ित हो गया पहला नहीं ।

मस्अला :- खुलअ इस पर हुआ कि किसी औरत से जौज़ा अपनी तरफ से निकाह कर दे और उसका महर जौज़ा दे तो जौजा पर सिर्फ वह महर वापस करना होगा जो जौज़ा से ले चुकी है और कुछ नही ।

मस्अला :- शराब, खिनज़ीर, मुरदार वगैरह ऐसी चीज पर खुलाअ हुआ जो माल नहीं तो तलाक़ बाईन पड़ गई, और औरत पर कुछ वाजिब नहीं और अगर इन चीजों के बदले में तलाक दी तो रजई वाक़ा हुई, यूँ ही अगर औरत ने यह कहा कि मेरे हाथ में जो कुछ है उसके बदले में खुलाअ कर और हाथ में कुछ न था तो कुछ वाजिब नहीं ।

मस्अला :- औरत से कहा मैंने तुझ से खुलाअ किया औरत ने कहा मैंने क़ुबूल किया तो अगर यह लफ्ज़ शौहर ने तलाक़ की नीअत से कहा था तो बाइन तलाक़ वाक़ा होगी और महरसाक़ित न होगा बल्कि अगर औरत ने कुबूल न किया हो जब भी यही हुक्म है और अगर शौहर यह कहता है कि मैंने यह लफ्ज़ तलाक़ की नीअत से न कहा था तो तलाक़ वाक़ा न होगी जब तक औरत कुबूल न करे और अगर यह कहा था कि फ़लां चीज के बदले मैंने तुझसे खुलाअ किया तो जब तक औरत कुबूल न करेगी तलाक वाक़ा न

होगी । और औरत के कुबूल करने के बाद अगर शौहर कहे कि मेरी मुराद तलाक़ न थी तो उसकी बात न मानी जायेगी ।

मस्अला :- खरीद व फ़रोख़्त के लफ्ज़ से भी खुलाअ होता है, जैसे मर्द ने कहा मैंने तेरा अम्र या कहा तेरी तलाक़ तेरे हाथ इतने को बेची, औरत ने उसी मजलिस में कहा मैंने कुबूल की तो तलाक़ वाक़ा हो गई । यूँ ही अगर महर के बदले बेची और उसने कुबूल की, हाँ अगर उसका महर शौहर पर बाकी न था और यह बात शौहर को मालूम थी फिर महर के बदले बेची तो तलाक़ रजई होगी ।

मस्अला :- लोगों ने औरत से कहा कि तू ने अपने नफ्स को महर और इद्दत के नफ़क़ा के बदले खरीदा, औरत ने कहा हाँ खरीदा, फिर शौहर ने कहा तूँ ने बेचा, उसने कहा हाँ, तो खुलाअ हो गया और शौहर तमाम हुकूक से बरी हो गया । और अगर खुलाअ कराने के लिए लोग जमा हुये और अल्फ़ाज़ मज़कूर दोनों से कहलाये अब शौहर कहता है कि मेरे ख्याल में यह था कि किसी माल की खरीद फ़रोख़्त हो रही है जब भी तलाक़ का हुक्म देंगे ।

मस्अला :- शौहर ने औरत से कहा तूने अपने महर के बदले मुझसे तीन तलाकें खरीदीं औरत ने कहा खरीदीं तो तलाक़ वाक़ा न होगी, जब तक मर्द उसके बाद यह न कहे मैंने बेचीं, और अगर शौहर ने पहले यह अल्फ़ाज कहे कि महर के बदले मुझसे तीन तलाकें खरीद, उस पर औरत ने कहा खरीदीं तो तलाक़ वाक़ा हो गई चाहे शौहर ने बाद में बेचने के अल्फाज न कहे ।

मस्अला :- माल के बदले में तलाक़ दी और औरत ने कुबूल कर लिया तो माल वाजिब होगा और तलाक़ बाईन वाक़ा होगी ।

मस्अला :- दोनों राह चल रहे हैं और खुलाअ किया अगर हर एक का कलाम एक दूसरे से मुत्तसिल (मिला हुआ) है तो खुलाअ सही है नहीं तो नहीं, और इस सूरत में तलाक़ भी वाक़ा न होगी ।

ज़ेहार का बयान

ज़ेहार के यह माने हैं कि अपनी ज़ौजा या उसके किसी जुज़्वे शाया को या ऐसे जुज़ को जो कुल से ताबीर किया जाता हो ऐसी औरत से तश्बीह देना जो उस मर्द पर हमेशा के लिये हराम हो या ऐसी औरत के किसी ऐसे अज़्वा से तश्बीह देना जिस अज़्व की तरफ़ मर्द को देखना हराम है । जैसे कहा तू मुझ पर मेरी माँ के मिस्ल है, या तेरा सर या तेरी गर्दन या तेरा निस्फ़ मेरी माँ के मिस्ल है, या तेरा सर या तेरी गर्दन या तेरा निस्फ़ मेरी माँ की पीठ के मिस्ल है ।

मस्अला :- जिस औरत से तश्बीह दी अगर उसकी हुर्मत आरज़ी है हमेशा के लिये नहीं तो ज़ेहार न होगा, जैसे ज़ौजा की बहन या जिसको तीन तलाकें दी है या मजूसी या बुत परस्त औरत कि यह मुसलमान या किताबिया हो सकती है और उसकी हुर्मत दायमी न होना ज़ाहिर है ।

मस्अला :- अजनबिया से कहा अगर तू मेरी औरत हो या कहा मैं तुझसे निकाह करूँ, तो तू ऐसी है तो ज़ेहार हो जायेगा ।

मस्अला :- महारिम के पेट, पीठ या रान से तश्बीह दी या कहा मैंने तुझसे ज़ेहार किया तो यह अल्फ़ाज़ ज़ेहार के लिए सरीह हैं इनमें नीयत की कुछ हाजत नहीं कुछ भी नीयत न हो या तलाक़ की नीयत हो या एकराम (ताज़ीम, बड़ाई) की नीयत हो हर हालत में ज़ेहार ही है । और अगर यह कहता है कि मकसूद झूठी ख़बर देना था या ज़माना गुज़श्ता की ख़बर देना है तो क़ज़ाअन तस्दीक न की जायेगी और औरत भी तस्दीक नहीं कर सकती ।

मस्अला :- औरत को माँ, बेटी या बहन कहा तो ज़ेहार न हुआ मगर ऐसा कहना मकरूह है ।

मस्अला :- ज़ेहार की तालीक़ भी हो सकती है जैसे कहा फ़लां के घर गई तो ऐसी है तो ज़ेहार हो जायेगा । ज़ेहार का हुक्म यह है कि जब तक कफ़्फ़ारा न दे दें उस वक़्त तक उस औरत से जेमा करना या शहवत के साथ बोसा लेना या उसको छूना या उसकी शर्मगाह की तरफ़ देखना हराम है । और बग़ैर शहवत छूने या बोसा लेने में हर्ज नहीं मगर लब का बोसा बग़ैर शहवत भी जायज़ नहीं । अगर कफ़्फ़ारा से पहले जेमा कर लिया तो तौबा कर ले इसके लिए कोई दूसरा कफ़्फ़ारा वाजिब न हुआ मगर ख़बरदार फिर ऐसा न करें और औरत को भी यह जायज़ नहीं कि शौहर को कुर्बत करने दें ।

★ (जुज़्वे शाया :- फैला हुआ कुल आज़ा :- बदन का हिस्सा जैसे, हाथ, पैर, आँख, कान, पेट वग़ैरह, अजनबियाँ :- पराई औरत, ताबीर करना :- बयान करना, तश्बीह :- मिसाल देना, दायमी :- हमेशा का, हुर्मत :- हराम होना ।)

ज़ेहार का कफ्फ़ारा

जेहार करने वाला जेमा का इरादा करे तो कफ्फ़ारा वाजिब है । और अगर यह चाहे कि जेमा न करे और औरत उस पर हराम रहे तो कफ्फ़ारा वाजिब नहीं और जेमा का इरादा था मगर ज़ौजा मर गई तो कफ्फ़ारा वाजिब न रहा । जेहार का कफ्फ़ारा गुलाम या कनीज आजाद करना है और जो यह न हो सके तो लगातार दो महीने के रोजे जेमा से पहले रखे और रोज़ा रखने की ताक़त न हो तो साठ मिसकीनों को खाना खिलायें ।

मस्अला :- रोज़े से कफ्फ़ारा अदा करने की शर्त यह है कि न उस मुद्दत के अन्दर माह रमज़ान हो न इदुलफ़ितर न ईदुज़्ज़ोहा न अइयामें तशरीक़ हों अगर मुसाफिर है तो माह रमज़ान में कफ्फ़ारा की नीयत से रोज़ा रख सकता है । मगर अइयामे मनहीया★ में मुसाफ़िर को भी इजाज़त नहीं ।

मस्अला :- कफ्फ़ारा का रोज़ा तोड़ दिया चाहे किसी उज़्र से तोड़ा या बिला उज्र तोड़ा या जेहार करने वाले ने जिस औरत से ज़ेहार किया उन दो महीनों के अन्दर दिन या रात में उससे सोहबत जानकर की हो या भूल कर की तो फिर से दो महीने के पूरे रोजे रखें, और पहले के रोजे बेकार गये इसलिए कि सोहबत से पहले पूरे दो महीने के लगातार रोजे शर्त हैं ।

मस्अला :- रोजे रखने पर भी अगर कुदरत न हो कि बीमार है और अच्छे होने की उम्मीद नहीं या बहुत बूढ़ा है तो साठ मिसकीनों को दोनों वक्त पेट भर कर खाना खिलायें और यह अखतियार है कि एक दम से साठ मिसकीनों को खिला दे या मुतफ़र्रिक़ तौर पर मगर शर्त यह है कि इस बीच में रोजें पर कुदरत न हो नहीं तो खिलाना सदका नफ़िल हो जायेगा और कफ्फ़ारा में रोजे रखने होंगे । और अगर एक वक्त साठ को खिलाया दूसरे वक्त उसके सिवा दूसरे साठ को खिलाया तो कफ्फ़ारा अदा न हुआ बल्कि ज़रूर है कि पहलों या पिछलों को फिर एक वक्त खिलायें ।

मस्अला :- शर्त यह है कि जिन मिसकिनों को खाना खिलाया हो उन में कोई नाबालिग गैर मुराहिक़ न हो हाँ अगर एक जवान की पूरी खुराक का उसे मालिक कर दिया तो काफ़ी है ।

मस्अला :- यह भी हो सकता है कि हर मिसकीन को सदका फ़ितर के बराबर यानी आधा साअ गेहूँ या एक साअ जौ या उसकी कीमत का मालिक कर दिया जाये, मगर एबाहत काफ़ी नहीं और उन्हीं लोगों को दे सकते हैं जिन्हें सदका फ़ितर दे सकते हैं । और यह भी हो सकता है कि सुबह को खिला दे और शाम के लिए कीमत दे दे या शाम को खिला दे और सुबह

★ अइयाम मनहिया से मुराद ईद, बकरईद और अइयामें तशरीक़ ।

के खाने की कीमत दे दे या दो दिन सुब्ह को या शाम को खिला दे या तीस को खिला दे तीस को दे दें । ग़रज़ यह कि साठ की गिनती जिस तरह चाहे पूरी करें या चौथाई साअ गेहूँ या आधा साअ जौ दे दें या कुछ गेहूँ कुछ जौ दे दें बाक़ी की कीमत दे हर तरह हो सकता है ।

मस्अला :- खिलाने में पेट भर खिलाना शर्त है चाहे थोड़ा ही खिलाने से पेट भर जाये और अगर पहले से ही कोई आसूदा (पेट भरा) था तो उसका खिलाना काफ़ी नही और बेहतर यह है कि गेहूँ की रोटी और सालन खिलायें और उससे अच्छा खाना हो तो और बेहतर है और जौ की रोटी हो तो सालन ज़रूरी है ।

मस्अला :- एक मिसकीन को दोनों वक़्त साठ दिन तक खिलाना या हर रोज़ सदक़ा फ़ित्र के बराबर दे दिया जब भी कफ़्फ़ारा अदा हो गया और अगर एक ही दिन में एक मिसकीन को सब दे दिया (एक दफ़ा में या साठ दफ़ा में करके) या उसके लिए सब बतौर एबाहत दिया तो सिर्फ़ उस एक दिन का अदा हुआ यूँ ही अगर तीस मिसकीनों को एक एक साथ गेहूँ दे या दो दो साअ जौ तो सिर्फ़ तीस को देना क़रार पायेगा, यानी तीस मिसकीनों को फिर देना पड़ेगा, यह उस सूरत में है कि एक ही दिन में दिया हो और दो दिन में दिया तो जायज़ है ।

मस्अला :- ज़ेहार में यह ज़रूरी है कि कुर्बत से पहले साठ मिसकीनों को खिला दें और अगर अभी पूरे साठ को खिला नहीं चुका है दरमियान में वती कर ली तो अगरचा यह हराम है मगर जितने को खिला चुका वह बेकार न हुआ, बाक़ियों को खिला दे सिरे से फिर साठ को खिलाना ज़रूरी नहीं ।

मस्अला :- जिसके जिम्मा कफ़्फ़ारा था वह मर गया उसके वारिस ने उसकी तरफ़ से खाना खिला दिया या कसम के कफ़्फ़ारे में कपड़े पहना दिये तो कफ़्फ़ारा अदा हो जायेगा और गुलाम आज़ाद किया तो न अदा होगा ।

लेआन का बयान

मर्द ने अपनी औरत को ज़ेना की तोहमत लगाई तो लेआन किया जायेगा जब कि वह औरत आक़ेला, बालेग़ा, हुर्रा मुस्लेमा, अफ़ीफ़ा हो, लेआन का तरीक़ा यह है कि क़ाज़ी के सामने पहले शौहर क़सम के साथ चार मरतबा शहादत दे यानी कहे कि मैं शहादत देता हूँ कि मैंने जो इस औरत को ज़ेना की तोहमत लगाई है उसमें खुदा की क़सम मैं सच्चा हूँ फिर पाँचवी मरतबा कहे* पर खुदा की लानत अगर इस बात में कि इसको ज़ेना की तोहमत लगाई झूठ बोलने वालों में से हूँ और हर बार लफ़्ज़ इससे औरत की तरफ़ इशारा करे फिर औरत चार मरतबा यह कहे कि मैं शहादत देती हूँ खुदा की क़सम इसने जो मुझ पर ज़ेना की तोहमत लगाई है इस बात में झूठा है और पांचवी मरतबा कहे कि** पर अल्लाह का ग़ज़ब हो अगर

---

* इन नुक़्तों की जगह मुझ है ।

** इन नुक़्तों की जगह भी मुझ का लफ़्ज़ है ।

यह इस बात में सच्चा हो जो मुझे जेना की तोहमत लगाई । लेआन में लफ्ज शहादत शर्त है । अगर यह कहा कि मैं खुदा की कसम खाता हूँ कि सच्चा हूँ तो इन लफ्जों से लेआन न हुआ ।

मसअला :- लेआन के लिए चन्द शर्ते है १. निकाह सही हो, २. ज़ौजियत कायम हो चाहे दखूल हुआ हो या न हुआ हो, ३. दोनों आज़ाद हों, ४. दोनों आक़िल हों, ५. दोनों बालिग हों, ६. दोनों मुसलमान हों, ७. दोनों नातिक़ हो (यानी दोनों में से कोई गूंगा न हो) ८. इनमें से किसी पर हद्दे कज़फ़ न लगाई गई हो । ९. मर्द ने अपने इस क़ौल पर गवाह न पेश किये हों, १०. औरत ज़ेना से इन्कार करती हो और अपने को पारसा कहती हो, ११. सरीह ज़ेना की तोहमत लगाई हो या उसकी जो औलाद उसके निकाह में पैदा हुई उसको तोहमत लगाई हो या उसकी जो औलाद उसके निकाह में पैदा हुई उसको कहता है कि यह मेरी नहीं या जो बच्चा औरत का दूसरे शौहर से है उसको कहता है कि यह उसका नहीं, १२. दारूल इस्लाम में यह तोहमत लगाई हो, १३. औरत क़ाज़ी के यहाँ इसका मुतालबा करे । १४. शौहर तोहमत लगाने का इक़रार करता हो या दो मर्द गवाहों से साबित हो । लेआन के वक्त औरत का खड़ा होना मुसतहब है शर्त नहीं ।

मसअला :- औरत पर चन्द बार तोहमत लगाई तो एक ही बार लेआन होगा ।

मसअला :- लेआन में तमादी नहीं यानी औरत ने ज़माना दराज़ तक मुतालबा न किया तो लेआन साक़ित न होगा, हर वक्त मुतालबा का अख्तियार है । लेआन माफ़ नहीं हो सकता, यानी अगर शौहर ने तोहमत लगाई और औरत ने माफ़ कर दिया और माफ़ करने के बाद अब क़ाज़ी के यहाँ दावा करती है तो क़ाज़ी लेआन का हुक्म देगा । और अगर औरत दावा न करे तो क़ाज़ी खुद मुतालबा नहीं कर सकता यूँ ही अगर औरत ने कुछ लेकर सुलह कर ली

★ (लेहाज़ा अगर निकाह सही न हुआ था और तोहमत लगाई तो लेआन नहीं........ लेहाजा अगर तोहमत लगाने के बाद तलाक बाईन दे दी तो लेआन नहीं हो सकता, अगरचा तलाक़ देने के बाद फिर निकाह कर लिया यूँ ही अगर तलाक़ बाईन देने के बाद तोहमत लगाई या ज़ौजा के मर जाने के बाद रजई तलाक़ दी या रजई तलाक देने के बाद तोहमत लगाई तो लेआन साक़ित न होगा । ....इस्तलाह शरह मे पारसा उसको कहते है जिसके साथ हराम वती न हुई हो, न हराम वती के साथ मुत्तहम हो, लेहाज़ा तलाक़ बाईन की इद्दत में अगर शौहर ने उससे वती की अगरचा वह अपनी नादानी से यह समझता था कि इससे वती हलाल है तो औरत अफीफा (पारसा) नहीं । यूँ ही अगर निकाह फ़ासिद करके उससे वती की तो इफ्फ़त जाती रही, या औरत के औलाद है जिसके बाप को यहाँ के लोग न जानते हो अगरचा हक़ीक़तन वह वलदुज़्ज़ेना नहीं है यह सूरत मुत्तहम होने की है इससे भी इफ्फ़त जाती रहती है और अगर वती आरज़ी सबब से हराम हो जैसे हैज़ व नेफ़ास वगैरह में जिनमें वती हराम है तो उससे इफ्फ़त नहीं जाती ।)

तो लेआन साक़ित न होगा जो लिया है उसे वापस करके मुतालबा करने का हक़ औरत को है । मगर औरत के लिए अफ़ज़ल यह है कि ऐसी बात को छुपाए और हाकिम को भी चाहिए कि औरत को परदा पोशी का हुक्म दे ।

मसअला :- औरत से कहा ऐ ज़ानिया या कहा तूने ज़ेना किया या कहा मैंने तुझे ज़ेना करते देखा, यह सब अल्फ़ाज़ सरीह है और अगर कहा तूने हरामकारी की या कहा तुझसे हराम तौर पर जेमा किया गया या कहा तुझसे लवातत की गई तो लेआन नहीं ।

मसअला :- लेआन का हुक्म यह है कि इससे फ़ारिग़ होते ही उस शख़्स को उस औरत से वती हराम है, मगर फ़क़त लेआन से निकाह से खारिज न हुई, बल्कि लेआन के बाद हाकिमे इस्लाम तफ़रीक़ कर देगा और अब मुतल्लक़ा बाइन हो गई, लेहाज़ा बाद लेआन अगर क़ाज़ी ने तफ़रीक़ न की हो तो तलाक़ दे सकता है, ईला या ज़ेहार कर सकता है, दोनों में कोई मर जाये तो दूसरा उसका तर्का पायेगा और लेआन के बाद अगर दोनों अलग होना न चाहें जब भी तफ़रीक़ कर दी जायेगी ।

मसअला :- लेआन के बाद अगर अभी तफ़रीक़ न हुई हो जब भी वती और दवाईए वती हराम है और जब तफ़रीक़ हो गई तो इद्दत का नफ़क़ा और सुकना (यानी रहने का मकान) पायेगी, और इद्दत के अन्दर जो बच्चा पैदा होगा उसी शौहर का होगा अगर दो बरस के अन्दर पैदा हो और अगर इद्दत उस औरत के लिए न हो और छः माह के अन्दर बच्चा पैदा हुआ तो उसी शौहर का क़रार दिया जायेगा ।

मसअला :- औरत से कहा तुझ पर तीन तलाकें ऐ ज़ानिया तो लेआन नहीं बल्कि हदे क़ज़फ है और कहा ऐ ज़ानिया तुझे तीन तलाकें तो न लेआन है न हद ।

मसअला :- औरत से कहा मैंने तुझे बिकर न पाया तो न हद है न लेआन ।

इन्नीन (नामर्द) का बयान

इन्नीन उसको कहते हैं कि जिसके आला मौजूद हो और ज़ौजा के आगे के मुक़ाम में दखूल न कर सके । और अगर बाज़ औरत से जेमा कर सकता है बाज़ से नहीं, या सइइब के साथ कर सकता है बिक्र के साथ नहीं तो जिससे नहीं कर सकता उसके हक़ में इन्नीन है और जिससे कर सकता है उसके हक़ में नहीं, इन्नीन होने के असबाब मुख़तलिफ़ है, मरज़ की वजह से है या पैदाएशी ऐसा है या बुढ़ापे की वजह से या जादू कर देने से ।

मस्अला :- अगर फ़क़त हशफ़ा (आला का सिरा) दाखिल कर सकता है तो इन्नीन नहीं और हशफ़ा कट गया हो तो हशफ़ा के बराबर अज़ो दाखिल कर सकने पर इन्नीन न होगा और अगर औरत ने शौहर का ज़कर काट डाला तो मक़तूउज़्ज़कर का हुक्म जारी न होगा ।

मस्अला :- मर्द का अज़ो तनासुल और उनसीयैन या सिर्फ अज़ो तनासुल बिलकुल जड़ से कट गया हो, या बहुत ही छोटा घुन्डी के मिस्ल हो और औरत तफ़रीक़ चाहे तो तफ़रीक़ कर दी जायेगी जबकि औरत हुर्रा बालेग़ा हो और निकाह से पहले यह हाल मर्द का मालूम न हो न निकाह के बाद जान कर इस पर राज़ी रही । अगर औरत किसी की बान्दी है तो खुद औरत को कोई अख्तियार नहीं बल्कि अख्तियार उसके मौला को है और अगर औरत नाबालेग़ा है तो बालिग़ होने तक इन्तज़ार किया जाये अगर बालिग़ होने के बाद राज़ी हो गई फ़बेहा नहीं तो तफ़रीक़ कर दी जाये । अज़ो तनासुल कट जाने की सूरत में शौहर बालिग़ हो या ना बालिग़ इसका एतबार नहीं ।

मस्अला :- नाबालिग़ लड़की का निकाह बाप ने कर दिया लड़की ने शौहर को मक़तूउज़्ज़कर पाया तो बाप को तफ़रीक़ के दावे का हक़ नहीं जब तक लड़की खुद बालेग़ा न हो जाये ।

मस्अला :- एक बार जेमा करने के बाद मर्द का उज़ाव काट डाला गया या इन्नीन हो गया तो अब तफ़रीक़ नहीं की जा सकती ।

इन्नीन का हुक्म

यह है कि जब क़ाज़ी के पास दावा करे तो शौहर से काज़ी पूछे, अगर इक़रार कर ले तो एक साल की मोहलत दी जाये अगर साल के अन्दर शौहर ने जेमा कर लिया तो औरत का दावा साक़ित हो गया, अगर उस मुद्दत में जेमा न किया और औरत जुदाई चाहती है तो काज़ी शौहर से तलाक देने के लिए कहे अगर तलाक दे दे फ़बेहा नहीं तो काज़ी खुद तफ़रीक़ कर दे ।

★ (साल से मुराद इस जगह शमसी साल है यानी तीन सौ पैसठ दिन और एक दिन का कुछ हिस्सा । मक़तूउज़्ज़कर जिसका आला कटा हो । मौला गुलाम का मालिक)

मसूअला :- औरत ने दावा किया और शौहर कहता है मैंने इससे जेमा किया है और औरत सइएबा है तो शौहर से क़सम खिलाएं, कसम खा ले तो औरत का हक़ जाता रहा, क़सम से इन्कार करे तो एक साल की मोहलत दी जाये, और अगर औरत अपने को बिक्र बताती है तो किसी औरत को दिखायें लेकिन एहतियात यह है कि दो औरतों को दिखायें अगर यह औरतें उसे सइएबा बतायें तो शौहर से क़सम लेकर शौहर की बात माने और अगर यह औरतें उसे बिक्र बतायें तो औरत की बात बगैर क़सम मानी जायेगी, और अगर उन देखने वाली औरतों को शक हो तो किसी तरीक़ा से जाँच करायें और अगर उन जाँचने वाली औरतों में आपस में एख़्तेलाफ़ है कोई बिक्र कहती है कोई सइएबा तो किसी और से जाँच करायें जब यह बात साबित हो जाये कि शौहर ने जेमा नहीं कियाहै तो एक साल की मोहलत दें ।

मसूअला :- औरत का दावा क़ाज़ीए शहर के पास होगा दूसरे क़ाज़ी या ग़ैर क़ाज़ी के पास दावा किया और उसने मोहलत भी दे दी तो उसका कुछ एतबार नहीं । यूँ ही औरत का बतौर खुद बैठी रहना बेकार है ।

मसूअला :- मियाद गुज़रने के बाद औरत ने दावा किया कि शौहर ने जेमा नहीं किया और शौहर कहता है कि किया है तो अगर औरत सइएबा थी तो शौहर को क़सम खिलाएं उसने क़सम खा लिया तो औरत का हक़ बातिल हो गया, और क़सम खाने से इन्कार करे तो औरत को अख़्तियार है, तफ़रीक़ चाहे तो तफ़रीक़ कर देंगे और अगर औरत अपने को बिक्र कहती है तो वही सूरतें हैं जो मज़कूर हुई ।

मसूअला :- तफ़रीक़े क़ाज़ी बाईन तलाक़ क़रार दी जायेगी, और खिलवत हो चुकी है तो पूरा महर पायेगी और इद्दत बैठेगी नहीं तो आधा महर पायेगी और इद्दत नहीं, और अगर महर मुक़र्रर न हुआ था तो मुता मिलेगा ।

मसूअला :- अगर शौहर मे और किसी किस्म का ऐब है जैसे जुनून, जुज़ाम, बर्स, या औरत में ऐब हो कि उसका मुकाम बन्द हो तो फ़सख़ का अख़्तियार नहीं ।

मसूअला :- शौहर जेमा करता है मगर मनी नहीं है कि इनज़ाल हो तो औरत को दावा का हक़ नहीं ।

इद्दत का बयान

निकाह ज़ायल होने या शुबहे निकाह के बाद औरत का निकाह से रूका हुआ होना और एक ज़माना तक इन्तेज़ार करना इद्दत है ।

मसूअला :- निकाह ज़ायल होने के बाद उस उक्त इद्दत है कि शौहर मर गया हो, या खिलवत सहीहा हुई हो, ज़ानियां के लिए इद्दत नहीं अगरचा हामला

हो और यह निकाह कर सकती है मगर जिसके ज़ैना से हमल है उसके सिवा दूसरे से निकाह करे तो जब तक बच्चा पैदा न हो ले वती जायज़ नहीं ।

मस्अला :- निकाह फ़ासिद में दख़ूल से पहले तफ़रीक़ हुई तो इद्दत नहीं और दख़ूल के बाद तफ़रीक हुई तो इद्दत है ।

मस्अला :- जिस औरत का मुक़ाम बन्द है उससे खिलवत हुई तो तलाक़ के बाद इद्दत नहीं ।

मस्अला :- औरत को तलाक़ दी बाईन या रजई या किसी तरह निकाह फ़सख हो गया (चाहे यूँ फ़सख हुआ कि शौहर के बेटे का शहवत के साथ बोसा लिया) और दख़ूल हो चुका है या खिलवत हो चुकी है और उस वक्त हमल नहीं और औरत को हैज़ आता है तो इद्दत पूरे तीन हैज़* हैं और अगर ऐसी औरत को हैज नहीं आता है कि अभी इतनी उम्र को नहीं पहुंची या सिन अयास को पहुंच चुकी है या उम्र के हिसाब से तो बालेग़ा हो चुकी है पर अभी हैज़ नहीं आया है तो इद्दत तीन** महीना है ।

मस्अला :- अगर तलाक़ या फ़सख पहली तारीख को हो तो चाँद के हिसाब से तीन महीना इद्दत का लिया जायेगा, और अगर और कोई तारीख हो तो महीना तीस दिन का लिया जाये यानी इद्दत के कुल दिन नब्बे हों ।

मस्अला :- औरत को हैज़ आ चुका है मगर अब नहीं आता और अभी सिन आयास को भी नहीं पहुँची, तो इसकी इद्दत भी हैज मे है, जब तक तीन हैज़ न आलें या सिन अयास को न पहुँचे इद्दत पूरी न होगी, और अगर हैज आया ही न था और महीनों के हिसाब से इद्दत गुजार रही थी कि इद्दत के बीच हैज आ गया तो अब हैज के हिसाब से इद्दत पूरी करे यानी जब तक तीन हैज न आ लें इद्दत पूरी न होगी ।

मस्अला :- हैज़ की हालत में तलाक दी तो यह हैज़ इद्दत में न गिना जायेगा बल्कि इसके बाद पूरे तीन हैज गुज़रने पर इद्दत पूरी होगी ।

मस्अला :- जिस औरत से निकाह फ़ासिद हुआ और दख़ूल हो चुका है या जिस औरत से शुमहतन वती हुई उसकी इद्दत फुरकत और मौत दोनों में हैज से है और हैज़ न आता हो तो तीन*** महीने ।

---

* अगर औरत बान्दी है तो दो हैज, अगर उमबल्द है और मौला मर चुका है या उसने आज़ाद कर दिया है तो इसकी इद्दत भी तीन हैज है ।

** ....औरत अगर बान्दी है तो उस सूरत में डेढ़ महीना है ।

*** और अगर यह औरत किसी की बान्दी है तो इददत डेढ़ महीना है ।

मस्अला :- जिस औरत से ना बालिग़ ने वती की, शुबहतन या निकाह फ़ासिद में उस पर भी यही इद्दत है यूँ ही अगर नाबालिगी में खिलवत हुई और बालिग़ होने के बाद तलाक़ दी जब भी यही इद्दत है ।

मस्अला :- निकाह फ़ासिद में तफ़रीक़ या मुतारका के वक्त से इद्दत शुमार की जायेगी, मुतारका यह है कि मर्द ने यह कहा मैंने उसे छोड़ा या कहा मैंने उससे वती तर्क की या इसी किस्म के अल्फ़ाज़ कहे जब तक मुतारका या तफ़रीक़ न हो कितना ही ज़माना गुज़र जाये इद्दत नहीं चाहे दिल में इरादा कर लिया कि वती न करूँगा, और अगर औरत के सामने निकाह से इन्कार करता है तो यह मुतारका है नहीं तो नहीं, लेहाज़ा, इसका एतबार नहीं ।

मस्अला :- तलाक़ की इद्दत तलाक़ के वक्त से है चाहे औरत को उसकी ख़बर न हो कि शौहर ने उसे तलाक़ दी है और तीन हैज़ आने के बाद मालूम हुआ तो इद्दत ख़त्म हो चुकी, और अगर शौहर यह कहता है कि मैंने इसको इतने ज़माने से तलाक़ दी है तो जिस वक्त इकरार किया उस वक्त से इद्दत गिनी जायेगी ।

मस्अला :- मौत की इद्दत चार महीना दस दिन है (यानी दसवीं रात भी गुज़र ले) जबकि निकाह सही हुआ हो चाहे दखूल हुआ हो या न हुआ हो, चाहे शौहर नाबालिग़ हो या ज़ौजा नाबालेग़ा हो ।

मस्अला :- औरत हामला है तो इसकी इद्दत वज़एहमल है ।

मस्अला :- वज़एहमल से इद्दत पूरी होने के लिए कोई ख़ास मुद्दत मुकर्रर नहीं, मौत या तलाक़ के बाद जिस वक्त बच्चा पैदा हुआ इद्दत ख़त्म हो गई, अगरचा मौत या तलाक़ के एक ही मिनट बाद पैदा हुआ, हमल साकित हो गया और आज़ा बन चुके हैं तो इद्दत पूरी हो गई नहीं तो नहीं, और अगर दो या तीन बच्चे एक हमल से पैदा हुए तो पिछले के पैदा होने से इद्दत पूरी हो गयी ।

मस्अला :- मौत के बाद अगर हमल क़रार पाया तो इद्दत वज़एहमल से न होगी बल्कि दिनों से होगी ।

मस्अला :- औरत को तलाक़ रजई दी थी और इद्दत में मर गया तो औरत मौत की इद्दत पूरी करें और तलाक़ की इद्दत जाती रही, और अगर तलाक़ बाइन दी थी या तीन दी थी तो तलाक बाइन की इद्दत पूरी करे जबकि सेहत में तलाक दी हो, और अगर मरज़ में दी थी तो दोनों इद्दतें पूरी करे यानी अगर तीन हैज़ पूरे हो चुके हैं मगर चार महीना दस दिन पूरे न हुये तो इनको पूरा करे और अगर यह दिन पूरे हो गये मगर अभी तीन हैज़ पूरे न हुए तो इनके पूरे होने तक इन्तेज़ार करे ।

सोग का बयान

जनाब रसूलूल्लाह सल्लाहो अलेहे वसल्लम ने फ़रमाया जो औरत अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखती है उसे यह हलाल नहीं कि किसी मैय्यत पर तीन रातों से ज्यादा सोग करे मगर शौहर पर कि चार महीने दस दिन सोग करे, और फ़रमाया कोई औरत किसी मैइयत पर तीन दिन से ज्यादा सोग न करे मगर शौहर पर चार महीना दस दिन सोग करे और रंगा हुआ कपड़ा न पहने मगर वह कपड़ा कि बुनने से पहले उसका सूत जगह-जगह बाँध कर रंगते हैं और सुर्मा न लगाये न ख़ुशबू छुएं, मगर हैज़ से जब पाक हो तो थोड़ा सा ऊद इस्तेमाल कर सकती है और मेहन्दी न लगाये । सोग के यह माने है कि जीनत को छोड़े यानी हर किस्म के ज़ेवर चाँदी, सोने, जवाहर वगैरह के और हर किस्म और हर रंग के रेशमी कपड़े न पहने और खुशबू बदन या कपड़े में न लगायें और न तेल लगायें चाहे तेल बेंमहक हो, (जैसे जेतून का तेल) और न कंधा करें न काला सुर्मा लगायें, यूँ ही सफ़ेद खुशबूदार सुर्मा लगाना और मेंहन्दी लगाना और ज़ाफ़रान, कुसुम या गेरु का रंगा हुआ कपड़ा या सुर्ख रंग का कपड़ा पहनना मना है इन सब चीजों का तर्क वाजिब है यूँ ही गुलाबी रंग धानी, चमपई और तरह-तरह के रंग जिनसे जीनत होती है सबको छोड़ें ।

मस्अला :- जिस कपड़े का रंग पुराना हो गया कि अब उसका पहनना जीनत नहीं उसे पहन सकती हैं यूँ ही स्याह रंग के कपड़े में भी हर्ज नहीं जबकि रेशम का न हो ।

मस्अला :- उज्र की वजह से इन चीजों का इस्तेमाल कर सकती हैं मगर इस हालत में इसका इस्तेमाल जीनत के इरादे से न हो, जैसे दर्द सर की वजह से तेल लगा सकती है । आँख के दर्द में सुर्मा लगा सकतीहै मगर सियाह सुर्मा उस वक्त लगा सकती हैं जबकि सफेद से काम न चले । और रात का लगाना काफ़ी हो तो दिन में न लगायें ।

मस्अला :- सोग आक़ेला, बालेग़ा, मुस्लिमा औरत पर है मौत या तलाक़ बाईन की इद्दत में हो ।

मस्अला :- शौहर के इन्नीन होने या मक़्तुउज्ज़कर होने की वजह से फुर्क़त हुई तो उसकी इद्दत में भी सोग वाजिब है ।

मस्अला :- किसी क़रीब के मर जाने पर औरत तीन दिन तक सोग मना सकती है इससे ज़ायद जायज़ नहीं और औरत शौहर वाली हो तो शौहर इससे भी रोक सकता है ।

मस्अला :- किसी के मरने के ग़म से सियाह कपड़ा पहनना जायज़ नहीं मगर औरत को तीन दिन तक शौहर के मरने पर ग़म की वजह से स्याह

कपड़े पहनना जायज़ है और स्याह कपड़े ग़म जाहिर करने के लिए न हों तो मुतलकन जायज़ हैं ।

मस्अला :- जो औरत इद्दत में हो उसके पास सराहतन निकाह का पैग़ाम देना हराम है अगरचा निकाह फासिद या इतक़ की इद्दत में हो लेकिन मौत की इद्दत में हो तो इशारतन कह सकते हैं । और तलाक़ रजई या बाईन या फसख की इद्दत में इशारतन भी नहीं कह सकते । और वती बिलशुबह या निकाह फ़ासिद की इद्दत में इशारतन कह सकते हैं, इशारतन कहने की सूरत यह है कि कहे मैं निकाह करना चाहता हूँ मगर यह न कहे कि तुझ से (नहीं तो सराहत हो जायेगी) या कहें मैं ऐसी औरत से निकाह करना चाहता हूँ जिसमें यह बातें हों और वह बातें बयान करे जो उस औरत में हों । या कहें मुझे तेरे ऐसी कहा मिलेगी ।

मस्अला :- जो औरत रजई या बाईन की इद्दत में है या खुलाअ या किसी और फुर्क़त की इद्दत में है उसको घर से बाहर निकलना जायज़ नहीं, जबकि आकेला, बालेग़ा मुस्लिमा हो, और नाबालेग़ा लड़की तलाक़ रजई की इद्दत में शौहर की इजाज़त से बाहर जा सकती है और बाइन की इद्दत में वे इजाज़त भी जा सकती है हाँ अगर करीब बालिग होने के हैं तो बगैर इजाज़त नहीं जा सकती ।

मस्अला :- निकाह फ़ासिद की इद्दत में घर से निकल सकती है मगर शौहर रोक सकता है ।

मस्अला :- अगर किराये के मकान में रहती थी जब भी मकान बदलने की इजाज़त नहीं, इद्दत के ज़माने का किराया शौहर के ज़िम्मा है और अगर शौहर गायब है औरत खुद किराया दे सकती है जब भी उसी मकान में रहे ।

मस्अला :- मौत की इद्दत में अगर बाहर जाने की ज़रूरत हो कि औरत के पास गुज़र के लायक़ माल नहीं और बाहर जाकर मेहनत मजदूरी करे लाएगी तब काम चलेगा तो उसे जाने की इजाज़त है कि दिन के और रात के कुछ हिस्सा में बाहर जावे और रात का ज्यादा हिस्सा अपने मकान में गुजारे मगर हाजत से ज्यादा बाहर ठहरने की इजाज़त नहीं और अगर काम चलाने के लायक माल मौजूद है तो बाहर निकलना मुतलक़न मना है और अगर खर्च मौजूद है मगर बाहर न जायेगी तो कोई नुकसान पहुँचेगा जैसे— खेती का कोई देखने भालने वाला नहीं और कोई ऐसा नहीं जिसे इस काम पर मुक़र्रर करे तो इसके लिए भी जा सकती है मगर रात को उसी घर में रहना होगा यूँ ही अगर कोई सौदा लाने वाला न हो तो उसके लिए भी जा सकती है ।

मस्अला :- मौत या फुर्क़त के वक्त जिस मकान में औरत रहती थी उसी मकान में इद्दत पूरी करे । और ऊपर जो कहा गया है घर से बाहर नहीं जा सकती । उस घर से मुराद यही घर है और इस घर को छोड़कर दूसरे

मकान में भी नहीं रह सकती मगर जब कोई मजबूरी* हो तो बदल सकती है।

मस्अला :- औरत अपने मायके गई थी या किसी काम के लिए कहीं और गई थी उस वक्त शौहर ने तलाक़ दी या मर गया तो फ़ौरन विला तवक्कुफ़ वहाँ से वापस आये ।

मस्अला :- तलाक बाइन की इद्दत में यह ज़रूरी है कि शौहर और औरत में पर्दा हो यानी किसी चीज़ से आड़कर दी जाये कि एक तरफ शौहर रहे दूसरी तरफ़ औरत, औरत का उसके सामने बदन छुपाना काफ़ी नहीं इस वास्ते कि औरत अब अजनबिया है और अजनबिया से खिलवत जायज़ नहीं बल्कि यहाँ फ़ितना का ज़्यादा अन्देशा है और अगर मकान में तंगी हो इतना नहीं कि दोनों अलग-अलग रह सकें तो शौहर उतने दिनों तक मकान छोड़ दे । यह न करे कि औरत को दूसरे मकान में भेज दे और आप उसी मकान में रहें इसलिए कि औरत को बगैर ज़रूरत मकान बदलने की इजाज़त नहीं और शौहर फ़ासिक़ हो तो उसे हुक्मन उस मकान से अलाहदा कर दिया जाये और न निकले तो उस मकान में कोई सेका (नेक) औरत रख दी जाये जो फ़ितना को रोक सके और अगर तलाक़ रजई की इद्दत हो तो पर्दा की कुछ परवाह नहीं चाहे शौहर फ़ासिक़ ही हो ।

मस्अला :- तीन तलाक़ की इद्दत का भी वही हुक्म है जो तलाक़ बाईन का है।

मस्अला :- औरत को इद्दत में शौहर सफर में साथ नहीं ले जा सकता है चाहे रजई की ही इद्दत क्यों न हो ।

मस्अला :- रजई की इद्दत के वही अहकाम है जो बाईन की इद्दत के हैं मगर रजई की इद्दत में सोग नहीं और अगर सफ़र में रजई तलाक़ दी तो शौहर के साथ रहे और किसी और तरफ़ मसाफ़ते सफ़र है तो उधर नहीं जा सकती ।

★ मजबूरी की सूरतें यह है जैसे— तलाक़ की इद्दत मे शौहर ने घर में से उसको निकाल दिया, या किराये का मकान है इद्दत वफ़ात की है मालिक मकान कहता है किराया दे या मकान खाली कर और उसके पास किराया नहीं है या मकान शौहर का है मगर उसके हिस्से में जितना पड़ा वह रहने के लायक नहीं और वरसा अपने हिस्से में उसे रहने नहीं देते, या किराया माँगते हैं और पास किराया नही या मकान गिर रहा है या गिर जाने का डर है या चोरों का डर है माल बर्बाद होने का डर है तो इन सूरतों में मकान बदल सकती है और अगर किराया का मकान है और किराया दे सकती है या वारिसों को किराया देकर रह सकती है तो वहीं में रहना लाज़िम है और अगर हिस्सा इतना मिला कि उसके रहने के लिए काफ़ी है तो वहीं मे रहे और शौहर के दूसरे वारिस जिनसे पर्दा फ़र्ज़ है उनसे पर्दा करे । और अगर उस मकान में न चोर का डर है न पड़ोसियों का मगर उसमें कोई और नहीं है अकेले रहते डरती है तो अगर डर ज्यादा है तो मकान बदल सकती है और अगर तलाक़ बाईन की इद्दत है और शौहर फ़ासिक़ है और कोई वहाँ ऐसा नहीं कि अगर शौहर की नीयत बद हो तो रोक सके ऐसी हालत में मकान बदल सकती है ।

सुबूते नसब का बयान

हदीस में आया बच्चा उसका है जिसकी औरत है और ज़ानी के लिए पत्थर है ।

मस्अला :- हमल की मुद्दत कम से कम छः महीना है, और ज़्यादा से ज़्यादा दो साल लेहाज़ा जो औरत तलाक़ रजई की इद्दत में है और इद्दत पूरी होने का औरत ने इक़रार न किया हो, और बच्चा पैदा हुआ तो नसब साबित है । और अगर इद्दत पूरी होने का इक़रार किया लेकिन वह मुद्दत इतनी है कि उसमें इद्दत पूरी हो सकती है और वक्त इक़रार से छः महीना के अन्दर बच्चा पैदा हुआ तो अब भी नसब साबित है । (इसलिए कि बच्चा पैदा होने से मालूम हुआ कि औरत का इक़रार गलत था) और इन दोनों सूरतों में वेलादत से साबित हुआ कि शौहर ने रजअत कर ली है जबकि वक्त तलाक़ से पूरे दो बरस या ज़्यादा में बच्चा पैदा हुआ और दो बरस से कम में पैदा हुआ तो रजअत साबित न हुई इसलिए कि हो सकता है कि तलाक़ देने से पहले का हमल हो । और अगर वक्त इक़रार से छः महीना पर बच्चा पैदा हुआ तो नसब साबित नहीं, यूँ ही तलाक बाइन या मौत की इद्दत पुरी होने का औरत ने इक़रार किया और वक्त इक़रार से छः महीना से कम में बच्चा पैदा हुआ तो नसब साबित है वरना नहीं ।

मस्अला :- जिस औरत को बाइन तलाक़ दी और वक्त तलाक से दो साल के अन्दर बच्चा पैदा हुआ तो नसब साबित है और अगर दो साल के बाद पैदा हुआ तो नहीं लेकिन अगर शौहर उस बच्चा के लिए कहे कि यह मेरा है तो अब भी साबित हो जायेगा, या एक बच्चा दो साल के अन्दर पैदा हुआ दूसरा बाद में तो दोनों का नसब साबित हो जायेगा ।

मस्अला :- वक्त निकाह से छः महीना के अन्दर बच्चा पैदा हुआ तो नसब साबित नहीं और छः महीना या ज़्यादा पर हुआ तो साबित है, जबकि शौहर इक़रार करे या सुकूत करे (चुप रहे) और अगर शौहर कहता है कि बच्चा पैदा ही न हुआ तो एक औरत की गवाही से पैदाइश साबित हो जायेगी और अगर शौहर ने कहा था कि जब तू जने तो तुझको तलाक़ और औरत बच्चा पैदा होना बयान करती है और शौहर इन्कार करता है तो दो मर्द या एक मर्द दो औरत की गवाही से तलाक़ साबित होगी, तन्हा जनाई की गवाही काफ़ी नहीं, यूँ ही अगर शौहर ने हमल का इक़रार किया था या हमल ज़ाहिर था जब भी तलाक़ साबित है लेकिन नसब साबित होने के लिए फ़क़त जनाई का क़ौल काफ़ी है और अगर दो बच्चे पैदा हुए एक छः महीना के अन्दर दूसरा छः महीना पर या छः महीना बाद तो दोनों में किसी का नसब साबित नहीं ।

मस्अला :- निकाह में जहाँ नसब साबित होना कहा जाता है वहाँ यह कुछ ज़रूर नहीं कि शौहर दावा करें तो नसब होगा बल्कि सुकूत से भी नसब साबित

होगा, और अगर इन्कार करे तो नफी न होगी जब तक लेआन न हो जाये और अगर किसी वजह से लेआन न हो सके जब भी साबित होगा ।

मस्अला :- शौहर के मरने के वक्त से दो बरस के अन्दर बच्चा पैदा हुआ तो नसब साबित है वरना नहीं, यही हुक्म सगीरा का है जबकि हमल का इक़रार करती हो और अगर औरत सगीरह है जिसने न हमल का इक़रार किया न इद्दत पूरी होने का और दस महीना दस दिन से कम में बच्चा हुआ तो नसब साबित है वरना नहीं, और अगर सग़ीरह ने इद्दत पूरी होने का इक़रार किया और वक्त इकरार यानी चार महीना दस दिन के बाद अगर छः महीना के अन्दर पैदा हुआ तो नसब साबित है नहीं तो नहीं ।

मस्अला :- बच्चा पैदा हुआ औरत कहती है निकाह को छः महीना या जायद का अर्सा गुज़रा और मर्द कहता है छः महीना नहीं हुए तो औरत से क़सम ली जाये, क़सम के साथ औरत का क़ौल मान लें और अगर शौहर या शौहर के वरसा गवाह पेश करना चाहें तो गवाह न सुने जायें ।

मस्अला :- किसी औरत से ज़ेना किया फ़िर उसी से निकाह किया और छः महीना या जायद में बच्चा पैदा हुआ तो नसब साबित है और कम में पैदा हुआ तो साबित नहीं चाहे शौहर कहे कि यह ज़ेना से मेरा बेटा है ।

बच्चे की परवरिश का बयान

बच्चे की परवरिश का हक माँ के लिए है चाहे वह निकाह में हो या निकाह से बाहर हो गई हो । हाँ अगर मुर्तद्दा हो गई तो परवरिश नहीं कर सकती या किसी फ़िस्क़ में मुबतला है जिसकी वजह से बच्चे की तरबियत में फ़र्क आए (जैसे ज़ानिया या चोर या नौहा करने वाली) तो उसकी परवरिश में न दिया जाये, बल्कि बाज़ फ़ुक़हा ने फ़रमाया अगर वह नमाज़ की पाबन्द नहीं तो उसकी परवरिश में भी न दिया जाये, मगर असह यह है कि उसकी परवरिश में उस वक्त तक रहेगा जब तक नासमझ है जब कुछ समझने लगे तो अलग कर लिया जाये इसलिए कि बच्चा माँ को देखकर वही आदत अख़्तियार करेगा जो माँ की है, यूँ ही माँ की परवरिश में उस वक्त भी न दिया जाये जबकि बकसरत बच्चों को छोड़कर इधर-उधर चली जाती हो चाहे उसका जाना किसी गुनाह के लिए न हो (जैसे वह औरत मुर्दे नहलाती हो या जनाई करती हो या और कोई ऐसा काम करती है जिसकी वजह से अकसर घर से बाहर जाना पड़ता है)

मस्अला :- अगर बच्चा की माँ ने बच्चा के ग़ैर महरम से निकाह कर लिया तो उस माँ को परवरिश का हक़ न रहा और महरम से किया तो हक्क़े परवरिश बातिल न हुआ । ग़ैर महरम से मुराद वह शख़्स है कि नसब के एतबार से बच्चा के लिए महरम न हो चाहे रेज़ा (दुध) के लेहाज़ से महरम हो । (जैसे

बच्चा की माँ ने बच्चा के रज़ाई चचा से निकाह कर लिया तो अब माँ की परवरिश में न रहेगा कि यह शख़्स अगरचा रज़ाअ के लिहाज़ से बच्चा का चचा है मगर नसबन अजनबी है और अगर नसबी चचा से निकाह किया तो हक़्क़े परवरिश बातिल न हुआ)

मसअला :- माँ अगर मुफ़्त परवरिश करना नहीं चाहती और बाप उजरत दे सकता है तो उजरत दे और अगर तंगदस्त है तो माँ के बाद जिनको परवरिश का हक़ है अगर उनमें कोई मुफ़्त परवरिश करे तो उसकी परवरिश में बच्चा दिया जाये, बशर्ते कि बच्चा के ग़ैर महरम से उसने निकाह न किया हो और माँ से कह दिया जाये कि या तो मुफ़्त परवरिश कर या बच्चा को फ़ुलाँ को दे दे मगर माँ अगर बच्चा को देखना चाहे या उसकी देखभाल करना चाहे तो उससे रोकी न जाये और अगर कोई दूसरी औरत ऐसी न हो जिसको परवरिश का हक़ है मगर कोई अजनबी शख़्स या रिश्तादार मर्द मुफ़्त परवरिश करना चाहता है तो इस सूरत में माँ ही को देंगे अगरचा माँ ने अजनबी से निकाह कर लिया हो अगरचा उजरत माँगती हो ।

मसअला :- जिसके लिए हक़्क़े परवरिश है अगर वह इन्कार करे और कोई दूसरे न हो जो परवरिश करे तो वे परवरिश पर मजबूर की जायेगी यूँ ही अगर बच्चा की माँ दूध पिलाने से इन्कार करे और बच्चा दूसरी औरत का दूध न लेता हो या मुफ़्त कोई दूध नहीं पिलाती और बच्चा या उसके बाप के पास माल नहीं तो माँ दूध पिलाने पर मजबूर की जायेगी ।

मसअला :- माँ की परवरिश में बच्चा हो और वह उसके बाप के निकाह या इद्दत में हो तो परवरिश का बदला नहीं पायेगी और अगर निकाह या इद्दत में नहीं है तो परवरिश का हक़ ले सकती है और दूध पिलाने की उजरत और बच्चे का नफ़क़ा भी ले सकती है और अगर उसके पास रहने को मकान न हो तो मकान भी ले सकती है और बच्चा को ख़ादिम की ज़रूरत हो तो ख़ादिम भी, और यह सब अख़राजात अगर बच्चा का माल हो तो उस माल से दिये जायें, नहीं तो जिस पर बच्चा का नफ़क़ा है उसी के ज़िम्मा यह सब ख़र्च भी है ।

मसअला :- माँ ने अगर पहले परवरिश से इन्कार कर दिया फिर यह चाहती है कि परवरिश करे तो कर सकती है, रुजूअ सही है ।

मसअला :- माँ अगर न हो या परवरिश की अहल न हो या इंकार कर दिया या अजनबी से निकाह कर लिया, तो अब परवरिश का हक़ नानी के लिये है नानी भी न हो तो नानी की माँ, उसके बाद दादी फिर परदादी उन्हीं शर्तों के साथ जो ऊपर बयान हुईं । फिर सगी बहन फिर अख़्याफ़ी बहन, फिर सौतेली बहन, फिर सगी बहन की बेटी फिर ख़ाला (यानी माँ की सगी बहन) फिर माँ की अख़्याफ़ी बहन फिर माँ की सौतेली बहन, फिर सौतेली बहन की बेटी, फिर सगी भतीजी, फिर अख़्याफ़ी भाई की बेटी फिर सौतेले

भाई की बेटी फिर इसी तरतीब से फूफियां, फिर माँ की खाला, फिर बाप की खाला फिर माँ की फूफियाँ फिर बाप की फूफियाँ (और इन सब में भी यही तरतीब है कि पहले सगी फिर अखयाफ़ी फिर सौतेली) और अगर कोई औरत परवरिश करने वाली न हो या हो मगर उसका हक़ साक़ित हो तो असबात बतरतीब इर्स यानी बाप, फिर दादा फिर सगा भाई फिर सौतेला भाई फिर भतीजे फिर चचा के बेटे (मगर लड़की को उसके चचाज़ाद भाई की परवरिश में न दे खुसूसन जबकि लड़की मुश्तहात हो) और अगर असबात भी न हों तो ज़विलअरहाम को परवरिश में दिया जाये जैसे अख्याफ़ी भाई फिर उख्याफ़ी भाई का बेटा फिर माँ का चचा फिर सगा मामूँ, चचा, फूफी, मामूँ और खाला की बेटियों को लड़के की परवरिश का हक़ नहीं।

मस्अला :- अगर चन्द शख्स एक दर्जा के हों तो बच्चा की परवरिश का हक़दार वह है जो उनमें ज़्यादा बेहतर हो, फिर वह जो ज़्यादा परहेज़गार हो, फिर वह जो उनमें बड़ा हो।

मस्अला :- बच्चा नानी या दादी के पास है लेकिन वह ख्यानत करती है तो फूफी को अख्तियार है कि वह उससे ले ले।

मस्अला :- जिस औरत के लिए परवरिश का हक़ है उसके पास लड़के को उस वक्त तक रहने दे जब तक उसे उसकी ज़रूरत हो, यानी अपने आप खाने, पीने, इसतेनजे के लायक़ न हो जाये और यह ज़माना सात साल तक है, और अगर उम्र में इख्तेलाफ़ हो तो अगर वह सब काम खुद कर लेता हो तो औरत के पास से अलग कर लिया जाये नहीं तो रहने दें और अगर बाप लेने से इन्कार करे तो जबरन उसके सुपुर्द किया जाये और लड़की उस वक्त तक औरत की परवरिश में रहेगी कि हदे शहवत को पहुंच जाये इसका ज़माना नौ साल की उम्र है और अगर इस उम्र से कम में लड़की का निकाह कर दिया गया जब भी उसी की परवरिश मे रहेगी जिसकी परवरिश में है, निकाह कर देने से परविरश का हक़ न जायेगा जब तक मर्द के क़ाबिल न हो।

मस्अला :- सात साल की उम्र से बालिग होने तक लड़का अपने बाप यादादा या किसी और वली के पास रहेगा फिर जब बालिग हो गया और समझदार है कि फ़ितना या बदनामी का डर नहीं और तादीब की ज़रूरत नहीं तो जहाँ चाहे वहाँ रहे और अगर इन बातों का डर हो और तादीब की ज़रूरत हो तो बाप दादा वग़ैरह के पास रहेगा खुद मुख्तार न होगा मगर बालिग होने पर बाप पर नफ़क़ा वाजिब नहीं, अब अगर खर्च दे तो यह एहसान है यह तो हुक्म शरा का है मगर आजकल के हालात को देखकर खुदमुख्तार न रखा जाये जब तक चाल चलन अच्छी तरह ठीक न हो जाये और पूरा भरोसा न हो

※ मुश्तहात-जिसे देख कर शहवत हो।

जाये कि अब इसकी वजह से फ़ितना व आर न होगा कि इस ज़माना में अक्सर सोहबतें आदतों को खराब करने वाली हैं और नव उम्री में बुरी आदत जल्द पड़ जाती है ।

मस्अला :- लड़की नौ साल की उम्र के बाद से जब तक क्वांरी है बाप, दादा, भाई वगैरह के यहाँ रहेगी मगर जब पूरी उम्र की हो जाये और फ़ितना का अंदेशा न हो तो अख्तियार है जहाँ चाहे रहे, अगर लड़की सइएबा है जैसे बेवा है और फ़ितना का डर नहीं तो उसे अख्तियार है नहीं तो बाप दादा के यहाँ रहे और ये हम पहले बता चुके हैं कि चचा के बेटे को लड़की के लिए परवरिश का हक नहीं यही अब भी है इसलिए कि वह महरम नहीं बल्कि जरूर है कि महरम के पास रहे और अगर महरम न हो तो किसी नेक (परहेज़गार) अमानतदार औरत के पास रहे जो उसकी इज्ज़त की हिफ़ाज़त कर सके । और लड़की ऐसी है कि फ़साद का डर नहीं तो अख्तियार है ।

मस्अला :- लड़का अभी बालिग़ नहीं हुआ मगर काम काज करने के काबिल हो गया है तो बाप उसे किसी काम से लगा दे जो काम सिखना चाहे उस काम के जानने वालों के पास भेज दें कि उनसे काम सीखें । नौकरी या मज़दूरी के लायक हो और बाप उससे नौकरी या मजदूरी कराना चाहे तो कराये, और लड़का जो कमाएं उसको लड़के पर खर्च करें और जो बच रहे तो उसके लिए जमा करता रहे, अगर बाप जानता है कि मेरे पास खर्च हो जायेगा तो किसी और के पास अमानत रख दें मगर सबसे मुकद्दम यह कि बच्चों को कुरान मजीद पढ़ाएं और दीन की जरूरी बातें सिखाएँ, रोज़ा, नमाज, तहारत और बै (तेजारत) व एजारा व दीगर मामलात जिनसे रोज काम पड़ता है और नावाक़फ़ी से खेलाफ़ शरअ अमल करने के जुर्म में मुबतला होते हैं इनसब की तालीम दी जाये अगर देखें कि बच्चा का इल्म में जी लगता है और समझदार है तो दीन का इल्म सीखने से बढ़कर क्या काम है उसी में लगाएँ और अगर इस्तेताअत न हो तो अक़ीदा की बातें ठीक ठीक समझा कर और जरूरी मस्ले बता कर जिस जायज़ काम में चाहे लगाएँ ।

मस्अला :- लड़की को भी अकीदे और जरूरी मस्ले सिखाने के बाद किसी औरत से सिलाई वगैरह ऐसे काम सिखायें जिनकी औरतों को अक्सर जरूरत पड़ती है ।

मस्अला :- लड़की को नौकर न रखाएँ कि जिसके यहाँ नौकर रहेगी कभी ऐसा भी होगा कि मर्द के पास अकेली रहे और यह बड़े ऐब की बात है ।

मस्अला :- परवरिश केदिनों में बाप यह चाहता है कि औरत से बच्चा लेकर कहीं दूसरी जगह चला जाये तो बाप को यह अख्तियार नहीं और अगर औरत चाहती है कि बच्चा को लेकर दूसरे शहर को चली जाये और दोनों शहरों में इतना फ़ासला है कि बाप अगर बच्चा देखना चाहे तो देखकर रात होने से पहले वापस आ सकता है तो ले जा सकती है और इससे ज्यादा फासला है तो खुद भी नहीं जा सकती ।

मस्अला :- औरत को तलाक़ दे दी औरत ने किसी अजनबी से निकाह कर लिया तो बाप बच्चा को औरत से लेकर सफ़र में ले जा सकता है जबकि कोई और परवरिश का हक़दार न हो ।

मस्अला :- जब परवरिश का जमाना पूरा हो चुका और बच्चा बाप के पास आ गया तो बाप पर यह वाजिब नहीं कि बच्चा को उसकी माँ के पास भेजे न परवरिश के ज़माना में माँ पर बाप के पास भेजना लाज़िम था । हाँ अगर एक के पास है और दूसरा उसे देखना चाहता है तो देखने से रोका नहीं जा सकता ।

नफ़क़ा का बयान

नफ़क़ा से मुराद खाना, कपड़ा, रहने का मकान है । नफ़क़ा वाजिब होने के तीन सबब है । ज़ौजियत, नसब, मिलक ।

मस्अला :- जिस औरत से निकाह सही हुआ उसका नफ़क़ा शौहर पर वाजिब है औरत मुसलमान हो या काफ़िरा आज़ाद हो या मुकातबा, मोहताज हो या मालदार दख़ूल हुआ हो या न हुआ हो बालेग़ा हो या नाबालेग़ा मगर नाबालेग़ा में शर्त यह है कि जेमा की ताक़त रखती हो या मुश्तहात हो चाहे शौहर ना बालिग बल्कि कितना ही कम उम्र हो जब भी उस पर नफ़क़ा वाजिब है । उसके माल से दिया जायेगा उसकी मिल्क में माल न हो तो उसकी औरत का नफ़क़ा उसके बाप पर वाजिब नहीं । हाँ अगर उसके बाप ने नफ़क़ा की ज़मानत की हो तो बाप पर वाजिब है ।

मस्अला :- शौहर इन्नीन है या मकतूउज़्ज़कर है या मरीज़ है कि जेमा की ताक़त नहीं रखता या हज को गया है जब भी नफ़क़ा वाजिब है ।

मस्अला :- नाबालेग़ा जो जिमा के काबिल न हो उसका नफ़क़ा शौहर पर वाजिब नहीं चाहे शौहर के यहाँ रहे या अपने बाप के घर जब तक क़ाबिले वती न हो जाये । हाँ अगर इस लायक है कि ख़िदमत कर सके या उससे उन्स हासिल हो और शौहर ने अपने मकान में रखा है तो नफ़क़ा वाजिब है और नहीं रखा तो नहीं ।

मस्अला :- औरत का मुक़ाम बन्द है जिसके सबब से वती नहीं हो सकती या दीवानी है या बोहरी है तो भी नफ़क़ा वाजिब है ।

मस्अला :- निकाह फ़ासिद में या उसकी इद्दत में नफ़क़ा वाजिब नहीं, यूँ ही वती बिलशुबहा में भी नहीं, और अगर बज़ाहिर निकाह सही हुआ और काज़ी शरा ने नफ़क़ा मुकर्रर कर दिया बाद को मालूम हुआ कि निकाह सही नहीं (जैसे वह औरत उसकी रज़ाई बहन साबित हुई) तो जो कुछ नफ़क़ा में

दिया है वापस ले सकता है और अगर बतौर खुद विला हुक्म काजी दिया तो वापस नहीं ले सकता ।

मस्अला :- बालग़ा औरत जब अपने नफ़क़ा का मुतालबा करे और अभी रूखसत नहीं हुई है तो उसका मुतालबा सही है जबकि शौहर ने अपने मकान पर ले जाने को उससे न कहा हो । और अगर शौहर ने कहा तू मेरे यहाँ चल और औरत ने इन्कार न किया जब भी नफ़क़ा की मुस्तहक़ है और अगर औरत ने इन्कार किया तो इसकी दो सूरतें हैं । अगर कहती है जब तक महरे मुअज्जल न दोगे नहीं जाऊँगी तो इस सूरत में नफ़क़ा पायेगी (कि यह इन्कार नाहक़ नहीं) और अगर इन्कार नाहक़ है (जैसे महरे मुअज्जल अदा कर चुका है या महरे मुअज्जल था ही नहीं या औरत माफ़ कर चुकी है) तो इस सूरत में नफ़क़ा की मुस्तहक नहीं जब तक शौहर के घर न आऐ ।

मस्अला :- दखूल होने के बाद अगर औरत शौहर के यहाँ आने से इन्कार करती है तो अगर महरे मुअज्जल का मुतालबा करती है कि दे दो तो चलूँ तो नफ़क़ा की मुस्तहक है नहीं तो नहीं ।

मस्अला :- औरत शौहर के यहाँ से नाहक चली गई तो नफ़क़ा नहीं पायेगी जब तक वापस न आऐ ।

मस्अला :- जिस औरत को तलाक दी गई है वह बहरहाल इद्दत के अन्दर नफ़क़ा पायेगी, तलाक़ रजई हो या बाइन या तीन तलाकें, औरत को हमल हो या न हो ।

मस्अला :- जब तक औरत सिनेअयास को न पहुँचे उसकी इद्दत तीन हैज है जैसा कि पहले बयान हो चुका ! और अगर इस उम्र से पहले किसी वजह से जवान औरत को हैज नहीं आता तो उसकी इद्दत चाहे कितनी ही तवील हो इद्दत के ज़माने का नफ़क़ा वाजिब है यहाँ तक अगर सिनअयास तक हैज न आया तो सिनअयास के बाद तीन महीने गुजरने पर इद्दत खत्म होगी और उस वक्त तक नफ़क़ा देना होगा, हाँ अगर शौहर गवाहों से साबित कर दे कि औरत ने इक़रार किया है कि तीन हैज आये और इद्दत खत्म हो गई तो नफ़क़ा साक़ित हो जायेगा ! इसलिये कि इस तरह इद्दत पूरी हो चुकी, और अगर औरत को तलाक़ हुई उसने अपने का हामेला बताया तो तलाक के वक्त से दोसाल तक वज़ये हमल का इंतजार किया जाये और वज़ये हमल तक नफ़क़ा वाजिब है औरदो साल पर भी बच्चा न हुआ और औरत कहती है कि मुझे हैज नहीं आया और हमल का गुमान था तो बराबर नफ़क़ा लेती रहेगी यहाँ तक कि तीन हैज आऐं या सिनअयास आकर तीन महीने गुजर जायें ।

मस्अला :- इद्दत के नफ़क़ा का न दावा किया न काज़ी ने मुकर्रर किया तो इद्दत गुजरने के बाद नफ़क़ा साक़ित हो गया ।

मसअला :- मफ़क़ूद की औरत ने निकाह कर लिया और उस दूसरे शौहर ने दखूल भी कर लिया अब पहला शौहर आया तो औरत और दूसरे शौहर में तफ़रीक़ कर दी जायेगी और औरत इद्दत गुज़ारेगी मगर इस इद्दत का नफ़क़ा न पहले शौहर पर है न दूसरे पर ।

मसअला :- वफ़ात की इद्दत में नफ़क़ा वाजिब नहीं, चाहें औरत को हमल हो या न हो, यूँ ही जो फ़ुर्क़त औरत की जानिब से गुनाह के साथ हो उसमें भी नफ़क़ा नहीं ।

मसअला :- खुलअ में नफ़क़ा है हाँ अगर खुलअ इस शर्त पर हुआ कि औरत नफ़क़ा और सुकना माफ़ करे तो अब नफ़क़ा नहीं पायेगी । मगर सुकना शौहर को अब भी देना होगा कि औरत को सुकना माफ़ करने का अख़्तियार नहीं ।

मसअला :- औरत से ईला, या ज़ेहार या लेआन किया या शौहर मुर्तद हो गया था शौहर ने औरत की माँ से जिमा किया या इन्नीन की औरत ने फ़ुर्क़त अख़्तियार की तो इन सब सूरतों में नफ़क़ा पायेगी ।

मसअला :- अगर मर्द और औरत दोनों मालदार हों तो नफ़क़ा मालदारों के ऐसा होगा और दोनों मोहताज हों तो मोहताजों के ऐसा, और एक मालदार है दूसरा मोहताज तो मुतवसित्त दर्जा का (यानी मोहताज जैसा खाते हों उससे अच्छा और मालदार जैसा खाते हों उससे कम) और अगर शौहर मालदार है और औरत मोहताज तो बेहतर यह है कि जैसा आप खाता हो औरत को भी खिलाएं मगर यह वाजिब नहीं, वाजिब इस सूरत में मुतवसित्त है ।

मसअला :- औरत आटा पीसने रोटी पकाने से इन्कार करती है तो अगर ऐसे घराने की है कि वहाँ कि औरतें आप यह काम नहीं करतीं या यह औरत बीमार या कमज़ोर है कि यह काम नहीं कर सकती तो पका हुआ खाना देना होगा या कोई ऐसा आदमी दे जो खाना पकावे, पकाने पर मजबूर नहीं की जा सकती और न अगर ऐसे घराने की है न कोई ऐसा सबब है कि खाना न पका सके तो शौहर पर वाजिब नहीं कि पका हुआ दे और अगर औरत खुद पकाती है और पकाने की उजरत माँगती है तो उजरत नहीं दी जायेगी ।

मसअला :- खाना पकाने के तमाम बर्तन और सामान शौहर पर वाजिब हैं, जैसे चक्की, हान्डी, तावा, चिमटा, रकाबी, प्याला, चमचा वगैरह जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है हस्बे हैसिअत, यूँ ही हस्बे हैसिअत असासुलबैत देना वाजिब है जैसे चटाई, दरी, कालीन, चारपाई, लेहाफ़, तोशक, तकिया, चादर वगैरह यूँ ही

गुनाह के साथ फ़ुर्क़त की मिसाल यह है कि औरत मुर्तिदा हो जाये या शहवत के साथ शौहर के बेटे या बाप का बोसा ले ले या शहवत के साथ छुऐ तो इन सूरतों में फ़ुर्क़त हो जायेगी और औरत की तरफ से होगी मासीयत के साथ ।

कंघा, तेल सर धोने के लिए खली वगैरह और बेसन या साबुन मैल दूर करने के लिए देना वाजिब है और सुर्मा, मिस्सी, मेंहदी देना शौहर पर वाजिब नहीं अगर लाऐं तो औरत को इस्तेमाल करना जरूरी है इत्तर वगैरह खुशबू की इतनी जरूरत है जिससे बगल और पसीने की बू को दूर कर सके ।

मस्अला :- गुस्ल और वजू का पानी शौहर के जिम्मा है चाहे औरत मालदार ही हो ।

मस्अला :- औरत अगर चाय, हुक्का या सिगरेट पीती है तो इनके खर्च शौहर पर वाजिब नहीं चाहे न पीने से नुकसान हो हो यूँ ही छालिया, पान, तम्बाकू शौहर पर वाजिब नहीं ।

मस्अला :- औरत बीमार हो तो उसकी दवा की कीमत और तबीब की फीस शौहर पर वाजिब नहीं, फस्द या पछने की जरूरत हो तो यह भी शौहर पर नहीं ।

मस्अला :- साल में दो जोड़े कपड़े देना वाजिब है हर छः महीने पर एक जोड़ा कपड़ा दे दिया तो जब तक मुद्दत पूरी न हो देना वाजिब नहीं । और अगर मुद्दत के अन्दर फाड़ डाला, और आदतन जिस तरह पहना जाता है उस तरह पहनती तो न फटता तो दूसरे कपड़े इस छमाही में वाजिब नहीं, वरना वाजिब है और अगर मुद्दत पूरी हो गयी और वह जोड़ा बाकी है तो अगर पहना ही नहीं या कभी इसको पहनती थी और कभी और कपड़े इस वजह से बाकी है तो अब दूसरा जोड़ा देना वाजिब है और अगर यह वजह नहीं बल्कि कपड़ा मजबूत था इस वजह से नहीं फटा तो दूसरा वाजिब नहीं ।

मस्अला :- औरत जब रुखसत होकर आई तो उसी वक्त से शौहर के जिम्मा उसका कपड़ा है इसका इन्तजार न करेगा, कि छः महीना गुजर ले तो कपड़े बनाए चाहे औरत के पास कितने ही कपड़े हों न औरत पर यह वाजिब कि मायके से जो कपड़े लाई है वह पहने बल्कि अब सब शौहर के जिम्मा है ।

मस्अला :- शौहर को खुद ही चाहिए कि औरत के खर्च अपने जिम्मा ले यानी जिस चीज की जरूरत हो लाकर दे या मंगा कर दे । और अगर लाने में ढील डालता है तो काजी कोई मिक्दार वक्त और हाल के लेहाज से मुकर्रर कर दे शौहर वह रकम दे दिया करे और औरत अपने तौर पर खर्च करे और अगर अपने ऊपर तकलीफ उठा कर औरत उसमें से कुछ बचा ले तो वह औरत का है वापस न करेगी न आइन्दा के नफ्का में मुजरा देगी, और अगर शौहर औरत को जरूरत भर नहीं देता तो बगैर शौहर की इजाजत औरत शौहर के माल से लेकर खर्च कर सकती है ।

मस्अला :- शौहर औरत को जितने रुपये खाने के लिए देता है औरत अपने ऊपर तकलीफ उठा कर उसमें से कुछ बचा लेती है और डर है कि दुबली

हो जायेगी तो शौहर को हक है कि औरत को तंगी करने से रोक दे न माने तो काज़ी के यहाँ इसका दावा करके रोकवा सकता है इसलिए कि उसकी वजह से जमाल में फर्क आयेगा और यह शौहर का हक है ।

मस्अला :- औरत को मसलन महीना भर का नफ़क़ा दे दिया उसने फ़िज़ूल खर्ची से महीना पूरा होने से पहले खर्च कर डाला या चोरी हो गयी या किसी और वजह से हलाक हो गया तो उस महीना का नफ़क़ा शौहर पर वाजिब नहीं ।

मस्अला :- शौहर अगर गरीबी के सबब नफ़क़ा देने से मजबूर है तो इसकी वजह से तफ़रीक़ न की जाये, यूं ही अगर मालदार है मगर यहाँ मौजूद नहीं जब भी तफ़रीक़ न की जायेगी बल्कि अगर नफ़क़ा मुक़र्रर हो चुका है तो काज़ी हुक्म दे कि कर्ज़ लेकर या कुछ काम करके खर्च करे और यह सब शौहर के ज़िम्मा है उसे देना होगा ।

मस्अला :- मर्द ने औरत के पास कपड़े या रुपये भेजे औरत कहती है हदीयतन भेजे और मर्द कहता है नफ़क़ा में भेजे तो शौहर का कौल मोतबर है हाँ अगर औरत गवाहों से साबित कर दे कि हदीयतन भेजे या यह कि शौहर ने हदिया होने का इक़रार किया था और गवाहों ने इस इक़रार की शहादत दी तो गवाही मान ली जाये ।

मस्अला :- नफ़क़ा का तीसरा जुज़ सुकना यानी रहने का घर, शौहर जो मकान औरत को रहने के लिए दे वह खाली हो यानी शौहर के मुताल्लेक़ीन वहाँ न रहें । हाँ अगर शौहर का इतना छोटा बच्चा हो कि जिमा को नहीं समझता तो हरज नहीं और अगर उस मकान में शौहर के मुतल्लेक़ीन रहते हों और औरत ने उसी को पसन्द कियाकि सबके साथ रहे तो उस घर का शौहर के मुताल्लेक़ीन से खाली होना ज़रूरी नहीं और औरत का बच्चा अगरचा बहुत छोटा हो अगर शौहर रोकना चाहे तो रोक सकता है औरत को यह अख्तियार नहीं कि खामख्वाह उसे वहाँ रखें ।

मस्अला :- औरत अगर तन्हा मकान चाहती है यानी अपनी सौत या शौहर के मुताल्लेक़ीन के साथ रहना नहीं चाहती तो अगर मकान में कोई ऐसा दालान उसको दे दे जिसमें दरवाज़ा हो और उसे बन्द कर सकती है तो वह उसे दे सकता है दूसरा मकान तलब करने का औरत को अख्तियार नहीं बशर्ते कि शौहर के रिश्तेदार औरत को तकलीफ़ न पहुँचाते हों, रही यह बात कि पाखाना, गुस्लखाना, बावर्चीखाना भी अलग होना चाहिए इसमें तफ़सील है अगर शौहर मालदार है तो ऐसा ही मकान दे जिसमें यह सब चीजें हों, और अगर गरीब हो तो खाली एक कमरा दे देना काफ़ी है अगरचा गुस्लखाना वगैरह मुशतरक हो ।

मस्अला :- औरत के वालिदैन हफ़्ता में एक बार अपनी लड़की के यहाँ आ सकते हैं शौहर मना नहीं कर सकता हाँ अगर रात में वहाँ रहना चाहें तो शौहर उन्हे मना कर सकता है और वालिदैन के अलावा और महारिम साल भर में एक बार आ सकते हैं यूँ ही औरत अपने वालिदैन के यहाँ हर हफ़्ता में एक बार और दूसरे महारिम के यहाँ साल में एक बार जा सकती है मगर रात में शौहर की बिला इजाज़त वहाँ नहीं रह सकती दिन ही दिन में वापस आ जाये और वालिदैन या महारिम अगर सिर्फ देखना चाहें तो इससे किसी वक़्त मना नहीं कर सकता, और गैरों के यहाँ जाने या उनकी अयादत करने या शादी वगैरह तकरीबों की शिरकत से मना करे, बिला इजाज़त जायेगी तो गुनहगार होगी और इजाज़त से गई तो दोनों गुनेहगार होंगे ।

मस्अला :- औरत अगर कोई ऐसा काम करती है जिसमें शौहर का हक़ फ़ौत होता है या उसमें नुकसान आता है या उस काम के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है तो शौहर ऐसे काम से औरत को रोक सकता है बल्कि इस ज़माना में तो ऐसे काम से रोकना ही चाहिए जिसके लिए बाहर निकलना पड़े ।

मस्अला :- नाबालिग औलाद का नफ़्क़ा बाप पर वाजिब है जबकि औलाद फ़कीर हो यानी खुद की मिल्क में माल न हो और आज़ाद हो और बालिग बेटा अगर अपाहिज या मजनून या नाबीना हो कमाने से आजिज हो और उसके पास माल न हो तो उसका नफ़्क़ा भी बाप पर है और लड़की जबकि उसके पास माल न हो तो उसका नफ़्क़ा बहरहाल बाप पर है चाहे उसके आज़ा सलामत हों और अगर नाबालिग की मिल्क में माल हो मगर यहाँ माल मौजूद नहीं तो बाप को हुक्म दिया जायेगा कि अपने पास से खर्च करे जब माल आये तो जितना खर्च किया है उतना उसमें से ले लें । और अगर बतौर खुद खर्च किया और चाहता है माल आने के बाद उसमें से ले लें तो खर्च करते वक़्त लोगों को गवाह बनायें कि जब माल आएगा मैं ले लूंगा अगर गवाह न किया तो दयानतन ले सकता है क़ज़ाअन नहीं ।

मस्अला :- बच्चे की मिल्क में कोई जायदाद मनकूला हो या गैर मनकूला और बच्चे को नफ़्क़ा की हाजत हो तो वह जायदाद बेचकर खर्च की जाये चाहे सब रफ़्ता रफ़्ता करके खर्च हो जाये ।

मस्अला :- लड़की जब जवान हो गई और उसकी शादी कर दी तो अब उसका नफ़्क़ा शौहर पर है बाप बरीउज्जिम्मा हो गया ।

मस्अला :- माँ ने अगर बच्चे का नफ़्क़ा उसके बाप से लियां और वह चोरी गया या और किसी तरह हलाक हो गया तो फिर दोबारा नफ़्क़ा लेगी, और बचा रहा तो वापस करेगी ।

मसअला :- बच्चे को दूध पिलाना माँ पर उस वक़्त वाजिब है जबकि कोई दूसरी औरत दूध पिलाने वाली न मिले या बच्चा दूसरी औरत का दूध न ले या बाप तंगदस्त है कि उजरत नहीं दे सकता और बच्चे की मिल्क में भी माल नहीं तो इन सूरतों में दूध पिलाने के लिए माँ मजबूर की जाएगी और अगर यह सूरतें न हों तो दयानतन माँ के जिम्मा दूध पिलाना है मजबूर नहीं की जा सकती ।

मसअला :- बच्चा की माँ निकाह में है या तलाक़ रजई की इद्दत में है अब अगर दूध पिलाए तो उजरत नहीं ले सकती और तलाक़ बाईन की इद्दत में अगर पिलाऐ तो उजरत ले सकती है और अगर दूसरी औरत के बच्चा को जो उसी शौहर का है उसे दूध पिलाए तो मुतलक़न उजरत ले सकती है अगरचा निकाह में हो ।

मसअला :- बाप, माँ, दादा, दादी, नाना, नानी अगर तंगदस्त हों तो उनका नफ़क़ा वाजिब है अगरचा कमाने पर क़ादिर हों, जबकि यह मालदार हो यानी मालिके नेसाब हो, अगरचा वह नेसाब नामी न हो, और अगर यह भी मोहताज हो तो बाप का नफ़क़ा उस पर वाजिब नहीं अलबत्ता अगर बाप अपाहिज या मफ़लूज है कि कमा नहीं सकता तो बेटे के साथ नफ़क़ा में शरीक है अगरचा बेटा फक़ीर हो और माँ का नफ़क़ा भी बेटे पर है अगरचा माँ अपाहिज न हो अगरचा बेटा फक़ीर हो यानी जबकि माँ बेवा हो और अगरमाँ ने निकाह कर लिया है तो उसका नफ़क़ा शौहर पर है । और अगर उसके बाप के निकाह में है और बाप माँ दोनों मोहताज हों तो दोनों का नफ़क़ा बेटे पर है । और बाप मोहताज न हो तो बाप पर है और बाप मोहताज और माँ मालदार तो माँ का नफ़क़ा अब भी बेटे पर नहीं बल्कि माँ अपने पास से खर्च करे और शौहर से वसूल कर सकती है । मसअला- बाप वगैरह का नफ़क़ा जैसे बेटे पर वाजिब है वैसे ही बेटी पर भी वाजिब है अगर बेटा, बेटी दोनों हों दोनों पर बराबर वाजिब है और अगर दो बेटे हों एक फ़क़त मालिके नेसाब है दूसरा बहुत मालदार है तो भी बाप का नफ़क़ा बराबर बराबर है ।

मसअला :- बाप और औलाद के नफ़क़ा में क़राबत व जुज़ियत का एतबार है वरासत का नहीं जैसे बेटा है और पोता तो नफ़क़ा बेटे पर वाजिब है पोते पर नहीं यूँ ही बेटी है और पोता तो बेटी पर है पोते पर नहीं, और पोता है और नवासी या नवासा तो दोनों पर बराबर है और बेटी है और बहन या भाई तो बेटी पर है और नवासा, नवासी है और भाई है तो इन पर है भाई पर नहीं और बाप या माँ है और बेटा है तो बेटे पर है और दादा है और पोता तो तिहाइ दादा पर है और बाकी पोते पर और बाप है और नवासी, नवासा तो बाप पर है ।

मस्अला :- बाप तंगदस्त है और उसके छोटे-छोटे बच्चे हैं और यह बच्चे मोहताज हैं और बड़ा बेटा मालदार है तोबाप का और बाप की सब औलाद का नफ़क़ा उस बेटे पर वाजिब है ।

मस्अला :- तालिब इल्म अगरचा तन्दुरूस्त है कमाने के लायक है मगर इल्मदीन सीखने में लगा है तो उसका नफ़क़ा रिश्तेदारों पर फर्ज है ।

मस्अला :- करीबी रिश्तादार गायब है और दूर वाला मौजूद है तो नफ़क़ा उसी दुर के रिश्तेदार पर है मस्अला- औरत का शौहर तंग दस्त है और भाई मालदार है तो भाई को खर्च करने का हुक्म दिया जायेगा । फिर जब शौहर के पास माल हो जाये तो भाई वापस ले सकता है ।

मस्अला :- अगर रिश्तादार महरम न हो (जैसे चचाज़ाद भाई) या महरम हो मगर रिश्तादार न हो (जैसे रज़ाई भाई बहन) या रिश्तादार महरम हो मगर हुरमत कराबत की न हो (जैसे वह चचाज़ाद भाई जो रज़ाई भाई भी हो) तो इन सूरतों में नफ़क़ा वाजिब नहीं ।

मस्अला :- लौन्डी गुलाम का नफ़क़ा आक़ा पर है और आक़ा अगर नफ़क़ा देने से इंकार करे तो मजदूरी वगैरह करके अपने नफ़क़ा में खर्च करें और कमी पड़े तो अपने मौला से लें, बच रहे तो मौला को दें ।

मस्अला :- जानवर पाला और उन्हें चारा नहीं देता तो दयानतन हुक्म दिया जायेगा कि चारा वगैरह दे या बेच डाले और अगर मुश्तरक है और एक शरीक चारा देने से इंकार करता है तो क़ज़ाअन भी हुक्म दिया जायेगा कि चारा दे या बेच डाले ।

मस्अला :- जानवर पर बोझ लादने और सवारी लेने में ख्याल करना चाहिए कि उसकी ताकत से ज्यादा न हो ।

मस्अला :- बाग और खेती और मकान में अगर खर्च करने की जरूरत हो तो खर्च करे और खर्च न करके बरबाद न करे कि माल ज़ाया करना मना है ।

किताबुल बुयूअ यानी खरीद व फरोख़्त का बयान

इंसान मदनिउत्तबा है । मिलजुल कर रहने का आदी है और अपनी जरूरतों में दूसरे आदमियों का भी मोहताज है । क्योंकि आदमी कि हाजतें इतनी ज्यादा है कि उन सब को अकेला पूरा नहीं कर सकता । इसी हिकमत से अल्लाह ताला ने कुछ लोगों में एक खास काम की काबिलियत और दिलचस्पी पैदा फरमाइ और दूसरे चन्द आदमियों में दूसरे काम की लेआक़त और शौक वदीअत फर्माया ताकि आपस की इमदाद से हर शख़्स अपनी जिन्दगी को आसानी से गुजार सके और इंसानियत की तकमील में सहूलत हो । किसी को तेजारत से दिलचस्पी है किसी को ज़राअत से किसी को हर्ब (जंग) व स्यासत से तो किसी को इल्म व हिकमत से हर एक दूसरे के हुनर से फ़ायदा उठाता है बल्कि अपनी जरूरियात पूरी करता है । और इसी से लेन देन खरीद व फरोख्त का सिलसिला भी शुरू हुआ, और हर तरह के मामलात वजूद में आये । इस्लाम चूँकि एक मोकम्मल दीन है जिन्दगी के हर शोबे हर अमल पर इसका हुक्म जारी है । हर तरकत व सुकून के लिए इस्लामी कानून में एक हुक्म है कि आया यह दुरूस्त है या ना दुरूस्त इंसान को इसके करने की इजाजत है या नहीं, इसलिए इस्लाम जहाँ अकायदे हक्का व नज़रियाते सहीहा की तालीम देता है क़वानीन, एखलाक़, व आदात सिखाता है ताआत व इबादात के तरीके बताता है वहां कारोबार मआशरत व मआमलात के मुतल्लिक भी पूरी रहनुमाई करता है ताकि जिन्दगी का कोई गोशा तश्नए तकमील न रहे और मुसलमान किसी अमल में इस्लाम के सिवा दूसरे का मोहताज न हो । अक़ाएद व इबादात वगैरह तमाम बातों में जिस तरह बाज सूरतें जाएज़ और बाज नाजायज़ है उसी तरह लेन देन कारोबार की भी बाज सूरतें जायज़ हैं और बाज ना जायज तो जब तक जायज़ व नाजायज़ में इमतियाज न हो हलाल क्यों कर हासिल हो और हराम से कैसे बचें, हांलाकि नाजायज़ माल लेने और हराम खाने की कुरान व हदीस में सख़्त मुमानियत आई अल्लाह ताला फ़रमाता है । आपस में एक दूसरे का माल नाहक मत खाओ हाँ अगर बाहमी रज़ामन्दी[1] से तेजारत हो तो हरज नहीं, और फ़रमाता है अल्लाह ने जो तुम्हें रोज़ी दी उस में हलाल तैय्यब को खाओ और अल्लाह से डरो जिस पर तुम ईमान लाये हो । जनाब रसूलअल्लाह सल्लाहो अलैहेवसल्लम फ़रमाते हैं जो बन्दा हराम माल हासिल करता है और अगर उसको सदका करे तो कुबूल न हो और खर्च करे तो उसके लिए उसमें बरकत नहीं और अपने बाद छोड़ मरे तो जहन्नुम में जाने का सामान है । और फ़रमाते है हलालकमाई की तलाश भी फ़रायज के बाद एक फ़रीज़ा

१. रजामन्दी के साथ तेजारत जब ही जायज़ होगी जबकि शरई कायदों के म्वाफ़िक़ हो नहीं तो बेकायदा तेजारत से जो माल हासिल किया जाये वह हराम ही होगा अगरचा रज़ामन्दी से ही ।

है । माल हासिल करने के जरियों में से सबसे बड़ा जरिया जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है और गालेबन जिससे रोजाना काम पड़ता है वह खरीद फरोख्त है । क़बल इसके कि हम खरीद व फरोख्त के मसायल बयान करें कसाब व तेजारत की फजीलत के बारे में चन्द हदीसों के मजमून लिखते हैं । हजरत रसूलुल्लाह सल्लाहो अलैहेव सल्लम ने फ़रमाया— उस खाने से बेहतर कोई खाना नहीं जिसको किसी ने अपने हाथों से काम करके हासिल किया हो । और बेशक अल्लाह के नबी दाऊद अलेहिस्सलाम अपनी दस्तकारी से खाते थे । और फ़रमाया अल्लाह ताला बन्दऐ मोमिन पेशा करने वाले को दोस्त रखता है । एक बार आप सेअर्ज़ किया गयाकि या रसूल्लाह कौन सा कसाब ज्यादा पाकिजा है तो आपने फ़रमाया कि आदमी का अपने हाथ से काम करना और अच्छी बै[1] । एक हदीस मे आया कि ताजिर रास्तगो, अमानतदार, नबियों और सिद्दीकों और शहीदों के साथ होगा । एक और हदीस में आया कि ताजिर लोग क़यामत के दिन बदकार उठाये जायेग[2] सिवाऐ उस ताजिर के जो मुत्तकी हो और लोगों के साथ एहसान करे और सच बोले । ओलमा फ़रमाते हैं जब तक खरीद व फ़रोख्त के मसाएल मालूम न हो कि कौन सी बै जायज़ है और कौन सी नाजायज़ उस वक्त तक तेजारत न करें ।

मस्अला :- शरअ में बै के माना है एक खास तरीका पर माल को माल से आपस में तबादला करना, बैय कभी कौल से होती है और कभी फ़ेल से जो बैय क़ौल से होती है उसके अरकान ईजाब व कुबूल है (जैसे एक ने कहा मैंने बेचा दूसरे ने कहा मैंने खरीदा) और जो बैय फ़ेएल से हो उसमें चीज का ले लेना और दे देना उसके अरकान हैं । और यह लेना देना ईजाब व कुबूल के कायम मुकाम है (जैसे तरकारी वगैरह की गठियाँ बनाकर अक्सर बेचने वाले रख देते है और जाहिर कर देते हैं कि पैसे पैसे की गड्डी है, खरीदार आता है एक पैसा डाल देता है और एक गड्डि उठा लेता है, तरफैन बाहम कोई बात नहीं करते, मगर दोनों के फेल ईजाब व कुबूल के कायम मुकाम शुमार होते है) और इस तरह कि बैय को बैय तआती कहते हैं, बैय के तरफैन में से एक को बाये दूसरे को मुशतरी कहते हैं ।

मस्अला :- बैय के लिए चन्द शर्तें हैं— " बाऐ और मुशतरी का आकिल होना (यानी मजनून या बिलकुल ना समझ बच्चे की बैय सही नहीं)[2] आकिद

---

1 अच्छी बैय से मुराद यह है कि जिसमें खयानत और धोखा न हो या वह बैय फ़ासिद न हो ।

2 हुजूर अलैहिस्सलाम ने ताजिरों को बदकार इसलिए फ़रमाया कि अक्सर ताजिर लेन देन में शरई हदों का ख्याल नहीं रखते, ग्राहकों को धोखा देते झूठ बोलते और हरजा व बेजा तरकीब से नफ़ा हासिल करने की कोशिश करते हैं । वरना तेजारत बहुत अच्छा काम है जबकि सचाई ईमानदारी और शरई क़ायदों के साथ हो, ताजिरों की इन्हीं बद उन वानियों की वजह से बाजार को सबसे बुरी जगह फ़रमाया और बेजरूरत बाजार जाने को बुरा बताया, और फ़रमाया जो बाजार में दाखिल होते वक्त यह दुआ पढ़ेगा अल्लाह उसके लिए एक लाख नेकी लिखेगा और एक लाख गुनाह मिटाएगा, एक लाख दर्जा बुलन्द फ़रमाएगा, उसके लिए एक घर जन्नत में

का मुतअद्दिद होना यानी एक ही शख़्स बाऐ और मुशतरी दोनों हो यह नहीं हो सकता मगर बाप या वसी कि नाबालिग बच्चा के माल को बै करें और खुद ही खरीदें या अपना माल उनसे बैय करें या क़ाज़ी कि एक यतीम के माल को दुसरे यतीम के लिए बै करे तो अगरचा इन सूरतों में एक ही शख़्स बाऐ व मुशतरी दोनों है मगर बैय जायज़ है बशर्ते कि वसी की बैय में यतीम का खुला हुआ नफ़ा हो यूं ही एक ही शख़्स दोनों तरफ से क़ासिद हो तो उस सूरत में भी बैय जायज़ है ।३ ईजाब व कुबूल में मोवाफ़क़त होना (यानी जिस चीज़ का ईजाब है उसी के साथ कुबूल हो अगर कुबूल किसी दूसरी चीज़ को किया या जिसका ईजाब था उसके एक जुज़ को कुबूल किया या कुबूल में समन दूसरा जिक्र किया या ईजाब के जुज समन के साथ कुबूल किया तो इन सब सूरतों में बैय सही नहीं । हाँ अगर मुशतरी ने ईजाब किया और बाये ने उससे कम समन के साथ कुबूल किया तो बैय सही है)४ ईजाब व कुबूल का एक मजलिस में होना ।५ हर एक का दूसरे के कलाम को सुनना (मुश्तरी ने कहा मैंने खरीदा मगर बाए ने नहीं सुना तो बैय नहीं हुई । और अगर मजलिस वालों ने मुश्तरी का कलाम सुन लिया है और बाये कहता है मैने नहीं सुना है तो क़ज़ाअन बाए का कौल ना मोतबर है ।६ मबीय का मौजूद होना, माल मुतक़व्वम होना, ममलूक होना, मक़दूरूत्तसलीम होना, ज़रूरी है । और अगर बाये उस चीज को अपने लिए बेचता हो तो उस चीज का बाये की मिल्क में होना जरूरी है, जो चीज मौजूद ही न हो बल्कि मौजूद न होने का अन्देशा हो उसकी बैय नहीं हो सकती (जैसे हमल की बैय या थन में दूध की बैय जो थन में है नाजायज है कि हो सकता है कि जानवर का पेट फूला हो, और उसमें बच्चा न हो और थन में दूध न हो) फल नुमुदार होने से पहले बेच नहीं सकते । यूँ ही खून और मुरदार की बैय नहीं हो सकती कि यह माल नहीं और मुसलमान के हक में शराब व खिनज़ीर की बैय नहीं हो सकती कि यह माल मुतक़व्विम नहीं ज़मीन में जो घास लगी हुई है उसकी बैय नहीं हो सकती चाहे वह ज़मीन अपनी ही मिल्क हो, इसलिए कि यह घास ममलूक नहीं, यूँ ही नहर या कूएं का पानी, जंगल की लकड़ी और शिकार कि जब तक उनको कबज़ा में न किया जाये ममलूक नहीं ।७ बैय मोवक़्क़त न हो (अगर मोवक़्क़त है जैसे कहे इतने दिनों के लिए बेचा तो यह बैय सही नहीं)८ मबीय व समन दोनों इस तरह मालूम हों कि नेज़ाअ पैदा न हो सके (अगर मजहूल हों कि नेज़ाअ पैदा हो सकती है तो बैय सही नहीं है एक बकरी

---

१ माल वह है कि जिसकी तरफ़ तबियतें झुकें और जिसका वक़्त ज़रूरत के लिए उठा रखना मुमकिन हो, और मालियत साबित होती है, सब या बाज़ लोगों के तमौवल से और तक़व्वुम के लिए यह और एबाहते इन्तेफ़ाअ दोनों जरूरी हैं । लेहाज़ा जो मुबाह हो और उससे तमौवल न हो तो वह माल नहीं, जैसे एक दाना गेंहू । और जिससे तमौवल तो हो लेकिन उससे नफ़ा उठाना जायज़ न हो तो वह माल तो है लेकिन मुतक़व्वम नहीं, जैसे शराब और जिस चीज में यह दोनों न हो तो वह दोनों नहीं, न मुतक़व्वम न माल जैसे खून । मुतक़व्वम जिससे नफ़ा उठाना जायज़ हो । मक़दूरूत्तसलीम — जो सुपुर्द की जा सके । बैय— बेचना, लेना । बाऐ— बेचने वाला ।मुश्तरी- खरीदने वाला । मबीय— जो चीज़ बेची जाये ।)

बेची या यह कहा इस चीज़ को वाजबी दाम पर बेचा या उस कीमत पर बेचा जो फंला शख्स कहे)

मस्अला :- बय का हुक्म यह है कि मुश्तरी मबीय का मालिक हो जाये और बाये समन का मालिक हो जाये, जिसका नतीजा यह होगा कि बाए पर वाजिब हो जायेगा कि मबीय को मुश्तरी के हवाले कर दे, और मुश्तरी पर यह वाजिब हो जायेगा कि बाये को समन दे दे, यह उस वक्त है कि बैय बात (कत्ई) हो और अगर बैय मौकूफ़ है कि दूसरे कि इजाज़त पर मौकूफ़ है तो मिल्क का सुबूत उस वक्त होगा जब इजाज़त हो जाये ।

मस्अला :- ऐसे दो लफ्ज़ जो तमलीक और तमललुक का एफ़ादा करते हों (यानी जिनका यह मतलब हो कि चीज़ का मालिक दूसरे को कर दिया या दूसरे की चीज़ का मालिक हो गया) इन दो लफ्ज़ो को ईजाब व कुबूल कहते हैं इनमें से पहले कलाम को ईजाब कहते हैं और उसके मुकाबिल में बाद वाले कलाम को कुबूल कहते हैं, जैसे बाऐ ने कहा मैंने यह चीज़ इतने दाम में बेची, उस पर मुश्तरी ने कहा मैंने खरीदी, तो बाए का कलाम ईजाब है और मुश्तरी का कलाम कुबूल है । और अगर मुश्तरी पहले कहता है कि मैंने यह चीज इतने में खरीदी तो यह ईजाब होता और बाऐ का लफ्ज़ कुबूल कहलाता ।

मस्अला :- ईजाब व कुबूल दोनों लफ्ज़ माज़ी से होना चाहिए (खरीदा-बेचा) या दोनों हाल से (बेचता हूँ खरीदताहूँ) या एक माज़ी से दूसरा हाल से (जैसे एक ने कहा बेचता हूँ दूसरे ने कहा खरीदा) अगर किसी एक का लफ्ज़ भी मुस्तकबिल होगा तो बैय न होगी (जैसे खरीदूँगा-बेचूँगा)

मस्अला :- बाऐ ने कहा मैंने यह चीज़ बेची, उस पर मुश्तरी ने कहा हाँ तो बय न हुई और अगर मुश्तरी ईजाब करता और बाये जवाब में हाँ कहता तो सही हो जाती । इस्तेफ़हाम के जवाब में हाँ कहा तो बय न होगी मगर जबकि मुश्तरी उसी वक्त समन अदा कर दें कि यह समन अदा करना कुबूल है जैसे कहा क्या तुमने यह चीज मेरे हाथ इतने में बेची, उसने कहा हाँ मुश्तरी ने समन दे दिया तो बय हो गई ।

मस्अला :- मैंने अपना घोड़ा तुम्हारे घोड़े से बदला, दूसरे ने कहा मैंने भी तो बय हो गयी । बाऐ ने कहा यह चीज़ तुम पर एक हजार की है मुश्तरी ने कहा मैंने कुबूल किया तो बय हो गई ।

मस्अला :- एक शख्स ने कहा यह चीज़ तुम्हारे लिए एक हजार की है अगर तुमको पसन्द हो दूसरे ने कहा मुझे पसन्द है तो बय हो गयी । यूं ही अगर यह कहा कि अगर तुमको मोवाफ़िक आये, या तुम ऐरादा करो या तुम्हें इसकी ख्वाहिश हो उसने जवाब में कहा कि मुझे मोवाफिक है या मैंने एरादा किया या मुझे इसकी ख्वाहिश है तो इन लफ्जों से भी बय हो जायेगी ।

मस्अला :- एक शख्स ने कहा यह सामान ले जाओ और इसके बारे में आज सोच लो अगर तुमको पसन्द हो तो एक हजार को है दूसरा उसे ले गया बय जायज़ हो गई ।

मस्अला :- बाये ने कहा इसको मैंने तेरे हाथ बेचा, मुश्तरी ने उसको खाना शुरू कर दिया या जानवर था उस पर सवार हो गया कपड़ा था उसे पहन लिया तो बय हो गयी यानी यह तसरूफात कुबूल के कायम मोक़ाम हैं । यूँ ही एक शख्स ने दूसरे से कहा इस चीज़ को खा लो और इसके बदले में मेरा एक रुपया तुम पर लाजिम होगा, उसने खा लिया तो बय दुरूस्त हो गई और खाना हलाल हो गया ।

मस्अला :- जिस मजलिस में ईजाब हुआ अगर कुबूल करने वाला उस मजलिस से गायब हो तो ईजाब बिलकुल बातिल हो जाता है, यह नहीं हो सकता कि उसके कुबूल करने पर मौकूफ़ हो कि उसे खबर पहुँचे और कुबूल करे तो बय दुरूस्त हो जाये हाँ अगर कुबूल करने वाले के पास ईजाब के अल्फाज लिख कर भेजें हैं तो जिस मजलिस में तहरीर पहुँची उसी मजलिस में कुबुल किया तो बैय सही है अगर उस मजलिस में कुबूल न किया तो फिर कुबूल नहीं कर सकता, यूँ ही अगर ईजाब में अल्फाज किसी क़ासिद के हाथ कहलाकर भेजे तो जिस मजलिस में क़ासिद उसे खबर पहुँचायेगा उसी मजलिस में कुबूल कर सकता है इसकी सूरत यह है कि बाए ने एक शख्स से यह कहा कि मैंने यह चीज़ फ़ँला शख्स के हाथ में बेची ऐ शख्स तू उसके पास जाकर यह खबर पहुँचा दे अगर गायब की तरफ से किसी और शख्स ने जो मजलिस में मौजूद है उसने कुबूल कर लिया तो ईजाब बातिल न हुआ बल्कि यह बय उस गायब की इजाजत पर मौकूफ़ है अगर एक शख्स को उसने खबर पहुँचाने पर मामूर किया था मगर दूसरे ने खबर पहुँचा दी और उसने कुबूल कर लिया तो बय सही हो गई, जिस तरह ईजाब तहरीरी होता है कुबूल भी तहरीरी हो सकता है । जैसे एक ने दूसरे के पास ईजाब लिखकर भेजा दूसरे ने कुबूल को लिखकर भेज दिया तो बय हो जाएगी लेकिन यह जरूर है कि जिस मजलिस में ईजाब की तहरीर मौसूल हुई है कुबूल की तहरीर उसी मजलिस में लिखी जाये वरना ईजाब बातिल हो जायेगा ।

मस्अला :- आकेदैन में से जब एक ने ईजाब किया तो दूसरे को अख्तियार है कि उसी मजलिस में कुबूल करे या रद कर दे इसका नाम ख्यारे कुबूल है ख्यारे कुबूल में वरासत नहीं जारी होती, जैसे यह मर जाये तो इसके वारिस को कुबूल करने का हक हासिल न होगा ।

मस्अला :- ख्यारे कुबूल आखिरे मजलिस तक रहता है मजलिस बदल जाने के बाद जाता रहता है, यह भी जरूरी है कि ईजाब करने वाला जिन्दा हो यानी अगर ईजाब के बाद कुबूल से पहले मर गया तो अब कुबूल करने का हक न रहा क्योंकि ईजाब ही बातिल हो गया कुबूल किस चीज़ को करेगा ।

मस्अला :- दोनों में से कोई उस मजलिस से उठ जाये या बैय के अलावा किसी और बात में मशगूल हो जाये तो ईजाब बातिल हो जाता है ! कुबूल करने से पहले ईजाब करने वाले को अख़्तियार है कि ईजाब को वापस कर लें, कुबूल के बाद वापस नहीं ले सकता कि दूसरे का हक्क मोताल्लिक़ हो चुका अब वापस लेने में इसका इबताल होता है ।

मस्अला :- जब ईजाब व कुबूल दोनों हो चुके तो बय तमाम और लाजिम हो गयी, अब किसी को दूसरे की रजामन्दी के बगैर रद कर देने का अख़्तियार न रहा अलबत्ता अगर मबीय में ऐब हो या मबीय को मुश्तरी ने नहीं देखा है तो ख्यारे ऐब ख्यारे रूयत हासिल होता है ।

मस्अला :- एक बोझ एक रूपये में खरीदा फिर बाए से यह कहा कि इसी दाम का एक बोझ यहाँ और लाकर डाल दो उसने लाकर डाल दिया तो उस दूसरे बोझ की भी बैय हो गई अब मुश्तरी लेने से इन्कार नहीं कर सकता ।

मस्अला :- दुकानदारों के यहाँ से खर्च के लिए चीजें मंगा ली जाती हैं और खर्च कर डालने के बाद समन का हिसाब होता है ऐसा करना जायज़ है।

मस्अला :- अक़्दे बय में जो चीज़ मोअइयन होती है (कि जिसको देना है) उसी का देना वाजिब है, इस चीज को मबीय कहते हैं और जो चीज़ मोअइयन न हो वह समन है । चीजें तीन किस्म की होती है । एक वह जो हमेशा समन हो, दूसरी वह जो हमेशा मबीय हो । तीसरी वह जो कभी समन हो कभी मबीय । जो हमेशा समन है वह रुपया, अशरफी है इनके मोकाबिल में कोई चीज़ हो और उनको इस चीज से बेचना कहा जाये या उस चीज़ को इनसे बेचना कहा जाये हर हाल में यही समन है । पैसे भी समन हैं कि मोअइयन करने से मोअइयन नहीं होते मगर इनकी समनियत बातिल हो सकती है जो चीजें जवातुलक़ेयम से है और जो अददी मुतक़ाबित हैं वह हमेशा मबीय हुआ करती है । मगर कपड़े का थान जबकि उसका वस्फ बयान कर दिया जाये और उसके लिए मियाद मुकर्रर कर दी जाये तो यह भी समन बन सकता है इसके बदले में गुलाम वगैरह कोई मोअइयन चीज़ खरीद सकते हैं और जो चीजें कभी समन हो और कभी मबीय वह मकील और मौज़ून और अददी मुतकारिब हैं । इन चीजों को अगर समन के मुकाबिल में जिक्र किया तो मबीय है । और अगर इनके मोक़ाबिल इन्हीं जैसी चीजों को जिक्र किया यानी मकील व मौजून व अददी मुतकारिब को तो अगर दोनों जानिब की चीजें मोअइयन हों तो बय जायज़ है और दोनों चीजें मबीय करार पायेंगी और अगर एक जानिब मोअइयन हो औरदूसरी जानिब ग़ैर मोअइयन मगर इस ग़ैर मोअइयन का वस्फ़ बयान कर दिया है कि इस किस्म की होगी तो इस सूरत में अगर मोअइयन को मबीय और ग़ैर मोअइयन को समन करार दिया है तो बय जायज़ है लेकिन गैर मोअइयन को तफ़र्रुक से पहले क़ब्ज़ा करना जरूरी है और अगर

गैर मोअइयन को मबीय और मोअइयन को समन करार दिया है तो बय नाजायज होगी, इस सूरत में मबीय और समन ठहराने का यह मतलब है कि जिसको बेचनाकहा वह समन है और अगर दोनों (यानी मबीय व समन) गैर मोअइयन हों तो बय नाजायज होगी ।

मस्अला :- अगर मबीय मनकूलात के किस्म से है तो बाये का उस पर कब्जा होना जरूरी है कब्जा से पहले चीज़ बेच दी तो बैय नाजायज है ।

मस्अला :- मबीय और समन की मिकदार मालूम होना जरूरी है और समन का वस्फ भी मालूम होना जरूरी है हाँ अगर समन की तरफ़ इशारा कर दिया जाये (मसलन कहे इस रुपया के बदले खरीदा) तो न मिकदार के जिक्र की जरूरत न वस्फ के जिक्र की अलबत्ता अगर वह माल रिबवी है और मुकाबला जिन्स के साथ हो (मसलन कहे गेहूँ की इस ढ़ेरी को बदले में उस ढ़ेरी के बेचा) तो अगरचा यहाँ मबीय व समन दोनों की तरफ़ इशारा किया जा रहा है मगर फिर भी मिकदार का मालूम होना जरूरी है क्योंकि अगर दोनों मिकदारें बराबर न हों तो सूद हो जायेगा ।

मस्अला :- बय में कभी समन हाल होता है यानी फौरन देना और कभी मुवज्जल यानी अदा के लिए कोई मियाद मोअइयन बयान कर दी जाये (क्योंकि अगर मियाद मोअइयन न होगी तो झगड़ा होगा) असल यह है कि समन हाल हो, लेहाजा अक़्द में उसके कहने की जरूरत नहीं कि समन हाल है बल्कि अक्द में समन के बाबत अगर कुछ न कहा जब भी फ़ौरन देना वाजिब होगा, समन मुवज्जल के लिए यह जरूर है कि अक्द ही में मुवज्जल होना जिक्र किया जाये ।

मस्अला :- मियाद के बारे में एखतेलाफ़ हुआ, बाये कहता है मियाद थी ही नहीं, और मुश्तरी मियाद होना बताता है, तो गवाह मुश्तरी के मोतबर हैं और क़ौल बाए का मोतबर है, और अगर मियाद की मिक़दार में एखतेलाफ़ हुआ, एक कम बताता है और एक ज्यादा, तो उसकी बात मानी जाये जो कम बताता है, गवाह यहाँ भी मुश्तरी के मोतबर हैं, और अगर एक कहता है मियाद गुजार चुकी है और एक बताता है कि बाक़ी है तो क़ौल भी मुश्तरी ही का मोतबर है और अगर दोनों गवाह पेश करें तो गवाह भी मुश्तरी ही के मोतबर है ।

मस्अला :- मदयून के मरने से मियाद बातिल हो जाती है और दायेन के मरने से मियाद बातिल नहीं होती क्योंकि मियाद का फायदा यह होता है कि तेजारत वगैरह करके उस जमाना में दैन की मिक़दार इकट्ठा करेगा और अदा कर देगा और जब मदयून खुद ही न रहा तो मियाद होना बेकार है बल्कि

(तफ़रीक— अलग होना, मज़रूअ — वह चीज जो नपने से बिकती है । मौजू— वह चीज जो तौल से बिकती हो । अ़ददी— जो चीज गिनती से बिकती है । मुतक़ारिब -- ऐसी चीजें जिन में आपस में बहुत कम फर्क हो ।)

जो कुछ तरका है वह दैन अदा करने के लिए मुतअइयन है, लेहाजा बय मुवज्ज़ल में बाऐं के मरने से अजल (मुद्दत) बातिल न होगी ।

मस्अला :- किसी जगह मुखतलिफ़ किस्म के रुपये चलते हों और आकिद ने मुतलक रुपया कहा तो वह रुपया मुराद लिया जायेगा जो उस शहर में ज्यादा चलताहै यानी जिसका रेवाज़ ज्यादा है चाहे उन सिक्के की मालियत मुखतलिफ हो या एक हो, और अगर एक ही किस्म का रुपया चलता है जब तो वही देना होगा । और अगर चलन एकसां है किसी का कम किसी का ज्यादा नहीं और मालियत बराबर है तो बय सही है और मुश्तरी को अख्तियार है कि जैसा चाहे दे (जैसे एक रुपया की कोई चीज़ खरीदी तो एक रुपया या दो अठन्नियां या चार चवन्नियां या आठ दुअन्नयां जो चाहे दे दें) और अगर मालियत में एखतेलाफ़ है जैसे हैदराबादी रुपये, और चेहरेदार कि दानों कि मालियत में एखतेलाफ़ रहता है अगर किसी जगह दोनों का यकसां चलन है तो बय फासिद हो जायेगी ।

मस्अला :- गेहूँ और जौ और हर किस्म के गल्ला की बय तौल से भी हो सकती है और नाप से भी (जैसे कहें एक रुपये का इतने सेर) और अटकल और तखमीना से भी खरीदे जा सकते हैं (मसलन कहें यह ढेरी एक रुपये को) चाहे यह मालूम नहीं कि इस ढेरी में कितने सेर हैं मगर तखमीना से उसी वक्त खरीदे जा सकते हैं जबकि गैर जिन्स के साथ बय हो (मसलन रुपये से हो या गेहूँ, जौ से या किसी दूसरे गल्ला से) और अगर उसी जिन्स से बय करें (मस्लन गेहूँ को गेहूँ से खरीदें) तो तखमीना से बय नहीं हो सकती क्योंकि अगर कम व बेश हुए तो सूद हो जायेगा ।

मस्अला :- जिन्स के साथ तखमिना से बय की गई मगर निस्फ साअ से कम की कमी, बेशी है तो बय जायज़ है कि निस्फ साअ से कम से सूद नहीं होता ।

मस्अला :- गल्ला की एक ढेरी इस तरह बेची कि उसमें का हर एक साअ एक रुपये को, तो इस सूरत में सिर्फ एक साअ की बय दुरुस्त होगी और इसमें मुश्तरी को अख्तियार होगा कि ले या न ले हाँ अगर उसी मजलिस में सारी ढेर नाप दी या बाऐ ने ज़ाहिर कर दिया और बता दिया कि इस ढेरी में इतने साअ हैं तो पूरी ढेरी की बय दुरुस्त हो जायेगी, और अगर अक्द से पहले या अक्द में साअ की गिनती बता दी है तो मुश्तरी को अख्तियार नहीं और अगर बाद में बताई तो अख्तियार है । यह कौल हज़रत इमामे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का है और साहेबैन का कौल यह है कि मजलिस के बाद भी अगर साअ की तादाद मालूम हो गयी तो बय सही है और इसी कौल साहेबैन पर आसानी के लिए फतवा दिया जाता है ।

मस्अला :- बकरियों का गल्ला खरीदा कि हर बकरी एक रुपये का या कपड़े का थान खरीदा कि हर एक गज एक रुपया को या इसी तरह कोई

और अदादी मतफ़ावित खरीदा और मालूम नहीं कि गल्ला में कितनी बकरियाँ है और थान में कितना गज कपड़ा है लेकिन बाद में मालूम हो गया तो बय जायेज़ है ।

मसूअला :- ग़ल्ला की ढेरी खरीदी कि मस्लन यह सौमन है और इसकी कीमत सौ रुपया है बाद में इसे तौला अगर पूरा सौ मन है तब तो बिल्कुल ठीक है और अगर सौ मन से ज्यादा है जितना ज्यादा है वह बाये का है और अगर सौ मन से कम है तो मुश्तरी को अख्तेयार है कि जितना कम है उसकी कीमत कम करके बाकी ले ले या कुछ न ले, यही हुक्म हर चीज का है जो नाप और तौल से बिकती है, अलबत्ता अगर वह इस किस्म की चीज है जिसके टुकड़े करने में नुकसान होता है और जो वजन बताया था उससे ज्यादा निकली तो कुल मुश्तरी ही को मिलेगी और ज्यादती के मोकाबिल में मुश्तरी को कुछ देना नहीं पड़ेगा (इसलिए कि वजन ऐसी चीजों में वस्फ़ है और वस्फ़ के मोकाबिल में समन का हिस्सा नहीं होता जैसे एक मोती या हीरा खरीदा कि यह एक माशा है और वह निकला एक माशा से कुछ ज्यादा तो जो समन मुकर्रर हुआ है वह देकर मुश्तरी ले लें)

मसूअला :- थान खरीदा कि यह दस गज़ है और इसकी कीमत दस रुपया है तो अगर यह थान इससे कम निकला जितना बाऐ ने बताया तो मुश्तरी को अख्तियार है कि पूरे दाम में ले या बिल्कुल न लें । यह नहीँ हो सकता कि जितना कम है उसकी कीमत कम दी जाये और अगर थान उससे ज्यादा निकला जितना बताया है तो यह ज्यादती बिला कीमत मुश्तरी की है बाऐ को कुछ अख्तियार नहीं न वह ज्यादा को ले सकता है न उस जायद की कीमत ले सकता है न बय को फ़स्ख कर सकता है यूँ ही अगर ज़मीन खरीदी कि यह सौ गज है और इसकी कीमत सौ रुपया है और वह कम या ज्यादा निकली तो बय सही है और सौ रुपये ही देने होगें, मगर कमी की सूरत में मुश्तरी को अख्तियार हासिल है कि ले या छोड़ दें ।

मसूअला : यह कहकर थान खरीदा कि दस गज का है दस रुपया में और यह भी कह दिया कि रूपये गज है, अब कम निकला इसकी कीमत कम कर दें लेकिन मुश्तरी को अख्तियार भी है कि न लें और अगर ज्यादा निकला मस्लन ग्यारह या बारह गज़ निकला तो उस ज्यादा का रुपया मुश्तरी . या बय को फस्ख कर दें, लेकिन यह हुक्म उस थान का है जो पूरा .क तरह का नहीं होता जैसे चिकन, गुलबदन और अगर एक तरह का हो तो यह भी हो सकता है कि बाऐ उस ज्यादा को फाड़ कर दस गज मुश्तरी को दे दें ।

मसूअला :- किसी मकान या हमाम के सौ गज में से दस गज खरीदा तो बय फासिद है । लेकिन अगर यूँ कहता कि सौ हिस्सों में दस हिस्से खरीदें तो बय सही होती । और पहली सूरत में अगर उसी मजलिस में वह दस

गज जमीन मोअइयन कर दी जाये कि मस्लन यह दस गज़ तो बय सही हो जायेगी ।

मस्अला :- कपड़े की एक गठरी खरीदी इस शर्त पर कि इसमें दस थान है मगर निकले नौ थान या ग्यारह थान तो बय फ़ासिद हो गई (इसलिए कि कमी की सूरत में समन मजहूल हो गया और ज्यादती की सूरत में मबीय मजहूल हो गयी) लेकिन अगर हर एक थान का समन बयान कर दिया था तो कमी की सूरत में बय जायज होगी कि नौ थान की कीमत देकर ले ले मगर मुश्तरी को अख्तियार भी होगा कि फस्ख कर दें और अगर ग्यारह थान निकले तो मबीय नाजायज़ है (इसलिए कि मबीय मजहूल है कौन सा एक थान कम किया जाये)

मस्अला :- थान खरीदा है कि दस गज़ है फी गज़ एक रुपया, वह थान साढ़े दस गज़ निकला, तो दस रुपये में लेना पड़ेगा, और अगर साढ़े नौ गज़ निकला तो मुश्तरी को अख्तियार है कि नौ रुपये में ले या न ले ।

मस्अला :- कोई मकान खरीदा तो जितने कमरे, कोठरियाँ हैं सब बय में दाखिल है । यूँ ही जो चीज़ मबीय के साथ मुत्तासिल हो उसका इतसाल, इतसाले करार हो, (यानी उसकी वजअ इसलिए नहीं है कि जुदा कर ली जाये) तो यह भी बय में दाखिल होगी मस्लन मकान का जीना या लकड़ी का जीना जो मकान के साथ मुत्तासिल हो केवाड़, चौखट और कुन्डी और वह कुफ़ल जो केवाड़ में मुत्तासिल होता है और उसकी कुंजी, दुकान के सामने जो तखते लगे होते हैं यह सब बय में दाखिल है । लेकिन वह कुफ़ल जो केवाड़ से मुत्तासिल नहीं बल्कि अलग रहता है जैसे आमतौर पर ताले होते हैं यह बय में दाखिल नहीं इसे बाऐ ले लेगा ।

मस्अला :- गाय या भैंस खरीदी तो उसका छोटा बच्चा जो दूध पीता है बय में दाखिल है चाहे जिक्र न किया हो, और गदही खरीदा तो उसका दूध पीता बच्चा बय में दाखिल नहीं ।

मस्अला :- घोड़ा या ऊँट बेचा तो लगाम और नकेल बय में दाखिल है यानि अगर बय के वक्त उनको बेचना न जिक्र किया हो जब भी बाऐ को देना होगा, और जीन या काठी बय में दाखिल नहीं ।

मस्अला :- जमीन बेची तो उसमें छोटे बड़े फलदार और बेफल जितने दरख्त हैं सब बय में दाखिल है मगर सूखा दरख्त जो अभी तक जमीन से उखड़ा नहीं है वह बय में दाखिल नहीं कि यह गोया लकड़ी है जो जमीन पर रखी है लेहाज़ा आम वगैरह के छोटे पेड़ जो जमीन में होते हैं कि बरसात में यहाँ से खोद कर दूसरी जगह लगाये जाते हैं यह भी जमीन की बय में दाखिल हैं ।

मस्अला :- मछली खरीदी और उसके पेट में मोती निकला, अगर यह मोती सीप में है तो मुश्तरी का है और अगर बगैर सीप के खाली मोती है तो बाये ने अगर उस मछली का शिकार किया है तो बाये को वापस करे और बाये के पास यह मोती बतौर लुकता अमानत रहेगा, तशहीर करें अगर मालिक का पता न चले खैरात कर दें । और अगर मुर्गी के पेट में मोती मिला तो बाए को वापस करें ।

मस्अला :- जो चीज़ बय मे तबअन दाखिल होती है उसके मोकाबिल मे समन का कोई हिस्सा नहीं होता यानी अगर वह चीज ज़ाया हो जाये तो समन में कमी न होगी, मुश्तरी को पूरे समन के साथ लेना होगा ।

मस्अला :- ज़मीन बय की और उसमें खेती है तो ज़राअत बाये की है, अलबत्ता अगर मुश्तरी शर्त करे यानी मय ज़राअत के ले तो मुश्तरी की है इसी तरह अगर दरख्त बेचा जिसमें फल लगे हैं तो यह फल बाए के हैं मगर जब कि मुश्तरी अपने लिए शर्त कर ले तो मुश्तरी के हैं यूँ ही चमेली, गुलाब, जूही, वगैरह के दरख्त खरीदे तो फूल बाए के हैं मगर जबकि मुश्तरी शर्त कर ले तो उसी के हैं ।

मस्अला :- ज़राअत वाली ज़मीन या फल वाले दरख्त खरीदा तो बाए को यह हक नहीं कि जब तक चाहे जराअत और फल लगा रहने दे बल्कि बाए से कहा जायेगा कि जराअत काट लें, फल तोड़ लें, और जमीन, दरख्त मुश्तरी को सुपुर्द कर दें, क्योंकि अब वह मुश्तरी की मिल्क है और दूसरे की मिल्क मशगूल रखने का उसे हक नहीं, अलबत्ता अगर मुश्तरी ने समन अदा न किया हो तो बाऐं पर मबीय सुपुर्द करना वाजिब नहीं ।

मस्अला :- खेत की ज़मीन बय की, जिसमें जराअत है और बाए यह चाहता है कि जब तक ज़राअत तैयार न हो जाये खेत ही में रहे तैयार होने पर काटी जाये और इतने ज़माने तक की उजरत देने को कहता है अगर मुश्तरी राज़ी हो जाये तो ऐसा भी कर सकता है बगैर रज़ामन्दी नहीं कर सकता ।

मस्अला :- अगर काटने के लिए दरख्त खरीदा है तो उसके नीचे की ज़मीन बय में दाखिल नहीं और अगर बाकी रखने के लिए खरीदा है तो ज़मीन बय में दाखिल है और अगर बय के वक्त यह न ज़ाहिर किया कि काटने के लिए खरीदता है न यह कहा कि बाकी रखने के लिए खरीदता तो भी नीचे की ज़मीन बय में दाखिल हैं ।

नीचे की ज़मीन उतनी ही बय में दाखिल होगी जितनी तने की मोटाई है, पेड़ के कुल फैलाव मय शाखों या जाड़ों के मुराद नहीं । यहाँ तक कि बय के बाद दरख्त जितना या उससे ज़्यादा मोटा हो गया तो बाऐ को अख्तियार है कि दरख्त छील कर उतना ही कर दें जितना मोटा बय के वक्त था ।

मस्अला :- दरख़्त अगर काटने की गरज़ से खरीदा है तो मुश्तरी को हुक्म दिया जायेगा कि काट ले जाये, छोड़ रखने की इजाज़त नहीं, और अगर बाक़ी रखने के लिए खरीदा है तो काटने का हुक्म न दिया जाये, और काट भी ले तो उसकी जगह दूसरा दरख़्त लगा सकता है, बाए को रोकने का हक़ हासिल नहीं इसलिए कि जमीन का उतना हिस्सा इस सूरत में मुश्तरी का हो चुका ।

मस्अला :- ज़राअत तैयार होने से पहले बेच दी इस शर्त पर कि जब तक तैयार न होगी खेत में रहेगी, यह नाजायज़ है । यूँ ही खेत की जमीन बेच डाली और उसमें ज़राअत मौजूद है और शर्त यह की कि जब तक तैयार न होगी खेत मे रहेगी यह सूरत भी नाजायज़ है ।

मस्अला :- ज़मीन की बय की तो वह चीजें जो ज़मीन में बाकी रखने की गरज से है जैसे दरख़्त और मकानात यह बय में दाखिल हैं चाहे उनको बय में जिक्र न किया हो और यह भी न कहा हो कि जमीअ हुक़ूक़ व मराफ़िक के साथ खरीदता हूँ लेकिन अगर उस ज़मीन में सूखा हुआ दरख़्त है तो इस तरह की बय में दाखिल नहीं और जो चीजें बाकी रखने के लिए न हों, जैसे बांस, नरकुल, घास यह बय में दाखिल नहीं लेकिन अगर बय में इनका जिक्र कर दिया जाये तो यह भी दाखिल हो जायेगी ।

मस्अला :- बाग़ की बहार फल आने से पहले बेच दी, यह नाजायज़ है यूँ ही अगर कुछ फल आ चुके है कुछ बाकी है जब भी नाजायज़ है जबकि मौजूद और गैर मौजूद दोनों की बय मकसूद हो, और अगर फल सब आ चुके हैं तो यह बय दुरूस्त है मगर मुश्तरी को यह हुक्म होगा कि अभी फल तोड़ कर दरख़्त खाली कर दें और अगर यह शर्त है कि जब तक फल तैयार न होंगे दरख़्त पर रहेगें, तैयार हो जाने के बाद तोड़े जायेंगे तो यह शर्त फ़ासिद है और बय नाजायज़ है । और अगर फल आने के बाद बय हुई मगर अभी मुश्तरी का कब्जा न हुआ था कि और फल पैदा हो गये तो बय फासिद हो गयी इसलिए कि अब मबीअ और गैर मबीअ में इमतियाज बाकी न रहा और अगर कब्जा के बाद दूसरे फल पैदा हुए तो बय पर इसका कोई असर नहीं लेकिन चूँकि यह नये फल बाए के हैं और इमतियाज़ है नहीं लेहाज़ा बाए व मुश्तरी दोनों शरीक है रहा यह कि कितने फल बाए के हैं और कितने मुश्तरी के इसको हल्फ़ से मुश्तरी जो कह दे वह मान लिया जाये ।

मस्अला :- फल खरीदे न यह शर्त की कि अभी तोड़ लेगा और न यह कि पकने तक दरख़्त पर रहेंगे और बादे अक़्द बाए ने दरख़्त पर छोड़ने की इजाज़त दे दी तो यह जायज है और अब फलों में जो कुछ ज्यादती होगी वह मुश्तरी को हलाल है जबकि दरख़्त पर फल छोड़े रहने का उर्फ़ न हो क्योंकि अगर उर्फ़ हो चुका है जैसा कि इस ज़माना में उमूमन हिन्दुस्तान में यही होता है कि यहाँ शर्त न हो जब भी शर्त ही का हुक्म होगा और बय फासिद होगी अलबत्ता अगर तसरीह कर दी जाये कि फिलहाल तोड़ लेना होगा

और बाद में मुश्तरी के लिए बाए ने इजाज़त दे दी तो यह बय फ़ासिद न होगी और अगर बय में शर्त जिक्र न की और बाए ने दरख़्त पर रहने की इजाज़त भी न दी मगर मुश्तरी ने फल नहीं तोड़े तो अगर पहले की निस्बत से फल बड़े हो गये तो जो कुछ ज्यादती हुई उसे सदका करे यानी बय के दिन फलों की जो कीमत थी उस कीमत पर आज की कीमत में जो कुछ इज़ाफ़ा हुआ वह ख़ैरात कर दे (जैसे उस रोज दस रुपया कीमत थी और इनकी कीमत बारह रुपये है तो दो रुपये ख़ैरात कर दें) और अगर बय ही के दिन फल अपनी पूरी मिकदार को पहुँच चुके थे उनकी मिकदार इस जमाना में कुछ नहीं बढ़ी सिर्फ इतना हुआ कि उस वक्त पके हुए न थे अब पक गये तो इस सूरत में सदका करने की जरूरत नहीं अलबत्ता इतने दिनों बगैर इजाज़त उसके दरख़्त पर छोड़ रखने का गुनाह हुआ ।

मस्अला :- फल ख़रीदे और यह ख्याल है कि बय के बाद और फल पैदा हो जायेंगे या दरख़्त पर फल रहने से फल और बड़े हो जायेंगे, यह ज्यादती बिला इजाज़त बाऐ नाजायज होगी, लेकिन यह चाहता है कि किसी सूरत से जायज हो जाये तो इसका यह हीला हो सकता है कि मुश्तरी समन अदा करने के बाद बाऐ से बाग या दरख़्त बटाई पर ले लें अगरचा बाऐ का हिस्सा बहुत थोड़ा करार दें मसलन यह कि जो कुछ इसमें होगा इसमें नौ सौ निन्नानवे हिस्से मुश्तरी के और एक हिस्सा बाए का तो अब जो नये फल पैदा होंगे या जो कुछ ज्यादती होगी बाऐ का वह हजारवां हिस्सा देकर मुश्तरी के लिए जायज हो जायेगी । मगर यह हीला उसी वक्त हो सकता है कि दरख़्त या बाग न किसी यतीम का हो न वक्फ हो, और अगर बैगन, मिर्चा, खीरे, ककड़ी वगैरह खरीदे हों और उनके दरख़्तों या बेलों में आए दिन नये फल पैदा होंगे तो यह करे कि दरख़्त या बेलें भी मुश्तरी ख़रीद लें कि अब जो नये फल पैदा होंगे वह मुश्तरी के होंगे और अगर जराअत पकने से पहले ख़रीदी है तो यह करें कि जितने दिनों में वह तैयार होगी उसकी मुद्दत मुकर्रर करके जमीन एजारा पर ले लें ।

मस्अला :- जिस चीज़ पर मुस्तकिल्लन अक्द वारिद हो सकता है उसका अक्द से इस्तेसना सही है और अगर वह चीज़ ऐसी है कि तन्हा उसपर अक्द वारिद न हो तो इस्तेसना सही नहीं, यह एक कायदा है, इसकी मिसाल देखिए । जैसे— गल्ला की एक ढेरी है उसमें से दस सेर या कम व बेश ख़रीद सकते हैं, इसी तरह अलावा दस सेर के पूरी ढेरी भी ख़रीद सकते हैं बकरियों के रेवड़ में से एक बकरी ख़रीद सकते हैं इसी तरह एक मोअइयन बकरी को मुस्तसना करके सारा रेवड़ भी ख़रीद सकते हैं और गैर मोअइयन बकरी को न ख़रीद सकते हैं न उसका इस्तेसना कर सकते हैं । दरख़्त पर फल लगे हों उनमें से एक मादूद हिस्सा ख़रीद सकते हैं इसी तरह उस हिस्से का इस्तेसना भी हो सकता है, मगर यह जूरूर है कि जिसका इस्तेसना किया जाये वह इतना न हो कि उसके निकालने के बाद मबीय ही ख़त्म हो जाये, यानी यह

यकीनन मालूम हो कि इस्तेसना के बाद मबीय बाकी रहेगी और अगर शुबहा हो तो दुरूस्त नहीं, बाग खरीदा उसमें से एक मोअइयन दरख्त का इस्तेसना किया तो इस्तेसना सही है । बकरी को बेचा और उसके पेट में जो बच्चा है उसका इस्तेसना किया तो यह इस्तेसना सही नहीं, इसलिए कि उसको तन्हा खरीद नहीं सकते, जानवर के सिरी, पाये, दुम्बा की चकती का इस्तेसना नहीं किया जा सकता, न उसको तन्हा खरीदा जा सकता है, यानी जानवर के जुज़े मोअइयन का इस्तेसना नहीं हो सकता, और अगर ऐसा इस्तेसना किया तो बय फासिद है और जानवर के जुज शाये मस्लन निस्फ या चौथाई को भी खरीद सकते हैं और उसका इस्तेसना भी कर सकते हैं और इस सूरत में यह जानवर दोनों में मुश्तरक हो जायेगा ।

मस्अला :- मकान तोड़ने के लिए खरीदा तो इसकी लकड़ियों, या ईटों का इस्तेसना सही है ।

मस्अला :- मबीय के नाप, या तौल या गिनती की उजरत देनी पड़े तो बाए के जिम्मे होगी, इसलिए कि नापना, तौलना, गिनना बाऐ का काम है इसलिए कि मबीय की तसलीम इसी तरह होती है कि नाप, तौल कर बाऐ, मुश्तरी को देता है और अगर समन के तौलने या गिनने या परखने की उजरत देनी पड़े तो यह मुश्तरी के जिमें है इसलिए कि पूरा समन और खरे दाम देना मुश्तरी का काम है हाँ अगर बाऐ ने बगैर परखे हुए समन पर कब्जा कर लिया और कहता है कि रुपये अच्छे नहीं वापस करना चाहता है तो बगैर परखे कैसे कहा जा सकता है कि खोटे हैं वापस किये जायें इस सूरत में परखने की उजरत बाए को देनी होगी । दैन के रुपये परखने की उजरत मदयून के जिम्मा है ।

मस्अला :- दरख्त के कुल फल एक मोअइयन समन पर तखमीनन खरीद लिए । यूँ हि खेत में के लहसुन, प्याज तखमीने से खरीदा या कश्ती मे का सारा गल्ला वगैरह तखमीने से खरीदा तो फल तोड़ने लहसुन प्याज निकलवाने या कश्ती से मबीय बाहर लाने की उजरत मुश्तरी के ज़िम्मा है जबकि मुश्तरी से बाये ने कह दिया हो कि तुम फल तोड़ ले जाओ, यह चीजें निकलवा लो ।

मस्अला :- दलाल की उजरत यानी दलाली बाए के जिम्मा है जबकि दलाल ने सामान को मालिक की इजाजत से बय किया हो । और अगर दलाल ने तरफैन में बय की कोशिश की हो और बयन की बल्कि बय मालिक ने की तो जैसा वहाँ का उर्फ हो यानी इस सूरत में भी अगर उर्फन बाए के जिम्मा दलाली हो तो बाऐ दे और मुश्तरी के जिम्मा हो तो मुश्तरी दे और दोनों के जिम्मा हो तो दोनों दें ।

मस्अला :- रुपया, अशर्फ़ी, पैसा से बय हुई, और मबीय दर्र हाजिर है और समन फौरन देना है और मुश्तरी को ख्यारे शर्त नहीं है तो इस सूरत में

मुश्तरी को पहले समन अदा करना होगा, उसके बाद मबीय पर कब्जा कर सकता है यानी बाए को यह हक होगा कि समन वसूल करने के लिए मबीय को रोक ले और कब्जा न होने दे, बल्कि जब तक पूरा समन वसूल न किया हो मबीय को रोक सकता है और अगर मबीय वहाँ हाजिर नहीं तो बाये जब तक मबीय को हाजिर न कर दें समन का मुतालबा नहीं कर सकता । और अगर बय में दोनो तरफ सामान हो जैसे— किताब को कपड़े के बदले में खरीदा या दोनों तरफ़ समन हों जैसे रुपया या अशर्फी से सोना चाँदी खरीदा तो दोनों को उसी मजलिस में एक साथ अदा करना होगा ।

मस्‌अला :- मुश्तरी ने कोई ऐसा तसर्रुफ किया जिसके लिए कब्जा जरूरी नहीं है तो यह तसर्रुफ नाजायज़ है, और अगर ऐसा तसर्रुफ किया जिसके लिए कब्जा जूरूरी है तो यह जायज़ है, जैसे— मुश्तरी ने मबीय को हिबा किया और मौहूबलहू ने कब्जा कर लिया तो उसका कब्जा मुश्तरी के कब्जे के क़ायम मक़ाम है और अगर मबीय को मुश्तरी ने क़बले कब्जा बय कर दिया तो यह नाजायज़ है ।

मस्‌अला :- मुश्तरी ने मबीय किसी के पास अमानत रख दी या आरियत दे दी या बाए से कह दिया कि फलां के सुपुर्द कर दे उसने सुपुर्द कर दिया तो इन सब सूरतों में मुश्तरी का कब्जा हो गया, और अगर खुद बाये के पास अमानत रखी या आरियत दे दी या किराया पर दे दिया बाऐ को कुछ समन दे दिया और कह दिया कि बाकी समन के मुकाबला में मबीय को तेरे पास रेहन रखा तो इन सब सूरतों में कब्जा न हुआ ।

मस्‌अला :- तेल खरीदा और बाए को बोतल देकर कहा मेरे आदमी के हाथ मेरे यहाँ भेज देना, अब अगर रास्ता में बोतल टूट गई और तेल ज़ाया हो गया तो मुश्तरी का नुकसान हुआ, और अगर यह कहा था कि अपने आदमी के हाथ मेरे मकान पर भेज देना तो बाये का नुकसान हुआ ।

मस्‌अला :- कोई चीज़ खरीद कर बाये के यहाँ छोड़ दी और कह दिया कि कल ले जाऊँगा अगर नुकसान हुआ तो मेरा होगा, अब फर्ज करो कि वह चीज़ जानवर था जो रात में मर गया तो बाऐ का नुकसान हुआ और मुश्तरी का वह कहना बेकार है इसलिए कि जब तक मुश्तरी का कब्जा न हो मुश्तरी को नुकसान से ताल्लुक नहीं ।

मस्‌अला :- कोई चीज़ बेची जिसका समन अभी वसूल नहीं हुआ है और उसे किसी तीसरे शख़्स के पास रख दी कि मुश्तरी समन देकर चीज़ ले लेगा, और उस तीसरे के यहाँ चीज़ ज़ाया हो गयी तो नुकसान बाये का हुआ, और अगर उस तीसरे शख़्स ने थोड़ा समन वसूल करके वह चीज़ मुश्तरी को दे दी जिसकी बाये को खबर न हुई तो बाये वह चीज़ मुश्तरी से वापस ले सकता है ।

मस्अला :- कपड़ा खरीदा है जिसका समन अदा नहीं किया कि कब्जा करता उसने बाये से कहा किसी के यहाँ इसको रख दो मैं दाम देकर उससे ले लूँगा बाए ने रख दिया और वहाँ वह कपड़ा जाया हो गया तो नुकसान बाये का हुआ क्योंकि उस तीसरे शख़्स का कब्जा बाये के लिए है लेहाज़ा नुकसान भी बाये ही का हुआ ।

मस्अला :- मबीय अभी बाये ही के हाथ में थी कि मुश्तरी ने उसे हलाक कर दिया या उसमें ऐब पैदा कर दिया या बाऐ ने मुश्तरी के हुक्म से ऐब पैदा कर दिया, तो इस तरह मुश्तरी का कब्जा हो गया गेहूँ खरीदा और बाये से कहा इसे पीस दे उसने पीस दिया तो उससे मुश्तरी का कब्जा हो गया और आटा मुश्तरी का है । मुश्तरी ने कब्जा से पहले बाऐ से कह दिया कि मबीय फ़ँला शख़्स को हिबा कर दें उसने हिबा कर दिया और मोहूब लहू को कब्जा भी दिला दिया तो यह हिबा जायज़ और मुश्तरी का कब्जा हो गया । यूँ ही अगर बाये से कह दिया कि इसे किराये पर दे दे उसने दे दिया तो जायज़ है और मुस्ताजिर का कब्जा पहले मुश्तरी के लिए होगा फिर अपने लिए ।

मस्अला :- मुश्तरी ने बाये से मबीय में ऐसा काम करने को कहा जिससे मबीय में कोई कमी पैदा नहीं होती जैसे कोरा कपड़ा था उसने धुलवाया तो मुश्तरी का कब्जा न हुआ फिर अगर उजरत पर धुलवाया है तो उजरत मुश्तरी के जिम्मा है वरना नहीं और अगर वह ऐसा काम है जिससे कमी पैदा हो जाती है तो मुश्तरी का कब्जा हो गया ।

ख़यारे शर्त

बाये और मुश्तरी को यह हक हासिल है कि वह बय को कत्तई न करें बल्कि अक्द में यह शर्त कर दें कि अगर मंजूर न हुआ तो बय बाकी न रहेगी, इसे खयारे शर्त कहते हैं और इसकी जरूरत बाये व मुश्तरी को हुआ करती है क्योंकि कभी बाये अपनी नावक़फ़ी से कम दाम में चीज़ बेच देता है या मुश्तरी अपनी नादानी से ज्यादा दामों पर खरीद लेता है या चीज़ की उसे शिनाख्त नहीं है, जरूरत है कि दूसरे से मशवरा करके ठीक राय कायम करे । और अगर उस वक्त न खरीदे तो चीज़ जाती रहेगी या बाये को अन्देशा है कि ग्राहक हाथ से निकल जायेगा, ऐसी सूरत में शरअ ने दोनों को यह मौका दिया है कि गौर कर लें अगर मंजूर न हो तो खयार की बेना पर बय को ना मंजूर कर दें ।

मस्अला :- खयरे शर्त बाऐ और मुश्तरी दोनों अपने-अपने लिए करें या सिर्फ एक करे या किसी और के लिए इसकी शर्त करें सब सूरतें दुरूस्त हैं । और यह भी हो सकता है कि अक्द में खयारे शर्त का जिक्र न हो मगर अक्द

के बाद एक दूसरे को या हर एक दूसरे को या किसी गैर को खयार दे दें। अल्बत्ता अक्द से पहले खयारे शर्त नहीं हो सकता यानी अगर पहले खयार का जिक्र आया मगर अक्द में जिक्र न आया न बादे अक्द इसकी शर्त की (मसलन बय से पहले यह कहा कि जो बय तुमसे करूँगा उसमें मैंने तुमको खयार दिया, मगर अक्द के वक्त बय मुतलक वाका हुई) तो खयार हासिल न होगा ।

मस्अला :- अगर बाये व मुश्तरी में एखतेलाफ हो एक कहता है खयार शर्त था दूसरा कहता है नहीं था तो खयार के मुददई को गवाह पेश करना होगा, और अगर गवाह पेश न करे तो मुनकिर का कौल मोतबर होगा ।

मस्अला :- खयार की मुद्दत ज्यादा से ज्यादा तीन दिन है इससे कम हो सकती है ज्यादा नहीं अगर कोई ऐसी चीज खरीदी है जो जल्द खराब हो जाने वाली है और मुश्तरी को तीन दिन का खयार था तो मुश्तरी से कहा जायेगा बय को फस्ख कर दे या बय को जायज़ कर दे और खराब होने वाली चीज़ को किसी ने बिला खयार खरीदी और बगैर कब्जा किए और बगैर समन अदा किये चल दिया और गायब हो गया तो बाये उस चीज को दूसरे के हाथ बय कर सकता है ।

मस्अला :- अगर खयार की कोई मुद्दत जिक्र नहीं कि सिर्फ इतना कहा मुझे खयार है या मुद्दत मजहूल है मस्लन कहा मुझे दिन का खयार है या हमेशा के लिए खयार रखा तो इन सब सूरतों में खयार फासिद है । यह उस सूरत में है कि नफ्से अक्द में खयार मज़कूर हुआ और तीन दिन के अन्दर जायज कर दिया तो बय सही हो गयी और अगर अक्द में खयार न था बाद अक्द एक ने दूसरे से कहा तुम्हें अख्तियार है तो उस मजलिस तक खयार है मजलिस खत्म हो गयी और उसने कुछ न कहा तो खयार जाता रहा अब कुछ नहीं कर सकता ।

मस्अला :- तीन दिन से ज्यादा की मुद्दत मुकर्रर की, मगर अभी तीन दिन पूरे न हुए थे कि खयार वाले ने बय को जायज कर दिया तो अब यह बय दुरूस्त है और अगर तीन दिन पूरे हो गये और बय को जायज़ न किया तो बय फासिद हो गयी ।

मस्अला :- मुश्तरी ने बाये से कहा अगर तीन दिन तक समन अदा न करूँ तो मेरे और तेरे दरमियान बय नहीं यह भी खयार शर्त ही है यानी अगर उस मुद्दत तक समन अदा कर दिया तो बय दुरूस्त हो जायेगी, नहीं तो जाती रहेगी और अगर तीन दिन से ज्यादा मुद्दत जिक्र करके यही लफ्ज कहे और तीन दिन के अन्दर समन अदा कर दिया तो बय सही हो गयी, और तीन दिन पूरे हो गये, तो बय जाती रही ।

मस्अला :- बय हुई और समन भी मुश्तरी ने दे दिया और यह ठहरा कि अगर तीन दिन के अन्दर बाये ने समन फेर दिया तो बय नहीं रहेगी यह भी खयारे शर्त ही है ।

मस्अला :- बाए ने खयारे शर्त अपने लिए रखा है तो मबीय उसकी मिल्क से न निकली फिर अगर मुश्तरी ने कब्जा कर लिया (चाहे यह कब्जा बाऐ की इजाज़त से हो या बिला इजाजत) और मुश्तरी के पास हलाक हो गयी तो मुश्तरी पर मबीय की वाजबी कीमत तावान में वाजिब है और अगर मबीय मिस्ली है तो मुश्तरी पर उसकी मिस्ल वाजिब है, और अगर बाये ने बय फस्ख कर दी जब भी यही हुक्म है यानी क़ीमत या मिस्ल वाजिब है । और अगर बाये ने अपना खयार खत्म कर दिया और बय को जायज़ कर दिया या बाद मुद्दत वह चीज़ हलाक हो गयी तो मुश्तरी के जिम्मा समन वाजिब है यानी जो दाम तय हुआ है वह देना होगा, अगर मबीय बाये के पास हलाक हो गयी तो बय जाती रही, किसी पर कुछ लेना देना नहीं, और अगर मबीय में कोई ऐब पैदा हो गया तो बाये का खयार अभी बाकी है लेकिन मुश्तरी को यह अख्तियार होगा कि चाहे पूरी कीमत पर मबीय को ले ले या न ले और अगर बाये ने खुद उसमें कोई ऐब पैदा कर दिया है तो समन में उस ऐब के बराबर कमी हो जायेगी, मुश्तरी पर जिस सूरत में कीमत वाजिब है इससे मुराद उस दिन की कीमत है जिस दिन उसने कब्जा किया ।

मस्अला :- बाऐ को खयार हो तो समन मुश्तरी की मिल्क से खारिज हो जाता है मगर बाये की मिल्क में दाखिल नहीं होता ।

मस्अला :- मुश्तरी ने अपने लिए खयार रखा है मबीय बाये की मिल्क से निकल गई यानी अगर उस सूरत में बाये ने मबीय में कोई तसर्रुफ किया है तो यह तसर्रुफ सही नहीं । (मस्लन गुलाम है जिसको आजाद कर दिया तो आजाद न हुआ) और उस सूरत में अगर मबीय मुश्तरी के यहाँ हलाक हो गयी तो समन के बदले में हलाक हो गयी यानी समन देना पड़ेगा ।

मस्अला :- मबीय मुश्तरी के कब्जा में है और उसमें ऐब पैदा हो गया अगर खयार मुश्तरी को है तो मुश्तरी को समन देना पड़ेगा, और अगर खयार बाये को है तो मुश्तरी पर कीमत वाजिब है ।

मस्अला :- खयारे मुश्तरी की सूरत में समन मिल्क मुश्तरी से खारिज नहीं होता और मबीय अगरचा मिल्के बाये से खारिज हो जाती है लेकिन मुश्तरी की मिल्क में नहीं आती, फिर भी अगर मुश्तरी ने मबीय में कोई तसर्रुफ किया (मस्लन गुलाम था आजाद कर दिया) तो यह तसर्रुफ नाफ़िज़ होगा और इस तसर्रुफ को इजाज़ते बय समझा जायेगा ।

मस्अला :- मुश्तरी और बाये दोनों को खयार है तो न मबीय मिल्क बाये से खारिज होगी न समन मिल्क मुश्तरी से, फिर अगर बाये ने मबीय में तसर्रुफ किया तो बय फ़स्ख हो जायेगी । और मुश्तरी ने समन में तसर्रुफ किया और समन ऐन हो (यानी अज़ कबील नकूद न हो) तो मुश्तरी की जानिब से बय फ़स्ख है ।

मस्अला :- मुश्तरी को खयार था और मबीय पर कब्ज़ा कर चुका था फिर उसको वापस कर दिया बाये कहता है यह वह नहीं है, मुश्तरी कहता है कि वही है तो कसम के साथ मुश्तरी का क़ौल मोतबर है और अगर बाऐ को यकीन है कि यह वह चीज़ नहीं जब भी बाऐ ही उसका मालिक होगा, और यह बाऐ के तौर पर बय तआती हुई ।

मस्अला :- जिसके लिए खयार है चाहे वह बाऐं हो या मुश्तरी या अजनबी, जब उसने बय को जायज़ कर दिया तो बय मुकम्मल हो गई दूसरे को इसका इल्म हो या न हो, अलबत्ता अगर दोनों को खयार था तो तन्हा उसके जायज़ कर देने से बय की तमामियत न होगी क्योंकि दूसरे को हके फस्ख हासिल है अगर यह फस्ख कर देगा तो उसका जायज़ करना मुफीद न होगा ।

मस्अला :- साहेब खयार ने बय को फस्ख किया तो इसकी दो सूरतें हैं कौल से फस्ख करें तो मुद्दत के अन्दर दूसरे को इसका इल्म होनाजरूरी है और अगर दूसरे को इल्म ही न हो या मुद्दत गुजरने के बाद उसे मालूम हुआ तो फस्ख सही नहीं, और बय लाजिम हो गई और अगर साहेबे खयार ने अपने किसी फ़ेल से बय को फस्ख किया तो अगरचा दूसरे को इल्म न हो फस्ख हो जावेगी, मस्लन मबीय में इस किस्म का तसर्रूफ किया जो मालिक किया करते हैं जैसे— मबीय गुलाम है उसे आज़ाद कर दिया या बेच डाला या कनीज़ है उससे वती की या उसका बोसा लिया या मबीय को हिबा करके या रहन रख कर कब्ज़ा दे दिया या अजारह पर दिया या मुश्तरी से समन माफ़ कर दिया, या मकान किसी को रहने को दे दिया अगरचा बिला किराया या उसमें नई तामीर की या कहेगुल की या मरम्मत कराई या ढा दिया या समन में (जबकि ऐन हो) तसर्रूफ कर डाला इन सूरतों में बय फस्ख हो गई, अगरचा अन्दरूने मुद्दत एक दूसरे को इल्म न हुआ ।

मस्अला :- जिसके लिए खयार है उसने कहा मैंने बय को जायज कर दिया या बय पर राजी हूँ या अपना खयार मैंने साक़ित कर दिया या इसी किस्म के दूसरे अल्फ़ाज कहे तो खयार जाता रहा और बय लाजिम हो गयी और अगर यह अल्फ़ाज कहे कि मेरा कसद लेने का है या मुझे यह चीज पसन्द है या मुझे इसकी ख्वाहिश है तो खयार बातिल न होगा ।

मस्अला :- जिसके लिए खयार था वह अन्दरूने मुद्दत मर गया तो खयार बातिल हो गया, यह नहीं हो सकता कि उसके मरने के बाद वारिस की तरफ़ खयार मुनतक़िल हो इसलिए कि खयार में मीरास नहीं जारी होती यूँ ही अगर बेहोश हो गया या मजनून हो गया या सोता रह गया और मुद्दत गुजर गयी तो खयार बातिल हो गया, मुश्तरी को अगर बतौर तमलीक कब्ज़ा दिया तो बाये का खयार बातिल हो गया और अगर बतौर तमलीक कब्ज़ा न दिया बल्कि अपना खयार रखते हुए कब्ज़ा दिया तो अख्तियार बातिल न हुआ ।

मस्‌अला :- मुश्तरी को खयार है तो जब तक मुद्दत पूरी न हो ले बाये समन का मुतालबा नहीं कर सकता और बाये को भी तस्लीमे मबीय पर मजबूर नहीं किया जा सकता, अलबत्ता अगर मुश्तरी ने समन दे दिया है तो बाये को मबीय देना पड़ेगा यूँ ही अगर बाये ने मबीय सुपुर्द कर दी है तो मुश्तरी को समन देना पड़ेगा मगर बय फस्ख करने का हक रहेगा । और अगर बाये को अख्तियार है और मुश्तरी ने समन अदा कर दिया और मबीय पर कब्जा चाहता है तो बाये कब्जा से रोक सकता है लेकिन ऐसा करेगा तो समन फेरना पड़ेगा ।

मस्‌अला :- मुश्तरी के लिए खयार है और उसनें मबीय में इम्तेहान की गरज से कोई तसर्रुफ किया और जो फ़ेल किया वह गैर ममलूक भी कर सकता है तो ऐसे फेल से खयार बातिल न होगा और अगर फ़ेल ऐसा है कि इम्तेहान के लिए उसकी कोई जरूरत नहीं या वह फेल गैर ममलूक में किसी सूरत में जायज ही नहीं तो ऐसे फेल से खयार बातिल हो जायेगा मस्लन घोड़ा पर एक बार सवार हुआ या कपड़े को इसलिए पहना कि बदन पर ठीक आता है या नहीं या लौडी से काम कराया ताकि मालूम हो कि काम करना जानती है या नहीं तो इससे खयार बातिल न होगा और अगर दोबारा सवारी ली, या दो बारह कपड़ा पहना, या दो बारा काम लिया तो खयार साकित हो गया, और अगर घोड़े पर एक मरतबा सवार होकर एक किस्म की चाल का इम्तेहान लिया दोबारा दूसरी चाल के लिये सवार हुआ, या लौडीं से दोबारा दूसरा काम लिया तो अख्तियार बाकी है ।

मस्‌अला :- मबीय में मुश्तरी के यहाँ ज्यादती हुई तो इसकी दो सूरते हैं ज्यादत मुत्तसेला है या मुनफसला और हर एक मुतवल्लेदह है या गैर मुतवल्लेदह, अगर ज्यादत मुत्तसेलामुतवल्लेदह है (जैसे— जानवर फर्बा हो गया मरीज था मर्ज जाता रहा) या ज्यादत मुत्तसेला गैर मुतवल्लेदह है (जैसे— कपड़े को रंग दिया या सी दिया, या सत्तू में घी मिला दिया) या ज्यादत मुनफसेला मुतवल्लेदह हो (जैसे— मस्लन गुलाम था उसने कुछ कमाया) तो उससे खयार बातिल नहीं होता फिर अगर बय को अख्तियार किया तो ज्यादत भी उसी को मिलेगी, और अगर बय को फ़स्ख करेगा तो असल व ज्यादत दोनों वापस करना होगा ।

मस्‌अला :- बकरी खरीदी इस शर्त के साथ कि इतना दूध देती है या गाभिन है तो बय फासिद है और अगर यह शर्त है कि ज्यादा दूध देती है तो बय फासिद नहीं ।

मस्‌अला :- चन्द चीजों में से एक गैर मोअइयन को खरीदा यूँ कहा कि इनमें से एक को खरीदता हूँ तो मुश्तरी उसमें से जिस एक को चाहे मुतअइयन कर ले उसको खियारे ताअइयुन कहते हैं इसके लिये चन्द शर्ते हैं— अव्वल यह कि उन चीजों में एक को खरीदें यह नहीं कि मैंने सबको खरीदा, दोयम, यह कि दो चीजों में से एक या तीन चीजों में से एक को खरीदे, चार में से एक खरीदी तो सही नहीं । सोयम— यह की इनमें से जो तू चाहे ले

ले । चहारम– यह कि इसकी मुद्दत भी तीन दिन होनी चाहिए । पंजुम– यह कि केयमी चीजों में हो मिस्ली चीजों में न हो, रहा यह अम्र की खयारे ताअइयुन के साथ खयारे शर्त की भी ज़रूरत है या नहीं, इसमें उलमा का एखतेलाफ है बहरहाल अगर खयारे ताअइयुन के साथ ख्यारे शर्त भी मज़कूर हो और मुश्तरी ने बमुक्तज़ाये ताअइयुन एक को मोअइयन कर लिया तो खयारे शर्त का हुक्म बाकी है कि अन्दरूने मुद्दत उस एक में भी बय फ़स्ख कर सकता है और अगर मुद्दत खत्म हो गई और खयारे शर्त की रू से बय को फ़स्ख न किया तो बय लाजिम हो गयी और मुश्तरी पर लाजिम होगा कि अब तक मुतअइयन नहीं किया है तो अब मोअइयन कर लें ।

मसूअला :- गाहक ने बाये से यह ठहरा लिया है कि चीज़ हलाक हो जायेगी तो मैं ज़ामिन नहीं यानी तावान नहीं दूँगाँ इस सूरत में भी तावान देना पड़ेगा और यह शर्त करना बेकार है ।

मसूअला :- दाम तै करके चीज़ को ले जाने से तावान उस वक्त लाजिम आता है जब उसको खरीदने के एरादे से ले गया और हलाक हो गयी वरना नहीं मस्लन दुकानदार ने गाहक से कहा, यह ले जाओ तुम्हारे लिए दस को है खरीदार ने कहा लाओ इसको देखूँगा या फँला शख्स को दिखाऊंगा यह कहकर ले गया और हलाक हो गई तो तावान नहीं कि यह अमानत है । और अगर यह कह कर ले गया कि लाओ पसन्द होगा तो ले लूँगा और अब ज़ाया हो गयी तो तावान देना होगा ।

मसूअला :- दुकानदार से थान माँग कर ले गया कि अगर पसन्द हुआ तो खरीद लूँगा और उसके पास हलाक हो गया तो तावान नहीं और अगर यह कह कर ले गया कि पसन्द होगा तो दस रुपये में खरीद लूँगा अब वह हलाक हो गया तो तावान देना होगा दोनों में फर्क यह है कि पहली सूरत में चूँकि समन का जिक्र नहीं यह कब्जा बरवजह खरीदारी नहीं हुआ और दूसरी सूरत में समन मजकूर है लेहाजा खरीदारी के तौर पर कब्जा है ।

खयारे रूयत

कभी ऐसा होता है कि चीज़ को देखे भाले बगैर खरीद लेते हैं और देखने के बाद वह चीज़ ना पसन्द होती है ऐसी हालत में शरअ ने मुश्तरी को अख्तियार दिया है कि अगर देखने के बाद चीज को न लेना चाहे तो बय फस्ख कर दें इसको खयारे रूयत कहते हैं ।

मसूअला :- जिस मजलिस में बय हुई उसमें मबीय मौजूद है मगर मुश्तरी ने देखा नहीं (जैसे पीपे में घी या तेल था, बोरियों में गल्ला था, गठरी में कपड़ा था और खोलकर देखने की नौबत नहीं आई) या वहाँ मबीय मौजूद न हो इस वजह से नहीं देखा, बहरहाल देखने के बाद खरीदार को खयार हासिल

है चाहे तो बय को जायज करे या फस्ख कर दे । चाहे मबीय को बाये ने जैसी बताया था वैसी ही है या उसके खिलाफ है । दोनों सूरतों में बय को फ़स्ख कर सकता है ।

मस्अला :- अगर मुश्तरी ने देखने से पहले अपनी रजामन्दी जाहिर कर दिया या यह कह दियाकि मैंने अपना खयार बातिल किया अब भी देखने के बाद फ़स्ख करने का हक हासिल है इसलिए कि यह खयार ही देखने के वक्त मिलता है देखने से पहले खयार था ही नहीं लेहाजा इसको बातिल करने के कोई माना नहीं ।

मस्अला :- खयारे रूयत के लिए मुद्दत की कोई हद नहीं है कि उस मुद्दत के गुजरने के बाद खयार न रहे बल्कि यह खयार देखने पर है जब देखे, देखने के बाद फ़स्ख का हक उस वक्त तक रहता है जब तक सराहतन या दलालतन रजामन्दी न पाई जाये ।

मस्अला :- खयारे रूयत चार जगहों में होता है— (१) शै मोअइयन की खरीदारी में, (२) एजारा में (३) तक़सीम में, (४) मसालेहत की शै मोअइयन में, माल के दावे में । अगर क़ैसास के दावा में किसी चीज पर मसालेहात हुई तो खयारे रूयत नहीं, दैन में खयारे रूयत नहीं, लेहाजा मुस्लम फीह चूँकि ऐन नहीं, बल्कि दैन वाजिब फिलजिम्मा है तो उसमें भी खयारे रूयत नहीं, रुपये और अशर्फियों में भी खयारे रूयत नहीं इसलिए कि यह दैन की किस्म से है अलबत्ता अगर सोने-चाँदी के बर्तन हों तो खयारे रूयत है, बय सलम का रासुलमाल अगर ऐन हो तो मुसलम एलैहे के लिए खयारे रूयत है ।

मस्अला :- बाऐ ने ऐसी चीज बेची जिसको उसने देखा नहीं (जैसे उसको मीरास में कोई चीज मिली है और बे देखे बेच डाली) तो बय सही है और उसको यह अख्तियार नहीं कि देखने के बाद बय को फस्ख कर दें ।

मस्अला :- मुख्तलिफ किस्म की चीजों की तक़सीम अगर शोरका में हुई तो इसमें खयारे रूयत, खयारे शर्त, खयारे ऐब, तीनों हो सकते हैं और जुवातलु अमसाल की तकसीम में सिर्फ खयारे ऐब होगा बाकी दोनों नहीं होंगें और गैर जुवातलु अमसाल जब एक जिन्स के हों (जैसे— एक किस्म के कपड़े या गायें, बकरियाँ) तो इनमें भी तीनों खयार साबित होंगें ।

मस्अला :- जो अक्द फ़स्ख करने से फस्ख न हो जैसे महर और कैसास का बदले सुलह, और बदले, खुलआ, यह चीजें अगरचा ऐन हों इनमें खयारे रूयत नहीं ।

मस्अला :- बे देखी हुई चीज खरीदी है तो देखने से पहले भी इसकी बय फस्ख कर सकता है कि यह बय मुश्तरी के जिम्मा लाजिम नहीं ।

मस्अला :- अगर मुश्तरी ने मबीय पर कब्जा कर लिया और देखने के बाद सराहतन या दलालतन अपनी रजामन्दी जाहिर की या उसमें कोई ऐब पैदा हो गया या ऐसा तसर्रूफ कर दिया जो फ़स्ख नहीं हो सकता (मस्लन आजाद कर दिया) या उसमें दूसरे का हक पैदा हो गया (जैसे— दूसरे के हाथ बिला शर्ते खयार बय कर दिया) या रेहन रख दिया या एजारह पर दे दिया, इन सब सूरतों में खयारे रूयत जाता रहा, अब बय को फस्ख नहीं कर सकता, और अगर उसको बय किया मगर अपने लिए खयारे शर्त कर लिया या बेचने के लिए उसका नर्ख किया, यह हिबा किया, मगर कब्जा न दिया और यह बातें देखने के बाद हुई तो दलालतन रजामन्दी पाई गई अब बय को फ़स्ख नहीं कर सकता और देखने से पहले हुयी तो खियार बाकी है । देखने के बाद मबीय पर कब्जा कर लेना भी दलील रजामन्दी की है ।

मस्अला :- मबीय पर कब्जा करके देखने से पहले बय कर दी फिर ऐब की बजह से मुश्तरी सानी ने वापस कर दी या रेहन रखने के बाद उसे छोड़ा लिया, या एजारा किया था उसे तोड़ दिया, तो खयारे रूयत जो इन तसर्रूफात कि वजह से जा चुका था वापस न होगा ।

मस्अला :- मबीय का कोई जुज उसके हाथ से निकल गया या उसमें कमी या ज्यादती हुई (चाहे ज्यादत मुत्तसेला हो या मुनफसेला) तो खयार वातिल हो गया ।

मस्अला :- मुश्तरी खरीदने के बाद मर गया तो वरसा को मीरास में खयारे रूयत हासिल न होगा यानी वरसा को यह हक न होगा कि बय को फ़स्ख कर दें ।

मस्अला :- जिस चीज़ को पहले देख चुका है अगर उसमें कुछ तग़ैयुर पैदा हो गया है तो खयारे रूयत हासिल है और अगर वैसी ही है तो खयार हासिल नहीं हाँ अगर वक्ते अक्द उसे यह मालूम न हो कि वही चीज है जिसे मैं खरीदता हूँ तो खयार हासिल होगा ।

मस्अला :- बाये कहता है यह चीज़ वैसी ही है जैसी तूने देखी थी, उसमें तग़ैयुर नहीं आया, और मुश्तरी कहता है तग़ैयुर आ गया तो मुश्तरी को गवाह से साबित करना पड़ेगा कि तग़ैयुर आ गया है, गवाह पेश न करे तो कसम के साथ बाये का कौल मोतबर है । यह उस सूरत में है कि मुश्तरी के देखने को ज्यादा जमाना न गुजरा हो और मालूम हो कि इतने जमाना में उमूमन ऐसी चीजों में तग़ैयुर नहीं होता, और अगर इतना ज्यादा जमाना गुजर गया है कि आदतन तग़ैयुर नहीं होता, और अगर इतना ज्यादा जमाना गुजर गया है कि आदतन तग़ैयुर ऐसी चीजों में हो ही जाता है (मस्लन लौंडी है जिसको देखे हुए बीस बरस का जमाना गुजर चुका है और वह उस वक्त जवान थी) तो मुश्तरी की बात मान ली जायेगी । बाये कहता है खरीदने के वक्त तूने

देख लिया था, मुश्तरी कहता है नहीं देखा था, तो कसम के साथ मुश्तरी की बात मन ली जायेगी ।

मसूअला :- जबह की हुई बकरी की कलेजी खरीदी मगर अभी उसकी खाल नहीं निकाली गयी है तो बय सही है और बाये पर लाजिम है कि कलेजी निकाल कर दे, और मुश्तरी को खयारे रूयत हासिल होगा । और अगर बकरी अभी जबह नहीं हुई है तो कलेजी की बय दुरूस्त नहीं, अगरचा बाये कहता हो कि मैं जबह करके निकाल देता हूँ ।

मसूअला :- खयारे रूयत की वजह से बय फ़स्ख करने में न काजी की कजा दरकार है न बाये की रजामन्दी की हाजत ।

मसूअला :- खयारे की वजह से बय फ़स्ख करने में यह शर्त है कि बाये को फ़स्ख का इल्म हो जाये क्योंकि अगर ऐसा न हुआ तो वह यही समझता रहा कि बय हो गयी और दूसरा ग्राहक नहीं तलाश करेगा और इसमें उसके नुकसान का एहतेमाल है ।

मसूअला :- मबीय के देखने का यह मतलब नहीं कि वह पूरी देख ली जाये उसका कोई जुज़ देखने से रह न जाये, बल्कि यह मुराद है कि वह हिस्सा देख लिया जाये जिसका मकसूद के लिए देखना जरूरी था मस्लन मबीय बहुत सी चीजें है और उनके अफराद में तफावुत न हो सब एक सी हों जैसे— कैली और वजनी चीजें यानी जिसका नमूना पेश किया जाता हो, यहाँ बाज का देखना काफी है मस्लन गल्ला की ढ़ेरी है उसका जाहरी हिस्सा देख लिया काफ़ी है हाँ अगर अन्दरूनी हिस्सा वैसा न हो बल्कि ऐबदार हो तो खयारे रूयत और खयारे ऐब दोनों मुश्तरी को हासिल है और अगर ऐबदार न हो कम दर्जा का हो जब भी खयारे रूयत हासिल है अगरचा खयारे ऐब नहीं, यूँ ही चन्द बोरियों में गल्ला भरा हुआ है एक में से देख लेना काफी है जबकि बाकियों में इससे कम दर्जा का न हो ।

मसूअला :- मुश्तरी कहता है बाकी वैसा नहीं है जैसा मैंने देखा था और बाये कहता है वैसा ही है, अगर नमूना मौजूद हो, अहले बसीरत को दिखाया जाये, वह जो कहें वही मोतबर है, और नमूना मौजूद न हो तो मुश्तरी को गवाह लाना पड़ेगा, वरना बाये का कौन मोतबर है । यह उस वक्त है कि गल्ला वहीं मौजूद हो बोरियों में भरा हुआ हो और अगर गल्ला वहाँ न हो बाये ने नमूना पेश किया और बय हो गयी और नमूना जाया हो गया फिर बाये बाकी गल्ला लाया और यह एखतेलाफ पैदा हुआ तो मुश्तरी का कौल मोतबर है ।

मसूअला :- एक शख्स ने एक चीज़ खरीदी मगर देखी नहीं दूसरे शख्स को उसके देखने का वकील किया कि देखकर पसन्द करे या नापसन्द करे वकील ने देखकर पसन्द कर ली तो बय लाजिम हो गयी और नापसन्द की तो फ़स्ख कर सकता है ।

मसूअला :- किसी शख्स को मुश्तरी ने कब्जा के लिए कासिद बनाकर भेजा यानी उससे कहा कि बाये के पास जाकर कह कि मुश्तरी ने मुझे भेजा है कि मबीय मुझे दे दे उसका देखना काफी नहीं, यानी मुश्तरी अगर देखकर नापसन्द करे तो बय फ़स्ख कर सकता है, वकील ने मबीय को वकालत से पहले देखा उसके बाद वकील हो कर खरीदा तो उसे खयारे रूयत हासिल होगा ।

मसूअला :- अंधे की बय व शेरा दोनों जायज है । अगर किसी चीज़ को बेचेगा तो खयार हासिल न होगा और खरीदेगा तो खयार हासिल होगा, और मबीय को उलट पुलट कर टटोलना देखने के हुक्म में है कि टटोल लिया और पसन्द कर लियातो खयार साकित हो गया और खाने की चीज़ का चखना, और सूंघने की चीज का सूँघना काफी है । और जो चीज़ न टटोलने से मालूम हो न सूघनें, चखने से (जैसे— जमीन, मकान, दरख्त, लौन्डी, गुलाम) वहाँ उस चीज़ के अवसाफ़ बयान करने होगें, जो अवसाफ़ बयान कर दिये गये मबीय उनके मुताबिक है तो फ़स्ख नहीं कर सकता, वरना फ़स्ख कर सकता है, अंधा मुश्तरी यह भी कर सकता है कि किसी को कब्जा या खरीदने के लिए वकील कर दे । वकील का देख लेना उसका कायम मुकाम हो जायेगा, अंधा किसी चीज़ को अपने लिए खरीदे या दूसरे के लिए (मस्लन किसी ने अंधे को वकील कर दिया) दोनों सूरतों में खयार हासिल होगा ।

मसूअला :- शै मुअइयन की शै मुअइयन से बय हुई मस्लन किताब को कपड़े के बदले में बय किया तो ऐसी सूरत में बाये व मुश्तरी दोनों को खयारे रूयत हासिल है क्योंकि यहाँ दोनों मुश्तरी भी हैं ।

खयारे ऐब

अगर बगैर ऐब जाहिर किये चीज़ बेच दी तो ऐब मालूम होने पर खरीदार को वापस करने का हक है इसी को खयारे ऐब कहते हैं । खयारे ऐब के लिए यह जरूरी नहीं कि अक्द के वक्त यहकहे कि ऐब होगा तो वापस कर देंगे चाहे कहा हो या न कहा हो हर हाल में ऐब मालूम होने पर मुश्तरी वापस कर सकता है । लेहाजा अगर मुश्तरी को न खरीदने से पहले ऐब पर इत्तेला थी न खरीदारी के वक्त इत्तेला हुई बाद में मालूम हुआ कि इसमें ऐब है थोड़ा ऐब हो या ज्यादा खयारे ऐब हासिल है कि मबीय को लेना चाहे तो पूरे दाम पर ले ले, वापस करना चाहे वापस कर दे । यह नहीं हो सकता कि वापस न करे बल्कि दाम कम कर दे ।

मसअला :- जिस ऐब की वजह से मबीय वापस कर सकते हैं वह ऐसा ऐब है जिससे ताजिरों की नज़र में चीज़ की कीमत कम हो जाये ।

मसअला :- मबीय में ऐब हो तो उसका जाहिर कर देना बाये पर वाजिब है छिपाना हराम व गुनाहे कबीरह है यूँ ही मुश्तरी पर वाजिब है कि समन का ऐब जाहिर कर दें ।

मसअला :- खारे ऐब की सूरत में मुश्तरी मबीय का मालिक हो जाता है मगर मिल्क लाजिम नहीं होती, और इसमें वरासत भी जारी होती है । यानी अगर मुश्तरी को ऐब का इल्म न हो और मर गया और वारिस को ऐब पर इत्तेला हुई तो उसे ऐब की वजह से फ़स्ख का हक हासिल होगा, खयारे ऐब के लिए वक्त की कोई हद नहीं जब तक वापसी के रोकने वाले और असबाब न पायें जायें यह हक बाकी रहता है ।

मसअला :- ऐब पर मुश्तरी को इत्तेला कब्जा से पहले ही हो गई हो मुश्तरी बतौर खुद अक्द को फ़स्ख कर सकता है इसकी जरूरत नहीं कि काजी फ़स्ख का हुक्म दे तो फ़स्ख हो सके । बाये के सामने इतना कह देना काफी है कि मैंने अक्द को फ़स्ख कर दिया या रद कर दिया या बातिल कर दिया दाए राजी हो या न हो अक्द फस्ख हो जायेगा और अगर मबीय पर कब्जा कर चुका है तो बाए की रजामन्दी या कजाये काजी के बगैर अक्द फस्ख नहीं हो सकता ।

मसअला :- खयारे ऐब के लिए शर्त यह है कि मबीय में वह ऐब बय के वक्त मौजूद हो या बय के बाद मुश्तरी के कब्जा से पहले पैदा हो (लेहाज़ा मुश्तरी के कब्जा करने के बाद जो ऐब पैदा हुआ उसकी वजह से खयारे ऐब हासिल न होगा) (२) मुश्तरी ने कबज़ा कर लिया हो तो उसके पास भी वह ऐब बाकी रहे (अगर वहाँ वह ऐब न रहा तो खयार भी नहीं) मुश्तरी को अक्द बय के याकब्जा के वक्त ऐब की इत्तेला न हो (इसलिए कि अगर ऐबदार जानकर लिया है या कब्जा किया है तो अब खयार न होगा) बाऐ ने ऐब से बराअत न की हो (इसलिए कि अगर बाऐ ने कह दिया है कि मैं इसके किसी ऐब का ज़िम्मेदार नहीं तो अब खयारे ऐब साबित न होगा)

मसअला :- गाय, भैंस, बकरी– दूध नहीं देती या अपना दूध खुद पी जाती है तो यह ऐब है, और जानवर का कम खाना भी ऐब है बैल काम के वक्त सो जाता है यह ऐब है, गदहा खरीदा वह सुस्त चलता है वापस नहीं कर सकता, मगर जब की तेज रफ्तारी की शर्त कर ली हो । गदहे का न बोलना ऐब है मुर्गा खरीदा जो ना वक्त बोलता है वापस कर सकता है ।

मस्अला :- गाय या बकरी नजासत खोर है अगर यह उसकी आदत है ऐब है और अगर हफ्ता में एक दो बार ऐसा हुआ तो ऐब नहीं और अक्सर खाता हो तो ऐब है ।

मस्अला :- घोड़ा खरीदा देखा कि उसकी उम्र ज्यादा है खयारे ऐब की वजह से उसे वापस नहीं कर सकता, हाँ अगर कम उम्र की शर्त कर ली है तो वापस कर सकता है, गाय खरीदी वह मुश्तरी के यहाँ से भाग कर बाऐ के यहाँ चली जाती है तो यह ऐब नहीं मानी जबकि ज्यादा न भागती हो ।

मस्अला :- बैल वगैरह जानवर दो तीन दफा भागें तो ऐब नहीं इससे ज़्यादा भागना ऐब है ।

मस्अला :- मकान या ज़मीन खरीदी लोग उसे मनहूस कहते हैं तो वापस कर सकता है क्योंकि अगरचे इस किस्म के ख्यालात का ऐतबार नहीं मगर बेचना चाहेगा तो उसके लेने वाले नहीं मिलेंगे और यह एक ऐब है ।

मस्अला :- फल या तरकारी की टोकरी खरीदी उसमें नीचे घास भरी हुई निकली वापस कर सकता है ।

मस्अला :- कुरान मजीद या किताब खरीदी और उसके अन्दर बाज-बाज जगह अल्फाज लिखने से रह गये, वापस कर सकता है ।

मस्अला :- ऐब पर इत्तेला पाने के बाद मुश्तरी ने अगर मबीय में मालेकाना तसर्रूफ किया तो वापस करने का हक जाता रहा, जानवर खरीदा वह बीमार था उसका एलाज किया या अपने काम के लिए उसपर सवार हुआ तो वापस नहीं कर सकता और अगर एक बीमारी थी जिसको बाऐ ने जिम्मेदारी नहीं कि थी उसका एलाज किया और दूसरी बीमारी जिसका जिक्र नहीं आया या वह जाहिर हुई तो उसकी वजह से वापस कर सकता है ।

मस्अला :- एक बकरी या गाय खरीदी उसका दूध दूह कर इस्तेमाल किया फिर ऐब, पर इत्तेला हुई तो वापस नहीं कर सकता, नुकसान ले सकता है और अगर गाय, बकरी को मय बच्चे के खरीदा है और ऐब पर मुत्तेला हुआ उसके बाद बच्चे ने दूध पी लिया तो वापस कर सकता है, चाहे बच्चा ने खुद पी लिया हो या उसने उसे छोड़ा था कि पीले और अगर मुश्तरी ने दूध दूहा तो वापस नहीं कर सकता चाहे खुद पी ले या उसके बच्चे को पिला दे इसलिए कि ऐब पर मुत्तला होकर दूहना रजामन्दी की दलील है ।

मस्अला :- कपड़ा खरीदा और उसे क़तआ कराया और अभी सिला नहीं उसमें ऐब मालूम हुआ, उसे वापस नहीं कर सकता, बल्कि नुकसान ले सकता है, हाँ अगर बाए कतआ किये हुए को वापस लेने पर राजी है तो अब नुकसान नहीं ले सकता है, और अगर खरीद कर क़त्अ कर दिया है तो कुछ नहीं कर

सकता, और कतआ के बाद सिल भी गया और ऐब मालूम हुआ तो नुकसान ले सकता है, बाऐ बजाए नुकसान देने के वापस लेना चाहे तो नहीं ले सकता ।

मस्अला :- कपड़ा खरीद कर अपने नाबालिग बच्चे के लिए कतआ कराया और ऐब मालूम हुआ तो न वापस कर सकता है न नुकसान ले सकता है और अगर बालिग लड़के के लिए कतआ कराया तो नुकसान ले सकता है ।

मस्अला :- मबीय में मुश्तरी के यहाँ कोई नया ऐब पैदा हो गया चाहे मुश्तरी के फेल से वह ऐब पैदा हुआ या आफते समावी से हुआ, वापस नहीं कर सकता, अलबत्ता नुकसान का मुआवजा ले सकता है, और अगर बाए के फेल से वह ऐब पैदा हुआ है जब भी वापस नहीं कर सकता, बल्कि दोनों ऐबों में जो नुकसान है उनका मुआवजा ले सकता है और अगर अजनबी के फेल से दूसरा ऐब पैदा हुआ तो पहले ऐब का नुकसान बाऐ से लें, और दूसरे ऐब का उस अजनबी से और अगर बय के बाद मगर कब्जा के पहले बाऐ के फेल से या खुद मबीय के फेल से या आफते समावी से नया ऐब पैदा हुआ तो मुश्तरी को अख्तियार है कि बय को रद कर दे, यानी न ले या ले ले, और जो नुकसान हुआ है उसके एवज में समन में से कम कर दे और अगर अजनबी के फेल से वह ऐब पैदा हुआ है जब भी अख्तियार है कि मबीय को ले ले या न लें । अगर मबीय को लेता है तो नुकसान का मुआवजा उस अजनबी से ले सकता है । और अगर खुद मुश्तरी के फेल से ऐब पैदा हुआ हैतो पूरे समन के साथ लेना पड़ेगा और नुकसान का मुतालबा नहीं कर सकता ।

मस्अला :- जो चीज ऐसी है कि उसकी वापसी में मजदूरी खर्च हो तो जहाँ अक्द बय हुआ है वहाँ पहुँचाना मुश्तरी के जिम्मा है यानी मजदूरी वगैरह मुश्तरी को देनी पड़ेगी ।

मस्अला :- मबीय में कुछ ज्यादती कर दी जैसे— कपड़ा था उसको सी दिया या रंग दिया, या सत्तू था उसमें घी शकर, वगैरह मिला दिया या जमीन थी उसमें पेड़ लगा दिये या तामीर कराई या मबीय को बय कर दिया चाहे बेचना ऐब पर इत्तेला होने के बाद ही हो या मबीय हलाक हो गई, इन सब सूरतों में नुकसान ले सकता है, वापस नहीं कर सकता अगर दोनों वापसी पर राजी भी हो जायें जब भी काज़ी हुक्म वापसी का नहीं दे सकता ।

मस्अला :- अन्डा खरीदा उसे तोड़ा तो गन्दा निकला कुल दाम वापस होंगे, कि वह बेकार चीज़ है बय के क़ाबिल नहीं खरबूजा तरबूज, खीरा खरीदा और काटा तो खराब निकला बादाम, अखरोट खरीदा तोड़ने पर मालूम हुआ कि खराब है मगर बावजूद खराबी काम के लायक है कम से कम यह कि जानवर ही के खिलाने में काम आ सकता है तो वापस नहीं कर सकता, नुकसान ले सकता है । और अगर बाऐ कटे हुए या टूटे हुए को वापस लेने पर तैयार है तो वापस कर दें नुकसान नहीं ले सकता । और ऐब मालूम हो जाने के बाद

कुछ भी खा लिया तो नुकसान भी नहीं ले सकता । और अगर चखा और ऐब मालूम होने के बाद छोड़ दिया कुछ न खाया तो नुकसान ले सकता है और अगर काटने तोड़ने से पहले ही मुश्तरी को ऐब मालूम हो गया तो उसी हालत में वापस कर दें, काटे, तोड़ेगा तो न वापस कर सकता है न नुकसान ले सकता है और अगर काटने तोड़ने के बाद मालूम हुआ कि यह चीजें बिलकुल बेकार है, मस्लन खीरा कड़ूआ है या बादाम, अखरोट में गरी नहीं है, खर्बूजा, तरबूज सड़ा हुआ है तो पूरे दाम वापस ले कि बय बातिल है ।

मस्अला :- गेहूँ वगैरह गल्ला खरीदा उसमें खाक मिली हुई निकली, अगर खाक इतनी ही है जितनी आदत हुआ करती है तो वापस नहीं कर सकता और अगर आदतन से ज्यादा है तो कुल वापस कर दे और अगर गेहूँ रखना चाहता है खाक को अलग करके वापस करना चाहता है तो यह नहीं कर सकता ।

मस्अला :- मुश्तरी जानवर को फेरने लाया कि उसके जख्म है— मैं नहीं लूँगा । बाए कहता है कि यह वह जख्म नहीं है जो मेरे यहाँ था वह अच्छा हो गया यह दूसरा है तो मुश्तरी का कौल मोतबर है ।

मस्अला :- दो चीजें एक अक्द में खरीदी अगर एक तन्हा काम में आती है (जैसे दो गुलाम, दो कपड़े) और अभी दोनों पर कब्जा नहीं किया कि एक के ऐब पर मुत्तला हुआ तो अख्तियार है लेना हो तो दोनों ले फेरना चाहे तो दोनों फेर दें । मगर जबकि बाए एक के फेरने पर राजी हो तो एक को भी वापस कर सकता है और अगर दोनों पर कब्जा कर लिया है तो जिसमें ऐब है उसे वापस कर दे, दोनों को वापस करना चाहें तो बाए की मर्जी दरकार है और अगर कब्जे से पहले एक का ऐबदार होना मालूम हो गया और उसी पर कब्जा कर लिया तो दूसरी को लेना भी जरूरी है, और दूसरी पर कब्जा किया तो अख्तियार है दोनों को ले या दोनों को फेर दें, और अगर दोनों एक साथ काम में लाई जाती हों, तन्हा एक काम की न हो (जैसे मोज़े और जूते के जोड़े, चौखट या बाजू या बैलों की जोड़ी जबकि वह आपस में ऐसा इत्तेहाद रखते हों कि एक के बगैर दूसरा काम ही न करें) तो दोनों पर कब्जा किया हो या एक पर कब्जा किया हो, दोनों हाल में एक ही हुक्म है कि लेना चाहे तो दोनों ले और फेरे तो दोनों फेरे ।

मस्अला :- कोई चीज बय की और बाए ने कह दिया कि मैं हर ऐब से बरीउल जिम्मा हूँ यह बय सही है और उस मबीय के वापस करने का हक बाकी नहीं रहता, यूँ ही अगर बाए ने कह दिया कि लेना हो तो लो इसमें सौ तरह के ऐब है या यह मिट्टी है या इसे खूब देख लो कैसी भी हो मैं वापस नहीं करूँगा, यह ऐब से बराअत है जब हर ऐब से बराअत कर ले तो ऐब अक्द के वक्त मौजूद है या अक्द के बाद कब्जा से पहले पैदा हुआ सबसे बराअत हो गई ।

मस्अला :- बकरी या गाय या भैंस का दूध बाए ने दो एक वक्त नहीं दूहा और उसे यह कहकर बेचा कि इसके दूध ज्यादा है और दूध दूह कर

दिखा भी दिया, मुश्तरी ने धोखा खाकर खरीद लिया, अब दूहता है तो मालूम होता है कि इतना दूध नहीं है उसको वापस नहीं कर सकता, हाँ जो नुकसान है बाए से ले सकता है ।

मस्अला :- मुश्तरी ने वापस करना चाहा, बाऐ ने कहा वापस न करो मुझसे इतना रुपया ले लो और इस पर मसालेहत हो गई, यह जायज़ है और इसका मतलब यह हुआ कि बाऐ ने समन में से उतना कम कर दिया, और बाऐ अगर वापस करने से इन्कार करता है मुश्तरी ने यह कहा कि इतने रुपये मुझसे ले लो और मबीय को वापस कर लो यूँ मसालेहत नाजायज़ है और यह रुपये जो बाए लेगा रिश्वत और सूद है, मगर जबकि मुश्तरी के यहाँ कोई नया ऐब पैदा हो गया हो, बाऐ उससे मुनकिर है कि वह ऐब उसके यहाँ मबीय में था, तो यह मसालेहत भी जायज है ।

मस्अला :- यह जा बजा कहा गया है कि ऐब से जो नुकसान है वह लेगा इसकी सूरत यह है कि उस चीज को जाचने वालों के पास पेश किया जाये, उसकी कीमत की वह अन्दाजा करें कि अगर ऐब न होता तो यह कीमत थी और ऐब के होते हुए यह कीमत है, दोनों में जो फर्क है वह मुश्तरी, बाए से लेगा, मस्लन ऐब है तो आठ रुपये कीमत है ऐब न होता तो दस रुपये कीमत थी तो दो रुपये मुश्तरी बाऐ से ले ।

मस्अला :- एक शख्स ने गाभिन गाय के बदले बैल खरीदा और हर एक ने कब्जा कर लिया, गाय के बच्चा पैदा हुआ और दूसरे ने देखा कि बैल में ऐब है, बैल को उसने वापस कर दिया गाय में चूँकि बच्चा पैदा होने की वजह से ज्यादती हो चुकी है वह वापस नहीं की जा सकती, गाय की क़ीमत जो हो वह वापस दिलाई जायेगी ।

मस्अला :- जमीन खरीदा उसको मस्जिद कर दिया फिर ऐब पर मुब्तला हुआ तो वापस नहीं कर सकता, नुकसान जो है ले ले जमीन को वक्फ किया है जब भी यही हुक्म है कि वापस नहीं कर सकता नुकसान ले लें ।

मस्अला :- रोटी खरीदी और जो नर्ख उसका मारूफ व मशहूर है उससे कम दी है तो जो कमी है बाऐ से वसूल करें । इसी तरह हर वह चीज जिसका नर्ख मशहूर है उससे कम हो तो बाए से कमी पूरी★ करायें ।

मस्अला :- कोई चीज़ गबने फ़ाहिश के साथ खरीदी है उसकी दो सूरते हैं धोका देकर नुकसान पहुँचाया है या नहीं, अगर गबने फाहिश के साथ धोका

★ यह हुक्म उस वक्त है कि बाए ने मुश्तरी पर यह जाहिर न किया हो कि मस्लन एक आने की इतनी रोटियाँ दूँगा, बल्कि मुश्तरी ने कहा इतने की रोटी है, बाए ने दे दी, और अगर बाए ने जाहिर कर दिया कि इतनी दूँगा, और मुश्तरी राजी हो गया तो कमी पूरा करने का हक नहीं ।

भी है तो वापस कर सकता है वरना नहीं, गबने फाहिश का यह मतलब है कि इतना टूटा है जो मोकव्वमीन के अन्दाज़ा से बाहर हो मस्लन एक चीज दस रुपये में खरीदी कोई इसकी कीमत पाँच बताता है कोई छः कोई सात तो यह गबने फाहिश है । और उसकी कीमत कोई आठ बताता कोई नौ कोई दस तो गबने यसीर होता । धोके की तीन सूरते हैं— (१) कभी बाए मुश्तरी को धोका देता है, पाच की चीज दस में बेच देता है, (२) और कभी मुश्तरी बाए को कि दस की चीज़ पाँच में खरीद लेता है, (३) कभी दलाल धोका देता है इन सूरतों में जिसको गबने फाहिश के साथ नुकसान पहुँचा है, वापस कर सकता है और अगर अजनबी शख्स ने धोका दिया हो तो वापस नहीं कर सकता ।

मस्अला :- जिस चीज को गबने फाहिश के साथ खरीदा है और उसे धोका दिया गया है उस चीज़ को कुछ सर्फ़ कर डालने के बाद इसका इल्म हुआ तो अब भी वापस कर सकता है यानी जो कुछ वह चीज बची वह और वह जो खर्च कर ली है उसकी मिस्ल वापस करें और पूरा समन वापस लें ।

मस्अला :- एक शख्स ने लोगों से कह दिया कि यह मेरा गुलाम या लड़का है इससे खरीद फरोख्त करो मैंने इसको इजाज़त दे दी है । उसकी निसबत बाद में मालूम हुआ कि गुलाम नहीं बल्कि हुर है या उसका लड़का नहीं है दूसरे शख्स का है, तो जो कुछ लोगों के मुतालबे हैं उस कहने वाले से वसूल कर सकते हैं कि उसने धोका दिया है ।

बय फ़ासिद का बयान

मस्अला :- जिस सूरत में बय का कोई रूक्न न पाया जाय या चीज बय के काबिल ही न हो तो बय बातिल है, रूक्न न पाये जाने की मिसाल यह है कि पागल या ना समझ बच्चा ने ईजाब या कुबूल किया, चूँकि उनका कौल शरअन मोतबर ही नहीं लेहाज़ा ईजाब व कुबूल पाया ही न गया । चीज़ के बय के काबिल न होने की मिसाल यह कि मबीय मुरदार, या खुन या शराब या आज़ाद हो कि वह चीजें बय के काबिल नहीं है । और अगर रूकने बय या महल्ले बय में खराबी न हो बल्कि इसके अलावा कोई खराबी होतो वह बय फासिद है जैसे— समन खमर हो या मबीय की तस्लीम पर कुदरत न हो या मबीय में कोई शर्त खिलाफे मुकतज़ाए अक्द हो ।

मस्अला :- मबीय या समन दोनों में से एक भी ऐसी चीज़ हो जो किसी दीने आसमानी में माल न हो, जैसे— मुर्दार, खून, आजाद इनको चाहे मबीय किया जाये या समन बहरहाल बय बातिल है । और अगर बाज दीन में माल हों बाज में नहीं जैसे— शराब की अगरचा इस्लाम में यह माल नहीं दीने मूसबी व ईस्वी में माल थी इसको मबीय करार देंगे तो बय बातिल है और समन करार दें तो फासिद जैसे— शराब के बदले में कोई चीज़ खरीदी तो बय फासिद है और अगर रुपये पैसे से शराब तो बय बातिल ।

मस्अला :- माल वह चीज है कि जिसकी तरफ तबीयत का मैलान हो जिसको दिया, लिया जाता है जिससे दूसरों को रोकते हैं जिसे वक्त ज़रूरत के लिए जमा रखते हों, लेहाजा थोड़ी सी मिट्टी जब तक वह अपनी जगह पर है माल नहीं और उसकी बय बातिल है अल्बत्ता अगर उसे दूसरी जगह मुन्तकिल करके ले जायें तो अब माल है और बय जायज़ है । गेहूँ का एक दाना उसकी भी बय बातिल है । इंसान के पाखाना, पेशाब की बय बातिल है जब तक मिट्टी उसपर गालिब न आ जाये और खाद न हो जाये, गोबर मेंगनी, लीद की बय बातिल नहीं, अगरचा दूसरी चीज़ की उसमें आमेज़िश न हो । लेहाज़ा उपले का बेचना, खरीदना या इस्तेमाल करना ममनूअ नहीं ।

मस्अला :- मुरदार से मुराद गैर मजबूह है चाहे वह खुद मर गया हो या किसी ने उसका गला घोंट कर मार डाला हो या किसी जानवर ने उसे मार डाला हो, मछली, टिड्डी, मुर्दार में दाखिल नहीं कि यह जबह करने की चीज ही नहीं ।

मस्अला :- मआदूम की बय बातिल है जैसे दो मंजिला मकान दो शख्सों में मुश्तरक था एक का नीचे वाला था दूसरे का ऊपर वाला, वह गिर गया या सिर्फ बाला खाना गिरा, बाला खाना वाले ने गिरने के बाद बाला खाना बय किया, यह बय बातिल है कि जब वह चीज ही नहीं बय किस चीज की होगी और अगर बयं से मुराद उस हक को बेचना है कि मकान के ऊपर उसको मकान बनाने का था यह भी बातिल है कि बय माल की होती है और यह महज एक हक है माल नहीं और अगर बाला खाना मौजूद है तो उसकी बय हो सकती है ।

मस्अला :- बाकला के बीज और चावल और तिल की बय अगर यह सब छिलके के अन्दर हों जब भी जायज़ है यूँ ही अखरोट, बादाम पिस्ते अगर पहले छिलके में हों (यानी इन चीजों में अन्दर दो छिलके होते हैं, हमारे मुल्क में यह सब चीजें ऊपर की छिलका उतारने के बाद आती है और अगर ऊपर के छिलके न उतरे हों जब भी बय जायज है) यूँ ही गेहूँ के दाने बाल में हो जब भी बय जायज़ है और इन सब सूरतों में .ह बाए के जिम्मा है कि फली से बाकला के बीज या धान की भूसी से चावल या छिलकों से तिल और बादाम वगैरह और बाल से गेहूँ निकाल कर मुश्तरी के सुपुर्द कर दें । और अगर छिलकों समेत बय की है बाकला की फलियाँ या ऊपर के छिलकों समेत बादाम बेचा या धान बेचा है तो निकाल कर देना बाए के जिम्मा नहीं ।

मस्अला :- गुठलियाँ जो खजूर में हो, या बिनौल जो रूई के अन्दर हों या दूध जो थन के अन्दर हो इन सबकी बय नाजायज है कि यह सब चीजें उर्फन मआदूम है, और खजूर से गुठलियाँ, या रूई से बिनौले या थन से दूध निकालने के बाद बय जायज है ।

मस्अला :- पानी जब तक कुएं या नहर में है उसकी बय जायज नहीं और जब उसको घड़े वगैरह में भर लिया तो मालिक हो गया अब बय कर सकता है ।

मस्अला :- मेंह का पानी जमा कर लेने से मालिक हो जाता है, बय कर सकता है पक्के हौज में जो पानी जमा कर लियाहै उसे बय कर सकता है जबकि पानी आना बन्द हो गया हो ।

मस्अला :- मबीय में कुछ मौजूद है कुछ मआदूम जब भी बय बातिल है जैसे— गुलाब, बेले, चमेली के फूल जबकि उनकी पूरी फसल बेची जाये, और जितने मौजूद हैं उनको बय किया तो जायज है ।

मस्अला :- मबीय की तरफ इशारा किया और नाम भी ले दिया मगर जिसकी तरफ इशारा है उसका वह नाम नहीं (जैसे— कहा कि इस गाय को इतने में बेचा और वह गाय नहीं बल्कि बैल है या इस लौंडी को बेचा और वह लौंडी नहीं गुलाम है) इसका हुक्म यह है कि जो नाम जिक्र किया है और जिसकी तरफ, इशारा है दोनों की एक जिन्स है तो बय सही है कि अक्द का ताआल्लुक उसके साथ है जिसकी तरफ इशारा है और वह मौजूद है मगर जो चीज समझ कर मुश्तरी लेना चाहताहै चूँकि वह नहीं है लेहाजा उसको अख्तियार है ले या न ले और जिन्स मुख्तलिफ हो तो बय बातिल है कि अक्द का तआल्लुक इस सूरत में उसके साथ है जिसका नाम लिया गया और वह मौजूद नहीं, लेहाज़ा अक्द बातिल इन्सान में मर्द व औरत दो जिन्से मुख्तलिफ हैं लेहाज़ा लौन्डी कह कर बय किया और निकला गुलाम या बिल अक्स तो यह बय बातिल है । और जानवर में नर व मादा एक जिन्स है गाय कहकर बय की और निकला बैल या बिलअक्स तो बय सही है और मुश्तरी को खेयार हासिल है ।

मस्अला :- याकूत कहकर बय किया और निकला शीशा तो बय बातिल है कि मबीय मआदूम है और याकूत सुर्ख कहकर रात में बेचा और था याकूत जर्द तो बय सही है और मुश्तरी को अख्तियार है ।

मस्अला :- आजाद व गुलाम को जमआ करके एक साथ दोनों को बेचा या जबीहा और मुर्दार को एक अक्द में बय किया तो गुलाम और जबीहा की भी बय बातिल है । अगरचा इन सूरतों में समन की तफसील कर दी गई हो कि इतना इसका समन है और इतना उसका, और अगर अक्द दो हो तो गुलाम और जबीहा की सही है, आजाद व मुर्दार की बातिल । मुदब्बर या उसमे वल्द के साथ मिलाकर गुलाम की बय की तो गुलाम की बय सही है । उनकी नहीं ।

मस्अला :- गैर वक्फ़ को वक्फ़ के साथ मिलाकर बय किया तो गैर वक्फ़ की सही है और वक्फ़ की बातिल । और मस्जिद के साथ दूसरी चीज मिलाकर बय की तो दोनों की बातिल ।

मस्अला :- दो शख्स एक मकान में शरीक हैं उनमें एक ने दूसरे के हाथ पूरा मकान बेच दिया तो उसके हिस्सा की बय सही है और जितना मकान में उसका हिस्सा है उसकी बय हुई और उसके मुकाबिल समन का जो हिस्सा होगा। वह मिलेगा कुल नहीं मिलेगा ।

मस्अला :- दो शख्स मकान या जमीन में शरीक हैं एक ने उनमें से एक मोअइयन टुकड़ा बय कर दिया तो यह बय सही नहीं और अगर अपना हिस्सा बेच दिया तो बय सही है ।

मस्अला :- मुसल्लम गाँव बेचा जिसमें कब्रिस्तान और मस्जिदें भी हैं और उसका इस्तेसना नहीं किया तो अलावा मसाजिद व मकाबिर के गांव की बय सही है और मसाजिद व मक़बिर का आदतन इस्तेसना क़रार दिया जायेगा अगरचा इस्तेसना मज़कूर न हो ।

मस्अला :- इंसान के बाल की बय दुरूस्त नहीं और इन्हें काम में लाना भी जायज़ नहीं (जैसे— इनकी चोटियाँ बना कर औरतें इस्तेमाल करें हराम है हदीस में उस पर लाअनत फरमाई)

फायदा :- हुजूर अकदस सल्लल्लाहो ताला अलैहे वसल्लम के मूये मुबारक जिसके पास हो उससे दूसरे ने लिए और हदिया में कोई चीज पेश की यह दुरूस्त है, जबकि बतौर बय न हो और मूये मुबारक से बरकत हासिल करना और उसका गोसाला पीना, आँखों पर मलना बतौर शिफा मरीज को पिलाना दुरूस्त है जैसा अहादीसे सहीहा से साबित है ।

मस्अला :- वय बातिल का हुक्म यह है कि मबीय पर अगर मुश्तरी का कब्जा भी हो जाय जब भी मुश्तरी उसका मालिक नही होगा और मुश्तरी का वह कबजा कब्ज़ये अमानत करार पायेगा ।

मस्अला :- बय में ऐसी शर्त जिक्र करना कि खुद अक्द उसका मुकतज़ी है मुजिर नहीं (जैसे— बाऐ पर मबीय के कब्जा दिलाने की शर्त और मुश्तरी पर समन अदा करने की शर्त) और अगर वह शर्त मुकतजाये अक्द नहीं मगर अक्द के मुनासिब हो इस शर्त में भी हर्ज नहीं, जैसे— यह कि मुश्तरी समन के लिए कोई जामिन पेश करें या समन के मुकाबिल में फँला चीज रेहन रखें और जिसको जामिन बनाया है उसने उसी मजलिस में जमानत कर भी ली और अगर उसने जमानत कुबूल न की तो बय फासिद है और अगर मुश्तरी ने जमानत या रेहन से गुरेज की तो बाय बय को फ़स्ख कर सकता है यूँ ही मुश्तरी ने बाय से जामिन तलब किया कि मैं इस शर्त से खरीदता हूँ कि फँला शख्स जामिन हो जाये कि मबीय पर कब्जा दिला दें या मबीय में किसी का

हक निकलेगा तो समन वापस मिलेगा यह शर्त भी जायज़ है और अगर वह शर्त न उस किस्म की हो न इस किस्म की मगर शरअ ने उसको जायज़ रखा है । जैसे— खयरे शर्त या वह शर्त ऐसी है जिस पर मुसलमानों का आमतौर पर अमलदरामद है (जैसे— आजकल घड़ियों में गारन्टी साल दो साल की हुआ करती है कि इस मुद्दत में खराब होगी तो दुरूस्ती का जिम्मादार बाऐ है तो ऐसी शर्त भी जायज़ है, और यह भी न हो यानी शरिअत में भी उसका जबाज वारिद नहीं और मुसलमानों का तआमुल भी नहीं तो वह शर्त फासिद है और बय को भी फ़ासिद कर देती है, जैसे— कपड़ा खरीदा और यह शर्त कर ली कि बाऐ इसको कतअ करके सी देगा ।

मस्अला :- गुलाम बेचा और यह शर्त की कि वह गुलाम बाऐ की एक महीना खिदमत करेगा और मकान बेचा और शर्त की कि बाऐ एक माह तक उसमें सकूनत रखेगा या यह शर्त की कि मुश्तरी इतना रुपया मुझे कर्ज दे या फ़ँला चीज हदिया करें, या मोअइयन चीज को बेचा और शर्त की कि एक माह तक मबीय पर कब्जा न देगा, इन सब सूरतों में बय फासिद है ।

मस्अला :- बय में समन का जिक्र न हुआ बल्कि यह कहा कि जो बाजार में इसका नर्ख है वह दे देना तो बय फ़ासिद है, और अगर यह कहा कि समन कुछ नहीं तो बय बातिल है कि बगैर समन बय नहीं हो सकती ।

मस्अला :- जो मछली कि दरिया या तालाब में है अभी उसका शिकार किया ही नहीं उसको अगर नोकूद यानी रुपये पैसे से बय किया तो बातिल है कि वह मिल्क में नहीं, और माल मोतकव्वम नहीं और अगर उसको गैर नोकूद जैसे— कपड़ा या किसी और चीज़ के बदले में बय किया है तो बय फ़ासिद है, यूँ ही अगर शिकार करके उसे दरिया या तालाब में छोड़ दिया जब भी उसकी बय फ़ासिद है कि उसकी तसलीम पर कुदरत नहीं ।

मस्अला :- मछली को शिकार करने के बाद किसी गड़हे में डाल दिया वह गड़हा ऐसा है कि वे किसी तरकीब के उसमें से पकड़ सकता है तो यह बय करना भी जायज़ है कि अब वह मकदूरूल तसलीम भी है कि ऐसी ही है जैसे पानी के घड़े में रखी है और अगर उसे पकड़ने के लिए शिकार करने की जरूरत होगी काँटे या जाल वगैरह से पकड़ना पड़ेगा तो जब तक पकड़ न ली उसकी बय सही नहीं और अगर मछली खुद बखुद गड़हे में आ गयी और वह गड़हा इसीलिए मुकर्रर कर रखा है तो यह शख्स उसका मालिक हो गया, दूसरे को इसका लेना जायज़ नहीं फिर जाल वगैरह के उसे पकड़ सकते हैं तो उसकी बय भी जायज़ है कि वह मकदूरूल तसलीम भी है वरना बय नाजायज़, और अगर वह गड़हा इसलिए नहीं तैयार कर रखा है तो मालिक नहीं मगर जबकि दरिया या तालाब की तरफ जो रास्ता था उस मछली के आने के बाद बन्द कर दिया तो मालिक हो गया और बगैर जाल वग़ैरह के पकड़ सकता है तो बय जायज़ वरना नहीं, इसी तरह अगर अपनी ज़मीन में गड़हा खोदा था उसमें

हिरन वगैरह कोई शिकार गिर पड़ा अगर उसने इसी गरज़ से खोदा था तो भी मालिक है दूसरे को उसका लेना जायज़ नहीं और अगर इसलिये नहीं खोदा तो जो पकड़ ले जाये उसका है मगर ज़मीन का मालिक अगर शिकार के करीब हो कि हाथ बढ़ा कर उसे पकड़ सकता है तो उसी का है, दूसरे को पकड़ना जायज़ नहीं दूसरा पकड़े भी तो वह मालिक नहीं होगा, यह मालिक होगा । यूँ ही सुखाने के लिये अगर जाल ताना था कोई शिकार उसमें फँसा तो जो पकड़ ले उसका है और अगर शिकार ही के लिए ताना था तो शिकार का मालिक यह है । जाल में शिकार फँसा मगर तड़पा उससे छूट गया, दूसरे ने पकड़ लिया तो यह मालिक है और अगर जाल डाला पकड़ने के लिये करीब आ गया कि हाथ बढ़ाकर जानवर पकड़ सकता है उस वक्त तोड़ाकर निकल गया और दूसरे ने पकड़ लिया तो जाल वाला मालिक है पकड़ने वाला मालिक नहीं । बाज और कुत्ते के शिकार का भी यही हुक्म है ।

मस्अला :- शिकारी जानवर के अन्डे-बच्चे का भी वही हुक्म है जो शिकार का है यानी अगर ऐसी जगह में अन्डा या बच्चा दिया कि उसने इसी काम के लिए मुकर्रर कर रखी है तो यह मालिक है वरना जो ले जाये उसका है ।

मस्अला :- किसी के मकान के अन्दर शिकार चला आया और उसने दरवाज़ा उसके पकड़ने के लिए बन्द कर लिया तो यह मालिक है दूसरे को पकड़ना जायज़ नहीं और लाइल्मी में उसने दरवाज़ा बन्द किया तो यह मालिक नहीं, और शिकार उसके मकान की महाज़ात (सामने) मे हवा में उड़ रहा था तो जो शिकार करे वह मालिक है, यूँ ही उसके दरख़्त पर शिकार बैठा था, जिसने उसे पकड़ा वह मालिक है ।

मस्अला :- रुपये, पैसे लुटाते है अगर किसी ने अपने दामन इसलिए फैला रखे थे कि इसमें गिरे तो मैं लूगा तो जितने उसके दामन में आए उसके हैं, और अगर दामन इसलिए नहीं फैलाए थे मगर गिरने के बाद उसने दामन समेट लिये जब भी मालिक है । और अगर यह दोनों बातें न हों तो दामन में गिरने से उसकी मिल्क नहीं दूसरा ले सकता है । शादी में छोहारे और शकर लुटाते हैं उनका भी यही हुक्म है ।

मस्अला :- उसकी जमीन में शहद की मक्खियों ने महार लगाई तो बहर हाल शहद का मालिक यही है चाहे उसने जमीन को इसी लिए छोड़ रखा हो या नहीं कि इनकी मिसाल खुदरौ दरख़्त की है कि मालिक जमीन उसका मालिक होता है यह उसकी जमीन की पैदावार है ।

मस्अला :- तालाबों, झीलों का मछलियों के शिकार के लिए ठेका देना जैसा हिन्दुस्तान के बहुत से जमीनदार करते हैं यह नाजायज़ है ।

मस्अला :- परिन्द जो हवा में उड़ रहा है अगर उसको अभी तक शिकार न किया हो तो बय बातिल है और अगर शिकार करके छोड़ दिया तो बय फ़ासिद है कि तस्लीम पर कुदरत नहीं, और अगर वह परिन्द ऐसा है कि इस

वक्त हवा में उड़ रहा है मगर खुदबखुद वापस आ जायेगा जैसे ..व, कबूतर तो अगरचा इस वक्त उसके पास नहीं है बय जायज़ है और हकीकतन पाई तो हुक्मन उसकी तस्लीम पर कुदरत जरूर है ।

मस्अला :- जो दूध थन में है उसकी बय नाजायज है यूँ ही जिन्दा जानवर का गोश्त, चर्बी, चमड़ा, सिरी, पाये, जिन्दा दुम्बा कि चक्की की बय नाजायज है, इसी तरह उस ऊन की बय जो दुम्बा या भेड़ के जिस्म में है अभी काटी न हो, और उस मोती की जो सीप में हो या घी की जो अभी दूध से निकाला न हो या कड़ियों की जो छत में हैं या जो थान ऐसा हो कि फाड़ कर न बेचा जाता हो, उसमें से गज आध गज़ की बय (जैसे मशरूअ, और गुलबदन के थान) यह सब नाजायज है और अगर मुश्तरी ने अभी बय को फ़स्ख नहीं किया था कि बाये ने छत में से कड़ियाँ निकाल दी या थान में से वह टुकड़ा फाड़ दिया तो अब यह बय सही हो गयी ।

मस्अला :- इस बार जाल डालने में जो मछलियाँ निकलेगीं उनको बय किया या गोताखोर ने यह कहा कि इस गोता में जो मोती निकलेंगे उनको बेचा, यह बय बातिल है ।

मस्अला :- चारागाह में जो घास है उसकी बय फ़ासिद है, हाँ अगर घास को काटकर उसे जमा कर लिया तो बय दुरूस्त है जिस तरह पानी को घड़े, मटके, मश्क में भर लेने के बाद बेचना जायज़ है । और चारागाह को ठेके पर देना भी जायज़ नहीं, यह उस वक्त है कि घास खुद उगी हो उसको कुछ न करना पड़ा हो, और अगर उसने जमीन को इसीलिए छोड़ रखा हो कि इसमें घास पैदा हो और जरूरत के वक्त पानी भी देता हो तो इसका मालिक है । और अब बेचना जायज़ है मगर ठेका अब भी नाजायज़ है कि इतलाफे ऐन पर एजारा दुरूस्त नहीं, ठेका के लिए यह हीला हो सकता है कि उस जमीन को जानवरों के ठहराने के लिए ठेके पर दे फिर मुसताजिर इसकी घास भी चराए ।

मस्अला :- कच्ची खेती जिसमें अभी गल्ला तैयार नहीं हुआ है उसके बय की तीन सूरत है— (१) अभी काट लेगा या, (२) अपने जानवरों से चरा लेगा या, (३) इस शर्त पर लेता है कि उसे तैयार होने तक छोड़ रखेगा । पहली दो सूरतों में बय जायज़ है । और तीसरी सूरत में चूँकि इस शर्त में मुश्तरी का नफ़ा है इसलिए बय फ़ासिद है ।

मस्अला :- फल उस वक्त बेच डाले जबकि अभी नुमायां भी नहीं हुए हैं यह बय बातिल है और अगर फल जाहिर हो चुके हैं लेकिन काम के नहीं हैं तो यह बय सही है मगर मुश्तरी पर फौरन तोड़ लेना जरूरी है और अगर यह शर्त कर ली है कि जब तक तैयार न हो जायेंगे पेड़ पर रहेंगें तो बय फ़ासिद है और अगर बिला शर्त खरीदा है मगर बाए ने बय के बाद इजाजत दी कि तैयार होने तक दरख्त ही पर रहेंगे तो अब कोई हर्ज नहीं ।

मस्अला :- अगर गाय, बकरी, मुर्गी किसी को आधे आध पर दे दी कि वह खिलाएगा, चरायेगा, और जो बच्चे होंगे उन्हें आधे आध बाँट लेंगे जैसा कि अक्सर लोग देहातों में करते हैं यह तरीका गलत है, बच्चों में शिरकत नहीं होगी बल्कि बच्चे उसी के होंगे जिसका जानवर है उस दूसरे आदमी को चारे की कीमत (जबकि अपना खिलाया हो) और चराई और रखवाली की उजरत मिस्ल मिलेगी । यूँही अगर एक आदमी ने अपनी जमीन दूसरे को पेड़ लगाने के लिए एक खास मुद्दत तक के लिए दे दी कि पेड़ और फल आधे आध ले लेंगे तो यह भी सही नहीं है, पेड़ और फल सब जमीन के मालिक के होंगे और दूसरे को पेड़ की वह कीमत मिलेगी जो लगाने के दिन थी और जो कुछ काम किया उसकी उजरत मिस्ल मिलेगी ।

मस्अला :- औरत के दूध को बेचना नाजायज है चाहे उसे निकालकर किसी बर्तन में रख लिया हो । चाहे औरत बान्दी ही हो ।

मस्अला :- खनजीरा के बाल या किसी और जुज की बय बातिल है और मुर्दार के चमड़े की भी बय बातिल है, जबकि पकाया न हो, और अगर दबागत कर ली हो तो बय जायज है और काम में लाना भी जायज है ।

मस्अला :- तेल नापक हो गया तो उसकी बय जायज है और खिलाने के अलावा दूसरे काम में लाना भी जायज है मगर यह जरूर है कि मुश्तरी को उसके नजिस होने की इत्तेला दे दे ताकि वह खाने के काम में न लाए, और इसलिए इत्तेला देना जरूरी है कि नजासत ऐब है और ऐब पर इत्तेला देना जरूरी है । नापाक तेल मस्जिद में जलाना मना है घर में जला सकता है इसका इस्तेमाल अगरचा जायज है मगर बदन या कपड़े में जहाँ लग जायेगा उसे नापाक कर देगा, उसे पाक करना पड़ेगा, बअाज दवाएं ऐसी बनाई जाती है जिसमे कोई नापाक चीज डालते हैं जैसे— किसी जानवर का पित्ता, उस दवा को अगर बदन पर लगाया तो पाक करना जरूरी है ।

मस्अला :- मुर्दार की चर्बी को बेचना या उससे किसी किस्म का नफ़ा उठाना जायज नहीं ना चिराग में जला सकते हैं न चमड़ा पकाने के काम में ला सकते हैं ।

मस्अला :- मुर्दार का पट्ठा, बाल, हड्डी, पर चोंच, खुर, नाखुन इन सबको बेच भी सकते हैं काम में भी ला सकते हैं, हाथी के दाँत और हड्डी को बेच सकते हैं और उसकी चीजें बनी हुई इस्तेमाल भी करते हैं ।

मस्अला :- लोहे, पीतल वगैरह की अंगूठी जिसका पहनना मर्द औरत दोनों के लिए नाजायज है इसका बेचना मकरूह है इसी तरह अफ़यून वगैरह जिसका खाना नाजायज है ऐसों के हाथ बेचना जो खाते हों नाजायज है कि इसमें गुनाह पर एआनत (मदद) है ।

मस्अला :- जिस चीज़ को बय कर दिया है और अभी पूरी समन वसूल नहीं हुआ है उसको मुश्तरी से कम दाम में खरीदना जायज़ है अगरचा उस वक्त इसका नर्ख कम हो गया हो ।

मस्अला :- एक चीज़ खरीदी और अभी उस पर कब्ज़ा नहीं किया है फिर और एक दूसरी चीज़ जो उसकी मिल्क में है दोनों को एक साथ मिलाकर बय किया तो उसकी बय दुरूस्त है जो उसके पास की है ।

मस्अला :- एक शख्स ने दूसरे से कहा जो मेरा हिस्सा इस मकान में है उसे मैंने तेरे हाथ बय किया, और बाए को मालूम नहीं कि कितना हिस्सा है मगर मुश्तरी को मालूम है तो बय जायज़ है और अगर मुश्तरी को मालूम नहीं तो बय जायज़ नहीं, अगरचा बाए को मालूम हो ।

मस्अला :- एक शख्स के हाथ बय करके फिर उसको दूसरे के हाथ बेचना हराम व बातिल है कि पहली बय अगर फसख भी कर दी जाये जब भी दूसरी नहीं हो सकती, हाँ अगर मुश्तरी अव्वल ने कब्ज़ा कर लिया है तो दूसरी बय उसकी इजाज़त पर मौकूफ़ है ।

मस्अला :- जिस बय में मबीय या समन मजहूल है वह बय फ़ासिद है जबकि ऐसी जेहालत हो कि तस्लीम में नेजाअ हो सके और अगर तस्लीम में कोई दुश्वारी न हो तो फ़ासिद नहीं (जैसे गेहूँ की पूरी बोरी पाँच रुपये में खरीद लो और मालूम नहीं कि इसमें कितने गेहूँ है या कपड़े की गाँठ खरीद ली और मालूम नहीं कि इसमें कितने थान है)

मस्अला :- बय फ़ासिद का हुक्म यह कि अगर मुश्तरी ने बाए की इजाज़त से मबीय पर कब्ज़ा कर लिया तो मबीय का मालिक हो गया और जब तक कब्ज़ा न किया हो मालिक नहीं, बाए की इजाज़त सराहतन हो या दलालतन, सराहतन इजाज़त हो तो मजलिसे अक्द में कब्ज़ा करे या बाद में बहरहाल मालिक हो जायेगा, और दलालतन यह कि मसलन मजलिसे अक्द में मुश्तरी ने बाए के सामने कब्ज़ा किया और उसने मना न किया और मजलिसे अक्द के बाद सराहतन एजाज़त की ज़रूरत है दलालतन काफी नहीं मगर जबकि बाए समन पर कब्ज़ा करके मालिक हो गया तो अब मजलिसे अक्द के बाद उसके सामने कब्ज़ा करना और उसका मना न करना इजाज़त है ।

मस्अला :- बय फ़ासिद में मुश्तरी पर अव्वलन यही लाज़िम है कि कब्ज़ा न करे और बाए पर भी लाज़िम है कि मना कर दे बल्कि हर एक पर बय फ़स्ख कर देना वाजिब है और कब्ज़ा ही कर लिया तो वाजिब है कि बय

को फ़स्ख करके मबीय को वापस कर ले या कर दे, फ़स्ख न करना गुनाह है और अगर वापसी न हो सके जैसे— मबीय हलाक हो गई या ऐसी सूरत पैदा हो गयी कि वापसी नहीं हो सकती (जिसका बयान आता है तो मुश्तरी मबीय की मिस्ल वापस करे अगर मिस्ली हो और कीयमी हो तो कीमत अदा करे (यानी उस चीज की वाजबी कीमत न कि समन जो ठहराई) और कीमत में कब्जा के दिन का एतबार है यानी बरोज कब्ज जो उसकी कीमत थी वह दें, हाँ अगर गुलाम को बय फासिद से खरीदा है और आजाद कर दिया तो समन वाजिब है ।

मस्अला :- इकराह व जब्र के साथ बय हुई तो यह बय फासिद है मगर जिस पर जब्र किया गया उसको फ़स्ख करना वाजिब नहीं बल्कि अख्तियार है कि फ़स्ख करें या नफिज़ कर दें मगर जिसनें जब्र कियाहै उस पर फ़स्ख करना वाजिब है ।

मस्अला :- बय फासिद में अगर मुश्तरी ने मबीय पर बगैर इजाज़त बाए कब्जा किया तो न कब्जा हुआ न मालिक न उसके तसर्रूफात जारी होगें ।

मस्अला :- बय फासिद में मुश्तरी ने कब्जा करने के बाद उस चीज को बाए के अलावा दूसरे के हाथ बेच डाला, (और यह बय सही बात हो) या हिबा करके कब्जा दिला दिया, या आजाद कर दिया या मुकातब किया या कनीज थी मुश्तरी के उससे बच्चा पैदा हुआ या गल्ला था उसे पिसवाया या उसको दूसरे गल्ला में मिला दिया या जानवर था ज़बह कर डाला या मबीय को वक्फ सही कर दिया, या रेहन रख दिया और कब्जा दे दिया या वसीयत करके मर गया या सदका दे डाला, गर्ज यह कि किसी तरह मुशतरी के मिल्क से निकल गयी तो अब वह बय फासिद नाफिज हो जायेगी और अब फ़स्ख नहीं हो सकती और अगर मुश्तरी ने बय फासिद के साथ बेचा या बय में खयरे शर्त था तो फ़स्ख का हुक्म बाकी है ।

मस्अला :- इकराह के साथ अगर बय हुई और मुश्तरी ने कब्जा करके मबीय में तसर्रूफात किये तो सारे तसर्रूफात बेकार करार दिये जायेंगे और बाय को अब भी यह हक हासिल है कि बय को फ़स्ख कर दें, मगर मुश्तरी ने आजाद कर दिया तो आजाद हो जायेगा, और मुश्तरी को गुलाम की कीमत देनी पड़ेगी ।

मस्अला :- मबीय को मुश्तरी ने किराया पर दे दिया या लौंडी थी उसका निकाह कर दिया तो अब भी बय को फ़स्ख कर सकते हैं ।

मस्अला :- बाए व मुश्तरी में से कोई मर गया जब भी फ़स्ख का हुक्म बदस्तूर बाकी है उसका वारिस कायम मुकाम है चाहिए कि वह फ़स्ख करे ।

मस्अला :- बय फासिद को फ़स्ख कर दिया तो बाए मबीअ को वापस नहीं ले सकता जब तक समन या कीमत अदा न करें फिर अगर बाए के पास वही रूपये मौजूद है तो बेऐनही उन्हीं को वापस करना ज़रूरी है और अगर खर्च हो गये तो उतने ही रुपये वापस करें ।

मस्अला :- ज़मीन बतौर बय फासिद खरीदी थी उसमें पेड़ लगा दिये या मकान खरीदा था उसमें तामीर की, तो मुश्तरी पर कीमत वाजिब है और अब बय फ़स्ख नही हो सकती, यूँ ही मबीअ में ज्यादते मुत्तसेला गैर मुतवल्लेदह मानए फ़स्ख है (जैसे कपड़े को रंग दिया, सी दिया, सत्तू में घी मिला दिया, गेहूँ का आटा पिसवा दिया, रूई का सूत कात लिया) और ज्यादते मुत्तसेला जैसे— मोटापा या ज्यादते मुनफस्सेला मुतवल्लेदह जैसे— जानवर के बच्चा पैदा हुआ यह मानेए फ़स्ख नहीं, और ज्यादत दोनों को वापस करें ।

मस्अला :- मूरिस ने हराम तरीका पर माल हासिल किया था अब वारिस को मिला, अगर वारिस को मालूम है कि यह माल फ़ँला का है तो देना वाजिब है और यह मालूम न हो कि किसका है तो मालिक कि तरफ से सदका कर दें और अगर मूरिस का माले हराम और माले हलाल खलत हो गया है यह नहीं मालूम कि कौन हराम कौन हलाल जैसे— उसने रिश्वत या सूद लिया है और यह माले हराम मुमताज नहीं है तो फतवा का हुक्म यह होगा कि वारिस के लिए हलाल है और दियानत इसको चाहती है कि इससे बचना चाहिए ।

मस्अला :- मुश्तरी पर लाज़िम नहीं कि बाए से यह दरियाफ्त करे कि यह माल हलाल है या हराम, हाँ अगर बाए ऐसा शख्स है कि हलाल व हराम यानी चोरी, गसब वगैरह सब ही सतरह की चीजें बेचता है तो एहतियात यह है कि दरियाफ्त कर लें । हलाल हो तो खरीदें वरना खरीदना जायज़ नहीं ।

मस्अला :- मकान खरीदा जिसकी कड़ियों में रुपये मिले तो बाए को वापस कर दें, अगर बाए लेने से इन्कार करें तो सदका कर दें ।

बय मकरूह का बयान

बय मकरूह भी शरअन ममनूअ है, और इसका करने वाला गुनहगार है मगर चूँकि मना होने का सबब न नफ्स अक्द में है न शरायते सेहत में इसलिए इसका मरतबा फोकहा ने बय फासिद से कम रखा है इस बय के फ़स्ख करने का भी बअज फोकहा हुक्म देते हैं । मगर फर्क इतना है कि बय फासिद को अगर आकेदैन फ़स्ख न करें तो काजी जबरन फ़स्ख कर देगा और बय मकरूह काजी फस्ख न करेगा, बल्कि आकेदैन के ज़िम्मा दियानतन फ़स्ख करना है, बय फासिद में कीमत वाजिब होती है और इसमें समन वाजिब होता है । बय फासिद में बगैर कब्जा मिल्क नहीं होती, इसमें मुश्तरी कबल कब्जा मालिक हो जाता है ।

मसूअला :- अज़ाने जुमुआ के शुरू से खत्मे नमाज़ तक बय मकरूह तहरीमी है और अज़ान से मुराद पहली अज़ान है कि उसी वक्त सई वाजिब हो जाती है मगर वह लोग जिन पर जुमाआ वाजिब नहीं (जैसे— औरतों या मरीज) उनकी बय में कराहत नहीं ।

मसूअला :- एहतिकार (यानी गल्ला रोकना) मना है और सख्त गुनाह है एहतिकार की सूरत यह है कि गिरानी के जमाना में गल्ला खरीद ले और उसे बय न करे बल्कि रोके रखें कि लोग खूब परेशान होंगे तो खूब गेरां करके बय करूँगा और अगर यह सूरत न हो बल्कि फसल में गल्ला रोकता है और रख छोड़ता है कुछ दिनों के बाद गेरां हो जाता है बेचता है यह न एहतिकार है न इसकी मुमानियत ।

मसूअला :- अपनी ज़मीन का गल्ला रोकना एहतिकार नहीं है अगर यह शख्स गिरानी या क़हत का मुन्तज़िर है तो इस बुरी नियत की वजह से गुनहगार होगा और इस सूरत में भी अगर आम लोगों को गल्ला की जरूरत हो और गल्ला न मिलता हो तो काज़ी उसे बय पर मजबूर करेगा ।

मसूअला :- बादशाह को रिआया कि हलाकत का अन्देशा हो एहतिकार करने वालों से लेकर रिआया पर तक़सीम कर दे फिर जब उनके पास गल्ला हो जाये तो जितना लिया है वापस दे दें।

मसूअला :- इमाम यानी बादशाह को गल्ला वगैरह का नर्ख मुकर्रर कर देना कि जो नर्ख मुकर्रर कर दिया उससे कम व बेश करके बय न हो, यह दुरूस्त नहीं ।

मसूअला :- ताजिरो ने अगर चीजों का नर्ख बहुत ज्यादा कर दिया और बगैर नर्ख मुकर्रर किये काम चलता नजर न आता हो तो अहलुरांये से मशवरा करके काज़ी नर्ख मुकर्रर कर सकता है और मुकर्रर शुदा नर्ख के मोवाफिक जो बय होगी यह बय जायज़ है यह नहीं कहा जा सकता कि यह बय मुकरह है क्योंकि यहाँ बय पर एकराह नहीं काज़ी ने उसे बेचने पर मजबूर नहीं किया उसे अख्तियार है कि अपनी चीज बेचें या न बेचे सिर्फ यह किया है कि बेचे तो जो नर्ख मुकर्रर हुआ है उससे गिरां न बेचे ।

मसूअला :- इन्सान के खाने और जानवरों के चारों में नर्ख मुकर्रर करना सूरत मज़कूरा में जायज़ है और दूसरी चीज़ों में भी हुक्म यह है कि अगर ताजिरों ने बहुत ज्यादा गेरां कर दी हो तो उनमें नर्ख मुकर्रर किया जा सकता है ।

बय फ़ुज़ूली का बयान

फ़ुज़ूली उसको कहते हैं जो दूसरों के हक़ में बग़ैर इजाज़त तसर्रूफ करें ।

मस्अला- फ़ुज़ूली ने जो कुछ तसर्रूफ किया अगर बवक़्ते अक़्द इसका मुजीज़ हो यानी ऐसा शख़्स हो जो जायज़ कर देने पर क़ादिर हो, तो अक़्द मुजीज़ न हो तो अक्द मुनअकिद ही नहीं होता, फ़ुज़ूली का तसर्रूफ़ कभी अज़ क़िस्म तमलीक होता है (जैसे बये निकाह) और कभी इस्क़ात होता है (जैसे तलाक़, अताक़) मस्लन फ़ुज़ूली ने किसी की औरत को तलाक़ दे दी या गुलाम को आज़ाद कर दिया दैन को माफ़ कर दिया उसने उसके तसर्रूफ़ात जायज़ कर दिये तो नाफ़िज़ हो जायेंगे ।

मस्अला- बय फ़ुज़ूली को जायज़ करने के लिए यह शर्त है कि मबीय मौजूद हो अगर जाती रही तो बय ही न रही जायज़ किस चीज को करेगा, नीज यह भी ज़रूरी है कि आक़ेदैन यानी फ़ुज़ूली व मुश्तरी दोनोंअपने हाल पर हों अगर दोनों ने खुद ही अक़्द को फ़स्ख कर दिया हो या उनमें कोई मर गया तो अब उस अक़्द को मालिक जायज़ नहीं कर सकता, और अगर समन ग़ैर नकूद हो तो उसका भी बाक़ी रहना जरूरी है कि अब वह भी मबीय व मअक़ूद अलैह है ।

मस्अला- मालिक ने फ़िज़ूली की बय को जायज़ कर दिया तो समन जो फ़ुज़ूली ले चुका है मालिक का हो गया, और फ़ुज़ूली के हाथ में बतौर अमानत है और अब वह फ़ुज़ूली बमन्ज़िला वकील के हो गया ।

मस्अला- फ़िज़ूली को यह भी अख़ियार है कि जब तक मालिक ने बय को जायज़ न किया, बय को फ़स्ख कर दे और अगर फ़ुज़ूली ने निकाह कर दिया है तो उसको फ़स्ख़ का अख़ियार नहीं ।

मस्अला- फ़िज़ूली ने बय की और जायज़ करने से पहले मालिक मर गया तो वरसा को उस बय के जायज़ करने का हक़ नहीं मालिक के मरने से बय खत्म हो गयी ।

मस्अला- फ़ुज़ूली ने बय की और जायज़ करने से पहले मालिक मर गया तो वरसा को उस बय के जायज़ करने का हक़ नहीं मालिक के मरने से बय खत्म हो गयी ।

मस्अला- दूसरे का कपड़ा बेच डाला, मुश्तरी ने उसे रंग दिया, उसके बाद मालिक ने बय जायज़ किया तो जायज़ हो गई और अगर मुश्तरी ने क़तआ कर के सी लिया, अब इजाज़त दी तो नहीं हुई ।

मस्अला- गासिब ने शैये मग़सूब को बय कर दिया उसके बाद उस शय मग़सूब का तावान दे दिया तो बय जायज़ हो गई ।

मस्अला- मालिक का यह कहना तू ने बुरा किया या अच्छा किया ठीक किया मुझे बय की दिक्कतों से बचा दिया, मुश्तरी को समन हिबा कर देना, यह सब अल्फाज़ इजाज़त के हैं और यह कह दिया कि मुझे मंजूर नहीं, मैं इजाज़त नहीं देता तो रद हो गयी ।

मस्अला- फुजूली ने मालिक के सामने बय की, और मालिक ने सुकूत किया, इन्कार न किया, तो यह सुकूत इजाज़त नहीं ।

मस्अला- सबी महजूर या गुलाम महजूर (जो खरीद फ़रोख्त से रोक दिये गये हैं) और बोहरे की बय मौकूफ़ है, वली या मौला जायज़ करेगा, तो जायज़ होगी रद करेगा बातिल होगी ।

मस्अला- जो चीज़ रेहन रखी है या किसी को उजरत पर दी है उसकी बय मुर्तहिन* या मुस्ताजिर की इजाज़त पर मौकूफ़ है यानी अगर जायज़ कर देंगे जायज़ होगी, मगर बय फस्ख करने का उनको अख्तियार न होगा, और राहन व मूजिर भी बय को फस्ख नहीं कर सकते और मुश्तरी चाहे तो बय को फस्ख कर सकता है । यानी जब मुर्तहन व मुस्ताजिर ने इजाज़त न दी हो । मुर्तहन या मुस्ताजिर ने इजाजत नहीं दी और अब इजारा खत्म हो गया या फ़स्ख कर दिया गया, और मुर्तहन का दैन अदा हो गया या उसने माफ़ कर दिया और चीज़ छुड़ा ली गयी, तो वही पहली बय खुद ब खुद नाफिज़ हो गयी । मुस्ताजिर ने बय को जायज़ कर दिया तो बय सही हो गयी । मगर उसके कब्ज़ा से नहीं निकाल सकते, जब तक उसका माल न वसूल होले ।

मस्अला- जो चीज़ किराये पर है उसको खुद किरायादार के हाथ बय किया तो यह इजाज़त पर मौकूफ नहीं, बल्कि अभी नाफिज़ हो गयी ।

मस्अला- किराया वाली चीज़ बेची और मुश्तरी को मालूम है कि यह चीज़ किराया पर उठी है इस बात पर राज़ी हो गया कि जब तक इजारा की मुद्दत पूरी न हो किराया पर रहे, मुद्दत पूरी होने पर बाए मुझे कब्ज़ा दिलाये इस सूरत में अन्दुरून मुद्दत मबीय को दिलाये जाने का मुतालबा नहीं कर सकता और बाए भी मुश्तरी से समन का मुतालबा नहीं कर सकता, जब तक कब्ज़ा देने का वक़्त न आ जाये ।

---

* मुर्तहिन - जिस के यहां कोई चीज़ गिरवीं रखी जाये । मुस्ताजिर - किराया पर लेने वाला । मूजिर - किराये पर देने वाला । इजारा - किराया । राहिन - अपनी चीज़ गिरवीं रखने वाला । मरहून - जो चीज गिरवी है ।

मस्अला- काश्तकार को एक मुद्दत मुकर्ररह तक के लिए खेत इजारा पर दिया, चाहे काश्तकार ने अब तक खेत बोया हो या न बोया हो, उसकी बय काश्तकार की इजाजत पर मौक़ूफ़ है ।

मस्अला- किराया पर मकान है मालिक मकान ने किरायादार की बगैर इजाज़त उस को बय कर दिया, किरायादार बय पर तैयार नहीं मगर उसने किराया बढ़ा कर नया इजारा किया तो बय मौक़ूफ़ जायज़ हो गई क्योंकि पहला इजारा ही बाकी न रहा जो बय को रोके हुए था ।

मस्अला- मुस्ताजिर को खबर हुई कि किराया की चीज़ मालिक ने फरोख्त कर दी, उसने मुश्तरी से कहा कि मेरे इजारा में तुमने खरीदा था तुम्हारी मेहरबानी हो कि जो किराया दे चुका हूं जब तक वसूल न कर लूं उस वक्त तक मुझे छोड़ दो, इस गुफ्तगू से इजाज़त हो गई और बय नाफ़िज़ है ।

मस्अला- कभी ऐसा होता है कि मबीय पर दाम लिख देते है और कहते है जो रक़म इस पर लिखी है उतने में बेची, मुश्तरी ने कहा ख़रीदी, यह बय भी मौक़ूफ है अगर उसी मजलिस में मुश्तरी को रक़म का इल्म हो जाये और बय अख्तियार कर ले तो बय नाफ़िज़ है वरना बातिल, बीजक पर बय का भी यही हुक्म है कि मजलिसे अक्द में समन मालूम हो जाना ज़रूरी है ।

मस्अला- जितने में यह चीज फ़लां ने बय की या खरीदी है मैं भी बय करता हूं, अगर बाए व मुश्तरी दोनों को मालूम है कि फलां ने इतने में बय की या खरीदी है तो यह जायज है और अगर मुश्तरी को मालूम नहीं अगरचा बाए जानता हो तो यह बय मौकूफ है । अगर उसी मजलिस में इल्म हो जाये और अख्तियार कर ले तो दुरूस्त है वरना दुरूस्त नहीं ।

एक़ाला का बयान

मस्अला- दो शख्सों के माबैन जो अक्द हुआ है उसके उठा देने को एकाला कहते हैं । यह लफ्ज़ कि मैने ईक़ाला किया, छोड़ दिया, फस्ख किया या दूसरे के कहने पर मबीय या समन का फेर देना और दूसरे का ले लेना एकाला है । निकाह तलाक़, एताक इबरा का एकाला नहीं हो सकता । दोनों में से एक एकाला चाहता है तो दूसरे को मंजूर कर लेना एक़ाला कर देना मुस्तहब है और यह मुस्तहके सवाब है ।

मस्अला- एकाला में दूसरे का कुबूल करना ज़रूरी है यानी तन्हा एक शख्स एकाला नहीं कर सकता और यह भी ज़रूरी है कि कुबूल भी उसी मजलिस में हो लेहाजा अगर एक ने एकाला के अल्फ़ाज़ कहे मगर दूसरे ने

★ रसूलअल्लाह सल: ने फ़रमाया जिसने किसी मुसलमान से एक़ाला किया क्यामत के दिन अल्लाह ताला उसकी लग़ज़िश को दफ़ा फ़रमायेगा ।

कुबूल नहीं किया या मजलिस के बाद किया तो एक़ाला न हुआ (जैसे मुश्तरी मबीय को बाए के पास वापस करने के लिए लाया उसने कर दिया, एकाला न हुआ) फिर अगर मुश्तरी ने मबीय को यहीं छोड़ दिया और बाए ने उस चीज़ को इस्तेमाल भी कर लिया अब भी एकाला न हुआ यानी अगर मुश्तरी समन वापस मांगता है यह समन वापस करने से इन्कार कर सकता है क्योंकि जब साफ़ तौर पर इन्कार कर चुका है तो एकाला नहीं हुआ । यूं ही अगर एक ने एकाला की दरख्वास्त की दूसरे ने कुछ न कहा और मजलिस के बाद एकाला को कुबूल करता है या पहले कोई ऐसा फेल कर चुका जिससे मालूम होता है कि उसे मंजूर नहीं उसके बाद कुबूल करता है तो कुबूल सही नहीं ।

मस्अला- एकाला के शरायत यह है १- दोनों का राज़ी होना २- मजलिस एक होना ३- अगर बये सर्फ का एकाला हो तो उसी मजलिस में तकाबुज़ बदलैन हो ४- मबीय का मौजूद होना शर्त है समन का बाक़ी रहना शर्त नहीं ५- मबीय ऐसी चीज़ हो जिसमें खियारे शर्त, खियारे रूइअत, खियारे ऐब की वजह से बय फस्ख हो सकती हो ६- अगर मबीय में ऐसी ज्यादती हो गयी जिसकी वजह से फस्ख न हो सके, तो एकाला भी नहीं हो सकता बाए ने समन मुश्तरी को कब्ज़ा से पहले हिब्बा न किया हो ।

मस्अला- एक़ाला के वक्त मबीय मौजूद थी, मगर वापस देने से पहले हलाकत हो गयी, एकाला बातिल हो गया ।

मस्अला- जो समन बय में था उसी पर या उसकी मिस्ल पर एकाला हो सकता है, अगर कम या ज़्यादा पर एक़ाला हुआ तो शर्त बातिल हो और एक़ाला सही यानी उतना ही देना होगा जो बय में समन था, जैसे हजार रूपये में एक चीज़ खरीदी उसका एक़ाला हजार रूपये में किया यह सही है और अगर डेढ़ हजार में किया जब भी हजार रूपया देना होगा और पांच सौ का जिक्र लग़ो है, और पांच सौ में किया मबीय में कोई नुकसान नहीं आया है जब भी हजार देना होगा, और मबीय में नुकसान आ गया है तो कमी के साथ एकाला हो सकता है ।

मस्अला- एकाला में दूसरी जिन्स का समन जिक्र किया गया जैसे बय हुई रूपये से एक़ाला में अशर्फ़ी या नोट वापस करना करार पाया तो एकाला सही है और वही समन वापस देना होगा जो बय में था दूसरे समन का जिक्र लग़ो है ।

मस्अला- मबीय में नुकसान आ गया इस वजह से समन से कम पर एकाला हुआ मगर वह ऐब जाता रहा तो मुश्तरी, बाए से वह कमी वापस लेगा जो समन में हुई है ।

मस्अला- ताजा साबुन बेचा था खुश्क होने के बाद एकाला हुआ मुश्तरी को सिर्फ़ साबुन ही देना होगा ।

मस्अला- आक्रेदैन के हक़ में एक़ाला फस्खे बय है और दूसरे के हक में यह एक बये जदीद है, लेहाजा अगर एकाला को फस्ख न करार दे सकते हों तो एक़ाला बातिल है जैसे मबीय लौन्डी या जानवर है जिसके कब्जा के बाद बच्चा पैदा हुआ तो उसका एकाला नहीं हो सकता ।

मस्अला- मबीय का कोई जुज़ हलाक हो गया, और कुछ बाकी है तो जो कुछ बाकी है उसमें एकाला हो सकता है, और अगर बय मकायज़ा हो (यानी दोनों तरफ़ ग़ैर नूकूद हों) और एक हलाक हो गई तो एकाला हो सकता है । दोनो जाती रहीं तो नही हो सकता ।

मस्अला- बाए ने मुश्तरी से कुछ जायद दाम ले लिए और मुश्तरी एकाला करना चाहता है तो एकाला कर देना चाहिये और अगर बहुत ज्यादा धोका दिया है तो एकाला की जरूरत नहीं तन्हा मुश्तरी बय को फस्ख कर सकता है ।

मस्अला- मबीय में अगर ज्यादते मुत्तसेला गैर मुतवल्लेदा हो (जैसे कपड़े में रंग, मकान में जदीद तामीर) तो एकाला नहीं हो सकता ।

मस्अला- एकाला हक़े सालिस में बये जदीद है लेहाजा मकान की बय हुई थी और शफ़ी ने शुफआ से इन्कार कर दिया था फिर अकाला हुआ तो अब शफी फिर शुफआ कर सकता है, और यह जदीद हक हासिल होगा ।

मस्अला- कोई चीज हिब्बा की मौहूबलहू ने उसको बय कर दिया, फिर एकाला हुआ तो हिब्बा करने वाला उसको वापस नहीं कर सकता ।

मस्अला- जिस तरह बय का एकाला हो सकता है, खुद एकाला का भी एकाला हो सकता है, एकाला का एकाला करने से एकाला जाता रहा और बय लौट आई, हां बये सल्लम में अगर मुस्लम फ़ीह पर कब्जा नहीं हुआ और एकाला हो गया तो इस एकाला का एकाला नहीं हो सकता ।

★मुराबहा और तौलिया का बयान

मस्अला- जो चीज़ जिस कीमत पर खरीदी जाती है और जो कुछ खर्च उस पर किये जाते हैं उन को ज़ाहिर करके उस पर नफ़ा की एक मिक़दार बढ़ाकर कभी फरोख़्त करते हैं उसको मुराबहा कहते हैंऔर अगर नफ़ा कुछ नहीं लिया तो तवलिया कहते हैं । जो चीज अलावा बय के किसी और तरीक़ा से मिल्क में आई (जैसे उसको किसी ने हिब्बा की या मीरास में हासिल हुई या वसिअत के जरिये मिली) उसकी क़ीमत लगा कर मुराबहा या तवलिया कर सकते हैं ।

मस्अला- रूपये और अशर्फ़ी में मुराबहा नहीं हो सकता, जैसे एक अशर्फ़ी पन्दरह रूपये को खरीदी और उसको एक रूपया या कम व वेश नफ़ा लगा कर मुरावहतन बय करना चाहता है तो यह जायज नहीं ।

मस्अला- मुराबह या तवलिया सही होने की शर्त यह है कि जिस चीज़ के बदले में मुश्तरी अव्वल ने ख़रीदी है वह मिस्ली हो, ताकि मुश्तरी सानी वह समन करार दे कर खरीद सकता हो और अगर मिस्ली न हो बल्कि क़ीमती हो तो यह ज़रूर है कि मुश्तरी सानी उस चीज का मालिक हो जैसे ज़ैद ने उमर से कपड़े के बदले में गुलाम खरीदा, फिर उस गुलाम का बकर से मुराबहा या तवल्लिया करना चाहता है अगर बकर ने वही कपड़ा उमर से ख़रीद लिया है या किसी तरह बकर की मिल्क में आ चुका है तो मुराबहा

★ कभी ऐसा होता है कि मुश्तरी में इतनी होशयारी नहीं कि खुद वाजबी क़ीमत पर ख़रीदें ला मोहाला उसे दूसरे पर भरोसा करना पड़ता है कि उसने जिन दामों में चीज ख़रीदी है, उतने ही दाम देकर उससे ले ले या वह कुछ नफ़ा लेकर उसको चीज देना चाहता है और यह उसका एतबार करके ख़रीद लेता है, क्योंकि मुश्तरी जानता है कि बगैर नफ़ा के बाए नहीं देगा और इतना नफ़ा देकर अगर न लूंगा तो मुमकिन है कि दूसरी जगह मुझको ज्याद दाम देने पड़ें या इससे कम में चीज न मिलेगी, लेहाजा उस नफ़ा देने को गनीमत समझता है । बये मुतलक और इसमें सिर्फ इतना ही फ़र्क़ है कि यहा अपनी ख़रीद के दाम बता कर उतना ही लेना चाहता है या उस पर नफ़ा की एक मोअइयन मिक्दार ज़्यादा करता है । लेहाजा बये मुतलक का जवाज इसका जवाज है और चूंकि मुश्तरी ने यहां बाए पर एतमाद किया है लेहाजा यहा बाए को पूरी तौर पर सच्चाई और अमानत से काम लेना जरूरी है ख्यानत बल्कि उसके शुबहा से भी एहतेराज लाजिम है । ख्यानत का भी अक़्द पर असर पड़ेगा जैसा कि इस बाब के मसायल से ज़ाहिर होगा । इस बय को जवाज इस हदीस से भी है कि हुज़ूरे अकदस ने हिजरत का एरादा फरमाया, हज़रत अबूबकर सिद्दकी रजी० ने दो ऊंट ख़रीदे, हुज़ूर ने इरशाद फ़रमाया एक का मेरे हाथ तवलिया कर दो, उन्होंने अर्ज किया हुज़ूर के लिए बग़ैर दाम के हाजिर है, इरशाद फरमाया, बगैर दाम के नहीं । चीज़ नबीये करीम ने फ़रमाया तवलिया व इक़ाला व शिर्कत सब बराबर हैं, इनमें हर्ज नहीं ।

हो सकता है या बकर ने उसी कपड़े के एवज़ में मुराबहा किया और अभी वह कपड़ा उमर ही की मिल्क है मगर बाद अक़्द उमर ने अक़्द को जायज़ कर दिया तो वह मुराबहा भी दुरूस्त है ।

मस्अला- मुराबहा में जो नफ़ा करार पाया है उसका मालूम होना ज़रूरी है और अगर वह नफ़ा कीमती हो तो इशारा करके उसे मोअइन कर दिया गया हो जैसे फ़लां चीज़ जो तुमने दस रूपये को खरीदी है मेरे हाथ दस रूपये और इस कपड़े के एवज़ में बय कर दो ।

मस्अला- समन से मुराद वह है जिस पर अक़्द वाका हुआ हो, फ़र्ज़ करो जैसे दस रूपये में अक्द हुआ मगर मुश्तरी ने उनके एवज में कोई दूसरी चीज़ बाए को दी, चाहे यह उसी कीमत की हो या कम व बेश की, बहरहाल मुराबहा व तवलिया में दस रूपये का लेहाज होगा, न उसका जो मुश्तरी ने दिया ।

मस्अला- दह याज़दह के नफ़ा पर मुराबहा हुआ (यानी दस रूपये पर एक रुपया नफ़ा दस की चीज़ है तो ग्यारह, बीस की है तो बाइस व अला हाज़ल क़यास) अगर समने अव्वल क़ीमती है जैसे कोई चीज़ एक घोड़े के बदले में खरीदी है और वह उस मुश्तरी सानी को मिल गया जो मुराबहतन खरीदना चाहता है और वह दहयाज़दह के तौर पर खरीदा और मतलब यह हुआ कि घोड़ा देगा और घोड़े की जो कीमत है उसमें फ़ी दहाई एक रुपया देगा, यह बय दुरूस्त नहीं कि घोड़े की कीमत मजहूल है लेहाजा नफ़ा की मिक़दार भी मजहूल हुई । और अगर बये अव्वल का समन मिस्ली हो जैसे पहले मुश्तरी ने सौ रूपये में खरीदी और दह याज दह के नफ़ा से बेची इसका माहसल एक सौ दस रूपये हुआ अगर यह पूरी मिक़दार मुश्तरी को मालूम हो जब तो सही है और मालूम न हुआ और उसी मजलिस में उसे ज़ाहिर कर दिया गया हो तो उसे अख़्तियार है कि ले या न ले और अगर मजलिस में भी न मालूम हुआ तो बय फ़ासिद है । आजकल आमतौर पर ताजिरों में आना रूपया दो आना रुपया के हिसाब से बय होती है उसका हुक्म वही दहयाज़ दह का है कि वक़्ते अक़्द मालूम होगा मजलिसे अक़्द में मालूम हो जाये तो बय सही है वरना फ़ासिद ।

मस्अला- रासुलमाल जिस पर मुराबहा व तवलिया की देना है (कि उस पर नफ़ा की मिकदार बढ़ाई जाये तो मुराबहा और कुछ न बढ़े वही समन रहे तो तवलिया) इसमें धोबी की उजरत (जैसे थान खरीद कर धुलवाया है) और नक्श व निगार हुआ है (जैसे चिकन कढ़वाई है) हाशिया के फुन्दने बटे गये हैं, कपड़ा रंगा गया है, बारबरदारी दी गयी है यह सब मसारिफ रासुलमाल पर इज़ाफा किये जा सकते हैं ।

मस्अला- मकान की मरम्मत कराई है सफ़ाई कराई है, प्लास्टर कराया है, कूँआ खुदवाया है इन सब के मसारिफ़ शामिल होंगे, दलाल को जो कुछ दिया है वह भी शामिल होगा ।

मस्अला- चरवाहे की उजरत या खुद अपने मसारिफ़ (जैसे जाने आने का किराया और अपनी खुराक़) और जो काम खुद किया है या किसी ने मुफ्त कर दिया है उस काम की उजरत, जिस मकान में चीज़ को रखा है उसका किराया, इन सब के इज़ाफ़ा नहीं करेंगे ।

मस्अला- क्या चीज़ इज़ाफ़ा करेंगे क्या नहीं करेंगे इसका कायदा कुल्लिया यह है कि इस बाब में ताजिरों का उर्फ़ देखा जायेगा, जिसके मुतालिक़ उर्फ़ है उसे शामिल करें और उर्फ़ न हो तो शामिल न करें ।

मस्अला- जो मसारिफ़ नाजायज़ तौर पर जबरन वसूल किये जाते हैं जैसे चुंगी अगर तुज्जार का उर्फ़ उसके इज़ाफ़ा करने का हो तो इज़ाफ़ा करें वरना नहीं । ग़ालेबन चुंगी को आजकल के तुज्जार तवल्लिया व मुराबहा में रासुलमाल पर इज़ाफ़ा करते हैं ।

मस्अला- जो मसारिफ़ इज़ाफा करने के हैं उन्हें इज़ाफ़ा करने के बाद बाए यह न कहे, मैंने इतने को खरीदी है क्योंकि यह झूठ है बल्कि यह कहे कि मुझे इतने में पड़ी है ।

मस्अला- बये मुराबहा में अगर मुश्तरी को मालूम हुआ कि बाए ने कुछ ख़्यानत की है (जैसे असली समन पर ऐसे मसारिफ़ इज़ाफ़ा किये जिनको इज़ाफ़ा करना नाजायज़ है या उस समन को बढ़ा कर बताया, दस में खरीदी गयी बताया ग्यारह) तो मुश्तरी को अख्तियार है कि पूरे समन पर ले या न ले, यह नहीं कर सकता कि जितना गलत बताया है उसे कम कर के समन अदा करे, उसने ख़्यानत की है, उसे मालूम करने की तीन सूरतें है । खुद उसने इक़रार किया हो या मुश्तरी ने उसको गवाहों से साबित किया या उस पर हल्फ़ दिया गया, उसने कसम से इन्कार किया । तवल्लिया में अगर बाए की ख़्यानत साबित हो तो जो कुछ ख़्यानत की है उसे कम करके मुश्तरी समन अदा करे (जैसे उसने कहा मैंने दस रूपये में ख़रीदी है और साबित हुआ आठ में ख़रीदी है तो आठ देकर मबीय ले लेगा ।

मस्अला- मुराबहा में ख़्यानत ज़ाहिर हुई और फेरना चाहता है फेरने से पहले मबीय हलाक हो गयीयाउस में कोई ऐसी बात पैदा हो गयी जिससे बयको फस्ख करना नादुरूस्त हो जाता है तो पूरे समन पर मबीय को रख लेना ज़रूरी होगा अब वापस नहीं कर सकता, न नुकसान का मुआवजा मिल सकता है ।

मस्अला- सुलह के तौर पर जो चीज़ हासेल हो उसका मुराबहा नहीं हो सकता जैसे ज़ैद के उमर पर दस रूपये चाहिए थे उसने मुतालबा किया, उमर

ने कोई चीज़ देकर सुलह कर ली यह चीज़ ज़ैद को अगरचा दस रुपये के मुअवेज़ा में मिली है मगर उसका मुराबहा दस रुपये पर नहीं हो सकता ।

मस्अला- जिस वक्त उसने खरीदी थी उस वक्त नर्ख गेरां था और अब बाज़ार का हाल बदल गया, इसको ज़ाहिर करना भी जरूरी नहीं ।

मस्अला- जानवर या मकान खरीदा या उसको किराया पर दिया, मुराबहा में यह बयान करने की जरूरत नहीं कि इसका इतना किराया वसूल कर लिया है और अगर जानवर से थी, दूध हासिल किया है तो उसको समन में मुजरा देना होगा ।

मस्अला- कोई चीज़ गेरा खरीदी और इतने दाम ज़्यादा दिये कि लोग उतने में नहीं खरीदते थो मुराबहा व तवलिया में उसको ज़ाहिर करना ज़रूर है ।

मस्अला- जितने में खरीदी थी या जितने में पड़ी है उसी पर तवलिया किया मगर मुश्तरी को यह मालूम नहीं कि वह क्या रकम है यह बय फ़ासिद है, फिर अगर मजलिस में उसे इल्म हो जाये तो उसे अख्तियार है ले या न ले और मजलिस में भी इल्म न हुआ तो अब फ़साद नहीं हो सकता मुराबहा का भी यही हुक्म है ।

मबीय व समन★ में तसर्रुफ़ का बयान

मस्अला- जायदाद गैर मनकूला खरीदी है उसको कब्ज़ा करने से पहले बय करना जायज़ है क्योंकि उसका हलाक होना बहुत नादिर है और अगर वह ऐसी हो जिसके ज़ाया होने का अन्देशा हो तो जब तक कब्ज़ा न कर लें बय नहीं कर सकता जैसे बाला खाना या दरिया के किनारे का मकान और ज़मीन या वह ज़मीन जिस पर रेता चढ़ जाने का डर हो ।

मस्अला- मनकूल चीज़ खरीदी, तो जब तक कब्ज़ा न कर ले बय नहीं कर सकता लेकिन हेबा न सदका कर सकता है, रेहन रख सकता है, कर्ज, आरियत देना चाहे तो दे सकता है ।

★ बुखारी, मुस्लिम, अबूदाऊद, १- नसई, २- बगहक़ी अब्दुलाह इब्न उमर रज़ी० से रावायत करते हैं कि बाजार में गल्ला खरीद कर उसी जगह (बगैर कब्ज़ा किये) लोग बेच डालते थे, रसूलल्लाह अलैहे वसल्लम ने उसी जगह बय करने से मना फरमाया, जब तक मुनतक़िल न कर लें, और सहीहैन में इन्हीं से मरवी है कि रसूलल्लाह ने फ़रमाया जो शख्स गल्ला खरीदे जब तक कब्ज़ा न कर लें उसे बय न करें । हज़रत अब्दुल्लाह फ़रमाते हैं कि जिस चीज़ को रसूलल्लाह ने कब्ज़ा से पहले बेचना मना फ़रमाया वह गल्ला है मगर मेरा गुमान यह है कि हर चीज़ का यही हुक्म है ।

मस्अला- मनकूल चीज़ कब्ज़ा से पहले बाए को हिबा कर दिया और बाए ने कुबूल कर लिया तो बय जाती रही, और अगर बाए के हाथ बय कर दिया तो यह बय सही नहीं, पहली बय अब भी बाक़ी है ।

मस्अला- खुद बाए ने मुश्तरी के कब्ज़ा से पहले मबीय में तसर्रूफ किया, तो इसकी दो सूरतें हैं पहली यह कि उसने मुश्तरी के हुक्म से तसर्रूफ किया, दूसरी यह कि बगैर हुक्म के । अगर हुक्म से तसर्रुफ़ किया (जैसे मुश्तरी ने कहा कि इसको हिबा कर दे या किराया पर दे दे बाए ने ऐसा कर दिया) तो मुश्तरी का कब्ज़ा हो गया और अगर बगैर हुक्म के तसर्रुफ़ किया (जैसे वह चीज रेहन रख दी या उजरत पर दे दी, अमानत रख दी) और मबीय हलाक हो गयी तो बय जाती रही और अगर बाए ने आरियत दी, हिबा किया, रेहन रखा, और मुश्तरी ने जायज़ कर दिया तो यह भी मुश्तरी का कब्ज़ा हो गया ।

मस्अला- मुश्तरी ने बाए से कहा फंला के पास मबीय रख दो जब मैं दाम अदा करूंगा वह मुझे दे देगा, और बाय ने उसे दे दिया तो यह मुश्तरी का कब्ज़ा न हुआ बल्कि बाऐ ही का कब्ज़ा है यानी वह चीज़ हलाक होगी तो बाए की हलाक होगी ।

मस्अला- एक चीज़ खरीदी थी उस पर कब्ज़ा नहीं किया, बाए ने दूसरे के हाथ ज़्यादा दामों में बेच डाली, मुश्तरी ने बय जायज़ कर दी, जब भी यह बय दुरूस्त नहीं कि कब्ज़ा से पेशतर है ।

मस्अला- जिसने कैली चीज कैल के साथ या वज़नी चीज़ वज़न के साथ खरीदी या अददी चीज गिनती के साथ खरीदी तो जब तक नाप या तौल या गिनती न कर ले उसको बेचना भी जायज़ नहीं, और खाना भी जायज़ नहीं और अगर तखमिना से खरीदी यानी मबीय सामने मौजूद है देख कर उस सारी को खरीद लिया (यह नहीं कि इतने सेर या इतने नाप या इतनी तादाद खरीदा) तो इसमें तसर्रूफ करने, बेचने, खाने के लिए नाप, तौल वगैरह की ज़रूरत नहीं और अगर यह चीजें हिबा मीरास, वसीअत में हासिल हुई या खेत में पैदा हुई तो नापने वगैरह की ज़रूरत नहीं ।

मस्अला- बय के बाद बाए ने मुश्तरी के सामने नापा या तौला तो अब मुश्तरी को नापने, तौलने की ज़रूरत नहीं और अगर बय से पहले उसके सामने नापा, तौला या बय के बाद उसकी गैर हाज़िरी में नापा, तौला तो वह काफ़ी नहीं, बगैर नापे, तौले उसको खाना या बेचना जायज़ नहीं ।

मस्अला- मौज़ूँ या मकील को बय तआती के साथ खरीदा तो मुश्तरी का नापना, तौलना ज़रूरी नहीं, कब्ज़ा कर लेना काफ़ी है ।

मस्अला- बाए ने बय से पहले तौला था उसके बाद एक शख़्स । जिसके सामने तौला उसको ख़रीदा मगर उसने नहीं तौला और बय कर दी और तौल कर मुश्तरी को दी यह ?? जायज नहीं की तौलने से पहले हुई ।

मस्अला- थान ख़रीदा अगरचा गजों के हिसाब से खरीदा (जैसे यह थान दस गज का है और इसके दाम यह है) इसमें तसर्रूफ नापने से पहले जायज़ है, हां अगर बय में गज के हिसाब से कीमत हो जैसे एक रूपया गज तो जब तक नाप न लिया जाये तसर्रूफ जायज़ नहीं और मौजूं चीज़ अगर ऐसी हो कि उसके टुकड़े करना मुज़िर हो तो वजन करने से पहले उसमें तसर्रूफ जायज़ है जैसे तांबे वग़ैरह के लोटे और बर्तन ।

मस्अला- समन में कब्ज़ा करने से पहले तसर्रूफ जायज़ है, इसको बय हिबा इजारा, सदका, वसिअत सब कुछ कर सकते हैं । समन कभी हाज़िर होता है जैसे यह चीज़ इन दस रूपयों के बदले में ख़रीदी और कभी हाज़िर की तरफ इशारह नहीं किया जाता जैसे यह चीज़ दस रूपये के बदले में खरीदी, पहली सूरत में हर क़िस्म के तसर्रूफ कर सकते हैं मुश्तरी को भी मालिक कर सकते हैं और ग़ैर मुश्तरी को भी, और दूसरी सूरत में मुश्तरी को मालिक कर देने के अलावा दूसरा तसर्रूफ़ नहीं कर सकते यानी ग़ैर मुश्तरी को उसकी तमलीक नहीं कर सकते जैसे बाए, मुश्तरी से कोई चीज़ उन रूपयों के बदले में खरीद सकता है जो मुश्तरी के ज़िम्मा हैं या उसका जानवर या मकान किराया पर ले सकता है और यह भी कर सकता है कि वह रूपये उसे हिबा कर दे, सदका कर दे, और अगर मुश्तरी के अलावा दूसरे से कोई चीज़ खरीदें उन रूपयों के बदले में जो इस मुश्तरी पर हैं या दूसरे को हिबा करें, सदका करे तो यह सही नहीं ।

मस्अला- समन की दो किस्म है । एक वह कि मोइयन करने से मोअइन हो जाता है जैसे नाप व तौल की चीज़ें, दूसरा वह कि मोअइयन करने से भी मोअइयन न हो, जैसे रूपया, अशर्फ़ी, कि बये सही में मोअइयन करने से भी मोअइयन नहीं होता जैसे कोई चीज़ इस रूपये के बदले में खरीदी यानी किसी ख़ास रूपये की तरफ इशारह किया तो उसी का देना वाजिब नहीं दूसरा रुपया भी दे सकता है कि दस रूपया की जगह दस का नोट पन्द्रह रुपया की जगह गिन्नी दे सकता है मुश्तरी को हर्गिज़ यह हक हासिल नहीं कि कहे रुपया लूंगा नोट, अशर्फ़ी नहीं लूंगा ।

मस्अला- कब्ज़ा से पहले समन के अलावा किसी दैन में तसर्रूफ करने का वही हुक्म है जो समन का है, जैसे महर-कर्ज़ - उजरत - बदले ख़ुलआ, तावान कि जिस पर उसका मुतालबा है उसको मालिक बना सकते हैं यानी उससे इन के बदले में कोई चीज़ खरीद सकते है । उसको मकान वग़ैरह की उजरत में दे सकते हैं, हिबा व सदका कर सकते है लेकिन दूसरे को मालिक करना चाहे तो नहीं कर सकते ।

मस्अला- बये सर्फ व स लम में जिस चीज़ पर अक़्द हुआ उसके अलावा दूसरी चीज़ का लेना, देना जायज़ नहीं और न उसमें किसी दूसरी क़िस्म का तसर्रूफ़ जायज़ न मुस लम अलैह, रासुलमाल में तसर्रूफ़ कर सकता है और न रब्बुल सलम मुस्लम फ़ीह में कि वह रूपये के बदले में अशर्फ़ी ले ले, और गेहूं के बदले में जौ ले, यह ना जायज़ है ।

मस्अला- मुश्तरी ने बाए के लिए समन में कुछ अज़ाफ़ा कर दिया य बाए ने मबीय में अज़ाफ़ा कर दिया, यह जायज़ है समन या मबीय में अज़ाफ़ उसी जिन्स से हो या दूसरी जिन्स से उसी मजलिसे अक़्द में हो या बाद में हर सूरत में यह अजाफा लाजिम हो जाता है यानी बाद में अगर नदामत हुई कि ऐसा मैं ने क्यों किया तो बेकार है वह देना पड़ेगा, अजनबी ने समन में अज़ाफ़ा कर दिया और मुश्तरी ने क़ुबूल कर लिया तो यह मुश्तरी पर लाज़िम हो जायेगा और अगर मुश्तरी ने इन्कार कर दिया तो बातिल हो गया, हां अगर अजनबी ने अज़ाफ़ा किया और खुद ज़ामिन भी बन गया या कहा मैं अपने पास से दूंगा तो अज़ाफ़ा सही है और ज़्यादत अजनबी पर लाज़िम है ।

मस्अला- अगर मुश्तरी ने समन में अज़ाफ़ा किया तो उसके लाज़िम होने की शर्त यह है कि बाए ने उसी मजलिस में क़ुबूल भी कर लिया हो और अगर उसी मजलिस में क़ुबूल नहीं किया बाद में किया तो लाजिम नहीं, और यह भी शर्त है कि मबीय मौजूद हो, मबीय के हलाक होने के बाद समन में अज़ाफा नहीं हो सकता । मबीय को बेच डाला हो फिर खरीद लिया या वापस कर लिया हो जब भी समन में अज़ाफ़ा सही है । बकरी मर गयी है तो समन में अज़ाफ़ा नहीं हो सकता, और जबह कर दी गयी है तो हो सकता है । मबीय में बाए ने ज़्यादती की इसमें भी मुश्तरी का उसी मजलिस में क़ुबूल करना शर्त है मबीय का बाक़ी रहना शर्त नहीं । मबीय हलाक हो चुकी है जब भी मबीय में अज़ाफ़ा हो सकता है ।

मस्अला- समन में बाए कमी कर सकता है (जैसे दस रूपये में एक चीज बय की थी मगर खुद बाए को ख्याल हुआ कि मुश्तरी पर इसकी गेरानी होगी, और समन कम कर दिया, यह हो सकता है) इसके लिए मबीय का बाकी रहना शर्त नहीं, यह कमी समन पर क़ब्ज़ा करने के बाद भी हो सकती है ।

मस्अला- कमी ज़्यादती जो कुछ भी है अगरचा बाद में हुई हो उसको असल अक़्द में शुमार कर लेंगे यानी कमी बेशी के बाद जो कुछ है उसी पर अक़्द मुतसव्वर होगा, पूरे समन का इस्क़ात नहीं हो सकता (यानी मुश्तरी के ज़िम्मा समन कुछ न रहे और बय क़ायम रहे) कि बिला समन बय क़रार पाये यह नहीं हो सकता । यह अलबत्ता होगा कि बय उसी समने अव्वल पर क़रार पायेगी और यह समझा जायेगा कि बाये ने मुश्तरी से समन माफ़ कर दिया ।

इसका नतीजा वहां ज़ाहिर होगा कि शफ़ीइ ने शुफ़आ किया तो पूरा समन देना होगा ।

मस्अला- कमी, बेशी को असल अक़्द में शुमार करने का असर यह होगा कि मुरावहा व तबलिया में उसी का एतबार होगा, समन अव्वल का या मबीअ अव्वल का एतबार न होगा ।

मस्अला- मबीय में अगर मुश्तरी कमी करना चाहे और मबीय अज़ क़बीले दैन यानी गैर मोअइयन हो तो जायज़ और मोअइयन हो तो कमी नहीं हो सकती ।

मस्अला- बाए ने अगर अक़्दे बय के बाद मुश्तरी को अदाये समन के लिए मोहलत दी यानी इसके लिए मियाद मुक़र्रर कर दी और मुश्तरी ने भी कुबूल कर ली, तो यह दैन मियादी हो गया बाए पर वह मियाद लाज़िम हो गयी, उससे पहले मुतालबा नहीं कर सकता । हर दैन* का यही हुक्म है कि मियादी न हो और बाद में मियाद मुकर्रर हो जाये तो मियादी हो जाता है मगर मदयून का कुबूल करना शर्त है अगर उसने इन्कार कर दिया तो मियादी नहीं होगा, फौरन अदा करना वाजिब हो जायेगा और दायन जब चाहेगा मुतालबा कर सकेगा ।

मस्अला- दैन की मियाद कभी मालूम होती है (जैसे फलां महीना की फलां तारीख) और कभी मजहूल । मगर जहालते यसीरह हो तो जायज है जैसे जब खेत कटेगा, और ज्यादा जहालत हो जैसे जब आंधी आयेगी या पानी बरसेगा, यह मियाद बातिल है ।

मस्अला- दैन की मियाद को शर्त पर मोअल्लक भी कर सकते हैं, जैसे एक शख़्स पर हज़ार रुपये हैं, उससे दायन कहता है अगर पाँच सौ रुपये कल अदा कर दे तो बाकी पाँच सौ के लिए छः महीना की मोहलत है।

---

* जो चीज वाजिब फिज़्ज़िम्मा हो किसी अक़्द (जैसे बय या इजारा) की वजह से या किसी चीज के हलाक करने से उसके ज़िम्मा तावान वाजिब हुआ, या कर्ज की वजह से वाजिब हुआ, इन सबको दैन कहते है । दैन की एक खास सूरत का नाम कर्ज है जिसको लोग दस्त गरदां कहते है । हर दैन को आजकल लोग कर्ज कहते हैं यह फिक़ह की इस्तेलाह के ख़िलाफ़ है ।

*क़र्ज़ का बयान

मसअला- जो चीज़ क़र्ज़ दी जाये या ली जाये उसका मिस्ली होना ज़रूरी है, यानी नाप की चीज़ हो या तौल की हो या गिनती की हो मगर गिनती की चीज़ में शर्त यह है कि इसके अफ़राद में ज़्यादा तफ़ावुत न हो, जैसे अंडे, अख़रोट, बादाम और अगर गिनती की चीज़ में तफ़ावुत ज़्यादा हो जिसकी वजह से क़ीमत में इख़्तिलाफ़ हो, जैसे आम, अमरूद, इनको क़र्ज़ नहीं दे सकते । यूं ही क़ीमती चीज़ जैसे जानवर मकान, ज़मीन इन को क़र्ज़ देना सही नहीं ।

मसअला- क़र्ज़ का हुक्म यह है कि जो चीज़ ली गया है उसकी मिस्ल अदा की जायें लेहाज़ा जिसको मिस्ल नहीं उसका क़र्ज़ देना सही नहीं । जिस चीज़ को क़र्ज़ देना लेना जायज़ नहीं अगर उसको किसी ने क़र्ज़ लिया तो उस क़ब्ज़ा करने से मालिक हो जायेगा मगर उससे नफ़ा उठाना हलाल नहीं, लेकिन अगर उसको बय करेगा तो बय सही हो जायेगी उसका हुक्म वैसा ही है जैसे बये फ़ासिद में मबीअ पर क़ब्ज़ा कर लिया कि वापस करना ज़रूरी है, मगर बय करेगा तो बय सही होगा ।

मसअला- काग़ज़ का क़र्ज़ लेना जायज़ है, जबकि उसकी क़िस्म और सिफ़त का बयान हो जाये, और उसकी गिनती के साथ लिया जाये, और गिन कर दिया जाये मगर आजकल थोड़े से काग़ज़ों में ख़रीद व फ़रोख़्त व क़र्ज़ में गिन कर लेते देते हैं ज़्यादा मिक़दार यानी रिमों में वज़न का एतबार होता है यानी जैसे इतने पौण्ड का रिम उर्फ़ में तख़्ते नहीं गिनते इसमें हर्ज नहीं ।

---

* रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम ने फ़रमाया कि जब कोई क़र्ज़ दे और उसके पास वह हदिया करे तो क़ुबूल न करे और अपनी सवारी पर सवार करे तो सवार न हो, अगर पहले से इन दोनों में हदिया वग़ैरह जारी था, तो हर्ज नहीं और नसाई ने अब्दुल्लाह बिन अबी रबिआ रज़ि० से रिवायत की, कहते हैं मुझसे हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम ने क़र्ज़ लिया था जब हुज़ूर के पास माल आया, अदा फ़रमा दिया, और दुआ दी कि अल्लाहतआला तेरे अहल व माल में बरकत करे । और फ़रमाया क़र्ज़ का बदला शुक्रिया है और अदा कर देना क़ुरान शरीफ़ में है कि अगर मदयून तंग दस्त है तो उसे मुहलत दो, और माफ़ कर दो तो यह बेहतर है, मुस्लिम में है कि रसूलुल्लाह ने फ़रमाया जो यह चाहता है कि अल्लाहतआला उसकी क़यामत की सख़्तियों से बचाये तो वह मदयून को मोहलत दे या माफ़ कर दे । बुख़ारी की रिवायत है कि हुज़ूर ने फ़रमाया जो आदमी लोगों का माल लेता है और अदा करने का इरादा रखता है तो अल्लाहतआला उससे अदा करा देगा, (यानी अदा करने की तौफ़ीक़ देगा या क़यामत में दायन को राज़ी करेगा) और जो शख़्स तल्फ़ करने के इरादे से लेता है अल्लाहतआला उस पर तल्फ़ कर देगा न, यानी अदा की तौफ़ीक़ होगी न दायन राज़ी होगा और फ़रमाया कि दैन के अलावा शहीद के सब गुनाह बख़्श दिये जायेंगे ।

मस्अला- रोटियों को गिनकर भी कर्ज़ ले सकते हैं और तौलकर भी, गोश्त वजन करके लिया जाये ।

मस्अला- आटे को नापकर कर्ज़ लेना देना चाहिए, और अगर उ़र्फ़ वज़न से कर्ज़ लेने का हो जैसा कि उमूमन हिन्दोस्तान में है, तो वज़न से भी कर्ज़ जायज़ है ।

मस्अला- ईंधन की लकड़ी और दूसरी लकड़ियां और उपले और तख्ते और तरकारियां और ताज़ा फूल, इन सब का कर्ज़ लेना देना दुरूस्त नहीं ।

मस्अला- कच्ची और पक्की ईंटों का कर्ज़ जायज़ है जबकि उनमें तफ़ावुत न हो जिस तरह आजकल शहर भर में एक तरह की ईंटें तैयार होती है ।

मस्अला- बर्फ़ को वज़न के साथ कर्ज़ लेना दुरूस्त है और अगर गर्मियों में बर्फ़ कर्ज़ लिया था और जाड़े में अदा कर दिया, यह हो सकता है मगर कर्ज़ देने वाला उस वक्त नहीं लेना चाहता, वह कहता है गर्मियों में लूँगा और यह अभी देना चाहता है तो मामला क़ाज़ी के पास पेश करना होगा, वह वसूल करने पर मजबूर करेगा ।

मस्अला- पैसे कर्ज़ लिये थे, उसका चलन जाता रहा, तो वैसे ही पैसे उसी तादाद में दे देने से कर्ज़ अदा न होगा, बल्कि उसकी कीमत का एतबार है जैसे आठ आने के पैसे थे तो चलन बन्द होने के बाद अठन्नी या दूसरा सिक्का उस कीमत का देना होगा ।

मस्अला- अदाए कर्ज़ में चीज़ के सस्ते महंगे होने का एतबार नहीं, जैसे दस सेर गेहूँ कर्ज़ लिये थे, उनकी क़ीमत एक रुपया थी और अदा करने के दिन एक रुपया से कम या ज्यादा है, इसका बिल्कुल लिहाज नहीं किया जायेगा, वही दस सेर गेहूँ देने होंगे ।

मस्अला- एक शहर में मसलन ग़ल्ला कर्ज़ लिया और दूसरे शहर में कर्ज़ ख्वाह ने मुतालबा किया तो जहाँ कर्ज़ लिया था वहाँ जो कीमत थी वह दी जाये कर्ज़दार इस पर मजबूर नहीं कर सकता कि मैं यहाँ नहीं दूँगा वहाँ चलकर वह चीज़ ले लो । एक शहर में गुल्ला कर्ज़ लिया, दूसरे शहर मे जहां गुल्ला गिरा है, कर्ज़ ख्वाह उससे ग़ल्ला का मुतालबा करता है, तो कर्ज़दार से कहा जायेगा कि इस बात का ज़ामिन दे दो कि अपने शहर में जाकर ग़ल्ला अदा कर दूँगा ।

मस्अला- मेवे कर्ज़ लिये थे मगर अभी अदा नहीं किये कि यह मेवे खत्म हो चुके बाज़ार में मिलते नहीं, तो कर्ज़ ख्वाह को इन्तज़ार करना पड़ेगा, नये

फल आ जायें उस वक्त कर्ज़ अदा किया जाये और अगर दोनों क़ीमत देने लेने पर राज़ी हो जायें, तो क़ीमत अदा कर दी जायें ।

मस्अला- कर्ज़दार ने जब कर्ज़ पर कब्ज़ा कर लिया, तो उस चीज़ का मालिक हो गया फर्ज़ करो एक चीज़ कर्ज़ ली थी और अभी खर्च नहीं की है कि अपनी चीज़ आ गई (जैसे रूपया कर्ज़ लिया या रूपया आ गया, आटा कर्ज़ लिया था पकने से पहले आटा पिस कर आ गया) अब कर्ज़दार को अख़्तियार है कि उसकी चीज़ रहने दे और अपनी चीज़ से कर्ज़ अदा करे या उसकी ही चीज़ वापस दे दे, जिसने कर्ज़ दिया है वह नहीं कह सकता कि मैंने जो चीज़ दी थी वह तुम्हारे पास मौजूद है मैं वही लूंगा ।

मस्अला- कर्ज़ की चीज़ कर्ज़दार के पास मौजूद है कर्ज़दार उसको खुद कर्ज़ख्वाह के हाथ बय करे यह सही है कि वह मालिक है, और अगर कर्ज़ख्वाह बय करे तो यह सही नहीं है कि यह मालिक नहीं, एक शख्स ने दूसरे से गल्ला कर्ज़ लिया कर्ज़दार ने कर्ज़ख्वाह से रूपया के बदले उसको खरीद लिया यानी उस दैन को खरीदा जो उसके ज़िम्मा है । मगर कर्ज़ख्वाह ने रूपया पर अभी कब्ज़ा नहीं किया था कि दोनों जुदा हो गये बय बातिल हो गयी ।

मस्अला- गुलाम, ताजिर, और मकातब और नाबालिग़ और बोहरा यह सब किसी को कर्ज़ दें यह ना जायज़ है कि कर्ज़ तबर्रओ है और यह तबर्रओ नहीं कर सकते ।

मस्अला- सबी महजूर (जिसको खरीद व फ़रोख्त की मुमानियत है) को कर्ज़ दिया उसके हाथ कोई चीज़ बय की उसने खर्च कर डाली तो उसका मुआविज़ा कुछ नहीं, बोहरे और मजनून को कर्ज़ देने का भी यही हुक्म है । और अगर वह चीज़ मौजूद है खर्च नहीं हुई तो कर्ज़ख्वाह वापस ले सकता है । गुलाम महजूर को कर्ज़ दिया तो जब तक आज़ाद न हो उससे मवाखिज़ा नहीं हो सकता ।

मस्अला- एक शख्स से दूसरे ने रूपये कर्ज़ मांगे वह देने को लाया, उसने कहा पानी में फेंक दो उसने फेंक दिया तो उसका कुछ नुकसान नहीं उसने अपना माल फेंका है, और अगर बाए मबीअ को मुश्तरी के पास लाया या अमीन अमानत को मालिक के पास लाया, उन्होंने कहा फेंक दो, उन्होंने फेंक दिया तो मुश्तरी और मालिक का नुकसान हुआ ।

मस्अला- कर्ज़ में किसी शर्त का कोई असर नहीं, शर्त बेकार है जैसे यह शर्त कि इसके बदले में फलां चीज़ देना या यह शर्त कि फलां जगह (किसी दूसरी जगह का नाम लेकर) वापस करना ।

मस्अला- वापसी कर्ज़ में उस चीज़ की मिस्ल देनी होगी जोली है, न उससे बेहतर न उससे कमतर, हां अगर अदा करता है और उसकी शर्त न थी बेहतर

तो जाइज़ है, दाइन उसको ले सकता है । यूं ही जितना लिया है अदा के वक्त उससे ज़्यादा देता है मगर इसकी शर्त न थी यह भी जाइज़ है ।

मस्अला- कर्ज़ दिया और यह ठहरा लिया कि जितना दिया है उससे ज़्यादा लेगा जैसा कि आजकल सूदखोरों का कायदा है कि रुपये दो रुपये सैकड़ा माहवार सूद ठहरा लेते हैं, यह हराम है, यूं ही किसी किस्म के नफ़ा की शर्त करे नाजाइज़ है जैसे यह शर्त कि मुक़रिज़ मुक़्तरिज़ से कोई चीज़ ज़्यादा दामों में खरीदेगा या यह कि कर्ज़ के रुपये फ़लां शहर में मुझको देने होंगे ।

मस्अला- जिस पर कर्ज़ है उसने कर्ज़ देने वाले को कुछ हदिया किया तो लेने में हर्ज नहीं, जबकि हदिया देना कर्ज़ की वजह से न हो बल्कि इस वजह से हो कि दोनों में क़राबत या दोस्ती है या उसकी आदत ही में जूद व सख़ावत है कि लोगों को हदिया किया करता है । और अगर कर्ज़ की वजह से है या नहीं, तब भी परहेज़ ही करना चाहिए, जब तक यह बात ज़ाहिर न हो जाये कि कर्ज़ की वजह से नहीं है, उसकी दावत का भी यही हुक्म है कि कर्ज़ की वजह से न हो तो कुबूल करने में हर्ज नहीं, और कर्ज़ की वजह से है या पता न चले तो बचना चाहिए, इसको यूं समझना चाहिए कि कर्ज़ नहीं दिया था जब भी दावत करता था तो मालूम हुआ कि यह दावत कर्ज़ की वजह से नहीं और अगर पहले नहीं करता था और अब करता है या पहले महीना में एक बार करता और अब दो बार करने लगा या अब सामाने ज़ियाफ़त ज़्यादा करता है तो मालूम हुआ कि यह कर्ज़ की वजह से है इस से इज्तिनाब चाहिए ।

मस्अला- जिस किस्म के दैन था, मदयून उससे बेहतर अदा करना चाहता है, दाइन को इसके कुबूल करने पर मजबूर नहीं कर सकते और घटिया देना चाहता है जब भी मजबूर नहीं कर सकते, और दाइन कुबूल कर ले तो दोनों सूरतों में दैन अदा हो जायेगा यूं ही अगर उसके रुपये थे और वह अशर्फ़ी देना चाहता है, दाइन कुबूल करने पर मजबूर नहीं कर सकता है जैसे रुपया दिया था रुपया लूंगा और अगर दैन मीआदी था मीआद पूरी होने से पहले अदा करता है तो दाइन लेने पर मजबूर किया जायेगा वह इन्कार करे तो यह उसके पास रख चला आये दैन अदा हो जायेगा ।

मस्अला- कर्ज़दार कर्ज़ अदा नहीं करता मगर कर्ज़ख़्वाह को उसकी कोई चीज़ उसी जिन्स की जो कर्ज़ में दी है मिल जाये तो बग़ैर दिये ले सकता है बल्कि ज़बरदस्ती छीन ले जब भी कर्ज़ अदा हो जायेगा, दूसरी जिन्स की चीज़ बग़ैर उसकी इजाज़त नहीं ले सकता, जैसे रुपया कर्ज़ दिया था तो रुपया या चान्दी की कोई चीज़ मिले ले सकता है । और अशर्फ़ी और सोने की चीज़ नहीं ले सकता ।

मस्अला- ज़ैद ने उमर से कहा मुझे इतने रुपये कर्ज़ दो मैं अपनी यह ज़मीन तुम्हें आरियत देता हूं । जब तक मैं रुपया न अदा करूं तुम इसको काश्त करो और नफ़ा उठाओ, यह ममनूअ है । आज कल सूद खोरों का आम तरीक़ा यह है कि कर्ज़ देकर मकान या खेत रेहन रख लेते हैं मकान है तो उसमें मुरतहिम सकूनत करता है या उसको किराया पर चलाता है खेत है तो उसकी खुद काश्त करता है या अजारा पर दे देता है और नफ़ा खुद खाता है यह सूद है । इससे बचना वाजिब है ।

मस्अला- जिस चीज़ का कर्ज़ जायज़ है उसे आरियत के तौर पर लिया तो वह कर्ज़ है और जिसका कर्ज़ नाजायज़ है उसे आरियत लिया तो आरियत है ।

मस्अला- रुपये कर्ज़ लिये थे, उसको नोट या अशर्फ़ीयाँ दी कि तोड़ा कर अपने रुपये ले लो उसके पास तोड़ाने से पहले ज़ाया हो गये तो कर्ज़दार के ज़ाया हुए और तोड़ाने के बाद ज़ाया हुये तो दो सूरते हैं । अपना कर्ज़ लिया था या नहीं, अगर नहीं लिया था जब भी कर्ज़दार का नुकसान हुआ और कर्ज़ के रुपये इनमें से लेने के बाद ज़ाया हुये तो उसके हलाक हुये और अगर नोट या अशर्फ़ियाँ देकर यह कहा कि अपना कर्ज़ लो उसने ले लिया तो कर्ज़ अदा हो गया, ज़ाया होगा उसका नुकसान होगा ।

सूद का बयान

रेबा यानी सूद हराम कतई है इसकी हुर्मत का मुनकिर काफ़िर है और हराम समझकर जो इसका मुर्तकिब है फ़ासिक़ मरदूदुश्शहादत है, अक़्द मुआवज़ा में जब दोनों तरफ़ माल हो और एक तरफ़ ज़्यादती हो कि उसके मुकाबिल में दूसरी तरफ़ कुछ न हो तो यह सूद है ।

मस्अला- जो चीज़ नाप या तौल से बिकती हो जब उसको अपनी जिन्स से बदला जाये (जैसे गेहूँ के बदले में गेहूँ जौ के बदले जौ लिये) और एक तरफ़ ज़्यादा हो तो हराम है । और अगर वह चीज़ नाप या तौल की न हो या एक जिन्स को दूसरे जिन्स से बदला हो तो सूद नहीं, उमदा या खराब

★ अल्लाह ने बय को हलाल किया है और सूद को हराम । पस जिसको खुदा की तरफ़ से नसीहत पहुंच गयी और बाज़ आया तो जो कुछ पहले कर चुका है, उसके लिए माफ़ है और उसका मामला अल्लाह के सुपुर्द है और जो फिर ऐसा ही करें वह जहन्नुमी है वह इसमें हमेशा रहेंगे, अल्लाह सूद को मिटाता है और सदकात को बढ़ाता है और ना शुकरे गुनहगार को अल्लाह दोस्त नहीं रखता, सही मुस्लिम शरीफ में है कि रसूलुल्लाह स० ने सूद लेने वाले व सूद देने वाले और सूद का कागज लिखने वाले और उसके गवाहों पर लानत फरमाई और यह फरमाया कि यह सब बराबर है रसूलुल्लाह स० ने फरमाया सूद से (बज़ाहिर) अगरचा माल ज्यादा हो मगर नतीजा यह है कि माल कम होगा ।

का यहाँ कोई फर्क नहीं यानी तबादला जिन्स में एक तरफ़ कम है मगर वह अच्छी है, दूसरी तरफ़ ज़्यादा है वह खराब है जब भी सूद और हराम है लाज़िम है कि दोनों नाप या तौल में बराबर हों, जिस चीज़ पर सूद की हुर्मत का दारोमदार है वह कद्र व जिन्स है । कद्र से मुराद वज़न या नाप है ।

मस्अला- दोनों चीज़ों का एक नाम और एक काम हो तो एक जिन्स समझिये और नाम व मकसद में एख्तेलाफ़ हो तो दो जिन्स जानिये जैसे गेहूँ, जौ, कपड़े की किस्में, मलमल, लट्ठा, गबरून, छींट यह सब अजनास मुख्तलिफ़ है, खजूर की सब किस्में एक जिन्स है, लोहा, तांबा, सीसी पीतल, मुख्तलिफ़ जिन्से हैं, ऊन, रेशम और सूत मुख्तलिफ़ अजनास है गाय का गोश्त, भेड़ी व बकरी का गोश्त, दुम्बा की चक्की, पेट की चर्बी, यह सब अजनास मुख्तलिफ़ है, रोगने गुल, रोगने चमेली, रोगने जूही, वग़ैरह सब मुख्तलिफ़ अजनास है ।

मस्अला- कदर व जिन्स मौजूद हों तो कमी बेशी भी हराम है (इसको रेबाऊलफ़ज़्ल कहते हैं) और एक तरफ़ नक़द हो दूसरी तरफ़ उधार, यह भी हराम है (इसको रबाउलनसिया कहते हैं) जैसे गेहूँ को गेहूँ, जौ को जौ के बदले में बय करें तो कम व बेश हराम और एक अब देता है दूसरा कुछ देर के बाद देगा यह भी हराम, और दोनों में से एक हो एक न हो तो कमी बेशी जायज है, और उधार हराम जैसे गेहूँ को जौ के बदले में या एक तरफ सीसा हो एक तरफ़ लोहा कि पहली मिसाल में नाप और दूसरी में वज़न मुश्तरक है मगर जिन्स का दोनों में एख्तेलाफ़ है कपड़े को कपड़े के बदले, गुलाम को गुलाम के बदले में बय किया इसमें जिन्स एक है मगर कदर मौजूद नहीं लेहाजा यह तो हो सकता है कि एक थान देकर दो थान या एक गुलाम के बदले दो गुलाम खरीदे मगर उधार बेचना हराम और सूद है अगरचा कमी बेशी न हो और दोनों न हो तो कमी बेशी भी जायज़ और उधार भी जायज, जैसे गेहूँ और जौ को रुपया से खरीदें यहाँ कम व बेश होना तो ज़ाहिर है कि एक रुपया के एवज़ में जितने मन चाहो खरीदो कोई हर्ज नहीं और उधार भी जायज़ है कि आज खरीदो रुपया महीना में साल में दूसरे की मर्जी से जब चाहो दो जायज़ है कोई खराबी नहीं ।

मस्अला- जिस चीज़ के मुत्तालिक हुज़ूरे अक़्दस सल्लाहे ताला अलैहे व सल्लम ने नाप के साथ तफ़ाजुल हराम फ़रमाया वह कैली (नाप की चीज़) है और जिसके मुत्तालिक़ वज़न की तसरीह फ़रमाई वह वज़नी है हुज़ूर के इरशाद के बाद इसमें तबदीली नहीं हो सकती अगर उर्फ़ इसके खिलाफ़ हो तो उर्फ़ का एतबार नहीं और जिसके मुत्तालिक़ इरशाद नहीं है उसमें आदत व उर्फ़ का एतबार नहीं है नाप या तौल जो कुछ चलन हो उसका लेहाज़ होगा ।

मस्अला- जो चीज़ वजनी हो उसे नाप कर बराबर करके एक को दूसरे के बदले में बय किया मगर यह नहीं कि इनका वज़न क्या है यह जायज़ नहीं, और वजन में दोनों बराबर हों, बय जायज है अगरचा नाप में कम व

बेश हो, और जो चीज कैली है उसको वज़न से बराबर करके बय किया मगर यह नहीं मालूम कि नाप में बराबर है या नहीं, यह ना जायज़ है । हिन्दुस्तान में गेहूं जौ को उमूमन वज़न से बय करते हैं हालांकि इनका कैली होना हुजूर के इरशाद से साबित है लेहाज़ा अगर गेहूं को गेहूं के बदले में बय करें तो नाप को ज़रूर बराबर कर लें, इसमें वज़न की बराबरी का एतबार न करें, यूं ही गेहूं जौ कर्ज लें तो नाप कर लें और नाप कर दें । और इनके आटे की बय या कर्ज़ वज़न से भी जायज़ है ।

मस्अला- शरीयत में नाप की मिक़दार कम से कम निस्फ़ साअ है अगर कोई कैली चीज़ निस्फ़ साअ से कम हो जैसे एक दो लप इसमें कमी बेशी यानी एक लप, दो लप के बदले में बेचना जायज़ है यूं ही एक सेब दो के बदले में एक खजूर दो के बदले में, एक अण्डा दो अण्डे के एवज़ में एक आखरोट दो के एवज़, एक तलवार दो तलवार के बदले, बेचना जायज़ है । जबकि यह सब मोअइयन* हों, और अगर दोनों जानिब या एक जानिब ग़ैर मोअइयन हो तो बय ना जायज़ इन सूरतों में कमी बेशी अगरचा जायज़ है मगर उधार बेचना हराम है क्योंकि जिन्स एक है ।

मस्अला- गेहूं, जौ, खजूर, नमक जिनका कैली होना मनसूस है, अगर इनके मुतालिक लोगों की आदत यूं जारी हो कि इनको वज़न से खरीद फ़रोख्त करते हैं (जैसे इतने रूपये के इतने मनगेहूँ तो यह सलम जायज़ है इसमें हर्ज नहीं ।

मस्अला- एक मछली दो मछली से बय कर सकते हैं यानी वहां जहा वज़न से न बिकती हों और तौल से फ़रोख्त हों जैसे यहां तो वज़न में बराबर करना ज़रूर होगा ।

मस्अला- सूती कपड़े सूत या रूई के बदले में बेचना मुतलक़न जायज़ है कि इनकी जिन्स मुख्तलिफ़ है यूं ही रूई को सूत से बेचना जायज़ है इसी तरह ऊन के बदले में ऊनी कपड़े खरीदना या रेशम के एवज़ में रेशमी कपड़े खरीदना भी जायज़ है । मक़सद यह है कि जिन्स के एखतेलाफ़ व इत्तेहाद में असल का इत्तेहाद व एखतेलाफ़ मोतबर नहीं बल्कि मक़सूद का एखतेलाफ़ जिन्स को मुखतलिफ़ कर देता है अगरचा असल एक हो और यह बात ज़ाहिर है कि रूई और सूत और कपड़े के मक़ासिद मुखतलिफ़ है । यूं ही गेहू या उसके आटे को रोटी से बय कर सकते हैं कि उनकी जिन्स भी मुखतलिफ़ है ।

मस्अला- तर खजूर को तर या खुश्क खजूर के बदले में बय करना जायज़ है जबकि दोनों जानिब खजूरें नाप में बराबर हों । वज़न में बराबरी

---

* आम कुतुब मज़हब में मोअइयन होने की सूरत में इस बय को जायज़ लिखा है मगर इमाम इब्ने हुमाम की तहक़ीक़ यह है कि यह बय भी ना जायज़ है ।

का इसमें एतबार नहीं, यूं ही अंगूर को मुनक़्क़े या किशमिश के बदले बेचना जायज़ है जबकि दोनों बराबर हों । इसी तरह जो फल खुश्क हो जाते हैं उनके तर को खुश्क के एवज़ भी बेचना जायज़ है । और तर के बदले में भी, जैसे अनजीर, आलू बुखारा, खूबानी वगै़रह ।

मस्अला- गेहू अगर पानी में भीग गये हों उनको खुश्क के बदले में बय करना जायज़ है जबकि नाप में बराबर हों यूं ही खजूर या मुनक़्क़े जिन को पानी में भिगों लिया हो खुश्क के एवज़ में बय कर सकते हैं । भुने हुये गेंहू को बे भुने से बेचना जायज़ नहीं ।

मस्अला- मुख़ालिफ़ क़िस्म के गोश्त कमी बेशी के साथ बय किये जा सकते हैं । जैसे बकरी का गोश्त एक सेर, गाय के दो सेर से बेच सकते है मगर यह ज़रूर है कि दस्त बदस्त हों उधार जायज़ नहीं अगर एक क़िस्म के जानवर का गोश्त हो तो कमी बेशी जायज़ नहीं, गाये और भैंस दो जिन्स नहीं बल्कि एक जिन्स है यूं ही बकरी, भेड़, दुम्बा, यह तीनों एक जिन्स हैं । गाय का दूध बकरी के दूध से, खजूर या गन्ने का सिरका अंगूरी सिरका से पेट की चर्बी दुम्बा की चर्बी या गोश्त से बकरी के बाल को भेड़ के ऊन से कम व बेश करके बय कर सकते है ।

मस्अला- तिल के तेल को रोग़ने चम्बेली व रोग़ने गुल से कम व बेश करके बय करना जायज़ है, यू ही खुशबूदार तेल आपस में एक क़िस्म को दूसरे क़िस्म के साथ बय करना, रोग़ने ज़ैतून खुशबूदार को बग़ैर खुशबू वाले के एवज़ में बेचना भी हर तरह जायज़ है । तिल फूल में बसे हुए हों इनको सादा तिलों से कम व बेश करके बेच सकते हैं ।

मस्अला- दूध को पनीर के बदले में कमी, बेशी के साथ बेच सकते हैं खोये के बदले में दूध बेचने का भी यही हुक्म है क्योंकि मक़ासिद में मुख़ालिफ़ होने की वजह से मुख़ालिफ़ जिन्स हैं ।

मस्अला- गेहू की बय आटे या सत्तू से या आटे की बय सत्तू से मुतलक़न ना जायज़ है, अगरचे नाप या वज़न में दोनों जानिब बराबर हों, यानी जबकि आटा या सत्तू गेंहू से बय करने में कोई मुज़ाएका नहीं, यूं ही गेहूं के आटे को जौ के सत्तू से भी बेचना जायज़ है । आटे को आटे के बदले में बराबर करके बेचना जायज़ है बल्कि भुने हुए आटे को भुने हुए के बदले में बराबर करके बेचना भी जायज़ है । और सत्तू को सत्तू के बदले मे बेचना या भुने हुए गेहू को भुने हुए गेहू के बदले में बेचना जायज़ है । छने हुए आटे को बग़ैर छने के बदले बय करने में दोनों का बराबर होना ज़रूरी है ।

मस्अला- तिलों को उनके तेल के बदले में या ज़ैतून को रोग़ने ज़ैतून के बदले में बेचना उस वक़्त जायज़ है कि उनमें जितना तेल है वह उस तेल से ज़्यादा हो जिसके बदले में उसकी बय कर रहे हैं यानी खली के मुक़ाबला में

तेल का कुछ हिस्सा होना ज़रूरी है वरना नाजायज़ यूं ही सरसों को कड़ूए तेल के बदले में या अलसी को उसके तेल के बदले में बय करने का हुक्म है । ग़रज़ यह कि जिस खली की कोई क़ीमत होती है उसके तेल को जब उससे बय किया जाये तो जो तेल मुक़ाबिल में है वह उससे ज़्यादा हो जो उसमें है । और अगर कोई ऐसी चीज उसमें मिली हो जिसकी कोई क़ीमत न हो जैसे सोनार के यहां की राख के उसे न्यारिये खरीदते हैं, इसका हुक्म यह है कि जिस सोने या चांदी के एवज़ में उसे खरीदा अगर वह ज़्यादा या कम है बय फ़ासिद है और बराबर हो तो जायज़ है और मालूम न हो कि बराबर है या नहीं जब भी नाजायज़ ।

मस्अला- जिन चीज़ों में बय जायज होने के लिए बराबरी की शर्त है यह ज़रूर है कि मसावात का इल्म वक़्ते अक़्द हो अगर ब वक़्त अक़्द इल्म न था बाद को मालूम हुआ जैसे गेहूं, गेहूं के बदले में तख़मिना से बेच दिये फिर बाद में नापे गये तो बराबर निकले बय जायज़ नहीं हुई ।

मस्अला- गेहूं, गेहूं के बदले में बय किये और तक़ाबुज़े बदलैन नहीं हुआ यह जायज़ है गल्ले की बय अपनी जिन्स या ग़ैर जिन्स से हुआ इस में तक़ाबुज़ शर्त नहीं मगर यह ज़रूरी बक़्त है कि दोनों जानिब मोअइअन हों ।

मस्अला- मुस्लिम और काफ़िर हरबी के दरमियान दारुल हरब में जो अक़्द हो उसमें सूद नहीं, मुसलमान अगर दारुलहरब में अमान लेकर गया तो काफ़िरों की खुशी से जिस क़दर उनके अमवाल हासिल करे जायज़ है अगरचा ऐसे तरीक़ा से हासिल किये कि मुसलमान का माल इस तरह लेना जायज़ न हो, मगर यह ज़रूर है कि वह किसी बद अहदी के ज़रिये हासिल न किया गया हो कि बदअहदी कुफ़्फ़ार के साथ भी हराम है । (जैसे किसी काफ़िर ने उसके पास कोई चीज़ अमानत रखी और यह देना नहीं चाहता यह बद अहदी है और दुरुस्त नहीं)

मस्अला- अक़्दे फ़ासिद के ज़रिये से काफ़िरे हरबी का माल हासिल करना ममनूअ नहीं यानी जो अक़्द माबैन दो मुसलमान ममनूअ है अगर हरबी के साथ किया जाये तो मना नहीं मगर शर्त यह है कि वह अक़्द मुस्लिम के लिए मुफ़ीद हो जैसे एक रुपया के बदले में दो रुपये खरीदे या उसके हाथ मुरदार को बेच डाला कि इस तरीक़ा से मुसलमान का रुपया हासिल करना शरअ के खिलाफ़ है और हराम है लेकिन काफ़िर से हासिल करना जायज़ है ।

मस्अला- हिन्दोस्तान अगरचा दारुल इस्लाम है इसको दारुल हरब कहना सही नहीं, मगर यहां के कुफ़्फ़ार यक़ीनन न ज़िम्मी है न मुस्तामिन क्योंकि ज़िम्मी या मुस्तामिन के लिये बादशाहे इस्लाम का ज़िम्मा करना और अमन देना ज़रूरी है लेहाज़ा इन कुफ़्फ़ार के अमवाल अक़ूदे फ़ासिदह के ज़रिए हासिल किये जा सकते हैं जबकि बद अहदी न हो ।

सूद से बचने की सूरतें

जिस तरह सूद लेना हराम है उसी तरह सूद देना भी हराम है । हदीसों में दोनों पर लानत आई है और फ़रमाया दोनों बराबर है इसलिए सूद देने से भी बचना ज़रूरी है, अगर किसी जायज़ ज़रूरत के लिए कर्ज़ लेना ही पड़े और बग़ैर सूद के कोई न देता हो तो इसके लिए यह चन्द सूरतें ऐसी है कि इकने जरिये से सूद की नजासत व नहूसत से नजात मिलती है और कर्ज़ देने वाला जायज़ तरीक़ा पर नफ़ा हासिल कर सकता है सिर्फ़ लेन देन की सूरत में कु तबदीली करनी पड़ेगी मगर नाजायज़ बहराम से बचाओ हो जायेगा । शायद किसी को ख़्याल हो कि दिल में जब यह है सौ देकर एक सौ दस लूं तो फिर सूद से कहाँ बचा । इसका जवाब यह है कि शरअ ने जिस अक़्द को जायज़ बताया, वह इस ख्याल से नाजायज़ और हराम नहीं हो सकता । देखो अगर रुपयों से चांदी खरीदी और एक रुपये की एक रुपये भर से ज़ायद ली तो यक़ीनन सूद व हराम है लेकिन अगर मस्लन एक गिन्नी जो पन्द्रह रुपये की हो उससे पच्चीस रुपया भर या और ज़्यादा चांदी खरीदी या सोलह आने पैसों की दो रुपया भर चांदी खरीदी अगरचा उसका मक़सूद भी वही है कि चांदी ज़्यादा ले जाये मगर इस तरीक़ा से सूद नही और यह सूरत यक़ीनन हलाल है । मालूम हुआ कि जायज़ व नाजायज़ होना अक़्द की नवइयत पर है । अक़्द बदल जायेगा हुक्म बदल जायेगा इस मसअला को ज़्यादा वाज़ेह करने के लिए हम दो हदीसें लिखते हैं । सहीहन में है कि रसूल्लाह सल्लाहे अलैहे वसल्लम ने एक साहब को खैबर का हाकिम बनाकर भेजा वह वहाँ से हुज़ूर की खिदमत में उमदा खजूरें लाया, हुज़ूर ने फ़रमाया क्या खैबर की सब खजूरें ऐसी ही होती है उन्होंने अर्ज़ किया नहीं या रसूल्लाह हम दो साअ लेते हैं । हुज़ूर ने फ़रमाया ऐसा न करो, मामूली खजूरों को रुपया से बेचो फिर रुपया से इस क़िस्म की खजूरें खरीदा करो और तौल की चीज़ों में भी ऐसा ही फ़रमाया । उसी सहीहैन में है कि हज़रत बेलाल रज़ी० रसूलल्लाह के पास बरनी खजूरें लाये, हुज़ूर ने फ़रमाया कहा से लाये, उन्होंने अर्ज़ किया हमारे यहाँ ख़राब खजूरें थीं उनके दो साअ को इनके एक साअ के एवज़ में बेच डाला, हुज़ूर ने फ़रमाया अफ़सोस यह बिलकुल सूद है । यह बिलकुल सूद है, ऐसा न करना हां अगर इनके खरीदने का एरादा हो तो अपनी खजूरें बेचकर फिर इनको खरीदो । इन हदीसों से वाज़े हुआ कि बात वही है कि उमदह खजूरें खरीदना चाहते हैं मगर अपनी खजूरें ज़्यादा देकर लेते हैं तो सूद होता है और अगर अपनी खजूरें रुपया से बेचकर अच्छी खजूरें खरीदें तो यह जायज़ है ।

अब इस तमहीद के बाद हम वह चन्द सूरतें बयान करते हैं जो उलमा ने सूद से बचने की बताई है ।

मस्अला- एक शख़्स के दूसरे पर दस रुपये थे उसने मदयून से कोई चीज़ उन दस रुपयों में खरीद ली, और मबीय पर कब्ज़ा भी कर लिया फिर उसी चीज़ को मदमून के हाथ बारह रुपये में समन वसूल करने की एक मियाद मुकर्रर करके बेच डाला, अब उसके उस पर दस की जगह बारह हो गये और उसे दो रुपये का नफ़ा हुआ और सूद न हुआ ।

मस्अला- एक ने दूसरे से कर्ज़ तलब किया वह नहीं देता, अपनी कोई चीज़ मकरूज़ के हाथ सौ रुपये में बेच डाली, उसने सौ रुपये दे दिये और चीज़ पर कब्ज़ा कर लिया, फिर मुस्तक़रिज़ ने वही चीज़ मुक़रिज़ से साल भर के बाद पर एक सौ दस रुपये में खरीद ली, यह बय जायज़ है, मुकरिज़ ने सौ रपुये दिये और एक सौ दस रुपये मुस्तक़रिज़ के ज़िम्मे लाज़िम हो गये । और अगर मुस्तकरिज़ के पास कोई चीज़ न हो जिसको इस तरह बय करे तो मुकरिज़ मुस्तक़रिज़ के हाथ अपनी कोई चीज़ एक सौ दस रुपये में बय करे, और कब्ज़ा दे दे फिर मुस्तक़रिज़ उसको ग़ैर के हाथ सौ रुपये में बेचे और कब्ज़ा दे दे, फिर उस शख़्स अजनबी से मुक़रिज़ सौ रुपये में खरीदे और समन अदा कर दे और वह मुस्तकरिज को सौ रुपये समन अदा करे नतीजा यह हुआ कि मुक़रिज़ की चीज़ उसके पास आ गई और मुस्तक़रिज को सौ रुपये मिल गये मगर मुक़रिज़ के उसके ज़िम्मा एक सौ दस रुपये लाज़िम रहे ।

मस्अला- मुकरिज़ ने अपनी कोई चीज़ मुस्तक़रिज़ के हाथ तेरह रुपये में छः महीना के वादे पर बय की और कब्ज़ा दे दिया फिर मुस्तक़रिज ने उसी चीज़ को अजनबी के हाथ बेचा और उस बय का इक़ाला करके फिर उसी को मुक़रिज़ के हाथ दस रुपये में बेचा और रुपये ले लिए इसका भी यह नतीजा हुआ कि मुक़रिज़ की चीज़ वापस आ गई और मुस्तक़रिज़ को दस रुपये मिल गये मगर मुक़रिज़ के उसके ज़िम्मा तेरह रुपये वाजिब हुए ।

मस्अला- सूद से बचने की एक सूरत बये इना है । बयेईना* की सूरत यह है कि एक शख़्स ने दूसरे से दस रुपये कर्ज़ मांगे, उसने कहा मैं कर्ज़ नहीं दूंगा, यह अलबत्ता कर सकता हूं कि यह चीज़ तुम्हारे हाथ बारह रुपये में बेचता हूं अगर तुम चाहो खरीद लो, इसे बाज़ार में दस रपुये को बय कर देना तुम्हें दस रुपये मिल जायेंगे और काम चल जायेगा, और इसी सूरत में बय हुई । बाए ने ज़्यादा नफ़ा हासिल करने और सूद से बचने का यह हीला निकाला कि दस की चीज़ बारह में बय कर दी उसका काम चल गया और खातिर ख़्वाह उसको नफ़ा मिल गया । बाज़ लोगों ने इसका यह तरीक़ा बताया है कि तीसरे शख़्स को अपनी बय में शामिल करें यानी मुकरिज़ ने कर्ज़दार के

★ इस सूरत में अगरचा यह बात हुई कि जो चीज़ जितने में बय की कब्ल नक्द समन मुश्तरी से उससे कम में खरीदी, मगर चूंकि इस सूरत मफ़रूज़ा में एक बय जो अजनबी से हुई दरमियान में फ़ासिल हो गयी, लेहाज़ा यह बय जायज़ है ।

हाथ उसको बारह रूपये में बेचा और कब्ज़ा दे दिया फिर कर्ज़दार ने सालिस के हाथ दस रूपये में बेचकर कब्ज़ा दे दिया, उसने मुक़रिज़ के हाथ दस रूपये में बेचा और कब्ज़ा दे दिया और दस रूपये समन के मुक़रिज़ से वसूल करके कर्ज़दार को दे दिये नतीजा यह हुआ कि कर्ज़ मांगने वाले को दस रूपये वसूल हो गये मगर बारह देने पड़ेगें, क्योंकि वह चीज़ बारह में ख़रीदी है ।

हुक़ूक़ का बयान

मस्अला- दो मनजला मकान है उसमें नीचे की मंज़िल ख़रीदी, बाला ख़ाना अक़्द में दाख़िल न होगा मगर जबकि जमीअ हुक़ूक़ या जमीअ मराफ़िक़ या हर क़लील व कसीर के साथ ख़रीदा हो ।

मस्अला- मकान की ख़रीदारी में पाख़ाना (अगरचा मकान से बाहर बना हो) और कुआं और उसके सेहन में जो दरख़्त हों वह और पाई बाग़ सब बय में दाख़िल हैं इन चीज़ों को बैनामा में सराहत करने की ज़रूरत नहीं मकान से बाहर उससे मिला हुआ बाग़ हो और छोटा हो तो बय में दाख़िल है, और मकान से बड़ा या बराबरका हो तो दाख़िल नहीं, जब तक ख़ास उसको भी साथ बय में न लिया जायें ।

मस्अला- मकान से मुत्तसिल बाहर की जानिब कभी टीन वग़ैरह का छप्पर डाल लेते है जो नशिस्त के लिये होता है अगर हुक़ूक़ व मुराफ़िक़ के साथ बय हुई है तो दाख़िल है वरना नहीं ।

मस्अला- रास्ता ख़ास और पानी बहने की नाली और खेत में पानी आने की नाली और वह घाट जिससे पानी आयेगी यह सब चीज़ें बय में उस वक़्त दाख़िल होंगी जबकि हुक़ूक़ या मुराफ़िक़ या हर क़लील व कसीर का ज़िक्र हो ।

मस्अला- एक मकान ख़रीदा जिसका रास्ता दूसरे मकान में होकर जाता है दूसरे मकान वाले मुश्तरी को आने से रोकते हैं इस सूरत में अगर बाए ने कह दिया कि उस घर का रास्ता दूसरे मकान में से नहीं है तो मुश्तरी को रास्ता हासिल करने का कोई हक़ नहीं, अलबत्ता यह एक ऐब होगा जिसकी वजह से वापस कर सकता है अगर उसकी दीवारों पर दूसरे मकान की कड़ियां रखी है अगर वह दूसरा मकान बाए का है तो हुक्म दिया जायेगा कि अपनी कड़िया उठा ले और किसी दूसरे का है तो यह मकान का एक ऐब है मुश्तरी को वापस करने का हक़ हासिल होगा ।

मस्अला- मकान या खेत किराया पर लिया तो रास्ता और नाली और घाट अजारा में दाख़िल हैं यानी अगर हुक़ूक़ व मुराफ़िक़ न कहा हो जब भी इन चीज़ों पर तसर्रुफ़ कर सकता है, वक़्फ़ व रेहन अजारा के हुक्म में हैं ।

मस्अला- दो शख़्स एक मकान में शरीक थे बाद तक़सीम हुई एक के हिस्सा का रास्ता या नाली दूसरे के हिस्सा में है अगर बवक़्त तक़सीम हुक़ूक़ का ज़िक्र था जब तो कोई हरज नहीं और ज़िक्र न था तो दूसरे को रास्ता वग़ैरह नहीं मिलेगा फिर अगर वह अपने हिस्सा में नया रास्ता और नाली वग़ैरह निकाल सकता है तो निकाल ले और तक़सीम सही है वरना तक़सीम ग़लत हुई तोड़ दी जाये, जबकि तक़सीम के वक़्त रास्ता वग़ैरह का ख़्याल किया ही न गया हो ।

इस्तेहक़ाक़ का बयान

कभी ऐसा होता है कि बज़ाहिर कोई चीज़ एक शख़्स की मालूम होती है और वह वाक़ा में दूसरे की होती है यानी दूसरा शख़्स उसका मुद्दई होता है और अपनी मिल्क साबित कर देता है इसको इस्तेहक़ाक़ कहते हैं ।

मस्अला- इस्तेहक़ाक़ की दो क़िस्म हैं । एक कि दूसरे की मिल्क को बिलकुल बातिल कर दे इसको मुबतिल कहते हैं । दूसरा यह कि मिल्क को एक से दूसरे की तरफ़ मुन्तक़िल कर दें इसको नाक़िल कहते हैं । मुबतिल की मिसाल हुर्रियते असलिया का दावा यानी यह गुलाम था ही नहीं या इतक़ का दावा मुदब्बर या मुकातब होने का दावा । नाक़िल की मिसाल यह कि ज़ैद ने बकर पर दावा किया कि यह चीज़ जो तुम्हारे पास है तुम्हारी नहीं मेरी है ।

मस्अला- इस्तेहक़ाक़ की दूसरी क़िस्म का हुक्म यह है कि अगर वह चीज़ किसी अक़्द के ज़रिया से मुद्दआ अलैह (क़ाबिज़) को हासिल हुई है तो महज़ मिल्क साबित कर देने से अक़्द फ़स्ख़ नहीं होगा क्योंकि वह चीज़ ज़रूर क़ाबिले अक़्द है यानी मुद्दई की चीज़ है जिसको दूसरे ने मुद्दआ अलैह के हाथ मसलन फ़रोख़्त कर दिया, यह बए फ़ुज़ूली ठहरी जो मुद्दई की इजाज़त पर मौक़ूफ़ है ।

मस्अला- मुस्तहिक़ के मुवाफ़िक़ क़ाज़ी ने फ़ैसला सादिर कर दिया इससे बए फ़स्ख़ नहीं हुई, हो सकता है कि मुस्तहिक़ मुश्तरी से वह चीज़ न ले, समन वसूल कर ले या बए को फ़स्ख़ कर दे और यह भी हो सकता है कि ख़ुद मुश्तरी वह चीज़ बाए को वापस कर दे और समन फेर ले, अब बए फ़स्ख़ हो गयी या मुश्तरी ने क़ाज़ी को दरख़्वास्त दी कि बाए पर वापसी समन का हुक्म सादिर कर दे उसने हुक्म दे दिया या यह दोनों ख़ुद अपनी रज़ामन्दी से अक़्द को फ़स्ख़ करें ।

मस्अला- जब चीज़ मुस्तहिक़ की हो गयी तो मुश्तरी को बाए से समन वापस लेने का हक़ हासिल हो गया, मगर कोई मुश्तरी अपने बाए से समन वापस नहीं ले सकता जब तक उसके मुश्तरी ने उससे वापस न लिया हो, मसलन मुश्तरी अव्वल बाए से उस वक़्त समन लेगा, जब मुश्तरी दोयम ने उस

से लिया हो, और अगर खरीदार ने बवक़्ते खरीदारी कोई कफ़ील (ज़ामिन) लिया था जो उसका ज़ामिन था कि अगर किसी दूसरे की यह चीज़ साबित हुई तो समन का मैं ज़ामिन हूँ इस ज़ामिन से मुश्तरी समन उस वक़्त वसूल कर सकता है जब मकफ़ूल अन्ह के खिलाफ़ में काज़ी ने वापसी का फ़ैसला कर दिया हो ।

मस्अला- इस्तेहक़ाक़ मुबतिल में बायेन व मुश्तरीएन के माबैन जितने ओक़ूद हैं वह फ़स्ख हो गये, इसकी ज़रूरत नहीं कि काज़ी इन ओक़ूद को फ़स्ख करे, हर एक बाए अपने बाए से समन वापस लेने का हक़दार है इसकी ज़रूरत नहीं कि जब मुश्तरी उससे ले तो वह बाए से ले, और यह भी हो सकता है कि हर एक शख़्स ज़ामिन से वसूल कर ले, अगरचा मकफ़ूल अन्हो पर वापसी समन का फ़ैसला न हुआ हो ।

मस्अला- किसी जायदाद की निसबत वक़्फ़ का हुक्म हुआ यह हुक्म तमाम लोगों के मुक़ाबिल नहीं यानी अगर उसके मुतालिक़ मिल्क या दूसरे वक़्फ़ का दूसरा शख़्स दावा करे तो वह दावा मस्मूअ होगा ।

मस्अला- बाए मर गया और उसका वारिस भी कोई नहीं और मुश्तरी पर इस्तेहक़ाक़ हुआ तो क़ाज़ी खुद बाए का एक वसी मुक़र्रर करेगा और मुश्तरी उससे समन वापस लेगा बाए कहता है यह जानवर मेरे घर का बच्चा है मगर इसको साबित न कर सका या वह बय ही से इन्कार करता है जब भी मुश्तरी समन वापस ले सकता है ।

मस्अला- जायदाद गैर मनकूला बय कर दी फिर दावा करता है कि यह जायदाद वक़्फ़ है और इस पर गवाह पेश करता है यह गवाह सुने जायेगें ।

मस्अला- मकान खरीदा और उसमें तामीर की फिर किसी ने वह मकान अपना साबित कर दिया तो मुश्तरी बाए से सिर्फ़ समन ले सकता है, इमारत के मसारिफ़ नहीं ले सकता, यूँ ही मुश्तरी ने मकान की मरम्मत कराई थी या कुआँ खुदवाया या साफ़ कराया तो इन चीज़ों का मुआवज़ा नहीं मिल सकता और अगर दस्तावेज़ में यह शर्त लिखी हुई है कि जो कुछ मरम्मत में सर्फ़ होगा बाए के ज़िम्मा होगा तो बय ही फ़ासिद हो जायेगी, और अगर कुआँ खुदवाया और ईंट, पत्थरों से वह जोड़ा गया तो खोदने के दाम नहीं मिलेगें, चुनाई की क़ीमत मिलेगी, और अगर यह शर्त थी कि बाए के ज़िम्मा खुदाई होगी, बय फ़ासिद है ।

बये सलम का बयान

मसूअला- बय की चार सूरतें हैं । १-दोनों तरफ़ ऐन हों या २-दोनों तरफ़ समन या ३- एक तरफ़ ऐन एक तरफ़ समन, अगर दोनों तरफ ऐन हों इसको मुकायज़ा कहते हैं, और दोनों तरफ समन हों तो बये सर्फ़ कहते है और तीसरी सूरत में एक तरफ ऐन हो और एक तरफ़ समन, इसकी दो सूरतें हैं । अगर मबीय का मौजूद होना ज़रूरी हो तो बये मुतलक है और समन का फ़ौरन देना ज़रूरी हो तो बये सलम है लेहाज़ा सलम में जिसको खरीदा जाता है वह बाए के ज़िम्मा दैन है और मुश्तरी फिलहाल समन को अदा करता है जो रुपया देता है उसको रबुससलम और मुस्लिम कहते हैं और दूसरे को मुस्लिम अलैह और मुबय को मुस्लिम फ़ीह और समन को रासुलमाल, बये मुतलक के जो अरकान हैं वह इसके भी हैं इसके लिए भी ईजाब व कुबूल ज़रूरी है एक कहे मैंने तुझसे सलम किया दूसरा कहे मैंने कुबूल किया, और बय का लफ्ज़ बोलने से भी सलम का इनअक़ाद होता है बये सलम के लिए चन्द शर्ते हैं, जिनका लेहाज़ ज़रूरी है, १- अक़्द में शर्ते गियार न हो न दोनों के लिए न एक के लिए २- रासुलमाल की जिन्स का बयान हो कि रूपया है या अशर्फ़ी या नोट या पैसा ३- इसकी नौअ का बयान यानी मसलन अगर वहां मुख्तलिफ़ क़िस्म के रूपये, अशर्फ़ियां रायज हो तो बयान करना होगा कि किस क़िस्म के रूपये या अशर्फ़ियां हैं ४- बयाने वस्फ़ अगर खरे खोटे कई तरह के सिक्के हों तो उसे भी बयान करना होगा ३- रासुलमाल की मिक़दार का बयान यानी अगर अक़्द का ताल्लुक़ उसकी मिक़दार के साथ हो तो मिक़दार का बयान करना ज़रूरी होगा, फ़क़त इशारा करके बताना काफ़ी नहीं जैसे थाली में रूपये है तो यह कहना काफ़ी नहीं कि इन रूपयों के बदले में सलम करता हूं बताना भी पड़ेगा कि यह सौ है और अगर अक़्द का ताल्लुक़ उसकी मिक़दार से न हो जैसे रासुलमाल कपड़े का थान या अदादी मुतफ़ावत हो तो उसकी गिनती बताने की ज़रूरत नहीं इशारह करके मोअइयन कर देना काफ़ी है, अगर मुस्लिम फ़ीह दो मुख्तलिफ़ चीजें हों और रासुलमाल मकील या मौज़ूं हो तो हर एक के मुकाबिल में समन का हिस्सा मुक़र्रर करके ज़ाहिर करना होगा और मकील व मौज़ूं न हो तो तफ़सील की हाजत नहीं और अगर रासुलमाल दो मुख्तलिफ़ चीजें हो (जैसे कुछ रूपये है और कुछ अशर्फियां) तो इन दोनों की मिक़दार बयान करनी ज़रूरी है एक की बयान कर दी और एक की नहीं, तो दोनों में सलम सही नहीं ६- उसी मजलिसे अक़्द में रासुलमाल पर मुसलम अलैह का क़ब्ज़ा हो जाये ।

मसूअला- बये सलम का हुक्म यह है कि मुसलम अलैह समन का मालिक हो जायेगा और रबुस्सलम, मुसलम फ़ीह का । जब यह अक़्द सही हो गया और मुसलम अलैह ने वक़्त पर मुसलमफ़ीह को हाज़िर कर दिया तो रबुस्सलम को लेना ही है, हां अगर शरायत के ख़िलाफ़ वह चीज़ है तो मुसलम अलैह

को मजबूर किया जायेगा कि जिस चीज़ पर बये सलम मुनअक़िद हुई वह हाज़िर लाये ।

मस्अला- बये सलम उस चीज़ की हो सकती है जिसकी सिफ़त का इन्जबात हो सके और उसकी मिक़दार मालूम हो सके वह चीज़ कैली हो जैसे जौ, गेहूं या वज़नी जैसे लोहा, तांबा, पीतल या अदादी मुतकारिब जैसे आखरोट, अन्डा, नाशपाती, नारंगी, अनजीर वग़ैरह ख़ाम ईंट और पोख़्ता ईंटों में सलम सही है जब कि सांचा मुक़र्रर हो जाये जैसे इस ज़माना में उमूमन दस इंच तूल पांच इंच अर्ज़ की होती है, यह बयान भी काफ़ी है ।

मस्अला- ज़िरई चीज़ में भी सलम जायज़ है जैसे कपड़ा इसके लिए ज़रूरी है कि तूल व अर्ज़ मालूम हो और यह कि वह सूती है यह टसरी या रेशमी या मुरक्कब और कैसा बुना हुआ होगा जैसे फ़लां शहर का फ़लां कारख़ाना फ़लां शख़्स का उसकी बनावट कैसी होगी बारीक होगा मोटा होगा उसका वज़न क्या होगा जबकि बय में वज़न का एतबार होता हो, यानी बाज़ कपड़े ऐसे होते हैं कि उनका वज़न में कम होना ख़ूबी है और बाज़ में वज़न का ज़्यादा होना, बिछौने, चटाइयां, दरियां, टाट कम्बल जब इनका तूल व अर्ज़ व सिफ़त सब चीजों की वज़ाहत हो जाये तो इनमें भी सलम हो सकता है ।

मस्अला- नये गेहूं में सलम किया और अभी पैदा भी नहीं हुये हैं, यह ना जायज़ है ।

मस्अला- जो चीजें अदादी हैं अगर सलम में नाप या वज़न के साथ उनकी मिक़दार का ताइयुन हुआ तो कोई हर्ज नहीं ।

मस्अला- दूध दही में बये सलम हो सकती है, नाप या वज़न जिस तरह से चाहें उनकी मिक़दार मोअइयन कर लें, घी, तेल में भी दुरूस्त है वज़न से हो या नाप से ।

मस्अला- भूसा में सलम दुरूस्त है उसकी मिक़दार वज़न से मुक़र्रर करें जैसा कि आजकल शहरों में वज़न के साथ भूस बिका करता है या बोरियों की नाप मुक़र्रर हो, जबकि उससे मोअइयन हो जाये वरना जायज़ नहीं ।

मस्अला- अददी मुतफ़ावत जैसे तरबूज़, कद्दू, आम इन में गिनती से सलम जायज़ नहीं, और अगर वज़न से सलम किया हो कि अक्सर जगह कद्दू वज़न से बिकता भी है इसमें वज़न से सलम करने में कोई हर्ज नहीं ।

मस्अला- मछली में सलम जायज़ है ख़ुश्क मछली हो या ताज़ा, ताज़ा में यह ज़रूर है कि ऐसे मौसम में हो कि मछलियां बाज़ार में मिलती हों यानी जब हमेशा दस्तयाब न हों कभी हो कभी नहीं वहां यह शर्त है । मछलियां कई किस्म की होती है लेहाज़ा क़िस्म का बयान करना भी ज़रूरी है और

मिक़दार का ताइयुन वज़न से हो अदद से न हो क्योंकि इनके अदद में बहुत तफ़ावत होता है । छोटी मछलियों में नाप से भी सलम दुरूस्त है ।

मस्अला- बये सलम किसी हैवान में दुरूस्त नहीं, न लौन्डी, गुलाम में न चौपाया में न परिन्द में हत्ता कि जो जानवर यकसां होती है जैसे कबूतर-बटेर, कुमरी-फ़ाख़ता, चिड़िया इनमें भी सलम जायज़ नहीं जानवरों के सिरी पाये में भी सलम दुरूस्त नहीं हां अगर जिन्स व नओ बयान करके सिरी-पाये में वज़न के साथ सलम किया तो जायज़ है किअब तफ़ावुत बहुत कम रह जाता है ।

मस्अला- लकड़ियों के गट्ठों में सलम अगर इस तरह करें कि इतने गट्ठे इतने रूपये में लेंगें यह नाजायज़ है कि इस तरह बयान करने से मिक़दार अच्छी तरह नहीं मालूम होती, हां अगर गट्ठों का इन्जबात हो जाये जैसे इतनी बड़ी रस्सी से वह गट्ठा बांधा जायेगा और इतना लम्बा होगा और इस क़िस्म की बनदिश होगी तो सलम जायज़ है तरकारियों में गड्डियों के साथ मिक़दार बयान करना जैसे रूपया या इतने पैसों में इतनी गड्डी फ़लां वक़्त ली जायेंगी यह भी ना जायज़ है कि गड्डियां यकसां नहीं होती, छोटी बड़ी होती है । और अगर तरकारियों और ईंधन की लकड़ियों में वज़न के साथ सलम होतो जायज़ है ।

मस्अला- मुसलम अलैह रासुलमाल पर कब्ज़ा करने से पहले कोई तसर्रुफ़ नहीं कर सकता और रबुस्सलम मुसलम फ़ीह में किसी क़िस्म का तसर्रुफ़ नहीं कर सकता । (जैसे उसे बय कर दे या किसी से कहे फ़लां से मैंने इतने मन गेहूं में सलम किया है वह तुम्हारे हाथ बेचे) न इसमें किसी को शरीक कर सकता (कि किसी से कहे सौ रूपये से मैने सलम किया है अगर पचास तुम दे दो तो बराबर के शरीक हो जाओ) या इसमें तवलिया या मुराबहा करे यह सब तसर्रुफ़ात नाजायज़ हैं अगर खुद मुसलम अलै के साथ यह ओक़ूद किये जैसे उसके हाथ उन्हीं दामों में या ज़्यादा दामों में बय कर डाली या उसे शरीक कर लिया यह भी नाजायज़ है । अगर रबुस्सलम ने मुस्लम फ़ी उसको हिबा कर दिया और उसने क़ुबूल भी कर लिया तो यह सलम का इक़ाला क़रार पायेगा और हक़ीक़तन हिब्बा ना होगा, और रासुलमाल वापस करना होगा ।

मस्अला- रासुलमाल जो चीज़ क़रार पाई है उसके एवज़ में दूसरी जिन्स की चीज़ देना जायज़ नहीं, जैसे रूपये से सलम हुआ और उसकी जगह अशर्फ़ियां नोट दिया यह नाजायज़ है ।

मस्अला- मुसलम फ़ी के बदले दूसरी चीज़ लेना, देना नाजायज़ है हां अगर मुसलम अलै ने मुसलम फ़ी उससे बेहतर दिया जो ठहरा था तो रबुस्सलम इसके क़ुबूल से इन्कार नहीं कर सकता और उससे घटिया पेश करता है तो इन्कार कर सकता है ।

इस्तेसनअ का बयान

कभी ऐसा होता है कि कारीगर को फ़रमाइश देकर चीज़ बनवाई जाती है इसको इस्तेसना कहते हैं । अगर इसमें कोई मियाद मज़कूर हो और वह एक माह से कम की न हो तो वह सलम है । तमाम वह शरायत जो बये सलम में मज़कूर हुये उनकी मराआत की जाये, यहाँ यह नहीं देखा जायेगा कि उसके बनवाने का चलन और रवाज मुसलमानों में है या नहीं, बल्कि सिर्फ़ यह देखेंगे कि उसमें सलम जायज़ है या नहीं अगर मुद्दत ही न हो या एक माह से कम की मुद्दत हो तो इस्तेसना दुरूस्त है और जिसमें रिवाज न हो जैसे कपड़ा बनवाना, किताब छपवाना, इसमें सही नहीं ।

मस्अला- उलमा का एख़्तेलाफ़ है कि इस्तेसना को बय क़रार दिया जाये या वादा, जिसको बनवाया जाता है वह मअदूम ही है और मअदूम की बय नहीं हो सकती, लेहाज़ा वादा है जब कारीगर बना कर लाता है उस वक्त बतौर तआती बय हो जाती है मगर सही यह है कि यह बय है, तआम्मुल की ज़रूरत न होती, हर जगह इस्तेसना जायज़ होता । इस्तेसना में जिस चीज़ पर अक्द है वह चीज़ है कारीगर का अमल और अमल माकूद अलैह नहीं लेहाज़ा अगर दूसरे की बनाई हुई लाया या अक्द से पहले बना चुका था वह लाया और उसने ले ली दुरूस्त है और अमल माकूद अलैह होता तो दुरूस्त न होता ।

मस्अला- जो चीज़ फ़रमाइश की बनाई गई वह बनवाने वाले के लिये मुतैयन नहीं, जब वह पसन्द कर ले तो उसकी होगी । और अगर कारीगर ने उसे दिखाने से पहले बेच डाली तो बय सही है और बनवाने वाले के पास पेश करने पर कारीगर को यह अख़्तियार नहीं कि उसे न दे दूसरे को दे दे । बनवाने वाले को अख़्तियार है कि ले या छोड़ दे । अक्द के बाद कारीगर को यह अख़्तियार नहीं कि न बनाये । अक्द हो जाने के बाद बनाना लाज़िम है ।

बये के मुतफ़र्रिक मसायल

मिट्टी की गाय, बैल, हाथी, घोड़ा और इनके अलावा दूसरे खिलौने बच्चों के खेलने के लिए ख़रीदना जायज़ नहीं, और इन चीज़ों की कोई क़ीमत भी नहीं अगर कोई शख़्स इन्हें तोड़ फोड़ भी दे तो उस पर तावान भी वाजिब नहीं ।

मस्अला- कुत्ता, बिल्ली, हाथी, चीता, बाज़, शिकरा, बहरी इन सब की बय जायज़ है । शिकारी जानवर मुअल्लिम (सिखाये हुए) हों या गैर मोअल्लिम दोनों की बय सही है । मगर यह ज़रूर है कि क़ाबिले तालीम हों । कटखना कुत्ता जो काबिले तालीम नहीं है उसकी बय दुरूस्त नहीं ।

मस्अला- बन्दर को खेल और मज़ाक़ के लिए ख़रीदना मना है और उसके साथ खेलना और तमसख़ुर करना हराम है।

मस्अला- जानवर या ज़राअत या खेती या मकान की हिफ़ाज़त के लिये या शिकार के लिए कुत्ता पालना* जायज़ है। और यह मक़ासिद न हो तो पालना नाजायज़ और जिन सूरत में पालना जायज़ है उसमें भी मकान के अन्दर न रखें, अलबत्ता अगर चोर या दुश्मन का खौफ़ है तो मकान के अन्दर भी रख सकता है।

मस्अला- मछली के सिवा पानी के तमाम जानवर मेंढक, केकड़ा वग़ैरह और हशरातुलअर्ज चूहा, छछून्दर, घूंस, छिपकली, गिरगिट, गोह बिच्छू, चींटी की बय नाजायज़ है।

मस्अला- काफ़िर ज़िम्मी बय की सेहत व फ़साद के मामले में मुस्लिम के हुक्म में है यह बात अलबत्ता है कि अगर वह शराब व ख़िन्ज़ीर की बय बशरा करें तो हम उनसे तआरुज़ न करेंगे।

★ बुख़ारी व मुस्लिम में है कि हुज़ूर अलैहिस्सलात वस्सलाम फ़रमाते है जिसने कुत्ता पाला उसके अमल में से हर रोज़ दो क़ैरात कम हो जायेंगे, सिवा उस कुत्ते के जो जानवर की हिफ़ाज़त के लिए हो या शिकार के लिए हो। क़ैरात एक मिक़दार है वल्लाहु आलम वह कितनी बड़ी है। इसी बुख़ारी व मुस्लिम में है कि हुज़ूर अ०स० ने फ़रमाया, जिसने कुत्ता पाला उसके अमल से हर रोज़ एक क़ैरात की कमी होगी, मगर वह कुत्ता जो जानवर या खेती की हिफ़ाज़त के लिए हो या शिकार के लिए। पहली हदीस में दो क़ैरात और दूसरी में एक क़ैरात की कमी बताई गयी है, शायद यह तफ़ावत कुत्ते की नौइयत के एख़्तेलाफ़ से हो या पालने वाले की दिलचस्पी कभी ज़्यादा होती है कभी कम इसी वजह से सज़ा मुख़्तलिफ़ बयान फ़रमाई सही मुस्लिम में है कि हुज़ूर अ०स० ने कुत्तों के क़त्ल का हुक्म फ़रमाया है इसके बाद क़त्ल से मना फ़रमाया और यह फ़रमाया कि वो कुत्ता जो बिलकुल स्याह हो और आखों के ऊपर दो सफ़ेद नुक़्ते हों उसे मार डालो कि वह शैतान है सही हैन में है कि हुज़ूर अ०स० ने इरशाद फ़रमाया कि जिस घर में कुत्ता और तस्वीरें होती है उसमें फ़रिश्ते नहीं आते। सही मुस्लिम में है कि रसूलल्लाह स०अ०व० एक दिन सुबह को ग़मगीन थे और यह फ़रमाया कि जिब्रईल अ०स० ने आज रात में मुलाक़ात का वादा किया था मगर वह मेरे पास नहीं आये वल्लाह उन्होंने वादा ख़िलाफ़ी नहीं की, इसके बाद हुज़ूर को ख़्याल हुआ कि ख़ेमे के नीचे कुत्ते का पिल्ला है उसके निकाल देने का हुक्म फ़रमाया फिर हुज़ूर ने अपने हाथ में पानी लेकर उस जगह को धोया, शाम को जिब्राईल अ०स० आये, हुज़ूर ने इरशाद फ़रमाया शबे गुज़श्ता तुमने मुलाक़ात का वादा किया था, क्यों नहीं आये, अर्ज़ किया हम उस घर में नहीं आते जिस घर में कुत्ता और तस्वीरें हों। दार क़ुतनी अबू हुरैरा र०अ० से रिवायत है कि रसूलल्लाह स०अ०व० बाज़ अंसार के घर तशरीफ़ ले जाते थे और उन के क़रीब दूसरे अंसार का मकान था उनके यहां तशरीफ़ नहीं ले जाते उन लोगों पर यह बात शाक़ गुज़री और अर्ज़ किया या रसूलल्लाह, हुज़ूर फ़लां के यहां तशरीफ़ ले जाते है और हमारे यहां तशरीफ़ नहीं लाते, फ़रमाया मैं इसलिए तुम्हारे यहां नहीं आता कि तुम्हारे यहां कुत्ता है।

मस्अला- क़ाफ़िर ने अगर मुसहफ़ शरीफ़ खरीदा है तो उसे मुसलमान के हाथ फरोख्त करने पर मजबूर करेगें ।

मस्अला- एक शख्स ने कोई चीज़ खरीदी और मबीय पर न कब्ज़ा किया न समन अदा किया और ग़ायब हो गया मगर मालूम है कि फ़ंला जगह है तो क़ाज़ी यह हुक्म नहीं देगा कि उसे बेच कर समन वसूल करे और अगर मालूम नहीं कि वह कहां है और गवाहों से क़ाज़ी के सामने उसने बय साबित कर दिया तो क़ाज़ी या उसका नायब बय करके समन अदा कर दें अगर कुछ बच रहे तो उसके लिए महफ़ूज़ रखें और कमी पड़े तो मुश्तरी जब मिल जाये उससे वसूल करें ।

मस्अला- यह कहा कि यह चीज़ हजार रूपये और अशर्फ़ियों में खरीदी तो पांच सौ रूपये, पांच सौ अशर्फ़ियां देनी होगी, तमाम मामलात में यह क़ायदा कुल्लिया है कि जब चन्द चीजें ज़िक्र की जायें तो वज़न या नाप या अदद उन सबके मजमूऐ से पूरा करेगें और सब को बराबर लेगें महर बदले खुलअ, वसियत, वदीयत इजारा इक़रार, गसब सब का वही हुक्म है जो बय का है. जैसे किसी ने कहा फ़लां शख्स के मुझ पर एक मन गेहूं एक मन जौ है तो निस्फ़ मन गेहूं और निस्फ़ मन जौ देने होंगें या यह कहा एक सौ अंन्डे अख़रोट, सेब हैं तो हर एक में से सौ की एक एक तिहाई - सौ गज़ फ़ंला फ़ला कपड़ा तो दोनों के पचास पचास गज़ ।

मस्अला- औरत ने अपने माल से शौहर को कफ़न दिया या तरका में से किसी ने मैयत को कफ़न दिया अगर वैसा ही कफ़न है जैसा देना चाहिए तो तरका में से उसका सरफ़ा ले सकता है और उससे बेश है तो जो कुछ ज़्यादती है वह नहीं मिलेगी और अगर अजनबी ने कफ़न दिया है तो तबर्रअ है उसे कुछ नहीं मिल सकता ।

मस्अला- हराम तौर पर कसब किया या पराया माल गसब कर लिया और उससे कोई चीज़ खरीदी तो उसकी चन्द सूरतें हैं १- बाए को यह रूपया पहले दे दिया या फिर इसके एवज़ में चीज़ खरीदी या २- उसी हराम रूपया को मोअइन करके उससे चीज़ खरीदी और यही रूपया दिया ३- इसी हराम से खरीदी मगर रूपया दूसरा दिया ४- खरीदने में इसको मोअइयन नहीं किया यानी मुतलक़न कहा एक रूपया की चीज़ दो और यह हराम रूपया दिया ५- दूसरे रूपये से चीज खरीदी और हराम रूपया दिया, पहली दो सूरतों में मुश्तरी के लिए वह बय हलाल नहीं और उससे जो कुछ नफ़ा हासिल किया वह भी हलाल नहीं बाक़ी तीन सूरतों में हलाल ।

तम्बीह- क्या चीज़ शर्त से फ़ासिद होती है और क्या नहीं होती और किसको शर्त पर मोअल्लक कर सकते हैं और किसको नहीं कर सकते, इसका क़ायदाय कुल्लिया यह है कि जब माल को माल से तबादला किया जाये

वह शर्त फ़ासिद से फ़ासिद होगा जैसे बय की शरूत फ़ासिद से बय नाजायज़ हो जाती है (जिसका बयान पहले हो चुका है) और जहाँ माल को माल से बदलना न हो वह शर्त फ़ासिद से नहीं चाहे माल को ग़ैर माल से बदलना हो जैसे निकाह, तलाक़ खुलआ अललमाल या अज़ क़बील तबरआत हो (जैसे हिबा, वसियत) इनमें खुद वह शरूत फ़ासिद ही बातिल हो जाती है और कर्ज अगरचा इन्तहाअन मुबादला है मगर इबतेदअन चूंकि अज़ क़बील तमलीक या तकईद हो उसको शर्त पर मोअल्लक नहीं कर सकते तमलीक की मिसाल बय, इजारा हिबा निकाह इकरार वग़ैरह तक्लीद की मिसाल रूजअत, वकील को माजूल करना, गुलाम के तसर्रुफ़ात रोक देना, और अगर तमलीक व तक़ईद न हो बल्कि अज क़बील इस्कात हो जैसे तलाक़ या अज़ कबील इलतेजामात या इतलाक़ात या विलायत या तहरीजात हो तो शर्त पर मोअल्लक कर सकते हैं। वह चीजें जो शर्त फ़ासिद से फ़ासिद होती है और उनको शर्त पर मोअल्लक नहीं कर सकते हस्ब जैल है । इनमें बाज़ वह है कि इनकी तआलीक़ दुरूस्त नहीं है मगर इनमें शर्त लगा सकते हैं १- बय, २- तक़सीम, ३- इजारा, ४- एजाजत, रजअत, माल से सुलह दैन से इबरा यानी दैन की माफ़ी मजारआ, मआमला, इक़रार, वक्फ़ तहकीम, अज़ले वकील, एतेखाफ़ ।

मस्अला- यह हम पहले बयान कर आये हैं कि शर्त फ़ासिद से बय फ़ासिद हो जाती है और अगर अक्द में शर्त दाखिल नहीं मगर बाद अक्द मुतस्लन शर्त ज़िक्र कर दी तो अक्द सही है, जैसे लकड़ियों का गट्ठा, खरीदा और खरीदने में कोई शर्त न थी फ़ौरन ही यह कहा तुम्हें मेरे मकान पर पहुँचना होगा ।

मस्अला- अगर इक़रार की सूरत वह हो कि किसी ने कहा कि फ़ंला का मुझ पर इतना रुपया है अगर वह मुझे इतना रुपया कर्ज दे या फ़ंला शख्स आ जाये तो यह इक़रार सही नहीं, एक शख्स ने दूसरे पर माल का दावा किया उसने कहा अगर मैं कल न आया तो वह माल मेरे जिम्मा है और नहीं आया, यह इक़रार सही नहीं, या एक ने दावा किया दूसरे ने कहा अगर क़सम खा जाये तो मैं देनदार हूँ उसने क़सम खा ली मगर यह अब भी इन्कार करता है तो इस इक़रारे मशरूत की वजह से उससे मुतालबा नहीं हो सकता ।

मस्अला- तहकीम (यानी किसी को पंच बनाना) इसको शर्त मोअल्लक किया जैसे यह कहा जब चांद हो जाये तो तुम हमारे दर्मियान में पंच हो यह तहकीम सही नहीं बाज़ वह चीजें हैं कि शर्त फ़ासिद से फ़ासिद नहीं होती, बल्कि बावजूद ऐसी शर्त के वह चीज़ सही होती है वह यह है १- कर्ज, २- हिबा, ३- निकाह, ४- तलाक़ ५- खुलआ, ६- सदक़ा, ७- अतक, ८- रेहन, ९- इसा, १०- वसियत, ११- शिरकत, १२- मुजारबत, १३- कज़ा, १४- अमारत, १५- कफ़ालत, १६- हवाला, १७- वकालत, १८- एकालत, १९- किताबत, २० गुलाम

को तेजारत की इजाजत, २१- लौन्डी से जो बच्चा हुआ उसकी निसबत यह दावा कि मेरा है, २२- क़सदन क़त्ल किया है उससे मसालेहत, २३- किसी को मजरूह किया, उससे सुलह, २४- बादशाह का कुफ़्फ़ार को जिम्मा देना, २५- मबीअ में ऐब पाने की सूरत में, उसके वापस करने को शर्त पर मुअल्लक़ करना २६ खयारे शर्त में वापसी को मोअल्लक बर शर्त करना, २७- काज़ी की मअज़ूली जिन चीजों को शर्त पर मोअल्लक करना जायज़ है वह इस्क़ाते महज़ है जिनके साथ हलफ़ कर सकते हैं (जैसे नमाज, रोज़ा हज और तौलियात यानी दूसरों को वली बनाना जैसे काज़ी या बादशाह या खलीफ़ा मुक़र्रर करना) वह चीजें जिनकी इज़ाफ़त ज़मानये मुस्तक़बिल की तरफ़ हो सकती है:- १- इजारा, २- फ़स्खे इजारा, ३- मुज़ारबत, ४- मुआमला, ५- मुजारअ, ६- वकालत, ७- केफ़ालत, ८- ईसा, ९- वसियत, १०- कज़ा, ११- अमारत, १२- तलाक़, १३- एताक़, १४- वक़्फ़, १५- आरियत, १६- इज़ने तेजारत । वह चीजें जिनकी इज़ाफ़त मुस्तक़बिल की तरफ़ सही नहीं: १- बय, २- बय की इजाज़त, ३- बय का फ़स्ख, ४- क़िस्मत, ५- शिरकत, ६- हिबा, ७- निकाह, ८- रूजअत, ९- माल से सुलह, १०- दैन से इबरा ।

बये सर्फ़ का बयान

मस्‌अला- सर्फ़ के माने हम पहले बता चुके है यानी समन का समन से बेचना, सर्फ़ में कभी जिन्स का तबादला जिन्स से होता है जैसे रुपया से चांदी खरीदना या चांदी की रेजगारियां खरीदना, सोने को अशर्फ़ि से खरीदना, और कभी ग़ैर जिन्स से तबादला होता है जैसे रुपया से सोना या अशर्फ़ि खरीदना ।

मस्‌अला- समन से मुराद आम है कि वह समन खिलकी हो यानी इसीलिए पैदा किया गया हो चाहे इसमें इंसानी सिनअत भी दाखिल हो या न हो, चांदी, सोना और इनके सिक्के और ज़ेवरात, यह सब समने खिलकी में दाखिल हैं । दूसरी क़िस्म ग़ैर खिलकी जिसको समन इस्तेलाही भी कहते हैं यह वह चीजें हैं कि समनियत के लिए मखलूक नहीं है मगर लोग इनसे समन का काम लेते हैं, समन की जगह इस्तेमाल करते हैं जैसे पैसा, नोट, निकिल की रेजगारियाँ कि यह सब इस्तेलाही समन हैं रुपये के पैसे भुनाए जायें या रेजगारियाँ खरीदी जायें यह सर्फ़ में दाखिल है ।

मस्‌अला- चांदी की चांदी से सोने की सोने से बय हुई यानी दोनों तरफ़ एक ही जिन्स है तो शर्त यह है कि दोनों वज़न में बराबर हों, और उसी मजलिस में दस्त बदस्त कब्ज़ा हो यानी हर एक दूसरे की चीज़ अपने फ़ेल से कब्ज़ा में लाये । अगर आक़ेदैन ने हाथ से कब्ज़ा नहीं किया बल्कि फ़र्ज़ करो अक्द के बाद वहां अपनी चीज़ रख दी और उसकी चीज़ लेकर चला आया, यह काफ़ी नहीं है और इसी तरह करने से बय नाजायज़ हो गयी बल्कि सूद हुआ है । दूसरे मवाक़ि में तखलिया कब्ज़ा करार पाता है और काफ़ी होता है वज़न बराबर होने के यह माने है कि कांटे या तराज़ू के दोनों पल्ले

में दोनों बराबर हों अगरचा यह मालूम न हो कि दोनों का वज़न क्या है । बराबरी से मुराद यह है कि हक़ीक़त में बराबर होना चाहिए उनको बराबर होना मालूम हो या न हो लेहाज़ा अगर दोनों जानिब की चीजें बराबर थीं मगर उनके इल्म में यह बात न थी तो बय ना जायज़ है । हां अगर उसी मजलिस में यह बात दोनों पर ज़ाहिर हो जाये कि बराबर है तो जायज़ हो जायेगी ।

मस्अला- इत्तेहादे जिन्स की सूरत में खरे खोटे होने का कुछ लेहाज़ न होगा, यानी यह नहीं हो सकता कि जिधर खरा माल है उधर कम माल हो और जिधर खोटा है उधर ज़्यादा हो कि इस सूरत में भी कमी बेशी सूद है ।

मस्अला- इसका भी लेहाज़ नहीं होगा कि एक में सनअत है और दूसरा चांदी का ढेला है या एक सिक्का है दूसरा वैसा ही है अगर इन एख़्तेलाफ़ात की वजह से कम व बेश किया तो हराम व सूद है जैसे एक रूपया की डेढ़ दो रूपये भर इस ज़माना में चांदी बिकती है और आम तौर पर लोग रूपया ही से खरीदते हैं और उसमें अपनी ना वाक़फ़ी की वजह से कुछ हर्ज नहीं जानते हालांकि यह सूद है और बाबिलइजमा हराम है । इसलिए फ़िक़हा यह फ़रमाते हैं कि अगर सोने चांदी का ज़ेवर किसी ने ग़सब किया और ग़ासिब ने उसे हलाक कर डाला तो उसका तावान ग़ैर जिन्स से दिलाया जाये यानी सोने की चीज़ है तो चांदी से दिलाया जाये और चांदी की है तो सोने से क्यों कि उसी जिन्स से दिलाने में मालिक का नुक़सान है । और बनवाई वग़ैरह का लेहाज़ करके कुछ ज़्यादा दिलाया जाये तो सूद है यह दीनी नुक़सान है ।

मस्अला- अगर दोनों जानिब एक जिन्स न हो बल्कि मुख़्तलिफ़ जिन्सें हों तो कमी बेशी में कोई हर्ज नहीं मगर तक़ाबुज़ बदलैन ज़रूरी है अगर तक़ाबुज़ बदलैन से क़ब्ल मजलिस बदल गयी तो बय बातिल हो गयी लेहाज़ा सोने को चांदी से या चांदी को सोने से खरीदने में दोनों जानिब को वज़न करने की भी ज़रूरत नहीं क्योंकि वज़न करना तो इसलिए ज़रूरी था कि दोनों का बराबर होना मालूम हो जाये और जब बराबरी ही शर्त नहीं तो वज़न भी ज़रूरी न रहा सिर्फ़ मजलिस में क़ब्ज़ा करना ज़रूरी है । अगर चांदी खरीदने में सूद से बचना हो तो रूपया से न खरीदो, गिन्नी या नोट या पैसों से खरीदो । दीन व दुनिया दोनों के नुक़सान से बचोगे । यह हुक्म समन ख़िलक़ी यानी सोने चांदी का है, अगर पैसों से चांदी खरीदी तो मजलिस में एक का क़ब्ज़ा ज़रूरी है दोनों जानिब से क़ब्ज़ा ज़रूर नहीं, क्योंकि इनकी समनियत मनसूस नहीं जिसका लेहाज़ ज़रूरी हो, आक़ेदैन अगर चाहें तो उनकी समनियत को बातिल करके जैसे दूसरी चीज़ें ग़ैर समन हैं उनको भी ग़ैर समन क़रार दे सकते हैं । मजलिस बदने के यहां यह माने है कि दोनों जुदा हो जायें एक एक तरफ़ चला जाये दूसरा दूसरी तरफ़ या एक वहां से चला जाये और दूसरा वहीं रहे, और अगर यह दोनों सूरते न हों तो मजलिस नहीं बदली अगरचा कितनी ही

तबील मजलिस हो, अगरचा दोनों वहीं सो जायें या बेहोश हो जायें गरज़ यह कि जब तक दोनों में जुदाई न हो कब्ज़ा हो सकता है ।

मस्अला- एक ने दूसरे के पास कहला भेजा कि मैंने तुमसे इतने रूपये की चांदी या सोना खरीदा दूसरे ने कुबूल किया यह अक़्द दुरूस्त नहीं कि तक़ाबुज बदलैन एक मजलिस में यहां नहीं हो सकता, ख़त व किताबत के ज़रिये से भी बये सरफ़ नहीं हो सकती ।

मस्अला- बये सरफ़ अगर सही हो तो उसके दोनों एवज़ मोअइअन करने से भी मोअइअन नहीं होते, फ़र्ज़ करें एक शख़्स ने दूसरे के हाथ एक रूपया एक रूपया के बदले में बय किया और उन दोनों के पास रूपया न था मगर उसी मजलिस में दोनों ने किसी और से क़र्ज़ लेकर तक़ाबुज बदलैन किया तो अक़्द सही रहा या मस्लन इशारा करके कहा कि मैंने इस रूपया के बदले में बेचा और जिसकी तरफ़ इशारह किया उसे अपने पास रख लिया दूसरा उसकी जगह दिया जब भी सही है । यह उस वक़्त है कि सोना चांदी या सिक्के हों, और बनी हुई चीज मस्लन बर्तन, ज़ेवर तो उनमें तआइयुन हो सकता है ।

मस्अला- बये सरफ़ खियारे शर्त से फ़ासिद हो जाती है यूं ही अगर किसी जानिब से अदा करने की कोई मुद्दत मुकर्रर हुई मसलन चांदी आज ली और रूपया कल देने को कहा यह अक़्द फ़ासिद है, हां अगर उसी मजलिस में खियारे शर्त और मुद्दत को साक़ित कर दिया तो अक़्द सही हो जायेगा ।

मस्अला- सोने चांदी की बय में अगर किसी तरफ़ उधार हो तो बय फ़ासिद है अगरचा उधार वाले ने जुदा होने से पहले उसी मजलिस में अदा कर दिया जब भी कुल की बय फ़ासिद है मसलन पन्द्रह की गिन्नी खरीदी और रूपया दस दिन के बाद देने को कहा मगर उसी मजलिस में दस रूपये दे दिये जब भी पूरी ही बय फ़ासिद है यह नहीं कि जितना दिया उसकी मिक़दार में जायज़ हो जाये हां अगर वहीं कुल रूपये दे दिये तो पूरी बय सही है ।

मस्अला- सोने चांदी की कोई चीज़ बर्तन ज़ेवर वग़ैर खरीदी तो खियारे ऐब व खियारे रोयत हासिल होगा, रूपये अशर्फ़ि में खियारे रूइअत तो नहीं मगर खियारे ऐब है ।

मस्अला- बदले सरफ़ पर जब तक कब्ज़ा न किया हो उसमें तसर्रुफ़ नहीं कर सकता अगर उसने उस चीज़ को हिबा कर दिया या सदक़ा कर दिया या माफ़ कर दिया और दूसरे ने कुबूल कर लिया तो बये सरफ़ बातिल हो गयी और रूपये से अशर्फ़ी खरीदी और अभी अशर्फ़ी पर कब्ज़ा भी नहीं किया और उसी अशर्फ़ी की कोई चीज़ खरीदी यह बय फ़ासिद है और बये सरफ़ बदस्तूर सही है यानी अब भी अगर अशर्फ़ी पर कब्ज़ा कर लिया तो सही है ।

मस्अला- तलवार में जो चांदी है उसको समन की चांदी से कम होना ज़रूरी है अगर दोनों बराबर हैं या तलवार वाली समन से ज़्यादा हो या मालूम न हो कि कौन ज़्यादा है कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है तो इन सूरतों में बय दुरूस्त ही नहीं, पहली दोनों सूरतों में यक़ीनन सूद है और तीसरी सूरत में सूद का एहतेमाल है और यह भी हराम है इसका क़ायदा कुल्लिया यह है कि जब ऐसी चीज़ जिसमें सोने चांदी के तार या पत्तर लगे हों उसको उसी जिन्स से बय किया जाये तो समन की जानिब उससे ज़्यादा सोना या चांदी होना चाहिए जितना उस चीज़ में है ताकि दोनों तरफ़ की चांदी या सोना बराबर करने के बाद समन की जानिब में कुछ बचे जो उस चीज़ के मुक़ाबिल में हो, अगर ऐसा न हो तो सूद और हराम है और अगर गैर जिन्स से बय हो मस्लन उसमें सोना है और समन रूपये हैं तो फ़क़त तक़ाबुज़े बदलैन शर्त है ।

मस्अला- लचका, गोटा अगरचा रेशम से बुना जाता है मगर मक़सूद उसमें रेशम नहीं होता और वज़न ही से बिकता भी है लेहाज़ा दोनों जानिब वज़न बराबर होना ज़रुरी है, लैस पीमक वग़ैरह का भी यही हुक्म है ।

मस्अला- बाज़ कपड़ों में चांदी के बादले बुने जाते हैं, आचंल और किनारे होते है जैसे बनारसी अमामा और बाज़ में दर्मियान में फूल होते हैं जैसे गुलबदन, इसमें ज़री के काम को ताबे क़रार देंगें क्योंकि शरअ मुतहर ने इसके इस्तेमाल को जायज़ क़रार दिया है इसके बय में समन की चांदी ज़्यादा होना शर्त नहीं ।

मस्अला- दो रूपये और एक अशर्फ़ी को एक रूपया दो अशर्फ़ियों से बेचना दुरूस्त है कि रूपये के मुक़ाबिल में अशर्फ़ियां तसव्वर करें और अशर्फ़ी के मुक़ाबिल रुपया, यूं ही दो मन गेहू और एक मन जौ को एक मन गेहूं और दो मन जौ के बदले में बेचना भी जायज़ है और अगर ग्यारह रूपये को दस रूपये के मुक़ाबिल में दस रूपये हैं और एक रूपये के मुक़ाबिल अशर्फ़ी यह दोनों दो जिन्स है इनमें कमी बेशी दुरूस्त है और अगर एक रूपया और एक थान को एक रूपया और एक थान के बदले में बेचा और रूपया पर तरफ़ीन ने क़ब्ज़ा न किया तो बय सही न रही ।

मस्अला- चांदी सोने में मेल हो मगर सोना चांदी ग़ालिब है तो सोना चांदी ही क़रार पायेंगे, जैसे रूपया और अशर्फ़ी कि ख़ालिस चांदी सोना नहीं है, मेल ज़रूर है, मगर कम है इस वजह से अब भी इन्हें चांदी सोना ही समझेगें और इनकी जिन्स के बय हो तो वज़न के साथ बराबर करना ज़रूर है और कर्ज़ लेने में भी इनके वज़न का एतबार होगा इनमें खोट खुद मिलाय हो जैसे रूपया अशर्फ़ी में ढलने के वक़्त खोट मिलाते हैं या मिलाया नहीं है बल्कि पैदाइशी है, कान से जब निकाले गये उसी वक़्त उसमें आमेज़िश थी दोनों का एक हुक्म है ।

मस्अला- सोने चांदी में इतनी आमेज़िश है कि खोट ग़ालिब है तो ख़ालिस के हुक्म में नहीं है और इनका हुक्म यह है कि अगर ख़ालिस सोने चांदी से इनकी बय करें तो यह चांदी उससे ज़्यादा होनी चाहिए जितनी चांदी इस खोटी चांदी में है ताकि चांदी के मुक़ाबिल में चांदी हो जाये और ज़्यादती खोट के मुक़ाबिल में हो तक़ाबुज़ शर्त है क्योंकि दोनों तरफ़ चांदी है और अगर ख़ालिस चांदी उसके मुक़ाबिल में इतनी ही है जितनी उसमें है या उससे भी कम है या मालूम नहीं कम या ज़्यादा तो बय जायज़ नहीं कि पहली दो सूरतों में खुला हुआ सूद है और तीसरी में सूद का एहतेमाल ।

मस्अला- ऐसे रूपये जिनमें खोट ग़ालिब है, उनमें बय व क़र्ज़ वज़न के एतबार से भी दुरुस्त है और गिनती के लेहाज़ से भी, अगर रिवाज वज़न का है तो वज़न से और अदद का है तो अदद से और दोनों का है तो दोनों तरह क्योंकि यह उनमें नहीं है, जिनका वज़न मनसूस है ।

मस्अला- हमने कई जगह ज़िमनन यह बात ज़िक्र कर दी है कि नोट भी समन इस्तेलाही है इसकी वजह यह है कि आज तमाम लोग इस से चीजें ख़रीदते है, दयून व दीगर मुतालबात में बेतकल्लुफ़ देते लेते हैं यहां तक कि दस रूपये की चीज़ ख़रीदते हैं और नोट दे देते हैं, दस रूपये क़र्ज़ लेते हैं और दस रूपये का नोट दे देते है न लेने वाला समझता है कि हक़ से कम या ज़्यादा मिला है न देने वाला, जिस तरह अठन्नी, चवन्नी, दुअन्नी की कोई चीज़ ख़रीदी और पैसे दे दिये या यह चीज़ें क़र्ज़ ली थी और पैसों से क़र्ज़ अदा किया इसमें कोई तफ़ावुत नहीं समझता, बईनही इसी तरह नोट में भी फ़र्क़ नहीं समझा जाता, हालांकि यह कागज़ का एक टुकड़ा है जिसकी क़ीमत हज़ार पांच सौ तो क्या पैसा दो पैसा भी नहीं हो सकती, सिर्फ़ इस्तेलाह ने इसे इस रुतबा तक पहुंचाया कि हज़ारों में बिकता है और आज इस्तेलाह ख़त्म हो जाये तो कौड़ी को भी कोई न पूछे । इस बयान के बाद यह समझना चाहिये कि खोटे रूपये और पैसों का जो हुक्म है वही नोट का है कि इससे चीजें ख़रीद सकते है और मोअइयन करने से भी मोअइयन नहीं होंगें, ख़ुद नोट का नोट के बदले में बेचना भी जायज़ है और अगर दोनों मोअइयन कर लें तो एक नोट के बदले में दो नोट भी ख़रीद सकते हैं जिस तरह एक पैसा म मोअइयन दो पैसों को ख़रीद सकते हैं । रूपयों से नोट ख़रीदा बेचा जाये तो जुदा होने से पहले एक पर क़ब्ज़ा होना ज़रूरी है जो रक़म उस पर लिखी होती है उससे कम व बेश पर भी नोट का बेचना जायज़ है । दस का नोट पांच में बारह में बय करना दुरुस्त है जिस तरह एक रूपये के ६४ की जगह सौ पैसे या पचास पैसे बेचे जायें तो उसमें कोई हर्ज नहीं बाज़ लोग जो कमी बेशी नाजायज़ जानते हैं नोट को चांदी तसव्वुर करते हैं यह तो ज़ाहिर है कि यह चांदी नहीं है बल्कि कागज है और अगर चांदी होती तो उसकी बय में वज़न का एतबार ज़रूर करना होता । दस रूपये से दस का नोट लेना उस वक़्त दुरुस्त होता कि एक पल्ला में दस रूपये रखें, दूसरे में नोट और दोनों वज़न बराबर करें ।

यह अलबत्ता कहा जा सकता है कि बाज़ बातों में चांदी के हुक्म में है मस्लन दस रूपये कर्ज़ लिये थे या किसी चीज़ का समन था और रूपये की जगह नोट दे दे यह दुरूस्त है जिस तरह पन्द्रह रूपये की जगह एक गिन्नी देना दुरूस्त है मगर उससे यह नहीं हो सकता कि गिन्नी को चांदी कहा जाये कि पन्द्रह की गिन्नी को पन्द्रह से कम व बेश में बेचना ही नाजायज़ है ।

मस्अला- बये तलजिआ यह है कि दो शख्स और लोगों के सामने बज़ाहिर किसी चीज़ को बेचना खरीदना चाहते है मगर उनका एरादा उस चीज़ के बेचने खरीदने का नहीं है, इस बय की ज़रूरत यूं पेश आती है कि जानता है फलां शख्स को मालूम हो जायेगा कि यह चीज़ मेरी है तो ज़बरदस्ती छीन लेगा, मैं उसका मुक़ाबला नहीं कर सकता । बये तलजिया में यह ज़रूरी है कि मुश्तरी से कह दें कि मैं बज़ाहिर तुम से बय करूंगा और हक़ीक़तन बय नहीं होगी और इस अम्र पर लोगों को गवाह कर लें । महज़ दिल में यह ख्याल करके बय की और जुबान से उसको ज़ाहिर नहीं किया है तो यह तलजिया नहीं तलजिया का हुक्म हज़ल का है कि सूरत बय की है और हक़ीक़त में बय नहीं । आजकल जिसको फर्ज़ी बय कहा करते हैं वह इसी तलजिया में दाखिल हो सकती है जब कि इसके शरायत पाये जायें ।

मस्अला- बये तलजिया का यह हुक्म है कि यह बय मौक़ूफ़ है जायज़ कर दे तो जायज़ होगी रद कर दे तो बातिल होगी, यानी जबकि नफ्से अक्द में तलजिया हो ।

मस्अला- दोनों में से एक कहता है तलजिया था दूसरा कहता है नहीं था तो जो तलजिया का मुद्दई है उसके ज़िम्मा गवाह हैं, गवाह न लाए तो मुनकिर का क़ौल कसम के साथ मोतबर है ।

बये उलवफ़ा

इसको बये उल अमानत और बये उल इताअत और बये उल मुआमला भी कहते हैं । इसकी सूरत यह है कि इस तौर पर बय की जाये कि बाए जब समन मुश्तरी को वापस देगा तो मुश्तरी मबीय को वापस कर देगा या यूं कि मदयून ने दायन के हाथ दैन के एवज़ में कोई चीज़ बय कर दी और यह तय हो गया कि जब मैं दैन अदा कर दूंगा तो अपनी चीज़ वापस ले लूंगा या यूं कि मैंने यह चीज़ तुम्हारे हाथ इतने में बय कर दी इस तौर पर की जब समन लाऊंगा तो तुम मेरे हाथ बय कर देना । आज कल जो बये उलवफ़ा लोगों में जारी है उसमें मुद्दत भी होती है कि अगर इस मुद्दत के अन्दर यह रकम मैंने अदा कर दी तो चीज़ मेरी वरना तुम्हारी ।

मस्अला- बये उलवफ़ा हक़ीक़त में रेहन है लोगों ने रेहन के मुनाफ़ा खाने की यह तरकीब निकाली है कि बय की सूरत में रेहन रखते हैं ताकि मुरतहन

उसके मुनाफ़ा से मुस्तफ़ीद हो । लेहाज़ा रेहन के तमाम अहकाम इसमें जारी होंगे और जो कुछ मुनाफ़ा हासिल होंगे सब वापस करने होंगे और जो कुछ मुनाफ़ा अपने सर्फ़ में ला चुका है या हलाक कर चुका है सब का तावान देना होगा, और अगर मबीय हलाक हो गयी तो देन का रूपया भी साक़ित हो जायेगा बशर्ते कि वह दैन की रक़म के बराबर हो और अगर उसके पड़ोस में कोई मकान या ज़मीन फ़रोख़्त हो तो शुफ़ा बाए का होगा कि वही मालिक है मुश्तरी का नहीं कि वह मुरतहन है । बये उलवफ़ा का मामला नेहायत पेचीदा है । फ़ुक़हाये केराम के अक़वाल इसके मुत्तालिक बहुत मुख़्तलिफ़ वाका हुए है जिसको तफ़सीलात देखनी हो मुतव्वलाते कुतुब फ़िक़्ह में देखें ।

मुज़ारबत का बयान

यह तेजारत में एक क़िस्म की शिरकत है कि एक जानिब से माल हो और एक जानिब से काम । माल देने वाले को रब्बुलमाल और काम करने वाले को मुज़ारिब और मालिक ने जो दिया उसे रासुलमाल कहते हैं और अगर तमाम नफ़ा रब्बुलमाल ही के लिए देना क़रार पाया तो उसको इबजाअ कहते हैं और अगर कुल काम करने वाले के लिए तय पाया तो क़र्ज़ है इस अक़्द की लोगों को हाजत है क्योंकि इंसान मुख़्तलिफ़ क़िस्म के हैं, बाज़ मालदार है बाज़ गरीब बाज़ माल वालों को काम करने का सलीका नहीं होता, तेजारत के असूल व फ़रूअ सेना वाक़िफ़ होते हैं और बाज़ गरीब काम करना जानते है मगर उनके पास रूपया नहीं, लेहाज़ा तेजारत क्यों कर करें, इस अक़्द की मशरूइअत में यह मसलेहत है कि अमीर गरीब दोनों को फ़ायदा पहुचे, माल वाले को रूपया दे कर, और गरीब आदमी को उसके रूपया से काम कर के ।

मसअला- मुज़ारेबत के लिए चन्द शर्तें हैं १- रासुलमाल समन के क़िस्म से हो, अगर ओरूज के क़िस्म से हो तो मुज़ारबत सही नहीं, पैसों को रासुलमाल क़रार दिया और वह चलते हों तो मुज़ारबत सही है, यूं ही निकिल की इकन्नियां, दुअन्नियां रासुलमाल हो सकती है जब तक उनका चलन है अगर अपनी कोई चीज़ दे दी कि इसे बेचो और समन पर क़ब्ज़ा करो और इससे बतौर मुज़ारेबत काम करो, उसने उसको रूपया या अशर्फ़ी से बेच कर काम करना शुरू कर दिया यह मुज़ारबत सही है । २- रासुलमाल मालूम हो अगरचा इस तरह मालूम किया गया हो कि उसकी तरफ़ इशारह कर दिया फिर अगर नफ़ा की तक़सीम करते वक़्त रासुलमाल की मिक़दार में एख़्तेलाफ़ हुआ तो गवाहों से जो साबित कर दे उसकी बात मोतबर है, और अगर दोनों के गवाह हों तो रब्बुलमाल के गवाह मोतबर हैं और अगर किसी के पास गवाह न हों तो क़सम के साथ मुज़ारिब की बात मोतबर होगी, ३- रासुलमाल ऐन हो यानी मोअइयन हो दैन न हो जो ग़ैर मोअइयन वाजिब फ़िल ज़िम्मा होता है, मुज़ारबत अगर दैन के साथ हुई और वह देन मुज़ारिब पर है यानी उससे कह दिया कि तुम्हारे ज़िम्मा जो मेरा रूपया है उससे काम करो यह मुज़ारबत सही नहीं, जो कुछ ख़रीदेगा

उसका मालिक मुज़ारिब होगा और जो कुछ दैन होगा उसके ज़िम्मा होगा और अगर दूसरे पर दैन हो मस्लन कह दिया कि फंला के ज़िम्मा मेरा इतना रूपया है उस को वसूल करो और उससे बतौर मुज़ारबत तेजारत करो यह मुज़ारबत जायज़ है अगरचा इस तरह करना मकरूह है और अगर यह कहा था कि फंला पर मेरा दैन है वसूल करके फिर उससे काम करो उसने कुल रूपया कब्ज़ा करने से पहले ही काम करना शुरू कर दिया तो ज़ामिन है यानी अगर तल्फ़ होगा ज़मान देना होगा और अगर यह कहा था कि उससे रूपया वसूल करो और काम करो और उसने कुल रूपया वसूल करने से पहले काम शुरू कर दिया तो ज़ामिन नही है और अगर यह कहा कि मुज़ारबत पर काम करने के लिये उससे रूपया वसूल करो तो कुल वसूल करने से पहले काम करने की इजाज़त नहीं यानी ज़मान देना होगा ।

मस्अला- यह कहा कि मेरे लिए उधार गुलाम खरीदो फिर बेचो और उसके समन से बतौर मुज़ारबत काम करो, उसने खरीदा फिर बेचा और काम किया यह सूरत जायज़ है, ग़ासिब या अमीन या जिसके पास उसने इब्ज़ा के तौर पर रूपया दिया था इनसे कहा जो कुछ मेरा माल तुम्हारे पास है उससे बतौर मुज़ारबत काम करो, नफ़ा आधा, आधा, यह जायज़ है । ४- रासुलमाल मुज़ारिब को दे दिया जाये यानी उसका पूरे तौर पर कब्ज़ा हो जाये रब्बुलमाल का बिलकुल कब्ज़ा न रहे । ५- नफ़ा दोनों के मा बैन शाया हो यानी मस्लन निस्फ़ निस्फ़ या दो तिहाई, एक तिहाई या तीन चौथाई, एक चौथाई, नफ़ा में इस तरह हिस्सा मोअइन न किया जाये जिसमें शिरकत कतआ हो जाने का एहतेमाल हो, मस्लन यह कह दिया कि मैं सौ रूपया नफ़ा लूंगा । इसमें हो सकता है कि कुल नफ़ा सौ ही हो या उससे भी कम तो दूसरे की नफ़ा में शिरकत क्यों कर होगी, या कह दिया कि निस्फ़ नफ़ा लूंगा और उसके साथ दस रूपया और लूंगा इसमें भी हो सकता है कि कुल नफ़ा दस ही रूपये हो तो दूसरा शख्स क्या पायेगा । ६- हर एक का हिस्सा मालूम हो, लेहाज़ा ऐसी शर्त जिसकी वजह से नफ़ा में जेहालत पैदा हो मुज़ारबत को फ़ासिद कर देती है (मस्लन यह शर्त कि तुम को आधा या तिहाई नफ़ा दिया जायेगा यानी दोनों में से किसी एक को मोअइन नहीं किया बल्कि तरदीद के साथ बयान करता है) और अगर इस शर्त से नफ़ा में जेहालत न हो तो वह शर्त ही फ़ासिद है और मुज़ारबत सही है (मस्लन यह कि नुकसान जो कुछ होगा वह मुज़ारिब के ज़िम्मा होगा या दोनों के ज़िम्मा डाला जायेगा) ६- मुज़ारिब के लिए नफ़ा देना शर्त हो (अगर रासुलमाल से कुछ देना शर्त किया गया या रासुलमाल और नफ़ा दोनों में से देना शर्त किया गया मुज़रिबत फ़ासिद हो जायेगी ।

मस्अला- मुज़ारबत का यह हुक्म है कि जब मुज़ारिब को माल दिया गया उस वक़्त वह अमीन है और जब उसने काम शुरू किया अब वह वकील है और जब कुछ नफ़ा हुआ तो अब शरीक है और रब्बुलमाल के हुक्म के खिलाफ़

किया तो ग़ासिब है और अगर मुज़ारबत फ़ासिद हो गयी तो वह अजीर है और इजारा भी फ़ासिद ।

मस्अला- मुज़ारबत में जो कुछ खेसारा होता है वह रब्बुलमाल का होता है अगर यह चाहे कि खेसारा मुज़ारिब को हो माल वाले को न हो तो उसकी सूरत यह है कि कुल रुपया मुज़ारिब को बतौर क़र्ज़ दे दे और एक रुपया बतौर शिरकत इनान दे यानी उसकी तरफ़ से वह कुल रुपये जो उसने कर्ज में दिये और उसका एक रुपया और शिरकत इस तरह की काम दोनों करेंगें और नफ़ा में बराबर के शरीक रहेगें और काम करने के वक्त तन्हा वही मुस्तकरिज़ काम करता रहा, इसने कुछ नहीं किया इसमें हरज नहीं क्योंकि अब रब्बुलमाल काम न करे तो शिरकत बातिल नहीं होती, अब अगर तेजारत में नुक़सान हुआ तो ज़ाहिर है कि उसका एक ही रुपया है सारा माल तो मुस्तकरिज़ का है उसका खेसारह हुआ रब्बुलमाल का क्या ऐसा खेसारा हुआ क्योंकि जो कुछ मुस्तकरिज़ को दिया है वह कर्ज़ है उससे वसूल करेगा ।

मस्अला- मुज़ारबत अगर फ़ासिद हो जाती है तो इजारा की तरफ़ मुनक़लिब हो जाती है यानी अब मुज़ारिब को नफ़ा जो मुक़र्रर हुआ है वह नहीं मिलेगा बल्कि उजरते मिस्ल मिलेगी चाहे नफ़ा उस काम में हुआ हो या न हो । मगर यह ज़रूर है कि यह उजरत उससे ज़्यादा न हो जो मुज़ारबत की सूरत में नफ़ा मिलता ।

मस्अला- मुज़ारबत फ़ासिदा में भी मुज़ारिब के पास जो माल रहता है वह बतौर अमानत है अगर कुछ नुक़सान हो जाये तो तावान उसके ज़िम्मा नहीं जिस तरह मुज़ारबते सहीहा में तावान नहीं, दूसरे को माल दिया और कुल नफ़ा अपने लिए मशरूत कर लिया, जिसको इबज़ाअ कहते हैं इसमें भी उसके पास जो माल है बतौर अमानत है हलाक हो जाये तो ज़मान नहीं ।

मस्अला- मुज़ारिब ऐसा काम नहीं कर सकता जिसमें ज़रर हो न वह काम कर सकता है जो तुज्जार न करते हों न ऐसी मियाद पर बय कर सकता है जिस मियाद पर ताजिर नहीं बेचते, और अगर दो शख़्सों को मुज़ारिब किया है तो तन्हा एक बय व शरा नहीं कर सकता जब तक अपने साथी से इजाज़त न ले लें ।

मस्अला- अगर बय फ़ासिद के साथ कोई चीज़ ख़रीदी जिसमें क़ब्ज़ा करने से मिल्क हो जाती है यह मुख़ालेफ़त नहीं है और वह चीज़ मुज़ारबत ही कहलावेगी और ग़बने फ़ाहिश के साथ ख़रीदी तो मुख़ालफ़त है और यह चीज़ सिर्फ़ मुज़ारिब की मिल्क होगी अगरचा मालिक ने कह दिया हो कि अपनी राय से काम करो और अगर ग़बने फ़ाहिश के साथ बेच दी तो मुख़ालफ़त नहीं ।

मस्अला- रब्बुल माल ने शहर या वक्त या क़िस्म तेजारत की तअइयन कर दी हो यानी कह दिया हो कि इस शहर में या इस ज़माना में ख़रीद फ़रोख़्त करना या फ़लां क़िस्म की तेजारत करना तो मुज़ारिब पर इसकी पाबन्दी

लाज़िम है इसके खिलाफ़ नहीं कर सकता, यूं ही अगर बायें या मुश्तरी की तक़लीद कर दी हो कह दिया हो कि फ़ंला दुकान से खरीदना या फ़ंला फ़ंला के हाथ बेचना इसके खेलाफ़ भी नहीं कर सकता, अगरचा यह पाबन्दियां उसने अक़्दें मुज़ारिबत करते वक़्त या रूपये देते वक़्त न की हो बाद में यह क़यूद बढ़ा दी हों हां अगर मुज़ारिब ने सौदा खरीद लिया हो अब किसी क़िस्म की पाबन्दी उसके ज़िम्मा करे मस्लन यह कि उधार न बेचना या दूसरी जगह न ले जाना वग़ैरह तो मुज़ारिब इन क़यूद की पाबन्दी पर मजबूर नहीं मगर जबकि सौदा फ़रोख्त हो जाये और रासुलमाल नक़्द की सूरत में हो जाये तो रब्बुलमाल उस वक़्त क़यूद लगा सकता है और मुज़ारिब पर उनकी पाबन्दी लाज़िम होगी ।

मसअला- मुज़ारिब ने ऐसे शख़्स से बय व शेरा की जिस के हक़ में उसकी गवाही मक़बूल नहीं मस्लन अपने बाप या बेटे या जौजा से अगर यह बय वाजबी क़ीमत पर हुई तो जायज़ है वरना नहीं ।

मसअला- दोनों में से एक के मर जाने से मुज़ारबत बातिल हो जाती है दोनों में से एक मजनून हो जाये और जुनून भी मुतबक़ हो तो मुज़ारबत बातिल हो जायेगी, मगर माले मुज़ारबत अगर सामान तेजारत की शक्ल में है और मुज़ारिब मर गया तो उसका वसी उन सब को बेच डाले और अगर मालिक मर गया और माल तेजारत नक़्द की सूरत में है तो मुज़ारिब उसमें तसर्रुफ़ नहीं कर सकता और सामान की शक्ल में है तो उसको सफ़र में नहीं ले जा सकता, बय कर सकता है ।

मसअला- मुज़ारिब मर गया और माले मुज़ारबत का पता नहीं चलता कि कहां है यह मुज़ारिब के ज़िम्मा दैन है जो उसके तरका से वसूल किया जायेगा ।

मसअला- मुज़ारिब मर गया उसके ज़िम्मा दैन है मगर माले मुज़ारबत मारूफ़ व मशहूर है लोग जानते है कि यह चीज़ें मुज़ारबत की है दैन वाले इस माल से दैन वसूल नहीं कर सकते बल्कि रासुलमाल और नफ़ा का हिस्सा रब्बुल माल लेगा, नफ़ा में जो मुज़ारबत का हिस्सा है वह दैन वाले अपने दैन में ले सकते हैं ।

मसअला- माले मुज़ारबत से जो कुछ हलाक या ज़ाया होगा वह नफ़ा की तरफ़ शुमार होगा, रासुलमाल में नुक़सानात को नहीं शुमार किया जा सकता, मस्लन सौ रूपये दे और तेजारत में बीस रूपये का नफ़ा हुआ और दस रूपये ज़ाया हो गये तो यह नफ़ा में मिन्हा किये जायेंगे यानी अब दस ही रूपया नफ़ा के बाक़ी है अगर नुक़सान इतना हो कि नफ़ा उसको पूरा नहीं कर सकता मस्लन बीस नफ़ा के हैं और पचास का नुक़सान हुआ तो यह नुक़सान रासुलमाल में होगा, मुज़ारिब से कुल या निस्फ़ नहीं ले सकता क्योंकि वह अमीन है और अमीन पर ज़मान नहीं अगरचा वह नुक़सान मुज़ारिब ही के फ़ेल से हुआ हो हां अगर जान बूझ कर क़सदन उसने नुक़सान पहुंचाया या मस्लन शीशा की चीज़ क़सदन पटक दी इसमें तावान देना होगा कि इसकी उसे इजाज़त न थी ।

मस्अला- मुज़ारबत में नफ़ा की तक़सीम उस वक़्त सही होगी कि रासुलमाल रब्बुलमाल को दे दिया जाये, रासुलमाल देने से क़ब्ल तक़सीम बातिल है यानी फ़र्ज़ करो कि रासुलमाल हलाक हो गया तो नफ़ा वापस करके रासुलमाल पूरा करें उसके बाद अगर कुछ बचे तो हस्ब क़रार दाद तक़सीम कर लें मसलन एक हज़ार रासुलमाल है और एक हज़ार नफ़ा पांच सौ दोनों में नफ़ा के ले लिए, और रासुलमाल मुज़ारिब ही के पास रहा कि इससे वह फिर तजारत करेगा, यह हज़ार हलाक हो गये, काम करने से पहले हलाक हुए या बाद में बहर हाल मुज़ारिब पांच सौ की रक़म रब्बुलमाल को वापस कर दे और खर्च कर चुका है तो अपने पास से पांच सौ दे कि यह रक़म और रब्बुलमाल जो ले चुका है वह रासुलमाल में महसूब है । और नफ़ा हलाक होना तसव्वर होगा और दो हज़ार नफ़ा के थे एक एक हज़ार दोनों ने ले लिए थे उसके बाद रासुलमाल हलाक हुआ तो एक हज़ार जो मालिक को मिले है उनको रासुलमाल तसव्वर किया जाये और मुज़ारिब के पास जो एक हज़ार है वह नफ़ा के है उनमें से रब्बुलमाल पांच सौ वसूल करे ।

मस्अला- मुज़ारिब के पास दो हज़ार रुपये है और कहता यह है कि एक हज़ार तुमने दिये थे और एक हज़ार नफ़ा के हैं और रब्बुलमाल यह कहता है कि मैंने दो हज़ार दिये है ! अगर किसी के पास गवाह न हो तो मुज़ारिब का क़ौल क़सम के साथ मोतबर है और अगर उसके साथ-साथ नफ़ा की मिक़दार में भी एख़्तेलाफ़ हो मुज़ारिब कहता है कि मेरे लिए आधे नफ़ा की शर्त थी और रब्बुलमाल कहता है कि एक तिहाई नफ़ा तुम्हारे लिये था तो इसमें रब्बुलमाल का क़ौल क़सम के साथ मोतबर है और अगर दोनों में से किसी ने अपनी बात को गवाहों से साबित कर दिया तो उसी की बात मानी जायेगी, और अगर दोनों गवाह पेश करें तो रासुलमाल की ज़्यादती में रब्बुलमाल के गवाह मोतबर है और नफ़ा की ज़्यादती में मुज़ारिब के गवाह मोतबर है ।

मस्अला- मुज़ारिब कहता है मेरे लिए आधा या तिहाई नफ़ा ठहरा था और मालिक कहता है तुम्हारे लिए सौ रुपये ठहरे थे या कुछ शर्त न थी लेहाज़ा, मुज़ारबत फ़ासिद हो गयी और तुम उजरते मिस्ल के मुस्तहक़ हो, इसमें रब्बुलमाल का क़ौल क़सम के साथ मोतबर है ।

मस्अला- वसी ने नाबालिग के माल को बतौर मुज़ारबत खुद लिया, यह जायज़ है बाज़ ओलमा इसमें यह क़ैद इज़ाफ़ा करते हैं कि अपने लिए उतना ही नफ़ा लेना क़रार दिया तो जो दूसरे को देता ।

मस्अला- मुज़ारिब ने रासुलमाल से कोई चीज़ खरीदी और कहता है इसे अभी नहीं बेचूँगा, जब ज़्यादा मिलेगा उस वक़्त बय करूँगा और मालिक यह कहता है कुछ नफ़ा मिल रहा है इसे बय कर डालो, तो मुज़ारिब बेचने पर मजबूर किया जायेगा, हाँ अगर मुज़ारिब यह कहता है, मैं तुम्हारा रासुल माल

भी दूंगा और नफ़ा का हिस्सा भी दूंगा उस वक्त मालिक को उसके कुबूल पर मजबूर किया जायेगा ।

जायज़ व नाजायज़ का बयान

यहां हम किसी एक खास बाब के मसायल न बयान करेंगे, बल्कि मुख्तलिफ बाबों के रोज़मर्रा पेश आने वाले मसायल का ज़िक्र करेंगे, लेकिन ज़्यादा तर मसायल आदाब व एखलाक़ से मुताल्लिक़ होंगे और उनमें भी पहले खाने पीने के मसलों को लिखेंगे कि इंसान की ज़िन्दगी का ताल्लुक़ खाने पीने से है, कुरान मजीद में है । (तरजुमा)

ऐ ईमान वालो अल्लाह ने जो तुम्हारे लिये हलाल किया है उसे हराम न करो, और हद से न बढ़ो, बेशक अल्लाह हद से बढ़ने वालों को दोस्त नहीं रखता और अल्लाह ने जो तुम्हें हलाल पाकीज़ा रिज़्क दिया है उसमें से खाओ और अल्लाह से डरो, जिस पर तुम ईमान लाये हो और फ़रमाता है । (तरजुमा)

खाओ उसमें से जो अल्लाह ने तुम्हें रोज़ी दी है और शैतान के कदमों पर न चलो, बेशक वह तुम्हारा खुला दुश्मन है । हदीस में है कि रसूलल्लाह सल्लाहे अलैहे वसल्लम ने फ़रमाया कि जिस खाने पर बिसमिल्लाह न पढ़ने की सूरत में शैतान उस खाने में शरीक हो जाता है । सही बुखारी व सही मुस्लिम में है उमर बिन अबी सलमा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हो कहते हैं कि मैं बच्चा था रसूलल्लाह सल्लाहे अलैहे वसल्लम की परवरिश में था खाने वक्त बर्तन में हर तरफ़ हाथ डाल देता, हुज़ूर ने इरशाद फ़रमाया बिसमिल्लाह पढ़ो और दाहिने हाथ से खाओ और बर्तन की उस जानिब से खाओ जो तुम्हारे करीब है हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़रमाया जब कोई शख्स खाना खाये तो अल्लाह का नाम ज़िक्र करे यानी बिसमिल्लाह पढ़े और अगर शुरू में बिसमिल्लाह पढ़ना भूल जाये तो यूं कहे .... और फ़रमाया मुजतमा हो कर खाना खाओ और बिसमिल्लाह पढ़ो, तुम्हारे लिए इसमें बरकत होगी ।

इब्नमाजा की रिवायत में यह भी है कि लोगों ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह हम खाते और पेट नहीं भरता, इरशाद फ़रमाया कि शायद तुम अलग अलग खाते हो जमा किया करो, फ़रमाया इकट्ठे होकर खाओ और बिसमिल्लाह पढ़ो बरकत होगी, और फ़रमाया जिस खाने पर अल्लाह के नाम का ज़िक्र न किया जाये वह बीमारी है और उसमें बरकत नहीं है और इसका कफ्फ़ारह यह है कि अगर अभी दस्तरख्वान न उठाया गया हो तो बिसमिल्लाह पढ़कर कुछ खा लें, और फ़रमाया जब खावें या पिवें तो यह कह लें, बिस्मिल्लाहे व बिल्लाहे अल्लज़ी ला यदुर्रु मअइस्मेही शैउन फ़िलअर्दे वला फ़िस्समाए या हैय्यो या क़य्यूम फिर उसे कोई बीमारी न होगी अगरचे उसमें ज़हर हो । और फ़रमाया जब खाना

खाये तो दाहिने हाथ से खाये और पानी पिये तो दाहिने हाथ से पिये, और फ़रमाया कोई शख़्स न बायें हाथ से खाना खाये न पानी पिये कि बायें हाथ से खाना पीना शैतान का तरीक़ा है, और फ़रमाया तीन उंगलियों से खाना अम्बिया अलैहिस्सलाम का तरीक़ा है और फ़रमाया तीन उंगलियों से खाओ कि यह सुन्नत है और पांचों से न खाओ कि यह आराब (गंवारों) का तरीक़ा है जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अनहा से मरवी कि नबी करीम स० अ० ने उंगलियों और बर्तन चाटने का हुक्म दिया और यह फ़रमाया कि तुम्हे मालूम नहीं कि खाने के किस हिस्सा में बरकत है इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहताला अन्हा कहते है कि हुज़ूर ने खाने और पीने में फूंकने की मुमानियत फ़रमाई, और फ़रमाया शैतान तुम्हारे हर काम में हाज़िर हो जाता है

खाने के वक़्त भी हाज़िर हो जाता है लिहाज़ा अगर लुक़मा गिर जाये और उसमें कुछ लग जाये तो साफ़ करके खा ले उसे शैतान के लिए छोड़ न दे और जब खाने से फ़ारिग़ हो जाये तो उंगलियां चाट ले क्योंकि यह मालूम नहीं कि खाने के किस हिस्से में बरकत है, और फ़रमाया कि रोटी का एहतेराम करो कि वह आसमान व ज़मीन की बरकात से है, जो शख़्स दस्तरख़्वान से गिरी हुई रोटी को खा लेगा उसकी मग़फ़िरत हो जायेगी और फ़रमाया अल्लाह ताला उस बन्दा से राज़ी होता है कि जब लुक़मा खाता है तो उस पर अल्लाह की हम्द करता है और पानी पीता है तो उस पर उसकी हम्द करता है, और फ़रमाया कि जब दस्तरख़्वान चुना जाये तो कोई शख़्स दस्तरख़्वान से न उठे जब तक दस्तरख़्वान उठा न लिया जाये और खाने से हाथ न खींचें अगरचा खा चुका हो जब तक सब लोग फ़ारिग़ न हो जायें और अगर हाथ रोकना ही चाहता है तो माज़रत पेश करे क्यों कि अगर माज़रत किये बग़ैर हाथ रोक लेगा तो उसके साथ दूसरा शख़्स जो खाना खा रहा है शर्मिन्दा होगा वह भी हाथ खींच लेगा और शायद अभी उसको खाने की हाजत बाक़ी हो, इसी हदीस की बिना पर ओलमा यह फ़रमाते है कि अगर कोई शख़्स कम ख़ुराक हो तो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा खाये और उसके बावजूद भी अगर जमात का साथ न दे सके तो माज़रत पेश करें ताकि दूसरों को शर्मिन्दगी न हो, रसूल्लाह स० अ० स० खाने से फ़ारिग़ हो कर यह पढ़ते - अलहम्दो लिल्लाहे अल लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मुस्लेमीन (तिरमिज़ी व अबू दाऊद व इब्न माजा) और फ़रमाया खाने के वक़्त जूते उतार लो कि यह सुन्नत जमीला है (अच्छा तरीक़ा) और अनस रज़ी अल्लाह ताला अनहा की रिवायत में है कि खाना रखा जाये तो जूते उतार लो कि इससे तुम्हारे क़दमों के लिए राहत है और फ़रमाया कि(खाते वक़्त) गोश्त को छुरी से न काटो कि यह अजमियों का तरीक़ा है, उसको दांत से नोच कर खाओ कि यह ख़ुशगवार व ज़ोद हज़्म है यह उस वक़्त है कि गोश्त अच्छी तरह पक गया हो हाथ या दांत से नोच कर खाया जा सकता हो आज कल यूरप की तक़लीद में बहुत से मुसलमान भी छुरी काटे से खाते है यह मज़मूम तरीक़ा है और बवजह ज़रूरत छुरी से गोश्त काट कर खाया जाये कि गोश्त इतना गला हुआ नहीं है कि हाथ से तोड़ा जा सके या

दांतों से नोचा जा सके या मसलन मुसल्लम रान भुनी हुई है कि दांतों से नोचने में दिक़्क़त होगी तो छुरी से काट कर खाने में हर्ज नहीं, इसी क़िस्म के बाज़ मवाक़े पर हुज़ूर अक़दस स०अ०स० का छुरी से गोश्त काट कर तनावुल फ़रमाना आया है, इससे आजकल के छुरी कांटे से खाने की दलील लाना सही नहीं, और फ़रमाया मैं तकिया लगा कर खाना नहीं खाता. अनस रज़ि० अ० से मरवी कि नबी करीम स०अ०स० ने ख़्वान पर खाना नहीं तनावुल फ़रमाया न छोटी छोटी प्यालियों में खाया और न हुज़ूर के लिये पतली चपातियां पकाई गयीं दूसरी रिवायत में यह है कि हुज़ूर ने पतली चपाती देखी भी नहीं. हज़रत क़तादह से पूछा गया कि किस चीज़ पर वह लोग खाना खाया करते थे, कहा कि दस्तरख़्वान पर, ख़्वान तिपाई की तरह ऊंची चीज़ होती है जिस पर अमरा के यहां खाना चुना जाता है ताकि खाते वक़्त झुकना न पड़े उस पर खाना खाना मुतकब्बिरीन का तरीक़ा था जिस तरह बाज़ लोग इस ज़माना में मेज पर खाते है, छोटी छोटी प्यालियों में खाना लाना भी अमरा का तरीक़ा है उनके यहां मुख़्तलिफ़ क़िस्म के खाने होते हैं, छोटे छोटे बर्तनों में रखे जाते है अबू हरेरा रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि नबी करीम स०अ०स० ने खाने को कभी ऐब नहीं लगाया (यानी बुरा नहीं कहा) अगर ख़्वाहिश हुई खा लिया वरना छोड़ दिया, और फ़रमाया एक शख़्स का खाना दो कि लिये केफ़ायत करता है और दो का खाना चार के लिए केफ़ायत करता है और चार का खाना आठ को केफ़ायत करता है, और फ़रमाया अपने अपने खाने को नाप लिया करो तुम्हारे लिये इसमें बरकत होगी, और फ़रमाया कि आदमी के पेट से बुरा कोई बर्तन नहीं भरा, इब्न आदमी को चन्द लुक़्मे काफ़ी हैं जो उसकी पीठ को सीधा रखें, अगर ज़्यादा खाना ज़रूरी हो तो तिहाई पेट खाने के लिए और तिहाई पानी पीने के लिए और तिहाई सांस के लिए ।

इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि रसूल अल्लाह स०अ०स० ने एक शख़्स की डकार की आवाज़ सुनी, फ़रमया अपनी डकार कम कर इसलिए कि क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा भूखा वह होगा जो दुनिया में ज़्यादा पेट भरता है । असमा बिन्त यज़ीद से रिवायत है कि नबी करीम स०अ०स० की ख़िदमत में खाना हाज़िर लाया गया हुज़ूर ने हम पर पेश फ़रमाया हमने कहा हमें ख़्वाहिश नहीं है, फ़रमाया भूख और झूठ दोनों को इकट्ठा मत करें । यानी भूख के वक़्त कोई खाना खिलाये तो खा ले यह न कहे कि भूख नहीं है कि खाना भी न खाना और झूठ बोलना, दुनिया व आख़ेरत दोनों का ख़िसारा है, बाज़ तकल्लुफ़ वाले ऐसा करते है और बहुत से देहाती इस क़िस्म की आदत रखते है, कि जब तक उनसे बार बार न कहा जाये खाने से इन्कार करते हैं और कहते है हमें ख़्वाहिश नहीं है, झूठ बोलने से बचना ज़रूरी है । और फ़रमाया जो शख़्स सोने या चांदी के बर्तन में खाता पीता है वह अपने पेट में जहन्नम की आग उतारता है, और फ़रमाया जब खाने में मक्खी गिर जाये तो उसे गोता दे दो (और फेंक दो) क्योंकि उसके एक बाज़ू में बीमारी है और दूसरे में शिफ़ा है और उसी बाज़ू से अपने को बचाती है जिस में बीमारी

है वही बाज़ू खाने में पहले डालती है जिसमें बीमारी है लेहाज़ा पूरी को गोता दे दो ।

मसअला- बाज़ सूरत में खाना फ़र्ज़ है खाने पर सवाब है, और न खाने पर अज़ाब अगर भूख का इतना ग़लबा हो कि जानता हो कि न खाने से मर जायेगा तो इतना खा लेना जिससे जान बच जाये फ़र्ज़ है और इस सूरत में अगर न खाया यहाँ तक कि मर गया तो गुनहगार हुआ इतना खा लेना कि खड़े होकर नमाज़ पढ़ने की ताक़त आ जाये और रोज़ा रख सके यानी न खाने से इतना कमज़ोर हो जायेगा कि खड़ा होकर नमाज़ न पढ़ सकेगा और रोज़ा न रख सकेगा तो उस मिक़दार में खा लेना ज़रूरी है और इसमें भी सवाब है ।

मसअला- इज़्तिरार की हालत में यानी जबकि जान जाने का अन्देशा है अगर हलाल चीज़ खाने के लिए नहीं मिलती तो हराम चीज़ या मुर्दार या दूसरे की चीज़ खाकर अपनी जान बचायें और इन चीज़ों के खा लेने पर इस सूरत में मवाख़िज़ा नहीं, बल्कि न खाकर मर जाने में मुवाख़िज़ा है अगरचे पराई चीज़ खाने में तावान देना होगा ।

मसअला- प्यास से हलाक होने का अन्देशा है तो किसी चीज़ को पीकर अपने को हलाकत से बचाना फ़र्ज़ है पानी नहीं है और शराब मौजूद है और मालूम है कि इसके पी लेने से जान बच जायेगी तो इतनी पी ले जिससे यह अन्देशा जाता रहे ।

मसअला- दूसरे के पास खाने पीने की चीज़ है तो क़ीमत से ख़रीद कर खा पी लें, वह क़ीमत से भी नहीं देता और उसके पास फ़ाज़िल है उससे ज़बरदस्ती छीन लें और अगर उसके लिए भी यही अन्देशा है तो कुछ ले लें और कुछ उसके लिए छोड़ दें ।

मसअला- एक शख़्स इज़्तिरार की हालत में है दूसरा शख़्स उससे यह कहता है कि तुम मेरा हाथ काट कर उसका गोश्त खा लो इसके लिए उस गोश्त के खाने की इजाज़त नहीं यानी इन्सान का गोश्त खाना इस हालत में भी मुबाह नहीं ।

मसअला- खाने पीने पर दवा और इलाज को क़यास न किया जावे, यानी हालते इज़्तिरार में मुर्दार, और शराब का खाना पीना जाइज़ है मगर दवा की तौर पर शराब जाइज़ नहीं क्योंकि मुर्दार का गोश्त और शराब यक़ीनी तौर पर भूख और प्यास का दफ़ीया है और दवा के तौर पर शराब पीने में यह यक़ीन के साथ नहीं कहा जा सकता कि मर्ज़ का इज़ाला हो ही जायेगा ।

★ मुतकब्बिरीन घमण्डी, हक़ बात को नहीं मानने वाले ।

★★ मुवाख़िज़ा पकड़

मस्अला- भूख से कम खाना चाहिए, और पूरी भूख पर खाना लेना मुबाह है यानी न सवाब है न गुनाह । क्योंकि इसका भी सही मक़सद हो सकता है कि ताक़त ज़्यादा होगी, और भूख से ज़्यादा खा लेना हराम है, ज़्यादा का यह मतलब है कि इतना खा लिया जिससे पेट खराब होने का गुमान है मस्लन दस्त आयेंगे और तबियत बदमज़ा हो जायेगी ।

मस्अला- अगर भूख से कुछ ज़्यादा इसलिए खा लिया कि कलका रोज़ा अच्छी तरह रख सकेगा रोज़ा में कमज़ोरी नहीं पैदा होगी तो हर्ज नहीं जबकि इतनी ही ज़्यादती हो जिससे मेदा खराब होने का अन्देशा न हो और अगर मालूम है कि ज़्यादा न खाया तो कमज़ोरी होगी दूसरे कामों में दिक़्क़त होगी यूं ही अगर मेहमान के साथ खा रहा है और मालूम है कि यह हाथ रोक देगा तो मेहमान शर्मा जायेगा और सेर होकर न खायेगा तो इस शूरत में भी कुछ ज़्यादा खा लेने की इजाज़त है ।

मस्अला- सेर हो कर खाना इसलिए कि नवाफ़िल कसरत से पढ़ सकेगा और पढ़ने पढ़ाने में कमज़ोरी पैदा न होगी अच्छी तरह इस काम को अनजाम दे सकेगा, यह मनदूब है और सेरी से ज़्यादा खाया मगर इतना ज़्यादा नहीं कि पेट खराब हो जाये यह मकरूह है, इबादत गुज़ार शख़्स को यह अख़्तियार है कि बक़दरे मुबाह तनावुल करे या बक़दरे मनदूब मगर उसे यह नीयत करनी चाहिए कि इसलिए खाता हूं कि इबादत की कुव्वत पैदा हो कि इस नीयत से खाना भी एक क़िस्म की ताअत है, खाने से उसका मक़सूद तलज़्ज़िज़ व तनअम न हो कि यह बुरी सिफ़त है, कुरआन मजीद में कुफ़्फ़ार की सिफ़त यह बयान की गयी कि खाने से उनका मक़सूद तमतअ व तनअम होता है, और हदीस में कसरत खोरी कुफ़्फ़ार की सिफ़त बताई गयी ।

मस्अला- रेयाज़त व मुजाहदा में ऐसी तक़लील गिज़ा कि इबादत मफ़रूज़ा की अदा में ज़ोफ़ पैदा हो जाये मस्लन इतना कमजोर हो गया कि खड़ा होकर नमाज़ न पढ़ सकेगा, यह ना जायज़ है और अगर इस हद की कमज़ोरी न पैदा हो तो हर्ज नहीं ।

मस्अला- जवान आदमी को यह अन्देशा है कि सेर होकर खायेगा तो ग़लबये शहवत होगा तो खाने में कमी करे कि ग़लबये शहवत न हो मगर इतनी कमी न करे कि इबादत में कुसूर पैदा हो । इसी तरह बाज़ लोगों को गोश्त खाने से ग़लबये शहवत होता है वह भी गोश्त में कमी करें ।

मस्अला- तरह तरह के मेवे खाने में हर्ज नहीं, अगरचा अफ़ज़ल यह है ऐसा न करें ।

मस्अला- एक किस्म का खाना होगा तो ज़रूरत भर न खा सकेगा तबियत घबरा जायेगी, लेहाज़ा कई क़िस्म के खाने तैयार कराता है ताकि सब में से

कुछ कुछ खा कर ज़रूरत पूरी करेगा, इस गरज़ से कई क़िस्म के खाने में हर्ज नहीं या इसलिए बहुत से खाने पकवाता है कि लोगों की ज़्याफ़त करनी है वह सब खाने सर्फ़ हो जायेंगे तो इसमें हर्ज नहीं और यह मकसूद न हो तो इसराफ़ है । (यानी फुज़ूल खर्ची)

मसअला- खाने के आदाब व सुनन यह है । खाने से पहले और बाद में हाथ धोना, खाने से पहले हाथ धो कर पोंछे न जायें और खाने के बाद हाथ धो कर रूमाल या तौलिया से पोंछ लें कि खाने का असर बाक़ी न रहे ।

मसअला- मुस्तहब यह है कि हाथ धोते वक़्त खुद अपने हाथ से पानी डाले दूसरे से इसमें मदद न ले यानी इसका वही हुक्म है जो वज़ू का है । खाने के बाद अच्छी तरह हाथ धोये कि खाने का असर बाकी न रहे मूसी या आटे या बेसन से धोने में हर्ज नहीं, इस ज़माना में साबुन से हाथ धोने का रिवाज है, इसमें भी हर्ज नहीं, खाने के लिए मुंह धोना सुन्नत नहीं, यानी किसी ने न धोया तो यह नहीं कहा जायेगा कि इसने सुन्नत तर्क कर दी हां जुनुब ने अगर मुंह न धोया तो मकरूह है और हैज़ वाली का बग़ैर मुंह धोये खाना मकरूह नहीं । खाने से क़ब्ल जवानों के हाथ पहले धुलाये जायें और खाने के बाद पहले बूढ़ों के हाथ धुलाए जायें, इसके बाद जवानों के, यही हुक्म औल्या व मशाएख का है, खाने से क़ब्ल इन के हाथ आखिर में धुलाए जाये और खाने के बाद उनके हाथ पहले धुलाए जायें । खाना बिस्मिल्लाह पढ़ कर शुरू किया जाये और ख़त्म करके अल्हमदोल्लाह पढ़ें, अगर बिस्मिल्लाह कहना भूल गया है तो जब याद आ जाये यह कहे बिस्मिल्लाहे फी अव्वलेही वल आख़ेर ही, बिस्मिल्लाह बलन्द आवाज से कहे कि साथ वालों को अगर याद न हो तो उससे सुनकर याद आ जाये और अल्हमदोल्लिह भी ज़ोर से कहे कि दूसरे लोग सुनकर शुक्र खुद बजा लायें, रोटी पर कोई चीज़ न रखी जाये बाज़ लाग सालन का प्याला या चटनी की प्याली या नमकदानी रख देते है ऐसा न करना चाहिये, नमक अगर कागज़ में है तो उसे रोटी पर रख सकते हैं, हाथ या छुरी को रोटी से न पोछें, तकिया लगा कर या नंगे सर खाना अदब के खिलाफ़ है बायें हाथ को ज़मीन पर टेक देकर खाना भी मुकरूह है । रोटी का किनारा तोड़ कर डाल देना और बीच की खा लेना इसराफ़★ है, बल्कि पूरी रोटी खायें हां अगर किनारे कच्चे रह गये हैं उसके खाने से ज़रर होगा तो तोड़ सकता है इसी तरह अगर मालूम है कि यह टूटे हुए दूसरे लोग खा लेंगे ज़ाया न होंगे तो तोड़ने में हर्ज नहीं । यही हुक्म इसका भी है कि रोटी में जो हिस्सा फूला हुआ है उसे खा लेता है बाकि छोड़ देता है । रोटी जब दस्तरख्वान पर आ गई तो खाना शुरू कर दे सालन का इन्तजार न करे इसीलिए अमूमन दस्तरख्वान पर रोटी सबसे आख़िर में लाते है ताकि रोटी के बाद इन्तज़ार

★ इसराफ़- के माने है बेजा खर्च करना, बेकार माल बरबाद करना, खर्च में ज़्यादा से बढ़ना मसअला, इसराफ़ हराम है गुनाह है अल्लाह ताला फ़रमाता है फिजूल खर्च करने वाले शैतान के भाई है ।

न करना पड़े दाहिने हाथ से खाना खायें । हाथ से लुकमा छूट कर दस्तरख्वान पर गिर गया उसे छोड़ देना इसराफ़ है बल्कि पहले उसको उठा कर खाये, और जो कनारा उसके करीब है वहां से खाये, जब खाना एक किस्म का हो तो एक जगह से खाये हर तरफ़ हाथ न मारे, हां अगर तबाक में मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें ला कर रखी गयी तो इधर उधर से खाने की इजाज़त है कि यह एक चीज़ नहीं, खाने के वक्त बायां पैर बिछा दे और दाहिना खड़ा रखें या सुरीन पर बैठे और दोनों घुटने खड़े रखें, गर्म खाना न खाये और न खाने को फूंके न खाने को सूंघे, खाने के वक्त बाते करता जाये बिलकुल चुप रहना मजूसियों का तरीका है मगर बेहूदा बातें न बके बल्कि अच्छी बातें करे, खाने के बाद उंगलियां चाट ले उनमें झूठा न लगा रहने दे और बर्तन को ऊंगलियों से पोंछ कर चाट ले हदीस में है कि खाने के बाद जो शख्स बर्तन चाटता है तो वह बर्तन उसके लिए दुआ करता है कहता है कि अल्लाह तुझे जहन्नम की आग से आज़ाद करे जिस तरह तूने मुझे शैतान से आज़ाद किया और एक रिवायत में है बर्तन उसके लिए अस्तगफ़ार करता है । खाने की इबतेदा नमक से की जाये और खत्म भी उसी पर करे इससे सत्तर बीमारियां दफ़ा हो जाती हैं ।

मस्अला- रास्ता और बाजार में खाना मकरूह है ।

मस्अला- दस्तरख्वान पर रोटी के टुकड़े जमा हो गये अगर खाना है तो खा ले वरना मुर्गी, गाय बकरी को खिला दे या कहीं एहतियात की जगह पर रख दे कि चूटियां या चिड़िया खा लेंगी रास्ता पर न फेंके ।

मस्अला- खाने में ऐब बताना न चाहिए न यह कहना चाहिए कि बुरा है हुजूर अकदस स०अ०स० ने कभी खाने को ऐब न लगाया अगर पसन्द आया तनाउल फ़रमाया, वरना न खाया ।

मस्अला- खाना खाते वक्त जब कोई आ जाता है तो हिन्दुस्तान का रिवाज यह है कि उसे खाने को पूछते है कहते है आओ खाना खाओ अगर न पूछे तो तअन करते है कि उन्होंने पूछा तक नहीं, यह बात यानी दूसरे मुस्लमानों को खाने के लिए बुलाना अच्छी बात है मगर बुलाने वाले को यह चाहिए कि यह पूछना महज़ नुमाइशी न हो बल्कि दिल से पूछे । यह भी रिवाज है कि जब पूछा जाता है तो वह कहता है बिस्मिल्लाह यह न कहना चाहिए यहां बिस्मिल्लाह कहने के कोई मानी नहीं, इस मौक़ा पर बिस्मिल्लाह कहने को ओल्मा ने बहुत सख्त ममनूअ फ़रमाया है बल्कि ऐसे मौक़ा पर दुआइया अल्फ़ाज कहना बेहतर है मस्लन अल्लाह ताला बरकत दे ।

मस्अला- बाप को बेटे के माल की हाजत है अगर एहतियाज़ इस वजह से है कि उसके पास दाम नहीं है कि उस चीज़ को खरीद सके तो बेटे की चीज़ बिला किसी मुआवेज़े के इस्तेमाल करना जायज़ है और अगर दाम है मगर चीज़ नहीं मिलती तो मुआवज़ा दे कर लें, यह उस वक़्त है कि बेटा

ना लायक है और अगर लायक है तो बग़ैर हाजत भी उसकी चीज़ ले सकता है ।

मस्अला- एक शख़्स भूख से इतना कमज़ोर हो गया है कि घर से बाहर नहीं जा सकता कि लोगों से अपना हाल कहे तो जिसको उसका यह हाल मालूम है उस पर फ़र्ज़ है कि उसे खाने को दे ताकि घर से निकलने के लायक़ हो जाये, अगर ऐसा नहीं किया और भूख से मर गया तो जिन लोगों को उसका यह हाल मालूम था सब गुनहगार हुये, और अगर यह शख़्स जिसको उसका यह हाल मालूम था उसके पास भी कुछ नहीं है कि उसे खिलायें तो उस पर यह फ़र्ज़ है कि दूसरों से कहे और लोगों से कुछ मांग लाये और ऐसा न हुआ और वह मर गया तो यह सब लोग जिनको उसके हाल की ख़बर थी गुनहगार हो गये और अगर यह शख़्स घर से बाहर जा सकता है मगर कमाने पर क़ुदरत नहीं तो जा कर लोगों से मांगे, और जिसके पास सदक़े के की क़िस्म से कोई चीज़ हो उस पर देना वाजिब है और अगर वह मोहताज शख़्स कमा सकता है तो काम करके पैसे हासिल करे । उसके लिए मांगना हलाल नहीं, मोहताज अगर कमाने की ताक़त नहीं रखता मगर यह कर सकता है कि दरवाज़ों पर जा कर सवाल करे तो उस पर ऐसा करना फ़र्ज़ है ऐसा न किया और भूख से मर गया तो गुनहगार होगा ।

मस्अला- खाने में पसीना टपक गया या राल टपक पड़ी या आंसू गिर गया वह खाना हराम नहीं है खाया जा सकता है । इसी तरह अगर पानी में कोई पाक चीज़ मिल गयी और उससे तबियत को नफ़रत पैदा हो गयी वह पिया जा सकता है ।

मस्अला- रोटी में अगर उपले का टुकड़ा मिला और वह सख़्त है तो उतना हिस्सा तोड़ कर फेंक दे पूरी रोटी को नजिस नहीं कहा जायेगा । और अगर उसमें नरमी आ गयी तो बिलकुल न खाये ।

मस्अला- गोश्त सड़ गया तो उसका खाना हराम है ।

मस्अला- बाग़ में पहुंचा वहां फल गिरे हुए है तो जब तक मालिक बाग़ की इजाज़त न हो फल नहीं खा सकता, और इजाज़त दोनों तरह हो सकती है सराहतन इजाज़त हो मसलन मालिक ने कह दिया हो कि गिरे हुए फलों को खा सकते हो या दलालतन इजाज़त हो यानी वहां ऐसा उर्फ़ व आदत है कि बाग़ वाले गिर हुए फलों से लोगों को मना नहीं करते । दरख़्तों से फल तोड़ कर खाने की इजाज़त नहीं, मगर जबकि फलों की कसरत हो मालूम हो कि तोड़ कर खाने में भी मालिक को नागवारी नहीं होगी तो तोड़कर भी खा सकता है मगर किसी सूरत में यह इजाज़त नहीं कि वहां से फल उठा लाये । इन सब सूरतों में उर्फ़ व आदत का लेहाज़ है और अगर उर्फ़ व आदत न हो या मालूम हो कि मालिक को नागवारी होगी तो खाना जायज़ नहीं और अगर मालिक के लिए बेकार हो जैसा कि हमारे मुल्क में बाग़ात में पत्ते गिर जाते

है और मालिक उनको काम में नहीं लाता, भाड़ जलाने वाले उठा लाते हैं ऐसे पत्तों को उठा लाने में हर्ज नहीं ।

मस्अला- दोस्त के घर गया जो चीज़ पकी हुई मिली खुद ले कर खा ली या उसके बाग़ में गया और फल तोड़ कर खा लिये अगर मालूम है कि उसे नागवार न होगा तो खाना जायज़ है मगर यहा अच्छी तरह ग़ौर कर लेने की ज़रूरत है कि बसा औक़ात ऐसा भी होता है कि यह समझता है कि उसे नागवार न होगा हालांकि उसे नागवार है ।

मस्अला- रोटी को छुरी से काटना नसारा का तरीका है मुसलमानों को इससे बचना चाहिए हां अगर ज़रूरत हो मस्लन डबल रोटी कि छुरी से काट कर उसके टुकड़े कर लिये जाते है तो हर्ज नहीं या दावतों में बाज़ मरतबा हर शख्स को सिर्फ़ सिर्फ़ शीरमाल दी जाती है ऐसे मौके पर छुरी से काट कर टुकड़े बनाने में हर्ज नहीं कि वहां मक़सूद दूसरा है । इसी तरह अगर मुसल्लम रान भुनी हुई हो और छुरी से काट कर खाई जाये तो हर्ज नहीं ।

मस्अला- बहुत से लोगों ने चन्दा कर के खाने की चीज़ तैयार की और सब मिल कर उसे खायेंगे चन्दा सब ने बराबर दिया है और खाना कोई कम खायेगा कोई ज़्यादा इसमें हर्ज नहीं, इसी तरह मुसाफ़िरों ने अपने तोशे और खाने की चीज़ें एक साथ मिलकर खाई इसमें भी हर्ज नहीं, अगरचा कोई कम खायेगा कोई ज़्यादा बाज़ की चीजें अच्छी है बाज़ की वैसी नहीं ।

मस्अला- खाना खाने के बाद ख़िलाल करने में जो कुछ दांतों में से रेशा वग़ैरह निकला बेहतर है कि उसे फेंक दे बल्कि उसे लिये रहे जब उसके सामने तश्त आये उसमें डाल दे । फूल और मेवे के तिनके से खिलाल न करे । ख़िलाल के लिए नीम के सीक बहुत बेहतर है कि उसकी तलखी से मुंह की सफ़ाई होती है और यह मसूढ़ों के लिए भी मुफ़ीद है, झाड़ू की सीकें भी इस काम में ला सकते हैं जबकि वह कोरी हो मुस्तअमिल न हो ।

पानी पीने का बयान

इसके बारे में चन्द हदीसें रसूल्लाह सल्लाहे अलैवसल्लम पानी पीने में तीन बार सांस लेते थे, फ़रमाते थे कि इस तरह पीने से ज़्यादा सैराबी होती है और सेहत के लिए खुशगवार है । और फ़रमाया कि एक सांस में पानी न पियो जैसे ऊंट पीता है बल्कि दो या तीन मर्तबा में पियो और जब पियो तो बिस्मिल्लाह कह लो और जब बर्तन को मुंह से हटाओ तो अल्लाह की हम्द करो और पीने की चीज़ में फूंकने से मना फ़रमाया । एक शख्स ने अर्ज़ किया बर्तन में कभी कूड़ा दिखाई देता है फ़रमाया उसे गिरा दो, उसने अर्ज़ किया कि एक सांस में सैराब नहीं होता हूं फ़रमाया बर्तन को मुंह से अलग करके सांस लो । और मशक के दहाने से पीने को मना फ़रमाया और फ़रमाया

खड़े होकर हरगिज़ कोई शख्स पानी न पिये और जो भूल कर ऐसा कर गुजरे वह कै कर दे, हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहते है मैं आबे ज़मज़म का एक डोल नबी करीम स०अ०स० की ख़िदमत में हाज़िर लाया, हुजूर ने खड़े खड़े उसे पिया । हज़रत कबशा रज़ी अल्लाह ताला अनहो कहती हैं मेरे यहां रसूल्लाह ताला तशरीफ़ लाये मशक लटकी हुई थी, उसके दहाने से खड़े होकर पानी★ पिया, मैंने मश्क के दहाने को काट कर रख लिया उनका काट कर रख लेना तबर्रुक के लिए था चूंकि उससे हुजूर का दैहने अकदस लगा है यह बरकत की चीज़ है और इससे बीमारों को शिफा होगी हज़रत अनस कहते है रसूल्लाह स०अ०स० के लिये बकरी का दूध दूहा गया और अनस के घर में जो कुंआ था उसका पानी उसमें मिलाया गया यानी लस्सी बनाई गयी फिर हुजूर की ख़िदमत में पेश किया गया । हुजूर ने नोश फ़रमाया, हुजूर के बायें तरफ अबूबकर रज़ी अल्लाह ताला अन्ह थे दाहिनी तरफ़ एक आराबी थे, हज़रत उमर ने अर्ज़ की या रसूल्लाह अबूबकर को दे दीजिए, हुजूर ने आराबी को दिया क्योंकि वह दाहिनी जानिब थे और इरशाद फ़रमाया दाहना मुस्तहक़ है फिर उसके बाद जो दाहिने हो, दाहिने को मुकद्दम रखा करो । हुजूर की खिदमत में प्याला पेश किया गया हुजूर ने नोश फ़रमाया, हुजूर की दाहिनी जानिब सबसे छोटे एक शख्स थे (अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्ह) और बड़े बड़े असहाब बाईं जानिब थे हुजूर ने फ़रमाया लड़के अगर तुम इजाज़त दो तो बड़ों को दे दूं उन्होंने अर्ज़ किया हुजूर की उलूश★★ में दूसरों को अपने पर तरजीह★★★ नहीं दूंगा, हुजूर ने उनको दे दिया और फ़रमाया हरेरा और दीबाज़ मत पहनो और न सोने और चांदी के बर्तन में पानी पियो और न उनके बर्तनों में खाना खाओ कि यह चीज़ें दुनिया में काफ़िरों के लिए है और तुम्हारे लिए आख़ेरत में है । इमाम जुहरी से रिवायत है कि रसूल्लाह स०अ०स० को पीने की वह चीज़ ज्यादा पसन्द थी जो शीरीं और ठन्डी हो । अब्दुल्लाह इब्ने उमर से रिवायत है कि रसूल्लाह स०अ०स० ने पेट के बल झुक कर पानी में मुंह डाल कर पीने से मना फ़रमाया और यह फ़रमाया कि कुत्ते की तरह पानी में मुह न डाले और न एक हाथ से चुल्लू लेकर पिये जैसे वह लोग पीते है जिन पर खुदा नाराज़ है और रात में जब किसी बर्तन में पानी पिये तो उसे हिला ले मगर जब कि वह बर्तन ढका हो तो हिलाने की ज़रूरत नहीं और जो शख्स बर्तन से पानी पर क़ादिर है और तवाजा के तौर पर हाथ से पीता है अल्लाह ताला उसके लिये नेकियां लिखता है जितनी उसके हाथ में उगलियां है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का बर्तन हाथ था कि उन्होंने अपना प्याला भी फेंक दिया और यह कहा कि यह दुनिया की चीज़ है । और एक रिवायत में है कि फ़रमाय हाथों को धोया और उनमें पानी

★ हुजूर के इस फ़ेल को ओलमा ने बयान जवाज़ पर महमूल किया

★★ ऊलूश- जूठा खाने पानी का बचा ।

★★★ तरजीह देना - बढ़ाना ।

पियो कि हाथ से ज़्यादा पाकिज़ा कोई बर्तन नहीं, और फ़रमाया की साक़ी (जो लोगों को पानी पिलारहा है) वह सबके आखिर में पियेगा और फ़रमाया कि पानी को चूस कर पियो कि यह खुशगवार और ज़ोद हज़्म है और बीमारी से बचाओ है । हज़रत आयेशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा था रसूल्लाह किस चीज़ का मना करना हलाल नहीं, फ़रमाया पानी और नमक और आग, कहती है मै ने अर्ज़ की या रसूल्लाह पानी को तो हमने समझ लिया मगर नमक और आग का मना करना क्यों हलाल नहीं फ़रमाया ऐ हुमेरा जिसने आग दी गोया उसने उस पूरे को सदका किया जो आग से पकाया गया और जिसने नमक दे दिया गोया उसने तमाम उस खाने को सदका किया जो उस नमक से दुरूस्त किया गया और जिसने मुस्लमान को उस जगह पानी का घूंट पिलाया जहां पानी मिलता है तो गोया गरदन को आज़ाद किया और जिसने मुस्लिम को ऐसी जगह पानी का घूंट पिलाया जहां पानी नहीं मिलता तो गोया उसे ज़िन्दा कर दिया ।

मस्अला- पानी बिस्मिल्लाह कह कर दाहिने हाथ से पिये और तीन सांस में पिये हर मर्तबा बर्तन को मुंह से हटा कर सांस ले, पहली और दूसरी मर्तबा एक एक घूंट पिये और तीसरी सांस में जितना चाहे पी डाले इस तरह पीने से प्यास बुझ जाती है और पानी को चूस कर पिये, गट, गट बड़े बड़े घूट न पिये, जब पी चुके अल्हम दो लिल्लाह कहे, इस ज़माना में बाज़ लोग बाऐ हाथ में कटोरा या गिलास लेकर पानी पीते है, खुसुसन खाने के वक़्त दाहिने हाथ से पीने को खिलाफ़े तहज़ीब जानते है इनकी यह तहज़ीब, तहज़ीब नेसारा है, इस्लामी तहज़ीब दाहिने हाथ से पीना है, आजकल एक तहज़ीब यह भी है कि गिलास में पीने के बाद जो पानी बचा उसे फेंक देते है कि अब वह पानी झूठा हो गया जो दूसरों को नहीं पिलाया जायेगा । यह हिन्दुओं से सीखा है इस्लाम में छूत छात नहीं, मुस्लमान के झूठे से बचने के कोई माने नहीं और इस इल्लत से पानी को फेंकना इसराफ़ है ।

मस्अला- मशक के दहाने में मुंह लगा कर पानी पीना मकरूह है क्या मालूम कोई मुज़िर चीज़ उसके हलक में चली जाये, इसी तरह लोटे की टोंटी से पानी पीना, मगर जब कि लोटे को देख लिया हो कि इसमें कोई चीज़ नही है, सुराही में मुंह लगा कर पानी पीने का भी यही हुक्म है ।

मस्अला- सबील का पानी मालदार आदमी भी पी सकता है मगर वहां से पानी कोई शख्स घर नहीं ले जा सकता, क्योंकि वहां पीने के लिए पानी रखा गया है न कि घर ले जाने के लिए, हां अगर सबील लगाने वाले की तरफ़ से इसकी इजाज़त हो तो ले सकता है । जाड़ों में अक्सर जगह मस्जिद के सकाया में पानी गर्म किया जाता है ताकि मस्जिदों में जो नमाज़ी आयें उससे वज़ू व गुस्ल करें यह पानी भी वही इस्तेमाल किया जा सकता है घर ले जाने की इजाज़त नहीं, इसी तरह मस्जिद के लोटों को भी वहीं इस्तेमाल कर सकते

है घर नहीं ले जा सकते, बाज़ लोग ताज़ा पानी भर कर मस्जिद के लोटों में घर ले जाते है यह भी नाजायज़ है ।

मसअला- लोटों में वज़ू का पानी बचा हुआ होता है उसे बाज़ लोग फेंक देते है यह नाजायज़ व इसराफ़ है ।

मसअला- वज़ू का पानी और आबेज़म ज़म को खड़े होकर पिया जाये बाकी दूसरे पानी को बैठकर ।

वलीमा और ज्याफ़्त का बयान

हज़रत अनस रज़ी अल्लाहताला अन्ह से मरवी कि नबी सल्लाहे अ०स० ने अब्दुल रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाहताला अन्ह पर ज़र्दी का असर देखा यानी खलूक का रंग उनके बदन या कपड़ों पर लगा हुआ देखा फ़रमाया यह क्या है (यानी मर्द के बदन पर इस रंग को न चाहिए यह क्यों कर लगा) अर्ज़ की मैंने एक औरत से निकाह किया है (उसके बदन से यह ज़र्दी छूट कर लग गयी) फ़रमाया अल्लाहताला तुम्हारे लिए मुबारक कर, तुम वलीमा करो अगरचा एक बकरी से या एक ही बकरी से । हज़रत अनस रज़ी अल्लाहताला अन्ह कहते है कि रसूल्लाह स०अ०स० ने जैसा हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाहताला अन्हा के निकाह पर वलीमा किया ऐसा वलीमा अज़वाज मुतहरात में से किसी का नहीं किया । एक बकरी से वलीमा किया, यानी तमाम वलीमों में सब से बड़ा वलीमा था कि एक पूरी बकरी का गोश्त पका था । दूसरी रिवायत उन्हीं से है कि हज़रत ज़ैनब बिन्त हजिश रज़ी अल्लाहताला अन्हा के ज़ुफ़ाफ़ के बाद जो वलीमा किया था लोगों को पेट भर रोटी गोश्त खिलाया था । (रसूल्लाह स्लाहे अ०स० ने फ़रमाया बुरा खाना वलीमा का खाना है जिसमें मालदार लोग बुलाए जाते है, और फ़ुक़रा छोड़ दिये जाते है और जिसने.......... दावत को तर्क किया यानी बिला सबब इन्कार किया) उसने अल्लाह व रसूल की नाफ़रमानी की ! और बगैर बुलाए गया तो चोर होकर घुसा और ग़ारत गरी करके निकला, ५- और फ़रमाया शादियों में पहले दिन का खाना सुन्नत है और तीसरे दिन का खाना सुमअह यानी सुनाने और शोहरत के लिए है जो सुनाने के लिए कोई काम करेगा, अल्लाहताला उसको सुनाएगा यानी उसकी सज़ा देगा, ६- और फ़रमाया जो दो शख्स दावत देने बयक वक्त आयें तो जिसका दरवाज़ा तुम्हारे दरवाज़े से करीब हो उसकी दावत कुबूल करो, और अगर एक पहले आया तो जो पहले आया उसकी कुबूल करो । ७- और फ़रमाया जो शख्स अल्लाह और कयामत के दिन पर ईमान रखता है वह मेहमान का एकराम करे एक दिन रात उसका जायज़ा है (यानी एक दिन उसकी पूरी खातिर दारी करे अपने

मकदूर भर उसके लिए तकल्लुफ़ का खाना तैयार करायें) ज़्याफ़त तीन दिन है। (यानी एक दिन के बाद माहिज पेश करें) और तीन दिन के बाद सदका है। मेहमान के लिए यह हलाल नहीं कि उसके यहाँ ठहरा रहे कि उसे हरज में डाल दें।

मस्अला- दावते वलीमा सुन्नत है, वलीमा यह है कि शबे ज़ुफ़ाफ़ की सुबह को अपने दोस्त, अहबाब, अज़ीज़ व अक़ारिब और मुहल्ला के लोगों की हस्बे इस्तताअत ज़्याफ़त करे और उसके लिये जानवर ज़बा करना और खाना तैयार करना जायज़ है और जो लोग बुलाये जायें उनको जाना चाहिए कि उनका जाना उसके लिए बाइसे मुसर्रत (ख़ुशी) की बाइस होगा, वलीमा में जिस शख़्स को बुलाया जाये उसको जाना सुन्नत है या वाजिब ओल्मा के दोनों क़ौल है बज़ाहिर यह मालूम होता है कि इजाबत सुन्नत मोवक्केदा है, वलीमा के अलावा दूसरी दावतों में भी जाना अफ़ज़ल है और यह शख़्स अगर रोज़ादार न हो तो खाना करना है और रोज़ादार हो जब भी जाये और साहबे खाना के लिए दुआ करे, और वलीमा के सेवा दूसरी दावतों का भी यही हुक्म है कि रोज़ादार न हो तो खाये वरना उसकेलिए दुआ करे।

मस्अला- दावते वलीमा का यह हुक्म जो बयान किया गया है उस वक्त है कि दावत करने वालों का मक़सूद अदाये सुन्नत हो, और अगर मक़सूद तफ़ाख़ुर हो या यह कि मेरी वाह वाह होगी जैसा कि इस ज़माना में अक्सर यही देखा जाता है तो ऐसी दावतों में न शरीक होना बेहतर है, ख़ुसूसन अहले इल्म को ऐसी जगह न जाना चाहिए।

मस्अला- दावत में जाना उस वक्त सुन्नत है जब मालूम हो कि वहाँ गाना बजाना, लहू व लअ़ब नहीं है और अगर मालूम है यह ख़ुराफ़ात वहां है तो न जायें, जाने के बाद मालूम हुआ कि यहाँ यह लग़वियात है अगर वहीं यह चीज़ें हों तो वापस आ जायें और अगर मकान के दूसरे हिस्से में है जिस जगह खाना खिलाया जाता है वहाँ नहीं तो वहाँ बैठ सकता है और खा सकता है फिर अगर यह शख़्स उन लोगों को रोक सकता है तो रोक दे और उसकी कुदरत उसे न हो तो सब्र करे, यह उस सूरत में है कि यह शख़्स मज़हबी पेशवा न हो और अगर मुक़्तदा व पेशवा हो मसलन ओलमा व मशाएख़ यह अगर न रोक सकें तो वहां से चले आयें न वहां बैठें न खाना खायें और अगर पहले ही से यह मालूम हो कि वहां यह चीज़ें है तो मुक़्तदा हो या न हो किसी को जाना जायज़ नहीं अगरचे ख़ास उस हिस्सा मकान में यह चीज़ें न हों बल्कि दूसरे हिस्सा में हो।

मस्अला- अगर वहां लहू लअ़ब हो और यह शख़्स जानता है कि मेरे जाने से यह चीज़ें बन्द हो जायेगी तो उसको इस नियत से जाना चाहिए कि उसके जाने से मुनकेरात शरइया रोक दिये जायेंगे और अगर मालूम है कि वहाँ न जाने से उन लोगों को नसीहत होगी और ऐसे मौके पर यह हरकतें न करेंगे

क्योंकि वह लोग उसकी शिरकत को ज़रूरी जानते है और जब यह मालूम होगा कि अगर शादियों और तक़रीबों में यह चीज़ें होंगी तो वह शख्स रोक न होगा तो उस पर लाज़िम है कि वहां न जाये ताकि लोगों को इबरत हो और ऐसी हरकतें न करें ।

मसअला- दावते वलीमा सिर्फ़ पहले दिन है या उसके बाद दूसरे दिन भी यानी दो ही दिन तक यह दावत हो सकती है इसके बाद वलीमा और शादी खत्म हिन्दोस्तान में शादियों का सिलसिला कई दिनों तक क़ायम रहता है सुन्नत से आगे बढ़ना रेया व सुमआ है इससे बचना ज़रूरी है ।

मसअला- एक दस्तरख्वान पर जो लोग खाना तनाउल करते हैं उनमें एक शख्स कोई चीज़ उठा कर दूसरे को दे दे यह जायज़ है जबकि मालूम हो कि साहबे खाना को यह देना नागवार न होगा और अगर मालूम है कि देना नागवार होगा तो देना जायज नहीं बल्कि अगर मुश्तबहा हाल हो मालूम न हो कि नागवार होगा या नहीं जब भी न दे । बाज़ लोग एक ही दस्तरख्वान पर मोअज़ज़ेज़ीन के सामने उमदा खाने चुनते है और गरीबों के लिए मामूली चीज़ें रख देते हैं अगरचा ऐसा करना न चाहिए कि गरीबों की इसमें दिलशिकनी होती है मगर उस सूरत में जिसके पास कोई अच्छी चीज़ है उसने ऐसे को दे दी जिसके पास नहीं है तो ज़ाहिर यही कि अहले खाना को नागवार होगा क्योंकि अगर देना होता तो वह खुद ही उसके सामने भी यह चीज़ रखता या कम से कम यह सूरत इश्तेबाह की है लेहाज़ा ऐसी हालत में चीज़ देना नाजायज़ है और अगर एक क़िस्म का खाना है मसलन रोटी, गोश्त और एक के पास रोटी खत्म हो गयी दूसरे ने अपने पास से उठा कर दे दी तो ज़ाहिर यही है कि साहबखाना को नागवार न होगा ।

मसअला- दूसरे के यहां खाना खा रहा है, सायल ने मांगा इसको यह जायज़ नहीं कि सायल को रोटी का टुकड़ा दे दे क्योंकि उसने इसके खाने के लिए रखा है इसको मालिक नहीं कर दिया है कि जिसको चाहे दे दे ।

मसअला- दो दस्तरख्वान पर खाना खाया जा रहा है तो एक दस्तरख्वान वाला दूसरे दस्तरख्वान वाले को कोई चीज़ उस पर से उठा कर न दे, मगर जबकि यकीन हो कि साहबे खाना को ऐसा करना नागवार न होगा ।

मसअला- खाते वक़्त साहबेखाना का बच्चा आ गया तो उसको या साहबेखाना के खादिम को उस खाने में से नहीं दे सकता ।

मसअला- खाना नापाक हो गया तो यह जायज़ नहीं कि किसी पागल या बच्चा को खिलाये या किसी ऐसे जानवर को खिलाये जिसका खाना हलाल है ।

मस्अला- मेहमान को चार बातें ज़रूरी है १- जहाँ बैठाया जाये वहीं बैठे, २- जो कुछ उसकें सामने पेश किया जाये उस पर खुश हो यह न हो कि कहने लगे इससे अच्छा तो मैं अपने ही घर खाया करता हूँ या किसी क़िस्म के दूसरे अल्फ़ाज़ जैसा कि आजकल अक्सर दावतों में लोग आपस में कहा करते हैं, ३- बग़ैर इजाज़त साहबेखाना, वहाँ से न उठे, ४- और जब वहां से जाये तो उसके लिए दुआ करे । मेज़बान को चाहिए कि मेहमान से वक़्तन फ़वक़्तन कहे कि और खाओ मगर इस पर इसरार न करे कि कहीं इसरार की वजह से ज़्यादा न खा जाये और उसके लिए मुज़िर हो, मेज़बान को बिलकुल खामोश न रहना चाहिए और यह भी न करना चाहिए कि रख कर गायब हो जाये, बल्कि वहाँ हाज़िर रहे और मेहमानों के सामने खादिम वग़ैरह पर नाराज़ न हो और अगर साहबे उसअत हो तो मेहमान की वजह से घर वालों पर खाने में कमी न करें, मेज़बान को चाहिए कि मेहमान की खातिरदारी में खुद मश्गूल हो, खादिमों के ज़िम्मा इसको न छोड़े, यह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलात वतस्लीम की सुन्नत है, अगर मेहमान थोड़े हों तो मेज़बान उनके साथ खाने पर बैठ जाये कि यही तक़ाज़ाये मुरव्वत है और बहुत से मेहमान हों तो इनके साथ न बैठे बल्कि उनकी खिदमत व खिलाने में मश्गूल हो, मेहमानों के साथ ऐसे को न बैठायें जिसका बैठना उन पर गेरा हो ।

मस्अला- जब खाकर फ़ारिग़ हों उनके हाथ धुलाये जायें और यह न करें कि हर शख्स के हाथ धोने के बाद पानी फेंक कर दूसरे के सामने हाथ धोने के लिए तश्त पेश करें ।

मस्अला- जिसने हादिया भेजा अगर उसके पास हलाल व हराम दोनों तरह के अमवाल हों मगर ग़ालिब माल हलाल है तो उसके कुबूल करने में हर्ज नहीं, यही हुक्म उसके यहाँ दावत खाने का है और उसका ग़ालिब माल हराम है तो हादिया कुबूल करें और न उसकी दावत खायें जब तक यह न मालूम हो कि यह चीज़ जो उसे पेश की गयी हलाल है ।

मस्अला- जिस शख्स पर उसका दैन है अगर उसने दावत की और कर्ज़ से पहले भी यह इसी तरह दावत करता था तो कुबूल करने में हर्ज नहीं और अगर पहले बीस दिन में दावत करता था और अब दस दिन में करता है या अब उसने खाने में तकल्लुफ़ात बढ़ा दिये तो कुबूल न करें कि यह कर्ज़ की वजह से हैं ।

ज़ोरूफ़ (बर्तन) का बयान

मस्अला- सोने चांदी के बर्तन में खाना पीना और उनकी प्यालियों से तेल लगाना या इनके इत्र दान से इत्र लगाना या इनकी अंगेठी से बखूर करना मना है और यह मुमानियत मर्द व औरत दोनों के लिए हैं, औरतों को उनके जेवर

पहनने की इजाज़त है, ज़ेवर के सिवा दूसरी तरह सोने चांदी का इस्तेमाल मर्द व औरत दोनों के लिए नाजायज़ है ।

मस्अला- सोने चांदी की आरसी पहनना औरत के लिए जायज़ है मगर उस आरसी में मुंह देखना औरत के लिए भी नाजायज़* है ।

मस्अला- चाय के बर्तन सोने चांदी के इस्तेमाल करना नाजायज़ है इसी तरह सोने चांदी की घड़ी हाथ में बांधना, बल्कि उसमें वक़्त देखना भी नाजायज़ है कि घड़ी का इस्तेमाल यही है कि उसमें वक़्त देखा जाये ।

मस्अला- सोने चांदी की चीज़ें महज़ मकान की आराइश व ज़ीनत के लिये हों मस्लन करीना से यह बर्तन व कलम दावात लगा दें कि मकान आरास्ता हो जाये इसमें हर्ज नहीं यूं ही सोने चांदी की कुर्सियां या मेज़ या तख्त वग़ैरह से मकान सजा रखा है इन पर बैठता नहीं है तो हर्ज नहीं है ।

मस्अला- बच्चों के बिस्मिल्ला पढ़ाने के मौक़े पर चांदी की दावात, कलम, तख्ती ला कर रखते हैं यह चीज़ें इस्तेमाल में नहीं आती बल्कि पढ़ाने वाले को दे देते हैं इसमें हर्ज नहीं ।

मस्अला- सोने चांदी के सिवा हर क़िस्म के बर्तन का इस्तेमाल जायज़ है मस्लन तांम्बे, पीतल, शीशा, बिल्लौर वग़ैरह मगर मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल सब से बेहतर कि हदीस में है जिसने अपने घर के बर्तन मिट्टी के बनवाये फरिश्ते उसकी ज़्यारत को आयेंगे, तांबे व पीतल के बर्तनों पर कलई होनी चाहिए बग़ैर कलई इनका इस्तेमाल मकरूह है ।

मस्अला- जिस बर्तन में सोने चांदी का काम बना हुआ है उसका इस्तेमाल जायज़ है जबकि मौज़ाए इस्तेमाल में सोना चांदी न हो मस्लन कटोरे या गिलास में चांदी का काम हो तो पानी पीने में उसकी जगह मुंह न लगे जहां सोना या चांदी है, और बाज़ का क़ौल है कि वहां हाथ भी न लगे और यह क़ौल असह है ।

मस्अला- छड़ी की मुठ सोने चांदी की हो तो उसका इस्तेमाल नाजायज़ है क्योंकि इस्तेमाल का तरीक़ा यह है कि मुठ पर हाथ रखा जाता है लेहाज़ा मौज़ा इस्तेमाल में सोना चांदी हुई यूं ही दूसरे आलात कलम वग़ैरह कि अगर मौज़ा इस्तेमाल में सोना चांदी हो तो नाजायज़ है और अगर ऐसे हिस्सा में हो जो इस्तेमाल में नहीं तो हर्ज नहीं ।

मस्अला- बर्तन पर सोने चांदी का मुलम्मा हो तो इस के इस्तेमा में हर्ज नहीं ।

---

* आरसी में मुंह देखना तो इसलिए नाजायज़ है कि यह इस्तेमाल है और पहनना इसलिए जायज़ है कि यह जेवर है ।

लिबास का बयान

रसूल्लाह सल्लाहे अल्हे वस्ल्लम ने फ़रमाया सबमें अच्छे वह कपड़े हैं जिन्हें पहन कर तुम खुदा की ज़्यारत कब्रों और मस्जिदों में करो सफ़ेद है यानी सफ़ेद कपड़ों में नमाज़ पढ़ना और मुर्दे कफ़माना अच्छा हैं । रसूल्लाह सल्लाहे अलैहे वस्ल्लम की कमीज़ की आसतीन गट्टे तक थी । रसूल्लाह स०अ०स० अमामा बांधते तो दोनों शानों के दरमेयान शिमला लटकाते और फ़रमाया कि अमामा बांधना आख्तियार करो कि यह फरिश्तों का निशान है और उसको पीठ के पीछे लटका लो और फ़रमाया कि हमारे और मुश्रेकीन के माबेन यह फ़र्क़ है कि हमारे अमामे टोपियों पर होते है हज़रत आयशा रजीअल्लाह ताला अन्हा कहती है, हुजूर ने मुझ से यह फ़रमाया, आयशा, अगर तुम मुझ से मिलना चाहती हो तो दुनियां से इतने ही पर बस करो जितना सवार के पास तोशा होता है और मालदारों के पास बैठने से बचो और कपड़े को पुराना न समझो जब तक पेवन्द न लगा लो । हफ़सा बिन्त अब्दुर्रहमान, हज़रत आयशा रज़ी अ० ता० अ० के पास बारीक दुपट्टा आढ़े कर आई, हज़रत आयशा ने उसका दुपट्टा फाड़ दिया और मोटा दुपट्टा दे दिया और फ़रमाया जो शख्स शोहरत का कपड़ा पहने क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसको ज़िल्लत का कपड़ा पहनायेगा, लेबासे शोहरत से मुराद यह है कि तक्बबुर के तौर पर अच्छे कपड़े पहने या जो शख्स दरवेश न हो वह ऐसे कपड़े पहने जिससे लोग उसे दरवेश समझें या आलिम न हो और ओल्मा के से कपड़े पहन कर लोगों के सामने अपना आलिम होना जताता है यानी कपड़े से मक़सूद किसी खूबी का इज़हार हो और फ़रमाया जो बावजूद कुदरत अच्छे कपड़े पहनना तवाज़ा के तौर पर छोड़ दे अल्लाह ताला उसको करामत का हुल्ला पहनायेगा । हज़रत अबुल हौस के वालिद कहते है मैं रसूल्लाह स० अ० स० की खिदमत में हाज़िर हुआ और मेरे कपड़े घटिया थे, हुजूर ने फ़रमाया, क्या तुम्हारे पास माल नहीं है, मैंने अर्ज़ की हां है, फ़रमाया किस क़िस्म का माल है, ऊंट, गाय, बकरियां, घोड़े, गुलाम, फ़रमाया जब खुदा ने तुम्हे माल दिया है तो उसकी नेमत व करामत का असर तुम पर दिखाई देना चाहिए । और फ़रमाया जो दुनिया में रेशम पहने या उसके लिए आखरत में कोई हिस्सा नहीं । और फ़रमाया सोना और रेशम मेरी उम्मत की औरतों के लिए हलाल है और मर्दों पर हराम । रसूल्लाह स०अ०स० में दरिन्दा की खाल बिछानेसेमना फ़रमाया तुर्मुज़ी में है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्ह ने नया कपड़ा पहनना और यह पढ़ा, फिर यह कहा कि मैंने रसूल्लाह स०अ०स० से सुना है कि जो शख्स नया कपड़ा पहनते वक़्त यह पढ़े और पुराने कपड़े को सदक़ा कर दे वह जिन्दगी में और मरने के बाद अल्लाहताला के कन्फ व हिफ़्ज व सत्तर में रहेगा, तीनों अल्फ़ाज़ के एक ही माने हैं यानी अल्लाह ताला उसका हाफिज व निगहबान है और फ़रमाया जो शख्स जिस कौम से तशब्बुह*

★ तशब्बह - तौर तरीक़ा एखतियार करना, वजअ और आदात में म्वाफ़्क़त करना ।

करे वह उन्ही में से है, यह हदीस एक असल कुल्ली है कि लेबास व आदात व अतवार में किन लोगों से मुशाबहत करनी चाहिए और किन से नहीं करना चाहिए, कुफ़्फ़ार व फुस्साक व फिज्जार से मुशाबहत बहुत बुरी है और अहले सलाह व तकवा की मुशाबहत बहुत अच्छी है फिर इस तशब्बह के भी दर्जात हैं और इन्ही के एतबार से अहकाम भी मुख्तलिफ़ है, कुफ़्फ़ार व फ़स्साक से तशब्बह का अदना मरतबा कराहियत है, मुसलमान अपने को काफ़िरों और फासिक़ों से मुमताज़ रखे ताकि पहचाना जा सके और ग़ैर मुस्लिम का शुबहा उस पर न हो । रसूल्लाह स०अ०स० ने औरतों पर लानत की जो मर्दों से तशब्बाह करे और उन मर्दों पर जो औरतों का लेबास पहनता है और उस औरत पर लानत की जो मर्दाना लेबास पहनती है और फ़रमाया कि न मैं सुर्ख़ ज़ीन पोश पर सवार होता हूं और न कुसुम का रंगा हुआ कपड़ा पहनता हूं और न वह कमीज़ पहनता हूं जिसमें रेशम का कफ़ लगा हो यानी चार अंगुल से ज़ायद सुन लो मर्दों की खुशबू वह है जिसमें रंग हो बू न हो, यानी मर्दों में खुशबू मक़सूद होती है उसका रंग नुमाया न होना चाहिए कि बदन और कपड़े रंगीन हो जायें और औरतें हल्की खुशबू इस्तेमाल करें कि यहां ज़ीनत मक़सूद होती है और यह रंगीन खुशबू मस्लन खुलूक से हासिल होती है नीज़ खुशबू से ख्वाह मख्वाह लोगों की निगाहें उठेंगी । बुखारी और मुस्लिम में है कि रसूल्लाह स०अ०स० का बिछौना जिस पर वह आराम फ़रमाते थे चमड़े का था जिसमें खजूर की छाल भरी हुई थी । मुस्लिम की एक रेवायत में है कि हुजूर का तकिया चमड़े का था जिसमें खजूर की छाल भरी थी ।

मसूअला- इतना लेबास जिस से सतरे औरत हो जाये और गर्मी, सर्दी की तकलीफ़ से बचे फ़र्ज़ है और इससे ज़्यादा जिससे ज़ीनत मक़सूद हो और यह की जब कि अल्लाह ने दिया है तो उसकी नेमत का इज़हार किया जाये यह मुस्तहब है, खास मौका पर मस्लन ईद या जुमा के दिन उमदा कपड़े पहनना मुबाह है, इस क़िस्म के कपड़े रोज़ाना न पहने, क्योंकि हो सकता है कि इतराने लगे और गरीबों को जिसके पास ऐसे कपड़े नहीं हैं नज़रे हेक़ारत से देखे, लेहाज़ा इससे बचना ही चाहिए और तक्ब्बुर के तौर पर जो लेबास हो वह ममनूअ है, तकब्बुर है या नहीं इसकी शिनाख्त यूं करे कि उन कपड़ों के पहनने से पहले अपनी जो हालत पाता था अगर पहनने के बाद भी वही हालत है तो मालूम हुआ कि इन कपड़ो से तकब्बुर पैदा नहीं हुआ, अगर वह हालत अब बाकी नहीं रही तो तकब्बुर आ गया,क लेहाज़ा ऐसे कपड़े से बचे कि तकब्बुर बुरी सिफ़त है ।

मसूअला- बेहतर यह है कि ऊनी या सूती या कतान के कपड़े बनवाये जायें जो सुन्नत के मवाफ़िक़ हों न नेहायत आला दर्जा के हो न बहुत घटिया बल्कि मुतवस्त क़िस्म के हो कि जिस तरह बहुत आला दर्जा के कपड़ों से नमूद होती है, बहुत घटिया कपड़े पहनने से भी नुमाइश होती है लोगों की नज़रें उठती है समझते है कि कोई साहबे कमाल और तारेकुदुनिया शख्स है ।

स्फ़ेद कपड़े बेहतर है कि हदीस में इसकी तारीफ़ आई है और स्याह कपड़े भी बेहतर है कि रसूल्लाह स०अ०स० फ़तहे मक्का के दिन जब "मक्का मुअज़्ज़मा में तश्रीफ़ लाये तो सरे अकदस पर स्या अमामा था, सबज़ कपड़ों को बाज़ किताबों में सुन्नत लिखा है ।

मस्अला- सुन्नत यह है कि दामन की लम्बाई आधी पिंडली तक हो, और आसतीन की लम्बाई ज्यादा से ज्यादा उंगलियों के पोरों तक और चौड़ाई एक बालिश्त हो । इस ज़माना में बहुत से मुस्लमान पाजामा की जगह जांघिया पहनने लगे हैं इसके नाजायज़ होने में क्या कलाम कि घुटने का खुला होना हराम है और बहुत लोगों के कुर्ते की आसतीन कुहनी के ऊपर होती है, यह भी खिलाफ़े सुन्नत है और यह दोनों कपड़े नसारा की तक़लीद में पहने जाते हैं इस चीज़ ने इनकी कबाहत में और इज़ाफ़ा कर दिया, अल्लाहत्ताला मुस्लमानों की आँखें खोले कि वह कुफ़्फ़ार की तक़लीद और उनकी वज़अ, क़तअ से बचें । हज़रत अमीरूल मोमनीन फ़ारूके आज़म रज़ी अल्लाहत्ताला अन्ह का इरशाद जो अपने लशकरियों के लिए भेजा था जिसमें बेशतर हज़रात सहाबा एकराम थे उसको मुस्लमान पेशे नज़र रखें और अमल की कोशिश करें और वह इरशाद यह है । अजमियों के भेस से बचो उन जैसी वज़अ केतअ न बना लेना ।

मस्अला- रेशम के कपड़े मर्द के लिए हराम है बदन और कपड़ों के दरमियान कोई दूसरा कपड़ा हायल हो या न हो, दोनों सूरतों में हराम है और जंग के मौक़ा पर भी निरे रेशम के कपरड़े हराम है, हाँ अगर ताना सूत हो और बाना रेशम तो लड़ाई के मौका पर पहनना जायज़ है और अगर ताना रेशम हो और बाना सूत हो तो हर शख़्स के लिए हर मौक़ा पर ऐसा कपड़ा पहनना जिसका बाना रेशम हो उस वक्त जायज़ है जबकि कपड़ा मोटा हो और अगर बारीक हो तो नाजायज़ है कि इसका जो फ़ायदा था इस सूरत में हायल न होगा ।

मस्अला- ताना रेशम हो और बाना सूत मगर कपड़ा इस तरह बनाया गया कि रेशम दिखाई देता है तो इसका पहनना मकरूह है । बाज़ क़िस्म की मखमल ऐसी होती है कि उसके रोयें रेशम के होते हैं उसके पहनने का भी यही हुक्म है ! इसकी टोपी और सदरी वग़ैरह न पहनी जाये ।

मस्अला- रेशम के बिछौने पर बैठना, लेटना और उसका तकिया लगाना भी ममनूअ है, अगरचा पहनने में बनिसबत इसके ज्यादा बुराई है, मगर दुर्रमुख़्तार में इसे मशहूर के खिलाफ बनाया है और ज़ाहिर यही है कि यह जायज़ है ।

मस्अला- औरतों को रेशम पहनना जायज़ है अगरचा खालिस रेशम हो इसमें सूत की बिल्कुल आमेज़िश न हो ।

मस्अला- मर्दों के कपड़ों में रेशम की गोट चार अंगुल तक ही जायज़ है इससे ज़्यादा नाजायज़, यानी इसकी चौड़ाई चार अंगुल तक हो, लम्बाई का शुमार नहीं, इसी तरह अगर कपड़े का किनारा रेशम से बना हो जैसा कि बाज़ अमामे, या चादरें या तहबन्द के किनारे इस तरह के होते हैं इसका भी यही हुक्म है कि अगर चार अंगुल तक का किनारा हो तो जायज़ है वरना नहीं, यानी जबकि उस किनारा की बनावट भी रेशम की हो, और अगर सूत की बनावट हो तो चार अंगुल से ज़्यादा भी जायज़ है, अमामा या चादर के पल्लू रेशम से बने हों तो चूंकि बाना रेशम का होना नाजायज़ है, लेहाज़ा यह पल्लू भी चार अगुंल तक का ही होना चाहिए ज़्यादा न हो ।

मस्अला- आसतीन या गरीबान या दामन के किनारा पर रेशम का काम हो तो वह भी चार अगुंल तक ही हो, सदरी या जुब्बा का साज़ रेश्म का हो तो चार अगुंल तक का जायज़ है और रेश्म की घुन्डियां भी जायज़ है टोपी का तुर्रा भी चार अगुंल का जायज़ है, पाजामे का नेफ़ा भी चार अगुंल तक का जायज़ है, अचकन या जुब्बा में शानों और पीठ पर रेश्म के पान या कीरी चार अगुंल तक के जायज़ है यह हुक्म उस वक़्त है कि पान वग़ैरह मुग़र्क हों कि कपड़ा दिखाई न दे और अगर मुग़र्क न हों तो चार अंगलु से ज़्यादा भी जायज़ है ।

मस्अला- टोपी में लैस लगाई गयी या अमामा में गोटा, लचका लगाया गया अगर यह चार अंगुल से कम चौड़ा है जायज़ है वरना नहीं ।

मस्अला- सोने चांदी से कपड़ा बुना जाये जैसा कि बनारसी कपड़े में ज़री बुनी जाती है, किमख़्वाब और पोत में जरी होती है और इसी तरह बनारसी अमामे के किनारे और दोनों तरफ़ के हाशिये ज़री के होतें है, इनका यह हुक्म है कि अगर एक जगह चार अगुंल से ज़्यादा हो तो नाजायज़ है वरना जायज़ मगर किमख़्वाब और पोत में चूंकि ताना बाना दोनों रेश्म का होता है लेहाज़ा ज़री अगरचा चार अगुंल से कम हो जब भी नाजायज़ है हां अगर सूती कपड़ा होता या ताना रेश्म और बाना सूत होता उसमें ज़री बुनी जाती तो चार अगुंल तक जायज़ होता, जैसा कि अमामा का सूत होता है और उसमें ज़री बुनी जाती है इसका भी यही हुक्म है कि एक जगह चार अगुंल से ज़्यादा नाजायज़ है, यह हुक्म मर्दों के लिये हैं औरतों के लिए रेश्म सोना, चांदी पहनना जायज़ है उनके लिए चार अंगलु की तख़सीस नहीं, इसी तरह औरतों के लिए गोटे, लटके अगरचा कितने चौड़े हों जायज़ है और मुग़र्क और ग़ैर मुग़र्क का फ़र्क़ भी मर्दों ही के लिए है औरतों के लिए मुतलक़न नाजायज़ है ।

मस्अला- रेशम के कपड़े में ताबीज़ सी कर गले में लटकाना या बाज़ू पर बाधंना नाजायज़ है कि यह पहनने में दाख़िल है इसी तरह सोने, चांदी में रख कर पहनना भी नाजायज़ है और चांदी या सोने ही पर ताबीज़ खुदा हुआ हो तो यह बदर्जा ऊला नाजायज़ है ।

मस्अला- मकान को रेशम, चांदी सोने से आ रास्ता करना मस्लन दीवारों दरवाजों पर रेशमी पर्दे लटकाना और जगह जगह क़रीना से सोने चांदी के ज़रूफ़ व आलात रखना जिसस मक़सूद महज़ आराइश व ज़ेबाइश हो तो कराहियत है और अगर तकब्बुर व तफ़ाख़ुर से ऐसा करता है तो ना जायज़ है । गालेबन कराहियत की वजह यह होगी कि ऐसी चीज़े अगरची इबतदअन तकब्बुर से न हो मगर बिल आख़िर ओमूमन इनसे तकब्बुर पैदा हो जाया करता है ।

मस्अला- फ़िक़हा व ओल्मा को ऐसा कपड़ा पहनना चाहिए कि वह पहचाने जायें ताकि लोगों को उनसे इस्तेफ़ादा का मौक़ा मिले और इल्म की वक़अतत लोगों के ज़ेहन नशीन हो, और अगर इससे अपना ज़ाती तशख़ुस व इमतियाज़ मक़सूद हो तो यह मज़मूम है ।

मस्अला- सोने चांदी के बटन कुर्ते या अचकन में लगाना जायज़ है जिस तरह रेशम की घुन्डी जायज़ है । यानी जब की बटन बग़ैर ज़ंजीर हो और अगर ज़ंजीर वाले बटन हों तो इनका इस्तेमाल नाजायज़ है कि यह ज़ंजीर जेवर के हुक्म में है जिसका इस्तेमाल मर्द को नाजायज़ है ।

मस्अला- नाबालिग लड़कों को भी रेशम के कपड़े पहनाना हराम है । और गुनाह पहनाने वाले पर है ।

मस्अला- कुसुम या जाफ़रान का रंगा हुआ कपड़ा पहनना मर्द को मना है, गहरा रंग हो कर सुर्ख़ हो जाये या हल्का हो कि ज़र्द रहे, दोनों का एक हुक्म है, औरतों को ये दोनों क़िस्म के रंग जायज़ हैं इन दोनों रंगो के सिवा बाक़ी हर क़िस्म के रंग ज़र्द, सुर्ख़, धानी, बसन्ती, चम्पई, नारंगी बग़ैरह मर्दो को भी जायज़ है, अगरचा बेहतर यह है कि सुर्ख़ रंग या शोख़ रंग के कपड़े मर्द न पहने ख़ुसूसन जिन रंगों में जनाना पन हो, मर्द उसको बिलकुल न पहने और यह मुमानियत रंग की वजह से नहीं बल्कि औरतों से तश्ब्बह होता है, इस वजह से मुमानियत है लेहाज़ा अगर यह इल्लत न हो तो मुमानियत भी न होगी, मस्लन बाज़ रंग इस क़िस्म के है कि अमामा रंगा जा सकता है और अगर कुर्ता, पायजामा उसी रंग से रंगा जायेगा चादर रंग कर ओढ़े तो उसमें जनाना पन ज़ाहिर होता है तो अमामा को जायज़ कहा जायेगा और दूसरे कपड़ो को मकरूह ।

मस्अला- जिसके यहां मैय्यत हुई उसे इज़ाहरे ग़म में स्याह कपड़े पहनना नाजायज़ है, स्याह बिल्ले लगाना भी नाजायज़ है कि अव्वलन तो वह सोग की सूरत है दोम यह कि नसारा का यह तरीक़ा है । अइयामे मोहर्रम में यानी पहली मोहर्रम से बारहवी तक तीन क़िस्म के रंग न पहने जायें, स्याह, कि राफज़ियों का तरीक़ा है और सब्ज़ कि यह मुबतदईन यानी ताज़ियादारों का तरीक़ा है और सुर्ख़ कि यह ख़ारजियों का तरीक़ा है कि वह मआज़ अल्लाह इज़हारे मसर्रत के लिए सुर्ख़ पहनते हैं ।

मस्अला- पाजामा पहनना सुन्नत है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सतरे औरत है इसको सुन्नत बाईं माने कहा गया है कि हुज़ूर अक़दस स०अ०स० ने इसे पसन्द फ़रमाया और सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्ह ने पहना, खुद हुज़ूरे अक़दस स०अ०स० तहबन्द पहना करते थे, पाजामा पहनना साबित नहीं ।

मस्अला- मर्द को ऐसा पाजामा पहनना जिसके पाईंचे के अगले हिस्से पुश्ते क़दम पर रहते हों मकरूह है, कपड़ो में इस्बाल यानी इतना नीचा कुर्ता, जुब्बा, पाजामा, तहबन्द पहनना कि टखने छुप जायें, ममनूअ है यह कपड़े आधी पिन्डली से लेकर टख़ने तक हों यानी टख़ने न छुपने★ पायें ।

मस्अला- मोटे कपड़े पहनना और पुराना हो जाये तो पैवन्द लगा कर पहनना इस्लामी तरीक़ा है । हदीस में फ़रमाया कि जब तक पेबन्द लगा कर पहन न लो कपड़े को पुराना न समझो, और बहुत बारीक कपड़े न पहने जिससे बदन की रंगत झलके । खुसुसन तहबन्द कि अगर यह बारीक है तो सतरे औरत न हो सकेगा, इस ज़माना में एक यह बला भी पैदा हो गयी है कि साड़ी का तहबन्द पहनते हैं जिससे बिलकुल सतरे औरत नहीं होता और उसी को पहन कर बाज़ लोग नमाज़ भी पढ़ते है उनकी नमाज़ भी नहीं होती कि सतरे औरत नमाज़ में फ़र्ज़ है । बाज़ लोग पाजामा और तहबन्द की जगह धोती बांधते है, धोती बांधना हिन्दुओं का तरीक़ा है और इससे सतरे औरत भी नहीं होता, चलने में रान का पिछला हिस्सा खुल जाता है और नज़र आता है ।

मस्अला- पोस्तीन पहनना जायज़ है, बुज़ुरगानेदीन, ओलमा, मशायख़ ने पहनी है, जो जानवर हलाल नहीं अगर उसको ज़बह कर लिया हो या उसके चमड़े की दवागत कर ली हो तो उसकी पोस्तीन भी पहनी जा सकती है और उसकी टोपी ओढ़ी जा सकती है मस्लन लोमड़ी की पोस्तीन या समूर की पोस्तीन (कि

★ मगर पाजामा या तहबन्द बहुत ऊंचा पहनना आजकल वहाबियों का तरीका है, लेहाजा इतना ऊंचा भी न पहने कि देखने वाला वहाबी समझे, इस ज़माना में बाज लोगों ने पाजामें बहुत नीचे पहनने शुरू कर दिये है कि टखने तो क्या एड़ियां भी छुप जाती है, हदीस में इसकी बहुत सख़्त मुमानियत आई है यहां तक कि इरशाद फ़रमाया कि टखने से जो नीचा हो वह जहन्नम में है, और बाज लोग इतना ऊंचा पहनते हैं कि घुटने भी खुल जाते हैं जिसको नेकर कहते हैं यह नसरानियों से सीखा है, ऊंचा पहनते हैं तो घुटने खोल देते है नीचा पहनते है तो एड़िया छुपा देते हैं, इफ़रात व तफ़रीत से अलेहदा होकर मसनून तरीका नहीं अख्तियार करते, बाज़ लोग चूड़ीदार पाजामा पहनते है इसमें भी टखने छुपते हैं और अज़ो की पूरी हियात नजर आती है । औरतों को बिल खुसूस चूड़ी दार पाजामा नहीं पहनना चाहिए, औरतों के पाजामें ढीले, ढाले हों और नीचे हो कि क़दम छुप जायें उनके लिए जहां तक पांव का ज़्यादा हिस्सा छुपे अच्छा है ।

बिल्ली की शक्ल का एक जानवर होता है जिसकी पोस्तीन बनाई जाती है) इसी तरह सनजाब की पोस्तीन (यह घोस की शक्ल का जानवर होता है) ।

मस्अला- दरिन्दा जानवर शेर, चीता वग़ैरह की पोस्तीन में भी दर्ज नहीं इसको पहन सकते हैं इस पर नमाज़ पढ़ सकते हैं । अगरचा अफ़ज़ल इससे बचना है, हदीस में चीते की खाल पर सवार होने की मुमानियत आई है ।

मस्अला- नाक, मुंह पोछने के लिए रूमाल रखना या वज़ू के बाद हाथ मुंह पोछने के लिए रूमाल रखना जायज़ है इसी तरह पसीना पोछने के लिए रूमाल रखना जायज़ है, और अगर बराहे तकब्बुर हो तो मना है ।

मस्अला- कपड़ा पहने तो दाहिने से शुरू करें यानी पहले दाहिनी आस्तीन या दाहिने पांइचे में डाले फिर बायें में ।

"एमामा का बयान"

अमामा बांधना सुन्नत है खुसूसन नमाज़ में कि जो नमाज़ एमामा के साथ पढ़ी जाती है उसका सवाब बहुत ज़्यादा होता है । एमामा के मुत्तलिक़ चन्द हदीसें ऊपर ज़िक्र की जा चुकी है ।

मस्अला- एमामा बांधे तो उसका शिमला पीठ पर दोनों शानों के दरमियान लटका ले । शिमला कितना होना चाहिए इसमें एख़्तेलाफ़ है, ज़्यादा से ज़्यादा इतना हो कि बैठने में न दबे, बाज़ लोग शिमला बिलकुल नहीं लटकाते, यह सुन्नत के खिलाफ़ है, और बाज़ शिमला को ऊपर लाकर एमामा में घुरस लेते हैं यह भी न चाहिए खुसूसन हालते नमाज़ में ऐसा है तो नमाज मकरूह होगी ।

मस्अला- एमामा को जब फिर से बांधना हो तो उसे उतार कर ज़मीन पर फेंक न दे बल्कि जिस तरह लपेटा है उसी तरह उधेड़ा जाये ।

मस्अला- एमामा खड़े होकर बांधे और पाजामा बैठ कर पहने, जिसने इसका उल्टा किया वह ऐसे मर्ज़ में मुबतला होगा जिसकी दवा नहीं ।

मस्अला- टोपी पहनना खुद हुजूर अक़्दस स०त०अ०स० से साबित है मगर हुजूर अलैहिस्सलात वस्सलाम एमामा भी बाधंते थे यानी एमामा के नीचे टोपी होती, और यह फ़रमाया कि हममे और उनमें फ़र्क टोपी पर एमामा बाधना है हम दोनों चीज़ें रखते हैं और वह सिर्फ़ एमामा ही बाधंते है उसके नीचे टोपी नहीं रखते, चुनानचा यहां के कुफ़्फ़ार भी अगर पगड़ी बांधते है तो उस के नीचे टोपी नहीं पहनते । मिरक़ातह शरह मशक्वात में मज़कूर है कि हुजूरे अक़दस स०अ०स० का छोटा अमाना सात हाथ का और बड़ा एमामा बारह हाथ का था । बस इसी सुन्नत के मुताबिक एमामा रखे इससे ज़्यादा बड़ा न रखे बाज़ लोग बहुत बड़े अमामे बांधते है ऐसा न करे कि सुन्नत के खिलाफ़ है । मारवाड़ के एलाक़े में बहुत से लोग पगड़ियां बाधंते है जो बहुत कम चौड़ी

होती है और चालीस पचास गज़ लम्बी होती है इस तरह की पगड़ियां मुसलमान न बांधे ।

मस्अला- पाजामें का तकिया न बनायें कि अदब के खिलाफ़ है और एमामा का भी तकिया न बनाये ।

मस्अला- गले में ताबीज़ लटकाना जायज़ है यानी आयाते कुरानिया या अस्माऐ इलाहिया या अदिया से तावीज़ किया जाये और बाज़ हदीसों में जो मुमानियत आई है उससे मुराद व ताबिज़ात है जो नाजायज़ अल्फ़ाज पर मुशतमिल हो जो ज़माना जाहिलियत में किये जाते थे, इसी तरह ताबीज़ात, आयात, व असदीस व दुआओं को रकाबी में लिखकर मरीज़ को बनीयत शिफ़ा पिलाना भी जायज़ है, जनब, व हायज़ व नफ़साअ भी ताबिज़ात को गले में पहन सकते हैं, बाजू पर बाँध सकते हैं जबकि गिलाफ़ में हो ।

मस्अला- बिछौने या मुसल्ला पर कुछ लिखा हुआ हो तो उसको इस्तेमाल करना जायज़ है, यह इबारत उसकी बनावट में हो या काढ़ी गयी हो या रोशनाई से लिखी हो अगरचा हरूफ़ मफ़रदह लिखे हों क्योंकि हरूफ़ मफ़रदह का भी एहतेराम है । अक्सर दस्तरख्वान पर इबारत लिखी होती है ऐसे दस्तरख्वान को इस्तेमाल में लाना उस पर खाना न चाहिए बाज़ लोगों के तकिया पर अश्यार लिखे होते हैं उनका भी इस्तेमाल न किया जाये ।

जूता पहनने का बयान

रसूल्लाह स०अ०स० ने फ़रमाया कि जब जूता पहनें तो पहले दाहिने पांव में पहनें और जब उतारें तो पहले बाएं पांव का उतारे कि दाहिनें पहनने में पहले हो और उतारने में पीछें । और फ़रमाया कि एक जूता पहन कर न चले दोनों उतार दें या दोनों पहन लें । तिर्मिज़ी व इब्न माजा में है कि हुजूर ने खड़े होकर जूता पहनने से मना फ़रमाया, यह हुक्म उन जूतों का है जिसको खड़े होकर पहनने में दिक्कत होती है जिसमें तसमें बाँधने की ज़रूरत होती है इसी तरह बूट जूता भी बैठ कर पहने कि इसमें भी फ़ीता बांधना पड़ता है और खड़े होकर बाँधने में दुश्वारी होती है और जो इस क़िस्म के न हों जैसे सलीम शाही या पम्प या वह चप्पल जिसमें तस्म बांधना नहीं होता उनको खड़े होकर पहनने में मुज़ायका नहीं, अबू दाऊद में है कि किसी ने हज़रत आयेशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा कि एक औरत मर्दों की तरह जूते पहनती है, उन्होने फ़रमाया रसूल्लाह स०ता०अ०स० ने मर्दानी औरत पर लानत फ़रमाई यानी औरतों को मर्दाना जूता नहीं पहनना चाहिए बल्कि वह तमाम बातें जिनमें मर्दों औरतों का इमतियाज़ होता है उनमें हर एक को दूसरे की वज़अ अख्तियार करने से मुमानियत है न मर्द औरत की वज़अ अख्तियार करे, न औरत मर्द की । अबू दाऊद में है कि किसी फ़ुज़ाला इब्न औबैद रज़ी०अ० से कहा कि क्या बात है कि आपको परा गन्दासर देखता हूँ उन्होंने कहा कि रसूल्लाह स०ता०अ०स० हमको कसरते इरफ़ाह यानी बने संवरे रहने से मना फ़रमाते थे, उसने कहा क्या बात है कि आप को नंगे पांव देखता हूँ

उन्होने कहा कि रसूल्लाह स०ता०अ०स० हमको हुक्म फरमाते कि कभी कभी हम नंगे पाव रहें ।

अंगूठी और ज़ेवर का बयान

मस्अला- मर्द को ज़ेवर पहनना मुतलक़न हराम है सिर्फ चांदी की एक अंगूठी जायज़ है जो वज़न में एक मिस्क़ाल यानी साढ़े चार माशा से कम हो और सोने की अंगूठी भी हराम है । तलवार का हिलया चांदी का जायज़ है यानी उसके नियाम और कब्ज़ा या परतले में चांदी लगाई जा सकती है बशर्ते कि वह चांदी मौज़ा इस्तेमाल में न हो ।

मस्अला- अंगूठी सिर्फ़ चांदी ही की पहनी जा सकती है दूसरे धात की अंगूठी पहनना हराम है मस्लन लोहा, पीतल, तांबा, जस्ता वग़ैरह इन धातों की अंगूठियां मर्द व औरत दोनों के लिए ना जायज़ है फ़र्क़ इतना है कि औरत सोना भी पहन सकती है मर्द नहीं पहन सकता । हदीस में हैकिएकशख्स हुजूर की खिदमतत में पीतल की अंगूठी पहन कर हाज़िर हुये फ़रमाया क्या बात है कि तुमसे बुत की बू आती है उन्होने वह अंगूठी फेंक दी, फिर दूसरे दिन लोहे की अंगूठी पहन कर हाज़िर हुये फ़रमाया क्या बात है कि तुम पर जहन्नमियों का ज़ेवर देखता हूं उन्होंने उसको भी उतार दिया और अर्ज़ की या रसूल्लाह किस चीज़ की अंगूठी बनाऊ, फ़रमाया कि चांदी की, और उसको एक मिस्काल पूरा न करना ।

मस्अला- बाज़ ओल्मा ने यशब और अक़ीक की अंगूठी जायज़ बताई और बाज़ ने हर क़िस्म के पत्थर के अंगूठी की इजाज़त दी और बाज़ इन सब की मुमानियत करते हैं । लेहाज़ा एहतियात का तक़ाज़ा यह है कि चांदी के सिवा हर क़िस्म की अंगूठी से बचा जाये, खुसूसन जबकि साहबे हेदाया जैसे जलीलुलक़द्र का मैलान इन सबके अदम जवाज़ की तरफ़ है, हां अंगूठी से मुराद हल्का है नगीना नहीं, नगीना हर क़िस्म के पत्थर का हो सकता है, अक़ीक, याकूत, ज़मुर्रद फ़िरोज़ा वग़ैरहक सब का नगीना जायज़ है ।

मस्अला- जब इन चीजों की अंगूठिया मर्द व औरत दोनों के लिए नाजायज़ है तो इनका बनाना और बेचना भी ममनूअ हुआ कि यह ना जायज़ काम पर अआनत (मदद) है हां बय की मुमानियत वैसी नहीं जैसी पहनने की मुमनियत है ।

मस्अला- लोहे की अंगूठी पर चांदी का खोल चढ़ा दिया कि लोहा बिलकुल न दिखाई देता हो इस अंगूठी के पहनने की मुमानियत नहीं, इससे मालूम हुआ कि सोने के जेवरों में जो बहुत लोग अन्दर तावें या लोहे की सलाख़ रखते हैं और ऊपर से सोने का पत्तुर चढ़ा देते हैं इसका पहनना जायज़ है ।

मस्अला- अंगूठी उन्ही के लिए मसनून है जिनको मोहर करने की हाजत होती है जैसे, सुल्तान व क़ाज़ी और ओल्मा जो फ़तवे पर मोहर करते हैं, इनके सिवा दूसरों के लिए जिनको मोहर करने की हाजत न हो मसनून नहीं मगर पहनना जायज़ है ।

मस्अला- मर्द को चाहिए कि अगर अंगूठी पहने तो उसका नगीना हथेली की तरफ़ रखे और औरतें नगीना हाथ के पुश्त की तरफ़ रखें, कि उन का पहनना ज़ीनत के लिए है और ज़ीनत इसी सूरत में ज़्यादा है कि नगीना बाहर की जानिब रहे ।

मस्अला- अंगूठी पर अपना नाम कन्दा करा सकता है और अल्लाहताला और हुज़ूर स०अ०स० का नामे पाक भी कन्दा करा सकता है, मगर मोहम्मद रसूल अल्लाह यानी यह इबारत क़न्दा न कराये कि यह हुज़ूर स०ता०अ०स० की अंगुश्तरी पर तीन सतरों में कन्दा थी, पहली स्तर मोहम्मद दूसरी रसूल तीसरी इस्म जलालत और हुज़ूर ने फ़रमाया था कोई दूसरा शख़्स अपनी अंगूठी पर यह नक़्श कन्दा न कराये, नगीना पर इंसान या किसी जानवर की तस्वीर कन्दा न करायें ।

मस्अला- अंगूठी वही जायज़ है जो मर्दो की अंगूठी की तरह हो यानी एक नगीना की हो और अगर उसमें कई नगीने हो तो अगरचा वह चांदी ही की हो मर्द के लिए नाजायज़ है, इसी तरह मर्दों के लिए एक से ज़्यादा अंगूठी पहनना या छल्ले पहनना भी नाजायज़ है कि यह अगूंठी नहीं, औरते छल्ले पहन सकती है ।

मस्अला- लड़को को सोने चांदी के ज़ेवर पहनाना हराम है और जिसने पहनाया वह गुनेहगार होगा, इसी तरह बच्चों के हाथ पांव में बिला ज़रूरत मेहन्दी लगाना ना जायज़ है औरत खुद अनपे हाथ पांव में लगा सकती है मगर लड़के को लगायेगी तो गुनेहगार होगी ।

बर्तन छुपाने और सोने के वक़्त के आदाब

रसूलअल्लाह ताला अलैह वसल्लम ने फ़रमाया के जब शाम हो जाये तो बच्चों को समेट लो, के इस वक़्त शैतान मुन्तसिर होते हैं फिर जब एक घड़ी रात चली जाये, अब उन्हे छोड़ दो और बिस्मिल्लाह कहकर मुश्कों के दहाने बान्धो और बिस्मिल्लाह पढ़कर बर्तनों को ढक दो, ढाको नहीं तो यही करो कि उस पर कोई चीज़ आड़ी कर के रख दो, और चिरागों को बुझा दो । और एक रवायत में है कि बर्तन छिपा दो, और मश्को के मुहं बन्द कर दो और दरवाज़े भेड़ दो । और बच्चों को समेट लो । शाम के वक़्त क्यूं कि इस वक़्त जिन्न मुन्तशिर होते हैं । और ऊचक लेते है और सोते वक़्त चिराग़ बुझा लो के कभी चूहा ही घसीट ले जाता है । और घर जल जाता

है । और रवायत में है कि बर्तन छिपा दो और मुश्क़ का मुह बांध दो और दरवाज़े बन्द कर दो और चिराग़ बुझा दो के शैतान मशक़ को नहीं खोलेगा और न दरवाज़ा और बर्तन खोलेगा अगर कुछ न मिले तो बिस्मिल्लाह कहकर एक लकड़ी आड़ी करके रख दो । और एक रवायत में है कि साल में एक रात ऐसी होती है कि उसमें वबा उतरती है । जो बर्तन छिपा हुआ नहीं है या मशक़ का मुहं बांधा हुआ नहीं है अगर वहां से वह वबा गुज़रती है तो उसमें उतर जाती है (बुखारी व मुस्लिम) और फ़रमाया जब आफताब डूब जाये तो जब तक एशां की स्याही जाती न रहे अपने चौपायो और बच्चों को न छोड़ो क्यूंकि इस वक़्त शैतान मुन्तसिर होते हैं । (अहमद मुस्लिम अबू दाऊद) और फ़रमाया के सोते वक़्त अपने घरों में आग मत छोड़ा करो (बुखारी व मुस्लिम) हज़रत अबू मुसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहते है कि मदीना में एक मकान रात में जल गया । हुज़ूर ने फ़रमाया ये आग तुम्हारी दुश्मन है जब सोया करो बुझा दिया करों । (बुखारी) और फ़रमाया के जब रात में कुत्ते का भोंकना और गदहे की आवाज़ सुनो तो आऊज़ बिल्लाहे मिनश शैतानिर जीम पढ़ो के वह उस चीज़ को देखते हैं जिसको तुम नहीं देखते । और जब पहचल बन्द हो जाये तो घर से कम निकलो के अल्लाह अज़ोजल रात में अपनी मख़लूक़ात में से जिसको चाहता है । ज़मीन पर मुन्तसिर करता है ।

बैठने और सोने और चलने के आदाब

कुरान शरीफ़ में है (लुकमान ने बेटे से कहा) किसी से बात करने में अपना रूखसार टेढ़ा मत करो, और ज़मीन पर इतराता न चल बेशक अल्लाह को पसन्द नहीं है कोई इतराने वाला, फ़ख़र करने वाला और मियाना चाल चल और अपनी आवाज़ पस्त कर बेशक सब आवाज़ों में बुरी गदहे की आवाज़ है, रसूल्लाह स०अ०स० ने फ़रमाया ऐसा न करे कि एक शख़्स दूसरे को उसकी जगह से उठा कर खुद बैठ जाये व लेकिन हट जाया करो और जगह कुशादा कर दिया करो यानी बैठने वालो को यह चाहिए कि आने वालों के लिए सरक जायं और जगह दे दे कि वह भी बैठ जायेगाक यह कि आने वाला किसी को न उठाये बल्कि उन से कहे कि सरक जाओ मुझे भी जगह दे दो, और फ़रमायाजो शख़्स अपनी जगह से उठ कर गया फिर आ गया तो उस जगह का वही हक़दार है यानी जबकि जल्द आ जाये, हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्ह कहते है कि रसूल्लाह स०अ०स० जब मस्जिद में बैठते दोनों हाथों से इख़तिबा करते, इख़तिबा की सूरत यह है कि आदमी सुरीन को ज़मीन पर रख दे और घुटने खड़े करके दोनों हाथों से घेर ले और एक हाथ से दूसरे को पकड़ ले इस क़िस्म का बैठना तवाज़ा व इनकेसार में शुमार होता है । हज़रत जाबिर रज़ी अ०त०अ० कहते हैंकि नबी करीम स०अ०स० जब नमाज़ फ़जिर पढ़ लेते चार जानू बैठे रहते यहां तक कि आफ़ताब अच्छी तरह तुलू हो जाता । और फ़रमाया जब कोई शख़्स साया में हो और साया सिमट गया, कुछ साया में हो गया कुछ धूप में तो वहां से उठ जाये । हज़रत उमर

बिन शरीद के वालिद कहते हैं मैं इस तरह बैठा हुआ था कि गद्दे पर टेक लगा ली, रसूल्लाह स०अ०स० मेरे पास से गुज़रे और यह फ़रमाया क्या तुम उन लोगों की तरह बैठते हो जिन पर खुदा का गज़ब है । और फ़रमाया चन्द कलेमात है कि जो शख्स मजलिस से फ़ारिग होकर उनको तीन मरतबा कह लेगा अल्लाहो ताला उसके गुनाह मिटा देगा, और जो शख्स मजलिसे ख़ैर व मजलिस ज़िक्र में इनको कहेगा तो अल्लाह ताला उस ख़ैर पर मोहर कर देगा जिस तरह कोई शख्स अगूंठी से मोहर करता है वह कलमात यह है सुबहानका अल्लाहुम्मा व बेहम्देका ला ईलाहा ईल्ला अनता अस्तग़ फ़ेरोका व अतूबो एलैका और फ़रमाया जो लोग देर तक किसी जगह बैठे और बग़ैर ज़िक्र अल्लाहो और नबी करीम स०अ० पर दरूद पढ़े वहां से मुतफ़रिक़ हो गये, उन्होंने नुक़सान किया और अगर अल्लाह चाहे अज़ाब दे और चाहे तो बख़्स दे । हज़रत जाबिर कहते है कि रसूल्लाह स०अ०स० ने पांव पर पांव रखने से मना फ़रमाया है जब कि चित लेटा हो । हज़रत एबाद बिन तमीम अपने चचा से रिवायत करते है कि रसूल्लाह स०अ०स० को मस्जिद में लेटे हुए में ने देखा हुजूर ने एक पाव को दूसरे पर रखा था, यह बयान जवाज़ के लिए है और उस सूरत में कि सतर खुलने का अन्देशा न हो और पहली हदीस़ इस सूरत में है कि सतर खुलने का अन्देशा हो, मसलन आदमी तहबन्द पहने हो और चित लेट कर एक पांव खड़ा करके उस पर दूसरे को रखे तो सतर खुलने का अन्देशा होता है और अगर पांव फैला कर एक को दूसरे पर रखे तो उस सूरत में खुलने का अन्देशा नहीं होता । हज़रत अबूज़र रज़ी अ० अन्ह कहते है मैं पेट के बल लेटा हुआ था रसूल्लाह स०अ०स० मेरे पास से गुज़रे और पांव से ठोकर मारी और फ़रमाया ऐ जुनदुब (यह हज़रत अबूज़र का नाम था) यह जहन्नुमियों के लेटने का तरीक़ा है यानी इस तरह काफ़िर लेटते हैं या यह कि जहन्नुमी, जहन्नम में इस तरह लेटेगें । हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्ह से रिवायत है कि रसूल्लाह स०अ०स० ने उस छत पर सोने से मना फ़रमाया है जिस पर रोक न हो । रसूल्लाह स०अ०स० ने फ़रमाया कि जो शख्स ऐसी छत पर रात में रहे जिस पर रोक नहीं है यानी दीवार या मुढेर नहीं है उससे ज़िम्मा बरी है यानी अगर रात में छत से गिर जाये तो उसका ज़िम्मादार वह खुद है । रसूल्लाह स०अ०स० ने तनहाई से मना फ़रमाया यानी इससे कि आदमी तनहा सोये । और फ़रमाया जब तुम्हारे सामने औरतें आ जायें तो उनके बीच से न गुजरो बल्कि दाहिने या बाऐं का रास्ता ले लो ।

मसअला- क़ैलूला करना जायज़ बल्कि मुस्तहब है ग़ालिबन यह उन लोगों के लिए होगा जो शबबेदारी करते हैं रात में नमाज़ें पढ़ते ज़िक्र इलाही करते हैं या कुतुब बीनी या मुतालआ में मशगूल रहते हैं कि शबबेदारी में जो तकान हुआ, क़ैलूला से दफ़ा हो जायेगा ।

•

मस्अला- दिन के इबतेदाई हिस्सा में सोना मग़रिब व इशा के दर्मियान में सोना मकरूह है, सोने में मुस्तहब यह है कि बातहारत सोये और कुछ देर दाहिनी करवट पर दाहिने हाथ को रूखसार के नीचे रख कर किबला रू सोये फिर उसके बाद बायें करवट पर और सोते वक़्त कब्र में सोने को याद करें कि वहां तनहा सोना होगा सेवा अपने आमाल के कोई साथ न होगा, सोते वक़्त यादे खुदा में मश्गूल हो, तहलील, तस्बीह व तहमीद पढ़े, यहां तक कि सो जाये कि जिस हालत पर इंसान सोता है । उसी पर उठता है और जिस हालत पर मरता है क़यामत के दिन उसी पर उठेगा, सो कर सुबह से पहले ही उठ जाये और उठते ही यादे खुदा करे यह पढ़े । "अलहम्दो लिल्लाहील लज़ी अहयानाबादा मा अमातना व एलैहिन नशूर" उसी वक्त इसका पक्का इरादा करे कि परहेजगारी व तकवा करेगा, किसी को सतायेगा नहीं ।

मस्अला- बाद नमाजे इशा बांतें करने की तीन सूरतें हैं अव्वल इल्मी गुफ़तगू किसी से मसला पूछना या उसका जवाब देना या उसकी तहक़ीक़ व तफ़तीस करना, इस क़िस्म की गुफ़तगू सोने से अफ़ज़ल है । दोम झूठे किस्से कहानी कहना मसखरा पन और हंसी मज़ाक की बातें करना यह मकरूह है । सोम मवानेसत की बात चीत करना जैसे मियां, बीबी में या मेहमान से उसके उन्स के लिए कलाम करना यह जायज़ है इसी क़िस्म की बातें करे तो आखीर में ज़िक्र इलाही में मश्गूल हो जाये और तस्बीह व इस्तेगफ़ार पर कलाम का खातमा होना चाहिए ।

मस्अला- दो मर्द नंगे एक ही कपड़े को ओढ़ कर लेटे यह नाजायज़ है, अगरचा बिछौने के एक किनारे पर एक लेटा हो और दूसरा किनारा पर दूसरा हो । इसी तरह दो औरतों का नंगे हो कर एक कपड़े को ओढ़ कर लेटना भी ना जायज़ है । हदीस में इसकी मुमानियत आई है ।

मस्अला- जब लड़के और लड़की की उम्र दस साल हो जाये तो उन को अलग सुलाना चाहिए यानी लड़का जब इतना बड़ा हो जाये तो अपनी बहन या मां या किसी औरत के साथ न सोये । सिर्फ़ अपनी औरत या बान्दी के साथ सो सकता है बल्कि उसी उम्र का लड़का उतने बड़े लड़कों या मर्दों के साथ भी न सोये ।

मस्अला- मियां बीवी जब एक चारपाई पर सोयें तो दस बरस के बच्चे को अपने साथ न सुलायें, लड़का जब हदे शहवत को पहुंच जाये तो वह मर्द के हुक्म में है ।

मस्अला- रास्ता छोड़ कर किसी के ज़मीन में चलने का हक़ नहीं और अगर वहां रास्ता नहीं है तो चल सकता है मगर जबकि मालिक ज़मीन मना करे तो अब नहीं चल सकता, यह हुक्म एक शख्स के मुत्तालिक है और जो बहुत से लोग हों तो जब तक मालिक ज़मीन राज़ी न हो नहीं चलना चाहिए,

रास्ता में पानी है उसके किनारे किसी की ज़मीन है ऐसी सूरत में उस ज़मीन में चल सकता है, बाज़ मरतबा खेत बोया होता है ज़ाहिर है उसमें चलना कास्तकार के नुक़सान का सबब है ऐसी सूरत में हरगिज़ उसमें चलना न चाहिए बल्कि बाज़ मरतबा काश्तकार खेत के किनारे पर जहां से चलने का एहतेमाल होता है काटें रख देता है यह साफ़ इसकी दलील है कि उसकी जानिब से चलने की मुमानियत है मगर उस पर बाज़ लोग तवज्ञा नहीं करते उन को जानना चाहिए कि इस सूरत में चलना मना है ।

देखने और छूने का बयान

अल्लाहताला फ़रमाता है ऐ नबी औरतों को हुक्म दो कि अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफ़ाज़त करें और अपना बनाव न दिखायें मगर जितना खुद ही ज़ाहिर है और दुपट्टे अपने गर्दनों पर डाले रहें और अपना सिंगार ज़ाहिर न करें मगर अपने शौहरों पर या अपने बाप या शौहरों के बाप या अपने बेटे या शौहरों के बेटे या अपने भाई या अपने भतीजे या अपने भांजे या अपने दीन की औरतें या अपनी कनीज़ें जो अपने हाथ की मिल्क हो या नौकर बशर्ते कि शहवत वाले मर्द न हों या वह बच्चे जिन्हें औरतों की शर्म की चीज़ों की खबर नहीं, और ज़मीन पर पांव न मारें जिससे उनका छिपा हुआ सिंगार मालूम हो जाये और अल्लाहताला की तरफ़ तौबा करो, ए मुसलमानों सब के सब इस उम्मीद पर कि फ़लाह पावो । रसूल्लाह स०अ०स० ने फ़रमाया कि औरत, औरत है यानी छिपाने की चीज है जब वह निकलती है तो उसे शैतान झांक कर देखता है यानी उसे देखना शैतानी काम है । और फ़रमाया कि देखने वाले पर और उस पर जिसकी तरफ़ नज़र की गयी अल्लाह की लानत यानी देखने वाला जब बिला उज़्र क़सदन देखे । और दूसरा बिला उर्ज़ अपने को क़सदन दिखाये । और फ़रमाया जब मर्द औरत के साथ तनहाई में होता है तो तीसरा शैतान होता है । और फ़रमाया औरतों के पास जाने से बचो एक शख्स ने अर्ज़ की या रसूल्लाह देवर के मुत्तालिक क्या हुक्म है फ़रमाया कि देवर मौत है यानी देवर के सामने होना गोया मौत का सामना है कि यहां फ़ितना का ज़्यादा एहतेमाल है । और फ़रमाया क्या तुम्हे मालूम नहीं कि रान औरत है यानी छिपाने की चीज है । और फ़रमाया कि ऐ अली रान को न खोलो और न ज़िन्दा की रान की तरफ़ निगाह करो न मुर्दा की । और फ़रमाया एक मर्द दूसरे मर्द के सतर की जगह न देखे और न औरत दूसरी औरत की सतर की जगह को देखे और न मर्द दूसरे मर्द के साथ एक कपड़े में बरहना सोये और न औरत दूसरी औरत के साथ एक कपड़े में बरहना सोये । हज़रत उम्म सलमा रज़ी अल्लाहताला अन्हा कहती है कि मैं और हजरत मैमूना रज़ी अल्लाहताला अन्हा हुज़ूर की खिदमत में हाज़िर थीं कि अब्दुल्लाह इब्न उम्म मकतूम रज़ी अल्लाहताला अन्हु आये, हुज़ूर ने उन दोनों से फ़रमाया कि पर्दा कर लो, कहती है मैंने अर्ज़ की या रसूल्लाह वह तो नाबीना हैं हमें नहीं देखेंगे, हुज़ूर ने फ़रमाया तुम दोनों अंधी हो क्या तुम उन्हें नहीं देखोगी

और फरमाया ऐसा न हो कि एक औरत दूसरी औरत के साथ रहे फिर अपने शौहर के सामने उसका हाल बयान करे गोया वह उसे देख रहा है ।

मस्अला- इस बाब के मसायल चार किस्म के हैं १- मर्द का मर्द को देखना । औरत का औरत को देखना, औरत का मर्द को देखना । मर्द का औरत को देखना । मर्द मर्द के हर हिस्सये बदन की तरफ़ नज़र कर सकता है सेवा उन आज़ा के जिनका सतर ज़रूरी है । वह नाफ़ के नीचे से घुटने के नीचे तक है कि उस हिस्से बदन का छुपाना फ़र्ज़ है जिन आज़ा का छुपाना ज़रूरी है उनको औरत कहते हैं किसी को घुटना खोले हुए देखे तो उसको मना करे और रान खोले हुए हो तो उसे सज़ा दी जायेगी ।

मस्अला- लड़का जब मुराहिक़ हो जाये और वह खूबसूरत न हो तो नज़र के बारे में उसका वही हुक्म है जो मर्द का है और खूबसूरत हो तो औरत का जो हुक्म है वह उसके लिए है यानी शहवत के साथ उसकी तरफ़ नज़र करना हराम है और शहवत न हो तो उसकी तरफ़ भी नज़र कर सकता है और उसके साथ तनहाई भी जायज़ है शहवत न होगी और इसका शुबहा भी हो तो हरगिज़ नज़र न करे, बोसा की ख्वाहिश पैदा होना शहवत की हद में दाखिल है ।

मस्अला- औरत का औरत को देखना इसका वही हुक्म है जो मर्द को मर्द की तरफ़ नज़र करने का है यानी नाफ़ के नीचे घुटने तक नहीं देख सकती, बाकी आज़ा की तरफ़ देख सकती है बशर्ते कि शहवत का अन्देशा न हो ।

मस्अला- औरत सालेहा को यह चाहिए कि अपने को बदकार औरत के देखने से बचाये यानी उसके सामने दुपट्टा वगैरह न उतारे क्योंकि वह उसे देख कर मर्दों के सामने उसकी शक्ल व सूरत का ज़िक्र करेगी, मुसलमान औरत को यह भी हलाल नहीं कि काफ़िरा के सामने अपना सतर खोले, घरों में काफ़िरा औरतें आती हैं और बीवियां उनके सामने उसी तरह बेतकल्लुफ़ सतर खोले हुए होती हैं जिस तरह मुस्लेमा के सामने रहती हैं उनको इससे इजतेनाब लाज़िम है । अक्सर जगह दाइयां काफ़िरा होती हैं और वह बच्चा जनाने की खिदमत अन्जाम देती हैं अगर मुसलमान दाइयां मिल सकें तो काफ़िरा से हरगिज़ यह काम न कराया जाये कि काफ़िरा के सामने इन आज़ा के खोलने की इजाज़त नहीं ।

मस्अला- औरत का पराये मर्द की तरफ़ देखने का वही हुक्म है जो मर्द का मर्द की तरफ़ देखने का है और यह उस वक़्त है कि औरत को यक़ीन के साथ मालूम हो कि उसकी तरफ़ देखने से शहवत नहीं पैदा होगी और अगर इसका शुबहा भी हो तो हरगिज़ न देखे ।

मस्अला- औरत पराये मर्द के जिस्म को हरगिज़ न छूए जबकि दोनों में से कोई जवान हो उसको शहवत हो सकती है अगरचे इस बात का दोनों

को इतमिनान हो कि शहवत नहीं पैदा होगी, बाज़ जवान औरतें अपने पीरों के हाथ पांव दबाती है और बाज़ पीर अपनी मुरीदा से हाथ पाव दबवाते हैं और उनमें अक्सर दोनों या एक हदे शहवत में होता है, ऐसा करना नाजायज़ है और दोनों गुनहेगार है ।

मस्अला- मर्द का औरत को देखना, इसकी कई सूरतें है, मर्द का अपनी ज़ौजा या बान्दी को देखना, मर्द का अपने महारम की तरफ़ नज़र करना । मर्द का आज़ाद औरत अजनबिया को देखना । मर्द का दूसरे की बान्दी को देखना । पहली सूरत का हुक्म यह है कि औरत की ऐड़ी से चोटी तक हर अज़ो की तरफ़ नज़र कर सकता है, शहवत और बिला शहवत दोनों सूरतों में देख सकता है, इसी तरह यह दोनों क़िस्म की औरतें उस मर्द के हर अज़ो को देख सकती हैं । हा बेहतर यह है कि मुक़ामे मख़सूस की तरफ़ नज़र न करे क्योंकि इससे निस्यान पैदा होता है और नज़र में भी ज़ोफ़ पैदा होता है । इस मस्अला में बान्दी से मुराद वह है जिससे वती जायज़ है ।

मस्अला- जो औरत उसके महारम में होउसके सिर सीना, पिन्डली बाज़ू कलाई, गर्दन क़दम की तरफ़ नज़र कर सकता है जब कि दोनों में से किसी को शहवत का अन्देशा न हो, महारम के पीठ पेट और रान की तरफ़ नज़र करना जायज़ नहीं, इसी तरह करवट और घुटने की तरफ़ नज़र करना भी जायज़ नहीं । कान, गर्दन और शाना और चेहरा की तरफ़ नज़र करना जायज़ है ।

मस्अला- महारम से मुराद वह औरतें है जिनसे हमेशा के लिए निकाह हराम है यह हुरमत नसब से हो या सबब से मस्लन रज़ाअत या मुसाहेरत अगर ज़ेना की वजह से हुरमत मुसाहेरत हो जैसे मरजनिया के असूल व फ़रोअ इनकी तरफ़ नज़र का भी वही हुक्म है ।

मस्अला- महारम के जिन आजा की तरफ़ नजर कर सकता है उनको छू भी सकता है जबकि दोनों में से किसी को शहवत का अन्देशा न हो, मर्द अपनी वालेदा के पावं दबा सकता है, मगर रान उस वक्त दबा सकता है जब कपड़े से छिपी हो, यानी कपड़े के ऊपर से दबाए बिग़ैर हायल छूना जायज नहीं ।

मस्अला- वालेदा के क़दम का बोसा भी दे सकता है, हदीस में है जिसने अपनी वालेदा का पावं चूमा तो ऐसा है जैसे जन्नत की चौखट को बोसा दिया ।

मस्अला- महारम के साथ सफ़र करना या खिलवत में उसके साथ होना यानी मकान में दोनों का तन्हा होना कि कोई दूसरा वहां न हो जायज़ है बशर्ते कि शहवत का अन्देशा न हो ।

मस्अला- अजनबी औरत की तरफ़ नज़र करने का हुक्म यह है कि उसके चेहरा और हथेली की तरफ़ नज़र करना जायज है क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ती है कि कभी उसके म्वाफ़िक़ या मुखालिफ़ सहादत देनी होती है या फ़ैसला करना होता है अगर उसे न देखा हो तो क्यों कर गवाही दे सकता है कि उसने ऐसा किया है, उसकी तरफ़ देखने में भी वही शर्त है कि शहवत का अन्देशा न हो, और यूं भी ज़रूरत है कि बहुत सी औरतें घर से बाहर आती जाती है लेहाज़ा इससे बचना दुशवार है, बाज ओल्मा ने क़दम की तरफ़ भी नज़र को जायज़ कहा है ।

मस्अला- अजनबिया औरत के चेहरा और हथेली को देखना अगरचा जायज़ है मगर छूना जायज़ नहीं अगरचा शहवत का अन्देशा न हो क्योंकि नज़र के जवाज़ की वजह ज़रूरत और बलवाये आम है छूने की ज़रूरत नहीं, लेहाज़ा छूना हराम है इससे मालूम हुआ कि इनसे मुसाफ़ा जायज़ नहीं । इसीलिए हुजूर अक़्दस स०अ०स० बवक़्ते बेएत भी औरतों से मुसाफ़ा न फ़रमाते, सिर्फ़ ज़ुबान से बेएत लेते हां अगर वह बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो कि महले शहवत न हो तो उससे मुसाफ़ा में हर्ज नहीं यूं ही अगर मर्द बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो कि फ़ितना का अन्देशा ही न हो तो मुसाफ़ा कर सकता है ।

मस्अला- बहुत छोटी लड़की जो मुशतहात न हो उसको देखना भी जायज़ है और छूना भी जायज़ है ।

मस्अला- अजनबिया औरत ने किसी के यहां काम काज करने, रोटी पकाने की नौकरी की है उस सूरत में उसकी कलाई की तरफ़ नज़र जायज़ है कि वह काम काज के लिए आसतीन चढ़ाऐगी, कलाईयां उसकी खुलेंगीक और जब उसके मकान में है तो क्यों कर बच सकेगा, इसी तरह उसके दांतों की तरफ नज़र करना भी जायज़ है ।

मस्अला- अजनबिया औरत के चेहरे की तरफ़ अगरचा नज़र जायज़ है जबकि शहवत का अन्देशा न हो मगर यह ज़माना फ़ितना का है इस ज़माना में वैसे लोग कहां है जैसे अगले ज़माना में थे लेहाज़ा इस ज़माना में उसको देखने की मुमानियत की जायेगी मगर गवाह काज़ी के लिए कि बवजह ज़रूरत उनके लिए नज़र करना जायज़ है और एक सूरत और भी है वह यह कि उस औरत से निकाह करने का एरादा हो तो इस नीयत से देखना जायज़ है कि हदीस में आया है कि जिससे निकाह करना चाहते हो उस को देख लो, कि यह बक़ाये मुहब्बत का ज़रिया होगा, इसी तरह उस मर्द को जिसने उसके पास पैग़ाम भेजा है देख सकती है अगरचा अन्देशा शहवत हो, मगर देखने में दोनों की यही नीयत हो कि हदीस पर अमल करना चाहते है ।

मस्अला- जिस अज़ो की तरफ़ नज़र करना ना जायज़ है अगर वह बदन से जुदा हो जाये तो अब भी उसकी तरफ़ नज़र करना नाजायज़ ही रहेगा

मसलन पेडू के बाल कि उनको जुदा करने के बाद भी दूसरे शख्स देख नहीं सकता, औरत के सिर के बाल या उसके पावं या कलाई की हड्डी कि उसके मरने के बाद भी अजनबी शख्स उनको नहीं देख सकता, औरत के पावं के नाखून कि उनको भी अजनबी शख्स नहीं देख सकता लेकिन हाथ के नाखून को देख सकता है । अकसर देखा गया है कि गुसलखाना या पाखाना में मूंए ज़ेरे नाफ़ मूड कर बाज लोग छोड़ देते हैं ऐसा करना दुरूस्त नहीं बल्कि उनको ऐसी जगह डाल दें कि किसी की नजर न पड़े, या ज़मीन में दफ़न कर दें, औरतों को भी लाज़िम है कि कंघा करने में या सिर धोने में जो बाल निकलें उन्हें कहीं छुपा दें कि उन पर अजनबी की नज़र न पड़े ।

मस्अला- औरत को दाढ़ी या मूंछ के बाल निकल आयें तो उन को नोचना जायज़ बल्कि मुस्तहब है कि कहीं उसके शौहर को उससे नफ़रत न पैदा हो ।

मस्अला- महारम के साथ खिलवत जायज़ है यानी दोनों एक मकान में तनहा हो सकते हैं मगर रज़ाई बहन और सास के साथ तनहाई जायज़ नहीं जबकि यह जवान हो यही हुक्म औरत की जवान लड़की का है जो दूसरे शौहर से है ।

मकान में जाने के लिए इजाज़त लेना

मस्अला- जब कोई शख्स दूसरे के मकान पर जाये तो पहले अन्दर आने की इजाज़त हासिल करे, फिर जब अन्दर जाये तो पहले सलाम करे उसके बाद बात चीत शुरू करे । और अगर जिसके पास गया है वह बाहर है तो इजाज़त की जरूरत नहीं, सलाम करे उसके बाद कलाम शुरू करे ।

मस्अला- किसी के दरवाजा पर जाकर आवाज़ दी उसने कहा कौन तो उसके जवाब में यह न कहे कि "मैं" जैसा कि बहुत से लोग मैं कहकर जवाब देते हैं इस जवाब को हुज़ूरे अकदस स०अ०स० ने नापसन्द फ़रमाया बल्कि जवाब में अपना नाम ज़िक्र करे क्योंकि मैं का लफ़्ज़ तो हर शख्स अपने को कह सकता है यह जवाब ही कब हुआ ।

मस्अला- अगर तुमने इजाज़त माँगी और साहबे खाना ने इजाज़त न दी तो उससे नाराज़ न हो अपने दिल में कदूरत न लाओ खुशी खुशी वहाँ से वापस आओ हो सकता है कि उसको इस वक़्त तुमसे मिलने की फ़ुर्सत न हो, किसी जरूरी काम में मशगूल हो ।

मस्अला- अगर ऐसे मकान में जाना हो कि उसमें कोई न हो तो यह कहो अस्सलामो अलैना व अला एबादिल लाहिस्सालेहीन फ़रिश्ते उस सलाम का जवाब देंगे या इस तरह कहे अस्सलामो अलैका अय्यूहन नबी क्योंकि हुज़ूर अकदस स०अ०स० की रूहे मुबारक मुसलमानों के घरों में तशरीफ़ फ़रमा है ।

मसअला- आने के वक्त भी सलाम करे और जाते वक्त भी यहां तक कि दोनों के दर्मियान में अगर दीवार या दरख्त हायल हो जाये जब भी सलाम करे ।

सलाम का बयान

रसूल्लाह स०अ०स० ने फ़रमाया एक मोमिन के दूसरे मोमिन पर छ हक़ है जब वह बीमार हो तो अयादत करे और जब वह मर जाये तो उसके जनाज़े में हाज़िर हो और जब वह बुलाये तो इजाबत करे यानी हाज़िर हो और जब उससे मिले तो सलाम करे और जब छींके तो जवाब दे और हाज़िर व गायब उसको खैर ख्वाही करे और फ़रमाया जो शख्स पहले सलाम करे वह रहमते इलाही का ज्यादा मुस्तहिक़ है और फरमाया जब कोई शख्स अपने भाई से मिले तो उसे सलाम करे फिर उन दोनों के दरमियान दरख्त दीवार या पत्थर हायल हो जाये और फिर मुलाकात हो तो फिर सलाम करे, और थोड़े आदमी ज़्यादा आदमियों को सलाम करें यानी एक तरफ ज्यादा हों और दूसरी तरफ़ कम तो सलाम वह लोग करें जो कम हैं, और एक रिवायत में है कि छोटा बड़े को सलाम करे और गुजरने वाला बैठे हुए को और थोड़े ज़्यादा को । हज़रत अनस कहते हैं रसूल्लाह स०अ०स० बच्चों के सामने से गुज़रे तो बच्चों को सलाम किया और फरमाया कि रास्तों में बैठने से बचो लोगों ने अर्ज की, या रसूल्लाह हमें रास्ता में बैठने से चारा नहीं हम वहाँ आपस में बात चीत करते है, फ़रमाया जब तुम नही मानते और बैठना ही चाहते हो तो रास्ता का हक़ अदा करो, लोगों ने अर्ज की रास्ता का हक़ क्या है फ़रमाया कि नज़र नीची रखना और अज़ीअत को दूर करना और सलाम का जवाब देना और अच्छी बात का हुक्म करना और बुरी बातों से मना करना और एक रिवायत में है रास्ता बताना, और एक रिवायत में है फ़रियाद करने वाले की फ़रियाद सुनना, और भूले हुए को हिदायत करना, और फरमाया जो शख्स हमारे ग़ैर के साथ तश्बीह करे वह हममें से नही यहूद व नसारा के साथ तशब्बुह न करो, यहूदियों के सलाम ऊंगलियों के इशारे से है और नसारा का सलाम हथेलियों के इशारे* से है ।

मसअला- सलाम करने में यह नीयत हो कि उसकी इज़्ज़त व आबरू और माल सब कुछ उसकी हिफ़ाज़त में है इन चीज़ों से तआरुज़ करना हराम है ।

मसअला- सिर्फ उसी को सलाम न करे जिसको पहचानता हो, बल्कि हर मुसलमान को सलाम करे, चाहे पहचानता हो या न पहचानता हो बल्कि बाज़ सहाबा के राम इसी इरादा से बाजार जाते थे कसरत से लोग मिलेगें और ज्यादा सलाम करने का मौका मिलेगा ।

★ इस हदीस से मालूम हुआ कि जो लोग हिन्दुओं की तरह हाथ जोड़ कर सलाम करते हैं नाजायज है ।

मस्अला- सलाम का जवाब फ़ौरन देना वाजिब है. बिला उज्र ताख़ीर की तो गुनेहगार हुआ और यह गुनाह जवाब देने से दफ़ा न होगा बल्कि तौबा करनी होगी ।

मस्अला- एक जमात दूसरी जमात के पास आई और किसी ने सलाम न किया तो सब ने सुन्नत को तर्क किया सब पर इलज़ाम है और अगर उनमें से एक ने सलाम कर लिया तो सब बरी हो गये और उफ़ज़ल यह है कि सब ही सलाम करें यूँ ही अगर उनमें से किसी ने जवाब न दिया तो सब गुनहेगार हुए और अगर एक ने जवाब दे दिया तो सब बरी हो गये और अफ़ज़ल यह है कि सब जवाब दें ।

मस्अला- सायल ने दरवाज़े पर सलाम किया उसका जवाब देना वाजिब नहीं, कचहरी में काज़ी जब इजलास कर रहा हो उसको सलाम किया गया काज़ी पर जवाब देना वाजिब नहीं ।

मस्अला- एक शख़्स शहर से आ रहा है दूसरा देहात से दोनों में कौन सलाम करे, बाज़ ने कहा शहरी, देहाती को सलाम करे और बाज़ औल्या फ़रमाते हैं देहाती, शहरी को सलाम करे । एक शख़्स बैठा हुआ है दूसरा यहाँ से गुज़रा तो यह गुज़रने वाला बैठे हुए को सलाम करे और छोटा बड़े को सलाम करे और सवार पैदल को सलाम करे और थोड़े ज़्यादा को सलाम करे, एक शख़्स पीछे से आया यह आगे वाले को सलाम करे ।

मस्अला- मर्द और औरत की मुलाकात हो तो मर्द औरत को सलाम करे और अगर औरत अजनबिया ने मर्द को सलाम किया और वह बूढ़ी हो तो इस तरह जवाब दे कि वह भी सुने और वह जवान हो तो इस तरह जवाब दे कि वह न सुने ।

मस्अला- जब अपने घर में जाये तो घर वालों को सलाम करे, बच्चों के सामने गुज़रे तो उन बच्चों को सलाम करे ।

मस्अला- कुफ़्फ़ार को सलाम न करे और वह सलाम करे तो जवाब दे सकता है मगर जवाब में सिर्फ़ अलैकुम कहे । अगर ऐसी जगह गुज़रना हो जहाँ मुस्लिम व काफ़िर दोनों हो तो अस्सलामो अलैकुम कहे और मुसलमानों पर सलाम का एरादा करे और यह भी हो सकता है कि असल्लामो अलामिनत्तबा अलहुदा कहे ।

मस्अला- काफ़िर को अगर हाजत की वजह से सलाम किया (मसलन सलाम न करने में उससे अन्देशा है) तो हरज नहीं और बक़सद ताज़ीम काफ़िर को हरगिज़ हरगिज़ सलाम न करे कि काफ़िर की ताज़ीम कुफ़्र है ।

मस्अला- सलाम इसलिए है कि मुलाकात करने को जो शख्स आये वह सलाम करे कि ज़ायर और मुलाकात करने वाले की यह तहीयत है लेहाज़ा जो शख्स मस्जिद में आया और हाज़िरीन मस्जिद तिलावते कुरआन व तस्बीह व दुरूद में मशगूल हैं, इन्तिज़ारे नमाज़ में बैठे हैं तो सलाम न करे कि यह सलाम का वक्त नहीं, इसी वास्ते फुकहा यह फ़रमाते हैं कि उनको अख्तियार है कि जवाब दें या न दें हाँ अगर कोई शख्स मस्जिद में इसलिए बैठा है कि लोग उसके पास मुलाकात को आयें तो आने वाले सलाम करें ।

मस्अला- कोई शख्स तिलावत में मशगूल है या दर्स व तदरीस या इल्मी गुफ्तगू या सबक की तकरार में है तो उसको सलाम न करे इसी तरह अज़ान व एकामत व खुतबए जुमा व ईदैन के वक्त सलाम न करे सब लोग इल्मी गुफ्तगू कर रहे हों या एक शख्स बोल रहा है बाकी सुन रहे हों दोनों सूरतों में सलाम न करे मसलन आलिम वाज़ कह रहा है या दीनी मसअला पर तकरीर कर रहा है और हाज़िरीन सुन रहे हैं तो आने वाला शख्स चुपके से आकर बैठ जाये सलाम न करे ।

मस्अला- लोग खाना खा रहे हों उस वक्त कोई आया तो सलाम न करे हाँ अगर यह भूखा है और जानता है कि उसे वह लोग खाने में शरीक कर लेंगे तो सलाम करे यह उस वक्त है कि खाने वाले के मुँह में लुकमा है और वह चबा रहा है कि उस वक्त जवाब देने से आजिज़ है और अगर अभी खाने के लिए बैठा ही है या खा चुका है तो सलाम कर सकता है कि अब वह आजिज़ नहीं ।

मस्अला- जो शख्स ज़िक्र में मशगूल हो उसके पास कोई आया तो सलाम न करे और किया तो ज़ाकिर पर जवाब वाजिब नहीं ।

मस्अला- जो शख्स एलानिया फ़िस्क करता हो उसे सलाम न करे किसी के पड़ोस में फुस्साक़ रहते हैं उनसे अगर यह सख्ती बरतता है तो वह उसको ज़्यादा परेशान करेंगे और अगर नर्मी करता है उनसे सलाम कलाम जारी रखता है तो वह ईज़ा पहुँचाने से बाज़ रहते हैं तो उनके साथ ज़ाहिरी तौर पर मेल जोल रखने में यह माज़ूर है ।

मस्अला- जो लोग शतरंज खेल* रहे हों उनको सलाम किया जाये या न किया जाये जो उलमा सलाम करने को जाइज़ फ़रमाते हैं वह यह कहते हैं कि सलाम इस मकसद से करें कि इतनी देर तक कि वह जवाब देंगे खेल से बाज़ रहेंगे, यह सलाम उनको मअसियत से बचाने के लिए है अगरचे इतनी ही देर तक सही और बाज़ फ़रमाते हैं कि सलाम करना नाजाइज़ है उनका मकसद ज़ज्र व तंबीह है कि इसमें उनकी तज़लील है ।

* यही हुक्म चौसर, ताश, जुआ वगैरह को समझना चाहिए ।

मस्अला- किसी से कह दिया कि फ़ुलां को मेरा सलाम कह देना, उस पर सलाम पहुँचाना वाजिब है, और जब उसने सलाम पहुँचाया तो जवाब यूँ दे कि पहले उस पहुँचाने वाले को उसके बाद उसको जिसने सलाम भेजा है यानी यह कहे वअलैका वअलैहीस्सलाम । यह सलाम पहुँचाना उस वक्त वाजिब है जब उसने उसका इल्तिज़ाम कर लिया हो यानी कह दिया हो कि हाँ तुम्हारा सलाम कह दूँगा कि उस वक्त यह सलाम उसके पास अमानत है जो उसका हक़दार है उसको देना ही होगा वरना बमनज़िला वदीअत है कि उस पर लाज़िम नहीं कि सलाम पहुँचाने जाये इसी तरह हाजियों से लोग यह कह देते हैं कि हुज़ूर अक़दस स०अ०व० के दरबार में मेरा सलाम अर्ज़ कर देना, यह सलाम पहुँचाना भी वाजिब है ।

मस्अला- ख़त में सलाम लिखा होता है उसका भी जवाब देना वाजिब होता है और यहाँ जवाब दो तरह होता है कि यह कि ज़बान से जवाब दे दूसरी सूरत यह है कि सलाम का जवाब लिख कर भेजे । मगर चूँकि जवाबे सलाम फ़ौरन देना वाजिब है जैसा कि ऊपर मज़कूर हुआ तो अगर फ़ौरन तहरीरी जवाब न हो जैसा कि अमूमन यही होता है कि ख़त का जवाब फ़ौरन नहीं लिखा जाता ख़्वाह मख़्वाह कुछ देर होती है तो ज़बान से जवाब फ़ौरन दे दें ताकि ताख़ीर से गुनाह न हो इसी वजह से अल्लामा सैय्यद अहमद तहतावी ने इस जगह फ़रमाया वन्नासो अनहो ग़ाफ़िलून यानी लोग इससे ग़ाफ़िल हैं । आला हज़रत क़िब्ला क़ुद्देसा सिर्रहू जब ख़त पढ़ा करते तो ख़त में जो अस्सलामो अलैकुम लिखा होता है उसका जवाब ज़ुबान से देकर बाद का मज़मून पढ़ते ।

मस्अला- सलाम की मीम को साकिन कहा यानी सलाम अलैकुम जैसा कि अकसर जाहिल इसी तरह कहते हैं, या सलामो अलैकुम, मीम के पेश के साथ कहा इन दोनों सूरतों में जवाब वाजिब नहीं कि यह मसनून सलाम नहीं ।

मस्अला- सलाम इतनी आवाज़ से कहे कि जिसको सलाम किया है वह सुन ले और अगर इतनी आवाज़ न हो तो जवाब देना वाजिब नहीं, जवाबे सलाम में भी इतनी आवाज़ हो कि सलाम करने वाला सुन ले और अगर इतना आहिस्ता कहा वह सुन न सका तो वाजिब साक़ित न हुआ और अगर वह बहरा है तो उसके सामने होंट को जुंबिश दे कि उसकी समझ में आ जाये कि जवाब दे दिया । छींक के जवाब का भी यही हुक्म है ।

★ फ़िस्क़- ख़ुदा की नाफ़रमानी, तैश- बुरा कहना, भड़कना, आलानिया- खुल्लम खुल्ला कहना, तजर [illegible] उठना, मआसियत- गुनाह, तज़लील- रूस्वाई करना, वदीअत- अमानत की चीज़ किसी के पास हिफ़ाज़त के लिए रखी जाये ।

मस्अला- बाज़ लोग सलाम करते वक़्त झुक भी जाते हैं यह झुकना अगर हद्दे रूकूअ तक हुआ तो हराम है और इससे कम हो तो मकरूह है ।

मस्अला- इस ज़माना में कई तरह के सलाम लोगों ने ईजाद कर लिए हैं इनमें सबसे बुरा यह है जो बाज़ लोग कहते हैं बन्दगी अर्ज़ है यह लफ़्ज़ हरगिज़ न कहा जाये, बाज़ आदाब अर्ज़ कहते हैं अगरचा इसमें इतनी बुराई नहीं मगर सुन्नत के खिलाफ़ है, बाज़ लोग तसलीम या तसलीमात अर्ज़ कहते हैं इसको सलाम कहा जा सकता है कि यह सलाम ही के माने में है, बाज़ कहते हैं सलाम इसको भी सलाम कहा जा सकता है यानी अगर किसी ने कहा सलाम तो सलाम कह देने से जवाब हो जायेगा बाज़ लोग इस क़िस्म के हैं कि वह खुद तो क्या सलाम करेंगे अगर उनको सलाम किया जाता है तो बिगड़ते हैं कहते हैं क्या हमें बराबर का समझ लिया है यानी कोई गरीब आदमी सलाम मसनून करे तो वह अपनी कसरेशान समझते हैं और बाज़ यह चाहते हैं कि उन्हें आदाब अर्ज कहा जाये या झुक कर हाथ से इशारा किया जाये ऐसा न करना चाहिए कि यह तरीक़ा खुदा से न डरने वाले मुतकब्बिरीन का है ।

मस्अला- किसी के नाम के साथ अलैहिस्सलाम कहना यह अंबिया व मलायेका अलैहुमुस्सलाम के साथ खास है मसलन मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, जिबराइल अलैहिस्सलाम, नबी फ़रिश्ता के सिवा किसी दूसरे के नाम के साथ यूँ न कहा जाये ।

मस्अला- अक्सर जगह यह तरीक़ा है कि छोटा बड़े को सलाम करता है तो वह जवाब में कहता है जीते रहो यह सलाम का जवाब नहीं है बल्कि यह जवाब जाहिलियत में कुफ़्फ़ार दिया करते थे वह कहते थे हैय्याक अल्लाहो, इस्लाम ने यह बताया कि जवाब में वालैकुमुस्सलाम कहा जाये ।

मुसाफ़हा व मुआनका व बोसा व क्याम

रसूलल्लाह स०अ०स० ने फ़रमाया जब दो मुसलमान मिलकर मुसाफ़हा करते हैं तो जुदा होने से पहले ही उनकी मग़फ़िरत हो जाती है और एक रिवायत

★ हज़रत अबूहुरैरा अर्ज़ करते हैं मैं रसूलल्लाह स०अ०स० के साथ हज़रत फ़ातमा रज़ी अल्लाहो अन्हा के घर गया, हुज़ूर ने हज़रत हसन रज़ी०अ०अ० को दरियाफ़्त किया कि वह यहीं है थोड़ी देर बाद वह दौड़ते हुए आये और हुज़ूर ने उन्हें गले लगाया और वह भी चिपट गये फिर फ़रमाया ऐ अल्लाह मैं इसे महबूब रखता हूँ तू भी उसे महबूब बना ले, जो इसे महबूब रखे । नबी करीम ने जाफ़र बिन अबी तालिब र०अ०अ० का इस्तेक़बाल और उनसे मुआनका फ़रमाया और दोनों आंखों के दरमियान बोसा दिया ।

★★ मुसाफ़हा हाथ मिलाना, गले मिलना, बोसा चूमना, क़ियाम खड़ा होना ।

में है जब दो मुसलमान मिलें और मुसाफ़ा करें और अल्लाह की हम्द करें और इस्तेग़फ़ार करें तो दोनों की मग़फ़ेरत हो जायेगी ।

मस्अला- मुसाफ़ा सुन्नत है और उसका सुबूत तो तवातुर से है और अहादीस में इसकी बड़ी फ़ज़ीलत आई है एक हदीस में यह है कि जिसने अपने मुसलमान भाई से मुसाफ़ा किया और हाथ को हरकत दी उसके तमाम गुनाह गिर जायेंगे जितनी बार मुलाक़ात हो हर बार मुसाफ़ा करना मुस्तहब है ।

मस्अला- मुसाफ़ा यह है कि एक शख़्स अपनी हथेली दूसरे की हथेली से मिलाये फ़क़त उंगलियों के छूने का नाम मुसाफ़ा नहीं है सुन्नत यह है कि दोनों हाथों से मुसाफ़ा किया जाये, और दोनों के हाथों के दरमियान कपड़ा वग़ैरह कोई चीज़ हायल न हो ।

मस्अला- मुआनका करना भी जायज़ है जबकि ख़ौफ़ फ़ितना और अन्देशा शहवत न हो चाहिए कि जिससे मुआनक़ा किया जाये वह सिर्फ़ तहबन्द या फ़क़त पाजामा पहने हुए न हो बल्कि कुर्ता या अंचकन भी पहने हुए हो या चादर ओढ़े हो यानी कपड़ा हायल हो । हदीस से साबित है कि रसूल्लाह स०अ०स० ने मुआनका किया ।

मस्अला- बाद नमाज ईदैन मुसलमानों में मुआनक़ा का रिवाज है और यह भी इज़हारे ख़ुशी का एक तरीक़ा है, वह मुआनक़ा भी जायज़ है जबकि महल्ले फ़ितना न हो मस्लन अमरद ख़ूबसूरत से मुआनका करना कि यह महले फ़ितना है ।

मस्अला- बोसा देना अगर बशहवत हो तो नाजायज़ है और अगर इकराम व ताज़ीम के लिए हो तो हो सकता है । पेशानी पर बोसा भी इन्हीं शरायत के साथ जायज़ है । हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहोताला अन्हो ने हुज़ूर अक़दस स०अ०स० की दोनों आंखों के दरमियान बोसा दिया और सहाबा व ताबाईन र०अ० अन्हुम से भी बोसा देना साबित है ।

मस्अला- आलिमे दीन और बादशाहे आदिल के हाथ को बोसा देना जायज़ है बल्कि क़दम चूमना भी जायज़* है बल्कि अगर किसी ने आलिम दीन से यह ख़्वाहिश की कि आप अपना हाथ या क़दम मुझे दीजिए कि मैं बोसा दूँ तो उसके कहने के मुताबिक वह आलिम अपना हाथ पाँव बोसा के लिए उसकी तरफ़ बढ़ा सकता है ।

★ अबू दाऊद ने ज़ारअ रज़ी०अ०अ० से रिवायत की कि जब कबीला अब्दुल कैस का वफ्द हुज़ूर की ख़िदमत में आया यह भी उस वफ्द में थे यह कहते हैं कि जब हम मदीना में पहुचे अपनी मंज़िलों से जल्दी जल्दी हुज़ूर की ख़िदमत में हाज़िर होते और हुज़ूर के दस्ते मुबारक व पाये मुबारक को बोसा देते ।

मस्अला- सजदेय तहैयत यानी मुलाक़ात के वक़्त बतौर इकराम किसी को सजदह करना हराम है और अगर बक़स्दे इबादत हो तो सजदह करने वाला काफ़िर है कि ग़ैरे खुदा की इबादत कुफ्र है ।

मस्अला- मुलाकात के वक़्त झुकना मना है यानी इतना झुकना कि हद्दे रूकूअ तक हो जाये ।

मस्अला- आने वाले की ताज़ीम के लिए खड़ा होना जायज़ बल्कि मनदूब है, जबकि ऐसे कि ताज़ीम के लिए खड़ा हो जो मुस्तहिके ताज़ीम है मस्लन आलिमे दीन की ताज़ीम को खड़ा* होना कोई शख्स मस्जिद में बैठा है या कुरान मजीद पढ़ रहा है और ऐसा शख्स आ गया जिसकी ताज़ीम करनी चाहिए, तो इस हालत में भी ताज़ीम को खड़ा हो सकता है ।

छींक व जमाही का बयान

रसूलूल्लाह स०अ०स० ने फ़रमाया अल्लाहताला को छींक पसन्द है और जमाही नापसन्द है, जब कोई शख्स छींके और अल्हम्दोल्लिाह कहे तो जो मुसलमान उसको सुने उस पर यह हक़ है कि यरहमक अल्लाह कहे । जमाही शैतान की तरफ से है, जब किसी को जमाही आये तो जहाँ तक हो सके उसे दफ़अ करे, क्योंकि जब जमाही लेता है तो शैतान हंसता है यानी खुश होता है क्योंकि यह कस्ल और गफ़लत की दलील है ऐसी चीज़ को शैतान पसन्द करता है और एक रिवायत में है जब वह हा कहता है शैतान हंसता है ।

मस्अला- जब किसी को जमाही आये तो मुंह पर हाथ** रख ले ।

मस्अला- छींक और ढकार में आवाज़ बुलन्द न करना*** चाहिए ।

मस्अला- छींक का जवाब एक मरतबा वाजिब है दोबारा छींक आई और उसने अल्हमदोलिल्लाहे रब्बिल आलमीन कहा तो दोबारा जवाब वाजिब नहीं बल्कि मुस्तहब है ।

मस्अला- जिसको छींक आये उसे अलहमदो लिल्लाह कहना चाहिए और

---

* हजरत अबू हुरेरा रज़ी०अ०अ० कहते हैं कि रसूलल्लाह स०अ०स० मस्जिद मे बैठ कर हमसे बातें करते जब हुजूर खड़े होते हम भी खड़े हो जाते और इतनी देर खड़े रहते कि हुजूर को देख लेते कि बाज़ अज़वाजे मुतहरात के मकान में तशरीफ ले गये ।

** मुस्लिम शरीफ में अबू सईद खुदरी रजी अ०ता०अ० से मरवी है कि जब किसीको जमाही आये तो मुंह पर हाथ रख ले क्योंकि शैतान मुंह मे घुस जाता है ।

*** रसूल्लाह स०अ०स० ने फरमाया जब किसी को ढकार या छींक आये तो आवाज़ बुलन्द न करे कि शैतान को यह बात पसन्द है कि इनमे आवाज़ बुलन्द की जाये ।

बेहतर यह है कि अलहमदो लिल्लाहे रब्बिल अलमीन कहे जब उसने अलहमदो लिल्लाह कहा तो सुनने वाले पर उसका जवाब देना वाजिब हो गया और अगर न कहा तो जवाब नहीं. एक मजलिस में कई मरतबा किसी को छींक आई तो सिर्फ तीन बार तक जवाब देना वाजिब है उसके बाद चाहे जवाब दे चाहे न दे ।

मस्अला- जिसको छींक आये वह कहे अलहमदो लिल्लाहे रब्बिल अलमीन या यह अलहमदो लिल्लाहे अलाकुल्लेहाल कहे और इसके जवाब में दूसरा कहे यरहमकाल्लाहो फिर छींकने वाला कहे यगफ़रुल्लाहे लनाव लकुम कहे या यहदी कुमुल्लाहो व युसलेहो बालकुम कहे इसके सिवा दूसरी बात न कहे ।

मस्अला- औरत को छींक आई अगर वह बूढ़ी है तो मर्द उसका जवाब दे अगर जवान है तो इस तरह जवाब दे कि वह न सुने. मर्द को छींक आई और औरत ने जवाब दिया अगर औरत जवान है तो मर्द उसका जवाब अपने दिल में दे और बूढ़ी है तो जोर से जवाब दे सकता है ।

मस्अला- खुतबा के वक्त किसी को छींक आये तो सुनने वाला जवाब न दे ।

मस्अला- काफिर को छींक आई उसने अलहमदो लिल्लाह कहा तो उसके जवाब में यहदी कल्लाहो कहा जाये ।

मस्अला- छींकने वाले को चाहिए कि ज़ोर से अलहमदो लिल्लाह कहे ताकि कोई सुने और जवाब दे छींक का जवाब एक ने दे दिया तो सबकी तरफ से हो गया, लेकिन बेहतर यह है सब सुनने वाले जवाब दें ।

मस्अला- छींकने वाले से पहले ही सुनने वाले ने अलहमदो लिल्लाह कहा तो एक हदीस में है कि वह शख्स दांतों और कानों के दर्द और तुखमा से बचा रहेगा और एक हदीस में है कि कमर के दर्द से बचा रहेगा ।

मस्अला- छींक के वक्त सिर झुका ले और मुंह छुपा ले और आवाज़ को नीची करे ज़ोर से छींकना हमाकत है ।

फायदा- हदीस में है कि बात के वक्त छींक आ जाना शहिदे अदल है । (सच्चा गवाह)

मस्अला- बहुत से लोग छींक को बदफ़ाली खयाल करते हैं जैसे काम को जा रहा है किसी को छींक आ गयी तो समझते हैं अब यह काम पूरा न होगा, यह जहालत है इसलिए की बदफ़ाली कोई चीज़ नहीं और फिर ऐसी चीज़ को बदफ़ाली कहना जिसको हदीस में शाहिदे अदल फरमाया, सख्त गल्ती* है ।

★ हजरत अनस कहते हैं जनाब रसूल्लाह स०अ०स० ने फरमाया सच्ची बात यह है कि उस वक्त छींक आ जाये । और हजरत अबू हरैरा रजी अ०अ० कहते हैं कि फरमाया हुजूर स०अ०स० ने कि जब कोई बात की जाये और छींक आ जाये तो वह हक है ।

हजामत्त और खतना

जनाब रसूल्लाह स०अ०स० ने फ़रमाया पांच चीजें नबियों (अलैहुमस्सलाम) की सुन्नत से है । खतना करना और मूये जेरे नाफ़ मूंढना और मूछें कम करना और नाख़ून तरशवाना और बगल के बाल उखेड़ना ।

मस्अला- जमुआ के दिन नाख़ून तरश्वाना मुस्तहब है हा अगर ज़्यादा बढ़ गये हों तो जुमा का इन्तज़ार न करे कि नाख़ून बड़ा होना अच्छा नहीं, क्योंकि नाख़ून का बड़ा होना तंगीऐ रिज़्क का सबब है एक हदीस जईफ़ में है कि हुज़ूरे अकदस स०अ०स० जुमा के दिन नमाज़ के लिए जाने से पहले मूछें कतरवाते और नाख़ून तरश्वाते ।

नाखून कटाने का तरीका

दाहिने हाथ की कलमा की ऊंगली से शुरू करे और छोटी ऊंगली पर खतम करे, फिर बायें की छोटी ऊंगली से शुरू कर के अंगूठे पर खत्म करे उसके बाद दाहिने हाथ के अंगूठे का नाख़ून कटवाये । इस तरह पर कि दाहिने ही हाथ से शुरू हो और दाहिने पर खत्म भी हो, और पांव के नाख़ून कटाने में दाहिने पाव की छोटी ऊंगलीसे शुरू करके अगूठे पर खत्म करे । फिर बायें पाव के अंगूठे से शुरू करके छोटी पर खत्म करें ।

मस्अला- दांत से नाख़ून न कुटकना चाहिए कि मकरूह है और इसमें बर्स पैदा होने का डर है ।

मस्अला- मुजाहिद जब दारूल हरब में हो तो उनके लिए मुस्तहब है कि नाख़ून व मूछें बढ़ी रखे कि उनकी यह शक्ल डरावनी देख कर कुफ़्फ़ार पर रौब तारी हो ।

मस्अला- हर जुमा को अगर नाख़ून न तरसवाये तो पन्द्रहवे दिन तरसवाये और इसकी इन्तहाई मुद्दत चालीस दिन से ज्यादा होना मना* है ।

मस्अला- नाफ़ के नीचे के बाल दूर करना सुन्नत है । हर हफ्ता में नहाना बदन को साफ़ सुथरा रखना और नाफ़ के नीचे के बाल दूर करना

★ रसूल्लाह स०अ०स० ने फ़रमाया जो मूए जेरे नाफ़ को न मूंढे और नाख़ून न तराशे और मूछें न काटे वह हम में से नहीं, यानी हमारे तरीका पर नहीं । हजरत अनस रजी अ०अ० कहते है कि मूछे और नाख़ून तरशवाने और बगल के बाल उखाड़ने और मूऐ जेरे नाफ मूंढते है हमारे लिए यह वक्त मुकर्रर किया गया है कि चालीस दिन से ज्यादा न छोड़े यानी चालीस दिन के अन्दर इन कामों को जरूर कर ले । रसूल्लाह स०अ०स० ने फरमाया मूछे कटवाओ, दाढ़िया लटकाओ मजूसियो की मुखालफ़त

मुस्तहब है और बेहतर जुमे का दिन है और पन्द्रहवें रोज़ भी करना जायज़ है और चालीस रोज़ से ज़ियादा गुज़ार देना मकरूह व ममनूअ है नाफ़ के नीचे के बाल उस्तरे से मूंडना चाहिए और उसको नाफ़ के नीचे से शुरू करना चाहिए और अगर मूंढने की जगह हड़ताल, चूना या इस ज़माना में बाल उड़ाने का साबुन चला है उससे दूर करे यह भी जायज़ है । औरत को यह बाल उखेड़ डालना सुन्नत है ।

मस्अला- नाक के बाल न उखाड़े कि इससे मर्ज़ आकला पैदा होने का डर है ।

मस्अला- जनाबत की हालत में न बाल मुंडाये न नाखुन तरशवाये कि यह मकरूह है ।

मस्अला- भौं के बाल अगर बड़े हो गये तो उनको तरश्वा सकते हैं चेहरा के बाल लेना भी जायज़ है जिसको खत बनवाना भी कहते है, सीना और पीठ के बाल मूंढना या कतरवना अच्छा नहीं, हां पांव पेट पर से बाल दूर कर सकते हैं ।

दाढ़ी और मूंछ का बयान

मस्अला- दाढ़ी बढ़ाना नबियों की सुन्नत है मुंढाना या एक मुश्त से कम करना हराम है हां एक मुश्त से ज़ायद हो जाये तो जितनी ज़्यादा है उसको कटवा सकते हैं ।

मस्अला- बच्ची के अगल बगल के बाल मूंढना या उखेड़ना बिदअत है ।

मस्अला- मूछों को कम करना सुन्नत है इतनी कम करें कि अबरू कि मिस्ल हो जाये यानी इतनी कम हों कि ऊपर वाले होंट के बालाई हिस्सा से न लटके । और एक रिवायत में मुंढाना आया है ।

मस्अला- मूछों के दोनों किनारों के बाल बड़े बड़े हों तो हरज नहीं बाज़ सलफ़ की मूछें इस क़िस्म की थीं ।

मस्अला- दाढ़ी चढ़ाना या उसमें गिरह लगाना जिस तरह सिख वग़ैरह करते है नाजायज़ है, इस ज़माना में मूंछ में तरह तरह की तराश ख़राश की जाती है, बाज़ दाढ़ी मूंछ का बिलकुल सफ़ाया करा देते हैं बाज़ लोग मूछों की दोनों जानिब मूंढ कर बीच में ज़रा सी बाक़ी रखते है जैसे मालूम होता है नाक के नीचे दो मक्खियां बैठी है । किसी की दाढ़ी फ़्रेंच कट किसी की करज़न फ़ैशन होती है यह जो कुछ हो रहा है सब नसारा की इत्तेबा और तक़लीद में हो रहा है । मुसलमानों के जज़बाते ईमानी इतने ज़्यादा कमज़ोर हो गये है कि वह अपने वक़ार व श्यार को खोते हुए चले जाते है उनको इस बात का

एहसास नहीं होता कि हम क्या थे और क्या हो गये जब उनकी बेहिसी इस दर्जा बढ़ गयी और हम्मीयत और ग़ैरते ईमानी यहां तक कम हो गयी कि दूसरी क़ौमों में जज़्ब होते जात है पामर्दी और इस्तेक़लाल के साथ इस्लामी रवायत व एहकाम की पाबन्दी नहीं करते तो उनसे क्या उम्मीद हो सकती है कि इस्लामी एहकाम का एहतेराम करायेंगें और हुक़ूक़ मुस्लमीन की पाबन्दी करेंगें मस्लिम के हर फ़र्द को तालीमात इस्लाम का मुजस्सेमा होना चाहिए, एख़लाक़े सल्फ़ सालेहीन का नमूना होना चाहिए इस्लामी शआर की हिफ़ाज़त करनी चाहिए ताकि दूसरी क़ौमों पर इसका असर पड़े ।

मस्अला- बाज़ दाढ़ी मुन्डे यहां तक बेबाक होते हैं कि वह दाढ़ी का मज़ाक उड़ाते है, शरिअत के मुताबिक दाढ़ी रखने पर फपतियां कसते हैं दाढ़ी मुढ़ाना हराम था गुनाह था मगर यह तो सोचो यह तुमने किस चीज़ का मज़ाक़ उड़ाया किस की तौहीन व तज़लील की, इस्लाम की हर बात अटल है और उसके तमाम उसूल व फ़रोअ मजबूत है इनमें किसी बात को बुरा बताना इस्लाम का ऐब लगाना है तुम खुद सोचो तो जो कुछ इसका नतीजा है वह तुम पर वाज़ेह हो जायेगा किसी से पूछने की ज़रूरत न पड़ेगी ।

मस्अला- मर्द को अख्तियार है कि सिर के बाल मुढ़ाये या बढ़ायें और मांग निकाले । हुज़ूर अकदस स०अ०स० से दोनों चीजें साबित है अगरचा मुढ़ाना सिर्फ़ एहराम से बाहर होने के वक़्त साबित है व दीगर औक़ात में मुढ़ाना साबित नहीं, हां बाज़ सहाबा से मुढ़ाना साबित है मसलन हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्ह बतौर आदत मुढ़ाया करते थे हुज़ूर अकदस स०अ०स० के मूऐ मुबारक कभी निस्फ़ कान तक कभी कान की लौ तक होते और जब बढ़ जाते तो शानये मुबारक तक छू जाते और हुज़ूर बीच सिर में मांग निकालते ।

मस्अला- मर्द को यह जायज नहीं कि औरतों की तरह बाल बढ़ाये बाज़ सूफ़ी बनने वाले लम्बी लम्बी लटे बढ़ा लेते हैं चूंकि उनके सीने पर सांप की तरह लहराती है और बाज़ चोटियां बांधते है या जूड़े बना लेते है यह सब ना जायज़ काम और खिलाफ़े शरअ है, तसव्वुफ़ बालों के बढ़ाने और रंगे हुए कपड़े पहनने का नाम नहीं, बल्कि हुज़ूरे अकदस स०अ०स० की पूरी पैरवी करने और ख्वाहिशात नफ़्स को मिटाने का नाम है ।

मस्अला- सफ़ेद बालों को उखाड़ना या क़ैची से चुन कर निकलवाना मकरूह है हां मुजाहिद अगर इस नियत से ऐसा करे कि कुफ़्फ़ार पर रोब तारी हो तो जायज़ है । आजकल सिर पर गुफाफा रखने का रिवाज बहुत ज़्यादा हे गया है कि सब तरफ़ से बाल नेहायत छोटे छोटे और बीच में बड़े होते हैं यह भी नसारा की तक़लीद में है और नाजायज़ है । फिर इन बालों में बाज़ दाहिने या बायें जानिब मांग निकालते हैं यह भी सुन्नत के खिलाफ़ है, सुन्नत यह है कि बाल हो तो बीच से मांग निकाली और बाज़ मांग नहीं निकालते

सीधे रखते हैं यह भी सुन्नत मनसूख़ा है और यहूद व नसारा का तरीक़ा है जैसा कि अहादीस में मज़कूर है ।

मस्अला- एक तरीक़ा यह भी है कि न पूरे बाल रखते हैं न मुंढाते हैं बल्कि कैंची या मशीन से बाल कतरवाते है यह नाजायज़ नहीं मगर अफ़ज़ल व बेहतर वही है कि मुंढ़वायें या बाल रखें ।

मस्अला- औरतों के सिर के बाल कटवाने जैसा इस ज़माना में फ़िरंगी औरतों ने कटवाने शुरू कर दिये नाजायज़ व गुनाह है और इस पर लानत आई है शौहर ने ऐसा करने को कहा जब भी यही हुक्म है कि औरत ऐसा करने मे गुनेहगार होगी, क्योंकि शरीअत की नाफ़रमानी करने में किसी का कहना नहीं माना जायेगा सुना है बाज़ मुसलमान घरों में भी औरतों के बाल कटवाने की बला आ गयी है ऐसी पर कैंच औरतें देखने में लौंडा मालूम होती है और हदीस में फ़रमाया कि जो औरत मर्दाना हैबत मे हो उस पर अल्लाह की लानत है, जब बाल कटवाना औरत के लिए नाजायज़ है तो मुंडाना बदर्जा ऊला ना जायज़ कि यह भी हिन्दोस्तान के मुशरेकीन का तरीक़ा है कि जब उनके यहां कोई मर जाता है या तीर्थ को जाती है तो बाल मुंढवा देती है ।

मस्अला- तरशवाने या मुंढाने में जो बाल निकले उन्हें दफ़न कर दे, इसी तरह नाखून का तराशा भी, पाखाना या गुसलखाना में उन्हें डाल देना मकरूह है कि इससे बीमारी पैदा होती है मूये ज़ेरे नाफ़ का ऐसी जगह डाल देना कि दूसरों की नज़र पड़े नाजायज़ है ।

मस्अला- चार चीज़ों के मुतालिक हुक्म है कि दफ्न कर दी जाये, बाल, नाखून, हैज़ का लत्ता, खून ।

खतना का बयान

खतना सुन्नत है । और शआरे इस्लाम में है कि मुस्लिम व गैर मुस्लिम में इससे इमतियाज़ होता है इसीलिए उर्फ़ आम में इसको मुसलमानी कहते है रसूल्लाह स०अ०स० ने फ़रमाया कि हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना खतना किया उस वक़्त उनकी उम्र शरीफ़ अस्सी वर्ष की थी ।

मस्अला- खतना की मुद्दत सात साल से बारह साल की उम्र तक है और बाज़ ओलमा ने यह फ़रमाया कि पैदाइश से सातवे दिन के बाद खतना करना जायज़ है ।

मस्अला- लड़के की खतना कराई गयी मगर पूरी खाल नहीं कटी अगर निस्फ़ से ज़ायद कट गयी है तो खतना हो गई बाक़ी को काटना ज़रूरी नहीं

और अगर निस्फ़ या निस्फ़ से ज़ायद बाकी रह गयी तो नहीं हुई यानी फिर से होनी चाहिए ।

मस्अला- बूढ़ा आदमी मुशरफ़ बइस्लाम हुआ जिसमें खतना कराने की ताक़त नहीं तो खतना कराने की हाजत नहीं, बालिग शख्स मुशरफ़ बइस्लाम हुआ अगर वह खुद ही अपनी मुस्लमानी कर सकता है तो अपने हाथ से कर ले वरना नहीं हां अगर मुमकिन हो कि कोई औरत जो खतना करना जानती हो उससे निकाह करे तो निकाह करके उससे खतना कराये ।

मस्अला- खतना कराना बाप का काम है वह न हो तो उसका वसी उसके बाद दादा फिर उसके वसी का मरतबा है मामूं और चचा या उनके वसी का यह काम नहीं, हां अगर बच्चा उनकी तरबिअत व अयाल में हो तो कर सकते हैं ।

मस्अला- औरतों के कान छिदवाने में हर्ज नहीं, इसलिए कि ज़माना रेसालत में कान छिदते थे, और इस पर इन्कार नहीं । बल्कि कान छिदवाने का सिलसिला अब तक जारी है, सिर्फ़ बाज़ लोगों ने फिरंगी औरतों की तक़लीद में मौक़ूफ़ कर दिया, जिनका एतबार नहीं ।

मस्अला- इनसान को खसी करना हराम है इसी तरह हिजड़ा करना भी, घोड़े को खसी करने में एखतेलाफ़ है, सही यह है कि जायज़ है, दूसरे जानवरों के खसी करने में अगर फ़ायदा हो, मसलन उस का गोश्त अच्छा होगा या खसी न करने में शरारत करेगा लोगों को ईज़ा पहुचायेगा इन्ही मसालेह की बिना पर बकरे और बैल वग़ैरह को खसी किया जाता है यह जायज़ है और अगर मुनफ़अत या दफ़ा ज़रर दोनों बाते न हों तो खसी करना हराम है ।

ज़ीनत का बयान

हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहताला अन्हा कहती है कि हुज़ूर को मै नेहायत उमदा खुशबू लगाती थी, यहां तक कि उसकी चमक हुज़ूर के सिर मुबारक और दाढ़ी में पाती थी । रसूल्लाह स०अ०स० कसरत से सिर में तेल डालते और दाढ़ी में कंघा करते, रसूल्लाह स०अ०स० ने फ़रमाया जिसके बाल हो उनका इकराम करे यानी उनको धोये, तेल लगाये, कंघा करे, रसूल्लाह स०अ०स० ने रोज कंघा करने से मना फ़रमाया वह नहीं तनज़ोही है और मक़सद यह है कि मर्द को बनाओ सिंगार में मशगूल न रहना चाहिए । रसूल्लाह स०अ०स० ने फ़रमाया कि असमद पत्थर का सुर्मा लगाओ कि वह निगाह को जिलाता है और पलक के बाल उगाता है, हुज़ूर के यहां सुर्मादानी थी जिससे हर शब रात में सुर्मा लगाते थे, तीन सलाईयां इस आंख में तीन उस आंख में ।

मस्अला- इंसान के बालों की चोटी बना कर औरत अपने बालों में गूधें यह हराम है । हदीस में इस पर लानत आई है बल्कि इस पर भी लानत

जिसने किसी दूसरी औरत के सर में ऐसी चोटी गूंधी और अगर वह बाल जिसकी चोटी बनाई गई, खुद उसी औरत के है जिसके सर में जोड़ी गयी जब भी नाजायज़ और अगर उन या स्याह धागे की चोटी बना कर लगाये तो उसकी मुमानियत नहीं, स्याह कपड़े का मुबाफ़ बनाना जायज़ है, और कुलावा में तो असलन हर्ज नहीं कि यह बिलकुल मुम्ताज होता है, इसी तरह गोदने वाली और गोदवाने वाली या रेती से दांत रेत कर खूबसूरत करने वाली या दूसरी औरत के दांत रेतने वाली या मोचने से अबरू के बालों को नोच कर खूबसूरत बनाने वाली और जिसने दूसरी के बाल नोचे उन सब पर हदीस में लानत आई है ।

मस्अला- लड़कियों के कान नाक छेदना जायज़ है और बाज़ लोग लड़कों के भी कान छिदवाते हैं दुरिया पहनाते हैं यह नाजायज़ है यानी कान छिदाना भी नाजायज़ है और उसे ज़ेवर पहनाना भी ना जायज़ है ।

मस्अला- औरतों को हाथ पावं में मेहन्दी लगाना जायज़ है कि यह ज़ीनत की चीज़ है बिला ज़रूरत छोटे बच्चों के हाथ पावं में मेहन्दी न लगाना चाहिए । लड़कियों के हाथ पावं में लगा सकते हैं जिस तरह उन को ज़ेवर पहना★ सकते हैं ।

मस्अला- पत्थर का सुर्मा इस्तेमाल करने में हर्ज नहीं और स्याह सुर्मा या काजल बकस्द ज़ीनत मर्द को लगाना मकरूह है और ज़ीनत मक़सूद न हो तो कराहत नहीं ।

मस्अला- मकान में ज़ी रूह (जानदार) की तस्वीर लगाना जायज़ नहीं और ग़ैर ज़ी रूह की तस्वीर से मकान आ रास्ता करना जायज़ है, जैसा कि तुगरा और कतबों से मकान सजाने का रिवाज है★★ ।

मस्अला- स्याह खिज़ाब लगाना जायज़ नहीं, मेहन्दी और कतम का खिज़ाब लगाना चाहिए ।

★ रसूलल्लाह स०अ०स० के पास एक मुखन्नस हाज़िर लाया गया जिसने अपने हाथ, पांव मेहन्दी से रंगे थे, इरशाद फरमाया इनका क्या हाल है (यानी इसने क्यों मेहन्दी लगाई है) लोगों ने अर्ज किया यह औरतों से मुशाबहत करता है । हुज़ूर ने हुक्म फरमाया इसको शहर बदर करार दिया गया मदीना से निकाल कर नकीअ को भेज दिया गया ।

★★ रसूलल्लाह स०अ०स० ने फरमाया कि आखिर ज़माना में कुछ लोग होंगे जो स्याह खिजाब करेंगे, जैसे कबूतर के पोटे, वहलोग जन्नत की खुशबू नहीं पायेंगे और फरमाया सबसे अच्छी चीज जिससे सफेद बालों का रंग बदला जाये मेहन्दी या कतम है यानी मेहन्दी लगाई जाये या कतम । मोमिन का खिजाब जर्दी है और मुस्लिम का खिजाब सुर्खी है और काफिर का खिजाब स्याही है ।

कसब का बयान

बुखारी की हदीस में है कि रसूल्लाह स०अ०स० ने फ़रमाया कि लोगों पर एक ज़माना ऐसा आयेगा कि आदमी परवाह भी न करेगा कि इस चीज़ को कहां से हासिल किया है, हलाल से या हराम से यानी हराम से बचने और हलाल तलाश करने की कुछ परवाह न होगी हालांकि हलाल ज़रिया से माल हासिल करना फ़र्ज़ है* और हराम खाना हराम है दोज़ख में जलने का सबब** है हराम खाने वाले की दुआ कुबूल*** नहीं होती इसलिए हलाल कमाई के बारे में कुछ ज़रूरी मसायल लिख जाते हैं ।

मस्अला- इतना कमाना फ़र्ज़ है जो अपने लिये और अहले अयाल के लिए और जिनका नफ़क़ा उसके ज़िम्मे वाजिब है उनके नफ़क़ा के लिए और अदाये दैन के लिए केफ़ायत कर सके इसके बाद उसे अख्तियार है कि इतने पर ही बस करे या अपने और अहले अयाल के लिए कुछ पसमांदा रखने की भी सई व कोशिश करे । मां बाप मोहताज व तंगदस्त हों तो फ़र्ज़ है कि कमा कर उन्हें बकदरे केफ़ायत दे ।

मस्अला- कदरे किफ़ायत से ज़्यादा इसलिये कमाता है कि फ़ुक़रा व मसकीन की खबरगीरी कर सकेगा या अपने करीबी रिश्तादारों की मदद करेगा, यह मुस्तहब है और यह नफ़िल इबादत से अफ़ज़ल है, और अगर इसलिए कमाता है कि माल व दौलत ज़्यादा होने से मेरी इज़्ज़त व वकार में इज़ाफ़ा होगा, फ़खर व तकब्बुर मक़सूद न हो तो यह मुबाह है, और अगर महज़ माल की कसरत या तफ़ाखुर मक़सूद है तो मना है ।

मस्अला- जो लोग मस्जिद और खानकाहों में बैठ जाते हैं और बसर औक़ात के लिए कुछ काम नहीं करते और अपने को मुत्तवक्कल बताते हैं हालांकि उनकी निगाहें उसकी मुनताज़िर रहती हैं कि कोई हमें कुछ दे जाये वह मुत्तवक्कल नहीं, इससे अच्छा यह था कि कुछ काम करते उससे बसर औक़ात करते इसी

---

* रसूलल्लाह स०अ०स० ने फरमया हलाल कमाई की तलाश भी फ़रायज के बाद एक फ़रीज़ा है ।

** रसूल्लाह स०अ०स० ने फ़रमाया जो गोश्ते हराम से उगा है जन्नत में दाखिल न होगा, और जो गोश्ते हराम से उगा है उसके लिए आग ज़्यादा बेहतर है ।

*** रसूलल्लाह स०अ०स० फरमाते है एक शख्स लम्बा सफ़र करता है जिसके बाल बिखरे हैं और बदन गर्द से अटा है (यानी उसकी हालत ऐसी है कि जो दुआ करे कुबूल हो) वह आसमान की तरफ़ हाथ उठा कर या रब या रब कहता है (यानी दुआ करता है) मगर हालत यह है कि उसका खाना हराम, पीना हराम, लेबास हराम, गिज़ा हराम, फिर उसकी दुआ क्यों कर कुबूल हो यानी अगर चाहते हो कि यह दुआ कुबूल हो तो हलाल कमाई खाओ, बगैर इसके कुबूले दुआ के असबाब बेकार है ।

तरह आजकल बहुत से लोगों ने पीरी मुरीदी को पेशा बना लिया है, सालाना मुरीदों मे दौरा करते हैं और मुरीदों में तरह तरह से रक्में खसीटते हैं, जिसको नज़राना वगैरह नामों से मौसूम करते हैं और उनमें बहुत से ऐसे भी है जो झूठ और फ़रेब से भी काम लेते हैं यह ना जायज़ है ।

मस्अला- सबसे अफ़ज़ल कसब जेहाद है यानी जेहाद में जो माले ग़नीमत हासिल हुआ मगर यह ज़रूर है कि उसने माल के लिये जेहाद न किया हो बल्कि एलाए कलम—तुल्लाह मक़सूद असली हो, जेहाद के बाद तेजारत फिर ज़राअत फिर सिनअत व हिरफ़त का मर्तबा है ।

मस्अला- चरखा कातना औरतों का काम है, मर्द को चरखा कातना मकरूह है ।

मस्अला- जिस शख्स ने हराम तरीक़ा से माल जमा किया और मर गया वरसा को अगर मालूम हो कि फ़ंला फ़ंला के यह अम वाल हैं तो उनको वापस कर दें और मालूम न हो तो सदक़ा कर दें ।

मस्अला- अगर माल में शुबहा हो तो ऐसे माल को अपने करीबी रिश्तादार पर सदक़ा कर सकता है । यहां तक कि बाप या बेटा को दे सकता है, इस सूरत में यही ज़रूरी नहीं कि अजनबी ही को दे ।

अम्र बिलमआरूफ व नहींअनिल मुनकर का बयान

अल्लाह ताला फ़रमाता है, तुममें एक ऐसा गिरोह होना चाहिए, जो भलाई की तरफ़ बुलाये, और अच्छी बात का हुक्म दे, और बुरी बात से मना करे, और यही लोग फ़लाह पाने वाले है (पारा४ रूकूअ२ आयत३) और रसूलल्लाह स०अ०स० ने फरमाया तुम में से जो शख्स बुरी बात देखे उसे अपने हाथ से बदल दे, और अगर ईसकी इस्तताअत न हो तो जबान से बदले और इसकी भी इस्तेतात न हो तो दिल से यानी उसे दिल से बुरा जाने और यह कमज़ोर ईमान वाला है और फ़रमाया क़सम है उसकी जिसके हाथ में मेरी जान है या तो अच्छी बात का हुक्म करोगे और बुरी बात से मना करोगे या अल्लाह ताला तुम पर जल्द अपना अज़ाब भेजेगा, फिर दुआ करोगे और तुम्हारी दुआ क़बूल न होगी, और फ़रमाया जिस क़ौम में गुनाह होते हैं और वह लोग बदलने पर क़ादिर हो फिर न बदले तो करीब है कि अल्लाह ताला सब पर अज़ाब भेजे और फ़रमाया चन्द मख़सूस लोगों के अमल की वजह से अल्लाह ताला सब लोगों को अज़ाब नहीं करेगा मगर जब कि वहाँ बुरी बात की जाये और वह लोग मना करने पर क़ादिर हों और मना न करें, तो अब आम व खास सब को अज़ाब होगा, और फ़रमाया ज़ालिम के पास हक़ बात बोलना अफ़ज़ल जेहाद है ।

उम्र बिल मारूफ़ यह है कि किसी को अच्छी बात का हुक्म देना, जैसे किसीको नमाज पढ़ने को कहना और नही अनिलमुनकर का मतलब यह कि बुरी बातों से मना करना, यह दोनों काम फर्ज हैं ।

मस्‌अला- मआसियत का एरादा किया मगर उसको किया नहीं तो गुनाह नहीं, बल्कि उस पर भी एक क़िस्म का सवाब है, जबकि यह समझ कर बाज़ रहा कि यह गुनाह का काम है नहीं करना चाहिए । अहादीस से ऐसा ही साबित है और अगर गुनाह के काम का बिलकुल पक्का इरादा कर लिया, जिसको अज़्म कहते हैं तो यह भी एक गुनाह है अगरचा जिस गुनाह का अज़्म किया था उसे न किया हो ।

मस्‌अला- किसी को गुनाह करते देखे तो नेहायत मतानत और नर्मी के साथ उसे मना करे और उसे अच्छी तरह समझाये, फिर अगर इस तरीक़ा से काम न चला वह शख्स बाज़ न आया तो अब सख्ती से पेश आयें उसको सख्त अल्फ़ाज़ कहे मगर गाली न दे न फ़हश लफ़्ज़ जबान से निकाले और इससे भी काम न चले तो जो शख्स हाथ से कुछ कर सकता है करे मसलन वह शराब पीता है तो शराब बहा दे, बर्तन तोड़ फोड़ डाले, गाता, बजाता है तो बाजे तोड़ डाले ।

मस्‌अला- अम्रबिल मारूफ़ की कई सूरतें है अगर ग़ालिब गुमान यह है कि यह उनसे कहेगा तो वह उसकी बात मान लेंगें और बुरी बात से बाज़ आ जायेगें तो अम्र बिल मारूफ़ वाजिब है उसको बाज़ रहना जायज़ नहीं और अगर गुमान गालिब यह है कि वह तरह-तरह की तोहमत बांधेगें और गालियां देगें तो तर्क करना अफ़ज़ल है और अगर यह मालूम है कि वह उसे मारेंगे और सब्र न कर सकेगा या उसकी वजह से फ़ितना फ़साद होगा, आपस में लड़ाई ठन जायेगी, जब भी छोड़ना अफ़ज़ल है और अगर मालूम है कि वह अगर उसे मारेंगे तो सब्र कर लेगा, तो उन लोगों को बुरे काम से मना करे और यह शख्स मुजाहिद है और अगर मालूम है कि वह मानेगें नही मगर न मारेगें और न गालियां देगें तो उसे अख्तियार है और अफ़ज़ल यह है कि अम्र करे ।

मस्‌अला- अगर अन्देशा है कि उन लोगों को अम्र बिलमारूफ़ करेगा तो क़त्ल कर डालेगें और यह जानते हुए उसने किया और उन लोगों ने मार ही डाला तो यह शहीद हुआ ।

इल्म व तलीम का बयान

इल्म ऐसी चीज़ नहीं जिसकी फज़ीलत और खूबियों के बयान करने की हाजत हो, सारी दुनिया जानती है कि इल्म बहुत बेहतर चीज़ है, इसका हासिल करना तुगराये इमितयाज़ है, यही वह चीज़ है कि इससे इंसानी ज़िन्दगी कामयाब

और खुशगवार होती है और उसी से दुनिया व आखेरत सुधरती है, मगर हमारी मुराद इस इल्म से वह इल्म नहीं जो फ़लासेफ़ा से हासिल हुआ हो और जिसको इसानी दिमाग़ ने इख्तेराअ किया हो या जिस इल्म से दुनियां कि तहसील मक़सूद हो. ऐसे इल्म की कुराआनमजीद ने मज़म्मत की बल्कि वह इल्म मुराद है जो क़ुरान व हदीस से हासिल हो, कि यही इल्म वह है जिससे दुनिया व आखरत दोनों सवंरती है और यही इल्म ज़रिये नेजात है और इसकी कुरआन व हदीस में तारीफें आई हैं, और इसकी तालीम की तरफ़ तवज्ञह दिलाई गयी है कुरान मजीद में बहुत से मवाक़े पर इसकी खूबियाँ सराहतन या इशारतन बयान फरमाई गई । अल्लाह अज्ञा व जल्ला फ़रमाता है ।

तुम फ़रमाओ क्या जानने वाले और अनजान बराबर है, नसीहत तो वही मानते हैं जो अक़्ल वाले हैं । अहादीस इल्म के फ़ज़ाएल में बहुत आई है चन्द अहादीस ज़िक्र की जाती है । रसूल्लाह स०अ०स० ने फ़रमाया जिस शख्स के साथ अल्लाहताला भलाई का इरादा करता है उसको दीन का फ़क़ीह बनाता है और मैं तक़सीम करता हूं और अल्लाह देता है और फ़रमाया आलिम की फ़ज़ीलत आबिद पर ऐसी है जैसे मेरी फ़ज़ीलत तुम्हारे अदना पर इसके बाद फिर फ़रमाया कि अल्लाह ताला और उसके फ़रिश्ते और तमाम आसमान व ज़मीन वाले यहाँ तक कि चीटीं अपने सूराख में और यहां तक कि मछली उसकी भलाई के ख्वाहां है जो लोगों को अच्छी चीज की तालीम देता है, और फ़रमाया एक फ़क़ीह हज़ार आबिद से ज़्यादा शैतान पर सख्त है और फ़रमाया इल्म की तबल हर मुस्लिम पर फ़र्ज़ है और इल्म को ना अहल के पास रखने वाला ऐसा है जैसे सुवर के गले में जवाहर और मोती और सोने के हार डालने वाला और फ़रमाया जो शख्स तलबे इल्म के लिए घर से निकला तो जब तक वापस न हो अल्लाह की राह में है । हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहो ताला अन्हुमा ने फ़रमाया कि एक घड़ी रात में पढ़ना पढ़ाना सारी रात इबादत से अफ़ज़ल है । हुजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने फ़रमाया ओलमा की स्याही शहीद के खून से तौली जायेगी और उस पर ग़ालिब हो जायेगी । हुजूर अलेहिस्सलातो वस्सलाम ने फ़रमाया ओलमा की मिसाल यह है जैसे आसमान में सितारे जिनसे खुशकी और समुन्दर की तारीकियों में रास्ते का पता चलता है और अगर सितारे मिट जायें तो रास्ता चलने वाले भटक जायेगें, और फरमाया जिसने इल्म तलब किया और हासिल किया उसके लिए दो चन्द अज्र है और हासिल न हुआ तो एक अज्र ।

मस्अला- आलिम अगरचा जवान हो बूढ़े जाहिल पर फ़ज़ीलत रखता है लेहाज़ा चलने और बैठने में गुफ़्तगू करने में बूढ़े जाहिल को आलिम पर तक़द्दुम करना न चाहिए, यानी बात करने का मौक़ा हो तो उससे पहले कलाम यह न शुरू करे न आलिम के आगे आगे चलें, न मुमताज़ जगह पर बैठे आलिम ग़ैर क़ुर्शी करशी ग़ैर आलिम पर फ़ज़ीलत रखता है, आलिम का हक़ ग़ैर आलिम पर वैसा ही है जैसा उस्ताद का हक़ शागिर्द पर । आलिम अगर कहीं चला

भी जायें तो उसकी जगह पर ग़ैर आलिम को बैठना न चाहिए । शौहर का हक़ औरत पर उससे भी ज़्यादा है कि औरत को शौहर की हर ऐसी चीज़ में जो मुबाह को एताअत करनी पड़ेगी ।

मस्अला- तलबे इल्म अगर अच्छी नियत से होतो हर अमले ख़ैर से यह बेहतर है क्योंकि इसका नफ़ा सबसे ज़्यादा है, मगर यह ज़रूर है कि फ़राएज़ की अजांम देही में ख़लल व नुक़सान न हो, अच्छी नियत का यह मतलब है कि रज़ाये इलाही और आख़ेरत के लिए इल्म सीखे, तलबे दुनिया व तलबे जाह न हो, और तालिब का अगर मक़सद यह हो कि मै अपने से जेहालत कोदूर करूँ और मख़लूक़ को नफ़ा पहुचाऊँ या पढ़ने से मक़सूद इल्म का इहया है मसलन लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया है मैं भी न पढ़ू तो इल्म मिट जायेगा यह नियतें भी अच्छी हैं और अगर तसहीह नियत पर क़ादिर न हो जब भी न पढ़ने से पढ़ना अच्छा है ।

मस्अला- आलिम व मुताअलिलम को इल्म की तौक़ीर करनी चाहिए, यह न हो कि ज़मीन पर किताबें रखे, पाखाना, पेशाब के बाद किताबें छूना चाहे तो वज़ू कर लेना मुस्तहब है, वज़ू न करे तो हाथ ही धो ले तब किताबें छूऐ, और यह भी चाहिये कि ऐश पसन्दी में न पड़े खाने, पहनने, रहने, सहने में मामूली हालत अख़्तियार करे । औरतों की तरफ़ ज़्यादा तवज्जह न रखे, मगर यह भी न हो कि इतनी कमी कर दे कि तक़लीले गिज़ा और कम ख़्वाबी में अपनी जिस्मानी हालत ख़राब कर दे और अपने को कमज़ोर कर दे कि ख़ुद अपने नफ़्स का भी हक़ है और बीवी, बच्चों का भी हक़ है । सबका हक़ पूरा करना चाहिए, आलिम और मुताल्लिम को यह भी चाहिए कि लोगों से मेल जोल कम रखें और फ़ुज़ूल बातों मे न पड़े और पढ़ने, पढ़ाने का सिलसिला बराबर जारी रखे, दीनीमसायल में मुज़ाकरा करते रहें कुतुब बीनी करते रहें किसी से झगड़ा हो जाये तो नर्मी और इंसाफ से काम लें, जाहिल और उसमें उस वक़्त भी फ़र्क़ होना चाहिए ।

मस्अला- उस्ताद का अदब करे, उसके हुक़ूक़ की मुहाफ़ज़त करे और माल से उसकी ख़दमत करे और उस्ताद से कोई ग़ल्ती हो जाये तो उसमें पैरवी न करे, उस्ताद का हक़ माँ, बाप और दूसरे लोगों से ज़्यादह जाने उसके साथ तवाज़ो से पेश आयें, जब उस्ताद के मकान पर जायें तो दरवाजा पर दस्तक न दें बल्कि उसके बरामद होने का इंतेज़ार करे ।

मस्अला- ना अहलों को इल्म न पढ़ाये और जो इसके अहल हो उनकी तालीम से इन्कार न करे कि ना अहलों को पढ़ाना इल्म को ज़ाया करना है और अहल को न पढ़ाना ज़ुल्म व जौर है ना अहल से मुराद वह लोग है जिनकी निसबत मालूम है कि इल्म के हुक़ूक़ को महफ़ूज़ न रख सकेंगें, पढ़ कर छोड़ देगें, जाहिलों के से अफ़आल करेगें लोगों को गुमराह करेगें या ओलमा की बदनाम करेंगे ।

मस्अला- घड़ी भर इल्मे दीन के मसायल में मुज़ाकरह और गुफ़्तगू करना सारी रात इबादत करने से अफ़ज़ल है ।

मस्अला- कुछ कुरान मजीद याद कर चुका है और उसे फ़ुर्सत है तो अफ़ज़ल यह है कि इल्म फ़िक़्ह सीखे कि कुरान मजीद हिफ़्ज़ करना फ़र्ज़ केफ़ाया है और फ़िक़्ह की ज़रूरी बातों को जानना फ़र्ज़ ऐन है ।

हलाल व हराम जानवरों का बयान

गोश्त या जो गिज़ा खाई जाती है वह जुज़्वे बदन हो जाती है और उसके असरात ज़ाहिर होते हैं और चूंकि बाज़ जानवरों में मज़मूम सिफ़ात पायें जाते हैं उन जानवरों के खाने में अन्देशा है कि इंसान भी इन बुरी सिफ़तों के साथ मत्तासिफ हो जायें लेहाज़ा इंसान को उन जानवरों के खाने से मना किया गया । हलाल व हराम जानवरों की तफ़सील दुश्वार है यहाँ चन्द कुल्लियात बयान किये जाते हैं जिनके ज़रिये से जुज़यात जाने जा सकते हैं ।

मस्अला- कीले* वाला जानवर जो कीले से शिकार करता हो हराम है जैसे शेर, गीदड़, लोमड़ी, बिज्जू कुत्ता वग़ैरह कि इन सब में कीले होते हैं और शिकार भी करते हैं ऊँट के कीला होता है मगर वह शिकार नहीं करता लेहाज़ा वह इस हुक्म में दाखिल नहीं ।

मस्अला- पंजा वाला परिन्दा जो पंजा से शिकार करता है हराम है, जैसे शिकरा बाज़, बहरी, चील हशरातुल अर्ज़ हराम है, जैसे चूहा, छिपकली, गिरगिट घोस, सांप, बिच्छू, बर, मच्छर, पिस्सू, खटमल, मक्खी, मेढक वग़ैरह ।

मस्अला- घरेलू गदहा और खच्चर हराम है और जंगली गदहा जिसे गोरखर कहते हैं हलाल है, घोड़े के मुत्तालिक रिवाएते मुखतलिफ़ है यह आलये जेहाद है इसके खाने में तक़लील आलये जेहाद है लेहाज़ा न खाया जाये ।

मस्अला- गाये, भैंस, बकरी, हिरन, नील गाय, साभर, चीतल, बारह सिंगा, पाढा खरगोश हलाल है ।

मस्अला- तीतर-बटेर, मुर्ग़ा, कबूतर-हरियल मैना, फ़ाख्ता, चखीं बन मुर्ग़ी, कालक हर क़िस्म की बत्तख, बगुला सारस कलिंग जांगल कवारी वहा, कीमर घोघल, दाहुल हलाल है ।

मस्अला- कछुआ, खुशकी का हो या पानी का हराम है, कौवा जो मुर्दार खाता है हराम है और महोका यह भी कौवा से मिलता जुलता एक जानवर होता है हलाल है ।

---

* कीला, किचली, कीली, बड़े नोकदार दांत जो एक एक दायें बायें शेर कुत्ते बिल्ली के होते हैं ।

मस्अला- पानी के जानवरों में सिर्फ मछली हलाल है जो मछली पानी में मर कर तैर गयी यानी जो बे मारे अपने आप मर कर पानी की सतह पर उलट गयी वह हराम है, मछली को मारा और वह मर कर उलटी तैरने लगी यह हराम नहीं, टिड्डी भी हलाल है, मछली और टिड्डी बगैर जब्ह हलाल है, जैसा कि हदीस में फरमाया कि दो मुर्दे हलाल है, मछली और टिड्डी ।

मस्अला- पानी की गर्मी या सर्दी से मछली मर गयी या मछली को डोरे में बाँधकर पानी में डाल दिया और मर गयी या जाल में फँसकर मर गयी या पानी में कोई ऐसी चीज डाल दी जिससे मछलियां मर गयी और यह मालूम है कि इस चीज के डालने से मरी या घड़े या गढ्ढे में मछली पकड़ कर डाल दी और उसमें पानी थोड़ा था इस वजह से या जगह की तंगी की वजह से मर गयी इन सब सूरतों में वह मरी हुई मछली हलाल है ।

मस्अला- झींगें के मुतालिक एख्तेलाफ है कि यह मछली है या नहीं इसी बेना पर इसकी हिल्लत व हुरमत में भी एख्तेलाफ है बजाहिर इसकी सूरत मछली की सी नहीं मालूम होती बल्कि एक किस्म का कीड़ा मालूम होता है लेहाजा इससे बचना ही चाहिए ।

मस्अला- छोटी मछलियां बगैर शिकम (पेट) चाक किये भून ली गयी इनका खाना हलाल है ।

मस्अला- बाज गायें, बकरियां, गलीज खाने लगती हैं इनको जल्लाला कहते हैं इसके बदन और गोश्त वगैरह में बदबू पैदा हो जाती है इसको कई दिन तक बांध रखें कि नजासत न खाने पायें जब बदबू जाती रहे जबह करके खाये, इसी तरह जो मुर्गी गलीज खाने की आदी हो उसे चन्द रोज बन्द रखें जब असर जाता रहे जबह करके खाये, जो मुर्गीयां छूटी फिरती है उनको बन्द करना जरूरी नहीं जबकि गलीज खाने की आदी न हो और उनमें बदबू न हो, हां बेहतर यह है कि उनको भी बन्द रख कर जबह करें ।

मस्अला- बकरा जो खसी नहीं होता वह अक्सर पेशाब पीने का आदी होता है और उसमें ऐसी सख्त बदबू पैदा हो जाती है कि जिस रास्ता से गुजरता है वह रास्ता कुछ देर के लिए बदबूदार हो जाता है इसका भी हुक्म वही है जो जल्लाला का है कि अगर उसके गोश्त से बदबू जाती रहे तो खा सकते हैं वरना मकरूह व ममनूअ ।

मस्अला- जानवर को जब्ह किया वह उठकर भागा और पानी में गिर कर मर गया या ऊंची जगह से गिर कर मर गया उसके खाने में हर्ज नहीं कि उसकी मौत जबह ही से हुई, पानी मे गिरने या लुढ़कने का एतबार नहीं ।

मस्अला- जिन्दा जानवर से अगर कोई टुकड़ा काट कर जुदा कर लिया गया मसलन दुम्बा की चक्की काट ली या ऊंट का कोहान काट लिया या किसी

जानवर का पेट फाड़ कर उसकी कलेजी निकाल ली यह टुकड़ा हराम है जुदा करने का यह मतलब है कि वह गोश्त से जुदा हो गया अगरचा अभी चमड़ा लगा हुआ हो और अगर गोश्त से उसका ताल्लुक़ बाक़ी है तो मुर्दार नहीं यानी उसके बाद अगर जानवर को ज़बह कर लिया तो यह टुकड़ा भी खाया जा सकता है ।

मस्अला- शिकार पर तीर चलाया उसका कोई टुकड़ा कट कर जुदा हो गया अगर वह ऐसा अज़ो है कि बग़ैर उसके जानवर जिन्दा रह सकता है तो उसका खाना हराम है और अगर बग़ैर उसके ज़िन्दा नहीं रह सकता मसलन सिर जुदा हो गया तो सिर भी खाया जायेगा और वह जानवर भी ।

मस्अला- ज़िन्दा मछली में से एक टुकड़ा काट लिया यह हलाल है और इसे काटने से अगर मछली पानी में मर गयी तो वह भी हलाल है ।

मस्अला- जिन जानवरों का गोश्त नहीं खाया जाता ज़बह शरई से उनका गोश्त और चर्बी और चमड़ा पाक हो जाता है मगर ख़िनज़ीर कि उसका हर जुज़ नजिस है और आदमी अगरचा ताहिर है इसका इस्तेमाल नाजायज़ है । इन जानवरों की चर्बी वग़ैरह को अगर खाने के सिवा खारजी तौर पर इस्तेमाल करना चाहें तो ज़बह कर लें कि इस सूरत में इसके इस्तेमाल से बदन या कपड़ा नजिस नहीं होगा और नजासत के इस्तेमाल की कबाहत से बचना होगा ।

लहव व लअब व मुसाबक़त का बयान

मस्अला- ईद के दिन या शादियों में दफ़ बजाना जायज़ है जबकि दफ़ सादे हों उसमें झांझ न हों और कवाएद मौसीक़ी पर न बजायें जायें, यानी महज़ ढब ढब की बेसुरी आवाज से निकाह का एलान मक़सूद* हो ।

मस्अला- लोगों को बेदार (जगाने, होशियार) करने और खबरदार करने के इरादे से बिगुल बजाना जायज़ है, जैसे हम्माम में बिगुल इसलिये बजाते हैं कि लोगों को इत्तला हो जाये कि हम्माम खुल गया, रमज़ान शरीफ़ में सहरी खाने के वक़्त बाज शहरों में नक़्क़ारे बजते हैं जिनसे यह मक़सूद होता है कि लोग सहरी खाने के लिए बेदार हो जायें और उन्हे मालूम हो जाये कि अभी सहरी का वक़्त बाक़ी है यह जायज़ है कि यह सूरत लहू लअब में दाखिल नहीं, इसी तरह कारखानों में काम शुरू होने के वक़्त और खत्म के वक़्त सीटी बजा करती है यह जायज़ है कि लहू मक़सूद नहीं बल्कि इत्तेला देने के लिए सीटी

---

* रसूलल्लाह स०अ०स० ने फरमाया जितनी चीजों से आदमी लहव करता है सब बातिल है मगर कमान से तीर चलाना, घोड़े को अदब देना और जौज़ा के साथ मलाअबत, कि यह तीनों हक़ हैं ।

बजाई जाती है इसी तरह रेलगाड़ी की सीटी से भी मक़सूद यही होता है कि लोगों को मालूम हो जाये कि गाड़ी छूट रही है या इसी क़िस्म के दूसरे सही मक़सद के लिए सीटी दी जाती है यह भी जायज़ है ।

मस्अला- गंजफ़ा चौसर खेलना नाजायज़ है, शतरंज का भी यही हुक्म है, इसी तरह लहू लअब की जितनी क़िस्में है सब बातिल है सिर्फ़ तीन क़िस्म के लहू की हदीस में इजाज़त है, बीवी से मलाअबत और घोड़े की सवारी और तीर अन्दाज़ी करना ।

मस्अला- नाचना, ताली बजाना, सितार एक तारा, दो तारा, हारमोनियम, चंग, तम्बूर बजाना, इसी तरह दूसरी किस्म के बाजे सब नाजायज़ है ।

मस्अला- मुतसव्वफ़ाये ज़माना कि मज़ामीर के साथ क़व्वाली सुनते हैं और कभी कभी उछलते, कूदते और नाचने गलते हैं इस किस्म का गाना बजाना जायज़ नहीं, ऐसी महफ़िल में जाना बैठना नाजायज़ है । मशायख से इस क़िस्म के गाने का कोई सूबुत नहीं, जो चीज़ मशायख से साबित है वह फ़क़त यह है कि अगर कभी किसी ने उनके सामने कोई ऐसा शेयर पढ़ दिया जो उनके हाल व कैफ़ियत के म्वाफ़िक़ है तो उन पर कैफ़ियत और रिक़त तारी हो गयी और बेखुद होकर खड़े हो गये और इस हाले वारफ़तगी में उनसे हरकात ग़ैर अख़्तियारी सादिर हुये, इसमें कोई हर्ज नहीं, मशायख व बुजुर्गानेदीन के अहवाल और इन मुतसव्वाफा के हाल व क़ाल में ज़मीन व आसमान का फ़र्क़ है यहाँ मज़ामीर के साथ महफ़िलें मुनअक़िद की जाती है जिनमें फ़ुस्साक व फ़ुज्जार का इजतेमा होता है, ना अहलों का मजमा होता है, गाने वालों में अक्सर बेशरअ होते हैं, तालियाँ बजाते और मज़ामीर के साथ गाते हैं और खूब उछलते, कूदते, नाचते, थिरकते हैं और इसका नाम हाल रखते हैं इन हरकात को सूफ़ियाये एकराम के अहवाल से क्या निस्बत यहाँ सब चीज़ें अख़्तियारी है वहाँ बे अख़्तियारी★ थी ।

मस्अला- कबूतर पालना अगर उड़ाने के लिए न हो तो जायज़ है और अगर कबूतरों को उड़ाता है तो नाजायज़ कि यह भी एक क़िस्म का लहू है और कबूतर उड़ाने के लिए छत पर चढ़ता है जिससे लोगों की बेपर्दगी होती है या उड़ाने में कंकरियाँ फेकंता है जिससे लोगों के बर्तन टूटने का अन्देशा है

★ रसूलल्लाह स०अ०स० ने फरमाया दो आवाजें दुनिया व आख़रत में मलून है नग़मा के वक्त बाजे की आवाज और मुसीबत के वक्त रोने की आवाज, और फरमाया कि गाने से दिल में नेफाक उगता है जिस तरह पानी से खेती उगती है, रसूलल्लाह स०अ०स० ने गाने से और गाना सुनने से और गीबत से और गीबत सुनने से चुगली करने और चुगली सुनने से मना फरमाया और फरमाया अल्लाहताला ने शराब, जुआ और ढोल हराम किया और फरमाया हर नशा वाली चीज हराम है ।

तो उसको सख्ती से मना किया जायेगा और सज़ा दी जायेगी और इस पर भी न माने तो हकूमत की जानिब से उसके कबूतर जब्ह करके उसको दे दिये जायें ताकि उड़ाने का सिलसिला ही मुनक़ता हो जाये ।

मस्अला- जानवरों को लड़ाना मसलन मुर्ग़ा, बटेर, तीतर, मेढ़े, भैंसे वग़ैरह कि इन जानवरों को बाज़ लड़ाते हैं यह हराम है और इसमें शिरकत करना या उसका तमाशा देखना भी नाजायज़ है ।

मस्अला- कुश्ती लड़ना अगर लहव के तौर पर न हो बल्कि इसलिए हो कि जिस्म में क़ुव्वत आये और कुफ़्फ़ार से लड़ने में काम दे तो यह जायज़ और मुस्तहसन व कारे सवाब है, बशर्ते कि सतर पोशी के साथ हो आजकल बरहना होकर सिर्फ एक लंगोट या जांघिया पहन कर लड़ते हैं कि सारी रानें खुली होती हैं यह नाजायज़ है हुज़ूरे अक़दस स०अ०स० ने रुकाना से कुश्ती लड़ी और तीन मर्तबा पछाड़ा क्योंकि रुकाना ने यह कहा था कि अगर आप मुझे पछाड़ दें तो ईमान लाऊंगा फिर यह मुसलमान हो गये ।

मस्अला- लड़कियां जो गुड़िया खेलती है यह जायज़* है ।

मस्अला- मुसाबक़त** जायज़ है । मुसाबक़त का मतलब यह है कि चन्द शख्स आपस में यह तय करें कि कौन आगे बढ़ जाता है जो सबक़त ले जाये उसको यह दिया जायेगा यह मुसाबक़त सिर्फ़ तीर अन्दाज़ी में हो सकती है या घोड़े, गदहे, खच्चर में, जिस तरह घोड़ दौड़ में हुआ करता है चन्द घोड़े एक साथ भगाये जाते हैं जो आगे निकल जाता है उसको एक रकम या कोई चीज़ दी जाती है ऊँट और आदमियों की दौड़ भी जायज़ है, क्योंकि ऊंट भी असबाबे जेहाद में है यानी यह जेहाद के लिए कारआमद चीज़ है, मतलब यह कि इन दौड़ो से मक़सूद जेहाद की तैयारी है लहू लअब मक़सूद नहीं अगर महज़ खेल के लिए ऐसा करता है तो मकरूह है इसी तरह अगर फ़ख़र और अपनी बड़ाई मक़सूद हो या अपनी बहादुरी व शुजाअत का इज़हार मक़सूद हो तो यह भी मकरूह है ।

---

* हजरत आयशा र०अ०अ० कहती हैं मैं गुड़िया खेला करती थी और कभी रसूलल्लाह स०अ०स० ऐसे वक्त तशरीफ लाते कि लड़कियाँ मेरे पास होती, जब हुज़ूर तशरीफ लाते तो लड़कियाँ चली जाती और जब हुज़ूर चले जाते लड़कियाँ आ जाती ।

** सलमा बिन अकुअ र०अ०अ० कहते हैं कि कुछ लोग पैदल तीर अन्दाजी कर रहे थे यानी मुसाबकत के तौर पर इनके पास रसूलल्लाह स०अ०स० तशरीफ़ लाए और फरमाया ऐ बनी इस्माईल यानी ऐ अहले अरब क्योंकि अरब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद है तीर अन्दाजी करो क्योंकि तुम्हारे बाप रसूलल्लाह स०अ०स० ने मुजमर घोड़ों में हफिया से दौड़ कराई, और उसकी इन्तेहाई मुसाफ़त सनीअतुल वेदा थी और दोनों के मैं बैन छ मील मुसाफात थी, और जो घोड़े मुजमर न थे उनकी दौड़ सनीया से मस्जिद बनीज़ुरैक तक हुई इन दोनों में एक मील का फासला था ।

मस्अला- सबकत ले जाने वाले के लिए कोई चीज़ मशरूत न हो तो इन मज़कूर अशिया के साथ उसका जवाज़ खास नही बल्कि हर चीज़ में मुसाबक़त हो सकती★ है ।

मस्अला- साबिक के लिए जो कुछ मिलना तय पाया है वह उसके लिये हलाल व तय्यब है, मगर वह उसका मुस्तहिक़ नही यानी अगर दूसरा उसको न दे तो काज़ी के यहाँ दावा करके जबरन वसूल नहीं कर सकता ।

मस्अला- मुसाबक़त जायज़ होने के लिए शर्त यह है कि सिर्फ़ एक जानिब से माल शर्त हो यानी दोनों में से एक ने यह कहा अगर तुम आगे निकल गये तो तुमको मसलन सौ रुपये दूँगा, और मैं आगे निकल गया तो तुम कुछ नहीं लूंगा, दूसरी सूरत जवाज़ की यह है कि शख़्से सालिस ने उन दोनों से यह कहा कि तुम मैं जो आगे निकल जायेगा उसको इतना दूँगा जैसा कि अक्सर हुकूमत की जानिब से दौड़ होती है और उसमें आगे निकल जाने वाले के लिए इनाम मुक़र्रर होता है उन लोगों में बाहम कुछ लेना देना तय नहीं होता ।

मस्अला-

अगर दोनों की जानिब से माल की शर्त हो मस्लन तुम आगे हो गये तो मैं इतना दूँगा और मैं आगे हो गया तो मैं इतना लूंगा यह सूरत जूआ है, और हराम है, हां अगर दोनों ने अपने साथ एक तीसरे शख़्स को शामिल कर लिया जिसको मुहल्लिल कहते हैं और ठहरा यह कि अगर यह आगे निकल गया तो रक़म मज़कूर यह लेगा और पीछे रह गया तो यह कुछ नहीं, इस सूरत में दोनों जानिब से माल की शर्त जायज़ है ।

मस्अला- मुसाबक़त में शर्त यह है कि मसाफ़त इतनी हो जिसको घोड़े तय कर सकते हों और जितने घोड़े लिये जायें वह सब ऐसे हों जिनमें यह एहतेमाल हो कि आगे निकल जायेंगे, इसी तरह तीर अन्दाज़ी और आदमियों की दौड़ में भी यही शर्तें हैं ।

मस्अला- तलबा ने किसी मस्अला के मुतालिक़ शर्त लगाई कि जिसकी बात सही होगी उसको यह दिया जायेगा, इसमें भी वह सारी तफ़सील है जो मुसाबक़त में मज़कूर हुई यानी अगर एक तरफ़ से शर्त हो तो जायज़ है दोनों तरफ़ से हो तो नाजायज़, मसलन एक तालिबे इल्म ने दूसरे से कहा चलो उस्ताद से चलकर पूछें अगर तुम्हारी बात सही हो तो मैं तुमको यह दूँगा और

★ हज़रत आयशा र०अ०अ० रसूलल्लाह स०अ०स० के साथ सफ़र में थी कहती है कि मैंने हुजूर से पैदल मुसाबक़त की और मैं आगे हो गयी फिर जब मेरे जिस्म में गोश्त ज़्यादा हो गया यानी पहले से कुछ मोटी हो गयी मैंने हुजूर के साथ दौड़ की इस मरतबा हुजूर आगे हो गये और फ़रमाया कि यह उसका बदला हो गया ।

मेरी सही हुई तो तुमसे कुछ नहीं लूंगा कि एक जानिब से शर्त हुई या एक ने दूसरे से कहा आओ मैं और तुम मसायल में गुफ़्तगू करें अगर तुम्हारी बात सही हुई तो यह दूँगा और मेरी सही हुई तो कुछ न लूंगा यह जायज़ है ।

मस्अला- तलबा में यह ठहरा कि जो पहले आयेगा उसका सबक़ पहले होगा इस सूरत में जो दर्सगाह में पहले आया उसका हक़ मुक़द्दम है और अगर हर एक पहले आने का मुद्दई है तो जो गवाहों से पहले आना साबित कर दे वह मुक़द्दम है और अगर गवाह न हो तो क़ोरअ डाला जाये जिसका नाम पहले निकले वह मुक़द्दम है ।

इलाज और फ़ाल का बयान

रसूलल्लाह स०अ०स० ने फ़रमाया, बीमारी और दवा दोनों को अल्लाह ताला ने उतारा उसने हर बीमारी के लिए दवा मुक़र्रर की, बस तुम दवा करो, मगर हराम से दवा मत करो, और फ़रमाया मरीज़ों को खाने पर मजबूर मत करो कि उनको अल्लाह ताला खिलाता पिलाता है और फ़रमाया जबमरीज़ खाने की ख्वाहिश करे तो उसे खिला दो, यह हुक्म उस वक़्त है कि खाने की सच्ची ख्वाहिश हो । हज़रत उम्मे मुनज़िर कहती हैं कि रसूलल्लाह स०अ०स० हज़रत अली रज़ी अ०अ० के साथ मेरे यहाँ तशरीफ़ लाये हज़रत अली को नकाहत थी, यानी बीमारी से अभी अच्छे हुए थे, मकान में खजूर के खोशे लटक रहे थे, हुज़ूर ने उनमें से खजूरें खाईं, हज़रत अली ने भी खाना चाहा, हुज़ूर ने उनको मना किया, और फ़रमाया कि तुम नक़ीह हो, फिर उम्मे मनज़िर कहती है कि मैं जौ और चुकन्दर पका लाई हुज़ूर ने हज़रत अली से फ़रमाया इसमें से लो कि तुम्हारे लिये नाफ़ेअ है, इस हदीस से मालूम हुआ कि मरीज़ को परहेज़ करना चाहिए, जो चीज़ें उसके लिए मुज़िर है उससे बचना चाहिए । रसूलल्लाह स०अ०स० ने नज़रे बद से झाड़ फूंक कराने का हुक्म फ़रमाया है । हज़रत ओफ़ बिन मालिक अशजई कहते हैं कि हम जहिलियत में झाड़ा करते थे, हुज़ूर की ख़िदमत में अर्ज़ की या रसूलल्लाह हुज़ूर का इसके मुतालिक़ क्या इरशाद है, फ़रमाया कि मेरे सामने पेश करो, झाड़ फूंक में हर्ज नहीं जब तक उसमें शिर्क न हो । रसूलल्लाह स०अ०स० ने फ़रमाया अदवा नहीं यानी मर्ज लगना और मुतअद्दी होना नहीं है और न बद फ़ाली है और न हामा* है न सफ़र** और मजज़ूम से भागो जैसे शेर से भागते हो दूसरी रेवायत में है कि एक आराबी ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह इस की क्या वजह है कि रेगिस्तान में

---

* हामा से मुराद उल्लू है ज़माना जाहिलीयत में अहले अरब इसके मुतालिक़ मुख्तलिफ़ किसम के ख्यालात रखते थे और अब भी लोग इसको मनहूस समझते हैं जो कुछ भी हो हदीस ने इसके मुतालिक यह हिदायत की है कि इसका एतबार न किया जाये ।

** माहे सफ़र को लोग मनहूस जानते हैं, हदीस में फ़रमाया कि यह कोई चीज़ नहीं ।)

ऊंट हिरन की तरह (साफ़ सुथरा) होता है और खारशती ऊंट जब उसके साथ मिल जाता है तो उसे भी खारशती कर देता है, हुजूर ने फ़रमाया पहले को किसने मर्ज़ लगा दिया यानी जिस तरह पहला ऊंट खारशी हो गया दूसरा भी हो गया, मर्ज़ का मतअद्दी होना ग़लत है । और मजज़ूम से भागने का हुक्म सद्दे ज़राये के कबील से है कि अगर इससे मेल जोल में दूसरे को जुज़ाम हो जाये तो यह ख्याल होगा कि मेल जोल से पैदा हुआ इस ख्याले फ़ासिद से बचने के लिए यह हुक्म हुआ कि इससे अलेहदा रहो । हज़रत अबू हुरैरा रज़ी० अ०आ० कहते हैं कि मैंने रसूलल्लाह स०अ०स० को यह फ़रमाते सुना कि बदफ़ाली कोई चीज़ नहीं, और फ़ाल अच्छी चीज़ है लोगों ने अर्ज़ की फ़ाल क्या चीज़ है, फ़रमाया अच्छा कलमा जो किसी से सुने यानी कहीं जाते वक़्त या किसी काम का इरादा करते वक़्त किसी की ज़ुबान से अगर अच्छा कलमा निकल गया यह फ़ाले हसन है । रसूलल्लाह स०अ०स० ने फ़रमाया तेयारह (बदफ़ाली) शिर्क है । इसको तीन मरतबा फ़रमाया, (यानी मुशरेकीन का तरीक़ा है) जो कोई हम में से हो यानी मुसलमान हो वह अल्लाह पर तवक्कुल करके चला जाये । रसूलल्लाह स०अ०स० के सामने बदशगून का ज़िक्र हुआ, हुजूर ने फ़रमाया फ़ाल अच्छी चीज़ है और बुरा शगून किसी मुसलमान को वापस न करे यानी कहीं जा रहा था और बुरा शगून हुआ तो वापस न आये चला जाये,जब कोई शख्स ऐसी चीज़ देखे जो नापसन्द है यानी बुरा शगून पाये तो यह कहे— " अल्ला हुम्मा ला याती बिल हसनाते इल्ला अन्ता वलायदफ़ ऊससय्याते इल्ला अन्ता वला हौला वलाकूवता इल्ला बिल्लाह"

रसूलल्लाह स०अ०स० ने फ़रमाया ताऊन अज़ाब की निशानी है अल्लाहताला ने अपने बन्दों में से कुछ लोगों को इसमें मुबतला किया । जब सुनो कि कहीं है तो वहाँ न जाओ और जब वहाँ हो जाये जहाँ तुम हो तो भागो मत, और फ़रमाया ताऊन अज़ाब था अल्लाहताला जिस पर चाहता है उसको भेजता है इसको मोमेनीन के लिए रहमत कर दिया, जहाँ ताऊन वाक़ा हो और उस शहर में जो शख्स सब्र करे और तलबे सवाब के लिए ठहरा रहे और यह यक़ीन रखे कि वही होगा जो अल्लाह ने लिख दिया है उसके लिए शहीद का सवाब है ।

मस्अला- दवा, इलाज करना जायज़ है जबकि यह एतेक़ाद हो कि शाफ़ी अल्लाह है उसने दवा को इज़ालाए मरज़ के लिए सबब बना दिया है और अगर दवा को ही शिफ़ा देने वाला समझता हो तो नाजायज़ है ।

मस्अला- इंसान के किसी जुज़ को दवा के तौर पर इस्तेमाल करना हराम है । खिनजीर के बाल या हड्डी या किसी जुज़ को दवाअन इस्तेमाल करना हराम है, दूसरे जानवरों की हड्डियां दवा में इस्तेमाल की जा सकती है बशर्ते कि ज़बीहा की हड्डीयां हो या खुश्क हो कि उसमें रतूबत बाक़ी न हो, हड्डियाँ अगर ऐसी दवा में डाली गयी हो जो खाई जायेगी तो यह ज़रूरी है कि ऐसे

जानवर की हड्डी हो जिसका खाना हलाल है, और ज़बह भी कर दिया हो, मुर्दार की हड्डी खाने में इस्तेमाल नहीं की जा सकती ।

मस्अला- हराम चीजों को दवा के तौर पर इस्तेमाल करना नाजायज़ है कि हदीस मे इरशाद फ़रमाया जो चीज हराम है उनमें अल्लाह ताला ने शिफ़ा नहीं रखी है । बाज़ कुतूब में यह मज़कूर है कि अगर उस चीज़ के मुतालिक़ यह इल्म हो कि इसमे शिफा है तो इस सूरत मे वह चीज़ हराम नहीं, इसका हासिल भी वही है क्योंकि किसी चीज़ की निसबत हरगिज़ यह यक़ीन नहीं किया जा सकता कि इससे मरज़ ज़ायल हो ही जायेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ज़न और गुमान हो सकता है न कि इल्म व यक़ीन, खुद इल्म तिब के क़वायद व ओसूल ही ज़नी है लेहाज़ा यक़ीन हासिल होने की कोई सूरत नहीं, यहा वैसा यक़ीन भी नहीं हो सकता जैसा भूखे को हराम लुक़मा खाने से या प्यासे को शराब पीने से जान बच जाने में होता है । अंग्रेज़ी दवायें बकसरत ऐसी है जिनमें इस्परीट और शराब की आमेज़िश होती है, ऐसी दवायें हरगिज़ न इस्तेमाल की जायें ।

मस्अला- दस्त आते हैं या आखें दुखती है या कोई दूसरी बीमारी है इसमें इलाज नहीं किया और मर गया तो गुनहगार नहीं है यानी इलाज कराना ज़रूरी नहीं कि अगर दवा न करे और मर जाये तो गुनहगार हुआ और भूख प्यास में खाने पीने की चीज़ दस्तयाब हो और न खाये पिये यहाँ तक कि मर जाय तो गुनहगार है कि यहां यक़ीनन मालूम है कि खाने पीने से यह बात जाती रहेगी ।

मस्अला- शराब से खारजी इलाज भी नाजायज़ है मसलन ज़ख्म में शराब लगाई या किसी जानवर को ज़ख्म है उस पर शराब लगाई या बच्चा के इलाज में शराब इस्तेमाल की तो इन सब सूरतों में वह गुनहगार होगा जिसने उसको इस्तेमाल कराया ।

मस्अला- इलाज के लिए हिकना करने में अमल देने में हरज नहीं, जबकि हिकना ऐसी चीज़ का न हो जो हराम है मसलन शराब ।

मस्अला- इस्क़ाते हमल के लिए दवा इस्तेमाल करना या दाई से हमल साक़ित कराना मना है । बच्चा की सूरत बनी हो या न बनी हो दोनों का एक हुक्म है हाँ अगर उज़्र हो मसलन औरत के शीरख़्वार बच्चा है और बाप के पास इतना नहीं कि दाया मुक़र्रर करे या दाया दस्तयाब नहीं होती और हमल से दूध खुश्क हो जायेगा और बच्चा हलाक होने का अन्देशा है, तो इस मजबूरी से हमल साक़ित किया जा सकता है बशर्ते कि आज़ा न बने हो और इसकी मुद्दत एक सौ बीस दिन है ।

ख़ूबीये अख़लाक़, नर्मी व हया का बयान

रसूलल्लाह स०अ०स० ने फ़रमाया ख़ल्के हसन से बेहतर इंसान को कोई चीज़ नहीं दी गयी और फ़रमाया ईमान में ज़्यादा कामिल वह है जिनके अख़लाक़ अच्छे हों, और फ़रमाया तुममें अच्छे वह है जिनके अख़लाक अच्छे हों, और फ़रमाया मैं इसलिए भेजा गया कि अच्छे अख़लाक़ की तक़मील कर दूं और फ़रमाया जो शख़्स ग़ुस्सा को पी जाता है हालांकि कर डालने पर उसे कुदरत है, क़यामत के दिन अल्लाहताला उसे सबके सामने बुलाएगा और अख़्तियार दे देगा, कि जिन हूरों में तू चाहे चला जाये, और फ़रमाया अल्लाहताला मेहरबान है मेहरबानी को दोस्त रखता है, और मेहरबानी करने पर वह देता है कि सख़्ती पर नहीं देता और फ़रमाया जो नर्मी से महरूम हुआ वह ख़ैर से महरूम हुआ और फ़रमाया हया ईमान से है और ईमान जन्नत में है और बेहूदा गोई जफ़ा से है और जफ़ा जहन्नम है, और फ़रमाया ईमान और हया दोनों साथी हैं एक को उठा लिया जाता है तो दूसरा भी उठा लिया जाता है, एक शख़्स अपने भाई को हया के मुताल्लिक़ नसीहत कर रहा था कि इतनी हया क्यों करते हो, रसूलल्लाह स०अ०स० ने फ़रमाया इसे छोड़ो यानी नसीहत न करो क्योंकि हया ईमान से है ।

अच्छों के पास बैठना, बुरों से बचना

रसूलल्लाह स०अ०स० ने फ़रमाया मुसाहबत न करो मगर मोमिन की यानी सिर्फ़ मोमिने कामिल के पास बैठा करो, और फ़रमाया बड़ों के पास बैठा करो और ओलमा से बातें पूछा करो, और ओलमा से मेल जोल रखो, और फ़रमाया अच्छा साथी वह है कि जब तू ख़ुदा को याद करे तो वह तेरी मदद करे और जब तू भूले तो वह याद दिलाये और फ़रमाया अच्छा हमनशीं वह है कि उसके देखने से ख़ुदा याद आये और उसकी गुफ़्तगू से तुम्हारे अमल में ज़्यादती हो और उसका अमल तुम्हे आख़ेरत की याद दिलाये और फ़रमाया अच्छे और बुरे हमनशीं की मिसाल जैसे मश्क़ उठाने वाला और भट्ठी फूकने वाला, जो मुश्क़ लिये हुए है या वह तुझे उसमें से देगा या तू उससे ख़रीद लेगा या तुझे ख़ुशबू पहुचेगी, और भट्ठी फूकने वाला तेरे कपड़े जला देगा या तुझे बुरी बू पहुंचेगी और फ़रमाया ऐसे के साथ न रहो जो तुम्हारी फ़ज़ीलत का क़ायल न हो जैसे तुम उसकी फ़ज़ीलत के क़ायल हो यानी जो तुम्हें नज़रे हेक़ारत से देखता हो उसके साथ न रहो, या यह कि वह अपना हक़ तुम्हारे ज़िम्मे जानता है और तुम्हारे हक़ का क़ायल न हो, हज़रत उमर रज़ी अल्लाहोताला अन्हो ने फ़रमाया, ऐसी चीज़ में न पड़ो जो तुम्हारे लिए मुफ़ीद न हो, और दुश्मन से अलग रहो और दोस्त से बचते रहो मगर जबकि वह अमीन हो कि अमीन की बराबर कोई नहीं और अमीन वही है जो अल्लाह से डरे और फ़ाजिर के साथ न रहो कि वह तुम्हें फ़ुजूर सिखायेगा और इसके सामने भेद की बात न

कहो और अपने काम में उनसे मशवरा लो जो अल्लाह से डरते हैं हज़रत अली रज़ी० अ०अ० ने फ़रमाया फ़ाजिर से भाई बन्दी न करो कि वह अपने फ़ेल को तेरे लिए मुज़य्यन करेगा और यह चाहेगा कि तू भी उस जैसा हो जाये और अपनी बदतरीन खसलत को अच्छा करके दिखायेगा, तेरे पास उसका आना जाना ऐब और नंग है और अहमक़ से भी भाई चारा न कर कि वह अपने को मशक़्क़त में डाल देगा और तुझे कुछ नफ़ा नहीं पहुंचायेगा, और कभी यह होगा कि तुझे नफ़ा पहुंचाना चाहेगा मगर होगा यह कि नुक़सान पहुंचा देगा, उसकी खामोशी बोलने से बेहतर है उसकी दूरी नजदीकी से बेहतर है और मौत ज़िन्दगी से बेहतर है और कज़्ज़ाब से भी भाईचारा न कर कि उसके साथ मआशरत तुझे नफ़ा न देगी तेरी बाद दूसरों तक पहुंचायेगा और दूसरों की तेरे पास लायेगा, और अगर तू सच बोलेगा जब भी यह सच नहीं बोलेगा ।

अल्लाह के लिए दोस्ती, दुश्मनी का बयान

रसूलल्लाह स०अ०स० ने फ़रमाया ईमान की चीज़ों में सबमें मज़बूत अल्लाह के बारे में मवालात है और अल्लाह के लिए मोहब्बत करना और बुग्ज़ रखना और फ़रमाया तुम्हे मालूम है अल्लाह के नजदीक सबसे ज़्यादा पसन्द कौन सा अमल है, किसी ने कहा नमाज़, रोज़ा, ज़कात, और किसी ने कहा जेहाद, हुज़ूर ने फ़रमाया सबसे ज़्यादा अल्लाह को प्यारा अल्लाह के लिए दोस्ती और बुग्ज़ रखना है और फ़रमाया जब किसी ने किसी से अल्लाह के लिए मोहब्बत की तो उसने रब अज़्ज़ावजल्ला का इकराम किया, और फ़रमाया अल्लाह के लिए मोहब्बत रखने वाले अर्श के गिर्द याकूत की कुर्सी पर होंगे और फ़रमाया अल्लाहताला इरशाद फ़रमाता है जो लोग मेरी वजह से आपस में मोहब्बत रखते हैं और मेरी वजह से एक दूसरे के पास बैठते हैं और आपस में मिलते जुलते हैं और माल खर्च करते हैं उनसे मेरी मोहब्बत वाजिब हो गयी एक शख्स ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह इसके मुताल्लिक़ क्या इरशाद है जो किसी क़ौम से मोहब्बत रखता है और उनके साथ मिला नहीं यानी उनकी सोहबत हासिल न हुई या उसने उन जैसे आमाल नहीं किये, इरशाद फ़रमाया आदमी उसके साथ है जिससे उसे मोहब्बत है, इस हदीस से मालूम होता है कि अच्छों से मोहब्बत अच्छा बना देती है और उसका हश्र अच्छों के साथ होगा, और १५१ की मोहब्बत बुरा बना देती है और उसका हश्र बेदों के साथ होगा, एक शख्स ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह क़यामत कब होगी, फ़रमाया तूने उसके लिए क्या तैयारी की है, उसने अर्ज़ की उसके लिए मैने कोई तैयारी नहीं कि सिर्फ़ इतनी बात है कि मैं अल्लाह व रसूल से मोहब्बत रखता हूं इरशाद फ़रमाया तू उनके साथ है जिनसे तुझे मोहब्बत है । हज़रत अनस रज़ी अ०अ० कहते हैं कि इस्लाम के बाद मुसलमानों को जितनी इस कलमा से खुशी हुई ऐसी खुशी मैंने कभी नहीं देखी । और फ़रमाया, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है, उसे यह देखना चाहिए कि किससे दोस्ती करता है और फ़रमाया अल्लाहताला ने एक नबी के पास वही भेजी की फला ज़ाहिद से कह दो कि तुम्हारा जुहुद और

दुनिया में बेरग़बती अपने नफ़्स की राहत है, और सबसे जुदा होकर मुझसे ताल्लुक़ रखना यह तुम्हारी इज़्ज़त है, जो कुछ तुम पर मेरा हक़ है उसके मुक़ाबिल क्या अमल किया, अर्ज़ करेगा, ऐ रब वह कौन सा अमल है, इरशाद होगा क्या तुमने मेरी वजह से किसी से दुश्मनी कि और मेरे बारे में किसी वली से दोस्ती की, और फ़रमाया जब एक शख़्स दूसरे से भाई चारा करे तो उसका नाम और उसके बाप का नाम पूछ लें, और यह कि वह किस क़बीला से है कि इससे मोहब्बत ज़्यादा पायेदार होगी, और फ़रमाया जब एक शख़्स दूसरे से मोहब्बत रखे तो उसे ख़बर कर दे कि मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूँ। और फ़रमाया दोस्त से थोड़ी दोस्ती कर अजब नहीं कि किसी दिन वह तेरा दुश्मन हो जाये और दुश्मन से दुश्मनी थोड़ी कर, दूर नहीं कि वह किसी रोज़ तेरा दोस्त हो जाये ।

झूठ का बयान

झूठ ऐसी बुरी चीज़ है कि हर मज़हब वाले इसकी बुराई करते हैं । तमाम अदियान में यह हराम है । इस्लाम ने इससे बचने की बहुत ताक़ीद की है । कुरान मजीद में बहुत म्वाक़े पर इसकी मुज़म्मत फ़रमाई और झूठ बोलने वालों पर खुदा की लानत आई, हदीसों में भी इसकी बुराई ज़िक्र की गयी इसके मुताल्लिक़ बाज अहदीस ज़िक्र की जाती है ।

रसूलल्लाह स०अ०स० ने फ़रमाया जब बन्दा झूठ बोलता है, उसकी बदबू से फ़रिश्ता एक मील दूर हो जाता है । और फ़रमाया बन्दा पूरा मोमिन नहीं होता जब तक मज़ाक़ में भी झूठ को न छोड़े और झगड़ा करना न छोड़ दे अगरचा सच्चा हो । और फ़रमाया बन्दा बात करता है और महज़ इसलिए करता है कि लोगों को हंसाये इसकी वजह से जहन्नम की इती गहराई में गिरता है जो आसमान व ज़मीन के दरमियान के फ़ासले से ज़्यादह है और ज़ुबान की वजह से जितनी लगज़िस होती है वह इससे कहीं ज़्यादा है जितनी क़दम से लगज़िश होती है । हज़रत अब्दुल्लाह बिन आमिर रज़ी० अ०अ० कहते हैं रसूलल्लाह स०अ०स० हमारे मकान में तशरीफ़ फ़रमा थे, मेरी मां ने मुझे बुलाया कि आओ तुम्हें कुछ दूँगी, हुजूर ने फ़रमाया क्या चीज़ देने का इरादा है उन्होंने कहा खजूर दूगी, इरशाद फ़रमाया अगर तू कुछ नहीं देती तो यह तेरे ज़िम्मा झूठ लिखा जाता । रसूलल्लाह स०अ०स० ने फ़रमाया झूठ से मुहं काला होता है और चुगली से क़ब्र का अज़ाब है ।

मसूअला- तीन सूरतों में झूठ बोलना जायज़ है यानी इसमें गुनाह नहीं, एक जंग की सूरत में कि यहां अपने मुक़ाबिल को धोखा देना जायज़ है । इसी तरह जब ज़ालिम ज़ुल्म करना चाहता है उसके ज़ुल्म से बचने के लिए भी जायज़ है । दूसरी सूरत यह है कि दो मुसलमानों में एख़तेलाफ़ है और यह उन दोनों में सुलह कराना चाहता है, मसलन एक के सामने यह कह दे कि वह तुम्हें अच्छा जानता है तुम्हारी तारीफ़ करता है या उसने तुम्हे सलाम कहला भेजा और दूसरे के पास भी इस क़िस्म की बाते करे

ताकि दोनों में अदावत कम हो जाये और सुलह हो जाय। तीसरी सूरत यह है कि बीवी को खुश करने के लिए कोई बात खिलाफ़ेवाक़ा कह* दे ।

मस्अला- तोरया यानी लफ़्ज़ के जो ज़ाहिर माने हैं वह ग़लत हैं मगर उसने दूसरे माना मुराद लिये जो सही है ऐसा करना बिला हाजत जायज़ नहीं, और हाजत हो तो जायज़ है । तोरया कि मिसाल यह है कि तुमने किसी को खाने के लिए बुलाया वह कहता है मैंने खाना खा लिया, इसके ज़ाहिर माना यह है कि इस वक़्त का खाना खा लिया है, मगर वह यह मुराद लेता है कि कल खाया है यह भी झूठ में दाखिल है ।

मस्अला- अहियाए हक़ के लिए तोरया जायज़ है मसलन शफ़ीअ को रात में जायदाद मशफ़ुआ की बय का इल्म हुआ और उस वक़्त लोगों को गवाह न बना सकता हो तो सुबह को गवाहों के सामने कह सकता है कि बय का इस वक़्त इल्म हुआ, दूसरी मिसाल यह है कि लड़की को रात में हैज़ आया और उसने खियारे बलोग़ के तौर पर अपने नफ़्स को अख़्तियार किया, मगर गवाह कोई नहीं, है तो सुबह को लोगों के सामने यह कह सकती है किं मैने इस वक़्त खून देखा है ।

मस्अला- जिस अच्छे मक़सद को सच बोलकर भी हासिल किया जा सकता है और झूठ बोल कर भी हासिल कर सकता हो उसके हासिल करने के लिए झूठ बोलना हराम है और अगर झूठ से हासिल कर सकता हो सच बोलने में हासिल न हो सकता हो तो बाज़ सूरतों में किज़्ब भी मुबाह है बल्कि बाज़ सूरतों में वाजिब है जैसे किसी बेगुनाह को ज़ालिम शख़्स क़त्ल करना चाहता है या ईज़ा देना चाहता है वह डर से छुपा हुआ है, ज़ालिम ने किसी से दरियाफ़्त किया कि वह कहाँ है यह कह सकता है मुझे मालूम नहीं अगरचा जानता हो, या किसी की अमानत उसके पास है कोई उससे छीनना चाहता है पूछता है कि अमानत कहाँ है यह इन्कार कर सकता है मेरे पास उसकी अमानत नहीं है ।

मस्अला- किसी ने छुप कर बेहयाई का काम किया, उससे दर्याफ़्त किया गया कि तूने यह काम किया वह इन्कार कर सकता है क्योंकि ऐसे काम को लोगों के सामने ज़ाहिर कर देना यह दूसरा गुनाह होगा, इसी तरह अगर अपने मुस्लिम भाई के भेद पर मुत्तला हो तो उसके बयान करने से भी इन्कार कर सकता है ।

मस्अला- अगर सच बोलने में फ़साद पैदा होता हो तो उस सूरत में भी झूठ बोलना जायज़ है और अगर झूठ बोलने में फ़साद होता हो तो हराम है और अगर शक हो मालूम नहीं कि सच बोलने में फ़साद होगा या झूठ बोलने में जब भी झूठ बोलना हराम है ।

मस्अला- जिस किस्म के मुबालग़ा का आदतन रेवाज है लोग उसे मुबालग़ा पर

* रसूल्लाह स०अ०स० ने फ़रमाया झूठ कहीं ठीक नहीं, मगर तीन जगहों में, मर्द औरत को राज़ी करने के लिए बात करे- लड़ाई में झूठ बोलना- लोगों के दर्मियान सुलह कराने के लिए झूठ बोलना ।

ही महमूल करते हैं इसके हक़ीक़ी माना मुराद नहीं लेते वह झूठ में दाख़िल नहीं मसलन यह कहा कि मैं तुम्हारे पास हज़ार मरतबा आया था हज़ार मरतबा मैंने तुमसे यह कहा यहाँ हज़ार का अदद मुराद नहीं बल्कि कई मरतबा आना और कहना मुराद है, यह लफ़्ज़ ऐसे मौक़े पर नहीं बोला जायेगा कि एक ही मरतबा आया हो या एक ही मरतबा कहा हो और अगर एक मरतबा आया और यह कह दिया कि हज़ार मरतबा आया तो झूठा है ।

मस्अला- तारीज़ की बाज़ सूरते जिनमें लोगों का दिल खुश करना और मेज़ाह मक़सूद हो जायज़ है जैसा कि हदीस में फ़रमाया जन्नत में बुढ़या नहीं जायेगी या मैं तुझे ऊँटनी के बच्चा पर सवार करूँगा ।

जुबान को रोकना और गाली ग़ीबत चुगली से परहेज़ करना

रसूलल्लाह स०अ०स० ने फ़रमाया जो चीज़ इंसान को सबसे ज़्यादा जन्नत में दाख़िल करने वाली है वह तक़वा और हुस्न खुल्क है और जो चीज़ इंसान को सबसे ज़्यादा जहन्नम में ले जाने वाली है वह है दो जोफ दार (खोकली) चीज़ें है, मुंह और शर्मगाह, और फ़रमाया कि आदमी के इस्लाम की अच्छाई में से यह है कि ला यानी चीज छोड़ दे यानी जो चीज़ कारआमद न हो उसमें न पड़े, जुबान व दिल व जवारेह को बेकार बातों की तरफ़ मुतवज्जा न करे । हज़रत अबूज़र रज़ी अ०अ० कहते हैं कि मैंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह मुझे वसीयत फ़रमाइये इरशाद फ़रमाया मैं तुमको तक़वा की वसीयत करता हूँ कि इससे तुम्हारे सब काम आरास्ता हो जायेंगें मैंने अर्ज़ की और वसियत फ़रमाइये फरमाया कि तेलावते कुरान और ज़िक्र अल्लाह को लाज़िम कर लो कि इसकी वजह से तुम्हारा ज़िक्र आसमान में होगा और ज़मीन में तुम्हारे लिए नूर होगा, मैंने कहा और वसीयत फ़रमाइये, इरशाद फ़रमाया, ज़्यादती ख़ामोशी लाज़िम कर लो कि इससे शैतान दफ़ा होगा, और तुम्हे दीन के कामों में मदद देगी, मैंने अर्ज़ की और वसियत फ़रमाइये फ़रमाया ज़्यादा हंसने से बचो कि यह दिल को मुर्दा कर देता है और चेहरा के नूर को दूर कर देता है, मैंने कहा और वसीयत कीजिये, फ़रमाया कि अल्लाह के बारे में मलामत करने वाले की मलामत से न डरो, मैंने कहा और वसियत कीजिये, फ़रमाया, तुमको दूसरे लोगों से रोके वह चीज़ जो तुम अपने नफ्स से जानते हो, यानी जो अपने अयूब की तरफ नज़र रखेगा दूसरों के अयूब में न पड़ेगा, और काम की बात यह है कि अपने ऐब पर नज़र की जाये ताकि उसके ज़ायल करने की कोशिश की जाये । रसूलल्लाह स०अ०स० ने फ़रमाया हवा को गाली न दो और जब देखो कि तुम्हे बुरी लगती है तो यह कहो कि इलाही मैं इसकी खैर का सवाल करता हूँ और जो कुछ इसमें खैर है और जिस खैर का उसे हुक्म हुआ और मैं इसके शर से पनाह मांगता हूँ और जो कुछ इसमें शर है और उसके शर से जिसका उसे हुक्म हुआ, सही मुस्लिम में है कि एक शख़्स ने अपनी सवारी के जानवर पर लानत की रसूलल्लाह स०अ०स० ने फ़रमाया इससे उतर जायो हमारे साथ में मलऊन चीज़ को लेकर न चलो, अपने ऊपर और अपने औलाद

व अमवाल पर बददोआ मत करो कहीं ऐसा न हो कि यह बददोआ उस साअत में हो जिसमें जो हुआ खुदा से की जाये कुबूल होती है । रसूलल्लाह स०अ०स० ने फ़रमाया जो शख्स दूसरे को फ़िस्क़ और कुफ्र की तोहमत लगाये और वह ऐसा न हो तो उस कहने वाले पर लौटता है और फ़रमाया दो शख्स गाली गलौज करने वाले उन्होंने जो कुछ कहा सबका बवाल उसके ज़िम्मा है जिसने शुरू किया है जब तक मज़लूम तजाऊज़ न करे यानी जितना पहले ने कहा उससे ज़्यादा न कहे । और फ़रमाया कि अल्लाहताला ने फ़रमाया इब्न आदम मुझे ईज़ा देता है कि दहर को बुरा कहता है दहर तो मैं हूँ मेरे हाथ में सब काम है रात और दिन को मैं बदलता हूँ यानी ज़माना को बुरा कहना अल्लाह को बुरा कहना है कि ज़माना में जो कुछ होता है वह सब अल्लाह की तरफ़ से होता है और फ़रमाया जब कोई शख्स यह कहे कि सब लोग हलाक हो गये तो सबसे ज़्यादा हलाक होने वाला यह है यानी जो शख्स तमाम लोगों को गुनेहगार और मुस्तहक़ नार बताये तो सबसे बढ़कर गुनेहकार वह खुद है और फ़रमाया सबसे ज़्यादा बुरा कयामत के दिन उसको पाओगे जो जुलवजहेन हो यानी दो रूखा आदमी कि इनके पास एक मुंह से आता है और उनके पास दूसरे मुंह से यानी मुनाफ़िक़ों की तरह कहीं कुछ कहता है और कहीं कुछ कहता है यह नहीं कि एक तरह की बात सब जगह कहे । हज़रत हुज़ैफ़ा र०अ०अ० कहते हैं कि रसूलल्लाह स०अ०स० को मैंने यह फ़रमाते सुना कि जन्नत में जुगुलखोर नहीं जायेगा । रसूलल्लाह स०अ०अ० ने फ़रमाया कि अल्लाह के नेक बन्दे वह हैं कि उनके देखने से खुदा याद आये और अल्लाह के बुरे बन्दे वह हैं जो चुगली खाते हैं, दोस्तों में जुदाई डालते हैं और जो शख्स जुर्म से बरी है उस पर तकलीफ़ डालना चाहते हैं । और फ़रमाया तुम्हें मालूम है ग़ीबत क्या है लोगों ने अर्ज की अल्लाह व रसूल खूब जानते हैं इरशाद फ़रमाया ग़ीबत यह है कि तू अपने भाई का उस चीज़ के साथ ज़िक्र करे जो उसे बुरी लगे । किसी ने अर्ज़ की अगर मेरे भाई में वह मौजूद हो जो मैं कहता हूँ (जब तो गीवत है और जब तुम ऐसी बात कहो जो उसमें नहीं तो बोहतान है । हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहताला अन्हा कहती हैं मैंने नबी करीन स०अ०स० से कहा, साफिया रज़ी०अ०अ० के लिए यह काफ़ी है कि वह ऐसी है ऐसी है यानी पस्त कद है हुज़ूर ने इरशाद फ़रमाया कि तुमने ऐसा कलमा कहा कि अगर समुंदर में मिलाया जाये तो उस पर ग़ालिब आ जाये यानी किसी पस्त कद को नाटा, ठिगना, कहना भी ग़ीबत ज़ेना से भी ज़्यादा सख्त चीज़ है । लोगों ने अर्ज की या रसूलल्लाह ज़ेना से ज़्यादा सख्त ग़ीबत क्यों कर, फ़रमाया कि मर्द ज़ेना करता है फिर तौबा करता है अल्लाह ताला उसकी तौबा कुबूल फ़रमाता है और ग़ीबत करने वाले की मग़फ़ेरत न होगी जब तक वह न माफ़ कर दे जिसकी ग़ीबत है और अनस रज़ी अ०अ० की रेवायत में है कि ज़ेना करने वाला तौबा करता है और ग़ीबत करने वाले की तौबा नहीं है । और फ़रमाया जिस शख्स को किसी मर्द

मुस्लिम की बुराई करने की वजह से खाने को मिला है अल्लाहताला उसको उतना ही जहन्नम से खिलायेगा, और जिसको मर्द मुस्लिम की बुराई की वजह से कपड़ा पहनने को मिला अल्लाहोताला उसको जहन्न का उतना ही कपड़ा पहनायेगा । और फ़रमाया ये वह लोग जो ज़ुबान से ईमान लाये और ईमान उनके दिलों में दाखिल नहीं हुआ मुसलमानों की ग़ीबत न करो और उनकी छिपी हुई बातों की टटोल न करो इसलिए की जो शख्स मुसलमान भाई की छिपी हुई चीज़ की टटोल करेगा अल्लाहोताला उसकी पोशीदा चीज़ की टटोल करेगा । और जिसकी अल्लाह टटोल करेगा उसको रूसवा कर देगा, अगरचे वह अपने मकान के अन्दर हो । और फ़रमाया जब मुझे मेएराज हुई एक कौम पर गुज़रा जिनके नाखुन ताबें के थे वह अपने मुंह और सीने को नोचते थे, मैंने कहा, जिबराइल यह कौन लोग है, जिबराईल ने कहा यह वह है जो लोगों का गोश्त खाते थे और उनकी आबरू रेज़ी करते थे और फ़रमाया कि जहाँ मर्द मुस्लिम की हतके हुरमत की जाती हो और उसकी आबरू रेज़ी की जाती हो ऐसी जगह जिसने उसकी मदद न की यानी यह खामोश सुनता रहा और उनको मना न किया तो अल्लाहोताला उसकी मदद नहीं करेगा जहाँ उसे पसन्द हो कि मदद की जाये और जो शख्स मर्द मुस्लिम की मदद करेगा ऐसे मौके पर जहाँ उसकी हतके हुरमत और आबरू रेजी की जा रही है तो अल्लाहोताला उसकी मदद फ़रमायेगा ऐसे मौके पर जहाँ उसे महबूब है कि मदद की जायें, और फ़रमाया एक मोमिन दूसरे मोमिन का आईना है और मोमिन, मोमिन का भाई है उसकी चीज़ों को हलाक होने से बचाये और ग़ैबत मे उसकी हिफ़ाज़त करें । और फ़रमाया जो शख्स ऐसी चीज़े देखे जिसको छुपाना चाहिए और उसने पर्दा डाल दिया यानी छुपा दी तो ऐसा है जैसे मउदह यानी जिन्दा दरगोर को जिन्दा किया । और फ़रमाया जिसने अपने भाई को ऐसे गुनाह पर आर दिलाया जिससे वह तौबा कर चुका है तो मरने से पहले वह खुद उस गुनाह में मुबतला हो जायेगा । और फ़रमाया अपने भाई की शमातत न कर यानी उसकी मुसीबत पर इज़हारे मसर्रत न कर कि अल्लाह ताला उस पर रहम करेगा और तुझे उसमें मुबतला करेगा ।

मस्अला- ग़ीबत के यह माने हैं कि किसी शख्स के पोशीदा ऐब को जिसको वह दूसरो के सामने जाहिर होना पसन्द करता हो उसकी बुराई के तौर पर ज़िक्र करना, और अगर उसमें वह बात ही न हो तो यह ग़ीबत नहीं बल्कि बोहतान है । कुरान मजीद में फ़रमाया तुम आपस में एक दूसरे की ग़ीबत न किया करो तुममें कोई इस बात को पसन्द करता है कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाये, इसको तो तुम बुरा समझते हो । अहादीस में भी ग़ीबत की बड़ी बुराई आई है चन्द हदीसें ज़िक्र कर दी गयी इन्हें ग़ौर से पढ़ो इस हराम से बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज कल मुसलमानों में यह बला बुहत फैली हुई है इससे बचने की तरफ़ बिलकुल तवज्जुह नहीं करते । बहुत कम मजलिसें ऐसी होती है जो चुगली और ग़ीबत से महफ़ूज़ हो ।

मस्अला- एक शख्स नमाज़ पढ़ता है और रोज़े रखता है मगर अपनी ज़ुबान और हाथ से दूसरे मुसलमानों ज़रर पहुचांता है उसकी इस ईज़ा रसानी को लोगों के सामने बयान करना ग़ीबत नहीं क्योंकि इस ज़िक्र का मक़सद यह है कि लोग उसकी इस हरकत

से वाकिफ़ हो जायें और उससे बचते रहें कहीं ऐसा न हो कि उसकी नमाज़ और रोज़े से धोखा खा जायें और मुसीबत से मुबतला हो जायें, हदीस में इरशाद फ़रमाया कि क्या तुम फ़ाजिर के ज़िक्र से डरते हो, जो खराबी की बात उसमें है बयान कर दो ताकि लोग उससे परहेज़ करें और बचें★ ।

मस्अला- ऐसे शख्स का हाल जिसका ज़िक्र ऊपर गुज़रा अगर बादशाह या काज़ी से कहा ताकि उसे सज़ा मिले और अपनी हरकत से बाज़ आये यह ग़ीबत और चुग़ली में दाखिल नहीं, यह हुक्म फ़ाजिर व फ़ासिक का है जिसके शर से बचाने के लिए लोगों पर उसकी बुराई खोल देना जायज़ है और ग़ीबत नहीं, अब समझना चाहिए कि बद अक़ीदा लोगों का ज़रर से बहुत ज़ायद है फ़ासिक से अकसर दुनियां का ज़रर होता है और बदमज़हब से तो दीन ईमान की बरबादी का ज़रर है और बद मज़हब अपनी बदमज़बी फैलाने के लिए नमाज़ रोज़ा की बज़ाहिर खूब पाबन्दी करते हैं ताकि उनका बक़ार लोगों में क़ायम हो फिर जो गुमराही की बात करेंगे उनका पूरा असर होगा, लेहाज़ा ऐसों की बदमजहबी का इज़हार फ़ासिक के फ़िस्क के इज़हार से ज्यादा होगा, लेहाज़ा ऐसों की बदमजहबी का इज़हार फ़ासिग के फ़िस्क के इज़हार से ज्यादा अहम है उसके बयान करने में हरगिज़ दरेग़ न करें, आजकल के बाज़ नीम मोलवी और बने सूफ़ी अपना तक़द्दुस व परहेज़गारी ज़ाहिर करने के लिए यह कहते हैं कि हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए उनकी यह बात शैतानी धोखो है, मखलूके खुदा को गुमराहों से बचाना यह कोई मामूली बात नहीं बल्कि यह अंम्बिया इकराम अलैहुमुस्सलाम की सुन्नत है जिसको नाकार तावीलात से छोड़ना चाहता है और इसका मक़सूद यह होता है कि मैं हरदिल अज़ीज़ बनूं, क्यों किसी को अपना मुखालिफ़ करूँ ।

मस्अला- फ़क़ीह अबुल्लैस ने फ़रमाया कि ग़ीबत चार क़िस्म की है, एक कुफ़्र उसकी सूरत यह है कि एक शख्स ग़ीबत कर रहा है उससे कहा गया कि ग़ीबत न करो, कहने लगा यह ग़ीबत नहीं मैं सच्चा हूं उस शख्स ने एक हराम कत्ई को हलाल बताया, दूसरी सूरत नेफ़ाक़ है कि एक शख्स की बुराई करता है और उसका नाम नहीं लेता मगर जिसके सामने बुराई करता है वह उसको जानता पहचानता है लेहाज़ा यह ग़ीबत करता है, और अपने को परहेज़गार ज़ाहिर करता है । यह एक क़िस्म का नेफ़ाक़ है । तीसरी सूरत मआसियत है वह यह कि ग़ीबत करता है और यह जानता है कि हराम काम है, ऐसा शख्स तौबा करे । चौथी सूरत मुबाह है वह यह है कि फ़ासके मुअलिन या बद मज़हब की बुराई बयान करे बल्कि जबकि लोगों को उसके शर से बचाना मक़सूद हो तो सवाब मिलने की उम्मीद है ।

मस्अला- जो शख्स आलानीया बुरा काम करता है और उसको उसकी

★ रसूलुल्लाह स०अ०व० ने फ़रमाया क्या फ़ाजिर के ज़िक्र से बचते हो, उसको लोग कब पहचानेंगे फ़ाजिर का ज़िक्र उस चीज़ के साथ करो जो उसमें है ताकि लोग उससे बचें और फ़रमाया फ़ासिक़ की ग़ीबत नहीं है और फ़रमाया जब फ़ासिक़ की मदह की जाती है रब्बुल इज़्ज़त ग़ज़ब फ़रमाता है और अर्श जुम्बिश करने लगता है ।

परवाह नहीं कि लोग उसे क्या कहेगें उसकी बुरी हरकत का बयान करना ग़ीबत नहीं मगर उसकी दूसरी बातें जो जाहिर नहीं है उनको ज़िक्र करना ग़ीबत में दाखिल है, हदीस में है कि जिसने हया का हिजाब अपने चेहरे से हटा दिया, उसकी ग़ीबत नहीं ।

मस्अला- जिससे किसी बात का मश्वरा लिया गया वह अगर उस शख्स का ऐब व बुराई ज़ाहर करें जिसके मुताल्लिक मशवरा है यह ग़ीबत नहीं, हदीस में है जिससे मश्वरा लिया जाये वह अमीन है लेहाज़ा उसकी बुराई ज़ाहिर न करना ख्यानत है मसलन किसी के यहाँ अपना या अपनी औलाद वग़ैरह का निकाह करना चाहता है दूसरे से उसके मुताल्लिक तज़करा किया कि मेरा एरादा ऐसा है तुम्हारी क्या रायहै उस शख्स को जो कुछ मालूमात है बयान कर देना ग़ीवत नहीं, इसी तरह किसी के साथ तेजारत वग़ैरह में शिरकत करना चाहता है या उसके पास कोई चीज़ अमानत रखना चाहता है या किसी के पड़ोस में सुकूनत करना चाहता है और उसके मुताल्लिक़ दूसरे से मश्वरा लेता है, यह शख्स उसकी बुराई बयान करे ग़ीबत नहीं ।

मस्अला- ग़ीबत जिस तरह ज़ुबान से होती है फ़ेल से भी होती है सराहत के साथ बुराई की जाये या तारीज़ व केनाया के साथ हो सब सूरतें हराम है, बुराई को जिस नौइयत से समझा जायेगा, सब ग़ीबत में दाखिल है, तआरीज़ की सूरत यह है कि "किसी का ज़िक्र करते वक़्त यह कहा कि अल्हम्दोल्लिह मैं ऐसा नहीं, जिसका यह मतलब हुआ कि वह ऐसा है, किसी की बुराई लिख दी यह भी ग़ीबत है । सिर वग़ैरह की हरकत भी ग़ीबत हो सकती है मसलन किसी की खुबियों का तज़केरा था उसे सिर के इशारे से यह बताना चाहा कि उसमें जो कुछ बुराइयां है उनसे तुम वाक़िफ़ नहीं । होटों, आखों और भौं और ज़ुबान या हाथ के इशारा से भी ग़ीबत हो सकती है, एक हदीस में है हज़रत आयशा रज़ीअल्लाहोताला अन्हा फ़रमाती हैं एक औरत हमारे पास आई जब वह चली गयी तो मैंने हाथ के इशारा से बताया कि वह नाटी है, हुज़ूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने इरशाद फ़रमाया तुमने उसकी ग़ीबत की ।

मस्अला- एक सूरत ग़ीबत की नक़ल है मसलन किसी लगड़े की नक़ल करे और लगड़ा कर चले, या जिस चाल से कोई चलता हो उसकी नक़ल उतारी जाये यह भी ग़ीबत है बल्कि ज़ुबान से कह देने से यह ज़्यादा बुरा है क्योंकि नक़ल करने में पूरी तस्वीर कशी और बात को समझाना पाया जाता है कि कहने में यह बात नहीं होती ।

मस्अला- जिस तरह ज़िन्दा आदमी की ग़ीबत हो सकती है मरे हुए मुसलमान को बुराई के साथ याद करना भी ग़ीबत है जबकि वह सूरतें न हो जिनमें ओयूब का बयान करना ग़ीबत में दाखिल नहीं, मुस्लिम की ग़ीबत जिस तरह हराम है, क़ाफ़िर ज़िम्मी की भी नाजायज़ है कि इनके हुक़ूक़ भी मुस्लिम की तरह है, काफ़िर हरबी की बुराई करना ग़ीबत नहीं ।

मस्अला- किसी की बुराई उसके सामने करना अगर ग़ीबत में दाखिल न भी हो जबकि ग़ीबत में पीठ पीछे बुराई करना मोतबर हो, मगर यह उससे बढ़कर हराम है क्योंकि ग़ीबत में जो वजह है वह यह है कि ईज़ाये मुस्लिम है, वह यहाँ बदर्जा औला पाई जाती है, ग़ीबत में तो यह एहतेमाल है कि उसे इत्तेला मिले या न मिले, अगर उसे इत्तेला न हुई तो ईज़ा भी न हुई मगर एहतेमाले ईज़ा को यहाँ ईज़ा क़रार दे कर शरअये मुतहर ने हराम किया और मुंह पर उसकी मज़म्मत करना तो हक़ीक़तन ईज़ा है फिर यह हराम क्यों न हो, बाज़ लोगों से जब कहा जाता है कि तुम फ़लां की ग़ीबत क्यों करते हो वह नेहायत दिलेरी के साथ यह कहते हैं मुझे उसका डर पड़ा है, चलो मैं उसके मुंह पर यह बातें कह दूँगा उनको यह मालूम होना चाहिए कि पीठ पीछे उसकी बुराई करना ग़ीबत व हराम है और मुंह पर कहोगे तो यह दूसरा हराम होगा अगर तुम उसके सामने कहने की जुरअत रखते हो तो उसकी वजह से ग़ीबत हलाल नहीं होगी।

मस्अला- ग़ीबत के तौर पर जो ओयूब बयान किये जायें वह कई क़िस्म के हैं उसके बदन में ऐब हो मस्लन अंधा, काना लगंड़ा, लूला, होंट कटा, नक चिपटा वग़ैरह या नसब के एताबर से वह ऐब समझा जाता हो मस्लन उसके नसब में यह खराबी है उसकी दादी, नानी चमारी थी, हिन्दोस्तान वालों ने पेशा को भी नसब ही का हुक्म दे रखा है लेहाजा बतौर ऐब किसी को धुनिया जूला कहना भी ग़ीबत व हराम है, अखलाक़ व अफ़आल की बुराई या उसकी बातचीत में खराबी मसलन हकला तोतला, या दीनदारी में वह ठीक न हो यह सब सूरतें ग़ीबत में दाखिल है यहाँ तक कि उसके कपड़े अच्छे न हो या मकान अच्छा न हो इन चीज़ों को भी इस तरह से ज़िक्र करना जो उसे बुरा मालूम हो, नाजायज़ है।

मस्अला- जिसके सामने किसी की ग़ीबत की जाये उसे लाज़िम है कि ज़ुबान से इनकार कर दे मस्लन कह दे कि मेरे सामने उसकी बुराई न करो, अगर ज़ुबान से इन्कार करने में उसको खौफ़ व अन्देशा है तो दिल से उसे बुरा जाने, और मुमकिन हो तो यह शख्स जिसके सामने बुराई की जा रही है वहाँ से उठ जाये या उस बात को काट कर कोई दूसरी बात शुरू कर दे ऐसा न करने में सुनने वाला भी गुनेहगार होगा। ग़ीबत का सुनने वाला भी ग़ीबत करने वाले के हुक्म में है। हदीस में है ज़िसने अपने मुस्लिम भाई की आबरू, ग़ीबत से बचाई अल्लाहताला के ज़िम्मा करम पर यह है कि वह उसे जहन्नम से आज़ाद कर दें।

मस्अला- जिसकी ग़ीबत की अगर उसको उसकी खबर हो गयी तो उससे माफ़ी मांगनी ज़रूरी है कि उसके सामने यह कह दे (कि मैंने तुम्हारी इस तरह ग़ीबत या बुराई की तुम माफ़ कर दो)।

उससे माफ कराये और तौबा करे तब उससे बरी जिम्म होगा और अगर उसको खबर न हुई तो तौबा और नदामत★ काफ़ी है ।

मस्अला :- माफ़ी मांगने में यह ज़रूर है कि ग़ीबत के मुक़ाबिल में उसकी सनाये हसन करे और उसके साथ इज़हारे मोहब्बत करे कि उसके दिल से यह बात जाती रहे और फ़र्ज़ करो उसने ज़ुबान से माफ़ कर दिया मगर उसका दिल उससे खुश न हुआ तो उसका माफ़ी मांगना और इज़हारे मोहब्बत करना ग़ीबत की बुराई के मुक़ाबिल हो जायेगा और आखेरत में मुवाखज़ा न होगा ।

मस्अला :- इमाम गज़ाली अलैहिर्रहमत यह फ़रमाते हैं कि जिसकी ग़ीबत की वह मर गया या कहीं ग़ायब हो गया उससे क्यों कर माफ़ी मांगे, यह मामला बहुत दुश्वार हो गया उसको चाहिए कि नेक काम की कसरत करे ताकि अगर उसकी नेकियाँ ग़ीबत के बदले में दे दी जायें जब भी उसके पास नेकियां बाकी रह जायें ।

मस्अला :- किसी के मुंह पर उसकी तारीफ़ करना मना है, और पीठ पीछे तारीफ़ की अगर यह जानता है कि मेरे इस तारीफ़ करने की खबर उसको पहुँच जायेगी, यह भी मना है तीसरी सूरत यह है कि पसे पुश्त तारीफ़ करता है इसका ख्याल भी नहीं करता कि उसे खबर पहुँच जायेगी, या न पहुँचेगी, यह जायज़ है, मगर यह ज़रूर है कि तारीफ़ में जो खूबियाँ बयान करे वह उसमें हों, शोअरा की तरह अनहोनी बातों के साथ तारीफ़ न करे कि यह नेहायत दर्जा क़बीह★★ है ।

बुग्ज़ व हसद का बयान-

क़ुरान मजीद में इरशाद हुआ, "और उसकी आरज़ू मत करो, जिससे अल्लाह ने तुममें एक को दूसरे पर बड़ाई दी, मर्दों के लिये उनकी कमाई से हिस्सा

★ (मस्अला :- अगर उसकी ऐसी बुराईया बयान की हैं जिनको वह छिपाता था यानी यह नहीं चाहता था कि लोग इन पर मुत्तला हों तो माफ़ी मांगने मे उन अयूब की तफ़सील न करे बल्कि मुबहम तौर पर यह कह दे कि मैंने तुम्हारे ओयूब लोगों के सामने ज़िक्र किये हैं, तुम माफ़ कर दो और अगर ऐसे ओयूब न हों तो तफसील के साथ बयान करे इसी तरह अगर वह बातें ऐसी हो जिनके ज़ाहिर करने में फ़ितना पैदा होने का अन्देशा है तो ज़ाहिर न करें बाज ओलमा का यह क़ौल है कि हुक़ूक़ मजहूला को माफ कर देना भी सही है और इस तरह भी माफ़ी हो सकती है लेहाज़ा इस कौल पर बेना की जाये और ऐसी खास सूरतो मे तफसील न की जाये ।

★★ (हज़रत मिक़्दाद कहते हैं कि रसूल्लाह ने फ़रमाया मुबालगा के साथ मदह करने वालों को जब तुम देखो, तो उनके मुँह में खाक़ डाल दो, नबी करीम ने एक शख्स को सुना कि दूसरों की तारीफ करता है और तारीफ में मुबालगा करता है फ़रमाया तुम ने उसे हलाक कर दिया या उसकी पीठ तोड़ दी । नबी करीम के सामने एक शख्स ने एक शख्स की तारीफ की, हुज़ूर ने फ़रमाया तुझे हलाकत होतूने अपने भाई की गर्दन काट दी, इस को तीन मरतबा फ़रमाया, जिस शख्स को किसी की तारीफ़ करनी ज़रूरी ही हो तो यह कहे कि मेरे गुमान में फ़लां ऐसा है अगर उसके इल्म में हो कि वह ऐसा है और अल्लाह इसको खूब जानता है और अल्लाह पर किसी का तज़किया न करे यानी जज़्म और यक़ीन के साथ किसी की तारीफ़ न करे ।

है और औरतों के लिये उनकी कमाई से हिस्सा, और अल्लाह से उसका फ़ज़ल माँगों, बेशक अल्लाह हर चीज़ को जानता है", और फ़रमाता है— "तुम कहो मैं पनाह माँगता हूँ हासिद के शर से जब वह हसद* करता है ।"

ज़ुल्म की बुराई

रसूलुल्लाह ने फ़रमाया जिसके ज़िम्मा उसके भाई का कोई हक़ हो वह आज ही उससे माफ़ करा ले इससे पहले कि न अशर्फ़ी होगी न रुपया, बल्कि उसके अमल सालेह बक़द्रे हक़ लेकर दूसरे को दे दिये जायेंगें और अगर उसके पास नेकियाँ न होगीं तो दूसरे के गुनाह उस पर लाद दिये जायेंगें, और फ़रमाया तुम्हें मालूम है मुफ़लिस कौन है लोगों ने अर्ज की हममें मुफ़लिस वह है कि न उसके पास रूपया है न मताअ । फ़रमाया, मेरी उम्मत में मुफ़लिस वह है कि क़यामत के दिन नामाज, रोज़ा, ज़कात लेकर आयेगा और इस तरह आयेगा कि किसी को गाली दी है किसी पर तोहमत लगाई है किसी का माल खा लिया है किसी का खून बहाया है किसी को मारा है लेहाज़ा उसकी नेकियाँ उसकोदे दी जायेंगी अगर लोगों के हुक़ूक़ पूरे होने से पहले नेकियाँ खत्म हो गई तो उसकी खताएं उस पर डाल दी जायेगीं, फिर उसे जहन्नम में डाल दिया जायेगा, और फ़रमाया जो शख्स अल्लाह की खुशनूदी का तालिब हो लोगों की नाराजी के साथ यानी अल्लाह राज़ी हो चाहे लोग नाराज़ हों हुआ करें इसकी कोई परवाह न करे, अल्लाहताला लोगों से उसकी केफ़ायत करेगा, और जो शख्स लोगों को खुश रखना चाहेगा अल्लाह की नाराजगी के साथ अल्लाहताला उसको आदमियों के सुपुर्द कर देगा और फ़रमाया सबसे बुरा क़यामत के दिन वह बन्दा है जिसने दूसरे की दुनिया के बदले में अपनी आखेरत बर्बाद कर

★ रसूलल्लाह ने फ़रमाया हसद नेकियों को इस तरह खाता है जिस तरह आग लकड़ी को खाती है, और सदक़ा खता को बुझाता है जिस तरह पानी आग को बुझाता है और फ़रमाया कि हसद ईमान को इस तरह बिगाड़ता है जिस तरह एल्वा शहद को बिगाड़ता है और फ़रमाया कि हसद और चुग़ली और कहावत न मुझसे है और न मैं इन से हूँ यानी मुसलमानों को इन चीज़ों से बिलकुल ताल्लुक़ न होना चाहिये, और फ़रमाया आपस में न हसद करो न बुग्ज़ करो न पीठ पीछे बुराई करो, और अल्लाह के बन्दे भाई, भाई होकर रहो, और फ़रमाया अल्लाहताला शअबान की पन्द्रहवीं शब में अपने बन्दों पर खास तजल्ली फ़रमाता है जो इस्तेग़फ़ार करते हैं उनकी मग़फ़रत करता है और जो रहम की दरख्वासत करते हैं उन पर रहम करता है और अदावत वालों को उनकी हालत पर छोड़ देता है और फ़रमाया हर हफ्ता में दो बार दोशंम्बा और पंजशम्बा को लोगों के आमाल नामे पेश होते हैं, हर बन्दे की मग़फ़रत होती है मगर वह शख्स कि उसके भाई के दर्मियान अदावत हो उनके मुताल्लिक़ यह फ़रमाता है कि उन्हे छोड़ दो उस वक्त तक कि वह बाज़ आएं ।)

मस्‌अला:- हसद हराम है अहादीस में इसकी बहुत मज़म्मत वारिद हुई । हसद के यह माने हैं कि किसी शख्स में खूबी देखी उसको अच्छी हालत में पाया उसके दिल में यह आरज़ू है कि यह नेमत उससे जाती रहे और मुझे मिल जाये, और अगर यह तमन्ना है कि मैं भी वैसा ही हो जाऊँ मुझे भी वह नेमत मिल जाए यह हसद नहीं, इसको ग़िब्ता कहते हैं जिसको लोग रश्क से ताबीर करते हैं ।

दी, और फ़रमाया मज़लूम की बद्दुआ से बच कि वह अल्लाह से अपना हक़ माँगेगा, और किसी हक़ वाले के हक़ से अल्लाह मना नहीं करेगा ।

गुस्सा और तकब्बुर का बयान

रसुलुल्लाह ने फ़रमाया गुस्सा ईमान को ऐसा खराब करता है जिस तरह एलवा शहद को खराब कर देता है और फ़रमाया जो शख्स अपनी जुबान को महफ़ूज़ रखेगा अल्लाह उसकी पर्दापोशी फ़रमायेगा और जो अपने गुस्से को रोकेगा क़यामत के दिन अल्लाहताला अपना अज़ाब उससे रोक देगा, और जो अल्लाह से उज़्र करेगा अल्लाह उसके उज़्र को कुबूल फ़रमायेगा, और फ़रमाया गुस्सा शैतान की तरफ़ से है और शैतान आग से पैदा होता है और आग, पानी ही से बुझाई जाती है लेहाज़ा जब किसी को गुस्सा आ जाये तो वज़ू कर ले और फ़रमाया, जब किसी को गुस्सा आये और वह खड़ा हो तो वह बैठ जाये अगर गुस्सा चला जाये फ़बेहा, वरना लेट जाये, और फ़रमाया मुतकबेरीन का हश्र क़यामत के दिन चीटियों के बराबर जिस्मों में होगा और उनकी सूरतें आदमियों की होंगी हर तरफ़ से उन पर ज़िल्लत छाई हुई होगी उन को खींच कर जहन्नम के क़ैद खाना की तरफ़ ले जाएंगें जिस का नाम बोलस है उन के ऊपर आगों की आग होगी, जहन्नुमियों का निचोड़ा उन्हें पिलाया जायेगा, जिसको तीनतुलखेबाल कहते हैं । कुरान मजीद में है........ मुतकब्बेरीन का ठेकाना जहन्नुम है, रसूलुल्लाह ने फ़रमाया किया मैं तुमको जन्नत वालों की खबर न दूँ वह ज़ईफ़ हैं जिनको लोग ज़ईफ़ व हक़ीर जानते हैं (मगर है यह कि) अगर अल्लाह पर क़सम खा बैठे तो अल्लाह उसको सच्चा कर दे और क्या जहन्नम वालों की खबर न दूँ वह सख्तगो, सख्तखूतकब्बुर वाले हैं और फ़रमाया जो अल्लाह के लिये तवाज़ो करता है अल्लाह उसको बलन्द करता है वह अपने नफ़्स में छोटा मगर लोगों की नज़रों में बड़ा है और जो बड़ाई करता है अल्लाह इसको पस्त करता है वह लोगों की नजरों में ज़लील है और अपने नफ़्स में बड़ा है, वह लोगों के नज़दीक कुत्ते, सुअर से भी ज़्यादा हक़ीर है, और फ़रमाया तीन चीज़ें नेजात देने वाली है, और तीन हलाक करने वाली है, नेजात वाली चीज़ें यह है, पोशीदा और ज़ाहिर में अल्लाह से तक़वा, खुशी और नाखुशी में हक़ बात बोलना, मालदारी और एहतियाज की हालत में दरमियानी चाल चलना । हलाक करने वाली यह है, ख्वाहिशे नफ़सानी की पैरवी करना, और बुख्ल की एताअत, और अपने नफ़्स के साथ घमन्ड करना, यह सबमें सख्त है ।

हिज्र और क़तआ ताल्लुक़ की मुमानियत

रसूलुल्लाह ने फ़रमाया, आदमी के लिये यह हलाल नहीं कि अपने भाई को तीन दिन से ज़्यादा छोड़ रखे, कि दोनों मिलते हैं एक इधर मुँह फेर लेता है दूसरा उधर मुँह फेर लेता है, और इन दोनों में बेहतर वह है जो इबतेदाअन सलाम करे और फ़रमाया, कि मुस्लिम के लिये यह नहीं है कि दूसरे मुस्लिम

को तीन दिन से ज़्यादा छोड़ रखे जब उससे मुलाक़ात हो तो तीन मरतबा सलाम करे अगर उसने जवाब नहीं दिया तो उसका गुनाह भी उसी के ज़िम्मा है और फ़रमाया, मोमिन के लिये यह हलाल नहीं कि मोमिन को तीन दिन से ज़्यादा छोड़ दे अगर तीन दिन गुज़र गये मुलाक़ात करले और सलाम करे अगर दूसरे ने सलाम का जवाब दे दिया तो उज्र में दोनों शरीक हो गये और अगर जवाब नहीं दिया तो गुनाह उसके ज़िम्मा है, और यह शख़्स छोड़ने के गुनाह से निकल गया । अबूख़राश सलमीरज़ी अल्लाहोताला अन्होने रसूलुल्लाह को फ़रमाते सुना कि जो शख़्स अपने भाई को साल भर छोड़ दे तो यह उसके क़त्ल के मिस्ल है । रसूलुल्लाह ने फ़रमाया मुस्लिम के लिये हलाल नहीं कि अपने भाई को तीन दिन से ज़्यादा छोड़ दे फिर जिसने ऐसा किया और मर गया तो जहन्नम में गया ।

'सुलूक करने का बयान'

कुरान मजीद में है— "जो लोग अल्लाह के अहद को मज़बूती के बाद तोड़ते हैं और अल्लाह ने जिस के जोड़ने का हुक्म दिया है उसे काटते हैं और ज़मीन में फ़साद करते हैं उनके लिये लानत है और उनके लिये बुरा घर है, तुम फ़रमाओ जो कुछ नेकी में ख़र्च करो तो वह माँ, बाप, क़रीब के रिश्तेदारों और यतीमों और मिसकीनों और राहगीरों के लिये हो और जो कुछ भलाई करोगे बेशक अल्लाह उसको जानता है, और तुम्हारे रब ने हुक्म फ़रमाया कि उसके सिवा किसी को न पूजो और माँ, बाप के साथ अच्छा सुलूक करो, अगर तेरे सामने उनमें एक या दोनों बुढ़ापे को पहुँच जायें तो उनसे उफ़ न कहना और उन्हें न झिड़कना और उनसे इज़्ज़त की बात कहना और उनके लिये आजिज़ी का बाज़ू बिछा दे नर्म दिली से और यह कह कि ऐ मेरे परवरदिगार इन दोनों पर रहम कर जैसा कि उन्होंने बचपन में मुझे पाला और हमने इंसान को माँ, बाप के साथ भलाई करने की वसियत की और अगर वह तुझसे कोशिश करें कि मेरा शरीक ठहरा ऐसे को जिसका तुझे इल्म नहीं तो उनका कहना न मान" बहज़ बिन हकीम के दादा कहते हैं मैंने अर्ज़ की या रसूलुल्लाह किसके साथ एहसान करूँ । फ़रमाया अपनी माँ के साथ, मैंने कहा फिर किसके साथ, फ़रमाया अपनी माँ के साथ, मैंने कहा फिर किसके साथ, फ़रमाया अपनी माँ के साथ, मैंने कहा फिर किसके साथ फ़रमाया अपने बाप के साथ, फिर उसके साथ जो ज़्यादा क़रीब हो, फिर उसके बाद जो ज़्यादा करीब हो । रसूलुल्लाह स०अ०स० ने फ़रमाया कि ज़्यादा एहसान करने वाला वह है जो अपने बाप के दोस्तों के साथ बाप न होने की सूरत में एहसान करे यानी जब बाप मर गया या कहीं चला गया हो ।

हज़रत असमा बिन्त अबीबकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहोताला अन्हा कहती हैं जिस ज़माना में कुरैश ने हुज़ूर से मुआहदा किया था मेरी माँ जो मुशरिका थी मेरे पास आई, मैंने अर्ज़ की या रसूल्लाह मेरी माँ आई हैं और वह इस्लाम

की तरफ़ राग़िब है या वह इस्लाम से एराज़ किये हुये है क्या मैं उसके साथ सुलूक करूँ, इरशाद फ़रमाया उसके साथ सुलूक करो यानी काफ़िरा माँ के साथ भी सुलूक किया जायेगा । रसूल्लाह स०अ०स० ने फ़रमाया यह बात कबीरह गुनाहों में है कि आदमी अपने वालेदैन को गाली दे । लोगों ने अर्ज़ की या रसूल्लाह क्या कोई अपने वालेदैन को भी गाली देता है फ़रमाया हाँ, इसकी सूरत यह है कि यह दूसरे के बाप को गाली देता है वह इसके बाप को गाली देता है और यह दूसरे की माँ को गाली देता है वह इसकी माँ को गाली देताहै सहाबाऐ केराम जिन्होंने अरब का ज़माना जाहिलियत देखा था उनकी समझ में यह नहीं आया कि अपने माँ, बाप को कोई गाली क्यों कर देगा यानी यह बात उनकी समझ से बाहर थी हुज़ूर ने बताया कि मुराद दूसरे से गाली दिलवाना है । और अब वह ज़माना आया कि बाज़ लोग खुद अपने माँ, बाप को गालियाँ देते हैं और कुछ लेहाज नहीं करते और फ़रमाया परवरदिगार की खुशनूदी बाप की खुशनूदी में है और परवरदिगार की ना खुशी बाप की नाराज़गी में है ।

तिरमिज़ी और इब्न माजह ने रिवायत की कि एक शख्स अबुल्दरदा रज़ी अल्लाहोताला अन्हो के पास आया और यह कहा कि मेरी माँ मुझे यह हुक्म देती है कि मैं अपनी औरत को तलाक़ दे दूँ, अबुल्दरदा रज़ी अल्लाहताला अन्होंने फ़रमाया कि मैंने रसूल्लाह स०अ०स० को फ़रमाते सुना कि माँ जन्नत के दरवाजों में बीच का दरवाज़ा है अब तेरी खुशी है कि इस दरवाज़ा की हिफ़ाज़त करे या ज़ाया कर दे, अबू ओमामा र०ता०अ० से रिवायत है कि एक शख्स ने अर्ज़ की या रसूल्लाह वालिदैन का औलाद पर क्या हक है, फ़रमाया कि वह दोनों तेरी जन्नत दोज़ख हैं, यानी उनको राज़ी रखने में जन्नत मिलेगी, और नाराज़ रखने से दोज़ख के मुस्तहिक़ होंगे । रसूल्लाह स०अ०स० ने फ़रमाया कि जिसने इस हाल में सुबह की कि अपने वालिदैन का फ़रमांबरदार है उसके लिये सुबह ही को जन्नत के दरवाज़े खुल जाते हैं और वालिदैन में से एक ही हो तो एक दरवाज़ा खुलता है और जिसने इस हाल में सुबह की कि वालिदैन के मुताल्लिक खुदा की नाफ़रमानी करता है उसके लिये सुबह ही को जहन्नम के दरवाजे खुल जाते हैं और एक हो तो एक दरवाज़ा खुलता है । एक शख्स ने कहा अगरचा माँ, बाप उस पर ज़ुल्म करें, फ़रमाया अगरचा ज़ुल्म करें, अगरचा ज़ुल्म करें, अगरचा ज़ुल्म करें और फ़रमाया जब औलाद अपने वालिदैन की तरफ़ नज़रे रहमत करे तो अल्लाह ताला उसके लिये हर नज़र के बदले हज्जे मबरूर का सवाब लिखता है, लोगों ने कहा अगरचा दिन में सौ मरतबा नज़र करे फ़रमाया, हाँ, अल्लाह बड़ा है और अत्यब है यानी उसे सब कुछ कुदरत है इससे पाक है कि उसको उसके देने से आजिज़ कहा जाये । हज़रत जाहेमह हुज़ूरे अक़दस स०अ०स० की खिदमत में हाज़िर हुये और अर्ज़ की या रसूल्लाह मेरा इरादा जेहाद में जाने का है, हुज़ूर से मश्वरा लेने को हाज़िर हुआ हूँ, इरशाद फ़रमाया तेरी माँ है, अर्ज़ की, हाँ, फ़रमाया उसकी खिदमत लाज़िम कर ले कि जन्नत उसके क़दम के पास है ।

रसूल्लाह स०अ०स० ने फ़रमाया कि मन्नान यानी एहसान जताने वाला और वालिदैन की नाफ़रमानी करने वाला और शराब खोरी की मुदावमत करने वाला जन्नत में नहीं जायेगा, अबी उसैद साअदी रज़ी अल्लाहताला अन्हु कहते हैं हम लोग रसूल्लाह स०अ०स० की खिदमत में हाज़िर थे कि बनी सलमा में का एक शख्स हाज़िर हुआ और अर्ज की या रसूल्लाह मेरे वालिदैन मर चुके हैं अब भी उनके साथ एहसान का कोई तरीक़ा बाक़ी है, फ़रमाया, हाँ उनके लिये दुआ व इस्तेग़फार करना और जो उन्होंने अहद किया है उसको पूरा करना और जिस रिश्ता वाले के साथ उन्हीं की वजह से सुलूक किया जा सकता हो उसके साथ सुलूक करना और उनके दोस्तों की इज़्ज़त करना । रसूल्लाह स०अ०स० ने फ़रमाया बड़े भाई का छोटे भाई पर वैसा ही हक़ है जैसा कि बाप का हक़ औलाद पर है और फ़रमाया रहम (रिश्ता) रहमान से मुश्तक़ है अल्लाहताला ने फ़रमाया जो तुझे मिलाऐगा मैं उसे मिलाऊँगा और जो तुझे काटेगा मैं उसे काटूँगा और फ़रमाया कि रिश्ता अर्शे इलाही से लिपट कर यह कहता है जो मुझे मिलायेगा अल्लाह उसको मिलायेगा और जो मुझे काटेगा अल्लाह उसे काटेगा और फ़रमाया किजो यह पसन्द करे कि उसके रिज़्क़ में वुसअत हो और उसके असर (उमर मे) ताखीर की जाये तो अपने रिश्ता वालों के साथ सुलूक करे और फ़रमाया जिसको यह पसन्द हो कि उमर में दराज़ी हो और रिज़्क़ में उसअतहो और बुरी मौत दफ़ा हो वह अल्लाहताला से डरता रहे और रिश्ता वालों से सुलूक करे और फ़रमाया ऐ उक़बा दुनिया व आखेरत के अफ़ज़ल एखलाक़ यह है कि तुम उसको मिलाओ जो तुम्हें जुदा करे और जो तुम पर जुल्म करे उसे माफ़ कर दो और जो यह चाहे कि उम्र में दराज़ी हो और रिज़्क़ में उसअत हो वह अपने रिश्ता वालों के साथ सिलह करे ।

मस्अला :- सिलऐ रहम के माने रिश्ता को जोड़ना है यानी रिश्तावालों के साथ नेकी और सुलूक करना, सारी उम्मत का इस पर इत्तेफ़ाक़ है कि सिलऐ रहम वाजिब है और क़तऐ रहम हराम है, जिन रिश्ता वालों के साथ सिला वाजिब है वह कौन हैं, बाज़ ओल्मा ने फ़रमाया वह ज़ूवरहम महरम हैं और बाज़ ने फ़रमाया इससे मुराद ज़ूरहम हैं महरम हों या न हों और जाहिर यही दुसरा कौल है । अहादीस मे मुतलकन रिश्ता वालों के साथ सिला करने का हुक्म आता है कुरान मजीद में मुतलकन ज़ुविलकुर्बा फ़रमाया गया, मगर यह बात ज़रूर है कि रिश्ता में चूँकि मुख्तलिफ़ दरजात है, सिलहे रहम के दरजात में भी तफ़ावुत होता है, वालिदैन का मरतबा सब से बढ़कर है उनके बाद ज़ूवरहम महरम का, उनके बाद बक़िया रिश्ता वालों का अला क़द्रे मरातिब ।

मस्अला :- सिलऐ रहम की मुखतलिफ़ सूरतें हैं, उनको तोहफ़ा या हदिया देना, अगर उनको किसी बात में तुम्हारीएआनतदरकार हो तो उस काम में उनकी मदद करना, उन्हें सलाम करना, उनकी मुलाक़ात को जाना, उनके पास उठना बैठना, उनसे बात चीत करना, उनके साथ लुत्फ़ व मेहरबानी से पेश आना ।

मस्अला :- अगर यह शख़्स परदेश में है तो रिश्ता वालों के पास ख़त भेजा करे उनसे ख़त व किताबत जारी रखें, ताकि वे ताल्लुकी पैदा न होने पाये और हो सके तो वतन आऐ और रिश्तादारों से ताल्लुक़ात ताज़ा कर लें, इस तरह करने से मुहब्बत में इज़ाफ़ा होगा ।

मस्अला :- यह परदेश में है, वालिदैन उसे बुलाते हैं तो आना ही होगा, ख़त लिखना काफ़ी नहीं है, यूँ ही वालिदैन को उसकी ख़िदमत की हाजत हो तो आऐ, और उनकी ख़िदमत करे, बाप के बाद दादा और बड़े भाई का मर्तबा है कि बड़ा भाई बमंज़िला बाप के होता है, बड़ी बहन और ख़ाला, माँ की जगह पर हैं, बाज़ ओलमा ने चचा को बाप की मिस्ल बताया और हदीस.......... से भी यही मुस्तफ़ाद होता है, इनके अलावा औरों के पास ख़त भेजना या हदिया भेजना केफ़ायत करता है ।

मस्अला :- रिश्तादारों से नाग़ा दे कर मिलता रहे यानी एक दिन मिलने को जाये, दूसरे दिन न जाये, अलाहाज़ल क़यास कि इससे मोहब्बत व उल्फ़त ज़्यादा होती है, बल्कि अक़रबा से जुमा, जुमा मिलता रहे या महीने में एक बार और तमाम क़बीला और ख़ानदान को एक होना चाहिये जब हक़ उनके साथ हो तो दूसरों से मुक़ाबला और इज़हारे हक़ में सब मुत्तहिद हो कर काम करें, जब अपना कोई रिश्तादार कोई हाजत पेश करे तो उसकी हाजत पूरी करे उसको रद कर देना क़त्ऐ रहम है ।

मस्अला :- सिलऐ रहम इसी का नाम नहीं कि वह सुलूक करे तो तुम भी करो यह चीज़ तो हक़ीक़त में मुकाफ़ात यानी अदला, बदला करना है कि उसने तुम्हारे पास चीज़ भेज दी, तुमने उसके पास भेजदी, वह तुम्हारे यहाँ आया तुम उसके पास चले गये हक़ीक़तन सिलऐ रहम यह है कि वह काटे और तुम जोड़ो, वह तुमसे जुदा होना चाहता है बे एतनाई करता है और तुम उसके साथ रिश्ता के हुक़ूक़ की मुराआत करो ।

मस्अला :- हदीस में आया है कि सिलऐ रहम से उम्र ज़्यादा होती है और रिज़्क़ में उसअत होती है । बाज़ ने इस हदीस को ज़ाहिर पर हमल किया यानी यहाँ क़ज़ाऐ मुअल्लक मुराद है क्योंकि क़ज़ाऐ मुबरह टल नहीं सकती.......... और बाज़ ने फ़रमाया कि ज़्यादती उम्र का यह मतलब है कि मरने के बाद भी इसका सवाब लिखा जाता है गोया वह अब भी ज़िन्दा है या यह मुराद है कि मरने के बाद भी उसका ज़िक्रे ख़ैर लोगों में बाक़ी रहता है ।

औलाद पर शफ़क़त और यतीमों पर रहमत

रसूल्लाह स०अ०स० ने फ़रमाया जो शख्स यतीम को अपने खाने पीने में शरीक करे अल्लाहताला उसके लिये ज़रूर जन्नत वाजिब कर देगा मगर जब कि ऐसा गुनाह किया हो जिस की मग़फ़रत न हो, और जो शख्स तीन लड़कियों या उतनी ही बहनों की परवरिश करे, उनको अदब सिखाएँ उन पर मेहरबानी करे यहाँ तक कि अल्लाहताला उन्हें बेनेयाज़ कर दे (यानी अब उनको ज़रूरत बाकी न रहे) तो अल्लाहताला उसके लिये जन्नत वाजिब कर देगा, किसी ने कहा या रसूल्लाह, या दो (यानी दो की परवरिश में भी सवाब हो जाये) फ़रमाया, दो (यानी इनमें भी वहीं सवाब है) और अगर लोगों ने एक के मुताल्लिक़ कहा होता तो हुज़ूर एक को भी फ़रमा देते, और फ़रमाया जिसकी करीमतैन को अल्लाहताला ने दूर कर दिया उसके लिये जन्नत वाजिब है । दरयाफ्त किया गया करीमतैन क्या है फ़रमाया, आखें, और फ़रमाया क्या मैं तुमको यह न बता दूँ कि अफ़ज़ल सदक़ा क्या है ।

वह अपनी उस लड़की पर सदक़ा करता है जो तुम्हारी तरफ़ वापस हुई (यानी उस का शौहर मर गया था उसको तलाक़ दे दी, और बाप के घर चली आई) तुम्हारे सिवा उसका कमाने वाला कोई नहीं है और फ़रमाया जिसकी लड़की हो और वह उसे ज़िन्दा दरगोर न करे और उसकी तौहीन न करे, और औलादे ज़कूर को उस पर तरजीह न दे, अल्लाहताला उसको जन्नत में दाखिल फ़रमायगा और फ़रमाया कि कोई शख्स अपनी औलाद को अदब दे वह उसके लिये एक साअ सदक़ा करने से बेहतर है और फ़रमाया बाप का अपनी औलाद को इससे बढ़कर कोई अतिया नहीं कि उसे अच्छे आदाब सिखाऐ और फ़रमाया कि अतिया में अपनी औलाद के दर्मियान अदल करो जिस तरह तुम खुद यह चाहते हो कि वह सब तुम्हारे साथ एहसान व मेहरबानी में अदल करें और फ़रमाया कि अल्लाहताला इस को पसन्द करता है कि तुम अपनी औलाद के दर्मियान अदल करो, यहाँतक कि बोसा लेने में भी और फ़रमाया कि जो शख्स यतीम की केफ़ालत करे (वह यतीम उसी घर का हो या ग़ैर का) मैं और वह दोनों जन्नत में इस तरह होंगे, हुज़ूर ने कलमा की उगंली और बीच की उगंली से इशारा किया और दोनों उगंलियों के दर्मियान थोड़ा सा फ़ासला किया और फ़रमाया जो शख्स यतीम के सर पर महज़ अल्लाह के लिये हाथ फेरे तो जितने बालों पर उसका हाथ गुज़रेगा हर बाल के मुक़ाबिल में उसके लिये नेकियाँ है । और जो शख्स यतीम लड़की या यतीम लड़के पर एहसान करे मैं और वह जन्नत में (दो उंगलियों को मिलाकर फ़रमाया) इस तरह होगें, यतीम लड़के के सर पर हाथ फेरे तो आगे को लाऐ और अपने बच्चे के सर पर फेरे तो गर्दन की तरफ़ ले जाये ।

पड़ोसियों के हुकूक़

कुरान मजीद में है— "और अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक न करो, माँ, बाप से भलाई करो, और रिश्तेदारों और यतीमों और मोहताजों और पास के हमसाया और दूर के हमसाया और करवट के साथी और राहगीर और अपने बान्दी गुलाम से, बेशक अल्लाह को खुश नहीं आता कोई इतराने वाला, बड़ाई मारने वाला", रसूल्लाह स०अ०स० ने फ़रमाया खुदा की क़सम वह मोमिन नहीं, खुदा की क़सम वह मोमिन नहीं, अर्ज़ की गई कौन या रसूल्लाह ! फ़रमाया वह शख्स कि उसके पड़ोसी उसकी आफ़तों से महफूज़ न हों यानी जो अपने पड़ोसियों को तकलीफ़ देता है और फ़रमाया जो शख्स अल्लाह और पिछले दिन (क़यामत) पर ईमान रखता है वह अपने पड़ोसी का इकराम करे । हज़रत अब्दुला बिन मसऊद रज़ी अल्लाहताला अन्ह कहते हैं एक शख्स ने हुजूर की खिदमत में अर्ज़ की या रसूल्लाह मुझे यह क्यों कर मालूम हो कि मैंने अच्छा किया या बुरा किया, फ़रमाया जब तुम अपने पड़ोसियों को यह कहते सुनो कि तुमने अच्छा किया है तो बेशक तुमने अच्छा किया और जब यह कहते सुनो कि तुमने बुरा किया तो बेशक तुमने बुरा किया ।

हज़रत अब्दुलाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहताला अन्ह कहते हैं मैंने रसूल्लाह स०अ०स० को यह फ़रमाते सुना, मोमिन वह नहीं जो खुद पेट भर खाऐ और उसका पड़ोसी उसके पहलू में भूखा रहे यानी मोमिन कामिल नहीं । रसूल्लाह स०अ०स० ने फ़रमाया जब कोई शख्स हान्डी पकाऐ तो शोरबा ज़्यादा करे और पड़ोसी को भी उसमें से कुछ दे । हज़रत अबूहुरैरा रज़ी अल्लाहताला अन्ह से रिवायत कि एक शख्स ने अर्ज़ की या रसूल्लाह फ़लानी औरत के मुताल्लिक़ ज़िक्र किया जाता है कि नमाज़, रोज़ा, व सदक़ा कसरत से करती है मगर यह बात भी है कि वह अपने पड़ोसियों को जुबान से तकलीफ़ पहुँचाती है फ़रमाया वह जहन्नम में है, उन्होंने कहा या रसूल्लाह फ़ला औरत की निसबत ज़िक्र किया जाता है कि उसके रोज़ा व सदक़ा व नमाज़ में कमी है (यानी नवाफ़िल) वह पनीर के टुकड़े सदक़ा करती है और अपनी जुबान से पड़ोसियों को ईज़ा नहीं देती, फ़रमाया वह जन्नत में है ।

रसूल्लाह स०अ०स० ने फ़रमाया कि अल्लाहताला ने तुम्हारे माबैन (दर्मियान) एखलाक़ की इस तरह तक़सीम फ़रमाई जिस तरह रिज़्क़ की तक़सीम फ़रमाई अल्लाहताला दुनियाँ उसे भी देता है जो उसे महबूब हो और उसे भी जो महबूब नहीं, और दीन सिर्फ़ उसी को देता है जो उसके नज़दीक प्यारा है, लेहाज़ा जिसको खुदा ने दीन दिया उसे महबूब बना लिया, क़सम है उसकी जिसके दस्ते कुदरत में मेरी जान है, बन्दा मुसलमान नहीं हो सकता जब तक उसका दिल और जुबान मुसलमान न हो यानी जब तक दिल में तसदीक़ है जुबान से इक़रार न हो और मोमिन नहीं होता जब तक उसका पड़ोसी उसकी आफ़तों से अमन

में न हो और फ़रमाया मर्द मुस्लिम के लिये दुनिया में यह बात सआदत में से है कि उसका पड़ोसी सालेह हो और मकान कुशादा हो और सवारी अच्छीहो, और फ़रमाया तुम्हें मालूम है कि पड़ोसी का क्या हक़ है, यह कि जब वह तुमसे मदद माँगे मदद करो, और जब क़र्ज़ माँगे क़र्ज़ दो, और जब मोहताज हो तो उसे दो, और जब बीमार हो अयादत करो, और जब उसे ख़ैर पहुँचे तो मुबारकबाद दो, और जब मुसीबत पहुँचे तो ताज़िअत करो, और मर जाये तो जनाज़े के साथ जाओ, और बग़ैर इजाज़त अपनी इमारत बुलन्द न करो कि उसकी हवा रोक दो, और अपनी हान्डी से उसको ईज़ा न दो, उसमें से कुछ उसे भी दो, और मेवे ख़रीदो तो उसके पास भी हदिया करो, अगर हदिया न करना हो तो छिपा कर मकान में लाओ, और तुम्हारे बच्चे उसे लेकर बाहर न निकलें कि पड़ोसी के बच्चों को रंज होगा, तुम्हें मालूम है पड़ोसी का किया हक़ है, क़सम है उसकी जिसके हाथ में मेरी जान है पूरी तौर पर पड़ोसी का हक़ अदा करने वाले थोड़े हैं, वही हैं जिन पर अल्लाह की मेहरबानी है, बराबर पड़ोसी के मुताल्लिक हुज़ूर वसीअत फ़रमाते रहे यहाँ तक कि लोगों ने गुमान किया कि पड़ोसी को वारिस कर देंगे, फिर हुज़ूर ने फ़रमाया, पड़ोसी तीन क़िस्म के हैं, बाज़ के तीन हक़ है, बाज़ के दो, और बाज़ का एक हक़ है, जो पड़ोसी मुस्लिम हो और रिश्ते वाला हो उसके तीन हक़ है— १. हक़्क़े जवार, २. और हक़्क़े इस्लाम, ३. और हक़्क़े क़राबत, पड़ोसी मुस्लिम के दो हक़ हैं— १. हक़्क़े जवार, २. और हक़्क़े इस्लाम, और पड़ोसी काफ़िर का सिर्फ़ एक हक़्क़े जवार है । हमने अर्ज़ की या रसूल्लाह उनको अपनी क़ुर्बानियों में से दें, फ़रमाया कि मुशरेकीन को क़ुर्बानियों में से कुछ न दो।

मसअला :- छत पर चढ़ने में दूसरों के घरों में निगाह पहुँचती है तो वह लोग छत पर चढ़ने से मना कर सकते हैं जब तक पर्दा की दीवार न बनावा लें या कोई ऐसी चीज़ न लगा लें जिससे बेपर्दगी न हो और अगर दूसरे लोगों के घरों में नज़र नहीं पड़ती मगर वह लोग जब छत पर चढ़ते है तो सामना होता है तो इस को चढ़ने से मना नहीं कर सकते, बल्कि उनकी मस्तूरात को यह चाहिये कि ख़ुद छतों पर न चढ़ें ताकि बेपर्दगी न हो ।

मख़लूके खुदा पर मेहरबानी करना

अल्लाह अज़्ज़ावजल्ला फ़रमाता है— नेकी और परहेज़गारी पर आपस मे एक दूसरे की मदद करो, और गुनाह व ज़ुल्म पर मदद न करो, १. रसूलुल्लाह स०अ०स० ने फ़रमाया अल्लाहताला उस पर रहम नहीं करता जो लोगों पर रहम नहीं करता, २. और फ़रमाया वह हममें से नही जो हमारे छोटे पर रहम न करे और हमारे बड़े की तौक़ीर न करे और अच्छी बात का हुक्म न करे और बुरी बात से मना न करे, ३. और हज़रत अनस रज़ी अल्लाहोताला अन्ह से रिवायत है कि जो जवान अगर बूढ़े का इकराम उसकी उम्र की वजह से करेगा तो उसकी उम्र के वक्त अल्लाहताला ऐसे को मुक़र्रर करेगा जो इसका इकराम करे ।

रसूल्लाह स०अ०स० ने फ़रमाया जो मेरी उम्मत में किसी की हाजत पूरी कर दे जिससे मक़सूद उसको खुश करना है तो उसने मुझे खुश किया और जिसने मुझे खुश किया उसने अल्लाह को खुश किया और जिसने अल्लाह को खुश किया अल्लाह उसको जन्नत में दाख़िल फ़रमायेगा, और फ़रमाया जो किसी मज़लूम की फ़रियाद रसी करे अल्लाहताला उसके लिये तिहत्तर मग़फ़िरतें लिखेगा, उनमें से एक से उसके तमाम कामों की दुरूस्ती हो जाएगी और बहत्तर से क़यामत के दिन उसके दर्जे बुलन्द होगें, और फ़रमाया कि तमाम मोमेनीन शख्से वाहिद की मिस्ल हैं अगर उसकी आँख बीमार हुई तो वह कुल बीमार है और सर में बीमारी हुई तो कुल बीमार है और फ़रमाया कि मोमिन मोमिन के लिये इमारत के मिस्ल है कि इसका बाज़ को कूव्वत पहुँचाता है फिर हुज़ूर ने एक हाथ की उँगलियाँ दूसरे हाथ की उँगलियो में दाखिल फ़रमाई यानी जिस तरह यह मिली हुई है मुसलमानों को भी इसी तरह होना चाहिये और फ़रमाया मुस्लिम, मुस्लिम का भाई है न उस पर ज़ुल्म करे न उसकी मदद छोड़े और जो शख्स अपने भाई की हाजत में हो अल्लाह उसकी हाजत मे है और जो शख्स मुस्लिम से किसी एक तकलीफ़ को दूर करे अल्लाहताला क़यामत की तकलीफ़ में से एक तकलीफ़ उसकी दूर करेगा, और जो शख्स मुस्लिम की पर्दा पोशी करेगा अल्लाहताला क़यामत के दिन उसकी पर्दापोशी करेगा और फ़रमाया क़सम है

उसकी जिसके हाथ में मेरी जान है बन्दा मोमिन नहीं होता जब तक अपने भाई के लिये वह पसन्द न करे जो अपने लिये पसन्द करता है और फ़रमाया कि लोगों को उनके मरतबा में उतारो यानी हर शख्स के साथ इस तरह पेश आओ जो उसके मरतबा के मुनासिब हो सबके साथ एक सा बरताव न हो मगर इसमें यह लेहाज ज़रूर करना होगा कि दूसरे की तहक़ीर व तज़लील न हो, और फ़रमाया तमाम मखलूक अल्लाहताला की अयाल है और अल्लाहताला के नज़दीक सबमें प्यारा वह है जो उसकी अयाल के साथ एहसान करे और फ़रमाया जहाँ कहीं रहो, खुदा से डरते रहो और बुराई हो जाये तो उसके बाद

नेकी करो यह नेकी उसे मिटा देगी और लोगों से। अच्छे एखलाक़ से पेश आओ ।

रिया और सुमआ का बयान

रिया यानी दिखावे कि लिये काम करना, सुमआ यानी इसलिये काम करना कि लोग सुनेंगे और अच्छा जानेगें यह दोनों चीजे बहुत बुरी हैं इनकी वजह मे इबादत का सवाब नहीं मिलता, बल्कि गुनाह होता है और यह शख्स मुस्तहके अजाब होता है कुरान मजीद में इरशाद हुआ....... ऐ ईमान वालो अपने सदाकात को एहसान जताकर और अजीअत देकर बातिल न करो उस शख्स की तरह जो दिखावे के लिये माल खर्च करता है और इरशाद हुआ........

जिसे अपने रब से मिलने की उम्मीद हो उसे चाहिये कि नेक काम करे और अपने रब की इबादत में किसी को शरीक न करे इसकी तफ़सीर मे मुफस्सेरीन ने यह लिखा है कि रिया न करे (कि रिया एक क़िस्म का शिर्क है) और फ़रमाता है वैल है उन नमाजियों के लिये जो नमाज से ग़फ़लत करते हैं जो रिया करते हैं और बरतने की चीज माँगे नहीं देते और फ़रमाता है अल्लाह की इबादत इस तरह कर कि दीन को इसके लिये खालिस कर आगाह हो जाओ कि दीन खालिस अल्लाह के लिये है, रसूल्लाह स०अ०स० ने फ़रमाया कि अल्लाहताला तुम्हारी सूरतों और तुम्हारे अमवाल की तरफ़ नजर नहीं फ़रमाता वह तुम्हारे दिल और आमाल की तरफ़ नजर करता है और फ़रमाया जो सुनाने के लिये काम करेगा अल्लाहताला उसको सुनाएगा, यानी उसकी सजा देगा, और जो रिया करेगा अल्लाहताला उसे रिया की सजा देगा, और फ़रमाया रिया का अदना मरतबा भी शिर्क है और तमाम बन्दों में खुदा के नजदीक वह ज्यादा महबूब है जो परहेजग़ार हैं जो छुपे हुए हैं अगर वह गायब हों तो उन्हें कोई तलाश न करे और गवाही दें तो पहचाने न जायें, वह लोग हिदायत के इमाम और इल्म के चिराग़ हैं ।

हजरत शद्दाद इब्ने औस कहते हैं मैंने रसूल्लाह स०अ०स० को यह फ़रमाते सुना कि जिसने रिया के साथ नमाज पढ़ी उसने शिर्क किया, और जिसने रिया के साथ रोजा रखा उसने शिर्क किया, और जिसने रिया के साथ सदक़ा दिया उसने शिर्क किया, रसूल्लाह स०अ०स० ने फ़रमाया मै अपनी उम्मत पर शिर्क और शहवते खुफ़िया का अन्देशा करता हूँ मैंने अर्ज की या रसूल्लाह क्या आप की उम्मत आप के बाद शिर्क करेगी । फ़रमाया हाँ, मगर वह लोग आफ़ताब व महताब और पत्थर और बुत को नहीं पूजेंगे बल्कि अपने आमाल में रिया करेगें, और शहवते, खुफ़िया यह कि सुबह को रोजा रखेगा फिर किसी ख्वाहिश से रोजा तोड़ देगा, और फ़रमाया सबसे पहले क़यामत के दिन एक शख्स का फ़ैसला होगा जो शहीद हुआ है वह हाज़िर किया जायेगा, अल्लाहताला अपनी नेमतें दर्याफ़्त करेगा वह नेमतों को पहचानेगा यानी इक़रार करेगा, इरशाद फ़रमायेगा कि इन नेमतों के मुक़ाबिल में तूने क्या अमल किया है, वह कहेगा मैंने तेरी

राह में जेहाद किया यहाँ तक कि शहीद हुआ, फिर अल्लाहताला फ़रमायेगा तू झूठा है तूने इसलिए क़ेताल किया था कि लोग तुझे बहादुर कहें, सो कहा गया, फिर हुक्म होगा, इस को मुँह के बल घसीट कर जहन्नम में डाल दिया जायेगा, और एक वह शख्स जिसने इल्म पढ़ा और पढ़ाया और कुरान पढ़ा वह हाजिर किया जायेगा उससे नेमतों को दर्याफ़्त करेगा, वह नेमतों को पहचानेगा, फ़रमाएगा इन नेमतों के मुक़ाबिल में तूने क्या अमल किया है, कहेगा मैंने तेरे लिए इल्म सीखा और सिखाया और कुरान पढ़ा, फ़रमाऐगा तू झूठा है, तूने इल्म इसलिये पढ़ा कि तुझे आलिम कहा जाये, और कुरान इसलिये पढ़ा कि तुझे क़ारी कहा जाये सो तुझे कह लिया गया, हुक्म होगा मुँह के बल घसीट कर जहन्नम में डाल दिया जायेगा, फिर एक तीसरा शख्स लाया जायेगा जिसको खुदा ने उसअत दी है और हर क़िस्म का माल दिया है, उससे अपनी नेमतें दर्याफ्त फ़रमायेगा, वह नेमतों को पहचानेगा, फ़रमाएगा तूने इसके मुकाबिल क्या किया, अर्ज़ करेगा मैंने कोई रास्ता ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें खर्च करना तुझे पसन्द है मगर यह कि मैंने उसमें तेरे लिये खर्च किया, फ़रमायेगा तू झूठा है, तूने इसलिये खर्च किया कि सखी कहा जाये, सो कह लिया गया, उसके मुताल्लिक़ भी हुक्म होगा, मुँह के बल घसीट कर जहन्नम में डाल दिया जायेगा, और फ़रमाया जिसकी नियत तलबे आख़िरतहै अल्लाहताला उसके दिल में गेना पैदा कर देगा, और उसकी हाजतें जमाकर देगा और दुनिया ज़लील हो कर उसके पास आएगी और तलबे दुनिया जिसकी नियत हो अल्लाहताला फक्र और मोहताजी उसकी आखों के सामने कर देगा, और उसके कामों को मुत्तफ़र्रिक कर देगा और मिलेगा वही जो उसके लिए लिखा जा चुका है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहोताला अन्हु कहते हैं मैंने अर्ज़ की या रसूल्लाह मैं अपने मकान के अन्दर नमाज की जगह में था एक शख्स आ गया और यह बात मुझे पसन्द आई कि उसने मुझे इस हाल में देखा (यह रिया तो न हुआ) इरशाद फ़रमाया अबू हुरैरा तुम्हारे दो सवाब हैं पोशीदा इबादत करने का, और आलानिया का भी, यह उसी सूरत में है कि इबादत इसलिए नहीं की कि लोगों पर जाहिर हो और लोग आबिद समझे, इबादत ख़ालिसन अल्लाह के लिये है, इबादत के बाद अगर लोगों पर जाहिर हो गई और तबअन यह बात अच्छी मालूम होती है कि दूसरे ने अच्छी हालत पर पाया इस तबई मुसर्रत से रिया नहीं ।

मस्अला :- इबादत कोई भी हो उसमें एखलास नेहायत ज़रूरी चीज है यानी महज़ रज़ाए इलाही के लिए अमल करना ज़रूर है दिखावे के तौर पर अमल करना बिल इजमआ हराम है, बल्कि हदीस में रिया को शिर्के असग़र फ़रमाया । एखलास ही वह चीज़ है कि उस पर सवाब मुरत्तब होता है हो सकता है कि अमल सही न हो, मगर जब एखलास के साथ किया गया हो तो उस पर सवाब मुरत्तब हो मसलन लाइल्मी में किसी ने नजिस पानी से वजू किया और नमाज़ पढ़ ली अगरचा यह नमाज़ सही न हुई कि सेहत की शर्त तहारत थी वह नहीं पाई गई मगर उसने सिदके नीयत और एखलास के साथ पढ़ी तो सवाब का तरत्तुब है यानी उस नमाज पर सवाब पायेगा मगर जबकि बाद में

ालूम हो गया कि नापाक पानी से वज़ू किया था तो वह मुतलबा जो उसके ज़िम्मा है साक़ित न होगा वह बदस्तूर क़ायम रहेगा, उसको अदा करना होगा, और कभी शरायते सेहत पाए जायेंगें मगर सवाब न मिलेगा, मसलन नमाज़ पढ़ी तमाम अरकान अदा किये और शराएत भी पाये गये मगर रिया के साथ पढ़ी तो अगरचा इस नमाज़ की सेहत का हुक्म दिया जाये मगर चूँकि एखलास नहीं है सवाब नहीं, रिया की दो सूरतें हैं— १. कभी अस्ल इबादत ही रिया के साथ करता है कि मसलन लोगों के सामने नमाज़ पढ़ता है और कोई देखने वाला न होता तो पढ़ता ही नहीं यह रियाए कामिल है कि ऐसी इबादत का बिलकुल सवाब नहीं दूसरी सूरत यह है कि असल इबादत मेंरिया नहीं कोई होता या न होता बहर हाल नमाज़ पढ़ता, मगर वस्फ़ में रिया है कि कोई देखने वाला न होता जब पढ़ता मगर इस खूबी के साथ न पढ़ता, यह दूसरी, पहली से कम दर्जा की है इसमें अस्ल नमाज़ का सवाब है और खूबी के साथ अदा करने का जो सवाब है वह यहाँ नहीं कि यह रिया से है एखलास से नहीं ।

मस्अला :- रोज़ादार से पूछा क्या तुम्हारा रोज़ा है उसे कह देना चाहिये कि हाँ है रोज़ा में रिया को दखल नहीं, यह न कहें कि देखता हूँ क्या होता है, यानी ऐसे अल्फ़ाज़ न कहे कि जिनसे मालूम होता हो कि यह अपने रोज़े को छिपाता है कि यह बेवकूफ़ी की बात है कि छिपाता है मगर इस तरह जिससे इज़हार हो जाता है या यह मुनाफ़िक़ीन का तरीक़ा है कि लोगों के सामने वह बताना चाहता है कि अपने अमल को छिपाता है ।

मस्अला :- रिया की तरह उजरत लेकर कुरान मजीद की तेलावत भी है (कि किसी मैय्यत के लिये वग़ैर्ज़ ईसाल सवाब कुछलेकर तिलावत करता है) कि यहाँ एखलास कहाँ बल्कि तेलावत से मक़सूद वह पैसे हैं कि वह नहीं मिलते तो पढ़ता भी नहीं इस पढ़ने में कोई सवाब नहीं, फिर मैंय्यत के लिये ईसाले सवाब का नाम लेना ग़लत है कि जब सवाब ही न मिला तो पहुँचायेगा क्या, इस सूरत में न पढ़ने वाले को सवाब न मैय्यत को बल्कि उजरत देने वाला और लेने वाला दोनों गुनेहगार, हाँ अगर एखलास के साथ किसी ने तिलावत की तो उस पर सवाब भी है और इसका ईसाल भी हो सकता है और मैय्यत को इससे नफ़ा भी पहुँचेगा, बाज़ मरतबा पढ़ने वालों को पैसे नहीं दिये जाते मगर खत्म के बाद मिठाई तक़सीम होती है अगर उस मिठाई की खातिर तिलावत की है तो यह भी एक किस्म की उजरत ही है (कि जब एक चीज मशहूर हो जाती है तो उसे भी मशरूत ही का हुक्म दिया जाता है) इसका भी वही हुक्म है जो मज़कूर हो चुका है, हाँ जो शख्स यह समझता है कि नहीं मिलती जब भी मैं पढ़ता वह इस हुक्म से मुस्तसना है और इस बात का खुद वह अपने ही दिल से फैसला कर सकता है कि मेरा पढ़ना मिठाई के लिये है या अल्लाह अज़्ज़ा व जलला के लिये, पजंआयत पढ़ने वाला दोहरा हिस्सा लेता है (यानी एक हिस्सा खास पजंआयत का मुआवज़ा है) इससे भी यही निकलता है कि जिस तरह अजीर को उजरत न मिले तो झगड़ कर लेता है इस तरह

यह भी लेता है लेहाज़ा बज़ाहिर एखलास नज़र नहीं आता, वल्लाहो आलम बिस्सवाब ।

मस्अला :- जो शख्स हज़ को गया और साथ में सामाने तेजारत भी ले गया अगर तेजारत का ख्याल गालिब है यानी तेजारत करना मकसूद है और वहाँ पहुँच जाऊँगा, हज़ भी कर लूँगा, या दोनों पहलू बराबर हैं यानी सफ़र ही दोनों मतलबसे किया तो इन दोनों सूरतों में सवाब नहीं यानी जाने का सवाब नही और अगर मकसूद हज करना है और यह कि मौका मिल जायेगा तो माल भी बेच लूँगा तो हज का सवाब है, इसी तरह अगर जुमा पढ़ने गया और बाज़ार में दुसरे काम करने का भी ख्याल है अगर असली मकसूद जुमा ही को जाना है तो उस जाने का सवाब है और अगर काम का ख्याल है या दोनों बराबर तो जाने का सवाब नहीं ।

मस्अला :- फर्ज़ो में रिया का दखल नहीं, इसका यह मतलब नहीं कि फर्ज़ो में रिया पाया ही नहीं जाता, (इसलिए कि जिस तरह नफिल को रिया के साथ अदा कर सकता है हो सकता है कि फर्ज़ को भी रिया के तौर पर अदा करें) बल्कि मतलब यह है कि फर्ज़ अगर रिया के तौर पर अदा किया जब भी उसके ज़िम्मा से साकित हो जायेगा, अगरचा एखलास न होने की वजह से सवाब न मिले और यह मतलब भी हो सकता है कि अगर किसी को फर्ज़ अदा करने में रिया आने का डर हो तो इस वजह से फर्ज़ को तर्क न करें बल्कि फर्ज़ अदा करने और रिया को दूर करने की और एखलास हासिल होने की कोशिश करें ।

ईसाले सवाब

मस्अला :- ईसाले सवाब यानी कुरान मजीद या दरूद शरीफ़ या कलमए तैय्यब या किसी नेक अमल का सवाब दूसरे को पहुँचाना जायज़ है इबादते मालिया या बदनिया फर्ज़ व नफिल सबका सवाब दूसरों को पहुँचाया जा सकता है, जिन्दों के ईसाले सवाब से मुर्दों को फायदा पहुँचता है, कुतुब फ़िक्ह व अकायद में इसकी तसरीह मज़कूर है हेदाया और शरह अकाएद्य नस्फी में इसका बयान मौजूद है इसको बिदअत कहना हठधर्मी और जेहालतत है, हदीस से भी इसका जायज़ होना साबित है । हज़रत सअद रज़ी अल्लाहोताला अन्ह की वालेदा का जब इन्तेकाल हुआ, उन्होंने हुज़ूर अकदस की खिदमत में अर्ज़ की या रसूल्लाह सअद की माँ का इन्तेकाल हो गया कौन सा सदका अफज़ल है । इरशाद फ़रमाया पानी, उन्होंने कुआँ खोदा और यह कहा कि यह सअद की माँ के लिए है, मालूम हुआ कि जिन्दों के आमाल से मुर्दों को सवाब मिलता है और फायेदा पहुँचता है अब रही तखसीसात मसलन तीसरे दिन या चालिसवें दिन यह तखसीसात न शरई तखसीसात हैं न इनको शरई मसझा जाता है, यह कोई भी नहीं जानता कि उसी दिन में सवाब पहुँचेगा अगर किसी दूसरे दिन किया जायेगा तो नहीं पहुँचेगा, यह महज रेवाजी और उर्फी बात है जो अपनी सहूलत के लिए लोगों ने रखी है बल्कि इन्तेकाल के बाद ही से कुरान मजीद की तेलावत और खैर, खैरात का सिलसिला जारी होता है, अक्सर लोगों के यहाँ उसी दिन से बहुत दिनों तक यह सिलसिला जारी रहता है, इसके होते हुए क्यों कर कहा जा सकता है कि मखसूस दिन के सिवा दूसरे दिनों में लोग

नाजायज़ जानते हैं यह महज़ इफ़तरा है जो मुसलमानों के सर बाँधा जाता है और जिन्दों, मुर्दों को सवाब से महरूम करने की बेकार कोशिश है, पस जबकि हम असल कुल्ली बयान कर चुके तो जुज़यात के एहकाम खुद इसी कुल्लिया से मालूम हो गये, सोम यानी तीजा जो मरने से तीसरे दिन किया जाता है कि कुरान पढ़वा कर या कलमा तैय्यब पढ़वा कर ईसाले सवाब करते हैं और बच्चों और अहलेहाजत को चने, बताशे, या मिठाइयाँ तकसीम करते हैं और खाना पकवा कर फ़ुकरा व मसाकीन को खिलाते हैं या उनके घरों पर भेजते हैं जायज़ व बेहतर है फिर हर फंजशम्बा को हस्बे हैसियत खाना पका कर मुर्दा को देते या खिलाते है फिर चालिसवें दिन खाना खिलाते और फिर छः महीने पर ईसाल करते हैं इसके बाद बरसी होती है, यह सब इसी ईसाले सवाब की फोरूअ है इसी में दाखिल है मगर यह ज़रूर है कि यह काम अच्छी नियत से किये जायें, नुमाइश न हों, नुमूद मकसूद न हो, नहीं तो न सवाब है न ईसाले सवाब । बाज़ लोग इस मौका पर अजीज व करीब और रिश्तेदारों की दावत करते हैं, यह मौका दावत का नहीं बल्कि मोहताजों, फकीरों को खिलाने का है जिससे मैय्यत को सवाब पहुँचे इसी तरह शबे बरात में हलवा पकता है और उस पर फातेहा दिलाई जाती है, हलवा पकाना भी जायज है और उस पर फातेहा भी इसी ईसाले सवाब में दाखिल है इसी तरह मोहर्रम में और बुजुर्गों के इन्तेक़ाल की तारीख पर हर साल जो कुरान ख्वानी होती है और खाना शरबत, शीरनी वगैरह तकसीम होती है यह भी ईसाले सवाब है और बिला तकल्लुफ जायज़ व मुस्तहसन है ।

मजालिसे ख़ैर

मस्अला :- मीलाद शरीफ़ (यानी हुज़ूर अक़दस की वेलादते अक़दस का बयान) जायज़ है इसी के ज़िमन में इस मजलिसे पाक में हुज़ूर के फ़ज़ाएल व मोजज़ात वसीरत व हालाते हयात व रज़ाअत और बेआसत के वाक़ेआत भी बयान होते हैं, इन चीज़ों का ज़िक्र अहादीस में भी है और कुरान मजीद में भी अगर मुसलमान अपनी महफ़िल में बयान करें बल्कि खास उन बातों के बयान करने के लिए महफ़िल मुनअक़िद करें तो उसके नाजायज़ होने की कोई वजह नहीं इस मजलिस के लिए लोगों को बुलाना और शरीक करना खैर की तरफ़ बुलाना है जिस तरह वअज़ और जलसों के एलान किये जाते हैं, इश्तेहारात छपवा कर तक़सीम किये जाते हैं अखबारात में इसके मुत्तालिक़ मज़ामीन शाया किये जाते हैं और उनकी वजह से वह वअज़ और जलसे नाजायज़ नहीं हो जाते, इसी तरह ज़िक्रे पाक बुलावा देने से उस मजलिस को नाजायज़ व बिदअत नहीं कहा जा सकता, इसी तरह मीलाद शरीफ़ में शीरनी बान्टना भी जायज़ है जब यह महफ़िल जायज़ है तो शीरनी करना जो एक जायज़ फ़ेल था उस मजलिस को नाजायज़ नहीं कर देगा, यह कहना कि लोग इसे ज़रूरी समझते हैं इस वजह से नाजायज़ है यह भी ग़लत है कि कोई वाजिब या फर्ज़ नहीं जानता बहुत मरतबा मैंने खुद देखा है कि मिलाद शरीफ़ हुआ और मिठाई नहीं तक़सीम हुई, और बिलफर्ज़ उसे कोई ज़रूरी समझता भी हो तो उर्फ़ी ज़रुरी कहता होगा न कि शरअन उसे ज़रूरी जानता होगा, इस मजलिस में बवक़्ते ज़िक्रे वेलादत क्याम किया जाता है यानी खड़े होकर दरूद व सलाम पढ़ते

है, ओल्माए केराम ने इस क़याम को मुस्तहसन फ़रमाया है, खड़े होकर सलात व सलाम पढ़ना भी जायज़ है, बाज़ अकाबिर को इस मजलिसे पाक में हुजूरे अक़्दस की ज़्यारत का शर्फ़ भी हासिल हुआ है अगरचा यह नहीं कहा जा सकता कि हुजूर इस मौक़ा पर ज़रूर तशरीफ़ लाते हैं मगर किसी ग़ुलाम पर अपना करमें खास फ़रमायें और तशरीफ़ लायें तो मुस्तबअद नहीं ।

मस्अला :- मजलिस मीलाद शरीफ़ में या दीगर मजालिस में वही रिवायत बयान की जायें जो साबित हों, मौजूआत और गढ़े हुए क़िस्से हरगिज़, हरगिज़ बयान न किये जायें, कि बजाए खैर व बरकत ऐसी बातों के बयान करने में गुनाह होता है ।

मस्अला :- मेराज शरीफ़ के बयान के लिए मजलिस मुनअक़िद करना उसमें वाक़ए मेराज बयान करना जिसको रजबी शरीफ़ कहा जाता है जायज़ है ।

मस्अला :- खोल्फ़ाए राशदीन रज़ी अल्लाहोताला अनहुम की वफ़ात की तारीखों में मजलिस मुनअक़िद करना और उनके हालात व फ़ज़ायल व कमालात से मुसलमानों को आगाह करना भी जायज़ है कि वह हज़रात मुक़्तदायाने अहले इस्लाम हैं और उनका ज़िक्र बाइसे खैर व बरकत और सबबे नुज़ूले रहमत है ।

मस्अला :- अशरह मुहर्रम में मजलिस मुनअक़िद करना और वाक़ेआते करबला बयान करना जायज़ है जबकि रेवायाते सहीहा बयान की जाये इन वाक़ेयात में सब्र व तहम्मुल, रज़ा व तसलीम का मुकम्मल दर्स है और पाबन्दीए अहकामे शरीअत, इत्तेबाए सुन्नत का ज़बरदस्त अमली सुबूत है कि दीने हक़ की हिफ़ाज़त में तमाम अइज़्ज़ा व अक़रबा व रुफ़क़ा और खुद अपने को राहे खुदा में क़ुर्बान किया और जज़अ व फ़ज़अ का नाम भी न आने दिया, मगर उस मजलिस में सहाबाए केराम रज़ी अल्लाहताला अन्हुम का भी ज़िक्रे खैर भी हो जाना चाहिए ताकि अहले सुन्नत और शीओ की मजालिस में फ़र्क़ व इमतियाज़ रहे ।

मस्अला :- ताज़ियादारी कि वाक़ेआते करबला के सिलसिला में तरह-तरह के ढाचें बनाते और उनको हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहताला अन्ह के रौज़ाए मुबारक की शबीह कहते हैं कहीं तख्त बनाए जाते हैं कहीं ज़रीह बनती है और अलम और शद्दे निकाले जाते हैं, ढोल ताशे और क़िस्म-क़िस्म के बाजे बजाये जाते हैं, ताज़ियों का बहुत धूम-धाम से गश्त होता है, आगे पीछे होने में जाहिलियत के से झगड़े होते हैं, कभी दरख़्त की शाखें काटी जाती हैं, कहीं चबूतरे खुदवाए जाते हैं, ताज़ियों से मन्नतें मानी जाती हैं सोने-चाँदी के अलम चढ़ाए जाते हैं हार, फूल, नारियल चढ़ाते हैं, वहाँ जूता पहन कर जाने को गुनाह जानते हैं बल्कि इस शिद्दत से मना करते हैं कि गुनाह पर भी ऐसी मुमानियत नहीं करते, छतरी लगाने को बहुत बुरा मानते हैं ताज़ियों के अन्दर दो मसनुई क़ब्रें बनाते हैं एक पर सब्ज़ ग़िलाफ़ और दूसरी पर सुर्ख, ग़िलाफ़ डालते हैं सब्ज़ ग़िलाफ़ वाली को हज़रत सय्यदना इमाम हसन रज़ी अल्लाहताला अन्ह की क़ब्र और सुर्ख ग़िलाफ़ वाली को हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहताला अन्ह की क़ब्र या शबीह क़ब्र बताते हैं और वहाँ शरबत, मालीदा वग़ैरह पर फ़ातेहा दिलवाते हैं यह तसव्वुर करके कि हज़रत इमाम आलीमुक़ाम के रौज़ा और मवाजहा अक़दस में

फातेहा दिला रहे हैं फिर यह ताजिये दस्वीं तारीख को मसनुई करबला में ले जाकर दफ़्न करते हैं गोया यह जनाज़ा था जिसे दफ़न कर आए, फिर तीजा, दस्वां, चालीसवां सब कुछ किया जाता है और हर एक खुराफ़ात पर मुश्तमिल होता है, हज़रत क़ासिम रज़ी अल्लाहताला अन्ह की मेहन्दी निकालते है गोया उनकी शादी हो रही है और मेहन्दी रचाई जायेगी, और इस ताज़ियादारी के सिलसिला में कोई पीक बनता है जिसके कमर से घुंघरू बंधे होते हैं गोया यह हज़रत इमाम आली मुक़ाम काक़ासिद और हरकारा है जो यहाँ से खत लकर इब्ने ज्याद या यज़ीद के पास जायेगा और वह हरकारों की तरह भागा फिरता है, किसी बच्चा को फ़क़ीर बनाया जाता है उसके गले में झोली डालते और घर-घर उससे भीक मँगवाते है कोई सक्का बनाया जाता है छोटी सी मशक उसके काँधे पर लटकती है गोया यह दरियाए फ़ुरात से पानी भर लायेगा, किसी अलम पर मशक लटकती है और उसमें तीर लगा होता है गोया यह हज़रत अब्बास अलमदार है कि फ़ुरात से पानी ला रहे हैं और यज़ीदीयों ने मशक को तीर से छेद दिया है, इसी क़िस्म की बहुत सी बाते की जाती है यह सब लग़व और खुराफ़ात हैं इनसे हरगिज़ सैय्यदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहताला अन्ह खुश नहीं । तुम खुद ग़ौर करो कि उन्होंने एहयायेदीन व सुन्नत के लिए यह ज़बरदस्त कुर्बानियाँ की, और तुमने माज़ अल्लाह इसको बिदआत का ज़रिया बना लिया बाज़ जगह इसी ताज़ियादारी के सिलसिला में बुराक बनाया जाता है जो अजीब क़िस्म का मुजस्समा होता है कि कुछ हिस्सा इंसानी शक्ल का होता है कुछ हिस्सा जानवर का सा, शायद यह इमाम आली मुक़ाम के सवारी के लिए जानवर होगा, कहीं दुलदुल बनता है कहीं बड़ी बड़ी कबरें बनती है, बाज़ जगह आदमी, रीछ, बन्दर, लंगूर बनते हैं और कूदते फिरते हैं जिनको इस्लाम तो इस्लाम इंसानी तहज़ीब भी जायज़ नहीं रखती, ऐसी बुरी हरकत इस्लाम हरगिज़ जायज़ नहीं रखता, अफ़सोस कि महब्बते अहले बैते कराम का दावा और ऐसी बेजा हकरतें यह वाक़ेआ तुम्हारे लिए नसीहत था और तुमने इसको खेल तमाशा बना लिया, इसी सिलसिला में नौहा और मातम भी होता है और सीना कोबी होती है, इतने ज़ोर ज़ोर से सीना कूटते हैं कि वरम हो जाता है, सीना सुर्ख हो जाता है बल्कि बाज़ जगह जंजीरों और छुरियों से मातम करते हैं कि सीने से खून बहने लगता है, ताज़ियों के पास मरसिया पढ़ा जाता है और ताजिया जब गश्त को निकलता है उस वक़्त भी उसके आगे मरसिया पढ़ा जाता है मरसिया में ग़लत वाक़ेआत नज़्म किये जाते हैं अलहे बैते कराम की बेहुरमती और बेसब्री, जज़अ, फ़ज़अ का ज़िक्र किया जाता है और चूँकि अक्सर मरसिया राफ़ज़ियों ही के हैं बाज़ में तबर्रा भी होता है मगर उस रौ में सुन्नी भी उसे बे तकल्लुफ़ पढ़ जाते हैं और उन्हें इसका ख्याल भी नहीं होता कि क्या पढ़ रहे हैं यह सब नाजायज़ और गुनाह के काम है ।

मस्अला :- इज़हारे ग़म के लिए सर के बाल बिखेरते हैं कपड़े फाड़ते और सर पर खाक डालते और भूसा उड़ाते हैं यह भी नाजायज़ और जाहिलियत के काम है, इनसे बचना नेहायत ज़रूरी है अहादीस में इसकी सख्त मुनानियत आई है, मुसलमानों पर लाज़िम है कि ऐसे ओमूर से परहेज़ करें, और ऐसे काम करें जिनसे अल्लाहताल और रसूलुल्लाह राज़ी हों कि यही नेजात का रास्ता है ।

मुतफ़र्रिक़ात

मस्अला :- तमाम ज़बानों में अर्बी ज़बान अफ़ज़ल है हमारे आक़ा व मौला सरकारे दो आलम की यही ज़ुबान है, क़ुरान मजीद अर्बी ज़ुबान में नाज़िल हुआ, अहले जन्नत की जन्नत में अर्बी ही ज़ुबाना होगी, जो इस ज़ुबान को ख़ुद सीखे या दूसरों को सिखाये उसे सवाब मिलेगा, यह जो कहा गया सिर्फ़ ज़ुबान के लेहाज़ से कहा गया, वरना एक मुस्लिम को ख़ुद सोचने की ज़रूरत है कि अर्बी ज़ुबान का जानना मुस्लमानों के लिए कितना ज़रूरी है क़ुरान व हदीस और दीन के तमाम असूल व फ़रोअ इसी ज़ुबान में है इस ज़ुबान से नावाक़फ़ी कितनी कमी और नुक़सान की चीज़ है ।

मस्अला :- अजीबो ग़रीब क़िस्से कहानी तफ़रीह के तौर पर सुनना जायज़ है जबकि उनका झूठा होना यक़ीनी न हो बल्कि जो यक़ीनन झूठ हों उनको भी सुना जा सकता है, जबकि बतौरे ज़रबे मसल हों या उनसे नसीहत मक़सूद हो जैसा कि मसनवी शरीफ़ वग़ैरह में बहुत से फ़र्ज़ी क़िस्से वाअज़ व पन्द के लिए दर्ज किये गये हैं इसी तरह जानवरों और कंकर, पत्थर वग़ैरह की बातें फ़र्ज़ी तौर पर बयान करना या सुनना भी जायज़ है मसलन गुलिस्तां में हज़रत शेख़ सआदी अलैहिर्रहमा ने लिखा— "गिले ख़ुशबूए दर हमाम रोज़े ।

मस्अला :- जिसके ज़िम्मा अपना हक़ हो और वह न देता हो तो अगर उसकी ऐसी चीज़ मिल जाये जो उसी जिन्स की है जिस जिन्स का हक़ है तो ले सकता* है ।

मस्अला :- लोगों के साथ मदारात से पेश आना नर्म बातें करना, कुशादा रूई से कलाम करना मुस्तहब है मगर यह ज़रूर है कि मुदाहनत न पैदा हो, बदमज़हब से गुफ़्तगू करें तो इस तरह न करें कि वह समझे मेरे मज़हब को अच्छा समझने लगा, बुरा नहीं जानता है ।

मस्अला :- टिड्डी हलाल जानवर है इसे खाने के लिए मार सकते हैं चीटी ने ईज़ा पहुँचाई और मार डाली तो हर्ज नहीं, वरना मकरूह है जूँ को मार सकते हैं अगरचा उसने काटा न हो और आग में डालना मकरूह है, जूँ को बदन या कपड़े से निकाल कर ज़िन्दा फेंक देना तरीक़े अदब के ख़िलाफ़ है । खटमल को मारना जायज़ है कि यह तकलीफ़देह जानवर है ।

मस्अला :- अगर जान, माल, आबरू का अन्देशा है उनके बचाने के लिए रिश्वत देता है या किसी के ज़िम्मा अपना हक़ है जो बग़ैर रिश्वत दिये वसूल

★ इस मामला में में रूपया, अशर्फ़ी एक जिन्स की चीज़े है यानी उसके ज़िम्मा रूपया था और अशर्फ़ी मिल गयी तो बक़द्र अपने हक़ के ले सकता है ।

नहीं होगा, और यह इसलिए रिश्वत देता है कि मेरा हक़ वसूल हो जाये, यह देना जायज़ है यानी देने वाला गुनेहगार नहीं मगर लेने वाला ज़रूर गुनेहगार है उसको लेना जायज़ नहीं, इसी तरह जिन लोगों से जुबान दराज़ी का अन्देशा हो जैसे बाज़, लुच्चे, शोहदे ऐसे होते हैं कि सरे बाज़ार किसी को गाली दे देना या बेआबरूई कर देना उनके नज़दीक मामूली बात है ऐसों को इसलिए कुछ देना ताकि ऐसी हरकतें न करें या बाज़ शोअरा ऐसे होते हैं कि उन्हें अगर न दिया जाये तो मुज़म्मत में क़सीदे कह डालते हैं उनको अपनी आबरू बचाने और जुबान बन्दी के लिए कुछ देना जायज़ है ।

मस्अला :- भेड़ बकरियों के चरवाहे को इसलिए कुछ देना कि वह जानवरों को रात में उसके खेत में रखेगा, (क्योंकि इससे खेत दुरूस्त हो जाता है) यह नाजायज़ व रिश्वत है अगरचा यह जानवर खुद चरवाहे के हों, और अगर कुछ देना नहीं ठहरा है जब भी नाजायज़ है क्योंकि इस मौक़ा पर ऊर्फ़न दिया ही करते हैं तो अगरचा देना शर्त नहीं मगर मशरूत ही के हुक्म में है इसके जवाज़ की यह सूरत हो सकती है कि मालिक से उन जानवरों को आरियत ले ले और मालिक चरवाहे से यह कह दे तू उसके खेत में जानवरों को ठहराना, अब अगर चरवाहे को एहसान के तौर पर देना चाहे तो दे सकता है, नाजायज़ नहीं, और अगर मालिक के कहने के बाद भी चरवाहा माँगता है और जब तक उसे कुछ न दिया जाये ठहराने पर राज़ी न हो तो यह फिर नाजायज़ व रिश्वत है ।

मस्अला :- बाप को उसका नाम लेकर पुकारना मकरूह है कि यह अदब के खिलाफ़ है इसी तरह औरत को यह मकरूह है कि शौहर को नाम लेकर पुकारे, बाज़ जाहिलों में यह मशहूर है कि औरत अगर शौहर का नाम ले ले तो निकाह टूट जाता है, यह ग़लत है शायद इसे इसीलिए गढ़ा हो कि इस डर से कि तलाक़ हो जायेगी शौहर का नाम न लेगी ।

मस्अला :- मरने की आरज़ू करना और उसकी दुआ माँगना मकरूह है जबकि किसी दुनियवी तकलीफ़ की वजह से हो, मसलन तंगी से बसर औक़ात होती हो या दुश्मन का अन्देशा हो माल जाने का खौफ़ है, और अगर यह बातें न हो बल्कि लोगों की हालतें खराब हो गयीं मआसियत में मुबतला हैं उसे भी अन्देशा है कि गुनाह में पड़ जायेगा तो आरज़ूए मौत मकरूह नहीं ।

मस्अला :- ताऊन जहाँ हो वहाँ से भागना जायज़ नहीं और दूसरी जगह से वहाँ जाना भी न चाहिए, इसका मतलब यह है कि जो लोग कमज़ोर एतेक़ाद के हों और ऐसी जगह गये और मुबतला हो गये उनके दिल में यह बात आई कि यहाँ आने से ऐसा हुआ न आते तो काहे को इस बला में पड़ते और भागने से बच गया तो यह ख्याल किया कि वहाँ न बचता भागने की वजह से बचा, ऐसी सूरत में भागना और जाना दोनों ममनूअ है । ताऊन के ज़माना में अवाम से अकसर इसी क़िस्म की बाते सुनने में आती हैं और अगर उसका

अक़ीदा पक्का है जानता है कि जो कुछ मुक़द्दर में होता है वहीं होता है न वहाँ जाने से कुछ होता है न भागने में फ़ायदा पहुँचता है तो ऐसे को वहाँ जाना भी जायज़ है और निकलने में हर्ज नहीं कि उसको भागना नहीं कहा जायेगा, और हदीस में मुतलक़न निकलने की मुमानियत नहीं बल्कि भागने की मुमानियत है ।

मस्अला :- माह सफ़र को लोग मनहूस जानते हैं इसमें शादी ब्याह नहीं करते, लड़कियों को रूखसत नहीं करते और भी इस क़िस्म के काम करने से परहेज़ करते हैं और सफ़र करने से गुरेज़ करते हैं ख़ुसूसन माह सफ़र की इब्तेदाई तेरह तारीखें बहुत ज़्यादा नहस मानी जाती है और उनको तेरह तेज़ी कहते हैं, यह सब जहालत की बाते हैं हदीस में फ़रमाया कि सफ़र कोई चीज़ नहीं यानी लोगों का उसे मनहूस समझना ग़लत है । इसी तरह ज़ीक़अदह के महीना को भी बहुत लोग बुरा मानते हैं और इसको ख़ाली का महीना कहते हैं यह भी ग़लत है और हर माह में ३, १३, २३, ८, १८, २८ को मनहूस जानते हैं यह भी लग़वीयात है ।

मस्अला :- क़मर दर अक़रब यानी चाँद जब बुर्ज अकरब में होता है तो सफ़र करने को बुरा जानते हैं और नजूमी इसे मनहूस बताते हैं और जब बुर्ज असद में होता है तो कपड़े कतआ कराने और सिलवाने को बुरा मानते हैं ऐसी बातों को हरगिज़ न माना जाये यह बातें खिलाफ़े शरअ और नजूमियों के ढकोसले हैं ।

मस्अला :- नजूम की इस क़िस्म की बातें जिनमें सितारों की तासीरात बताई जाती है कि फ़ँला सितारा तुलू करेगा तो फ़ँला बात होगी यह भी खिलाफ़े शरअ है इसी तरह नक्षत्रों का हिसाब की फ़ँला नक्षत्र से बारिश होगी यह भी ग़लत है हदीस में इस पर सख़्ती से इन्कार फ़रमाया ।

मस्अला :- माह सफ़र का आखिरी चहार शम्बा हिन्दोस्तान में बहुत मनाया जाता है लोग अपने कारोबार बन्द कर देते हैं, सैर, तफ़रीह व शिकार को जाते हैं, पूरियाँ पकती हैं और नहाते, धोते, खुशियाँ मनाते हैं और कहते यह है कि हुज़ूरे अक़दस ने उस रोज़ गुस्ले सेहत फ़रमाया था, और बैरून मदीना सैर के लिए तशरीफ़ ले गये थे यह सब बातें बे असल हैं बल्कि उन दिनों में हुज़ूरे अकरम का मर्ज़ शिद्दत के साथ था वह बातें खिलाफ़े वाकेआ है और बाज़ लोग यह कहते हैं कि उस रोज़ बलाएं आती हैं और तरह-तरह की बातें बयान की जाती है सब बेसुबूत है बल्कि हदीस का इरशाद यानी सफ़र कोई चीज़ नहीं, ऐसी तमाम खुराफ़ात को रद्द करता है ।